आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.
महारत्न कंपनी

ऊर्जान्वित जीवन
सशक्त भारत

57वीं
वार्षिक
रिपोर्ट
2025-26

1010

विषय सूची

भाग 1
हमारी विकास गाथा

हमारी विकास गाथा	2
वर्ष पर एक दृष्टि	3
हमारी यात्रा पर एक दृष्टि	4
हमारे कार्य	6
ध्येय एवं दृष्टि	8
हमारे उत्पाद	9
कॉर्पोरेट उद्देश्य	10
भारत सरकार की भागीदार	12
कंपनी का परिचय	14
प्रदर्शन पर एक दृष्टि	15
पुरस्कार एवं प्रशस्तियां	18
निदेशक मंडल	20
निदेशकों का परिचय	21
नेतृत्व टीम	24
अखिल भारतीय उपस्थिति - ऋण परिसंपत्ति बही	26

भाग 2
स्थिरता रणनीति

आरईसी में ईएसजी	28
ईएसजी प्रदर्शन की प्रमुख विशेषताएं	29
स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आरईसी का योगदान	30
एक सतत भविष्य के लिए रणनीतिक ऋण प्रदान करना	31
एकीकृत रिपोर्टिंग रूपरेखा	32

भाग 3
सांविधिक प्रकटीकरण

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश	44
सूचना	51
बोर्ड की रिपोर्ट	68
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	98
कॉर्पोरेट सुशासन संबंधी रिपोर्ट	109
कॉर्पोरेट सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र	140
कारोबार दायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट	141
स्वतंत्र उचित आश्वासन रिपोर्ट	194
सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	197
संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं का विवरण	200
सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	201
डिबेंचर न्यासियों के विवरण	216

भाग 4
वित्तीय विवरण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	226
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	235
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	237
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण	238
समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	339
समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	345
समेकित वित्तीय विवरण	346
हमारे कार्यालय	448

हमारी विकास-गाथा

आरईसी लिमिटेड एक अग्रणी 'महारत्न' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है और भारत की एक बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। वर्तमान में आरईसी अपने अभिनव वित्तीय समाधानों के बल पर पूरे विद्युत क्षेत्र के वैल्यू चेन में भारत की विकास-यात्रा के प्रत्येक चरण में भागीदार रही है।

आरईसी में, हम न केवल सुदृढ़ विद्युत असंरचना का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन-स्तर को समृद्ध बना रहे हैं।

वर्ष 1969 में निगमित और 2022 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए सर्वोच्च मान्यता 'महारत्न' कंपनी का दर्जा प्राप्त करते हुए आरईसी वर्तमान में ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में भारत की वित्तीय क्षमता के प्रतीक के रूप में स्थापित है। ₹5.83 लाख करोड़ की उत्कृष्ट ऋण पुस्तिका और वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक के सर्वोच्च ₹2.11 लाख करोड़ के संवितरण के साथ, आरईसी अद्वितीय पैमाने और उद्देश्य के साथ राष्ट्र के विकास को ऊर्जा प्रदान करना जारी रखे हुए है।

वर्ष पर एक दृष्टि

वित्तीय एवं संचालन क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियां

(₹ करोड़ में)

16,282
निवल लाभ

5,83,659
ऋण बही

84,290
निवल मूल्य

2,11,189
संवितरण

4,09,097
स्वीकृत

75,347
नवीकरणीय ऋण बही

31 मार्च, 2026 के अनुसार आंकड़े

हमारी यात्रा पर एक दृष्टि

1969
ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत अवसंरचना के विकास के लिए स्थापित हुई

1998
आरबीआई में एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत

2002
मिनीरत्न (श्रेणी-1) का दर्जा प्रदान किया गया

2003
विद्युत के सभी क्षेत्रों के वित्तपोषण हेतु अधिदेश का विस्तार किया गया

2008
नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया एवं एनएसई और बीएसई में सूचीबद्ध हुई

2010
आरबीआई द्वारा आईएफसी का दर्जा

2014
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के क्रियान्वयन (ग्रामीण विद्युतीकरण ("आरई") घटक सहित) के लिए नोडल एजेंसी

2017
लंदन स्टॉक एक्सचेंज में यूएसडी ग्रीन बॉण्ड जारी करने वाला प्रथम भारतीय पीएसयू

2019
नोडल एजेंसी के रूप में 100% आवास विद्युतीकरण किया गया

2021
पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त

2022
किसी भी सीपीएसई के लिए सर्वोच्च 'महारत्न' कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया तथा अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में प्रवेश

2023
जी20 अध्यक्षता के बाद पहली बार दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया में 750 मिलियन यूएस डॉलर का सबसे बड़ा ग्रीन बॉण्ड जारीकर्ता

2024
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त, 61.1 बिलियन जेपीवाई का एकल येन बॉण्ड जारी किया गया

2025
आईएसओ 3100:2018 प्राप्त करने वाली प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीएफसी बनी बीएसआई द्वारा स्वतंत्र वैचारिक टिप्पणी

2026
₹16,282 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक निवल लाभ

हमारे कार्य

आरईसी देश में परिसंपत्तियों के सृजन और अन्य आवश्यकताओं के लिए राज्य, केन्द्र और निजी क्षेत्र की कंपनियों को दीर्घावधिक ऋण और अन्य वित्तीय उत्पाद प्रदान करती है। आरईसी निम्नलिखित क्षेत्रों को वित्तपोषित करती है:

विद्युत क्षेत्र अवसंरचना

नवीकरणीय ऊर्जा एवं नवीन तकनीक

अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र (गैर-विद्युत)

ध्येय

तीव्र विकास के लिए और ग्रामीण तथा शहरी आबादी के जीवन की गुणवत्ता को समृद्ध करने हेतु विद्युत की उपलब्धता को सुगम बनाना।

दृष्टि

देश में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण और विद्युत वितरण नेटवर्क को शामिल करने वाली परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु एक प्रतिस्पर्धी, ग्राहक-अनुकूल एवं विकास-उन्मुख संगठन के रूप में कार्य करना।

हमारे उत्पाद

दीर्घावधि ऋण

विद्युत और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए राज्य, केंद्र और निजी क्षेत्र की कंपनियों को दीर्घकालिक ऋण।

लघु अवधि ऋण/मध्यम अवधि ऋण

विद्युत संस्थाओं को उनकी आत्यांतिक कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1 से 3 वर्ष की अवधि के लिए ऋण की पेशकश की जाती है, जिसमें विद्युत संयंत्रों, प्रणालियों और नेटवर्क रख-रखाव आदि के लिए ईंधन की खरीद शामिल है।

ऋण पुनर्भुगतान

उधारकर्ताओं के लिए उनकी ब्याज लागत को कम करने के लिए ऋण पुनर्भुगतान योजना। यह सुविधा सामान्य तौर पर शुरू हुई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है।

उपकरण विनिर्माण का वित्तपोषण

विद्युत क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले उपकरण या सामग्रियों के निर्माताओं को आवधिक ऋण।

परिक्रामी बिल भुगतान सुविधा

बिजली खरीद बकाया और उत्पादन कंपनियों तथा पारेषण कंपनियों, निजी क्षेत्र की पारेषण कंपनियों, आईपीपी एवं आरई उत्पादकों के पारेषण शुल्क के भुगतान हेतु डिस्कॉम के लिए उपलब्ध।

रणनीतिक निवेश

आरईसी के परिसंपत्ति पोर्टफोलियो में विविधता लाने और विद्युत और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में दीर्घकालिक मूल्य बनाने के लिए इक्विटी, इनविट्स और एआईएफ के माध्यम से रणनीतिक निवेश।

अन्य

बैंक गारंटी के स्थान पर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जैसे अनेक गैर-निधि आधारित उत्पाद भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

कॉर्पोरेट उद्देश्य

आरईसी में, हमारे कॉरपोरेट उद्देश्य व्यापक रूप से हमारे राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। उन्नत वित्तीय समाधान और सुव्यवस्थित परिचालन के साथ, हम हर भारतीय की आकांक्षाओं का समर्थन करने वाले मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए अपने राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

एकीकृत दृष्टिकोण

समन्वित तंत्र सुधार, विद्युत उत्पादन, विकेंद्रित एवं ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों के प्रोत्साहन, ऊर्जा संरक्षण, उन्नयन एवं अनुरक्षण, पंप-सेट ऊर्जाकरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ बिजली वितरण, भारत सरकार की योजना, पुनरुद्धार वितरण क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन और बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के उद्देश्य से परियोजनाओं को बढ़ावा देना और वित्तपोषित करना ।

विद्युत क्षेत्र की संवृद्धि को गति देना

घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों सहित विभिन्न स्रोतों से धन जुटाना और राज्य विद्युत बोर्डों, विद्युत संस्थाओं, राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और निजी विद्युत विकासकर्ताओं के लिए ऋण स्वीकृत करना।

अन्य संबंधित क्षेत्रों में विविधीकरण

दुर्गम, पर्वतीय, रेगिस्तानी, जन-जातीय, तटवर्ती और अन्य असुगम/सुदूरवर्ती क्षेत्रों सहित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की बेहतर व्यवस्था के लिए विकेंद्रित विद्युत उत्पादन से संबंधित परियोजनाओं का वित्तपोषण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग, परामर्शी सेवाएं, पारेषण, उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली, नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं अनुरक्षण जैसे अन्य क्षेत्रों और गतिविधियों का विस्तार करना और इनमें विविधता लाना।

विश्वसनीय वातावरण

आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाएं बनाने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत संस्थाओं/राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों तथा अन्य ऋण लेने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन, परामर्श सेवाएं एवं प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता करना।

सुव्यवस्थित संचालन

प्रचालनों में निरंतर सुधार तथा अपेक्षित सेवाएं उपलब्ध कराते हुए संगठन और कारोबार के साझेदारों में आपसी विश्वास एवं आत्मसम्मान के जरिए ग्राहकों की संतुष्टि और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को सुनिश्चित करना।

उन्नत राजकोषीय समाधान

कॉरपोरेट लक्ष्यों को पूरा करते हुए निगम के प्रचालनों के लिए आर्थिक एवं वित्तीय प्रतिफल की अधिकाधिक दर की प्राप्ति अर्थात (i) विद्युत संबंधी मूलभूत सुविधाओं का विकास, (ii) विद्युत के लोड का विकास, (iii) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का तीव्र गति से सामाजिक-आर्थिक विकास, और (iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन।

भारत सरकार की भागीदार

आरईसी विद्युत क्षेत्र को मजबूत करने तथा विकास और समृद्धि के प्रकाश को राष्ट्र के हर कोने तक ले जाने में भारत सरकार के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक रही है।

हर गांव और हर घर में बिजली पहुंचाने से लेकर बिजली वितरण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को लागू करने तक, आरईसी अनेक योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन में सरकार की एक विश्वसनीय संस्था है।

सरकार की एक विश्वसनीय संस्था

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)

पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना

राष्ट्रीय विद्युत कोष

राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली

डिस्कॉम की उपभोक्ता सेवा रेटिंग

कंपनी का परिचय

कॉर्पोरेट पहचान संख्या

L40101DL1969GOI005095

पंजीकृत कार्यालय

कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110003
दूरभाष: +91-11-43091500

कॉर्पोरेट कार्यालय

आरईसी वैश्विक मुख्यालय,
प्लॉट संख्या आई-4,
सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा-122001
दूरभाष: +91-124-444 1300

कॉर्पोरेट वेबसाइट एवं ई-मेल

www.recindia.com
contactus@recindia.com

इक्विटी शेयर पर सूचीबद्ध

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड बीएसई लिमिटेड

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्रीमती विनीता नरेरा

कंपनी सचिव

श्री दिनेश गर्ग

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी,
चार्टर्ड अकाउंटेंट
मैसर्स एससीवी एंड कंपनी एलएलपी,
चार्टर्ड अकाउंटेंट

सचिवीय लेखा परीक्षक

मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

बैंकर्स

SBI
HDFC BANK
बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
Union Bank of India
punjab national bank
ICICI Bank
केनरा बैंक Canara Bank
Bank of India
MUFG
DBS
KfW BANKENGRUPPE
SMBC BANK SMBC INDONESIA

प्रदर्शन पर एक दृष्टि

(रु. करोड़ में)

विवरण (इंड-एएस के अनुसार)	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
शेयर धारकों की निधि (वर्ष के अंत में)					
इक्विटी कैपिटल	**2,633.22**	2,633.22	2,633.22	2,633.22	1,974.92
पूरी तरह से इक्विटी प्रकृति के लिखतों	**558.40**	558.40	558.40	558.40	558.40
अन्य इक्विटी/आरक्षित एवं अधिशेष	**81,098.79**	74,446.35	65,591.53	54,448.05	48,452.28
निवल मूल्य	**84,290.41**	77,637.97	68,783.15	57,679.67	50,985.60
उधारियां (वर्ष के अंत में)					
भारत सरकार /एनएसएसएफ से	**10,000.00**	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
बॉण्ड/डिबेंचर	**2,67,377.58**	2,56,433.17	2,25,589.17	1,98,115.65	1,83,291.97
वित्तीय संस्थानों से	**-**	2,500.00	8,050.00	6,000.00	6,800.00
विदेशी मुद्रा उधार	**1,38,248.00**	1,22,857.44	1,00,169.39	78,440.04	65,957.45
बैंकों से आवधिक ऋण	**64,406.69**	41,879.47	50,612.28	56,298.20	42,878.32
वाणिज्यिक पत्र	**3,000.00**	-	-	-	-
अल्पावधि/मांग ऋण/अन्य	**22,745.15**	54,588.43	43,522.75	25,762.53	17,916.55
कुल	**5,05,777.42**	4,88,258.51	4,37,943.59	3,74,616.42	3,26,844.29
निधियों का संग्रह (वर्ष के दौरान)	**83,558.32**	1,42,203.99	1,46,747.00	86,984.00	73,962.93
वित्तपोषण परिचालन (वर्ष के दौरान)					
अनुमोदित परियोजनाएं (संख्या में)	**488**	713	782	562	370
संस्वीकृत वित्तीय सहायता	**4,09,096.50**	3,37,179.37	3,58,816.34	2,68,460.54	54,421.76
संवितरण*	**2,11,189.25**	1,91,184.67	1,61,462.28	97,911.86	69,467.87
उधारकर्ताओं द्वारा मूलधन की चुकौती	**1,90,618.75**	1,30,942.58	86,414.33	46,294.55	56,197.10
वर्ष के अंत में बकाया	**5,83,659.36**	5,66,883.29	5,09,370.95	4,35,011.79	3,85,371.26
कार्यकारी परिणाम (वर्ष के दौरान)					
कुल आय	**59,187.22**	55,979.62	47,214.15	39,252.73	39,230.45
निवल विनिमय हानि, शुल्क और कमीशन व्यय सहित वित्त लागत	**37,491.97**	34,356.79	30,140.10	24,867.99	22,868.69
वित्तीय लिखतों पर प्रावधान और आकस्मिकताएं/इंपेयरमेंट	**201.22**	1,019.41	(1,358.39)	114.91	3,473.31
अन्य खर्च	**754.22**	719.25	628.08	506.97	445.59
अवमूल्यन	**26.62**	24.39	23.72	24.09	17.96
कर से पहले लाभ	**20,713.19**	19,859.78	17,780.64	13,738.77	12,424.90
कराधान/कर व्यय के लिए प्रावधान	**4,430.93**	4,146.57	3,761.43	2,684.13	2,378.98
कर के पश्चात लाभ	**16,282.26**	15,713.21	14,019.21	11,054.64	10,045.92
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय	**(4,166.35)**	(1,516.80)	1,044.27	(971.04)	(59.07)
कुल व्यापक आय	**12,115.91**	14,196.41	15,063.48	10,083.60	9,986.85
इक्विटी पर लाभांश	**4,884.63**	4,739.80	4,213.16	3,317.86	3,021.62

** इसमें विभिन्न योजनओं के अंतर्गत सरकार से प्राप्त अनुदान/सब्सिडी के साथ-साथ ऋणों का संवितरण भी शामिल है।*

प्रदर्शन पर एक दृष्टि

कुल आय एवं कर के पश्चात लाभ (₹ करोड़ में)

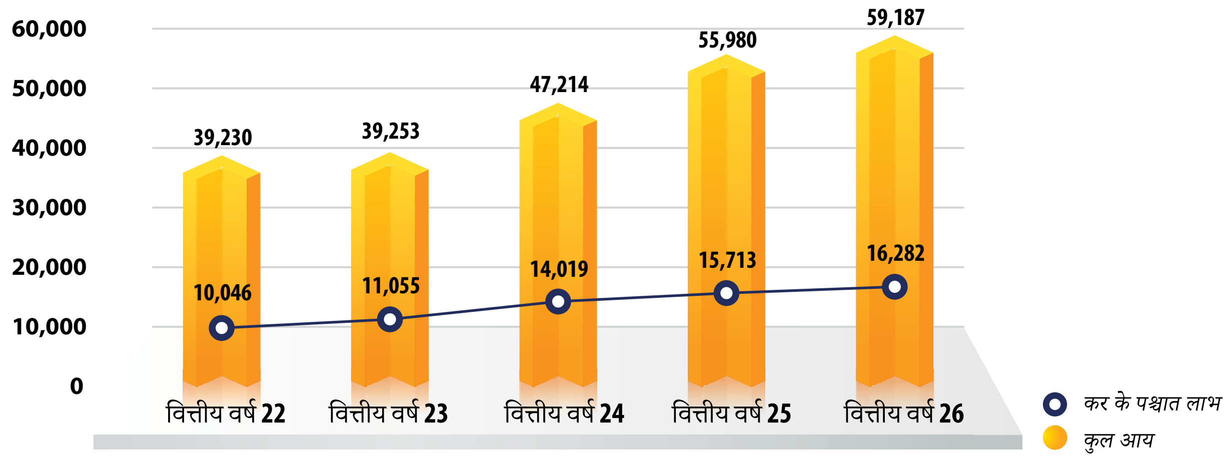

निवल मूल्य (₹ करोड़ में)

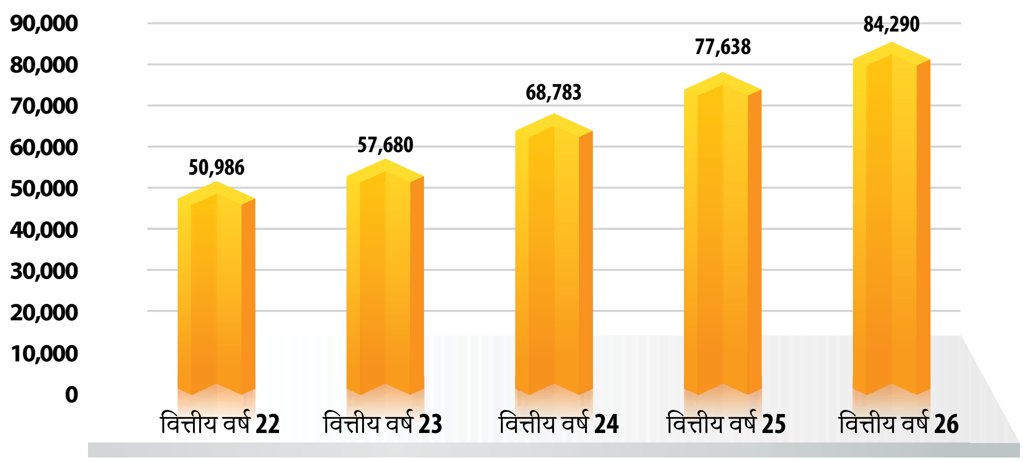

ऋण बही (₹ करोड़ में)

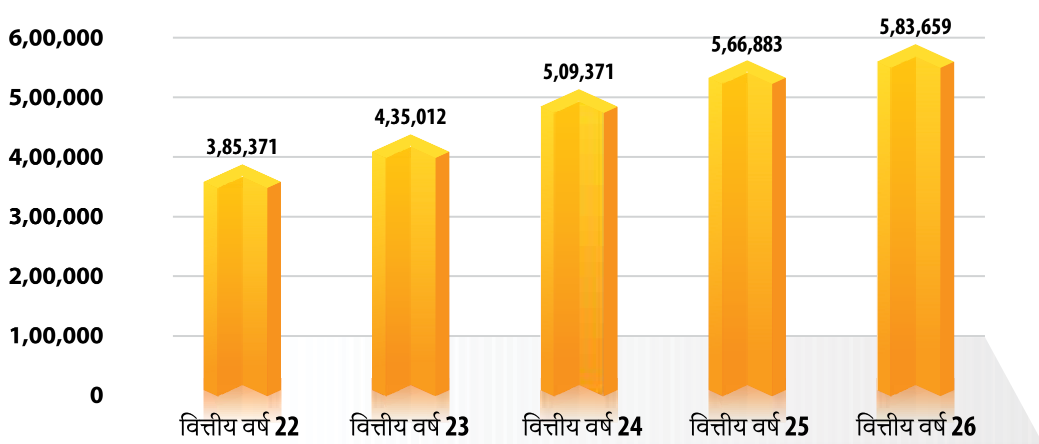

प्रति शेयर बही मूल्य (₹)

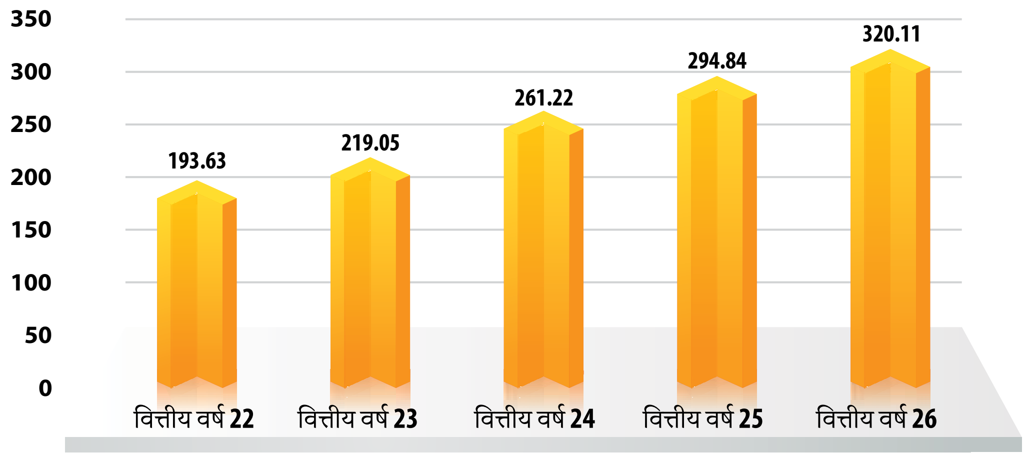

प्रति शेयर कमाई (₹)

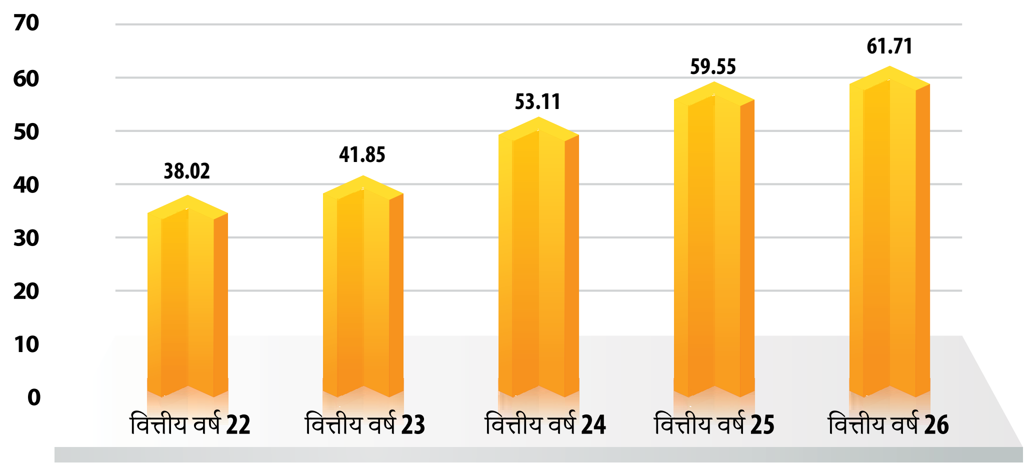

प्रति शेयर लाभांश (₹)

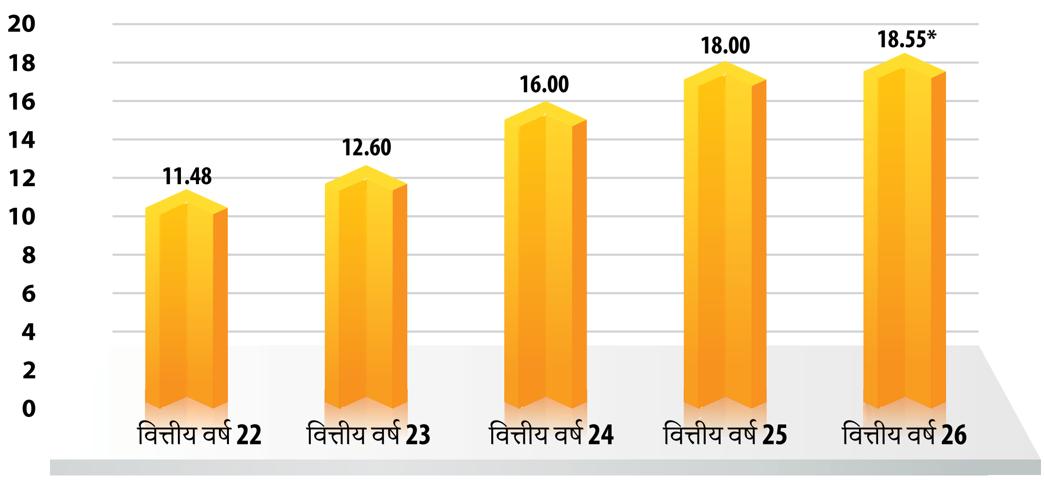

**इसमें 57वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन प्रति शेयर ₹1.55 का अंतिम लाभांश शामिल है।*

टिप्पणी : उपर्युक्त ग्राफ में पिछले वर्षों के बुक वैल्यू, ईपीएस और लाभांश के आंकड़े वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1:3 के अनुपात में बोनस शेयर जारी होने के कारण समायोजित किए गए हैं।

पुरस्कार एवं प्रशस्तियां

वित्तीय वर्ष 2025-26 ईएसजी नेतृत्व, सतत वित्त, डिजिटल परिवर्तन, कॉर्पोरेट सुशासन और सामाजिक प्रभाव को समाहित करते हुए आरईसी के लिए निरंतर, बहुआयामी मान्यता का एक और वर्ष रहा। एक ही वर्ष में अपना चौथा ईएसजी-संबंधित सम्मान अर्जित करते हुए और सभी वित्तीय संस्थानों में एनएसई की ईएसजी रेटिंग में शीर्ष पर रहकर, आरईसी की यह मान्यता न केवल बाह्य सत्यापन को, बल्कि जिम्मेदार और भविष्य के लिए तैयार विकास के प्रति एक गहरी संस्थागत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

ग्रीन फाइनेंसिंग के साथ सर्वश्रेष्ठ इंफ्रा परियोजनाओं के लिए दि इकोनॉमिक टाइम्स इंफ्रा लीडरशिप अवार्ड्स 2025: मुंबई मेट्रो और अनंतपुर में 500 मेगावाट की सौर परियोजना

डन एंड ब्रैडस्ट्रीट (डी एंड बी) के 17वें पीएसयू और सरकारी शिखर सम्मेलन 2025 में सर्वश्रेष्ठ वित्तीय सेवा कंपनी और सर्वश्रेष्ठ विद्युत पारेषण कंपनी के पुरस्कारों से सम्मानित।

कोषागार प्रबंधन के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों और नेतृत्व के लिए आईसीपीए ट्रेजरी एक्सीलेंस अवार्ड

आईएसओ 31000:2018 (उद्यम जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश) के अनुरूप बनने वाली पहली भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीएफसी

भारत एनबीएफसी एवं फिनटेक समिट एंड अवार्ड्स 2026 में 'एनबीएफसी ऑफ द ईयर' अवार्ड

नेट ग्रीन फाउंडेशन अर्थ अवार्ड्स 2026 में ईएसजी एंड ईएसजी और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस अवार्ड

स्कॉच अवॉर्ड्स 2025 में 'कॉर्पोरेट नेट जीरो ट्रांजिशन' श्रेणी में रजत पुरस्कार (सिल्वर अवार्ड)

ईएसजी पहलों में उत्कृष्टता के लिए सस्टेनेबिलिटी आइकॉन्स अवॉर्ड 2025

5वें पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड्स 2025: 'साइबर डिफेंस एंड रेजिलिएंस' के लिए रजत पुरस्कार, 'ईएसजी लीडरशिप एंड नेट-जीरो ऑपरेशंस' के लिए स्वर्ण पुरस्कार, और 'आईएसओ 31000 फॉर रिस्क मैनेजमेंट - गाइडलाइंस' के लिए रिस्क मैनेजमेंट लीडर अवार्ड

भारतीय वाणिज्य मंडल (आईसीसी) द्वारा हरित ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पुरस्कार

फिक्की द्वारा खेल को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट - सार्वजनिक क्षेत्र के लिए इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025

'पब्लिक रिलेशंस एंड हाउस जर्नल' श्रेणी में पीआरएसआई नेशनल अवार्ड

नेशनल लीडरशिप समिट एंड अवॉर्ड्स 2026 में 'भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) 2026' पुरस्कार।

इनसाइट्स सीएक्सओ अवार्ड्स 2025 में "सीआईएसओ ऑफ द ईयर" अवार्ड

गवर्नेंस नाउ द्वारा आयोजित 10वें इंडिया पीएसयू अवार्ड्स 2025 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर श्रेणी में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस

गवर्नेंस नाउ द्वारा आयोजित 10वें इंडिया पीएसयू अवार्ड्स 2025 में 'बेस्ट यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अवार्ड'

7वें फ्यूचर ऑफ लीगल एंड कंप्लायंस समिट एंड अवार्ड्स 2025 में 'बेस्ट लीगल टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन', 'कंप्लायन्स इनोवेशन', और 'कंप्लायन्स टीम ऑफ द ईयर' अवार्ड

सीआईएसओ कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स के 12वें संस्करण में 'बेस्ट सिक्योरिटी टीम ऑफ द ईयर' अवार्ड

'बेस्ट सीएसआर प्रोजेक्ट्स इन पीएसयू' श्रेणी के अंतर्गत ग्लोबल सीएसआर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड

नेशनल लीडरशिप समिट एंड अवार्ड्स 2026 में सीएसआर में उत्कृष्टता के लिए इंडिया सीएसआर इनिशिएटिव्स एंड सोशल इंपैक्ट अवार्ड

भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा सीएसआर अवार्ड ऑफ अप्रिसिएशन

'स्वास्थ्य सेवा में सहायता प्रदान करने में उत्कृष्टता' के लिए एसोचैम सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2024

निदेशक मण्डल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशक

श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री थंगराजन सुभाष चंद्रिरा बोष
निदेशक (परियोजना)

श्री राजेश कुमार
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

नामित निदेशक

श्री शशांक मिश्र
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री राजेश कुमार अग्रवाल
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नामित निदेशक

स्वतंत्र निदेशक

डॉ. कांचीअप्पन गायत्री देवी
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. अनिल कुमार गुप्ता
स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती पूनम चौहान
स्वतंत्र निदेशक

निदेशक का परिचय

श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव

(डीआईएन: 06817799)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव 22 अप्रैल, 2025 से आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। आप बिहार कैडर (2000 बैच) के आईएएस अधिकारी हैं और 26 वर्षों से अधिक की विशिष्ट सेवा के साथ एक अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से अर्थशास्त्र में बी.ए. (ऑनर्स) की डिग्री प्राप्त की है तथा साथ ही कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से एमबीए (वित्त) भी किया है।

श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव जनवरी 2023 से जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। इससे पहले वे बिहार सरकार के गृह विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) में सचिव के पद पर कार्यरत थे। पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने भारत सरकार और बिहार सरकार में कई प्रमुख प्रशासनिक और नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाई हैं।

उनकी नियुक्तियों में वित्त, विद्युत क्षेत्र, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।

आप आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) के बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भी हैं।

श्री श्रीवास्तव के पास कंपनी में शून्य इक्विटी शेयर हैं और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई आपसी संबंध नहीं है।

श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष

डीआईएन: 02772316)

निदेशक (परियोजना)

श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष 3 अक्टूबर 2025 से आरईसी लिमिटेड में निदेशक (परियोजना) के पद पर कार्यरत हैं। आपको इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक तथा आईएसबी हैदराबाद से पीजीपीएमएएक्स की उपाधि प्राप्त है। विद्युत क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक व्यापक अनुभव के साथ उन्होंने भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विद्युतीकरण पहलों के सफल क्रियान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाई है। विशेष रूप से, उन्होंने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे हजारों दूरस्थ गांवों तक बिजली पहुंची, तथा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना – सौभाग्य के तहत देश में सर्वत्र घरेलू विद्युतीकरण का ऐतिहासिक लक्ष्य प्राप्त किया गया। आरईसी में कार्यपालक निदेशक (इंजीनियरिंग) के रूप में अपनी पिछली भूमिका में, उन्होंने राज्य के स्वामित्व और निजी दोनों क्षेत्रों की संस्थाओं विद्युत और अवसंरचना क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण को संचालित करने में उत्कृष्ट परियोजना नेतृत्व और रणनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया। उन्होंने राष्ट्रीय ऊर्जा लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करते हुए, विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण परियोजनाओं के मूल्यांकन और वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने व्यापक स्तर पर भारत सरकार की विद्युत पारेषण और वितरण परियोजनाओं को भी क्रियान्वित किया है। विविध व्यावसायिक क्षेत्रों का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता एवं गहन विश्लेषणात्मक तथा प्रबंधकीय कुशलता ने भारत के विद्युत क्षेत्र में एक विश्वसनीय वित्तीय भागीदार के रूप में आरईसी की निरंतर वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी रणनीतिक निगरानी व्यावसायिक विकास, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, परियोजना निगरानी और निगमित संचार सहित कॉर्पोरेट कार्यों की एक विस्तृत शृंखला तक फैली हुई है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और गहन क्षेत्रीय विशेषज्ञता देश के विद्युत एवं अवसंरचना विकास में आरईसी की भूमिका को निरंतर आकार दे रही है।

श्री बोष, आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरईसी पॉवर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) के बोर्ड में निदेशक हैं। इसके अतिरिक्त, वे तमिलनाडु पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड और यू.पी. पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में आरईसी के नामित निदेशक भी हैं।

श्री बोष के पास कंपनी की कोई इक्विटी शेयर नहीं हैं और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई आपसी संबंध नहीं है।

श्री राजेश कुमार

(डीआईएन: 06941428)

निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री राजेश कुमार 2 अप्रैल 2026 से आरईसी लिमिटेड में निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के पद पर कार्यरत हैं। वे लेखा, कराधान, लेखापरीक्षा, कोषागार, परियोजना मूल्यांकन तथा नियामकीय अनुपालन के क्षेत्रों में 30 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव रखने वाले अनुभवी वित्त पेशेवर हैं। श्री कुमार ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है तथा वे चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) और कॉस्ट एवं प्रबंधन लेखाकार (सीएमए) की दोहरी व्यावसायिक योग्यताएँ रखते हैं। उनके करियर में एक इंजीनियरिंग एवं परियोजना परामर्श से जुड़ी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) में लगभग एक दशक का कार्यकाल शामिल है। इसके उपरांत उन्होंने 20 वर्षों से अधिक समय तक आरईसी लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय के अधीन) में सेवाएँ दीं, जहाँ उन्होंने विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण और संसाधन जुटाने में गहन विशेषज्ञता विकसित की। आरईसी में अपने कार्यकाल के दौरान, श्री कुमार ने जटिल वित्तीय पोर्टफोलियो के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा घरेलू संसाधन जुटाने की रणनीति को सुदृढ़ करने में योगदान दिया। उनके नेतृत्व में टैक्स-एफिशिएंट हाइब्रिड बॉण्ड, परपेचुअल बॉण्ड, सीबीडीटी -अधिसूचित ज़ीरो कूपन बॉण्ड और कैपिटल गेन बॉण्ड जैसे नवीन बॉण्ड उपकरणों की शुरुआत की गई, जिससे निवेशक आधार का विस्तार हुआ और उधारी लागत में कमी आई। उन्होंने बहुपक्षीय वित्तपोषण, परिसंपत्ति-दायित्व प्रबंधन (एएलएम), ईएसजी परियोजनाओं तथा संगठन में आईटी रूपांतरण की निगरानी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

श्री राजेश कुमार आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) के बोर्ड में निदेशक हैं, जो आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसके अलावा, वह जम्मू और कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में आरईसी के नामित निदेशक भी हैं।

श्री राजेश कुमार के पास कंपनी में 900 इक्विटी शेयर हैं और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई आपसी संबंध नहीं है।

श्री शशांक मिश्र

(डीआईएन: 08364288)

सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री शशांक मिश्र 21 अगस्त 2023 से आरईसी लिमिटेड के बोर्ड में सरकार के नामित निदेशक हैं। आप एक आईएएस अधिकारी (मध्य प्रदेश:2007) हैं, आपने आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी. टेक की डिग्री प्राप्त की है। वर्तमान में आप भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। विद्युत मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आपने वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग, भारत सरकार में कार्य किया है।

आपने मध्य प्रदेश सरकार में विभिन्न पदों पर भी कार्य किया है, जिसमें मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश भवन विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, आप पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक भी हैं।

श्री शशांक मिश्र के पास कंपनी की कोई इक्विटी शेयर नहीं हैं और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई आपसी संबंध नहीं है।

श्री राजेश कुमार अग्रवाल

(डीआईएन: 09699001)

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नामित निदेशक

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के निदेशक (वित्त) श्री राजेश कुमार अग्रवाल को 1 मई, 2026 से आरईसी लिमिटेड के बोर्ड में पीएफसी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। विद्युत और वित्तीय क्षेत्रों में उनका 31 वर्षों से अधिक का विशिष्ट अनुभव है। उनके पास वाणिज्य (ऑनर्स) में स्नातक की डिग्री है और वह इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। 2009 से पीएफसी में अपने करियर में, उन्होंने विभिन्न क्रॉस-फंक्शनल टीमों का प्रबंधन किया और कॉर्पोरेट खाते, कराधान, फंड प्रबंधन और बैंकिंग, ऋण नीति अनुपालन, पुनर्गठित संपत्ति प्रबंधन, धन जुटाने और ऋण वितरण जैसे क्षेत्रों में विविध अनुभव अर्जित किया। उन्होंने डिजिटल सुधारों का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता की दिशा में बड़े पैमाने पर काम किया है। वह विभिन्न व्यावसायिक मंचों पर एक प्रतिष्ठित वक्ता भी हैं। पीएफसी में शामिल होने से पूर्व, उन्हें एनटीपीसी, एनपीसीआईएल और डीटीएल जैसी अन्य विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के साथ-साथ टैरिफ मामलों, पीपीए वार्ता और बिजली क्षेत्र में अहलूवालिया समिति के सुधारों के कार्यान्वयन जैसे अन्य प्रमुख क्षेत्रों के साथ-साथ मुख्य वित्त कार्यों को संभालने का समृद्ध अनुभव है।

इसके अलावा, श्री अग्रवाल पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड और पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक भी हैं।

श्री अग्रवाल के पास कंपनी की कोई इक्विटी शेयर नहीं हैं और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई आपसी संबंध नहीं है।

डॉ. कांचीअप्पन गायत्री देवी
(डीआईएन: 07584524)
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. के. गायत्री देवी 22 जून, 2026 से आरईसी लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक हैं। डॉ. गायत्री देवी 1997 से सूर्या डायग्नोस्टिक्स में एक चिकित्सा-व्यवसायी के रूप में कार्यरत हैं।

उन्होंने डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से एमबीबीएस, अन्नामलाई विश्वविद्यालय से मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी में डिप्लोमा और अन्ना विश्वविद्यालय से हॉस्पिटल मैनेजमेंट एवं हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए किया है।

डॉ. गायत्री सामाजिक सेवा में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। वह वर्तमान में श्री संतोषी ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सचिव एवं संवाददाता और सूर्या डायग्नोस्टिक्स तथा एसएसएनटी कॉलेज, चेन्नई में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वह कई उल्लेखनीय सार्वजनिक पदों पर कार्य कर चुकी हैं तथा वह वर्ष 2007 से 2010 तक राज्य महिला आयोग की सदस्य, वर्ष 2006 से 2011 तक विधायक और वर्ष 2011 से 2014 तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में ओएसडी रहीं।

वह 19 मई, 2025 से एनटीपीसी लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

डॉ. गायत्री के पास कंपनी की कोई इक्विटी शेयर नहीं हैं और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई आपसी संबंध नहीं है।

डॉ. अनिल कुमार गुप्ता
(डीआईएन: 00442146)
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. अनिल कुमार गुप्ता 22 जून, 2026 से आरईसी लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक हैं। डॉ. गुप्ता भारत के एमएसएमई क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पर्यावरणविद्, दूरदर्शी परोपकारी और प्रमुख नेतृत्वकर्ता हैं। उनके पास पर्यावरणीय स्थिरता, व्यवसाय, सामाजिक विकास और शासन के क्षेत्र में दशकों की सेवा का अनुभव है।

उनके पास पर्यावरण विज्ञान में एम.एससी. के साथ-साथ एम.बी.ए., एम.ए., एल.एल.बी. और पीएच.डी. जैसी उच्च डिग्रियां हैं। उन्होंने आईआईटी रुड़की और आईआईएससी बैंगलोर से विशेष पाठ्यक्रम भी किए हैं।

वह वर्तमान में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के बोर्ड में कार्यरत हैं और वह पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति [ईएसी(इन्फ्रा-2)] के सदस्य भी हैं। वह भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक थे।

वह डीएमए, ईडीएमए , आईटीआई और डीटीएनबीडब्ल्यूईडी जैसे कई संगठनों में नेतृत्व की भूमिका निभा रहे हैं और उन्होंने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत वक्फ संपत्ति पट्टा नियम (2018) पर जे.ज़ेड.के समिति में भी अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अतिरिक्त, झिलमिल सीईटीपी सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में, श्री गुप्ता दैनिक स्तर पर 16.8 मिलियन लीटर औद्योगिक अपशिष्ट के उपचार के प्रबंधन का उत्तरदायित्व संभालते हैं।

वह 16 मई, 2025 से एनटीपीसी लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

डॉ. गुप्ता के पास कंपनी की कोई इक्विटी शेयर नहीं हैं और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई आपसी संबंध नहीं है।

श्रीमती पूनम चौहान
(डीआईएन: 11842802)
स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती पूनम चौहान 21 जुलाई, 2026 से आरईसी लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक हैं।

श्रीमती चौहान ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) की डिग्री और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र से अंग्रेजी में मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.) की डिग्री प्राप्त की है।

शिक्षा और सामाजिक विकास के क्षेत्र में उनके पास व्यापक अनुभव है। एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, वे स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी पहलों में सक्रिय हैं। उन्होंने विभिन्न स्थानीय पहलों के माध्यम से समावेशी सामाजिक कल्याण और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

समाज के वंचित वर्गों के उत्थान हेतु शैक्षिक अवसरों को समृद्ध बनाने तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाने पर विशेष बल देते हुए, वह सामुदायिक विकास और समावेशी संवृद्धि के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध हैं।

शिक्षा, सामाजिक सरोकारों और स्थानीय स्तर की विकासात्मक पहलों में उनके बहुआयामी अनुभव के कारण वे स्थिरता, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा हितधारक सहभागिता से संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करती हैं।

श्रीमती चौहान के पास कंपनी की कोई इक्विटी शेयर नहीं हैं और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई आपसी संबंध नहीं है।

नेतृत्व टीम

सुश्री विनीता नरेरा
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्रीमती वल्ली नटराजन
कार्यपालक निदेशक (तकनीकी)

श्री एन. वेंकटेशन
कार्यपालक निदेशक (तकनीकी)

श्री अरुण कुमार त्यागी
कार्यपालक निदेशक (वित्त)

श्री कुलदीप राय
कार्यपालक निदेशक (तकनीकी)

श्री सौरभ रस्तोगी
कार्यपालक निदेशक (तकनीकी)

श्री प्रभात कुमार सिंह
कार्यपालक निदेशक (तकनीकी)

श्री जे.के. नायक
कार्यपालक निदेशक (वित्त)

श्री प्रदीप फैलोज़
कार्यपालक निदेशक (तकनीकी)

श्री डी.बी. लोंधे
कार्यपालक निदेशक (तकनीकी)

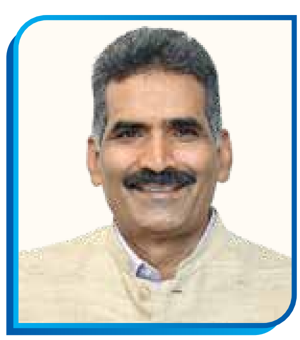

श्री मोहन लाल कुमावत
कार्यपालक निदेशक (वित्त)

श्री सुब्रत आइच
कार्यपालक निदेशक (वित्त) और सीआरओ

श्री वी. लक्ष्मण चार्युलु
कार्यपालक निदेशक (वित्त)

श्री प्रिंस धवन, आईएएस
कार्यपालक निदेशक और सीईओ (आरईसीपीडीसीएल)

श्री अजय कुमार
कार्यपालक निदेशक (तकनीकी)

श्री हेमंत कुमार
कार्यपालक निदेशक (वित्त)

श्री भूपेश चंदौलिया
कार्यपालक निदेशक (वित्त)

श्री साहब नारायण
कार्यपालक निदेशक (वित्त)

श्रीमती एस. जयंती
कार्यपालक निदेशक (तकनीकी)

श्री पंकज गुप्ता
कार्यपालक निदेशक (आईटी)

श्री दिनेश गर्ग
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

अखिल भारतीय उपस्थिति - ऋण परिसंपत्तियाँ बही

कुल बकाया ऋण

₹5,83,659 करोड़

राज्य क्षेत्र के उधारकर्ता

₹4,94,596 करोड़ **85%**

निजी क्षेत्र के उधारकर्ता

₹89,063 करोड़ **15%**

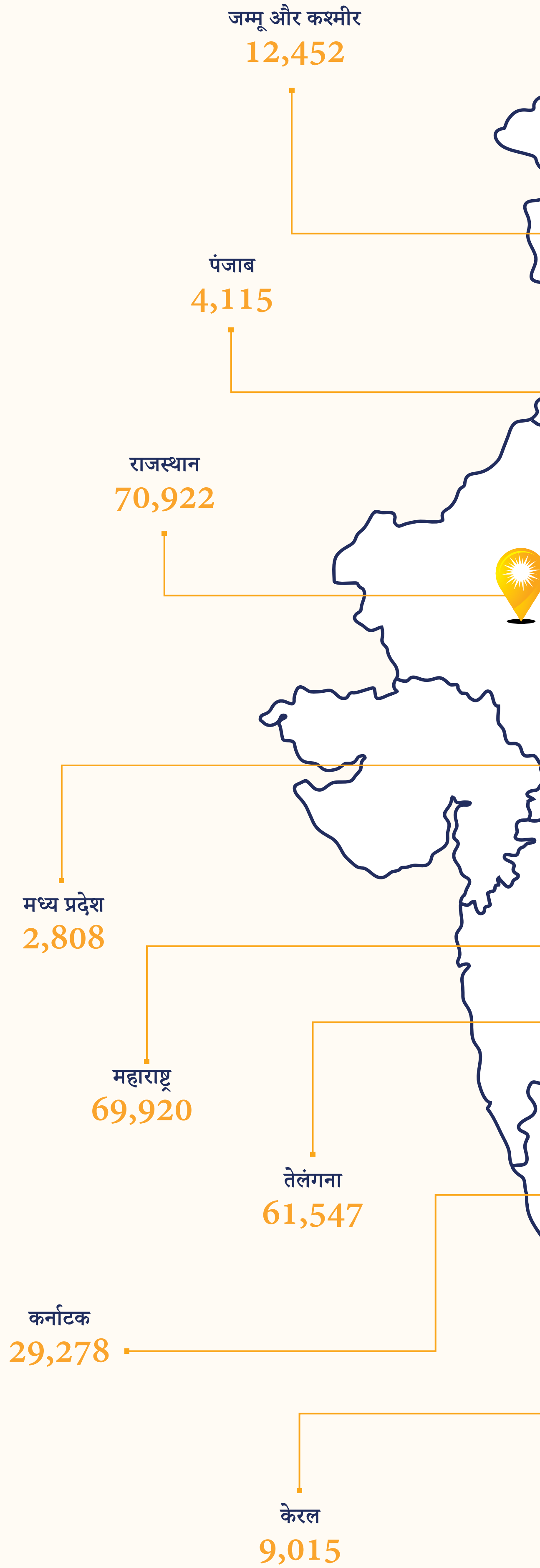

(₹ करोड़ में)

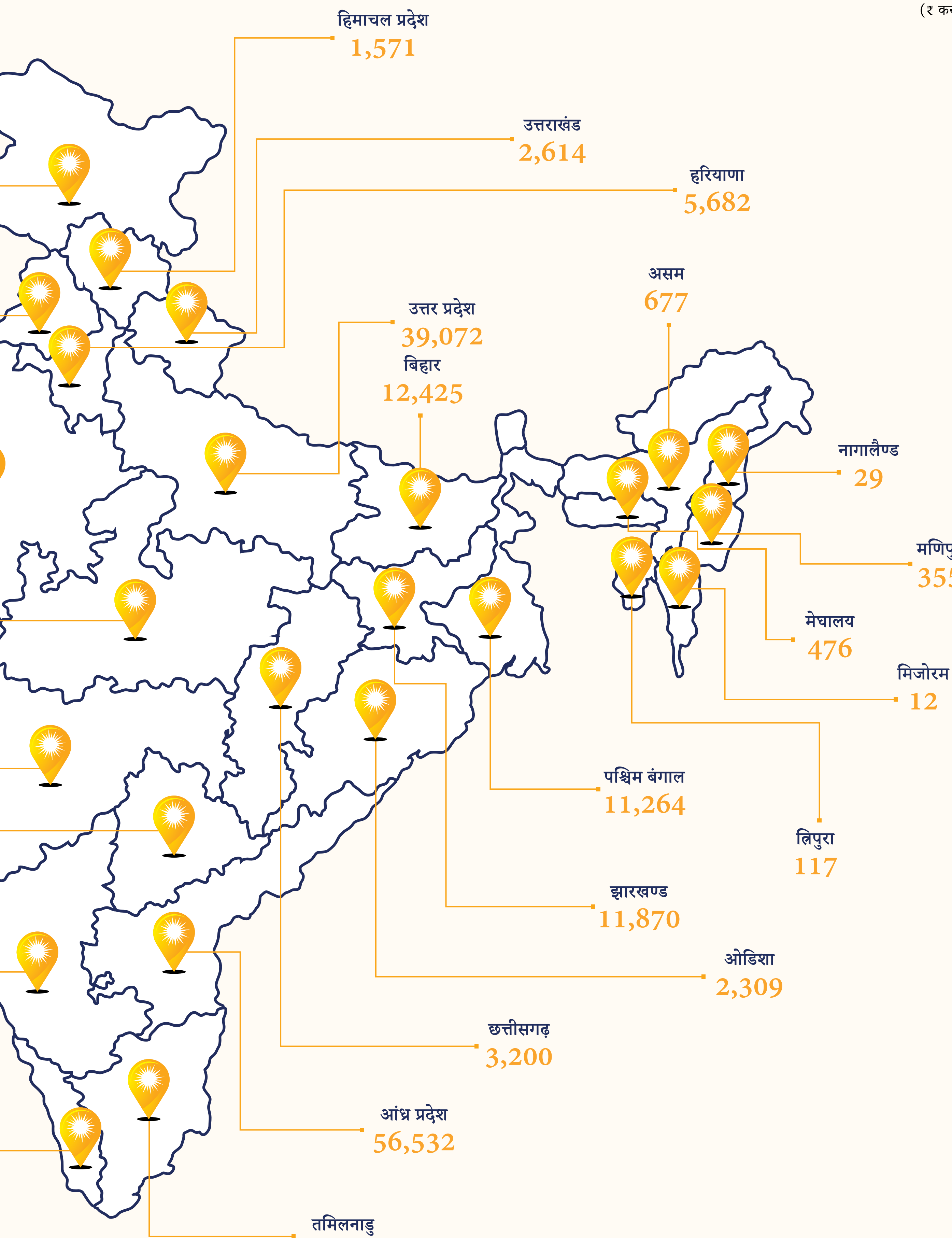

मानचित्र पर आंकड़े केवल राज्य क्षेत्र के उधारकर्ताओं से संबंधित हैं।
नोट: मानचित्र पैमाने पर नहीं है और केवल चित्रण के उद्देश्य से है

आरईसी में ईएसजी

आरईसी की ईएसजी यात्रा नीति अपनाने से लेकर हितधारक-स्तरीय ईएसजी मूल्यांकनों तक एक संरचित और समयबद्ध प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो एक उत्तरदायी और भविष्य के लिए तैयार वित्तीय संस्थान के रूप में इसकी भूमिका को सुदृढ़ करती है।

जनवरी 2023
आरईसी ईएसजी नीति
आरईसी ने ईएसजी नीति को अपनाया

जून 2023
ईएसजी लक्ष्य
त्रैमासिक अनुपालन के लिए कंपनी को व्यापक ईएसजी लक्ष्य दिए गए

फरवरी-अप्रैल 2024
ईएसजी अंतराल मूल्यांकन
ईएसजी से संबंधित नवीन नीतियां प्रस्तुत की गईं मानवाधिकार और कल्याण प्रशिक्षण आयोजित किए गए

अगस्त 2024
ईएसजी रिपोर्ट
जीआरआई प्रारूप के संदर्भ में पहली बार ईएसजी रिपोर्ट प्रकाशित की गई

अक्टूबर 2024
आरईसी की नेट जीरो योजना
आरईसी वर्ष 2035 तक स्कोप 1 और 2 उत्सर्जनों में 'नेट ज़ीरो' प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

जनवरी 2025
हितधारक ईएसजी मूल्यांकन
निजी उधारकर्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं का ईएसजी मूल्यांकन प्रारम्भ हुआ

अप्रैल 2025
संचालन हेतु हरित ऊर्जा
आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय हेतु 100% हरित ऊर्जा

दिसंबर 2025
देश में टॉप ईएसजी रेटिंग
आरईसी ने एनएससी ईएसजी रेटिंग्स में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं

अप्रैल 2026
ईएसजी प्रोत्साहन
ईएसजी अनुपालन आरई उधारकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन की पहल

ईएसजी प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं

ई पर्यावरण

आरईसी द्वारा स्वीकृत कुल नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता - एक वर्ष में 3.1 बिलियन परिपक्व पेड़ों की उत्सर्जन कम करने की क्षमता

~66 गीगावाट

वित्तीय वर्ष 2025-26 (पीसीएएफ विधि) में आरईसी के कारण आरई परियोजनाओं के उत्सर्जन से बचा गया

7.6 मिलियन टन सीओ$_2$

आरई ऋण बही

₹75,347 करोड़

आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय एसटीपी 100% अपशिष्ट जल का उपचार करता है

शून्य निर्वहन

पारंपरिक कार्यालयी वाहनों का ईवी / हाइब्रिड वाहनों में रूपांतरण

100%

आरईसी वैश्विक मुख्यालय के लिए हरित ऊर्जा

100%

एस सामाजिक

मानवाधिकार एवं पॉश से संबंधित शिकायतें

शून्य

डेटा सुरक्षा उल्लंघन के मामले

शून्य

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सीएसआर बजट

338 करोड़

कर्मचारी टर्नओवर अनुपात

2.92%

महिला कर्मचारी अनुपात

14.75%

कर्मचारियों द्वारा अर्जित प्रशिक्षण मानव-दिवस (कर्मयोगी पोर्टल के माध्यम से दिए गए प्रशिक्षण सहित)

6,783 (↑189%)

जी शासन

बोर्ड सदस्यों और केएमपी को एनजीआरबीसी और ईएसजी पर प्रशिक्षण

100%

आरईसीआईपीएमटी,आईआईटी एवं आईआईएम के माध्यम से क्षमता निर्माण के हिस्से के रूप में उधारकर्ताओं को दिए गए प्रशिक्षण मानव-दिवस

18,155

नैतिकता, आचार संहिता पर प्रशिक्षण के दिवस

640

बोर्ड की कुल बैठकें

14

बोर्ड में महिलाओं का अनुपात

16.67%

31, मार्च 2026 तक के आंकड़े

स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आरईसी का योगदान

भारत की ऊर्जा क्रान्ति का एक मजबूत स्तम्भ होने के कारण आरईसी ने स्वच्छ और हरित ऊर्जा स्रोतों के दोहन को राष्ट्र की प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखित करने के लिए अपनी उधार रणनीतियों को तैयार किया है

समर्थित परियोजनाएं (मेगावाट में क्षमता)

सौर
4,349 मेगावाट

पंप स्टोरेज प्लांट
950 मेगावाट

लार्ज हाइड्रो
2,240 मेगावाट

पवन
501 मेगावाट

हाइब्रिड
5,314 मेगावाट

31, मार्च 2026 तक के आंकड़े

एक सतत भविष्य के लिए रणनीतिक ऋण

आरईसी, हरित अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए, 'पंचामृत' लक्ष्यों और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। 'पंचामृत' रणनीति जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की दिशा में भारत की 5-सूत्रीय प्रतिबद्धता है।

30%
नवीकरणीय ऊर्जा के ऋण बही की वर्ष दर वर्ष वृद्धि

13%
कुल ऋण बही का हिस्सा

20.78%
कुल स्वीकृत ऋण का - 85,008 करोड़

12.2
लाख टन सीओ2 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उत्सर्जित

31, मार्च 2026 तक के आंकड़े

एकीकृत रिपोर्टिंग रूपरेखा

आज के जटिल व्यावसायिक परिवेश में, केवल वित्तीय निष्पादन किसी संगठन द्वारा मूल्य सृजन के संपूर्ण परिदृश्य को प्रस्तुत नहीं कर सकता। एकीकृत प्रतिवेदन इस अंतर को दूर करते हुए रणनीति, अभिशासन, निष्पादन तथा भावी संभावनाओं का समग्र एवं परस्पर संबद्ध दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सूचनाओं को पृथक विवरण के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय, अंतरराष्ट्रीय एकीकृत प्रतिवेदन परिषद (आईआईआरसी) की रूपरेखा उन्हें एक सूत्र में पिरोती है, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि कोई संगठन किस प्रकार सतत मूल्य का सृजन करता है।

आरईसी इसी भावना के अनुरुप कार्य करता है। हम ऐसी विद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण करते हैं जो घरों को रोशन करती हैं, अपनी सामुदायिक पहलों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा का समर्थन करती हैं, अपने संगठन के भीतर प्रतिभा का विकास करती हैं तथा भारत को स्वच्छ ऊर्जा की ओर स्थानांतरित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करती हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारी सफलता का आकलन केवल वित्तीय लाभ से नहीं, अपितु लोगों के जीवन में हमारे द्वारा लाए गए वास्तविक परिवर्तन और एक सतत भविष्य के निर्माण से होता है।

यह रिपोर्ट उस विस्तृत विवरण को दर्शाती है। यह दर्शाती है कि हम किस प्रकार वित्तीय सुदृढ़ता को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़ते हैं, प्रौद्योगिकी को उन्नत करते हुए अपने लोगों का विकास करते हैं और पर्यावरण की रक्षा करते हुए संवृद्धि कि दिशा में आगे बढ़ते हैं। यह हमारे हितधारकों को यह रेखांकित करने से संबंधित है कि हम कौन हैं, हमारे मूल्य क्या हैं, और हम वित्तीय आंकड़ों से परे किस प्रकार सार्थक मूल्य का सृजन करते हैं।"

1. वित्तीय पूंजी

वित्तीय पूंजी ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के लिए उपलब्ध निधियों के समूह का प्रतिनिधित्व करती है। यह पूंजी आरईसी को सभी हितधारकों के लिए संधारणीय मूल्य सृजित करते हुए ग्राहकों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बने रहने में सक्षम बनाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आरईसी ने ₹16,282 करोड़ के निवल लाभ और ₹59,187 करोड़ की कुल आय के साथ असाधारण वित्तीय निष्पादन का प्रदर्शन किया, जो सुदृढ़ संचालन उत्कृष्टता और बाजार के विश्वास को दर्शाता है।

वित्तीय प्रदर्शन

आरईसी के लाभप्रदता मानदंड वित्तीय वर्ष के दौरान सुदृढ़ निष्पादन का प्रदर्शन करते हैं। कंपनी ने 20.11% का निवल मूल्य पर प्रतिफल प्राप्त किया, जो शेयरधारक पूंजी के कुशल नियोजन को दर्शाता है। ₹20,750 करोड़ की निवल ब्याज आय विविध निधि स्रोतों और विवेकपूर्ण परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन द्वारा समर्थित कोर ऋण व्यवसाय से सुदृढ़ मार्जिन को दर्शाती है। कंपनी कई निवेश-ग्रेड क्रेडिट रेटिंग बनाए हुए है, जिसमें सभी घरेलू एजेंसियां दीर्घकालिक उधारों के लिए एएए रेटिंग आवंटित करती हैं, जो उच्चतम क्रेडिट गुणवत्ता और न्यूनतम चूक जोखिम को दर्शाती है।

वित्तीय मीट्रिक्स

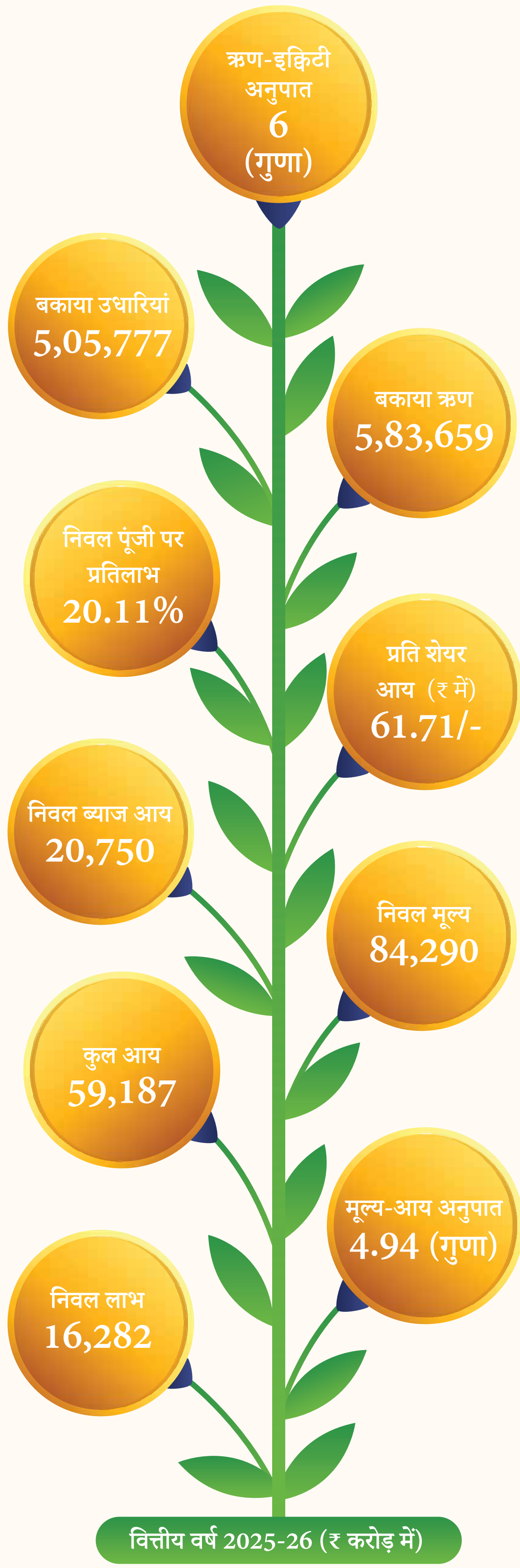

ऋण वितरण एवं वित्तपोषण

आरईसी का ऋण पोर्टफोलियो विद्युत और अवसंरचना क्षेत्रों पर इसके रणनीतिक ध्यान को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने विभिन्न परियोजनाओं में 4,09,097 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की, जिसमें संवितरण 2,11,189 करोड़ रुपये तक हुआ। कुल 5,83,659 करोड़ रुपये के बकाया ऋण भारत के ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने में पर्याप्त पूंजीगत निवेश को प्रस्तुत करते हैं। कंपनी का पोर्टफोलियो मूल्य श्रृंखला में उचित रुप से संतुलित है: 38% वितरण परियोजनाओं में, 25% पारंपरिक उत्पादन परियोजनाओं में, 13% नवीकरणीय ऊर्जा में, 10% बुनियादी ढांचे और रसद में और 8% पारेषण परियोजनाओं में, 3% आरबीपीएफ में और 3% अन्य में।

गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में आरईसी का विस्तार महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने कुल ₹41,784 करोड़ की 7 अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसमें राज्य क्षेत्र में ₹40,284 करोड़ (सड़क, मेट्रो, सिटी गैस वितरण और अन्य को कवर करते हुए) और निजी क्षेत्र में ₹1,500 करोड़ (हवाई अड्डा अवसंरचना) शामिल हैं। यह विविधीकरण भारत के व्यापक अवसंरचना विकास एजेंडे को समर्थन प्रदान करते हुए आरईसी की सुदृढ़ता को मजबूत करता है।

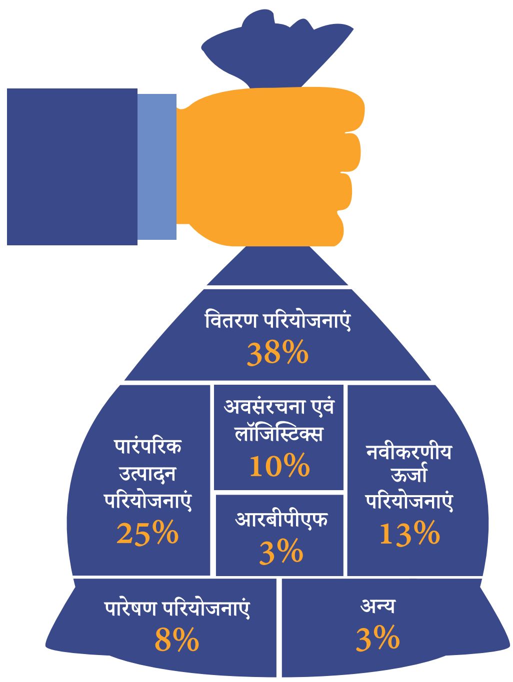

हरित वित्त पोषण एवं नवीकरणीय ऊर्जा

आरईसी भारत के स्वच्छ ऊर्जा संवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए हरित वित्त पोषण के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान के रूप में उभरा है।

प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो

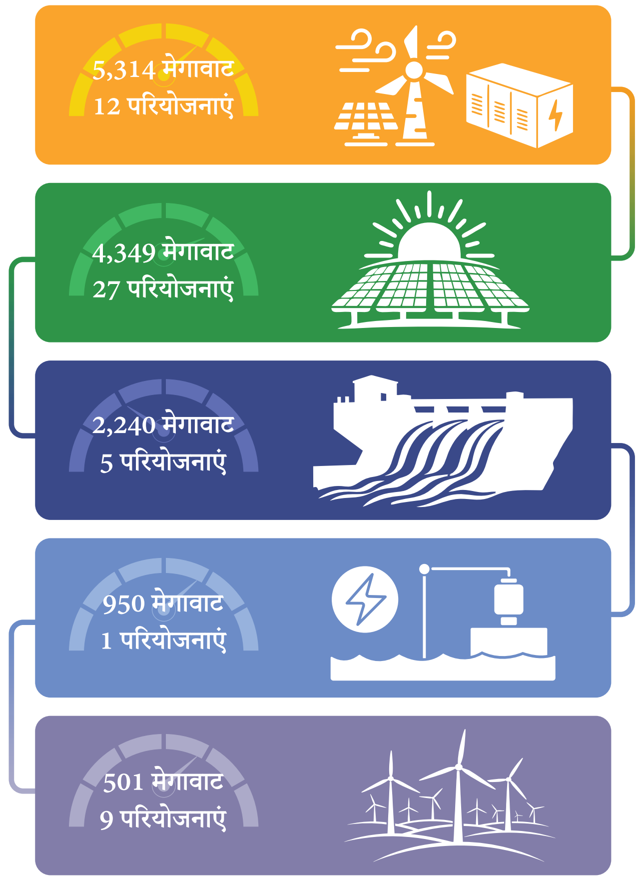

मार्च 2030 तक अपने स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो ऋण बही को बढ़ाने के इसके लक्ष्य में आरईसी की प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है। यह रणनीतिक फोकस भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों और पेरिस समझौते के तहत जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं का समर्थन करता है।

मार्च 2026 में आयोजित भारत विद्युत शिखर सम्मेलन में माननीय विद्युत और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल को आरईसी की पहल प्रस्तुत करते हुए श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, सीएमडी, आरईसी।

कॉर्पोरेट कार्यक्रम में आरईसी कार्मिकों को संबोधित करते हुए विद्युत मंत्रालय के सचिव, श्री पंकज अग्रवाल, आईएएस

नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन बॉण्ड में शामिल हैं

2024

जेपीवाई 61.1 बिलियन का हरित बॉण्ड

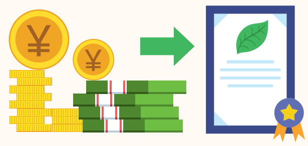

आरईसी का प्रथम येन बॉण्ड निर्गम

यूएसडी 500 मिलियन मूल्य का हरित बॉण्ड

निवेशक

वित्तपोषित परियोजनाएं

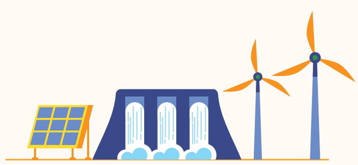

नवीकरणीय परियोजना वित्तपोषण

ये अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन बॉण्ड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण प्रदान करते हैं और जलवायु-अनुकूल निवेशों के लिए पूंजी जुटाने में आरईसी की भूमिका को सुदृढ़ बनाते हैं।

आरईसी के विविध वित्तपोषण उपकरण

- संस्थागत बॉण्ड
- विदेशी मुद्रा उधार और एफसीएनआर
- पूंजीगत लाभ बॉण्ड
- कर-मुक्त बॉण्ड
- अवसंरचना बॉण्ड
- कमर्शियल पेपर
- बैंकों, वित्तीय संस्थानों और बहुपक्षीय एजेंसियों से ऋण
- ग्रीन बॉण्ड (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय)

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आरईसी के घरेलू ऋण लिखतों को क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च तथा इक्रा साख निर्धारण अभिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली उच्चतम 'एएए' रेटिंग बनी रही। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आरईसी को प्रदान की गई रेटिंग निर्धारण में कोई संशोधन नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त, आरईसी को अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों - मूडीज, फिच और जापान क्रेडिट रेटिंग से क्रमशः "बीए3", "बीबीबी-" एवं "बीबीबी+" अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है, जो भारत की सोवरेन रेटिंग के समतुल्य है।

क्रेडिट रेटिंग - उच्चतम घरेलू ग्रेड, सार्वभौमिक-संरेखित अंतर्राष्ट्रीय

घरेलू रेटिंग (सर्वोच्च घरेलू श्रेणी)		अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग (सार्वभौमिक -संरेखित)	
क्रिसिल	एएए	मूडीज़	बीएए3
केयर	एएए	फिच	बीबीबी-
इंडिया रेटिंग	एएए	जेसीआर	बीबीबी+
आईसीआरए	एएए		

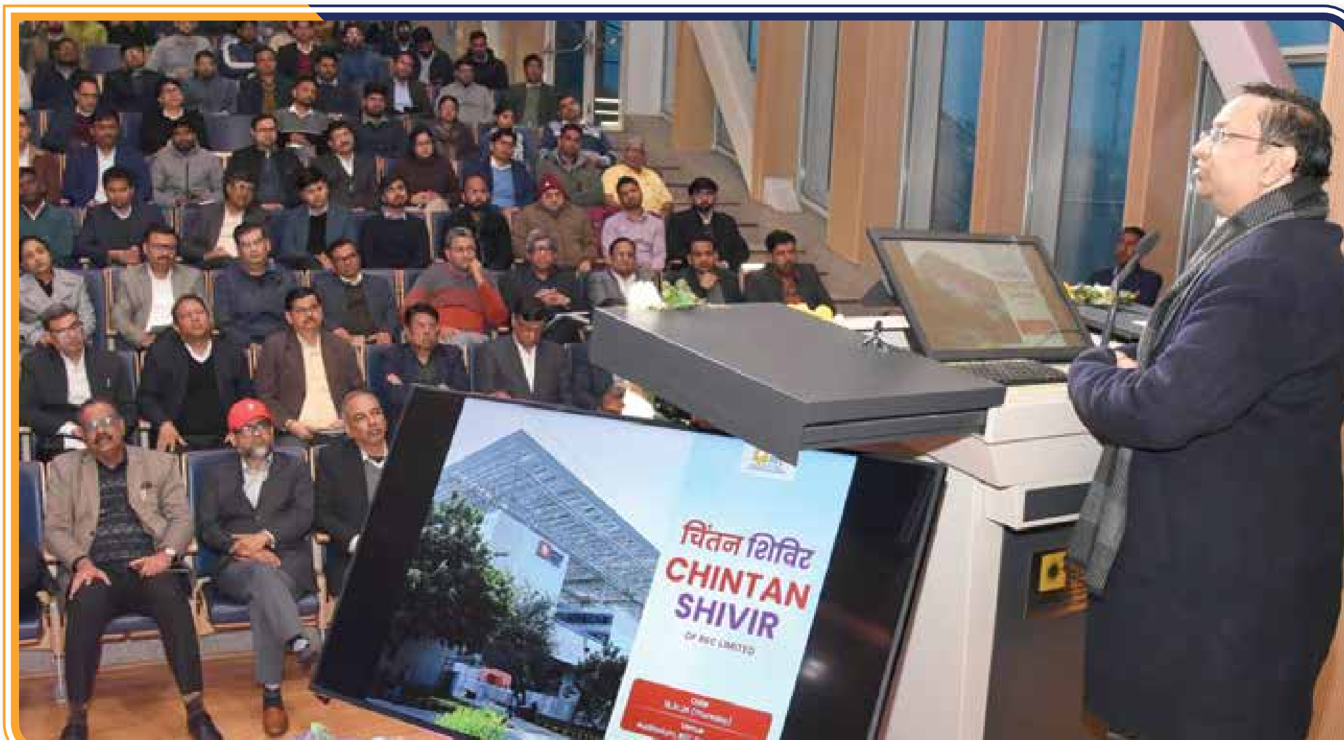

आरईसी में आयोजित चिंतन शिविर के दौरान कार्मिकों ने प्रबंधन के साथ अपने विचार एवं सुझाव साझा किए।

आरईसी मुख्यालय, गुरुग्राम में आयोजित कवि सम्मेलन का एक दृश्य

कंपनी की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) की स्थिति, उद्योग में सबसे निम्न स्तरों में से एक, अनुशासित क्रेडिट मूल्यांकन और व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को दर्शाती है।

ईएसजी प्रोत्साहन

अप्रैल 2026 से प्रभावी, आरईसी ने ईएसजी-अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा उधारकर्ताओं के लिए एक प्रोत्साहन ढांचा लागू किया है, जो सुदृढ़ पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन प्रदर्शन करने वाले उधारकर्ताओं को अधिमान्य शर्तें प्रदान करके भारत के स्वच्छ ऊर्जा संवर्तन को उत्प्रेरित करने में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को और अधिक सुदृढ़ करता है।

2. विनिर्मित पूंजी

विनिर्मित पूंजी के अंतर्गत वह भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचा शामिल है जिसे आरईसी ने अपने संचालन और रणनीतिक उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए विकसित किया है। एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में, आरईसी विनिर्माण सुविधाएं संचालित नहीं करती है, अपितु इसने आधुनिक, सतत भौतिक बुनियादी ढांचे और अत्याधुनिक डिजिटल प्रणालियों के निर्माण में पर्याप्त निवेश किया है, जो इसकी परिचालन दक्षता को बढ़ाते हैं और बिजली तथा बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में इसकी भूमिका का समर्थन करते हैं।

भौतिक अवसंरचना और हरित भवन

गुरुग्राम में स्थित आरईसी का कॉर्पोरेट मुख्यालय सतत विकास और आधुनिक कार्यस्थल डिजाइन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस इमारत में ऊर्जा-कुशल वास्तुशिल्प विशेषताएं शामिल हैं, जिसमें एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया अग्रभाग शामिल है, जो पारंपरिक इमारतों की तुलना में एचवीएसी लोड को कम करता है। संपूर्ण परिसर में एलईडी लाइटिंग स्थापित की गई है, जिसे एक उन्नत प्रकाश प्रबंधन प्रणाली का समर्थन प्राप्त है जो इष्टतम ऊर्जा खपत के लिए स्वचालित नियंत्रण को सक्षम बनाती है। रेडिएंट कूलिंग स्लैब ऊर्जा दक्षता मानकों को बनाए रखते हुए तापीय सुविधा को बढ़ाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए, कॉर्पोरेट कार्यालय भवन के शीर्ष पर एक 979 केडब्ल्यूपी सौर संयंत्र स्थापित किया गया है, जो एक सौर पेर्गोला संरचना पर समर्थित है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 12.95 लाख यूनिट स्वच्छ बिजली उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पंचकुला, वडोदरा और लखनऊ स्थित तीन क्षेत्रीय कार्यालयों में किल 54 केडब्ल्यूपी क्षमता के रूफटॉप सौर संयंत्र शुरू किए गए।

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में ये निवेश आरईसी की स्थिरता प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हैं और कॉर्पोरेट स्तर पर पर्यावरणीय प्रबंधन को दर्शाते हैं।

डिजिटल अवसंरचना और आईटी प्रणाली

आरईसी ने 2009 में ओरेकल ई-बिजनेस सूट को लागू किया और बाद में इसे आर12 संस्करण में अपग्रेड किया। बदलती व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईआरपी प्रणाली में निरंतर सुधार किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, एआई-सक्षम चालान प्रसंस्करण स्वचालन और दैनिक स्वचालित बैंक बुक समाधान जैसे प्रमुख सुधार को लागू किया गया, जिससे वित्तीय कार्यों की दक्षता, सटीकता और समयबद्धता में वृद्धि हुई।

कार्यकुशलता, पारदर्शिता और कागज रहित कार्य को बढ़ाने के लिए 2021 में आरईसी में एनआईसी ई-ऑफिस को लागू किया गया था। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, एनआईसी ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म को उन्नत सुविधाओं और सुरक्षा सुधारों के साथ नवीनतम संस्करण में अपग्रेड किया गया था, जिससे डिजिटल शासन और कार्यालय स्वचालन को सुदृढ़ किया गया।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आरईसी ने अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा के एक भाग के रूप में कई इन-हाउस विकसित आईटी प्रणालियों को तैनात किया, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रशासनिक सेवाओं के लिए कर्मचारी अनुरोधों का डिजिटलीकरण और स्थिरता उद्देश्यों के समर्थन हेतु सीएसआर परियोजनाओं की डिजिटल निगरानी शामिल है, जिससे दक्षता, पारदर्शिता और सेवा वितरण में वृद्धि हुई है।

डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा अवसंरचना

आरईसी एक प्राइमरी डेटा सेंटर (पीडीसी) और आपदा रिकवरी सेंटर (डीआरसी) का संचालन करता है, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, पहले के 2013 संस्करण से उन्नत (अपग्रेडेड) आईएसओ/आईईसी 27001:2022 मानक के तहत पुनः प्रमाणित किया गया है। यह पुन: प्रमाणीकरण सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए आरईसी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है और नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन को दर्शाता है। दोनों डेटा केंद्रों में वास्तविक समय सिंक्रनाइज़ेशन बनाए रखा जाता है और प्रतिकूल परिदृश्यों में व्यावसायिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए नियमित आपदा रिकवरी अभ्यास आयोजित किए जाते हैं।

आरईसी के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क में सिस्टम लॉग और सुरक्षा घटनाओं की वास्तविक समय की निगरानी और विश्लेषण शामिल है, जिससे असामान्य गतिविधियों की समय पर पहचान करना संभव होता है। कंपनी ने व्यापक खतरे का पता लगाने और रोकथाम तंत्र लागू किया है, जिसमें त्वरित बहाली क्षमताएं हैं जो न्यूनतम परिचालन प्रभाव सुनिश्चित करती हैं।

उभरते साइबर खतरों और रोकथाम की तकनीकों पर नियमित रूप से कई जागरूकता सत्र आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ ही, अक्टूबर 2025 में विशेष (केंद्रित) जागरूकता अभियानों के साथ 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह' मनाया गया।

परियोजना निगरानी अवसंरचना

आरईसी ने एक व्यापक वेब-आधारित परियोजना निगरानी मंच विकसित किया है, जो ऋण पोर्टफोलियो के अंतर्गत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर समयबद्ध एवं समग्र दृश्यता प्रदान करता है। इस मंच में उभरते जोखिमों तथा संभावित लागत अथवा समय-सीमा से संबंधित विचलनों की प्रारंभिक पहचान हेतु स्वचालित चेतावनी प्रणाली भी सम्मिलित है। इससे जोखिमों के सक्रिय प्रबंधन तथा परियोजना-विशिष्ट चुनौतियों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान में सहायता मिलती है। परियोजना निगरानी का दायरा केवल परियोजनाओं के कमीशनिंग चरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके परिचालन में आने के पश्चात भी निरंतर प्रदर्शन अनुश्रवण किया जाता है, ताकि परिसंपत्तियों की दीर्घकालिक गुणवत्ता एवं स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके।

निजी क्षेत्र से संबंधित जोखिम वाले परियोजनाओं के लिए, आरईसी परियोजना प्रबंधन एजेंसियों (पीएमए) के माध्यम से स्वतंत्र तृतीय-पक्ष सत्यापन सुनिश्चित करता है। ये एजेंसियां समय-समय पर परियोजना स्थलों का निरीक्षण करती हैं तथा भौतिक प्रगति, आपूर्ति श्रृंखला संबंधी बाधाओं और उभरते ऋण जोखिमों पर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं। उच्च मूल्य एवं महत्वपूर्ण श्रेणी की परियोजनाओं को नियमित अंतराल पर वरिष्ठ प्रबंधन की समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाता है, जिससे आवश्यक रणनीतिक हस्तक्षेप सुनिश्चित होते हैं तथा नीतिगत निर्णय त्वरित रूप से लिए जा सकते हैं। गुणवत्ता आश्वासन बनाए रखने के लिए तृतीय-पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों (टीपीक्यूएमए) की सेवाएं ली जाती हैं, जो आरडीएसएस परियोजनाओं के लिए निर्धारित व्यापक गुणवत्ता दिशानिर्देशों के अनुरूप समवर्ती निरीक्षण करती हैं।

3. बौद्धिक पूंजी

बौद्धिक पूंजी संगठन-संचालित, ज्ञान आधारित अमूर्त संसाधनों का प्रतिनिधित्व करती है जो कंपनी की ब्रांड, प्रतिष्ठा और सद्भावना से घनिष्ठ रुप से जुड़े हुए हैं। इसमें बौद्धिक संपदा, संगठनात्मक ढांचे, शासन संरचनाएं, संस्थागत प्रणालियां और आंतरिक रूप से विकसित प्रक्रियाएं शामिल हैं जो नवाचार और दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा के लिए आधार बनाती हैं। आरईसी की बौद्धिक पूंजी दशकों की क्षेत्रीय विशेषज्ञता के माध्यम से बनाई गई है और संस्थागत शिक्षा और नवाचार के माध्यम से इसे निरंतर सुदृढ़ किया जाता है।

सरकारी योजना क्रियान्वयन और क्षेत्रीय नेतृत्व

आरईसी भारत सरकार की बिजली क्षेत्र विकास और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए रणनीतिक पहलों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी भारत के बिजली क्षेत्र में नीतियों को तैयार करने और कार्यान्वित करने और संरचनात्मक सुधारों को लागू करने में केंद्र सरकार के अधिकारियों, राज्य प्रशासनों, बिजली संस्थानों, क्षेत्र मध्यस्थों

आरईसी के निदेशक (वित्त) श्री राजेश कुमार ने इंडिया एनर्जी फोरम द्वारा आयोजित पावर ट्रांसमिशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में 'फाइनेंसिंग द ट्रांसमिशन इंपरेटिव' सत्र की अध्यक्षता की।

और निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों के साथ मिलकर काम करती है। यह साझेदारी कई प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी या कार्यान्वयन भागीदार के रूप में आरईसी की भूमिका के माध्यम से औपचारिक रूप से होती है।

पुनर्उत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) सबसे महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें आरईसी 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। पांच वर्षों में (मार्च 2028 तक विस्तारित) ₹3,03,758 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ, आरडीएसएस को अखिल भारतीय स्तर पर समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि को 12-15% तक कम करके और आपूर्ति की औसत लागत तथा औसत राजस्व प्राप्ति (एसीएस-एआरआर) के अंतर को शून्य पर लाकर बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

आरडीएसएस योजना: प्रदर्शन अवलोकन

विस्तार और प्रभाव

19
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

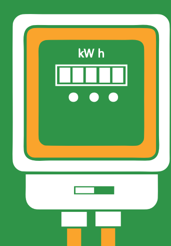

2.45 करोड़
स्मार्ट मीटर स्थापित

12-15 %
लक्ष्य एटी एंड सी हानि में कमी

राष्ट्रीय विद्युत कोष (एनईएफ), एक अन्य प्रमुख पहल है, जो वितरण बुनियादी ढांचे में पूंजीगत निवेश के लिए वितरण संस्थानों को ब्याज सब्सिडी सहायता प्रदान करती है। नोडल एजेंसी के रूप में आरईसी की भूमिका के परिणामस्वरूप 14 राज्यों में संस्थानों को ₹2,864.48 करोड़ की ब्याज सब्सिडी जारी की गई है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी-2015) के तहत, आरईसी ने अपनी शुरुआत से अब तक ₹2,559.31 करोड़ का वितरण किया है। इसके अतिरिक्त, आरईसी 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जो स्व-उपभोग और आजीविका के अवसरों के लिए घरेलू स्तर पर रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देता है।

नवाचार एवं प्रौद्योगिकी अंगीकरण

आरईसी उन्नत डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए एक नवाचार कार्यक्रम, 'पावरथॉन' पहल के माध्यम से बिजली वितरण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी-संचालित परिवर्तन का समर्थन करता है। पावरथॉन चरण-I (फरवरी 2022 में शुरू किया गया) ने एआई/एमएल, आईओटी, ब्लॉकचेन और इमर्सिव प्रौद्योगिकियों जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 275 आवेदनों में से 7 बाजार-तैयार प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाताओंकी पहचान की और उनका चयन किया। चरण से शीर्ष तीन समाधानों को छह वितरण उपयोगिताओं में बढ़ाया गया है, जो ठोस परिचालन लाभ प्रदर्शित करते हैं।

चरण-I की सफलता के आधार पर, पावरथॉन चरण-II (नवंबर 2024 में शुरू किया गया) नवाचार को गति देता है और वित्तीय सहायता, संरचित परामर्श (मेंटरशिप) तथा एक विशेषज्ञ एवं तकनीकी समिति की देखरेख के साथ 40 तक टीएसपी का समर्थन करता है। चरण-II को स्टार्टअप्स के 255 आवेदन सहित कुल 331 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें स्मार्ट मीटरिंग, मांग-पक्ष प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, डिजिटल ट्विन्स, परिसंपत्ति प्रबंधन और मांग पूर्वानुमान जैसे आठ प्राथमिकता वाले समस्या क्षेत्र शामिल हैं। 31 मार्च, 2026 तक कई डिस्कॉम में लगभग 28 पायलट परियोजनाएं सक्रिय रूप से कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनके अपेक्षित परिणामों में एटीएंडसी हानि में कमी, बेहतर बिजली खरीद योजना, उन्नत नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और डेटा-संचालित परिचालन दक्षता का समर्थन करना शामिल है।

एक अन्य परिवर्तनकारी पहल, भारत ऊर्जा स्टैक (आईईएस) को बिजली क्षेत्र के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में विकसित की जा रही है। एफएसआर ग्लोबल के साथ नोडल एजेंसी के रूप में आरईसी के नेतृत्व में, आईईएस का उद्देश्य समान डिजिटल मानक, खुली विशिष्टताओं और सुरक्षित डेटा विनिमय तंत्र स्थापित करना है जो उपयोगिताओं, नियामकों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और उपभोक्ताओं को जोड़ता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, एक समर्पित जनशक्ति के माध्यम से आईईएस रणनीति और वास्तुकला (आर्किटेक्चर) को परिष्कृत करते हुए महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की गई। इसमें पीयर-टू-पीयर (पी2पी) ऊर्जा विनिमय (जिसे 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' में प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया था), डिजिलॉकर के साथ एकीकृत ऊर्जा प्रमाण-पत्र (जिसे 'भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट' में मंत्रियों के समक्ष प्रदर्शित किया गया), और उपभोक्ता-पक्ष की लचीलापन एवं ईवी चार्जिंग एकीकरण के लिए प्रोटोकॉल सहित उच्च-प्रभाव वाले उपयोग के मामलों का प्रदर्शन किया गया।

संस्थागत प्रणाली और विशेषज्ञता

आरईसी ने कुशल आंतरिक प्रणालियों, प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल को विकसित किया है जो रणनीतिक लाभ प्रदान करते हैं तथा ब्रांड मूल्य में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। कंपनी के परियोजना निगरानी दिशानिर्देश, प्रथम ऋण निकासी से लेकर परियोजना के चालू होने के पश्चात की स्थिरता तक, संपूर्ण परियोजना जीवन-चक्र के पर्यवेक्षण हेतु एक अनुशासित तंत्र स्थापित करते हैं। ये दिशानिर्देश निर्धारित समय-सीमा के विरुद्ध भौतिक प्रगति की चरणबद्ध मैपिंग, समय एवं लागत में वृद्धि को रोकने हेतु बाधाओं की समय पूर्व पहचान, तथा पूंजी के विचलन को रोकने के लिए ज़मीन पर भौतिक रूप से कार्य पूर्ण होने के सत्यापन के साथ निधि जारी करने के संरेखण को सुगम बनाते हैं।

वितरण प्रणाली के उपकरणों के लिए कंपनी के गारंटीकृत तकनीकी विवरण (जीटीपी), लेआउट ड्राइंग, डेटा शीट और निर्माण मानक राज्य बिजली उपयोगिताओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं और क्षेत्र के मानक (बेंचमार्क) बन गए हैं। यह संस्थागत ज्ञान आधार प्रभावी नीति निर्माण, कार्यक्रम संरचना और जटिल सरकारी योजनाओं के निष्पादन का समर्थन करता है।

कंपनी के संगठनात्मक ढांचे आईएसओ 31000 :2018 उद्यम जोखिम प्रबंधन अनुपालन उद्योग नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरईसी आईएसओ 31000:2018 अनुपालन प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है, जिसे ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन (बीएसआई) द्वारा स्वतंत्र अभिमत वक्तव्य प्रदान किया गया है। यह व्यापक जोखिम प्रबंधन ढाँचा परिचालन, वित्तीय तथा जोखिम प्रबंधन संबंधी निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को एकीकृत करता है तथा ऋण करारों एवं स्वीकृति की शर्तों में पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सामाजिक (ईएचएसएस) आवश्यकताओं को समाविष्ट करता है।

आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी)

आरईसीआईपीएमटी, जिसकी स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी, विद्युत क्षेत्र का एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है, जिसने पिछले चार दशकों के दौरान उत्पादन, पारेषण तथा वितरण कंपनियों सहित देश की विद्युत उपयोगिताओं के 86,427 से अधिक अभियंताओं एवं प्रबंधकों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह संस्थान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ अंतरराष्ट्रीय विद्युत क्षेत्र संगठनों के अधिकारियों हेतु भागीदार प्रशिक्षण संगठन के रूप में भी कार्यरत रहा। आरईसीआईपीएमटी ने 31 मार्च, 2026 तक 102 देशों के 1,936 अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के लिए 113 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान हस्तांतरण और क्षमता निर्माण में मदद मिली है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने 5,888 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया तथा 17,876 प्रशिक्षण मानव-दिवस की उपलब्धि प्राप्त की। यह संस्थान क्षेत्र के आधुनिकीकरण हेतु कुशल जनशक्ति के विकास तथा भारत के विद्युत क्षेत्र में मानव संसाधन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरईसीआईपीएमटी के कार्यक्रमों के माध्यम से आरईसी संस्थागत अधिगम एवं ज्ञान प्रसार में योगदान देता है, जिससे संपूर्ण विद्युत पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ होता है।

ब्रांड मूल्य और बाजार स्थिति

आरईसी की बौद्धिक पूंजी इसकी सुदृढ़ ब्रांड स्थिति तथा अनेक पुरस्कारों एवं सम्मानों में परिलक्षित होती है। कंपनी को देश की विद्युतीकरण यात्रा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के प्रतीक के रूप में 'भारत में हर चौथे बल्ब को रोशन करने वाली' संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। आरईसी को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें इकोनॉमिक टाइम्स इंफ्रा लीडरशिप अवार्ड्स 2025 के अंतर्गत ग्रीन फाइनेंसिंग सहित सर्वश्रेष्ठ अवसंरचना परियोजनाओं का पुरस्कार, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट पीएसयू समिट अवार्ड्स के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ वित्तीय सेवा कंपनी तथा सर्वश्रेष्ठ विद्युत पारेषण कंपनी के पुरस्कार तथा आईसीपीए ट्रेजरी एक्सीलेंस अवार्ड शामिल हैं।

ईएसजी एवं सततता के क्षेत्र में, आरईसी को ईएसजी एवं उत्तरदायी व्यवसाय के लिए नेट ग्रीन फाउंडेशन अर्थ अवार्ड्स 2026, कॉर्पोरेट नेट जीरो संवर्तन के लिए स्कॉच अवार्ड्स 2025 का रजत पुरस्कार तथा ईएसजी नेतृत्व के लिए पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड्स 2025 का स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कंपनी की शासन एवं अनुपालन उत्कृष्टता को भी अनेक पुरस्कारों के माध्यम से मान्यता प्राप्त हुई है, जिनमें फ्यूचर ऑफ लीगल एंड कंप्लायंस समिट 2025 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ विधिक प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन तथा अनुपालन नवाचार के लिए प्राप्त सम्मान शामिल हैं।

4. मानव पूंजी

मानव पूंजी किसी संगठन के जनशक्ति के कौशल, क्षमताओं, विशेषज्ञता, समर्पण तथा प्रेरणा का प्रतिनिधित्व करती है। यह सतत विकास एवं संगठनात्मक सफलता के लिए आधारभूत है। आरईसी की मानव पूंजी रणनीति समावेशी एवं नैतिक कार्यस्थल प्रथाओं को बनाए रखते हुए विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आकर्षित करने, उनका विकास करने तथा उन्हें बनाए रखने पर केंद्रित है।

जनशक्ति संरचना एवं विविधता

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, आरईसी की कुल जनशक्ति 591 कर्मचारियों की थी, जिसमें 579 कार्यपालक तथा 12 गैर-कार्यपालक शामिल है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने प्रत्यक्ष भर्ती अभियानों के माध्यम से 36 कार्यपालकों की नियुक्ति कर अपने पेशेवर आधार को सुदृढ़ किया, जिसके लिए देशभर से प्रतिभाओं का चयन किया गया। नवीन प्रतिभाओं का यह समावेशन संगठनात्मक क्षमता निर्माण को समर्थन प्रदान करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत तथा अवसंरचना क्षेत्रों में एक पसंदीदा नियोक्ता बनी रहे।

आरईसी विविधता एवं समावेशन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। महिला कर्मचारी 87 हैं, जो कुल जनशक्ति का 14.7% हैं। भर्ती, पदोन्नति, पारिश्रमिक अथवा सेवा-समापन संबंधी निर्णयों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। कंपनी की महिला प्रकोष्ठ महिला कर्मचारियों के कल्याण एवं सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर टीम निर्माण गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा संवादात्मक सत्रों का आयोजन किया जाता है। कंपनी सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल कार्यस्थल उपलब्ध कराती है।

सामाजिक समावेशन का प्रतिबिंब विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधित्व में परिलक्षित होता है, अर्थात् 336 कर्मचारी सामान्य/अन्य श्रेणी, 154 कर्मचारी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी, 69 कर्मचारी अनुसूचित जाति श्रेणी तथा 32 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति श्रेणी से हैं। इसके अतिरिक्त, 14 (दिव्यांगजन /पीडब्ल्यूबीडी) कर्मचारी कार्यरत हैं। यह विविधता संगठनात्मक दृष्टिकोण को सुदृढ़ करती है औरआरक्षण संबंधी भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप है।

कुल कर्मचारी 591

कार्यपालक 579

गैर-कार्यपालक 12

महिला कर्मचारी 87 (14.7%)

दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) कर्मचारी 14

भारत एआई इम्पैक्ट समिट, 2026 में अपने विचार साझा करती हुई आरईसी की कार्यपालक निदेशक श्रीमती वल्ली नटराजन।

आरईसी की ओर से, कार्यपालक निदेशक श्री कुलदीप राय एवं महाप्रबंधक श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी ने इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स से ग्रीन ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता पुरस्कार ग्रहण किया।

जनशक्ति विविधता - सामाजिक श्रेणियां

श्रेणी	संख्या
सामान्य/अन्य	154
अनुसूचित जाति	32
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	336
अनुसूचित जनजाति	69

प्रशिक्षण और विकास

आरईसी सतत अधिगम एवं व्यावसायिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कुल 550 कर्मचारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया, जिसमें विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। कंपनी ने 2,783 प्रशिक्षण मानव-दिवस अर्जित किए, जिनमें अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 150 से अधिक प्रशिक्षण दिवस शामिल हैं, जिनका लाभ 30 कर्मचारियों को प्राप्त हुआ। प्रशिक्षण का दायरा नेतृत्व एवं प्रबंधन विकास, कॉर्पोरेट अभिशासन, महिला सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल रूपांतरण, बैंकिंग एवं वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर सुरक्षा, ऊर्जा क्षेत्र संबंधी ज्ञान, ईएसजी एवं सततता, विधिक एवं अनुपालन, मानव संसाधन प्रबंधन तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण को आच्छादित करता है।.

प्रशिक्षण एवं विकास - वित्तीय वर्ष 2025-2026

550	2,783	4,000+	150+	30
प्रशिक्षित कर्मचारी	प्रशिक्षण मानव-दिवस	आईजीओटी कर्मयोगी मानव-दिवस	अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण मानव-दिवस	अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम लाभार्थी

सभी कर्मचारियों का पंजीकरण भारत सरकार के समर्पित अधिगम मंच, आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर किया गया है। सक्रिय सहभागिता के माध्यम से कर्मचारियों ने कार्य नैतिकता, आचार संहिता, ईएसजी जागरुकता, निवारक सतर्कता तथा साइबर सुरक्षा सहित विभिन्न अनिवार्य पाठ्यक्रम पूर्ण किए हैं और 4,000 से अधिक प्रशिक्षण मानव-दिवस अर्जित किए हैं। यह सहभागिता संगठन में सतत अधिगम एवं स्व-विकास की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

कर्मचारी कल्याण एवं कार्य-जीवन संतुलन

आरईसी कर्मचारी कल्याण के प्रति विभिन्न कल्याणकारी पहलों के माध्यम से प्रतिबद्ध है। कंपनी कर्मचारियों के लिए अंशकालिक चिकित्सकों सहित परिसर में चिकित्सा सुविधाएं, कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी संगोष्ठियों तथा योग कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करती है। कर्मचारियों के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में सुसज्जित व्यायामशाला उपलब्ध है, जो शारीरिक स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती के उद्देश्यों को समर्थन प्रदान करती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) स्थित केंद्रों में कर्मचारियों के लिए कार्य-जीवन संतुलन को प्रोत्साहित करने हेतु क्रेच एवं डे-केयर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

कंपनी ने कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु स्पष्ट एवं पारदर्शी व्यवस्था के साथ एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों के त्वरित निवारण को सुनिश्चित करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को लोक शिकायत समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता एक वरिष्ठ महिला अधिकारी द्वारा की जाती है तथा जिसमें एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, जो स्वस्थ एवं सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण को दर्शाती है।

कंपनी मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 का पूर्ण अनुपालन करती है और सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान औद्योगिक अशांति के कारण मानव-दिवस की कोई हानि नहीं हुई, जो प्रबंधन एवं कर्मचारी संघों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों को परिलक्षित करती है।

मानवाधिकार प्रतिबद्धता

आरईसी एक उत्तरदायी कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में अपनी पहचान के अभिन्न अंग के रूप में मानवाधिकारों का सम्मान करता है। कंपनी ने ऐसी व्यापक नीतियां एवं प्रक्रियाएं अपनाई हैं, जिनका उद्देश्य कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं तथा व्यापक समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव डालना है। आरईसी अपने संचालन और मूल्य शृंखला में मानव तस्करी, बंधुआ श्रम तथा बाल श्रम के सभी रूपों का कड़ाई से निषेध करता है। कंपनी समान मूल्य के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक प्रदान करने तथा भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, पारिश्रमिक एवं सेवा-समापन सहित रोजगार के सभी पहलुओं में भेदभाव-रहित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

गैर-भेदभाव की नीति लिंग, आयु, धर्म, दिव्यांगता और यौन रुझान सहित सभी संरक्षित विशेषताओं पर लागू होती है। आपूर्ति श्रृंखला के साझेदारों) और परिचालन सहयोगियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आरईसी के मूल्यों के अनुरूप मानवाधिकार मानकों को पूरा करें। इन व्यापक प्रतिबद्धताओं के माध्यम से, आरईसी गरिमा, समता और सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित कार्यस्थल का रखरखाव करता है।

5. सामाजिक और संबंध पूंजी

सामाजिक और संबंध पूंजी ग्राहकों, निवेशकों, आपूर्तिकर्ताओं, समुदायों, सरकारी निकायों और नियामकों सहित विविध हितधारक समूहों के साथ आरईसी की प्रतिबद्धता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान के रूप में, आरईसी भारत के बिजली क्षेत्र के विकास का समर्थन करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है, जबकि उत्तरोत्तर बुनियादी ढांचे और रसद क्षेत्रों में विस्तार करता है। मुख्य संचालन से परे, कंपनी अपने सीएसआर शाखा, आरईसी फाउंडेशन के माध्यम से समावेशी सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करती है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल

सामाजिक और संबंध पूंजी आरईसी के ग्राहकों, निवेशकों, आपूर्तिकर्ताओं, समुदायों, सरकारी निकायों और नियामकों सहित अपने विविध हितधारक समूहों के साथ जुड़ाव और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आरईसी फाउंडेशन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, पर्यावरण स्थिरता, खेल और सशस्त्र बलों के लिए समर्थन सहित कई पहलें लागू कीं।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, देश भर में वंचित लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट की खरीद और तैनाती के लिए आरईसी की प्रमुख सीएसआर पहल, आई केयर फॉर ऑल पहल के तहत 8,000 मोतियाबिंद सर्जरी और 5,000 फैकोइमल्सीफिकेशन सर्जरी के लिए सहायता, एक उन्नत हृदय फेफड़ा मशीन सहित उन्नत चिकित्सा उपकरणों की स्थापना के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत किया गया, 200 बिस्तरों वाले विश्राम सदन का निर्माण, प्रतीक्षालय और इन्क्यूबेशन सुविधाओं का विकास और जिला अस्पतालों और पीएचसी में इन्क्यूबेटर की स्थापना, साथ ही 8,000 कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरित करके दिव्यांगजनों के पुनर्वास को सक्षम किया गया। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में, 300 सौर ऊर्जा संचालित स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की गईं, लर्न एंड अर्न पहल के तहत 300 युवाओं को स्नातक डिग्री स्तर की शिक्षा दी गई और स्कूल बेंच, बंक बेड और पुनर्नवीनीकरण पॉलिएस्टर टी-शर्ट के प्रावधान के माध्यम से शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाया गया। महिला सशक्तिकरण पहलों ने 3,000 से अधिक किशोरियों के बीच मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता जागरूकता को संबोधित किया।

स्वस्थ कार्यस्थल संकेतक

यौन उत्पीड़न की शून्य शिकायतें

वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली। एक स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण को प्रतिबिंबित करना।

मानव-दिवस का शून्य हानि

मानव-दिवस का शून्य हानि, प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को दर्शाता है।

मातृत्व लाभ अधिनियम का पूर्ण अनुपालन

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 का पूर्ण अनुपालन।

आरईसी के निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आरईसी की आंतरिक हिंदी पत्रिका 'ऊर्जायन' का विमोचन

इन परिणामोन्मुखी हस्तक्षेपों के माध्यम से, सामुदायिक बुनियादी ढांचे, पर्यावरण स्थिरता और खेल संवर्धन के लिए निरंतर समर्थन के साथ, आरईसी हितधारकों के साथ विश्वास-आधारित संबंधों को मजबूत करता है और अपने दीर्घकालिक सामाजिक मूल्य निर्माण ढांचे को मजबूत करता है।

हितधारक सहभागिता और संचार

आरईसी सभी हितधारक समूहों के साथ संवाद की खुली एवं प्रभावी व्यवस्था बनाए रखता है। वित्तीय परिणाम इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट और फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) तथा बिजनेस स्टैंडर्ड, हिंदुस्तान और जनसत्ता (हिंदी) सहित प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। कंपनी की वेबसाइट (https://recindia.com) पर सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत अपेक्षित व्यापक प्रकटीकरण उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनमें त्रैमासिक एवं वार्षिक वित्तीय परिणाम, शेयरधारिता प्रतिरूप, वार्षिक रिपोर्टें तथा आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियां शामिल हैं। संस्थागत निवेशकों एवं विश्लेषकों के साथ नियमित निवेशक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

कंपनी शेयरधारकों एवं बॉण्डधारकों की प्रश्नों के लिए नामित दूरभाष संख्याएं तथा ई-मेल पते उपलब्ध कराती है, जिन तक वेबसाइट के निवेशक संबंध अनुभाग के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। पारंपरिक संवाद माध्यमों के अतिरिक्त, आरईसी मीडिया संवाद, उद्योग मंचों एवं सम्मेलनों में सहभागिता तथा समुदाय से जुड़ाव हेतु बढ़ते हुए सामाजिक मीडिया के माध्यम से भी हितधारकों से संपर्क बनाए रखता है। बहु-माध्यमीय सहभागिता का यह दृष्टिकोण पारदर्शिता सुनिश्चित करता है तथा निवेशक समुदाय एवं व्यापक हितधारक पारितंत्र के भीतर विश्वास को सुदृढ़ करता है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित पुरस्कार एवं सम्मान

आरईसी की सीएसआर पहलों ने कई प्रतिष्ठित मान्यताएं अर्जित की हैं। कंपनी को 'पीएसयू में सर्वश्रेष्ठ सीएसआर परियोजनाएं' श्रेणी के तहत ग्लोबल सीएसआर उत्कृष्टता और नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व शिखर सम्मेलन और पुरस्कार, 2026 में सीएसआर में उत्कृष्टता के लिए इंडिया सीएसआर इनिशिएटिव्स एंड सोशल इम्पैक्ट अवार्ड प्राप्त हुआ है और "पीएसयू में सर्वश्रेष्ठ सीएसआर परियोजनाएं" श्रेणी में मान्यता प्राप्त हुई । एसोचैम ने स्वास्थ्य सेवा सहायता में उत्कृष्टता के लिए आरईसी को मान्यता दी, जबकि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने ग्रामीण, जनजातीय और महत्वाकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए प्रशंसा पुरस्कार प्रदान किया। आरईसी को राष्ट्रीय संस्कृति निधि (संस्कृति मंत्रालय) से भी सम्मान प्राप्त हुआ और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए ग्लोबल सीएसआर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया।

सीएसआर के अतिरिक्त, आरईसी को फिक्की द्वारा "सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने वाला - सार्वजनिक क्षेत्र" के लिए इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 और जनसंपर्क और हाउस जर्नल की श्रेणी में पीआरएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कंपनी की व्यापक हितधारक सहभागिता और संचार उत्कृष्टता को दर्शाता है।

6. प्राकृतिक पूंजी

प्राकृतिक पूंजी में प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं जिनका उपयोग आरईसी अपने कार्यों में करता है और उनसे प्रभावित होते हैं। आरईसी पर्यावरण प्रबंधन और स्थिरता के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है, संसाधन खपत को कम करने, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है जो भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं और विकास उद्देश्यों का समर्थन करते हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और हरित वित्त रुपरेखा

आरईसी ने जलवायु बॉण्ड मानक संस्करण 3.0, ग्रीन बॉण्ड सिद्धांत 2021 (आईसीएमए) और ग्रीन लोन प्रिंसिपल्स 2021 (एलएमए, एपीएलएमए, एलटीएसए) सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक व्यापक ग्रीन फाइनेंस फ्रेमवर्क के साथ ग्रीन फाइनेंस में खुद को एक नेता के रूप में स्थापित किया है। फ्रेमवर्क में चार मुख्य घटक शामिल हैं: (1) पात्र ग्रीन परियोजनाओं को निर्दिष्ट करते हुए आय का उपयोग, (2) कठोर पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन को शामिल करते हुए परियोजना मूल्यांकन और चयन की प्रक्रिया, (3) अलग लेखांकन के माध्यम से आय का प्रबंधन और (4) पर्यावरणीय परिणामों के पारदर्शी प्रकटीकरण के साथ रिपोर्टिंग।

इस फ्रेमवर्क के तहत, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 85,008.57 करोड़ रुपये, 13,353.62 मेगावाट की संयुक्त स्थापित उत्पादन क्षमता वाली 58 परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए। पोर्टफोलियो में सौर ऊर्जा (क्षमता का 85% से अधिक), पवन ऊर्जा, जलविद्युत, बायोमास और भूतापीय, ज्वारीय और तरंग ऊर्जा सहित उभरते समाधान सहित विविध नवीकरणीय प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। ग्रिड हानि में कमी को संबोधित करने वाली ऊर्जा दक्षता परियोजनाएं और उपचार, पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग के लिए टिकाऊ जल प्रबंधन परियोजनाएं भी समर्थित हैं। मार्च 2030 तक कुल ऋण पुस्तिका में स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो को लगभग 30% तक बढ़ाने के लक्ष्य में आरईसी की प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है।

अंतर-सीपीएसयू बैडमिंटन प्रतियोगिता में आरईसी टीम का उत्कृष्ट प्रदर्शन

पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन

आरईसी अपने ऋण निर्णयों में कठोर पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन को एकीकृत करता है। कंपनी ने आधिकारिक विकास सहायता केएफडब्ल्यू-III फ्रेमवर्क सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव विश्लेषण (ईएसआईए) रिपोर्ट तैयार की है। तृतीय-पक्ष पर्यावरण ऑडिट प्रमुख परियोजनाओं के लिए कमीशन किए जाते हैं, जो आधारभूत पर्यावरणीय स्थितियों का दस्तावेजीकरण करते हैं और शमन उपायों और निगरानी प्रोटोकॉल की स्थापना करते हैं। परियोजना-स्तर आवश्यकताओं में ऋण अनुबंधों में पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक (ईएचएसएस) विनिर्देश शामिल हैं, जिसमें नियमित अनुपालन सत्यापन और ऋण अवधि के दौरान पर्यावरणीय प्रदर्शन की निगरानी शामिल है।

आरईसी थर्मल पावर प्लांट में प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियों का सक्रिय रूप से समर्थन करता है, सल्फर डाइऑक्साइड हटाने के लिए फ्लू गैस डिसल्फराइज़ेशन (एफजीडी) सिस्टम, नाइट्रोजन ऑक्साइड नियंत्रण के लिए सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन (एससीआर) और पार्टिकुलेट मैटर हटाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स (ईएसपी) का वित्तपोषण करता है।

कॉर्पोरेट पर्यावरणीय प्रथाएँ एवं हरित भवन

गुरुग्राम में स्थित आरईसी का कॉर्पोरेट मुख्यालय में ऊर्जा-कुशल वास्तुशिल्प विशेषताएं शामिल हैं, जिसमें एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया अग्रभाग शामिल है, जो पारंपरिक इमारतों की तुलना में एचवीएसी लोड को कम करता है। संपूर्ण परिसर में एलईडी लाइटिंग स्थापित की गई है, जिसे एक उन्नत प्रकाश प्रबंधन प्रणाली का समर्थन प्राप्त है जो इष्टतम ऊर्जा खपत के लिए स्वचालित नियंत्रण को सक्षम बनाती है। रेडिएंट कूलिंग स्लैब ऊर्जा दक्षता मानकों को बनाए रखते हुए तापीय सुविधा को बढ़ाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए, कॉर्पोरेट कार्यालय भवन के शीर्ष पर एक 979 केडब्ल्यूपी सौर संयंत्र स्थापित किया गया है, जो एक सौर पेर्गोला संरचना पर समर्थित है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 12.95 लाख यूनिट स्वच्छ बिजली उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष के दौरान पंचकुला, वडोदरा और लखनऊ स्थित तीन क्षेत्रीय कार्यालयों में किल 54 केडब्ल्यूपी क्षमता के रूफटॉप सौर संयंत्र शुरू किए गए ।

अपशिष्ट प्रबंधन जैविक, पुनर्चक्रण योग्य और खतरनाक अपशिष्ट धाराओं के पृथक्करण, प्रमाणित पुनर्चक्रण एजेंसियों के साथ साझेदारी और कागज की खपत को कम करने वाले डिजिटल वर्कफ़्लो में परिवर्तन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों का पालन करता है।

आरईसी को तीसरी वार्षिक भारत एनबीएफसी और फिनटेक शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2026 में "एनबीएफसी ऑफ द ईयर" पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।

वेस्ट टू वेल्थ पहल के हिस्से के रूप में, आरईसी ने स्वच्छता कार्य योजना 2025-26 के तहत एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय को बेंच और सेंटर टेबल प्रदान किए ।

27 अक्टूबर, 2025 से 2 नवंबर, 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान जागरूकता सत्र आयोजित किया गया।

बोर्डरूम में शून्य प्लास्टिक उपयोग (कांच की बोतलों से प्रतिस्थापित) सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने की कंपनी की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। कॉर्पोरेट कार्यालय में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें स्थापित की गई हैं, जो महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

आरईसी की टिकाऊ परिवहन पहल में कार्यालय परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद, परिचालन कार्बन फुटप्रिंट को कम करना शामिल है। वनीकरण और कार्बन पृथक्करण का समर्थन करते हुए समुदायों में नियमित रूप से वृक्षारोपण अभियान आयोजित किए जाते हैं। जल संरक्षण उपायों में वर्षा जल संचयन प्रणाली, अपशिष्ट जल उपचार और लैंडस्केपिंग और कम बहाव वाले जल फिक्स्चर के लिए पुनर्चक्रण शामिल हैं।

हरित वित्त जुटाना और अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व

आरईसी हरित वित्त पहलों में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के विश्वास को प्रदर्शित करते हुए वैश्विक पूंजी बाजारों में हरित बॉण्ड जारी करने वाले एक महत्वपूर्ण जारीकर्ता के रूप में उभरा है। वर्ष 2023 में, आरईसी ने हरित बॉण्ड में 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए, जो उस समय दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए सबसे बड़े हरित बॉण्ड थे, जो नवीकरणीय ऊर्जा और सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण का समर्थन करते थे। वर्ष 2024 में, कंपनी ने अपने पहले येन बॉण्ड निर्गमन को चिह्नित करते हुए येन बॉण्ड में 61.1 बिलियन डॉलर जारी किए। ये अंतर्राष्ट्रीय हरित बॉण्ड जलवायु-अनुरूप परियोजनाओं के लिए किफायती फंडिंग प्रदान करते हैं और भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए पूंजी जुटाने में आरईसी की भूमिका का समर्थन करते हैं।

कंपनी की ईएसजी नीति संरचना परिचालन, वित्तीय और जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को एकीकृत करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्थिरता संबंधी विचार सभी प्रमुख निर्णयों को सूचित करते हैं।

संधारणीयता में पुरस्कार और मान्यताएँ

आरईसी के पर्यावरण और स्थिरता नेतृत्व को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के माध्यम से मान्यता दी गई है। कंपनी को ईएसजी और जिम्मेदार व्यवसाय के लिए नेट ग्रीन फाउंडेशन अर्थ अवार्ड्स 2026, कॉर्पोरेट नेट जीरो ट्रांजिशन श्रेणी में एसकेओसीएच अवार्ड्स 2025-सिल्वर अवार्ड और ईएसजी पहल में उत्कृष्टता के लिए सस्टेनेबिलिटी आइकन पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ। पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड्स 2025 ने ईएसजी लीडरशिप और नेट जीरो ऑपरेशंस के लिए गोल्ड अवार्ड के साथ आरईसी को मान्यता दी, जबकि इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पुरस्कार ने कंपनी की पर्यावरण प्रतिबद्धता को स्वीकार किया। ये मान्यताएं स्थिरता के लिए आरईसी के व्यापक दृष्टिकोण को मान्य करती हैं और कंपनी को कॉर्पोरेट पर्यावरण प्रबंधन में एक नेता के रूप में स्थापित करती हैं।

आरईसी ने स्वच्छता पखवाड़ा, 2026 के तहत 'नेकी की दीवार' की स्थापना की

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

"वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹2,11,189 करोड़ के रिकॉर्ड संवितरण विद्युत एवं अवसंरचना क्षेत्र में नई पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने की हमारी क्षमता को दर्शाते हैं।"

श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रिय सम्मानित हितधारकों,

मुझे आरईसी की 57वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह वर्ष वित्तीय दक्षता तथा भारत की विकास यात्रा में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देश के ऊर्जा परिवर्तन अभियान को शक्ति प्रदान करने के प्रति हमारी निरंतर प्रतिबद्धता से चिह्नित रहा है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 व्यापक वैश्विक परिवर्तन के दौर में संपन्न हुआ, जिसमें अर्थव्यवस्थाएँ बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य, तीव्र तकनीकी प्रगति तथा सतत विकास के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता के अनुरूप स्वयं को पुनर्संगठित कर रही थीं। इस गतिशील परिदृश्य में सफलता केवल वित्तीय मजबूती से ही परिभाषित नहीं हुई, बल्कि लचीलापन, त्वरित अनुकूलन क्षमता तथा उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखने की योग्यता से भी निर्धारित हुई। यह ऐसा समय था जब संस्थानों को अनिश्चितताओं से ऊपर उठकर स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदर्शित करने तथा रणनीतिक दूरदर्शिता के साथ कार्य करने की आवश्यकता थी, जिससे स्थिरता, विकास और मूल्य सृजन के प्रेरक के रूप में उनकी भूमिका सुदृढ़ हो सके।

वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद हमने आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ना चुना। परिवर्तन को अपनाते हुए, अपनी परिचालनिक सुदृढ़ता को मजबूत करते हुए तथा अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को अधिक स्पष्ट बनाते हुए, हमने एक विश्वसनीय संस्था के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है, जो अवसरों का लाभ उठाने तथा जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए पूर्णतः तैयार है। आत्मनिर्भर, ऊर्जा-सुरक्षित और सतत भारत के निर्माण संबंधी भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, आरईसी ने नवीन ऊर्जा और रणनीतिक उद्देश्य के साथ प्रगति की है तथा संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में परिवर्तनकारी विकास को सक्षम बनाया है। गहन उद्देश्य-बोध से प्रेरित होकर कंपनी ने अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने, समावेशी प्रगति को प्रोत्साहित करने तथा राष्ट्र के लिए एक सुदृढ़ ऊर्जा पारितंत्र के निर्माण में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है।

हम कॉर्पोरेट प्रशासन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी हितधारकों के हितों का संरक्षण और संवर्धन संतुलित तथा सतत रूप से किया जाए। यह प्रतिबद्धता लगातार वर्षों तक लाभांश वितरण के कंपनी के निरंतर रिकॉर्ड में परिलक्षित होती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹10 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹18.55 का कुल लाभांश घोषित किया गया है, जिसमें ₹1.55 प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश भी शामिल है।

आर्थिक परिदृश्य : बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अग्रसर

हाल के वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया है, जबकि वह चुनौतियों के लगातार जटिल और विकसित होते स्वरूप के अनुरूप स्वयं को समायोजित कर रही है। वर्ष 2024 और 2025 में प्रौद्योगिकी-आधारित निवेशों की मजबूती तथा व्यापारिक तनावों में कमी के कारण पुनरुद्धार के उत्साहजनक संकेत दिखाई दिए। किंतु वर्ष 2026 के प्रारंभ में मध्य-पूर्व में संघर्ष के आरंभ होने के बाद परिदृश्य में तीव्र गिरावट आई है। वैश्विक व्यापार की गतिशीलता में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बीच उत्पन्न इस स्थिति ने भू-राजनीतिक तनाव को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया है तथा संभावित वैश्विक ऊर्जा संकट संबंधी चिंताओं को पुनः जीवित कर दिया है।

भू-राजनीतिक घटनाक्रम वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को लगातार प्रभावित कर रहे हैं, जिससे उच्च स्तर की अनिश्चितता बनी हुई है। जारी संघर्ष ने प्रमुख उत्पादन केंद्रों तथा महत्वपूर्ण परिवहन मार्गों को प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की कीमतों में तीव्र वृद्धि तथा वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों में कठोरता आई है। यद्यपि वर्ष 2025 की तुलना में अनिश्चितता का स्तर कुछ कम हुआ है, फिर भी बदलते भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और व्यापार प्रणालियों के कारण यह अभी भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। इस पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा

कोष (आईएमएफ) की 'विश्व आर्थिक परिदृश्य' रिपोर्ट (अप्रैल 2026) के अनुसार वैश्विक वृद्धि दर वर्ष 2025 के 3.4 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2026 में 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है तथा वर्ष 2027 में इसके लगभग 3.2 प्रतिशत पर स्थिर रहने की संभावना है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर 1.8 प्रतिशत रहने की अपेक्षा है, जबकि उभरती हुई तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर 3.9 प्रतिशत तक सीमित रहने की संभावना है। निम्न आय वाले, वस्तु-आयातक देशों पर मुद्रा अवमूल्यन तथा बढ़ती आयात लागत का अतिरिक्त दबाव रहेगा।

आगे देखते हुए, वैश्विक वृद्धि दर के लगभग 3.1 प्रतिशत के स्तर पर मंद बने रहने की संभावना है, जो 3.7 प्रतिशत के ऐतिहासिक औसत से कम है। यह स्थिति निरंतरभू-अर्थव्यवस्थागत विखंडन, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों तथा संरचनात्मक बाधाओं को दर्शाती है। यद्यपि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति उत्पादकता वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएँ प्रस्तुत करती है, तथापि इससे वित्तीय स्थिरता और श्रम बाजारों के लिए जोखिम भी उत्पन्न हो सकते हैं।

भारत की सशक्त विकासोन्मुख ऊर्जा यात्रा

भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान तथा वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता से उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में उल्लेखनीय मजबूती प्रदर्शित की। मजबूत घरेलू मांग, निरंतर निवेश तथा विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक प्रबंधन के कारण भारत विश्व की सर्वाधिक तीव्र गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में बना रहा। निरंतर सुधारों, जीएसटी के युक्तिकरण, डिजिटल अवसंरचना के विस्तार तथा केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत अवसंरचना और विनिर्माण क्षेत्र को दिए गए प्रोत्साहन ने विकास को गति प्रदान की।

आईएमएफ की अप्रैल 2026 की विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित कर लगभग 7.6 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के अनंतिम अनुमान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत बताते हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 7.1 प्रतिशत से अधिक है।

भारतीय विद्युत क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान असाधारण विकास और परिवर्तन प्रदर्शित किया है, जो ऊर्जा सुरक्षा तथा जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश की कुल स्थापित क्षमता लगभग 533 गीगावाट तक पहुँच गई है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिला है। जून 2025 में भारत ने 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया, जो पेरिस समझौते के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के तहत वर्ष 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले हासिल हुआ। यह उपलब्धि सरकार की प्रतिबद्धता तथा क्षेत्र की क्षमता का प्रमाण है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लगभग 62 गीगावाट की क्षमता जोड़ी गई, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 89 प्रतिशत रहा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रिकॉर्ड 55 गीगावाट की स्थापना हुई, जिससे कुल नवीकरणीय क्षमता लगभग 275 गीगावाट तक पहुँच गई। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन ने भारत को वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुँचा दिया है। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में गैर-जीवाश्म स्रोत अब कुल ऊर्जा मिश्रण का 29 प्रतिशत हिस्सा हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 25 प्रतिशत था।

मई 2026 के दौरान विद्युत की अधिकतम मांग लगभग 271 गीगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँची और इसकी पूरी आपूर्ति बिना किसी कमी के की गई, जो भारत की विद्युत प्रणाली की मजबूती को दर्शाता है। आपूर्ति पक्ष में घरेलू कोयला उत्पादन और प्रेषण स्थिर बना रहा तथा कुल कोयला उपभोग में विद्युत क्षेत्र की हिस्सेदारी 79 प्रतिशत रही, जो लगभग 808 मिलियन टन के बराबर है और तापीय विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करती है। संशोधित शक्ति नीति सहित सरकार द्वारा हाल ही में किए गए सुधार विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले की उपलब्धता और प्रतिस्थापन तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बना रहे हैं।

वित्तीय प्रदर्शन : उपलब्धियों से परिपूर्ण एक वर्ष

वित्तीय वर्ष 2025-26 आरईसी के लिए उल्लेखनीय विकास और परिचालनिक मजबूती का वर्ष रहा है। इस अवधि में आरईसी ने अपने ऋण पोर्टफोलियो का महत्वपूर्ण विस्तार किया तथा ₹4.09 लाख करोड़ की रिकॉर्ड ऋण स्वीकृतियाँ प्रदान कीं, जो पिछले वर्ष की ₹3.37 लाख करोड़ की स्वीकृतियों की तुलना में लगभग 21 प्रतिशत अधिक हैं।

> ***"हमारी ऋण स्वीकृतियाँ बढ़कर ₹4.09 लाख करोड़ हो गई हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं।"***

वित्तीय वर्ष के दौरान संवितरण ₹2.11 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जो आरईसी के इतिहास में सर्वाधिक है तथा पिछले वर्ष के ₹1.91 लाख करोड़ के संवितरण की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत के ऊर्जा परिवर्तन के महत्वपूर्ण चरण में अवसंरचना विकास को गति देने तथा विद्युत एवं अवसंरचना क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

31 मार्च 2026 तक कंपनी की निवल संपत्ति बढ़कर ₹84,290 करोड़ हो गई, जो पिछले वर्ष के ₹77,638 करोड़ की तुलना में 8.57 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

31 मार्च 2026 तक कंपनी की सकल ऋण परिसंपत्ति पुस्तिका ₹5.83 लाख करोड़ रही, जबकि पिछले वर्ष यह ₹5.67 लाख करोड़ थी। इसी प्रकार, अवधि के दौरान बकाया उधारियाँ ₹4.88 लाख करोड़ से बढ़कर ₹5.05 लाख करोड़ हो गईं, जिससे विवेकपूर्ण निधि प्रबंधन रणनीति बनाए रखते हुए ऋण वितरण की बढ़ी हुई गति को बनाए रखना संभव हुआ।

निधि संग्रहण : हमारी वित्तीय क्षमता को सुदृढ़ बनाना

अपने विकासात्मक दायित्वों का प्रभावी निष्पादन और निरंतर प्रभाव सुनिश्चित करने की आरईसी की क्षमता मूल रूप से पूंजी बाजारों तक दक्षतापूर्वक और प्रतिस्पर्धी दरों पर पहुँच बनाने पर निर्भर करती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने बाजार से ₹83,558 करोड़ की निधियाँ जुटाईं। इसमें विभिन्न मुद्राओं में बाह्य वाणिज्यिक उधारियों से ₹9,600 करोड़, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से क्रमशः ₹27,697 करोड़ और ₹4,118 करोड़ की दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक रुपये ऋण राशि, ₹3,000 करोड़ के वाणिज्यिक पत्र, ₹5,177.91 करोड़ के पूंजीगत लाभ कर छूट बांड तथा ₹30,882.50 करोड़ के संस्थागत बांड शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आरईसी ने सूचीबद्ध बांडों के माध्यम से ₹30,882 करोड़ की निधि 6.80 प्रतिशत वार्षिक लागत पर जुटाई, जो अन्य समान रेटिंग प्राप्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/संस्थाओं द्वारा जारी साधनों की दरों से 29 आधार अंक कम है। यह विविधीकृत वित्तपोषण पोर्टफोलियो परिचालनिक लचीलापन प्रदान करता है, पुनर्वित्तन जोखिम को कम करता है तथा विभिन्न आर्थिक चक्रों में ऋण वितरण को समर्थन देने की क्षमता सुनिश्चित करता है।

क्रेडिट रेटिंग पूंजी बाजारों तक पहुँच का आधार स्तंभ हैं तथा संस्थागत गुणवत्ता की स्पष्ट पुष्टि करती हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आरईसी के घरेलू ऋण साधनों ने भारत की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, अर्थात् क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च तथा इक्रा से सर्वोच्च "एएए" रेटिंग बनाए रखी तथा वर्ष के दौरान इनमें कोई अवनयन या संशोधन नहीं हुआ। यह रेटिंग स्थिरता निरंतर परिचालनिक प्रदर्शन

तथा सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन को दर्शाती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आरईसी को मूडीज़ से "बीएए3", फिच से "बीबीबी-" तथा जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से "बीबीबी+" रेटिंग प्राप्त है, जो भारत की संप्रभु रेटिंग के समकक्ष हैं। यह समानता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाती है कि अंतरराष्ट्रीय निवेशक आरईसी की ऋण गुणवत्ता को भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता के अनुरूप मानते हैं, जिससे हमें वैश्विक पूंजी तक ऐसी दरों पर पहुँच प्राप्त होती है जो किसी स्वतंत्र संस्था के जोखिम के बजाय संप्रभु स्तर की ऋण-योग्यता को प्रतिबिंबित करती हैं।

> ***"वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने सूचीबद्ध बांडों के माध्यम से ₹30,882 करोड़ की निधि 6.80 प्रतिशत वार्षिक लागत पर जुटाई, जो अन्य समान रेटिंग प्राप्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/संस्थाओं द्वारा जारी साधनों की दरों से 29 आधार अंक कम है।"***

सतत वित्तपोषण के प्रति आरईसी की प्रतिबद्धता भारत के जलवायु कार्रवाई एजेंडा के अनुरूप हरित बांडों के रणनीतिक उपयोग में परिलक्षित होती है। इन साधनों का आवंटन केवल हरित वित्त रूपरेखा में परिभाषित पात्र हरित परियोजनाओं के लिए किया जाता है, जिससे आरईसी नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता तथा सतत अवसंरचना विकास की दिशा में पूंजी प्रवाहित कर पाता है। प्रत्येक बांड की अवधि के दौरान प्राप्त राशि पात्र परियोजनाओं में निवेशित रहती है, जिसकी निगरानी सुदृढ़ आंतरिक प्रणालियों के माध्यम से की जाती है तथा जिसका बाह्य प्रमाणीकरण क्लाइमेट बांड्स स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा किया जाता है।

जोखिम प्रबंधन

आरईसी एक मजबूत और सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन ढांचे को बनाए रखना जारी रखे हुए है, जो न केवल लागू सांविधिक और विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि हितधारकों के विश्वास को भी सुदृढ़ करता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इस ढांचे को स्वतंत्र आईएसओ-आधारित मूल्यांकन के माध्यम से और मजबूत किया गया तथा कंपनी ने आईएसओ 31000:2018 के अनुरूपता-पत्र प्राप्त किया है, जिससे सभी प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों के साथ इसके सामंजस्य की पुनः पुष्टि होती है। आरईसी निरंतर सुधार पहलों, विकसित होती बाजार गतिशीलताओं और उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, तथा कर्मचारियों में जोखिम प्रबंधन संबंधी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित क्षमता निर्माण के केंद्रित प्रयासों के माध्यम से अपनी जोखिम प्रबंधन संस्कृति को और सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नवीकरणीय ऊर्जा एवं गैर-जीवाश्म ऊर्जा को प्रोत्साहन

भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान रिकॉर्ड 55 गीगावाट जोड़कर अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में ऐतिहासिक वृद्धि हासिल की। यह मजबूत प्रदर्शन वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता प्राप्त करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में सतत प्रगति को दर्शाता है, जो इसके 'पंचामृत' लक्ष्यों के अंतर्गत एक प्रमुख प्रतिबद्धता है। भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने 13,354 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाली 58 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, बीईएसएस और सौर पार्क परियोजनाओं को ₹85,008.57 करोड़ की कुल ऋण सहायता सहित स्वीकृति प्रदान की, जिनमें 2,240 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 5 बड़ी जलविद्युत परियोजनाएँ, 4,348.62 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 27 सौर ऊर्जा परियोजनाएँ, 500.90 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 9 पवन ऊर्जा परियोजनाएँ, 5,314.10 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 12 सौर+पवन+बीईएसएस हाइब्रिड परियोजनाएँ, 950 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 1 पम्प्ड स्टोरेज परियोजना, 3 बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और 1 सौर पार्क अवसंरचना परियोजना शामिल हैं।

पर्यावरण, सामाजिक एवं कॉर्पोरेट प्रशासन उत्कृष्टता

आरईसी ने पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन संबंधी स्थिरता को परिधीय उत्तरदायित्व के रूप में नहीं, बल्कि मूल्य सृजन की मूल संरचना के रूप में स्थापित किया है। ईएसजी आयामों में हमारा प्रदर्शन इस विश्वास को मापनीय दृढ़ता के साथ प्रदर्शित करता है। पर्यावरणीय मोर्चे पर आरईसी ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा ऋण परिसंपत्ति को बढ़ाकर लगभग ₹75,347 करोड़ कर दिया है, जो वर्ष-दर-वर्ष 30 प्रतिशत की वृद्धि है और अब हमारी कुल ऋण पुस्तिका का 13 प्रतिशत है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 10 प्रतिशत था। नवीकरणीय ऊर्जा की स्वीकृत क्षमता लगभग 66 गीगावाट है, जो प्रतिवर्ष 3.1 अरब परिपक्व वृक्षों के बराबर उत्सर्जन-निवारण क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। हमारी वित्तपोषित परियोजनाओं ने संचयी रूप से 7.6 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को टाला है, जो 6.1 मिलियन टन की तुलना में 24.6 प्रतिशत की वृद्धि है। यह प्रगति आरईसी को भारत के ऊर्जा संक्रमण और पंचामृत ढांचे के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का वित्तीय अग्रदूत बनाती है।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक स्तंभ भी समान रूप से परिमाणित और उद्देश्यपूर्ण है। आरईसी ने शून्य डेटा उल्लंघन और शून्य मानवाधिकार शिकायतें हासिल की हैं, जो हमारे उन्नत आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन तथा हाल ही में आईएसओ 31000:2018 ईआरएम मान्यता प्राप्त करने का प्रमाण है, जिससे आरईसी इस वैश्विक मानक को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का एनबीएफसी बन गया है।

> ***"आरईसी ने 505 भारतीय कंपनियों में एनएसई ईएसजी रेटिंग में सर्वोच्च रेटिंग प्राप्त की है।"***

कॉर्पोरेट सुशासन

जैसे-जैसे आरईसी अपनी कॉर्पोरेट सुशासन प्रथाओं को विकसित करता जा रहा है, हम हितधारकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने तथा सभी स्तरों पर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं। प्रत्येक ऋण और विक्रेता संबंधी निर्णय में ईएसजी मानदंडों को शामिल किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि शासन और स्थिरता व्यावसायिक व्यवहारों के केंद्र में बने रहें। आरईसी उत्तरदायी संसाधन उपयोग, पर्यावरणीय स्थिरता और सक्रिय सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से अपने सभी हितधारकों के लिए स्थायी मूल्य सृजित करने का प्रयास करता है।

भारत की नेट-जीरो उत्सर्जन यात्रा को गति देने के लिए हरित और समावेशी ऊर्जा वित्त को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित है।

डिजिटल परिवर्तन एवं वित्तीय नवाचार

आरईसी की सतत वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है। आरईसी ने मजबूत आंतरिक प्रणालियाँ, अनुशासित प्रक्रियाएँ और प्रौद्योगिकी-सक्षम ढांचे विकसित करने में

महत्वपूर्ण निवेश किया है, जो परिचालन दक्षता को बढ़ाते हैं और मापनीय मूल्य सृजित करते हैं।

परियोजना निगरानी दिशानिर्देश हमारी डिजिटल अवसंरचना का एक आधारस्तंभ हैं, जो प्रारंभिक ऋण आहरण से लेकर कमीशनिंग के बाद तक वित्तपोषित परियोजनाओं के पूरे जीवनचक्र में समय पर दृश्यता के लिए प्रौद्योगिकी-प्रेरित तंत्र स्थापित करते हैं। यह डिजिटल निगरानी ढांचा सहमत समय-सीमाओं के विरुद्ध प्रगति को ट्रैक करने, डेटा विश्लेषण के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर अवरोधों की पहचान करने, समय और लागत में वृद्धि को रोकने तथा सत्यापित जमीनी पूर्णता के साथ निधि निर्गम को संरेखित करने में सक्षम बनाता है। पूंजी अनुशासन और दृश्यता लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हम विचलन से सुरक्षा करते हैं और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करते हैं।

पाँच दशकों से अधिक के क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर आरईसी ने अपनी ऋण मूल्यांकन पद्धति को डिजिटाइज़ और मानकीकृत किया है, जो वित्तीय नवाचार को आगे बढ़ाती है। यह संरचित ज्ञान आधार हमें पारंपरिक ऋण देने से आगे बढ़कर एक विश्वसनीय तकनीकी और नीतिगत सलाहकार के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है, जो सरकारों को कार्यक्रम निर्माण और जटिल अवसंरचना पहलों के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करता है।

समझौता ज्ञापन रेटिंग एवं पुरस्कार

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अंतर्गत हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संदर्भ में कंपनी के प्रदर्शन को "उत्कृष्ट" रेटिंग दी गई है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए समझौता ज्ञापन रेटिंग लोक उद्यम विभाग से प्रतीक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आरईसी को व्यावसायिक प्रदर्शन, डिजिटल और प्रौद्योगिकी पहलों, स्थिरता और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्रों में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और मान्यताएँ प्राप्त हुईं, जिनसे शासन, हितधारक मूल्य सृजन और उत्तरदायी विकास में उत्कृष्टता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि हुई। कंपनी को मुंबई मेट्रो परियोजना के माध्यम से निम्न-कार्बन शहरी परिवहन वित्तपोषण में योगदान के लिए इकोनॉमिक टाइम्स इन्फ्रा लीडरशिप अवार्ड 2025 से भी सम्मानित किया गया और नवीकरणीय ऊर्जा खंड में मजबूत प्रदर्शन के लिए 5वें पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड्स 2025 में आरईसी को ग्रीन पीएसयू अवार्ड प्रदान किया गया। आरईसी एनएसई ईएसजी रेटिंग में शीर्ष-स्थान प्राप्त संस्था के रूप में वित्तीय क्षेत्र का नेतृत्व करता है और उसे स्कॉच ईएसजी अवार्ड 2025, सस्टेनेबिलिटी आइकन्स अवार्ड 2025, 5वां पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 सहित अन्य पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त, आरईसी को 'ईएसजी पहलों में उत्कृष्टता' श्रेणी के अंतर्गत सस्टेनेबिलिटी आइकन्स अवार्ड 2025 तथा 'खेलों को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट - सार्वजनिक क्षेत्र' श्रेणी के अंतर्गत इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 प्राप्त हुए। आरईसी की सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्धता को 'पीएसयू में सर्वश्रेष्ठ सीएसआर परियोजनाएँ' श्रेणी के अंतर्गत ग्लोबल सीएसआर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड्स में भी मान्यता मिली। ये मान्यताएँ मात्र अलंकरण नहीं हैं; यह दर्शाती हैं कि आरईसी वित्तीय प्रदर्शन और स्थिरता परिणामों के बीच सामंजस्य को पुनर्परिभाषित कर रहा है।

मिशन-प्रेरित शासन एवं नवाचार के माध्यम से भारत का ऊर्जा संक्रमण

अपने व्यावसायिक लक्ष्यों के अतिरिक्त, आरईसी विद्युत क्षेत्र के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत सरकार का एक विश्वसनीय भागीदार रहा है। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि बिजली देश के सबसे दूरस्थ कोनों तक पहुँच चुकी है। प्रमुख योजनाएँ अर्थात् दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिनके लिए आरईसी विद्युत मंत्रालय की नोडल एजेंसी था, सफलतापूर्वक पूर्ण हुईं और इन्होंने वास्तव में एक अधिक उज्ज्वल और समृद्ध भारत की नींव रखी है। विद्युत क्षेत्र अब आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन, उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कीमतों में कमी तथा दक्षता और सेवा वितरण के अनुकूलन के लिए तैयार है।

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना भारत सरकार द्वारा वितरण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख फ्लैगशिप पहल है। इस योजना का परिव्यय लगभग ₹3.03 लाख करोड़ है, जिसके मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय एटी एंड सी हानियों को 12-15 प्रतिशत तक कम करना और एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य करना है। ये दोनों विद्युत क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं। संशोधित वितरण क्षेत्र योजना का उद्देश्य वित्तीय रूप से स्थायी और परिचालन रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और वहनीयता में सुधार करना है।

आरईसी 19 राज्यों में नोडल एजेंसी के रूप में संशोधित वितरण क्षेत्र योजना से जुड़ा होने पर गर्व करता है। हानि न्यूनीकरण कार्य और स्मार्ट मीटरिंग कार्य संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के दो प्रमुख घटक हैं। इसके अतिरिक्त, यह योजना स्मार्ट मीटर डेटा का उपयोग करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने पर भी विशेष बल देती है। 31 मार्च 2026 तक, उन राज्यों के लिए ₹1,60,369 करोड़ की परियोजनाएँ, पीएमए शुल्क सहित, स्वीकृत की गई हैं जहाँ आरईसी नोडल एजेंसी है, जिनमें स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए ₹73,758 करोड़ और हानि न्यूनीकरण कार्यों के लिए ₹86,611 करोड़ शामिल हैं। स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के अंतर्गत आरईसी राज्यों को लगभग 11.10 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट उपभोक्ता मीटर, 34.35 लाख डीटी मीटर और 1.02 लाख फीडर मीटरों की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई है। आरईसी सरकार की अन्य पहल अर्थात् पावरथॉन में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जो भारत में विद्युत वितरण क्षेत्र की जटिल चुनौतियों के लिए प्रौद्योगिकी-प्रेरित समाधान खोजने हेतु एक राष्ट्रीय हैकाथॉन और नवाचार प्रतियोगिता है।

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

भारत सरकार ने सौर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने और आवासीय परिवारों को अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न करने में सक्षम बनाने के लिए पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य 1 करोड़ आवासीय परिवारों में रूफटॉप सौर प्रणालियाँ स्थापित करना है, जिससे प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त/कम लागत वाली बिजली उपलब्ध कराई जा सके। इसका लक्ष्य स्थापित क्षमता से 1,000 अरब यूनिट नवीकरणीय बिजली का उत्पादन करना है, जिससे इन रूफटॉप सौर परियोजनाओं के 25 वर्ष के जीवनकाल में कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन में 720 मिलियन टन की कमी होने की अपेक्षा है।

31 मार्च 2026 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कुल 68.81 लाख आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 33.64 लाख स्थापनाएँ पूर्ण की गईं, जिनमें 6.51 लाख घरों को कवर करने वाले आरडब्ल्यूए परिवार शामिल हैं। कुल स्थापित क्षमता 9.92 गीगावाट तक पहुँच गई और 24.75 लाख लाभार्थियों को ₹19,454.17 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता वितरित की गई है।

विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में आरईसी ने 'डिस्कॉम उपभोक्ता सेवा रेटिंग' के लिए एक ढांचा विकसित किया है, जिसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और कमियों वाले क्षेत्रों में प्रदर्शन सुधारने के उद्देश्य से डिस्कॉम को परिचालन मानकों के आधार पर रेट किया जाता है। आरईसी प्रमुख विनियामक मानकों पर आवधिक रिपोर्ट

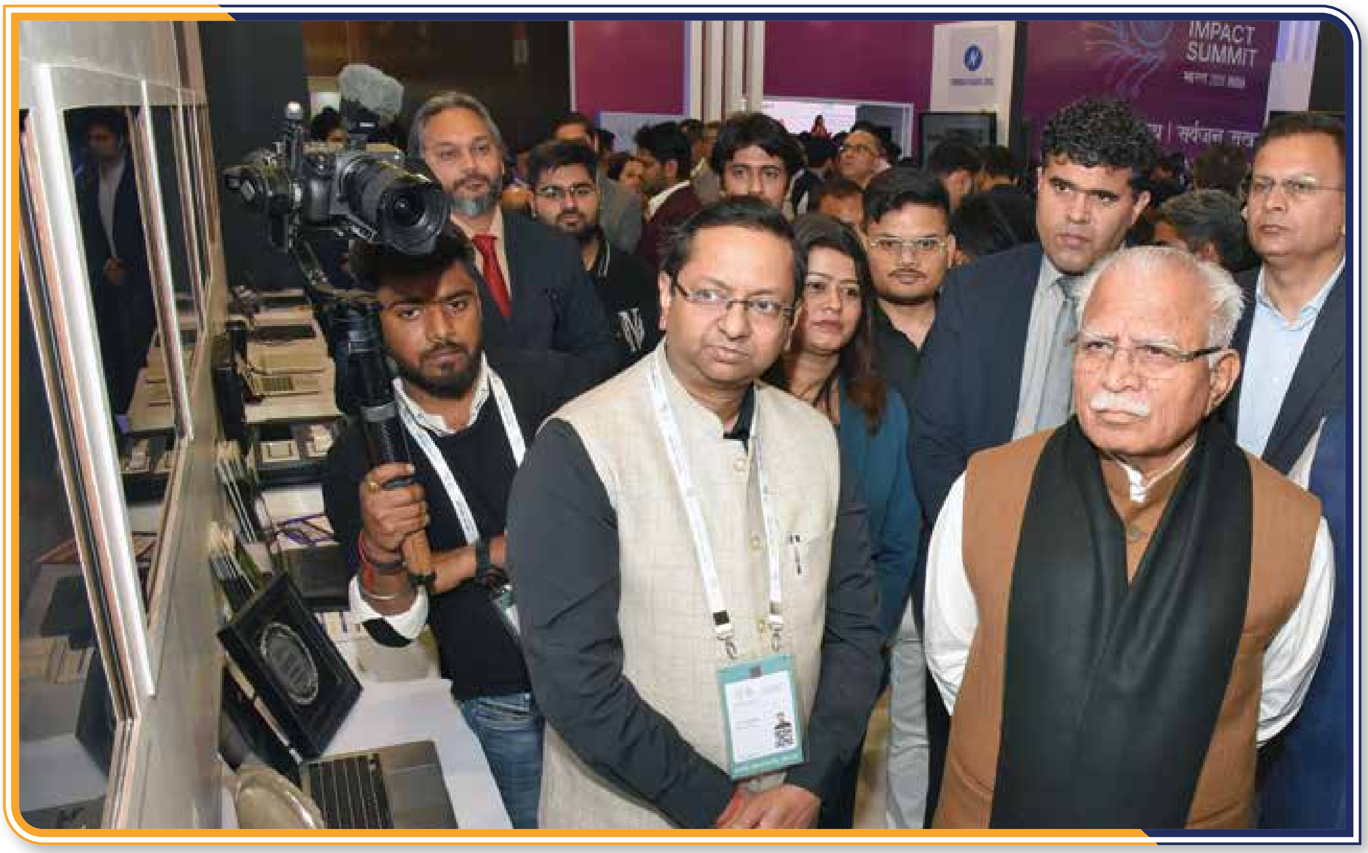

माननीय केंद्रीय मंत्री (विद्युत तथा आवासन एवं शहरी कार्य) श्री मनोहर लाल सहित आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव 'एआई इंपैक्ट समिट 2026' में उपस्थित ।

भी प्रकाशित कर रहा है, जो विभिन्न उपयोगिताओं के संकलन, बेंचमार्किंग और तुलनात्मक मूल्यांकन तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ सुधारात्मक उपायों को रेखांकित करने के माध्यम से विद्युत क्षेत्र को मार्गदर्शक प्रकाश प्रदान करती हैं।

पारंपरिक अवसंरचना से परे, समीक्षाधीन वर्ष ने वितरण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी-प्रेरित परिवर्तन को उत्प्रेरित करने में आरईसी के नेतृत्व की पुनः पुष्टि की। नवंबर 2024 में शुरू की गई पावरथॉन 2.0 पहल को 331 आवेदन प्राप्त हुए और इसने मांग पूर्वानुमान, नवीकरणीय एकीकरण और परिसंपत्ति प्रबंधन की सतत चुनौतियों का समाधान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और डिजिटल ट्विन्स का उपयोग करते हुए लगभग 28 पायलट परियोजनाएँ लागू कीं।

इंडिया एनर्जी स्टैक

भारत के विद्युत क्षेत्र में हो रहे सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक ऊर्जा पहुँच से ऊर्जा एजेंसी की ओर संक्रमण है, जहाँ उपभोक्ता केवल बिजली के प्राप्तकर्ता नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा पारितंत्र में सक्रिय सहभागी हैं। रूफटॉप सौर, स्मार्ट मीटर, भंडारण, विद्युत गतिशीलता और लचीली मांग के विकास के साथ, परिवार, किसान, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा समुदाय ऊर्जा बाजारों में बढ़ती भागीदारी कर सकते हैं, अपने उपभोग का अनुकूलन कर सकते हैं और अपने वितरित ऊर्जा संसाधनों का मौद्रीकरण भी कर सकते हैं।

इस संदर्भ में, विद्युत मंत्रालय की एक फ्लैगशिप पहल इंडिया एनर्जी स्टैक को विद्युत क्षेत्र के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिस प्रकार यूपीआई ने डिजिटल भुगतानों में क्रांति लाई और ओएनडीसी डिजिटल वाणिज्य को परिवर्तित कर रहा है, उसी प्रकार इंडिया एनर्जी स्टैक का उद्देश्य एक साझा डिजिटल आधार विकसित करना है, जो बिजली पारितंत्र में ऊर्जा डेटा के निर्बाध, सुरक्षित और विश्वसनीय आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है।

इंडिया एनर्जी स्टैक रजिस्टर-डिस्कवर-एक्सचेंज ढांचे का अनुसरण करता है, जिससे हितधारक खुले प्रोटोकॉल और सहमति-आधारित तंत्रों के माध्यम से डेटा का पंजीकरण, खोज और सुरक्षित आदान-प्रदान कर सकते हैं। यह परस्पर-संचालनीय, उपभोक्ता-केंद्रित और नवाचारी ऊर्जा सेवाओं के लिए एक साझा डिजिटल आधार तैयार करता है।

इंडिया एनर्जी स्टैक की परिवर्तनकारी क्षमता दो ऐतिहासिक पहलों के माध्यम से प्रदर्शित की गई। पहली पहल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में इंडिया एनर्जी स्टैक ढांचे के अंतर्गत भारत के पहले पीयर-टू-पीयर ऊर्जा लेनदेन का लाइव प्रदर्शन था, जिसमें यह दिखाया गया कि परिवार ऊर्जा बाजारों में सीधे भाग ले सकते हैं। इस पहल को उच्चतम स्तरों पर सराहना प्राप्त हुई, जिसमें भारत के माननीय प्रधानमंत्री से सराहना और मेरठ के किसान अरुण कुमार, जो पीयर-टू-पीयर प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ऊर्जा उद्यमी बने, के बारे में मन की बात में उल्लेख शामिल है; यह भारत के ऊर्जा संक्रमण को गति देने में डिजिटल नवाचार की भूमिका को रेखांकित करता है।

दूसरा मील का पत्थर भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट में कंज्यूमर एनर्जी पासपोर्ट का प्रदर्शन था। कंज्यूमर एनर्जी पासपोर्ट एक सुरक्षित डिजिटल प्रोफाइल है, जो उपभोक्ताओं को विद्युत क्षेत्र में नवाचार के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ सहमति के आधार पर अपनी ऊर्जा-संबंधित जानकारी तक पहुँचने और साझा करने में सक्षम बनाता है।

इन सफल प्रदर्शनों के आधार पर आरईसी ने वास्तविक उपयोगिता परिवेशों में इंडिया एनर्जी स्टैक को सत्यापित करने के लिए पायलट-प्रथम दृष्टिकोण अपनाया है। वर्तमान में चार डिस्कॉम में पायलट कार्यान्वयन चल रहे हैं, जिनमें पीयर-टू-पीयर ऊर्जा लेनदेन, वितरित ऊर्जा संसाधन दृश्यता, कंज्यूमर एनर्जी पासपोर्ट और मीटर डेटा डाइजेस्ट, तथा ऊर्जा डेटा एक्सचेंज जैसे प्रमुख उपयोग मामले शामिल हैं। ये पायलट प्रदर्शित कर रहे हैं कि परस्पर-संचालनीय डिजिटल अवसंरचना ग्रिड दृश्यता में सुधार कैसे कर सकती है, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को तेज कर सकती है, उपभोक्ताओं को सशक्त बना सकती है और विद्युत क्षेत्र में कृत्रिम

बुद्धिमत्ता-प्रेरित नवाचार के लिए आवश्यक विश्वसनीय डेटा आधार कैसे तैयार कर सकती है।

आगे चलकर, इंडिया एनर्जी स्टैक की सफलता व्यापक पारितंत्र सहभागिता पर निर्भर करेगी। उपयोगिताएँ, विनियामक, प्रौद्योगिकी कंपनियाँ, स्टार्टअप, शोधकर्ता, उद्योग निकाय और उपभोक्ता सभी मानकों को परिभाषित करने, योजनाएँ और एपीआई विकसित करने, कार्यान्वयन प्रतिक्रिया प्रदान करने और इंडिया एनर्जी स्टैक विनिर्देशों के आधार पर नवाचारी समाधान विकसित करने में योगदान दे सकते हैं। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण नए बाजारों को खोल सकता है, प्रणाली दक्षता में सुधार कर सकता है, आजीविका को समर्थन दे सकता है और लाखों छोटे ऊर्जा प्रतिभागियों के लिए अवसर सृजित कर सकता है।

इंडिया एनर्जी स्टैक के माध्यम से आरईसी न केवल वित्तपोषण के माध्यम से भारत के ऊर्जा संक्रमण का समर्थन कर रहा है, बल्कि भविष्य के विद्युत क्षेत्र की डिजिटल नींव बनाने में भी सहायता कर रहा है, जो अधिक विकेंद्रीकृत, पारदर्शी, सुदृढ़, उपभोक्ता-केंद्रित और नवाचार-प्रेरित होगा। यह हमें जीवंत स्टार्टअप पारितंत्र के और निकट लाता है तथा इस तीव्र गति से विकसित हो रहे क्षेत्र में नए बाजार-सृजन अवसर प्रदान करता है।

अनुषंगी कंपनी

आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है और यह विद्युत क्षेत्र में परियोजना कार्यान्वयन और परामर्श सेवाओं के व्यवसाय में संलग्न है, जैसे वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यों का कार्यान्वयन, ग्रिड/ऑफ-ग्रिड सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं का कार्यान्वयन और स्मार्ट मीटरों की स्थापना। आरईसीपीडीसीएल जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों में पारेषण परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, आरईसीपीडीसीएल समय-समय पर विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः सौंपे गए स्वतंत्र अंतर-राज्यीय और अंतर्राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाताओं के चयन हेतु "बोली प्रक्रिया समन्वयक" के रूप में भी कार्य करता है। प्रत्येक आवंटित स्वतंत्र अंतर-राज्यीय/अंतर्राज्यीय पारेषण परियोजना के विकास की शुरुआत करने के लिए आरईसीपीडीसीएल अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी के रूप में परियोजना-विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन का गठन करता है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशा-निर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के बाद, ऐसी अनुषंगियों को आरईसीपीडीसीएल द्वारा सभी परिसंपत्तियों और देयताओं सहित सफल बोलीदाता को हस्तांतरित कर दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आरईसीपीडीसीएल ने ₹501 करोड़ की आय दर्ज की और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कर पश्चात लाभ ₹79 करोड़ रहा।

नीतिगत पहलें

कंपनी व्यावसायिक मूल्य को बढ़ाने तथा सांविधिक आवश्यकताओं और संशोधनों को पूरा करने के लिए अपने नीतिगत ढांचे की नियमित समीक्षा, अद्यतन और सुदृढ़ीकरण करती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने विभिन्न नीतियों को लागू करने और संशोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग नीति और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति शामिल हैं।

कार्मिक एवं संस्कृति

> *"निवल ऋण-क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियाँ 31 मार्च 2025 के 0.38 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च 2026 को 0.12 प्रतिशत रह गईं।"*

आरईसी की निरंतर सफलता के मूल में विश्वस्तरीय कार्यबल के निर्माण और संवर्धन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। हम मानते हैं कि सतत मूल्य प्रदान करने और अपनी रणनीतिक पहलों को आगे बढ़ाने के लिए संलग्न और उच्च प्रदर्शन करने वाली टीम मौलिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आरईसी ने अपने पेशेवर आधार को मजबूत करने और उत्कृष्टता, सतत अधिगम तथा समावेशी विकास को महत्व देने वाली संगठनात्मक संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

वर्ष के दौरान भर्ती प्रयास मजबूत रहे हैं। प्रत्यक्ष भर्ती अभियानों के माध्यम से आरईसी ने देशभर से प्रतिभा को आकर्षित करते हुए और संगठन में नए दृष्टिकोण लाते हुए 36 कार्यपालकों की नियुक्ति की है। 31 मार्च 2026 तक कुल जनशक्ति 591 कर्मचारियों की रही, जिसमें 579 कार्यपालक और 12 गैर-कार्यपालक शामिल हैं।

प्रशिक्षण और विकास कार्मिक रणनीति में आधारस्तंभ गतिविधियाँ बनी हुई हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान 550 कर्मचारियों ने नेतृत्व विकास, कॉर्पोरेट प्रशासन, डिजिटल परिवर्तन, जोखिम प्रबंधन, स्थिरता और सांविधिक अनुपालन को समाहित करने वाले व्यापक अधिगम और विकास कार्यक्रमों में भाग लिया। इन पहलों से 2,783 प्रशिक्षण मानव-दिवस सृजित हुए, जिनमें 30 कर्मचारियों को लाभान्वित करने वाले अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से 150 से अधिक प्रशिक्षण मानव-दिवस शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, खेल और मनोरंजक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है, क्योंकि यह माना गया है कि स्वस्थ कार्यबल उत्पादक कार्यबल होता है। वर्ष के दौरान आरईसी ने अंतर-केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कैरम टूर्नामेंट की मेजबानी की और पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत आयोजित विभिन्न विद्युत क्षेत्र खेल आयोजनों में भाग लिया।

प्रत्यक्ष कार्यबल से आगे, मानव पूंजी विकास के प्रति आरईसी की प्रतिबद्धता आरईसीआईपीएमटी के माध्यम से व्यापक विद्युत क्षेत्र तक विस्तृत है, जो 1979 में स्थापित एक प्रमुख प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण संस्थान है। पिछले चार दशकों में आरईसीआईपीएमटी ने 86,000 से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है, जिससे भारतीय विद्युत क्षेत्र में तकनीकी, परिचालनिक और प्रबंधकीय क्षमताएँ महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ हुई हैं। विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में आरईसीआईपीएमटी ने 31 मार्च 2026 तक 113 अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, जिनसे 102 देशों के 1,936 कार्यपालक विकसित हुए हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नेतृत्व

आरईसी में हमारा विश्वास है कि सतत विकास के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व और समावेशी विकास के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए। एक उत्तरदायी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ दृढ़तापूर्वक संरेखित हैं और देशभर के समुदायों के लिए समानता, स्थिरता और मूल्य सृजन के सिद्धांतों से निर्देशित हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निदेशक मंडल ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, अवसंरचना विकास और सशस्त्र बलों के समर्थन से संबंधित प्रभावी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु ₹338.07 करोड़ का कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व बजट अनुमोदित किया।

आरईसी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व शाखा आरईसी फाउंडेशन ने स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, खेल और सशस्त्र बलों के समर्थन से संबंधित कई प्रभावशाली पहलें लागू की हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आरईसी ने देशभर में वंचित लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की खरीद और तैनाती की है, "सभी के लिए नेत्र देखभाल" पहलें संचालित की हैं, संकर नेत्र अस्पताल, चेन्नई के माध्यम से 8,000 लाभार्थियों की मोतियाबिंद शल्यक्रियाएँ सक्षम की हैं और भक्तिवेदांत अस्पताल, मथुरा में 5,000 फेकोइमल्सिफिकेशन शल्यक्रियाओं के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सहायता प्रदान की है। स्वास्थ्य अवसंरचना को उन्नत चिकित्सा उपकरणों की खरीद और स्थापना के माध्यम

से और मजबूत किया गया, जिनमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर में उन्नत हृदय-फेफड़ा मशीन, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर में रोगी परिचारकों के लिए 200 बिस्तरों वाले विश्राम सदन का निर्माण तथा 100 बिस्तरों वाले विश्राम सदन, बहुउद्देशीय हॉल और इनक्यूबेशन केंद्र का विकास और जिला अस्पतालों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, मुजफ्फरपुर में इनक्यूबेटरों की स्थापना शामिल है। 8,000 कृत्रिम अंगों और सहायक उपकरणों के वितरण के माध्यम से दिव्यांगजन का पुनर्वास भी एक प्रमुख हस्तक्षेप रहा।

> ***आरईसी ने भक्तिवेदांत अस्पताल, मथुरा में 5,000 फेकोइमल्सिफिकेशन शल्यक्रियाओं के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सहायता प्रदान की।***

शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में आरईसी ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में सरकारी स्कूलों में 300 सौर ऊर्जा संचालित स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की और वस्त्र निर्माण तथा उद्यमिता में 300 युवाओं को स्नातक डिग्री प्रदान करने के लिए लर्न एंड अर्न पहल शुरू की। विद्यालयी अवसंरचना को स्कूल बेंचों, बंक बेड और पुनर्चक्रित प्लास्टिक अपशिष्ट से बनी आरपीईटी टी-शर्ट की व्यवस्था के माध्यम से और समर्थन दिया गया। महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देते हुए परियोजना शक्ति पहल ने राजस्थान के अलवर में 3,000 से अधिक किशोरी बालिकाओं के लिए मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता जागरूकता को संबोधित किया।

अवसंरचना और सामुदायिक विकास पहलों में कई राज्यों में सभागारों, सामुदायिक सभागृहों, इनडोर स्टेडियमों और सार्वजनिक शौचालय परिसरों का निर्माण, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी स्ट्रीटलाइटों और सौर स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों की स्थापना तथा गोवा और तमिलनाडु में सौर ऊर्जा संयंत्रों का चालूकरण शामिल था। पर्यावरणीय स्थिरता को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, पशु कल्याण और रेबीज उन्मूलन पहलों तथा पर्यावरण-अनुकूल अवसंरचना के माध्यम से बढ़ावा दिया गया।

ये पहलें साझा मूल्य सृजित करने और मापनीय सामाजिक प्रभाव प्राप्त करने के प्रति आरईसी की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करती हैं।

विकसित भारत का मार्ग आलोकित करना

पिछले दो दशकों में भारत ने वह उपलब्धि हासिल की है जो कभी असंभव प्रतीत होती थी, सार्वभौमिक विद्युतीकरण, एकीकृत राष्ट्रीय ग्रिड और उत्पादन क्षमता में चार गुना विस्तार। जैसे-जैसे हम अब विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहे हैं, बिजली की मांग तेजी से बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति बिजली खपत, जो 2024-25 में लगातार बढ़कर लगभग 1,460 किलोवाट-घंटा हो गई है, का लक्ष्य 2030 तक 2,000 किलोवाट-घंटा से अधिक और 2047 तक 4,000 किलोवाट-घंटा से आगे बढ़ना है। यह वृद्धि केवल मात्रात्मक नहीं है, यह शहरीकरण, विनिर्माण वृद्धि, डिजिटलीकरण, ईवी अपनाने और जीवन गुणवत्ता में वृद्धि को दर्शाती है। हमारे सामने प्रश्न यह नहीं है कि मांग बढ़ेगी या नहीं, बल्कि यह है कि विद्युत प्रणाली, विशेषकर वितरण, इस वृद्धि को कितनी दक्षता, स्थिरता और वहनीयता के साथ समर्थन देगी।

आरईसी और पीएफसी का विलय

माननीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2026-27 में सार्वजनिक क्षेत्र के एनबीएफसी में पैमाना प्राप्त करने और दक्षता बढ़ाने के लिए आरईसी और पीएफसी के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया।

जैसे-जैसे भारत विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है, विद्युत क्षेत्र को पर्याप्त पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। समेकित आधार पर, विलयित इकाई को बेहतर तुलन-पत्र मजबूती, पूंजी दक्षताओं और परिचालनिक समन्वयों से लाभ मिलने की अपेक्षा है, जिससे विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में बड़े पैमाने पर वित्तपोषण और बेहतर ऋण प्रवाह सक्षम होगा।

आभार जब मैं हमारी प्रगति और उपलब्धियों पर विचार करता हूँ, तो मैं माननीय विद्युत मंत्री और माननीय विद्युत राज्य मंत्री के मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभारी हूँ। मैं विद्युत मंत्रालय के सचिव और अधिकारियों के सहयोग और दृष्टि के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, हमारी होल्डिंग कंपनी, इस पूरी यात्रा में एक महत्वपूर्ण भागीदार रही है।

मैं वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंजों और डिपॉजिटरीज़ को धन्यवाद देता हूँ। उनका समर्थन और मार्गदर्शन हमारे व्यवसाय की निरंतरता और वृद्धि के लिए आवश्यक रहा है।

मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, हमारे सांविधिक और सचिवीय लेखा परीक्षकों, रजिस्ट्रारों और उन सभी पेशेवरों की निगरानी से समर्थित है, जिन्होंने आरईसी को सहयोग देने में अपनी विशेषज्ञता और सूक्ष्म ध्यान का योगदान दिया है।

इसके अतिरिक्त, मैं अपने शेयरधारकों, डिबेंचर-धारकों, ऋणदाताओं, उधारकर्ताओं और ग्राहकों, जिनमें राज्य सरकारें, विद्युत संस्थाओं और निजी क्षेत्र भागीदार शामिल हैं, के प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ।

मैं निदेशक मंडल में अपने सहयोगियों का उनके विचारशील मार्गदर्शन और रणनीतिक योगदान के लिए तथा आरईसी टीम के सभी सदस्यों का उनके परिश्रम और प्रतिबद्धता के लिए आभारी हूँ।

धन्यवाद और जय हिंद।

शुभकामनाओं सहित

जितेन्द्र

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 29 जुलाई 2026

जितेन्द्र श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आरईसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003
कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट संख्या I-4, सेक्टर-29, गुरुग्राम, हरियाणा - 122001
दूरभाष: +91 124 444 1300 | **वेबसाइट:** www.recindia.com | **सीआईएन:** L40101DL1969GOI005095

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आरईसी लिमिटेड ("आरईसी"/"कंपनी") की सत्तावनवीं (57वीं) वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") **मंगलवार, 25 अगस्त, 2026 को सुबह 11.00 बजे** (भारतीय मानक समय (आईएसटी)) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसायों को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण व्यवसाय :

मद संख्या 1: 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करने, विचार करने, अनुमोदित करने और अपनाने के साथ-साथ निदेशक मंडल, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां भी प्राप्त करना

मद संख्या 2: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अंतरिम लाभांश के भुगतान पर ध्यान देना तथा अंतिम लाभांश घोषित करना।

मद संख्या 3: श्री शशांक मिश्र (डीआईएन: 08364288) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण, पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

मद संख्या 4: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना।

विशेष व्यवसाय:

मद संख्या 5: श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष (डीआईएन: 02772316) निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या उसके बिना **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना :

"**संकल्प लिया गया** कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 152, 196 और अन्य लागू प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियम 17 (1सी) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अन्य लागू प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों (किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित, जो वर्तमान में लागू हैं) के अनुसार, कंपनी के एसोसिएशन के लेख तथा विद्युत मंत्रालय ("एमओपी"), भारत सरकार द्वारा दिनांक 03 अक्टूबर, 2025 को जारी आदेश के अनुसरण में, श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष (डीआईएन: 02772316), जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर कंपनी के निदेशक (परियोजना) (अतिरिक्त निदेशक) ₹1,80,000-3,40,000 (आईडीए) के वेतनमान में, उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात 3 अक्टूबर, 2025 से उनकी अधिवर्षिता की तिथि अर्थात 31 मई, 2029 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, में नियुक्त किया गया है और जिनके संबंध में कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित सूचना प्राप्त हुई है, उन्हें एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त किया जाता है। उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के संबंध में जारी किए गए किसी भी अन्य आदेश के अधीन होगी तथा वे रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे।"

मद संख्या 6: श्री राजेश कुमार (डीआईएन: 06941428) निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या उसके बिना **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना :

"**संकल्प लिया गया** कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 152, 196 और अन्य लागू प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियम 17 (1सी) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अन्य लागू प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों (किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित, जो वर्तमान में लागू हैं) के अनुसार, कंपनी के एसोसिएशन के लेख तथा विद्युत मंत्रालय ("एमओपी"), भारत सरकार द्वारा दिनांक 2 अप्रैल, 2026 को जारी आदेश के अनुसरण में, राजेश कुमार (डीआईएन: 06941428), जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर कंपनी के निदेशक (परियोजना) (अतिरिक्त निदेशक), ₹1,80,000-3,40,000 (आईडीए) के वेतनमान में, उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात 2 अप्रैल, 2026 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, में नियुक्त किया गया है और जिनके संबंध में कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित सूचना प्राप्त हुई है, उन्हें एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त किया जाता है। उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के संबंध में जारी किए गए किसी भी अन्य आदेश के अधीन होगी तथा वे रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे।"

मद संख्या 7: श्री राजेश कुमार अग्रवाल (डीआईएन: 09699001) निदेशक के रूप में नियुक्ति का अनुमोदन ("पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नामित निदेशक")

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या उसके बिना **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना :

"**संकल्प लिया गया है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 152, 196 और अन्य लागू प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियम 17 (1सी) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अन्य लागू प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों (किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित, जो वर्तमान में लागू हैं) के अनुसार, कंपनी के एसोसिएशन के लेख तथा विद्युत मंत्रालय ("एमओपी"), भारत सरकार द्वारा दिनांक 6 मई, 2026 को जारी आदेश के अनुसरण में, श्री राजेश कुमार अग्रवाल (डीआईएन: 09699001), जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में 1 मई, 2026 से नियुक्त किया गया है, उनकी नियुक्ति को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है। उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के संबंध में जारी किए गए किसी भी अन्य आदेश के अधीन, और वे रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगी।"

मद संख्या 8: डॉ. अनिल कुमार गुप्ता (डीआईएन: 00442146) अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या उसके बिना, एक **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**संकल्प लिया गया** कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 149, 152 और अन्य लागू प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियम 17 (1सी) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अन्य लागू प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों (किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित, जो वर्तमान में लागू हैं) के अनुसार, कंपनी के एसोसिएशन के लेख और विद्युत मंत्रालय ("एमओपी"), भारत सरकार द्वारा दिनांक 22 जून, 2026 को जारी आदेश के अनुसरण में, डॉ. अनिल कुमार गुप्ता (डीआईएन: 00442146), जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर कंपनी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में 22 जून, 2026 से नियुक्त किया गया है और जिनके संबंध में कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के तहत निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, उन्हें एतद्द्वारा उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख अर्थात 22 जून, 2026 से तीन माह की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कंपनी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य आदेश के अधीन होगा और वे रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।"

मद संख्या 9: अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. कांचीअप्पन गायत्री देवी (डीआईएन: 07584524) की नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या उसके बिना, **एक विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**संकल्प लिया गया** कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 149, 152 और अन्य लागू प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियम 17 (1सी) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अन्य लागू प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों (किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित, जो वर्तमान में लागू हैं) के अनुसार, कंपनी के एसोसिएशन के लेख और विद्युत मंत्रालय ("एमओपी"), भारत सरकार द्वारा दिनांक 22 जून, 2026 को जारी आदेश के अनुसरण में, डॉ. कांचीअप्पन गायत्री देवी (डीआईएन: 07584524), जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर कंपनी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में 22 जून, 2026 से नियुक्त किया गया है और जिनके संबंध में कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के तहत निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, उन्हें एतद्द्वारा उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख अर्थात 22 जून, 2026 से तीन माह की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कंपनी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य आदेश के अधीन होगा और वे रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।"

मद संख्या 10: श्रीमती पूनम चौहान (डीआईएन: 11842802) अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या उसके बिना, एक **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**संकल्प लिया गया** कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 149, 152 और अन्य लागू प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियम 17 (1सी) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अन्य लागू प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों (किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित, जो वर्तमान में लागू हैं) के अनुसार, कंपनी के एसोसिएशन के लेख और विद्युत मंत्रालय ("एमओपी"), भारत सरकार द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2026 को जारी आदेश के अनुसरण में, श्रीमती पूनम चौहान (डीआईएन: 11842802), जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर कंपनी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में 21 जुलाई, 2026 से नियुक्त किया गया है और जिनके संबंध में कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के तहत निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, उन्हें एतद्द्वारा उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख अर्थात 20 जुलाई, 2026 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कंपनी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य आदेश के अधीन होगा और वे रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।"

मद संख्या 11: प्रतिभूतियों के निजी नियोजन के लिए अनुमोदन।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के, एक **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**संकल्प लिया गया** कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 42 तथा अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हों, और उसके अधीन बनाए गए नियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित, जो वर्तमान में लागू हैं) तथा अन्य लागू विधियों, जिनमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2021 तथा उसमें किए गए संशोधन और/अथवा अन्य लागू सेबी विनियम एवं दिशानिर्देश, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों/दिशानिर्देशों, कंपनी के ज्ञापन एवं अंतर्नियमों के उपबंधों के अनुसार तथा आवश्यकतानुसार अपेक्षित अनुमोदनों की प्राप्ति तथा ऐसे अन्य अनुमोदनों, अनुज्ञाओं एवं स्वीकृतियों, जो आवश्यक हों, जिनमें वर्तमान ऋणदाताओं/ऋणपत्रधारकों के न्यासियों का अनुमोदन भी शामिल है, यदि करार/विलेख की शर्तों के अधीन ऐसा अपेक्षित हो, तथा ऐसे अनुमोदन, अनुज्ञा एवं स्वीकृतियां प्रदान करते समय उनके द्वारा विहित अथवा अधिरोपित की जाने वाली शर्तों एवं परिवर्तनों के अधीन, जिन्हें कंपनी का निदेशक मंडल ("मंडल") अथवा मंडल की विधिवत् गठित कोई समिति अथवा मंडल द्वारा अनुमोदित कोई अन्य प्राधिकारी स्वीकार करे, एतद्द्वारा शेयरधारकों की सहमति एक या अधिक किश्तों में, इस संकल्प के पारित किए जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान, ₹1,40,000 करोड़ तक की राशि असुरक्षित/प्रतिभूत गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड /ऋणपत्रों के निजी नियोजन के माध्यम से जुटाने हेतु प्रदान की जाती हैउक्त निधि ऐसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से जुटाई जा सकेगी, जो कंपनी के बॉण्डधारक/ऋणपत्रधारक हों अथवा न हों, जैसा कि मंडल अथवा मंडल की विधिवत् गठित कोई समिति अथवा मंडल द्वारा अनुमोदित कोई अन्य प्राधिकारी अपने विवेकानुसार विनिश्चित करे, जिनमें पात्र निवेशक (चाहे निवासी और/अथवा अनिवासी तथा/अथवा संस्थाएं/निगमित निकाय तथा/अथवा व्यक्ति तथा/अथवा न्यासी तथा/अथवा बैंक अथवा अन्य, घरेलू और/अथवा एक अथवा अधिक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में) सम्मिलित होंगे, जिनमें अनिवासी भारतीय, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), उद्यम पूंजी निधियां, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधियां, पेंशन निधियां, विकास वित्तीय संस्थाएं, निगमित निकाय, कंपनियां, निजी अथवा

सार्वजनिक अथवा अन्य संस्थाएं, प्राधिकरण तथा इनमें से एक अथवा अधिक के किसी संयोजन में अन्य व्यक्ति शामिल हैं।यह भी निर्णीत किया जाता है कि उक्त निजी नियोजन एक अथवा अधिक किश्तों में किया जा सकेगा तथा इसमें ग्रीन-शू विकल्प का प्रयोग भी शामिल होगा (जैसा कि ऊपर उल्लिखित ₹1,40,000 करोड़ की समग्र सीमा के भीतर हो),यदि कोई हो, और यह ऐसे दिशानिर्देशों के अधीन तथा ऐसी शर्तों और नियमों पर किया जाएगा, जैसा कि लागू दिशानिर्देशों के अनुसार विनिश्चित किया जाए तथा जैसा कि मंडल अथवा मंडल की विधिवत् गठित कोई समिति अथवा मंडल द्वारा अनुमोदित कोई अन्य प्राधिकारी अंतिम रूप दे।"

"**आगे यह संकल्प भी लिया गया** कि असुरक्षित/प्रतिभूत गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड /ऋणपत्रों के किसी निजी नियोजन को प्रभावी करने के प्रयोजनार्थ, कंपनी का निदेशक मंडल ("मंडल") अथवा मंडल की विधिवत् गठित कोई समिति अथवा मंडल द्वारा अनुमोदित कोई अन्य प्राधिकारी एतद्द्वारा पृथक रूप से प्राधिकृत किया जाता है कि वह निर्गम के नियमों एवं शर्तों का निर्धारण करे, जिनमें उन निवेशकों के वर्ग का निर्धारण भी शामिल है जिन्हें बॉण्ड /ऋणपत्रों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक किश्त में आबंटित किए जाने वाले बॉण्ड /ऋणपत्रों की संख्या, निर्गम मूल्य, अवधि, ब्याज दर, उस समय प्रचलित बाजार मूल्य पर अधिमूल्य/बट्टा, निर्गम राशि, बॉण्डधारकों/ऋणपत्रधारकों के किसी वर्ग को निर्गम मूल्य पर बट्टा, सूचीबद्धता, निजी नियोजन प्रस्ताव-पत्र में शामिल किए जाने हेतु अपेक्षित किसी घोषणा/ वचनबद्धता आदि का निर्धारण करना तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विनियामक अपेक्षा के अधीन अपेक्षित सभी कार्य, विलेख एवं बातों को करना और निष्पादित करना।"

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते आरईसी लिमिटेड

दिनेश

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 29 जुलाई, 2026

दिनेश गर्ग
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

टिप्पणियाँ:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण, जिसमें संलग्न सूचना के मद संख्या 5 से 11 के अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, इसके साथ संलग्न है। कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 जुलाई, 2026 को आयोजित अपनी बैठकों में यह विचार किया कि सूचना के मद संख्या 5 से 11 में उल्लिखित विशेष व्यवसाय की मदें कंपनी की 57वीं वार्षिक आम बैठक में निष्पादित की जाएँगी।

2. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 22 सितंबर, 2025 को जारी परिपत्र तथा तत्संबंधी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों ("एमसीए परिपत्रों") और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों ("सेबी परिपत्रों") के आलोक में तथा अधिनियम और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के उपबंधों के अनुपालन में, कंपनी की 57वीं वार्षिक साधारण सभा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (वीसी/ओएवीएम) के जरिए आयोजित की जा रही है, जिसमें सदस्यों की किसी सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थिति नहीं होगी। 57वीं वार्षिक साधारण सभा के लिए कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अधिसूचित स्थल माना जाएगा।

3. ऊपर उल्लिखित एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति और प्रॉक्सी नियुक्त करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फॉर्म और रूट मैप इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं। हालाँकि, अधिनियम की धाराए 112 और 113 के अनुसरण में, वार्षिक आम बैठक (एजीएम)से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 57वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए सदस्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जा सकती है।

4. वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 57वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

5. संयुक्त धारकों द्वारा मतदान के मामले में, ऐसे संयुक्त धारक द्वारा मतदान, जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में उच्चतर है, इस बैठक के उद्देश्य के लिए हकदार होगा और गिना जाएगा।

6. उपरोक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुरूप, 57वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल आईडी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं। वार्षिक रिपोर्ट और नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.recindia.com. और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com. तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com. और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com.) पर भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, लिस्टिंग विनियमों के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, कंपनी उन शेयरधारकों को भी एक पत्र भेज रही है जिनके ई-मेल पते आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, जिसमें कंपनी की वेबसाइट का वेबलिंक प्रदान किया गया है जहां से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट को एक्सेस/देखा जा सकता है। कंपनी उन सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की व्यवस्था करेगी, जिन्होंने इसके लिए अनुरोध किया है।

7. कंपनी ने भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट और कंपनी के अन्य अपडेट प्राप्त करने के लिए अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत/अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित किए थे।

   जिन शेयरधारकों की अभी तक अपनी ई-मेल आईडी अपडेट नहीं की जा सकी है, वे ई-मेल आईडी के पंजीकरण के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:

   - यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट करें।
   - यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं, तो कृपया फोलियो नंबर, नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे और पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन कार्ड और आधार कार्ड का उल्लेख करते हुए virenders@alankit.com. या complianceofficer@recindia.com. पर ईमेल भेजें।

8. संस्थागत निवेशकों सहित कंपनी के सभी सदस्यों को वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और वार्षिक आम बैठक में निपटाए जाने वाले मदों पर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कॉर्पोरेट सदस्य/संस्थागत निवेशक, जो अधिनियम की धारा 113 के अनुसार अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने के लिए नियुक्त करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे बोर्ड के प्रस्ताव/प्राधिकरण पत्र की एक प्रमाणित प्रति, sachincs2022@gmail.com. पर ईमेल द्वारा संवीक्षक को भेजें, जिसकी एक प्रति evoting@nsdl.com. पर भी भेजी जाए।

9. कंपनी ने 57वीं वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय के मद(मदों) पर मतदान की पात्रता निर्धारित करने के लिए **कट-ऑफ** तिथि **मंगलवार, 18 अगस्त, 2026** निर्धारित की है, जैसा कि सूचना में विस्तृत है।

   कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.com. पर अनुरोध भेजकर ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि वह पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एन एस डी एल के साथ पंजीकृत है, तो वह वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। कोई भी शेयरधारक जो अपनी शेयरधारिता का निपटान इस प्रकार करता है कि वह कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं रहता है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

10. कंपनी सचिव, सचिन अग्रवाल (एफसीएस संख्या 5774) और उनकी अनुपस्थिति में, मैसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज से सीएस श्वेता जैन (एफसीएस संख्या 7152) को 57वीं एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के मदों के संबंध में शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है।

11. ऊपर उल्लिखित एमसीए और सेबी परिपत्रों के प्रावधानों, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम 2013 की धारा 108, लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों के अनुपालन में, कंपनी शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। जो शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

    एनएसडीएल रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 57वीं एजीएम में भागीदारी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से 57वीं एजीएम के दौरान मतदान की सुविधा प्रदान करेगा। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **शनिवार, 22 अगस्त, 2026 (0900 बजे) से शुरू होकर सोमवार, 24 अगस्त, 2026 (1700 बजे)** को समाप्त होगी। इसके बाद, मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

    सदस्य 57वीं वार्षिक आम बैठक (वीसी/ओएवीएम) में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से शामिल हो सकते हैं, जो 25 अगस्त, 2026 को सुबह 10:45 बजे (आईएसटी) से, यानी निर्धारित समय से 15 मिनट पहले, सदस्यों के लिए खुली रहेगी और कंपनी वीसी/ओएवीएम सुविधा में शामिल होने के लिए समय सीमा निर्धारित समय के 30 मिनट बाद, यानी वार्षिक आम बैठक की तिथि को सुबह 11:30 बजे तक बंद कर

सकती है। कृपया इस सूचना के साथ संलग्न रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 57वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और वार्षिक आम बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश देखें। कंपनी, लिस्टिंग विनियमों के अनुपालन में, एनएसडीएल की वेबसाइट पर वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की कार्यवाही का वेबकास्टिंग करेगी। सदस्य अपने सुरक्षित लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com. पर लॉग इन करके कार्यवाही देख सकते हैं।

12. कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 114 के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 123 और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ, समय-समय पर संशोधित, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए चार बार अंतरिम लाभांश घोषित और भुगतान किया है, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

क्र. सं.	विवरण	प्रति राशि इक्विटी शेयर (₹)	घोषणा की तिथि	भुगतान की तिथि
1.	पहला अंतरिम लाभांश	4.60	24 जुलाई, 2025	21 अगस्त, 2025
2.	दूसरा अंतरिम लाभांश	4.60	17 अक्टूबर, 2025	14 नवम्बर, 2025
3.	तीसरा अंतरिम लाभांश	4.60	26 जनवरी, 2026	27 फ़रवरी, 2026
4.	चौथा अंतरिम लाभांश	3.20	16 मार्च, 2026	30 मार्च, 2026

इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल ने 28 अप्रैल,2026 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹1.55 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की थी और उक्त लाभांश, यदि आगामी एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो कंपनी की 57वीं एजीएम की तारीख से तीस दिनों के भीतर सदस्यों को या उनके अधिदेश के अनुसार भुगतान किया जाएगा ,सदस्यों के लिए निम्नानुसार :

क) **शुक्रवार, 14 अगस्त, 2026 ('रिकॉर्ड तिथि')** को व्यावसायिक घंटों की समाप्ति के अनुसार, डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध कराए जा सकने वाले डेटा के अनुसार डिमटेरियलाइज्ड रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में सभी लाभकारी मालिकों के लिए।

ख) **शुक्रवार, 14 अगस्त, 2026 ('रिकॉर्ड तिथि')** को व्यावसायिक घंटों की समाप्ति के अनुसार कंपनी के साथ दर्ज वैध ट्रांसमिशन या ट्रांसपोज़िशन अनुरोधों को प्रभावी करने के बाद भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में सभी सदस्यों के लिए।

सेबी ने 23 जून, 2025 के अपने मास्टर परिपत्र और अन्य लागू परिपत्रों के माध्यम से, आरटीए द्वारा निवेशक सेवा अनुरोधों के प्रसंस्करण के लिए सामान्य और सरलीकृत मानदंड और पैन, केवाईसी (संपर्क विवरण, बैंक विवरण और नमूना हस्ताक्षर) और नामांकन विवरण प्रस्तुत करने के मानदंड निर्धारित किए हैं। सेबी परिपत्र के अनुसार, प्रतिभूतियों को भौतिक रूप में रखने वाले शेयरधारकों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पैन, केवाईसी और नामांकन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिन भौतिक फोलियो में उक्त विवरण उपलब्ध नहीं हैं, वे आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद ही शिकायत दर्ज करने या कोई सेवा अनुरोध करने के पात्र होंगे। ऐसे फोलियो के संबंध में लाभांश सहित कोई भी भुगतान 1 अप्रैल, 2024 से आवश्यक विवरण दर्ज करने पर केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम, 2025 ("आयकर अधिनियम") के अनुसार शेयरधारकों के हाथों में लाभांश आय कर योग्य है तथा कंपनी को आयकर अधिनियम के अंतर्गत विहित दरों पर लाभांश पर स्रोत पर कर कटौती ("टीडीएस") करना अपेक्षित है। कंपनी द्वारा घोषित किए जाने वाले लाभांश पर, यदि लागू हो, टीडीएस संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन को सुगम बनाने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रत्येक वर्ष विहित दस्तावेज https://alankitassignments.com/investor-charter/ वेबलिंक के माध्यम से अथवा virenders@alankit.com. पर ई-मेल द्वारा, जिसकी प्रति recigr@alankit.com. को प्रेषित की जाए, प्रस्तुत करें तथा अपनी आवासीय स्थिति, पैन, श्रेणी एवं अन्य प्रासंगिक विवरण अपडेट करें। इससे भावी लाभांश भुगतानों पर, जहां लागू हो, उपयुक्त दरों पर टीडीएस की कटौती सुनिश्चित की जा सकेगी।

इसके अलावा, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि लिस्टिंग विनियमों में हाल के संशोधनों के अनुसार, लाभांश का भुगतान विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा। चेक या वारंट जैसे भौतिक उपकरणों के माध्यम से लाभांश के प्रेषण के प्रावधान को बंद कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे लाभांश के निर्बाध क्रेडिट को सक्षम करने के लिए अपने बैंक खाते के विवरण को निम्नानुसार अपडेट करें:

- **डीमैट फॉर्म में रखे गए शेयरों के लिए:** कृपया अपने डीपी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में अपने बैंक विवरण को पंजीकृत या अपडेट करें।
- **भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए:** कृपया कंपनी के आरटीए से संपर्क करें और अपेक्षित दस्तावेज जमा करके अपने फोलियो में अपने केवाईसी और बैंक खाते के विवरण को पंजीकृत या अपडेट करें।

जिन सदस्यों ने अपने लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट को उसकी वैधता अवधि के भीतर प्राप्त/नकद नहीं गया है, वे ऐसे वारंट/डिमांड ड्राफ्ट के बदले ऑनलाइन भुगतान के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या कंपनी के आरटीए को लिख सकते हैं।

13. सूचीकरण विनियमों के विनियम 36 और सचिवीय मानक-2 के अंतर्गत अपेक्षित नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का संक्षिप्त बायोडाटा/प्रोफ़ाइल इसके साथ संलग्न हैऔर सूचना का हिस्सा है।

14. अधिनियम की धारा 139(5) के अनुसार, किसी सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा की जाती है और अधिनियम की धारा 142 के अनुसार, उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा एक आम बैठक में या कंपनी द्वारा एक आम बैठक में निर्धारित तरीके से तय किया जाएगा।

कंपनी की 56वीं वार्षिक आम बैठक, जो 27 अगस्त, 2025 को आयोजित हुई थी, में शेयरधारकों द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के साथ पठित धारा 142 के अनुसरण में निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण एवं अनुमोदन करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। तदनुसार, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों, अर्थात् मैसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तथा मैसर्स एससीवी एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, के मध्य समान रूप से विभाजित किए जाने हेतु ₹74,80,000/- (केवल चौहत्तर लाख अस्सी हजार रुपये) तथा लागू करों के भुगतान को अनुमोदित किया था।निदेशक मंडल ने यह भी अनुमोदित किया था कि उक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त, सांविधिक लेखापरीक्षकों को बाह्य स्टेशन लेखापरीक्षण कार्य के संबंध में वास्तविक युक्तियुक्त यात्रा भत्ता तथा जेब से किए गए व्यय का भुगतान भी किया जा सकता है, जैसा कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक (वित्त) द्वारा विनिश्चित किया जाए।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा किया जाना अभी शेष है।इसके अतिरिक्त, सदस्यों से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के ऐसे उपयुक्त पारिश्रमिक, जो उचित समझा जाए, के निर्धारण हेतु कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करें।

15. समय-समय पर संशोधित लिस्टिंग विनियमों के विनियम 40 के अनुसार, प्रतिभूतियों का हस्तांतरण, पारेषण और स्थानांतरण केवल डीमैट रूप में ही किया जाएगा। तदनुसार, सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने शेयरों को डीमैट रूप में ही रखें क्योंकि इससे भौतिक शेयर प्रमाणपत्रों के क्षतिग्रस्त/खो जाने और जालसाजी की संभावना समाप्त हो जाती है और शेयरों का कागज़ रहित

व्यापार आसान और सुविधाजनक हो जाता है। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए कंपनी या अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

क इसके अलावा, एक से अधिक फोलियो में समान नाम क्रम में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी या आरटीए को शेयर प्रमाणपत्रों सहित ऐसे फोलियो का विवरण भेजें और साथ ही अपनी होल्डिंग को एक फोलियो में समेकित करने के लिए आवश्यक केवाईसी दस्तावेज भी भेजें। शेयर प्रमाणपत्रों के समेकन के अनुरोधों को डीमैट रूप में संसाधित किया जाएगा।

ख सेबी ने 25 जनवरी, 2022 के अपने परिपत्र और अन्य लागू परिपत्रों के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों को सेवा अनुरोधों जैसे डुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करना; दावा करें शेयरों से दावा न किया गया सस्पेंस खाता; प्रतिभूति प्रमाणपत्र का नवीनीकरण/विनिमय; पृष्ठांकन; प्रतिभूति प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/विभाजन; प्रतिभूति प्रमाणपत्र/फोलियो का समेकन; पारेषण और स्थानांतरण पर कार्रवाई करते समय केवल डीमैट रूप में प्रतिभूतियां जारी करने का आदेश दिया है। इसलिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-4 जमा करके सेवा अनुरोध करें, जिसका प्रारूप कंपनी की वेबसाइट https://recindia.com/forms. और कंपनी के आरटीए की वेबसाइट https://alankitassignments.com/investor-charter. पर उपलब्ध है। कृपया ध्यान दें कि किसी भी सेवा अनुरोध पर शेयरधारकों द्वारा केवाईसी का अनुपालन करने के बाद ही कार्रवाई की जा सकती है।

ग सेबी के दिशानिर्देशों/परिपत्रों के अनुसार, सुरक्षा धारक जिनके फोलियो में पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर अपडेट नहीं हैं, वे पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के बाद ही आरटीए से शिकायत दर्ज करने या कोई सेवा अनुरोध प्राप्त करने के पात्र होंगे। तदनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से एक बार फिर अनुरोध किया जाता है कि वे पैन, केवाईसी विवरण और अन्य विवरण कंपनी के आरटीए को निर्धारित प्रपत्रों में तुरंत प्रस्तुत करें, जो कंपनी की वेबसाइट https://recindia.com/forms. या आरटीए (https://alankitassignments.com/investor-charter.) पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को भी इस संबंध में सूचना भेजी है। इसके अलावा, डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी के साथ अपने केवाईसी, बैंक और अन्य आवश्यक विवरण अपडेट करें।

16. चूंकि सेबी ने निवेशकों को भुगतान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मोड का उपयोग अनिवार्य कर दिया है, इसलिए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (एनईसीएस) / राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) / डायरेक्ट क्रेडिट मैंडेट या उसमें बदलाव जमा करें, ताकि कंपनी लाभांश का भुगतान कर सके। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध एनईसीएस / एनईएफटी / डायरेक्ट क्रेडिट मैंडेट फॉर्म को कंपनी के आरटीए को इस पते पर भेज सकते हैं यानी **अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, यूनिट: आरईसी लिमिटेड, 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055**। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक एनईसीएस / एनईएफटी / डायरेक्ट क्रेडिट मैंडेट फॉर्म सीधे अपने डीपी को भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट जनादेश फॉर्म सीधे अपने डीपी को भेज सकते हैं। जिन्होंने पहले ही एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट जनादेश फॉर्म को कंपनी/आरटीए/डीपी को पूरा विवरण के साथ प्रस्तुत कर दिया है, उन्हें इसे फिर से भेजने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि इसमें संशोधन/अद्यतन की आवश्यकता न हो।

17. सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, स्थानांतरण एवं वापसी) नियम, 2016 ("आईईपीएफ नियम") के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यदि लाभांश कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरण की तिथि से 7 वर्ष की अवधि के लिए नकदी नहीं किया जाता है, तो उसे निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि ("आईईपीएफ") में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, वे सभी शेयर जिनके लाभांश अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरण की तिथि से लगातार 7 वर्ष या उससे अधिक समय तक बिना दावे के रहे हैं, उन्हें भी आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसे देखते हुए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर कंपनी से अपने लाभांश का दावा करें। अधिनियम और आईईपीएफ नियमों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के पास पड़ी अवैतनिक और दावा न की गई राशियों का अपेक्षित विवरण कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.com.) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा, निवेशक-वार राशियों और शेयरों का विवरण, जो कंपनी द्वारा पहले ही आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया गया है, कंपनी की वेबसाइट यानी www.recindia.com. पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए दावा न किया गया अंतरिम लाभांश अप्रैल, 2027 में आईईपीएफ में स्थानांतरित होने के लिए देय होगा।

सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे वित्तीय वर्ष 2019-20 और उसके बाद के अंतिम लाभांश के संबंध में, यदि कोई हो, कंपनी के आरटीए, अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड यूनिट: आरईसी लिमिटेड, 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान, एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055 को अनुरोध भेजकर या + 91-11-42541234 पर कॉल करके या virenders@alankit.com. पर ईमेल करके अवैतनिक/लाभांश राशि का दावा करें। 2018-19 और इससे पहले के लाभांश से संबंधित अंतरिम लाभांश की राशि, कंपनी द्वारा पहले ही आईईपीएफ को स्थानांतरित कर दी गई है और तदनुसार, ऐसी राशि के संबंध में कोई भी दावा वैधानिक प्रावधानों के अनुसार सीधे आईईपीएफ प्राधिकरण को किया जाना है।

जिन सदस्यों के अवैतनिक लाभांश और/या शेयर आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिए गए हैं, वे कंपनी या आरटीए से संपर्क कर सकते हैं और पात्रता पत्र जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। सदस्य पात्रता पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं और लाभांश और/या शेयरों का दावा करने के लिए https://www.mca.gov.in. पर उपलब्ध आईईपीएफ -5 फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया कंपनी की वेबसाइट https://recindia.nic.in/iepf-details. देखें।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आईईपीएफ प्राधिकरण ने अपनी सूचना दिनांक 16 जुलाई, 2025 के माध्यम से कंपनियों से 100 दिवसीय अभियान - "सक्षम निवेशक" शुरू करने का अनुरोध किया, ताकि उन शेयरधारकों तक पहुंचा जा सके जिनके लाभांश का भुगतान/दावा नहीं किया गया है। इस पहल के अनुरूप, कंपनी ने शेयरधारकों को उनके अवैतनिक या दावा न किए गए लाभांश का दावा करने में सक्षम बनाने के लिए 28 जुलाई, 2025 से 6 नवंबर, 2025 तक 100 दिवसीय अभियान शुरू किया था।

100 दिनों के अभियान - "सक्षम निवेशक" का उद्देश्य शेयरधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना था कि वे अपने केवाईसी और अन्य विवरणों को अपडेट करें और किसी भी अवैतनिक या दावा न किए गए लाभांश का दावा करें इससे पहले कि वे आईईपीएफ में स्थानांतरित हो जाएं।

18. सेबी परिपत्र दिनांक 30 जनवरी, 2026 के संदर्भ में, 1 अप्रैल, 2019 से पहले बेची/खरीदी गई भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और डीमैटरलाइजेशन ("डीमैट") के लिए 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027 तक एक वर्ष की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है। विशेष विंडो उन हस्तांतरण अनुरोधों के लिए भी उपलब्ध होगी जो पहले प्रस्तुत किए गए थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया में कमी/अन्यथा के कारण अस्वीकार/वापस कर दिए गए/भाग नहीं लिए गए थे। इसके अलावा, इस प्रकार स्थानांतरित प्रतिभूतियों को अनिवार्य रूप से केवल डीमैट मोड में अंतरिती को जमा किया जाएगा और हस्तांतरण के पंजीकरण की तारीख से

एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक-इन में होगा। ऐसी प्रतिभूतियों को उक्त लॉक-इन अवधि के दौरान स्थानांतरित /ग्रहणाधिकार-चिह्नित/गिरवी नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा, जिन प्रतिभूतियों को आईईपीएफ में स्थानांतरित किया गया है, उन्हें प्रसंस्करण के लिए इस विंडो के तहत नहीं माना जाएगा।

19. अधिनियम की धारा 72 के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यों को उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में नामांकन करने की सुविधा उपलब्ध है। जिन सदस्यों ने अभी तक अपना नामांकन पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे फॉर्म संख्या एसएच-13 जमा करके नामांकन दर्ज कराएँ। यदि कोई सदस्य पूर्व नामांकन से बाहर निकलना या उसे रद्द करके नया नामांकन दर्ज कराना चाहता है, तो वह फॉर्म आईएसआर-3 या एसएच-14, जैसा भी मामला हो, जमा करा सकता है। उक्त फॉर्म कंपनी की वेबसाइट https://recindia.com/forms. से डाउनलोड किए जा सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि यदि शेयर उनके पास डीमैट रूप में हैं, तो वे उक्त विवरण अपने डीपी को और यदि शेयर भौतिक रूप में हैं, तो कंपनी के आरटीए को जमा कराएँ।

20. अधिनियम के तहत निर्धारित वैधानिक रजिस्टर और सूचना में उल्लिखित सभी दस्तावेज़, इस सूचना के प्रसारित होने की तिथि से लेकर वार्षिक आम बैठक की तिथि अर्थात 25 अगस्त, 2026 तक, सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। उक्त दस्तावेज़ों के निरीक्षण के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी को complianceofficer@recindia.com. पर एक ई-मेल भेजें।

21. इस बैठक के किसी भी कार्य-वस्तु के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सहित एक ई-मेल complianceofficer@recindia.com. पर वार्षिक आम बैठक की तिथि से कम से कम सात दिन पहले भेजें और कंपनी द्वारा उसका उचित उत्तर दिया जाएगा।

22. वार्षिक आम बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मतदान की समाप्ति के बाद, संवीक्षक, इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से बैठक में डाले गए मतों का मूल्यांकन करेगा, उसके बाद, दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए मतों को अनब्लॉक करेगा और एक समेकित संवीक्षक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे बैठक के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।

23. ई-वोटिंग के परिणाम, जिसमें प्रत्येक प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में डाले गए मतों की संख्या, अमान्य मत और प्रस्ताव लागू हुआ है या नहीं, संवीक्षक रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.com.) और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com.) पर अपलोड किए जाएँगे और निर्धारित समय-सीमा के भीतर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी प्रस्तुत किए जाएँगे। इसके अलावा, यदि प्रस्ताव शेयरधारकों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो उसे 57वीं वार्षिक आम बैठक की तिथि को पारित माना जाएगा।

24. जो सदस्य वार्षिक आम बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर सहित complianceofficer@recindia.com. पर **शनिवार, 22 अगस्त, 2026 (शाम 5:00 बजे आईएसटी)** तक अनुरोध भेजकर स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत करा सकते हैं। जिन सदस्यों ने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें केवल वार्षिक आम बैठक के दौरान ही अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। कंपनी वार्षिक आम बैठक के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

25. सेबी ने 31 जुलाई, 2023 और 4 अगस्त, 2023 के परिपत्रों के माध्यम से, 31 जुलाई, 2023 के मास्टर परिपत्र और अन्य सभी लागू परिपत्रों (उनके अद्यतन/संशोधन सहित) के साथ पठित, भारतीय प्रतिभूति बाजार में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए एक सामान्य ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल ("ओडीआर पोर्टल") स्थापित किया है। उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार, आरटीए/कंपनी के साथ सीधे और मौजूदा स्कोर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी शिकायतों का समाधान करने के विकल्प समाप्त होने के बाद, निवेशक ओडीआर पोर्टल (https://smartodr.in/login.) के माध्यम से विवाद समाधान शुरू कर सकते हैं और इसे कंपनी की वेबसाइट https://recindia.com /smart-odr-portal. के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है।

26. धोखाधड़ी वाले लेनदेन को रोकने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी बरतें और किसी भी सदस्य के पते में बदलाव या निधन के बारे में जल्द से जल्द कंपनी को सूचित करें। सदस्यों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खाते को लंबे समय तक निष्क्रिय न छोड़ें। संबंधित डीपी से होल्डिंग्स का आवधिक विवरण प्राप्त किया जाना चाहिए और समय-समय पर होल्डिंग्स का सत्यापन किया जाना चाहिए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार विवरण

निम्नलिखित विवरण में सूचना में उल्लिखित विशेष व्यवसायों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं।

मद संख्या 5: श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष (डीआईएन: 02772316) की निदेशक परियोजना के रूप में नियुक्ति।

आरईसी एक सरकारी कंपनी है और इसके संघ के अनुच्छेदों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के अध्यक्ष/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उपाध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक और अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से अन्य निदेशकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। इसके अलावा, लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17(1सी) के अनुसार, निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदनअगली आम बैठक में प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने दिनांक 3 अक्टूबर, 2025 के अपने आदेश के माध्यम से श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष , (डीआईएन: 02772316), जो पहले कंपनी में कार्यकारी निदेशक (इंजीनियरिंग) के रूप में कार्यरत थे, को आरईसी के निदेशक (परियोजना) के रूप में ₹ 1,80,000 - ₹ 3,40,000 (आईडीए) के वेतनमान पर, पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 31 मई, 2029 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया है। श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष ने दिनांक 3 अक्टूबर, 2025 से निदेशक (परियोजना) का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

इसके अलावा, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष को कंपनी के निदेशक (परियोजनाएं) (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है, जो 3 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगा, जो शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होगा। लिस्टिंग विनियमों और सचिवीय मानक-2 के संदर्भ में श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष का संक्षिप्त परिचय इस सूचना के साथ संलग्न है।

कंपनी के एसोसिएशन के नियमों के अनुसार, श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा, उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें 3 अक्टूबर, 2025 के विद्युत मंत्रालय आदेश और/या भारत सरकार द्वारा जारी किए गए किसी अन्य आदेश द्वारा नियंत्रित होंगी।

श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और उन्होंने यह भी घोषित किया है कि उन्हें सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। इसके अलावा, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है और उनका कंपनी के किसी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा, कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अनुसार निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए एक लिखित सूचना प्राप्त हुई है।

इस प्रस्ताव से संबंधित सभी दस्तावेज इस सूचना के प्रसारित होने की तिथि से लेकर वार्षिक आम बैठक की तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 3 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी रूप से श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष को निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा इस सूचना के मद संख्या 5 पर साधारण प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश की है।

श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष को छोड़कर, किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी या उनके रिश्तेदारों का उक्त साधारण प्रस्ताव पारित करने में कोई वित्तीय या अन्य हित या सरोकार नहीं है, सिवाय कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा के।यदि कोई हो।

उपरोक्त के मद्देनजर, इस सूचना के मद संख्या 5 में दिए गए साधारण प्रस्ताव को पारित करके, श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष को कंपनी के निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

मद संख्या 6: श्री राजेश कुमार (डीआईएन:06941428) की निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति।

आरईसी एक सरकारी कंपनी है और इसके एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के अध्यक्ष/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उपाध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक और अन्य निदेशकों को अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से नियुक्त करने का अधिकार है। इसके अलावा, लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17(1सी) के अनुसार, निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने दिनांक 2 अप्रैल, 2026 के अपने आदेश के माध्यम से श्री राजेश कुमार, (डीआईएन: 06941428), जो पहले कंपनी में कार्यपालक निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत थे, को आरईसी के निदेशक (वित्त) के रूप में ₹ 1,80,000 - ₹ 3,40,000 (आईडीए) के वेतनमान पर, पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया है। श्री राजेश कुमार ने दिनांक 2 अप्रैल, 2026 से निदेशक (वित्त) का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

इसके अलावा, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, कंपनी के निदेशक मंडल ने शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन, 2 अप्रैल, 2026 से कंपनी के निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में श्री राजेश कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। लिस्टिंग विनियमों और सचिवीय मानक-2 के संदर्भ में श्री राजेश कुमार का संक्षिप्त परिचय इस सूचना के साथ संलग्न है।

कंपनी के संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार, श्री राजेश कुमार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा, उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें 2 अप्रैल, 2026 के एमओपी के आदेश और और/या भारत सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश द्वारा शासित होंगी।

श्री राजेश कुमार अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं । उन्होंने यह भी घोषणा की है कि उन्हें सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है और वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। इसके अलावा, वह कंपनी के किसी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी से संबंधित नहीं हैं। कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अनुसार निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए एक लिखित सूचना प्राप्त हुई है।

इस व्यावसायिक प्रस्ताव से संबंधित सभी दस्तावेज़ इस सूचना के प्रसारित होने की तिथि से लेकर वार्षिक आम बैठक की तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 2 अप्रैल, 2026 से प्रभावी, श्री राजेश कुमार को निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा इस सूचना के मद संख्या 6 पर साधारण संकल्प पारित करने की सिफारिश की है।

श्री राजेश कुमार को छोड़कर, किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी या उनके रिश्तेदारों का उक्त साधारण संकल्प पारित करने में कोई वित्तीय या अन्य हित या सरोकार नहीं है, सिवाय कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा के।यदि कोई हो।

उपरोक्त के मद्देनजर, इस सूचना के मद संख्या 6 में दिए गए साधारण संकल्प को पारित करके, श्री राजेश कुमार को कंपनी के निदेशक(वित्त) के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

मद संख्या 7: श्री राजेश कुमार अग्रवाल (डीआईएन: 09699001) को निदेशक ("पीएफसी के नामित निदेशक") के रूप में नियुक्ति को मंजूरी देना।

आरईसी एक सरकारी कंपनी है और इसके एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के अध्यक्ष/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उपाध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक और अन्य निदेशकों को अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से नियुक्त करने का अधिकार है। इसके अलावा, लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17(1सी) के अनुसार, निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने दिनांक 6 मई, 2026 के अपने पत्र के माध्यम से श्री राजेश कुमार अग्रवाल (डीआईएन: 09699001) को आरईसी के बोर्ड में पीएफसी के नामित निदेशक के रूप में 1 मई, 2026 से नियुक्त किया है।

इसके अलावा, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, कंपनी के निदेशक मंडल ने शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन, 1 मई, 2026 से प्रभावी, श्री राजेश कुमार अग्रवाल को पीएफसी के नामित निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। लिस्टिंग विनियमों और सचिवीय मानक-2 के संदर्भ में श्री राजेश कुमार अग्रवाल का संक्षिप्त परिचय इस सूचना के साथ संलग्न है।

कंपनी के संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार, श्री राजेश कुमार अग्रवाल रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा, उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें 6 मई, 2026 के एमओपी के आदेश और और/या भारत सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश द्वारा शासित होंगी।

श्री राजेश कुमार अग्रवाल अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं । उन्होंने यह भी घोषणा की है कि उन्हें सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है और वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। इसके अलावा, वह कंपनी के किसी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी से संबंधित नहीं हैं।

इस व्यावसायिक प्रस्ताव से संबंधित सभी दस्तावेज़ इस सूचना के प्रसारित होने की तिथि से लेकर वार्षिक आम बैठक की तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 1 मई, 2026 से प्रभावी आरईसी के निदेशक मंडल में पीएफसी के नामित निदेशक के रूप में श्री राजेश कुमार अग्रवाल की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है तथा कंपनी के शेयरधारकों द्वारा इस सूचना के मद संख्या 7 में उल्लिखित साधारण संकल्प को पारित किए जाने की सिफारिश की है।

श्री राजेश कुमार अग्रवाल को छोड़कर, किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी या उनके रिश्तेदारों का उक्त साधारण संकल्प पारित करने में कोई वित्तीय या अन्य हित या सरोकार नहीं है, सिवाय कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा के। यदि कोई हो।

उपरोक्त के मद्देनजर, इस सूचना की मद संख्या 7 में निर्धारित साधारण संकल्प पारित करके कंपनी के बोर्ड में श्री राजेश कुमार अग्रवाल को पीएफसी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

मद संख्या 8: डॉ. अनिल कुमार गुप्ता (डीआईएन: 00442146) की अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति ॥

आरईसी एक सरकारी कंपनी है और इसके एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के अध्यक्ष/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उपाध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक और अन्य निदेशकों को अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से नियुक्त करने का अधिकार है। इसके अलावा, लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17(1सी) के अनुसार, निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने दिनांक 22 जून, 2026 के अपने आदेश के माध्यम से डॉ. अनिल कुमार गुप्ता को आरईसी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया है। इसके अलावा, वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के बाद और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, कंपनी के निदेशक मंडल ने शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन, कंपनी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में डॉ. अनिल कुमार गुप्ता की नियुक्ति को 22 जून, 2026 से प्रभावी करने के लिए मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि यानी 22 जून, 2026 से तीन महीने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक रहेगा।

लिस्टिंग विनियमों तथा सचिवीय मानक-2 के अनुसार डॉ. अनिल कुमार गुप्ता का संक्षिप्त परिचय इस सूचना के साथ संलग्न है।कंपनी के अंतर्नियमों तथा लागू सांविधिक उपबंधों के अनुसार डॉ. अनिल कुमार गुप्ता रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के उत्तरदायी नहीं होंगे।इसके अतिरिक्त, उनकी नियुक्ति के नियम एवं शर्तें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 22 जून, 2026 के आदेश तथा/अथवा भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए जाने वाले किसी अन्य आदेश द्वारा शासित होंगी।

डॉ. अनिल कुमार गुप्ता अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं तथा वे कंपनी के प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।उन्होंने यह घोषणा भी की है कि उन्हें सेबी अथवा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से वंचित नहीं किया गया है तथा वे अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्तहोने के लिए अयोग्य नहीं हैं।इसके अतिरिक्त, उनका कंपनी के किसी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है।कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अनुसार निदेशक पद हेतु उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित सूचना प्राप्त हुई है।

इस व्यावसायिक प्रस्ताव से संबंधित सभी दस्तावेज़ इस सूचना के प्रसारित होने की तिथि से लेकर वार्षिक आम बैठक की तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

कंपनी के निदेशक मंडल ने डॉ. अनिल कुमार गुप्ता को 22 जून, 2026 से प्रभावी अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा इस नोटिस के मद संख्या 8 पर विशेष संकल्प पारित करने की सिफारिश की है

डॉ. अनिल कुमार गुप्ता को छोड़कर, किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी या उनके रिश्तेदारों का उक्त साधारण संकल्प पारित करने में कोई वित्तीय या अन्य हित या सरोकार नहीं है, सिवाय कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा के।यदि कोई हो।

उपरोक्त के मद्देनजर, कंपनी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. अनिल कुमार गुप्ता की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रस्ताव है, इस सूचना की मद संख्या 8 में निर्धारित विशेष संकल्प पारित करके।

मद संख्या 9: डॉ. कांचियाप्पन गायत्री देवी (डीआईएन: 07584524) की अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।

आरईसी एक सरकारी कंपनी है और इसके एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के अध्यक्ष/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उपाध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक और अन्य निदेशकों को अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से नियुक्त करने का अधिकार है। इसके अलावा, लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17(1सी) के अनुसार, निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने दिनांक 22 जून, 2026 के अपने आदेश के माध्यम से डॉ. कांचियाप्पन गायत्री देवी को आरईसी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया है। इसके अलावा, वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के बाद और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, कंपनी के निदेशक मंडल ने शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन, कंपनी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में डॉ. कांचियाप्पन घयात्री देवी की नियुक्ति को 22 जून, 2026 से प्रभावी करने के लिए मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि यानी 22 जून, 2026 से तीन महीने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक रहेगा।

लिस्टिंग विनियमों तथा सचिवीय मानक-2 के अनुसार डॉ. कांचियाप्पन घयात्री देवी का संक्षिप्त परिचय इस सूचना के साथ संलग्न है।कंपनी के अंतर्नियमों तथा लागू सांविधिक उपबंधों के अनुसार डॉ. कांचियाप्पन घयात्री देवी रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के उत्तरदायी नहीं होंगे।इसके अतिरिक्त, उनकी नियुक्ति के नियम एवं शर्तें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 22 जून, 2026 के आदेश तथा/अथवा भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए जाने वाले किसी अन्य आदेश द्वारा शासित होंगी।

डॉ. कांचियाप्पन गायत्री देवी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती हैं और वह कंपनी के प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि उन्हें सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वह कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। इसके अलावा, वह कंपनी के किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं हैं। कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अनुसार निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए एक लिखित सूचना प्राप्त हुई है।

इस व्यावसायिक प्रस्ताव से संबंधित सभी दस्तावेज़ इस सूचना के प्रसारित होने की तिथि से लेकर वार्षिक आम बैठक की तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 22 जून , 2026 से डॉ. कांचियाप्पन गायत्री देवी को अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा इस सूचना के मद संख्या 9 पर विशेष प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश की है।

डॉ. कांचियाप्पन गायत्री देवी को छोड़कर, किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का उक्त विशेष संकल्प पारित करने में कोई वित्तीय या अन्य हित या सरोकार नहीं है, सिवाय कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस सूचना के मद संख्या 9 पर दिए गए विशेष संकल्प को पारित करके डॉ. कांचियाप्पन गायत्री देवी को कंपनी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

मद संख्या 10: श्रीमती पूनम चौहान (डीआईएन: 11842802) की अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।

आरईसी एक सरकारी कंपनी है और इसके एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के अध्यक्ष/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उपाध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक और अन्य निदेशकों को अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से नियुक्त करने का अधिकार है। इसके अलावा, लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17(1सी) के अनुसार, निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने दिनांक 20 जुलाई, 2026 के अपने आदेश के माध्यम से श्रीमती पूनम चौहान को आरईसी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया है। इसके अलावा, वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के बाद और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, कंपनी के निदेशक मंडल ने शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन, श्रीमती पूनम चौहान को कंपनी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में 21 जुलाई, 2026 से प्रभावी होने के लिए मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, उनका कार्यकाल उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक होगा।

लिस्टिंग विनियमों और सचिवीय मानक-2 के संदर्भ में श्रीमती पूनम चौहान का संक्षिप्त परिचय इस सूचना के साथ संलग्न है। कंपनी के संघ के लेखों और लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, श्रीमती पूनम चौहान रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगी। इसके अलावा, उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें एमओपी आदेश दिनांक 20 जुलाई, 2026 और/या भारत सरकार द्वारा जारी किए गए किसी अन्य आदेश द्वारा शासित होंगे।

श्रीमती पूनम चौहान अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती हैं और वह कंपनी के प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि उन्हें सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वह कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। इसके अलावा, वह कंपनी के किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं हैं। कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अनुसार निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए एक लिखित सूचना प्राप्त हुई है।

इस व्यावसायिक प्रस्ताव से संबंधित सभी दस्तावेज़ इस सूचना के प्रसारित होने की तिथि से लेकर वार्षिक आम बैठक की तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 21 जुलाई , 2026 से श्रीमती पूनम चौहान को अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा इस सूचना के मद संख्या 10 पर विशेष संकल्प पारित करने की सिफारिश की है।

श्रीमती पूनम चौहान को छोड़कर, किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का उक्त विशेष संकल्प पारित करने में कोई वित्तीय या अन्य हित या सरोकार नहीं है, सिवाय कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस सूचना के मद संख्या 10 पर दिए गए विशेष संकल्प को पारित करके श्रीमती पूनम चौहान को कंपनी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

मद संख्या 11: प्रतिभूतियों के निजी नियोजन हेतु अनुमोदन।

कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियम, 2014 के नियम 14 और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 18 के साथ पठित अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का निजी नियोजन तब तक नहीं करेगी जब तक कि प्रतिभूतियों के प्रस्तावित प्रस्ताव या प्रतिभूतियों की सदस्यता के लिए निमंत्रण को कंपनी के शेयरधारकों द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव या निमंत्रण के लिए एक विशेष संकल्प द्वारा पूर्व अनुमोदित नहीं किया गया हो। हालाँकि, "गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर" के प्रस्ताव या आमंत्रण के मामले में, यह पर्याप्त होगा यदि कंपनी वर्ष के दौरान ऐसे डिबेंचर के लिए सभी प्रस्तावों या आमंत्रणों के लिए वर्ष में केवल एक बार एक विशेष प्रस्ताव पारित करती है। इसलिए, यह प्रस्ताव है कि कंपनी को इस संकल्प को पारित करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान, यानी 24 अगस्त, 2027 तक, एक या अधिक किश्तों में, ₹ 1,40,000 करोड़ तक के असुरक्षित/सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड /डिबेंचर के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से राशि जुटाने में सक्षम बनाने के लिए एक विशेष संकल्प पारित किया जाए, जो समय-समय पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित समग्र बाजार उधार कार्यक्रम के भीतर, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दिया जाएगा, जो कंपनी के बॉण्ड /डिबेंचर धारक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा, ₹ 1,40,000 करोड़ की उक्त सीमा कंपनी की समग्र उधार सीमा के भीतर होगी।

इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल या बोर्ड द्वारा विधिवत गठित कोई समिति या ऐसा अन्य प्राधिकारी जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, निर्गम की शर्तों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत होगा, जिसमें निवेशकों का वर्ग शामिल है, जिन्हें बॉण्ड /डिबेंचर आवंटित किए जाएंगे, प्रत्येक किश्त में आवंटित किए जाने वाले बॉण्ड /डिबेंचर की संख्या, निर्गम मूल्य, अवधि, ब्याज दर, प्रीमियम/छूट तत्कालीन प्रचलित बाजार मूल्य, निर्गम राशि, निर्गम मूल्य में छूट, बॉण्ड /डिबेंचर धारकों के वर्ग के लिए, लिस्टिंग, निजी प्लेसमेंट ऑफर लेटर में शामिल किए जाने के लिए आवश्यक किसी भी घोषणा/उपक्रम आदि को जारी करना और ऐसा करने के लिए और निष्पादित करने के लिए ऐसा कोई भी कार्य, कार्य और चीजें जो किसी अन्य नियामक आवश्यकता के तहत लागू हो रही हैं।

इस व्यावसायिक प्रस्ताव से संबंधित सभी दस्तावेज़ इस सूचना के प्रसारित होने की तिथि से लेकर वार्षिक आम बैठक की तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

कंपनी के निदेशक मंडल ने उपरोक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा इस सूचना के मद संख्या 11 पर विशेष संकल्प पारित करने की सिफारिश की है।

निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या उनके रिश्तेदारों का कंपनी की प्रतिभूतियों में उनकी हिस्सेदारी के अलावा उक्त विशेष संकल्प को पारित करने में कोई चिंता या रुचि, वित्तीय या अन्यथा नहीं है, यदि कोई हो।

उपरोक्त को देखते हुए, इस सूचना की मद संख्या 11 में निर्धारित विशेष संकल्प पारित करके प्रतिभूतियों के निजी नियोजन के लिए शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते आरईसी लिमिटेड

दिनेश

दिनेश गर्ग
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 29 जुलाई, 2026

आईसीएसआई द्वारा जारी लिस्टिंग विनियमों और सचिवीय मानक -2 के अनुसार इस सूचना में निर्धारित अनुसार नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निर्देशक का संक्षिप्त विवरण

निदेशक का नाम	श्री शशांक मिश्र	श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष	श्री राजेश कुमार	श्री राजेश कुमार अग्रवाल	डॉ. अनिल कुमार गुप्ता	डॉ. के. गायत्री देवी	श्रीमती पूनम चौहान
डीआईएन	08364288	02772316	06941428	09699001	00442146	07584524	11842802
जन्म तिथि	16,मार्च 1983	5, मई 1969	26, मई 1973	8, मार्च 1972	12, मार्च 1966	2,दिसम्बर 1970	22, सितंबर 1978
आयु	43 वर्ष	57 वर्ष	53 वर्ष	54 वर्ष	60 वर्ष	55 वर्ष	47 वर्ष
बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि	21 अगस्त, 2023	3 अक्टूबर, 2025	2 अप्रैल, 2026	1 मई, 2026	22 जून, 2026	22 जून, 2026	21 जुलाई, 2026
योग्यताएं	आईएएस (एमपी: 2007), बी.टेक (इलेक्ट्रिकल)।	इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक की डिग्री, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम	वाणिज्य (ऑनर्स) में स्नातक उपाधि, चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा लागत एवं प्रबंधन लेखाकार।	वाणिज्य (ऑनर्स) में स्नातक उपाधि तथा लागत एवं प्रबंधन लेखाकार।	पर्यावरण विज्ञान में एम.एससी., एम.बी.ए., एम.ए., एलएल.बी. तथा पीएच.डी.।	एमबीबीएस, मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी में डिप्लोमा और हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए।	अंग्रेजी में स्नातक शिक्षा डिग्री (बी.एड.) और अंग्रेजी में मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.)।

निदेशक का नाम	श्री शशांक मिश्र	श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष	श्री राजेश कुमार	श्री राजेश कुमार अग्रवाल	डॉ. अनिल कुमार गुप्ता	डॉ. के. गायत्री देवी	श्रीमती पूनम चौहान
कौशल एवं क्षमताओं सहित विस्तृत परिचय	श्री शशांक मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक, वर्तमान में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। विद्युत मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, उन्होंने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में सेवा प्रदान की है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार में भी विभिन्न पदों पर कार्य किया है, जिनमें मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा मध्य प्रदेश स्टेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक; उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष तथा मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद शामिल हैं।	श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष के पास विद्युत क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। श्री बोश ने कई प्रमुख नेतृत्व पदों पर कार्य किया है, जिसमें आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में सेवा करना शामिल है। उन्होंने रणनीतिक निर्णय लेने, व्यवसाय विकास और सभी हितधारकों के साथ समन्वय में नेतृत्व का प्रदर्शन किया है।	श्री राजेश कुमार एक अनुभवी वित्त पेशेवर हैं जिनके पास लेखा, कराधान, लेखापरीक्षा, कोषागार, परियोजना मूल्यांकन और विनियामक अनुपालन में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। श्री गुप्ता ने आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद भी संभाला है। उनका करियर एक सीपीएसई के साथ एक दशक लंबे कार्यकाल से चिह्नित है जो इंजीनियरिंग और परियोजना परामर्श में लगा हुआ है, इसके बाद आरईसी लिमिटेड (विद्युत मंत्रालय के तहत) में 20 से अधिक वर्षों की समर्पित सेवा है, जिसके दौरान उन्होंने विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण और संसाधन जुटाने में गहरी विशेषज्ञता विकसित की है।	श्री राजेश कुमार अग्रवाल का विद्युत एवं वित्तीय क्षेत्रों में 31 वर्ष से अधिक का विशिष्ट अनुभव रहा है। उन्होंने विभिन्न बहु-कार्यात्मक टीमों का नेतृत्व किया है तथा निगमित लेखा, कराधान, निधि प्रबंधन एवं बैंकिंग, ऋण नीति अनुपालन, पुनर्गठित परिसंपत्ति प्रबंधन, निधि जुटाने तथा ऋण वितरण जैसे क्षेत्रों में विविध अनुभव अर्जित किया है। उन्होंने डिजिटल सुधारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा वित्तीय प्रतिवेदन में उत्कृष्टता प्राप्त करने की दिशा में व्यापक रूप से कार्य किया है। वे विभिन्न व्यावसायिक मंचों पर एक प्रतिष्ठित वक्ता भी हैं।	डॉ. अनिल कुमार गुप्ता एक प्रतिष्ठित पर्यावरणविद्, दूरदर्शी परोपकारी तथा भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के प्रमुख नेता हैं। उन्हें पर्यावरणीय सततता, व्यवसाय, सामाजिक विकास तथा शासन के क्षेत्र में दशकों का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के बोर्डों में कार्यरत हैं। वे पर्यावरण प्रभाव आकलन हेतु विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति [ईएसी (इन्फ्रा-2)] के सदस्य भी हैं।	डॉ. के. गायत्री देवी वर्ष 1997 से सूर्या डायग्नोस्टिक्स में चिकित्सा व्यवसायी के रूप में कार्यरत हैं। डॉ. गायत्री सामाजिक सेवा गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। वर्तमान में वे श्री संतोशी ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सचिव एवं संवाददाता तथा सूर्या डायग्नोस्टिक्स एवं एसएसएनटी कॉलेज, चेन्नई में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।	श्रीमती पूनम चौहान को शिक्षा एवं सामाजिक विकास के क्षेत्र में व्यापक अनुभव प्राप्त है। एक समर्पित समाजसेवी के रूप में वे स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तीकरण, बाल विकास तथा पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित पहलों में सक्रिय रूप से संलग्न रही हैं। उन्होंने विभिन्न जमीनी स्तर की पहलों के माध्यम से समावेशी सामाजिक कल्याण एवं सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज के वंचित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों के संवर्धन तथा जीवन-स्तर में सुधार पर विशेष बल देते हुए सामुदायिक विकास एवं समावेशी वृद्धि के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए उन्हें व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रकृति	श्री मिश्रा को वित्तीय प्रबंधन, विद्युत क्षेत्र संबंधी विशेषज्ञता, परियोजना मूल्यांकन, निगमित योजना एवं रणनीति, जोखिम प्रबंधन, नेतृत्व, बोर्ड प्रक्रियाओं एवं शासन तथा पर्यावरण एवं सामाजिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है।	श्री बोष का रणनीतिक मार्गदर्शन व्यवसाय विकास, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, परियोजना निगरानी तथा निगमित संचार सहित निगम के विभिन्न कार्यक्षेत्रों तक विस्तारित रहा है।	श्री कुमार ने विविध एवं जटिल वित्तीय पोर्टफोलियो के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा वित्त एवं संसाधन जुटाने के क्षेत्र में असाधारण नेतृत्व का प्रदर्शन किया है।	श्री अग्रवाल ने विभिन्न बहु-कार्यात्मक टीमों का नेतृत्व किया है तथा निगमित लेखा, कराधान, निधि प्रबंधन एवं बैंकिंग, ऋण नीति अनुपालन, पुनर्गठित परिसंपत्ति प्रबंधन, निधि जुटाने तथा ऋण वितरण जैसे क्षेत्रों में विविध अनुभव अर्जित किया है।	डॉ. गुप्ता डीएमए, ईडीएमए, आईटीआई तथा डीटीएनबीडब्ल्यूईडी सहित विभिन्न संगठनों में नेतृत्वकारी दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं तथा उन्होंने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन वक्फ संपत्ति पट्टा नियम, 2018 संबंधी जेजेडके समिति में भी कार्य किया है।	डॉ. गायत्री ने अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक दायित्वों का निर्वहन किया है। वे वर्ष 2007 से 2010 तक राज्य महिला आयोग की सदस्य रहीं, वर्ष 2006 से 2011 तक विधायक रहीं तथा वर्ष 2011 से 2014 तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) के रूप में कार्यरत रहीं।	श्रीमती चौहान का शिक्षा, सामाजिक संवर्धन तथा जमीनी स्तर की विकासात्मक पहलों का विविध अनुभव उन्हें सतत विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा हितधारक सहभागिता से संबंधित विषयों पर मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

निदेशक का नाम	श्री शशांक मिश्र	श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष	श्री राजेश कुमार	श्री राजेश कुमार अग्रवाल	डॉ. अनिल कुमार गुप्ता	डॉ. के. गायत्री देवी	श्रीमती पूनम चौहान
नियुक्ति की शर्तें एवं नियम तथा भुगतान किया जाने वाला प्रस्तावित पारिश्रमिक	नियुक्ति के नियम एवं शर्तें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 21 अगस्त, 2023 के कार्यालय आदेश तथा/अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किसी अन्य आदेश आदि द्वारा शासित होंगी। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार, सरकार द्वारा नामित निदेशक कंपनी से किसी भी बैठक शुल्क के पात्र नहीं होंगे। तथापि, उनके द्वारा निदेशक मंडल अथवा समिति की बैठकों में भाग लेने के संबंध में यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (टीए/डीए), जेब से किए गए व्यय आदि, यदि कोई हों, का भुगतान/प्रतिपूर्ति कंपनी द्वारावहन किया जाएगा.	श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष को आरईसी लिमिटेड के निदेशक (परियोजना) (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में ₹ 1,80,000-3,40,000 (आईडीए) के वेतनमान में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें एमओपी आदेश दिनांक 3 अक्टूबर, 2025 या भारत सरकार द्वारा जारी किसी भी आगे के आदेश (आदेशों) आदि द्वारा शासित होंगे।	श्री राजेश कुमार को आरईसी लिमिटेड के निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में ₹ 1,80,000 3,40,000 (आईडीए) के वेतनमान में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की शर्तें एमओपी आदेश दिनांक 2 अप्रैल, 2026 या भारत सरकार द्वारा जारी किसी भी आगे के आदेश (आदेशों) आदि द्वारा शासित होंगी।	उन्हें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 6 मई, 2026 के पत्र द्वारा नामित किया गया है। वे आरईसी के निदेशक मंडल अथवा उसकी समितियों की उन बैठकों, जिनमें उन्होंने भाग लिया हो, के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित बैठक शुल्क प्राप्त करने के पात्र हैं। तथापि, उन्होंने अवगत कराया है कि आरईसी के निदेशक मंडल अथवा समितियों की जिन बैठकों में उन्होंने भाग लिया है, उनके संबंध में उन्हें कोई बैठक शुल्क देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, ऐसी निदेशक मंडल अथवा समिति बैठकों में उनकी सहभागिता के संबंध में हवाई टिकट, होटल आवास, वाहन किराये पर लेने, जेब से किए गए व्यय, स्थानीय यात्रा व्यय आदि के भुगतान/प्रतिपूर्ति का वहन कंपनी द्वारा किया जाएगा। उनकी नियुक्ति के नियम एवं शर्तें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 6 मई, 2026 के पत्र अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य आदेश/आदेशों आदि द्वारा शासित होंगी।	उनकी नियुक्ति के नियम एवं शर्तें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 22 जून, 2026 के आदेश अथवा भारत सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश द्वारा शासित होंगी। वे आरईसी के निदेशक मंडल अथवा उसकी समितियों की उन बैठकों, जिनमें उन्होंने भाग लिया हो, के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर विनिश्चित बैठक शुल्क प्राप्त करने के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, उनके द्वारा निदेशक मंडल अथवा समिति की बैठकों में भाग लेने के संबंध में यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (टीए/डीए), जेब से किए गए व्यय आदि, यदि कोई हों, के भुगतान/प्रतिपूर्ति का वहन कंपनी द्वारा किया जाएगा।	उनकी नियुक्ति के नियम एवं शर्तें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 22 जून, 2026 के आदेश अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी अन्य आदेश द्वारा शासित होंगी। वे आरईसी के निदेशक मंडल अथवा उसकी समितियों की उन बैठकों, जिनमें उन्होंने भाग लिया हो, के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर विनिश्चित बैठक शुल्क प्राप्त करने की पात्र होंगी। इसके अतिरिक्त, उनके द्वारा निदेशक मंडल अथवा समिति की बैठकों में भाग लेने के संबंध में यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (टीए/डीए), जेब से किए गए व्यय आदि, यदि कोई हों, के भुगतान/प्रतिपूर्ति का वहन कंपनी द्वारा किया जाएगा।	उनकी नियुक्ति के नियम एवं शर्तें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 20 जुलाई, 2026 के आदेश अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी अन्य आदेश द्वारा शासित होंगी। वे आरईसी के निदेशक मंडल अथवा उसकी समितियों की उन बैठकों, जिनमें उन्होंने भाग लिया हो, के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर विनिश्चित बैठक शुल्क प्राप्त करने की पात्र होंगी। इसके अतिरिक्त, उनके द्वारा निदेशक मंडल अथवा समिति की बैठकों में भाग लेने के संबंध में यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (टीए/डीए), जेब से किए गए व्यय आदि, यदि कोई हों, के भुगतान/प्रतिपूर्ति का वहन कंपनी द्वारा किया जाएगा।

निदेशक का नाम	श्री शशांक मिश्र	श्री थंगराजन सुभाष चंद्रिरा बोष	श्री राजेश कुमार	श्री राजेश कुमार अग्रवाल	डॉ. अनिल कुमार गुप्ता	डॉ. के. गायत्री देवी	श्रीमती पूनम चौहान
कंपनी में शेयरधारिता, जिसमें लाभकारी स्वामी के रूप में भी शामिल है।	शून्य	शून्य	900 इक्विटी शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बोर्ड बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 10 बोर्ड बैठकों में भाग लिया।	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 8 बोर्ड बैठकों में भाग लिया।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भाग ली गई समिति की बैठकों की संख्या	लागू नहीं	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 7 समिति की बैठकों में भाग लिया।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य कंपनियों/ सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	• आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड। • तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड • बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड • यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	• आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड। • जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	• पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड • पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड • पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड	• एनटीपीसी लिमिटेड	• एनटीपीसी लिमिटेड	लागू नहीं
पिछले तीन वर्षों में जिन सूचीबद्ध संस्थाओं से इस्तीफा दिया गया उनका विवरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31 मार्च, 2026 को आरईसी के अलावा सभी सार्वजनिक कंपनियों में समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता।	शून्य	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड में सीएसआर समिति के अध्यक्ष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
निदेशकों एवं केएमपी के बीच संबंध	कंपनी के किसी अन्य निदेशक या केएमपी के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं	कंपनी के किसी अन्य निदेशक या केएमपी के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं	कंपनी के किसी अन्य निदेशक या केएमपी के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं	कंपनी के किसी अन्य निदेशक या केएमपी के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं	कंपनी के किसी अन्य निदेशक या केएमपी के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं	कंपनी के किसी अन्य निदेशक या केएमपी के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं	कंपनी के किसी अन्य निदेशक या केएमपी के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं

सदस्यों के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग, वीसी ओएवीएम के माध्यम से 57 वीं एजीएम में भाग लेने तथा एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के निर्देश

क. 57 वीं वार्षिक आम बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के लिए निर्देश

रिमोट ई-वोटिंग अवधि **शनिवार, 22 अगस्त, 2026 (0900 बजे) से शुरू होकर सोमवार, 24 अगस्त, 2026 (1700 बजे)** को समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जिनके नाम कट-ऑफ के अनुसार सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं। दिनांक यानी 18 अगस्त, 2026 रिकॉर्ड की तिथि ("कट-ऑफ तिथि) को मतदान करने वाले लोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का मतदान अधिकार उक्त कट-ऑफ तिथि 18 अगस्त, 2026 को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में होगा।

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिए, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दो-चरणीय प्रक्रिया का पालन करना होगा:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच

क) डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तियों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधिः

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर 9 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता सही ढंग से अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए आप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपनी 8 अंकों की डीपी आईडी, 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहाँ आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या **ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल** पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2. मौजूदा **आईडीईएएस** यूजर एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट https://eservices.nsdl.com. पर पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर जा सकते हैं। ई-से वा होम पेज पर "**लॉगिन**" के अंतर्गत "**लाभकारी स्वामी**" आइकन पर क्लिक करें जो 'आईडीईएएस' अनुभाग में उपलब्ध है, यह आपको अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएं देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "**ई-वोटिंग तक पहुंच**" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या **ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल** पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 3. यदि आप आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com. पर उपलब्ध है। "**आईडीईएएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें**" चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp. पर क्लिक करें। 4. https://www.evoting.nsdl.com. /URL निम्नलिखित टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन में उपलब्ध "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका 16 अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या **ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल** पर क्लिक करें और आपको ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 5. शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप "**एनएसडीएल स्पीड**" सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं। NSDL Mobile App is available on App Store Google Play
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. यूजर जिन्होंने सीडीएसएल इजी/इजीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। इजी/इजीएस्ट लॉगिन करने वाले यूजर से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com. पर जाएं और लॉगिन आइकन और न्यू सिस्टम माईइजी टैब पर क्लिक करें और फिर अपना मौजूदा माईइजी यूजर नाम और पासवर्ड दर्ज करें। 2. इजी/इजीएस्ट के सफल लॉगिन के बाद, यूजर उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प भी देख पाएगा, जहाँ कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग चल रही है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, यूजर रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख पाएगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुँचने के लिए लिंक भी दिए गए हैं, ताकि यूजर सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सके। 3. यदि यूजर इजी/इजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com. पर उपलब्ध है और लॉगिन और न्यू सिस्टम माईइजी टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com. के मुखपृष्ठ पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक के माध्यम से डीमैट खाता संख्या एवं पैन संख्या प्रदान कर सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। प्रणाली, डीमैट खाते में अभिलिखित पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ई-मेल पर ओटीपी प्रेषित कर उपयोगकर्ता का प्रमाणीकरण करेगी। सफल प्रमाणीकरण के उपरांत, उपयोगकर्ता उस स्थिति में ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जब ई-वोटिंग प्रगति पर होगी तथा सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक भी सीधे पहुंच सकेंगे।

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां धारण करने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर, कृपया देखें कि ई-वोटिंग विकल्प उपलब्ध है या नहीं। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणी: *जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध यूजर आईडी भूल गए और पासवर्ड भूल गए विकल्प उपयोग करने की सलाह दी जाती है ।*

डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगइन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	evoting@nsdl.com. पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	helpdesk.evoting@cdslindia.com. पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 2109911 पर कॉल कर सकते हैं।

ख) **डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों (व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा) और भौतिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि।**

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन कैसे करें?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्न URL: https://www.evoting.nsdl.com./ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च होने के बाद, 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड/ शेयर रखने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।

   आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं तो आप अपने मौजूदा आईडीईएएस लॉगिन के साथ https://eservices.nsdl.com. / पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन के डेंशियल का उपयोग करके एनएसडीएल ई-सेवाओं में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
4. आपकी यूजर आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर रखने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपका यूजर आईडी
क) उन सदस्यों के लिए जो एनएसडीएल के पास डीमेट खाते में मोचर रखते हैं।	8 अक्षर वाली डीपी आईडी के बाद 8 अंक यानी क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए : यदि आपकी डीपी आईडी आईएन300*** है और क्लाइंट आईडी 12****** है तो आपकी यूजर आईडी आईएन 300*** 12****** होगी।
ख) उन सदस्यों के लिए जो सीडीएसएल के पास डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी होगी। उदाहरण के लिए : यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12************** है तो आपकी यूजर आईडी 12 **************है
ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	सम संख्या के बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या उदाहरण के लिए: यदि फोलियो संख्या 001*** है और सम संख्या 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** होगी

5. **व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:**

क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत है, तो आप लॉगिन करने और अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको प्रारंभिक पासवर्ड पुनः प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको प्रारंभिक पासवर्ड दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए मजबूर करेगा।

ग) अपना प्रारंभिक पासवर्ड कैसे प्राप्त करें?

(i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपके ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। अपने मेलबॉक्स से एनएसडीएल द्वारा आपको भेजे गए ईमेल को ट्रेस करें। ईमेल खोलें और अटैचमेंट यानी पीडीएफ फ़ाइल खोलें। पीडीएफ फाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। पीडीएफ फाइल में आपका 'यूजर आईडी और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड होता है।

(ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, **तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए नीचे बताए गए चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है।**

6. यदि आप "प्रारंभिक पासवर्ड" प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

क) www.evoting.nsdl.com. पर उपलब्ध **"उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए हैं?"** (यदि आपके शेयर एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के पास डीमैट खाते में धारित हैं) विकल्प पर क्लिक करें।

ख) www.evoting.nsdl.com. पर उपलब्ध **"भौतिक श्रेणी के उपयोगकर्ता हेतु पासवर्ड पुनर्निर्धारण"** (यदि आपके शेयर भौतिक रूप में धारित हैं) विकल्प पर क्लिक करें।

ग) यदि आप उपरोक्त दो विकल्पों से भी पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपना डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या अपना पेन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता बताते हुए evoting@nsdl.com. पर अनुरोध भेज सकते हैं।

घ) एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए सदस ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते है।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन कर "नियम और शर्तों" से सहमत पर टिक करें।

8. अब आपको 'लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा।

9. लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाले और एनएसम ई-वोटिंग प्रणाली पर आम बैठक में शामिल हो

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मत प्रदान करें तथा सामान्य बैठक में भाग लें।

1. चरण 1 में सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप उन कंपनियों को देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हे और जिनका चक्र और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।

2. रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान जिस कंपनी के लिए आप वोट डालना चाहते हैं, उसका 'ईवन" चुनें और जनरल मीटिंग के दौरान अपना वोट डालें। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने आपको "जॉइन मीटिंग" के अंतर्गत दिए गए वीसी /ओएवीएम लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार है क्योंकि वोटिंग पेज खुल गया है।

4. उचित विकल्प अर्थात सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट डालें, उन शेयरों की संख्या सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और संकेत मिलने पर "सबमिट" और "पुष्टि" पर क्लिक करें।

5. पुष्टि होने पर, “वोट सफलतापूर्वक डाला गया” संदेश प्रदर्शित होगा ।

6. आप पुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोट का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

7. एक बार जब आप प्रस्ताव पर अपना वोट पुष्टि कर देंगे, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ख. वीसी /ओएवीएम के माध्यम से 57 वीं एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार है:

1. सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य https://www.evoting.nsdl.com. पर शेयरधारक / सदस्य लॉगिन के अंतर्गत रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके इसे एक्सेस कर सकते है। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के सामने स्वाइन मीटिंग मेनू के अंतर्गत 'वीसी/ओएवीएम का लिंक देख सकते है। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी की ईवीएन प्रदर्शित होगी। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडर्डी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं. वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए सूचना में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

2. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

3. बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए सदस्यों को कैमरा रखने की अनुमति देनी होगी तथा अच्छी गति से इंटरनेट का उपयोग करना होगा।

4. कृपया ध्यान दे कि मोबाइल डिवाइस या टेबलेट या लैपटॉप से मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी तरह की गड़बड़ी को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लेन कनेक्शन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

ग. 57 वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश

1. बैठक में सूचना के सभी मदों पर चर्चा पूरी हो जाने के बाद, एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से प्रत्येक प्रस्ताव पर मतदान किया जाएगा। कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बोर्ड के प्रस्ताव प्राधिकरण पत्र की प्रमाणित प्रति ई-मेल के माध्यम से जांचकर्ता को sachincs2022@gmail.com. पर भेजें, जिसकी एक प्रति evoting@nsdl.com. पर मार्क की गई हो।

2. वार्षिक आम बैठक के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान ही है।

3. केवल वे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।

4. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के पात्र होंगे। हालाँकि, वे वार्षिक आम बैठक के दौरान मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

5. वार्षिक आम बैठक के दिन ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित किसी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है उसका विवरण वही होगा जैसा कि रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लेख किया गया है।

घ उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल आईडी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-मेल आईडी के पंजीकरण के लिए डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं:

1. यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए है तो कृपया फोलियो नंबर शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पेन (पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैन की गई प्रति आधार (आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैन की गई प्रति) ईमेल complianceofficer@recindia.com. प्रदान करें।

2. यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया डीपी आईडी सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी सीएलआईडी या अंकों की लाभार्थी आईडी, नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति, आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) complianceofficer@recindia.com. पर उपलब्ध कराएं। यदि आप डीमेट मोड में प्रतिभूतियों रखने वाले व्यक्तिगत शेपरधारक है. तो आपसे अनुरोध है कि आप चरण (ए) में बताई गई लॉगिन विधि का संदर्भ में, अर्थात ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और डीमैट मोड में प्रतिभूतियों रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने की विधि।

3. वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com. पर अनुरोध भेज सकते हैं।

4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर 9 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपाजिटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए अपने डीमेट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बर्ते। सही पासवर्ड दर्ज करने के पाँच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com. पर उपलब्ध “यूजर विवरण/पासवर्ड भूल गए” या “भौतिक यूजर रीसेट पासवर्ड” विकल्प से गुजरना होगा।

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com. के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, एवीपी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, तीसरा तल, नमन चैंबर, प्लॉट सी -32, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400051 को निर्दिष्ट ईमेल पते पर अनुरोध भेज सकते हैं: evoting@nsdl.com. या टेलीफोन नंबर 022- 48867000 पर। सदस्य कंपनी के ईमेल पते complianceofficer@recindia.com. पर कंपनी सचिव को भी लिख सकते हैं।

बोर्ड की रिपोर्ट

सेवा में,

शेयरधारकगण,

आपके निदेशक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ 57वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते है।

1. कार्य निष्पादन की प्रमुख उपलब्धियाँ

1.1 कार्य निष्पादन का सारांश

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आपकी कंपनी के निष्पादनन की मुख्य विशेषताएँ, पिछले वर्ष के निष्पादन की तुलनात्मक स्थिति के साथ, निम्नानुसार थीं:

(करोड़ रुपए में)

मानदण्ड	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
स्वीकृत ऋण	**4,09,096.50**	3,37,179.37
संवितरण	**2,11,189.25**	1,91,184.67
वसूलियां (ब्याज सहित)	**2,46,549.61**	1,79,694.70
कुल प्रचालन आय	**59,139.96**	55,911.12
कर-पूर्व लाभ	**20,713.19**	19,859.78
कर-पश्चात लाभ	**16,282.26**	15,713.21
कुल व्यापक आय	**12,115.91**	14,196.41

1.2 वित्तीय निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आपकी कंपनी की कुल प्रचालन आय 59,139.96 करोड़ रुपए थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान यह 55,911.12 करोड़ रुपए थी।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कर-पश्चात लाभ और कुल व्यापक आय क्रमशः 16,282.26 करोड़ रुपए और 12,115.91 करोड़ रुपए थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यह क्रमशः 15,713.21 करोड़ रुपए और 14,196.41 करोड़ रुपए थी।

31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) 10/- रुपए अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर 61.71 रुपए थी, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में ईपीएस 59.55 रुपए प्रति शेयर थी। 31 मार्च, 2026 के अनुसार कंपनी की कुल परिसंपत्ति बढ़कर 84,290.41 करोड़ रुपए हो गई है, जो 31 मार्च, 2025 तक की कुल परिसंपत्ति 77,637.97 करोड़ रुपए से 8.57% अधिक है।

31 मार्च, 2026 के अनुसार आपकी कंपनी की सकल ऋण परिसंपत्ति बही 5,83,659.36 करोड़ रुपए थी, जबकि 31 मार्च, 2025 तक यह 5,66,883.29 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा, 31 मार्च, 2026 तक बकाया ऋण 5,05,777.42 करोड़ रुपए थी जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 4,88,258.51 करोड़ थी।

1.3 लाभांश

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने 10/- रुपए अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 1.55/- रूपए (चुकता शेयर पूंजी का 15.50%) का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है, जो 25 अगस्त, 2026 को होने वाली 57वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। यह अंतिम लाभांश वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्व में घोषित एवं वितरित अंतरिम लाभांशों के अतिरिक्त है, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

अंतरिम लाभांश	₹ प्रति इक्विटी शेयर	भुगतान की तिथि
पहला	4.60	21 अगस्त, 2025
दूसरा	4.60	14 नवंबर, 2025
तीसरा	4.60	27 फरवरी, 2026
चौथा	3.20	30 मार्च, 2026

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल लाभांश, अंतिम लाभांश सहित, 10/- रूपए अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 18.55/- रूपए है, जो चुकता शेयर पूंजी का 185.50% है। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, कंपनी ने 10/- रूपए अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 18/- रूपए का लाभांश दिया था, जो चुकता शेयर पूंजी का 180% था।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल लाभांश भुगतान, प्रस्तावित अंतिम लाभांश सहित, 4,884.63 करोड़ रुपए होगा। लाभांश का भुगतान कंपनी की लाभांश वितरण नीति के अनुसार किया जाता है, जो कंपनी की वेबसाइट पर https://recindia.com/policies पर उपलब्ध है।

1.4 शेयर पूंजी

31 मार्च, 2026 तक, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपए थी, जिसमें 10/- रूपए प्रत्येक के 500 करोड़ रुपए इक्विटी शेयर शामिल थे। कंपनी की जारी और चुकता शेयर पूंजी 2,633.22 करोड़ रुपए थी, जिसमें 10/- रूपए प्रत्येक के 2,63,32,24,000 इक्विटी शेयर शामिल थे। भारत सरकार के उपक्रम, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के पास 31 मार्च, 2026 तक कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 52.63% हिस्सा था, जिसमें 10/- रूपए प्रत्येक के 1,38,59,93,662 इक्विटी शेयर शामिल थे और शेष 47.37% चुकता इक्विटी शेयर पूंजी सार्वजनिक शेयरधारकों के पास थी।

1.5 नीतिगत पहलें

कंपनी अपने व्यावसायिक मूल्य को बढ़ाने और सांविधिक आवश्यकताओं व संशोधनों को पूरा करने के लिए नियमित रूप से अपनी नीतिगत रूपरेखा की समीक्षा करती है, उन्हें अद्यतन और उनका सुदृढ़ीकरण करती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने विभिन्न नीतियों को लागू करने और उनके संशोधन पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जानबूझकर चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं के साथ व्यवहार संबंधी नीति; वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग संबंधी नीति; धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति; पॉश नीति; विदेशी मुद्रा उधार की आंतरिक सीमा; नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु परियोजना मूल्यांकन दिशानिर्देश; अनुपालन नीति; तथा नामित व्यक्तियों एवं उनके निकट संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग हेतु आचार संहिता शामिल है। उचित प्रकटीकरण हेतु आचार संहिता; लाभांश वितरण नीति; संबंधित पक्ष संव्यवहारों की महत्ता एवं संबंधित पक्ष संव्यवहारों के निपटान पर नीति; तथा आरईसी की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) के साथ आरईसी आईसीएएपी दस्तावेज़।

2. वित्तीय समीक्षा

2.1 वित्तीय परिणामों का सारांश

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश निम्नानुसार दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित	
	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
प्रचालन से राजस्व	59,139.96	55,911.12	59,584.16	56,366.55
अन्य आय	47.26	68.50	44.19	67.48
कुल आय	**59,187.22**	**55,979.62**	**59,628.35**	**56,434.03**
वित्तीय लागत	36,241.29	34,134.98	36,238.12	34,131.29
निवल परिवर्तन/ लेनदेन विनिमय हानि	272.60	208.15	272.60	208.15
शुल्क और कमीशन व्यय	15.62	13.66	15.62	13.66
उचित मूल्य में परिवर्तनों पर निवल हानि/(लाभ)	962.46	-	962.46	-
वित्तीय साधनों पर मूल्यह्रास	201.22	1,019.41	231.40	1,021.58
अन्य व्यय	780.84	743.64	1,123.54	941.88
कुल व्यय	**38,474.03**	**36,119.84**	**38,843.74**	**36,316.56**
असाधारण मदें	-	-	18.28	-
कर पूर्व लाभ	**20,713.19**	**19,859.78**	**20,766.33**	**20,117.47**
कर व्यय	4,430.93	4,146.57	4,458.16	4,233.24
कर पश्चात लाभ	**16,282.26**	**15,713.21**	**16,308.17**	**15,884.23**
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय	(4,166.35)	(1,516.80)	(4,166.35)	(1,516.80)
कुल व्यापक आय	**12,115.91**	**14,196.41**	**12,141.82**	**14,367.43**
जोड़ें : प्रतिधारित आय और अन्य व्यापक आय का प्रारंभिक शेष	13,655.44	13,149.12	14,335.69	13,658.35
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि	**25,771.35**	**27,345.53**	**26,477.51**	**28,025.78**
घटाएं : विनियोजन				
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि	(3,383.02)	(3,550.57)	(3,383.02)	(3,550.57)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiक) के तहत संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	(778.61)	(841.80)	(778.61)	(841.80)
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-Iसी के तहत आरक्षित निधि	(3,256.45)	(3,142.64)	(3,256.45)	(3,142.64)
सामान्य आरक्षित	(2,080.00)	(750.00)	(2,080.00)	(750.00)
पूर्णतः इक्विटी प्रकृति के लिखत पर कूपन भुगतान (स्थायी ऋण साधन) (करों के पश्चात)	(33.30)	(33.30)	(33.30)	(33.30)
उप-जोड़: विनियोजन	**(9,531.38)**	**(8,318.31)**	**(9,531.38)**	**(8,318.31)**
घटाएं – स्वामियों को लाभांश भुगतान (संबंधित करों सहित):				
लाभांश	(5,161.12)	(5,371.78)	(5,161.12)	(5,371.78)
प्रतिधारित आय और अन्य व्यापक आय का अंतिम शेष	**11,078.85**	**13,655.44**	**11,785.01**	**14,335.69**

2.2 राष्ट्रीय राजकोष में योगदान

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने राष्ट्रीय राजकोष में 3,983.01 करोड़ रुपए का योगदान दिया, जिसमें प्रत्यक्ष करों के लिए 3,708.13 करोड़ रुपए तथा माल और सेवा कर (जीएसटी) के लिए 274.88 करोड़ रुपए शामिल हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में, राष्ट्रीय राजकोष में कुल योगदान 4,341.42 करोड़ रुपए था।

2.3 अनुपात विश्लेषण

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025-25 के लिए कंपनी के महत्वपूर्ण अनुपातों का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
प्रति शेयर आय (₹)	**61.71**	59.55
औसत शुद्ध मूल्य पर रिटर्न (%)	**20.11**	21.46
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	**320.11**	294.84
ऋण-इक्विटी अनुपात (गुणा)*	**6.00**	6.29
मूल्य-आय अनुपात (गुणा)#	**4.94**	7.21
ब्याज कवरेज अनुपात (गुणा)	**1.57**	1.58

**निवल ऋण बकाया मूलधन को दर्शाता है, जिसमें से नकदी और उपलब्ध नकदी समतुल्य राशि को घटाया जाता है।*

#पीई अनुपात की गणना आरईसी की इक्विटी के क्रमशः 30 मार्च, 2026 और 28 मार्च, 2025 को (अंतिम ट्रेडिंग) एनएसई पर शेयर के समापन मूल्य के आधार पर की जाती है।

2.4 संसाधन जुटाना

2.4.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल संसाधन जुटाना

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने बाज़ार से ₹83,558.32 करोड़ की धनराशि जुटाई है। इसमें विभिन्न मुद्राओं में ₹9,600.60 करोड़ (966.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 89.95 मिलियन यूरो) के दीर्घकालिक बाह्य वाणिज्यिक उधार, ₹3,082.31 करोड़ (360.05 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के एफसीएनआर (अल्पकालिक) ऋण दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक रुपए के सावधि ऋण (छह माह से अधिक अवधि के), बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ₹27,697 करोड़ के दीर्घकालिक एवं ₹4,118 करोड़ के अल्पकालिक रुपए ऋण, वाणिज्यिक पत्र जारी करने से ₹3,000 करोड़, पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड से ₹5,177.91 करोड़ (शोधन के बाद और 31 मार्च, 2026 तक लंबित आवंटन सहित), तथा संस्थागत बॉण्ड से ₹30,882.50 करोड़ शामिल हैं।

2.4.2 विमोचन और पूर्व-भुगतान

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने 80,442.82 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया। इसमें संस्थागत बॉण्ड के लिए 19,571.70 करोड़ रुपए, कर-मुक्त बॉण्डों के लिए ₹405.92 करोड़ पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड के लिए 5,312.07 करोड़ रुपए, 611.84 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 10,519.00 मिलियन सिंगापुर डॉलर के बराबर बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए 6,185.10 करोड़ रुपए, 4,318.74 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 34,228.99 मिलियन जापानी येन के बराबर विदेशी मुद्रा विनिमय दर (एफसीएनआर) ऋण के लिए 7,669 करोड़ रुपए और 1,600 करोड़ और दीर्घकालिक ऋण (6 महीने से अधिक) भी चुकाए है।

2.4.3 उधार लेने की लागत

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निधियों की कुल वार्षिक लागत 7.34% थी।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आपकी कंपनी ने सूचीबद्ध बॉण्ड के माध्यम से 6.80 प्रति वर्ष की दर से 30,882.50 करोड़ की धनराशि जुटाई थी, जो अन्य सीपीएसई/संस्थाओं द्वारा जारी समान रेटिंग वाले लिखतों की दरों (रॉयटर्स से अधिक मार्जिन) से 29 बीपीएस कम है।

2.4.4 नकद ऋण सुविधाएँ

कंपनी के पास अपने दैनिक कार्यों के लिए विभिन्न बैंकों से 17,350 करोड़ रुपए की स्वीकृत नकद ऋण/कार्यशील पूंजी माँग ऋण/ओवरड्राफ्ट सीमा है, जिसमें से 31 मार्च, 2026 तक 5,369 करोड़ रुपए का लाभ उठाया गया।

2.4.5 स्थायी ऋण लिखत

कंपनी ने निम्नानुसार स्थायी ऋण लिखतों (पीडीआई) को जुटाया है:

क्रमांक	राशि (करोड़ रुपए में)	अंकित मूल्य	जारी करने की तिथि	ब्याज दर (%)
206	558.40	10,00,000	22 जनवरी, 2021	7.97
222	2,000.00	1,00,00,000	28 अप्रैल, 2023	7.98
226	1,090.00	1,00,00,000	27 सितंबर, 2023	8.03
244	1,995.00	1,00,00,000	27 फरवरी, 2025	7.99

31 मार्च, 2026 तक, उक्त लिखत कंपनी की टियर-I पूंजी का 6.55% हिस्सा बनाते हैं। इन पीडीआई की कोई परिपक्वता नहीं है और इन्हें 10 वर्षों के बाद कंपनी के विकल्प पर ही वापस लिया जा सकता है। पीडीआई पर प्रासंगिक विस्तृत प्रकटीकरण इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग होने वाले एकल वित्तीय विवरणों की लेखा टिप्पणियों में प्रदर्शित किया गया है।

2.4.6 आरईसी द्वारा जारी ग्रीन बॉण्ड

कार्बन उत्सर्जन और कार्बन तीव्रता को कम करने के अंतिम उद्देश्य के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने हेतु भारत की जलवायु कार्य योजना के अनुरूप, आरईसी समय-समय पर बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से धन जुटाता है।

ग्रीन बॉण्ड के लिए वार्षिक प्रभाव रिपोर्टिंग - वित्तीय वर्ष 2025-26

आरईसी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक निम्नलिखित ग्रीन बॉण्ड जुटाए थे:

क्रम सं.	जुटाई गई निधियां (एफसीवाई)	माह और वर्ष	(वर्षों में अवधि)
1	450 मिलियन अमेरीकी डॉलर ग्रीन बॉण्ड	जुलाई 2017	10
2	750 मिलियन अमेरीकी डॉलर ग्रीन बॉण्ड	अप्रैल 2023	5
3	61.1 बिलियन ग्रीन बॉण्ड जापानी येन		
	31.0 बिलियन ग्रीन बॉण्ड जापानी येन	जनवरी 2024	5
	27.40 बिलियन ग्रीन बॉण्ड जापानी येन	जनवरी 2024	5.25
	2.70 बिलियन ग्रीन बॉण्ड जापानी येन	जनवरी 2024	10
4	500 मिलियन अमेरीकी डॉलर ग्रीन बॉण्ड	सितंबर 2024	5

प्राप्तियों का उपयोग: प्राप्तियों का उपयोग आरईसी के ग्रीन वित्त ढांचे में यथापरिभाषित किए गए अनुसार पात्र हरित परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए किया गया है जो सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव डालती हो और जीवाश्म ईंधन निर्भरता को कम करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी सुदृढ़ करती हों।

हरित वित्त ढांचे के अनुसार, आरईसी ने एक 'ग्रीन पोर्टफोलियो' बनाया है, जिसे एक अच्छी तरह से तैयार की गई आंतरिक ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है, जिसे नियमित आधार पर अद्यतन किया जाता है, ताकि ऐसे ग्रीन पोर्टफोलियो के लिए आय के आवंटन की निगरानी, स्थापना और लेखा-जोखा किया जा सके।

क्लाइमेट बॉन्ड्स स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा पात्र ग्रीन बॉन्ड के जारी होने के बाद का प्रमाणन आरईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्राप्तियों का प्रबंधन: ग्रीन बॉण्ड से प्राप्त शुद्ध आय को पात्र परियोजनाओं के प्रति आवंटित किया गया था और उस का विवरण बोर्ड की रिपोर्ट के **अनुलग्नक - क** में दिया गया है।

आरईसी अपने हरित वित्त ढांचे की आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है। अपने निरंतर दायित्वों के अनुसार, आरईसी यह सुनिश्चित करेगा कि ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से जुटाई गई राशि बॉण्ड की अवधि के दौरान हरित वित्त ढांचे के अनुसार पात्र परियोजनाओं में निवेशित रहे।

2.4.7 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास

आरईसी के पास जर्मनी से केएफडब्ल्यू के साथ अधिकारिक विकास सहायता क्रेडिट (ओडीए) की 7 लाइनें हैं, जिनमें से तीन का पूर्ण पुनर्भुगतान किया जा चुका है और दो का पूर्ण आहरण किया जा चुका है। केएफडब्ल्यू, जर्मनी से प्राप्त यूएसडी 215.56 मिलियन की छठी ऋण क्रेडिट लाइन भारत सरकार की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) में निवेशों के पुनर्वित्तपोषण हेतु है, जिसके अंतर्गत 31 मार्च, 2026 तक यूएसडी 114.63 मिलियन का आहरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए 200 मिलियन यूरो की सातवीं ऋण श्रृंखला है, जिसमें से 31 मार्च, 2026 तक 89.95 मिलियन यूरो का आहरण किया जा चुका है।

उपरोक्त के अलावा, आरईसी के पास जेआईसीए, जापान के साथ ओडीए के तहत ओडीए क्रेडिट की दो लाइनें थीं, जिन्हें पूरी तरह से चुका दिया गया है।

2.5 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

आरईसी के घरेलू ऋण उपकरणों को पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान "एएए" रेटिंग प्राप्त होती रही, जो क्रिसिल, केयर, आईसीआरए और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और आईसीआरए (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों) द्वारा दी गई उच्चतम रेटिंग है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आरईसी को दी गई रेटिंग में कोई संशोधन नहीं हुआ।

इसके अतिरिक्त, आरईसी को अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों यानी मूडीज, फिच और जापान से क्रमशः " बीएए 3", "बीबीबी-" और " बीबीबी +" की अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है, जो भारत की संप्रभु रेटिंग के बराबर है।

इसके अतिरिक्त, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में क्रेडिट रेटिंग का विवरण भी दिया गया है।

2.6 वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निवेश:

उच्च गुणवत्ता वाली नकदी परसंपत्तियों पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बॉण्ड में निवेश किया है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आरईसी ने अपने निवेश पोर्टफोलियो पहलों में विविधता लाने के कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप, एनएचएआई प्रायोजित इनविट की इकाइयों में ₹ 2.58 करोड़ का रणनीतिक निवेश किया है। कंपनी द्वारा किए गए निवेश का अन्य विवरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखांकन टिप्पणियों में दिया गया है।

2.7 वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वित्तीय स्थिति:

वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर, आपकी कंपनी के कुल संसाधन 6,39,076.31 करोड़ रुपए थे।

इसमें से, इक्विटी शेयर पूंजी का योगदान ₹ 2,633.22 करोड़ रुपए था, पूर्णतः इक्विटी प्रकृति के लिखत 558.40 करोड़ रुपए के थे, आरक्षित और अधिशेष सहित अन्य इक्विटी ₹ 81,098.79 करोड़ रुपए थी, उधार और अन्य वित्तीय देनदारियों सहित वित्तीय देनदारियाँ ₹ 5,53,849.53 करोड़ रुपए थीं और प्रावधानों सहित गैर-वित्तीय देनदारियाँ 936.37 करोड़ रुपए थीं।

इन निधियों को ₹ 6,34,486.30 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण, निवेश आदि सहित वित्तीय परिसंपत्तियों और ₹ 4,590 करोड़ रुपए की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, कर परिसंपत्तियाँ आदि सहित गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में नियोजित किया गया था, इसके अलावा 0.01 करोड़ रुपए की बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ भी थीं।

3. स्वीकृत ऋण

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष के 4,09,096.50 करोड़ रुपए की तुलना में 3,37,179.37 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत ऋण में पारंपरिक उत्पादन परियोजनाओं (कोयला खरीद/खनन सहित) के लिए 1,28,876.43 करोड़ रुपए, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (बड़ी जलविद्युत सहित) के लिए 85,008.57 करोड़ रुपए, चक्रीय बिल भुगतान सुविधा (आरबीपीएफ) और विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) के अंतर्गत ऋण सहित टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 1,45,727.17 करोड़ रुपए, अवसंरचना और लॉजिस्टिक परियोजनाओं के लिए 41,784.34 करोड़ रुपए और अल्पकालिक एवं मध्यम अवधि के ऋणों के लिए 7,700 करोड़ रुपए शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान श्रेणीवार स्वीकृतियों का विवरण इस रिपोर्ट में बाद में दिया गया है।

4. संवितरण

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने कुल 2,11,189.25 करोड़ रुपए का संवितरण किया, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह राशि 1,91,184.67 करोड़ रुपए थी।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संवितरण में उत्पादन परियोजनाओं के लिए 25,652.82 करोड़ रुपए, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 28,896 करोड़ रुपए, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 74,319.16 करोड़ रुपए, विद्युत अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ₹ 4,250.28 करोड़ रुपए, अवसंरचना और लॉजिस्टिक परियोजनाओं के लिए ₹ 3,534.42 करोड़ रुपए, अल्पावधि और आरबीपीएफ सहित अन्य ऋणों के लिए ₹ 72,521.37 करोड़ रुपए और भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रति-भाग वित्त-पोषण के लिए ₹ 2,015.20 करोड़ रुपए शामिल हैं।

5. वसूलियाँ

5.1 वित्तीय वर्ष के दौरान वसूलियाँ

कंपनी मूलधन, ब्याज आदि के प्रति अपने देय राशि की समय पर वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, मानक परिसंपत्तियों (चरण I और चरण II) के लिए ब्याज सहित वसूली के लिए देय राशि ₹ 2,45,428.35 करोड़ थी, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यह ₹ 1,80,907.83 करोड़ थी। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान मानक परिसंपत्तियों (चरण I और चरण II) के लिए ₹ 2,44,798.94 करोड़ (वर्ष के दौरान देय राशि की तुलना में) की कुल राशि वसूल की, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 1,79,694.70 करोड़ की वसूली हुई थी। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 99.74% की वसूली दर हासिल की। 31 मार्च, 2026 को मानक परिसंपत्तियों (चरण I और चरण II) से संबंधित चूक करने वाले उधारकर्ताओं से मूलधन बकाया ₹ 231.12 करोड़ था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्रेडिट इम्पैयर्ड एसेट्स (चरण III) से ₹ 1,485.77 करोड़ की राशि वसूल की गई, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 4,462.47 करोड़ की वसूली की गई थी।

5.2 ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियाँ

कंपनी की ऋण क्षतिग्रस्त संपत्तियाँ (चरण III) निम्न स्तर पर बनी हुई हैं। कंपनी ने अपने लाभ से "क्षति आरक्षित निधि" बनाई है, जो आरबीआई द्वारा जारी आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों (मानक संपत्ति प्रावधान सहित) के तहत निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यकता से अधिक है।

31 मार्च, 2026 तक सकल ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियाँ (चरण III) 1,384.75 करोड़ रुपए थीं, जो सकल ऋण संपत्तियों का 0.24% है और निवल ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों (चरण III) ₹ 677 करोड़ रुपए थीं, जो सकल ऋण परिसंपत्तियों का 0.12% है।

5.3 **दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन**

आरईसी, आरबीआई ढांचे और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत समाधान सहित विभिन्न ढाँचों के माध्यम से, दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान की दिशा में निरंतर कार्य करता है। आरईसी अपने एनपीए को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखने में सक्षम रहा है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की समकक्ष कंपनियों में यह सबसे कम है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आरईसी ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, चार दबावग्रस्त विद्युत परियोजनाओं का सफलतापूर्वक समाधान किया है:

क्रम. सं.	उधारकर्ता का नाम	आरईसी की जोखिम राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणियाँ
1	सिनार थर्मल पावर लिमिटेड	2,331.33	आईबीसी के तहत समाधान किया गया
2	टीआरएन एनर्जी पावर प्राइवेट लिमिटेड	1,504.07	भारतीय रिजर्व बैंक फ्रेमवर्क के अंतर्गत ऋण पुनर्गठन द्वारा समाधान किया गया
3	भद्रेश्वर विद्युत प्राइवेट लिमिटेड	992.96	आईबीसी के तहत समाधान किया गया
4	भावनगर बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स पावर लिमिटेड	13.77	भारतीय रिजर्व बैंक फ्रेमवर्क के अंतर्गत उधारकर्ता के साथ समझौता समाधान के माध्यम से समाधान किया गया
	कुल	**4,842.13**	

इसके अतिरिक्त, तकनीकी राइट ऑफ पर कंपनी की नीति के अनुसार, ₹1,397.58 करोड़ की कुल राशि वाले पांच ऋण परिसंपत्तियों को तकनीकी रूप से राइट ऑफ किया गया है, जिनमें से ₹416.21 करोड़ का ऋण इंड-भारत पावर (मद्रास) लिमिटेड, ₹33.24 करोड़ का ऋण जस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ₹219.10 करोड़ का ऋण कोनासीमा गैस पावर लिमिटेड, ₹479.03 करोड़ का ऋण लैंको विदर्भ थर्मल पावर लिमिटेड और ₹250 करोड़ का ऋण श्री महेश्वर हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है।

6. **वित्तपोषण हेतु मूल्यांकन प्रणाली**

6.1 **निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु मूल्यांकन प्रणाली**

आपकी कंपनी के पास निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु अपने स्वयं के दिशानिर्देश हैं। प्रमोटर निकाय का मूल्यांकन प्रमोटर संस्थाओं के वित्तीय निष्पादन, साख, प्रबंधन दक्षता और क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर किया जाता है। परियोजना का मूल्यांकन विभिन्न तकनीकी मानदंडों जैसे सांविधिक मंज़ूरी, पीपीए, बुनियादी ढाँचा आदि के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार, परियोजना की 'एकीकृत रेटिंग' इकाई और परियोजना की संयुक्त रेटिंग के आधार पर निर्धारित की जाती है। आरईसी की ब्याज दरें और सुरक्षा संरचना निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को दी गई ऐसी एकीकृत रेटिंग से जुड़ी होती हैं।

6.2 **राज्य विद्युत उपयोगिताओं, संयुक्त उद्यमों, कंपनियों, संस्थाओं आदि की ग्रेडिंग**

आपकी कंपनी के पास राज्य विद्युत उपयोगिताओं (राज्य डिस्कॉम, राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी)/एकीकृत संचालन वाली संस्थानों और विद्युत विभागों को छोड़कर) की ग्रेडिंग के लिए एक सुपरिभाषित नीति और दिशानिर्देश हैं। वित्तपोषण के उद्देश्य से, कंपनी ने उपयोगिताओं/संस्थाओं को ए++, ए+, ए, बी और सी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है।

राज्य पारेषण उपयोगिताओं और राज्य व्यापारिक उपयोगिताओं की ग्रेडिंग, विशिष्ट मापदंडों, प्रचालन और वित्तीय निष्पादन, नियामक अनुपालन, वार्षिक वित्तीय परिणामों आदि के आधार पर संस्थान के प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने 25 संस्थाओं के संबंध में ग्रेडिंग पूरी कर ली है। इसके अलावा, 2 संस्थाओं अनुत्तरदायी थीं, इसलिए उन्हें ग्रेड नहीं दिया गया।

इसके अलावा, राज्य उत्पादन/धारक उपयोगिताओं की ग्रेडिंग पीएफसी द्वारा की जाती है और आरईसी द्वारा अपनाई जाती है। राज्य विद्युत वितरण संस्थानों (एसईबी/एकीकृत संचालन वाली संस्थानों और विद्युत विभागों सहित) के संबंध में, कंपनी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ("एमओपी") द्वारा रूपरेखा और रेटिंग के अनुमोदन के बाद, बाहरी सलाहकार द्वारा की गई अंतिम वार्षिक एकीकृत रेटिंग को अपनाती है।

6.3 **परियोजना निगरानी**

परियोजना निगरानी, आरईसी की जोखिम प्रबंधन तथा ऋण पर्यवेक्षण संरचना की एक प्रमुख एवं विशिष्ट सुदृढ़ता है। अपने ऋण पोर्टफोलियो के बढ़ते आकार, तकनीकी जटिलता तथा क्षेत्रगत विविधता को दृष्टिगत रखते हुए, आरईसी एक व्यापक परियोजना निगरानी दिशा-निर्देश पद्धति अपनाता है। यह रूपरेखा परियोजना जीवनचक्र के दौरान अर्थात् प्रथम ऋण आहरण से लेकर कमीशनिंग उपरांत स्थायित्व प्राप्त होने तक पर्यवेक्षण के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र सुनिश्चित करती है। परियोजना निगरानी दिशा-निर्देश स्वीकृत समय-सीमाओं के अनुरूप भौतिक प्रगति का मैपिंग, समय एवं लागत में वृद्धि को रोकने हेतु बाधाओं की प्रारंभिक पहचान तथा पूंजी के विचलन को रोकने के लिए स्थल पर सत्यापित कार्य-समापन के साथ निधि निर्गम का संरेखण सुनिश्चित करते हैं।

आरईसी द्वारा अनिवार्य रूप से वित्त पोषित सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं का आरईसी अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से भौतिक निरीक्षण किया जाता है। इन दौरों की तीव्रता और आवृत्ति को राज्य/निजी क्षेत्र और परियोजना श्रेणी, स्वीकृत कुल वित्तीय ऋण और संवितरण की स्थिति, निर्माण की अवस्था आदि के आधार पर गतिशील रूप से कैलिब्रेट किया जाता है। परियोजना निगरानी गतिविधियों की देखरेख कॉर्पोरेट कार्यालय में एक समर्पित टीम द्वारा की जाती है और संबंधित परिचालन प्रभागों के साथ निकट समन्वय में देश भर में क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से की जा रही है। एक समर्पित वेब-आधारित प्लेटफ़ॉर्म न केवल कार्यान्वयन के दौरान परियोजना की स्थिति की दृश्यता को सक्षम बनाता है, बल्कि उभरते जोखिमों का शीघ्र पता लगाने और उपयुक्त सूचना उत्पन्न करके उनके मुद्दों का त्वरित समाधान भी करता है।

निजी क्षेत्र के जोखिम से जुड़े विशिष्ट जोखिमों को संबोधित करने के लिए, आरईसी परियोजना प्रबंधन एजेंसियों (पीएमए) की भागीदारी द्वारा स्वतंत्र तीसरे पक्ष के सत्यापन को एकीकृत करता है, जो समय-समय पर क्षेत्र का निरीक्षण करता है और भौतिक प्रगति, आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं और उभरते क्रेडिट जोखिमों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, उच्च-मूल्य और "महत्वपूर्ण श्रेणी" की परियोजनाओं को समय-समय पर वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा समीक्षा हेतु विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि जटिल परियोजना-विशिष्ट चुनौतियों को हल करने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप और नीति-स्तरीय निर्णय शीघ्रता से लिए जाएं। निगरानी का अधिदेश वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) से आगे भी परियोजना के चालू प्रदर्शन को ट्रैक करके, दीर्घकालिक परिसंपत्ति गुणवत्ता और बकाया राशि की समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए भी है।

7. **वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तपोषण गतिविधियाँ**

कंपनी विद्युत उत्पादन (पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा सहित), पारेषण और वितरण परियोजनाओं, गाँवों के विद्युतीकरण सहित बुनियादी ढाँचा और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं और भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है।

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख वित्तपोषण गतिविधियों का विवरण निम्नलिखित है:

7.1 **उत्पादन**

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आपकी कंपनी ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के कार्यान्वयन, निष्पादन सुधार, कोयला खनन परियोजनाओं, कोयले की खरीद,

आरईसी द्वारा वित्तपोषित 1,400 मेगावाट सनब्रीज़ रिन्यूएबल्स संयंत्र, बीकानेर, राजस्थान।

थर्मल परियोजनाओं के नवीकरण और आधुनिकीकरण (आरएंडएम) आदि सहित उत्पादन परियोजनाओं (हाइड्रो परियोजनाओं को छोड़कर) के लिए 48 ऋण स्वीकृत किए और कुल 1,28,876.43 करोड़ रुपए की ऋण सहायता स्वीकृत की, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण राशि
राज्य क्षेत्र	**45**	**1,20,797.47**
नए ऋण	44	1,19,984.12
अतिरिक्त ऋण	1	813.35
निजी क्षेत्र	**3**	**8,078.96**
नए ऋण	3	8078.96
कुल	**48**	**1,28,876.43**

7.2 नवीकरणीय ऊर्जा

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने कुल 13,353.62 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं और पंप स्टोरेज परियोजनाओं सहित), बीईएसएस, सौर पार्क परियोजनाओं को ₹ 85,008.57 करोड़ की कुल ऋण सहायता के साथ 58 ऋण स्वीकृत किए हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण राशि
राज्य क्षेत्र	**14**	**40,897.72**
नए ऋण	13	40,848.92
अतिरिक्त ऋण	1	48.80
निजी क्षेत्र	**44**	**44,110.85**
नए ऋण	44	44,110.85
कुल	**58**	**85,008.57**

उपरोक्त ऋणों में 2,240 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 5 वृहद जलविद्युत परियोजनाएं, 4,348.62 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 27 सौर ऊर्जा परियोजनाएं, 500.90 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 9 पवन ऊर्जा परियोजनाएं, 5,314.10 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 12 सौर+पवन+बीईएसएस हाईब्रिड परियोजनाएं, 950 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 1 पम्प्ड स्टोरेज परियोजना, 3 बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजनाएं तथा 1 सौर पार्क अवसंरचना परियोजना शामिल हैं।

7.3 पारेषण और वितरण

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आपकी कंपनी ने भारत सरकार की आरबीपीएफ, आरडीएसएस, योजनाओं सहित कुल ₹ 1,45,727.17 करोड़ की ऋण सहायता वाली 364 पारेषण और वितरण (टीएंडडी) योजनाओं/परियोजनाओं को स्वीकृत किया।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान टीएंडडी श्रेणी के तहत स्वीकृत ऋणों का विवरण निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण राशि
राज्य क्षेत्र	**359**	**1,37,874.21**
पारेषण ऋण	128	16,243.20
वितरण ऋण	226	1,17,531.01
एलपीएस के तहत ऋण	1	500.00
आरबीपीएफ	4	3,600.00
निजी क्षेत्र	**5**	**7,852.96**
वितरण ऋण	5	7,852.96
कुल	**364**	**1,45,727.17**

7.4 बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने सड़कों, मेट्रो, हवाई अड्डे, सिटी गैस वितरण आदि जैसे क्षेत्रों में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में ₹ 41,784.34 करोड़ की कुल ऋण सहायता वाली इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं के लिए 7 ऋण स्वीकृत किया। बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स ऋणों का क्षेत्रवार विवरण निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण राशि
राज्य क्षेत्र	**5**	**40,284.34**
राजमार्ग/सड़कें	2	35,800.00
मेट्रो	1	2,593.47
सिटी गैस वितरण	1	1,440.87
अन्य	1	450.00
निजी क्षेत्र	**2**	**1500.00**

आरईसी द्वारा वित्तपोषित 4×125 मेगावाट कुंडाह पम्प्ड स्टोरेज परियोजना का ऊपरी जलाशय, तमिलनाडु।

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण राशि
हवाई अड्डा	2	1,500.00
कुल	**7**	**41,784.34**

7.5 अल्पकालिक/मध्यमकालिक ऋण और अन्य ऋण सहायता

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न विद्युत क्षेत्र के उधारकर्ताओं को उनकी अल्पकालिक, मध्यकालिक और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए कुल 7,700 करोड़ रुपए के 11 अल्पकालिक और मध्यकालिक ऋण स्वीकृत किए।

7.6 पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तपोषण गतिविधियां

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आपकी कंपनी ने पूर्वोत्तर राज्यों में 12 परियोजनाओं के लिए कुल 16,011.06 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की।

8. वर्तमान टी एंड डी परिदृश्य और अन्य सुधार

चूंकि देश की संस्थापित उत्पादन क्षमता 533 गीगावॉट (31 मार्च, 2026 तक की स्थिति के अनुसार) से अधिक के उच्च स्तर पर है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नियोजित बड़ी क्षमता के साथ पारेषण और वितरण (टीएंडडी) क्षेत्र में वृद्धि देखे जाने की आशा है। तकनीकी रूप से प्राचीन और पुराने होते वितरण ढांचे को मजबूत किए जाने की भी आवश्यकता है। समय की मांग है कि एक अत्याधुनिक मजबूत और विश्वसनीय पारेषण और वितरण प्रणाली स्थापित की जाए, जो अधिक भार को संभालने में सक्षम हो। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, जैसे नवीकृत वितरण क्षेत्र योजना आरडीएसएस के अंतर्गत बहुत से डिस्कॉम स्तरीय सुधारों के साथ विद्युत क्षेत्र में वितरण सर्वाधिक बल प्रदान किया जाने वाला क्षेत्र है। इसलिए, टीएंडडी खंड इस क्षेत्र को विश्वसनीय, किफायती और भविष्य के विकास को अवशोषित करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

आपकी कंपनी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की वित्त व्यवस्था एजेंसी के रूप में, नई अवसंरचना के निर्माण और मौजूदा नेटवर्क को बढ़ाने/मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाती है। आपकी कंपनी व्यापक रूप से प्रणाली सुधार और संवर्धन, हानि में कमी के उपायों, आईटी आधारित प्रणाली कार्यान्वयन, उपभोक्ता संतुष्टि आदि के उद्देश्यों के साथ पारेषण और वितरण परियोजनाओं के सभी पहलुओं को वित्त पोषित करती है, और इस प्रकार विद्युत क्षेत्र के विकास और स्थिरता तथा देश की समग्र सामाजिक-आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

8.1 वितरण क्षेत्र में प्रमुख सुधार

वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय और प्रचालन कार्य निष्पादन में सुधार के लिए सरकार ने हाल ही में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया है। वितरण क्षेत्र का सहयोग करने के लिए सरकार के नीतिगत ढांचे में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), राष्ट्रीय विद्युत कोष (एनईएफ), चलनिधि अंत:वोशन स्कीम (एलआईएस), विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएस) आदि जैसी पहलें शामिल हैं।

इसके परिणामस्वरूप प्रमुख अवसंरचना सृजन हुआ है और वितरण क्षेत्र में आपूर्ति पक्ष के अंतरों को पाटा गया है। डिस्कॉम को वांछित उपभोक्ता सेवा मानकों को पूरा करने के लिए अपनी प्रचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

यह इस उद्देश्य और 24x7 निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय और सस्ती विद्युत आपूर्ति प्रदान करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के साथ सुधार-आधारित और परिणाम-संयोजित नवीकृत वितरण क्षेत्र योजना आरडीएसएस वर्ष 2021 में डिस्कॉम में सुधार करने और समयबद्ध तरीके से प्रदर्शन में सुधार करने के लिए समर्थन देने के लिए शुरू की गई थी।

शेष गैर-विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जा रही है। भारत सरकार ने हाल ही में 15 नवंबर, 2023 को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमान) योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य 18 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लक्षित विकास का है। जनमान विद्युत मंत्रालय पीएम-जनमान के उद्देश्यों के साथ संरेखित करते हुए पीवीटीजी परिवारों के विद्युतीकरण के लिए आरडीएसएस ढांचे का उपयोग करता है। इसके अलावा, वीवीपी (वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम) के तहत पहचाने गए गांवों में घरों के विद्युतीकरण के प्रस्तावों को भी आरडीएसएस के तहत मंजूरी दी जा रही है। इसके अलावा, आरडीएसएस के अंतर्गत डीए-जेजीयूए के एकीकरण द्वारा सरकार का सभी अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए विद्युत पर साम्यतापूर्ण पहुंच को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।

सभी के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु

आरईसी द्वारा वित्तपोषित 9 एमएमटीपीए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना

हमारे महत्वाकांक्षी विकास कार्यक्रमों को और तेज करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने विद्युत संशोधन नियम, उपभोक्ता अधिकार नियम, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस को सक्षम करना और सब्सिडी मानक संचालन प्रक्रिया आदि के माध्यम से प्रमुख सुधार किए हैं। ये नियम वितरण क्षेत्र में आवश्यक नीति और नियामक परिवर्तनों को लागू करने का लक्ष्य रखते हैं, जिससे इसकी वित्तीय व्यवहार्यता, दक्षता और उपभोक्ता केंद्रितता बढ़े।

प्रमुख सुधार निम्नलिखित नियमों में संशोधन लाने के माध्यम से लाए गए हैं:

1. **विद्युत नियम, 2005 में संशोधन**

   क. विद्युत (संशोधन) नियम, 2022; ईंधन और विद्युत प्रापण समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) के स्वत पासथ्रू के लिए फार्मूला और प्रक्रिया के कार्यान्वयन को निर्धारित करता है।

   ख. विद्युत (संशोधन) नियम, 2023; इनमें विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 के अंतर्गत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की स्थापना, राज्य आयोग द्वारा लोकपाल की नियुक्ति आदि से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं ।

   ग. विद्युत (दूसरा संशोधन) नियम, 2023; सब्सिडी लेखांकन और भुगतान, वित्तीय स्थिरता के लिए फ्रेमवर्क, एटी एंड सी हानि प्रक्षेपवक्र पर राज्यों का मार्गदर्शन करने, हरित ऊर्जा खुली पहुंच आदि के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने को अधिसूचित किया गया।

   घ. विद्युत (संशोधन) नियम, 2024; ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त अधिभार प्रभार, लागत परिवर्तक प्रशुल्क आदि प्रभारित करने को कवर किया गया हैं।

   विद्युत (संशोधन) नियम, 2026 के अंतर्गत विद्युत नियम, 2005 के नियम 3 में, कैप्टिव जनरेटिंग संयंत्रों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन अधिसूचित किए गए, जिनका उद्देश्य स्वामित्व संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट करना, समूह कैप्टिव व्यवस्थाओं हेतु नियमों को सरल बनाना तथा सत्यापन के लिए एक स्पष्ट तंत्र स्थापित करना है।

2. **विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020:**

   क. विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) संशोधन नियम, 2021: सकल मीटरिंग को परिभाषित किया, 500 किलोवाट तक के भार के लिए नेट मीटरिंग और प्रोस्यूमर आदि के लिए सकल मीटरिंग की अनुमति दी।

   ख. विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) संशोधन नियम, 2022: डीजी सेट के उपयोग को कम करने के लिए मेट्रो शहरों में 24x7 बिजली आपूर्ति को अनिवार्य करता है, विश्वसनीयता सूचकांकों को परिभाषित करता है और विश्वसनीयता सूचकांकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए प्रावधान करता है।

   ग. विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) संशोधन नियम, 2023: स्मार्ट मीटर की रिमोट रीडिंग, उपभोक्ताओं के लिए समय-आधारित टैरिफ के कार्यान्वयन, टैरिफ में परिवर्तन पर उपभोक्ताओं को समय पर सूचना आदि के लिए प्रावधान शामिल हैं।

   घ. विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) संशोधन नियम, 2024: नए कनेक्शनों और मीटर के परीक्षण के लिए संशोधित समय-सीमा, आरडब्ल्यूए/सोसाइटियों के लिए कनेक्शन के लिए नियम निर्धारित किए गए और रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन आवश्यकताओं और समय-सीमा में संशोधन किया गया।

3. **विद्युत (नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस) नियम, 2022 और इसके संशोधन:**

   नियमों को अधिसूचित किया गया है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा तक आसान पहुंच को बढ़ावा मिलेगा, ओपन एक्सेस लेनदेन सीमा को 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट कर दिया गया है। ये नियम उपभोक्ताओं को एक राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से हरित बिजली खरीदने की अनुमति देते हैं, कैप्टिव खपत को प्रोत्साहित करते हैं, आरपीओ अनुपालन और हरित टैरिफ के लिए एक एकीकृत ढांचा प्रदान करते हैं, डिस्कॉम को मुआवजे के साथ मासिक आधार पर बैंकिंग की अनुमति देते हैं, ओपन एक्सेस शुल्क की वृद्धि पर सीमा से संबंधित प्रावधान और

8.2 पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)

8.2.1 सिंहावलोकन

भारत सरकार द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से अधिसूचित सुधार-आधारित एवं परिणाम-संबद्ध पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए आरईसी तथा पीएफसी नामित एजेंसियां हैं। यह योजना

₹3,03,758 करोड़ के कुल परिव्यय तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की 5 वर्ष की अवधि के दौरान केंद्र सरकार से ₹97,631 करोड़ के अनुमानित सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के प्रावधान के साथ संचालित की जा रही है। हालांकि, योजना के कार्यान्वयन की समय अवधि मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है (मार्च 2026 की पूर्व निर्धारित समाप्ति तिथि से आगे बढ़ाते हुए)। आरईसी को योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सौंपा गया है, अर्थात् असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पीएफसी को सौंपा गया है।

निजी क्षेत्र की डिस्कॉम को छोड़कर, सभी डिस्कॉम और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत विभाग इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। यह योजना डिस्कॉम के लिए वैकल्पिक है और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (निजी डिस्कॉम को छोड़कर) के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जानी है। यह योजना राज्यों को भारत सरकार की मंजूरी से राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित सुधार उपायों को अपनाने और बुनियादी ढांचागत कार्यों की योजना बनाने की अनुमति देती है। इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आईपीडीएस, डीडीयूजीजेवाई, पीएमडीपी-2015 की योजनाओं को भी आरडीएसएस के तहत समाहित किया गया है।

8.2.2 उद्देश्य

योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. वित्तीय रूप से सतत और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना;
2. एटीएंडसी हानियों को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15% तक कम करना।
3. एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य तक कम करें।

   एटी एंड सी हानियों/ एसीएस-एआरआर राजस्व अंतर में कमी लाने के लिए राज्य-वार वार्षिक लक्ष्य उनकी एटी एंड सी हानियों और एसीएस-एआरआर अंतर के वर्तमान स्तरों पर निर्भर करेंगे।

8.2.3 घटक

भाग क– मीटरिंग और वितरण बुनियादी ढांचा कार्य:

घटक-I: मीटरिंग

- इस भाग के अंतर्गत, हानियों को कम करने तथा स्वचालित ऊर्जा मापन, लेखांकन और लेखापरीक्षण को सक्षम करने के लिए, एएमआई द्वारा समर्थित उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर और फीडर एवं ट्रांसफार्मर स्तर पर सिस्टम मीटरिंग को पीपीपी (टीओटीईएक्स मोड) के तहत कार्यान्वित किया जाएगा।

घटक-II: वितरण बुनियादी ढांचा कार्य

- डिस्कॉम 66 केवी तक के हानि न्यूनीकरण और प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य कर सकती हैं। जिन क्षेत्रों में 33 केवी प्रणाली नहीं है, वहाँ उचित औचित्य और अनुमोदन के साथ 110 केवी के कार्यों की अनुमति दी जा सकती है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) चार्जिंग बुनियादी ढांचे को कनेक्टिविटी विनियमों के अनुसार उपभोक्ता या डिस्कॉम द्वारा निष्पादित की जा सकती है। डिस्कॉम अपने कार्य क्षेत्र और अपस्ट्रीम नेटवर्क संवर्धन के लिए आरडीएसएस निधि का लाभ उठा सकती हैं।
- प्रासंगिक अधिकारियों द्वारा यथा-निर्दिष्ट आपदा प्रबंधन और लचीलेपन (रेजिलिएंट) से जुड़े कार्य वित्तपोषण के लिए पात्र हैं तथा इन्हें अनुमोदन हेतु पृथक डीपीआर घटकों के रूप में शामिल किया जा सकता है।

घटक-III: परियोजना प्रबंधन

- डिस्कॉम परियोजना निर्माण और प्रबंधन के लिए एक या अधिक पीएमए नियुक्त करेंगी। पीएमए योजना निर्माण, डीपीआर तैयार करना, निविदा प्रक्रिया निगरानी, गुणवत्ता आश्वासन, निरीक्षण एवं मूल्यांकन गतिविधियों का कार्य संभाल सकते हैं।

भाग ख – प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा अन्य सक्षम और सहायक गतिविधियां:

- कौशल विकास, प्रक्रिया सुधार, जागरूकता और संचार, उपभोक्ता पहुंच, मूल्यांकन, स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर संवर्धन और मान्यता पहलों सहित सहायक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है।

8.2.4 वित्तपोषण पैटर्न

आरडीएसएस के तहत वित्त पोषण पैटर्न सुधारों और प्रदर्शन मील के पत्थर की उपलब्धि से जुड़ा हुआ है। भाग क के तहत, प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग को निश्चित प्रति मीटर सहायता या परियोजना लागत के प्रतिशत (जो भी कम हो) के साथ जीबीएस के माध्यम से समर्थन दिया जाता है, विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए उच्च समर्थन और समय पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाते हैं। वितरण बुनियादी ढांचे के कार्यों को 60% तक वित्त पोषण प्राप्त होता है (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90%)। भाग ख के तहत, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और संबंधित सक्षम गतिविधियों को पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाता है, जिसमें अनुमोदित परियोजना लागत का 100% समर्थन के लिए पात्र होता है।

8.2.5 विद्युत वितरण क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग

विद्युत वितरण क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों को अपनाने, विशेष

विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई इंडिया एनर्जी स्टैक के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव (वितरण) एवं आरईसी के भारत सरकार नामित निदेशक श्री शशांक मिश्रा तथा आरईसी के कार्यकारी निदेशक श्री प्रिंस धवन द्वारा जानकारी प्रदान करते हुए।

रूप से स्टार्टअप और उद्यमियों सहित प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाताओं (टीएसपी) को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है। सरकार आईटी/ओटी सिस्टम, डेटा-आईवीएन संचालन और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को समर्थन पर ध्यान केंद्रित करते हुए विद्युत वितरण में उन्नत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रही है। पावरथॉन और इंडिया एनर्जी स्टैक (आईईएस) जैसी पहल का उद्देश्य पूरे क्षेत्र में नवाचार और डिजिटल परिवर्तन को गति देना है।

8.2.5.1 पावरथॉन

पावरथॉन डिस्कॉम के लिए नवीन समाधानों की पहचान, पायलट और स्केलिंग करके उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देता है। चरण में चयनित समाधानों को शॉर्टलिस्ट किया गया, प्रमुख परियोजनाओं को पहले से ही उपयोगिताओं में बढ़ाया गया है। चरण (पावरथॉन 2.0) प्रमुख क्षेत्रों में वित्त पोषण, सलाह और पायलट कार्यान्वयन के साथ स्टार्टअप्स के लिए समर्थन का विस्तार करता है, दक्षता, नवीकरणीय एकीकरण और हानि में कमी को बढ़ाता है।

8.2.5.2 इंडिया एनर्जी स्टैक: विद्युत क्षेत्र में डिजिटल नवाचार को गति

इंडिया एनर्जी स्टैक (आईईएस) संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में सुरक्षित, अंतर-संचालनीय और डेटा-संचालित एकीकरण को सक्षम करने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना पहल है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, दक्षता और नवाचार में सुधार करना है, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और वितरित ऊर्जा प्रणालियों को सहायता प्रदान करना है। इसके प्रगति कार्यों में अवसंरचना/वास्तुकला का विकास, हितधारकों की सहभागिता, तथा मानकीकृत रूपरेखाओं और त्वरक कार्यक्रमों के माध्यम से पायलट कार्यान्वयन शामिल है।

आईईएस उपयोग के मामले और क्षेत्र

उपयोग परिदृश्य	क्षेत्र
इंटर डिस्कॉम पी2पी लेन-देन	प्रोसमर्स को टीएसपी संचालित प्लेटफार्मों के माध्यम से डिस्कॉम ग्रिड पर अन्य उपभोक्ताओं को अतिरिक्त रूफटॉप सौर बेचने में सक्षम बनाता है; पीएम सूर्य घर को आजीविका मॉडल तक विस्तारित करता है।
ऊर्जा प्रमाण पत्र	उपभोक्ता प्रोफ़ाइल और कनेक्शन डेटा के लिए डिजीलॉकर द्वारा जारी किए गए छेड़छाड़-मुक्त क्रेडेंशियल्स; जो बार-बार केवाईसी की आवश्यकता के बिना पते का प्रमाण, पी2पी पात्रता और योजनाओं में नामांकन को सक्षम बनाते हैं।
एनर्जी डेटा एक्सचेंज	द्वि-स्तरीय डेटा परत: मशीन-पठनीय हस्ताक्षरित जेएसओएन (ऊर्जा डेटा निर्देशिका) के रूप में प्रकाशित सार्वजनिक शुल्क/टैरिफ डेटा और अधिकृत तृतीय पक्षों के लिए सहमति-आधारित प्रतिबंधित डेटा विनिमय।
डीईआर दृश्यता	उन क्षेत्रों में जहां उत्पादन मीटर अनुपस्थित हैं, वितरित ऊर्जा उत्पादन की लगभग वास्तविक में दृश्यता प्रदान करना, जो डिस्कॉम के ग्रिड परिचालन में एक महत्वपूर्ण कमी को दूर करता है।
कंज्यूमर साइड फ्लेक्सिबिलिटी	अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा मांग लचीलेपन भागीदारी के लिए प्रोटोकॉल, मूल्य-उत्तरदायी भार और सहायक सेवाओं के लिए आधार तैयार करना।
डिजिटल उपभोक्ता जीवनचक्र प्रबंधन	कनेक्शन, सर्विसिंग और निकास में मानकीकृत डिजिटल वर्कफ़्लो - उपभोक्ता यात्रा में मैनुअल प्रोसेसिंग को कम करना
ईवी चार्जिंग	सार्वजनिक और निजी ईवी चार्जिंग अवसंरचना को एनर्जी स्टैक के साथ एकीकृत करने के लिए अंतर-संचालनीय (इंटरऑपरेबल) डेटा और लेन-देन प्रोटोकॉल।

इंडिया एनर्जी स्टैक के उपयोग के मामलों का प्रदर्शन

आईईएस एक्सीलरेटर के भाग के रूप में, वास्तविक परिचालन वातावरण में आईईएस प्रोटोकॉल की प्रयोज्यता को मान्य करने के लिए उच्च प्रभाव वाले, नागरिक-केंद्रित उपयोग के मामलों का प्रदर्शन किया गया:

पीयर-टू-पीयर (पी2पी) एनर्जी एक्सचेंज

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में अंतर-डिस्कॉम पी2पी ऊर्जा विनिमय का प्रदर्शन किया गया, जिसमें यह प्रदर्शित किया गया कि आईईएस प्रोटोकॉल रूफटॉप सौर प्रोस्यूमरों को अन्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित रूप से अधिशेष विद्युत बेचने में किस प्रकार सक्षम बनाते हैं। यह पीएम सूर्य घर को स्व-उपभोग मॉडल से आजीविका-उन्मुख ढांचे तक विस्तारित करता है, जिससे बाजार भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।

डिजीलॉकर से ऊर्जा प्रमाण-पत्र

भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट में डिजीलॉकर से एकीकृत आईईएस-सक्षम डिजिटल ऊर्जा क्रेडेंशियल्स का लाइव प्रदर्शन किया गया, जिससे पते के प्रमाण और योजनाओं की पात्रता के लिए सुरक्षित एवं कागज-रहित सत्यापन संभव हो सका।

हितधारक आउटरीच और इकोसिस्टम निर्माण

आरईसी ने आईईएस को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर व्यापक आउटरीच और जागरूकता पहल की हैं। ये प्रयास दक्षता, नवाचार और ऊर्जा सेवाओं तक समावेशी पहुँच को बढ़ाते हुए एक भविष्य के लिए तैयार, डिजिटल रूप से सक्षम विद्युत क्षेत्र के विकास का समर्थन करते हैं।

8.3 राष्ट्रीय विद्युत कोष

आरईसी राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) के संचालन के लिए नोडल एजेंसी है, जो एक ब्याज सब्सिडी योजना है जिसमें 8,466 करोड़ रुपए (ब्याज सब्सिडी और अन्य

भारत ऊर्जा स्टैक कार्यदल की बैठक के दौरान भारत ऊर्जा स्टैक टास्कफोर्स के अध्यक्ष डॉ. राम सेवक शर्मा, आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव (वितरण) एवं आरईसी के सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री शशांक मिश्रा के साथ अन्य अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति की उपस्थिति

आकस्मिक व्ययों के प्रति) का प्रावधान है, जिसे दो वित्तीय वर्षों अर्थात 2012-13 और 2013-14 के दौरान संस्वीकृत वितरण योजनाओ के लिए 23,973 करोड़ रुपए के ऋण संवितरण पर प्रदत्त ब्याज के लिए 14 वर्षों में प्रदान किया जाना है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार वितरण क्षेत्र में अवसंरचना के सुधार के लिए सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में राज्य विद्युत उपयोगिताओं और वितरण कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है। इस सुधार से जुड़ी योजना में, एनईएफ दिशानिर्देशों में उल्लिखित सुधार-आधारित मापदंडों की उपलब्धि पर, डिस्कॉम को 3% से 7% की सीमा में ब्याज सब्सिडी देय है।

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों की संस्थाएं पहले ही इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं जिसमें 31 मार्च, 2026 तक 2,864.48 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी जारी की गई है।

8.4 प्रधानमंत्री विकास पैकेज

प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी-2015) को 90% केंद्रीय अनुदान समर्थन के साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में वितरण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना में प्रणाली को मजबूत करना, घरेलू विद्युतीकरण, मीटरिंग और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। आरईसी ने मार्च 2026 तक 2,559.31 करोड़ रुपये जारी किए हैं और योजना के तहत परियोजनाओं को आरडीएसएस के तहत शामिल किया गया है और वे वित्त पोषण के लिए पात्र हैं।

8.5 डिस्कॉम की उपभोक्ता सेवा रेटिंग

यह देश भर में डिस्कॉम की उपभोक्ता केंद्रित सेवा और परिचालन मापदंडों के संदर्भ में ग्रेडिंग के लिए एमओपी की पहल के तहत आरईसी द्वारा आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। स्कोरिंग चार व्यापक मापदंडों में है जैसे कि परिचालन विश्वसनीयता, कनेक्शन और अन्य सेवाएं, मीटरिंग, बिलिंग और संग्रह और दोष सुधार और शिकायत निवारण। ग्रेड का निर्धारण इन चार व्यापक मापदंडों के तहत 23 उप-मापदंडों में डिस्कॉम द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए डिस्कॉम की उपभोक्ता सेवा रेटिंग की 5वीं संस्करण 20 मार्च, 2026 को माननीय केंद्रीय मंत्री (विद्युत और आवास और शहरी मामलों) और माननीय राज्य मंत्री विद्युत द्वारा प्रकाशित की गई है। इस अवसर पर देश भर के 66 डिस्कॉम ने प्रतिभागिता की।

8.6 वितरण संस्थानों की रैंकिंग

यह विद्युत मंत्रालय की पहल के तहत आरईसी द्वारा संचालित एक वार्षिक अभ्यास है। वितरण संस्थान रैंकिंग (डीयूआर) डिस्कॉम के प्रदर्शन का एक बहुआयामी मूल्यांकन प्रदान करती है और डिस्कॉम की एक सर्वांगीण रैंकिंग प्रस्तुत करती है। यह छह महत्वपूर्ण मापदंडों—डिस्कॉम की वार्षिक एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग, डिस्कॉम की उपभोक्ता सेवा रेटिंग, नवीकरणीय खरीद दायित्व, संचार योग्य प्रणाली मीटरिंग, मांग पक्ष अनुक्रिया (डिमांड साइड रिस्पॉन्स) और संसाधन पर्याप्तता (रिसोर्स एडिक्वेसी)—के आधार पर डिस्कॉम के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। डिस्कॉम को प्रत्येक डिस्कॉम द्वारा प्राप्त संयुक्त स्कोर के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है, जिसकी गणना इन छह मापदंडों में प्राप्त अंकों के भारित औसत के रूप में की जाती है।

इसके अतिरिक्त, निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित करने के लिए, वितरण उपयोगिताओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात 'शहरी संस्थाएं', 'विशेष श्रेणी राज्य संस्थाएं' और 'वितरण संस्थाएं (शहरी एवं विशेष श्रेणी राज्य संस्थानों को छोड़कर)'। वित्तीय वर्ष 2024-25 को कवर करने वाले दूसरे संस्करण में देशभर की 66 डिस्कॉम ने भाग लिया।

आरईसी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डीयूआर रिपोर्ट का पहला संस्करण फरवरी 2025 में प्रकाशित किया था और माननीय केंद्रीय मंत्री (विद्युत और आवासन एवं शहरी कार्य) तथा माननीय राज्य मंत्री (विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय) द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दूसरा संस्करण 20 मार्च 2026 को जारी किया गया है।

8.7 विद्युत संस्थानों के प्रमुख विनियामक मापदंड

आरईसी नीति निर्माण का समर्थन करने, संस्थाएं प्रदर्शन में सुधार करने और क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए त्रैमासिक रूप से प्रमुख नियामक पैरामीटर (केआरपी) रिपोर्ट प्रकाशित करता है। रिपोर्ट हाल के वर्षों के प्रमुख मेट्रिक्स का उपयोग करके डिस्कॉम, ट्रांसको और जेनको के बीच तुलना करने में सक्षम बनाती है। यह जुलाई 2021 में लॉन्च होने के बाद से तिमाही अद्यतन के साथ टैरिफ, ओपन एक्सेस शुल्क, इक्विटी पर रिटर्न, नियामक अनुपालन और रूफटॉप सौर कार्यान्वयन जैसे मापदंडों पर राज्यों में विश्लेषण को समाहित करता है।

8.8 राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली

राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली (एनएफएमएस) भारत सरकार की एक अभूतपूर्व पहल है, जिसका नेतृत्व आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 'आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड' (आरईसीपीडीसीएल) द्वारा 11 केवी और उससे अधिक के आउटगोइंग वितरण फीडरों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बिजली की विश्वसनीयता की निगरानी हेतु किया जा रहा है। इसे राज्य डिस्कॉम के फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम (एफएमएस) के साथ एकीकरण की व्यवस्था के माध्यम से हासिल किया जाता है। 2.5 लाख फीडरों के लक्ष्य के मुकाबले, 31 मार्च 2026 तक 2.33 लाख फीडरों को एनएफएमएस में एकीकृत किया जा चुका है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत के 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 73 डिस्कॉम के सहयोगात्मक प्रयासों से हासिल हुई है।

8.9 पारेषण परियोजनाओं का कार्यान्वयन:

आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, अर्थात आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) देश भर की विभिन्न पारेषण उपयोगिताओं के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) और परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में कार्य कर रही है। आरईसीपीडीसीएल वर्तमान में लद्दाख पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (एलपीडीडी) की ओर से पीएमडीपी-15 के तहत लद्दाख की नुब्रा और जांस्कर घाटी में 220 केवी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) पारेषण लाइनों (टीएल) के साथ-साथ आधुनिक गैस इंसुलेटेड सब-स्टेशन का कार्यान्वयन कर रही है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में निष्पादित की जा रही ये पारेषण परियोजनाएं रणनीतिक और प्रतिष्ठित प्रकृति की हैं, जो लद्दाख क्षेत्र के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायक होंगी। इन परियोजनाओं के पूरा होने से देश के सुदूरवर्ती क्षेत्र क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ जाएंगे, जिससे डीजी सेटों पर निर्भरता कम करने और तदनुसार लद्दाख क्षेत्र में समग्र कार्बन पदचिह्न को घटाने में मदद मिलेगी।

8.10 स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग

आरईसी की पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी आरईसीपीडीसीएल, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में देश के अनेक राज्यों में उन्नत मीटरिंग अवसंरचना (एएमआई) परियोजनाओं के कार्यान्वयन का दायित्व निभा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक, आरईसीपीडीसीएल, आरडीएसएस के तहत जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कुल 7.63 लाख मीटर और कश्मीर क्षेत्र में कुल 7.28 लाख मीटर के दायरे के मुकाबले क्रमशः 3.53 लाख स्मार्ट मीटर और 3.54 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित किए गए हैं। गुजरात राज्य में, आरईसीपीडीसीएल आरडीएसएस योजना के तहत दो वितरण संस्थानों अर्थात डीजीवीसीएल और पीजीवीसीएल में चार एएमआई परियोजनाओं के लिए पीआईए के रूप में कार्य कर रहा है, जिसका कुल दायरा 98.56 लाख स्मार्ट मीटर है। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक, आरईसीपीडीसीएल ने डीजीवीसीएल और पीजीवीसीएल में कुल 11.25 लाख स्मार्ट मीटर (डीजीवीसीएल परियोजना-1 और 2 में) और 6.07 लाख स्मार्ट मीटर (पीजीवीसीएल परियोजना-1 और 2 में) स्थापित किए हैं।

8.11 नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता पहल

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आरईसीपीडीसीएल, आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना के तहत सरकारी भवनों के रूफटॉप सौरीकरण के लिए नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा योजना कार्यान्वयन भागीदार (एसआईपी) के रूप में सूचीबद्ध होने सहित प्रमुख पहलों के माध्यम से अपने नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो को

मजबूत किया। कंपनी ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के साथ एक मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन एजेंसी के रूप में सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया भी शुरू की, साथ ही सौर, फ्लोटिंग सोलर, बैटरी ऊर्जा भंडारण आदि के विकास का समर्थन करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये प्रयास भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और स्थिरता लक्ष्यों का समर्थन करने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

8.12 पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

भारत सरकार ने सौर रूफटॉप क्षमता बढ़ाने और आवासीय घरों को अपने विद्युत उत्पन्न करने के लिए सशक्त बनाने हेतु 29 फरवरी, 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी। इस योजना का परिव्यय 75,021 करोड़ रुपए (जिसमें 65,700 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता शामिल है) है और इसे वित्तीय वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है। इस योजना को 16 मार्च, 2024 को आदेश संख्या 318/17/2024-ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप के माध्यम से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

यह योजना 1 करोड़ आवासीय घरों में रूफटॉप सौर प्रणालियों को स्थापित करने का लक्ष्य रखती है, जो प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त/कम लागत वाली विद्युत प्रदान करती है। यह स्थापित क्षमता से 1,000 बिलियन यूनिट नवीकरणीय विद्युत उत्पन्न करने का लक्ष्य रखती है, जिससे इन रूफटॉप सौर परियोजनाओं के 25 वर्ष के कार्यकाल में 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष उत्सर्जन को कम करने की उम्मीद है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचे के तहत भारत की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) की प्रतिबद्धता का समर्थन करती है, जिसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र में 30 गीगावाट रूफटॉप सौर क्षमता प्राप्त करना है।

यह योजना 2 केडब्ल्यूपी की बेंचमार्क लागत का 60% और अतिरिक्त केडब्ल्यूपी की बेंचमार्क लागत का 40% कवर करने वाली पर्याप्त सब्सिडी प्रदान करती है, जो 3 केडब्ल्यूपी तक सीमित है।

क्र. सं.	आवासीय खंड का प्रकार	केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)	सीएफए (विशेष श्रेणी राज्य)
1	आवासीय क्षेत्र (आरटीएस क्षमता के पहले 2 केडब्ल्यूपी या तत्संबंधी भाग)	30,000/ रुपए प्रति केडब्ल्यूपी	33,000/ रुपए प्रति केडब्ल्यूपी
2	आवासीय क्षेत्र (1 केडब्ल्यूपी या तत्संबंधी भाग की अतिरिक्त आरटीएस क्षमता)	18,000/ रुपए प्रति केडब्ल्यूपी	19,800/ रुपए प्रति केडब्ल्यूपी
3	आवासीय क्षेत्र (3 केडब्ल्यूपी से परे अतिरिक्त आरटीएस क्षमता)	कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं	कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं
4	ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी/ आवासीय वेल्फेयर एसोसिएशन (जीएचएस/ आरडब्ल्यूए) आदि को 500 केडब्ल्यूपी तक ईवी चार्जिंग सहित समान सुविधाओं के लिए (प्रति घर 3 केडब्ल्यूपी की दर से)	18,000/ रुपए प्रति केडब्ल्यूपी	19,800/ रुपए प्रति केडब्ल्यूपी

- **31 मार्च, 2026 तक प्रगति**

31 मार्च, 2026 तक, पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के तहत कुल 68.81 लाख आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 33.64 लाख इंस्टॉलेशन पूरे किए गए (जिसमें 6.51 लाख घरों को कवर करने वाले आरडब्ल्यूए परिवार शामिल हैं)। कुल स्थापित क्षमता 9.92 गीगावाट तक पहुंच गई और 19,454.17 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) 24.75 लाख लाभार्थियों को वितरित की गई है।

इसके अतिरिक्त, रूफटॉप सौर योजना चरण II को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में शामिल किया गया है।

9. सरकारी कार्यक्रमों के तहत निष्पादन और उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान और 31 मार्च, 2026 तक संचयी रूप से विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत निष्पादन और उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

9.1 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आरडीएसएस और पीएमडीपी-2015 के तहत निष्पादन और उपलब्धियां:

क. **स्वीकृति और वितरण:** वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आरईसी (नोडल एजेंसी) को सौंपे गए राज्यों में स्मार्ट मीटरिंग और हानि में कमी के कार्यों सहित पीएमए शुल्क के साथ 872.55 करोड़ रुपए की राशि आरडीएसएस के तहत स्वीकृत की गई।

भारत सरकार की सब्सिडी आरईसी के माध्यम से दी जाती है और संबंधित राज्य सरकार या कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण या अपने स्वयं के स्रोतों से मिलान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 8,448.98 करोड़ रुपये की जीबीएस राशि जारी की गई है और उनके द्वारा उपयोग की गई है। इसके अलावा, पीएमडीपी 2015 के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को 323.22 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी से पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में एनपीआईए के रूप में आरईसी की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मान प्राप्त करते हुए आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव।

ख. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भौतिक प्रगति:

- वित्तीय वर्ष 2025-26 में आरडीएसएस के तहत स्थापित स्मार्ट उपभोक्ता मीटरिंग की संख्या: 1,58,02,026 ।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 तक आरडीएसएस के तहत हानि में कमी के कार्यों की भौतिक प्रगति: 38.61%

9.2 31 मार्च, 2026 तक संचयी प्रदर्शन

क. स्वीकृति और वितरण : आरडीएसएस के तहत, गांवों को ग्रिड कनेक्टिविटी, नए सबस्टेशन की मंजूरी, शेष कृषि फीडरों के पृथक्करण, स्मार्ट मीटरिंग के लिए सहायक वस्तुओं, अतिरिक्त घरेलू विद्युतीकरण (पीवीटीजी और डीए-जेजीयूए एचएच सहित) और नोएडा के लिए आधुनिकीकरण कार्यों के लिए आरईसी (नोडल एजेंसी) को आवंटित राज्यों को 1,60,369.51 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। योजना की शुरुआत के बाद से, 31 मार्च, 2026 तक आरडीएसएस के तहत नोडल एजेंसी के रूप में आरईसी द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार के अनुदान निधि के 21,634.14 करोड़ रुपये और पीएमडीपी-2015 के तहत 2,559.31 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

ख. आरडीएसएस के तहत भौतिक प्रगति

आरडीएसएस योजना (आरईसी राज्य) के तहत शुरुआत से लेकर 31 मार्च, 2026 तक निम्नलिखित कार्य संचयी रूप से पूरे किए गए हैं:

- आरडीएसएस के तहत स्थापित स्मार्ट उपभोक्ता मीटरिंग की संख्या: 2,45,07,111
- वित्तीय वर्ष 2025-26 तक आरडीएसएस के तहत हानि में कमी के कार्यों की भौतिक प्रगति: 38.61%

10. मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी

आरईसी वितरण प्रणालियों के लिए मानकीकृत विनिर्देशों, डिजाइन मापदंडों और निर्माण प्रथाओं के माध्यम से राज्य बिजली संस्थानों को व्यापक तकनीकी और परिचालन सहायता प्रदान करता है। 19 राज्यों में आरडीएसएस के लिए नोडल एजेंसी के रूप में, आरईसी परियोजना कार्यान्वयन में गुणवत्ता और निरंतरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

गुणवत्ता आश्वासन एक मजबूत निगरानी ढांचे के माध्यम से बनाए रखा जाता है जिसमें टीपीक्यूएमए द्वारा तीसरे पक्ष की गुणवत्ता निरीक्षण के साथ-साथ डिस्कॉम द्वारा आंतरिक गुणवत्ता जांच शामिल है। इन निरीक्षणों में महत्वपूर्ण उपकरणों के पूर्व-प्रेषण सत्यापन, सामग्री के नमूनों का प्रयोगशाला परीक्षण और निष्पादन के विभिन्न चरणों में कार्यों का क्षेत्र निरीक्षण शामिल है।

मानकों के अनुपालन और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए परियोजना की प्रगति के 30%, 80% और 100% चरणों में मैदानी कार्यों का गुणवत्ता निरीक्षण (एफडब्ल्यूक्यूआई) आयोजित किए जाते हैं। निरीक्षण परिणामों के आधार पर सामग्री निकासी या अस्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। यह संरचित दृष्टिकोण आरडीएसएस परियोजनाओं में विश्वसनीयता, दक्षता और अनुपालन सुनिश्चित करता है।

11. जोखिम प्रबंधन

कंपनी की एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें क्रेडिट जोखिम प्रचालन जोखिम, चलनिधि जोखिम और बाजार जोखिम सहित विभिन्न जोखिम शामिल है। कंपनी ने अपने विभिन्न जोखिमों की पहचान की है और उन्हें कम करने के लिए लगातार उचित कदम उठा रही है।

प्रमुख जोखिमों और उनके शमनीकरण उपायों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

(i) **ऋण जोखिमः** ऋण जोखिम वित्तपोषण उद्योग में निहित जोखिम है और इसमें उधारकर्ता की क्रेडिट गुणवत्ता में कमी और इस जोखिम से उत्पन्न होने वाले हानि का जोखिम शामिल है कि उधारकर्ता ऋण या अग्रिम के तहत संविदात्मक पुनर्भुगतान में चूक करेगा।

इसे कम करने के लिए, कंपनी ऋण जोखिम का आकलन करने के लिए व्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करती है। इन प्रक्रियाओं में विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना और ऋण जोखिम शमन उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एक अधिक सूक्ष्म परियोजना जोखिम वर्गीकरण रूपरेखा विकसित की गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परियोजना स्तर पर जोखिम का आकलन किया जाता है तथा 'उच्च' अथवा 'मध्यम' जोखिम श्रेणी की परियोजनाओं पर जोखिम प्रबंधन उप-समिति (आरएमएससी) तथा जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की बैठकों में विचार-विमर्श किया जाता है।

(ii) **प्रचालनात्मक जोखिमः** प्रचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से उत्पन्न होता है।

कंपनी के प्रचालन जोखिमों का अध्ययन व्यवसाय, अनुपालन, वित्त, मानव संसाधन, साइबर सुरक्षा, कानूनी, प्रचालन और सामरिक जैसे सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में किया जाता है। कंपनी ने एक व्यापक जोखिम रजिस्टर लागू किया है, जिसके माध्यम से सभी प्रचालन जोखिमों को मापा जाता है और उन्हें उच्च, मध्यम या निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(iii) **तरलता जोखिमः** कंपनी की परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबद्ध परिपक्वता असंगति के कारण उत्पन्न होने वाला तरलता जोखिम, देयताओं के परिपक्व होने पर उन्हें पूरा करने में संभावित असमर्थता से संबंधित है। देनदारियों को पूरा करने में संभावित अक्षमता का जोखिम शामिल होता है क्योंकि वें देय हो जाती है। तरलता जोखिम में कंपनी की परिसंपत्तियों में वृद्धि को धन प्रदान करने, वित्त पोषण स्रोतों में अनियोजित परिवर्तनों का प्रबंधन करने और आवश्यकता पड़ने पर दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता शामिल है। कंपनी को चलनिधि जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए प्रतिकूल शर्तों पर धन जुटाने या परिसंपत्तियों को समाप्त करने की आवश्यकता हो सकती है।

तरलता जोखिम को कम करने के लिए, परियोजना संवितरण और परिपक्व दायित्वों के आधार पर दूरदर्शी संसाधन जुटाने सहित रणनीतियों का मिश्रण शामिल होता है।

(iv) **बाजार जोखिमः** कंपनी के बाजार जोखिम को कंपनी की आय और पूंजी के लिए जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है, जो बाजार की गतिशीलता में बदलाव के कारण उत्पन्न होता है, जैसे ब्याज दर या प्रतिभूतियों की कीमतें, विदेशी मुद्रा में उतार चढ़ाव।

आपकी कंपनी ने बाजार जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न जोखिम सीमाएं लागू की है। कंपनी ने ब्याज दर जोखिम, तरलता जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम सहित बाजार जोखिम के घटकों की निगरानी के लिए एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति का भी गठन किया है।

(v) **ब्याज दर जोखिमः** ब्याज दर जोखिम बाजार ब्याज दरों में उतार चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली संभावित हानि है।

ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए, आपकी कंपनी समय-समय पर प्रचलित बाजार दरों के आधार पर अपनी उधार दरों और उधार की भारित औसत लागत की समीक्षा करती है।

(vi) **विदेशी मुद्रा जोखिमः** विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम में मुद्राओं के बीच विनिमय दर में उतार-चढ़ाव शामिल होता है जो विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की परिसंपत्तियों, देनदारियों और तुलन-पत्र से इत्तर व्यवस्था के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

कंपनी उचित हेजिंग रणनीतियों के माध्यम से विनिमय दर और ब्याज दर से जुड़े विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करती है।

(vii) **पर्यावरण, सामाजिक और शासन संबंधी (ईएसजी) जोखिमः** ईएसजी संबंधी जोखिम पर्यावरणीय, सामाजिक और सुशासन कारकों से उत्पन्न

होते हैं जिनका कंपनी के प्रचालन, वित्तीय प्रदर्शन और प्रबंधन पर प्रभाव पड़ता है। विश्व भर में संबंधित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती जलवायु चिंताओ और सरकारों के प्रोत्साहन के कारण, ईएसजी संबंधी जोखिमों पर बहुत महत्व दिया गया है।

आरईसी अपने प्रचालन, वित्तीय और जोखिम प्रबंधन से जुड़े निर्णय लेने में पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी विचारों को शामिल करता है। इस संबंध में, कंपनी ने फोकस क्षेत्रों को कवर करते हुए एक ईएसजी नीति तैयार और कार्यान्वित की है।

11.1 सूचना और साइबर सुरक्षा पहलें

वित्तीय वर्ष 2025-26 साइबर सुरक्षा परिपक्वता, जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रत्यास्थता पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने का वर्ष रहा। आरईसी के डेटा सेंटर तथा आपदा पुनर्प्राप्ति केंद्र का उन्नयन किया गया तथा उन्हें नवीनतम मानक आईएसओ/आईईसी 27001:2022 (आईएसएमएस) के अनुरूप पुनः प्रमाणित किया गया। यह प्रमाणन आरईसी की महत्वपूर्ण व्यावसायिक परिचालन प्रक्रियाओं तथा प्रणालियों की प्रत्यास्थता और सुरक्षा की पुनर्पुष्टि करता है।

आरईसी के पास भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप, सभी महत्वपूर्ण व्यावसायिक परिचालनों के लिए एक सुव्यवस्थित व्यावसायिक निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा रिकवरी (डीआर) योजना उपलब्ध है।

सीईआरटी-इन और एमईआईटीवाई के दिशानिर्देशों के अनुरूप, आरईसी ने अक्टूबर 2025 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (एनसीएसएएम) मनाया है। "साइबर जागरूक भारत" विषय के तहत पहलों ने संगठन-व्यापी जागरूकता और साइबर स्वच्छता प्रथाओं को मजबूत किया।

आरईसी भारतीय रिज़र्व बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी शासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं का अनुपालन करता है, जिससे एक मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचा सुनिश्चित होता है। आरईसी ने एक अग्रसक्रिय खतरे संबंधी आसूचना ढांचे को भी लागू किया है।

आरईसी की साइबर सुरक्षा में सुधार लाने तथा सुरक्षा संबंधी कमियों की पहचान एवं उनका निवारण करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर दिशानिर्देशों के अनुपालन में अर्धवार्षिक आधार पर 'वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनेट्रेशन टेस्टिंग' (वीएपीटी) आयोजित की गई। आरईसी ने व्यावसायिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अर्धवार्षिक आधार पर आपदा रिकवरी ड्रिल का सफलतापूर्वक संचालन किया, ताकि परिचालनों को शीघ्रता से पुनः बहाल किया जा सके।

साइबर और सूचना सुरक्षा में आरईसी के नेतृत्व को निम्नलिखित राष्ट्रीय पुरस्कारों द्वारा भी मान्यता दी गई थी:

- श्री के. वेणुगोपाल को इनसाइट सीएक्सओ अवॉर्ड 2025 द्वारा 'सीआईएसओ ऑफ द ईयर' पुरस्कार से सम्मानित
- साइबर सुरक्षा नेतृत्व के तहत सिल्वर अवार्ड 2025 - कार्रवाई में साइबर सुरक्षा और लचीलापन

11.2 जोखिम प्रबंधन समिति और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति

कंपनी के पास जोखिम प्रबंधन समिति और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति है। 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार इन समितियों की संरचना तथा उनसे संबंधित अन्य विवरण इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-II में निहित कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिए गए हैं।

12. जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा

कंपनी के पास अप्रैल 2022 से एक बोर्ड द्वारा स्वीकृत जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) नीति/मैनुअल है, जो इसके समग्र जोखिम प्रबंधन ढांचे के साथ संरेखित है। यह निदेशक मंडल, लेखापरीक्षा समिति और वरिष्ठ प्रबंधन को कंपनी के आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन और शासन प्रणालियों और प्रक्रियाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन प्रदान करता है। यह 5,000 करोड़ रुपए और उससे अधिक की परिसंपत्ति आकार वाली सभी गैर-जमा लेने वाली एनबीएफसी द्वारा आरबीआईए ढांचे को लागू करने के आरबीआई के अधिदेश के अनुरूप है।

आरबीआईए ढांचा कंपनी को बोर्ड द्वारा निर्धारित रणनीतिक दिशा और उनकी प्राथमिकता के आधार पर जोखिमों की पहचान और समाधान करने में सक्षम बनाता है। इस ढांचे के तहत प्रमुख गतिविधियों में संचालन का स्वतंत्र जोखिम मूल्यांकन, लेखापरीक्षा परिधि की पहचान, जोखिम मैट्रिक्स का विकास, वार्षिक आरबीआईए योजना का निर्माण और आरबीआईए नीति में परिभाषित आवृत्ति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा का निष्पादन शामिल है।

13. पसंदीदा ग्राहक नीति

व्यवसाय प्रोत्साहन रणनीति के हिस्से के रूप में, वर्ष 2008 में एक पसंदीदा ग्राहक नीति तैयार की गई थी, जिसका मूल उद्देश्य कंपनी के ग्राहकों को उन्नत स्तर की सेवाएं प्रदान करना और उनके साथ दीर्घकालिक पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध स्थापित करना था। यह नीति पात्रता मानदंड निर्धारित करती है, जो बकाया ऋण की राशि, ऋण संबंध की अवधि, उधारकर्ता का पुनर्भुगतान रिकॉर्ड आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखती है, ताकि पसंदीदा ग्राहकों को निर्धारित किया जा सके और उन्हें विभिन्न बाहरी एजेंसियों के साथ-साथ आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद द्वारा आयोजित घरेलू/अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, वरीयता प्राप्त ग्राहक नीति ढांचे के तहत, ग्राहक सहभागिता रणनीति के हिस्से के रूप में राज्य संस्थान उधारकर्ताओं के लिए एक क्षमता निर्माण पहल शुरू की गई थी। प्रीमियर राष्ट्रीय संस्थानों, जैसे भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) बैंगलोर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर और आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी) में पांच घरेलू इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

13 राज्यों और 28 उधारकर्ता निकायों के कुल 101 अधिकारियों को 303 मानव-दिवसों में प्रशिक्षित किया गया, जिसमें कनिष्ठ, मध्य, वरिष्ठ और बोर्ड-स्तरीय अधिकारियों सहित सभी स्तरों के प्रतिभागी शामिल थे।

14. सूचना प्रौद्योगिकी पहलें

आरईसी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नवीन सूचना प्रौद्योगिकी पहलों को अपनाने के माध्यम से कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसने कार्यकुशलता, सुरक्षा और डिजिटल रूपांतरण को सुदृढ़ करने में योगदान दिया है। ऑरेकल ईआरपी (ई-बिजनेस सूट आर12) को एआई-सक्षम इनवॉइस प्रोसेसिंग और स्वचालित बैंक बुक समाधान के साथ उन्नत किया गया, जिससे वित्तीय दक्षता और सटीकता में सुधार हुआ। कागज-रहित कार्यप्रवाह और दस्तावेज़ प्रबंधन के लिए वर्ष 2021 में लागू किए गए एनआईसी ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म को उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ इसके नवीनतम संस्करण में अपग्रेड किया गया। प्राथमिक डेटा सेंटर और आपदा रिकवरी (डीआर) सेंटर दोनों को आईएसओ/आईईसी 27001:2022 के तहत पुनः प्रमाणित किया गया, जिसने आरईसी की सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ किया; साथ ही वित्तीय वर्ष के दौरान आवधिक लाइव डीआर ड्रिल सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। डिजिटल रूपांतरण के मोर्चे पर, कर्मचारी प्रशासनिक अनुरोधों के डिजिटलीकरण और डिजिटल सीएसआर परियोजना निगरानी को कवर करने वाली कई इन-हाउस आईटी प्रणालियों को लागू किया गया। रियल-टाइम लॉग मॉनिटरिंग और घटना प्रतिक्रिया तंत्रों द्वारा समर्थित आरईसी का साइबर सुरक्षा ढांचा सुदृढ़ रहा और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कोई भी साइबर सुरक्षा घटना दर्ज नहीं की गई। आईटी विभाग ने पूरे संगठन में डिजिटल साक्षरता और सुरक्षित कंप्यूटिंग प्रथाओं को मजबूत करने के लिए भौतिक और आभासी आईटी जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन जारी रखा।

15. आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग

आरईसी पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (आरईसीआईपीएमटी), की स्थापना वर्ष 1979 में हैदराबाद में स्थापित किया गया था, आरईसी के तत्वावधान में

एक प्रमुख प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण संस्थान है। इसने भारतीय विद्युत क्षेत्र में इंजीनियरों और प्रबंधकों की प्रशिक्षण और विकास आवश्यकताओं को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले चार दशकों में, आरईसीआईपीएमटी ने कुल 86,427 पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है, जिसने क्षेत्र में तकनीकी, प्रचालन और प्रबंधकीय क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने राष्ट्रीय प्रभाव के अलावा, आरईसीआईपीएमटी ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (एमईए) के साथ साझेदारी में विश्व भर के विद्युत क्षेत्र संगठनों के अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में भी सक्रिय रूप से भाग लिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक, संस्थान ने 113 कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 102 देशों के 1,936 अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को मजबूती मिली है।

15.1 राष्ट्रीय नियमित कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राष्ट्रीय नियमित कार्यक्रम (एनआरपी) के तहत आरईसीआईपीएमटी द्वारा कक्षा-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें विभिन्न तकनीकी एवं प्रबंधकीय विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इन कार्यक्रमों को व्यावहारिक मुद्दों के समाधान तथा विद्युत क्षेत्र के पेशेवरों की तकनीकी समझ और कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से डिजाईन किया गया था। पंजाब राज्य पारेषण निगम लिमिटेड (पीएसटीसीएल), कर्नाटक विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड (केपीटीसीएल), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल), महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल), बेंगलुरु विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड (बीईएससीओएम), तेलंगाना लिमिटेड की उत्तरी विद्युत वितरण कंपनी (टीजीएनपीडीसीएल), विद्युत वितरण प्रशिक्षण केंद्र (पीडीटीसी), बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवरहन अंडरटेकिंग (बीईएसटी), केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) तथा ओडिशा विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (ओपीटीसीएल) के प्रतिभागियों को इन कार्यक्रमों के माध्यम से 'ईएचवी सबस्टेशनों एवं लाइनों का अभिकल्पन, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण', 'पावर ट्रांसफॉर्मर: परीक्षण, कमीशनिंग, संरक्षण एवं अनुरक्षण', 'वितरण हानियों में कमी, विद्युत चोरी: मुद्दे, चुनौतियाँ एवं सुधारात्मक उपाय', 'ऊर्जा पारेषण, हरित ऊर्जा को बढ़ावा एवं सर्वोत्तम प्रथाएँ', 'भूमिगत केबलों का चयन, क्षमता निर्धारण, बिछाव, निगरानी एवं दोष का पता लगाना' तथा 'ईएचवी सबस्टेशनों एवं लाइनों के लिए संरक्षण प्रणालियाँ' जैसे विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।"

15.2 आरईसी प्रायोजित कार्यक्रम

उद्योग-व्यापी ज्ञान प्रसार के अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, आरईसीआईपीएमटी ने देश भर के विभिन्न विद्युत क्षेत्र संगठनों के लिए आरईसी द्वारा प्रायोजित कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य देश भर की विद्युत संस्थानों के अधिकारियों के बीच जागरूकता और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना था। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, इन आरईसी प्रायोजित पहलों के माध्यम से कुल 5,649 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। इनमें से विद्युत सुरक्षा कार्यक्रम, जिसमें 1,895 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया, ने क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक, अर्थात संचालन और अवसंरचना में सुरक्षा को संबोधित किया। एक अन्य प्रमुख पहल परिवर्तन प्रबंधन, नेतृत्व और टीम निर्माण पर केंद्रित थी। इस तीन दिवसीय कक्षा कार्यक्रम ने विभिन्न जेनको, ट्रांसको और डिस्कॉम से 1,875 पेशेवरों को प्रशिक्षित किया और इसमें परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध का प्रबंधन, संचार कौशल, नेतृत्व विकास, ग्राहक संबंध और संघर्ष समाधान जैसे आवश्यक पहलुओं को शामिल किया गया। इसी तरह, आरईसी द्वारा प्रायोजित विद्युत उपयोगिताओं में सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक समर्पित कार्यक्रम में 1,879 अधिकारियों ने भाग लिया और उपयोगिताओं में प्रचालन दक्षता में सुधार और सफल रणनीतियों को दोहराने पर ध्यान केंद्रित किया।

15.3 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

इन बाह्य सहभागिताओं के साथ-साथ, आरईसीआईपीएमटी ने विशेष रूप से आरईसी के कर्मचारियों के लिए आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने 'एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी)' तथा 'एडवांस्ड एमएस एक्सेल एवं पावरपॉइंट कौशल' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इन आंतरिक कार्यक्रमों ने आंतरिक क्षमताओं को बढ़ाने और कर्मचारियों के कौशल को संगठनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

15.4 ग्राहक अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम

आरईसीआईएमपीटी ने विभिन्न बिजली क्षेत्र की संस्थाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण समाधान प्रदान करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, तकनीकी और प्रबंधकीय विषयों के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करते हुए 520 मानव-दिनों के लिए कई अनुकूलित कक्षा-आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इन कार्यक्रमों को संगठन विशिष्ट परिचालन चुनौतियों का समाधान करने और उनके रणनीतिक उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। कुछ प्रमुख कार्यक्रमों में "ईएचवी सबस्टेशन और लाइनों में अर्थिंग अभ्यास और सुरक्षा उपाय", "33/11 केवी सबस्टेशन संचालन, सुरक्षा और लेखा परीक्षा", "पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटीज में सर्वोत्तम अभ्यास", और "व्यक्तित्व विकास, संचार और बातचीत कौशल" शामिल हैं, जो सभी संबंधित संगठनों की परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित हैं।

आरईसी स्पोर्ट्स एंड वेलनेस क्लब द्वारा कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए कुतुब मीनार में एक 'हेरिटेज वॉक' का आयोजन किया गया।

खासदार औद्योगिक महोत्सव में रूफटॉप सोलर के कार्यान्वयन पर एक विशेष 'पीएम सूर्य घर प्रशिक्षण शिविर' आयोजित किया गया।

15.5 प्रशिक्षण उपलब्धियों का सारांश

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने अपने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 5,888 प्रतिभागियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया, जिससे कुल 17,876 प्रशिक्षण मानव-दिवस की उपलब्धि हासिल हुई। ये उपलब्धियां निरंतर और उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण तथा विकास प्रयासों के माध्यम से विद्युत क्षेत्र की क्षमताओं को आगे बढ़ाने में आरईसीआईपीएमटी की महत्वपूर्ण भूमिका को पुनः रेखांकित करती हैं।

16. मानव संसाधन प्रबंधन

मानव संसाधन एक नियोजित और उच्च प्रदर्शन करने वाले कार्यबल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कंपनी की निरंतर वृद्धि और सफलता के लिए आधारभूत है। एक समृद्ध संगठन के केंद्र में विविध विषयों में शीर्ष प्रतिभा को आकर्षित करने, विकसित करने और बनाए रखने की क्षमता निहित है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने देशभर से प्रतिभाओं को आकर्षित करते हुए प्रत्यक्ष भर्ती अभियानों के माध्यम से 36 अधिकारियों की नियुक्ति कर अपने पेशेवर आधार को सुदृढ़ बनाया। 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में कुल 591 कर्मचारी कार्यरत थे, जिनमें 579 कार्यपालक तथा 12 गैर-कार्यपालक कर्मचारी शामिल थे। रोजगार परिदृश्य में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप, मानव संसाधन विभाग सक्रिय जनशक्ति नियोजन, कार्यबल विकास तथा संगठनात्मक वृद्धि में निरंतर रणनीतिक भूमिका निभा रहा है। आरईसी का मानव संसाधन विभाग लक्षित भर्ती पहलों, व्यापक अभिमुखीकरण कार्यक्रमों तथा रणनीतिक नियोजन प्रक्रियाओं के माध्यम से मूल्य संवर्धन के प्रति प्रतिबद्ध है। ये प्रयास भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण तथा नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत एवं अवसंरचना क्षेत्रों में कंपनी को एक पसंदीदा नियोक्ता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

आरईसी ने उत्तराधिकार योजना नीति के कार्यान्वयन के माध्यम से अपनी सक्सेशन प्लानिंग और नेतृत्व विकास ढांचे को संस्थागत रूप दिया है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है और इसका विधिवत पालन किया जा रहा है।

16.1 रोजगार में आरक्षण

भारत सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सदस्यों को आरक्षण प्रदान किया जाता है।

31 मार्च, 2026 तक एससी, एसटी और ओबीसी कर्मचारियों का समूहवार विवरण नीचे दिया गया है :

	कर्मचारियों की संख्या			
श्रेणी	**समूह क**	**समूह ख**	**समूह ग**	**कुल कर्मचारी**
एससी	68	1	0	69
एसटी	32	0	0	32
ओबीसी	150	1	3	154
सामान्य/अन्य	329	3	4	336
कुल कर्मचारी	**579**	**5**	**7**	**591**
कुल महिला कर्मचारी	84	0	3	87
दिव्यांगजन कर्मचारी (पीडब्ल्यूबीडी)	12	1	1	14

16.2 प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विभाग कर्मचारियों को उच्चतम संभव स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने और उच्च मनोबल और जुड़ाव की विशेषता वाली संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव संसाधन कंपनी के लिए मूल्य जोड़ने के प्राथमिक तरीकों में से एक सभी स्तरों पर कर्मचारियों के निरंतर प्रशिक्षण और विकास को प्रोत्साहित करना और सक्षम बनाना है।

इस उद्देश्य के साथ, संगठन में हर स्तर पर कर्मचारियों को पूरे वित्तीय वर्ष में संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए गए। कंपनी की प्रशिक्षण नीति को विभिन्न विभागों की वर्तमान कार्यात्मक आवश्यकताओं के साथ-साथ भविष्य की अपेक्षाओं, संसाधन आवश्यकताओं और संगठन के सामने आने वाले उभरते अवसरों और चुनौतियों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नीति प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने और कंपनी के दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप दक्षताओं के निर्माण पर केंद्रित है।

व्यावसायिक कौशल और व्यावसायिक दक्षताओं को बढ़ाने के लिए, डोमेन विशिष्ट, प्रबंधकीय, व्यवहारिक और कार्यात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मिश्रण के माध्यम से कर्मचारियों को व्यापक सीखने और विकास के अवसर प्रदान किए गए। इन पहलों का उद्देश्य न केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन में सुधार करना था, बल्कि व्यावसायिक जिम्मेदारियों की गहरी समझ को बढ़ावा देना और कर्मचारियों को सामाजिक

आरईसी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के अवसर पर आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, निदेशक (परियोजनाएं) श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष तथा अन्य अधिकारियों एवं गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति।

आर्थिक वातावरण के प्रति संवेदनशील बनाना था जिसमें कंपनी काम करती है। इसके अलावा, समग्र कर्मचारी विकास का समर्थन करने के लिए आध्यात्मिक विकास, स्वास्थ्य, कल्याण और दृष्टिकोण विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए I

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कुल 550 कर्मचारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया, जिसमें नेतृत्व, प्रबंधन और व्यवहार विकास, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, महिला सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन, बैंकिंग, वित्त, जोखिम और लेखा परीक्षा, आईटी और साइबर सुरक्षा, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और बिजली क्षेत्र, ईएसजी, स्थिरता और जलवायु कार्रवाई, कानूनी, सतर्कता, नैतिकता और सांविधिक अनुपालन, मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशासनिक प्रभावशीलता और स्वास्थ्य, कल्याण और जीवन शैली प्रबंधन जैसे विषयों को शामिल किया गया था। इन पहलों के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के दौरान 2,783 प्रशिक्षण मानव दिवसों की उपलब्धि हुई, जिसमें विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 150 से अधिक प्रशिक्षण मानव दिवस शामिल थे, जिससे 30 कर्मचारियों को लाभ हुआ।

इसके अलावा, आरईसी के सभी कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। कर्मचारियों ने कार्य नैतिकता, आचार संहिता, ईएसजी जागरूकता, निवारक सतर्कता और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर अनिवार्य और विकासात्मक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे किए। पोर्टल पर सक्रिय भागीदारी के माध्यम से, आरईसी ने 4,000 से अधिक प्रशिक्षण मानव दिवस प्राप्त किए, जिससे संगठन में निरंतर सीखने और आत्म विकास की संस्कृति को काफी मजबूती मिली।

16.3 कर्मचारी कल्याण

कंपनी का अंतिम लक्ष्य कर्मचारियों को खुश, स्वस्थ और उत्पादक बनाए रखना होना चाहिए। कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करने के लिए, ऑनसाइट चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए डॉक्टरों की अंशकालिक सेवाएं ली गईं। कंपनी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए खेल और मनोरंजन उपकरण के लिए भी सहायता प्रदार कर रही है। कंपनी ने कर्मचारियों के लिए कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देने के लिए एनसीआर क्षेत्र में डे केयर/क्रेच सेवा प्रदाता के सभी केंद्रों में क्रेच/डे केयर सुविधा का विस्तार भी किया है। मनोरंजन और स्वस्थ जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए, कॉर्पोरेट कार्यालय में कर्मचारियों के लिए जिम भी उपलब्ध है। बेहतर कल्याण के लिए कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से विभिन्न योग कार्यक्रम, स्वास्थ्य वार्ता और शिविर आयोजित किए गए।

16.4 खेल गतिविधियाँ

खेल गतिविधियों में कर्मचारी सहभागिता लोगों और राष्ट्रों को एक साथ लाती है और साथ ही एकता, सद्भाव और सहिष्णुता की भावना पैदा करती है। एक आदर्श परिदृश्य में, कोई अक्सर एक आदर्श कार्यस्थल की तलाश करता है। एक ऐसी जगह जो सहायक वातावरण प्रदान करती है और स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन को प्रोत्साहित करती है। कार्यालय कार्यक्रम के एक अनिवार्य भाग के रूप में खेल को शामिल करने से उस लक्ष्य को प्राप्त करने की खोज में मदद मिल सकती है। इस दृढ़ संकल्प के साथ, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान हैदराबाद, तेलंगाना में एक इंटर-सीपीएसयू कैरम टूर्नामेंट की मेजबानी की। इसके अलावा, कंपनी ने पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (पीएससीबी) के तत्वावधान में विभिन्न बिजली क्षेत्र सीपीएसयू द्वारा आयोजित शतरंज, क्रिकेट, वॉलीबॉल आदि जैसे विभिन्न इंटर सीपीएसयू खेल टूर्नामेंटों में भी भाग लिया है। इसके अलावा, सभी कर्मचारियों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न क्विज़, पेपर प्रेजेंटेशन और सिमुलेशन प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

16.5 महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

महिला सशक्तिकरण पर व्यापक रूप से चर्चा की जाती है और आरईसी और सामान्य रूप से समाज को अपने प्रयासों पर फिर से ध्यान देना चाहिए और महिलाओं को शीर्ष पर पहुंचने के लिए मापने योग्य प्रभाव पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आरईसी महिला कर्मचारियों को अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। 31 मार्च, 2026 तक, कंपनी में 87 स्थायी महिला कर्मचारी थीं, जो कुल कार्यबल का 14.70% प्रतिनिधित्व करती हैं। कर्मचारियों के साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। महिला कर्मचारियों के कल्याण और सर्वांगीण विकास की देखभाल के लिए कंपनी में एक महिला प्रकोष्ठ कार्यरत है। आरईसी महिला प्रकोष्ठ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। उत्सव को चिह्नित करने के लिए, कंपनी ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए विभिन्न टीम निर्माण गतिविधियों, मजेदार खेलों और इंटरैक्टिव सत्रों का आयोजन किया है। इसके अलावा, कंपनी लैंगिक समानता में विश्वास करती है और अपने सभी महिला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल कार्यस्थल प्रदान करती है।

16.6 औद्योगिक संबंध

नियोक्ता और कर्मचारी संबंध सभी संगठनों की नींव बनाते हैं और आरईसी में सौहार्दपूर्ण संबंध वर्षों से कायम हैं। कंपनी में औद्योगिक संबंध परिदृश्य वित्तीय वर्ष 2025-26 में सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बना रहा। औद्योगिक अशांति के कारण मानव दिवसों का कोई हानि नहीं हुआ। कर्मचारी कल्याण के मुद्दों पर आरईसी कर्मचारी संघ और आरईसी अधिकारी संघ के साथ नियमित बातचीत हुई। इससे विश्वास और सहयोग का माहौल बनाने में मदद मिली है, जिसके परिणामस्वरूप एक प्रेरित कार्यबल और व्यवसाय प्रदर्शन में निरंतर सुधार हुआ है।

16.7 शिकायत निवारण

भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी ने कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है और शिकायतों के समाधान के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी ढांचा प्रदान किया है। इसके अलावा, कंपनी के पास हितधारकों की शिकायतों से निपटने के लिए एक सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली है। कंपनी ने इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी को अध्यक्ष, सार्वजनिक शिकायत समिति के रूप में नियुक्त किया है, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का तुरंत निवारण सुनिश्चित किया जा सके।

16.8 चिंतन शिविर - रणनीतिक बैठक

आरईसी ने संगठनात्मक संरेखण को मजबूत करने, भविष्य के लिए तैयार पहल को बढ़ावा देने और आरईसी के विकास पथ का समर्थन करने के लिए सार्थक कर्मचारी जुड़ाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 15 जनवरी, 2026 को एक चिंतन शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम ने संगठन के सभी स्तरों पर संरचित संवाद के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया, बिजली क्षेत्र में उभरती चुनौतियों और अवसरों पर सहयोगात्मक विचार-विमर्श को प्रोत्साहित किया। प्रतिभागियों ने आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार, परिचालन दक्षता बढ़ाने और रणनीतिक प्राथमिकताओं की पहचान करने के तरीकों पर चर्चा की जो एक अग्रणी पावर सेक्टर सर्विसेज एंटरप्राइज के रूप में आरईसी की स्थिति को और मजबूत करेंगे। चिंतन शिविर को समावेशी भागीदारी और विचारों के मुक्त आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसके अलावा, शिविर ने कर्मचारियों और नेतृत्व की सामूहिक विशेषज्ञता का सफलतापूर्वक उपयोग किया, जिससे भविष्य के लिए आरईसी के रणनीतिक रोडमैप को आकार देने में मूल्यवान इनपुट का योगदान हुआ।

17. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल का उद्देश्य व्यापक लाभार्थियों के माध्यम से पहुंच को अधिकतम करने और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में सशक्त बनाने के लिए सामाजिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं का समर्थन करना है, जबकि राष्ट्रीय चिंता के विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, समावेशी सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने के लिए स्वच्छता और स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को बढ़ावा देने, शिक्षा, कौशल विकास, कला और संस्कृति, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण स्थिरता और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में सीएसआर पहल की गई है।

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप है, जैसा कि संशोधित किया गया है और यह https://recindia.com/our-csr-initiatives. और /our-csr-initiatives. / पर उपलब्ध है।

अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों के अनुरूप, बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 338.07 करोड़ रुपये के सीएसआर बजट को मंजूरी दी। इसके विपरीत, कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान 174.36 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और अधिनियम की धारा 135(6) के अनुसार चल रही परियोजनाओं के तहत 163.71 करोड़ रुपये अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं में किए गए प्रभाव मूल्यांकन का विवरण भी शामिल है, इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है जो मापने योग्य और सार्थक सामुदायिक प्रभाव के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

18. सतर्कता गतिविधियां

आरईसी लगातार कर्मचारियों के मध्य शुचिता और अखंडता को इष्टतम करने और सभी प्रचालन क्षेत्रों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। आरईसी के सतर्कता विभाग का मुख्य उद्देश्य नीतियों की समीक्षा, संवेदनशील पदों पर रहने वाले कर्मचारियों का रोटेशन और स्थानांतरण, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा, परियोजनाओं की समीक्षा, दी गई निविदाओं और अनुबंधों की समीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण, वार्षिक संपत्ति रिटर्न (एपीआर) की समीक्षा, आदि करके 'निवारक सतर्कता' को मूर्त रूप देना है।

इस संबंध में, निम्नलिखित प्रमुख क्रियाकलाप किए गए हैं:

- सीवीसी/विद्युत मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में चिन्हित संवेदनशील पदों से रोटेशनल स्थानांतरण के मामले की लगातार निगरानी की जा रही है।
- सीवीसी और विद्युत मंत्रालय को समय पर निर्धारित आवधिक सांख्यिकीय विवरणी भेजना।
- लेखापरीक्षा रिपोर्टों अर्थात आंतरिक, सांविधिक और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की नियमित समीक्षा।
- प्रदान की गई परियोजनाओं, निविदाओं और अनुबंधों की समीक्षा। जहां-कहीं भी विचलन पाया गया, मामले को संबंधित प्रभागों के साथ उठाया गया, जिससे मूल्यांकन प्रणाली को सुदृढ़ किया गया।
- क्षेत्रीय कार्यालयों, आरईसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का क्षेत्र निरीक्षण और कार्यपालकों की एपीआर की संवीक्षा।
- ऋण, योजनाओं, निविदाओं, अन्य पक्ष के बिल आदि के लिए आईटी प्रणालियों और ऐप्लीकेशन के उपयोग पर बल।
- यह सुनिश्चित किया जाता है कि निगम की प्रमुख नीतियां और जानकारी नीतियां आरईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध हों।

18.1 सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

आरईसी ने सीवीसी परिपत्र संख्या 04/08/2025 दिनांक 1 अगस्त, 2025 के अनुरूप "**सतर्कता: हमारी साझी जिम्मेदारी**" विषय के साथ 27 अक्टूबर, 2025 से 2 नवंबर, 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 मनाया। अभियान अवधि के दौरान, कर्मचारियों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विभिन्न रोचक गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कर्मचारियों और जनता के बीच नैतिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए वेस्ट टू ट्रेजर (कोलाज मेकिंग) प्रतियोगिता, ऑथर ए बुक प्रतियोगिता, क्विज़, क्राफ्ट/पेंटिंग प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक, रैली/वॉकथॉन आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वरिष्ठ प्रबंधन ने सप्ताह के पाठों को रोजमर्रा की दिनचर्या में एकीकृत करने के महत्व पर जोर दिया, जिससे सत्यनिष्ठा की संस्कृति को बढ़ावा मिला।

27 अक्टूबर, 2025 को कंपनी के सभी कर्मचारियों को इंटीग्रिटी प्लेज दिया गया। भारत भर में आरईसी के कार्यालयों में विभिन्न स्थानों पर बैनर और स्टैंडी प्रदर्शित किए गए थे। व्यापक रूप से "**सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी**" के संदेश को शामिल किया गया था।

सभी गतिविधियों में कर्मचारियों की अत्यधिक भागीदारी देखी गई। कंपनी के सीएमडी और सीवीओ ने कर्मचारियों से सप्ताह की शिक्षाओं को अपनी व्यक्तित्व में आत्मसात करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मदद करने का आह्वान किया।

पुस्तक लेखन प्रतियोगिता – कर्मचारियों ने '**सतर्कता: हमारी साझी जिम्मेदारी**' के महत्व को रेखांकित करते हुए सारगर्भित लेख प्रस्तुत किए। इस गतिविधि ने गहन आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित किया, जिससे प्रतिभागियों को नैतिक आचरण के प्रति अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का अवसर मिला।

वेस्ट टू ट्रेजर (कोलाज मेकिंग) प्रतियोगिता – प्रतिभागियों ने अपशिष्ट पदार्थों को सार्थक कोलाज में बदल दिया, जो दर्शाता है कि कैसे सतर्कता चुनौतियों को अवसरों में बदल सकती है। प्रदर्शित रचनात्मकता ने इस विचार को उजागर किया कि ईमानदारी अप्रत्याशित तरीकों से भी मूल्य जोड़ती है।

प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता – प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में एक आकर्षक प्रारूप शामिल था जिसने त्वरित सोच और टीम वर्क को प्रोत्साहित किया। गतिशील टीमों में व्यवस्थित प्रतिभागियों ने सतर्कता और नैतिक आचरण के सिद्धांतों के अपने व्यापक ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए एक उत्साहपूर्ण माहौल में प्रतिस्पर्धा की। जीवंत वातावरण ने उत्साह को और बढ़ा दिया, जिससे यह एक स्मरणीय आयोजन बन गया।

सतर्कता जागरूकता अभियान के अंतर्गत, श्रीमती विनीता नरेरा, मुख्य सतर्कता अधिकारी, आरईसी और श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष, निदेशक (परियोजनाएं), आरईसी की गरिमामयी उपस्थिति में 'वित्तीय धोखाधड़ी - रोकथाम एवं पश्चातवर्ती उपाय' पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया।

परिवार के सदस्यों के लिए क्राफ्ट प्रतियोगिता – बच्चों सहित परिवार के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उनकी कलाकृतियों में शुद्धता का प्रतीक जीवंत परिदृश्य (लैंडस्केप) से लेकर दैनिक जीवन में ईमानदारी को दर्शाने वाले रेखाचित्र (इलस्ट्रेशन) शामिल थे, जिसने इस बात को सुदृढ़ किया कि सतर्कता एक ऐसा मूल्य है जिसे पीढ़ियों के माध्यम से पोषित किया जाना चाहिए।

नुक्कड़ नाटक – आरईसी ने इफ़्को चौक मेट्रो स्टेशन, गुरुग्राम और वीएसएसयूटी कॉलेज, संबलपुर (ओडिशा) में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया, जिसमें प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सतर्कता के प्रति जन जागरूकता को प्रभावी ढंग से बढ़ाया गया। भावपूर्ण संवादों और सम्मोहक कथानक से सुसज्जित इन प्रस्तुतियों ने दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी, जिससे वे अपने जीवन में नैतिक मूल्यों और साझी जिम्मेदारी को अपनाने के लिए प्रेरित हुए।

संगोष्ठी/कार्यशाला – कर्मचारियों के लिए आयोजित संगोष्ठी/कार्यशाला में व्यापक विषयों को शामिल किया गया, जिनमें आचार एवं सत्यनिष्ठा, जाँच एवं रिपोर्ट, आचरण नियम एवं आरोप-पत्र तैयार करना, वित्तीय धोखाधड़ी - रोकथाम एवं पश्चातवर्ती उपाय, सीटीई प्रकार की गहन जाँच और टेंडर प्रक्रिया के लिए सुझाई गई चेकलिस्ट, तथा साइबर हाइजीन (साइबर स्वच्छता) शामिल थे। आंतरिक विशेषज्ञों और बाहरी संकाय सदस्यों द्वारा संचालित इन सत्रों में सहभागितापूर्ण व्याख्यान और व्यावहारिक उदाहरण शामिल थे, जिनसे सारगर्भित चर्चाएँ हुईं। संवादात्मक तत्वों ने कर्मचारियों को विषय-वस्तु के साथ गहराई से जुड़ने, प्रासंगिक प्रश्न पूछने और विषय की व्यापक समझ प्राप्त करने में सक्षम बनाया।

रैली और वॉकाथॉन – जागरूकता पैदा करने के लिए जयपुर (राजस्थान) और रांची (झारखंड) में छात्रों, आरईसी कर्मचारियों तथा डिस्कॉम अधिकारियों के साथ रैली और वॉकाथॉन आयोजित किए गए। प्रतिभागियों की ऊर्जा और उत्साह ने भ्रष्टाचार से लड़ने में सामूहिक उत्तरदायित्व का एक सशक्त दृश्य संदेश दिया।

सप्ताह का समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ, जहां सीवीओ, आरईसी ने प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों के उत्कृष्ट योगदान को पहचाना और सम्मानित किया। समारोह ने रचनात्मकता, ज्ञान और प्रतिबद्धता का जश्न मनाया, जो प्रो. व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में सतर्कता के महत्व को पुष्ट करता है। इस समापन कार्यक्रम में संगठन के भीतर साझा जिम्मेदारी की संस्कृति पर प्रकाश डाला गया।

1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार, सतर्कता प्रभाग में 1 शिकायत प्रक्रियाधीन थी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 13 और शिकायतें प्राप्त हुईं। कुल 14 शिकायतों में से, वित्तीय वर्ष के दौरान 11 शिकायतों का समाधान कर दिया गया और शेष 3 शिकायतें समीक्षाधीन हैं।

19. राजभाषा कार्यान्वयन

आधिकारिक कार्य में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कंपनी द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

आरईसी के कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के अनुपालन में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति(यां) गठित की गई हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग की समीक्षा के लिए समितियों की बैठकें आयोजित की गईं। आधिकारिक कार्य में हिंदी के उपयोग के विभिन्न पहलुओं को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए देश भर के आरईसी कार्यालयों में हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

राजभाषा नीति की सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन में, आरईसी अपने कामकाज में हिंदी के प्रयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है।

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति ने आरईसी के चेन्नई, पंचकूला, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद (क्षेत्रीय कार्यालय) तथा आरईसीआईपीएमटी - हैदराबाद और रायपुर कार्यालय का निरीक्षण किया। इन निरीक्षणों ने कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा की, जिससे उनके सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक समावेश हुआ। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम ने समय-समय पर आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय तथा गुवाहाटी, भोपाल, बैंगलोर, चेन्नई, जम्मू और पंचकूला के क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की।

हिंदी दिवस 2025 के अवसर पर, आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय में 14 सितंबर, 2025 से 28 सितंबर, 2025 तक 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी टिप्पण -आलेखन, निबंध लेखन, राजभाषा प्रश्नोत्तरी, कविता पाठ/गीत गायन, अंताक्षरी और आशु भाषण जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 350 से अधिक प्रतिभागियों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया और हिंदी के प्रति उल्लेखनीय उत्साह प्रदर्शित किया। उन्हें और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। कंपनी के सभी क्षेत्रीय/राज्य कार्यालयों में भी हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। आरईसी के कर्मचारियों के बीच राजभाषा हिंदी के प्रयोग के प्रति जागरूकता की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 9 अक्टूबर, 2025 को कॉर्पोरेट कार्यालय में एक 'हिंदी कवि सम्मेलन' का आयोजन किया गया।

27 जनवरी, 2026 को आयोजित गृह मंत्रालय के नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), गुरुग्राम की बैठक में आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय को '**राजभाषा गौरव सम्मान**' से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त, इसी बैठक में आरईसी की गृह पत्रिका 'ऊर्जायन' को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

कार्यालय परिसर में डिजिटल स्क्रॉलर्स के माध्यम से हिंदी में 'आज का विचार' संदेश प्रदर्शित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भी हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया।

20. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय व व्यय के विवरण

20.1 ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण

चूंकि कंपनी के स्वामित्व में कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है, अतः ऊर्जा संरक्षण तथा प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं है।

गुरुग्राम में स्थित आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय भवन को ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से ऊर्जा-कुशल उपकरणों का उपयोग करके डिजाइन और निर्मित किया गया है। भवन में एचवीएसी लोड आवश्यकता को कम करने के लिए भवन लिफाफे के रूप में कुशल डबल ग्लास यूनिट (डीजीयू) फसाड का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लाइट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ एलईडी लाइटें लगाई गई हैं। ऊर्जा संरक्षण और टिकाऊ भवन डिजाइन (सस्टेनेबल बिल्डिंग डिजाइन) के प्रति आरईसी की प्रतिबद्धता को गृह काउंसिल द्वारा मान्यता दी गई है, जिसने आरईसी कार्यालय भवन, गुरुग्राम को सर्वोच्च ग्रीन रेटिंग यानी 'गृह-5 स्टार रेटिंग' से सम्मानित किया है।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करने के उद्देश्य से, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके आरईसी कार्यालय की बिजली आवश्यकता को पूरा करने के लिए सोलर पेर्गोला संरचना समर्थित 979 किलोवाट-पीक का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। सोलर प्लांट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 12.95 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया है। इसके अलावा, पंचकूला, वडोदरा और लखनऊ स्थित तीन क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल 54 किलोवाट-पीक क्षमता का रूफ टॉप सोलर लगाया गया है और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ऊर्जा संरक्षण के लिए कूलिंग टावर पंखों पर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव (वीएफडी) लगाने के लिए ₹9.41 लाख का निवेश किया गया है।

20.2 विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी की कोई विदेशी मुद्रा आय नहीं थी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ₹ 52,708.54 करोड़ की कुल विदेशी मुद्रा आय, ब्याज, मूलधन पुनर्भुगतान, वित्त शुल्क और अन्य आकस्मिक खर्चों के कारण हुई थी।

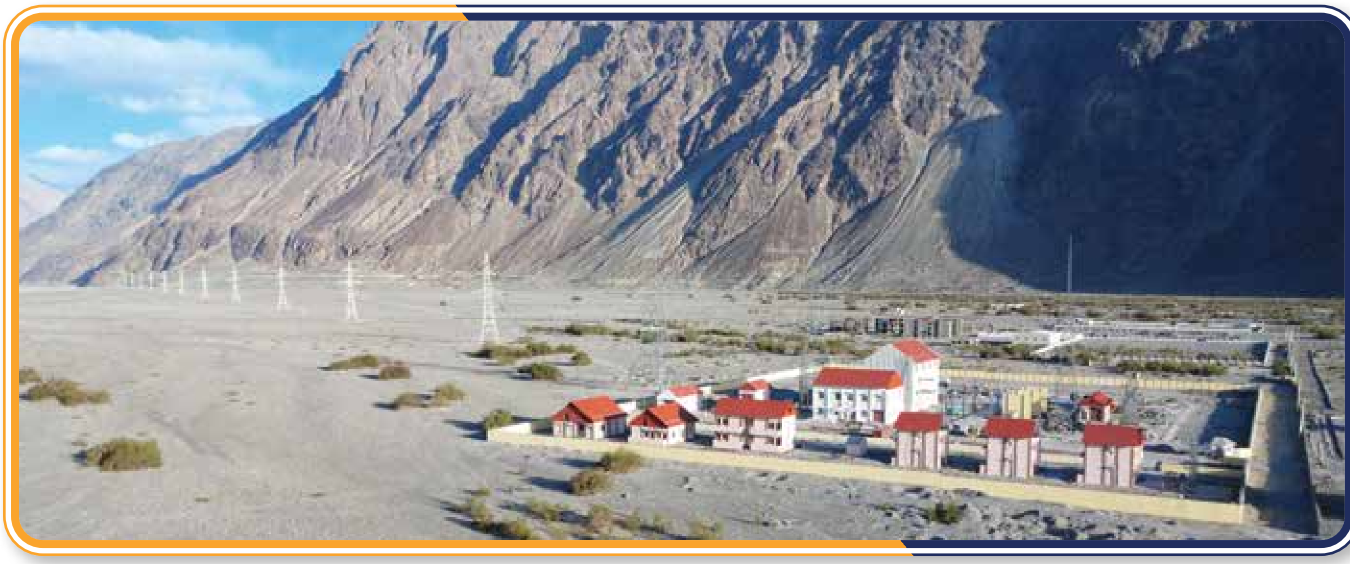

लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पारेषण लाइन ,जिसका कार्यान्वयन आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरईसीपीडीसीएल द्वारा किया जा रहा है।

21. सहायक कंपनियां

आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, अर्थात् आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) [सीआईएन U40101DL2007GOI165779], विद्युत क्षेत्र में परियोजना कार्यान्वयन और परामर्श सेवाओं के व्यवसाय में संलग्न है, जैसे कि वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यों का निष्पादन, ग्रिड/ऑफ-ग्रिड सोलर (पीवी) परियोजनाओं का कार्यान्वयन, स्मार्ट मीटरों की स्थापना। इसके अलावा, आरईसीपीडीसीएल विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर क्रमशः सौंपे गए स्वतंत्र अंतर-राज्यीय और राज्य के भीतर पारेषण परियोजनाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से ट्रांसमिशन सेवा प्रदाताओं के चयन हेतु 'बोली प्रक्रिया समन्वयक' के रूप में भी कार्य करता है। प्रत्येक आवंटित स्वतंत्र अंतर-राज्यीय / राज्य के भीतर ट्रांसमिशन परियोजना का विकास शुरू करने के लिए, आरईसीपीडीसीएल अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक परियोजना-विशिष्ट विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) का निगमन करता है, जो आरईसी की भी सहायक कंपनी बन जाती है। टीबीसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के बाद, ऐसी सहायक कंपनियों को आरईसीपीडीसीएल द्वारा सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ सफल बोलीदाता को हस्तांतरित कर दिया जाता है। अधिनिगमित करता है, जो आरईसी की सहायक कंपनी भी बन जाती है। टीबीसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के बाद, ऐसी सहायक कंपनियों को आरईसीपीडीसीएल द्वारा सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ सफल बोलीदाता को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आरईसीपीडीसीएल ने 9 परियोजना-विशिष्ट एसपीवी को सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित किया, जिनके नाम निम्नवत हैं:

क्रम सं.	एसपीवी का नाम	एसपीवी के हस्तांतरण की तिथि
1	डब्लूआरएनईएस तालेगांव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	30 मई, 2025
2	दावणगेरे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	24 सितंबर, 2025
3	राजगढ़ नीमच पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	29 सितंबर, 2025
4	अनंतपुरम II पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	17 अक्टूबर, 2025
5	एसआर डब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	17 अक्टूबर, 2025
6	जेजुरी हिंजेवाड़ी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	9 जनवरी, 2026
7	वेलगांव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	9 जनवरी, 2026
8	बेल्लारी दावणगेरे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	12 फरवरी, 2026
9	उमरेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	26 फरवरी, 2026

31 मार्च, 2026 तक, विभिन्न अंतर-राज्यीय/अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए आरईसीपीडीसीएल के पास निम्नलिखित परियोजना-विशिष्ट एसपीवी थे:

क्रम सं.	एसपीवी का नाम	सीआईएन
1.	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40108DL2018GOI330905
2.	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40300DL2018GOI331490
3.	मांदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40101DL2018GOI331526
4.	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40300DL2018GOI331192
5.	सोंगटोंग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U42202DL2023GOI415590
6.	तुतिकोरिन पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U42202DL2024GOI438404
7.	लूहड़ी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40109DL2022GOI406286
8.	कांकणी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U42202DL2023GOI424011
9.	रॉबर्ट्सगंज पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U42202DL2025GOI449243
10.	बाड़मेर एचवीडीसी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U42202DL2025GOI456212

क्रम सं.	एसपीवी का नाम	सीआईएन
11.	डब्ल्यूआर ईआर पार्ट ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U42202DL2025GOI457684
12.	डब्ल्यूआर ईआर पार्ट सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U42202DL2025GOI457685
13.	जालना पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U42202DL2025GOI450852
14.	साकोली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U42202DL2025GOI451359
15.	अंबरनाथ पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U42202DL2025GOI460058
16.	आष्टा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U42202DL2025GOI460480
17.	बलसाणे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U42202DL2025GOI459987
18.	मुसलगांव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U42202DL2025GOI460133
19.	मेखली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U42202DL2025GOI448634
20.	हम्पापुरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U42202DL2025GOI448719
21.	रायष्टे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U42202DL2025GOI448817
22.	शरावती पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U42202DL2025GOI448722
23.	केम्पेगौड़ा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U42202DL2025GOI456203
24.	धौलपुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U42202DL2025GOI460419
25.	जैसलमेर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U42202DL2025GOI460420
26.	रानीपुर चुनार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U42202DL2025GOI460532
27.	मुनक पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U42202DL2026GOI461101
28.	वाइज़ैग (विशाखापटनम) पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U42202DL2026GOI463642

नोट : क्रम संख्या 9 से 28 पर संदर्भित विशेष प्रयोजन वाहनों का निगमन वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, परियोजना-विशिष्ट एसपीवी राजगढ़ III पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड का नाम 20 जनवरी, 2026 को कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा हटा दिया गया है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत के बाद और 30 जून, 2026 तक, तीन नए एसपीवी को आरईसीपीडीसीएल और आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के रूप में शामिल किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आरईसीपीडीसीएल ने ₹501 करोड़ की आय दर्ज की, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह आय ₹551.57 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कर पश्चात लाभ ₹78.95 करोड़ रहा, जो पिछले वित्तीय वर्ष में ₹261.65 करोड़ था। इसके अलावा, 31 मार्च, 2026 को आरईसीपीडीसीएल की निवल मूल्य ₹764.10 करोड़ थी, जो 31 मार्च, 2025 को ₹738.19 करोड़ थी।

22. संयुक्त उद्यम और एसोसिएट कंपनी

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी के पास निवेश के अलावा कोई संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनी नहीं है, जैसा कि इस वार्षिक रिपोर्ट में निहित वित्तीय विवरणों में उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त उद्यम भागीदारों अर्थात् एनटीपीसी लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच निष्पादित समझौते के अनुसार, ईईएसएल इंड-एएस ढांचे के तहत एक संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई नहीं रह गई है।

23. समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार किए है, जिसमें इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी अर्थात आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (लेखापरीक्षित) शामिल है। इसे कंपनी के एकल वित्तीय विवरण के साथ आगामी 57वीं वार्षिक आम बैठक के समक्ष भी रखा जाएगा।

अधिनियम की धारा 129 (3) के अनुपालन में, फॉर्म एओसी-1 में सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला एक विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है। विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनियों के वित्तीय विवरण, जो आरईसीपीडीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, आरईसी के वित्तीय विवरणों के साथ समेकित नहीं हैं क्योंकि ऐसी कंपनियों में निवेश/हित बिक्री के लिए धारित किया जाता है और इसलिए, ऐसे एसपीवी में हित कंपनियों का लेखांकन इंड-एएस 105 के अनुसार है।

कंपनी की सहायक कंपनियों के समेकित इंड-एएस वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षित लेखाओ सहित लेखापरीक्षित इंड-एएस वित्तीय विवरण कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.recindia.com पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, इन दस्तावेजों को किसी भी सदस्य या डिबेंचर धारकों के लिए किसी ट्रस्टी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा। कंपनी के किसी सदस्य द्वारा विशिष्ट अनुरोध पर कंपनी ई-मेल के माध्यम से इसकी प्रति भी उपलब्ध कराएगी।

24. निदेशक, केएमपी और तत्संबंधी नीतिगत ढांचे से संबंधित

अधिनियम की धारा 2(45) के अर्थ के भीतर एक सरकारी कंपनी होने के नाते और कंपनी के संघ के लेखों ("एओए") के अनुच्छेद 91 के संदर्भ में, आरईसी के बोर्ड में सभी निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय यानी एमओपी के माध्यम से नामित/नियुक्त/पुनर्नियुक्त किया जाता है।

आपकी कंपनी के बोर्ड में निदेशकों का नामांकन/नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति और उनके पात्रता मानदंड, योग्यता, अनुभव और चयन प्रक्रिया आदि भी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), लोक उद्यम विभाग (डीपीई), लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) आदि, के समय-समय पर यथालागू निर्धारित मानदंडों के अधीन है, जिसका अनुपालन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, एक सीपीएसई होने के चलते, इसके अलावा, एक सीपीएसई होने के नाते, कार्यात्मक निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों सहित कंपनी के अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक, समय-समय पर डीपीई और/या भारत सरकार द्वारा जारी वेतन, अनुलाभ, भत्ते आदि पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। गैर-कार्यकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशकों सहित) को बोर्ड या उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठने का शुल्क दिया जाता है, जो अधिनियम के लागू प्रावधानों के भीतर है। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार, सरकारी नामित निदेशक कंपनी से कोई बैठने का शुल्क प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

आपकी कंपनी ने बोर्ड की विविधता और कौशल, वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों की नियुक्ति के लिए मानदंड और निदेशकों, केएमपी और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में एक नीति अपनाई है, जिसे https://recindia.com.in/disclosures-under-regulation-46-of-sebi पर देखा जा सकता है।

एक एनबीएफसी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति भी निदेशकों के फिट एंड प्रॉपर मानदंडों पर कंपनी की नीति के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) द्वारा उचित परिश्रम के अधीन है है, जिसे https://recindia.com/disclosures-under-regulation-46-of-sebi. पर देखा जा सकता है।

अधिनियम के प्रावधानों और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (परियोजना), कंपनी सचिव और ईडी (वित्त-बॉण्ड) को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नामित किया है।

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की भूमिका सीएमडी द्वारा और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) की भूमिका कंपनी के निदेशक (वित्त) द्वारा निभाई जा रही है।

कंपनी के निदेशकों और केएमपी तथा वर्ष के दौरान और बाद में इनमें परिवर्तन का विवरण निम्न है:

24.1 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक

1. मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 2025 को जारी किए गए विद्युत मंत्रालय आदेश दिनांक 21 अप्रैल, 2025 के साथ पठित एक संचार के अनुसार, श्री जितेंद्र श्रीवास्तव (डीआईएन: 06817799) को दिनांक 22 अप्रैल, 2025 से आरईसी के बोर्ड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और केएमपी के रूप में नियुक्त किया गया है। परिणामस्वरूप, सीएमडी, पीएफसी, श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, सीएमडी के अतिरिक्त प्रभार के साथ, दिनांक 22 अप्रैल, 2025 से आरईसी के सीएमडी और केएमपी नहीं रहे।

2. श्री विजय कुमार सिंह (डीआईएन: 02772733), जिन्होंने निदेशक (परियोजना), आरईसी के पद पर कार्य किया है, 30 जून, 2025 को कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए हैं और तदनुसार, 1 जुलाई, 2025 से आरईसी के निदेशक और केएमपी नहीं रहे हैं।

3. विद्युत मंत्रालय आदेश दिनांक 27 जून, 2025 के अनुसार, सीएमडी श्री जितेंद्र श्रीवास्तव (डीआईएन: 06817799) को 1 जुलाई, 2025 से 3 महीने की अवधि के लिए या निदेशक (परियोजना) के पद पर नियमित पदधारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक (परियोजना) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

4. विद्युत मंत्रालय आदेश दिनांक 3 अक्टूबर, 2025 के अनुसार श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष (डीआईएन: 02772316) को 3 अक्टूबर, 2025 से आरईसी के निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त किया गया है।

5. श्री हर्ष बवेजा (डीआईएन: 09769272), जिन्होंने निदेशक (वित्त) और सीएफओ, आरईसी के पद पर कार्य किया है, 31 जनवरी, 2026 को कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए हैं और तदनुसार, 1 फरवरी, 2026 से आरईसी के निदेशक और केएमपी नहीं रहे हैं।

6. विद्युत मंत्रालय आदेश दिनांक 16 जनवरी, 2026 के अनुसार, सीएमडी श्री जितेंद्र श्रीवास्तव (डीआईएन: 06817799) को 1 फरवरी, 2026 से 3 महीने की अवधि के लिए या निदेशक (वित्त) के पद पर नियमित पदधारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

7. विद्युत मंत्रालय आदेश दिनांक 2 अप्रैल, 2026 के अनुसार, श्री राजेश कुमार (डीआईएन: 06941428) को पदभार ग्रहण करने की तारीख यानी 2 अप्रैल, 2026 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, से पांच साल की अवधि के लिए आरईसी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया है। परिणामस्वरूप, श्री जितेंद्र श्रीवास्तव को सौंपा गया निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार समाप्त हो गया है। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने श्री राजेश कुमार, निदेशक (वित्त) को 2 अप्रैल, 2026 से सीएफओ और केएमपी के रूप में नियुक्त किया है।

24.2 स्वतंत्र और नामित निदेशक

1. विद्युत मंत्रालय आदेश दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के साथ पठित संशोधित दिनांक 21 मई, 2025 के अनुसार, डॉ. गम्भीर सिंह (डीआईएन: 02003319) और डॉ. दुर्गेश नंदिनी (डीआईएन: 09398540) को उनकी पुनर्नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आरईसी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, डॉ. गम्भीर सिंह और डॉ. दुर्गेश नंदिनी (डीआईएन: 09398540), कंपनी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक, ने 16 अप्रैल, 2026 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और तदनुसार, 17 अप्रैल, 2026 से आरईसी के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे हैं।

2. कंपनी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक श्री नारायणन तिरुपति (डीआईएन: 10063245) ने 2 मार्च, 2026 को अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और तदनुसार, 3 मार्च, 2026 से आरईसी के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे हैं।

3. श्री मनोज शर्मा (डीआईएन: 06822395), पीएफसी के नामित निदेशक 31 मार्च, 2026 को पीएफसी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए हैं। तदनुसार, वह 1 अप्रैल, 2026 से आरईसी के बोर्ड में पीएफसी के नामित निदेशक नहीं रहे।

4. विद्युत मंत्रालय पत्र दिनांक 6 अप्रैल, 2026 के अनुसार, श्री राजीव रंजन झा (डीआईएन: 03523954), निदेशक (परियोजनाएं), पीएफसी को 6 अप्रैल, 2026 से आरईसी के बोर्ड में पीएफसी के मनोनीत निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने 30 अप्रैल, 2026 को पीएफसी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए। तदनुसार, 1 मई, 2026 से आरईसी के बोर्ड में पीएफसी के मनोनीत निदेशक नहीं रहे।

5. विद्युत मंत्रालय पत्र दिनांक 6 मई, 2026 के अनुसार, श्री राजेश कुमार अग्रवाल (डीआईएन: 09699001), निदेशक (वित्त), पीएफसी को 1 मई, 2026 से आरईसी के बोर्ड में पीएफसी के मनोनीत निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

6. विद्युत मंत्रालय आदेश दिनांक 22 जून, 2026 के अनुसार डॉ. अनिल कुमार गुप्ता (डीआईएन: 00442146) और डॉ. के. घयाली देवी (डीआईएन: 07584524) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आरईसी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में 22 जून, 2026 से नियुक्त किया गया है।

7. विद्युत मंत्रालय आदेश दिनांक 20 जुलाई, 2026 के अनुसार, श्रीमती पूनम चौहान (डीआईएन: 11842802) को आरईसी की अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में 21 जुलाई, 2026 से तीन साल की अवधि के लिए उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है।

24.3 प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी

26 अक्टूबर, 2024 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में पारित संकल्प के अनुसार, कार्यपालक निदेशक (वित्त-बॉन्ड) को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नामित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, श्री राजेश कुमार ने आरईसी के निदेशक (वित्त) के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद कार्यपालक निदेशक (वित्त- बॉण्ड) का पद संभाला है, श्री मोहन लाल कुमावत ने 9 अप्रैल, 2026 से कार्यकारी निदेशक (वित्त- बॉण्ड) की भूमिका ग्रहण की है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, श्री जे.एस अमिताभ के स्थान पर श्री दिनेश गर्ग को कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त हुए और तदनुसार 1 दिसंबर, 2025 से पद धारण करना बंद कर दिया।

24.4 निदेशक जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति का अनुरोध कर रहे हैं

अधिनियम और कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 91(iv) के प्रावधानों के अनुसार, श्री शशांक मिश्रा, सरकारी नामिति निदेशक, कंपनी की आगामी 57वीं वार्षिक आम बैठक में चक्रानुक्रम न द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते, अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं। निदेशक मंडल उनकी पुनर्नियुक्ति की सिफारिश करता है।

इसके अलावा, सूचीकरण विनियमों के विनियम 17(1ग) के अनुसार, श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष की निदेशक (परियोजनाओं) के रूप में नियुक्ति, श्री राजेश कुमार की निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति, श्री राजेश कुमार अग्रवाल की पीएफसी नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति, डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, डॉ. के. गायत्री देवी और श्रीमती पूनम चौहान की अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्ति आगामी 57वीं एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए रखी जा रही है। बोर्ड उनकी नियुक्ति(यों) की सिफारिश करता है।

श्री शशांक मिश्रा, श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष, श्री राजेश कुमार, श्री राजेश कुमार अग्रवाल, डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, डॉ. के. गायत्री देवी और श्रीमती पूनम चौहान के संक्षिप्त विवरण और अन्य जानकारियाँ इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनाने वाले एजीएम के नोटिस के साथ संलग्न हैं।

24.5 कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

श्री दिनेश गर्ग 1 दिसंबर, 2025 से कंपनी के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी हैं।

25. निदेशक मण्डल/स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन

सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, एक सूचीबद्ध कंपनी को अपने बोर्ड की रिपोर्ट में एक विवरण प्रकट करना होता है जिसमें बोर्ड, उसकी समितियों और पृथक निदेशकों के निष्पादन के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन की रीति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा यथा निर्धारित इसके स्वतंत्र निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन के मानदंड दिए गए हों।

तथापि, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से, अन्य बातों के साथ, सरकारी कंपनियों को उपरोक्त आवश्यकता से छूट दी है, यदि निदेशकों का मूल्यांकन प्रशासनिक रूप से प्रभारी केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग द्वारा अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है तो। इसके अलावा एमसीए ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना द्वारा यह भी निर्धारित किया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन की समीक्षा और मूल्यांकन तंत्र से संबंधित प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते है।

तदनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, उपरोक्त अधिसूचनाओं के संदर्भ में आरईसी को अन्य बातों के साथ-साथ छूट दी गई है, क्योंकि कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों के निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय और/या लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी के गैर-कार्यपालक निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपने आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।

इसके अलावा, आपकी कंपनी डीपीई द्वारा जारी एमओयू दिशानिर्देशों में निर्धारित ढांचे के तहत अपनी धारक कंपनी, पीएफसी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी करती है। एमओयू विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से अंतिम रूप दिए गए कंपनी के लिए प्रमुख निष्पादन मापदंडों को निर्धारित करता है और कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन एमओयू मापदंडों के अनुसार किया जाता है।

26. निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के संदर्भ में, यह पुष्टि की जाती है किः

(i) 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और उनसे कोई भौतिक प्रस्थान नहीं किया गया है;

(ii) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन और लगातार लागू किया गया है (वित्तीय विवरणों के खातों के नोट्स में प्रकट किए गए नए प्रभावी भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने को छोड़कर) और निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के प्रो. का सही और उचित दृश्य दिया जा सके;

(iii) कंपनी की परिसंपत्तियों पत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की जाती है:

(iv) वार्षिक खाते चालू आधार पर तैयार किए गए हैं;

(v) कंपनी द्वारा अनुपालित किए जाने हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी रूप से कार्यरत थे; तथा

(vi) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों की योजना बनाई थी और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी रूप से कार्यरत थीं।

27. समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अंतर्गत उपलब्धियां

समझौता ज्ञापन (एमओयू) एक प्रमुख नीतिगत पहल के रूप में कार्य करता है जिसके माध्यम से भारत सरकार डीपीई के माध्यम से सीपीएसई के नियमित प्रदर्शन मूल्यांकन करती है, निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देती है और सीपीएसई के प्रदर्शन स्तर को बढ़ाती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागू एमओयू दिशानिर्देश डीपीई की वेबसाइट पर रखे गए हैं अर्थात https://www.dpe.gov.in/static/uploads/2025/07.pdf. डीपीई के एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित आधार पर नीचे की गणना प्रस्तुत की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ रुपए में)

मानदण्ड	वित्तीय वर्ष 2025-26	मानदण्ड	वित्तीय वर्ष 2025-26
प्रचालनों से राजस्व	59,584.16 करोड़ रुपए	कुल उपलब्ध निधियों के लिए वितरित किए गए ऋण (वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वितरित किए गए ऋण और वितरण के लिए उपलब्ध कुल निधियां ₹2,11,189 करोड़ हैं)	100 प्रतिशत
राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीटीडीए	34.90 प्रतिशत	कुल ऋणों के लिए अतिदेय ऋण	0.04 प्रतिशत
निवल मूल्य पर प्रतिफल	18.90 प्रतिशत	एनएनपीए से कुल ऋण	0.12 प्रतिशत

मानदण्ड	वित्तीय वर्ष 2025-26	मानदण्ड	वित्तीय वर्ष 2025-26
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	11.54%	समान रेटिंग वाले सीपीएसई/अन्य संस्थानों की तुलना में बांडों के माध्यम से निधियां जुटाने की लागत	29बीपीएस
परिसंपत्ति आवर्तन अनुपात	9.51%	कुल ऋण (निवल)	₹5,76,765.91
वर्तमान उधारियां	₹1,01,248.61	गैर-वर्तमान उधारियां	₹4,13,476.57

प्राप्य राशियों की शीघ्र प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु, आरईसी तथा इसकी सहायक कंपनी अर्थात् आरईसीपीडीसीएल ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को समयबद्ध चालान बट्टाकरण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी परिचालित व्यापार प्राप्ति बट्टाकरण प्रणाली (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्मों पर ऑनबोर्डिंग कर ली है। आरईसी तथा आरईसीपीडीसीएल की ऑनबोर्डिंग तिथियां नीचे दी गई हैं:

प्लेटफॉर्म	सी2 ट्रेड्स	डीटीएक्स	इनवॉइस मार्ट	एम1 एक्सचेंज	आरएक्स आईएल
आरईसी	मार्च 9, 2026	अगस्त 6, 2025	जून 24, 2019	जनवरी 27, 2020	अक्टूबर 18, 2019
आरईसी पीडीसीएल	मार्च 30, 2026	जून 10, 2025	अगस्त 6, 2024	अगस्त 14, 2024	फरवरी 14, 2020

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने समेकित आधार पर, सरकारी कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में की गई खरीद को छोड़कर, ₹76.87 करोड़ मूल्य की अपनी कुल वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद की। उपर्युक्त कुल स्व-क्रय में से ₹49.51 करोड़ (64.41%) की खरीद सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई), जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई भी शामिल हैं, से की गई। इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई से की गई खरीद ₹0.89 करोड़ (1.16%) तथा महिला स्वामित्व वाले एमएसई से की गई खरीद ₹3.92 करोड़ (5.10%) रही। वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु समस्त क्रय संबंधी आंकड़े संबंध पोर्टल पर मासिक आधार पर अद्यतन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आरईसी द्वारा एमएसई को सभी भुगतान निर्धारित 45 दिनों की समय-सीमा के भीतर किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, समेकित आधार पर, कंपनी ने ₹71.83 करोड़ मूल्य की वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल स्व-क्रय (₹5.04 करोड़ मूल्य की डीजीआर-प्रायोजित/सुरक्षा सेवाओं की खरीद को छोड़कर) में से ₹68.66 करोड़ (95.59%) की खरीद जीईएम के माध्यम से की।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आरईसी ने कर्मचारी कल्याण संबंधी पहलों को सुदृढ़ करते हुए प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की। आरईसी ने 5 के लक्ष्य के मुकाबले 7 सामान्य स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए, 5 के लक्ष्य के अनुरूप 5 स्वास्थ्य जागरूकता सत्र आयोजित किए तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सभी कार्य दिवसों में चिकित्सकों एवं योग सत्रों की सुविधा प्रदान की।

आरईसी ने संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दोनों चरणों का समयबद्ध एवं अनुपालनपूर्ण कार्यान्वयन किया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए डीपीई समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुपालन मापदंडों के प्रयोजनार्थ, कंपनी ने (क) सीएसआर व्यय संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों; (ख) कॉर्पोरेट अभिशासन से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सूचीकरण विनियमों के प्रावधानों, जिनमें (i) निदेशक मंडल एवं उसकी समितियों की संरचना#; (ii) निदेशक मंडल एवं समितियों की बैठकों का आयोजन; (iii) संबंधित पक्ष लेनदेन; तथा (iv) प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता; (ग) सभी परिचालित टीआरईडीएस प्लेटफॉर्मों पर सीपीएसई की ऑनबोर्डिंग; (घ) एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार एमएसई विक्रेताओं को समयबद्ध भुगतान; (ङ) एमएसई तथा महिला स्वामित्व वाले एमएसई से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद (कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में); (च) सीपीएसई में मानव संसाधनों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में सुधार हेतु उठाए गए कदमों एवं पहलों; (छ) एमसीए की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों; (ज) नेतृत्व विकास योजना; तथा (झ) अधिशेष गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों (भूमि एवं भवन) के मुद्रीकरण योजना का अनुपालन किया है।

इस रिपोर्ट में उल्लिखित अनुसार, निदेशक मंडल, लेखा-परीक्षा समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की उपलब्धता न होने को छोड़कर। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कंपनी द्वारा स्वयं किया जाना उसके नियंत्रणाधीन नहीं है।

28. 'थिंक ग्रीन, गो ग्रीन' पहल

कंपनी, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट अपने शेयरधारकों को उनके पंजीकृत ई-मेल पतों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित करती है। एमसीए की 'ग्रीन इनिशिएटिव' के अंतर्गत कंपनी ने ऐसे दस्तावेजों, जिनमें लाभांश संबंधी सूचनाएं (अंतरिम/अंतिम) भी शामिल हैं, के प्रेषण हेतु इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली को अपनाया है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 108 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार, कंपनी एजीएम की सूचना में उल्लिखित प्रस्तावों पर मतदान के लिए शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराती है। 57वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों के द्वारा आयोजित की जा रही है तथा ई-वोटिंग एवं बैठक में सहभागिता संबंधी विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराए गए हैं। जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे ग्रीन इनिशिएटिव में सहभागिता हेतु अपने ई-मेल पते कंपनी के आरटीए अथवा अपने संबंधित डीपी के पास पंजीकृत कराएं।

इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से सततता को बढ़ावा

आरईसी ने सतत एवं स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का क्रय किया है। यह पहल कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने तथा अधिक हरित पर्यावरण को प्रोत्साहित करने संबंधी कंपनी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। ईवी को अपनाने से न केवल पर्यावरणीय सततता को बढ़ावा मिलता है, बल्कि परिचालन दक्षता में भी वृद्धि होती है तथा दीर्घकालिक लागतों में कमी आती है।

दैनिक परिचालनों में हरित पहलें

- समुदायों में नियमित वृक्षारोपण अभियान।
- पुनर्चक्रण तथा अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान हेतु एजेंसियों के साथ साझेदारी।
- बोर्ड कक्षों में कांच की बोतलों के उपयोग के साथ प्लास्टिक के उपयोग को पूर्णतः समाप्त करना।
- कॉर्पोरेट कार्यालय में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों की स्थापना, जो महिलाओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है।

29. स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता

आरईसी ने स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता कार्य योजना तथा स्वच्छता ही सेवा जैसे अभियानों के अंतर्गत स्वच्छता एवं जन-जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विविध गतिविधियां आयोजित की हैं:

- अनाथालयों एवं दिव्यांगजनों के केंद्रों में सफाई सामग्री वितरण अभियान।
- गैर-सरकारी संगठन से-अर्थ के सहयोग से गुरुग्राम स्थित गढ़ीबाजीदपुर झील में पांच दिवसीय सफाई अभियान।
- कॉर्पोरेट कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से देशभर में सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण अभियान तथा उनका वर्षभर रखरखाव।
- स्वच्छता प्रश्नोत्तरी, "बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट" प्रतियोगिता तथा कर्मचारियों के बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिताओं के माध्यम से कर्मचारियों की सहभागिता।

- नि:शुल्क पाठशाला के तहत पर्यावरण-अनुकूल किटों का वितरण।
- कॉर्पोरेट कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कॉर्पोरेट परिसरों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अपशिष्ट से कलाकृति (वेस्ट-टू-आर्ट) स्थापनाएं।
- विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ेदानों की स्थापना।
- वृद्धाश्रमों तथा सफाई मित्रों के लिए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शिविरों का आयोजन।
- जल पुनर्जीवन, ऊर्जा दक्षता एवं उपभोग संबंधी विकल्पों तथा "स्वच्छता: हमारी सामूहिक जिम्मेदारी" विषय पर कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन।
- कॉर्पोरेट कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन।
- सफाई मित्रों के लिए सरकारी योजनाओं संबंधी जागरूकता शिविरों का आयोजन।

30. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) का उद्देश्य नागरिकों को लोक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करना तथा उनके कार्यकलापों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना है। आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु कंपनी में एक आरटीआई प्रकोष्ठ कार्यरत है। आरटीआई आवेदनों का उत्तर देने के लिए कंपनी ने एक लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) तथा आरटीआई अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आरटीआई प्रथम अपीलों के निपटान के लिए एक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (आरटीआई) नामित किया है। आरटीआई प्रकोष्ठ में एक सहायक लोक सूचना अधिकारी भी शामिल है। आरईसी में आरटीआई प्रकोष्ठ की संपूर्ण कार्यप्रणाली तथा आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी पारदर्शिता अधिकारी द्वारा की जाती है। आरईसी, भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल (https://rtionline.gov.in/) से भी संबद्ध है, जिसके माध्यम से भारत के नागरिक ऑनलाइन आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील दायर कर सकते हैं तथा भुगतान गेटवे के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के दौरान आरटीआई प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त आवेदनों एवं अपीलों की संख्या संबंधी जानकारी नीचे दी गई है:

क्र. सं.	आरटीआई संबंधी विवरण	संख्या
1	प्राप्त आवेदन	452
2	निस्तारित आवेदन	441
3	आरईसी के अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त प्रथम अपीलें	51
4	आरईसी के अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निस्तारित प्रथम अपीलें	51
5	केंद्रीय सूचना आयोग से प्राप्त द्वितीय अपीलें	0
6	केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा निस्तारित द्वितीय अपीलें	0

इसके अतिरिक्त, आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों, जिनमें किसी तृतीय पक्ष द्वारा स्वप्रेरित प्रकटीकरणों के वार्षिक लेखा-परीक्षण का प्रावधान है, के अनुपालन में आरटीआई प्रकटीकरणों का तृतीय पक्ष लेखा-परीक्षण कराया गया है तथा इसकी रिपोर्ट आरईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

31. सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) एवं ई-प्रापण प्रणाली का अंगीकरण

आरईसी ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप तथा खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने 92 कार्यालयों में सामान्य उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद, जहां ऐसी वस्तुएं/सेवाएं पोर्टल पर उपलब्ध हैं, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से करना अनिवार्य किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, स्वतंत्र आधार पर, कंपनी ने सरकारी कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरण (पीआईए) के रूप में प्रदान किए गए अनुबंधों तथा पूर्व सैनिकों की सेवाएं लिए जाने हेतु महानिदेशालय पुनर्वास (डीजीआर) के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान किए गए सुरक्षा सेवा अनुबंधों को छोड़कर, जीईएम के माध्यम से 95% से अधिक खरीद हासिल की।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए लोक खरीद नीति

आरईसी में खरीद कार्य, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) हेतु लोक खरीद नीति आदेश, 2012 तथा उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुपालन में किया जाता है। नीति के अनुसार, एमएसई के लाभार्थ वार्षिक खरीद योजना कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है। आरईसी अपनी खरीद प्रक्रियाओं में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है तथा अपने वार्षिक खरीद का कम-से-कम 25% एमएसई से करने का प्रयास करता है, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्वामित्व वाले तथा महिला स्वामित्व वाले एमएसई के लिए निर्धारित उप-लक्ष्य भी शामिल हैं। पात्र एमएसई को, जहां लागू हो, नीति के अनुरूप अग्रिम जमा राशि से छूट, निविदा दस्तावेज निःशुल्क उपलब्ध कराना तथा क्रय वरीयता जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कंपनी एमएसई से विशिष्ट रूप से क्रय के लिए आरक्षित मदों की खरीद को भी प्रोत्साहित करती है तथा विक्रेता विकास कार्यक्रमों (वीडीपी) के माध्यम से विक्रेताओं की समावेशी भागीदारी को बढ़ावा देती है।

आरईसी यह सुनिश्चित करता है कि एमएसई विक्रेताओं को भुगतान निर्धारित संविदात्मक अवधि, जो 45 दिनों से अधिक नहीं है, के भीतर समयबद्ध रूप से जारी किया जाए। प्राप्यों की शीघ्र प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने हेतु कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित सभी पांच टीआरईडीएस प्लेटफॉर्मों, अर्थात् एम1एक्सचेंज, इनवॉयसमार्ट, रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल), डीटीएक्स टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म तथा सी2एफओ फैक्टरिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (सी2टीआरईडीएस) पर पंजीकृत है। जहां चालानों को ऑनलाइन बिल डिस्काउंटिंग कार्यप्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, वहां भुगतान टीआरईडीएस के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं। एमएसएमई समाधान पोर्टल के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान एमएसई भुगतान से संबंधित कोई भी मामला आरईसी के विरुद्ध लंबित नहीं था।

वित्तीय वर्ष के दौरान आरईसी ने विक्रेता संपर्क एवं क्षमता निर्माण संबंधी पहलों को और सुदृढ़ किया है। कंपनी द्वारा एनएसआईसी (एससी/एसटी हब), जीईएम, टीआरईडीएस प्लेटफॉर्मों तथा ईएसजी विशेषज्ञों सहित विभिन्न हितधारकों की सहभागिता के साथ ऑनलाइन माध्यम से दो विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी) आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों को सहभागी विक्रेताओं द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुआ।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, स्वतंत्र आधार पर, कंपनी ने सरकारी कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में प्रदान किए गए ₹35.60 करोड़ मूल्य के कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर ₹75.53 करोड़ मूल्य के कॉन्ट्रैक्ट प्रदान किए। उपर्युक्त पात्र खरीद में से ₹48.19 करोड़ मूल्य के कॉन्ट्रैक्ट सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई), जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई भी शामिल हैं, को प्रदान किए गए, जो निर्धारित 25 प्रतिशत लक्ष्य से अधिक है। इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद ₹0.73 करोड़ तथा महिला स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद ₹3.68 करोड़ रही। वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला स्वामित्व वाले उद्यमों सहित लगभग 447 एमएसई लाभान्वित हुए।

32. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश अधिनियम) के अंतर्गत प्रकटीकरण

पॉश अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, कंपनी में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। यह समिति महिला कर्मचारियों के बीच जागरूकता एवं संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के साथ-साथ उन्हें कार्य करने हेतु स्वस्थ एवं सौहार्दपूर्ण कार्य

वातावरण प्रदान करने का प्रयास करती है। समिति की अध्यक्षता कंपनी की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी द्वारा की जाती है तथा इसके सदस्यों में एक सदस्य गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) से भी नामित है। कंपनी द्वारा यौन उत्पीड़न के प्रति अपनाई गई शून्य-सहनशीलता की नीति का उल्लेख आरईसी (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियमों में भी किया गया है।

पॉश अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के संबंध में विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	शिकायतों की संख्या
1	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न शिकायतों की संख्या	शून्य
2	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	शून्य
3	नब्बे दिनों से अधिक अवधि से लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

33. वार्षिक विवरणी

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी द्वारा एमसीए में दाखिल वार्षिक रिटर्न तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक विवरणी का प्रारूप कंपनी की वेबसाइट https://www.recindia.com/annual-returns पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक विवरणी को एमसीए में दाखिल किए जाने के पश्चात, उसे उसी वेबलिंक पर कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

34. संबद्ध पक्षकारों के साथ संविदाओं या समझौतों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रपत्र एओसी-2 में प्रकटीकरण हेतु अपेक्षित संबद्ध पक्ष लेनदेन का विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

35. लेखा परीक्षक

35.1 सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या: 112318W) तथा मैसर्स एससीवी एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या: 000235N/N500089) को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आपकी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा किया जाना अभी शेष है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नियुक्त किए जाने वाले सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने के लिए कंपनी के अंशधारकों का अनुमोदन 57वीं वार्षिक आम बैठक में प्राप्त किया जाएगा।

35.2 सचिवीय लेखा परीक्षक

मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रारंभ होने वाली पाँच वर्ष की अवधि के लिए कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षण करने हेतु सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अधिनियम की धारा 204 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षण रिपोर्ट जारी किया है, जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

35.3 लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के स्वतंत्र तथा समेकित वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है और अपनी रिपोर्ट बिना किसी अर्हता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी अथवा अस्वीकरण के जारी की है। लेखा परीक्षक रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग होती हैं।

सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर निम्नानुसार है:

क्र.सं	सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
1.	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की उपलब्धता न होने तथा 1 अप्रैल, 2025 से 16 अप्रैल, 2025 की अवधि में कंपनी के निदेशक मंडल में एक महिला स्वतंत्र निदेशक की अनुपलब्धता के कारण सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17(1), अधिनियम की धारा 149 तथा डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 का अनुपालन नहीं हो सका।	आरईसी एक सरकारी कंपनी है तथा कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 91 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति में निहित है, जो प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों, जिसमें स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं, की नियुक्ति में कंपनी की कोई भूमिका नहीं है तथा अपने स्तर पर निदेशकों की नियुक्ति करना कंपनी के नियंत्रण से परे है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की उपलब्धता न होने के कारण उक्त अवधि के दौरान लेखा परीक्षा समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना में भी अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक सम्मिलित नहीं थे। कंपनी समय-समय पर अपने निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु विद्युत मंत्रालय (एमओपी) से अनुरोध करती रही है तथा इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई भी करती रही है।
2.	1 अप्रैल, 2025 से 16 अप्रैल, 2025 की अवधि के दौरान लेखा परीक्षा समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों का समावेश न होने के कारण सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 18 एवं 19, अधिनियम की धारा 177 एवं 178 तथा डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.1 का अनुपालन नहीं हो सका।	

36. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियाँ

अधिनियम की धारा 143(6) के अंतर्गत 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने दिनांक 3 जुलाई, 2026 के पत्र (पत्रों) के माध्यम से 'शून्य' टिप्पणियाँ प्रदान की हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियाँ इस वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई हैं।

37. डिबेंचर ट्रस्टी

सूचीबद्धता विनियमों के अनुपालन में, कंपनी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न श्रृंखलाओं के बाण्डों/ऋणपत्रों के लिए नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टियों का विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

38. आरईसी लिमिटेड (आरईसी) तथा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) का पुनर्गठन

सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीएफसी के मध्य आकारगत लाभ प्राप्त करने तथा कार्यकुशलता में सुधार के उद्देश्य से, आरईसी तथा पीएफसी के पुनर्गठन का एक प्रस्ताव 1 फरवरी, 2026 को केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था। आरईसी तथा पीएफसी के निदेशक मंडलों ने अपनी 28 जून, 2026 को आयोजित बैठकों में अधिनियम की धारा 230 से 232 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत आरईसी (अंतरक कंपनी) के पीएफसी (अंतरणी कंपनी) तथा उनकी संबंधित अंशधारकों एवं लेनदारों के साथ विलय की योजना को अनुमोदित किया।

यह योजना अन्य बातों के साथ-साथ लागू विधि के अंतर्गत अपेक्षित सभी अनुमोदनों एवं सहमतियों की प्राप्ति के अधीन तथा उन पर निर्भर है, जिनमें दोनों कंपनियों के संबंधित अंशधारकों एवं लेनदारों तथा सभी संबद्ध विनियामक एवं सरकारी प्राधिकरणों से अनुमोदन शामिल हैं। विलय योजना के अनुसार, विलयित इकाई कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 'सरकारी कंपनी' के रूप में अर्ह बनी रहेगी तथा भारत सरकार विलयित इकाई में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बहुमत मताधिकार एवं नियंत्रण बनाए रखेगी। इसके अतिरिक्त, विलय से संबंधित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिन्हें https://recindia.com/scheme-of-merger पर देखा जा सकता है।

39. सांविधिक तथा अन्य प्रकटीकरण

क) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

ख) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में आवश्यक संकल्प पारित किया गया।

ग) नियामकों, न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया, जिसका कंपनी की निरंतर व्यवसाय संचालन स्थिति तथा भावी परिचालनों पर प्रभाव पड़ता हो। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पीएफसी के साथ विलय से संबंधित विवरण के लिए कृपया इस रिपोर्ट के पैरा 38 का संदर्भ लें।

घ) कंपनी सटीक एवं समयबद्ध वित्तीय रिपोर्टिंग, परिचालन दक्षता तथा सांविधिक कानूनों, विनियमों और कंपनी की नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त निगरानी प्रक्रियाओं सहित पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बनाए रखती है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया इस रिपोर्ट के साथ संलग्न 'प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट' देखें।

ङ) वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित निदेशक मंडल तथा उसकी समितियों की संरचना, संदर्भ की शर्तों और बैठकों की संख्या, सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति की स्थापना, निदेशकों के परिचयात्मक कार्यक्रमों के वेब-लिंक, संबद्ध पक्ष लेनदेनों की महत्त्वता तथा संबद्ध पक्ष लेनदेनों से संबंधित नीति, महत्त्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण हेतु नीति, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रतिकर, निदेशकों को बैठक शुल्क तथा आईईपीएफ आदि से संबंधित विवरण सूचीबद्धता विनियमों तथा समय-समय पर संशोधित कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों के अनुपालन में तैयार 'कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट' में प्रदान किए गए हैं, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

च) अधिनियम की धारा 186(11) के अनुसार, कंपनियों के वित्तपोषण अथवा अवसंरचना सुविधाएँ प्रदान करने के व्यवसाय में संलग्न कंपनी द्वारा अपने सामान्य व्यवसाय के दौरान दिए गए ऋणों, प्रदान की गई गारंटियों, उपलब्ध कराई गई प्रतिभूतियों अथवा किए गए निवेशों के संबंध में उक्त प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं; अतः इस संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, निवेशों का विवरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखा टिप्पणियों के नोट संख्या 11 में दिया गया है।

छ) अधिनियम की धारा 197 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधान, जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित हैं, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं; अतः इस संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ज) उपरोक्त पैरा 38 के अंतर्गत दी गई जानकारी को छोड़कर, वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात् 31 मार्च, 2026 तथा इस प्रतिवेदन की तिथि के मध्य कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन अथवा प्रतिबद्धता की घटना नहीं हुई है।

झ) कंपनी ने अपने निदेशकों अथवा किसी भी कर्मचारी को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

ञ) भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 24 जनवरी, 2018 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार अपेक्षित सतर्कता मामलों, लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरों तथा सूचना का अधिकार (आरटीआई) संबंधी मामलों आदि, यथाप्रयोज्य, का विवरण इस प्रतिवेदन में विधिवत समाविष्ट किया गया है।

ट) अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा विहित कंपनी (लागत रिकॉर्ड एवं लेखापरीक्षा) नियम, 2014 तथा कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2017 के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के लिए लागत अभिलेखों के अनुरक्षण का प्रावधान निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी के लिए लागत लेखों एवं अभिलेखों का अनुरक्षण अपेक्षित नहीं है।

ठ) समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों/सचिवीय लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कंपनी के विरुद्ध की गई किसी धोखाधड़ी की घटना की सूचना लेखा परीक्षा समिति को नहीं दी गई।

ड) कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है।

ढ) कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों का नामांकन/नियुक्ति भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तदनुसार, नियुक्ति प्राधिकारी नामांकित/नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता एवं अनुभव पर विचार करता है। बोर्ड की राय में, कंपनी के स्वतंत्र निदेशक सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति हैं तथा उनके पास कंपनी में प्रभावी योगदान देने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता, दक्षता एवं अनुभव उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) की अपेक्षानुसार कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों से आवश्यक घोषणा-पत्र प्राप्त हुए हैं।

ण) कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है।

त) आरईसी के विरुद्ध कोई दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) संबंधी कार्यवाही लंबित नहीं है और न ही कंपनी के विरुद्ध किसी भी आईबीसी कार्यवाही शुरु करने के लिए आरईसी को कोई सूचना प्राप्त हुई है।

थ) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जिसके कारण एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर से संबंधित विवरण की रिपोर्टिंग को उन्नत करें।

द) कंपनी ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

ध) भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 3 मई, 2024 के पत्र के माध्यम से गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी ("गिफ्ट"), गांधीनगर, गुजरात स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में वित्त कंपनी के रूप में अनुमत गतिविधियों के संचालन हेतु आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना के लिए "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्रदान किया है। प्रस्तावित इकाई के निगमित किए जाने हेतु कंपनी को भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय (एमओपी) से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त होना अभी शेष है।

न) आरईसी कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीबद्धता विनियमों, कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता संबंधी सभी अनिवार्य अपेक्षाओं, जो उस पर लागू हैं, का अनुपालन करती है,

उसके अलावा उन मामलों के जिनका विवरण इस रिपोर्ट में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त सांविधिक प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित सभी रिटर्न, रिपोर्ट एवं प्रकटीकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर दाखिल किए गए हैं।

40. निदेशक मंडल के रिपोर्ट के अनुलग्नक

सूचीबद्धता विनियमों तथा अन्य लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट तथा व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं सततता रिपोर्ट युक्त पृथक अनुभाग इस निदेशक मंडल के रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

अधिनियम, सूचीबद्धता विनियमों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देश, 2010 तथा अन्य लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार विभिन्न सांविधिक रिपोर्ट, सूचनाएँ, प्रमाण-पत्र आदि निम्नानुसार निदेशक मंडल के रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं:

विवरण	अनुलग्नक
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	I
कॉर्पोरेट सुशासन रिपोर्ट	II
कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी प्रमाण-पत्र	III
व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं सततता रिपोर्ट	IV
सचिवीय लेखापरीक्षण रिपोर्ट	V
संबद्ध पक्षों के साथ संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं का विवरण	VI
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	VII
डिबेंचर न्यासियों का विस्तृत विवरण	VIII

41. आभार

निदेशक मंडल, विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नीति आयोग, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीएसई लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रदान किए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते है। निदेशक मंडल, धारक कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए निरंतर समर्थन एवं सहयोग के प्रति भी अपनी गहन कृतज्ञता व्यक्त करते है।

निदेशक मंडल कंपनी में निरंतर विश्वास एवं अटूट भरोसा बनाए रखने के लिए सभी शेयरधारकों, निवेशकों, ऋणदाताओं तथा प्रतिभूति धारकों के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते है। निदेशक मंडल अपने ग्राहकों एवं उधारकर्ताओं, जिनमें राज्य सरकारें, राज्य विद्युत बोर्ड, राज्य विद्युत उपयोगिताएं तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादक शामिल हैं, द्वारा कंपनी में विश्वास जताने और कंपनी के सतत वृद्धि एवं सफलता में अपने सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापन करते है।

निदेशक मंडल कंपनी से संबद्ध सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों तथा कंपनी से जुड़े अन्य पेशेवरों द्वारा प्रदान किए गए समर्पित सहयोग एवं बहुमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद ज्ञापन करते है। निदेशक मंडल कर्मचारियों एवं अन्य कार्मिकों के प्रति उनके अटूट समर्पण, अथक परिश्रम तथा उत्कृष्टता के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है, जिनके अमूल्य योगदान ने कंपनी की निरंतर सफलता एवं प्रगति को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं।

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

जितेन्द्र

जितेन्द्र श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06817799

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 29 जुलाई, 2026

बोर्ड रिपोर्ट का अनुलग्नक क

हरित बॉण्ड के लिए वार्षिक प्रभाव रिपोर्ट : वित्तीय वर्ष 2025-26

क. 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हरित बॉण्ड

क्र. सं.	स्थान	क्षमता (मेगावाट में)	श्रेणी	ऋण स्वीकृति तिथि	31 मार्च, 2026 तक वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन (मेगावाट-घंटे में)	स्वीकृत ऋण (₹ करोड़ में)	31 मार्च, 2026 को बकाया ऋण (₹ करोड़ में)
1	अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	500	सौर ऊर्जा	24-02-2016	6,20,383.60	1,984.00	1,145.29
2	रंगा रेड्डी, तेलंगाना	5	सौर ऊर्जा	27-01-2016	6,296.34	26.90	12.55
3	मेडक, तेलंगाना	7	सौर ऊर्जा	26-11-2015	11,228.44	39.90	17.95
4	चित्रदुर्ग, कर्नाटक	30	सौर ऊर्जा	17-04-2017	52,700.00	150.39	71.87
5	मुंबई, महाराष्ट्र	लागू नहीं	कम कार्बन परिवहन	योजना-1: 26-05-2022 योजना-2: 09-02-2023	निर्माणाधीन परियोजना	30,593.00	1,574.14
6	तिरुपुर, तमिलनाडु	270	पवन ऊर्जा	15-04-2024	निर्माणाधीन परियोजना	161.46	108.82
कुल					**6,90,608.38**	**32,955.65**	**2,930.62**

ख. 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हरित बॉण्ड

क्र. सं.	स्थान	क्षमता (मेगावाट में)	श्रेणी	ऋण स्वीकृति तिथि	31 मार्च, 2026 तक वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन (मेगावाट-घंटे में)	स्वीकृत ऋण (₹ करोड़ में)	31 मार्च, 2026 को बकाया ऋण (₹ करोड़ में)
1	मुंबई, महाराष्ट्र	लागू नहीं	कम कार्बन परिवहन	योजना-1: 26-05-2022 योजना-2: 09-02-2023	निर्माणाधीन परियोजना	30,593.00	521.84
2	तूतीकोरिन, थूथुकुडी जिला, तमिलनाडु	540	पवन ऊर्जा	16-06-2021	13,86,180.00	2,564.73	2,561.68
3	धारापुरम, तिरुपुर जिला, तमिलनाडु	270	पवन ऊर्जा	09-08-2021	निर्माणाधीन परियोजना	647.00	647.00
4	कच्छ, गुजरात	779.8	सौर एवं पवन ऊर्जा	06-07-2025	निर्माणाधीन परियोजना	3,334.74	1,185.99
5	कच्छ, गुजरात	1,150	सौर ऊर्जा	19-03-2025	16,37,333.40	4,758.67	1,463.19
कुल					**30,23,513.40**	**41,898.14**	**6,379.70**

ग. 61.10 बिलियन जेपीवाई का हरित बॉण्ड

क्र. सं.	स्थान	क्षमता (मेगावाट में)	श्रेणी	ऋण स्वीकृति तिथि	31 मार्च, 2026 तक वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन (मेगावाट-घंटे में)	स्वीकृत ऋण (₹ करोड़ में)	31 मार्च, 2026 को बकाया ऋण (₹ करोड़ में)
1	बांका, बिहार	50	नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन - सौर	26-07-2023	1,01,130	197.36	17.20
2	कच्छ, गुजरात	900	नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन - सौर	03-01-2024	20,28,163	4,751.50	2,137.43
3	कच्छ, गुजरात	167	नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन - सौर	04-01-2024	3,92,312	845.75	217.80
4	मुंबई, महाराष्ट्र	लागू नहीं	कम कार्बन परिवहन	योजना-1: 26-05-2022 योजना-2: 09-02-2023	निर्माणाधीन परियोजना	30,593.00	607.68

क्र. सं.	स्थान	क्षमता (मेगावाट में)	श्रेणी	ऋण स्वीकृति तिथि	31 मार्च, 2026 तक वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन (मेगावाट-घंटे में)	स्वीकृत ऋण (₹ करोड़ में)	31 मार्च, 2026 को बकाया ऋण (₹ करोड़ में)
5	तावरगेरा, गडग, कर्नाटक एवं करूर, तमिलनाडु	1,400	पवन	09-04-2024	निर्माणाधीन परियोजना	9,061.36	1,000.00
कुल					**25,21,605.00**	**45,448.97**	**3,980.11**

घ. 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हरित बॉण्ड

क्र. सं.	स्थान	क्षमता (मेगावाट में)	श्रेणी	ऋण स्वीकृति तिथि	31 मार्च, 2026 तक वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन (मेगावाट-घंटे में)	स्वीकृत ऋण (₹ करोड़ में)	31 मार्च, 2026 को बकाया ऋण (₹ करोड़ में)
1	नीमच, मध्य प्रदेश	1,920	नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन - सौर	15-11-2022	निर्माणाधीन परियोजना	7,910.84	5,041.50
2	नांदेड़, महाराष्ट्र	285	नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन - सौर	25-06-2024	निर्माणाधीन परियोजना	802.70	465.18
		कुल				**8,713.54**	**5,506.68**

नोट : महाराष्ट्र के मुंबई में स्वच्छ परिवहन हेतु ₹30,593 करोड़ की ऋण स्वीकृति राशि का आंशिक उपयोग, क्रमशः तालिका क, ख एवं ग में दर्शाए अनुसार, 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर बॉण्ड तथा 61.10 बिलियन जापानी येन बॉण्ड की प्राप्तियों से संवितरण के लिए किया गया है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कारोबार परिवेश और उद्योग परिदृश्य, उद्योग जोखिमों, अवसरों और कंपनी के वित्तीय और प्रचलानात्मक कार्य-निष्पादन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है।

व्यावसायिक परिवेश

वैश्विक व्यावसायिक परिवेश

वैश्विक अर्थव्यवस्था एक बार पुनः एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है और ऐसी नई चुनौतियों का सामना कर रही है जो इसकी हालिया प्रत्यास्थता की परीक्षा ले रही हैं। वर्ष 2024 एवं 2025 के दौरान प्रौद्योगिकी निवेश में तेजी तथा व्यापार संबंधी तनावों में कमी के कारण आर्थिक गतिविधियों में गति के संकेत प्राप्त हुए थे, किंतु फरवरी 2026 में मध्य-पूर्व में युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात परिदृश्य अचानक प्रतिकूल हो गया है। यह संघर्ष, अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीतियों में प्रमुख परिवर्तनों के एक वर्ष से भी कम समय पश्चात उत्पन्न हुआ है, जिसने भू-राजनीतिक तनावों को ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है तथा अभूतपूर्व स्तर के वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंका उत्पन्न कर दी है।

भू-राजनीतिक घटनाक्रम एक बार पुनः वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं। मध्य-पूर्व में संघर्ष के कारण महत्वपूर्ण उत्पादन सुविधाएं तथा पारगमन मार्ग, विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य, प्रभावित हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा एवं खाद्य कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई है तथा वैश्विक वित्तीय परिस्थितियां अधिक सख्त हुई हैं। यद्यपि वैश्विक अनिश्चितता वर्ष 2025 के उच्चतम स्तरों की तुलना में कम हुई थी, तथापि युद्ध की परिवर्तित होती स्थिति तथा नई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था की ओर जारी संक्रमण के प्रति बाजारों की प्रतिक्रिया के कारण यह अब भी उच्च स्तर पर बनी हुई है। इन झटकों के बीच विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधियों की स्थिति असमान बनी हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रोजगार वृद्धि की गति में कमी आने के बावजूद अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनी हुई है, जबकि चीन आवास क्षेत्र में मंदी तथा श्रमबल में गिरावट से उत्पन्न संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रहा है।

आई. एम. एफ.: विश्व आर्थिक परिदृश्य अनुमान

	वैश्विक वृद्धि	अनुमान (%)		
		2025	2026	2027
	विश्व	**3.4**	**3.1**	**3.2**
1.	**उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ (एई)**	**1.9**	**1.8**	**1.7**
	यूएस	2.1	2.3	2.1
	यूरोपीय संघ क्षेत्र	1.4	1.1	1.2
	यूके	1.3	0.8	1.3
	जापान	1.2	0.7	0.6
2.	**उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ**	**4.4**	**3.9**	**4.2**
	भारत	**7.6**	**6.5**	**6.5**
	चीन	5.0	4.4	4.0
	ब्राज़ील	2.3	1.9	2.0
	उप-सहारा अफ्रीका	4.5	4.3	4.4
	मध्य पूर्व और मध्य एशियाई	3.6	1.9	4.6

वैश्विक वृद्धि दर के वर्ष 2026 में 3.1% रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2025 में प्राप्त 3.4% की तुलना में कम है। इसके पश्चात वर्ष 2027 में इसके लगभग 3.2% के स्तर पर स्थिर होने की अपेक्षा है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए वर्ष 2026 में वृद्धि दर 1.8% रहने का अनुमान है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था के 2.3% की दर से बढ़ने, जबकि उच्च ऊर्जा मूल्यों के निरंतर प्रभाव के कारण यूरो क्षेत्र की वृद्धि दर के घटकर 1.1% रहने की अपेक्षा है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर के वर्ष 2026 में घटकर 3.9% रहने का अनुमान है, जिसमें मुद्रा अवमूल्यन तथा आयात लागत में वृद्धि के कारण निम्न-आय वाले वस्तु-आयातक देश विशेष रूप से प्रभावित होने की संभावना है।

वैश्विक शीर्षक मुद्रास्फीति के वर्ष 2026 में अस्थायी रूप से बढ़कर 4.4% होने का अनुमान है, जिसके पश्चात वर्ष 2027 में इसके घटकर 3.7% पर आने की अपेक्षा है। इस ऊर्ध्वमुखी संशोधन का कारण ऊर्जा मूल्यों में वृद्धि तथा आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान का प्रत्यक्ष प्रभाव है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऊर्जा आघात तथा पूर्ववर्ती व्यापार अवरोधों के प्रभावों के अर्थव्यवस्था में क्रमिक रूप से परिलक्षित होते रहने के कारण, वर्ष 2027 तक अंतर्निहित मुद्रास्फीति के अपने 2% लक्ष्य स्तर पर वापस आने की संभावना नहीं है।

वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य "विद्युतीकरण के युग" की ओर संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वर्ष 2025 में वैश्विक ऊर्जा मांग वृद्धि की दर घटकर 1.3% रही, जिसकी पूर्ति बढ़ते हुए स्तर पर आधुनिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा की गई। अभिलेखों में पहली बार, सौर फोटोवोल्टिक का वैश्विक ऊर्जा मांग वृद्धि में सर्वाधिक योगदान रहा तथा निम्न-उत्सर्जन स्रोतों की संयुक्त भागीदारी अब नई वैश्विक मांग के लगभग 60% की पूर्ति कर रही है। इस परिवर्तन के बावजूद, वर्ष 2025 में ऊर्जा-संबंधित वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 38 बिलियन टन से अधिक के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, यद्यपि उत्सर्जन वृद्धि की दर घटकर 0.4% रह गई।

वैश्विक आर्थिक वृद्धि के मध्यम अवधि में 3.1% के स्तर पर बने रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2000 से 2019 की अवधि के दौरान दर्ज 3.7% के ऐतिहासिक औसत से कम है। यह मंद वृद्धि परिदृश्य भू-अर्थशास्त्रीय विखंडन तथा प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में जनसंख्या के वृद्धावस्था की ओर बढ़ने से प्रभावित है। यद्यपि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का तीव्र अंगीकरण उत्पादकता तथा दीर्घकालिक वृद्धि के लिए संभावित अवसर प्रदान करता है, तथापि यह परिवर्तन वित्तीय बाजारों में सुधार तथा श्रम बाजार में व्यवधान से संबंधित जोखिमों से युक्त बना हुआ है।

भारतीय व्यावसायिक परिवेश

भारत वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक तीव्र गति से वृद्धि करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने अप्रैल, 2026 के विश्व आर्थिक परिदृश्य में वैश्विक वृद्धि में भारत की अग्रणी स्थिति की पुनः पुष्टि करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर लगभग 7.6% कर दिया है, जो अपेक्षा से अधिक सुदृढ़ घरेलू आर्थिक गतिविधियों को परिलक्षित करता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आईएमएफ ने लगभग 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया है, जिससे चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण के बावजूद भारत की स्थिति सर्वाधिक तीव्र गति से वृद्धि करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में बनी हुई है।लचीली घरेलू मांग, सार्वजनिक एवं निजी निवेश में निरंतर वृद्धि तथा अवसंरचना, विनिर्माण, डिजिटलीकरण एवं वित्तीय समावेशन के क्षेत्रों में जारी संरचनात्मक सुधारों के समर्थन से भारत वैश्विक अनिश्चितताओं का प्रभावी ढंग से सामना करने तथा वैश्विक आर्थिक वृद्धि में सार्थक योगदान देना जारी रखने की सुदृढ़ स्थिति में है।

आर्थिक विकास और दृष्टिकोण

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने भू-राजनीतिक तनावों, आपूर्ति शृंखला में व्यवधान तथा वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच उल्लेखनीय प्रत्यास्थता का प्रदर्शन किया। सुदृढ़ घरेलू मांग, निवेश गतिविधियों में निरंतरता तथा विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक प्रबंधन के समर्थन से भारत विश्व की सर्वाधिक तीव्र गति से वृद्धि करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा। संरचनात्मक सुधारों, जीएसटी के युक्तिकरण, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के विस्तार तथा संघ बजट 2026-27 के अंतर्गत घरेलू विनिर्माण एवं अवसंरचना पर सरकार के निरंतर बल ने वृद्धि के बुनियादी कारकों को और सुदृढ़ किया।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनंतिम अनुमानों (पीई) के अनुसार, वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी में 7.7% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 7.1% रही थी। वर्तमान मूल्यों पर नाममात्र जीडीपी अथवा जीडीपी के वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹346.36 लाख करोड़ के स्तर तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह ₹318.07 लाख करोड़ थी, जिससे 8.9% की वृद्धि दर परिलक्षित होती है। वृद्धि का आधार व्यापक रहा, जिसमें निजी उपभोग तथा सकल स्थिर पूंजी निर्माण का प्रमुख योगदान रहा। सेवा क्षेत्र में वृद्धि का रुझान सुदृढ़ बना रहा तथा विनिर्माण गतिविधियों में मजबूती देखी गई। मौसम संबंधी कारकों के कारण कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर में नरमी रही, तथापि खाद्यान्न उपलब्धता तथा जलाशयों में जल स्तर संतोषजनक बना रहा।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान व्यक्त किया है, तथा वर्ष के दौरान वृद्धि में क्रमिक रूप से मजबूती आने की अपेक्षा की है। इस परिदृश्य को सुदृढ़ ग्रामीण मांग, शहरी उपभोग में अपेक्षित पुनरुद्धार, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में निरंतरता, विनिर्माण क्षेत्र में उच्च क्षमता उपयोग तथा सेवा निर्यात की प्रत्यास्थता से समर्थन प्राप्त होने की संभावना

है। तथापि, भू-राजनीतिक घटनाक्रम, ऊर्जा मूल्यों के उच्च स्तर, वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता तथा जलवायु संबंधी अनिश्चितताओं से नकारात्मक जोखिम बने हुए हैं।

वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति सामान्यतः नियंत्रित रही। खाद्य मूल्यों में नरमी, रबी फसल के सुदृढ़ उत्पादन तथा पर्याप्त बफर भंडारों के कारण वर्ष 2026 के आरंभिक महीनों में शीर्षक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति निम्न स्तर पर रही। अंतर्निहित मुद्रास्फीति संबंधी दबाव भी सीमित रहे, जो मांग पक्ष से उत्पन्न मूल्य दबावों के अपेक्षाकृत कम रहने को परिलक्षित करते हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति के औसतन लगभग 4.6% रहने का अनुमान है, जबकि वैश्विक ऊर्जा मूल्यों में अस्थिरता, आयातित मुद्रास्फीति के दबाव, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव तथा कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाली एल नीनो परिस्थितियों की संभावना से संबंधित जोखिम बने हुए हैं।

भारत ने जलवायु तथा आपूर्ति पक्ष से उत्पन्न आघातों के प्रति अपनी प्रत्यास्थता को निरंतर सुदृढ़ किया है। जलाशयों में संतोषजनक जल स्तर, खाद्यान्न के पर्याप्त भंडार तथा समयोचित नीतिगत हस्तक्षेपों ने मौसम संबंधी जोखिमों के प्रभाव को कम करने में सहायता की है। साथ ही, नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार, ऊर्जा दक्षता तथा दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा पर सरकार का विशेष बल सतत विकास संबंधी उद्देश्यों को समर्थन प्रदान करता है।

मौद्रिक नीति संतुलित एवं वृद्धि-समर्थक बनी रही। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखते हुए तटस्थ रुख अपनाया तथा सुव्यवस्थित वित्तीय परिस्थितियां सुनिश्चित करने के लिए तरलता का सक्रिय प्रबंधन किया। वित्तीय क्षेत्र मजबूत बना रहा, जिसकी विशेषता पर्याप्त पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार तथा ऋण वृद्धि की स्वस्थ दर रही।

समग्र रूप से, यद्यपि वैश्विक अनिश्चितताएं तथा जलवायु संबंधी जोखिम चुनौतियां उत्पन्न करते रहे हैं, तथापि भारत के सुदृढ़ व्यापक आर्थिक आधारभूत कारक, प्रत्यास्थ घरेलू मांग, नीतिगत संरक्षण उपाय तथा सुधारों की निरंतर गति अर्थव्यवस्था को मध्यम अवधि में स्थिर एवं सतत वृद्धि के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं।

उद्योग संरचना और विकास

उद्योग अवलोकन

भारत का विद्युत क्षेत्र तीव्र क्षमता संवर्धन, गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता में वृद्धि तथा मांग के स्वरूप में हो रहे परिवर्तनों के कारण महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मानसून के शीघ्र आगमन तथा ग्रीष्मकाल के दौरान प्रचुर वर्षा के कारण विद्युत मांग अपेक्षाकृत नियंत्रित रही, जिससे शीतलन संबंधी मांग में कमी आई तथा विद्युत उत्पादन एवं अधिकतम मांग की वृद्धि की गति मंद रही। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल विद्युत उत्पादन में लगभग 1% की वृद्धि हुई और यह 1,847 बिलियन यूनिट (बीयू) तक पहुंच गया।विद्युत उत्पादन के मिश्रण में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों का योगदान अधिक प्रमुख रहा। गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन में वर्ष-दर-वर्ष 12% की वृद्धि दर्ज की गई तथा कुल विद्युत उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 29% हो गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अधिकतम विद्युत मांग भी लगभग 245 गीगावाट के स्तर पर नियंत्रित रही।अवसंरचना के मोर्चे पर, क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विस्तार जारी रहा और वर्ष के दौरान लगभग 62 गीगावाट क्षमता का संवर्धन किया गया, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अभिलेखीय 55 गीगावाट क्षमता शामिल है। परिणामस्वरूप, मार्च 2026 तक भारत की कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 533 गीगावाट तक पहुंच गई, जबकि गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2024-25 के 48% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 53% हो गई।

31.03.2026 तक स्थापित क्षमता: 5,32,740 मेगावाट

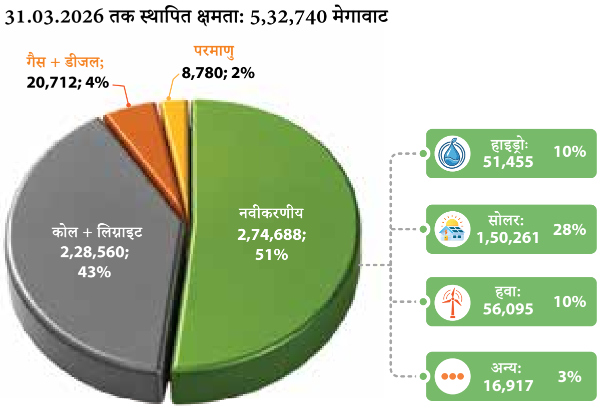

उद्योग संरचना

उत्पादन

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार देश की कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 532.74 गीगावाट थी। क्षेत्रवार आधार पर इसमें लगभग 124 गीगावाट केंद्रीय क्षेत्र, लगभग 130 गीगावाट राज्य क्षेत्र तथा लगभग 279 गीगावाट निजी क्षेत्र की क्षमता शामिल थी। क्षमता मिश्रण के संदर्भ में, तापीय/जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता लगभग 249 गीगावाट, जलविद्युत (बड़े) क्षमता लगभग 51 गीगावाट, नाभिकीय क्षमता लगभग 9 गीगावाट तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को छोड़कर) लगभग 223 गीगावाट थी।भारत ने जून, 2025 में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से संचयी संस्थापित विद्युत क्षमता का 50% प्राप्त करने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया, जो वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (एनडीसी) तथा वर्ष 2022 में उसके अद्यतन के तहत निर्धारित वर्ष 2030 के लक्ष्य से पांच वर्ष पूर्व प्राप्त किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान क्षमता संवर्धन में उल्लेखनीय गति रही और कुल लगभग 62 गीगावाट क्षमता का संवर्धन किया गया। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख योगदान रहा, जो कुल क्षमता संवर्धन का लगभग 89% था।

विद्युत उत्पादन के संदर्भ में, भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 1,847 बिलियन यूनिट (बीयू) विद्युत का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष के लगभग 1,830 बिलियन यूनिट (बीयू) की तुलना में मामूली रूप से अधिक है। विद्युत उत्पादन मिश्रण में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी निरंतर सुदृढ़ होती रही तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 29% हो गई, जो पिछले वर्ष 25% थी। जलविद्युत को छोड़कर नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन में वर्ष-दर-वर्ष 22% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जबकि वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान जलविद्युत उत्पादन (भूटान से आयात सहित) में भी वर्ष-दर-वर्ष 13% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

अखिल भारतीय ऊर्जा उत्पादन परिदृश्य (बी. यू. में)

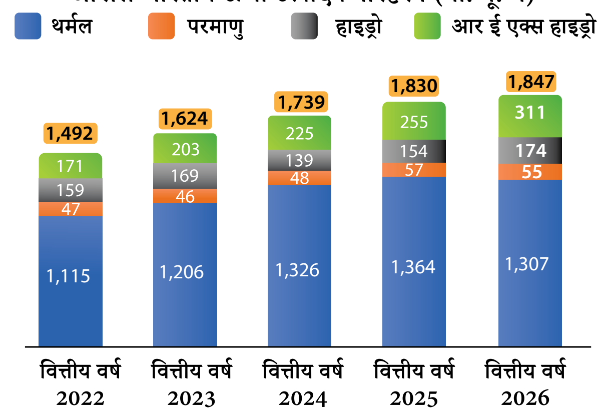

भारत की पूर्ति की गई अधिकतम विद्युत मांग मई, 2024 में 250 गीगावाट के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। तथापि, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अधिकतम मांग घटकर लगभग 245 गीगावाट रही। मानसून के शीघ्र आगमन तथा ग्रीष्म ऋतु के दौरान प्रचुर वर्षा इसके लिए प्रमुख कारक रहे, जिससे विद्युत मांग अपेक्षाकृत कम रही। तथापि, अप्रैल, 2026 में भीषण ताप लहर के कारण शीतलन उपकरणों के उपयोग में वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप भारत में 256 गीगावाट की अभिलेखीय अधिकतम विद्युत मांग दर्ज की गई। यह संपूर्ण मांग बिना किसी कमी के पूरी की गई, जो देश की ग्रिड की प्रत्यास्थता तथा तैयारी को दर्शाती है।

अखिल भारतीय स्तर की अधिकतम मांग में वृद्धि का रुझान पूरा हुआ

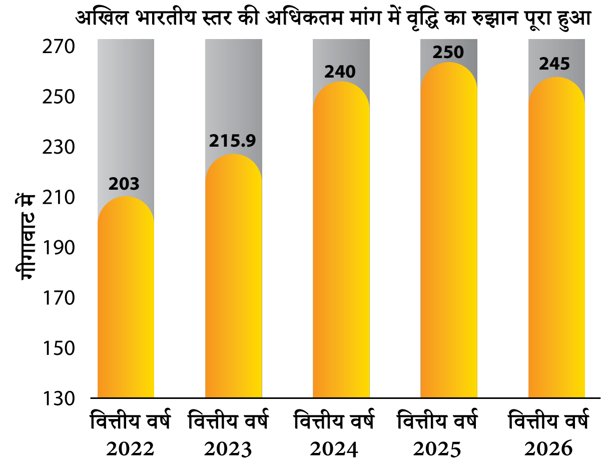

कोयला

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत का घरेलू कोयला उत्पादन लगभग 1,041 मिलियन टन (एमटी) रहा, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के 1,047 मिलियन टन (एमटी) की तुलना में लगभग स्थिर रहा। कोयले का परिवहन तथा उठाव एक बिलियन टन के स्तर पर बना रहा, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल उठाव/प्रेषण लगभग 1,019 मिलियन टन (एमटी) रहा। उल्लेखनीय रूप से, विद्युत क्षेत्र कोयले का प्रमुख उपभोक्ता बना रहा, जिसे लगभग 808 मिलियन टन (एमटी) कोयले की आपूर्ति की गई, जो कुल प्रेषण का लगभग चार-पांचवां भाग है। इससे तापीय विद्युत उत्पादकों के लिए ईंधन सुरक्षा को समर्थन प्राप्त होता है तथा विद्युत क्षेत्र की दीर्घावधि ऋण सुविधाओं के नकदी प्रवाह आधारित ऋण-सेवा दायित्वों के लिए प्रचालनात्मक पूर्वानुमेयता में सुधार होता है।

तापीय विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन सुरक्षा संयंत्रों की उपलब्धता तथा कोयला आधारित परिसंपत्तियों के लिए नकदी प्रवाह की स्थिरता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक बनी हुई है। इस संदर्भ में, भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र के लिए घरेलू कोयले की उपलब्धता सुदृढ़ करने हेतु कोयला क्षेत्र में अनेक सुधारात्मक एवं प्रचालनात्मक उपाय किए हैं। मंत्रिमंडल ने विद्युत क्षेत्र को कोयला आवंटन हेतु संशोधित शक्ति नीति, 2025 को अनुमोदित किया है, जिसके अंतर्गत लिंकिज व्यवस्था को दो खिड़कियों में सरल बनाया गया है, जिससे लचीलेपन तथा घरेलू कोयले की उपलब्धता में सुधार हुआ है और पात्र संयंत्रों के लिए आयातित कोयले के प्रतिस्थापन को सक्षम बनाया गया है। इससे किफायती एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति को समर्थन प्राप्त होगा। संशोधित व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने खिड़की-I तथा खिड़की-II के अंतर्गत लिंकिज के आवंटन/चिह्नांकन के लिए कार्यप्रणाली जारी की है।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा(आरई) क्षमता के क्षेत्र में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की और अभिलेखीय 55 गीगावाट क्षमता का संवर्धन किया। इसके परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष के अंत तक देश की कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर लगभग 275 गीगावाट हो गई। यह उल्लेखनीय उपलब्धि वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता प्राप्त करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रगति को दर्शाती है, जो उसके 'पंचामृत' लक्ष्यों के अंतर्गत एक प्रमुख प्रतिबद्धता है। वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा रैंकिंग में भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है।

सौर ऊर्जा ने इस विस्तार का नेतृत्व किया और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नई क्षमता, जो पिछले वर्ष जोड़ी गई 24 गीगावाट सौर क्षमता की तुलना में लगभग दोगुना है। इसके परिणामस्वरूप कुल संस्थापित सौर क्षमता बढ़कर 150 गीगावाट हो गई, जिसमें 115 गीगावाट भू-स्थापित सौर क्षमता, 26 गीगावाट रूफटॉप सौर क्षमता, 4 गीगावाट संकर परियोजनाएं तथा 5 गीगावाट ऑफ-ग्रिड क्षमता शामिल है।वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विकेन्द्रीकृत सौर क्षमता में एक ही वित्तीय वर्ष में अभिलेखीय 16 गीगावाट की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें 9 गीगावाट रूफटॉप सौर क्षमता तथा 7 गीगावाट प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) परियोजनाएं शामिल हैं। यह वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल संस्थापित क्षमता संवर्धन का लगभग 36% है।31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत संचयी रूफटॉप सौर संस्थापन बढ़कर 33.64 लाख हो गए हैं, जो विकेन्द्रीकृत सौर क्षेत्र के विभिन्न खंडों में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है।

पवन ऊर्जा क्षेत्र ने भी निरंतर प्रगति दर्ज की और वर्ष के दौरान 6 गीगावाट नई क्षमता का संवर्धन किया, जबकि पूर्ववर्ती वर्ष में यह 4 गीगावाट था। इसके परिणामस्वरूप इसकी कुल संचयी संस्थापित क्षमता बढ़कर 56 गीगावाट हो गई। इसके साथ ही, बड़ी जलविद्युत क्षमता बढ़कर 51 गीगावाट हो गई (जिसमें 4 गीगावाट की वृद्धि हुई), लघु जलविद्युत क्षमता 5 गीगावाट रही तथा जैव-ऊर्जा क्षमता (अपशिष्ट से ऊर्जा सहित) 12 गीगावाट रही।

पारेषण एवं वितरण

पारेषण

पारेषण अवसंरचना भारत की विद्युत आपूर्ति प्रणाली का एक मूलभूत घटक है, जो भौगोलिक रूप से विभिन्न स्थानों पर स्थित उत्पादन स्रोतों को लाखों उपभोक्ताओं से जोड़ती है। यह महत्वपूर्ण नेटवर्क अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) के माध्यम से विद्युत के बल्क अंतरण को सक्षम बनाता है, जिसका प्रबंधन मुख्य रूप से केंद्रीय पारेषण उपयोगिता (सीटीयू) द्वारा किया जाता है, तथा राज्य पारेषण उपयोगिताओं (एसटीयू) द्वारा संचालित राज्यांतर्गत पारेषण प्रणालियों (इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम्स - इनएसटीएस) के माध्यम से राज्यों के भीतर विद्युत का वितरण सुनिश्चित करता है। भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति, बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के प्रभावी एकीकरण तथा सभी क्षेत्रों में विद्युत के समतामूलक वितरण को सुनिश्चित करने के लिए राज्यांतर्गत ग्रिड का अनुरूप सुदृढ़ीकरण आवश्यक है।

भारतीय प्रसारण की वर्तमान स्थिति यहां रेखांकित की गई है:

31 मार्च, 2026 तक ट्रांसमिशन स्थिति	एचवीडीसी			ईएचवी एसी			कुल
	± 800केवी	± 500केवी	± 320केवी	765 केवी	400 केवी	230/220 केवी	
वित्तीय वर्ष 2025-26 में जोड़ी गई लाइनें (सीकेएम में)	शून्य	शून्य	शून्य	5,111	3,064	3,964	12,139
वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत में कुल लाइन लंबाई (सीकेएम में)	9,655	9,432	288	62,066	2,09,856	2,15,216	5,06,513
वित्तीय वर्ष 2025-26 में जोड़ी गई रुपांतर क्षमता (एमवीए में)	शून्य	शून्य	शून्य	54,000	34,860	24,153	1,13,013
वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत में कुल परिवर्तन क्षमता (एमवीए में)	18,000	13,500	2,000	3,69,700	5,33,333	5,13,993	14,50,526

भारत के पारेषण नेटवर्क का वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निरंतर विस्तार हुआ। पारेषण लाइनों के संवर्धन (12,139 सर्किट किलोमीटर) में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 37% की वृद्धि दर्ज की गई तथा रूपांतरण क्षमता के संवर्धन में भी वर्ष-दर-वर्ष 31% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 1,13,013 एमवीए तक पहुंच गई। 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, देश की संचयी पारेषण अवसंरचना में 5,06,513 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनें तथा 14,50,526 एमवीए रूपांतरण क्षमता शामिल थी।

आगे की ओर देखते हुए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने भारत के ऊर्जा संक्रमण के लिए अपने दृष्टिकोण का विस्तार किया है। जहां प्रारंभिक लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता का एकीकरण करना था, वहीं अद्यतन योजना में अब वर्ष 2035-36 तक 900 गीगावाट से अधिक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता के एकीकरण के लिए एक व्यापक कार्ययोजना प्रदान की गई है। यह योजना 459 गीगावाट की अनुमानित अधिकतम विद्युत मांग की पूर्ति के लिए तैयार की गई है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश की तीव्र आर्थिक वृद्धि को विश्वस्तरीय तथा कार्बन-सचेत पारेषण नेटवर्क का समर्थन प्राप्त हो।

इस व्यापक क्षमता विस्तार को प्राप्त करने के लिए भौतिक अवसंरचना में उल्लेखनीय वृद्धि की योजना बनाई गई है। वर्ष 2026-27 से 2035-36 की अवधि के दौरान अतिरिक्त पवन एवं सौर क्षमता के एकीकरण हेतु केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 1,37,500 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों तथा 8,27,600 एमवीए रूपांतरण क्षमता की आवश्यकता का अनुमान व्यक्त किया है। इसमें राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक जैसे राज्यों में स्थित उच्च संभाव्यता वाले नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षेत्रों को प्रमुख लोड केंद्रों से जोड़ने के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) का व्यापक उपयोग शामिल है।इसके अतिरिक्त, इस योजना में उन्नत उच्च वोल्टता दिष्टधारा (एचवीडीसी) पारेषण प्रणालियों की परिकल्पना की गई है, विशेष रूप से राजस्थान में उपलब्ध प्रचुर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के निर्गमन के लिए, जिसमें रामगढ़ तथा भड़ला परिसरों जैसे कॉरिडोर सम्मिलित हैं।

ऊर्जा भंडारण तथा उभरती औद्योगिक मांगों को इस योजना में रणनीतिक रूप से समाहित किया गया है। यह स्वीकार करते हुए कि वर्ष 2030 के पश्चात ग्रिड स्थिरता के लिए दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण आवश्यक होगा, इस कार्ययोजना में वित्तीय वर्ष 2034-35 तक 100 गीगावाट जल पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) स्थापित करने का मार्ग निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, हरित ऊर्जा कॉरिडोर (जीईसी)-III योजना के अंतर्गत

44.8 गीगावाट-घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) के विकास को समर्थन प्रदान किया जाएगा। नई अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण भाग हरित हाइड्रोजन तथा हरित अमोनिया विनिर्माण केंद्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए समर्पित है। इसके अंतर्गत ओडिशा के पारादीप तथा गोपालपुर जैसे स्थानों पर उत्पन्न होने वाली विशाल नई औद्योगिक मांगों की पूर्ति हेतु विशेष रूप से 1150 केवी पारेषण कॉरिडोर की योजना बनाई गई है।

यह रोडमैप वैश्विक एवं घरेलू निवेशकों को अभूतपूर्व स्पष्टता प्रदान करती है तथा व्यापक निवेश अवसर उपलब्ध कराती है। वर्तमान में प्रारंभ की जा चुकी, निर्माणाधीन अथवा निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित योजनाओं सहित, वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2035-36 की अवधि के दौरान आवश्यक ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल अनुमानित लागत लगभग ₹7,93,300 करोड़ है। सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं की अपेक्षाकृत कम निर्माण अवधि के अनुरूप ट्रांसमिशन विकास को समन्वित करके यह योजना सुनिश्चित करती है कि नई उत्पादन क्षमता के वाणिज्यिक परिचालन में आते ही विद्युत के निर्गमन हेतु ग्रिड पूर्णतः तैयार हो।

वितरण

विद्युत वितरण विद्युत आपूर्ति मूल्य शृंखला की अंतिम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो सीधे उपभोक्ताओं से संबद्ध है। पिछले वर्षों के दौरान भारत के विद्युत वितरण क्षेत्र में आपूर्ति की जाने वाली विद्युत की गुणवत्ता, विद्युत आपूर्ति के घंटों की संख्या तथा विद्युत आपूर्ति हेतु अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विद्युत वितरण क्षेत्र के निष्पादन में सुधार विद्युत मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।पिछले एक दशक के दौरान विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत वितरण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा वितरण उपयोगिताओं (डिस्कॉम) की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार हेतु विभिन्न सुधारात्मक उपायों/नियमों को अधिसूचित किया गया है। विद्युत वितरण क्षेत्र के लिए विद्युत मंत्रालय की कुछ प्रमुख पहलों में एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस, 2014) शामिल है, जिसके अंतर्गत डिस्कॉम में सूचना प्रौद्योगिकी तथा उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी) प्रणालियां प्रारंभ की गईं; उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय, 2015), जिसके अंतर्गत डिस्कॉम के ऋणों को चरणबद्ध रूप से राज्य सरकारों द्वारा ग्रहण किए जाने का प्रावधान किया गया; पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस, 2021), जिसके अंतर्गत अन्य निष्पादन सुधार उपायों के साथ देशव्यापी स्तर पर प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया; विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020; विद्युत विलंबित भुगतान अधिभार तथा संबंधित विषय नियम (एलपीएस नियम), 2022; हरित मुक्त अभिगम नियम, 2022; विद्युत वितरण (लेखा एवं अतिरिक्त प्रकटीकरण) नियम, 2024; सब्सिडी लेखांकन, ईंधन लागत के पास-थ्रू, संसाधन पर्याप्तता तथा समय-आधारित शुल्क (टाइम-ऑफ-डे टैरिफ) के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं तथा अन्य अनेक पहलें शामिल हैं।

विद्युत वितरण क्षेत्र में किए गए सुधारात्मक उपायों का मुख्य उद्देश्य वितरण उपयोगिताओं (डिस्कॉम) की वित्तीय व्यवहार्यता तथा प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार करना रहा है। इन पहलों का प्रभाव अब हाल के निष्पादन संकेतकों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगा है।

- प्रचालनात्मक निष्पादन में निरंतर सुधार देखा गया है, जिसमें कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक एटी एंड सी हानियां वित्तीय वर्ष 2024 में 15.97% से घटकर वित्तीय वर्ष 2025 में 15.04% रह गईं। यह सुधार दक्षता संबंधी मानकों में हुई प्रगति से समर्थित रहा है, क्योंकि इसी अवधि के दौरान बिलिंग दक्षता 86.99% से बढ़कर 87.59% हो गई, जबकि संग्रहण दक्षता 96.60% से बढ़कर 97% हो गई।
- वित्तीय निष्पादन में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। समग्र स्तर पर, सभी रेटिंग प्राप्त वितरण उपयोगिताओं के लिए उपार्जन आधार पर क्षेत्र ने पहली बार कर पश्चात लाभ (पीएटी) दर्ज किया, जो वित्तीय वर्ष 2024 में ₹27,022 करोड़ की हानि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025 में ₹2,701 करोड़ का लाभ रहा।
- एसीएस-एआरआर अंतर (नकद-समायोजित) में प्रति किलोवाट-घंटा ₹0.25 की उल्लेखनीय कमी आई है और यह वित्तीय वर्ष 2024 में ₹0.32 प्रति किलोवाट-घंटा से घटकर वित्तीय वर्ष 2025 में ₹0.07 प्रति किलोवाट-घंटा रह गया है, जो लागत वसूली में सुधार तथा शुल्क के बेहतर संरेखण को दर्शाता है।
- तरलता संबंधी संकेतकों में भी सीमित से मध्यम स्तर तक सुधार देखा गया है। प्राप्य दिनों की संख्या वित्तीय वर्ष 2024 के 113 दिनों से सुधरकर वित्तीय वर्ष 2025 में 112 दिन हो गई। इसी अवधि के दौरान उत्पादन एवं पारेषण कंपनियों को भुगतानों में विलंब भी उल्लेखनीय रूप से कम हुआ, जिसके परिणामस्वरूप देय दिनों की संख्या 132 दिनों से घटकर 113 दिन रह गई।

समग्र रूप से, ये प्रवृत्तियां विद्युत वितरण क्षेत्र की वित्तीय एवं प्रचालनात्मक स्थिति में क्रमिक किंतु निरंतर सुदृढ़ता को परिलक्षित करती हैं तथा कार्यान्वित सुधारात्मक उपायों की प्रभावशीलता को दर्शाती हैं।

वर्ष 2030 तक की अनुमानित मांग की पूर्ति हेतु वितरण अवसंरचना की आवश्यकता के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने वितरण उपयोगिताओं के परामर्श से तथा डिस्कॉम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वित्तीय वर्ष 2029-30 तक के लिए वितरण परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2029-30 तक की अनुमानित मांग की पूर्ति हेतु डिस्कॉम द्वारा नियोजित वितरण अवसंरचना का डिस्कॉम-वार तथा अखिल भारतीय स्तर पर विवरण सम्मिलित किया गया है।वितरण उपयोगिताओं के मार्गदर्शन हेतु स्मार्ट वितरण के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध नई प्रौद्योगिकियों का विवरण तथा वितरण उपयोगिताओं के क्षमता निर्माण संबंधी एक अध्याय भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है। वितरण परिप्रेक्ष्य योजना (डीपीपी) में देशभर के 71 डिस्कॉम के लिए वर्ष 2030 तक कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में कमी लाने की कार्ययोजना भी सम्मिलित की गई है।

वितरण अवसंरचना के उन्नयन के लिए वर्ष 2022-27 की अवधि के दौरान ₹4.28 लाख करोड़ की निधि आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से ₹1.89 लाख करोड़ की राशि पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना आरडीएसएस सहित विभिन्न स्रोतों से वितरण उपयोगिताओं (डिस्कॉम) को उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2027-30 की अवधि के लिए ₹2.86 लाख करोड़ के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता का भी अनुमान लगाया गया है।

ऊर्जा भंडारण

पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी): भारत में वर्तमान में 7.4 गीगावाट संस्थापित क्षमता उपलब्ध है तथा 15.9 गीगावाट क्षमता निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा कुल 6.6 गीगावाट क्षमता की परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को सहमति प्रदान की जा चुकी है तथा उनका निर्माण कार्य अभी प्रारंभ किया जाना शेष है।आगे की अवधि में ऑफ-स्ट्रीम क्लोज्ड-लूप प्रणालियों को प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि इनमें न्यूनतम निर्माण अवधि, नदी पारिस्थितिकी तथा अवसाद परिवहन पर कम प्रभाव के कारण सांविधिक स्वीकृतियां अपेक्षाकृत शीघ्र प्राप्त होने की संभावना तथा अधिक प्रचालनात्मक लचीलापन एवं दक्षता उपलब्ध होती है।भारत में वर्तमान में पंप भंडारण परियोजनाओं की अनुमानित क्षमता लगभग 289 गीगावाट है, जिसमें से 232 गीगावाट क्षमता ऑफ-स्ट्रीम पंप भंडारण परियोजनाओं से संबंधित है।

बीईएसएस : जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार, देश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) परियोजनाओं की संस्थापित क्षमता 275 मेगावाट (792 मेगावाट-घंटा) है। इसके अतिरिक्त, 10.7 गीगावाट क्षमता की बीईएसएस परियोजनाएं वर्तमान में निर्माणाधीन हैं तथा 22.3 गीगावाट क्षमता की परियोजनाएं निविदा चरण में हैं।

बिजली क्षेत्र की नीति वातावरण

भारत ने सीओपी-26 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित महत्वाकांक्षी ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। इन लक्ष्यों में वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता स्थापित करना तथा वर्ष 2030 तक ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करना शामिल है। सरकार ने वर्ष 2070 तक निवल-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है, जो सतत विकास को बढ़ावा देने तथा देश के कार्बन पदचिह्न को कम करने के प्रति उसके संकल्प को परिलक्षित करती है। नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर हरित हाइड्रोजन तथा स्मार्ट मीटरिंग तक ऊर्जा संक्रमण से संबंधित उभरती प्रवृत्तियों को अपनाने पर विशेष ध्यान दिया गया।

देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं:

- भारत सरकार ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ₹24,000 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना प्रारंभ की है। आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, भारत की सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता मार्च, 2025 के 74 गीगावाट से बढ़कर मार्च, 2026 में 172 गीगावाट से अधिक हो गई है, जबकि सौर पीवी सेल विनिर्माण क्षमता बढ़कर मार्च, 2026 में 27 गीगावाट हो गई है।

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा प्रकाशित इष्टतम उत्पादन मिश्रण प्रतिवेदन (2023) के अनुसार, ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी के निर्बाध एकीकरण को सक्षम बनाने के लिए वर्ष 2030 तक 208 गीगावाट-घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) की आवश्यकता का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस संक्रमण को समर्थन प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने मार्च, 2024 में ₹3,760 करोड़ के परिव्यय के साथ व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना को अनुमोदित किया, जिसके अंतर्गत ₹27 लाख प्रति मेगावाट-घंटा की वीजीएफ सहायता पर 13.2 गीगावाट-घंटा क्षमता के विकास का प्रावधान किया गया है।जून, 2025 में सरकार ने 30 गीगावाट-घंटा क्षमता के लिए एक अन्य वीजीएफ योजना को भी अनुमोदित किया, जिसके लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से ₹5,400 करोड़ की राशि तथा ₹18 लाख प्रति मेगावाट-घंटा की वीजीएफ सहायता का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने "उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम" के अंतर्गत ग्रिड-स्तरीय स्थिर ऊर्जा भंडारण अनुप्रयोगों के लिए 10 गीगावाट-घंटा क्षमता भी आरक्षित की है।
- पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) की समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रमुख पहलें की गई हैं :
  - **आईएसटीएस छूट :** जून, 2028 तक आवंटित परियोजनाओं के लिए शून्य पारेषण प्रभार।
  - **दायित्वों से छूट :** ये परियोजनाएं नि:शुल्क विद्युत दायित्वों तथा स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में अंशदान से मुक्त हैं।
  - **सीईए सहमति से छूट :** सभी ऑफ-स्ट्रीम क्लोज्ड-लूप पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है।
  - **डीपीआर समय-सीमा :** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सभी प्रकार की पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को सहमति प्रदान करने की समय-सीमा 90 दिनों से घटाकर 50 दिन कर दी है।
  - **पूंजीगत व्यय सब्सिडी :** "सहायक अवसंरचना" (सड़कें, पुल आदि) हेतु ₹1.50 करोड़ प्रति मेगावाट तक।
- भारत सरकार ने 1,000 मेगावाट क्षमता की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ₹6,853 करोड़ के परिव्यय के साथ व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना को अनुमोदित किया है।
- सरकार ने वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनके अंतर्गत प्रगतिशील लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो वित्तीय वर्ष 2025 में 29.91% से बढ़कर वर्ष 2030 तक 43.33% हो जाएंगे।
- भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राज्यांतर्गत पारेषण प्रणालियों के विकास हेतु हरित ऊर्जा कॉरीडोर की स्थापना की है। नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध दस राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत के निर्गमन हेतु पारेषण अवसंरचना के विकास को समर्थन प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता 112 गीगावाट है, जिसे नवीकरणीय ऊर्जा के निर्बाध निर्गमन तथा देश के किसी भी भाग तक इसके अंतरण को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2027 तक बढ़ाकर 144 गीगावाट किए जाने का लक्ष्य है।
- भारत सरकार ने सौर ऊर्जा से देश में विकेन्द्रीकृत विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीएम-कुसुम तथा रूफटॉप सौर कार्यक्रम जैसी योजनाएं प्रारंभ की हैं।
- हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु भारत सरकार ने ₹19,744 करोड़ के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन प्रारंभ किया है।
- केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा आभासी विद्युत क्रय करार (वीपीपीए) हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। वीपीपीए, अभिहित उपभोक्ताओं को उनके नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराता है।
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा 500 मेगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस (सीएफडी) की प्रायोगिक योजना जारी की गई है। वैश्विक स्तर पर सिद्ध यह सीएफडी तंत्र नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को राजस्व की स्थिरता प्रदान करते हुए प्रतिस्पर्धी एवं बाजार-आधारित मूल्य निर्धारण व्यवस्था को बनाए रखता है।
- राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति सितंबर, 2025 में जारी की गई, जिसमें देशभर में भू-तापीय संसाधनों के अन्वेषण, विकास तथा वाणिज्यिक उपयोग में तेजी लाने हेतु एक व्यापक रणनीतिक रूपरेखा प्रदान की गई है।

इन योजनाओं एवं नीतियों के माध्यम से भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया है।

इसके अतिरिक्त, भारत ने अपने समग्र विद्युत मिश्रण में नाभिकीय ऊर्जा की भूमिका को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार ने संघ बजट 2025-26 में उल्लिखित नाभिकीय ऊर्जा मिशन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट नाभिकीय विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। यह मिशन वर्ष 2070 तक निवल-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के व्यापक लक्ष्य को भी समर्थन प्रदान करता है।

इस दृष्टिकोण को साकार करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

- **वित्तीय प्रतिबद्धता :** नाभिकीय ऊर्जा मिशन के अंतर्गत लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) के अभिकल्पन, विकास एवं तैनाती के लिए ₹20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो स्वदेशी नाभिकीय प्रौद्योगिकी में दीर्घकालिक निवेश के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **एसएमआर लक्ष्य :** वर्ष 2033 तक कम-से-कम पांच स्वदेशी रूप से अभिकल्पित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) प्रचालन में लाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- **शांति अधिनियम, 2025 :** मिशन को समर्थन प्रदान करने हेतु सरकार ने "सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (शांति) अधिनियम, 2025" अधिनियमित किया है। यह अधिनियम भारत के नाभिकीय क्षेत्र संबंधी विधिक ढांचे का समेकन एवं आधुनिकीकरण करता है। यह विनियामकीय पर्यवेक्षण के अंतर्गत नाभिकीय क्षेत्र में सीमित निजी भागीदारी को सक्षम बनाता है, जिससे सहयोग एवं निवेश के लिए नए अवसर उपलब्ध होते हैं।

इसके अतिरिक्त, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने संघ बजट 2026-27 के दौरान निम्नलिखित घोषणाएं की हैं :

- ₹20,000 करोड़ के परिव्यय के साथ कार्बन अभिग्रहण, उपयोग एवं भंडारण (सीसीयूएस) हेतु एक योजना।
- मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) से छूट :
  - सौर कांच के विनिर्माण में उपयोग हेतु सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर।
  - भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण हेतु आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर।
  - बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में उपयोग की जाने वाली बैटरियों हेतु लिथियम-आयन सेल के विनिर्माण में प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं पर।
  - मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) में वर्तमान छूट को नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं हेतु आवश्यक वस्तुओं के आयात पर वर्ष 2035 तक बढ़ाना तथा इसे क्षमता की परवाह किए बिना सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों तक विस्तारित करना।

पुनर्जीवित वितरण क्षेत्र योजना

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए ₹3,03,758 करोड़ के परिव्यय के साथ पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) को अनुमोदित किया है। यह एक सुधार-आधारित एवं परिणाम-संबद्ध योजना है, जिसका उद्देश्य वित्तीय रूप से सुदृढ़ तथा प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय एवं किफायती विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है।इस योजना के अंतर्गत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम)/विद्युत विभाग हानि न्यूनीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग, प्रणाली मीटरिंग तथा वितरण अवसंरचना संबंधी कार्यों हेतु निधियों का उपयोग कर सकेंगे।

योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

क. उपभोक्ताओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़ तथा प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय एवं किफायती विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना।

ख. वित्तीय वर्ष 2024-25 तक कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15% तक कम करना।

ग. वित्तीय वर्ष 2024-25 तक औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) एवं औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर) के मध्य अंतर को शून्य करना।

योजना के अंतर्गत कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों, औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) एवं औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर) के मध्य अंतर, अवसंरचना उन्नयन संबंधी निष्पादन, उपभोक्ता सेवाओं, विद्युत आपूर्ति के घंटों, निगमित प्रशासन आदि सहित पूर्व-निर्धारित एवं सहमत निष्पादन लक्ष्यों के सापेक्ष वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन किए जाने का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत किसी वर्ष के लिए वित्तपोषण प्राप्त करने की पात्रता हेतु डिस्कॉम को कुल अंकों का न्यूनतम 60% प्राप्त करना होगा तथा कुछ निर्धारित मानदंडों के संबंध में न्यूनतम स्तर को भी प्राप्त करना होगा।योजना के कार्यान्वयन से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से उपभोक्ताओं का सशक्तीकरण होगा। साथ ही, प्रणाली मीटरों एवं प्रीपेड स्मार्ट मीटरों सहित सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रचालन प्रौद्योगिकी (आईटी/ओटी) उपकरणों द्वारा सृजित आंकड़ों के विश्लेषण हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रत्येक माह प्रणाली-जनित ऊर्जा लेखांकन प्रतिवेदन तैयार किए जाएंगे, जिससे वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को हानि न्यूनीकरण, मांग पूर्वानुमान, समय-आधारित शुल्क (टीओडी), नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) के एकीकरण तथा अन्य पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण के संबंध में सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना को अनुमोदित किया है। एक करोड़ परिवारों को रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित करने तथा प्रति माह 300 यूनिट तक नि:शुल्क विद्युत उपलब्ध कराने के लिए ₹75,021 करोड़ के कुल परिव्यय का प्रावधान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ 13 फरवरी, 2024 को किया गया था।

इस योजना के अंतर्गत आवासीय उपभोक्ताओं को पर्याप्त सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसके तहत 2 किलोवाट पीक (केडब्ल्यूपी) तक की प्रणालियों के लिए मानक लागत का 60% तथा 3 किलोवाट पीक (केडब्ल्यूपी) की सीमा तक अतिरिक्त क्षमता के लिए मानक लागत का 40% प्रदान किया जाता है। तदनुसार, केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रथम 2 किलोवाट पीक (केडब्ल्यूपी) के लिए ₹30,000 प्रति किलोवाट पीक (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए ₹33,000 प्रति किलोवाट पीक) तथा अगले 1 किलोवाट पीक (केडब्ल्यूपी) के लिए ₹18,000 प्रति किलोवाट पीक (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए ₹19,800 प्रति किलोवाट पीक) की दर से उपलब्ध कराई जाती है। 3 किलोवाट पीक (केडब्ल्यूपी) से अधिक क्षमता के लिए कोई अतिरिक्त केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) उपलब्ध नहीं है।

इसके अतिरिक्त, समूह आवास समितियां (जीएचएस) तथा निवासी कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए) सामान्य सुविधाओं, जिनमें विद्युत वाहन (ईवी) चार्जिंग भी सम्मिलित है, के लिए 500 किलोवाट पीक (केडब्ल्यूपी) तक की क्षमता हेतु ₹18,000 प्रति किलोवाट पीक (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए ₹19,800 प्रति किलोवाट पीक) की दर से सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं, जो प्रति आवास 3 किलोवाट पीक (केडब्ल्यूपी) की सीमा के अधीन है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत एक समर्पित राष्ट्रीय पोर्टल (https://pmsuryaghar.gov.in) विकसित किया गया है, जिससे परिवार सब्सिडी प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं तथा रूफटॉप सौर संस्थापन के लिए उपयुक्त विक्रेताओं का चयन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, परिवारों को 3 किलोवाट तक की क्षमता वाली आवासीय रूफटॉप सौर (आरटीएस) प्रणालियों के संस्थापन हेतु रेपो दर + 50 आधार अंक (वर्तमान में 5.75%) की दर पर बिना प्रतिभूति वाले कम-ब्याज ऋण उत्पादों की सुविधा भी उपलब्ध है।

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सौर के माध्यम से 30 गीगावाट सौर क्षमता के संवर्धन का अनुमान है, जिससे 1,000 बिलियन यूनिट (बीयू) विद्युत का उत्पादन होगा तथा रूफटॉप सौर प्रणालियों के 25 वर्ष के जीवनकाल के दौरान 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन में कमी आएगी।

प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना ने उल्लेखनीय प्रगति प्रदर्शित की है। 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, रूफटॉप सौर संस्थापनों की कुल संख्या 33.64 लाख तक पहुंच गई है, जिसमें निवासी कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए) के अंतर्गत 6.51 लाख परिवार भी सम्मिलित हैं। इस योजना के अंतर्गत संस्थापित क्षमता 9.92 गीगावाट तक पहुंच चुकी है तथा 24.75 लाख लाभार्थियों को ₹19,454.17 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) वितरित की जा चुकी है।

इस योजना को और गति प्रदान करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

- शहरों में रूफटॉप सौर (आरटीएस) के कार्यान्वयन को गति प्रदान करने हेतु 41 शहरों में सिटी एक्सेलेरेटर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।
- स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सहभागिता हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, सहकारी समितियों के लिए वाणिज्य मंत्रालय तथा रूफटॉप सौर (आरटीएस) संस्थापनों में पंचायतों की सहभागिता हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय/विद्युत मंत्रालय के साथ अंतर-मंत्रालयी समन्वय स्थापित किया गया है।
- नेट मीटरिंग करार को राष्ट्रीय पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया गया है तथा इसे ऑनलाइन आवेदन का हिस्सा बनाया गया है।
- स्वचालित व्यवहार्यता सुविधा तथा प्रतिवेदन व्यवस्था सहित केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल।
- आरईसीओ/उपयोगिता-नेतृत्वाधीन समेकन (यूएलए) मॉडल को सम्मिलित किया गया है।
- बैंकों के माध्यम से रियायती ऋणों पर विशेष बल देते हुए जागरूकता सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार 13.03 लाख ऋण आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है तथा 10.70 लाख ऋणों का वितरण किया जा चुका है।

"आदर्श सौर ग्राम" योजना घटक के अंतर्गत, पूरे भारत में प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम स्थापित करने पर विशेष बल दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य सौर ऊर्जा को अपनाने को प्रोत्साहित करना तथा ग्राम समुदायों को ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है। इस घटक के लिए ₹800 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक चयनित आदर्श सौर ग्राम को ₹1 करोड़ प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इससे पूर्व (जनवरी, 2023 में) ₹19,744 करोड़ के आवंटन के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) को अनुमोदित किया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। इस मिशन का अभिप्रेत उद्देश्य भारत को विश्व में हरित हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता बनाना है। मिशन के परिव्यय में हरित हाइड्रोजन संक्रमण हेतु रणनीतिक हस्तक्षेप कार्यक्रम (साइट) के लिए ₹17,490 करोड़, प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए ₹1,466 करोड़, अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) के लिए ₹400 करोड़ तथा मिशन के अन्य घटकों के लिए ₹388 करोड़ शामिल हैं।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) के अंतर्गत परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है :

- इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना : 15 कंपनियों को प्रतिवर्ष 3,000 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण क्षमता आवंटित की गई है।
    - हरित हाइड्रोजन उत्पादन हेतु प्रोत्साहन योजनाएं : 18 कंपनियों को 8,62,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता आवंटित की गई है।
    - हरित अमोनिया हेतु मांग समेकन : देशभर की 13 उर्वरक इकाइयों को 7,24,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) हरित अमोनिया (हरित हाइड्रोजन का एक व्युत्पन्न उत्पाद) के उत्पादन एवं आपूर्ति हेतु मूल्य निर्धारित किए गए हैं।
- रिफाइनरी क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन हेतु मांग समेकन : विभिन्न तेल क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की रिफाइनरियों को आपूर्ति के लिए 20,000 टन प्रतिवर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन एवं आपूर्ति क्षमता आवंटित की गई है।
- प्रायोगिक परियोजनाएं : इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए पांच प्रायोगिक परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)

मार्च, 2019 में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के अंतर्गत सौर चालित सिंचाई प्रणालियों, जिनमें सौर पंप तथा

ग्रिड से संबद्ध सौर विद्युत संयंत्र शामिल हैं, की स्थापना के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर यह योजना कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने तथा ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में ऊर्जा तक पहुंच में सुधार करने में भी सहायक है।योजना के अंतर्गत, स्टैंडअलोन सौर पंपों की स्थापना तथा विद्यमान ग्रिड से संबद्ध कृषि पंपों के सौरकरण हेतु कुल लागत का 30% अथवा 50% तक केंद्रीय सरकारी सब्सिडी प्रदान की जाती है।

योजना में तीन घटक सम्मिलित हैं।

- घटक-ए : 10,000 मेगावाट की विकेन्द्रीकृत भू-स्थापित ग्रिड से संबद्ध सौर विद्युत परियोजनाएं।
- घटक-बी : 14 लाख स्टैंडअलोन सौर चालित कृषि पंपों की स्थापना।
- घटक-सी : 35 लाख विद्यमान ग्रिड से संबद्ध कृषि पंपों का सौरकरण।

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के अंतर्गत 1,053 मेगावाट क्षमता के ग्रिड से संबद्ध सौर विद्युत संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, 10.64 लाख स्टैंडअलोन कृषि पंपों का सौरकरण किया जा चुका है तथा फीडर स्तर के सौरकरण के अंतर्गत 14.24 लाख पंपों का सौरकरण किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान स्थापित/सौरीकृत पंपों की संख्या 13.94 लाख तक पहुंच गई। वर्ष के दौरान 7,672.35 मेगावाट क्षमता का संवर्धन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप संचयी संस्थापित क्षमता 13,111.87 मेगावाट हो गई। इस योजना के माध्यम से अनुमानतः 12.59 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन तथा 734.52 मिलियन लीटर डीजल की बचत हुई है।

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना

भारत की उत्सर्जन तीव्रता में कमी लाने संबंधी प्रतिबद्धता के अनुरूप, भारत सरकार ने जून, 2023 में कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना, 2023 अधिसूचित कर दी थी तथा भारतीय कार्बन बाजार (आईसीएम) के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससीआईसीएम) सहित संस्थागत व्यवस्था स्थापित करके भारतीय कार्बन बाजार (आईसीएम) की आधारशिला रखी थी। दिसंबर, 2023 में इस योजना में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत ऑफसेट तंत्र को सम्मिलित किया गया, ताकि स्वैच्छिक जलवायु शमन परियोजनाओं के माध्यम से गैर-दायित्वबद्ध संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

विद्युत मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को योजना प्रशासक नामित किया गया है तथा उसे क्षेत्रों की पहचान करने, लक्ष्य निर्धारित करने, कार्बन क्रेडिट जारी करने, बाजार स्थिरता तंत्र विकसित करने तथा सत्यापन अभिकरणों को प्रत्यायित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सरकार ने जुलाई, 2024 में कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना (सीसीटीएस) के अंतर्गत अनुपालन तंत्र के लिए विस्तृत प्रक्रिया अधिसूचित की तथा सीसीटीएस के अनुपालन तंत्र के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु नौ ऊर्जा-गहन क्षेत्रों, अर्थात् एल्युमिनियम, सीमेंट, इस्पात, कागज, क्लोर-एल्कली, उर्वरक, रिफाइनरी, पेट्रोरसायन तथा वस्त्र क्षेत्रों को अधिदेशित किया है।

कार्बन बाजार की दिशा में प्रगति को आगे बढ़ाते हुए, भारत सरकार ने अब ऑफसेट तंत्र के लिए विस्तृत प्रक्रिया तथा ऑफसेट तंत्र के अंतर्गत आठ विभिन्न कार्यप्रणालियों को अनुमोदित किया है। इनमें नवीकरणीय ऊर्जा (जलविद्युत एवं पंप भंडारण सहित), हरित हाइड्रोजन उत्पादन, औद्योगिक ऊर्जा दक्षता, लैंडफिल मीथेन पुनर्प्राप्ति तथा मैंग्रोव वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण संबंधी कार्यप्रणालियां शामिल हैं। यह भारतीय कार्बन बाजार (आईसीएम) के अंतर्गत ऑफसेट तंत्र के प्रचालन में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

ऑफसेट तंत्र, संस्थाओं को ऐसी परियोजनाओं के विकास हेतु स्वैच्छिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी लाएं, उसे हटाएं अथवा उससे बचाव करें। यह तंत्र देश को अनुपालन तंत्र के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन शमन की संभावनाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा तथा ऐसे क्षेत्रों में की जाने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकेगा।

अवसंरचना क्षेत्र

अवसंरचना क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि एवं समग्र विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने की दिशा में देश की निरंतर प्रगति के साथ सुदृढ़ अवसंरचना की आवश्यकता और अधिक स्पष्ट होती जा रही है। हालिया संघ बजट 2026-27 ने नाभिकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित घोषणाएं करके देश के ऊर्जा संक्रमण की गति को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है

- ऋणदाताओं को विवेकपूर्ण रूप से निर्धारित आंशिक ऋण गारंटी प्रदान करने हेतु अवसंरचना जोखिम गारंटी निधि की स्थापना।
- समर्पित रियल एस्टेट निवेश न्यासों (आरईआईटी) की स्थापना के माध्यम से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) की अचल संपत्ति परिसंपत्तियों का पुनर्चक्रण।
- पूर्व में दनकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए समर्पित माल कॉरिडोर की स्थापना।
- खनिज-संपन्न क्षेत्रों, औद्योगिक केंद्रों तथा बंदरगाहों को जोड़ने वाले 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों का परिचालन।
- अंतर्देशीय जलमार्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पोत मरम्मत पारितंत्र की स्थापना।
- वर्ष 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्गों एवं तटीय नौवहन की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 12% करने हेतु तटीय माल संवर्धन योजना का शुभारंभ।
- विनिर्माण में स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु सी-प्लेन के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना का शुभारंभ।
- पूर्वोदय : एकीकृत पूर्वी तटीय औद्योगिक कॉरिडोर का विकास।

भारत की अवसंरचना रणनीति वृद्धि के एक प्रमुख आधार स्तंभ के रूप में निरंतर बनी हुई है, जिसमें सरकार संस्थागत व्यवस्थाओं तथा मिशन मोड कार्यक्रमों के माध्यम से विस्तार, एकीकरण तथा कार्यान्वयन की गुणवत्ता पर विशेष बल दे रही है। इस दृष्टिकोण की एक प्रमुख विशेषता प्रधानमंत्री गतिशक्ति के माध्यम से सक्षम 'संपूर्ण-सरकार' नियोजन संरचना है, जो एकीकृत नियोजन, बहु-माध्यमीयता, अंतर-माध्यमीयता, प्रयासों के समन्वयन तथा परियोजना प्रभाव क्षेत्रों के आसपास अंतिम छोर तक संपर्कता को बढ़ावा देती है।सरकार द्वारा हाल ही में जारी अद्यतनों के अनुसार, प्रधानमंत्री गतिशक्ति के अंतर्गत नेटवर्क नियोजन समूह (एनपीजी) तंत्र ने ₹16.10 लाख करोड़ के अनुमानित परिव्यय वाली 352 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है। इनमें से 201 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा 167 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं, जिससे सुदृढ़ भावी परियोजना पाइपलाइन तथा संरचित निगरानी एवं मुद्दा समाधान तंत्र को बल मिला है।

परिवहन अवसंरचना के अंतर्गत, लॉजिस्टिक्स दक्षता तथा यात्रा की विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से किए गए निरंतर सार्वजनिक निवेश एवं सुधारात्मक उपायों के साथ सड़क नेटवर्क का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 (पीआईबी द्वारा प्रसारित) के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई 1,46,572 किलोमीटर (वित्तीय वर्ष 2026, दिसंबर तक) तथा प्रचालित उच्च गति गलियारों की लंबाई 5,364 किलोमीटर (वित्तीय वर्ष 2026, दिसंबर तक) रही, जो नियंत्रित अभिगम क्षमता के निरंतर सृजन तथा गलियारा संपर्कता में सुधार को परिलक्षित करती है।भारतमाला परियोजना राजमार्ग विकास का एक प्रमुख कार्यक्रम बनी हुई है। संसदीय प्रकटीकरणों के अनुसार, दिसंबर, 2025 तक 26,425 किलोमीटर लंबाई के कार्य आवंटित किए जा चुके थे तथा 21,783 किलोमीटर निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त, फरवरी, 2026 तक निर्मित लंबाई बढ़कर 22,223 किलोमीटर हो गई, जिससे माल परिवहन की गति में वृद्धि, आर्थिक केंद्रों के साथ बेहतर संपर्कता तथा क्षेत्रीय पहुंच में सुधार को समर्थन प्राप्त हुआ है।

समुद्री क्षेत्र में, सागरमाला कार्यक्रम बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, संपर्कता में वृद्धि, तटीय समुदायों के विकास तथा तटीय नौवहन एवं अंतर्देशीय जलमार्गों के बढ़ते उपयोग के माध्यम से बंदरगाह-आधारित विकास को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। भारत सरकार के हालिया दस्तावेजों के अनुसार, सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत ₹6.06 लाख करोड़ लागत की 845 परियोजनाएं क्रियान्वयन हेतु ली गई हैं, जिनमें से 24 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार ₹1.57 लाख करोड़ लागत की 315 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत के प्रमुख बंदरगाहों ने अभिलेखीय 915 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जो बढ़ती वहन क्षमता तथा व्यापारिक लॉजिस्टिक्स में समुद्री अवसंरचना की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

शहरी एवं रेल गतिशीलता के क्षेत्र में भी तीव्र आधुनिकीकरण देखा जा रहा है।

प्रचालित मेट्रो/आरआरटीएस नेटवर्क की लंबाई 26 शहरों में लगभग 1,095 किलोमीटर बताई गई है, जो स्वच्छ जन परिवहन के विस्तार तथा शहरी पहुंच में सुधार को परिलक्षित करती है। भारतीय रेल ने आधुनिक अर्द्ध-उच्च गति सेवाओं का विस्तार निरंतर जारी रखा है। दिसंबर, 2025 तक 164 वंदे भारत सेवाएं प्रचालन में थीं, जो अधिक तीव्र, सुरक्षित तथा यात्री-केंद्रित अंतर-नगरीय यात्रा की बढ़ती मांग को दर्शाती हैं। नागर विमानन क्षेत्र

में, क्षमता संवर्धन तथा नीतिगत सुधारों की निरंतरता से नेटवर्क विस्तार को समर्थन प्राप्त हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, हवाई अड्डों की संख्या वर्ष 2014 में 74 से बढ़कर वर्ष 2025 में 164 हो गई है, जो संपर्कता के विस्तार को परिलक्षित करती है।

वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की भारत की यात्रा काफी हद तक अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण पर निर्भर करती है, जो आर्थिक वृद्धि को गति देने वाले रहने योग्य, जलवायु-प्रत्यास्थ तथा समावेशी शहरों के विकास का आधार स्तंभ है।

अवसर और ताकत

अवसर

- आरईसी भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन तथा भारत के विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- तीव्र गति से वृद्धि करती अर्थव्यवस्था में ऊर्जा मांग में वृद्धि भावी व्यावसायिक विकास के लिए अनुकूल संभावनाएं दर्शाती है।
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की उत्पादन क्षमता विस्तार योजना प्रतिवेदन के अनुसार पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंत तक संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता के 610 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है, जिसके लिए वर्ष 2022-27 की अवधि के दौरान ₹14.54 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2032 तक संस्थापित क्षमता के 900 गीगावाट तक पहुंचने की अपेक्षा है, जिसके अनुरूप वर्ष 2027-32 की अवधि के दौरान ₹19.06 लाख करोड़ की अतिरिक्त निधि आवश्यकता होगी।
- आरडीएसएस जैसी योजनाओं के अंतर्गत समकक्ष वित्तपोषण।
- विद्युत मंत्रालय ने निर्धारित सीमाओं के अधीन आरईसी को अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को भी ऋण प्रदान करने की अनुमति दी है। इससे आरईसी के लिए वित्तपोषण के अवसरों का एक और व्यापक क्षेत्र उपलब्ध हुआ है।

शक्ति

- विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण तथा भारत सरकार की नीतियों एवं प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अपनी भूमिका के कारण आरईसी एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति रखता है।
- मजबूत वित्तीय स्थिति और समुचित / पर्याप्त पूंजीकृत।
- आरईसी का परिसंपत्ति पोर्टफोलियो विविधीकृत है तथा किसी एक उधारकर्ता की हिस्सेदारी कुल परिसंपत्ति पोर्टफोलियो के 10% से अधिक नहीं है।
- आरईसी के पास अनुभवी मानव संसाधन तथा व्यवसाय के लिए आवश्यक कौशल-समूह उपलब्ध है।
- केन्द्रीय और राज्य सरकार में हितधारकों के साथ मजबूत संबंध और नेटवर्क।

खतरे, जोखिम और चिंताएँ

- विद्युत, अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से प्रतिस्पर्धा के कारण अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप लाभ मार्जिन स्थिर रह सकते हैं।
- विकसित होते नियामक प्रावधान चिंता का विषय हैं।
- वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, जिनके परिणामस्वरूप आपूर्ति शृंखला में व्यवधान तथा मुद्रा विनिमय दरों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, आरईसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा आरईसी के उधार परिचालनों, दोनों के लिए संभावित जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।

खंड-वार या उत्पाद-वार प्रदर्शन

आरईसी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत एक अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र मूल्य शृंखला की वित्तपोषण आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने विभिन्न परियोजनाओं एवं योजनाओं हेतु कुल ₹4,09,096.50 करोड़ की ऋण सहायता स्वीकृत की। इसमें परंपरागत उत्पादन परियोजनाओं हेतु ₹1,28,876.43 करोड़, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं सहित) हेतु ₹85,008.57 करोड़, आरबीपीएफ (परिक्रामी बिल भुगतान सुविधा) तथा विलंबित भुगतान अधिभार के अंतर्गत ऋणों सहित पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं हेतु ₹1,45,727.17 करोड़, अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं हेतु ₹41,784.34 करोड़ तथा अन्य अल्पकालिक एवं मध्यमकालिक ऋणों हेतु ₹7,700 करोड़ शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने कुल ₹2,11,189.25 करोड़ का वितरण किया, जिसमें उत्पादन परियोजनाओं हेतु ₹25,652.82 करोड़, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ₹28,896 करोड़, पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं हेतु ₹74,319.16 करोड़, विद्युत अवसंरचना परियोजनाओं हेतु ₹4,250.28 करोड़, अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं हेतु ₹3,534.42 करोड़, अल्पकालिक ऋणों तथा परिक्रामी बिल भुगतान सुविधा (आरबीपीएफ) सहित अन्य ऋणों हेतु ₹72,521.37 करोड़ तथा भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत समकक्ष वित्तपोषण के रूप में ₹2,015.20 करोड़ शामिल हैं।

आउटलुक

भारत विश्व की सर्वाधिक तीव्र गति से वृद्धि करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस मांग की पूर्ति के लिए परंपरागत, नवीकरणीय, पारेषण तथा वितरण क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि नई उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की प्रमुख भागीदारी रहने की अपेक्षा है, तथापि निकट भविष्य में तापीय विद्युत की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी, जबकि जलविद्युत एवं नाभिकीय क्षेत्र भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा संक्रमण के प्रमुख प्रेरक के रूप में उभरने की संभावना रखते हैं।

उत्पादन

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने वर्ष 2026-27 से 2035-36 की अवधि के लिए दीर्घकालिक राष्ट्रीय संसाधन पर्याप्तता योजना तैयार की है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2035-36 में आवश्यक कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का आकलन 1,121 गीगावाट के रूप में किया गया है। यह प्रतिवेदन भावी विद्युत मांग की विश्वसनीय पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न ऊर्जा स्रोतों में क्षमता विस्तार की आवश्यकता को रेखांकित करता है। विशेष रूप से, वर्ष 2035-36 के लिए निम्नलिखित क्षमता आवश्यकता का अनुमान व्यक्त किया गया है :

2035-36 में संभावित स्थापित क्षमता (गीगावाट)

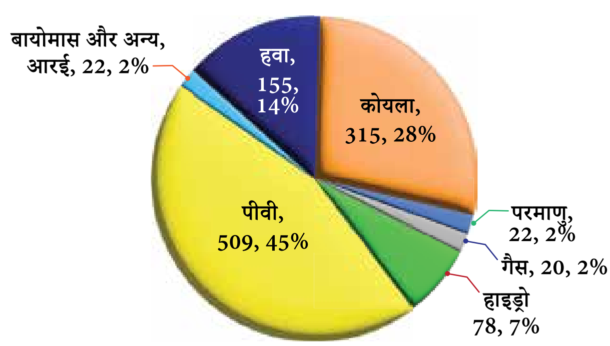

i. लगभग 315 गीगावाट कोयला आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता, जो आधार भार विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत प्रणाली की रीढ़ बनी रहेगी। घरेलू गैस की सीमित उपलब्धता के कारण गैस आधारित क्षमता के विस्तार पर विचार नहीं किया गया है। 20 गीगावाट की विद्यमान गैस आधारित क्षमता प्रणाली को लचीलापन तथा अधिकतम मांग के समय आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। योजना में 22 गीगावाट नाभिकीय विद्युत क्षमता का भी अनुमान व्यक्त किया गया है, जो निम्न-कार्बन तथा विश्वसनीय आधार भार विद्युत उत्पादन में योगदान देगी।

ii. नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, प्रतिवेदन स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को गति प्रदान करने हेतु क्षमता में उल्लेखनीय विस्तार की परिकल्पना करता है। इसमें 78 गीगावाट जलविद्युत क्षमता सम्मिलित है, जो नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने के साथ-साथ ग्रिड संतुलन की क्षमता भी प्रदान करती है; 509 गीगावाट सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) क्षमता तथा 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता भी इसमें शामिल है। ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बढ़ती विद्युत मांग की पूर्ति करते हुए विद्युत क्षेत्र के कार्बन पदचिह्न को उल्लेखनीय रूप से कम करने में योगदान देंगे।

iii. संघ बजट 2025-26 के अंतर्गत भारत सरकार ने नाभिकीय ऊर्जा मिशन का शुभारंभ किया है, जिसके तहत वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट नाभिकीय विद्युत की संस्थापित क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो वर्तमान 8.8 गीगावाट क्षमता की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। नाभिकीय क्षमता के वित्तीय वर्ष 2035-36 तक बढ़कर 22 गीगावाट तक पहुंचने की संभावना है।

iv. नवीकरणीय ऊर्जा के उच्च उत्पादन अवधि के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को कम अथवा नगण्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा उच्च मांग की अवधि में उपयोग हेतु स्थानांतरित करने के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की आवश्यकता है। विशेष रूप से, 94 गीगावाट पंप भंडारण संयंत्रों (पीएसपी) तथा 80 गीगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) की क्षमता जोड़े जाने का अनुमान है।

वर्ष 2035-36 तक क्षमता संवर्धन की व्यापक रूपरेखा निम्नानुसार है :

- लगभग 41 गीगावाट कोयला आधारित क्षमता निर्माणाधीन है, लगभग 22.4 गीगावाट कोयला आधारित क्षमता का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाना है तथा लगभग 16 गीगावाट कोयला आधारित क्षमता विभिन्न योजना चरणों में है।
- 12.7 गीगावाट जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा लगभग 17 गीगावाट जलविद्युत परियोजनाएं योजना के विभिन्न चरणों में हैं।
- 6.6 गीगावाट नाभिकीय परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा 7 गीगावाट नाभिकीय परियोजनाएं योजना एवं अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं।
- 155 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (सौर, पवन, संकर आदि) निर्माणाधीन है तथा 48 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता निविदा चरण में है। हरित ऊर्जा गलियारा (चरण-III) योजना के अंतर्गत 134 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के संवर्धन की योजना है। इसके अतिरिक्त, राज्यों द्वारा अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की योजना बनाई जा रही है तथा उसका कार्यान्वयन किया जाना है।
- 10.7 गीगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) क्षमता निर्माणाधीन है तथा लगभग 22 गीगावाट क्षमता निविदा चरण में है।

ट्रांसमिशन और वितरण

नवीकरणीय ऊर्जा संपन्न क्षेत्रों से देश के अन्य भागों तक विद्युत के निर्गमन हेतु व्यापक पारेषण नियोजन एवं उसका कार्यान्वयन भी प्रगति पर है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2022-27 की अवधि के दौरान देश में अतिरिक्त पारेषण अवसंरचना के संवर्धन हेतु ₹4.25 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी।वितरण क्षेत्र में भी अवसंरचना में सुधार, वित्तीय स्थिति में सुदृढ़ता तथा कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में कमी की प्रवृत्ति के कारण आगामी वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति होने की अपेक्षा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने वर्ष 2022-27 की अवधि के दौरान वितरण अवसंरचना के उन्नयन हेतु ₹4.28 लाख करोड़ की निधि आवश्यकता का भी अनुमान व्यक्त किया है।

वर्ष 2026-27 से 2035-36 की अवधि के दौरान अतिरिक्त पवन एवं सौर क्षमता के एकीकरण हेतु केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 1,37,500 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों तथा 8,27,600 एमवीए रूपांतरण क्षमता की आवश्यकता का अनुमान व्यक्त किया है। वर्ष 2026-27 से 2035-36 की अवधि के लिए आवश्यक पारेषण अवसंरचना की कुल अनुमानित लागत लगभग ₹7,93,300 करोड़ आंकी गई है।

नवीन एवं स्वच्छ ऊर्जा खंड

ऊर्जा भंडारण : उपयोगिता-स्तरीय ऊर्जा भंडारण तथा पंप जल भंडारण परियोजनाओं से प्रणाली के लचीलेपन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा है। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) क्षेत्र में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। देश में लगभग 10.7 गीगावाट बीईएसएस क्षमता निर्माणाधीन है तथा लगभग 22 गीगावाट क्षमता निविदा चरण में है। वित्तीय वर्ष 2035-36 तक लगभग 80 गीगावाट बीईएसएस क्षमता का अनुमान व्यक्त किया गया है।

वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर भारत के लिए सौर एवं पवन ऊर्जा की अंतरायिकता का प्रबंधन करने हेतु व्यापक दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण (एलडीईएस) की आवश्यकता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की "वित्तीय वर्ष 2035-36 तक 100 गीगावाट पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) की कार्ययोजना" में 6-8 घंटे की भंडारण आवश्यकता के लिए पंप भंडारण परियोजनाओं को सर्वाधिक लागत-प्रभावी एवं तकनीकी रूप से श्रेष्ठ समाधान के रूप में चिन्हित किया गया है। इस पंप भंडारण क्षमता की स्थापना हेतु केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने प्रति मेगावाट ₹6 करोड़ की औसत पूंजीगत लागत के आधार पर लगभग ₹5.8 लाख करोड़ (लगभग 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के संचयी निवेश की आवश्यकता का अनुमान व्यक्त किया है। ये सभी तथ्य विद्युत क्षेत्र में विशाल वित्तीय आवश्यकता को इंगित करते हैं।

एमओयू रेटिंग और पुरस्कार

समझौता ज्ञापन (एमओयू) एक महत्वपूर्ण नीतिगत साधन के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) के निष्पादन का नियमित मूल्यांकन करती है तथा निरंतर सुधार की संस्कृति को प्रोत्साहित करती है।

भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निष्पादित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार कंपनी के निष्पादन को, उसके उत्कृष्ट वित्तीय एवं प्रचालनात्मक निष्पादन को बनाए रखते हुए, "उत्कृष्ट" श्रेणी प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एमओयू का मूल्यांकन लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुसार नियत समय पर प्रारंभ किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आरईसी को व्यावसायिक निष्पादन, डिजिटल एवं प्रौद्योगिकी पहलों, सततता तथा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्रों में अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए, जो निगमित प्रशासन, हितधारकों के लिए मूल्य सृजन तथा उत्तरदायी विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करते हैं।

पर्यावरण सामाजिक और शासन

आरईसी के पर्यावरणीय, सामाजिक एवं प्रशासन (ईएसजी) सिद्धांत केवल अनुपालन संबंधी मानक नहीं हैं, बल्कि वे हमारी मूल्य सृजन कार्ययोजना तथा उद्यम जोखिम संरचना के मूल स्तंभ हैं। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व्यापक ईएसजी नीति रूपरेखा द्वारा संचालित आरईसी चरणबद्ध एवं आंकड़ा-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से अनुशासित कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। अंतराल विश्लेषण एवं वैश्विक मानक निर्धारण को विज्ञान-आधारित लक्ष्य निर्धारण के साथ संयोजित करते हुए, आरईसी यह सुनिश्चित करता है कि सततता संबंधी प्रतिबद्धताएं मापनीय एवं दीर्घकालिक परिणामों में परिवर्तित हों। यह सुदृढ़ प्रक्रिया निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति की त्रैमासिक निगरानी द्वारा समर्थित है, जिससे पारदर्शिता एवं निरंतर प्रगति सुनिश्चित होती है।

पर्यावरण

आरईसी भारत की 'पंचामृत' प्रतिबद्धताओं तथा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदानों (एनडीसी) को आगे बढ़ाने में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। इसके लिए आरईसी अपने परिचालनों के डीकार्बनीकरण में तीव्र गति से प्रगति कर रहा है तथा हरित वित्तपोषण के अपने दायरे का विस्तार कर रहा है।

आरईसी की वर्ष 2035 तक निवल-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आरईसी ने कार्यक्षेत्र-1 एवं कार्यक्षेत्र-2 उत्सर्जन में उल्लेखनीय 69% की कमी प्राप्त की। यह उपलब्धि वितरण कंपनी की हरित शुल्क सुविधा तथा 979 किलोवाट पीक क्षमता की रूफटॉप सौर प्रणाली के माध्यम से आरईसी के निगमित कार्यालय के लिए 100% हरित विद्युत (3,154 मेगावाट-घंटा) की प्राप्ति के कारण संभव हुई, जो ग्रिड-संबंधित कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान तीन क्षेत्रीय कार्यालयों (अर्थात् पंचकुला, लखनऊ एवं वडोदरा) में कुल 54 किलोवाट पीक क्षमता की रूफटॉप सौर प्रणालियां स्थापित की गईं। साथ ही, आरईसी ने ऊर्जा दक्षता में सुधार के विभिन्न उपाय अपनाए हैं, जिनमें स्वचालित प्रकाश व्यवस्था तथा भवन ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना शामिल है, जो उपस्थिति के आधार पर ऊर्जा खपत का अनुकूलन करती है। इन प्रयासों को स्थल पर स्थापित चार्जिंग स्टेशनों से समर्थित 100% विद्युत/संकर कार्यालय वाहन बेड़े द्वारा और सुदृढ़ किया गया है।

मुख्य व्यवसायिक परिचालनों के संदर्भ में, आरईसी के नवीकरणीय ऊर्जा ऋण पोर्टफोलियो में वर्ष-दर-वर्ष 30% की वृद्धि हुई और यह बढ़कर ₹75,347 करोड़ हो गया। इसके परिणामस्वरूप कुल ऋण पोर्टफोलियो में इसकी हिस्सेदारी 10% से बढ़कर 13% हो गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, वित्तपोषित प्रचालित परियोजनाओं द्वारा (आरईसी के ऋण अंश के आधार पर) 7.6 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचाव किया गया, जो पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 24.6% अधिक है। इसका आकलन वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त पीसीएएफ कार्यप्रणाली के आधार पर किया गया है। ये उपलब्धियां भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में आरईसी को अग्रणी स्थिति प्रदान करती हैं तथा देश के ऊर्जा क्षेत्र के डीकार्बनीकरण में उसकी रणनीतिक भूमिका को रेखांकित करती हैं।

तकनीकी संरक्षण का विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट में प्रकट किया गया है।

सामाजिक

सामाजिक सततता आरईसी की रणनीति का अभिन्न अंग है, जिसका केंद्रबिंदु समावेशिता को बढ़ावा देते हुए व्यक्तियों एवं समुदायों को सशक्त बनाना है। हम कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं तथा व्यापक समुदाय सहित हितधारकों के साथ निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं सहयोग पर विशेष बल देते हुए सहभागिता करते हैं।

आरईसी की सामाजिक पहलों में एक व्यापक व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (ओएचएस) नीति का कार्यान्वयन शामिल है। आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) तथा भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) के माध्यम से, आरईसी ने ग्राहकों को विद्युत सुरक्षा, पर्यावरणीय, सामाजिक एवं प्रशासन (ईएसजी) तथा विद्युत क्षेत्र के नवीन सुधारों विषयों पर 18,155 मानव-दिवस का प्रशिक्षण प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आरईसी ने कर्मचारियों के लिए 6,783 मानव-दिवस का प्रशिक्षण आयोजित किया, जो पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 189% की वृद्धि को दर्शाता है।

कार्यस्थल उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर, आरईसी ने अपने व्यापक कल्याणकारी अवसंरचना का विस्तार किया है, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर व्यायामशाला, संरचित योग सत्र, व्यावसायिक आहार संबंधी परामर्श तथा चिकित्सा विशेषज्ञों तक नियमित पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हम संस्थागत बहु-चैनल प्रतिपुष्टि व्यवस्था के माध्यम से हितधारकों के साथ पारदर्शी संबंधों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करते हैं, जो हमारी सेवा प्रदायगी में निरंतर सुधार सुनिश्चित करती है। यह सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था हमारे उपभोक्ता परिचालनों में भी परिलक्षित होती है, जहां वर्ष के दौरान न तो कोई अनसुलझी शिकायत रही और न ही कोई आंकड़ा उल्लंघन की घटना हुई। इससे एक विश्वसनीय एवं उत्तरदायी वित्तीय उद्यम के रूप में आरईसी की प्रतिष्ठा और अधिक सुदृढ़ हुई है।

सुशासन

नैतिक मानकों तथा सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ, प्रशासनिक उत्कृष्टता आरईसी के प्रचालन दर्शन का केंद्रीय तत्व बनी हुई है। आरईसी प्रमुख हितधारकों को सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं के सटीक, पारदर्शी एवं समयबद्ध प्रकटीकरण पर सतत रूप से विशेष ध्यान देता है।

जनवरी, 2025 से आरईसी ने सभी निजी क्षेत्र की स्वीकृतियों तथा सूचीबद्ध विक्रेताओं का पर्यावरणीय, सामाजिक एवं प्रशासन (ईएसजी) आकलन प्रारंभ किया है। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए, अप्रैल, 2026 में आरईसी ने ईएसजी-अनुपालक नवीकरणीय ऊर्जा उधारकर्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करना प्रारंभ किया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्णय-निर्माण के प्रत्येक स्तर पर पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों पर समुचित विचार किया जाए।

उद्यम प्रत्यास्थता को सुदृढ़ करने के लिए, आरईसी ने उन्नत आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन प्राप्त किया है, जो आंकड़ा गोपनीयता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, आरईसी ने आईएसओ 31000:2018 प्रमाणन प्राप्त किया है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है तथा अपने उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचे के लिए यह वैश्विक प्रत्यायन प्राप्त करने वाली भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में आरईसी को स्थापित करता है।

आरईसी की ईएसजी संबंधी प्रगतियों को बाह्य स्तर पर भी मान्यता प्राप्त हुई है। आरईसी को "कॉर्पोरेट निवल-शून्य संक्रमण" श्रेणी में स्कॉच ईएसजी अवार्ड 2025, ईएसजी पहलों में उत्कृष्टता हेतु सस्टेनेबिलिटी आइकॉन्स अवार्ड 2025, 5वां पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 में "ईएसजी नेतृत्व एवं निवल-शून्य परिचालन" श्रेणी का पुरस्कार तथा ईएसजी एवं उत्तरदायी व्यवसाय में उत्कृष्टता हेतु नेट ग्रीन अर्थ अवार्ड्स 2026 से सम्मानित किया गया। ये सभी सम्मान पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा तथा दीर्घकालिक सतत व्यावसायिक आचरण के प्रति आरईसी की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

भविष्य की ओर

आरईसी अपने हरित निवेशों के विस्तार पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन तथा ऊर्जा भंडारण जैसे उभरते क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जा रहा है। आरईसी जलवायु-संबंधी वित्तीय प्रकटीकरणों पर भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रारूप रूपरेखा तथा टीसीएफडी (जलवायु-संबंधी वित्तीय प्रकटीकरणों पर कार्यबल) के अनुरूप जलवायु परिवर्तन संक्रमण उपायों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में भी है।सामाजिक क्षेत्र में, आरईसी लक्षित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों के माध्यम से समावेशी विकास को और सुदृढ़ करने तथा उसे प्राप्त करने के लिए अपनी सुव्यवस्थित कार्यप्रणालियों का उपयोग करेगा। प्रशासन को और सुदृढ़ बनाने के लिए, आरईसी अनुपालन निगरानी में सुधार हेतु डिजिटल पर्यवेक्षण साधनों के कार्यान्वयन की योजना बना रहा है, जिससे नैतिकता-आधारित नेतृत्व तथा दक्ष प्रशासनिक कार्यप्रणालियों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और सुदृढ़ होगी।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त जांच एवं संतुलन की व्यवस्थाएं विद्यमान रहें तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां प्रभावी बनी रहें, कंपनी द्वारा अपने विभिन्न प्रभागों एवं कार्यालयों का नियमित एवं व्यापक आंतरिक लेखापरीक्षण, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग अथवा बाह्य व्यावसायिक फर्मों के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बाह्य व्यावसायिक फर्मों द्वारा समीक्षा किए जाने के पश्चात आगामी वर्ष में क्षेत्रीय एवं राज्य कार्यालयों का समीक्षा लेखापरीक्षण आंतरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा किया जाता है।

वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षण में कंपनी के सभी प्रमुख प्रचालनात्मक क्षेत्रों के साथ-साथ चिन्हित महत्वपूर्ण एवं जोखिमयुक्त क्षेत्रों को भी शामिल किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षण निष्कर्षों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षण (आरबीआईए) ढांचा लागू किया है, जिसके अंतर्गत स्वतंत्र जोखिम आकलन, लेखापरीक्षण क्षेत्र की पहचान, जोखिम मैट्रिक्स का विकास, वार्षिक आरबीआईए योजना तैयार करना तथा नीति में निर्धारित आवृत्ति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षण का निष्पादन शामिल है।

वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रभावशाली निष्पादन किया है। कंपनी की एकल आधार पर प्रचालन आय ₹59,139.96 करोड़ रही, जो पिछले वर्ष (अर्थात् ₹55,911.12 करोड़) की तुलना में 5.77% अधिक थी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कर-पूर्व लाभ ₹20,713.19 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष (अर्थात् ₹19,859.78 करोड़) की तुलना में 4.30% अधिक था। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निवल लाभ ₹16,282.26 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष (अर्थात् ₹15,713.21 करोड़) की तुलना में 3.62% अधिक था। 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार निवल मूल्य ₹84,290.41 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष (अर्थात् ₹77,637.97 करोड़) की तुलना में 8.57% अधिक था।

कंपनी मूलधन, ब्याज आदि से संबंधित अपनी देय राशियों की समयबद्ध वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने मानक परिसंपत्तियों (चरण-I एवं चरण-II) पर ब्याज सहित वसूली योग्य ₹2,45,428.35 करोड़ की कुल देय राशि के मुकाबले ₹2,44,798.94 करोड़ की वसूली की, जिससे 99.74% की वसूली दर प्राप्त हुई।

कंपनी के वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत विहित भारतीय लेखा मानकों तथा समय-समय पर संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

विदेशी मुद्रा संरक्षण संबंधी विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट में दिया गया है।

प्रमुख वित्तीय अनुपात:

कंपनी के लिए लागू और विशिष्ट प्रमुख वित्तीय अनुपातों में परिवर्तन का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
ब्याज कवरेज अनुपात (गुना)	**1.57**	1.58
ऋण इक्विटी अनुपात (गुना)	**6.00**	6.29
परिचालन लाभ मार्जिन (%)	**34.94**	35.40
निवल लाभ सीमा (%)	**27.51**	28.07
सकल ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियां (चरण-III) (%)	**0.24**	1.35
शुद्ध ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियां (चरण-III) (%)	**0.12**	0.38
नेट वर्थ पर रिटर्न (पीएटी/औसत नेट वर्थ) (%)	**20.11**	21.46

पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रमुख वित्तीय अनुपातों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ।

मानव संसाधन / औद्योगिक संबंध

31 मार्च, 2026 तक, कंपनी की कुल मानवशक्ति 591 कर्मचारी थी, जिसमें 579 अधिकारी और 12 गैर-अधिकारी शामिल हैं। औद्योगिक संबंध परिदृश्य सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बना रहा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, औद्योगिक अशांति के कारण किसी भी मानव-दिवस की हानि नहीं हुई।

कर्मचारी प्रशिक्षण और विकास पर प्रमुख ध्यान केंद्रित किया जाता रहा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी के कुल 550 कर्मचारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, वेबिनार आदि में भाग लिया, जिससे कुल 2,783 प्रशिक्षण मानव-दिवस प्राप्त हुए।

कर्मचारियों को पेशेवर रूप से तैयार करने के लिए 30 अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजा गया।

निगमित सामाजिक दायित्व

आरईसी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों का मुख्य उद्देश्य समुदाय-आधारित, सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करना है। आरईसी अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियाँ 'आरईसी फाउंडेशन' के माध्यम से संचालित करता है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है। आरईसी फाउंडेशन का संचालन आरईसी के नामित अधिकारियों से युक्त एक शासी निकाय द्वारा किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों के अनुरूप, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाएं, रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक कौशल, शिक्षा, पर्यावरणीय सततता, ग्रामीण विकास परियोजनाओं आदि क्षेत्रों में विभिन्न नई निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों हेतु ₹338.07 करोड़ के सीएसआर बजट को अनुमोदित किया।सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन परियोजना-आधारित पद्धति से किया जाता है, जिसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य, आधारभूत सर्वेक्षण, कार्यान्वयन योजना, विशिष्ट समय-सीमाएं, चिन्हित उपलब्धियां, प्रगति की निगरानी तथा प्रभाव आकलन शामिल हैं।

जोखिम प्रबंधन ढांचा

कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें ऋण जोखिम, परिचालन जोखिम, तरलता जोखिम और बाजार जोखिम शामिल हैं। कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है, जिसका मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान और निगरानी करना तथा उनके निवारण हेतु सुझाव देना है। इसके अतिरिक्त, कंपनी में आरबीआई के मानदंडों के अनुसार एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी है।

आरईसी के सामने आने वाले जोखिमों को वर्गीकृत किया गया है और उनकी व्यवस्थित रूप से निगरानी की जा रही है। ऋण जोखिम, वित्तपोषण उद्योग का एक अंतर्निहित जोखिम है। इसमें उधारकर्ता की ऋण गुणवत्ता में कमी से होने वाली हानि का जोखिम और ऋण या अग्रिम के तहत अनुबंधित पुनर्भुगतान में उधारकर्ता द्वारा चूक का जोखिम शामिल है। दूसरी ओर, परिचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से उत्पन्न होता है। तरलता जोखिम, देनदारियों को समय पर पूरा करने में संभावित असमर्थता और परिसंपत्तियों में वृद्धि के लिए धन जुटाने, वित्तपोषण स्रोतों में अनियोजित परिवर्तनों का प्रबंधन करने और आवश्यकता पड़ने पर दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता का जोखिम है। बाजार जोखिम को ब्याज दरों या प्रतिभूतियों की कीमतों में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा में परिवर्तन और परिवर्तनों की अस्थिरता के कारण कंपनी की आय और पूंजी को होने वाले जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। ईएसजी जोखिम, कंपनी के संचालन, वित्तीय प्रदर्शन और प्रबंधन पर पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक कारकों के कारण होता है।

ऋण जोखिम के शमन हेतु, कंपनी संस्था मूल्यांकन तथा परियोजना मूल्यांकन प्रक्रियाओं का पालन करती है, जिनके अंतर्गत विस्तृत मूल्यांकन कार्यप्रणाली, जोखिमों की पहचान, उपयुक्त संरचना निर्धारण तथा जोखिम शमन उपाय शामिल हैं। प्रचालनात्मक जोखिमों का आकलन सभी कार्यात्मक क्षेत्रों, अर्थात् व्यवसाय, अनुपालन, वित्त, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, विधिक, प्रचालन आदि को आच्छादित करने वाले व्यापक जोखिम रजिस्टर के माध्यम से किया जाता है तथा उन्हें "उच्च", "मध्यम" अथवा "निम्न" श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।कंपनी अपनी तरलता जोखिम का प्रबंधन विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से करती है, जिनमें अनुमानित संवितरणों तथा परिपक्व होने वाले दायित्वों के आधार पर भावी संसाधन जुटाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, तरलता तथा बाजार जोखिम के शमन हेतु कंपनी में परिसंपत्ति दायित्व प्रबंधन समिति (एएलसीओ) कार्यरत है, जिसके सदस्य अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक तथा वरिष्ठ अधिकारी हैं। यह समिति समीक्षा हेतु नियमित रूप से बैठक करती है।कंपनी की एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति में परिसंपत्ति दायित्व प्रबंधन तथा हेजिंग नीति शामिल है। प्रासंगिक पर्यावरणीय, सामाजिक एवं प्रशासन (ईएसजी) जोखिमों के शमन हेतु कंपनी ने जलवायु परिवर्तन रणनीति, निगमित प्रशासन आदि सहित विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों को आच्छादित करने वाली ईएसजी नीति तैयार की है तथा उसका कार्यान्वयन किया है।

कंपनी की एकीकृत जोखिम प्रबंधन (आईआरएम) नीति उसके जोखिम प्रबंधन परिचालनों एवं कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए स्थापित की गई है। कंपनी की व्यावसायिक रणनीति एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के दौरान स्वीकार्य जोखिम के स्तर को निर्धारित करने हेतु जोखिम वहन क्षमता रूपरेखा विकसित की गई है। जोखिम वहन क्षमता विवरण को लिखित जोखिम उद्देश्यों तथा जोखिम सीमाओं/सीमांतों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें मात्रात्मक एवं गैर-मात्रात्मक दोनों प्रकार के मानदंड सम्मिलित हैं तथा जो कंपनी के सभी प्रमुख जोखिमों को समग्र रूप से आच्छादित करता है।

व्यावसायिक रणनीति

आरईसी भारत के विद्युत अवसंरचना के सभी क्षेत्रों, अर्थात् परंपरागत उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों तथा अन्य नवीन एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में क्षमता संवर्धन के वित्तपोषण का कार्य निरंतर कर रहा है।

भारत की बढ़ती आर्थिक वृद्धि, अवसंरचना पर व्यय में वृद्धि तथा आवश्यक अनुमोदनों की उपलब्धता के साथ, आरईसी हवाई अड्डों, मेट्रो रेल, सड़कों एवं राजमार्गों, बहु-माध्यमीय लॉजिस्टिक्स पार्कों, नगर गैस वितरण, पर्यटन, बंदरगाहों तथा स्वास्थ्य अवसंरचना जैसे गैर-विद्युत अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स उप-क्षेत्रों के वित्तपोषण पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

आरईसी प्रतिस्पर्धी वित्तपोषण उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से लागत-प्रभावी संसाधन जुटाने के प्रयास निरंतर जारी रखेगा। आरईसी अपने ऋण पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए भी ऋण परिसंपत्तियों की गुणवत्ता को बनाए रखना जारी रखेगा।

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06817799

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 29 जुलाई, 2026

कॉर्पोरेट सुशासन संबंधी रिपोर्ट

सुशासन ही वह मूल आधार है जिस पर आरईसी लिमिटेड ("आरईसी/कंपनी") की विश्वसनीयता, सुदृढ़ता और दीर्घकालिक मूल्य का निर्माण हुआ है। विद्युत मंत्रालय ("एमओपी") के तत्वावधान में एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ("सीपीएसई") और भारत की अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ("एनबीएफसी") के रूप में, आरईसी नवीकरणीय ऊर्जा, हरित अवसंरचना, ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं और उभरती सतत प्रौद्योगिकियों का वित्तपोषण करके नेट-जीरो भविष्य की ओर भारत के महत्वाकांक्षी मार्ग को साकार करने में एक प्रमुख सक्षम बल के रूप में कार्य करता है; ये ऐसी प्रौद्योगिकियां हैं जो देश के अवसंरचनात्मक एवं विद्युत परिदृश्य को मौलिक रूप से नया आकार दे रही हैं। जनादेश की यह व्यापकता सुशासन को न केवल वांछनीय, बल्कि अपरिहार्य भी बनाती है। आरईसी में, कॉरपोरेट गवर्नेंस का पालन एक जीवंत अनुशासन के रूप में किया जाता है एक ऐसा अनुशासन जो केवल औपचारिकता (टिक-बॉक्स अनुपालन) से आगे बढ़कर दैनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही, नैतिक आचरण और हितधारक-केंद्रितता को आत्मसात करता है।

इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, आरईसी ने एक सुदृढ़ शासन ढांचे को अपनाया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता नियमावली"), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों ("डीपीई गाइडलाइन्स ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस"), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालीय मानकों ("सेक्रेटरिएल स्टैंडर्ड्स") और भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के मास्टर निर्देशों के साथ-साथ समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अन्य सभी लागू निर्देशों और दिशानिर्देशों के पूर्णतः अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, आरईसी इन न्यूनतम आवश्यकताओं से भी आगे बढ़कर सेबी द्वारा निर्धारित अधिकांश गैर-अनिवार्य दिशानिर्देशों का भी पालन करता है।

आरईसी जिम्मेदार संसाधन उपयोग, पर्यावरणीय सततता और सक्रिय सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से अपने सभी हितधारकों के लिए स्थायी मूल्य सृजित करने का प्रयास करता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, सुशासन और सततता पर आरईसी के निरंतर ध्यान को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के माध्यम से सराहा गया, जिनमें 5वें पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवॉर्ड्स 2025 में 'ईएसजी लीडरशिप एंड नेट-जीरो ऑपरेशंस' के लिए गोल्ड अवॉर्ड एवं आईएसओ 31000 जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन हेतु 'रिस्क मैनेजमेंट लीडर अवॉर्ड', तथा स्कॉच अवॉर्ड्स 2025 में 'कॉरपोरेट नेट जीरो ट्रांजेक्शन' श्रेणी में सिल्वर अवॉर्ड शामिल हैं। ये सम्मान इस बात की पुष्टि करते हैं कि आरईसी की गवर्नेंस प्रणाली केवल अनुपालन-आधारित ही नहीं, बल्कि अनुकरणीय भी है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में एक रिपोर्ट नीचे दी गई है, जिसके बाद कंपनी के सचिवालीय अंकेक्षकों द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन पर एक प्रमाण पत्र संलग्न है

1. कॉर्पोरेट सुशासन पर कंपनी का सिद्धांत

आरईसी में, कॉर्पोरेट सुशासन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण है, जिसमें नैतिक प्रबंधन को संधारणीयता और पर्यावरण जागरूकता के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के साथ शामिल किया गया है। कंपनी निरंतर हितधारकों के साथ संधारणीय मूल्य सृजन को प्राथमिकता देती है, जबकि नियामक दिशानिर्देशों में पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करती है। कंपनी के निवेश संबंधी निर्णय कार्यनीतिक तौर पर हरिज ऊर्जा और नवीकरणीय संसाधनों के प्रति हमारे समर्पण से प्रेरित होते हैं, जिनमें ऊर्जा संरक्षण और दक्षता पर जोर दिया जाता है। परिवर्तनशील व्यावसायिक परिवेश की चुनौतियों का सामना करने के लिए कंपनी की प्रणालियों, नीतियों और फ्रेमवर्क की नियमित रूप से समीक्षा और उन्नयन किया जाता है।

आरईसी के निदेशक मंडल/के. एम. पी. बाएं से दाएं, श्री राजेश कुमार, निदेशक (वित्त) और सी. एफ. ओ., श्री टी. एस. सी. बोष, निदेशक (परियोजना), डॉ. के. गायत्री देवी, स्वतंत्र निदेशक, श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, सी. एम. डी., डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक, श्रीमती पूनम चौहान, स्वतंत्र निदेशक, श्री राजेश कुमार अग्रवाल, पी. एफ. सी. नामित निदेशक, श्री शशांक मिश्र, सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री दिनेश गर्ग, कंपनी सचिव।

आरईसी का कॉर्पोरेट सुशासन कार्यढांचा निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों आधारित है:

- कानून, नियमों और विनियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन;
- अपने सभी हितधारकों के हितों के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के लिए उपयुक्त प्रणालियां और परिपाटियां; तथा
- सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं के पारदर्शी और समयबद्ध प्रकटीकरण के माध्यम से विभिन्न हितधारकों के बीच विश्वास और भरोसे का वातावरण बनाना।

उपर्युक्त सिद्धांत निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करते हैं:

- शेयरधारकों के मूल्य का संरक्षण और वृद्धि करने में;
- अन्य सभी हितधारकों जैसे ग्राहकों, कर्मचारियों और बड़े पैमाने पर समाज के हितों की रक्षा करने में;
- संचार में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने और सभी संबंधितों को पूर्ण, सटीक और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने में;
- प्रदर्शन और ग्राहक सेवा के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने और सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करने में; और
- अन्यों के लिए अनुकरणीय उच्चतम स्तर का कॉर्पोरेट नेतृत्व प्रदान करने में।

एक एनबीएफसी होने के नाते, आरईसी ने भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआईI) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपने स्वयं के "कॉरपोरेट गवर्नेंस पर आंतरिक दिशानिर्देश" स्थापित किए हैं। ये दिशानिर्देश कंपनी के कॉरपोरेट गवर्नेंस के प्रति दृष्टिकोण को संहिताबद्ध करते हैं, तथा इसके दर्शन, संरचना एवं ढांचे की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। कॉरपोरेट गवर्नेंस पर इन आंतरिक दिशानिर्देशों को https://recindia.com/policies पर देखा जा सकता है

2. निदेशक मण्डल

आरईसी के अंतरनियमों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की संख्या 3 (तीन) से कम और 15 (पंद्रह) से अधिक नहीं होगी। 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, आरईसी के निदेशक मंडल में 6 (छह) निदेशक शामिल थे, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("सीएमडी") एवं निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार); निदेशक (परियोजनाएं); प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के एक सरकारी नामनिर्दिष्ट (नॉमिनी) निदेशक; पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("पीएफसी") के एक नामनिर्दिष्ट (नॉमिनी) निदेशक, जो कंपनी में बहुलांश इक्विटी शेयरधारक है; तथा एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित 2 (दो) अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, 24 जुलाई, 2026 की स्थिति के अनुसार, आरईसी के निदेशक मंडल में 8 निदेशक शामिल थे, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("सीएमडी"), निदेशक (परियोजनाएं), निदेशक (वित्त), एक नामित सरकारी निदेशक, पीएफसी के नामित निदेशक,तथा दो महिला स्वतंत्र निदेशकों सहित 3 (तीन) अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

आरईसी कंपनी अधिनियम की धारा 2(45) के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) और सरकारी कंपनी होने के नाते, इसके निदेशक बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय यानी विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति में निहित है।

आरईसी के निदेशक कंपनी के संचालन को कुशल और प्रभावी ढंग से चलाने के लिए आवश्यक कौशल एवं ज्ञान से सुसज्जित हैं। वे कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक रणनीतिक दिशा और सहायता प्रदान करने हेतु मिलकर कार्य करते हैं।

आरईसी के पास "बोर्ड की विविधता और कौशल, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति के मानदंड तथा निदेशकों, केएमपी और अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक" पर एक नीति है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए तथा एनआरसी की सिफारिश के आधार पर, बोर्ड ने "निदेशकों के लिए उपयुक्त एवं उचित (फ़िट एंड प्रॉपर) मानदंडों पर नीति" भी लागू की है, जो एक निदेशक के रूप में उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए निदेशकों की योग्यता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, निष्ठा और अन्य प्रासंगिक कारकों के मूल्यांकन की आंतरिक प्रक्रिया को रेखांकित करती है। इन नीतियों को https://recindia.com/policies पर देखा जा सकता है।

(क) बोर्ड की संरचना

24 जुलाई, 2026 तक की स्थिति के अनुसार, बोर्ड की संरचना के ब्यौरे और अन्य प्रासंगिक विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में पद
पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक)			
1	श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव	06817799	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
2	श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष	02772316	निदेशक (परियोजना)
3	श्री राजेश कुमार	06941428	निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी
(नामित निदेशक) गैर-कार्यपालक निदेशक			
4	श्री शशांक मिश्र	08364288	सरकारी नामिति निदेशक
5	श्री राजेश कुमार अग्रवाल	09699001	पीएफसी के नामिति निदेशक
(स्वतंत्र निदेशक) गैर-कार्यपालक निदेशक			
6	डॉ. अनिल कुमार गुप्ता	00442146	स्वतंत्र निदेशक
7	डॉ. के. गायत्री देवी	07584524	स्वतंत्र निदेशक
8	श्रीमती पूनम चौहान	11842802	स्वतंत्र निदेशक

31 मार्च, 2026 तक की स्थिति के अनुसार, बोर्ड की संरचना के ब्यौरे और अन्य प्रासंगिक विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में पद	अन्य कंपनियों में धारित अन्य निदेशक पद की संख्या	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में धारित निदेशक पद, निदेशक पद की श्रेणी	अन्य कंपनियों में धारित समिति पदों की संख्या	
						अध्यक्ष	सदस्य
(कार्यपालक निदेशक) पूर्णकालिक निदेशक							
1	श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव	06817799	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार)	1	-	-	-
2	श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष	02772316	निदेशक (परियोजनाएं)	4	-	-	-
गैर-कार्यपालक निदेशक (नामित निदेशक)							
3	श्री शशांक मिश्र	08364288	सरकारी नामिति निदेशक	1	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सरकारी नामिति निदेशक)	-	-
4	श्री मनोज शर्मा	06822395	पीएफसी के नामिति निदेशक	7	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्णकालिक निदेशक)	-	1
गैर-कार्यपालक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)							
5	डॉ. गंभीर सिंह	02003319	स्वतंत्र निदेशक	1	-	-	-
6	डॉ. दुर्गेश नंदिनी	09398540	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-

सूचियन विनियमावली के विनियम 26 के अनुसार, भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों (आरईसी के अलावा) में केवल लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति में अध्यक्षता/सदस्यता को ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा, कोई भी निदेशक 10 से अधिक ऐसी समितियों का सदस्य नहीं है और न ही ऐसी 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बोर्ड की संरचना में परिवर्तन

1. विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के दिनांक 17 अप्रैल 2025 के आदेश, जिसे दिनांक 21 मई 2025 के शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में डॉ. गंभीर सिंह (डीआईएन: 02003319) और डॉ. दुर्गेश नंदिनी (डीआईएन: 09398540) को उनकी पुनः नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 17 अप्रैल 2025 से आरईसी के अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी)) द्वारा जारी दिनांक 18 अप्रैल 2025 पत्र जिसे विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के दिनांक 21 अप्रैल 2025 के आदेश के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में श्री जितेंद्र श्रीवास्तव (डीआईएन: 06817799) को 22 अप्रैल 2025 से आरईसी के बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा केएमपी के रूप में नियुक्त किया गया है। परिणामस्वरूप, श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, सीएमडी, पीएफसी, जो सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थीं, 22 अप्रैल 2025 से आरईसी की सीएमडी एवं केएमपी नहीं रहीं।

3. श्री विजय कुमार सिंह (डीआईएन: 02772733), जिन्होंने निदेशक (परियोजनाओं), आरईसी के पद पर कार्यरत थे, 30 जून, 2025 को कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए हैं और तदनुसार, वह 1 जुलाई, 2025 से आरईसी के निदेशक और केएमपी नहीं रहे हैं।

4. विद्युत मंत्रालय के दिनांक 27 जून, 2025 के आदेश के अनुसरण में, सीएमडी श्री जितेंद्र श्रीवास्तव (डीआईएन: 06817799) को 1 जुलाई, 2025 से 3 महीने की अवधि के लिए अथवा निदेशक (परियोजनाएं) के पद पर नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक (परियोजनाएं) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

5. विद्युत मंत्रालय के दिनांक 3 अक्टूबर 2025 के आदेश के अनुसरण में, श्री तंगराजन सुभाष चंदिरा बोष (डीआईएन: 02772316) को 3 अक्टूबर 2025 से आरईसी के निदेशक (परियोजनाएं) के रूप में नियुक्त किया गया है।

6. श्री हर्ष बवेजा (डीआईएन: 09769272), जो आरईसी के निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ का पद संभाल रहे थे, 31 जनवरी, 2026 को कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए हैं और तदनुसार, वे 1 फरवरी, 2026 से आरईसी के निदेशक, सीएफओ तथा केएमपी नहीं रहे।

7. विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के दिनांक 16 जनवरी, 2026 के आदेश के अनुसरण में, सीएमडी श्री जितेंद्र श्रीवास्तव (डीआईएन: 06817799) को 1 फरवरी, 2026 से 3 महीने की अवधि के लिए अथवा निदेशक (वित्त) के पद पर नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है

8. कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक श्री नारायणन तिरुपति (डीआईएन: 10063245) ने 2 मार्च 2026 को अपना तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है और तदनुसार, वे 3 मार्च 2026 से आरईसी के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

(ग) 31 मार्च, 2026 के बाद बोर्ड की संरचना में परिवर्तन

1. पीएफसी के नामांकित निदेशक श्री मनोज शर्मा (डीआईएन: 06822395) 31 मार्च, 2026 को पीएफसी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए हैं। तदनुसार, वे 1 अप्रैल, 2026 से आरईसी के बोर्ड में पीएफसी के नामांकित निदेशक नहीं रहे।

2. विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के दिनांक 2 अप्रैल 2026 के आदेश के अनुसरण में, श्री राजेश कुमार (डीआईएन: 06941428) को पदभार ग्रहण करने की तिथि यानी 2

अप्रैल 2026 से पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक (वित्त), आरईसी के रूप में नियुक्त किया गया है। परिणामस्वरूप, श्री जितेंद्र श्रीवास्तव को सौंपा गया निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार समाप्त हो गया।

इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने निदेशक (वित्त) श्री राजेश कुमार को 2 अप्रैल 2026 से मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं केएमपी के रूप में नियुक्त किया है।

3. विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के दिनांक 6 अप्रैल, 2026 के पत्र के अनुसरण में, पीएफसी के निदेशक (परियोजनाएं) श्री राजीव रंजन झा (डीआईएन: 03523954) को 6 अप्रैल, 2026 से आरईसीके बोर्ड में पीएफसी के नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। वे 30 अप्रैल, 2026 को पीएफसी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए। तदनुसार, वे 1 मई, 2026 से आरईसी के बोर्ड में पीएफसी के नामांकित निदेशक नहीं रहे।

4. कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक डॉ. गंभीर सिंह (डीआईएन: 02003319) और डॉ. दुर्गेश नंदिनी (डीआईएन: 09398540) ने 16 अप्रैल 2026 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और तदनुसार, वे 17 अप्रैल 2026 से आरईसी के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

5. विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के दिनांक 6 मई, 2026 के पत्र के अनुसरण में, पीएफसी के निदेशक (वित्त) श्री राजेश कुमार अग्रवाल (डीआईएन: 09699001) को 1 मई, 2026 से आरईसी के बोर्ड में पीएफसी के नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

6. विद्युत मंत्रालय के 22 जून, 2026 के आदेश के अनुसरण में, डॉ. अनिल कुमार गुप्ता (डीआईएन: 00442146) और डॉ. के. गायत्री देवी (डीआईएन: 07584524) को 22 जून, 2026 से तीन महीने की अवधि के लिए, उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आरईसी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया है।

7. विद्युत मंत्रालय के 20 जुलाई, 2026 के आदेश के अनुसरण में, श्रीमती पूनम चौहान (डीआईएन: 11842802) को 21 जुलाई, 2026 से उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आरईसी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (अतिरिक्त निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया है।

(घ) बोर्ड और उसकी समितियों के संबंध में अन्य प्रावधान

(i) बोर्ड प्रक्रियाएं

कंपनी अधिकतम भागीदारी, कागज रहित वातावरण को बढ़ावा देने और वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बोर्ड और समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण का पालन करती है। कंपनी बोर्ड और समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया के साथ कार्य करती है। सभी निदेशकों की पूर्ण भागीदारी और उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, सभी निदेशकों के साथ परामर्श के माध्यम से बैठक की तारीखों पर पहले ही सहमति बना ली जाती है। निदेशक की प्राथमिकता के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक तरीकों का उपयोग करके, प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर निदेशकों को कार्यसूची टिप्पण भेजे जाते हैं। अतिरिक्त सुविधा के लिए और कागज रहित वातावरण को बढ़ावा देने हेतु, कंपनी निदेशकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्यसूची टिप्पण भेजने के लिए एक सुरक्षित प्लेटफार्म का उपयोग करती है। इसके अतिरिक्त, गोपनीयता बनाए रखने के लिए, अप्रत्याशित कीमत संवेदनशील सूचना पासवर्ड (यूपीएसआई) सुरक्षित पीडीएफ फॉर्मेट में निदेशक मंडल के साथ साझा की जाती है, जिससे सुरक्षित संचार चैनल सुनिश्चित होता है।

व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार यथापेक्षित प्रस्तावों को परिचालित करके पारित किया जाता है, और अगली बोर्ड बैठक में दर्ज किया जाता है। अत्यावश्यक व्यावसायिक आवश्यकताओं के मामलों में, निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अल्प सूचना पर बैठकें बुलाई जा सकती हैं।

कंपनी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार ई-ऑफिस एप्लिकेशन का उपयोग करती है, जिसमें कि अन्य के साथ-साथ यूपीएसआई से संबंधित सभी अनुमोदनों को संबंधित व्यक्तियों के साथ साझा किया जाता है और ऑडिट ट्रेल्स और टाइम स्टैम्प का रख-रखाव किया जाता है। उक्त ई-ऑफिस में केवल संबंधित उपयोगकर्ता ही लॉग इन कर सकता है और इसमें 2 स्तरीय प्रमाणीकरण के साथ उच्चतम सुरक्षा है।

लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड बैठक के कार्यसूची प्रबंधन को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाती है और उसके बाद उसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म/पासवर्ड सुरक्षित फाइलों में निदेशकों/संबंधित अधिकारियों के साथ साझा की जाती है और उसका पासवर्ड अलग से साझा किया जाता है।

बोर्ड या समिति की बैठकों की कार्यसूची में किसी भी मद को शामिल करना एक स्थापित आंतरिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, और इसे सीएमडी द्वारा निर्धारित किया जाता है। कार्यसूची टिप्पण में अनुमोदित किए जाने वाले मसौदा प्रस्ताव के साथ एक मानक प्रारूप में एक कार्यकारी सारांश, साथ ही प्रस्ताव के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल होती हैं।

बोर्ड और समिति की बैठकें आमतौर पर दिल्ली/गुरुग्राम में पंजीकृत/कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। जब भी आवश्यक हो, वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को उपस्थित होने और प्रस्तुतीकरण देने या किसी कार्यसूची मद पर अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रत्येक बैठक के बाद कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) के रूप में अनुवर्ती कार्रवाई की एक व्यापक प्रणाली कार्यान्वित की जाती है, जो बोर्ड या समितियों द्वारा पहले के निर्णयों और चर्चाओं के आधार पर उठाए गए कदमों का विवरण देती है। कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों का कड़ाई से पालन करती है।

(ii) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, निम्नलिखित तारीखों को निदेशक मण्डल की कुल 14 (चौदह) बैठकें आयोजित की गई:

पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
8-मई-2025	24-जुलाई-2025	17-अक्टूबर-2025	29-जनवरी-2026
4-जून-2025	27-अगस्त-2025	21-नवंबर-2025	6-फरवरी-2026
25-जून-2025	28-सितंबर-2025	31-दिसंबर-2025	27-फरवरी-2026
			16-मार्च-2026
			25-मार्च-2026
			27-मार्च-2026

**27 मार्च, 2026 को आयोजित स्थगित बोर्ड बैठक, 25 मार्च, 2026 को आयोजित मूल बैठक का ही एक हिस्सा थी तथा दो बैठकों के बीच के अंतराल की गणना के लिए इसे अलग से नहीं गिना जाएगा।.*

समिति की सभी बैठकें अधिनियम और सूचीबद्धता विनियमों के तहत अनुमति योग्य अंतराल के भीतर आयोजित की गईं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित किन्हीं दो बोर्ड बैठकों के बीच न्यूनतम और अधिकतम अंतराल क्रमशः 7 (सात) दिन और 39 (उनतालीस) दिन था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 की अंतिम बोर्ड बैठक से वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली बोर्ड बैठक के बीच का अंतराल 42 (बयालीस) दिन था।

(iii) निदेशक मण्डल के समक्ष रखी गई सूचना

निदेशक मंडल के पास विनियामक अपेक्षाओं से परे, कंपनी की व्यापक जानकारी तक पूर्ण तथा निर्बाध पहुँच है। बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी में वार्षिक योजनाएँ, वित्तीय अद्यतन, निधि-संग्रह प्रस्ताव, वित्तीय परिणाम, समिति के कार्यवृत्त, सहायक कंपनी/कंपनियों के बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त, वरिष्ठ प्रबंधन नियुक्तियाँ, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों में परिवर्तन तथा अन्य खुलासे सम्मिलित हैं।

इसके अतिरिक्त, यदि कोई हो, तो यह कानूनी नोटिसों, व्यतिक्रमों, देयता दावों, संयुक्त उद्यमों, महत्वपूर्ण लेन-देन, परिसंपत्ति बिक्री, विनियामक अनुपालन तथा निवेशक प्रतिवेदनों से संबंधित जानकारी को भी कवर करता है। बोर्ड को निम्नलिखित प्राप्त होते हैं:

- विदेशी मुद्रा जोखिम, धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्टिंग की स्थिति, विभिन्न वैधानिक प्रावधानों की अनुपालन रिपोर्ट, शेयर पूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट, उधार, निवेश तथा प्रदान की गई छूट और संशोधनों जैसे विभिन्न पहलुओं पर त्रैमासिक रिपोर्ट।
- अर्धवार्षिक रिपोर्टों में दीर्घकालिक निवेश, व्हिसल-ब्लोअर नीति, व्यावसायिक परिचालन की स्थिति और निष्पक्ष व्यवहार अनुपालन शामिल हैं।
- आवधिक रिपोर्टों में शक्तियों के प्रत्यायोजन और पूर्व निर्णयों पर की गई कार्रवाई आदि को शामिल किया जाता है

समय-समय पर अन्य प्रासंगिक जानकारी भी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

आरईसी ने नेट ग्रीन फाउंडेशन अर्थ अवार्ड्स 2026 में ईएसजी एवं जिम्मेदार व्यवसाय पुरस्कार जीता।

(iv) **वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों और वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण।**

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति						
			1	2	3	4	5	6	7
			8-मई-2025	4-जून-2025	25-जून-2025	24-जुलाई-2025	27-अगस्त-2025	28-सितंबर-2025	17-अक्टूबर-2025
1	**श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव**	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (22 अप्रैल, 2025 से प्रभावी)	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤
2	**श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष**	निदेशक (परियोजनाएँ) (3 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤
3	**श्री विजय कुमार सिंह**	निदेशक (परियोजनाएँ) (30 जून, 2025 तक)	👤	👤	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	**श्री हर्ष बवेजा**	निदेशक (वित्त) (31 जनवरी, 2026 तक)	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤
5	**श्री शशांक मिश्र**	सरकारी नामित निदेशक	👤	👤	एलओए	👤	👤	👤	एलओए
6	**श्री मनोज शर्मा**	पीएफसी नामांकित निदेशक (31 मार्च, 2026 तक)	👤	🎥	👤	👤	👤	👤	👤
7	**डॉ. गंभीर सिंह**	स्वतंत्र निदेशक (17 अप्रैल, 2025 से 16 अप्रैल, 2026 तक)	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤
8	**डॉ. दुर्गेश नंदिनी**	स्वतंत्र निदेशक (17 अप्रैल, 2025 से 16 अप्रैल, 2026 तक)	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤
9	**श्री नारायणन तिरुपति**	स्वतंत्र निदेशक (2 मार्च, 2026 तक)	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 🎥 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित लागू नहीं एलओए अनुपस्थिति की छुट्टी

#27 मार्च, 2026 को आयोजित स्थगित बोर्ड बैठक 25 मार्च, 2026 को आयोजित मूल बैठक का हिस्सा थी।

टिप्पणी: श्रीमती परमिंदर चोपड़ा के पास 21 मार्च 2025 से 21 अप्रैल 2025 तक (सीएमडी), आरईसी का अतिरिक्त प्रभार रहा, हालांकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में उनके कार्यकाल के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति								बैठकों की कुल संख्या			
8	9	10	11	12	13	14		कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक द्वारा उपस्थिति	उपस्थिति का प्रतिशत (%)	27 अगस्त 2025 को आयोजित 56वीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
21-नवंबर-2025	31-दिसंबर-2025	29-जनवरी-2026	6-फरवरी-2026	27-फरवरी2026	16-मार्च-2026	25-मार्च-2026	27-मार्च-2026#				
👤	👤	👤	👤	👤	📹	📹	👤	14	14	100	👤
📹	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	8	8	100	लागू नहीं
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	3	3	100	लागू नहीं
👤	👤	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	10	10	100	👤
📹	👤	एलओए	📹	एलओए	📹	📹	👤	14	10	71.43	👤
👤	👤	👤	📹	📹	📹	📹	👤	14	14	100	👤
👤	👤	👤	👤	👤	📹	📹	👤	14	14	100	👤
👤	👤	👤	👤	👤	📹	📹	👤	14	14	100	👤
👤	👤	👤	👤	👤.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	12	12	100	👤

(v) **आगामी 57वीं वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति**

अधिनियम के प्रावधानों और कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 91 (iv) के अनुसार, श्री शशांक मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक, कंपनी की आगामी 57वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने पर, पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। श्री शशांक मिश्रा का संक्षिप्त बायोडाटा, जिसमें विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता और अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल है, 57वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में प्रदर्शित है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

(vi) **निदेशक का बायोडाटा**

एजीएम में नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशक(यों) का संक्षिप्त बायोडाटा एजीएम बुलाने की सूचना के साथ संलग्न है।

(vii) **निदेशकों के बीच पारस्परिक संबंध**

कंपनी के निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।

(viii) **गैर-कार्यपालक निदेशकों द्वारा धारित शेयर और परिवर्तनीय लिखत:**

31 मार्च, 2026 तक, किसी भी गैर-कार्यपालक निदेशक के पास कंपनी में कोई शेयर या परिवर्तनीय लिखत नहीं थी।

(ix) **स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित जानकारी**

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने आरईसी के बोर्ड से इस्तीफा नहीं दिया है। आरईसी के सभी स्वतंत्र निदेशक भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान द्वारा बनाए गए स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबेस में पंजीकृत हैं। इसके अलावा, सभी स्वतंत्र निदेशकों ने अपेक्षित घोषणाएँ प्रस्तुत की हैं कि वे अधिनियम की धारा 149(6) और लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 16(1)(ख) के तहत निर्दिष्ट स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

बोर्ड के अनुसार, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों का नैतिक चरित्र मजबूत है और कंपनी में बहुमूल्य योगदान देने तथा प्रबंधन से किसी भी प्रकार के संबंध या प्रभाव से मुक्त रहने के लिए आवश्यक कौशल और अनुभव उनके पास है।

(x) **स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक**

लिस्टिंग विनियमों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आरईसी के स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 16 फरवरी, 2026 को आयोजित की गई, जिसमें कंपनी के सभी तत्कालीन स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

(xi) **बोर्ड के प्रमुख कौशल, विशेषज्ञता, दक्षताएं और विशेषताएं**

आरईसी के निदेशक मंडल में अत्यधिक अर्हक व्यक्ति शामिल हैं जिनके पास कंपनी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और बोर्ड और इसकी समितियों में मूल्यवान योगदान देने के लिए आवश्यक कौशल, विशेषज्ञता और क्षमता है। बोर्ड के सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं कि आरईसी कॉर्पोरेट सुशासन के उच्चतम मानकों का पालन करता है।

आरईसी के व्यवसाय और वृहतर विद्युत क्षेत्र की जटिलताओं के मद्देनजर, बोर्ड ने प्रमुख कौशल, विशेषज्ञता, दक्षताओं और विशेषताओं की पहचान की है जो इसके प्रभावी कार्यकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं:

कौशल या विशेषज्ञता का क्षेत्र	विवरण
वित्तीय प्रबंधन	वित्तीय गतिविधियों की योजना, आयोजन, निर्देशन और नियंत्रण, जिसमें निधि जुटाना और उनका उपयोग, वित्तीय लेखांकन और प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, वित्तीय योजना, चलनिधि और निधि प्रबंधन, कार्यशील पूंजी प्रबंधन, कोषागार और विदेशी मुद्रा प्रबंधन, कर योजना और वित्तीय संस्थानों के साथ संबंधि आदि शामिल हैं।
विद्युत क्षेत्र में प्रक्षेत्र विशेषज्ञता	प्रौद्योगिकी में प्रचुर पृष्ठभूमि और विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र तथा भारत और विदेशों में विद्युत क्षेत्र की चुनौतियों/पहलुओं/बारीकियों के विभिन्न तत्वों में गहन अंतर्दृष्टि, तकनीकी प्रवृत्तियों का अनुमान लगाने का ज्ञान, विदारी नवाचार उत्पन्न करना और नए व्यवसाय मॉडल का विस्तार या निर्माण करना।
परियोजना मूल्यांकन	किसी परियोजना के तकनीकी मानकों, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक, पर्यावरणीय, वित्तीय और अन्य ऐसे पहलुओं की व्यवस्थित और व्यापक समीक्षा, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह अपने उद्देश्यों को पूरा करती है।
कॉर्पोरेट योजना और कार्यनीति	प्रबंधन गतिविधियाँ, जिनका अनुप्रयोग प्राथमिकताएँ निर्धारित करने, ऊर्जा और संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने, प्रचालन को सुदृढ़ करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कर्मचारी और अन्य हितधारी आशयित परिणामों/नतीजों पर सहमति बनाकर, मूल लक्ष्यों की दिशा में काम कर रहे हैं, के लिए किया जाता है; और परिवर्तनशील परिवेश के प्रति संगठन के निर्देशों का मूल्यांकन और समायोजन करना।
जोखिम प्रबंधन	परिचालन जोखिम, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम और अन्य वित्तीय जोखिमों के पूर्वानुमान और मूल्यांकन के साथ-साथ उनके प्रभाव से बचने या कम करने के लिए प्रक्रियाओं की पहचान करना। निवेश/वित्तपोषण प्रक्रिया के दौरान हो सकने वाले किसी भी संभावित खतरों की पहचान करना और उनका शमन करना। साइबर सुरक्षा और आईटी परिवेश से संबंधित जोखिमों का शमन।
नेतृत्व	संगठनात्मक लक्ष्यों को निर्धारित करने और प्राप्त करने तथा ऐसे लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए कार्रवाई करने सहित स्पष्ट दृष्टिकोण स्थापित करने, उस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मार्गदर्शन, ज्ञान और तरीके प्रदान करने के लिए विस्तृत नेतृत्व अनुभव।
बोर्ड परिपाटियां और सुशासन	बोर्ड और प्रबंधन की जवाबदेही बनाए रखने, शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने और उचित सुशासन परिपाटियों का पालन करने के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करने में अनुभव।
कारोबार विकास	ऋणकर्ताओं/निवेशकों, बाजारों और अन्य सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करके कारोबार और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने, ब्रांड जागरूकता बनाने और कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने का अनुभव।

कौशल या विशेषज्ञता का क्षेत्र	विवरण
पर्यावरण, सामाजिक एवं सतत (ईएसएस)	स्थिरता केवल अनुपालन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक अनिवार्यता है जो दीर्घकालिक मूल्य और लचीलेपन को बढ़ावा देती है। ईएसएस विशेषज्ञता वाले निदेशक यह सुनिश्चित करते हैं कि कंपनी अपने संचालन में स्थायी प्रथाओं को एकीकृत करे, पर्यावरणीय प्रभाव, पारिस्थितिक संवेदनशीलता को कम करे और कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व को बढ़ावा दे। वे जलवायु कार्रवाई, नैतिक स्रोत, कार्बन फुटप्रिंट न्यूनीकरण और स्थायी व्यावसायिक मॉडल से संबंधित नीतियों की देखरेख करते हैं। सामाजिक मोर्चे पर, बोर्ड के सदस्य विविधता, समानता और समावेशन के साथ-साथ नैतिक श्रम प्रथाओं जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देते हैं। वे सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि संगठन अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करे।
हितधारक जुड़ाव	इसमें हितधारकों से केवल परामर्श करने के बजाय उनके साथ सक्रिय रूप से सहयोग करना शामिल है। प्रभावी जुड़ाव से कंपनी की प्रतिष्ठा में सुधार होता है और निवेशकों का विश्वास बढ़ता है।
मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम)	मानव संसाधन प्रबंधन विशेषज्ञता नेतृत्व विकास, प्रतिभा अधिग्रहण, उत्तराधिकार नियोजन और कर्मचारी जुड़ाव जैसे प्रमुख क्षेत्रों में योगदान देती है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि संगठन एक सकारात्मक कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा दे, शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करे और प्रमुख कर्मचारियों को बनाए रखे। इसके अतिरिक्त, वे कार्यकारी पारिश्रमिक और नैतिक कार्यस्थल प्रथाओं की देखरेख करते हैं, और मानव संसाधन रणनीतियों को कॉर्पोरेट प्रशासन के साथ संरेखित करते हैं।

निम्नलिखित सारणी में, दिनांक 31 मार्च, 2026 तक की स्थिति के अनुसार, बोर्ड के अलग-अलग सदस्यों और इसके बाद नियुक्त किए गए बोर्ड के सदस्यों के विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है:

निदेशक का नाम	बोर्ड की प्रमुख अर्हताएं										
	विशेषज्ञता का क्षेत्र										
	वित्तीय प्रबंधन	विद्युत क्षेत्र की प्रक्षेत्र विशेषज्ञता	परियोजना मूल्यांकन	कॉर्पोरेट योजना और कार्यनीति	जोखिम प्रबंधन	नेतृत्व	बोर्ड परिपाटियां और सुशासन	कारोबार विकास	पर्यावरण और समाज	हितधारक जुड़ाव	मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम)
31 मार्च, 2026 तक बोर्ड के सदस्य की संख्या											
श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री शशांक मिश्र	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री मनोज शर्मा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
डॉ. गंभीर सिंह	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
डॉ. दुर्गेश नंदिनी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31 मार्च, 2026 तक बोर्ड के सदस्य की संख्या											
श्री राजेश कुमार	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री राजीव रंजन झा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री राजेश कुमार अग्रवाल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
डॉ. अनिल कुमार गुप्ता	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
डॉ. के. गायली देवी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्रीमती पूनम चौहान	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

किसी सदस्य के नाम के सामने सही (टिक) का निशान न होने का अनिवार्य रूप से यह अर्थ नहीं है कि उक्त सदस्य के पास संबंधित कौशल नहीं है।

3. निदेशक मण्डल की समितियां

निदेशक मण्डल या तो पूर्ण बोर्ड के रूप में या व्यवसाय और सुशासन के विशिष्ट क्षेत्रों की निगरानी के लिए गठित विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है। प्रत्येक समिति, बोर्ड, जो इनकी संरचना, कार्यक्षेत्र और शक्तियां निर्धारित करता है, द्वारा अनुमोदित विचारार्थ विषयों के अनुसार कार्य करती है। समिति को प्रत्यायोजित प्राधिकारों के भीतर उन्हें सौंपे गए कार्य क्षेत्रों के तहत सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए इनकी बैठकें नियमित रूप से और आवश्यकता के अनुसार आयोजित की जाती हैं।

25 जुलाई, 2026 तक की स्थिति के अनुसार, बोर्ड में निम्नलिखित समितियां थीं:-

1. लेखापरीक्षा समिति	**2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति**	**3. हितधारक संबंध समिति**
डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक (सी)	डॉ. के. गायत्री देवी, स्वतंत्र निदेशक (सी)	श्रीमती पूनम चौहान, स्वतंत्र निदेशक (सी)
डॉ. के. गायत्री देवी, स्वतंत्र निदेशक (एम)	डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक (एम)	निदेशक (परियोजनाएं) (एम)
पीएफसी नामांकित निदेशक (एम)	श्रीमती पूनम चौहान, स्वतंत्र निदेशक (एम)	निदेशक (वित्त) (एम)

4. जोखिम प्रबंधन समिति	**5. सीएसआर समिति**	**6. आईटी कार्यनीति समिति**
डॉ. के. घयात्री देवी, स्वतंत्र निदेशक (सी)	श्रीमती पूनम चौहान, स्वतंत्र निदेशक (सी)	श्रीमती पूनम चौहान, स्वतंत्र निदेशक (सी)
अनिल कुमार गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक (एम)	निदेशक (परियोजनाएं) (एम)	निदेशक (परियोजनाएं) (एम)
निदेशक (परियोजनाएं) (एम)	निदेशक (वित्त) (एम)	निदेशक (वित्त) (एम)
निदेशक (वित्त) (एम)		

7. विलफुल डिफॉल्टर पर समीक्षा समिति	**8. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति**	**9. 'मेक इन इंडिया' के संबध में भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप-समिति**
सीएमडी (सी)	सीएमडी (सी)	सरकारी नामित निदेशक (सी)
अनिल कुमार गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक (एम)	निदेशक (परियोजनाएं) (एम)	निदेशक (वित्त) (एम)
डॉ. के. गायत्री देवी, स्वतंत्र निदेशक (एम)	निदेशक (वित्त) (एम)	पी. एफ. सी. नामित निदेशक (एम)

सी. अध्यक्ष, एम. सदस्य

नोट: उपरोक्त कुछ समितियों में स्थायी/स्थायी/अन्य आमंत्रित सदस्य भी शामिल हैं

कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 105 और लागू सांविधिक अपेक्षाओं के संदर्भ में, सभी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त को सूचना और टिप्पणियों के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक समिति के विस्तृत विचारार्थ विषय, इनकी बैठकों, उपस्थिति आदि के ब्यौरे अनुवर्ती पैराग्राफों में दर्शाए गए हैं।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

कंपनी ने अधिनियम की धारा 177, सूचियन विनियमावली के विनियम 18 और कॉर्पोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक लेखापरीक्षा समिति की गठन किया है। लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

क) कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 177 के साथ पठित कंपनी (बोर्ड की बैठकों और उसकी शक्तियों) नियम, 2014 के अंतर्गत, समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार, आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए;

ख) सूचियन विनियमावली, समय-समय पर यथासंशोधित, में परिकल्पित लेखापरीक्षा समिति संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करना;

ग) डीपीई द्वारा अधिसूचित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट सुशासन पर दिशानिर्देशों, 2010, समय-समय पर यथासंशोधित, का अनुपालन; तथा

घ) लेखापरीक्षा समिति से संबंधित किन्हीं अन्य लागू प्रावधानों, समय-समय पर संशोधित, का अनुपालन।

लेखापरीक्षा समिति अपने विचारार्थ विषयों के अनुसार अपनी भूमिका का निर्वहन करती है और लागू सांविधिक प्रावधानों के अधीन निर्दिष्ट जानकारी की समीक्षा करती है।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की 7 (सात) बैठकें हुईं। लेखा परीक्षा समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था

क्रम सं.	निदेशक का नाम और पदनाम	समिति में पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति							बैठकों की कुल संख्या		
			8-मई-2025	4-जून-2025	24-जुलाई-2025	28-सितंबर-2025	17-अक्टूबर-2025	29-जनवरी-2026	27-मार्च-2026	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक की उपस्थिति	उपस्थिति का %
1	**डॉ दुर्गेश नंदिनी** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (17 अप्रैल, 2025 से 2 मार्च, 2026 तक) अध्यक्ष (3 मार्च, 2026 से 16 अप्रैल, 2026 तक)	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	7	7	100

क्रम सं.	निदेशक का नाम और पदनाम	समिति में पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति							बैठकों की कुल संख्या		
			8-मई-2025	4-जून-2025	24-जुलाई-2025	28-सितंबर-2025	17-अक्टूबर-2025	29-जनवरी-2026	27-मार्च-2026	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक की उपस्थिति	उपस्थिति का %
2	**श्री नारायणन तिरुपति,** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (2 मार्च, 2026 तक)	👤	👤	👤	👤	👤	👤	लागू नहीं	6	6	100
3	**श्री मनोज शर्मा** पीएफसी नामित निदेशक	सदस्य (31 मार्च, 2026 तक)	👤	🎥	👤	👤	👤	👤	👤	7	7	100
4	**गंभीर सिंह** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (3 मार्च, 2026 से 16 अप्रैल, 2026 तक)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	1	1	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित   🎥 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित   लागू नहीं   अनुपस्थिति की छुट्टी

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, श्री शशांक मिश्रा 16 अप्रैल, 2025 तक समिति के सदस्य थे, तथापि, उनके कार्यकाल के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा समिति की किन्हीं दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं था।

लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के लिए कोरम दो सदस्यों या कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई, जो भी अधिक हो, का होता है, जिसमें कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक उपस्थित हों।

इसके अलावा, निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षा प्रमुख और कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिनिधियों को भी आवश्यकतानुसार लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

लेखा परीक्षा समिति के सभी सदस्य वित्तीय रूप से साक्षर हैं और लेखा परीक्षा समिति के कम से कम एक सदस्य के पास लेखा या संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता है। इसके अलावा, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 27 अगस्त, 2025 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

आरईसी एक सीपीएसई होने के नाते और कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार, सीएमडी और अन्य निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है और प्रशासनिक मंत्रालय यानी एमओपी द्वारा सूचित किया जाता है।

कंपनी ने अधिनियम की धारा 178, लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 19, एनबीएफसी के लिए आरबीआई के मानदंडों और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन किया है। एनआरसी के संदर्भ की शर्तें, आरईसी पर लागू सीमा तक, इस प्रकार हैं:

क. कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014, समय-समय पर यथासंशोधित, के साथ पठित अधिनियम की धारा 178 के अनुसार अपेक्षाओं का अनुपालन;

ख. सूचियन विनियमावली, समय-समय पर यथासंशोधित, में परिकल्पित नामांकन और पारिश्रमिक समिति संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन; और

ग. पूर्णकालिक निदेशकों, कार्यपालकों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों को निर्धारित सीमा के भीतर वार्षिक बोनस, परिवर्तनीय वेतन का परिमाण और ईएसओपी स्कीम, पेंशन स्कीम के लिए नीति आदि सहित डीपीई द्वारा यथाअधिसूचित और समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट सुशासन पर दिशानिर्देशों, 2010 का अनुपालन।

घ. नामांकन और पारिश्रमिक समिति से संबंधित समय-समय पर संशोधित किसी भी अन्य लागू कानूनों/प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, एनआरसी की 3 (तीन) बैठकें हुईं। एनआरसी का गठन और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	नाम और पदनाम	समिति में पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति			बैठकों की कुल संख्या		
			8-मई-2025	4-जून-2025	17-अक्टूबर-2025	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	उपस्थिति का %
1	**डॉ. गंभीर सिंह स्वतंत्र निदेशक**	अध्यक्ष (17 अप्रैल, 2025 से प्रभावी) 16 अप्रैल, 2026 तक	👤	👤	👤	3	3	100

क्रम सं.	नाम और पदनाम	समिति में पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति			बैठकों की कुल संख्या		
			8-मई-2025	4-जून-2025	17-अक्टूबर-2025	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	उपस्थिति का %
2	**डॉ दुर्गेश नंदिनी** **स्वतंत्र निदेशक**	सदस्य (17 अप्रैल, 2025 से प्रभावी) 16 अप्रैल, 2026 तक)	👤	👤	👤	3	3	100
3	**श्री नारायणन तिरुपति** **स्वतंत्र निदेशक**	अध्यक्ष (16 अप्रैल, 2025 तक) सदस्य (17 अप्रैल, 2025 से प्रभावी) 2 मार्च, 2026 तक	👤	👤	👤	3	3	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

1. *वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, श्री शशांक मिश्र 16 अप्रैल 2025 तक समिति के सदस्य थे, हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।*
2. *वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, पीएफसी नामित निदेशक, श्री मनोज शर्मा 16 अप्रैल, 2025 तक समिति के सदस्य थे तथा उन्हें 3 मार्च, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक पुनः समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था, हालांकि, उनके कार्यकाल के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।*

एनआरसी की बैठकों के लिए गणपूर्ति दो सदस्य अथवा समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई, जो भी अधिक हो, होगी, तथा उसमें कम-से-कम एक स्वतंत्र निदेशक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त, निदेशक (वित्त), निदेशक (परियोजनाएँ) तथा कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) / प्रभागाध्यक्ष (मानव संसाधन), एनआरसी की बैठकों के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। समिति के तत्कालीन अध्यक्ष कंपनी की 27 अगस्त, 2025 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों एवं अन्य उपस्थितजनों के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु उपस्थित थे।

एमसीए ने दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को निदेशकों की अर्हताओं, सकारात्मक विशेषताओं, स्वतंत्रता तथा निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन के निर्धारण हेतु मानदंडों के निर्माण एवं निदेशकों के पारिश्रमिक संबंधी नीति के निर्माण से संबंधित अपेक्षाओं से छूट प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त, एमसीए ने दिनांक 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से यह भी निर्धारित किया था कि अधिनियम की अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा तथा मूल्यांकन तंत्र से संबंधित उपबंध भी सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होंगे। सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशकों का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय द्वारा उसके आंतरिक दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया।इसके अलावा, कंपनी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी धारण कंपनी, पीएफसी, के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) करती है, जिसके प्रमुख मानदंड विद्युत मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिए जाते हैं। कंपनी के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी एमओयू दिशानिर्देशों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूपरेखा के अनुसार, एमओयू के मानदंडों के संदर्भ में किया जाता है।

सीपीएसई होने के कारण, कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों सहित अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक, समय-समय पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) तथा/अथवा भारत सरकार द्वारा जारी वेतन, परिलब्धियों, भत्तों आदि संबंधी प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।गैर-कार्यकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक सहित) बोर्ड अथवा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए अधिनियम के अंतर्गत विहित सीमाओं के भीतर बैठक शुल्क प्राप्त करने के पात्र हैं। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार, सरकारी नामित निदेशक कंपनी से कोई बैठक शुल्क प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।बोर्ड ने बोर्ड की विविधता एवं कौशल, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति के मानदंड तथा निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों एवं अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक संबंधी नीति को अपनाया है, जो https://recindia.com/uploads/files.pdf पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक के बारे में विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि रुपए में)

क्रम सं.	नाम और पदनाम	वेतन और भत्ते	निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन	अनुलाभ	फॉर्म-16 में शामिल किए गए अन्य हितलाभ	छुट्टी नकदीकरण	सीपीएफ में अंशदान	पेंशन निधि में अंशदान	कुल
1	**श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव** **अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक**	37,35,869	-	-	13,666	-	-	-	**37,49,535**
2	**श्री थंगराजन सुभाष चंद्रिरा बोष** **निदेशक (परियोजना)**	28,57,576	3,41,982	-	3,759	-	2,32,480	1,71,106	**36,06,903**
3	**श्री हर्ष बवेजा** **निदेशक (वित्त)**	46,65,077	25,20,623	12,360	68,367	54,12,795	3,96,116	3,48,968	**1,34,24,306**

क्रम सं.	नाम और पदनाम	वेतन और भत्ते	निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन	अनुलाभ	फॉर्म-16 में शामिल किए गए अन्य हितलाभ	छुट्टी नकदीकरण	सीपीएफ में अंशदान	पेंशन निधि में अंशदान	कुल
4	**श्री विजय कुमार सिंह** निदेशक (परियोजना)	16,05,306	23,52,993	8,100	-	22,70,125	1,36,587	1,36,587	**65,09,698**

टिप्पणियाँ:

1. *श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, सीएमडी, के रूप में नियुक्ति 22 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हुई है। अतः उनके वेतन का विवरण 22 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि से संबंधित है।*
2. *श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष की निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्ति 3 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी हुई है। अतः उनके वेतन का विवरण 3 अक्टूबर, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि से संबंधित है।*
3. *श्री हर्ष बवेजा, पूर्व निदेशक (वित्त), 31 जनवरी, 2026 तक कंपनी से संबद्ध रहे। तदनुसार, उनके वेतन का विवरण 31 जनवरी, 2026 तक की अवधि के लिए है।*
4. *श्री विजय कुमार सिंह, पूर्व निदेशक (परियोजनाए), 30 जून, 2025 तक कंपनी से संबद्ध रहे। तदनुसार, उनके वेतन का विवरण 30 जून, 2025 तक की अवधि के लिए है।*
5. *कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) का भुगतान इस संबंध में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है।*
6. *फॉर्म-16 में सम्मिलित अन्य लाभों में वर्दी, मनोरंजन, विद्युत, जल तथा परिचर प्रभारों के प्रति प्रतिपूर्ति तथा कर-मुक्त चिकित्सा व्यय/प्रतिपूर्ति शामिल नहीं है।*
7. *वित्तीय वर्ष 2025-26 में, पेंशन अंशदान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) खाते में जमा किया गया। अतः नियोक्ता द्वारा किया गया पेंशन अंशदान, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अंतर्गत वेतन का भाग है और इसे फॉर्म-16 में शामिल किया गया है।*
8. *कुल पारिश्रमिक में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के अंतर्गत छूट प्राप्त भत्ते शामिल हैं तथा इसमें बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर आरईसी ग्रेच्युटी निधि में नियोक्ता के अंशदान को शामिल नहीं किया गया है।*
9. *कंपनी द्वारा कोई स्टॉक विकल्प प्रदान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, निदेशकों की नियुक्ति तथा उनकी नियुक्ति की शर्तें, जिनमें पारिश्रमिक भी शामिल है, का निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के माध्यम से किया जाता है।*

गैर-कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर-कार्यपालक निदेशकों (सरकारी नामित निदेशक को छोड़कर) को निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹40,000/- तथा उसकी समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹30,000/- का बैठक शुल्क देय है, जो अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत विहित सीमाओं के भीतर है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) के रूप में संदत्त पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नानुसार थे:-

(राशि रुपए में)

क्रम संख्या	गैर-कार्यपालक निदेशक का नाम	बैठक शुल्क		कुल
		बोर्ड की बैठकें	समिति की बैठकें	
1	**श्री मनोज शर्मा*** पीएफसी के नामिती निदेशक	5,60,000	2,10,000	**7,70,000**
2	**डॉ. गंभीर सिंह** स्वतंत्र निदेशक	5,60,000	5,70,000	**11,30,000**
3	**डॉ. दुर्गेश नंदिनी** स्वतंत्र निदेशक	5,60,000	4,20,000	**9,80,000**
4	**श्री नारायणन तिरूपति** स्वतंत्र निदेशक	4,80,000	5,10,000	**9,90,000**
	कुल	**21,60,000**	**17,10,000**	**38,70,000**

** पीएफसी के नामित निदेशक आरईसी की बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसका भुगतान पीएफसी को किया जाता है।*

उपरोक्त के अलावा, बोर्ड या इसकी समितियों की बैठक में भाग लेने के संबंध में एयर टिकट, होटल आवास, वाहन किराए पर लेना, फुटकर व्यय, स्थानीय परिवहन आदि, यदि लागू हों, को छोड़कर, गैर-कार्यकारी निदेशकों का कंपनी के साथ कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध या संव्यवहार नहीं है। इसके अतिरिक्त, सरकार नामिती निदेशक भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार कंपनी से कोई भी बैठक शुल्क लेने के लिए हकदार नहीं हैं।

वरिष्ठ प्रबंधन

(क) 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण निम्नानुसार है :

क्र सं	नाम
मुख्य सतर्कता अधिकारी	
1.	श्रीमती विनीता नरेरा
कार्यपालक निदेशक	
2.	श्रीमती वल्ली नटराजन
3.	श्री राजेश कुमार
4.	श्री एन. वेंकटेशन
5.	श्री अरुण कुमार त्यागी
6.	श्री कुलदीप राय
7.	श्री सौरभ रस्तोगी
8.	श्री प्रभात कुमार सिंह
9.	श्री जे.के. नायक
10.	श्री प्रदीप फेलोज़
11.	श्री डी. बी. लोंढे
12.	श्री एम. एल. कुमावत
13.	श्री सुब्रत आइच (मुख्य जोखिम अधिकारी)
14.	श्रीमती. सरस्वती
15.	श्री अजय कुमार
16.	श्री हेमंत कुमार (मुख्य अनुपालन अधिकारी)
17.	श्री वी. लक्ष्मणाचार्युलु
18.	श्री प्रिंस धवन
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी	
19.	श्री दिनेश गर्ग

(ख) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान परिवर्तन:

क्रम सं.	नाम	पदनाम	तिथि में परिवर्तन	परिवर्तन का कारण
1.	श्रीमती विनीता नरेरा	मुख्य सतर्कता अधिकारी	16 अप्रैल , 2025	नियुक्ति
2.	श्रीमती रश्मिता झा	मुख्य सतर्कता अधिकारी	16 अप्रैल , 2025	कार्यमुक्ति
3.	श्री आर. पी. वैष्णव	कार्यपालक निदेशक	1 जुलाई, 2025	सेवा-निवृत्ति
4.	श्री राहुल द्विवेदी	कार्यपालक निदेशक	1 जुलाई, 2025	कार्यमुक्ति
5.	श्री वी. लक्ष्मणाचार्युलु	कार्यपालक निदेशक	1 जुलाई, 2025	पदोन्नति
6.	श्री प्रिंस धवन	कार्यपालक निदेशक	23 सितंबर, 2025	नियुक्ति
7.	श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष	कार्यपालक निदेशक	3 अक्टूबर, 2025	निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्ति
8.	श्री अजय कुमार	कार्यपालक निदेशक	7 अक्टूबर, 2025	पदोन्नति
9.	श्री जे. एस. अमिताभ	कार्यपालक निदेशक	1 दिसंबर, 2025	सेवा-निवृत्ति
10.	श्री दिनेश गर्ग	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी	1 दिसंबर, 2025	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्ति
11.	श्री हेमंत कुमार	कार्यपालक निदेशक	2 दिसंबर, 2025	पदोन्नति
12.	श्री नरेन्द्र कुमार मौर्य	कार्यपालक निदेशक	1 जनवरी, 2026	सेवा-निवृत्ति
13.	श्री चंद्र शेखर साखामुरी	कार्यपालक निदेशक	11 फ़रवरी, 2026	मूल संगठन में प्रत्यावर्तन (कार्यमुक्ति)
14.	श्री धर्मेन्द्र नागपाल	कार्यपालक निदेशक	1 मार्च, 2026	सेवा-निवृत्ति

3.3 हितधारक संबंध समिति

कंपनी ने अधिनियम की धारा 178, सूचियन विनियमावली के विनियम 20 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के संदर्भ में एक हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) का गठन किया है। हितधाररक संबंध समिति विशेष रूप से शेयरधारकों, ऋणपत्रधारकों (डिबेंचर होल्डर) आदि सहित विभिन्न प्रतिभूति धारकों से प्राप्त अनुरोधों, शिकायतों या परिवादों जैसे लाभांश क्रेडिट/वारंट का प्राप्त न होना, ऋणपत्रों (डिबेंचर) पर ब्याज/कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का प्राप्त न होना से संबंधित मामलों के निवारण पर ध्यान देती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हितधारक संबंध समिति समिति की 2 (दो) बैठकें हुई। हितधारक संबंध समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं	नाम एवं पदनाम	समिति में धारित पद	बैठक की तिथि और उसमें उपस्थिति		बैठकों की कुल संख्या		
			8 –मई-2025	21-नवंबर-2025	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	उपस्थिति का प्रतिशत
1	**डॉ. दुर्गेश नन्दिनी** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (17 अप्रैल, 2025 से प्रभावी तथा 16 अप्रैल, 2026 तक)	👤	👤	2	2	100
2	**श्री हर्ष बवेजा** निदेशक (वित्त)	सदस्य (31 जनवरी, 2026 तक))	👤	👤	2	2	100

क्रम सं	नाम एवं पदनाम	समिति में धारित पद	बैठक की तिथि और उसमें उपस्थिति		बैठकों की कुल संख्या		
			8 –मई-2025	21-नवंबर-2025	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	उपस्थिति का प्रतिशत
3	**श्री विजय कुमार सिंह** निदेशक (परियोजना)	सदस्य (30 जून, 2025 तक)	👤	लागू नहीं	1	1	100
4	**श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष** निदेशक (परियोजना)	सदस्य (3 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी)	लागू नहीं	📹	1	1	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित   📹 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित   लागू नहीं   अनुपस्थिति की छुट्टी

1. *वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, श्री मनोज शर्मा, पीएफसी नामित निदेशक, 16 अप्रैल, 2025 तक हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष थे, तथापि उनके कार्यकाल के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।*
2. *वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, श्री नारायणन तिरुपति, स्वतंत्र निदेशक, 16 अप्रैल, 2025 तक हितधारक संबंध समिति के सदस्य थे, तथापि उनके कार्यकाल के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।*
3. *श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी को कंपनी के निदेशक (परियोजनाएँ) का अतिरिक्त प्रभार 1 जुलाई, 2025 से तीन माह की अवधि के लिए अथवा नियमित पदधारी की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, सौंपा गया था। इसके अतिरिक्त, उन्हें कंपनी के निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार भी 1 फ़रवरी, 2026 से तीन माह की अवधि के लिए अथवा नियमित पदधारी की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, सौंपा गया था। उनके कार्यकाल के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।*

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। वह सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार कंपनी के अनुपालन अधिकारी भी हैं।

एसआरसी की बैठकों के लिए गणपूर्ति समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्यों की होगी। इसके अतिरिक्त, शेयरों, ऋणपत्रों, बॉण्डों आदि सहित विभिन्न प्रतिभूतियों के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ताओं (आरटीए) के प्रतिनिधि, आवश्यकता पड़ने पर एसआरसी की बैठकों में आमंत्रिती होते हैं। समिति के तत्कालीन अध्यक्ष कंपनी की 27 अगस्त, 2025 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों तथा अन्य उपस्थितजनों के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु उपस्थित थे।

शेयरधारकों/ऋणपत्र-धारकों (डिबेंचर होल्डर) के अनुरोध और शिकायतें

शेयरधारकों और ऋणपत्र-धारकों के अनुरोधों या शिकायतों का तुरंत निवारण करने के लिए, कंपनी ने त्रिस्तरीय तंत्र अर्थात्, संबंधित पंजीयक से सहायता सेवा, अंतःपरिसर निवेशक प्रकोष्ठ और हितधारक संबंध समिति द्वारा प्रत्यक्ष निगरानी की स्थापना की है, जिसके परिणामस्वरूप सभी शिकायतों को समयबद्ध निवारण सुनिश्चित हुआ।

एनएसई और बीएसई की एक वेब-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली है और सेबी का स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) नाम एक पृथक प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से निवेशक अपनी शिकायतों के लिए किसी कंपनी के विरुद्ध शिकायत कर सकते है। प्रत्येक शिकायत की स्थिति और उस पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को ऑनलाइन देखा जा सकता है, और यदि आवश्यक हो, तो निवेशक शिकायतों के लिए अनुस्मारक भेज सकता है। इस प्रणाली के माध्यम से, निवेशक शिकायतों की स्थिति की जांच करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि किसके पास शिकायत लंबित है, किस पर जिम्मेदारी तय की गई है और शिकायत कितने समय से लंबित है। कोई निवेशक जो स्कोर्स या एनएसई और बीएसई वेब आधारित प्रणाली से परिचित नहीं है या जिसकी स्कोर्स पर एक्सेस नहीं है, भौतिक रूप में शिकायत कर सकता है या वैकल्पिक रूप से कंपनी के आरएंडटीए तथा कंपनी को शिकायत के निवारण के लिए ई-मेल भेज सकता है।

सेबी ने दिनांक 31 जुलाई, 2023 तथा 4 अगस्त, 2023 के परिपत्रों एवं अन्य लागू परिपत्रों के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति बाजार में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान हेतु एक साझा ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल ("ओडीआर पोर्टल") स्थापित किया है। उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में, निवेशक अपनी शिकायतों के समाधान हेतु आरटीए/कंपनी के साथ प्रत्यक्ष रूप से तथा विद्यमान स्कोर्स मंच के माध्यम से उपलब्ध विकल्पों का उपयोग कर लेने के पश्चात, ओडीआर पोर्टल (https://smartodr.in/login.) के माध्यम से विवाद समाधान की प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं। उक्त पोर्टल का उपयोग कंपनी की वेबसाइट https://recindia.com/smart-odr-portal के माध्यम से भी किया जा सकता है।

कंपनी और इसका आरटीए सभी निवेशकों के अनुरोधों एवं शिकायतों का समाधान निवेशकों की संतुष्टि के अनुसार तत्परता और त्वरित आधार पर करते हैं। निवेशकों के अनुरोधों और शिकायतों की स्थिति पर एक त्रैमासिक अपडेट स्टॉक एक्सचेंजों के समक्ष दाखिल किया जाता है तथा बोर्ड के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है। लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 13(3) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों की स्थिति निम्नानुसार थी :

अनुरोध/शिकायत का विवरण	इक्विटी शेयर	सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूति	कुल
1 अप्रैल, 2025 तक की स्थिति के अनुसार लंबित	0	0	**0**
वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त	14	456	**470**
वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	14	456	**470**
31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार निपटाई न गई शेष शिकायतें	**0**	**0**	**0**

उक्त शिकायतों के अतिरिक्त, कंपनी को इक्विटी शेयरधारकों से 1,053 अनुरोध/स्पष्टीकरण/प्रश्न प्राप्त हुए, जिनका वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निपटान किया गया/उत्तर प्रदान किया गया। तीन अनुरोधों/स्पष्टीकरणों/प्रश्नों को छोड़कर, जिनका निपटान 31 मार्च, 2026 के पश्चात वैधानिक समय-सीमा के भीतर किया गया, शेष सभी अनुरोधों/स्पष्टीकरणों/प्रश्नों का निपटान वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कर दिया गया।

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

संगठन के समेकित जोखिम के प्रबंधन के लिए, सूचियन विनियमावली के विनियम 21 के प्रावधानों के अनुरूप जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

क. समेकित जोखिम का प्रबंधन करना;

ख. विभिन्न संभावित जोखिमों की पहचान करना, चलनिधि जोखिम सहित कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले समग्र जोखिमों का मूल्यांकन करना, कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली जोखिम प्रबंधन योजना, नीतियों और प्रथाओं की समय-समय पर निगरानी और समीक्षा करना;

ग. विभिन्न जोखिमों के शमन की निगरानी करना और जोखिम प्रबंधन संबंधी अन्य सभी प्रकार्यों, जिसमें साइबर सुरक्षा भी शामिल हो, का निष्पादन करना; तथा

घ. समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, और/या किन्हीं अन्य एजेंसियों द्वारा जारी किए गए लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए यथाअपेक्षित किसी भी अन्य प्रकार्य का निष्पादन करना।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आरएमसी की 2 (दो) बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में आरएमसी की संरचना तथा उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	समिति में धारित पद	बैठक की तिथि और उसमें उपस्थिति		बैठकों की कुल संख्या		
			11 अगस्त, 2025	20 जनवरी, 2026	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	उपस्थिति का प्रतिशत
1	**डॉ. गंभीर सिंह** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (25 जून, 2025 से प्रभावी तथा 16 अप्रैल, 2026 तक)	👤	🎥	2	2	100
2	**श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य	👤	लागू नहीं	1	1	100
3	**श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष** निदेशक (परियोजना)	सदस्य (3 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी)	लागू नहीं	👤	1	1	100
4	**श्री हर्ष बवेजा** निदेशक (वित्त)	सदस्य (31 जनवरी, 2026 तक)	👤	🎥	2	2	100
5	**श्री नारायणन तिरुपति** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (2 मार्च, 2026 तक)	👤	👤	2	2	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 🎥 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित लागू नहीं

टिप्पणियाँ:

1. *वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, श्रीमती परमिंदर चोपड़ा 21 मार्च, 2025 से 21 अप्रैल, 2025 तक समिति की अध्यक्ष रहीं। तथापि, उनके कार्यकाल के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।*
2. *श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 22 अप्रैल, 2025 से 24 जून, 2025 तक समिति के अध्यक्ष रहे। इसके अतिरिक्त, श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी को कंपनी के निदेशक (परियोजनाएँ) का अतिरिक्त प्रभार 1 जुलाई, 2025 से तीन माह की अवधि के लिए अथवा नियमित पदधारी की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, सौंपा गया था। इसके अलावा, उन्हें कंपनी के निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार भी 1 फ़रवरी, 2026 से तीन माह की अवधि के लिए अथवा नियमित पदधारी की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, सौंपा गया था। तथापि, उनके कार्यकाल के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।*
3. *वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, श्री विजय कुमार सिंह, पूर्व निदेशक (परियोजनाएँ), 30 जून, 2025 तक समिति के सदस्य रहे। तथापि, उनके कार्यकाल के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।*
4. *वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, श्रीमती दुर्गेश नंदिनी 3 मार्च, 2026 से 16 अप्रैल, 2026 तक समिति की सदस्य रहीं। तथापि, उनके कार्यकाल के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।*
5. *वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, श्री मनोज शर्मा, पीएफसी के पूर्व नामित निदेशक, 26 नवंबर, 2024 से 25 जून, 2025 तक समिति के सदस्य रहे। तथापि, उनके कार्यकाल के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।*

कंपनी ने आरबीआई द्वारा निर्धारित एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) नियुक्त किया है। सीआरओ आरएमसी के संयोजक के रूप में कार्य करता है।

आरएमसी की बैठकों के लिए कोरम समिति के अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों का होता है। इसके अतिरिक्त, कार्यपालक निदेशक / वित्त तथा प्रचालन कार्यों के प्रमुख (जिनमें एएलएम, आंतरिक लेखा परीक्षा, अनुपालन तथा सीआईएसओ सम्मिलित हैं) जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में भाग लेते हैं।

3.5 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

अधिनियम की धारा 135 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) हेतु कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने एक 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति' (सीएसआर समिति) का गठन किया है, जिसकी कार्य-संदर्भ शर्तें निम्नानुसार हैं :

क) अधिनियम की अनुसूची VII में यथानिर्दिष्ट कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाने वाली कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार करना और बोर्ड को इसकी अनुशंसा करना;

ख) कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की समय-समय पर निगरानी करना;

ग) खंड (क) में निर्दिष्ट गतिविधियों पर व्यय की जाने वाली राशि की अनुशंसा करना;

घ) अधिनियम की अनुसूची VII के दायरे में आने वाली सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/प्रस्तावों की अनुशंसा/समीक्षा करना ;

ङ) कंपनी द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करना ;

च) कंपनी की सीएसआर पहलों पर कार्यनीति तैयार करने के लिए निदेशक मण्डल की सहायता करना;

छ) अन्य बातों के साथ-साथ यह जिम्मेदारी विवरण, कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, सीएसआर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुरूप है, सहित नियमों में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट की सामग्री को अनुमोदित करना;

ज) निदेशक मण्डल की जानकारी, विचार और आवश्यक निर्देशों के लिए उनके समक्ष समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना; तथा

झ) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के संबंध में समय-समय पर संशोधित अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करना।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सीएसआर समिति की 12 (बारह) बैठकें हुईं। सीएसआर समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार था:

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	समिति में धारित पद	बैठक की तिथि और उसमें उपस्थिति												बैठकों की कुल संख्या		
			8 मई, 2025	4 जून, 2025	25 जून, 2025	24 जुलाई, 2025	27 अगस्त, 2025	28 सितंबर, 2025	17 अक्टूबर, 2025	21 नवंबर 2025	31 दिसंबर, 2025	29 जनवरी, 2026	27 फ़रवरी, 2026	27 मार्च, 2026	कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक की उपस्थिति	उपस्थिति का प्रतिशत
1	**डॉ. गंभीर सिंह** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (17 अप्रैल, 2025 से प्रभावी तथा 16 अप्रैल, 2026 तक)	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	12	12	100
2	**श्री विजय कुमार सिंह** निदेशक (परियोजना)	सदस्य (30 जून, 2025 तक)	👤	👤	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	3	3	100
3	**श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	5	5	100
4	**श्री हर्ष बवेजा** निदेशक (वित्त)	सदस्य (31 जनवरी, 2026 तक)	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	10	10	100
5	**श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष** **निदेशक (परियोजना)**	सदस्य (17 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	🎥	👤	👤	👤	👤	6	6	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 🎥 वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित लागू नहीं अनुपस्थिति की छुट्टी

1. *वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, श्री नारायणन तिरुपति 16 अप्रैल, 2025 तक समिति के सदस्य रहे। तथापि, उनके कार्यकाल के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।*
2. *श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी को कंपनी के निदेशक (परियोजनाएँ) का अतिरिक्त प्रभार 1 जुलाई, 2025 से तीन माह की अवधि के लिए अथवा नियमित पदधारी की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, सौंपा गया था। इसके अतिरिक्त, उन्हें कंपनी के निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार भी 1 फ़रवरी, 2026 से तीन माह की अवधि के लिए अथवा नियमित पदधारी की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, सौंपा गया था।*

सीएसआर समिति की बैठकों के लिए समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्यों की आवश्यकता होती है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता नीति https://recindia.nic.in/policies. पर उपलब्ध है।

3.6 अधिशेष निधियों के निवेश/उपयोग के लिए समिति

अधिशेष निधियों के निवेश/नियोजन संबंधी समिति का गठन एकल अवसर पर ₹1,000 करोड़ अथवा उससे अधिक की अल्पकालिक अधिशेष निधियों के जमा प्रमाणपत्रों में निवेश/नियोजन अथवा किसी भी समय ₹2,000 करोड़ अथवा उससे अधिक की राशि के म्यूचुअल फंडों तथा सावधि जमाओं में निवेश/नियोजन के अनुमोदन के उद्देश्य से किया गया है। समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अध्यक्ष के रूप में तथा निदेशक (परियोजनाएँ) एवं निदेशक (वित्त) सदस्य के रूप में शामिल हैं।

उक्त समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो सदस्यों की होगी। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 30 अप्रैल, 2025, 1 जुलाई, 2025, 6 अगस्त, 2025, 1 सितंबर, 2025, 3 सितंबर, 2025, 25 सितंबर, 2025 तथा 24 नवंबर, 2025 को कुल 7 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें निदेशकों ने गणपूर्ति के अनुसार भाग लिया।

3.7 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)

एनबीएफसी के लिए परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, कंपनी ने एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति का गठन किया है। एएलसीओ, एएलएम सहायता समूह - जो चलनिधि अंतर विश्लेषण, ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण और विदेशी मुद्रा संचलन आदि पर विभिन्न रिपोर्ट प्रदान करता है - की मदद से चलनिधि, ब्याज दरों और मुद्रा दरों से संबंधित जोखिमों की निगरानी करती है। उपरोक्त जोखिमों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एएलसीओ की प्रत्येक तिमाही में बैठक आयोजित की जाती है। एएलसीओ की अध्यक्षता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है तथा सदस्यों में निदेशक (वित्त), निदेशक (परियोजनाएं) और कंपनी के वित्त और प्रचालन प्रभागों के विभागाध्यक्ष शामिल हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एएलसीओ की 4 (चार) बैठकें हुईं। एएलसीओ की संरचना और वित्तीय वर्ष 2025 -26 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

नाम एवं पदनाम	समिति में धारित पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति				बैठकों की कुल संख्या		
		20 जून, 2025	30 सितंबर 2025	4 दिसंबर 2025	18 मार्च 2026	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	उपस्थिति का प्रतिशत
श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष (22 अप्रैल, 2025 से प्रभावी)	👤	👤	👤	👤	4	4	100
श्री विजय कुमार सिंह निदेशक (परियोजना)	सदस्य (30 जून, 2025 तक)	📹	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	100
श्री हर्ष बवेजा निदेशक (वित्त)	सदस्य (31 जनवरी, 2026 तक)	👤	👤	👤	लागू नहीं	3	3	100
श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष निदेशक (परियोजना)	सदस्य (3 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी)	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	👤	2	2	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित लागू नहीं

1. *श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी को कंपनी के निदेशक (परियोजनाएँ) का अतिरिक्त प्रभार 1 जुलाई, 2025 से तीन माह की अवधि के लिए अथवा नियमित पदधारी की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, सौंपा गया था। इसके अतिरिक्त, उन्हें कंपनी के निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार भी 1 फ़रवरी, 2026 से तीन माह की अवधि के लिए अथवा नियमित पदधारी की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, सौंपा गया था।*
2. *इसके अतिरिक्त, विभिन्न कार्यपालक निदेशक तथा मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी समिति के सदस्य हैं तथा उन्होंने एएलसीओ की उपर्युक्त बैठकों में भाग लिया।*

एएलसीओ की बैठकों के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) सहित तीन सदस्यों की होगी। कार्यपालक निदेशक/प्रभागाध्यक्ष (परिसंपत्ति देयता प्रबंधन) एएलसीओ के संयोजक के रूप में कार्य करते हैं। कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी आवश्यकता के अनुसार एएलसीओ की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।

3.8 आईटी रणनीति समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों एवं एनबीएफसी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सुशासन, जोखिम, नियंत्रण एवं आश्वासन पद्धतियों से संबंधित मास्टर निदेश के अनुपालन में, आरईसी के निदेशक मंडल ने एक स्वतंत्र निदेशक तथा कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से युक्त एक सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी) का गठन किया है।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, आईटीएससी की 6 (छः) बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में आईटीएससी की संरचना तथा उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	समिति में धारित पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति						बैठकों की कुल संख्या		
			7-अप्रैल 2025	2-जून 2025	30-जुलाई 2025	19-अगस्त 2025	30-दिसंबर 2025	30-मार्च 2026	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	उपस्थिति का प्रतिशत
1	**श्री नारायणन तिरुपति** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (2 मार्च, 2026 तक)	👤	👤	👤	👤	👤	लागू नहीं	5	5	100
2	**डॉ. दुर्गेश नंदिनी** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (3 मार्च, 2026 से प्रभावी तथा 16 अप्रैल, 2026 तक)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	👤	1	1	100

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	समिति में धारित पद	बैठक की तारीख और उसमें उपस्थिति						बैठकों की कुल संख्या		
			7-अप्रैल 2025	2-जून 2025	30-जुलाई 2025	19-अगस्त 2025	30-दिसंबर 2025	30-मार्च 2026	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	उपस्थिति का प्रतिशत
3	**श्री विजय कुमार सिंह** निदेशक (परियोजनाएँ)	सदस्य (30 जून, 2025 तक)	👤	👤	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2	2	100
4	**श्री हर्ष बवेजा** निदेशक (वित्त)	सदस्य (31 जनवरी, 2026 तक)	👤	👤	👤	👤	👤	लागू नहीं	5	5	100
5	**श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष** निदेशक (परियोजना)	सदस्य (3 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	N.A.	👤	👤	2	2	100

👤 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित   लागू नहीं

3.9 'मेक इन इंडिया' के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप-समिति

आरईसी के बोर्ड ने, अन्य बातों के साथ, आरईसी या उसकी सहायक कंपनियों द्वारा जब कभी भी ₹250 करोड़ या उससे अधिक मूल्य के जारी किए जाने पर निविदा नोटिस की संवीक्षा/समीक्षा के लिए 'मेक इन इंडिया' के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप-समिति का गठन किया है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा इसके सदस्यों के रूप में निदेशक (वित्त) और पीएफसी द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उक्त उप-समिति की कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

3.10 विलफुल डिफॉल्टर पर समीक्षा समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 1 जुलाई, 2015 के जानबूझकर चूककर्ता संबंधी मास्टर निदेश के अनुपालन में, आरईसी के निदेशक मंडल ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में तथा दो स्वतंत्र निदेशकों सहित जानबूझकर चूककर्ता संबंधी समीक्षा समिति का गठन किया है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जानबूझकर चूककर्ता संबंधी समीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

4. अन्य समितियां

उपरोक्त समितियों के अतिरिक्त, विशिष्ट मामलों की निगरानी के लिए निदेशक मण्डल द्वारा कुछ अतिरिक्त समितियों का भी गठन किया गया है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

4.1 स्थायी ऋण लिखत समिति

बोर्ड द्वारा अनुमोदित "स्थायी ऋण लिखत नीति" के अनुरूप, कंपनी ने जनवरी, 2021 में ₹558.40 करोड़ के स्थायी ऋण लिखत जुटाए हैं, जो असुरक्षित, अधीनस्थ तथा गैर-परिवर्तनीय लिखत हैं।

उक्त नीति के अनुपालन में, विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए स्थायी ऋण लिखतों पर कूपन के भुगतान/अभुगतान के संबंध में निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (परियोजनाएँ) से युक्त एक समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति कम-से-कम दो सदस्यों की होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, स्थायी ऋण लिखत समिति की एक (1) बैठक 2 जनवरी, 2026 को आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (परियोजनाएँ) उपस्थित थे।

4.2 शेयर अंतरण समिति

शेयर अंतरण समिति भौतिक स्वरूप में प्रत्येक मामले में 500 से अधिक इक्विटी शेयरों के संचरण, अंतरण-क्रम परिवर्तन, विभाजन तथा समेकन से संबंधित अनुरोधों और डुप्लीकेट शेयर प्रमाण-पत्र जारी करने के अनुरोधों पर विचार करती है। 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, शेयर अंतरण समिति में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, अर्थात् कंपनी सचिव तथा महाप्रबंधक (संसाधन), सदस्य के रूप में शामिल थे। तथापि, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उक्त समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

5. अनुषंगी कंपनियां

आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी नामतः आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) है। आरईसीपीडीसीएल, अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर सौंपी गई स्वतंत्र अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्य पारेषण परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क (टैरिफ) आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए "बोली प्रक्रिया समन्वयक" के रूप में भी कार्य करता है। प्रत्येक स्वतंत्र अंतर-राज्यीय/अंतरा-राज्य पारेषण परियोजना के विकास को आरंभ करने के लिए, आरईसीपीडीसीएल, परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के रूप में शामिल करता है।

ऐसी परियोजना-विशिष्ट एसपीवी भी भारतीय लेखा मानक 110 के प्रावधानों के अनुसार आरईसी की सहयोगी हैं। इसके अलावा, आरईसीपीडीसीएल की सहायक कंपनियां भी अधिनियम की धारा 2(87) के अनुसार आरईसी की सहायक कंपनियां हैं। टीबीसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के बाद, ऐसी सहायक कंपनियों को सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ सफल बोलीदाता को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

एसपीवी/अनुषंगी कंपनियों के बारे में विस्तृत सूचना बोर्ड की रिपोर्ट में दी गई है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

एसपीवी/सहायक कंपनियों के संबंध में विस्तृत जानकारी इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनने वाली निदेशक मंडल की रिपोर्ट में दी गई है।

सभी अनुषंगी कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त कंपनी के निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। आरईसी की लेखापरीक्षा समिति द्वारा गैर-सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए निवेशों, की समीक्षा की गई थी। आरईसीपीडीसीएल और अन्य अनुषंगी कंपनियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और संबंधित जानकारी कंपनी की वेबसाइट https://recindia.com/recpdcl. पर उपलब्ध हैं।

कंपनी की कोई "महत्वपूर्ण अनुषंगी कंपनी" नहीं है। इसके अलावा, कंपनी ने उक्त विनियमों के तहत यथाअपेक्षित अनुषंगी कंपनियों के महत्व पर एक नीति तैयार की है। उक्त नीति https://recindia.com/policies पर उपलब्ध है।

6. **वार्षिक आम बैठकें**

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) और उनमें पारित संकल्पों का विवरण नीचे दिया गया है:-

वित्तीय वर्ष	एजीएम की तिथि	समय	स्थान
2022-23	6-सितंबर-2023	11:00 बजे पूर्वाह्न	वीसी/ओएवीएम के माध्यम से
2023-24	20- अगस्त -2024	11:00 बजे पूर्वाह्न	
2024-25	27-अगस्त-2025	11:00 बजे पूर्वाह्न	

एजीएम में प्रस्तुत किए गए सभी संकल्प सदस्यों के अपेक्षित बहुमत से रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पारित किए गए थे। पिछली तीन एजीएम में पारित किए गए विशेष प्रस्ताव इस प्रकार हैं:

एजीएम सं.	पारित किए गए विशेष संकल्प
54वीं	1. श्री नारायणन तिरुपति (डीआईएन : 10063245) को गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति। 2. कंपनी की समग्र उधार सीमा में वृद्धि। 3. कंपनी की समस्त अथवा किसी भी चल एवं/अथवा अचल परिसंपत्तियों पर बंधक एवं/अथवा प्रभार सृजित करने की स्वीकृति। 4. प्रतिभूतियों के निजी नियोजन के लिए अनुमोदन।
55वीं	1. कंपनी की समग्र उधार सीमा में वृद्धि। 2. कंपनी की समस्त अथवा किसी भी चल एवं/अथवा अचल परिसंपत्तियों पर बंधक एवं/अथवा प्रभार सृजित करने की स्वीकृति। 3. प्रतिभूतियों के निजी नियोजन के लिए अनुमोदन।
56वीं	1. डॉ. गंभीर सिंह (डीआईएन : 02003319) को अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति। 2. डॉ. दुर्गेश नंदिनी (डीआईएन : 09398540) को अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति। 3. प्रतिभूतियों के निजी नियोजन के लिए अनुमोदन।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 22 सितंबर, 2025 के सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 के माध्यम से कंपनियों को आगामी आदेशों तक अपनी वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) तथा असाधारण आम बैठकों (ईजीएम) का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से करने की अनुमति प्रदान की है।सेबी ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2024, जिसे 12 दिसंबर, 2024 को अधिसूचित किया गया था, के माध्यम से सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 44(4) में स्थायी संशोधन किया है, जिसके अनुसार वार्षिक आम बैठक के वीसी/ओएवीएम माध्यम से आयोजित होने की स्थिति में प्रॉक्सी प्रपत्र भेजने की अपेक्षा समाप्त कर दी गई है।इसके अतिरिक्त, सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 36(1)(ख) में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार उन शेयरधारकों, जिनके ई-मेल पते आरटीए/निक्षेपागार सहभागियों के पास पंजीकृत नहीं हैं, को कंपनी की वेबसाइट के उस वेबलिंक सहित पत्र भेजना अपेक्षित है, जहाँ से वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त के आलोक में, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रति उन शेयरधारकों तथा कंपनी की गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के धारकों को भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रारों/निक्षेपागारों/निक्षेपागार सहभागियों के पास पंजीकृत हैं। जिन शेयरधारकों के ई-मेल पते कंपनी के पास पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें वार्षिक रिपोर्ट तक पहुँच हेतु लिंक युक्त एक भौतिक पत्र प्रेषित किया जाएगा।

असाधारण सामान्य बैठकें (ईजीएम)

2025-26 वर्ष के दौरान, कोई भी असाधारण आम बैठक नहीं की गई।

7. **पोस्टल बैलेट**

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कोई डाक मतपत्र नहीं लिया गया।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित किए जाने का प्रस्ताव/उम्मीद नहीं है।

8. **सचिवीय लेखापरीक्षा**

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज द्वारा की गई है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कंपनी को सौंप दी है। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति हितधारकों की जानकारी के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न है। इसके अलावा, सचिवीय लेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन का उत्तर, इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में बोर्ड की रिपोर्ट में दिया जा रहा है।

9. **संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार**

कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (लेनदेन) और संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (लेनदेन) को संभालने के महत्व के संबंध में एक नीति तैयार की है। उक्त नीति के अनुसार, संबंधित पक्षकार के साथ सभी संव्यवहार (लेन-देन) लेखा परीक्षा समिति और/या निदेशक मण्डल या शेयरधारकों, जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (लेनदेन) को लेखाओं की टिप्पणियों में शामिल किया गया है। यह नीति https:// https://recindia.com/policies. पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, संबंधित पक्ष संव्यवहारों का ब्यौरा बोर्ड की रिपोर्ट के साथ सलंग्न एओसी-2 में दिया गया है।

10. **प्रकटन**

1. पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाज़ारों से संबंधित गैर-अनुपालन का कोई मामला सामने नहीं आया है और कंपनी ने लिस्टिंग विनियमों, अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, आईसीएसआई और डीपीई द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, सिवाय बोर्ड की संरचना और उसकी समितियों से संबंधित, जो एक निश्चित अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण थीं।

उपरोक्त गैर-अनुपालन के कारण, एनएसई और बीएसई ने जुर्माना लगाया है, जिसका विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हालाँकि, आरईसी ने एनएसई और बीएसई से जुर्माने में छूट का अनुरोध किया है, क्योंकि आरईसी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है, जो प्रशासनिक मंत्रालय यानी एमओपी के माध्यम से कार्य करते हैं। कंपनी नियुक्ति प्राधिकारी यानी एमओपी से अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अनुरोध कर रही है और कंपनी की निदेशकों की नियुक्ति

या अपने बोर्ड की संरचना को बनाए रखने में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि यह कंपनी के नियंत्रण से बाहर है।

2. सांविधिक प्रावधानों के तहत यथाअपेक्षित, सभी विवरणियां, रिपोर्ट और प्रकटन स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य प्राधिकरणों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर दाखिल कराए गए थे।

3. कंपनी सूचियन नियमों के विनियम 17 से 27 की समय-समय पर यथासंशोधित बोर्ड, समितियों और कॉर्पोरेट सुशासन से संबंधित अपेक्षाओं और सूचियन विनियमावली के विनियम 46 के तहत कंपनी की वेबसाइट का रख-रखाव करने और अद्यतन करने से संबंधित अपेक्षाओं का, जहां कंपनी के पास उपर्युक्त बिन्दु 1 में यथावर्णित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं, को छोड़कर अनुपालन किया है।

   कंपनी सूचियन विनियमावली की अनुसूची V के भाग ग के अनुसार कॉर्पोरेट सुशासन संबंधी रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण अपेक्षाओं का भी अनुपालन किया है। इसके अतिरिक्त, सूचियन विनियमावली के विनियम 46 और विनियम 62 के अनुपालन में, कंपनी ने अन्य बातों के साथ-साथ अपनी वेबसाइट https://recindia.com/disclosures-under-regulation-46-of-sebi. पर संगत सूचना का प्रकटन किया है।

4. कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक जोखिम प्रबंधन नीति का अनुपालन करती है, जिसमें विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम को कम करने के लिए तैयार की गई हेजिंग नीति शामिल है। इस नीति में विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के प्रबंधन के लिए एक कार्यढांचा स्थापित किया गया है जिससे विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की परिसंपत्तियों, देयताओं और ऑफ-बैलेंस शीट व्यवस्थाओं के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विभिन्न हेजिंग तकनीकें इस जोखिम के प्रभावी ढंग से प्रबंधन के लिए उपयोग की गई हैं।

   विदेशी मुद्रा जोखिमों के संबंध में उपयुक्त प्रकटन लेखाओं की टिप्पणियों में दिए गए हैं, जो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं। कंपनी के कारोबार की प्रकृति ऐसी नहीं है, जिससे कि किसी भी कमोडिटी कीमत जोखिम में वृद्धि हो सकती है।

5. कंपनी ने जोखिम मूल्यांकन और शमन के बारे में बोर्ड को सूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। कंपनी का निदेशक मण्डल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है कि समेकित जोखिमों को एक उचित निर्धारित फ्रेमवर्क के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड की एक जोखिम प्रबंधन समिति भी मौजूद है।

6. निदेशकों और अधिकारियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए, कंपनी ने एक 'निदेशक और अधिकारी (डी एंड ओ) देयता बीमा पॉलिसी' प्राप्त की है, जो कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों के प्रति उत्पन्न होने वाली देयताओं को व्यापक रूप से कवर करती है। बीमा पॉलिसी में कंपनी के स्वतंत्र निदेशक, कंपनी सचिव, अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा सभी प्रबंधक और उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारी सहित आरईसी के निदेशक मण्डल को कवर किया जाता है।

7. संबंधित पक्षकारों अर्थात् प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन के साथ कंपनी के हितों के विपरीत कोई महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया गया था। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों के पास कंपनी का कोई इक्विटी शेयर नहीं है।

8. कंपनी ने निदेशक (निदेशकों) या प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों या कंपनियों और फर्मों आदि के साथ कोई महत्वपूर्ण, वित्तीय या वाणिज्यिक संव्यवहार (लेन-देन) नहीं किया है, जिसमें उन्हें या तो प्रत्यक्ष रूप से या अपने रिश्तेदारों के माध्यम से निदेशक और/या भागीदारों के रूप में लाभ मिला हो।

9. वरिष्ठ प्रबंधन के सभी सदस्यों ने बोर्ड के समक्ष सभी महत्वपूर्ण, वित्तीय और वाणिज्यिक संव्यवहारों (लेन-देन) से संबंधित प्रकटीकरण किया है, जिनमें उनके व्यक्तिगत हित हैं जो संभवतः बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के विरोधाभासी (उदाहरण के लिए, कंपनी के शेयरों में संव्यवहार करना, प्रबंधन और उनके रिश्तेदारों आदि की शेयरधारिता वाले निकायों के साथ वाणिज्यिक संव्यवहार) हो सकते हैं और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विरोधाभास का ऐसा कोई मामला नहीं था।

10. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों ने उन फर्मों और कंपनियों को ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया, जिनमें निदेशकों के हित हैं।

11. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय ₹172.86 करोड़ रहा, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह ₹185.97 करोड़ था। यह अंतर कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों के अनुरूप एक मामूली परिवर्तन है।वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल व्ययों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय 0.45% रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 0.51% था।

12. कंपनी ने ऐसा कोई भी व्यय नहीं किया है जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं है। इसके अलावा, कोई भी ऐसा व्यय नहीं किया गया जो प्रकृति में व्यक्तिगत था और निदेशक मण्डल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया था।

13. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तुलन-पत्र (बैलेंस शीट), लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 ("इंड एएस"), यथासंशोधित, और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

14. वित्तीय वर्ष 2025-26 से संबंधित अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कोई लेखा परीक्षा आपत्ति नहीं की गई है। इसके अलावा, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि सांविधिक लेखा परीक्षकों ने सूचियन विनियमावली के प्रावधान के अनुरूप, बिना संशोधित राय के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

15. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प/ईएसओपी जारी नहीं किया है।

16. कॉर्पोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, डीपीई के माध्यम से विद्युत मंत्रालय को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान डीपीई को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का ब्यौरा इस प्रकार है:

निम्नलिखित तारीख को समाप्त तिमाही के लिए रिपोर्ट	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि
30 जून, 2025	07 जुलाई, 2025
30 सितंबर, 2025	07 अक्टूबर, 2025
31 दिसंबर, 2025	05 जनवरी, 2026
31 मार्च, 2026	08 अप्रैल, 2026

इसके अतिरिक्त, चार तिमाहियों के स्कोर के आधार पर वार्षिक स्कोर (चार तिमाहियों का समेकित स्कोर) को सम्मिलित करते हुए, अब डीपीई की वेबसाइट पर स्वचालित रूप से सृजित है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की सभी तिमाहियों के लिए निर्धारित समय के भीतर सूचियन विनियमावली के विनियम 27(2)(क) के तहत कॉर्पोरेट सुशासन संबंधी तिमाही अनुपालन रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रस्तुत की है।

17. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उक्त अधिनियम के तहत शिकायतों के संबंध में प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	विवरण	शिकायतों की संख्या
1.	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	शून्य
2.	वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	शून्य
3.	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

18. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान और पिछले तीन वर्षों में, कंपनी को कोई राष्ट्रपति के निर्देश नहीं मिले हैं।

19. कंपनी अपने स्वतंत्र निदेशकों को समय-समय पर व्यवसाय और प्रचालन की प्रकृति, कंपनी की कार्यनीति और प्रदर्शन, स्वतंत्र निदेशकों के रूप में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों और अन्य प्रासंगिक विषयों से अवगत कराती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने अपने स्वतंत्र निदेशकों के लिए ऐसे 2 (दो) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अलावा, कंपनी ने उन्हें कंपनी की प्रक्रियाओं और परिपाटियों से अवगत कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज, रिपोर्ट, आंतरिक नीतियां आदि भी उपलब्ध कराईं।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड एवं समिति की बैठकों में प्रस्तुतियों, निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों तथा कंपनी के अन्य अधिकारियों के साथ नियमित संवाद के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों को सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाते हैं। कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के लिए आयोजित परिचयात्मक कार्यक्रमों का विवरण https://recindia.com/uploads/files/co-cs-famlriztnprgrme-indpndt-dirctrs-dt210126.pdf. पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों की अपेक्षा के अनुसार, कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए एक नीति तैयार की है। बोर्ड के सदस्य अपनी आवश्यकता के आधार पर समय-समय पर विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में भाग लेते हैं।

20. कंपनी ने सभी अनिवार्य मदों (बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर) को अपनाया है; और कंपनी ने सूचियन विनियमावली के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट सुशासन पर कुछ गैर-अनिवार्य मदों को भी अपनाया है, जिसकी स्थिति निम्नानुसार है:

क) बोर्ड: कंपनी के प्रमुख, एक कार्यपालक अध्यक्ष हैं;

ख) शेयरधारक के अधिकार: कंपनी शेयरधारकों/निवेशकों को सभी प्रासंगिक जानकारी यथासमय उपलब्ध करा रही है, ताकि उन्हें कंपनी के प्रमुख निर्णयों के बारे में पर्याप्त रूप से सूचित किया जा सके;

ग) लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय: वित्तीय वर्ष 2025-26 से संबंधित कोई लेखा परीक्षा आपत्ति/संशोधित राय नहीं है और कंपनी सदैव आपत्तिरहित वित्तीय विवरणों को बनाए रखने का प्रयास करती है;

घ) अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकार (सीईओ) के अलग-अलग पद: अध्यक्ष और सीईओ के अलग-अलग पद नहीं हैं।

ङ) आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग : कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकार्य के प्रमुख, सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं और उन्हें लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।

21. सूचियन विनियमावली के विनियम 32(7क) और विनियम 52(7) के तहत निर्दिष्ट अधिमानी आबंटन या योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के उपयोग का विवरण समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बॉण्डों के निजी प्लेसमेंट के निर्गम आय के उपयोग में कोई भिन्नता नहीं थी।

22. आरईसी की क्रेडिट रेटिंग नीचे दी गई है:

विवरण	क्रेडिट रेटिंग
घरेलू दीर्घावधिक उधारियां	क्रिसिल एएए, आईसीआरए एएए, केयर एएए, इंड एएए
घरेलू दीर्घावधिक मूलधन संरक्षित बाजारों से जुड़े डिबेंचर	क्रिसिल पीपी-एमएलडी एएए, आईसीआरए पीपी-एमएलडी एएए
घरेलू सतत बांड	क्रिसिल एएए, केयर एएए
घरेलू अल्पावधिक उधारियां	क्रिसिल ए1+, आईसीआरए ए1+, केयर ए1+, इंड ए1+
अंतर्राष्ट्रीय दीर्घावधिक जारीकर्ता रेटिंग	बीबीबी- (फिच), बीएए3 (मूडीज), बीबीबी+ (जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी)

23. वार्षिक आधार पर, कंपनी प्रत्येक निदेशक से अन्य कंपनियों में उनके द्वारा बोर्ड और समिति में धारित पदों और उनमें परिवर्तन, यदि कोई हो, का विवरण प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त, मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, ने यह पुष्टि करते हुए एक प्रमाण पत्र प्रदान किया है कि कंपनी के बोर्ड में किसी भी निदेशक को सेबी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या पद पर बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है। उक्त प्रमाण पत्र की प्रति इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-क पर दी गई है।

24. विशिष्ट प्रचालन क्षेत्रों की निगरानी के लिए, कंपनी के निदेशक मण्डल ने विभिन्न बोर्ड-स्तरीय समितियों का गठन किया है और इन समितियों को कुछ प्रकार्य सौंपे हैं। संबंधित समिति (समितियां) अपने नियत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और सुविज्ञ निर्णय लेती हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर, निदेशक मण्डल द्वारा आगे विचार किए हेतु सिफारिशें करती हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, निदेशक मण्डल द्वारा कंपनी की किसी बोर्ड-स्तरीय समिति की ओर से की गई सिफारिश को स्वीकार न किए जाने का कोई मामला नहीं था।

25. उपलब्ध सूचना के अनुसार, सूचियन विनियमावली की अनुसूची-III के भाग क के पैरा क के खंड 5क के अंतर्गत उसमें उल्लिखित पक्षकारों द्वारा कोई करार नहीं किया गया है।

11. लागू कानूनों का अनुपालन

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अप्रैल 2022 में एनबीएफसी के लिए 'अनुपालन कार्य' और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, एक समर्पित अनुपालन प्रभाग स्थापित किया गया है, जिसका नेतृत्व सीसीओ करते हैं। सीसीओ को अनुपालन जोखिम की

पहचान और प्रबंधन के समन्वय और अनुपालन कार्य की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने की समग्र ज़िम्मेदारी सौंपी गई है और वह सीएमडी/बोर्ड को रिपोर्ट करते हुए स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।

कंपनी के पास एक व्यापक बोर्ड-अनुमोदित अनुपालन नीति है, जो अनुपालन प्रभाग की भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है और अनुपालन संबंधी जोखिम पहचान, मापन, निगरानी, समीक्षा, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक ढांचा प्रदान करती है। इस ढाँचे के अनुसार, अनुपालन प्रभाग कंपनी पर लागू सभी कानूनों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, वैधानिक, नीतिगत और संबंधित प्रक्रियात्मक अनुपालनों की स्थिति को संकलित करता है और आवधिक समीक्षा के लिए वरिष्ठ प्रबंधन/बोर्ड को प्रस्तुत करता है।

कंपनी के पास लागू कानूनों, संबंधित वैधानिक और प्रक्रियात्मक अनुपालनों के अनुपालन की निगरानी के लिए इन-हाउस वर्कफ़्लो-आधारित ईआरपी प्रणाली मौजूद है।

आरबीआई की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी को आरबीआई पोर्टल जैसे कि दक्ष- रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी अग्रिम निगरानी प्रणाली और केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) पर पोर्टल के माध्यम से विभिन्न रिटर्न/अनुपालन प्रस्तुत करने के लिए जोड़ा गया है।

12. बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचार एवं नीति संहिता

कंपनी में "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचार और नीति संहिता" मौजूद है, जो कंपनी के सभी निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों पर लागू होती है। उक्त संहिता कंपनी के मिशन/विजन और उद्देश्यों के अनुरूप है और इसका लक्ष्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ावा देना है।

आचार संहिता https://recindia.com/uploads/files/co-cs-Code-of-Business-Conduct-Policy-10032025. pdf पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से प्राप्त अभिपुष्टियों के आधार पर, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा जारी घोषणा इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-ख में संलग्न है।

13. नामित व्यक्तियों और उनके रिश्तेदारों द्वारा कारोबार के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग तथा उचित प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता

कंपनी में "नामित व्यक्तियों और उनके निकट संबंधियों द्वारा कारोबार के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग तथा उचित प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता" मौजूद है, जो इस उद्देश्य से तैयार की गई है कि नामित व्यक्ति और उनके निकट संबंधियों रिश्तेदार, जैसा कि उक्त संहिता में परिभाषित किया गया है, कंपनी के बारे में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई), जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है और इस प्रकार आंतरिक जानकारी का भाग है, तक पहुंच और उसके परिग्रह के जरिए कोई लाभ प्राप्त नहीं करते हैं या कोई लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरों की सहायता नहीं करते हैं। कंपनी सचिव को कंपनी का अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है; और वह उक्त संहिता के पालन के लिए उत्तरदायी है। उक्त संहिता कंपनी की वेबसाइट https://recindia.com/policies. पर उपलब्ध है।

उक्त संहिता में यूपीएसआई के प्रकटीकरण की रोकथाम के उद्देश्य के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए आंतरिक नियंत्रण के पर्याप्त तंत्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें यूपीएसआई के उचित प्रकटीकरण और वैध उद्देश्यों को निर्दिष्ट करने के लिए अपनाई जाने वाली परिपाटियों, प्रक्रियाओं और मानदंडों को भी निर्धारित किया गया है, जिसके अधीन यूपीएसआई को आरईसी के किसी भी हितधारी या व्यवसाय भागीदार के साथ साझा किया जा सकता है। संहिता में कंपनी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में संव्यवहार करते समय पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं और किए जाने वाले प्रकटीकरण तथा गैर-अनुपालन के परिणामों को निर्दिष्ट किया गया है।

उक्त आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप, जब भी त्रैमासिक परिणामों पर विचार सहित निदेशक मंडल के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ कोई अप्रकाशित मूल्य-संवेदी सूचना (यूपीएसआई) प्रस्तुत की जाती थी, तो कारोबार खिड़की बंद कर दी जाती थी तथा कारोबार खिड़की बंद किए जाने की सूचना नामित कर्मचारियों एवं संबंधित व्यक्तियों को पर्याप्त अग्रिम रूप से जारी की जाती थी।

इसके अतिरिक्त, जब कारोबार खिड़की बंद रहती थी, तब कंपनी की वेबसाइट तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को भी समुचित घोषणाएँ की जाती थीं, जिनके माध्यम से नामित कर्मचारियों तथा उनके द्वारा घोषित निकटतम संबंधियों को कंपनी की सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में व्यवहार करने से प्रतिबंधित किया जाता था।उक्त आचार संहिता की समीक्षा की गई तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निदेशक मंडल द्वारा इसमें संशोधन किया गया।

14. धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति

कंपनी में धोखाधड़ी की गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए, संगठन में पारदर्शी कार्यों और नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण स्थापित करने हेतु एक मजबूत धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति है। इस नीति में विभिन्न महत्वपूर्ण पहलूओं को शामिल किया गया है, जिनमें धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम में प्रबंधन की जिम्मेदारियां तय करना, धोखाधड़ी की गतिविधियों में कर्मचारियों और हितधारकों को शामिल होने से रोकने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करना और धोखाधड़ी क्रियाकलापों का संदेह होने पर की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई का उल्लेख करना शामिल है। इसमें किसी भी संदिग्ध धोखाधड़ी क्रियाकलाप की पूरी तरह से जांच करने के साथ-साथ नामित नोडल अधिकारी को धोखाधड़ी की सूचना देने के लिए समयसीमा और निर्दिष्ट ब्यौरे के लिए अधिदेशित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आरईसी में कंपनी के विरुद्ध किसी भी रूप में धोखाधड़ी के प्रति शून्य-सहिष्णुता का दृष्टिकोण है।

उक्त नीति https://recindia.com/policies. पर उपलब्ध है।

15. व्हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी में अधिनियम के प्रावधानों, सूचियन विनियमावली और कॉर्पोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक "व्हिसल ब्लोअर नीति" है। व्हिसल ब्लोअर नीति में आरईसी और/या उसकी सहायक कंपनियों के निदेशकों/कर्मचारियों को किसी भी कथित कदाचार या दुराचार, जो कंपनी के व्यवसाय या प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है, के बारे में मामला उठाने के लिए अधिकारी दिया गया है। शिकायत करने के तरीका और सक्षम प्राधिकारी के बारे में नीति में उल्लेख किया गया है। यह नीति https://recindia.com/policies. पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, यह पुष्टि की जाती है कि किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति तक पहुँच से वंचित नहीं किया गया है। व्हिसल ब्लोअर नीति के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और जहाँ भी आवश्यक हो, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था लागू की गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, आरईसी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 17 मई, 2004 के कार्यालय आदेश के तहत जारी व्हिसल ब्लोअर नीति (पीआईडीपीआई संकल्प) को भी अपनाया है और इसे कंपनी की "सतर्कता पुस्तिका" में शामिल किया गया है।

16. **लेखापरीक्षकों को भुगतान किया गया कुल शुल्क**

आरईसी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा आरईसी के सांविधिक लेखापरीक्षकों और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई, जिसके सांविधिक लेखापरीक्षक एक भाग हैं, में सभी संस्थाओं को सभी सेवाओं के लिए, समेकित आधार पर, भुगतान किए गए कुल शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
क.	सांविधिक लेखापरीक्षक को भुगतान किया गया शुल्क:		
(i)	लेखापरीक्षक के रूप में	0.75	0.68
(ii)	कराधान मामलों के लिए	0.16	0.16
(iii)	कंपनी विधि के मामलों के लिए (सीमित समीक्षा शुल्क सहित)	0.40	0.37
(iv)	अन्य सेवाओं के लिए:	0.19	0.18
(v)	खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.18	0.20
उप जोड़		**1.68**	**1.59**
ख.	लेखापरीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क के संबंध में गैर-वसूली योग्य कर क्रेडिट	0.14	0.13
कुल (लेखापरीक्षक शुल्क और व्यय)		**1.82**	**1.72**

17. **संचार के साधन**

कंपनी, सभी हितधारकों के साथ प्रासंगिक सूचनाओं के समयोचित संचार को कंपनी के समग्र कॉर्पोरेट सुशासन फ्रेमवर्क के प्रमुख घटकों के रूप में मान्यता देती है। कंपनी एक व्यापक और समावेशी पहुँच सुनिश्चित करते हुए, शेयरधारकों, बॉन्डधारकों और अन्य हितधारकों के साथ विभिन्न प्लेटफार्मों पर व्याप्त संचार के विभिन्न माध्यमों से संसूचित करती है। परंपरागत विधियों जैसे समाचार-पत्र और पत्रिका विज्ञापनों, आयोजनों और प्रदर्शनियों तथा प्रेस बैठकों से कंपनी की सूचना का व्यापक और प्रभावी प्रचार किया जाता है। कंपनी निवेशक समुदाय में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखने के लिए मीडिया वार्ताओं और निवेशक बैठकों का भी आयोजन करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी सोशल मीडिया पर भी नियमित रूप से हितधारकों के साथ जुड़ी है, ताकि अपने हितधारकों के साथ अधिक व्यक्तिगत और शीघ्रता से जुड़ सके। कंपनी अपने सभी हितधारकों के साथ सशक्त और खुली वार्ता करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नवीनतम अपडेट और समय-समय पर स्टॉक एक्सचेंजों में किए गए प्रासंगिक कॉर्पोरेट प्रकटीकरण, तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम, शेयरधारिता पैटर्न, वार्षिक रिपोर्ट और आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति और संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों को किए गए परिणाम प्रस्तुतीकरण सहित अन्य प्रासंगिक जानकारी आरईसी की वेबसाइट अर्थात् https://recindia.com/disclosures-under-regulation-46-of-sebi., पर निवेशक खंड के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, कंपनी के वित्तीय परिणाम राष्ट्रीय समाचार पत्रों जैसे इकोनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी और हिंदी), मिंट (अंग्रेजी), फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), हिंदुस्तान नवभारत टाइम्स (हिंदी), हिंदुस्तान टाइम्स (हिंदी) और जनसत्ता (हिंदी) आदि में प्रकाशित किए जाते हैं।

कंपनी ने अपने शेयरधारकों और बॉण्डधारकों के प्रश्नों के समाधान के लिए निर्दिष्ट टेलीफोन नंबर और ई-मेल आईडी हैं। ये विवरण https://recindia.com/investors-contact. पर प्राप्त किए जा सकते हैं।

18. **सीईओ/सीएफओ प्रमाणन**

सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17(8) के अनुसार, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वित्तीय प्रतिवेदन एवं आंतरिक नियंत्रणों संबंधी प्रमाण-पत्र, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ 28 अप्रैल, 2026 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रमाण-पत्र की प्रति इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-ग में संलग्न है।

19. **शेयरधारकों के संबंध में सामान्य जानकारी**

i. **वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक सामान्य बैठक**

शेयरधारकों की आगामी 57वीं वार्षिक सामान्य बैठक निम्नलिखित दिन, दिनांक और समय पर वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों से आयोजित की जाएगी:-

दिन, दिनांक	मंगलवार, 25 अगस्त, 2026
समय	11:00 बजे पूर्वाह्न (भारतीय मानक समय)

उक्त बैठक में भाग लेने से संबंधित विवरण और अन्य प्रासंगिक जानकारी कंपनी की 57वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है, में दर्शायी गई है।

ii. **वित्तीय कैलेंडर (वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए)**

पिछले/पूर्ण वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में अगले/आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कैलेंडर निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2025-26		वित्तीय वर्ष 2026-27	
लेखांकन अवधि	1-अप्रैल-2025 से 31-मार्च-2026		1-अप्रैल-2026 से 31-मार्च-2027	
वित्तीय परिणामों की घोषणा	प्रथम तिमाही	24 जुलाई, 2025	प्रथम तिमाही	तिमाही समाप्ति से 45 दिनों के भीतर
	द्वितीय तिमाही	17 अक्टूबर, 2025	द्वितीय तिमाही	
	तृतीय तिमाही	29 जनवरी, 2026	तृतीय तिमाही	
	चतुर्थ तिमाही एवं वार्षिक परिणाम	28 अप्रैल, 2026	चतुर्थ तिमाही एवं वार्षिक परिणाम	वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 60 दिनों के भीतर
वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि	25 अगस्त, 2026			अगस्त, 2027

iii. लाभांश

(क) लाभांश वितरण नीति

कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 43क के अनुपालन में एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन वित्तीय मानकों सहित ऐसे बाहरी और आंतरिक कारकों को निर्दिष्ट किया गया है, जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा और जिन परिस्थितियों में कंपनी के शेयरधारकों लाभांश की उम्मीद कर सकती है या नहीं सकते हैं। यह नीति https://recindia.com/policies. पर उपलब्ध है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लाभांश

अधिनियम की धारा 123 और समय-समय पर संशोधित कंपनी (लाभांश की घोषणा और भुगतान) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी के संगम अनुच्छेद (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुच्छेद 114 के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निम्नानुसार अंतरिम लाभांश का भुगतान किया और अंतिम लाभांश की सिफारिश की है:

राशि (रुपये में)

विवरण	लाभांश भुगतान की तारीख	लाभांश प्रति इक्विटी शेयर
पहला अंतरिम लाभांश	21-अगस्त-2025	4.60/-
दूसरा अंतरिम लाभांश	14 नवंबर, 2025	4.60/-
तीसरा अंतरिम लाभांश	27 फ़रवरी, 2026	4.60/-
चौथा अंतरिम लाभांश	30 मार्च, 2026	3.20/-
अंतिम लाभांश	घोषणा की तिथि से 30 दिवस*	1.55/-
कुल		**18.55/-**

**57वीं वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन*

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए लाभांश का विवरण

वित्तीय वर्ष	रिकार्ड तिथि को कुल संदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (₹ करोड़ में)	लाभांश की दर (%)	भुगतान की तिथि	लाभांश प्रति 10/- रुपए वाले इक्विटी शेयर
2020-21	1,974.92	2,510.12	127.10	3 दिसंबर, 2020	प्रथम अंतरिम लाभांश (₹6.00)
				30 मार्च, 2021	द्वितीय अंतरिम लाभांश (₹5.00)
				21 -अक्टूबर- 2021	अंतिम लाभांश (₹1.71)
2021-22	1,974.92	3,021.63	153.00	2 सितंबर, 2021	प्रथम अंतरिम लाभांश (₹2.00)
				25 नवंबर, 2021	द्वितीय अंतरिम लाभांश (₹2.50)
				3 मार्च, 2022	तृतीय अंतरिम लाभांश (₹6.00)
				13 अक्टूबर, 2022	अंतिम लाभांश (₹4.80)
2022-23	2,633.22	3,317.86	126.00	24 नवंबर, 2022	प्रथम अंतरिम लाभांश (₹5.00)
				28 फ़रवरी, 2023	द्वितीय अंतरिम लाभांश (₹3.25)
				5 अक्टूबर, 2023	अंतिम लाभांश (₹4.35)
2023-24	2,633.22	4,213.16	160.00	24 अगस्त, 2023	प्रथम अंतरिम लाभांश (₹3.00)
				30 नवंबर, 2023	द्वितीय अंतरिम लाभांश (₹3.50)
				16 अप्रैल, 2024	तृतीय अंतरिम लाभांश (₹4.50)
				18 सितंबर, 2024	अंतिम लाभांश (₹5.00)
2024-25	2,633.22	4,739.80	180.00	23 अगस्त, 2024	प्रथम अंतरिम लाभांश (₹3.50)
				22 नवंबर, 2024	द्वितीय अंतरिम लाभांश (₹4.00)
				6 मार्च, 2025	तृतीय अंतरिम लाभांश (₹4.30)
				16 अप्रैल, 2025	चतुर्थ अंतरिम लाभांश (₹3.60)
				24 सितंबर, 2025	अंतिम लाभांश (₹2.60)

(ग) अप्रदत्त/दावा न किए गए लाभांश के संबंध में इक्विटी शेयरों और अप्रदत्त/दावा न किए गए मूलधन/ब्याज के संबंध में डिबेंचर आदि और इक्विटी शेयरों और डिबेंचर के मूलधन और ब्याज को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया गया है।

आईईपीएफ में अंतरित राशि

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के अनुसरण में, ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में लाभांश राशि और मूलधन और ब्याज की राशि, जो सात वर्षों की अवधि के लिए प्रदत्त/अदावाकृत हैं, को केंद्रीय सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आईईपीएफ में अंतरण के लिए लाभांश की निम्नलिखित राशियां देय हो गईं, जिन्हें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जमा किया गया था:

विवरण	आईईपीएफ अंतरण की तिथि	राशि (रुपये में)
अंतिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2017-18	4 अप्रैल, 2025	68,86,248
अंतरिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2017-18	22 नवंबर, 2025	18,78,997
कुल		**87,65,245**

अधिनियम की धारा 125 तथा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा-परीक्षा, अंतरण एवं धनवापसी) नियम, 2016 {आईईपीएफ

नियम} के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार, सभी परिपक्व ऋणपत्रों तथा उन पर उपार्जित ब्याज, जो देय होने की तिथि से सात वर्ष की अवधि तक अनाकांक्षित एवं अप्रदत्त बने रहते हैं, को आईईपीएफ में अंतरण किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ऋणपत्रों पर अनाकांक्षित मूलधन/ब्याज के संबंध में निम्नलिखित राशि आईईपीएफ में अंतरित की गई :

विवरण	आईईपीएफ में अंतरण की तिथि	राशि रुपये में
मूलधन और ब्याज 54 ईसी बांड	22- अप्रैल- 2025	13,60,781
ब्याज इन्फ्रा बांड	22- अप्रैल- 2025	4,920
मूलधन और ब्याज 54 ईसी बांड	26 नवंबर, 2025	2,70,055
मूलधन और ब्याज 54 ईसी बांड	2 मार्च, 2026	8,87,227
मूलधन और ब्याज इन्फ्रा बांड	16 मार्च, 2026	23,25,003
मूलधन और ब्याज 54 ईसी बांड	25 मार्च, 2026	19,52,590
कुल		**68,00,576**

कंपनी समय-समय पर समाचार-पत्रों में सूचनाएँ प्रकाशित करती रही है, ताकि शेयरधारकों का ध्यान अप्रदत्त/अनाकांक्षित लाभांश के संबंध में अपने दावे प्रस्तुत करने की ओर आकृष्ट किया जा सके। सभी शेयरधारकों को पुनः सलाह दी जाती है कि वे लाभांश से संबंधित अपने वारंटों का तत्काल भुगतान प्राप्त कर लें अथवा पुराने वारंटों के स्थान पर उनके पुनर्वैधीकरण या मांग ड्राफ्ट जारी करवाने अथवा ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करने के लिए कंपनी के आरटीए को लिखें।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आईईपीएफ प्राधिकरण ने अपने दिनांक 16 जुलाई, 2025 के पत्र के माध्यम से कंपनियों से ऐसे शेयरधारकों तक पहुँच बनाने हेतु, जिनका लाभांश अप्रदत्त/अनाकांक्षित बना हुआ है, 100 दिवसीय अभियान "सक्षम निवेशक" प्रारंभ करने का अनुरोध किया था। इस पहल के अनुरूप, कंपनी ने शेयरधारकों को अप्रदत्त अथवा अनाकांक्षित लाभांश का दावा करने में सक्षम बनाने के लिए 28 जुलाई, 2025 से 6 नवंबर, 2025 तक 100 दिवसीय अभियान प्रारंभ किया।

100 दिवसीय अभियान "सक्षम निवेशक" का उद्देश्य शेयरधारकों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना था, ताकि वे अपने केवाईसी एवं अन्य विवरणों को अद्यतन कर सकें तथा आईईपीएफ में अंतरण से पूर्व किसी भी अप्रदत्त अथवा अनाकांक्षित लाभांश का दावा कर सकें।

आईईपीएफ में अंतरित इक्विटी शेयर

आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियम, 2016 {आईईपीएफ नियम} के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे सभी शेयरों, जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों के लिए लाभांश का दावा नहीं किया गया, को कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित करना अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, निम्नलिखित आईईपीएफ शेयर आईईपीएफ में अंतरण के लिए देय बन गए, जिन्हें निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार अंतरित कर दिया गया हैः

विवरण	आईईपीएफ अंतरण की तिथि	शेयर की संख्या
अंतिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2017-18	4- अप्रेल- 2025	16,033
अंतरिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2017-18	20 -नवंबर- 2025	14,008
कुल		**30,041**

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में आरईसी के 2,81,998 इक्विटी शेयर धारित थे।

उपर्युक्त लाभांशों तथा/अथवा शेयरों अथवा ऋणपत्रों के ब्याज और/अथवा मूलधन पर दावा रखने वाले सदस्य, पात्रता-पत्र जारी किए जाने के अनुरोध का उल्लेख करते हुए complianceofficer@recindia.com. पर ई-मेल भेज सकते हैं। पात्रता-पत्र में उन राशियों/लाभांश राशि तथा/अथवा शेयरों का विवरण होगा, जिन्हें सात वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर कंपनी द्वारा आईईपीएफ में अंतरित किया गया है।पात्रता-पत्र जारी होने के पश्चात, www.mca.gov.in. वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र संख्या आईईपीएफ-5 में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा तथा प्रपत्र की स्व-अभिप्रमाणित भौतिक प्रति, चालान, क्षतिपूर्ति बंध-पत्र तथा प्रपत्र संख्या आईईपीएफ-5 में उल्लिखित अन्य सभी अपेक्षित दस्तावेज "आईईपीएफ प्राधिकरण से धनवापसी हेतु दावा" अंकित लिफाफे में कंपनी सचिव को (शेयरों तथा/अथवा लाभांश के संबंध में) तथा कार्यकारी निदेशक (वित्त-संसाधन) को (ऋणपत्रों/बॉण्डों के ब्याज और/अथवा मूलधन के संबंध में) निगमित कार्यालय के पते पर भेजे जाएंगे।

सभी दृष्टियों से पूर्ण दावा प्रपत्रों का सत्यापन किया जाएगा तथा कंपनी की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा दावाकर्ताओं के आधार से संबद्ध बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से धनवापसी तथा डीमैट खाते में शेयर जमा करने की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आईईपीएफ प्राधिकरण को इस प्रकार अंतरित लाभांशों/शेयरों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

नोडल/उप-नोडल अधिकारी

आईईपीएफ नियमों के नियम 7(2क) के अनुपालन में, दिनांक 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को आईईपीएफ मामलों के संबंध में कंपनी के नोडल अधिकारी/ उप नोडल अधिकारी हैं:

विवरण	नाम और पदनाम
नोडल अधिकारी	श्री दिनेश गर्ग कंपनी सचिव
डिबेंचर/बॉण्ड के लिए उप नोडल अधिकारी	श्री एम. एल. कुमावत कार्यपालक निदेशक (वित्त) (27 अप्रैल, 2026 से प्रभावी) श्री अवनीश कुमार भारती महाप्रबंधक (वित्त)

कंपनी अपनी वार्षिक आम बैठक से 60 दिनों के भीतर, अपने शेयरधारकों/बॉण्डधारकों से संबंधित अनाकांक्षित/अप्रदत्त राशियों का विवरण, जिसमें नाम, पता, आईईपीएफ में अंतरित की जाने वाली राशि तथा आईईपीएफ में राशि के अंतरण की नियत तिथि जैसी सूचनाएँ सम्मिलित होंगी, अपनी वेबसाइट https://recindia.com/unpaid-dividend. पर अपलोड करेगी।इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा पूर्व में आईईपीएफ में अंतरित की जा चुकी राशियों एवं शेयरों का शेयरधारक-वार विवरण भी आरईसी की वेबसाइट https://recindia.com/iepf-details. पर उपलब्ध है।कंपनी द्वारा पूर्व में आईईपीएफ में अंतरित की जा चुकी राशियों एवं शेयरों का निवेशक-वार विवरण भी आरईसी की वेबसाइट https://recindia.com/iepf-details. पर उपलब्ध है।

iv. **इक्विटी शेयरों और ऋण प्रतिभूतियों का सूचियन (लिस्टिंग)**

आरईसी के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

विवरण	एनएसई	बीएसई
स्क्रिप कोड	आरईसीएलटीडी	532955
पता	**नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड** एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक जी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051	**बीएसई लिमिटेड** फ़िरोज़ जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट मुंबई -400001
दूरभाष	+91-22-2659 8100/8114	+91-22-2272 1233/34
ईमेल	cmlist@nse.co.in	corp.comm@bseindia.com
वेबसाइट	www.nseindia.com	www.bseindia.com

इसके अतिरिक्त, कंपनी की विभिन्न ऋण प्रतिभूतियां भी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, जिनका विवरण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक में दिया गया है।

v. **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन)**

आरईसी के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन INE020B01018 है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा जारी विभिन्न ऋण प्रतिभूतियों के आईएसआईएन का विवरण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में दिया गया है।.

vi. **रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट (आर एंड टीए) का संपर्क विवरण**

इक्विटी शेयर के लिए आरएंडटीए	
पता	**अलंकित असाइनमेंटस लिमिटेड** 205-208, अनारकली काम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन नई दिल्ली - 110055
टेलीफोन	+91-11-42541234
ई-मेल	rta@alankit.com
वेबसाइट	www.alankitassignments.com

विभिन्न ऋण प्रतिभूतियों के लिए आरएंडटीए		
पता	**केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड** सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31 और 32 गाचीबॉवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नानकरामगुडा हैदराबाद-500 032, भारत	**बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड** बीटल हाउस, तीसरा तल 99 मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, नई दिल्ली-110062
टेलीफोन	+91-1-800-309-4001	+91-11-2996 1281-83
ई-मेल	einward.ris@kfintech.com gopalakrishna.kvs@kfintech.com	recbonds3@gmail.com beetal@beetalfinancial.com
वेबसाइट	https://www.kfintech.com/	https://www.beetalfinancial.com/

vii. **शेयर अंतरण प्रणाली**

सेबी ने अपने 25 जनवरी, 2022 के परिपत्र के तहत सेवा अनुरोध यथा डुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करने; प्रतिभूति प्रमाणपत्र के नवीनीकरण/परिवर्तन; पृष्ठांकन; प्रतिभूति प्रमाणपत्र के उप-विभाजन/पृथक्करण; प्रतिभूति प्रमाणपत्रों/फोलियो के समेकन; स्थानांतरण और हस्तांतरण पर कार्रवाई करते समय केवल डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही प्रतिभूतियां जारी करने के लिए सूचीबद्ध कंपनियों को अधिदेश दिया है। इसके अलावा सेबी ने अपने 18 मई, 2022 के परिपत्र के तहत, प्रक्रिया को सरल बनाया है और प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए दस्तावेजों के प्रारूप मानकीकृत किए हैं। तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे एक विधिवत दाखिल और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-4 प्रस्तुत करके सेवा अनुरोध करें, जिसका फॉर्मेट कंपनी की वेबसाइट https://recindia.com/forms. पर और कंपनी के आरटीए अलंकित असाइनमेंट की वेबसाइट पर https://alankitassignments.com/investor-charter. उपलब्ध है। यह उल्लेखनीय है कि कोई भी सेवा अनुरोध, तभी आगे किया जा सकता है, जब फोलियो का केवाईसी पूरा हो।

इसके अलावा, सेबी के दिनांक 16 मार्च, 2023 के परिपत्र के अनुसार, कंपनी ने उन शेयरधारकों को सूचना भेजी है, जिनके पास फिजिकल रूप में शेयर हों ताकि पैन, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता और नामांकन का ब्यौरा प्रस्तुत/अद्यतन हो सके और उक्त सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को प्रसारित करने के लिए भी भेजी गई है।

viii. **शेयरधारिता का पैटर्न/शेयरधारिता का विभाजन**

(क) **स्वामित्व के आधार पर शेयरधारिता पैटर्न**

पिछले वर्ष अर्थात 31 मार्च, 2025 की स्थिति की तुलना में 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार कंपनी का श्रेणी-वार शेयरधारिता पैटर्न निम्नानुसार था:

विवरण	31 मार्च, 2026 के अनुसार		31 मार्च, 2025 के अनुसार	
	शेयर की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयर की संख्या	कुल शेयरों का %
प्रमोटर और प्रमोटर समूह	1,38,59,93,662	52.63	1,38,59,93,662	52.63
एफपीआई, एफपीसी और एफआईआई	41,56,65,859	15.79	53,92,73,627	20.48
निवासी व्यक्ति	32,85,75,032	12.48	26,17,12,630	9.94
म्यूचुअल फंड्स	23,74,22,238	9.02	23,29,29,477	8.85
बीमा कंपनी	15,06,33,301	5.72	11,78,46,570	4.48
कॉर्पोरेट निकाय	3,54,34,796	1.35	2,69,31,041	1.02
भारतीय वित्तीय संस्थान/ (क्यूआईबी)	4,17,94,653	1.59	2,59,26,865	0.99
एचयूएफ	1,42,63,130	0.54	1,09,48,616	0.41
अनिवासी भारतीय	1,22,21,672	0.46	97,75,783	0.37
एनआरआई-अप्रत्यावर्तनीय	64,47,478	0.25	47,85,082	0.18
समाशोधन सदस्य	19,46,467	0.07	22,74,626	0.09
न्यास	12,98,282	0.05	14,36,059	0.05
कर्मचारी	4,66,286	0.02	4,60,499	0.02
बैंक	47,028	नगण्य	22,64,068	0.09
अन्य (आईईपीएफ, एआईएफ)	9,63,693	0.03	1,06,02,071	0.40
एनबीएफसी	50,423	नगण्य	63,324	नगण्य
कुल	**2,63,32,24,000**	**100%**	**2,63,32,24,000**	**100%**

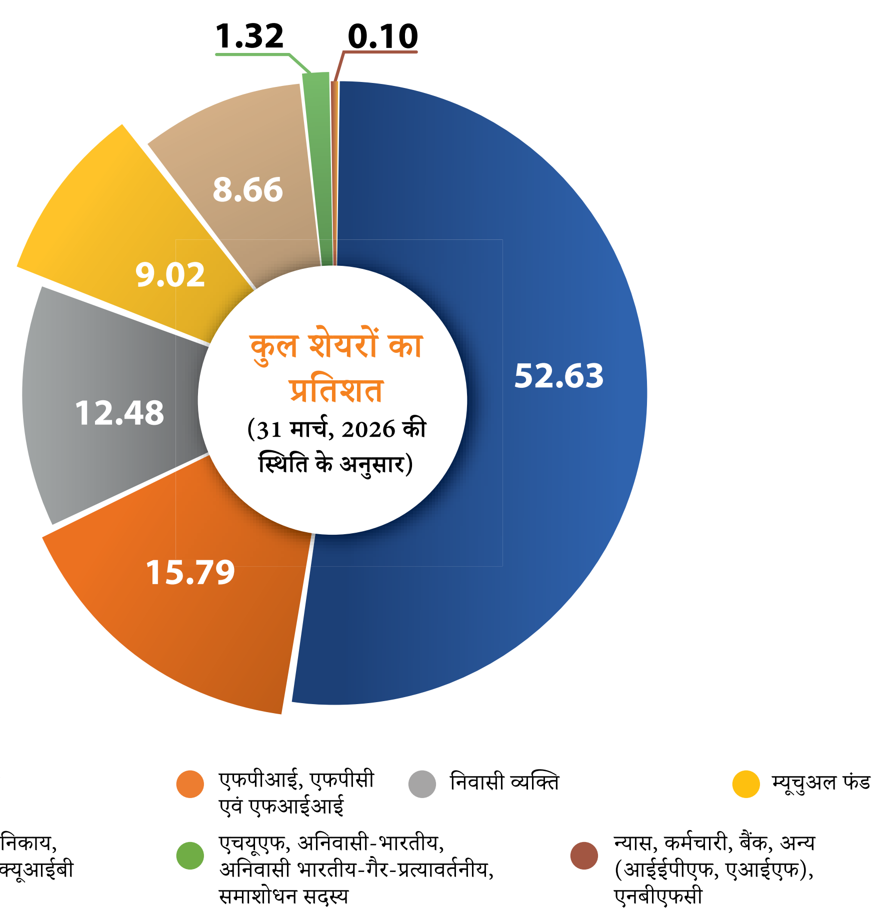

(ख) 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का वितरण

31 मार्च, 2026 को धारित शेयरों की संख्या के आधार पर शेयरधारिता का वितरण निम्नानुसार था:

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %
1-5,000	12,48,871	99.27	23,68,25,114	8.99
5,001 -10,000	4,889	0.39	3,47,65,341	1.32
10,001-20,000	2,167	0.17	3,04,86,248	1.16
20,001-30,000	608	0.05	1,50,61,777	0.57
30,001-40,000	292	0.02	1,02,15,277	0.39
40,001-50,000	176	0.01	80,35,454	0.31
50,001-1,00,000	410	0.03	2,93,47,167	1.11
100001 तथा उससे अधिक	695	0.06	2,26,84,87,622	86.15
कुल	**12,58,108**	**100.00**	**2,63,32,24,000**	**100.00**

टिप्पणी: शेयरधारकों के पास एक ही पैन के अंतर्गत कई डीमैट खाते हो सकते हैं जिसके कारण शेयरधारकों की कुल संख्या में अंतर हो सकता है। पैन के आधार पर समेकित शेयरधारकों की कुल संख्या 12,08,647 है।

ix. चलनिधि

कंपनी के शेयर अनिवार्य डीमैटरियलाइज्ड सेगमेंट में हैं और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों डिपॉजिटरी की प्रणाली के अंतर्गत ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं। डिपॉजिटरी के पत्राचार का विवरण निम्नानुसार हैं:

विवरण	एनएसडीएल	सीडीएसएल
पता	तीसरी मंज़िल, नमन चैंबर, प्लॉट C-32, G-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400 051	मैराथन फ्यूचरएक्स ए-विंग, 25वां तल एनएम जोशी मार्ग लोअर परेल मुंबई 400013
दूरभाष	+91-22- 4886 7000	+91-1-800-21-09911
ईमेल	relations@nsdl.com info@nsdl.com	helpdesk@cdslindia.com complaints@cdslindia.com
वेबसाइट	www.nsdl.co.in	www.cdslindia.com

दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, डीमैटीरियलाइज्ड और भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
एनएसडीएल (डीमैट)	3,61,345	2,43,94,58,019	92.64
सीडीएसएल (डीमैट)	8,87,730	19,37,48,995	7.36
भौतिक	9,033	16,986	नगण्य
कुल	**12,58,108**	**2,63,32,24,000**	**100.00**

टिप्पणी: शेयरधारकों के पास एक ही पैन के अंतर्गत कई डीमैट खाते हो सकते हैं जिसके कारण शेयरधारकों की कुल संख्या में अंतर हो सकता है। पैन के आधार पर समेकित शेयरधारकों की कुल संख्या12,08,647 है।

x. शेयरपूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का मिलान

सेबी (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 के विनियम 76 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रत्येक तिमाही के लिए, मैसर्स सविता ज्योति एसोसिएट्स, कार्यशील कंपनी सेक्रेटरी, सिकंदराबाद, ने कंपनी की एनएसडीएल और सीडीएसएल में कुल स्वीकृत, निर्गत और सूचीबद्ध शेयर पूंजी के समाधान के लिए लेखापरीक्षा करने के बाद, शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का मिलान किया था। रिपोर्टों में पुष्टि की गई कि कुल निर्गत/प्रदत्त शेयर पूंजी, भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या तथा एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के पास रखे गए डीमैटरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है। उक्त रिपोर्ट कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत की गई थी।

xi. डीमैट उचिन्त खाते का विवरण

सूचियन विनियमावली के विनियम 34(3) और अनुसूची V के भाग च की अपेक्षाओं के अनुसार, डीमैट उचिन्त खाते में कंपनी के इक्विटी शेयरों का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	मामलों की संख्या	शामिल शेयरों की संख्या
1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों और उचिन्त खाते में बकाया अदावाकृत शेयरों की संख्या।	32	6,644
वित्तीय वर्ष के दौरान उचिन्त खाते से अदावाकृत शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या।	शून्य	शून्य

विवरण	मामलों की संख्या	शामिल शेयरों की संख्या
वित्तीय वर्ष के दौरान उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें उचिन्त खाते से अदावाकृत शेयर अंतरित किए गए थे।	शून्य	शून्य
दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों और उचिन्त खाते में बकाया अदावाकृत शेयरों की कुल संख्या	32	6,644

नोट: 31 मार्च, 2026 तक सस्पेंस खाते में बकाया शेयरों पर मतदान अधिकार तब तक स्थगित रहेंगे जब तक कि ऐसे शेयरों के वास्तविक स्वामी उन पर दावा नहीं करते और उपरोक्त सभी मामले आईपीओ से संबंधित हैं और एफपीओ से संबंधित कोई दावा न किए गए शेयरों का मामला नहीं है।

xii. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तनीय तिथियां और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया गया है।

xiii. स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक सूचियन शुल्क

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को अपनी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के संबंध में वार्षिक सूचियन शुल्क का भुगतान कर दिया है।

xiv. डिपॉजिटिरीज़ को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया है।

xv. संयंत्रों की अवस्थिति

आरईसी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी) है जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसका कोई संयंत्र स्थान नहीं है।

तथापि, नई दिल्ली में पंजीकृत कार्यालय और गुरुग्राम, हरियाणा में कॉर्पोरेट कार्यालय के अलावा, कंपनी के देश भर में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय तथा राज्य कार्यालय और हैदराबाद में एक प्रशिक्षण संस्थान नामतः आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी) है, जिनका विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट के अंत में दिया गया है।

xvi. कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) L40101DL1969GOI005095 है।

xvii. विधिक निकाय पहचानकर्ता

कंपनी की विधिक निकाय पहचानकर्ता संख्या 335800B4YRYWAMIJZ374 है।

xviii. कॉर्पोरेट वेबसाइट

कंपनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट www.recindia.com. है ।

xix. पत्र व्यवहार हेतु पता

कंपनी के साथ पत्राचार के लिए पते और संपर्क विवरण निम्नानुसार हैं:

	पंजीकृत कार्यालय	पंजीकृत कार्यालय
पता	आरईसी लिमिटेड कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	आरईसी लिमिटेड प्लॉट नंबर आई-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा -122001
दूरभाष	+91-11-4309 1500 +91-11-4309 1501	+91-124-271 1000 +91-124-444 1300
ई-मेल	contactus@recindia.com	

xx. अनुपालन अधिकारी

कंपनी के अनुपालन अधिकारी और लोक प्रवक्ता का नाम और संपर्क विवरण निम्नानुसार हैं:

नाम	**श्री दिनेश गर्ग** कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
पता	**आरईसी लिमिटेड** प्लॉट नंबर आई-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा -122001
दूरभाष	+91-124-444 1300
ई-मेल	complianceofficer@recindia.com

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06817799

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 29 जुलाई, 2026

अनुलग्नक क

निदेशकों की अयोग्यता न होने संबंधी प्रमाण-पत्र

[सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) तथा अनुसूची-V, पैरा-सी, खंड 10(i) के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण,
आरईसी लिमिटेड
कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

हमने **आरईसी लिमिटेड (सीआईएन: L40101DL1969GOI005095)**, जिसका पंजीकृत कार्यालय **कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003** में स्थित है, द्वारा संधारित प्रासंगिक रजिस्टरों, अभिलेखों, प्रपत्रों, रिटर्नों तथा निदेशकों से प्राप्त प्रकटीकरणों का परीक्षण किया है। यह परीक्षण उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने के उद्देश्य से सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) सहपठित अनुसूची-V, पैरा-C, खंड 10(i) के अनुसार किया गया है।

हमारी राय में तथा हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार तथा आवश्यक समझे गए सत्यापनों (जिसमें www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति का सत्यापन भी सम्मिलित है), कंपनी एवं उसके अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों/अभ्यावेदनों तथा संबंधित निदेशकों से प्राप्त घोषणाओं के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा किसी अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से प्रतिबंधित अथवा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्रम सं	निदेशक का नाम	डीआईएन	नियुक्ति की तिथि	पदत्याग की तिथि
1	श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव	06817799	22 अप्रैल 2025	कार्यरत
2	श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष	02772316	3 अक्टूबर 2025	कार्यरत
3	श्री शशांक मिश्र	08364288	21 अगस्त 2023	कार्यरत
4	श्री मनोज शर्मा ^	06822395	11 जुलाई 2023	कार्यरत
5	डॉ. गंभीर सिंह ^^	02003319	17 अप्रैल 2025	कार्यरत
6	डॉ. (श्रीमती) दुर्गेश नंदिनी ^^	09398540	17 अप्रैल 2025	कार्यरत
7	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	08530587	21 मार्च 2025	22 अप्रैल 2025
8	श्री विजय कुमार सिंह	02772733	15 जुलाई 2022	1 जुलाई 2025
9	श्री हर्ष बवेजा	09769272	14 मई 2024	1 फरवरी 2026
10	श्री नारायणन तिरुपति	10063245	6 मार्च 2023	3 मार्च 2026

^ श्री मनोज शर्मा 1 अप्रैल 2026 से निदेशक नहीं रहे। ^ ^ डॉ. गंभीर सिंह एवं डॉ. (श्रीमती) दुर्गेश नंदिनी 17 अप्रैल 2026 से निदेशक नहीं रहे।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर उस पर एक राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोड : P2003DE049100
पीयर रिव्यू प्रमाण-पत्र सं. : 2725/2022

ह/-
सीएस सचिन अग्रवाल
भागीदार
एफसीएस सं. : 5774
सी.पी. सं. : 5910

दिनांक : 20 मई 2026
स्थान : नई दिल्ली
यूडीआईएन : F005774H000415700

अनुलग्नक ख

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचार और आचार संहिता के तहत घोषणा

बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के 'बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता' के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह/-
श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06817799

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 16 जून, 2026

अनुलग्नक ग

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि

क. हमने वर्ष के वित्तीय विवरणों तथा नकद प्रवाह विवरण का पुनरीक्षण किया है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:

1. इन विवरणों में कोई महत्वपूर्ण असत्य कथन नहीं है तथा इनमें किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा नहीं गया है और न ही इनमें कोई ऐसा कथन है जो भ्रामक हो सकता है।
2. ये विवरण समग्र रूप से कंपनी के कार्यकलापों की सत्य एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू विधियों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान सूचीबद्ध इकाई द्वारा ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध अथवा कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला हो।

ग. हम वित्तीय प्रतिवेदन हेतु आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है। यदि ऐसे नियंत्रणों की संरचना या संचालन में कोई कमी हमारे संज्ञान में आई है, तो उसे हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षण समिति के समक्ष प्रकट किया है तथा उन कमियों को दूर करने हेतु उठाए गए अथवा प्रस्तावित कदमों की जानकारी दी है।

घ. हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षण समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है:

1. वर्ष के दौरान वित्तीय प्रतिवेदन संबंधी आंतरिक नियंत्रणों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन।
2. लेखांकन नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा यह कि उनका प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है।
3. किसी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की घटना, जिसकी जानकारी हमें हुई हो, तथा उसमें प्रबंधन अथवा वित्तीय प्रतिवेदन संबंधी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो।

ह/-
(राजेश कुमार)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06941428
दिनांक: 18 अप्रैल, 2026

ह/-
(जितेन्द्र श्रीवास्तव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06817799

बोर्ड रिपोर्ट को अनुलग्नक-III

वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी प्रमाण-पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
आरईसी लिमिटेड
कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

हमने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु आरईसी लिमिटेड ("कंपनी") के सभी प्रासंगिक अभिलेखों का परीक्षण किया है ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि कंपनी ने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") तथा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों ("डीपीई दिशानिर्देश") का अनुपालन किया है। इस उद्देश्य हेतु हमने आवश्यक सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में एक आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड, स्पष्टीकरण और जानकारी की हमारी जांच के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान लिस्टिंग विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सभी शर्तों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित के अधीन है:

1. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17(1) तथा डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 का अनुपालन नहीं हो सका। इसमें 1 अप्रैल 2025 से 16 अप्रैल 2025 तक कंपनी के निदेशक मंडल में एक महिला स्वतंत्र निदेशक का अभाव भी सम्मिलित है।

2. 1 अप्रैल 2025 से 16 अप्रैल 2025 की अवधि के दौरान लेखा परीक्षण समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों का समावेश न होने के कारण सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 18 एवं 19 तथा डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.1 का अनुपालन नहीं हो सका।

अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोड : P2003DE049100
पीयर रिव्यू प्रमाण-पत्र सं. : 2725/2022

ह/-
सीएस सचिन अग्रवाल
भागीदार
एफसीएस सं.: 5774
सी.पी. सं.: 5910

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 मई 2026
यूडीआईएन : F005774H000415777

व्यवसाय उत्तरदायित्व और सततता रिपोर्टिंग

खंड क: सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध संस्था का विवरण

1.	सूचीबद्ध संस्था की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L40101DL1969GOI005095
2.	सूचीबद्ध संस्था का नाम	आरईसी लिमिटेड
3.	निगमन का वर्ष	1969
4.	पंजीकृत कार्यालय पता	कोर 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
5.	कॉर्पोरेट पता	आरईसी विश्व मुख्यालय, प्लॉट नं. I-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम-122001
6.	ईमेल	complianceofficer@recindia.com
7.	टेलीफ़ोन	+91-124-444 1300
8.	वेबसाइट	https://recindia.com/
9.	वह वित्त वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक
10.	स्टॉक एक्सचेंज का नाम, जहां शेयर सूचीबद्ध हैं	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एवं बीएसई लिमिटेड (बीएसई)
11.	संदत्त पूंजी	₹ 2,633.22 करोड़
12.	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है	श्री राजेश कुमार (डीआईएन: 06941428) निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ +91-124-4441319 df@recindia.com
13.	रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर (अर्थात केवल संस्था के लिए) किए गए हैं या समेकित आधार पर (अर्थात संस्था और सभी संस्थाओं के लिए, जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं, एक साथ लिए गए हैं)	इस रिपोर्ट में प्रकटीकरण समेकित आधार पर किए गए हैं
14.	आश्वासन प्रदाता का नाम	मैसर्स कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स
15.	प्राप्त आश्वासन का प्रकार	उचित आश्वासन

II. उत्पाद/सेवाएं

16. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (टर्नओवर का 90% हिस्सा):

क्रम संख्या	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	संस्था के टर्नओवर का %
1	वित्तीय और बीमा सेवा	वित्तीय और ऋण पट्टे गतिविधियाँ	99.93

17. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (संस्था के टर्नओवर का 90% हिस्सा):

क्रम संख्या	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर का % योगदान
1	अन्य वित्तीय सेवाएँ और गतिविधियाँ - अन्य ऋण प्रदान करना	641906	99.06

III. प्रचालन

18. उन अवस्थितियों की संख्या जहां संस्था के संयंत्र और/या प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं:

अवस्थिति	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	0	31	31*
अंतरराष्ट्रीय	0	0	0

** इसमें देश के विभिन्न भागों में 22 स्थानों पर हमारी सहायक कंपनी और आरईसी क्षेत्रीय कार्यालयों सहित आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय शामिल हैं, जिन्हें वार्षिक रिपोर्ट में अलग से सूचीबद्ध किया गया है और साथ ही भारत भर में 9 स्थानों पर हमारी सहायक कंपनी 'आरईसीपीडीसीएल' के कार्यालय भी शामिल हैं।*

19. **संस्था द्वारा सेवा बाजार:**

क. अवस्थितियों की संख्या

अवस्थिति	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	28
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	0

ख. संस्था के कुल टर्नओवर में निर्यात का योगदान प्रतिशत के रूप में क्या है?

लागू नहीं

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर संक्षिप्त जानकारी

भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में मान्यता प्राप्त आरईसी लिमिटेड, देश के बिजली क्षेत्र और व्यापक बुनियादी ढाँचे के विकास पहलों को आगे बढ़ाने में एक अभिन्न भूमिका निभाती है। बढ़ती ऊर्जा और बुनियादी ढाँचे की माँगों का समर्थन करने के लिए स्थापित, आरईसी ने विभिन्न हितधारकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए वित्तीय उत्पादों का एक व्यापक समूह विकसित किया है। इन पेशकशों में दीर्घकालिक, मध्यम अवधि और अल्पकालिक ऋण शामिल हैं जो विशेष रूप से पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ-साथ बिजली संचरण और वितरण के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को शामिल करते हुए, परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के वित्तपोषण के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

बिजली तक पहुँच बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप, आरईसी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं का सक्रिय रूप से समर्थन करता है, जो वंचित समुदायों में जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक अवसरों में सुधार के लिए आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी ई-मोबिलिटी बुनियादी ढाँचे के विकास के वित्तपोषण में अग्रणी है, जो स्थायी परिवहन समाधानों की ओर संक्रमण को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत में गतिशील और बढ़ते बुनियादी ढाँचे के परिदृश्य को समझते हुए, आरईसी ने रणनीतिक रूप से अपने पोर्टफोलियो को बिजली क्षेत्र से परे विविधीकृत किया है। इस विस्तार में विभिन्न महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं, जैसे हवाई अड्डे, मेट्रो रेल प्रणालियाँ, प्रमुख सड़कें और राजमार्ग, बंदरगाह और अन्य आवश्यक बुनियादी ढाँचा विकास, जो राष्ट्रीय आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी में योगदान करते हैं, के लिए वित्तपोषण शामिल है।

आरईसी द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले प्रमुख ग्राहक वर्गों में शामिल हैं:

i. **सरकारी संस्थाएँ:** इस वर्ग में राज्य सरकारें और केंद्र/राज्य विद्युत उपयोगिताएँ दोनों शामिल हैं, जो आरईसी की वित्तीय सहायता के प्राथमिक प्राप्तकर्ता हैं। ये संस्थाएँ विभिन्न बिजली और बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ चलाती हैं जो सार्वजनिक कल्याण और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

ii. **स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी):** आरईसी ऊर्जा परिदृश्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी के महत्व को पहचानता है। इस प्रकार, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक - विद्युत उत्पादन में लगी निजी कंपनियाँ - आरईसी के ग्राहक आधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो परियोजना आरंभ और निष्पादन को सक्षम बनाने वाले अनुकूलित वित्तपोषण समाधानों से लाभान्वित होते हैं।

iii. **निजी क्षेत्र के उधारकर्ता:** इस श्रेणी में बुनियादी ढाँचा और बिजली परियोजनाओं में भाग लेने वाले निजी उद्यमों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जो समग्र बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए विविध हितधारकों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए आरईसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संक्षेप में, आरईसी लिमिटेड भारत के बिजली और बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय

रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। ग्राहकों और परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को आवश्यक वित्तपोषण और सहायता प्रदान करके, यह आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और राष्ट्र को उसके स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है

IV. **कर्मचारी**

20. **कर्मचारी एवं कामगार (दिव्यांगों सहित):**

क. कर्मचारी एवं कामगार (दिव्यांगों सहित):

क्रम संख्या	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)
कर्मचारी						
1.	स्थायी (घ)	590*	503	85.25	87	14.75
2.	स्थायी को छोड़कर (ङ)	623	548	87.96	75	12.04
3.	कुल कर्मचारी (घ + ङ)	1,213	1,051	86.64	162	13.36
कामगार						
4.	स्थायी (च)	लागू नहीं				
5.	स्थायी के अलावा (छ)					
6.	कुल कामगार (च + छ)					

** प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत एक कर्मचारी को स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य की श्रेणी में शामिल किया गया है।*

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार:

क्रम संख्या	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)
अलग तरह से सक्षम कर्मचारी						
1.	स्थायी (घ)	14	13	92.86	1	7.14
2.	स्थायी को छोड़कर (ङ)	0	0	0	0	0
3.	कुल दिव्यांग कर्मचारी (घ + ङ)	14	13	92.86	1	7.14

क्रम संख्या	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)
दिव्यांग कामगार						
4.	स्थायी (च)	लागू नहीं				
5.	स्थायी को छोड़कर (छ)					
6.	कुल दिव्यांग कामगार (च + छ)					

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेश/प्रतिनिधित्व

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या एवं प्रतिशत	
		संख्या (ख)	% (ख / क)
निदेशक मंडल*	6	1	16.66
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	4	0	00.00

**निदेशक मंडल की संरचना वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाली कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिखाई देती है*

22. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के लिए टर्नओवर दर *(पिछले 3 वर्षों के रुझान का प्रकटीकरण)*

	वित्त वर्ष 2025-26			वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	3.42%	0%	2.92%	6.06%	6.21%	6.08%	6.35%	4.23%	6.03%
स्थायी कामगार	लागू नहीं								

नोट: वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कुल 17 कर्मचारी कंपनी से अलग हुए, जिनमें से 15 सेवानिवृत्ति के कारण और 2 अन्य कारणों से अलग हुए।

23. (क) धारक / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के नाम

क्रम संख्या	धारक / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	बताएं कि क्या यह धारक/ सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध संस्था द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम क में दर्शाई गई संस्था सूचीबद्ध संस्था की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेती है? (हां/नहीं)
1	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	धारक	*52.63 (पीएफसी के पास आरईसी में 52.63% शेयर हैं*	हाँ
2	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)	सहायक	100	हाँ
	आरईसीपीडीसीएल सहायक कंपनियां			
3	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
4	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
5	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
6	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
7	लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
8	शोंगटोंग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
9	तूतीकोरिन पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
10	कांकाणी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
11	मेखली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
12	शारावती पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
13	हम्पापुरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
14	रयाप्टे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
15	रॉबर्ट्सगंज पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
16	जलना पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
17	साकोली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
18	केम्पेगौड़ा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
19	बाड़मेर एच.डी.सी. पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं

क्रम संख्या	धारक / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	बताएं कि क्या यह धारक/ सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध संस्था द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम क में दर्शाई गई संस्था सूचीबद्ध संस्था की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेती है? (हां/नहीं)
20	डब्ल्यूआर ईआर पार्ट ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
21	डब्ल्यूआर ईआर पार्ट सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
22	बालसाने पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
23	अंबरनाथ पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
24	मुसलगांव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
25	धौलपुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
26	जैसलमेर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
27	आष्टा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
28	रानीपुर चुनार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
29	मुनक पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
30	विजाग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	100	नहीं

V. सीएसआर विवरण

24. (i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: (हां/नहीं): हां

(ii) टर्नओवर (₹ में) : 59,584 करोड़*

(iii) निवल संपत्ति (₹ में): 85,054 करोड़*

**आंकड़े समेकित आधार पर हैं*

VI. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

25. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/परिवाद:

हितधारक समूह, जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र लागू है। (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति का वेब लिंक प्रस्तुत करें)	वित्त वर्ष 2025-26			वित्त वर्ष 2024-25		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
समुदाय	हाँ https://recindia.nic.in/uploads/files/CO-ESG-Grievance-Redressal-Mechanism-Document-New-090426.pdf	80	0	31.03.2026 द्वारा सभी का निपटान किया गया	180	4	01.05.2025 तक, समाधान के लिए कोई शिकायत लंबित नहीं है।
निवेशक (शेयरधारकों को छोड़कर)	हाँ https://recindia.nic.in/uploads/files/CO-ESG-Grievance-Redressal-Mechanism-Document-New-090426.pdf	456	0		272	0	

हितधारक समूह, जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र लागू है। (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति का वेब लिंक प्रस्तुत करें)	वित्त वर्ष 2025-26			वित्त वर्ष 2024-25		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
शेयरधारक	हाँ https://recindia.nic.in/uploads/files/CO-ESG-Grievance-Redressal-Mechanism-Document-New-090426.pdf	14	0	इन शिकायतों के अलावा, कंपनी को इक्विटी शेयरधारकों से 1,053 अनुरोध/ स्पष्टीकरण/ प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनका समाधान/उत्तर वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान किया गया, सिवाय तीन अनुरोध/ स्पष्टीकरण/ प्रश्नों के, जिनका समाधान 31 मार्च, 2026 के बाद किया गया।	21	0	इन शिकायतों के अलावा, कंपनी को इक्विटी शेयरधारकों से1590 अनुरोध/ स्पष्टीकरण/ प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनका समाधान/उत्तर वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किया गया, सिवाय दो अनुरोधों/ स्पष्टीकरण/ प्रश्नों के जिनका समाधान 31 मार्च, 2025 के बाद किया गया।
कर्मचारी और कामगार	हाँ https://recindia.nic.in/uploads/files/CO-ESG-Grievance-Redressal-Mechanism-Document-New-090426.pdf	0	0		0	0	
ग्राहक	हाँ https://recindia.nic.in/uploads/files/CO-ESG-Grievance-Redressal-Mechanism-Document-New-090426.pdf	0	0		0	0	
आपूर्तिकर्ताओं	हाँ https://recindia.nic.in/uploads/files/CO-ESG-Grievance-Redressal-Mechanism-Document-New-090426.pdf	0	0		1	1	बोलीदाता द्वारा उठाई गई शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

26. संस्था के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण मुद्दों का अवलोकन:

कृपया पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और सततता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं, उन्हें पहचानने का तर्क, जोखिम को कम करने या अनुकूलित करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ इसके वित्तीय निहितार्थ।

क्रम संख्या	अभिचिह्नित महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि क्या यह जोखिम है या अवसर	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
1	जलवायु जोखिम प्रबंधन	जोखिम और अवसर	जलवायु परिवर्तन आरईसी को अपने ऋण पोर्टफोलियो में विविधता लाने, दीर्घावधि में परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार करने और हरित बांड और स्थिरता से जुड़े उपकरणों जैसे नए प्रकार की पूंजी का उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। आरईसी अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे जैसे हरित अमोनिया, कार्बन कैप्चर और स्मार्ट ग्रिड के वित्तपोषण के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति हो सकती है। यह कार्बन-गहन जोखिमों से जोखिम को कम करने और एक स्थिर, भविष्य-सुरक्षित ऋण पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक रणनीतिक खिड़की प्रदान करता है। हरित वित्तपोषण को आगे बढ़ाकर, आरईसी कम लागत वाली ईएसजी पूंजी तक पहुँच सकता है, नियामक आवश्यकताओं से आगे निकल सकता है और भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है - एक वैश्विक जोखिम को प्रतिस्पर्धी ताकत में परिवर्तित कर सकता है।	-	सकारात्मक: हरित वित्त को अपनाकर, आरईसी अपने ऋण पोर्टफोलियो में विविधता ला सकता है, कार्बन जोखिम को कम कर सकता है और कम लागत वाली ईएसजी पूंजी तक पहुँच प्राप्त कर सकता है। इससे आरईसी भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढाँचे को वित्तपोषित करने, नियामकीय माँगों को पूरा करने और भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम होगा, जिससे जलवायु जोखिम एक रणनीतिक लाभ में बदल जाएगा।
2	ऊर्जा एवं उत्सर्जन प्रबंधन	अवसर	भारत के महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्य, हरित और ऊर्जा-कुशल वित्तपोषण के लिए एक विशाल, विस्तारित बाज़ार का निर्माण करते हैं। ऊर्जा क्षेत्र के एक अग्रणी वित्तपोषक के रूप में, आरईसी इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए आदर्श स्थिति में है।	-	सकारात्मक: उच्च-मांग वाले हरित क्षेत्रों में पर्याप्त ऋण पुस्तिका वृद्धि को सक्षम करके और सस्ते, विशिष्ट हरित पूंजी बाजारों तक पहुँच के माध्यम से अपने वित्तपोषण में विविधता लाकर आरईसी की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाता है। यह लचीली परियोजनाओं को वित्तपोषित करके परिसंपत्ति गुणवत्ता में भी सुधार करता है, जिससे एनपीए में कमी आती है और दीर्घकालिक लाभप्रदता में वृद्धि होती है।
3	सामुदायिक विकास	अवसर	सामुदायिक सहभागिता और विकास कंपनी के प्रचालन के लिए सामाजिक लाइसेंस, प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक सततता को प्रभावित कर सकता है। स्थानीय समुदायों के साथ जुड़कर, आरईसी लिमिटेड' सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देता है, सामुदायिक चिंताओं को संबोधित करता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, परियोजना स्वीकृति में वृद्धि करता है और सामाजिक जोखिमों को कम करता है। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक विकास पहलों में निवेश सामाजिक सततता, प्रतिभा प्रतिधारण और समग्र व्यावसायिक सफलता में योगदान दे सकता है।	-	सकारात्मक: जोखिमों का प्रबंधन और परियोजना का सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करना। स्थानीय विकास में निवेश से संचालन के लिए सामाजिक लाइसेंस में वृद्धि, प्रतिभा प्रतिधारण में सहायता और ब्रांड प्रतिष्ठा में मजबूती, दीर्घकालिक मूल्य और सतत विकास को बढ़ावा मिलता है।

क्रम संख्या	अभिचिह्नित महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि क्या यह जोखिम है या अवसर	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
4	ग्राहक संतुष्टि	अवसर	ग्राहक संतुष्टि आरईसी की प्रतिष्ठा, बाज़ार स्थिति और लाभ का एक मूलभूत चालक है। प्रतिस्पर्धी और बदलते बुनियादी ढाँचे के वित्तीय परिवेश में, संस्थागत ग्राहकों को बनाए रखने और नए ग्राहकों को प्राप्त करने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और सेवा की गुणवत्ता आवश्यक है। ग्राहक संबंध निर्माण केवल सेवा वितरण का मामला नहीं है, बल्कि इसका सौदे की निरंतरता, पोर्टफोलियो स्थिरता और दीर्घकालिक ग्राहक विश्वास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अपने संचालन में ग्राहक-केंद्रित प्रथाओं को शामिल करके, आरईसी वफादारी को बढ़ावा देता है, परियोजना चक्रों में घर्षण को कम करता है और बिजली और बुनियादी ढाँचे के बाज़ारों में एक विश्वसनीय वित्तीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है।	-	सकारात्मक: ग्राहक संतुष्टि प्रतिक्रियाशीलता, पारदर्शिता और सेवा गुणवत्ता के माध्यम से, आरईसी ग्राहक प्रतिधारण को बढ़ाता है, अपनी बाज़ार प्रतिष्ठा को मज़बूत करता है और पोर्टफोलियो स्थिरता सुनिश्चित करता है। यह दृष्टिकोण दीर्घकालिक विश्वास को बढ़ावा देता है, परियोजना की रुकावट को कम करता है और निरंतर विकास को बढ़ावा देता है, आरईसी को बुनियादी ढाँचा वित्त क्षेत्र में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करता है।
5	विविधता और समावेशन	अवसर	विविधता और समावेशन न केवल कॉर्पोरेट मूल्य हैं, बल्कि रणनीतिक परिसंपत्तियाँ भी हैं जिनका संगठनात्मक प्रदर्शन और लचीलेपन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आरईसी के लिए, एक विविध कर्मचारी आधार का निर्माण विचारों, कौशल और अनुभवों की एक व्यापक श्रृंखला तक पहुँच सुनिश्चित करता है और इससे अधिक नवाचार और निर्णय लेने में मदद मिलती है। समावेशन प्रतिनिधित्व से आगे तक फैला हुआ है; यह सभी स्तरों पर कर्मचारियों को सशक्त, सम्मानित और संलग्न महसूस कराता है। इसके परिणामस्वरूप बेहतर सहयोग, उत्पादकता में वृद्धि और कम अपघटन होता है। चूँकि आरईसी एक तेज़ी से बदलते व्यावसायिक माहौल में काम कर रहा है, संस्कृति में विविधता और समावेशन को एकीकृत करना सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने, अनुकूली सोच को उत्प्रेरित करने और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बनाए रखने की कुंजी है।	-	सकारात्मक: आरईसी संस्कृति में विविधता और समावेशन को एकीकृत करने से एक व्यापक प्रतिभा पूल तक पहुँच खुलती है, जो नवाचार को बढ़ावा देती है और विविध दृष्टिकोणों के माध्यम से निर्णय - लेने की क्षमता को बढ़ाती है। यह कर्मचारियों की उच्चतर भागीदारी को बढ़ावा देता है, कर्मचारियों की संख्या में कमी को कम करता है और ब्रांड प्रतिष्ठा को मजबूत करता है, जिससे आरईसी एक अधिक आकर्षक और विश्वसनीय नियोक्ता बन जाता है। विविधता को प्राथमिकता देकर, आरईसी सहयोग में सुधार करता है और तेजी से बदलते व्यावसायिक परिवेश में अनुकूलनशीलता और लचीलापन सुनिश्चित करता है, जिससे अंततः एक निरंतर प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त होता है।

क्रम संख्या	अभिचिह्नित महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि क्या यह जोखिम है या अवसर	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
6	मानव पूंजी विकास	अवसर	मानव पूँजी आरईसी के दीर्घकालिक प्रदर्शन और संस्थागत लचीलेपन का एक प्रमुख चालक है। किसी फर्म की प्रतिभा को आकर्षित करने, बनाए रखने और निर्माण करने की क्षमता सीधे तौर पर परिचालन प्रभावशीलता, नवाचार और सेवा वितरण को प्रभावित करती है। एक उच्च प्रदर्शन करने वाला समर्पित कार्यबल अच्छी संस्कृति का एक संयोग नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों के कल्याण, क्षमता विकास और समावेशी नेतृत्व में रणनीतिक निवेश का एक अपेक्षित परिणाम है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सहायता पहल अनुपस्थिति और कर्मचारियों के स्थानांतरण को कम करती हैं और लक्षित प्रशिक्षण कर्मचारियों को बदलती उद्योग आवश्यकताओं के अनुरूप बदलाव करने में सक्षम बनाता है। कार्यबल विकास को व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ संरेखित करने से न केवल उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि आरईसी की मानव पूँजी सतत विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता का एक प्रमुख चालक बनी रहे।	-	सकारात्मक: आरईसी का मानव पूंजी में निवेश एक रणनीतिक कदम है जिससे तेज़ी से विकसित हो रहे उद्योग में प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिलती है। कौशल उन्नयन भविष्य के लिए तैयार कार्यबल सुनिश्चित करता है, जबकि कल्याणकारी पहल और समावेशी नेतृत्व उत्पादकता को बढ़ावा देते हैं और कर्मचारियों की संख्या में कमी लाते हैं। ये सिर्फ़ सकारात्मक परिणाम ही नहीं हैं, ये दीर्घकालिक प्रदर्शन और अनुकूलनशीलता को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।
7	सतत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन	अवसर	सतत खरीद, आरईसी लिमिटेड के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक उपकरण है जो पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों के प्रबंधन में सहायक है, जो इसकी मूल्य श्रृंखला में अंतर्निहित हैं। खरीद निर्णयों में ईएसजी कारकों को शामिल करके, आरईसी विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच जिम्मेदार मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है ताकि अनुपालन, प्रतिष्ठा और संचालन जोखिमों को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई और वंचित व्यावसायिक क्षेत्रों के पक्ष में अधिमान्य खरीद रणनीतियों को अपनाकर, आरईसी न केवल आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देता है, बल्कि व्यवहार्य स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाएँ भी स्थापित करता है। ऐसी रणनीति हितधारकों के विश्वास को मजबूत करती है, नियामक अनुपालन को सुगम बनाती है और दीर्घकालिक साझा मूल्य उत्पन्न करती है, जिससे आरईसी एक जिम्मेदार और दूरदर्शी संस्था बन जाती है।	-	सकारात्मक: आरईसी की सतत प्रक्रिया रणनीति पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों को कम करती है, नियामक संरेखण सुनिश्चित करती है और प्रतिष्ठा और परिचालन संबंधी कमज़ोरियों को कम करती है। ईएसजी मानदंडों को एकीकृत करके और एमएसएमई और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों से अधिमान्य सोर्सिंग का लाभ उठाकर, आरईसी आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को बढ़ाता है, समावेशी विकास को बढ़ावा देता है और दीर्घकालिक हितधारक मूल्य उत्पन्न करता है।

क्रम संख्या	अभिचिह्नित महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि क्या यह जोखिम है या अवसर	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
8	डिजिटल परिवर्तन और नवाचार	अवसर	डिजिटलीकरण आरईसी लिमिटेड के लिए दक्षता को बढ़ावा देने, सेवाओं की डिलीवरी को बेहतर बनाने और उभरते हुए बुनियादी ढाँचे के वित्त परिदृश्य में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने का एक प्रमुख चालक है। प्रौद्योगिकी को अपनाने से अधिक सुव्यवस्थित संचालन, त्वरित निर्णय लेने और अधिक व्यक्तिगत ग्राहक अनुभव संभव होता है। नवाचार उधारकर्ताओं की ज़रूरतों, विनियमन और बाज़ार में व्यवधान में बदलाव के प्रति आरईसी की लचीलापन को बढ़ाता है। यह नई वित्तपोषण योजनाएँ बनाने और जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाने की संभावना भी खोलता है। डिजिटल क्षमताओं में निवेश के माध्यम से, आरईसी न केवल परिचालन लचीलापन बढ़ाता है, बल्कि स्थायी वित्त के क्षेत्र में एक दूरदर्शी, आधुनिक संस्थान के रूप में अपनी स्थिति को भी मजबूत करता है।	-	सकारात्मक: आरईसी के लिए, डिजिटलीकरण कार्यों को सुव्यवस्थित करेगा, ग्राहक सेवा को बेहतर बनाएगा और लाभप्रदता को बढ़ावा देगा। स्वचालन और विश्लेषण के साथ, आईटी प्रणालियाँ ऋण उत्पत्ति, अंडरराइटिंग, संग्रह और ग्राहक ऑनबोर्डिंग में सुधार करेंगी, जिससे दक्षता बढ़ेगी और लागत कम होगी। इससे आरईसी की प्रतिस्पर्धी स्थिति मज़बूत होगी और अधिक सुचारू, अधिक प्रतिक्रियाशील सेवाएँ सुनिश्चित होंगी।
9	आर्थिक विकास	अवसर	आर्थिक विकास, बुनियादी ढाँचे की माँग को बढ़ाकर, विशेष रूप से बिजली क्षेत्र में, आरईसी के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। जैसे-जैसे भारत विकसित हो रहा है, ऊर्जा की बढ़ती खपत और औद्योगीकरण के कारण अधिक उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं की आवश्यकता बढ़ रही है, जिससे आरईसी के वित्तपोषण के अवसर सीधे तौर पर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा, सतत और समावेशी विकास पर सरकार का ध्यान स्मार्ट ग्रिड और ग्रामीण विद्युतीकरण की माँग को बढ़ाता है, जिससे राष्ट्रीय प्रगति के एक प्रमुख वित्तीय प्रवर्तक के रूप में आरईसी की भूमिका और मजबूत होती है।	-	सकारात्मक: यह अवसर सीधे तौर पर ऋण पुस्तिका में वृद्धि और मजबूत वित्तीय प्रदर्शन की ओर ले जाता है क्योंकि बढ़ती अर्थव्यवस्था में आरईसी की मुख्य वित्तीय सेवाओं की मांग बढ़ रही है।
10	सतत वित्त	अवसर	हरित ऋण और बांड जैसे सतत वित्त उपकरणों को प्रोत्साहित करना, आरईसी को पूंजी को जलवायु और विकास प्राथमिकताओं से जोड़ने का एक मज़बूत माध्यम प्रदान करता है। अपने ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के माध्यम से, आरईसी नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ परिवहन और प्रदूषण नियंत्रण जैसे उच्च-प्रभाव वाले क्षेत्रों के लिए वित्तपोषण को निर्देशित करता है, जिससे राष्ट्रीय जलवायु उद्देश्यों के साथ-साथ सतत बुनियादी ढाँचे के विकास को भी संभव बनाया जा सकता है। ये उपकरण न केवल आरईसी के पूंजी आधार का विस्तार करते हैं, बल्कि प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वैश्विक ईएसजी पूंजी तक पहुँच में भी सुधार करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थिरता से जुड़े वित्तीय उत्पादों का एक बड़ा पोर्टफोलियो होने से आरईसी को अनुपालन से आगे बढ़कर हरित बदलाव के वित्तपोषण में सक्रिय रूप से अग्रणी भूमिका निभाने में मदद मिलती है, जिससे पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्य के साथ-साथ मज़बूत वित्तीय रिटर्न भी मिलता है।	-	सकारात्मक: जलवायु और विकास लक्ष्यों के साथ बेहतर तालमेल, वैश्विक ईएसजी पूंजी तक व्यापक पहुँच और सतत बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण में अग्रणी भूमिका। हरित वित्त साधनों का लाभ उठाकर, आरईसी अपनी वित्तीय ताकत बढ़ाता है, राष्ट्रीय जलवायु पहलों का समर्थन करता है और सामाजिक प्रभाव और ठोस वित्तीय लाभ दोनों प्रदान करता है।

क्रम संख्या	अभिचिह्नित महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि क्या यह जोखिम है या अवसर	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
11	जिम्मेदार उधार	अवसर	ईएसजी विचारों को ऋण देने में शामिल करने से आरईसी लिमिटेड को जोखिम प्रबंधन और हितधारक संरेखण में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है। निवेशक, नियामक, समुदाय और साझेदार ऋणदाताओं से दीर्घकालिक पर्यावरणीय और सामाजिक विचारों को ध्यान में रखने की अपेक्षा करते हैं। ईएसजी द्वारा सूचित ऋण निर्णय आरईसी को नियामक परिवर्तन, पर्यावरणीय व्यय या स्थानीय प्रतिरोध जैसे जोखिमों की पहले ही पहचान करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे देरी, हानि और प्रतिष्ठा को नुकसान का जोखिम कम होता है। यह रणनीति न केवल पोर्टफोलियो की मजबूती को बढ़ाती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता उद्देश्यों के अनुरूप और प्रभाव-संचालित पूंजी को आकर्षित करते हुए एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार ऋणदाता के रूप में आरईसी की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाती है।	-	सकारात्मक: बेहतर जोखिम प्रबंधन, बेहतर पोर्टफोलियो लचीलापन और एक सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार ऋणदाता के रूप में मज़बूत प्रतिष्ठा। ऋण देने में ईएसजी विचारों को शामिल करके, आरईसी को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है, वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाता है और संभावित परियोजना विलंब, हानि और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों को कम करते हुए प्रभाव-संचालित पूँजी आकर्षित करता है।
12	ईएसजी शासन और बोर्ड निगरानी।	अवसर	निर्णय लेने के उच्चतम स्तर पर पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) सिद्धांतों के सतत कार्यान्वयन से, आरईसी नियामक परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाने, निवेशकों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने और दीर्घकालिक जोखिमों को बेहतर ढंग से संसाधित करने की अपनी क्षमता का अनुकूलन करता है।	-	सकारात्मक: बेहतर रणनीतिक दूरदर्शिता और मज़बूत दीर्घकालिक जोखिम प्रबंधन, निर्णय लेने की क्षमता। आरईसी निवेशकों की अपेक्षाओं के अनुरूप है और स्थायी और ज़िम्मेदार विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मज़बूत करता है।
13	ईएसएमएस (पर्यावरण और सामाजिकप्रबंधन प्रणाली) फोकस	अवसर	ईएसएमएस कंपनी को अपनी ऋण प्रक्रिया में स्थिरता को मुख्यधारा में लाने की अनुमति देता है ताकि आरईसी के साथ वित्तपोषित परियोजनाएँ राष्ट्रीय नियामक आवश्यकताओं और पर्यावरण एवं सामाजिक शासन में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को पूरा कर सकें। ईएसएमएस, समावेशी और सतत बुनियादी ढाँचे के विकास के वित्तपोषण और संवर्धन के प्रति आरईसी की ज़िम्मेदारी का संकेत है।	-	सकारात्मक: यह आरईसी को अपनी मुख्य ऋण प्रथाओं में स्थिरता को शामिल करने में सक्षम बनाता है, यह सुनिश्चित करता है कि वित्तपोषित परियोजनाएँ राष्ट्रीय नियमों और वैश्विक ईएसजी मानकों दोनों का अनुपालन करें। यह आरईसी की ज़िम्मेदारीपूर्ण वित्तपोषण के प्रति प्रतिबद्धता को मज़बूत करता है, परियोजना की विश्वसनीयता को बढ़ाता है और समावेशी, पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से सुदृढ़ बुनियादी ढाँचे के विकास का समर्थन करता है।

क्रम संख्या	अभिचिह्नित महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि क्या यह जोखिम है या अवसर	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
14	जलवायु परिवर्तन	जोखिम	जलवायु परिवर्तन भौतिक जोखिम (बाढ़, सूखा, चक्रवात), संक्रमण जोखिम (कार्बन कर, स्वच्छ ऊर्जा मानक) और ईएसजी अपेक्षाओं से जुड़े प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम उत्पन्न करता है। इनसे परियोजनाओं में रुकावट आ सकती है, ऋण जोखिम बढ़ सकता है और आरईसी की पूँजी तक पहुँचने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। आरईसी इसका समाधान परियोजना मूल्यांकन में जलवायु जोखिम को शामिल करके, नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप और हरित वित्तपोषण को बढ़ाकर कर रहा है।	आरईसी अपनी ईएसजी यात्रा और निजी उधारकर्ताओं की ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया में एकीकृत ई एंड एस मूल्यांकन को आगे बढ़ा रहा है। हम जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों पर आरबीआई के प्रारूप ढांचे के साथ प्रकटीकरण को संरेखित करने की प्रक्रिया में हैं। आरईसी भारत के ऊर्जा संक्रमण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए अपने स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो का विस्तार करने का लक्ष्य रखता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा ऋण पोर्टफोलियो में वर्ष-दर-वर्ष 30% की वृद्धि प्राप्त की है, जो हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। साथ ही, आरईसी ने ईएसजी-अनुपालक उधारकर्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करना आरंभ किया है।	नकारात्मक: जलवायु जोखिम के कारण परिसंपत्तियों के निष्प्रयोजन की संभावना।
15	परिचालन पर्यावरण दक्षता	जोखिम	भारत के बिजली क्षेत्र में एक प्रमुख वित्तपोषक के रूप में, आरईसी की वित्तीय स्थिति और प्रतिष्ठा उसके द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रदर्शन से जुड़ी है। वित्तपोषित परिसंपत्तियों में खराब पर्यावरणीय दक्षता से प्रतिष्ठा को नुकसान, बढ़ी हुई नियामक जाँच, संभावित अवरुद्ध परिसंपत्तियाँ और हरित वित्त तक सीमित पहुँच हो सकती है।	इसे कम करने के लिए, आरईसी ने अपने निवेशों और संचालनों का मार्गदर्शन करने वाली एक व्यापक ईएसजी नीति अपनाई है। यह नीति परियोजना मूल्यांकन में ईएसजी की उचित तत्परता को बढ़ाती है, नवीकरणीय और ऊर्जा-कुशल परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण को प्राथमिकता देती है और हरित वित्तीय उत्पादों का विकास करती है। यह आंतरिक क्षमता का निर्माण भी करती है और उधारकर्ताओं में पर्यावरण-कुशल प्रौद्योगिकियों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देती है, जिससे सतत विकास और राष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित होता है।	नकारात्मक: उल्लंघन के मामले में संभावित जुर्माना/दंड।

क्रम संख्या	अभिचिह्नित महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि क्या यह जोखिम है या अवसर	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
16	डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा	जोखिम	संवेदनशील वित्तीय और परियोजना-संबंधी जानकारी रखने वाले एक सार्वजनिक उपक्रम के रूप में, आरईसी लिमिटेड के लिए डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा के उल्लंघन की स्थिति में भारी जोखिम है। कोई भी साइबर हमला या डेटा उल्लंघन संचालन को बाधित कर सकता है, नियामक दंड का कारण बन सकता है और हितधारकों के विश्वास को कम कर सकता है। जैसे-जैसे अधिक से अधिक डिजिटलीकरण हो रहा है, खतरे का स्तर भी बढ़ रहा है, इसलिए कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना और नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी उपेक्षा करने से न केवल व्यवसाय की निरंतरता को खतरा होता है, बल्कि एक सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के रूप में आरईसी की विश्वसनीयता और जवाबदेही भी कम हो जाती है।	भारत सरकार की एक प्रमुख कंपनी होने के नाते, आरईसी लिमिटेड संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा और परिचालन लचीलापन बनाए रखने के लिए डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा को अत्यंत तत्परता से प्राथमिकता देती है। कंपनी ने अपनी सूचना संपत्तियों की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक मज़बूत सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) लागू की है, जो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा ढाँचों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है। अपने मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) के नेतृत्व में, आरईसी निरंतर प्रशिक्षणों, सूचनात्मक सत्रों, आंतरिक संदेशों, सोशल मीडिया अभियानों और यहाँ तक कि डेस्कटॉप वॉलपेपर के माध्यम से साइबर सुरक्षा जागरूकता की संस्कृति को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है। यह प्रतिबद्धता एक व्यापक डेटा गोपनीयता नीति द्वारा और भी पुष्ट होती है जो सभी हितधारकों के व्यक्तिगत और संवेदनशील डेटा की सख्ती से सुरक्षा करती है, नियमित सुरक्षा ऑडिट और उन्नत तकनीकों को अपनाने से पूरित होती है ताकि विकसित हो रहे साइबर खतरों को कम किया जा सके, जिससे विश्वास मजबूत होता है और इसके महत्वपूर्ण वित्तीय और परिचालन बुनियादी ढांचे की सुरक्षा होती है।	नकारात्मक: उल्लंघन के मामले में संभावित जुर्माना/दंड।

क्रम संख्या	अभिचिह्नित महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि क्या यह जोखिम है या अवसर	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
17	कॉर्पोरेट शासन और व्यावसायिक नैतिकता	जोखिम	आरईसी लिमिटेड के लिए, खराब कॉर्पोरेट शासन और नैतिक कदाचार न केवल प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम हैं - बल्कि ये प्रणालीगत जोखिम भी हैं जो रणनीतिक निर्णय लेने, निवेशकों के विश्वास और दीर्घकालिक मूल्य सृजन को प्रभावित कर सकते हैं। वर्तमान नियामकीय माहौल में, भ्रष्टाचार या गैर-अनुपालन का कोई भी मामला कानूनी प्रतिबंधों का कारण बन सकता है और हितधारकों के विश्वास को नुकसान पहुँचा सकता है। इसके अलावा, सभी स्तरों पर मज़बूत प्रशासन के बिना, कॉर्पोरेट व्यवहार और हितधारक अपेक्षाओं के बीच असंरेखण का खतरा बना रहता है। इस प्रकार, जवाबदेही और ईमानदारी की संस्कृति कोई विलासिता नहीं है, बल्कि आरईसी के सतत विकास के लिए एक आवश्यकता है।	आरईसी लिमिटेड का कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचा इसके संचालन की आधारशिला है, जो भारत सरकार की कंपनी होने के अपने दर्जे को दर्शाता है। कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों का, कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के साथ-साथ, कड़ाई से पालन करती है। इसके अलावा, आरईसी लिमिटेड का सतर्कता विभाग केंद्रीय सतर्कता आयोग के तहत स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, जो सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार सतर्कता गतिविधियों को सुनिश्चित करता है। पारदर्शी, जवाबदेह और नैतिक प्रथाओं के प्रति यह प्रतिबद्धता, जिसकी देखरेख सरकार द्वारा नामित निदेशकों वाले बोर्ड द्वारा की जाती है, सभी हितधारकों के बीच विश्वास का निर्माण करती है और एक सार्वजनिक संस्था के रूप में कंपनी की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करती है।	नकारात्मक: उल्लंघन के मामले में संभावित जुर्माना/दंड।
18	नियामक अनुपालन	जोखिम	आरईसी, एक सरकारी स्वामित्व वाला उद्यम होने के नाते, सख्त कानूनी और नियामकीय अनुपालन के अधीन है। संबंधित कानूनों, वित्तीय नियमों या उद्योग नियमों का पालन न करने पर कंपनी को दंड, मुकदमे और व्यावसायिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वित्तीय प्रभावों के अलावा, नियामकीय उल्लंघन आरईसी की एक विश्वसनीय और अनुपालन करने वाले संगठन के रूप में प्रतिष्ठा को काफी हद तक कम कर सकते हैं। एक मजबूत विनियमित पारिस्थितिकी तंत्र में, सख्त अनुपालन न केवल कानूनी रूप से आवश्यक है, बल्कि रणनीतिक रूप से भी अनिवार्य है - हितधारकों का विश्वास बनाए रखने, सुचारू संचालन सुनिश्चित करने और आरईसी के भविष्य के विकास और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण।	भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के रूप में, आरईसी का नियामक जोखिम के प्रति दृष्टिकोण अंतर्निहित रूप से इसके सार्वजनिक अधिदेश से जुड़ा हुआ है। यह एक अत्यधिक सतर्क अनुपालन प्रभाग रखता है। जो विद्युत मंत्रालय, आरबीआई और सेबी जैसी संस्थाओं के सभी सरकारी निर्देशों, नीतियों और वैधानिक परिवर्तनों की सक्रिय रूप से निगरानी करता है। यह न केवल मौजूदा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करता है, बल्कि नए मानदंडों के साथ त्वरित अनुकूलन भी सुनिश्चित करता है, जिससे राष्ट्रीय विद्युत क्षेत्र के विकास और वित्तीय स्थिरता में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की रक्षा होती है।	नकारात्मक: उल्लंघन के मामले में संभावित जुर्माना/दंड।

क्रम संख्या	अभिचिह्नित महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि क्या यह जोखिम है या अवसर	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
19	जोखिम प्रबंधन	जोखिम	जोखिम प्रबंधन में उन जोखिमों की पहचान, आकलन और उनका शमन शामिल है जो केवल विशिष्ट परियोजनाओं या निवेशों के बजाय पूरे संगठन या उद्योग को प्रभावित करते हैं। जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन करके, आरईसी वित्तीय स्थिरता, प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक व्यवहार्यता की रक्षा कर सकता है।	मज़बूत जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को लागू करने से अनिश्चितताओं का सामना करने में लचीलापन सुनिश्चित होता है, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है और हितधारकों का विश्वास बना रहता है। यह वित्तीय और आर्थिक तनाव से उत्पन्न होने वाले झटकों को सहने और उद्योग में कंपनियों की जटिलता और परस्पर संबद्धता से संबंधित सख्त नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने की आरईसी की क्षमता को भी दर्शाता है।	नकारात्मक प्रभाव

अनुभाग ख: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने के लिए स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में सहायता करना है।

प्रकटीकरण संबंधी प्रश्न	पी1	पी2	पी 3	पी4	पी 5	पी 6	पी7	पी8	पी 9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ									
1. क. क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मुख्य तत्वों को कवर करती हैं। (हां/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	कृपया रिपोर्ट के अनुलग्नक को देखें								
2. क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया है। (हां/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों पर भी लागू होती हैं? (हां/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4. आपकी संस्था द्वारा अपनाए गए और प्रत्येक सिद्धांत से मैप किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों के नाम।	-	-	-	-	-	-	-	-	आईएसओ 27001: 2022 आईएसओ 31000: 2018
5. संस्था द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, उद्देश्य और लक्ष्य, यदि कोई हो, परिभाषित समयसीमा के साथ।	एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आरईसी के प्रचालन और वित्तीय लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार के एमओयू दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित किए गए थे। समझौता ज्ञापन की रूपरेखा में 11 मापदंड हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए अधिकतम 100 आवंटित किए गए हैं। समझौता ज्ञापन के भाग के रूप में कई अनुपालनों को भी स्पष्ट किया गया है, जिनके गैर-अनुपालन के लिए नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। समझौता ज्ञापन ढांचे को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देश डीपीई वेबसाइट: https://dpe.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं। समझौता ज्ञापन दस्तावेज़ निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है https://recindia.com/mou								
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति संस्था का प्रदर्शन तथा इनके पूरा न होने की स्थिति में कारण।	आरईसी ने अपनी धारक कंपनी पीएफसी के साथ सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी एमओयू दिशा-निर्देशों में निर्धारित रूपरेखा के तहत एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। एमओयू में कंपनी के लिए प्रमुख प्रदर्शन मापदंडों को रेखांकित किया गया है, जिन्हें भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है और कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन एमओयू मापदंडों के आधार पर किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण आरईसी को डीपीई द्वारा "उत्कृष्ट" रेटिंग दी गई है और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यह मूल्यांकन के अध्यधीन है।								

शासन, नेतृत्व और निगरानी

7. **व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक का वक्तव्य, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है।**

आरईसी में, ईएसजी के प्रति प्रतिबद्धता कोई गौण पहल नहीं है; यह आरईसी को टिकाऊ वित्तपोषण में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में विकसित करने वाली मुख्य रणनीति है। एक महारत्न उद्यम के रूप में, आरईसी भारत के ऊर्जा संक्रमण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है। वित्त वर्ष 2025-26 में, आरईसी ने यह प्रदर्शित किया कि वित्तीय सुदृढ़ता और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व एक-दूसरे के पूरक हैं। आरईसी का दृष्टिकोण समग्र है—ऋण मूल्यांकन में ईएसजी को एकीकृत करना, आंतरिक संचालन को कार्बन-मुक्त करना, और हरित अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक मानव पूंजी में गहन निवेश करना। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आरईसी के ईएसजी प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

पर्यावरणः डीकार्बोनाइजेशन में तेजी लाना

आरईसी आक्रामक रूप से अपने परिचालन पदचिह्न और अपने ऋण पोर्टफोलियो की कार्बन तीव्रता दोनों को कम कर रहा है।

- *परिचालन उत्कृष्टता:* आरईसी ने अपने तीन क्षेत्रीय कार्यालयों (पंचकुला, लखनऊ और वडोदरा) में रूफटॉप सोलर की संयुक्त 54 किलोवाटपी स्थापित करके अपने सौर पदचिह्न का विस्तार किया - कॉर्पोरेट कार्यालय में अपने प्रमुख 979 किलोवाटपी रूफटॉप सोलर सुविधा और डीएचबीवीएनएल से कॉर्पोरेट मुख्यालय के लिए 100% हरित बिजली प्राप्त करके एक प्रमुख उपलब्धि हासिल की। इसके अलावा, इन हरित पहलों ने स्कोप 2 उत्सर्जन में 76% की कटौती की है और स्कोप 1 और 2 उत्सर्जन में 69% की कमी की है।
- *ग्रीन फ्लीट:* वित्त वर्ष 2025-26 में, आरईसी ने अपने सभी कार्यालयों में 100% ईवी/हाइब्रिड ऑफिस फ्लीट की उपलब्धि हासिल की।
- *परिवर्तन के लिए वित्तपोषणः:* आरईसी की नवीकरणीय ऋण पुस्तिका साल-दर-साल 30% बढ़कर ₹75,347 करोड़ हो गई है, जिससे वित्त वर्ष 2025-26 में कुल ऋण पुस्तिका में इसकी हिस्सेदारी 10% से बढ़कर 13% हो गई है। इसमें सौर, पवन, हाइब्रिड, ई-मोबिलिटी, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) और पंप स्टोरेज के लिए वित्तीय सहायता शामिल है।
- *वित्तीय प्रभाव:* वित्त वर्ष 2025-26 में, नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा वित्तपोषित संचालित परियोजनाओं से 12.2 मिलियन टन CO_2 उत्सर्जन की बचत हुई है, जिसमें पीसीएएफ पद्धति का उपयोग करके आरईसी के वित्तपोषण से सीधे तौर पर 7.6 मिलियन टन की बचत शामिल है।

सामाजिकः विकास और सुरक्षा में निवेश

आरईसी में सामाजिक प्रतिबद्धता भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण, डिजिटल विश्वास के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और समावेशी विकास पर केंद्रित है।

- *मानव पूंजी: आरईसी ने कर्मचारी प्रशिक्षण को बढ़ाकर 6,783 मानव-दिवस कर दिया है, जो कि 189% की एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आरईसी टीम सतत वित्त की जटिलताओं के लिए तैयार है।*
- *डिजिटल सत्यनिष्ठा: आरईसी ने हितधारक सुरक्षा और आई. एस. ओ. 31000 मानकों के प्रति प्रतिबद्धता को बनाए रखते हुए शून्य डेटा उल्लंघनों का रिकॉर्ड बनाए रखा।*
- *नैतिक मानक: आरईसी ने मानवाधिकारों या पीओएसएच के संबंध में शून्य शिकायतें बनाए रखीं, जिससे एक सुरक्षित और समावेशी पेशेवर वातावरण को बढ़ावा मिला।*
- *कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर): वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, आरईसी ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की ओर कुल ₹338 करोड़ का सीएसआर परिव्यय आवंटित किया। इस बजट का एक हिस्सा वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग किया गया, और शेष उपयोग न की गई राशि को कंपनी अधिनियम के नियमों का दृढ़ता से पालन करते हुए, निर्धारित परियोजनाओं के लिए एक एस्क्रो खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। यह पूंजी भारत भर के वंचित समुदायों का समर्थन करने के लिए स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण पहलों को आगे बढ़ाती है।*

शासनः नेतृत्व और जवाबदेही

पारदर्शिता और सक्रिय बोर्ड निरीक्षण आरईसी की महारत्न स्थिति की नींव है।

- *बाजार नेतृत्व: अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों सहित सभी रेटिंग एजेंसियों में आरईसी के ईएसजी स्कोर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।*
- *बोर्ड स्तर की योग्यता: आरईसी ने जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण (एनजीआरबीसी) पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश पर निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के लिए 100% प्रशिक्षण हासिल किया।*
- *मूल्य श्रृंखला ईएसजी मूल्यांकन: वित्त वर्ष 2025-26 में, 100% निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं (ऋण स्वीकृति) का ईएसजी के लिए मूल्यांकन किया गया था। इसके अलावा, सभी ऑनबोर्डेड विक्रेताओं का ईएसजी अनुपालन के लिए मूल्यांकन किया गया है।*
- *ऐतिहासिक उपलब्धियां: आरईसी ने अपने उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचे के लिए वैश्विक आईएसओ 31000:2018 मान्यता प्राप्त करने वाली पहली भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीएफसी बनकर एक ऐतिहासिक मील का उपलब्धि हासिल की, साथ ही शीर्ष स्तर की डेटा गोपनीयता के लिए आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन में अपग्रेड किया।*
- *ईएसजी प्रोत्साहन: अप्रैल 2026 से, आरईसी ने ईएसजी-अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा उधारकर्ताओं को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया है।*
- *क्षमता निर्माण: आरईसी ने आरईसीआईपीएमटी, आईआईटी और आईआईएम के माध्यम से क्षमता निर्माण के हिस्से के रूप में उधारकर्ताओं के लिए 18,155 प्रशिक्षण कार्य दिवस प्राप्त किए।*
- *ईएसजी उत्कृष्टता: वित्त वर्ष 2025-26 में, आरईसी को अपनी ईएसजी उत्कृष्टता और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं के लिए 4 प्रतिष्ठित ईएसजी पुरस्कार मिले।*

8. व्यवसाय उत्तरदायित्व नीति(यों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।	निदेशक मंडल
9. क्या संस्था में सततता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? यदि हाँ, तो विवरण प्रस्तुत करें।	हाँ। श्री राजेश कुमार (डीआईएन: 06941428) निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ +91-124-4441319 df@recindia.com

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:

समीक्षा का विषय	बताएं कि क्या निदेशक / बोर्ड की समिति / किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी									आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)								
	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
उपरोक्त नीतियों के अनुरूप निष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई	हां, बोर्ड की समिति द्वारा समीक्षा की गई थी									वार्षिक आधार पर								
सिद्धांतों से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन और किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार	हां, बोर्ड की समिति द्वारा समीक्षा की गई थी									वार्षिक आधार पर								

	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
11. क्या संस्था ने अपनी नीतियों के कामकाज का किसी बाहरी एजेंसी से स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन करवाया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।	निदेशक मंडल सभी नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है और वरिष्ठ प्रबंधन समय-समय पर इन प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है।								

नोट: प्रासंगिक स्पष्टीकरण/सूचना/लिंक इस रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित हैं

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है अर्थात सभी सिद्धांत नीतियों के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं, तो कारण बताएं:

प्रकटीकरण संबंधी प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
संस्था, सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती (हां/नहीं)	लागू नहीं								
संस्था, उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां तैयार करने और उन्हें लागू करने की स्थिति में हो (हां/नहीं)									
संस्था के पास कार्य के लिए वित्तीय या/और मानव एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)									
इसे अगले वित्त वर्ष में पूरा करने की योजना है (हां/नहीं)									
कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)									

खंड ग: सिद्धांतवार निष्पादन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को मुख्य प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ एकीकृत करने में उनके कार्य-निष्पादन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि आवश्यक संकेतकों का प्रकटीकरण ऐसी प्रत्येक संस्था द्वारा किया जाना अपेक्षित है जिसे यह रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया है, नेतृत्व संकेतकों का प्रकटीकरण, ऐसी संस्थाओं द्वारा स्वेच्छा से किया जा सकता है जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर पर प्रगति करने की आकांक्षा रखती हैं।

सिद्धांत 1 : व्यवसायों को सत्यनिष्ठा और नैतिक, पारदर्शी एवं जवाबदेह तरीके से अपना प्रचालन और शासन करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. वित्त वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवरेज का प्रतिशत:

खंड	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
निदेशक मंडल	5	1. उद्योग के ईएसजी विशेषज्ञ द्वारा निदेशक मंडल और केएमपी के लिए एनजीआरबीसी सत्र। 2. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बोर्ड सदस्यों के लिए आईटी और साइबर सुरक्षा। 3. आरईसी का व्यावसायिक संचालन। 4. अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) रूपरेखा 5. विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक आम बैठक	100

खंड	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	11	1 उद्योग के ईएसजी विशेषज्ञ द्वारा निदेशक मंडल और केएमपी के लिए एनजीआरबीसी सत्र 2. पर्यावरण, सामाजिक और शासन तथा दिवाला और दिवालियापन संहिता पर राष्ट्रीय सम्मेलन। 3. वित्तीय धोखाधड़ी - रोकथाम और धोखाधड़ी के बाद के उपाय 4. प्रभाव नेतृत्व उच्च प्रदर्शन टीम के लिए ब्लूप्रिंट 5. कॉर्पोरेट गवर्नेंस 6. नेताओं के लिए परिचालन उत्कृष्टता 7.साइबर सुरक्षा 8. खरीद प्रबंधन और वित्तीय प्रबंधन 9. आईएसओ 31000 - जोखिम प्रबंधन	100
निदेशक मंडल और केएमपी के अलावा कर्मचारी	150	आरईसी निरंतर सीखने और विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारी कौशल को बढ़ाने, एक जिम्मेदार व्यावसायिक संस्कृति को बढ़ावा देने और प्रमुख ईएसजी विचारों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इस उद्देश्य के साथ, पूरे वित्तीय वर्ष में संगठन के हर स्तर पर कर्मचारियों को संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए गए। कंपनी की प्रशिक्षण और विकास पहल विभिन्न विभागों की वर्तमान कार्यात्मक आवश्यकताओं के साथ-साथ भविष्य की अपेक्षाओं, संसाधन आवश्यकताओं और संगठन के सामने आने वाले उभरते अवसरों और चुनौतियों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान, कर्मचारियों ने विभिन्न विषयों को शामिल करते हुए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया, जैसा कि नीचे दिया गया है: **1. खरीद, अनुबंध और जीईएम से संबंधित प्रशिक्षण** सार्वजनिक खरीद प्रथाओं, अनुबंध प्रबंधन और जीएफआर/जीईएम के अनुपालन को मजबूत करने पर केंद्रित **2. वित्त, लेखांकन और बैंकिंग** एनबीएफसी संचालन में विनियामक अनुपालन, वित्तीय रिपोर्टिंग, कराधान और जोखिम को शामिल करना **3. नेतृत्व, व्यवहार और संगठनात्मक विकास** प्रबंधकीय प्रभावशीलता और नेतृत्व क्षमता का निर्माण करने के लिए डिज़ाइन किया गया **4. एचआर, प्रशासनिक और कानूनी अनुपालन** एचआर शासन, श्रम कानूनों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित **5. सतर्कता, नैतिकता और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन** अखंडता और मजबूत जोखिम ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से- निवारक सतर्कता और नैतिकता, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन और जांच, रिपोर्टिंग, आरबीआई धोखाधड़ी रिपोर्टिंग, भ्रष्टाचार विरोधी और शासन **6. ईएसजी, स्थिरता और ऊर्जा संक्रमण** आरईसी के मुख्य क्षेत्र और वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों-ईएसजी, बीआरएसआर, स्थिरता रिपोर्टिंग, जलवायु परिवर्तन, कार्बन बाजार, नेट-शून्य मार्ग, ऊर्जा दक्षता, हरित प्रौद्योगिकियां, ऊर्जा नीति, बिजली बाजार संचालन, जलविद्युत, पंप भंडारण, वितरण उपयोगिताओं के साथ संरेखित **7. आईटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और साइबर सुरक्षा** डिजिटल क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित— साइबर सुरक्षा, साइबर स्वच्छता, डेटा सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ईआरपी, व्यवसाय हेतु एआई टूल, डिजिटल कार्यस्थल, डेटा एनालिटिक्स,एडवांस्ड एक्सेल **8. कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रणनीतिक प्रबंधन** वरिष्ठ प्रबंधन और शासन ढांचे को लक्षित करना - कॉर्पोरेट गवर्नेंस कार्यक्रम, बोर्ड-स्तरीय उत्तराधिकार योजना, जोखिम रणनीति और संगठनात्मक लचीलापन, संबंधित पक्ष लेनदेन और नियामक प्रथाएं	100

खंड	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
		9. क्षेत्र-विशिष्ट एवं तकनीकी कार्यक्रम (विद्युत/ऊर्जा) आरईसी के मुख्य व्यवसाय क्षेत्र के अनुरूप— बिजली बाजार अर्थशास्त्र एवं परिचालन, एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई), भूमिगत केबल कार्यशालाएं, ऊर्जा संक्रमण तथा क्षेत्र नीति चर्चाएं **10. कर्मचारी कल्याण और व्यक्तिगत विकास** कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान - जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों का प्रबंधन और स्वास्थ्य कार्यक्रम, काम और निजी जीवन में संतुलन, वेलनेस, व्यक्तिगत प्रभावशीलता और संचार कौशल। इसके अलावा, सभी कर्मचारियों ने कार्य नैतिकता, आचार संहिता, ईएसजी जागरूकता, निवारक सतर्कता और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर अनिवार्य और विकासात्मक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पोर्टल पर सक्रिय भागीदारी के माध्यम से, निगम ने 4,000 से अधिक प्रशिक्षण मानव-दिवस हासिल किए, जिससे पूरे संगठन में निरंतर सीखने और आत्म-विकास की संस्कृति को काफी मजबूती मिली।	
कामगार	लागू नहीं		

2. **वित्त वर्ष में विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं के साथ कार्यवाही (संस्था द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में संदत्त जुर्माने/अर्थदंड/दंड/एवार्ड/शमन शुल्क निपटान राशि का निम्नलिखित प्रारूप में विवरण (नोट: संस्था सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण बाध्यताएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और संस्था की वेबसाइट पर उल्लिखित महत्व के आधार पर प्रकटीकरण करेगी):**

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/ प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायिक संस्थान का नाम	राशि (₹ में)	मामले का सार	क्या कोई अपील की गई है? (हां/नहीं)
अर्थदंड/जुर्माना*	कोई नहीं	कोई नहीं*	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
समझौता	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
शमन शुल्क	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

गैर-मौद्रिक				
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/ प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायिक संस्थान का नाम	मामले का सार	क्या कोई अपील की गई है? (हां/नहीं)
कारावास	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
दंड	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

**टिप्पणी: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण सूचीयन विनियमों के तहत निर्धारित बोर्ड तथा विभिन्न बोर्ड-स्तरीय समितियों के गठन के संबंध में गैर-अनुपालन के लिए एनएससी एवं बीएससी द्वारा ₹ 44,67,480 का जुर्माना लगाया गया है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति में निहित है। चूँकि निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए कंपनी नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् विद्युत मंत्रालय से बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति हेतु निरंतर अनुरोध करती रही है।*

3. **उपरोक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए मामलों में, उन मामलों में प्रस्तुत अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई के लिए अपील की गई है:**

मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थान का नाम
कोई नहीं	कोई नहीं

4. **क्या संस्था में भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें और नीति का वेब-लिंक, यदि उपलब्ध हो, प्रस्तुत करें:**

हाँ, आरईसी के पास रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक मुद्दों से निपटने के लिए नीतियाँ और दिशानिर्देश हैं। आरईसी के आचरण, अनुशासन और अपील (सीडीए) नियम सभी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता निर्धारित करते हैं, जो रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और अन्य कदाचार के कृत्यों को सिद्ध होने पर आपराधिक अपराध मानते हैं। कंपनी की एक धोखाधड़ी निवारण नीति भी है, जो धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के सभी कृत्यों की रोकथाम, पता लगाने और रिपोर्टिंग से संबंधित है। इसके अलावा, आरईसी भ्रष्टाचार-विरोधी और रिश्वत-विरोधी सीवीसी नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करता है, जिसमें पीआईडीपीआई संकल्प (जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों के संरक्षण पर भारत सरकार का संकल्प) शामिल है, जो भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप के प्रकटीकरण के लिए शिकायतों से संबंधित है, जिसमें सीवीसी एक नामित एजेंसी है)। उपरोक्त के अलावा, आरईसी ने एक व्हिसल ब्लोअर नीति भी अपनाई है। आरईसी के नीति दस्तावेज़ इस लिंक पर देखे जा सकते हैं: https://recindia.com/policies। इन नीति दस्तावेज़ों के लिंक निम्नलिखित हैं:

https://recindia.com/uploads/files/co-cs-Code-of-Business-Conduct-Policy-10032025.pdf

https://recindia.com/uploads/files/co-fin-coord-rec-fraud-prevention-policy-dt011223.pdf

https://recindia.com/uploads/files/Whistle_Blower_Policy.pdf

5. **ऐसे निदेशकगण/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी)/कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:**

	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
निदेशक	0	0
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	0	0
कर्मचारी	0	0
कामगार	लागू नहीं	लागू नहीं

6. **हितों के टकराव से संबंधित शिकायतों का विवरण:**

	वित्त वर्ष 2025-26		वित्त वर्ष 2024-25	
	संख्या	टिप्पणी	संख्या	टिप्पणी
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	-	0	-
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	-	0	-

7. **भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर जुर्माना/दंड/नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें।**

लागू नहीं

8. **निम्नलिखित प्रारूप में संदेय लेखाओं के दिनों की संख्या [(संदेय लेखा *365) / खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत]:**

	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
देय लेखाओं के दिनों की संख्या	39*	24

** पिछले वर्ष की तुलना में देय खातों की संख्या में वृद्धि मुख्यतः आरडीएसएस जैसे सरकारी कार्यक्रमों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में हमारी भूमिका से संबंधित दो कारकों के कारण है। पहला, विशेष रूप से स्मार्ट मीटरिंग के लिए, खरीद माला (हर) में लगभग 24% की उल्लेखनीय कमी आई। दूसरा, इन परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से भुगतान की प्रतीक्षा में देय खातों (अंश) में वृद्धि हुई। ये समय अंतर सरकारी योजनाओं में निहित हैं और किसी भी अक्षमता को नहीं दर्शाते हैं। हम कठोर वित्तीय प्रबंधन बनाए रखते हैं, धन प्राप्ति पर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करते हैं, जो हमारे मजबूत शासन और ईएसजी उद्देश्यों के अनुरूप है।*

9. **व्यापार का खुलापन**

व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षकारों के साथ खरीद और बिक्री की सघनता का विवरण, साथ ही संबंधित पक्षकारों के साथ ऋण और अग्रिम तथा निवेश का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

मापदंड	मेट्रिक्स	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
खरीद की सघनता	क. कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में व्यापारिक घरानों से खरीद	0%	0%
	ख. ऐसे व्यापारिक घरानों की संख्या, जहां से खरीदारी की जाती है	0%	0%
	ग. व्यापारिक घरानों से कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से खरीद	0%	0%
बिक्री की सघनता	क. कुल बिक्री के % के रूप में डीलर/वितरक को बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं
	ख. ऐसे डीलरों / वितरकों की संख्या, जिन्हें बिक्री की गई	लागू नहीं	लागू नहीं
	ग. डीलर/वितरक को कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 डीलर/वितरक को बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं
आरपीटी का हिस्सा	क. खरीद (संबंधी पक्षकारों से खरीद / कुल खरीद)	0%	0%
	ख. बिक्री (संबंधित पक्षकारों को बिक्री / कुल बिक्री)	लागू नहीं	लागू नहीं
	ग. ऋण और अग्रिम (संबंधित पक्षकारों को दिया गया ऋण एवं अग्रिम / कुल ऋण और अग्रिम)	0%*	0%*
	घ. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश/किए गए कुल निवेश)	0%	0%

** वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संबंधित पक्ष के साथ कुल ऋण और अग्रिम ₹63 लाख ये राशियाँ कंपनी की मानक नीति के तहत निदेशकों/केएमपी को प्रदान किए गए कर्मचारी अग्रिमों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। ये लेनदेन व्यवसाय या वाणिज्यिक प्रकृति के नहीं हैं।*

नेतृत्व संकेतक

1. वित्त वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार)
2	आरईसी ने सार्वजनिक खरीद में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की क्षमता और भागीदारी बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सक्रिय रूप से केंद्रित विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों के एक प्रमुख घटक में समर्पित ईएसजी सत्र शामिल थे। इन सत्रों का उद्देश्य विक्रेताओं को बीआरएसआर सिद्धांतों, आरईसी की स्थिरता खरीद नीति और अपने विक्रेता भागीदारों से आरईसी की विशिष्ट ईएसजी अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना था।	100
192	आरईसीआईएमपीटी के माध्यम से, आईआईटी, आईआईएम के माध्यम से, हमारे हितधारकों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 18155 मानव-दिवसों का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया था। यह आरईसी के सभी ग्राहकों को पेश किया गया है और वित्त वर्ष 2025-26 में, अधिकांश राज्य/संयुक्त क्षेत्र के उधारकर्ताओं ने विद्युत सुरक्षा, बिजली उपयोगिताओं के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं, परिवर्तन प्रबंधन, ईएसजी, नेतृत्व और टीम निर्माण पर आरईसी-प्रायोजित प्रशिक्षण पर प्रशिक्षण लिया है।	85*

**31 मार्च 2026 तक राज्य/संयुक्त क्षेत्र के उधारकर्ताओं के ऋण बुक अनुपात के आधार पर अनुमानित, क्योंकि केवल इन उधारकर्ताओं ने ही आरईसी-प्रायोजित प्रशिक्षणों का लाभ उठाया था।*

2. क्या संस्था में बोर्ड के सदस्यों से संबंधित हितों के टकराव से बचने/प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।

हाँ,बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आरईसी व्यावसायिक आचार संहिता और आचार संहिता, हितों के टकराव के प्रबंधन की प्रक्रिया को संबोधित करती है। आचार संहिता के अनुसार, बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

- ऐसे मामलों में निर्णय लेने में भाग नहीं लेना चाहिए जहाँ हितों का टकराव मौजूद हो या उत्पन्न हो सकता हो।
- बोर्ड के समक्ष ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय और वाणिज्यिक लेन-देन का खुलासा न करें जिसमें उनका व्यक्तिगत हित हो और जो कंपनी के हितों के साथ संभावित रूप से टकराव कर सकता हो।
- बोर्ड के समक्ष ऐसे मामलों पर चर्चा, मतदान या अन्यथा निर्णयों को प्रभावित करने से बचें जिनमें हितों का टकराव या संभावित टकराव शामिल हो।
- बिना पूर्व अनुमोदन के ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से बचें—जैसे परामर्श सेवाएँ प्रदान करना, व्यवसाय चलाना, या रोज़गार स्वीकार

करना—जो कंपनी के प्रति उनके कर्तव्यों या ज़िम्मेदारियों में हस्तक्षेप कर सकती हो। उन्हें किसी भी प्रकार के निवेश या किसी भी प्रकार के सहयोग से भी बचना चाहिए। कोड https://recindia.com/uploads/files/co-cs-Code-of-Business-Conduct-Policy-10032025.pdf पर उपलब्ध है

सिद्धांत 2 - व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं को ऐसे तरीके से उपलब्ध कराना चाहिए जो सतत और सुरक्षित हो।

आवश्यक संकेतक

1. संस्था द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और कैपेक्स निवेश में क्रमशः उत्पादों और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास तथा पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत।

	राशि	प्रतिशत	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
अनुसंधान एवं विकास	0	0	लागू नहीं
कैपेक्स	0	0	

2. क. क्या संस्था में सतत सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं)

हाँ, आरईसी एक मजबूत और व्यापक सतत खरीद नीति के लिए प्रतिबद्ध है जो हमारे मूल मूल्यों के साथ सहजता से संरेखित हो। यह नीति न केवल आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और पर्यावरणीय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय मानकों को बनाए रखने के हमारे समर्पण को रेखांकित करती है, बल्कि हमारी खरीद प्रक्रियाओं से जुड़े संभावित जोखिमों को पहचानने और उनका समाधान करने के महत्व पर भी ज़ोर देती है।

पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) जागरूकता बढ़ाने के हमारे प्रयासों में, हम अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हैं,उन्हें सतत प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम सहयोग की शक्ति में विश्वास करते हैं और अपने आपूर्तिकर्ताओं को कौशल संवर्धन और सतत तरीकों को अपनाने पर केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से समर्थन देने का लक्ष्य रखते हैं। स्थायित्व के प्रति एक सतत प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए, हम अपने सभी आपूर्तिकर्ताओं से हमारी सतत खरीद नीतियों का पालन करने की अपेक्षा करते हैं। हम अपने आपूर्तिकर्ता आचार संहिता का भी पालन करने की अपेक्षा करते हैं, जो हमारे द्वारा बनाए गए नैतिक मानकों को रेखांकित करती है। आपूर्तिकर्ताओं को अनुरोध किए जाने पर आरईसी को प्रासंगिक ईएसजी डेटा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे हमारी आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।

हमारी वरिष्ठ प्रबंधन टीम इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और हमारी सतत खरीद नीति के कार्यान्वयन की निगरानी में सक्रिय रुचि लेती है। भागीदारी सुनिश्चित करती है कि स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता केवल एक बयान नहीं है,बल्कि हमारी परिचालन प्रथाओं में एकीकृत एक सक्रिय दृष्टिकोण है।

यह नीति https://recindia.com/uploads/files/CO-BDM-Sustainable-Procurement-policy-060624.pdf पर उपलब्ध है।

ख. यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट सतत रीति में प्राप्त किए गए?

100% इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए जाते हैं। सभी संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से ईएसजी अनिवार्य घोषणा ली जाती है।

3. **(क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-अपशिष्ट (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट के संबंध में अपने उत्पादों को पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और उपयोगी काल के अंत में निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुनःप्राप्त करने के लिए मौजूद प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

अपशिष्ट का प्रकार	तंत्र
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	हमारे व्यवसाय और परिचालन प्रक्रियाओं की प्रकृति के कारण, हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हम प्लास्टिक कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-कचरा), या अन्य प्रकार का कचरा बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं करते हैं। हमारे संचालन खतरनाक कचरे के उत्पादन को न्यूनतम रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जहाँ ई-कचरा और प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, वहाँ उसका प्रबंधन ज़िम्मेदारी से और पर्यावरणीय मानकों के अनुसार किया जाता है। स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए हम अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ साझेदारी करते हैं।
ई – अपशिष्ट	
खतरनाक अपशिष्ट	
अन्य अपशिष्ट	

4. **क्या संस्था की गतिविधियों पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लागू है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसे संबोधित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताएं।**

नहीं, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) आरईसी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि कंपनी पूरी तरह से एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में कार्य करती है। इसकी व्यावसायिक गतिविधियाँ वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने तक सीमित हैं और इसमें ईपीआर विनियमों के दायरे में आने वाली उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन, संचालन या वितरण शामिल नहीं है। इसलिए, आरईसी के संचालन के लिए ईपीआर-संबंधी प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक नहीं है।

नेतृत्व संकेतक

1. **क्या संस्था ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए उपयोगी-काल परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करें:**

एनआईसी कोड	उत्पाद/सेवा का नाम	अंशदत्त कुल टर्नओवर का %	वह सीमा जिसके लिए उपयोगी काल परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन आयोजित किया गया	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया (हां/नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित परिणाम, (हां/नहीं) यदि हां, तो वेब-लिंक प्रस्तुत करें।

लागू नहीं। आरईसी लिमिटेड अपने वित्तीय उत्पादों के लिए जीवन चक्र मूल्यांकन (एलसीए) उसी तरह नहीं करता है जैसे एक विनिर्माण कंपनी भौतिक उत्पादों के लिए करती है।

हालांकि, आरईसी अपनी परियोजना मूल्यांकन और वित्तपोषण प्रक्रियाओं में पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक (ईएसजी) पहलुओं को सक्रिय रूप से शामिल करता है। यह रणनीति एलसीए के समान ही उद्देश्य पूरा करती है, क्योंकि यह उन परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन और शमन करती है जिनका वित्तपोषण वे अपने पूरे जीवन चक्र में करते हैं।

2. **यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय सरोकार और/या जोखिम उत्पन्न होते हैं, जैसा कि उपयोगी-काल परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पाया गया है, तो उन्हें कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ उनका संक्षेप में वर्णन करें:**

उत्पाद / सेवा का नाम	जोखिम/सरोकार का विवरण	कृत कार्रवाई

आरईसी लिमिटेड ऐसी क्षमता में कार्य करती है जो स्वाभाविक रूप से विनिर्माण या भौतिक उत्पादन से जुड़े महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय जोखिमों से बचती है। एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में, कंपनी ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होती है जो सीधे तौर पर पारिस्थितिक क्षरण या सामाजिक क्षति में योगदान देती हों।

फिर भी, आरईसी पर्यावरणीय अखंडता को प्राथमिकता देने वाली जिम्मेदार वित्तपोषण प्रथाओं को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अपनी सम्पूर्ण परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान, कंपनी उन विद्युत परियोजनाओं से जुड़े पर्यावरणीय जोखिमों का व्यवस्थित मूल्यांकन करती है जिन्हें वह वित्तपोषित करने के लिए चुनती है। इस मूल्यांकन में सावधानीपूर्वक उचित परिश्रम शामिल है, जिसमें सभी प्रासंगिक पर्यावरणीय अनुपालन नियमों की व्यापक समीक्षा और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मंज़ूरियाँ शामिल हैं कि परियोजनाएँ स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप हों।

इन प्रथाओं के अलावा, आरईसी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी पहलों का सक्रिय रूप से समर्थन करती है। कंपनी ताप विद्युत संयंत्रों में उन्नत प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी), सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (एससीआर) और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स (ईएसपी) जैसी महत्वपूर्ण प्रणालियों की स्थापना के लिए वित्तपोषण शामिल है। ये प्रौद्योगिकियाँ हानिकारक उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से कम करने के लिए आवश्यक हैं, जिससे इन विद्युत संयंत्रों के आसपास के समुदायों के लिए वायु गुणवत्ता में सुधार और स्वस्थ वातावरण में योगदान मिलता है।

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में प्रयुक्त कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकृत या पुनःप्रयुक्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

इनपुट सामग्री	कुल सामग्री के लिए पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री	
	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
लागू नहीं होता। चूंकि प्रचालन की प्रकृति ऋण प्रदान करने पर केंद्रित है, इसलिए कोई प्रमुख इनपुट सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है, इसके अलावा, कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत नगण्य है।		

4. उत्पादों और पैकेजिंग के उपयोगी-काल के अंत में पुनःप्राप्त, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और सुरक्षित रूप से निपटान की गई मात्रा (मीट्रिक टन में):

	वित्त वर्ष 2025-26			वित्त वर्ष 2024-25		
	पुनः उपयोग	पुनर्चक्रण	सुरक्षित निपटान	पुनः उपयोग	पुनर्चक्रण	सुरक्षित निपटान
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	लागू नहीं, आरईसी किसी भी उत्पाद का निर्माण नहीं करता है; इसलिए, कोई उत्पाद या पैकेजिंग सामग्री पुनःप्राप्त नहीं की जाती है।					
ई-अपशिष्ट						
खतरनाक अपशिष्ट						
अन्य अपशिष्ट						

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनःप्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

उत्पाद श्रेणी	संबंधित श्रेणी में बेचे गए कुल उत्पादों के प्रतिशत के रूप में पुनःप्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री
लागू नहीं, आरईसी किसी भी उत्पाद का निर्माण नहीं करता है; इसलिए, कोई उत्पाद या पैकेजिंग सामग्री पुनः प्राप्त नहीं है।	

सिद्धांत 3 - व्यवसायों को अपनी मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान और संवर्धन करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. क. कर्मचारियों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण:

श्रेणी	इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएँ	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ङ)	% (ङ/क)	संख्या (च)	% (च/क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	503	503	100	503	100	लागू नहीं	लागू नहीं	503	100	503	100
महिला	87	87	100	87	100	87	100	लागू नहीं	लागू नहीं	87	100
कुल	**590**	**590**	**100**	**590**	**100**	**87**	**100**	**503**	**100**	**590**	**100**
स्थायी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य											
पुरुष	548	540	99	400	73	लागू नहीं	लागू नहीं	53	10	0	0
महिला	75	75	100	68	91	75	100	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0
कुल	**623**	**615**	**99**	**468**	**75**	**75**	**100**	**53**	**10**	**0**	**0**

ख. कामगारों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण:

श्रेणी	इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएँ	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ङ)	% (ङ/क)	संख्या (च)	% (च/क)
स्थायी कामगार											
पुरुष											
महिला	लागू नहीं										
कुल											

श्रेणी	इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएँ	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ङ)	% (ङ/क)	संख्या (च)	% (च/क)
स्थायी कामगारो को छोड़कर अन्य											
पुरुष	लागू नहीं										
महिला											
कुल											

ग. **निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और कामगारों (स्थायी और गैर-स्थायी सहित) के कल्याण हेतु उपायों पर व्यय का ब्यौरा:**

	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याणकारी उपायों पर व्यय	0.025	0.023

2. **सेवानिवृत्ति हितलाभों का विवरण**

हितलाभ	वित्त वर्ष 2025-26			वित्त वर्ष 2024-25		
	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कामगारों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा कर दी गई (हा/नहीं/लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कामगारों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा कर दी गई (हा/नहीं/लागू नहीं)
भविष्य निधि	100	लागू नहीं	हाँ	100	लागू नहीं	हाँ
उपदान	100	लागू नहीं	हाँ	100	लागू नहीं	हाँ
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य-एनपीएस/ पीआरएमएस आदि	100	लागू नहीं	हाँ	100	लागू नहीं	हाँ

नोट: उपरोक्त आंकड़े स्थायी कर्मचारियों से संबंधित हैं।

3. **कार्यस्थलों पर पहुंच:**

क्या संस्था के परिसर/कार्यालय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं

आरईसी लिमिटेड ने यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं कि उसके परिसर दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से सुलभ हों। सुविधाओं में व्हीलचेयर के लिए डिज़ाइन किए गए विशाल लिफ्ट, साथ ही ग्रैब बार और पर्याप्त गतिशीलता स्थान जैसी सुविधाओं से सुसज्जित सुलभ शौचालय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र नेविगेशन की सुविधा के लिए पूरे भवन में प्रमुख स्थानों पर ब्रेल साइनेज रणनीतिक रूप से लगाए गए हैं।

भौतिक पहुँच से परे, आरईसी की कॉर्पोरेट वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम (डब्लू3सी) द्वारा स्थापित वेब सामग्री पहुँच दिशानिर्देश (डब्लूसीएजी) 2.0, स्तर एए का पालन करके समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह समर्पण गारंटी देता है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति विभिन्न सहायक तकनीकों का उपयोग करके वेबसाइट के साथ प्रभावी ढंग से इंटरैक्ट कर सकते हैं, जिनमें जेएडब्लूएस, एनवीडीए, एसएएफए, सुपरनोवा और विंडो-आईज़ जैसे उन्नत स्क्रीन रीडर शामिल हैं। इस प्रकार के सॉफ़्टवेयर के साथ संगतता सुनिश्चित करके, आरईसी एक ऐसे डिजिटल वातावरण को बढ़ावा देता है जहाँ सभी उपयोगकर्ता आसानी और आत्मविश्वास के साथ अपने ऑनलाइन संसाधनों को नेविगेट करने में सक्षम होते हैं।

इसके बारे में अधिक जानकारी https://recindia.com/screen-reader-access.पर देखी जा सकती है।

4. **क्या संस्था में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो नीति का वेब-लिंक प्रस्तुत करें**

हाँ, कंपनी की एक समान अवसर नीति है।

यह नीति https://recindia.com/uploads/files/co-hr-equal-opportunity-policy-dt230424.pdf पर उपलब्ध है।

5. **पितृत्व अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर**

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कामगार	
	काम पर वापसी दर	प्रतिधारण दर	काम पर वापसी दर	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	100%	लागू नहीं	
महिला	100%	100%		
कुल	100%	100%		

6. **क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगारों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें**

	हां/नहीं (यदि हां, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें)
स्थायी कामगार	लागू नहीं
स्थायी कामगारों को छोड़कर अन्य	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारी	हां, आरईसी में कर्मचारियों की शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र है।
स्थायी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य	कर्मचारी, रिपोर्टिंग मैनेजर के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। रिपोर्टिंग मैनेजर 7 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान करने का प्रयास करेगा। यदि कर्मचारी निवारण से संतुष्ट नहीं है, तो वह 15 दिनों के भीतर संबंधित विभागाध्यक्ष को शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। विभागाध्यक्ष 7 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान करने का प्रयास करेंगे। यदि कर्मचारी अभी भी निर्णय से संतुष्ट नहीं है या निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो वह शिकायत निवारण समिति के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। समिति का निर्णय कर्मचारी को 45 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा। असाधारण मामलों में, व्यथित कर्मचारी, जो समिति के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं होता है, उसके पास शिकायत समिति से निर्णय प्राप्त होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर सीएमडी को अपील करने का विकल्प होगा। सीएमडी 30 दिनों के भीतर निर्णय लेंगे और उसे सूचित करेंगे। सभी प्राप्त शिकायतों पर नियमित अंतराल पर नज़र रखी जाती है और उनकी निगरानी की जाती है। भविष्य के रिकॉर्ड के लिए निर्णय संबंधी नोट भी बनाए रखे जाते हैं।

7. **सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता:**

हां, आरईसी ने अपने गैर-पर्यवेक्षी स्थायी कर्मचारियों के एक संघ और अपने अधिकारियों के एक संघ को मान्यता दी है। सदस्यता का विवरण नीचे दिया गया है:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2025-26*			वित्त वर्ष 2024-25*		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी / कामगार (क)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या, जो संघ(संघों) या यूनियन का हिस्सा हैं (ख)	% (ख/क)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी / कामगार (ग)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या, जो संघ(संघों) या यूनियन का हिस्सा हैं (घ)	% (घ/ग)
कुल स्थायी कर्मचारी						
पुरुष	503	503	100	490	490	100
महिला	87	87	100	83	83	100
कुल	590	590	100	573	573	100
कुल स्थायी कामगार						
पुरुष	लागू नहीं					
महिला						
कुल						

उपरोक्त डेटा स्थायी कर्मचारियों से संबंधित हैं।

8. **कर्मचारियों एवं कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:**

श्रेणी	वित्त वर्ष 2025-26					वित्त वर्ष 2024-25				
	कुल (क)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (घ)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)		संख्या (ङ)	% (ङ/घ)	संख्या (च)	% (च/घ)
कर्मचारी										
पुरुष	1,051	1,017	97	1,030	98	996	980	98	969	97
महिला	162	155	96	159	98	157	153	97	151	96
कुल	**1,213**	**1,172**	**97**	**1,189**	**99**	**1,153**	**1,133**	**98**	**1,120**	**97**
कामगार										
पुरुष	लागू नहीं									
महिला										
कुल										

9. कर्मचारियों और कामगारों के कार्य-निष्पादन और कैरियर विकास समीक्षा का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2025-26			वित्त वर्ष 2024-25		
	कुल (क)	संख्या (ख)	% (ख / क)	कुल (ग)	संख्या (घ)	% (घ / ग)
कर्मचारी						
पुरुष	503	503	100	490	490	100
महिला	87	87	100	83	83	100
कुल	**590**	**590**	**100**	**573**	**573**	**100**
कामगार						
पुरुष	लागू नहीं					
महिला						
कुल						

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो ऐसी प्रणाली का कवरेज:

हाँ, आरईसी लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के लिए एक मज़बूत व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है। हालाँकि एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में आरईसी के संचालन की प्रकृति आमतौर पर व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कोई बड़ा ख़तरा पैदा नहीं करती, फिर भी संगठन अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाता है।

कार्यस्थल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, आरईसी ने कई उपाय लागू किए हैं, जिनमें व्यापक निरीक्षण और आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरणों का सावधानीपूर्वक रखरखाव शामिल है। इसमें अग्निशामक यंत्रों की नियमित जाँच, यह सुनिश्चित करना कि अग्नि निकास मार्ग बिना किसी रुकावट के और सुलभ हों और यह सत्यापित करना शामिल है कि प्राथमिक चिकित्सा किट पूरी तरह से स्टॉक में हों और आसानी से उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त, विद्युत और अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन की पुष्टि के लिए कठोर नियमित निरीक्षण किए जाते हैं, और किसी भी पहचानी गई चिंता का तुरंत समाधान किया जाता है ताकि जोखिमों को कम किया जा सके।

अपने कर्मचारियों के बीच जागरूकता और तैयारी को बढ़ावा देने के लिए, आरईसी समय-समय पर आंतरिक संचार आयोजित करता है जो सुरक्षा प्रोटोकॉल पर ज़ोर देता है, साथ ही सूचनात्मक सुरक्षा प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करता है। इन प्रशिक्षण सत्रों में अग्नि सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्राथमिक चिकित्सा तकनीकों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारी आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तैयारियों को और बेहतर बनाने के लिए, कंपनी संभावित आपातकालीन परिदृश्यों का अनुकरण करते हुए मॉक निकासी अभ्यास भी आयोजित करती है।

कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए, आरईसी वार्षिक स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा शिविरों, तनाव प्रबंधन कार्यक्रमों की मेजबानी करता है, कर्मचारियों को स्वास्थ्य आकलन और स्वास्थ्य पेशेवरों तक पहुंच के अवसर प्रदान करता है। ये पहल संगठन के भीतर स्वास्थ्य की संस्कृति को बढ़ावा देने की व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा हैं।

इसके अलावा, आरईसी ने अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए एक व्यापक चिकित्सा नीति बनाई है। यह नीति चिकित्सा व्यय कवरेज प्रदान करती है और चिकित्सा अवकाश तक पहुँच की सुविधा प्रदान करती है, जिससे कंपनी की अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत होती है। कर्मचारी इस नीति के बारे में विस्तृत जानकारी अपने संदर्भ के लिए आसानी से उपलब्ध पा सकते हैं।

ख. कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने तथा संस्था द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन-सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं?

व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए यह प्रत्यक्षतः लागू नहीं होता है। हालाँकि, आरईसी कार्यस्थल का नियमित निरीक्षण कराता है। इसके अलावा, आरईसी ने विद्युत और अग्नि संबंधी खतरों को दूर करने के लिए एक सख्त प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें आपातकालीन प्रतिक्रिया गतिविधियों के लिए नियमित परीक्षण और प्रशिक्षण शामिल है। विद्युत और अग्नि संबंधी सुरक्षा मापदंडों का आकलन करने के लिए नियमित संपरीक्षा की जाती है, जिसमें आपातकालीन निकास और संबंधित उपकरणों की दैनिक जाँच शामिल है। हम तिमाही रूप से मॉक फायर ड्रिल और प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण भी आयोजित करते हैं।

ग. क्या आपकी संस्था में कामगारों के लिए कार्य-संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने तथा ऐसे जोखिमों से स्वयं को दूर रखने की प्रक्रिया है। (हां/नहीं)

हां। आरईसी में कार्य-संबंधी खतरों की रिपोर्ट करने की एक प्रक्रिया विद्यमान है।

घ. क्या संस्था के कर्मचारियों/कामगारों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हां/नहीं)।

हाँ, आरईसी लिमिटेड कर्मचारियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नियमित स्वास्थ्य जाँच, चिकित्सा शिविर और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के साथ सत्र आयोजित करता है। कंपनी हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर और जीवनशैली से जुड़ी अन्य बीमारियों सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं पर केंद्रित विभिन्न जागरूकता पहल करती है। इसके अतिरिक्त, सभी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया जाता है, जो उन्हें गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल और उनकी स्वास्थ्य सेवा संबंधी ज़रूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

11. **सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:**

सुरक्षा संबंधी घटना/संख्या	श्रेणी	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
प्रति दस लाख व्यक्ति कार्य घंटे पर नष्ट समय अभिघात आवर्ती दर (एलटीआईएफआर)	कार्मिक	शून्य	शून्य
	कर्मचारी	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल रिकॉर्ड योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कार्मिक	शून्य	शून्य
	कर्मचारी	लागू नहीं	लागू नहीं
मृतकों की संख्या	कार्मिक	शून्य	शून्य
	कर्मचारी	लागू नहीं	लागू नहीं
उच्च परिणाम वाली कार्य-संबंधी अभिघात या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कार्मिक	शून्य	शून्य
	कर्मचारी	लागू नहीं	लागू नहीं

12. **सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा उठाए गए उपायों का वर्णन करें:**

आरईसी अपने सभी कर्मचारियों और संविदाकारों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित कार्य परिवेश सुनिश्चित करने के महत्व को स्वीकार करता है। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय अपनाए हैं कि समय-समय पर विद्युत और अग्नि सुरक्षा मापदंडों की जाँच की जाए और समय पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ प्रदान करने के लिए, ऑनसाइट चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने के लिए चिकित्सकों की अंशकालिक सेवाएँ ली जाती हैं। हम विशेषज्ञ वक्ताओं के साथ सत्र आयोजित करते हैं और कर्मचारियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मनोरंजन और स्वस्थ जीवन शैली की सुविधा के लिए, परिसर में कर्मचारियों के लिए एक व्यायामशाला (जिम) उपलब्ध है। कर्मचारियों के लिए कंपनी द्वारा नियमित रूप से विभिन्न योग कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए जाते हैं।

13. **कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित के संबंध में की गई शिकायतों की संख्या:**

	वित्त वर्ष 2025-26			वित्त वर्ष 2024-25		
	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतें	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें	अभ्युक्ति	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतें	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें	अभ्युक्ति
काम करने की स्थिति	0	0	कोई शिकायत नहीं	0	0	कोई शिकायत नहीं
स्वास्थ्य और सुरक्षा	0	0	कोई शिकायत नहीं	0	0	कोई शिकायत नहीं

14. **वर्ष के लिए मूल्यांकन:**

	आपके ऐसे संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत, जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ	आरईसी कार्यस्थल के परिवेश को स्वस्थ, सुरक्षित और स्वच्छ रखने का प्रयास करता है, कर्मचारियों की गरिमा को बनाए रखता है। सभी कार्यालयों की आंतरिक संपरीक्षा के माध्यम से समय-समय पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपाय के विभिन्न पहलुओं तथा संबंधित कार्य परिस्थितियों के लिए आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है।
काम करने की स्थिति	

15. **सुरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और कार्य परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को संबोधित करने के लिए की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें:**

लागू नहीं होता। आरईसी अपने परिसर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय करता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आंतरिक मूल्यांकन से कोई महत्वपूर्ण जोखिम/चिंता उत्पन्न नहीं हुई है।

नेतृत्व संकेतक

1. **क्या संस्था (क) कर्मचारियों (हां/नहीं); (ख) कामगारों (हां/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है।**

(क) कर्मचारी-हां, कंपनी कर्मचारी और/या उसके परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के मामले में कर्मचारी द्वारा घोषित पुनर्वास पैकेज प्रदान करती है।

(ख) कामगार - लागू नहीं।

2. **संस्था द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का विवरण प्रस्तुत करें कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक बकाया राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है:**

एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में, आरईसी अपने उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण समझौतों में विशिष्ट नियम और शर्तें शामिल करती है। ये नियम और शर्तें आवश्यक दायित्वों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती हैं, जिनमें वैधानिक बकाया का समय पर भुगतान और आवश्यक वैधानिक मंजूरी प्राप्त करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ताओं को लागू वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार अन्य समान दायित्वों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। ऋण अवधि के दौरान अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, उधारकर्ताओं को अपने समझौते के विभिन्न चरणों में आरईसी को इन शर्तों के पालन का प्रमाण प्रदान करना होगा। यह व्यवस्थित दृष्टिकोण न केवल उधारकर्ताओं की ज़िम्मेदारियों को पुष्ट करता है, बल्कि नियामक मानकों और परिचालन अखंडता के प्रति आरईसी की प्रतिबद्धता के अनुरूप भी है।

3. **ऐसे कर्मचारियों/कामगारों की संख्या बताएं, जिन्हें गंभीर परिणाम वाली कार्य-संबंधी अभिघात/बीमारी/घातक(जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है) का सामना करना पड़ा है, जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है:**

	प्रभावित कर्मचारियों/कामगारों की कुल संख्या		उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिन्हें पुनर्वास प्रदान किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है	
	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
कार्मिक	0	0	0	0
कर्मचारी	लागू नहीं			

4. **क्या संस्था निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर समाप्ति के प्रबंधन के लिए परिवर्तन सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हां/नहीं)**

हाँ, आरईसी लिमिटेड एक सुदृढ़ और बहुआयामी ढाँचा प्रदान करता है जो अपने कर्मचारियों के करियर विकास और समग्र कल्याण को सक्रिय रूप से समर्थन प्रदान करता है, जब वे सेवानिवृत्ति के करीब पहुँचते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद के चरण में भी। एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के रूप में, आरईसी डीपीई द्वारा निर्धारित रोजगार दिशानिर्देशों का, विशेष रूप से सेवानिवृत्ति और रोजगार समाप्ति की प्रक्रियाओं के संबंध में, सावधानीपूर्वक पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हालांकि आरईसी के पास सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से "संक्रमण सहायता कार्यक्रम" नामक कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, संगठन कर्मचारी के पूरे करियर में निरंतर कौशल संवर्धन पर ज़ोर देता है। प्रत्येक वर्ष, कर्मचारी आंतरिक संसाधनों और बाहरी संस्थानों, दोनों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण अवसरों में भाग लेते हैं, जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उनके कौशल वर्तमान और प्रासंगिक बने रहें। व्यावसायिक विकास के प्रति यह निरंतर प्रतिबद्धता न केवल व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है, बल्कि उनकी सक्रिय सेवा के वर्षों के दौरान अनुकूलन क्षमता को भी बढ़ाती है।

कैरियर विकास के अलावा, आरईसी अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण को भी बहुत महत्व देता है। कंपनी उनके स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए महत्वपूर्ण सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों की एक श्रृंखला प्रदान करती है। इनमें व्यापक सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ और विभिन्न कल्याण कार्यक्रम शामिल हैं, जो सक्रिय रोजगार समाप्त होने के बाद भी अपने कार्यबल की देखभाल के लिए आरईसी के समर्पण को प्रदर्शित करते हैं।

5. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन के संबंध में विवरण:**

	ऐसे मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ	जनवरी 2025 से, आरईसी ने निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए अपनी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) आकलन को एकीकृत करना शुरू कर दिया है। यह रणनीतिक कदम यह सुनिश्चित करता है कि उधारकर्ताओं का आवश्यक ईएसजी मानदंडों के आधार पर कठोर मूल्यांकन किया जाए, जिससे आरईसी संभावित जोखिमों की प्रभावी पहचान कर सके और उनका समाधान कर सके, साथ ही इन आकलनों को अपने व्यापक स्थिरता उद्देश्यों के साथ संरेखित कर सके। उधारकर्ताओं के लिए इस महत्वपूर्ण विकास के अलावा, आरईसी ने अपने विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को शामिल करने के लिए अपने ईएसजी मूल्यांकन के दायरे का भी विस्तार किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, 100% निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं और ऑनबोर्ड किए गए विक्रेताओं का ईएसजी के लिए आकलन किया जाता है, जो अपने संचालन और साझेदारी में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आरईसी की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
काम करने की स्थिति	

6. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्य परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए या चल रहे किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें:**

लागू नहीं।

सिद्धांत 4 - व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें**

आरईसी लिमिटेड ने अपने विभिन्न हितधारकों की पहचान, उनके साथ सहभागिता और प्रबंधन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक विस्तृत और सुव्यवस्थित हितधारक सहभागिता नीति विकसित की है। यह नीति कई प्रमुख घटकों पर आधारित है:

हितधारकों की परिभाषा: आरईसी के संदर्भ में, हितधारकों में विविध प्रकार के व्यक्ति और समूह शामिल हैं जो कंपनी के संचालन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। इसमें न केवल वे लोग शामिल हैं जिनकी आरईसी की गतिविधियों में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी है, बल्कि वे भी शामिल हैं जिनका इसकी सफलता में निहित स्वार्थ है या इसके परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता है।

प्रमुख हितधारक समूह: आरईसी अपने चल रहे व्यावसायिक प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को स्वीकार करता है। इन समूहों को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: आंतरिक हितधारक, जिनमें मुख्य रूप से कर्मचारी शामिल हैं जो कंपनी की संस्कृति और उत्पादकता में योगदान करते हैं, और बाहरी हितधारक, जिनमें विभिन्न व्यावसायिक सहयोगी शामिल हैं। बाहरी हितधारकों में आपूर्तिकर्ता, विक्रेता, भागीदार और सेवा प्रदाता, साथ ही शेयरधारक और निवेशक शामिल हैं, जिनमें बांडधारक और ऋणदाता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता और बैंकिंग संस्थान, नियामक निकाय और सरकारी एजेंसियां - जैसे राज्य सरकारें, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), और विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज - भी मान्यता प्राप्त हैं। ग्राहकों और पड़ोसी समुदायों की आरईसी के हितधारक नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि कंपनी की गतिविधियाँ सीधे उन पर प्रभाव डालती हैं।

सतत हितधारक पहचान: हितधारकों की पहचान एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक सतत और विकसित होती प्रक्रिया है। आरईसी एक अनुकूली दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है जो इसे अपने हितधारकों की बदलती जरूरतों और अपेक्षाओं के प्रति सजग रहने में सक्षम बनाता है। यह सक्रिय रवैया सुनिश्चित करता है कि कंपनी उन लोगों के हितों के अनुरूप बनी रहे जिनकी वह सेवा करती है और जिनके साथ बातचीत करती है।

जुड़ाव और संबंध निर्माण: खुले संचार के महत्व को पहचानते हुए, आरईसी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ता है ताकि उनकी चिंताओं और अपेक्षाओं की गहरी समझ हासिल की जा सके। कंपनी इन मुद्दों के समाधान को प्राथमिकता देती है, जिससे संभावित जोखिमों को कम करने में मदद मिलती है। अपने हितधारकों के साथ मज़बूत, दीर्घकालिक संबंधों को बढ़ावा देकर, आरईसी का लक्ष्य एक ऐसा वातावरण विकसित करना है जो इसकी समग्र सफलता में योगदान दे।

हितधारकों की विविध आवश्यकताओं की निरंतर निगरानी और उन पर प्रतिक्रिया देने की अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से, आरईसी अपने व्यावसायिक संचालन को बढ़ाने, जोखिमों को कम करने और पारस्परिक रूप से लाभकारी एवं स्थायी साझेदारियाँ स्थापित करने की आकांक्षा रखता है। यह व्यापक दृष्टिकोण न केवल कंपनी की स्थिति को मज़बूत करता है, बल्कि उस व्यापक समुदाय और आर्थिक वातावरण का भी समर्थन करता है जिसमें यह संचालित होता है।

2. आपकी संस्था के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले हितधारक समूहों की सूची और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ सहभागिता की आवृत्ति

हितधारक समूह	क्या कमजोर एवं अधिकारहीन समूह के रूप में अभिचिह्नित है (हां/नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पर्चे, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	सहभागिता की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और चिंताओं सहित सहभागिता का उद्देश्य और दायरा
शेयरधारकगण	नहीं	ईमेल/एसएमएस/वेबसाइट/पत्र/टेलीफोन/समाचार पत्र/स्टॉक एक्सचेंज तंत्र आदि के माध्यम से सूचना का प्रसार	त्रैमासिक	आवश्यकतानुसार वित्तीय परिणामों का संप्रेषण, वित्तीय विवरणों का अंगीकरण और साधारण एवं विशेष व्यवसाय का संचालन। आवश्यकतानुसार शेयरधारकों के अनुरोधों और शिकायतों का समाधान करना।
बांडधारकगण	नहीं	ईमेल/वेबसाइट/स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से सूचना का प्रसार	त्रैमासिक	आवंटन, ब्याज सेवा, मोचन भुगतान, बांड प्रमाणपत्र/डीमैट क्रेडिट। समय-समय पर बांडधारकों के अनुरोधों/शिकायतों का समाधान करना।
कर्मचारीगण	नहीं	ईमेल/नोटिस बोर्ड/वेबसाइट	नियमित रूप से आवश्यकतानुसार	संगठन के भीतर प्रमुख विकासों के बारे में बताएं, कंपनी की परिचालन और वित्तीय दोनों मोर्चों पर प्रगति पर प्रकाश डालें। ईएसजी पहलुओं, एनजीआरबीसी सिद्धांतों, कर्मचारी कल्याण और विकास, साथ ही मानवाधिकारों, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर चर्चा करें।
समुदाय	हाँ	सर्वेक्षण/प्रभाव आकलन/सीएसआर गतिविधियां/व्यक्तिगत संविदा/परियोजना आधारित चर्चाएं	आवश्यकता आधारित	सामुदायिक विकास और कल्याण, सीएसआर परियोजनाएं
विक्रेतागण	नहीं	ईमेल/एसएमएस/बैठकें/पत्र/टेलीफोन	आवश्यकता आधारित	वस्तुओं और सेवाओं की खरीद निविदा प्रक्रिया और जेम पोर्टल प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है, साथ ही विक्रेताओं की शिकायतों का समाधान भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
ग्राहक	नहीं	ईमेल/एसएमएस/बैठकें/पत्र/टेलीफोन	दैनिक आधार पर (क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ कॉर्पोरेट कार्यालय)	ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण

हालांकि उल्लिखित अधिकांश हितधारक समूहों को आमतौर पर कमजोर या हाशिए पर वर्गीकृत नहीं किया जाता है, इन बड़े समूहों के भीतर विशिष्ट खंड हैं जो इन वर्गीकरणों में आते हैं। इसमें आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के व्यक्ति, निम्न आय वर्ग से संबंधित लोग, साथ ही महिलाएं, बच्चे और विकलांग लोग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के सदस्यों के स्वामित्व वाले छोटे और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और व्यवसाय, साथ ही महिला उद्यमी भी इन हाशिए पर रहने वाले वर्गों के बीच प्रतिनिधित्व करते हैं। आरईसी लिमिटेड व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके और उनकी उन्नति के लिए समान अवसर पैदा करके समाज के इन कमजोर हिस्सों का समर्थन और उत्थान करने के लिए समर्पित है।

आवश्यक संकेतक

1. आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाओं का विवरण प्रस्तुत करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो बोर्ड को ऐसे परामर्शों से प्राप्त फीडबैक कैसे प्रदान किया जाता है।

आरईसी अपने सभी हितधारकों के साथ पारदर्शी और प्रभावी संचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही अपने संचालन को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक नियामक ढाँचों का कड़ाई से पालन भी करता है। कंपनी अपने हितधारकों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाले निर्णयों के बारे में समय पर और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के महत्व पर ज़ोर देती है। साथ ही, आरईसी यह सुनिश्चित करता है कि संवेदनशील व्यावसायिक रणनीतियों और स्वामित्व संबंधी जानकारी को अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए गोपनीय रखा जाए।

उत्तरदायी शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए, आरईसी ने कई बोर्ड-अनुमोदित नीतियाँ स्थापित की हैं जो इसके संचालन के आवश्यक आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक आयामों को व्यापक रूप से संबोधित करती हैं। ये नीतियाँ प्रमुख हितधारकों के परामर्श से सावधानीपूर्वक तैयार की जाती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हों और किसी भी चिंता का समाधान करें। इस प्रयास की आधारशिला व्यापक पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) नीति है, जिसे आरईसी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह नीति कंपनी की ईएसजी-संबंधी पहलों का मार्गदर्शन करने वाले एक आधारभूत ढाँचे के रूप में कार्य करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे व्यापक रणनीतिक उद्देश्यों के साथ अच्छी तरह से संरेखित हों।

आरईसी में हितधारक जुड़ाव केवल एक बार की घटना नहीं है, बल्कि यह कंपनी की व्यावसायिक प्रक्रियाओं का एक अभिन्न अंग है और इसे एक सतत प्रयास के रूप में देखा जाता है। इन जुड़ावों का नेतृत्व मुख्य रूप से विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों के पास होता है, हालाँकि वरिष्ठ प्रबंधन आवश्यकता पड़ने पर सक्रिय रूप से भाग लेता है। इन जुड़ावों के परिणामों की व्यवस्थित रूप से निदेशक मंडल को रिपोर्ट की जाती है, जिससे सूचित निगरानी में सुविधा होती है और हितधारकों के हितों और चिंताओं को प्रभावी ढंग से ध्यान में रखते हुए रणनीतिक दिशाएँ तैयार करने में सहायता मिलती है।

2. क्या पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए हितधारकों से परामर्श का उपयोग किया जाता है (हां/नहीं)। यदि हां, तो ऐसे उदाहरणों का विवरण प्रस्तुत करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को संस्था की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया।

हां, आरईसी पर्यावरण और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करते समय कर्मचारियों, उधारकर्ताओं, सरकारी संस्थाओं और स्थानीय समुदायों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक संवाद में सक्रिय रूप से संलग्न है। संगठन का दृढ़ विश्वास है कि इन विविध दृष्टिकोणों को सक्रिय रूप से सुनकर, यह सार्वजनिक अपेक्षाओं के साथ बेहतर तालमेल बिठा सकता है और सतत विकास प्रथाओं को बढ़ावा दे सकता है।

इन व्यावहारिक चर्चाओं के जवाब में, आरईसी ने एक जटिल पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) नीति विकसित की है। यह नीति एक मार्गदर्शक ढाँचे के रूप में कार्य करती है, जिससे कंपनी पर्यावरणीय प्रबंधन और सामाजिक उत्तरदायित्व को प्राथमिकता देने वाले सूचित निर्णय लेने में सक्षम होती है। उदाहरण के लिए, परियोजना समीक्षाओं के प्रारंभिक चरणों के दौरान, आरईसी अपने द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करता है। यह मूल्यांकन इसकी परिचालन रणनीतियों, वित्तीय नियोजन और जोखिम प्रबंधन ढाँचों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिम्मेदार ऋण देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए, आरईसी अपने ऋण समझौतों में पर्यावरण की रक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा और स्थानीय समुदायों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए विशिष्ट प्रावधानों को शामिल करता है। स्वच्छ ऊर्जा और बुनियादी ढाँचे से संबंधित परियोजनाओं में इस पर विशेष रूप से ज़ोर दिया जाता है, जहाँ आरईसी लागू पर्यावरणीय और सामाजिक मानकों का पालन करने के लिए अत्यधिक तत्परता बरतता है।

हितधारकों के साथ संवाद की खुली व्यवस्था बनाए रखने और उनकी प्रतिक्रिया पर सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देने के द्वारा, आरईसी यह सुनिश्चित करता है कि उसके कार्य सार्थक, ज़िम्मेदार और समाज की उभरती ज़रूरतों को प्रतिबिंबित करते रहें।

3. असुरक्षित/अधिकारहीन हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई और उनके साथ सहभागिता के उदाहरणों का विवरण प्रस्तुत करें।

आरईसी विचारशील नीतियों, ज़िम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं और सक्रिय आउटरीच प्रयासों के संयोजन के माध्यम से कमज़ोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों के लिए एक समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। छोटे व्यवसायों, विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) और महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को सशक्त बनाने पर काफ़ी ज़ोर दिया जाता है। विक्रेताओं, विशेष रूप से छोटे आपूर्तिकर्ताओं को पारदर्शिता, दक्षता और समय पर भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए, आरईसी कई सरकारी प्लेटफार्मों पर पंजीकृत है, जिनमें जीईएम (सरकारी ई-मार्केटप्लेस), संबंध, समाधान और टीआरईडीएस (व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली) शामिल हैं। सभी आरईसी कार्यालय, अपनी क्षेत्रीय शाखाओं सहित, सभी विक्रेताओं के लिए निष्पक्ष व्यवहार और पहुँच सुनिश्चित करने के लिए इन प्लेटफार्मों का लगातार उपयोग करते हैं।

अपनी खरीद प्रक्रिया में, आरईसी एमएसई को प्राथमिकता देता है, उन्हें विशेष वरीयता देता है और स्थापित दिशानिर्देशों के अनुरूप विभिन्न लाभ प्रदान करता है। यह पहल छोटे उद्यमों के लिए एक अधिक न्यायसंगत खेल का मैदान बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो अंततः अर्थव्यवस्था के इन महत्वपूर्ण घटकों के लिए आर्थिक समावेशन और सतत विकास को बढ़ावा देती है।

विक्रेता जुड़ाव के अलावा, आरईसी सक्रिय रूप से व्यक्तिगत निवेशकों, जिनमें इक्विटी शेयरधारक और बॉन्डधारक शामिल हैं, तक पहुँचता है, जो अदावा किए गए लाभांश या मोचन राशियों से अनजान हो सकते हैं। कंपनी इन हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से संवाद करने की पहल करती है ताकि उन्हें उनके उचित बकाया राशि प्राप्त करने में सहायता मिल सके, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की कमी या आवश्यक जानकारी तक पहुँच के अभाव में अनदेखा न किया जाए।

इसके अलावा, आरईसी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के उत्थान पर केंद्रित हैं। ये पहल व्यापक हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, स्वच्छता और विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता सहित प्रमुख क्षेत्रों को लक्षित करती हैं। गरीब, वंचित और दिव्यांग व्यक्तियों की विविध आवश्यकताओं को सीधे संबोधित करके, आरईसी सक्रिय रूप से सामाजिक समानता और समावेशन को बढ़ावा देता है, जिससे जिन समुदायों की वह सेवा करता है, उनमें एक ठोस बदलाव आता है।

सिद्धांत 5 - व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और संवर्धन करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **निम्नलिखित प्रारूप में उन कर्मचारी और कामगार का विवरण, जिन्हें संस्था के मानवाधिकार मुद्दों और नीतियों पर प्रशिक्षण दिया गया है:**

श्रेणी	वित्त वर्ष 2025-26			वित्त वर्ष 2024-25		
	कुल (क)	कवर किए गए कर्मचारियों/कामगारों की संख्या (ख)	% (ख / क)	कुल (ग)	कवर किए गए कर्मचारियों/कामगारों की संख्या (घ)	% (घ / ग)
कर्मचारी						
स्थायी	590	585	99.15	573	565	98.60
स्थायी को छोड़कर अन्य	623	583	93.58	580	550	94.83
कुल	1,213	1,168	96.29	1,153	1,115	96.70
कामगार						
स्थायी	लागू नहीं					
स्थायी को छोड़कर अन्य						
कुल						

2. **कर्मचारियों और कामगारों को दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन का विवरण:**

श्रेणी	वित्त वर्ष 2025-26					वित्त वर्ष 2024-25				
	कुल (क)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)		संख्या (ङ)	% (ङ / घ)	संख्या (च)	% (च / घ)
कर्मचारी										
स्थायी										
पुरुष	503	0	0	503	100	490	0	0	490	100
महिला	87	0	0	87	100	83	0	0	83	100
स्थायी को छोड़कर अन्य										
पुरुष	548	144	26.28	404	73.72	506	124	24.51	382	75.49
महिला	75	8	10.67	67	89.33	74	6	8.11	68	91.89
कामगार										
स्थायी	लागू नहीं									
पुरुष										
महिला										
स्थायी को छोड़कर अन्य										
पुरुष										
महिला										

नोट: न्यूनतम वेतन स्तर पर कर्मचारियों के प्रतिशत में वृद्धि कम-कुशल कार्यों के लिए संविदात्मक कर्मचारियों को नियुक्त करने की हमारी परिचालन आवश्यकता से प्रेरित है, जिनका पारिश्रमिक वैधानिक न्यूनतम वेतन के अनुरूप है।

3. **पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण:**

क. मध्य पारिश्रमिक/मजदूरी: (राशि ₹ में)

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)*	2	65,07,856	0	0
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	4	63,64,788	0	0
निदेशक मंडल और केएमपी को छोड़कर अन्य कर्मचारी	501	25,80,335	87	29,38,808
कामगार	लागू नहीं			

** प्रस्तुत पारिश्रमिक विवरण में केवल अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक शामिल है। चूँकि गैर-कार्यकारी निदेशकों को केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है, जिसे पारिश्रमिक नहीं माना जाता है।*

ख. संस्था द्वारा संदत्त कुल वेतन के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को संदत्त सकल वेतन

	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
संस्था द्वारा संदत्त कुल वेतन के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को संदत्त सकल वेतन	14.16	13.37

4. क्या आपकी संस्था में कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या इसमें हस्तक्षेप करने वाले मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है?

हाँ।

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

आरईसी अपने संचालन के सभी आयामों में मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और एक व्यापक नीति स्थापित की है जो कंपनी से जुड़े प्रत्येक हितधारक पर लागू होती है। इसमें न केवल हमारे पूर्णकालिक और संविदा कर्मचारी शामिल हैं, बल्कि बाहरी ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता, साझेदार और सलाहकार भी शामिल हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि सभी हितधारकों को आरईसी के साथ अपने संबंधों में मौलिक मानवाधिकार सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। एक न्यायसंगत और नैतिक वातावरण बनाए रखने के लिए, आरईसी अपने संचालन और अपनी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में मानव तस्करी, जबरन श्रम और बाल श्रम की किसी भी घटना पर सख्ती से प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा, हमारी प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करने तक फैली हुई है कि सभी व्यक्तियों को समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन मिले, जिससे भेदभाव से मुक्त कार्यस्थल का निर्माण हो। हम लिंग, आयु, धर्म, विकलांगता, यौन अभिविन्यास या कानूनी रूप से संरक्षित किसी भी अन्य विशेषता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का सक्रिय रूप से निषेध करते हैं।

मानवाधिकार उल्लंघन के किसी भी आरोप या रिपोर्ट का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए, आरईसी ने एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। यह प्रणाली कुशल, निष्पक्ष, पारदर्शी और सुलभ होने के लिए डिज़ाइन की गई है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी हितधारक अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकें। यह शिकायतों की व्यवस्थित निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया की अनुमति देता है, जिससे प्रभावित लोगों को प्रभावी समाधान प्रदान किया जा सकता है। किसी भी मानवाधिकार संबंधी मुद्दे की रिपोर्ट करने के इच्छुक व्यक्ति आरईसी की निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, आसानी से नामित शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

हमारी शिकायत निवारण प्रणाली आंतरिक और बाहरी दोनों हितधारकों को अपनी शिकायतें, चिंताएँ और शिकायतें व्यक्त करने के लिए एक सुव्यवस्थित और न्यायसंगत प्रक्रिया प्रदान करती है। हमारी नीति के प्रति जवाबदेही और अनुपालन बनाए रखने के लिए, आरईसी अपनी और अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों की प्रथाओं का नियमित रूप से ऑडिट और मूल्यांकन करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी पक्ष स्थापित मानवाधिकार मानकों के अनुरूप बने रहें। इन उपायों के माध्यम से, आरईसी एक ऐसा कार्यस्थल और समुदाय बनाने का प्रयास करता है जो सभी के लिए सम्मान और गरिमा को प्राथमिकता देता हो।

6. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित के संबंध में की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2025-26			वित्त वर्ष 2024-25		
	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतें	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें	अभ्युक्ति	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतें	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें	अभ्युक्ति
लैंगिक उत्पीड़न	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
कार्यस्थल पर भेदभाव	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
बाल श्रम	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
वेतन	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
अन्य मानवाधिकार संबंधी मुद्दे	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं

7. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दर्ज शिकायतों का निम्नलिखित प्रारूप में विवरण:

	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के अंतर्गत दर्ज कुल शिकायतें	0	0
महिला कर्मचारियों/कामगारों के प्रतिशत के रूप में पीओएसएच के संबंध में शिकायतें	0	0
पीओएसएच के संबंध में ऐसी शिकायतें, जिन्हें सही पाया गया	0	0

8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र:

आरईसी एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है जहाँ सभी व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाता है, चाहे उनकी भूमिका, पृष्ठभूमि या पहचान कुछ भी हो। कंपनी नैतिकता, मानवाधिकारों के सम्मान और कार्यस्थल पर समान अवसर प्रदान करने पर ज़ोर देती है। आरईसी में करियर की उन्नति पूरी तरह से प्रतिभा, प्रदर्शन और योग्यता पर आधारित है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भेदभाव या उत्पीड़न से संबंधित चिंताओं का उचित समाधान किया जाए, आरईसी ने शिकायत लेकर आने वाले लोगों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए स्पष्ट और सुरक्षित तंत्र स्थापित किए हैं। यौन उत्पीड़न के मामलों में, आरईसी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करता है। ऐसे मामलों को अत्यंत संवेदनशीलता और गोपनीयता के साथ संभाला जाता है। शिकायतों की शीघ्र और निष्पक्ष जाँच के लिए समर्पित आंतरिक समितियाँ मौजूद हैं, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान शिकायतकर्ता की पहचान और गरिमा की रक्षा की जाए। इसके अलावा, कंपनी उन व्यक्तियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई पर सख्ती से रोक लगाती है जो सद्भावनापूर्वक भेदभाव, उत्पीड़न या अन्य उल्लंघनों की रिपोर्ट करते हैं। इस सुरक्षा

में कर्मचारियों को धमकियों, बर्खास्तगी, पदावनति या किसी भी प्रकार के व्यावसायिक नुकसान से बचाना शामिल है। इस प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए, आरईसी ने एक व्हिसल ब्लोअर नीति लागू की है जो कर्मचारियों और हितधारकों को गोपनीयता से और नकारात्मक परिणामों के डर के बिना अपनी चिंताओं को व्यक्त करने की अनुमति देती है। यह नीति सुनिश्चित करती है कि शिकायतों की एक स्वतंत्र समिति द्वारा समीक्षा की जाए और आवश्यकता पड़ने पर उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त, जहाँ आवश्यक हो, शिकायतकर्ता की पहचान की सुरक्षा और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को रोकने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाते हैं। व्हिसल ब्लोअर नीति https://recindia.com/uploads/files/Whistle_Blower_Policy.pdf पर उपलब्ध है।

9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक करारों और संविदाओं में शामिल होती हैं? (हां/नहीं)

हाँ।

10. वर्ष के लिए मूल्यांकन:

	आपके उन संयंत्रों और कार्यालयों का %, जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	100
जबरन/अनैच्छिक श्रम	100
लैंगिक उत्पीड़न	100
कार्यस्थल पर भेदभाव	100
वेतन	100
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	लागू नहीं

11. उपरोक्त प्रश्न 10 में दिए गए आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें:

लागू नहीं है क्योंकि कोई समस्या नहीं पाई गई है।

नेतृत्व संकेतक

1. मानवाधिकार शिकायतों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रवर्तित की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण

पूरे रिपोर्टिंग वर्ष में, हमें मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित कोई शिकायत या शिकायत नहीं मिली। हालाँकि, मानवाधिकारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता केवल समस्याओं के उत्पन्न होने पर उनका जवाब देने तक ही सीमित नहीं है। हम अपने सभी कार्यों में मानवाधिकारों के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से निरंतर उचित परिश्रम प्रक्रियाओं को सख्ती से लागू करके एक सक्रिय रुख अपनाते हैं। इसमें हमारी मानवाधिकार नीति को हमारी दैनिक व्यावसायिक प्रथाओं में सहजता से एकीकृत करना और हमारे हितधारकों के साथ मज़बूत संबंध विकसित करना शामिल है। ऐसा करके, हम संभावित जोखिमों को पहचानने और उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं, इससे पहले कि वे गंभीर समस्याएँ बन जाएँ, जिससे सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान और गरिमा का वातावरण बनता है।

2. किसी भी मानवाधिकार संबंधी जांच के दायरे और कवरेज का विवरण

आरईसी अपने संचालन के सभी पहलुओं और हितधारकों के साथ अपने संबंधों में मानवाधिकारों को बनाए रखने पर ज़ोर देता है। हमने एक व्यापक मानवाधिकार नीति विकसित की है जो न केवल हमारी प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करती है, बल्कि उन सभी व्यक्तियों और संगठनों पर भी लागू होती है जिनके साथ हम जुड़ते हैं, जिनमें कर्मचारी, ग्राहक, विक्रेता और सामुदायिक भागीदार शामिल हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन मानकों का निरंतर पालन किया जाए, हम अपने विक्रेताओं से स्थापित मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुपालन की पुष्टि करने वाली औपचारिक घोषणाएँ प्रदान करने की अपेक्षा करते हैं। यह पहल एक नैतिक आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने और ज़िम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के हमारे व्यापक प्रयास का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2025 से, हमने उधारकर्ताओं और विक्रेताओं दोनों के लिए अपनी मूल्यांकन प्रक्रियाओं में मानवाधिकार आकलन को शामिल करके अपनी प्रतिबद्धता का विस्तार किया है। यह एकीकरण हमारे व्यापक पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक मूल्यांकन का एक प्रमुख घटक है, जो सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार निवेश और ऋण प्रथाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर ज़ोर देता है।

आंतरिक रूप से, हम अपने कॉर्पोरेट कार्यालयों में कड़े मानवाधिकार अनुपालन को बनाए रखने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। यह हमारे समर्पित ईएसजी प्रभाग द्वारा किए जाने वाले नियमित मूल्यांकन और निरंतर निगरानी के माध्यम से प्राप्त होता है। हमारे निगरानी प्रयास स्पष्ट रूप से परिभाषित आंतरिक तिमाही लक्ष्यों द्वारा निर्देशित होते हैं, जो न केवल हमारी प्रगति का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने मानवाधिकार प्रथाओं में निरंतर सुधार करते रहें। इन लक्ष्यों को निर्धारित करके, हमारा उद्देश्य स्वयं को उत्तरदायी बनाना और अपने पूरे संगठन में मानवाधिकारों के प्रति सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना है।

3. क्या संस्था के परिसर/कार्यालय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ हैं?

हां, कॉर्पोरेट कार्यालय परिसर दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है, जिसमें लिफ्ट और रैंप, व्हीलचेयर सुलभ शौचालय और विभिन्न बिंदुओं पर ब्रेल में दिशा संकेत हैं। इसके अलावा, आरईसी लिमिटेड की कॉर्पोरेट वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम (डब्ल्यू3सी) वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन्स (डब्ल्यूसीएजी) 2.0 लेवल एए का अनुपालन करती है। इससे दृष्टिबाधित लोग स्क्रीन रीडर जैसी सहायक तकनीकों का उपयोग करके वेबसाइट तक पहुंच सकेंगे। वेबसाइट पर दी गई जानकारी जेएडब्ल्यूएस, एनवीडीए, एसएएफए, सुपरनोवा और विंडो-आईज़ जैसे विभिन्न स्क्रीन रीडर्स के साथ सुलभ है। इसके बारे में अधिक जानकारी https://recindia.com/screen-reader-access पर देखी जा सकती है।

4. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण :**

	ऐसे मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
लैंगिक उत्पीड़न	आरईसी ने निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए अपनी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) आकलनों को एकीकृत करना शुरू कर दिया है, जो जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। यह पहल सुनिश्चित करती है कि उधारकर्ताओं का मूल्यांकन आवश्यक ईएसजी मानदंडों के आधार पर किया जाए, जिससे संभावित जोखिमों का प्रभावी ढंग से समाधान हो और उनकी कार्यप्रणाली आरईसी के व्यापक स्थिरता सिद्धांतों के अनुरूप हो। इसके अतिरिक्त, आरईसी ने अपने विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए इन महत्वपूर्ण ईएसजी आकलनों के अनुप्रयोग का विस्तार किया है, और इसके लगभग 30% मूल्य श्रृंखला भागीदारों का मूल्यांकन किया जा रहा है।
कार्यस्थल पर भेदभाव	
बाल श्रम	
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	
वेतन	

5. **उपरोक्त प्रश्न 4 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें:**

लागू नहीं

सिद्धांत 6 व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा पर्यावरण की सुरक्षा और बहाली के लिए प्रयास करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **कुल ऊर्जा खपत (गीगाजूल: जीजे) और ऊर्जा गहनता का विवरण:**

मापदंड	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (क) (जीजे)	11,401	4,964
कुल ईंधन खपत (ख) (जीजे)	0	0
अन्य स्रोतों से ऊर्जा की खपत (ग) (जीजे)	0	0
नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (क+ख+ग) (जीजे)	11,401	4,964
गैर नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (घ) (जीजे)	2,304	9,292*
कुल ईंधन खपत (ङ) (जीजे)	3,114	3,146
अन्य स्रोतों से ऊर्जा की खपत (च) (जीजे)	0	0
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (घ+ङ+च) (जीजे)	5,417	12,439
कुल ऊर्जा खपत (क+ख+ग+घ+ङ+च) (जीजे)	16,818	17,402
प्रति करोड़ टर्नओवर पर ऊर्जा गहनता (कुल ऊर्जा खपत-गीगाजूल में / प्रचालन से राजस्व-करोड़ में)	0.28	0.31
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ टर्नओवर पर ऊर्जा गहनता (कुल ऊर्जा खपत-गीगाजूल/ पीपीपी के लिए समायोजित प्रचालन से राजस्व-करोड़ में)	5.74	6.38
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में ऊर्जा गहनता	13.87	15.09
ऊर्जा गहनता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक माप-इकाई का चयन संस्था द्वारा किया जा सकता है।	लागू नहीं	लागू नहीं

**2035 तक नेट जीरो प्राप्त करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप, आरईसी ने डिस्कॉम-डीएचबीवीएन की हरित टैरिफ सुविधा के माध्यम से अपने कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए 100% हरित बिजली प्राप्त की है। इसके अलावा, तीन क्षेत्रीय कार्यालयों (पंचकुला, लखनऊ और वडोदरा) में नए रूफटॉप सौर प्रतिष्ठान (54 किलोवाट) शुरू किए गए, जिससे आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय (979 किलोवाट) और आरईसीआईपीएमटी (40 किलोवाट) में हमारे मौजूदा रूफटॉप सौर बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ।*

नोट: बताएँ कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? - हाँ, आरईसी ने मेसर्स कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स से बीआरएसआर के मुख्य मापदंडों के लिए उचित आश्वासन प्राप्त किया है।

2. **क्या संस्था के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ता (डीसी) के रूप में अभिचिह्नित कोई साइट/सुविधाएँ हैं? हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। यदि लक्ष्य हासिल नहीं किए गए हैं, तो क्या कोई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, की गई है**

लागू नहीं।

3. **जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरणों का विवरण प्रस्तुत करें:**

मापदंड	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	0	0
(ii) भूजल	0	0
(iii) तृतीय पक्ष जल	18,542	27,565

मापदंड	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	0	0
(v) अन्य	0	0
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	18,542	27,565
जल खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	12,923	20,176
प्रति करोड़ टर्नओवर पर जल गहनता (कुल जल खपत-किलोलीटर में / प्रचालन से राजस्व-करोड़ में)	0.22	0.36
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ टर्नओवर पर जल गहनता (कुल जल खपत- किलोग्राम में / पीपीपी के लिए समायोजित प्रचालन से राजस्व- करोड़ में)	4.41	7.40
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में जल गहनता एफटीई	10.65	17.50
जल गहनता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक माप-इकाई का चयन संस्था द्वारा किया जा सकता है।	लागू नहीं	लागू नहीं

**केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की 24 दिसंबर, 2009 की रिपोर्ट के आधार पर, यह माना जाता है कि निकाले गए कुल पानी का 80% क्षेत्रीय कार्यालयों में छोड़ा जाता है, शेष 20% को उपभोग किया गया पानी माना जाता है।*

नोट: बताएँ कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ। - हाँ, आरईसी ने मेसर्स कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स से बीआरएसआर के मुख्य मापदंडों के लिए उचित आश्वासन प्राप्त किया है।

4. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरणों का विवरण प्रस्तुत करें:

मापदंड	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
गंतव्य और शोधन के स्तर के अनुसार जल निस्सरण (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	शून्य	शून्य
कोई शोधन नहीं		
शोधन सहित – कृपया शोधन के स्तर का उल्लेख करें		
(ii) भूजल	शून्य	शून्य
कोई शोधन नहीं		
शोधन सहित – कृपया शोधन के स्तर का उल्लेख करें		
(iii) समुद्री जल	शून्य	शून्य
कोई शोधन नहीं		
शोधन सहित – कृपया शोधन के स्तर का उल्लेख करें		
(iv) तीसरे पक्ष को प्रेषित	शून्य	शून्य
कोई शोधन नहीं		
शोधन सहित – कृपया शोधन के स्तर का उल्लेख करें		
(v) अन्य (सीवेज डिस्चार्ज)*	5,619*	7,389*
कोई शोधन नहीं		
शोधन सहित – कृपया शोधन के स्तर का उल्लेख करें		
कुल निस्सरित जल (किलोलीटर में)	5,619	7,389

आरईसी एक एनबीएफसी है, इसलिए पानी का निकास बहुत कम है, हालाँकि आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय को शून्य जल निकास के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि वर्षा जल और तृतीय पक्ष (हुडा) से एकत्रित पानी का भवन में पूर्ण उपयोग किया जा रहा है, जिसमें एसटीपी के माध्यम से अपशिष्ट जल (सीवेज जल) का पुनर्चक्रण और पुनः बागवानी और फ्लशिंग में उसका उपयोग शामिल है।

** क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए, यह माना जाता है कि 80% पानी शौचालय के सीवर के माध्यम से निकलता है।*

नोट: बताएँ कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ। - हाँ, आरईसी ने मेसर्स कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स से बीआरएसआर के मुख्य मापदंडों के लिए उचित आश्वासन प्राप्त किया है।

5. क्या संस्था ने शून्य तरल निस्सरण के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रस्तुत करें।

हाँ, आरईसी, एक एनबीएफसी होने के नाते, शून्य द्रव निर्वहन तंत्र लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। हालाँकि, गुरुग्राम स्थित आरईसी का कॉर्पोरेट कार्यालय भवन, एक शून्य द्रव निर्वहन भवन है, जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) से निकलने वाले अपशिष्ट जल और सौर ऊर्जा से सफाई, एचवीएसी/चिलर, शौचालय, फर्श धुलाई और जल निकायों के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्षा जल का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा, भवन को बागवानी और फ्लशिंग के लिए एसटीपी द्वारा उपचारित जल का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

6. **कृपया संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रस्तुत करें:**

मापदंड	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
नाइट्रोजन ऑक्साइड	टन	0.043644	0.006175
सल्फर ऑक्साइड	टन	0.005034	0.000794
पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)	टन	0.007172	0.001105
कार्बन मोनोआक्साइड	टन	0.010214	0.001547

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं। - हां, आरईसी ने मेसर्स कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स से बीआरएसआर मूल मापदंडों के लिए उचित आश्वासन लिया है।

7. **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी गहनता का विवरण प्रस्तुत करें:**

मापदंड	इकाई	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25*
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैसों का कार्बन डाई ऑक्साइड-CO_2, मीथेन-CH_4, नाइट्रस ऑक्साइड-N_2O, हाइड्रोफ्लूरोकार्बन-HFCs, पीएफसी-PFCs, सल्फरहैक्साफ्लूरोइड-SF_6, नाइट्रोजन ट्राइफ्लूरोइड-NF_3 में गैस-वार विवरण, यदि उपलब्ध हो)	CO_2 समतुल्य मीट्रिक टन	219.36 tCO_2 206.19 CH_4 - tCO_2e 0.72 N_2O - tCO_2e 0.37 HFCs - tCO_2e 12.08	306.46 tCO_2 209.74 CH_4 - tCO_2e 0.74 N_2O - tCO_2e 0.38 HFCs - tCO_2e 95.60
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैसों का कार्बन डाई ऑक्साइड-CO_2, मीथेन-CH_4, नाइट्रस ऑक्साइड-N_2O, हाइड्रोफ्लूरोकार्बन-HFCs, पीएफसी-PFCs, सल्फरहैक्साफ्लूरोइड-SF_6, नाइट्रोजन ट्राइफ्लूरोइड-NF_3 में गैस-वार विवरण, यदि उपलब्ध हो)	CO_2 समतुल्य मीट्रिक टन	454.32* tCO_2 454.32 CH_4 - tCO_2e 0 N_2O - tCO_2e 0 HFCs - tCO_2e 0	1876.53 tCO_2 1876.53 CH_4 - tCO_2e 0 N_2O - tCO_2e 0 HFCs - tCO_2e 0
प्रति करोड़ टर्नओवर पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन गहनता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन-मीट्रिक टन में/ प्रचालन से राजस्व-करोड़ में)	CO_2 समतुल्य मीट्रिक टन/भारतीय रुपया	0.0113	0.0387
क्रय शक्ति समानता (पीपीपी)के लिए समायोजित प्रति करोड़ टर्नओवर पर उत्सर्जन गहनता कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / पीपीपी के लिए समायोजित प्रचालन से राजस्व करोड़ में)	CO_2 समतुल्य मीट्रिक टन/अमरीकी डॉलर	0.2300	0.800
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन गहनता	CO_2 समतुल्य मीट्रिक टन / एफटीई	0.5554	1.893
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन गहनता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक माप-इकाई का चयन संस्था द्वारा किया जा सकता है।		लागू नहीं	

**हमारी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की प्रत्याशा रणनीतियों के परिणामस्वरूप, स्कोप 2 उत्सर्जन में लगभग 76% की कमी आई। यह कमी आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए 100% नवीकरणीय ऊर्जा सुरक्षित करने और तीन क्षेत्रीय कार्यालयों में रूफटॉप सौर क्षमताओं का विस्तार करने के लिए जिम्मेदार है, जो सामूहिक रूप से 3,167 की हरित ऊर्जा खपत के लिए जिम्मेदार हैं।*

नोट: बताएँ कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/ना) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम - हाँ, आरईसी ने मेसर्स कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स से बीआरएसआर के मुख्य मापदंडों के लिए उचित आश्वासन प्राप्त किया है।

8. **क्या संस्था के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।**

हाँ, आरईसी अपने मुख्य व्यावसायिक कार्यों और आंतरिक पहलों के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण रूप से शामिल है।

आरईसी का प्राथमिक योगदान भारत के स्वच्छ ऊर्जा बिजली क्षेत्र में परिवर्तन के प्रमुख वित्तपोषक के रूप में इसकी भूमिका से उपजा है। आरईसी सौर, पवन और अन्य गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित बिजली उत्पादन स्रोतों सहित विभिन्न प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पर्याप्त ऋण प्रदान करता है। यह सीधे पारंपरिक और उत्सर्जन-गहन स्रोतों से उत्पन्न बिजली को विस्थापित करता है।

ग्रीन बॉन्ड जारी करना: हरित पहलों का समर्थन करने के लिए, आरईसी नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन बॉन्ड जारी करता है। इन बॉन्डों से जुटाई गई धनराशि विशेष रूप से "पात्र ग्रीन परियोजनाओं" में भेजी जाती है जो सख्त पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करती हैं, जो आरईसी ग्रीन फाइनेंस फ्रेमवर्क के अनुसार कार्बन उत्सर्जन में कमी में सीधे योगदान करती हैं।

ऊर्जा दक्षता में वृद्धि: नवीकरणीय ऊर्जा से परे, आरईसी स्मार्ट मीटरिंग और वितरण सुधार जैसे बिजली ग्रिड की दक्षता में सुधार के उद्देश्य से परियोजनाओं का भी समर्थन करता है। हालांकि ये प्रत्यक्ष जीएचजी कटौती परियोजनाएं नहीं हैं, इन पहलों से ऊर्जा की हानि कम होती है और परिणामस्वरूप, बिजली क्षेत्र से उत्सर्जन कम होता है।

आरईसी अपने स्वयं के कार्बन पदचिह्न को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है: कॉर्पोरेट कार्यालय और आरईसीआईपीएमटी में स्थापित रूफटॉप सौर संयंत्रों के साथ-साथ, आरईसी ने डिस्कॉम की ग्रीन टैरिफ सुविधा के माध्यम से अपने कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए 100% ग्रीन पावर भी प्राप्त की है और वित्तीय वर्ष 2025-26 में पांचकुला, लखनऊ और वडोदरा में तीन क्षेत्रीय कार्यालयों में 54 किलोवाटपी की संयुक्त क्षमता के साथ रूफ-टॉप सौर स्थापित किए गए थे, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 में संचयी रूप से 3,167 एमडब्ल्यूएच बिजली उत्पन्न की, जिससे 2,248 टन सीओ उत्सर्जन से बचा गया।

संक्षेप में, आरईसी हरित ऊर्जा परिवर्तन के वित्तपोषण के माध्यम से पूरे भारत में बड़े पैमाने पर जीएचजी कटौती को सक्रिय रूप से सक्षम बनाता है, जबकि एक साथ अपने स्वयं के संचालन को डीकार्बोनाइज करने के लिए मजबूत उपायों को लागू करता है

9. संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराएं:

मापदंड	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (क)	0	0
ई-अपशिष्ट (ख)	0.88	1.50
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (ग)	0	0
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (घ)	0	0
बैटरी अपशिष्ट (ङ)	0	0
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च)	0	0
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। यदि कोई हो तो कृपया बताएं। (छ)	0	0
उत्पन्न अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट (ज)	34.30	40.68
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज)	**35.18**	**42.18**

मापदंड	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
प्रति करोड़ टर्नओवर पर अपशिष्ट गहनता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट मीट्रिक टन में / राजस्व से प्रचालन करोड़ में)	0.00059	0.00075
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ टर्नओवर पर अपशिष्ट गहनता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट-मीट्रिक टन में / पीपीपी के लिए समायोजित प्रचालन से राजस्व-करोड़ में)	0.01201	0.01544
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में अपशिष्ट गहनता एफटीई	0.02900	0.036
अपशिष्ट गहनता (वैकल्पिक) – संस्था द्वारा प्रासंगिक माप-इकाई का चयन किया जा सकता है।	लागू नहीं	लागू नहीं
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी: ई-अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	0.88	1.50
(ii) पुनः उपयोग	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	-	-
कुल	**0.88**	**1.50**
अपशिष्ट की श्रेणी - अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न		
(i) पुनर्चक्रित	18.7	19.8
(ii) पुनः उपयोग	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य – कम्पोस्टिंग	15.6	20.88
कुल	**35.18**	**42.18**

उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	शून्य	शून्य
(ii) लैंडफिलिंग	हमने अपने सभी कार्यालय अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, एक सरकारी अधिकृत तृतीय-पक्ष अपशिष्ट प्रबंधन विक्रेता को नियुक्त किया है।	
(iii) अन्य निपटान कार्य		
कुल		

नोट: एक एनबीएफसी होने के नाते, हमारे कार्यालय संचालन से उत्पन्न होने वाला कचरा मुख्य रूप से हमारे परिसर से उत्पन्न होता है, जिसमें सामान्य कार्यालय कचरा और बागवानी कचरा दोनों शामिल हैं। कचरे के उत्पादन में हालिया वृद्धि, कर्मचारियों की बढ़ती उपस्थिति और बगीचे के कचरे में मौसमी वृद्धि का प्रत्यक्ष परिणाम है। हमने एक पंजीकृत अपशिष्ट प्रबंधन विक्रेता के साथ साझेदारी की है और लैंडफिल में शून्य अपशिष्ट के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं।

नोट: बताएँ कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? - हाँ, आरईसी ने मेसर्स कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स से बीआरएसआर के मुख्य मापदंडों के लिए उचित आश्वासन प्राप्त किया है।

10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और विषैले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यनीति और ऐसे अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें

एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में, आरईसी के प्रतिष्ठानों में मुख्य रूप से एक कॉर्पोरेट कार्यालय और संभवतः छोटे क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं। यह एक विनिर्माण उद्योग के रूप में ऐसे उत्पादों का निर्माण या ऐसी प्रक्रियाओं में संलग्न नहीं है जिनमें आमतौर पर खतरनाक और विषैले रसायनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन या उपयोग शामिल हो।

हमारे अपशिष्ट प्रबंधन कार्यप्रणालियाँ ऐसे वातावरण में उत्पन्न अपशिष्ट को संभालने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जो अपशिष्टों में कमी, पृथक्करण और ज़िम्मेदारी से निपटान पर केंद्रित हैं। हम अपनी ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से "कागज़ रहित कार्यालय" को बढ़ावा देते हैं और हमने अपशिष्ट के ज़िम्मेदारी से निपटान के लिए एक अधिकृत अपशिष्ट प्रबंधन विक्रेता के साथ साझेदारी की है। ई-कचरे के रूप में पहचाने गए पुराने, अनुपयोगी और अप्रचलित आईटी उपकरणों का निपटान, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरका और राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति/इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट बोर्ड के तहत पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/पुनःप्रसंस्करणकर्ताओं के माध्यम से, आरईसी के खरीद दिशानिर्देशों के तहत परिभाषित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाता है। हमारा दृष्टिकोण हमारे प्रशासनिक कार्यों से न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव सुनिश्चित करता है। .

11. यदि संस्था का प्रचालन/कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में/इनके आसपास है, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

क्रम संख्या	प्रचालन/कार्यालयों का स्थान	प्रचालनों का प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हां/नहीं) यदि नहीं, तो इसके कारण तथा की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?
लागू नहीं। कोई भी प्रचालन/कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में/इनके आसपास नहीं है।			

12. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	तारीख	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित परिणाम (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
आरईसी एक एनबीएफसी होने के नाते, अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है, किंतु किसी भी परियोजना का स्वामित्व या निष्पादन/कार्यान्वन नहीं करता है। आरईसी द्वारा वित्तपोषित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, कंपनी को उधारकर्ताओं की ओर से लागू नियमों और विनियमों के अनुसार पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है।					

13. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दिशानिर्देशों, जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और इनके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करती है। हाँ/नहीं। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण प्रस्तुत करें:

क्रम संख्या	उस कानून/विनियम/दिशानिर्देश को निर्दिष्ट करें जिसका अनुपालन नहीं किया गया	गैर-अनुपालन का विवरण प्रस्तुत करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या न्यायालय जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा अधिरोपित कोई जुर्माना/अर्थदंड/कार्रवाई	की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो
आरईसी अपने परिसर और प्रचालन के संबंध में सभी लागू पर्यावरण नियमों का अनुपालन करता है। कंपनी अपने द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की उचित जांच में पर्यावरण संबंधी चिंताओं को भी शामिल करती है।				

नेतृत्व संकेतक

1. **जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निस्सरण (किलोलीटर में):**

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें:

(i) **क्षेत्र का नाम:** लागू नहीं

(ii) **प्रचालन की प्रकृति:** अन्य वित्तीय सेवाएं और गतिविधियां - अन्य ऋण प्रदान करना

(iii) **जल निकासी, खपत और निस्सरण:** लागू नहीं

मापदंड	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	लागू नहीं	
(ii) भूजल		
(iii) तृतीय पक्ष जल		
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
जल खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
प्रति रुपया टर्नओवर में जल गहनता (जल खपत / टर्नओवर)		
जल गहनता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक माप-इकाई का चयन संस्था द्वारा किया जा सकता है।		
गंतव्य और शोधन के स्तर के अनुसार जल निस्सरण (किलोलीटर में)	लागू नहीं	
(i) सतही जल में		
- कोई शोधन नहीं		
- शोधन सहित - कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल में		
- कोई शोधन नहीं		
- शोधन सहित - कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल में		
- कोई शोधन नहीं		
- शोधन सहित - कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तृतीय पक्ष को प्रेषित		
- कोई शोधन नहीं		
- शोधन सहित - कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
- कोई शोधन नहीं		
- शोधन सहित - कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
कुल निस्सरित जल (किलोलीटर में)		

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? - हां, आरईसी ने बीआरएसआर मूल मापदंडों के लिए उचित आश्वासन दिया है।

2. **कृपया कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी गहनता का विवरण प्रस्तुत करें:**

मापदंड	संस्था	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैसों का कार्बन डाई ऑक्साइड-CO_2, मीथेन- CH_4, नाइट्रस ऑक्साइड-N_2O, हाइड्रोफ्लूरोकार्बन-HFCs, पीएफसी-PFCs, सल्फरहैक्साफ्लूरोइड-SF_6, नाइट्रोजन ट्राइफ्लूरोइड-NF_3 में गैस-वार विवरण, यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO_2 समतुल्य	5,895*	10,752*
प्रति करोड़ टर्नओवर पर कुल स्कोप 3 उत्सर्जन	मीट्रिक टन CO_2 समतुल्य/भारतीय रुपया - करोड़ में	0.10	0.19
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन गहनता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक माप-इकाई का चयन संस्था द्वारा किया जा सकता है।	-	लागू नहीं	लागू नहीं

** इसमें श्रेणी 15 को छोड़कर, सभी लागू स्कोप 3 उत्सर्जन शामिल हैं।*

नोट: बताएँ कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/ना) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ। - हाँ, आरईसी ने मेसर्स कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स से बीआरएसआर के मुख्य मापदंडों के लिए उचित आश्वासन प्राप्त किया है।

3. **उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर संस्था के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करें, साथ ही रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों का विवरण भी प्रस्तुत करें**

लागू नहीं।

4. **यदि संस्था ने संसाधन दक्षता में सुधार करने, या उत्सर्जन / अपशिष्ट निस्सरण / उत्पन्न अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार इसके विवरण के साथ-साथ ऐसी पहलों के परिणाम भी प्रस्तुत करें**

क्रम संख्या	की गई पहल	पहल का विवरण (यदि कोई हो तो सारांश सहित वेब-लिंक उपलब्ध कराया जाए)	पहल का परिणाम
1	ऊर्जा कुशल अग्रभाग और विकिरण शीतलन स्लैब का उपयोग	गुरुग्राम स्थित आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय भवन में ऊर्जा संरक्षण के लिए लगभग 30% एचवीएसी लोड आवश्यकता को कम करने के लिए ऊर्जा कुशल अग्रभाग और रेडिएंट कूलिंग स्लैब का उपयोग करके डिजाइन और निर्मित किया गया है।	एचवीएसी लोड आवश्यकता में ~30% की कमी
2	रूफटॉप सोलर और डिस्कॉम के ग्रीन टैरिफ का उपयोग	आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय में रूफटॉप सोलर प्लांट 979 किलोवाटपी, आरईसीपीएमटी में 40 किलोवाटपी और तीन क्षेत्रीय कार्यालयों - पंचकुला, लखनऊ और वडोदरा में नए रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता 54 किलोवाटपी है, जो स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके आरईसी कार्यालय की लोड आवश्यकताओं को पूरा करती है इसके अलावा डिस्कॉम-डीएचबीवीएन (ग्रीन टैरिफ सुविधा) से आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय को 100% हरित बिजली	2,248 टन CO_2 उत्सर्जन से बचाव
3	कागज की खपत कम करना	कागज़ की खपत को कम करने के लिए, आरईसी देश भर में अपने सभी कार्यालयों में 'ई-ऑफ़िस' प्रणाली का उपयोग करता है। आरईसी ने अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए सावधानी बरतते हुए, विशेष रूप से महामारी की शुरुआत के बाद, सुरक्षित आईटी सिस्टम और प्रक्रियाओं के माध्यम से दूरस्थ कार्य पद्धतियों का सक्रिय रूप से उपयोग किया है।	-
4	मौजूदा डीजल जनरेटर को द्वि-ईंधन जनरेटर में परिवर्तित करना	जीएचजी उत्सर्जन को न्यूनतम करने के लिए आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय में मौजूदा 1010 केवीए डीजल जनरेटर सेट को द्वि-ईंधन (70% पीएनजी और 30% डीजल) जनरेटर में परिवर्तित किया गया।	वायु उत्सर्जन नगण्य होगा
5	स्वचालित प्रकाश व्यवस्था प्रबंधन प्रणाली	आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय में एक स्वचालित प्रकाश प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की गई है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा की बचत होने की उम्मीद है	जिससे लगभग 10%-20% ऊर्जा की बचत होगी
6	ईवी बेड़े में परिवर्तन	आरईसी ने कार्यालय के पूरे (100%) पारंपरिक बेड़े को ईवी/हाइब्रिड में परिवर्तित कर दिया है।	-

5. **क्या संस्था में व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना विद्यमान है? 100 शब्दों में विवरण / वेब लिंक प्रस्तुत करें:**

आरईसी ने अप्रत्याशित संकटों का सामना करने में संगठनात्मक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई एक व्यापक व्यावसायिक निरंतरता और आपदा पुनर्प्राप्ति योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है। अपनी टीमों को प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए, हम कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं जो विभिन्न आपातकालीन परिदृश्यों को कवर करते हैं।

इसके अलावा, व्यावसायिक निरंतरता योजना की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह नवीनतम विकास के साथ अद्यतित रहे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, प्रबंधन और बोर्ड दोनों को किसी भी बदलाव या प्रगति के बारे में सूचित रखा जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारा दृष्टिकोण मजबूत और अनुकूलनीय बना रहे।

इसके अलावा, हम नियमित रूप से आपदा अभ्यास आयोजित करते हैं जो वास्तविक दुनिया की आपात स्थितियों का अनुकरण करते हैं, जिससे हमें योजना में उल्लिखित हमारी स्थापित प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। इन अभ्यासों का सर्ट-इन द्वारा प्रमाणित बाहरी पेशेवरों द्वारा सावधानीपूर्वक ऑडिट किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारी प्रथाएँ उद्योग मानकों को पूरा करती हैं। इन ऑडिट से प्राप्त प्रतिक्रिया मूल्यवान है; यह निरंतर सुधार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एक अभिन्न अंग है, जिससे हमें अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करने और अपनी प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने में मदद मिलती है।

6. **संस्था की मूल्य श्रृंखला से पर्यावरण पर उत्पन्न होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का प्रकटीकरण करें। इस संबंध में संस्था द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं?**

आरईसी सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार, ताप विद्युत संयंत्रों में उन्नत प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों की स्थापना के वित्तपोषण में सक्रिय रूप से संलग्न है। इस पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणालियों, चयनात्मक उत्प्रेरक न्यूनीकरण (एससीआर) प्रौद्योगिकियों और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ईएसपी) की तैनाती है। ये प्रणालियाँ विद्युत उत्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले हानिकारक उत्सर्जन और कणिकीय पदार्थों को महत्वपूर्ण रूप से कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

आरईसी सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार थर्मल पावर प्लांट में उन्नत प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियों की स्थापना के लिए सक्रिय रूप से वित्तपोषण में लगा हुआ है। इस पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा फ्लू गैस डिसल्फराइज़ेशन 57 180वीं वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 एनर्जाइजिंग लाइव्स एम्पॉवरिंग इंडिया (एफजीडी) सिस्टम, सिलेक्टिव कैटालिटिक

रिडक्शन (एससीआर) प्रौद्योगिकियों और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स (ईएसपी) की तैनाती शामिल है। ये सिस्टम बिजली उत्पादन के दौरान उत्पन्न हानिकारक उत्सर्जन और पार्टिकुलेट मैटर को महत्वपूर्ण रूप से कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आरईसी ने अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को वित्तपोषित करके पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। इन परियोजनाओं को पारंपरिक थर्मल पावर प्लांट की तुलना में उनकी बेहतर थर्मल दक्षता द्वारा पहचाना जाता है, जो ईंधन की खपत को कम करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में योगदान देता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, आरईसी ने कुल 2 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो ₹ 22,228.25 करोड़ की राशि है। यह निवेश भारत में सतत ऊर्जा विकास के लिए आरईसी के दूरदर्शी दृष्टिकोण और समर्पण को दर्शाता है।

7. **उन मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया:**

आरईसी एक एनबीएफसी है, इसलिए यह परियोजनाओं का स्वामित्व या निष्पादन/कार्यान्वन नहीं करती है। आरईसी द्वारा वित्तपोषित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, कंपनी को अपने उधारकर्ताओं से लागू नियमों और विनियमों के अनुसार पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

8. **कितने ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न या प्राप्त किए गए हैं:**

क. सूचीबद्ध इकाई द्वारा

आरईसी ने अपने इनहाउस रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन से कुल 1,308 मेगावाट-घंटे (एमडब्ल्यूएच) स्वच्छ सौर ऊर्जा उत्पन्न करके एक उल्लेखनीय मील का पत्थर हासिल किया है, जिसकी कॉर्पोरेट कार्यालय में 979 किलोवाटपी, आरईसीपीएमटी में 40 किलोवाटपी और तीन क्षेत्रीय कार्यालयों (पंचकुला, लखनऊ और वडोदरा) में 54 किलोवाटपी की संयुक्त क्षमता है। अपने पर्यावरणीय प्रभाव को और बढ़ाने के लिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने डिस्कॉम-डीएचबीवीएनएल की ग्रीन टैरिफ सुविधा के माध्यम से आरईसी कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए 100% हरित ऊर्जा प्राप्त की है। इन उपलब्धियों ने 2,248 टन कार्बन उत्सर्जन से बचने के लिए कार्बन उत्सर्जन को काफी कम कर दिया है। इस कमी को 2,248 कार्बन क्रेडिट के उत्पादन के रूप में परिमाणित किया जा सकता है, जो स्थिरता के लिए आरईसी की प्रतिबद्धता पर जोर देता है।

इसके अतिरिक्त, आरईसी ने पिछले वित्तीय वर्ष में एक स्वचालित प्रकाश प्रबंधन प्रणाली को चालू करके अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में ऊर्जा दक्षता में प्रगति की है। इस प्रणाली का उद्देश्य अधिभोग और प्राकृतिक प्रकाश स्तरों के अनुसार स्वचालित रूप से प्रकाश को समायोजित करके ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करना है, जो संगठन के स्थिरता प्रयासों में और योगदान देता है।

ख. शीर्ष दस द्वारा (क्रमशः खरीद, बिक्री और मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्य के संदर्भ में)

चूंकि आरईसी के संचालन का आधार परियोजना वित्त में निहित है, इसलिए संगठन ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के अपने पोर्टफोलियो के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, शीर्ष दस नवीकरणीय परियोजनाओं, जिन्हें आरईसी ने सफलतापूर्वक वित्त पोषित किया, ने कुल 76,31,892 टन कार्बन उत्सर्जन से बचाव किया। यह उल्लेखनीय उपलब्धि 76,31,892 कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने के बराबर है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में इन परियोजनाओं द्वारा किए गए सकारात्मक योगदान को दर्शाता है।

आरईसी द्वारा वित्त पोषित सभी नवीकरणीय परियोजनाओं को शामिल करने के लिए दायरे का विस्तार करते समय, कुल बचा हुआ उत्सर्जन लगभग 1,22,05,515 टन तक पहुंच जाता है, जो 12.2 मिलियन टन के बराबर है। अधिक सटीक एट्रिब्यूशन के लिए पीसीएएफ (पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल) पद्धति का उपयोग करते हुए, इन बचाए गए उत्सर्जन में आरईसी का प्रत्यक्ष योगदान 76,43,770 टन है। यह नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक वित्तपोषण के माध्यम से सतत विकास को आगे बढ़ाने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में आरईसी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

सिद्धांत 7 - व्यवसायों को लोक और विनियामक नीति लागू करते समय उत्तरदायी और पारदर्शी तरीका अपनाना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **क. व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों से संबद्धता की संख्या: 3 (तृतीय) संबद्धताएँ**

ख. उन शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची प्रस्तुत करें, जिनकी संस्था सदस्य है/संबद्ध है।

क्रम संख्या	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों का नाम	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)	राष्ट्रीय
2	भारत की विद्युत नींव	राष्ट्रीय
3	प्रेस क्लब ऑफ इंडिया	राष्ट्रीय

2. **नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें:**

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
नियामक प्राधिकरणों की ओर से कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया।		

नेतृत्व संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित लोक नीति पदों का विवरण।

क्रम संख्या	लोक नीति का समर्थन	इस तरह के पक्षसमर्थन के लिए अपनाई गई विधि	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हां/नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो

आरईसी लिमिटेड: सतत ऊर्जा और अवसंरचना विकास के लिए सार्वजनिक नीति को उत्प्रेरित करना

आरईसी लिमिटेड, एक "महारत्न" केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई), भारत के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक अग्रणी अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में कार्य करता है। यह देश की ऊर्जा और अवसंरचना नीतियों के विकास और समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

विद्युत मंत्रालय की एक रणनीतिक शाखा के रूप में, आरईसी देश भर में विद्युत अवसंरचना को बढ़ावा देने और विकसित करने वाली सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार है। अपने राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप, आरईसी नीतिगत समर्थन और कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जिसका ध्यान सतत ऊर्जा को बढ़ावा देने, समान पहुँच सुनिश्चित करने और देश भर में अवसंरचना के आधुनिकीकरण पर केंद्रित है।

1. भारत के हरित ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु लक्ष्यों में तेजी लाना

नीतिगत उद्देश्य: पेरिस समझौते के तहत भारत की पंचामृत जलवायु प्रतिबद्धताओं का समर्थन करना, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण, स्वच्छ प्रौद्योगिकी संवर्धन और ऊर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

समर्थन के तरीके:

- ***रणनीतिक वित्तपोषण के माध्यम से प्रदर्शन:***

आरईसी के नवीकरणीय ऊर्जा ऋण पोर्टफोलियो में साल-दर-साल 49% की वृद्धि हुई, जिससे स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के वित्तपोषण में कंपनी की भूमिका और मज़बूत हुई और क्षेत्रीय विकास के लिए मानक स्थापित हुए।

- ***विचार नेतृत्व और उद्योग जुड़ाव:***

आरईसी प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भाग लेकर, स्थिति पत्र प्रकाशित करके और क्षेत्र के हितधारकों के साथ सहयोग करके नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता की सक्रिय रूप से समर्थन करता है।

सार्वजनिक डोमेन: हाँ (रिपोर्ट आरईसी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं)

2. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के माध्यम से रूफटॉप सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना

नीतिगत उद्देश्य: आवासीय रूफटॉप सौर प्रणालियों को अपनाने में तेज़ी लाना, परिवारों के लिए ऊर्जा की पहुँच और सामर्थ्य में सुधार करना।

समर्थन के तरीके:

राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन भूमिका: आरईसी, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (कुल परिव्यय: ₹75,021 करोड़) के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (एनपीआईए) है, जिसका उद्देश्य है:

- 1 करोड़ घरों को कवर करना
- प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना

कार्यान्वयन की उपलब्धि: *वित्तीय वर्ष 2025-26 तक, आरईसी ने 3.3 मिलियन से अधिक रूफटॉप सौर कनेक्शनों की सुविधा प्रदान की है, जिससे 10 गीगावाट वितरित नवीकरणीय क्षमता का योगदान हुआ है।*

सार्वजनिक डोमेन: हाँ (आरईसी वेबसाइट और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की विज्ञप्तियों पर रिपोर्ट)।

3. सार्वभौमिक विद्युतीकरण और ग्रिड आधुनिकीकरण

नीतिगत उद्देश्य: सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना और विश्वसनीयता, सामर्थ्य और स्थिरता के लिए बिजली वितरण प्रणालियों में परिवर्तन करना।

समर्थन के तरीके:

- **नोडल एजेंसी के रूप में कार्यान्वयन नेतृत्व:**

वर्तमान में, आरईसी को भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं, पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए 19 राज्यों में नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, जो ग्रिड उन्नयन, हानि न्यूनीकरण और स्मार्ट मीटरिंग में सहायता प्रदान करती है।

- **जन जागरूकता और आउटरीच अभियान:**

आरईसी, आरडीएसएस के लिए जन संचार का नेतृत्व करता है, और विद्युत मंत्रालय की ओर से जनसंचार माध्यमों और जमीनी स्तर पर सक्रियता के माध्यम से स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग जैसी पहलों को बढ़ावा देता है।

सार्वजनिक डोमेन: योजना दस्तावेज़, आरईसी वेबसाइट और विद्युत मंत्रालय के संचार

4. **विद्युत क्षेत्र के प्रशासन और उपभोक्ता सेवाओं को सुदृढ़ बनाना**

नीतिगत उद्देश्य: विद्युत मूल्य श्रृंखला में प्रशासन को बढ़ावा देना, डिस्कॉम के प्रदर्शन में सुधार लाना और उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ाना।

समर्थन के तरीके:

- सार्वजनिक नीति की वकालत: उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार, नियामक अनुपालन को बढ़ावा देना और डिस्कॉम के प्रदर्शन और उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ावा देना।
- समर्थन का तरीका: नीति परामर्श और अनुसंधान: आरईसी, विद्युत मंत्रालय को नीति निर्माण और नियामक अनुपालन पर सलाह देता है। इसमें शामिल हैं:
- डिस्कॉम्स की उपभोक्ता सेवा रेटिंग (सीएसआरडी) रिपोर्ट प्रकाशित करना, जो 4 प्रमुख मापदंडों के 23 पूर्व-निर्धारित उप-मापदंडों पर आधारित है:

  - परिचालन विश्वसनीयता

  - कनेक्शन और अन्य सेवाएँ

  - मीटरिंग, बिलिंग और संग्रहण

  - दोष सुधार और शिकायत निवारण

  (उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 में, 6 डिस्कॉम्स क+ थे, 21 क श्रेणी में) ताकि परिचालन विश्वसनीयता, कनेक्शन, मीटरिंग, बिलिंग और शिकायत निवारण में सुधार को प्रोत्साहित किया जा सके। (वेब लिंक: https://recindia.com/consumer-service-rating-of-discoms)

*वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सीएसआरडी रिपोर्ट का 5वां संस्करण 20 मार्च 2026 को माननीय विद्युत और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा भारत विद्युत शिखर सम्मेलन में 66 डिस्कॉम विद्युत विभागों की भागीदारी के साथ सफलतापूर्वक जारी किया गया था।

- पावरथॉन (चरण 1 फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया) जैसे ढांचे विकसित करना, डिस्कॉम समस्या समाधान के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों एआई/एमएल का लाभ उठाना (उदाहरण के लिए एटी एंड सी नुकसान, लोड पूर्वानुमान)। नवंबर 2024 में, पावरथॉन कार्यक्रम का चरण 2 विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था जिसमें आरडीएसएस के तहत सरकारी अनुदान और सहायता प्रदान की जाती है।

  कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ नीचे दी गई हैं:

  - पावरथॉन-2024 के अंतर्गत सहायता के लिए कुल 40 प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाताओं (टीएसपी) की योजना बनाई गई है।

  - प्रत्येक टीएसपी कार्यक्रम के तहत स्वीकृत अनुदान के लिए पात्र होगा।

  - क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (टीबीआई) टीएसपी को अनुदान वितरण के साथ-साथ इनक्यूबेशन सहायता भी प्रदान करेंगे।

  - कार्यक्रम के तहत गठित एक विशेषज्ञ और तकनीकी समिति प्रगति की निगरानी करेगी और टीएसपी को अनुदान स्वीकृत करेगी।

  लक्षित प्रमुख समस्या क्षेत्र:

  - सटीक मांग/भार पूर्वानुमान/विद्युत क्रय लागत अनुकूलन

  - मांग पक्ष प्रबंधन- विद्युत गुणवत्ता में सुधार

  - वितरण प्रणाली में नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण

  - वितरण प्रणाली में पुनः एकीकरण

  - ऊर्जा मीटर पुनर्चक्रण

  - डिजिटल ट्विन

  - स्मार्ट मीटरिंग

  - वितरण परिसंपत्ति प्रबंधन

  वितरण परिसंपत्ति प्रबंधन (वेब लिंक: https://recindia.com/uploads/files/co-ursi-Powerthon-2024-dt-050225.pdf)

- विद्युत मंत्रालय की ओर से पहली बार आरईसी द्वारा वितरण उपयोगिता रैंकिंग रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें सीएसआरडी, पीएफसी द्वारा प्रकाशित एकीकृत रिपोर्ट और विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित अन्य मापदंडों से प्राप्त इनपुट शामिल हैं। रैंकिंग निम्नलिखित 6 मानकों के विशिष्ट भार पर आधारित है:

  - पीएफसी द्वारा जारी डिस्कॉम की वार्षिक एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग (35%)

  - डिस्कॉम की उपभोक्ता सेवा रेटिंग (35%)

  - आरपीओ उपलब्धि (5%)

  - संचार प्रणाली मीटरिंग (5%)

- मांग पक्ष प्रतिक्रिया (5%)

- संसाधन पर्याप्तता (15%)

रिपोर्ट यहाँ देखी जा सकती है (वेब लिंक: https://recindia.com/uplods/files/co-usri-dur-report-fy-24-25-dt200326.pdf)

*वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए डीयूआर रिपोर्ट का दूसरा संस्करण 20 मार्च 2026 को माननीय विद्युत और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा 66 डिस्कॉम/विद्युत विभागों के साथ भारत विद्युत शिखर सम्मेलन में सफलतापूर्वक जारी किया गया था।

- *नोडल एजेंसी के रूप में आरईसी लिमिटेड के नेतृत्व में, इंडिया एनर्जी स्टैक (आईईएस) भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की एक ऐतिहासिक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) पहल है, जिसे भविष्य के लिए तैयार, इंटरऑपरेबल और डेटा-संचालित ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए तैयार किया गया है। समान विशिष्टताओं और मानकों के माध्यम से बिजली प्रणाली में खुले डेटा विनिमय और इंटरऑपरेबिलिटी को सुविधाजनक बनाने के लिए हितधारकों और संपत्तियों की पहचान करने और उन्हें जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे ऊर्जा तक पारदर्शी, विश्वसनीय, समावेशी, कुशल और किफायती पहुंच को अनलॉक किया जा सके।*

  (वेब लिंक: https://recindia.com/india-energy-stack)

- विद्युत उपयोगिताओं के प्रमुख नियामक मानकों" पर रिपोर्ट प्रकाशित करना। (वेब लिंक: https://recindia.com/RegulatoryParameters)
- विद्युत मंत्रालय पहलों का कार्यान्वयन: ऊर्जा लेखांकन और लेखा परीक्षा जैसी विद्युत मंत्रालय की अन्य पहलों को क्रियान्वित करना।

  सार्वजनिक डोमेन: हाँ (आरईसी वेबसाइट और विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट)।

क्रॉस-कटिंग एंगेजमेंट प्लेटफ़ॉर्म

विशिष्ट कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेपों के अलावा, आरईसी का रणनीतिक नीतिगत प्रभाव निम्नलिखित माध्यमों से भी प्रसारित होता है:

- **नियामक परामर्श:**

आरईसी के बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन समय-समय पर संबंधित मंत्रालयों के कार्य समूहों में नियमित रूप से शामिल होते हैं और नियामक प्राधिकरणों को इनपुट प्रदान करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि नीति निर्माण के दौरान क्षेत्रीय चिंताओं का समाधान किया जाए।

- **आरईसी के वरिष्ठ अधिकारी चयनित वितरण कंपनियों के बोर्ड में बैठते हैं, जहाँ भारत सरकार की नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित की जाती है और राज्य नीतियाँ बनाई जाती हैं।**
- **आरईसीपीडीसीएल क्षेत्र-स्तरीय प्रतिक्रिया:**

आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, आरईसीपीडीसीएल, निम्नलिखित जैसी जमीनी स्तर की परियोजनाओं को क्रियान्वित करती है:

- स्मार्ट मीटरिंग परिनियोजन
- 11 केवी ग्रामीण फीडर निगरानी योजना
- लद्दाख ग्रिड अवसंरचना विकास
- राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली (आरडीएसएस के अंतर्गत)

ये पहल अनुभवजन्य साक्ष्य और परिचालन प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं, जिससे वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के आधार पर नीतिगत ढाँचों को परिष्कृत करने में मदद मिलती है।

निष्कर्ष: राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप समर्थन

आरईसी का सार्वजनिक नीति सहभागिता मॉडल बहुआयामी है जो विचार नेतृत्व, डेटा पारदर्शिता, प्रत्यक्ष योजना निष्पादन और रणनीतिक वित्तपोषण पर आधारित है। यह एकीकृत दृष्टिकोण आरईसी को क्षेत्रीय सुधारों को गति देने, जलवायु और ऊर्जा पहुँच लक्ष्यों का समर्थन करने और एक लचीले, टिकाऊ बिजली क्षेत्र के भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करता है।

सिद्धांत 8 - व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण:

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित परिणाम (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
लागू नहीं					

2. उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत करें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) का कार्य किया जा रहा है:

क्रम संख्या	परियोजना का नाम जिसके लिए आर एंड आर किया जा रहा है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या	आरएंडआर द्वारा कवर किए गए परियोजना प्रभावित परिवारों का प्रतिशत	वित्त वर्ष में परियोजना प्रभावित परिवारों को भुगतान की गई राशि (₹ में)
लागू नहीं						

3. **समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनके निवारण के तंत्र का वर्णन करें।**

शिकायत प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की सरकार की पहल के जवाब में, आरईसी ने अपने लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के साथ एकीकृत करके एक महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा प्रबंधित यह व्यापक राष्ट्रीय मंच विभिन्न क्षेत्रों में शिकायतों को दर्ज करने और उनका समाधान करने के लिए एक केंद्रीकृत केंद्र के रूप में कार्य करता है। सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से, नागरिकों को विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में शिकायतें दर्ज करने का अवसर मिलता है, जिनमें आरईसी के संचालन और सेवाओं से सीधे संबंधित सेवाएँ भी शामिल हैं।

यह एकीकरण सुनिश्चित करता है कि सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से प्रस्तुत सभी शिकायतों का स्थापित राष्ट्रीय मानकों के अनुसार और निर्धारित समय-सीमा के भीतर सावधानीपूर्वक समाधान किया जाए, जो समय पर और प्रभावी समाधान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आरईसी का शिकायत निवारण प्रकोष्ठ प्राप्त शिकायतों पर व्यवस्थित रूप से नज़र रखकर और उनका प्रबंधन करके इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दृष्टिकोण न केवल शिकायत निवारण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, बल्कि जनता के लिए पहुँच को भी बढ़ाता है। नागरिक आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, अपनी शिकायतों की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं और अपनी चिंताओं के समाधान के लिए की गई कार्रवाई पर समय पर अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर, यह पहल जवाबदेही को बढ़ावा देने और आरईसी के साथ बातचीत करने वाले हितधारकों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

4. **आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट):**

	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
एमएसएमई/लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त	64.42%	44.83%
सीधे भारत के भीतर से	100%	100%

5. **छोटे शहरों में रोजगार सृजन - निम्नलिखित अवस्थितियों पर कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी / संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों या कामगारों सहित) को कुल वेतन लागत के प्रतिशत के रूप में संदत्त वेतन का प्रकटीकरण करें**

अवस्थिति	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
ग्रामीण	0%	0%
अर्ध शहरी	0%	0%
शहरी	6.20%	13.84 %
महानगर	93.80%	86.16 %

नेतृत्व संकेतक

1. **सामाजिक प्रभाव आकलन में अभिचिह्नित किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें (संदर्भ: आवश्यक संकेतकों का उपरोक्त प्रश्न 1):**

अभिचिह्नित नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं	

2. **सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें:**

क्रम संख्या	राज्य	आकांक्षी जिला*	खर्च की गई राशि ₹
1	बिहार	बांका	2,75,86,734
2	महाराष्ट्र	गडचिरोली	6,73,909
3	ओडिशा	गजपति	1,67,96,593
4	बिहार	मुजफ्फरपुर	2,52,61,113
5	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर	7,78,58,197
6	उतराखंड	उधम सिंह नगर	6,60,702
7	सिक्किम	पश्चिम सिक्किम	3,98,92,855

**आकांक्षी जिला" भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक नाम है जिसका उद्देश्य अपेक्षाकृत अविकसित जिलों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति (स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास) में सुधार करना है।*

3. **(क) क्या आपकी संस्था में कोई अधिमान्य खरीद नीति है जिसके तहत आप अधिकारहीन/कमजोर समूहों के आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हां/नहीं)**

हां, आरईसी में एमएसएमई से सार्वजनिक खरीद का समर्थन करने की नीति है।

यह नीति https://recindia.com/uploads/files/RECPolicy-for-MSME-11022022.pdf पर उपलब्ध है।

(ख) आप कौन-से अधिकारहीन/कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?

आरईसी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) होने के नाते, भारत सरकार की सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 (लिंक: https://dcmsme.gov.in/pppm.htm.aspx) का पालन करने के लिए अधिकृत है। इस नीति में, जिसे समय के साथ संशोधित किया गया है और नीति में नवीनतम संशोधनों के अनुसार, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को एमएसई से निम्नलिखित लक्ष्यों को प्रतिवर्ष पूरा करना आवश्यक है:

1) वस्तुओं और सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का 25%।

2) अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद के लिए 25% के भीतर 4% का उप-लक्ष्य।

3) महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद के लिए 25% के भीतर 3% का उप-लक्ष्य।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, हमने अपनी आंतरिक नीति को इस प्रकार से तैयार किया है कि सामान्यतः उपयोग में आने वाली वस्तुओं और सेवाओं की खरीद केवल एमएसई विक्रेताओं से ही की जाए 10 लाख रुपये तक। यह पहल हमारी आपूर्ति श्रृंखला में उनकी वृद्धि और भागीदारी को बढ़ावा देने में मदद करती है।

हमने एमएसई की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय लागू किए हैं:

- मूल्य वरीयता: यदि कोई गैर- एमएसई विक्रेता सबसे कम बोली (एल1) प्रस्तुत करता है, तो भी एमएसई को एल1 मूल्य के बराबर बोली लगाकर अनुबंध प्रदान किया जा सकता है, बशर्ते उनकी प्रारंभिक बोली एल1 मूल्य के 15% के भीतर हो। यह प्रावधान तब लागू होता है जब किसी ऑर्डर को कई विक्रेताओं के बीच विभाजित किया जा सकता है।
- कम वित्तीय बाधाएँ: पंजीकृत एमएसई को निविदा दस्तावेज़ निःशुल्क प्राप्त होते हैं और उन्हें बयाना राशि जमा करने से छूट दी जाती है, जिससे उनके लिए हमारे अनुबंधों पर बोली लगाना आसान हो जाता है।
- विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी): हम एमएसई को अपने खरीदारों से जोड़ने, उन्हें हमारी आवश्यकताओं को समझने में मदद करने और उन्हें प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्ता बनने के लिए तैयार करने हेतु वीडीपी का आयोजन करते हैं। इन सहायक उपायों को लागू करके, हम एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत खरीद वातावरण बना रहे हैं जो एमएसई क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देता है

(ग) यह कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है?

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एमएसई से आरईसी की खरीद उल्लेखनीय रूप से 64.42% रही, जो अनिवार्य न्यूनतम से कहीं अधिक है। हालांकि, इसमें कंपनी की भूमिका सीमित है, क्योंकि आरईसी को सरकारी खरीद लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए विक्रेताओं द्वारा अपने स्वयं के विविधता दावों की रिपोर्ट करने पर निर्भर रहना पड़ता है।

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर (चालू वित्त वर्ष में) आपकी संस्था के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण

क्रम संख्या	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व/अर्जित (हां/नहीं)	लाभ साझा किया गया (हाँ / नहीं)	हिस्सेदारी की गणना का आधार
लागू नहीं				

5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल हो:

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
बौद्धिक संपदा संबंधी विवादों के संबंध में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया।		

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

क्रम संख्या	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और अधिकारहीन समूहों के लाभार्थियों का प्रतिशत
1	जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर के सर्जिकल विभाग में चिकित्सा उपकरणों की खरीद, स्थापना और कमीशनिंग	15,000	90
2	शंकर नेत्र अस्पताल, सहरसा, बिहार के लिए चिकित्सा उपकरणों और गैर-चिकित्सीय उपकरणों की खरीद, स्थापना और कमीशनिंग को शंकर नेत्र अस्पताल, पम्मल चेन्नई द्वारा कार्यान्वित	25,000	80
3	भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर (आईआईएससी) द्वारा कार्यान्वित आईआईएससी मेडिकल स्कूल, बैंगलोर में रोबोटिक सर्जरी विंग के लिए मेडट्रॉनिक क्रेनियल रोबोट की खरीद	वार्षिक रूप से 345 सर्जरी की जाती हैं	50
4	सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन द्वारा कार्यान्वित उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों में 29 सार्वजनिक शौचालय परिसरों का निर्माण	54,000	40
5	अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना सोसायटी (इस्कॉन) द्वारा मथुरा, उत्तर प्रदेश में भक्तिवेदांत विश्वविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद, स्थापना और कमीशनिंग	30 शोधकर्ता 300 रोगी	
6	"सभी के लिए नेत्र देखभाल" - मोतियाबिंद सर्जरी के लिए 8000 लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने की एक पहल, जिसे शंकरा नेत्र अस्पताल द्वारा कार्यान्वित किया गया	8,000	90
7	महर्षि विश्वामित्र स्वायत्त राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गाजीपुर उत्तर प्रदेश में चिकित्सा उपकरणों की खरीद, स्थापना और कमीशनिंग	5,000	80
8	तमिलनाडु के कृष्णागिरी, तूतीकोरिन, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, नीलगिरि, तेनकासी, विरुधुनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और मुफ्त जेनेरिक दवा वितरण के लिए 7 मोबाइल मेडिकल यूनिटों की खरीद और तैनाती, जिसे आईआरसीएस तमिलनाडु द्वारा कार्यान्वित किया गया है	33,162	100
9	श्री चैतन्य हेल्थ एंड केयर ट्रस्ट द्वारा मथुरा के बरसाना स्थित भक्तिवेदांत अस्पताल में 5000 फेकोइमल्सीफिकेशन सर्जरी	5,000	90
10	अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में सभागार का नवीनीकरण और संवर्धन	2,391	28

क्रम संख्या	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और अधिकारहीन समूहों के लाभार्थियों का प्रतिशत
11	बांका के सदर अस्पताल में लैप्रोस्कोपी, एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन के साथ मॉड्यूलर जनरल ओ.टी. और नेत्र संबंधी माइक्रोस्कोप मशीनों और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ पूर्ण मॉड्यूलर आई.ओ.टी. और बांका जिले के धोरैया और बेलहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ मॉड्यूलर जनरल ओ.टी. की खरीद और स्थापना	1,500	80
12	माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में चिकित्सा उपकरणों की खरीद, स्थापना और कमीशनिंग	3,87,486	100
13	उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सेवरथ संस्थान सेठ बिमल कुमार जैन ट्रॉमा एंड फिजियोथेरेपी धर्मार्थ समिति (एसएसबी) में ट्रॉमा सेंटर में लीनियर एक्सीलरेटर (एलआईएनएसी) मशीन की खरीद, स्थापना और कमीशनिंग	500	80
14	गुजरात के 6 जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए 6 मोबाइल मेडिकल यूनिट की खरीद और तैनाती और आईआरसीएस गुजरात राज्य शाखा, अहमदाबाद द्वारा कार्यान्वित मुफ्त जेनेरिक दवा वितरण	31,780	100
15	श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बीएमवीएसएस), जयपुर द्वारा कार्यान्वित भारत भर में 8000 कृत्रिम अंग, कैलीपर्स और अन्य सहायक उपकरण प्रदान करके दिव्यांगजनों का पुनर्वास	6,000	100
16	एम्स रायपुर में उन्नत हृदय फेफड़ा मशीन की खरीद, स्थापना और कमीशनिंग।	150	90
17	ओडिशा के गजपति जिले में टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग और टीबी रोगियों को पोषण सहायता प्रदान करना, ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड (ममता-एचआईएमसी) द्वारा कार्यान्वित किया गया	50,000	70
18	प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए 07 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) की खरीद और तैनाती और आंध्र प्रदेश के पीवीपी मनयम, एएसआर पादेरू, डॉ बीआर अम्बेडकर कोनासीमा, तिरुपति, पश्चिम गोदावरी, नंद्याल और पलानाडु में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस) के लिए मुफ्त जेनेरिक दवा वितरण	31,000	100
19	भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस), तमिलनाडु द्वारा कार्यान्वित तमिलनाडु के 3 शिवगंगा, रामनाथपुरम और थेनी में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और मुफ्त जेनेरिक दवा वितरण के लिए 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट की खरीद और तैनाती	22,000	100
20	सेवा इंटरनेशनल द्वारा त्रिपुरा के दक्षिण जिले और धलाई में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और मुफ्त जेनेरिक दवा वितरण के लिए 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट की खरीद और तैनाती	15,100	100
21	कर्नाटक के मैसूर और बेंगलुरु ग्रामीण में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और मुफ्त जेनेरिक दवा वितरण के लिए जुबिलेंट भारतिया फाउंडेशन (जेबीएफ) द्वारा कार्यान्वित 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट की खरीद और तैनाती	9,759	100
22	विकास भारती बिशुनपुर द्वारा झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और मुफ्त जेनेरिक दवा वितरण के लिए 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट की खरीद और तैनाती की गई।	20,000	100
23	छत्तीसगढ़ के जशपुर, बलरामपुर और सूरजपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और मुफ्त जेनेरिक दवा वितरण के लिए 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट की खरीद और तैनाती	19,300	100
24	भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस), चंडीगढ़ द्वारा कार्यान्वित पंजाब के गुरदासपुर, जालंधर, बरनाला और पटियाला में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और मुफ्त जेनेरिक दवा वितरण के लिए 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट की खरीद और तैनाती	18,527	100
25	प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए 2 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की खरीद और तैनाती और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए मुफ्त जेनेरिक दवा वितरण, गढ़चिरोली, महाराष्ट्र में सीए और एफओ, गढ़चिरोली द्वारा कार्यान्वित किया गया	13,000	100
26	सीएसआर अकादमी द्वारा कार्यान्वित उत्तराखंड के उधम सिंह नगर, टिहरी गढ़वाल और हरिद्वार में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और मुफ्त जेनेरिक दवा वितरण के लिए 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट की खरीद और तैनाती	27,343	100
27	राजस्थान के अलवर, खैरथल-तिजारा और बेहरोर-कोटपुतली में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और मुफ्त जेनेरिक दवा वितरण के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस), अलवर द्वारा कार्यान्वित 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट की खरीद और तैनाती	28,913	100
28	प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए 10 मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिकों की खरीद और तैनाती और सारंगढ़ और मोहला-मानपुर में मुफ्त जेनेरिक दवा वितरण, डॉक्टरों फॉर यू द्वारा कार्यान्वित	70,000	100
29	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए), इम्फाल पश्चिम द्वारा कार्यान्वित 17 खुले जिम वांगोई, इम्फाल पश्चिम, मणिपुर का निर्माण और स्थापना	5,000	70
30	कांची कामकोटी चिल्डस ट्रस्ट अस्पताल, चेन्नई में चिकित्सा उपकरणों की खरीद, स्थापना और कमीशनिंग	5,000	80

क्रम संख्या	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और अधिकारहीन समूहों के लाभार्थियों का प्रतिशत
31	सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), पंजाब द्वारा कार्यान्वित पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर और अबोहर जिलों में बीएसएफ सैनिकों के कार्यस्थल पर 500 शौचालयों के निर्माण की परियोजना।	5,000	50
32	श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर, बिहार में रोगी परिचारकों के लिए 200 बिस्तरों वाले विश्राम सदन का निर्माण डीसी मुजफ्फरपुर द्वारा कार्यान्वित किया गया	3,000	90
33	डीसी मुजफ्फरपुर द्वारा कार्यान्वित 100 बिस्तरों वाले प्रतीक्षालय का निर्माण, मरीजों के परिचारकों के लिए बहुउद्देशीय हॉल और इन्क्यूबेशन सेंटर का निर्माण, जिला अस्पताल और पीएचसी में 5 इनक्यूबेटर की खरीद और स्थापना	2,500	90
34	प्रोजेक्ट शक्ति पहल: अलवर, राजस्थान के लिए स्वच्छ और आत्मविश्वासपूर्ण अवधि - मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता स्कूल जागरूकता कार्यक्रम, सची सहेली द्वारा कार्यान्वित	3,000	90
35	लघु हृदय उपचार 2.0 - जन्मजात हृदय रोग (सीएचडी) से पीड़ित बच्चों को मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए श्री सत्य साई स्वास्थ्य और शिक्षा ट्रस्ट (एसएसएचईटी) द्वारा कार्यान्वित एक आरईसी पहल	1,100	100
36	भाग्योदय चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कार्यान्वित, हिम्मतनगर के भाग्योदय अस्पताल में विभिन्न विभागों के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद, स्थापना और कमीशनिंग	1,000	70
37	भारत में विभिन्न स्थानों पर श्रवण बाधित बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांट की आपूर्ति और फिटमेंट, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई द्वारा कार्यान्वित	70	100
38	डीसी मुजफ्फरपुर द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर में आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) का नवीनीकरण, खाद्यान्न भंडारण के लिए कंटेनर, एलपीजी गैस कनेक्शन और एडब्ल्यूसी में प्रसवपूर्व देखभाल कोरोंर की स्थापना की गई	10,000	90
39	सपना द्वारा कार्यान्वित। 140 बिस्तरों वाले घर (आनंदम के ब्लॉक-बी और पार्ट ब्लॉक-सी) का निर्माण - बेघर, बीमार, निराश्रित, अज्ञात और बुजुर्ग लोगों के लिए घर	140	100
40	छत्तीसगढ़ में पोषण सुरक्षा और आजीविका सृजन को संबोधित करने के लिए मिलेट आधारित पाक परंपरा का पुनरुद्धार, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय फाउंडेशन फॉर रूरल टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीएसवीटीयू-फोर्टे) द्वारा कार्यान्वित	15,000	80
41	नागालैंड के मोकोकचुंग में डॉ. इमकोंगलिबा मेमोरियल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल (आईएमडीएच) में सीटी स्कैन मशीन की खरीद, स्थापना और कमीशनिंग डीसी मोकोकचुंग द्वारा कार्यान्वित की गई	1,000	90
42	परम विज्ञान, नवाचार, इतिहास और सांस्कृतिक केंद्र - जन सेवा ट्रस्ट द्वारा कार्यान्वित बैंगलोर में सुविधा संवर्धन और अतिथि आवास विकास	1,000	50
43	केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) द्वारा कार्यान्वित भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम), शहीदों और उनकी विधवाओं के बच्चों को शिक्षा अनुदान प्रदान करने के लिए सशस्त्र बल झंडा दिवस निधि (एएफएफडीएफ) में योगदान	16,600	100
44	रामकृष्ण मिशन द्वारा कार्यान्वित तमिलनाडु के रामकृष्ण मिशन विद्यालय, कोयंबटूर में तकनीकी परिसर में कार्यशाला और कक्षा भवन का निर्माण	1,300	100
45	जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिम सिक्किम द्वारा पश्चिम सिक्किम में स्कूली शिक्षा का रूपांतरण	3,000	80
46	विज्ञान और शैक्षिक विकास इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के 300 सरकारी स्कूलों में आनंदमय शिक्षण संसाधन प्रयोगशाला के साथ 300 सौर ऊर्जा संचालित स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की गईं	6,000	100
47	कर्नाटक के हावेरी जिले के हंगल तालुक के मल्लिगर गांव में राष्ट्रोत्थान परिषद, बैंगलोर द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रोत्थान विद्या केंद्र सीबीएसई स्कूल की स्थापना	500	70
48	कर्नाटक के हावेरी जिले के हंगल तालुक के मल्लिगर गांव में राष्ट्रोत्थान विद्या केंद्र के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण, जिसे राष्ट्रोत्थान परिषद, बैंगलोर द्वारा कार्यान्वित	500	80
49	सीखें और कमाएं- परिधान प्रशिक्षण और डिजाइन केंद्र द्वारा तीन वर्षों की अवधि में वस्त्र निर्माण और उद्यमिता में 300 युवाओं को स्नातक की डिग्री प्रदान करने के लिए एक आरईसी पहल	300	100
50	आरईसी-रूपंतर रोल मॉडल स्कूल, श्री अरबिंदो सोसाइटी द्वारा कार्यान्वित 02 राज्यों और 02 संघ शासित प्रदेशों के 250 स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप	70,000	50
51	प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी द्वारा कार्यान्वित भारत माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और श्रीमती सिरकुणवर्देवी मोहता विद्यालय, हिंगनघाट, वर्धा महाराष्ट्र में 13 नए कक्षाओं का निर्माण	700	70
52	विद्यालय भवन का विस्तार और सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम कक्षाएं शुरू करना, जयपुर राजस्थान, प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर द्वारा कार्यान्वित	5,000	50
53	कला, विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय, चिखलदारा, अमरावती, महाराष्ट्र में आईसीटी, स्मार्ट क्लास रूम और प्रयोगशाला उपकरण/उपकरण, किताबें, ई-पुस्तकें और ई-जर्नल्स (सीखने के संसाधन पुस्तकालय) की खरीद और स्थापना, कला, विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय के लिए एसआईपीएनए शिक्षण प्रसार मंडल (एसएसपीएम) द्वारा कार्यान्वित	500	80
54	1000 स्कूल बेंच, 1250 बंक बेड, प्लास्टिक कचरे से बने 5000 आरपीईटी (रीसाइकिल्ड पॉलिएस्टर) टी-शर्ट प्रदान करना, जो जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन फाउंडेशन (जेसीकेआईएफ), आईआईटी जोधपुर द्वारा कार्यान्वित	5,000	100
55	आंध्र से कनेक्ट द्वारा कार्यान्वित, जिला परिषद हाई स्कूल मोरज़ाम्पाडु (वी), माचावरम मंडल पलनाडु, आंध्र प्रदेश में तीन कक्षाओं, भोजन कक्ष और एक डिजिटल कक्षा का निर्माण	1,500	90

क्रम संख्या	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और अधिकारहीन समूहों के लाभार्थियों का प्रतिशत
56	किशोरी विकास केंद्र परियोजना: किशोर बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम, सेवा भारती पूर्वांचल द्वारा कार्यान्वित	150	90
57	आरईसी-कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत आरईसी-इंटीग्रिटी क्लब	3,752	100
58	अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी (एपीईडीए) द्वारा कार्यान्वित अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों में 1000 एलईडी सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना और कमीशनिंग	5,000	100
59	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, डिंडीगुल, तमिलनाडु में गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान द्वारा कार्यान्वित ग्राउंड-माउंटेड, ग्रिड से जुड़े 1 मेगावाट (एसी), 1.25 मेगावाट (डीसी) सौर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट की स्थापना और स्थापना	600	50
60	काजीरंगा टाइगर कंज़र्वेशन फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सोलर प्लांट और आरओ जल शोधन प्रणालियों की स्थापना	500	70
61	गोवा में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, गोवा सीएसआर प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित	1,500	50
62	फ्रेंडीकोस एसईसीए द्वारा कार्यान्वित 2750 कुत्तों को टीका लगाने के लिए व्यापक पशु कल्याण और रेबीज उन्मूलन पहल	5,000	90
63	ऊर्जा संसाधन संस्थान द्वारा कार्यान्वित पूर्निया क्लस्टर में बायोमास गैसीफायर आधारित विकेंद्रीकृत बिजली प्रणाली के माध्यम से नवीन जूट प्रसंस्करण भागीदारी मॉडल की स्थापना	150	60
64	सतह बीजण के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन - पंजाब में कृषि विरासत मिशन द्वारा कार्यान्वित पर्यावरण संरक्षण के लिए किसानों को संवेदनशील बनाना	10,000	50
65	गुजरात फाउंडेशन फॉर एंटरप्रेन्योरियल एक्सीलेंस के कोष में योगदान, गुजरात फाउंडेशन फॉर एंटरप्रेन्योरियल एक्सीलेंस द्वारा कार्यान्वित	500	50
66	वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित वाराणसी के 25 ग्राम पंचायतों में 25 सामुदायिक भवनों का निर्माण	1,000	80
67	नगर निगम पलवल में मुख्य सड़कों पर खंभों के साथ 2747 एलईडी लाइटों की स्थापना	8,000	50
68	जिला सिविल सामाजिक उत्तरदायित्व संघ द्वारा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में 1000 बैठने की क्षमता वाले सभागार का निर्माण किया गया	1,00,000	57
69	एमसी हेथिन में मुख्य सड़कों पर खंभों के साथ 650 एलईडी लाइटों की स्थापना	4,000	50
70	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 500 नग 15-वाट एलईडी स्ट्रीटलाइट की खरीद, स्थापना, कमीशनिंग और रखरखाव	3,000	70
71	ग्रामीण विकास कार्य जैसे सामुदायिक भवन का निर्माण, पीसीसी रोड, नाली, यात्री शेड, एलईडी लाइटों की स्थापना, आरओ संयंत्र आदि	5,000	60
72	टाटा कम्युनिटी इनिशिएटिव ट्रस्ट द्वारा कार्यान्वित समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित 1800 लाभार्थियों को प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और नौकरी उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना	695	100
73	पीएम इंटर्नशिप योजना	1,700	100
74	एसईडब्ल्यूए टीएचडीसी द्वारा कार्यान्वित, उत्तराखंड के कोटेश्वर, टिहरी में टीएचडीसी जल क्रीड़ा डोंगी और कयाकिंग के उच्च प्रदर्शन अकादमी के लिए ओलंपिक आकार के पूल का विकास	30	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कयाकिंग और कैनोइंग खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभा के आधार पर प्रशिक्षण के लिए शुरू में 30 एथलीटों का चयन किया जाएगा
75	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए), चुराचांदपुर द्वारा कार्यान्वित मणिपुर के चुराचांदपुर में बहुउद्देशीय हॉल सह इनडोर स्टेडियम (एमपीएचआईएस) का निर्माण	300	80
76	बोचिया स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा खेल किट, बोचिया गेंदों और रैंप की खरीद	26	100
77	छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित शासकीय नागार्जुन पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय में इनडोर बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण	2,797	25
आरईसीपीडीसीएल			
78	लेह के सरकारी एसएनएम अस्पताल में चिकित्सा उपकरण प्राप्त करके और नवीनीकरण कार्य करके स्वास्थ्य अवसंरचना को बढ़ाने के लिए चिकित्सा अधीक्षक को सीएसआर सहायता	50,000	80
79	जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्वास्थ्य संस्थानों के लिए उन्नत चिकित्सा उपकरणों के अधिग्रहण के माध्यम से स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार के लिए सीएमओ, श्रीनगर को सीएसआर सहायता	75,000	70
80	द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया को "दिल्ली और महाराष्ट्र के द लेप्रोसी मिशन अस्पताल में उन्नत चिकित्सा उपकरणों के साथ चिकित्सा बुनियादी ढांचे के संवर्धन" के लिए सीएसआर सहायता"	30,000	60

क्रम संख्या	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और अधिकारहीन समूहों के लाभार्थियों का प्रतिशत
81	छत्तीसगढ़ के बिल्हा, बिलासपुर के एमसीएच बिल्हा, बिलासपुर के लिए चिकित्सा उपकरण प्राप्त करके स्वास्थ्य अवसंरचना को बढ़ाने के लिए ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, बिल्हा, बिलासपुर को सीएसआर सहायता	360	70
82	खोरा कॉलोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में रैपिड डायग्नोसिस और फॉलो-अप सेवाओं के माध्यम से खोरा कॉलोनी की आबादी में एनीमिया के उन्मूलन के लिए बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान को सीएसआर सहायता	30,000	100
83	हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में दिव्यांगजनों के पुनर्वास केंद्र की इमारत में खुली छत के निर्माण द्वारा विशेष शिक्षा सुविधा के विकास/संवर्धन के लिए चेतना हिमाचल प्रदेश को सीएसआर सहायता	160	100
84	भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में 15 छात्रावास कमरों के नवीनीकरण के माध्यम से बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को सीएसआर सहायता	60,000	0

सिद्धांत 9 - व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्वक सहभागिता करनी चाहिए और मूल्य प्रदान करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका उत्तर देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें

एक एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी ने वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप एक निष्पक्ष व्यवहार संहिता अपनाई है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित निष्पक्ष व्यवहार संहिता, विशेष रूप से उपभोक्ताओं के लिए डिज़ाइन की गई एक व्यापक शिकायत निवारण प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह ढाँचा व्यक्तियों को सेवाओं या प्रथाओं से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है। निदेशक मंडल इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वे निष्पक्ष व्यवहार संहिता के अनुपालन का आकलन करने के लिए समय-समय पर गहन समीक्षा करते हैं। इस समीक्षा में इस संहिता के तहत दर्ज की गई शिकायतों का मूल्यांकन शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, यह उल्लेखनीय है कि संगठन को निष्पक्ष व्यवहार संहिता से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, जो उच्च स्तर की उपभोक्ता संतुष्टि और स्थापित प्रथाओं के पालन का संकेत देता है। निष्पक्ष व्यवहार संहिता में उल्लिखित दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल की समीक्षा करने में रुचि रखने वाले लोग https://recindia..com/uploads/files/co-hr-GROOrder-Fair-Practice-Code-30-05-2024.pdf पर जा सकते हैं एवं इसे सीधे आरईसी लिमिटेड के आधिकारिक चैनलों के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

2. सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जिसमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी हो:

	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मापदंड	लागू नहीं
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	100%
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	लागू नहीं

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2025-26			वित्त वर्ष 2024-25		
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित	टिप्पणी	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित	टिप्पणी
डाटा प्राइवेसी	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
विज्ञापन	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
साइबर सुरक्षा	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
आवश्यक सेवाओं की प्रदायगी	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएँ	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
अनुचित व्यापार प्रथाएं	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
अन्य	0	0	लागू नहीं	1	1	जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जयपुर में शिकायत दर्ज की गई है। आरईसी का उत्तर प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. **सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने के मामलों का विवरण:**

	संख्या	वापस बुलाने के कारण
स्वैच्छिक रूप से	लागू नहीं	लागू नहीं
अनिवार्य रूप से	लागू नहीं	लागू नहीं

5. **क्या संस्था में साइबर सुरक्षा और डाटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों के संबंध में कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि हां, तो नीति का वेब-लिंक प्रस्तुत करें:**

हां, यह नीति कंपनी की वेबसाइट https://recindia.com/uploads/files/CO-BDM-Data-Privacy-Policy-060624.pdf पर उपलब्ध है।

6. **विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की प्रदायगी से संबंधित मुद्दों के संबंध में की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई; ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डाटा गोपनीयता; उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति; उत्पादों / सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई / अधिरोपित जुर्माना का विवरण प्रस्तुत करें:**

शून्य। आईटी विभाग ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) द्वारा सूचीबद्ध एक सुरक्षा एजेंसी को सक्रिय रूप से नियुक्त किया है। इस एजेंसी को आरईसी लिमिटेड के आईसीटी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) बुनियादी ढाँचे की व्यापक साइबर सुरक्षा ऑडिट की एक श्रृंखला आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है। इन ऑडिट का उद्देश्य सुरक्षा स्थिति का आकलन करना, कमजोरियों की पहचान करना और संगठन के समग्र साइबर सुरक्षा ढाँचे को बेहतर बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करना है।

7. **डाटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें:**

   क. डाटा उल्लंघन के मामलों की संख्या: शून्य

   ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डाटा उल्लंघनों का प्रतिशत: शून्य

   ग. डाटा उल्लंघन का प्रभाव, यदि कोई हो: शून्य

नेतृत्व संकेतक

1. **चैनल/प्लेटफॉर्म जहां संस्था के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो, तो वेब लिंक प्रस्तुत करें):**

आरईसी वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का एक विविध और व्यापक समूह प्रदान करता है, जो विशेष रूप से बिजली, बुनियादी ढाँचा और रसद क्षेत्रों को समर्थन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह व्यापक पेशकश संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को संबोधित करती है और बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए आवश्यक प्रणालियों के विकास को बढ़ाती है। परिचालन दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करके, आरईसी इन उद्योगों में नवीन और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन को सुगम बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरईसी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय समाधान ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए तैयार किए गए हैं। इसमें न केवल राज्य विद्युत उपयोगिताएँ और राज्य सरकारें, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी क्षेत्र के डेवलपर भी शामिल हैं। ये वित्तीय उत्पाद बाजार के प्रत्येक खंड की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किए गए हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऊर्जा और बुनियादी ढाँचा परिदृश्य के सभी हितधारक विकास और स्थिरता के लिए आवश्यक पूंजी तक पहुँच सकें।

हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, जिसमें विशिष्ट ब्याज दरें और अन्य संबंधित वित्तीय जानकारी शामिल है, इच्छुक पक्षों को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जहाँ वर्तमान और संभावित ग्राहकों के लिए संसाधन आसानी से उपलब्ध हैं। https://recindia.com/financial-products. हमारी व्यावसायिक प्रोफ़ाइल का विवरण https://recindia.com/business-profile पर देखा जा सकता है।

2. **उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम:**

आरईसी पूरे भारत में व्यापक उपस्थिति रखता है, जिसके क्षेत्रीय कार्यालय देश भर के विभिन्न राज्यों में रणनीतिक रूप से स्थित हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का पर्यवेक्षण एक वरिष्ठ मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक या मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक (सीपीएम) द्वारा किया जाता है, जो संबंधित राज्य के उधारकर्ताओं के लिए प्राथमिक संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है। कंपनी द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला से संबंधित किसी भी चिंता का समाधान करने के लिए यह पद महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष सहायता या जानकारी चाहने वालों के लिए, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय और संबंधित वरिष्ठ सीपीएम/सीपीएम की विस्तृत संपर्क जानकारी https://recindia.com/contact पर देखी जा सकती है।

उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने और जनता को अपनी पेशकशों के बारे में शिक्षित करने के लिए, आरईसी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट https://recindia.com/financial-products पर उपभोक्ता जागरूकता साहित्य की एक श्रृंखला उपलब्ध कराई है।

यह पहल पारदर्शिता और उपभोक्ता जुड़ाव के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इन पहलों के अलावा, आरईसी के पास एक आंतरिक प्रशिक्षण संस्थान भी है जिसे आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी) के नाम से जाना जाता है। यह संस्थान न केवल भारत में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विद्युत क्षेत्र के संगठनों के इंजीनियरों और प्रबंधकों की प्रशिक्षण और विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्पित है। आरईसीआईपीएमटी विद्युत सुरक्षा, डिस्कॉम प्रदर्शन में तकनीकी-व्यावसायिक सुधार और विद्युत उपयोगिताओं की स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित विविध प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है।

3. **आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए मौजूद तंत्र:**

आरईसी, जो एक परियोजना वित्त एनबीएफसी है और प्रत्यक्ष उपयोगिता प्रदाता नहीं है, के लिए "उपभोक्ताओं" और "आवश्यक सेवाओं" की अवधारणा को बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, न कि सीधे बिजली प्रदान करने के संदर्भ में।

आवश्यक सेवा बिजली और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का वित्तपोषण है। "उपभोक्ता" बड़ी सरकारी और निजी बिजली उपयोगिताएँ हैं, न कि बिजली के अंतिम उपयोगकर्ता।

इसलिए, हितधारकों को इसकी आवश्यक सेवा (वित्तपोषण) में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में सूचित करने के तंत्र मुख्य रूप से पारदर्शिता, नियामक अनुपालन और इसके संस्थागत उधारकर्ताओं और वित्तीय बाजार के साथ सीधे संचार पर केंद्रित हैं। लागू प्रत्यक्ष तंत्र हैं नियामक प्रकटीकरण, स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग, उधारकर्ताओं के साथ सीधा संचार, क्रेडिट रेटिंग।

4. क्या संस्था उत्पाद पर स्थानीय कानूनों के अनुसार अधिदेशित जानकारी के अतिरिक्त उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं)। यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रस्तुत करें। क्या आपकी संस्था ने संस्था के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, संस्था के प्रचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र रूप से संस्था से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां/नहीं)

हाँ, संस्था कानूनी आवश्यकताओं से परे उत्पाद जानकारी प्रदान करती है।

एक थोक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में, कंपनी मुख्य रूप से राज्य उपयोगिताओं को वित्तीय उत्पाद प्रदान करती है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, विस्तृत ऋण नियम, शर्तें और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इसकी कॉर्पोरेट वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट के अलावा, कंपनी निम्नलिखित माध्यमों से अपने उत्पादों का सक्रिय रूप से विज्ञापन करती है:

i. कार्यशालाएँ: उदाहरण के लिए, उधारकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में उन्नत मीटरिंग अवसंरचना (एएमआई) पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।

ii. निवेशक और उधारकर्ता बैठकें: ये कार्यक्रम प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करने के लिए आयोजित किए जाते हैं।

iii. क्षेत्रीय कार्यालय: आरईसी के राज्य कार्यालय उधारकर्ताओं के छोटे समूहों को उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं के बारे में शिक्षित करते हैं।

इसके अतिरिक्त, आरईसी लगातार ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित करके ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। ये सर्वेक्षण ऋण लेनदेन प्रक्रिया के दौरान कई टचपॉइंट्स पर रणनीतिक रूप से लागू किए जाते हैं, जिसमें आवेदन, अनुमोदन, संवितरण और समापन चरण शामिल हैं। हम अपने उधारकर्ताओं से सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं, जो हमारी प्रणालियों और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करती है। यह प्रतिक्रिया सेवा वितरण में सुधार के हमारे निरंतर प्रयासों को सूचित करती है और हमें अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है, जिसका अंतिम लक्ष्य एक असाधारण ग्राहक अनुभव प्रदान करना है।

एक एनबीएफसी के रूप में, हम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निष्पक्ष व्यवहार संहिता का कड़ाई से पालन करते हैं। यह संहिता उधारकर्ताओं के साथ हमारी बातचीत में अपनाई जाने वाली नैतिक ऋण प्रथाओं को रेखांकित करती है, जिसमें ऋण जीवनचक्र के विभिन्न चरण शामिल हैं, जिनमें आवेदन प्रक्रिया, ऋणों की स्वीकृति और मंजूरी, संवितरण, संवितरण के बाद पर्यवेक्षण और एक स्थापित शिकायत निवारण तंत्र शामिल हैं। हमारी निष्पक्ष व्यवहार संहिता का पूरा पाठ https://recindia.nic.in/uploads/files/Fair-Practices-Code.pdf पर समीक्षा हेतु उपलब्ध है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हमारे ग्राहकों को उनके अधिकारों और हमारे द्वारा बनाए गए मानकों के बारे में अच्छी जानकारी हो।

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

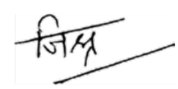

जितेन्द्र श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06817799

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 29 जुलाई, 2026

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट का अनुलग्नक

पी1	**व्यवसायों को सत्यनिष्ठा और नैतिक, पारदर्शी एवं जवाबदेह तरीके से अपना प्रचालन और सुशासन करना चाहिए।** आरईसी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च महत्व देते हुए करता है। इस संबंध में तैयार की गई विभिन्न नीतियों, संहिताओं और नियमों में निम्नलिखित शामिल हैं: -	
	नीति का नाम	**वेब लिंक**
	कॉर्पोरेट शासन पर आंतरिक दिशानिर्देश	https://recindia.com/uploads/files/Final---Internal-Guidelines-on-Corporate-Governance.pdf
	धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति	https://www.recindia.com/uploads/files/Revised-Fraud-prevention-policy-of-REC-13082020.pdf
	सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति	https://www.recindia.com/uploads/files/Whistle_Blower_Policy.pdf
	व्यावसायिक आचार एवं नैतिकता संहिता	https://recindia.com/uploads/files/co-cs-Code-of-Business-Conduct-Policy-10032025.pdf
	निष्पक्ष व्यवहार संहिता	https://recindia.com/uploads/files/co-hr-GRO-Order-Fair-Practice-Code-dt-250326.pdf
	संबंधित पक्षकार लेनदेन की महत्ता और संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने की नीति	https://recindia.com/uploads/files/RPT-Policy-of-REC-dated-290126.pdf
	नामित व्यक्तियों और उनके निकटतम रिश्तेदारों द्वारा व्यापार के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग तथा निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता	https://recindia.com/uploads/files/co-cs-insider-trading-code-submitted-to-stock-exchanges-dt240725.pdf
	निदेशकों के 'उचित एवं उपयुक्त' मानदंड पर नीति	https://recindia.com/uploads/files/Amended---Policy-on-Fit--Proper-Criteria.pdf
	आरईसी ईएसजी नीति	https://recindia.com/uploads/files/CO-BDM-RECESGPolicy-060624.pdf
	उपरोक्त के अतिरिक्त, अन्य नीतियां और नियम भी हैं, जो कंपनी के आंतरिक दस्तावेज हैं और इंट्रानेट पर कंपनी के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं।	
पी2	**व्यवसायों को ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए जो सुरक्षित हों तथा अपने पूरे उपयोगी-काल में सततता में योगदान दें।** कंपनी एक एनबीएफसी है जो वित्तीय उत्पाद प्रदान करती है, जिसमें पर्यावरणीय स्थायित्व के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को ऋण शामिल हैं। कंपनी के उत्पादों और सेवाओं का विवरण https://recindia.com/financial-products पर उपलब्ध है। इसके अलावा, कंपनी की सीएसआर नीति https://recindia.com/uploads/files/REC-CSR-Policy-07-12-2021.pdf पर उपलब्ध है। आरईसी की एक सतत खरीद नीति भी है जिसमें आपूर्तिकर्ताओं के लिए ईएसजी दिशानिर्देश और मानवाधिकार आवश्यकताओं को रेखांकित किया गया है। यह नीति https://recindia.com/uploads/files/CO-BDM-Sustainable-Procurement-policy-060624.pdf पर उपलब्ध है।	
पी 3	**व्यवसायों को सभी कर्मचारियों के कल्याण का संवर्धन करना चाहिए।** कंपनी ने सामान्य कानूनों, विनियमों और सुदृढ़ नैतिक प्रथाओं के अनुरूप विभिन्न कर्मचारी-उन्मुख नीतियों को अपनाया है। ऐसी नीतियों को आमतौर पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है और कंपनी के कर्मचारियों के लिए इंट्रानेट पर उपलब्ध हैं। हमारी ईएसजी नीति https://recindia.com/uploads/files/CO-BDM-RECESGPolicy-060624.pdf पर उपलब्ध है।	
पी 4	**व्यवसायों को सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, विशेष रूप से उन लोगों के प्रति जो वंचित, कमजोर और अधिकारहीन हैं।** कंपनी अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करती है, जिनमें वंचित, कमजोर और हाशिए पर रहने वाले लोग भी शामिल हैं। हमारी हितधारक सहभागिता नीति और हितधारक शिकायत निवारण नीति क्रमशः https://recindia.com/uploads/files/CO-BDM-Stakeholder-engagement-policy-060624.pdf और https://recindia.com/uploads/files/CO-ESG-Grievance-Redressal-Mechanism-Document-050525.pdf लिंक पर उपलब्ध हैं। कंपनी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अपनी सीएसआर नीति के माध्यम से समावेशी विकास की दिशा में कार्य करती है। सीएसआर नीति https://recindia.com/uploads/files/REC-CSR-Policy-07-12-2021.pdf पर उपलब्ध है।	
P5	**व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और संवर्धन करना चाहिए।** आरईसी हर संभव तरीके से मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बनाए रखने का प्रयास करता है। आरईसी की मानवाधिकार नीति https://recindia.com/uploads/files/CO-BDM-Human-Rights-Policy-060624.pdf पर उपलब्ध है। कंपनी में अपने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक व्यावसायिक आचार और नैतिकता संहिता विद्यमान है, जो अन्य बातों के साथ-साथ वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों पर मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण को ध्यान में रखने और किसी भी आधार पर भेदभाव से बचने के लिए नैतिक अनिवार्यता अधिरोपित करती है। उक्त संहिता https://recindia.com/uploads/files/co-cs-Code-of-Business-Conduct-Policy-10032025.pdf पर उपलब्ध है।	

पी 6	**व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा पर्यावरण की सुरक्षा और बहाली के लिए प्रयास करना चाहिए।** विद्युत क्षेत्र में एक वित्तीय संस्थान के रूप में, आरईसी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास को लगातार समर्थन दे रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आरईसी के वित्तपोषण मानदंड https://recindia.com/loan-policy-circular पर उपलब्ध हैं। हमारी ईएसजी नीति https://recindia.com/uploads/files/CO-BDM-RECESGPolicy-060624.pdf पर उपलब्ध है।
पी7	**व्यवसायों को लोक और विनियामक नीति लागू करते समय उत्तरदायी तरीका अपनाना चाहिए।** आरईसी सार्वजनिक और विनियामक नीति से संबंधित मामलों में सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका निभाता है। इसके अलावा, आरईसी की आम जनता के साथ बातचीत को इसके विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से देखा जा सकता है। हमारी जिम्मेदार पक्ष-समर्थन नीति https://recindia.com/uploads/files/CO-BDM-Responsible-Advocacy-Policy-060624.pdf पर उपलब्ध है।
पी8	**व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।** आरईसी में अपने सभी हितधारकों के समावेशी विकास और समान विकास का समर्थन करने के लिए विभिन्न नीतियां मौजूद हैं, जिनमें एमएसएमई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति (https://recindia.com/uploads/files/RECPolicy-for-MSME-11022022.pdf), अपने कर्मचारियों के लिए समान अवसर नीति (आरईसी इंट्रानेट पर उपलब्ध), हरित-ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आकर्षक उधार दरें (https://recindia.com/loan-policy-circular) और सीएसआर नीति (https://recindia.com/uploads/files/REC-CSR-Policy-07-12-2021.pdf) शामिल हैं।
पी 9	**व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्वक सहभागिता करनी चाहिए और मूल्य प्रदान करना चाहिए।** आरईसी में बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'निष्पक्ष व्यवहार संहिता' विद्यमान है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी अपने ऋण प्रचालनों में ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवहार का पालन करती है। यह संहिता https://www.recindia.com/uploads/files/FairPractices-Code.pdf पर उपलब्ध है। हमारी डाटा गोपनीयता नीति https://recindia.com/uploads/files/CO-BDM-Data-Privacy-Policy-060624.pdf पर उपलब्ध है।

सभी नीतियों एवं प्रक्रियाओं की समय-समय पर निदेशक मंडल/वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा समीक्षा की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, आरईसी ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय, गुरुग्राम में एक योग सत्र का आयोजन किया।

बीआरएसआर (9) के तहत किए गए खुलासों पर स्वतंत्र उचित आश्वासन रिपोर्ट, आरईसी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट में मुख्य विशेषताएँ

सेवा में,
निदेशक मंडल
आरईसी लिमिटेड
कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7, लोदी रोड, नई दिल्ली- 110003,

परिचय

हमें आरईसी लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा 11 नवंबर, 2024 के सेबी मास्टर सर्कुलर संख्या एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/0155 ("सेबी बीआरएसआर कोर एश्योरेंस सर्कुलर") के तहत प्रदान की गई मूल्य श्रृंखला के लिए आश्वासन और ईएसजी प्रकटीकरण के लिए बीआरएसआर कोर-फ्रेमवर्क के अनुसार, व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट ("बीआरएसआर") में बीआरएसआर कोर विशेषताओं के तहत कंपनी के प्रकटीकरणों का एक स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया है। यह अवधि 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 ("वित्तीय वर्ष 2025-26") तक है।

प्रबंधन और हमारी जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन बीआरएसआर में डेटा और अन्य आवश्यक जानकारी को एकत्रित करने, उसका विश्लेषण करने, उसे प्रमाणित करने और प्रकट करने के लिए ज़िम्मेदार है और प्रकटीकरण की अखंडता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए भी ज़िम्मेदार है ताकि वे किसी भी भौतिक ग़लतफ़हमी या चूक से मुक्त हों। प्रबंधन बीआरएसआर तैयार करते समय जिस डेटा और अन्य जानकारी पर निर्भर रहा है, उस तक पूर्ण पहुँच प्रदान करने के लिए भी ज़िम्मेदार है।

हमारी ज़िम्मेदारी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करना और अपेक्षित साक्ष्य प्राप्त करना है ताकि कंपनी के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बीआरएसआर कोर एश्योरेंस सर्कुलर में सेबी बीआरएसआर कोर सर्कुलर में दिए गए बीआरएसआर कोर विशेषताओं के संबंध में किए गए खुलासों पर उचित आश्वासन व्यक्त किया जा सके।

दायरा और सीमा

दायरा

हमारी सहभागिता के दायरे में निम्नलिखित बीआरएसआर कोर विशेषताओं का एक स्वतंत्र उचित स्तर का आश्वासन शामिल है, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सेबी बीआरएसआर कोर परिपत्र में प्रदान किया गया है।

क्र सं	विशेषता	सिद्धांत	मुख्य निष्पादन संकेतक
1	ग्रीनहाउस गैस पदचिह्न	सिद्धांत 6, प्रश्न 7	• कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (यदि उपलब्ध हो तो ग्रीनहाउस गैसों का सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 में विभाजन) • कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (यदि उपलब्ध हो तो ग्रीनहाउस गैसों (सीओ2ई) का सीओ2,सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 में विभाजन) • ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (स्कोप 1+2)
2	जल पदचिह्न	सिद्धांत 6, प्रश्न 3	• कुल जल उपभोग (मिलियन लीटर या किलोलीटर में) • जल उपभोग तीव्रता (मिलियन लीटर या किलोलीटर में)/रुपये में (पीपीपी के लिए समायोजित) • जल उपभोग तीव्रता (मिलियन लीटर/उत्पाद या सेवा में)
		सिद्धांत 6, प्रश्न 4	गंतव्य के अनुसार जल निर्वहन और मिलियन लीटर या किलोलीट में उपचार का स्तर
3	ऊर्जा पदचिह्न	सिद्धांत 6, प्रश्न 1	• जूल या गुणज में खपत की गई कुल ऊर्जा • नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई ऊर्जा का % • प्रतिशत के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता • जूल या गुणज में ऊर्जा तीव्रता/ पीपीपी के लिए समायोजित रुपया • जूल या गुणज में ऊर्जा तीव्रता/ उत्पाद या सेवा
4	अपशिष्ट प्रबंधन	सिद्धांत 6, प्रश्न 9	• इकाई द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट से संबंधित विवरण (श्रेणीवार) • अपशिष्ट तीव्रता • उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी, पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट • उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट
5	कर्मचारियों की भलाई और सुरक्षा में सुधार	सिद्धांत 3, प्रश्न 1(सी)	कर्मचारियों और श्रमिकों (स्थायी और गैर-स्थायी सहित) की भलाई के उपायों पर खर्च की गई लागत
		सिद्धांत 3, प्रश्न 11	सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण

क्रं सं	विशेषता	सिद्धांत	मुख्य निष्पादन संकेतक
6	व्यवसाय में लैंगिक विविधता को सक्षम बनाना	सिद्धांत 5, प्रश्न 3(बी)	संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरी
		सिद्धांत 5, प्रश्न 7	पॉश पर शिकायतें
7	समावेशी विकास को सक्षम बनाना	सिद्धांत 8, प्रश्न 4	एमएसएमई/छोटे उत्पादकों और भारत के भीतर से प्राप्त इनपुट सामग्री कुल खरीद के % के रूप में
		सिद्धांत 8, प्रश्न 5	छोटे शहरों में रोज़गार सृजन - छोटे शहरों में कार्यरत व्यक्तियों को भुगतान की जाने वाली मजदूरी (स्थायी या अस्थायी/अनुबंध पर) कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में
8	ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पक्षता	सिद्धांत 9, प्रश्न 7	कुल डेटा उल्लंघनों या साइबर सुरक्षा घटनाओं के प्रतिशत के रूप में ग्राहकों के डेटा की हानि/उल्लंघन से संबंधित घटनाएं
		सिद्धांत 1, प्रश्न 8	देय खातों के दिनों की संख्या
9	व्यापार का खुलापन	सिद्धांत 1, प्रश्न 9	• व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ की गई खरीद-बिक्री का संकेंद्रण • संबंधित पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम और निवेश

आश्वासन पद्धति

आश्वासन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, हमने निम्नलिखित पर भरोसा किया है:

फ्रेमवर्क

i. सेबी बीआरएसआर कोर परिपत्र।

ii. सेबी द्वारा जारी बीआरएसआर कोर की रिपोर्टिंग पर उद्योग मानक, परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/177 दिनांक 20 दिसंबर, 2024 ("बीआरएसआर उद्योग मानक")।

iii. ग्रीनहाउस गैस प्रोटोकॉल पद्धति।

iv. केंद्रीय भूजल बोर्ड (केंद्रीय) दिशानिर्देश।

v. आश्वासन अनुबंध पर अंतर्राष्ट्रीय मानक ("आईएसएई") 3000- ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी के ऑडिट या समीक्षा के अलावा अन्य आश्वासन अनुबंध।

कार्यप्रणाली

आश्वासन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, हमने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. बीआरएसआर (9) मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत प्रकटीकरणों की समीक्षा की गई, जिसमें (9) ईएसजी विशेषताओं के अंतर्गत प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के एक सेट से युक्त आश्वासन के लिए रूपरेखा शामिल है।

ii. डेटा, दस्तावेजों और अन्य सूचनाओं की समीक्षा की गई जिसके आधार पर गणना और रिपोर्टिंग की गई है।

iii. डेटा एकत्र करने, मिलान करने और रिपोर्ट करने की प्रक्रिया को समझने के लिए स्थिरता, पर्यावरणीय सामाजिक शासन (ईएसजी) और सलाहकार और उनकी टीम के लिए जिम्मेदार प्रबंधन के संबंधित कर्मियों का साक्षात्कार लिया।

iv. रिपोर्ट किए जा रहे आंकड़ों की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यालयों के समेकन की जांच की गई।

v. डेटा परीक्षण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में एकरूपता का आकलन करने के लिए ऑन-साइट ऑडिट किए गए। इसमें रिकॉर्ड का मूल्यांकन और नमूना डेटा की पुनर्गणना सहित परीक्षण शामिल थे।

vi. कंपनी द्वारा प्रयुक्त विभिन्न मान्यताओं, आकलनों और भौतिकता सीमाओं की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया गया।

vii. जहां भी आवश्यक हुआ, हमने डेटा और सूचना की नमूना-आधारित समीक्षा की है।

हमारी राय

हमें प्रदान की गई जानकारी और दस्तावेजों, हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, हमारा यह मानना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के बीआरएसआर में प्रकट की गई बीआरएसआर कोर विशेषताएँ, सेबी बीआरएसआर कोर सर्कुलर और बीआरएसआर उद्योग मानकों में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार रिपोर्ट की गई हैं।

स्वतंत्रता का वक्तव्य

सेबी बीआरएसआर कोर सर्कुलर के अनुसार, हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि न तो हमने और न ही हमारे किसी सहयोगी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी या उसकी समूह संस्थाओं को परामर्श सेवाओं सहित कोई भी गैर-लेखापरीक्षा / गैर-आश्वासन संबंधी सेवा(एँ) प्रदान की है, जिससे हितों का टकराव हो।

उपयोग या वितरण पर प्रतिबंध

यह आश्वासन कथन, जिसमें निष्कर्ष भी शामिल है, केवल कंपनी के अनुरोध पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बीआरएसआर में किए गए प्रकटीकरणों के संबंध में वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। हमारी रिपोर्ट का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए या कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए। हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य पक्ष के प्रति, जिसे हमारी रिपोर्ट दिखाई जाती है या जिसके हाथों में यह आती है, हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना, न तो कोई देखभाल या दायित्व स्वीकार करते हैं और न ही ग्रहण करते हैं।

सीमाएँ

इस आश्वासन अनुबंध के अंतर्गत हमारा प्रदर्शन निम्नलिखित सीमाओं के अधीन है:

i. कंपनी के साथ सहमत दायरे के आधार पर, उचित आश्वासन की सीमा कंपनी और उसकी सभी सहायक कंपनियों के सभी कार्यालयों में संचालन को कवर करती है। इसके अलावा, यह आश्वासन केवल वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बीआरएसआर कोर विशेषताओं के अंतर्गत किए गए प्रकटीकरणों के लिए दिया जा रहा है।

ii. आश्वासन अनुबंध के दौरान, हमने कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा और जानकारी पर भरोसा किया है। हमने यह मान लिया है कि कंपनी ने हमें आश्वासन के निष्पादन के लिए आवश्यक पूर्ण और प्रामाणिक डेटा और अन्य जानकारी प्रदान की है। कुछ मामलों में, कंपनी ने तृतीय-पक्ष डेटा स्रोतों पर भरोसा किया है, हमने उस डेटा स्रोत की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है।

iii. गैर-वित्तीय सूचना का मूल्यांकन और माप करने के लिए स्थापित मानकों के एक महत्वपूर्ण निकाय की अनुपस्थिति, भिन्न लेकिन स्वीकार्य माप तकनीकों की अनुमति देती है, जो संस्थाओं के बीच तुलना को प्रभावित कर सकती है।

iv. बीआरएसआर तैयार करना कंपनी की ज़िम्मेदारी है। हम कंपनी के किसी भी वित्तीय डेटा/प्रदर्शन के मूल्यांकन या आकलन में शामिल नहीं रहे हैं। हमने वित्तीय डेटा की सत्यता के लिए पूरी तरह से कंपनी की ऑडिट की गई वित्तीय रिपोर्टों पर भरोसा किया है।

v. यह आश्वासन जीएचजी प्रोटोकॉल के अनुसार अनुमान/माप त्रुटियों और चूक के लिए भौतिकता सीमा के आधार पर ± 5% की अनिश्चितता पर विचार करता है।

vi. यह आश्वासन कंपनी के उन वक्तव्यों को कवर नहीं करता है जो किसी भी प्रकार की राय, दावे, विश्वास, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, उद्देश्य या भविष्य के इरादे, यदि कोई हों, को व्यक्त करते हैं।

vii. इस आश्वासन में बीआरएसआर कोर विशेषता के संबंध में किए गए प्रकटीकरणों के संबंध में कानूनी अनुपालन की समीक्षा शामिल नहीं है।

कॉर्पोरेट पेशेवरों के लिए

हस्ताक्षरकर्ता/-
पवन कुमार विजय
संस्थापक एवं साझेदार

हस्ताक्षरकर्ता/-
प्रणव मुंजी
वरिष्ठ सहयोगी- ईएसजी एवं सस्टेनेबिलिटी समाधान

दिनांक: 7 जुलाई , 2026
स्थान: नई दिल्ली

बोर्ड की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक-V

फॉर्म संख्या एमआर -3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम,

2013 की धारा 204(1) के अनुसार

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 का नियम 9

आरईसी लिमिटेड

के सदस्यों के लिए

पंजीकृत कार्यालय का पता: कोर 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,

7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

हमने आरईसी लिमिटेड (सीआईएन: L40101DL1969GOI005095) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। (जिसे आगे "कंपनी" या "आरईसी" कहा जाएगा)। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गई जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्राप्त हुआ।

कंपनी की पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक, दाखिल किए गए फॉर्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन और सचिवीय ऑडिट के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं, जो इस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं:

हमने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक, दाखिल किए गए फॉर्म और रिटर्न और अन्य रिकॉर्डों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश, जैसा लागू हो: -

   (a) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम");

   (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

   (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;

   (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018;

   (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021. **(समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

   (च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021;

   (छ) कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 2025 **(समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

   (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021; **(समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

   (झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018; और **(समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

   (ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 2018.

(vi) कंपनी के लिए अन्य विशिष्ट लागू कानूनों जैसा कि उद्योग पर लागू होता है के तहत अनुपालन / प्रक्रियाएं / प्रणालियां कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत आंतरिक अनुपालन प्रणाली के तहत आवधिक प्रमाणपत्रों के आधार पर भरोसा की जा रही हैं।

   हमने निम्नलिखित के अनुपालन की भी जांच की है:

   (i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक, समय-समय पर संशोधित, जैसा लागू हो.

   (ii) लिस्टिंग विनियमों की आवश्यकता के अनुसार कंपनी और स्टॉक एक्सचेंजों यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") और बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") के बीच लिस्टिंग समझौता किया गया।

   (iii) सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश ("डीपीई दिशानिर्देश")।

   (iv) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी), गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) के लिए समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी नियम, विनियम, दिशानिर्देश और निर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

1. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की उपलब्धता न होने के कारण, जिसमें 1 अप्रैल, 2025 से 16 अप्रैल, 2025 तक की अवधि के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में एक महिला स्वतंत्र निदेशक की अनुपलब्धता भी शामिल है, सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17(1), अधिनियम की धारा 149 तथा लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 का अनुपालन नहीं हो सका।

2. 1 अप्रैल, 2025 से 16 अप्रैल, 2025 तक की अवधि के दौरान लेखा-परीक्षा समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक उपलब्ध न होने के कारण, सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 18 एवं 19, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 178 तथा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के खंड 4.1.1 के उपबंधों का अनुपालन नहीं हो सका।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल का गठन अधिनियम, लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है और डीपीई दिशानिर्देश, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, के अनुसार लागू होंगे। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।.

बोर्ड की बैठकों की समय-सारणी बनाने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई। एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स भी पर्याप्त रूप से भेजे गए और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा निदेशकों की बैठक में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड/समिति की बैठक(ओं) में लिए गए सभी निर्णय बैठक के दौरान उपस्थित अपेक्षित निदेशकों/सदस्यों की सहमति से लिए गए थे और असहमति, यदि कोई हो, को संबंधित कार्यवृत्त में विधिवत रूप से दर्ज/शामिल किया गया है, जहां भी लागू हो।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करती हैं।.

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड ने लिस्टिंग विनियमों के विभिन्न प्रावधानों के साथ गैर-अनुपालन रुपये के लिए 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए 6,17,140 रुपये, 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए 5,42,800 रुपये, 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए 5,42,800 रुपये और 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए 5,31,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके जवाब में, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से उपरोक्त जुर्माने को माफ करने का अनुरोध प्रस्तुत किया है, इस आधार पर कि आरईसी, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, अपने बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है, जो प्रशासनिक मंत्रालय, यानी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हैं और इसलिए, कंपनी की बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है। विनियम 18 और 19 के तहत कंपनी पर लगाया गया जुर्माना माफ कर दिया गया है,हालांकि, विनियम 17 के तहत लगाया गया जुर्माना बकाया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाइयां हुईं जिनका उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव पड़ा.:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में, 27 अगस्त, 2025 को आयोजित शेयरधारकों की बैठक में, असुरक्षित/प्रतिभूत गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड /डिबेंचर के निजी नियोजन के माध्यम से ₹1,55,000 करोड़ तक की राशि जुटाने हेतु शेयरधारकों की सहमति प्राप्त की गई थी। उक्त निधि ऐसे नियमों एवं शर्तों पर जुटाई जानी थी, जिन्हें निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् गठित किसी समिति अथवा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिया जाए।

(ii) कंपनी ने विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु, नीचे उल्लिखित विभिन्न ऋण लिखतों के निर्गम के माध्यम से दीर्घकालिक/अल्पकालिक निधियां जुटाई हैं :

क्रम सं.	ऋण उपकरणों के प्रकार	राशि (करोड़ रुपये में)
(क)	**दीर्घकालिक उधार**	
1.	54 ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड	5,177.91
2.	संस्थागत बॉण्ड/अधीनस्थ बॉण्ड	30,882.50
3.	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋण/एफ़एलएस	27,697.00
4.	विदेशी मुद्रा उधार	9,600.59
(ख)	**अल्पकालिक उधार**	
5.	कमर्शियल पेपर	3,000.00
6.	एफसीएनआर (बी) ऋण	3,082.31
7	बैंकों से ऋण (अवधि 6 महीने से अधिक)	4,118.00
	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जुटाई गई कुल धनराशि	**83,558.31**

iii. आरईसी के निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 6 फरवरी, 2026 को आयोजित बैठक में, सार्वजनिक क्षेत्र की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में विस्तार प्राप्त करने तथा दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("पीएफसी") और आरईसी के प्रस्तावित पुनर्गठन के संबंध में माननीय वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई घोषणा का संज्ञान लिया तथा आरईसी और पीएफसी के विलय के रूप में पुनर्गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और लागू विधियों एवं विनियमों के अनुसार विस्तृत विलय प्रस्ताव तैयार करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विलय के उपरांत गठित इकाई कंपनी अधिनियम, 2013 तथा अन्य लागू विधियों के अंतर्गत "सरकारी कंपनी" बनी रहे।

अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स,
कंपनी सचिवों के लिए,
आईसीएसआई विशिष्ट कोड: P2003DE049100
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या: 2725/2022

एसडी/-
सीएस सचिन अग्रवाल
साझेदार
एफसीएस संख्या: 5774
सी.पी. संख्या: 5910

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 9 जून, 2026
यूडीआईएन: F005774H000600335

इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना है, जो "अनुलग्नक ए" के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

ANNEXURE A

सेवा में

आरईसी लिमिटेड के सदस्यों

पंजीकृत कार्यालय का पता: कोर 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,

7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

इस पत्र के साथ हमारी सम तिथि की रिपोर्ट भी पढ़ी जाए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारा दायित्व है कि हम लेखापरीक्षा के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के निरीक्षण के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करें।

2. हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य दर्शाए गए हैं, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ और पद्धतियाँ हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की सत्यता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा पहले ही बताई गई टिप्पणियों/टिप्पणियों/कमजोरियों को शामिल नहीं किया गया है।

4. जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जाँच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन और यह राय देने तक सीमित थी कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रियाएँ और अनुपालन तंत्र मौजूद हैं या नहीं।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

7. लेखा-परीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं, जिनमें आंतरिक, वित्तीय तथा प्रचालनात्मक नियंत्रण सम्मिलित हैं, के कारण यह अपरिहार्य जोखिम बना रहता है कि कुछ मिथ्यावक्तव्य अथवा तात्विक गैर-अनुपालन का पता नहीं चल सके, भले ही भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा विहित सचिवीय लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा-परीक्षा का समुचित नियोजन किया गया हो तथा उसे समुचित रूप से संपादित किया गया हो।

अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स,
कंपनी सचिवों के लिए,
आईसीएसआई विशिष्ट कोड: P2003DE049100
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या: 2725/2022

एसडी/-
सीएस सचिन अग्रवाल
साझेदार
एफसीएस संख्या: 5774
सी.पी. संख्या: 5910

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 9 जून, 2026

प्रपत्र संख्या एओसी – 2

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण का प्रपत्र, जिसके अंतर्गत उसके चौथे परंतु के तहत कुछ निष्पक्ष व्यवहार (आर्म्स लेंथ) संव्यवहार भी शामिल हैं

[अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार में]

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का विवरण जो बांह की लंबाई के आधार पर नहीं है

स्वतंत्र व्यापार (आर्म्स लेंथ) के आधार पर नहीं किए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन की संख्या: 0

क.	सीआईएन या कोई अन्य पंजीकरण संख्या	शुन्य
ख.	संबंधित पक्षकार (पक्षकारों) का नाम	शुन्य
ग.	संबंध की प्रकृति	शुन्य
घ.	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन-देन की प्रकृति	शुन्य
ङ.	अनुबंधों / व्यवस्थाओं / लेन-देनों की अवधि	शुन्य
च.	वास्तविक / संभावित अनुबंध राशि सहित अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन की मुख्य शर्तें	शुन्य
छ.	ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन को करने का औचित्य	शुन्य
ज.	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	शुन्य
झ.	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	शुन्य
ञ.	धारा 188 के प्रथम परंतुक के तहत यथा-आवश्यक साधारण बैठक में संकल्प पारित होने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	शुन्य
ट.	एमजीटी-14 की एसआरएन	शुन्य

2. आर्म्स लेंथ आधार पर भौतिक अनुबंधों, या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण

आर्म्स-लेंथ' आधार पर महत्वपूर्ण अनुबंधों, व्यवस्थाओं या लेन-देन की संख्या: 0

क.	सीआईएन या कोई अन्य पंजीकरण संख्या	शुन्य
ख.	संबंधित पक्षकार (पक्षकारों) का नाम	शुन्य
ग.	संबंध की प्रकृति	शुन्य
घ.	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन-देन की प्रकृति	शुन्य
ङ.	अनुबंधों / व्यवस्थाओं / लेन-देनों की अवधि	शुन्य
च.	वास्तविक / संभावित अनुबंध राशि सहित अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन की मुख्य शर्तें	शुन्य
छ.	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (दिन/माह/वर्ष))	शुन्य
ज.	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	शुन्य

कृते निदेशक मंडल की ओर से

जितेन्द्र श्रीवास्त
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06817799

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 29 जुलाई, 2026

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुबंध-VII

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. **कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा:**

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति (सीएसआर नीति) तैयार की है। कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 में हुए संशोधनों के अनुपालन में आरईसी की सीएसआर नीति को समय-समय पर संशोधित किया गया है। कंपनी की सीएसआर नीति को कंपनी की वेबसाइट http://www.recindia.com/uploads/files/RECCSRPolicy-07-12-2021.pdf (आरईसी का सीएसआर स्कंध) की वेबसाइट https://www.recfoundation.in. पर देखी जा सकती है।

अधिनियम की धारा 135 के अनुरूप, कंपनी के सीएसआर नीति के तहत तुरंत पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% खर्च करना अनिवार्य है। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि सीएसआर परियोजनाएं उक्त अधिनियम की अनुसूची VII के तहत निर्धारित गतिविधियों और इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों/परिपत्रों के अनुसार संचालित की जाएं। सीएसआर परियोजनाओं का चयन समाज के समावेशी विकास से संबंधित गतिविधियों में किया जाता है, जिसमें समाज के कमजोर वर्गों और देश के पिछड़े जिलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

आरईसी पंजीकृत सोसायटी,आरईसी फाउंडेशन सहित पंजीकृत निकायों के माध्यम से अपनी सीएसआर गतिविधियां चलाता है। यह फाउंडेशन शासी निकाय द्वारा शासित है जिसमें आरईसी के नामित अधिकारी शामिल हैं।

सीएसआर परियोजनाएं:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, ₹155.21 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 27 सीएसआर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी और सीएसआर परियोजनाओं पर ₹174.36 करोड़ (पिछले वर्ष से आगे लाए गए ₹5.53 करोड़ के अतिरिक्त व्यय सहित) खर्च किए गए तथा 46 जारी (चल रही) परियोजनाओं के लिए अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट (अव्यवहृत सीएसआर खाते) में ₹163.71 करोड़ स्थानांतरित किए गए।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, सीएसआर सहायता को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाओं के लिए दिया गया है:

i. विभिन्न राज्यों में 49 मोबाइल मेडिकल यूनिटों की खरीद और तैनाती, जैसे तमिलनाडु में 10, छत्तीसगढ़ में 4, आंध्र प्रदेश में 7, गुजरात में 6, उत्तराखंड में 5, राजस्थान में 5, पंजाब में 4, त्रिपुरा में 3, झारखंड में 3 और कर्नाटक में 2

ii. ओडिशा के गजपति जिले में टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना और टीबी रोग के लिए सक्रिय मामले की खोज करना।

iii. पश्चिम सिक्किम में स्कूली शिक्षा का रूपांतरण, जिसे जिला मजिस्ट्रेट, ग्यालशिंग जिला, पश्चिम सिक्किम द्वारा कार्यान्वित किया गया है

iv. परियोजना शक्ति पहल: अलवर, राजस्थान के लिए स्वच्छ एवं आत्मविश्वासपूर्ण मासिक धर्म – मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता स्कूल जागरूकता कार्यक्रम

v. जनपद सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश के 300 सरकारी विद्यालयों में आनंददायक शिक्षण संसाधन लैब के साथ 300 जिज्ञासा-सौर ऊर्जा संचालित स्मार्टक्लास की स्थापना

vi. जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश के शल्य चिकित्सा विभाग में उच्च स्तरीय चिकित्सा उपकरणों की खरीद, स्थापना और कमीशनिंग

vii. लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 500 संख्या 15-वाट एलईडी स्ट्रीट लाइटों का खरीद संस्थापन कमीशनिंग और रखरखाव

viii. भक्तिवेदांत अस्पताल, बरसाना, मथुरा, उत्तर प्रदेश में 5,000 संख्या में फाकोइमल्सीफिकेशन सर्जरी के लिए सीएसआर सहायता

ix. सभी के लिए नेत्र देखभाल - चेन्नई में मोतियाबिंद सर्जरी के लिए 8,000 लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने की एक पहल

x. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में सौर ऊर्जा संयंत्रों एवं आरओ जल शोधन प्रणालियों की स्थापना।

xi. संपूर्ण भारत में खेल किट, बोचिया गेंदों और रैंप की खरीद।

xii. माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में चिकित्सा उपकरणों की खरीद और स्थापना

आरईसी के सीएमडी श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव ने आरईसी की सीएसआर पहल "हीलिंग लिटिल हार्ट्स 2.0" के तहत श्री सत्य साईं हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री सुनील गावस्कर को सम्मानित किया।

आरईसी की एक सीएसआर पहल के तहत, उधम सिंह नगर में आंगनवाड़ियों को जीवंत प्ले स्कूलों में रूपांतरित करना, जिससे हंसी, कल्पना और सीख के माध्यम से बाल मन का पोषण किया जा सके।

आरईसी की सीएसआर शाखा, आरईसी फाउंडेशन ने समाज के वंचित वर्गों के दरवाजे तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, मेरठ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं

xiii. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों में 29 सार्वजनिक शौचालय परिसरों का निर्माण

xiv. श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर, बिहार में मरीजों के परिजनों के लिए लगभग 242.68 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र में 200 बिस्तरों वाले विश्राम गृह (विश्राम सदन जी+3) का निर्माण।

xv. सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर, बिहार में मरीजों परिजनों के लिए 100 बिस्तरों वाले प्रतीक्षालय, बहुउद्देशीय हॉल और इन्क्यूबेशन सेंटर का निर्माण तथा जिला अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 5 इन्क्यूबेटरों की खरीद और स्थापना।

xvi. भक्तिवेदांत विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद और स्थापना

xvii. रामकृष्ण मिशन विद्यालय, कोयंबटूर, तमिलनाडु के तकनीकी परिसर में कक्षा भवन एवं कार्यशाला का निर्माण

xviii. भूतपूर्व सैनिक, शहीदों और उनकी विधवाओं के बच्चों को शिक्षा अनुदान प्रदान करने के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में योगदान।

xix. मल्लिगर गांव, हंगल तालुक, हावेरी जिला, कर्नाटक में राष्ट्रोत्थान विद्या केंद्र सी.बी.एस.ई. स्कूल की स्थापना

xx. भारत भर में कृत्रिम अंग, कैलिपर्स और अन्य सहायता व उपकरण प्रदान करके 8,000 दिव्यांगजनों का पुनर्वास।

xxi. हरियाणा राज्य में एमसी पलवल, एमसी होडल और एमसी हथीन में मुख्य सड़कों पर खंभों के साथ 4,465 एलईडी लाइट की स्थापना।

xxii. राजकीय नागार्जुन पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ में इनडोर बैडमिंटन कोर्ट (डबल) का निर्माण

xxiii. भग्योदय अस्पताल, हिम्मतनगर, गुजरात में विभिन्न विभागों के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद।

xxiv. सीखें और कमाएं- परिधान निर्माण और उद्यमिता में 300 युवाओं को स्नातक डिग्री प्रदान करने के लिए आरईसी फाउंडेशन की एक पहल।

xxv. राजस्थान में स्कूल भवन का विस्तार और सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम कक्षाएं शुरू करना

xxvi. जनपद सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में 1,000 बैठक क्षमता वाले ऑडिटोरियम का निर्माण।

xxvii. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ में उन्नत हार्ट-लंग मशीन की खरीद और स्थापना।

xxviii. उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद की 25 ग्राम पंचायतों में 25 सामुदायिक भवनों का निर्माण।

xxix. कांची कामाकोटी चाइल्ड्स ट्रस्ट अस्पताल, चेन्नई में चिकित्सा उपकरणों की खरीद।

xxx. जोधपुर, राजस्थान में 1,000 स्कूल बेंच, 1,250 बंक बेड और प्लास्टिक कचरे से बनीं 5,000 आर-पीईटी टी-शर्ट्स उपलब्ध कराना।

xxxi. चूड़ाचांदपुर, मणिपुर में बहुउद्देशीय भवन सह इनडोर स्टेडियम (एमपीएचआईएस) का निर्माण।

xxxii. आईआईएससी मेडिकल स्कूल, बैंगलोर, कर्नाटक में रोबोटिक सर्जरी विंग के लिए मेडट्रॉनिक क्रानियल रोबोट की खरीद

xxxiii. अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों में 1,000 एलईडी सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना और कमीशनिंग

xxxiv. अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में सभागार का नवीनीकरण और संवर्धन

xxxv. गोवा में 11 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

xxxvi. राष्ट्रोत्थान विद्या केंद्र, मल्लिगर गांव, हंगल तालुक, हावेरी जिला, कर्नाटक के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण

xxxvii. सीएसआर परियोजना- परम विज्ञान, नवाचार, इतिहास और सांस्कृतिक केंद्र - कर्नाटक में सुविधा संवर्धन और अतिथि आवास विकास

xxxviii. पंजाब में सर्फेस सीडिंग के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन हेतु सीएसआर परियोजना -पर्यावरण संरक्षण के लिए किसानों को जागरूक करना।

xxxix. महर्षि विश्वामित्र स्वायत्त राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में चिकित्सा उपकरणों की खरीद

xl. शंकरा आई हॉस्पिटल, सहरसा, बिहार के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद और स्थापना।

xli. डॉ. इमकोंगलिबा मेमोरियल जिला अस्पताल, मोकोकचुंग, नागालैंड में सीटी स्कैन की खरीद और कमीशनिंग।

xlii. असम में किशोरी विकास केंद्र परियोजना -किशोरियों के सशक्तिकरण कार्यक्रम हेतु सीएसआर परियोजना।

xliii गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, डिंडीगुल, तमिलनाडु में ग्राउंड-माउंटेड, ग्रिड-कनेक्टेड 1 मेगावाट (एसी), 1.25 मेगावाट (डीसी) सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा संयंत्र की स्थापना।

xliv. जिला परिषद हाई स्कूल मोरज़मपाडु (गांव), माचवरम मंडल, पलनाडु, आंध्र प्रदेश में तीन कक्षाओं, एक भोजन कक्ष (डाइनिंग हॉल) और एक डिजिटल कक्षा का निर्माण।

xlv. हरियाणा के गुरुग्राम में 2,750 कुत्तों को टीका लगाने के लिए व्यापक पशु कल्याण और रेबीज उन्मूलन पहल।

xlvi. पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर और अबोहर जिलों में बीएसएफ जवानों के कार्यस्थल पर 445 शौचालय ब्लॉकों का निर्माण।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, सीएसआर समिति का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इसकी संरचना और बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं	निदेशक का नाम	पदनाम	वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या (कार्यकाल के दौरान आयोजित))	वित्तीय वर्ष के दौरान सी.एस.आर. समिति की बैठकों में भाग लिया गया
1	**डॉ. गंभीर सिंह** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (17 अप्रैल, 2025 से 16 अप्रैल, 2026 तक)	12	12
2	**श्री विजय कुमार सिंह** निदेशक (परियोजना)	सदस्य (30 जून, 2025 तक)	3	3
3	**श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव** अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	सदस्य *	5	5
4	**श्री हर्ष बवेजा** निदेशक (वित्त)	सदस्य (31 जनवरी, 2026 तक))	10	10
5	**श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष** निदेशक (परियोजना)	सदस्य (17 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी)	6	6

नोट: कंपनी के स्वतंत्र निदेशक श्री नारायणन तिरुपति 16 अप्रैल 2025 तक सीएसआर समिति के सदस्य थे, हालांकि, उनके कार्यकाल के दौरान सीएसआर समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी

** श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी को 1 जुलाई, 2025 से तीन माह की अवधि के लिए अथवा किसी नियमित पदधारी की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, कंपनी के निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। इसके अलावा, उन्हें 1 फरवरी, 2026 से तीन माह की अवधि के लिए अथवा किसी नियमित पदधारी की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, कंपनी के निदेशक (वित्त) का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।*

3. सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का विवरण देने वाले वेब-लिंक।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक https://www.recindia.com/our-csr-initiatives पर उपलब्ध करा दिया गया है:

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का विवरण।

प्रभाव आकलन 22 जनवरी, 2021 से प्रभावी सीएसआर संशोधन नियमों के अनुसार उन परियोजनाओं का किया गया था, जिनका परिव्यय (बजट) एक करोड़ रुपये या उससे अधिक था तथा जिन्हें प्रभाव अध्ययन शुरू करने से कम से कम एक वर्ष पूर्व पूरा कर लिया गया था।.

नीचे दी गई तालिका में परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण और सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव के मुख्य निष्कर्ष दिए गए हैं:

क्र.सं	परियोजना का शीर्षक	कार्यान्वयन एजेंसी	लाभार्थियों की अनुमानित संख्या	कोर इम्पैक्ट
		स्वास्थ्य देखभाल		
1	मणिपुर के उखरुल जिले में यांगंगपोकपी से लाइकोइचिंग तक 12 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसाइटी	उखरुल जिले में लगभग 10,000 प्रत्यक्ष लाभार्थी	• उच्च प्रभाव • एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमी को भरने के उद्देश्य से अत्यधिक लक्षित हस्तक्षेप • अत्यधिक प्रासंगिक, सुसंगत, प्रभावी, कुशल और टिकाऊ
2	जिला अस्पताल, मोन, नागालैंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु चिकित्सा उपकरणों की खरीद के माध्यम से जिला अस्पताल, मोन का उन्नयन।	उपायुक्त का कार्यालय, मोन	मोन जिले के लगभग 5,000 लोग।	• उच्च प्रभाव • एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल अंतर को पूरा करने के उद्देश्य से अत्यधिक लक्षित हस्तक्षेप • अत्यधिक प्रासंगिक, सुसंगत, प्रभावी, कुशल और टिकाऊ

क्र.सं	परियोजना का शीर्षक	कार्यान्वयन एजेंसी	लाभार्थियों की अनुमानित संख्या	कोर इम्पैक्ट
3	मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के जनजातीय क्षेत्रों में संचालन हेतु 15 एम्बुलेंसों की खरीद।	परिवार एजुकेशन सोसाइटी	वार्षिक लगभग 10,000 लोग लाभान्वित हुए	• उच्च प्रभाव • जनसंख्या के अत्यधिक हाशिए पर पड़े वर्गों के संबंध में एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल अंतराल को पाटने के उद्देश्य से अत्यधिक लक्षित हस्तक्षेप। • अत्यधिक प्रासंगिक, सुसंगत, प्रभावी, कुशल और टिकाऊ
4	छावनी परिषद कामठी, नागपुर, महाराष्ट्र में विभिन्न चिकित्सा उपकरणों की स्थापना।	छावनी परिषद कामठी	लगभग 12,000 लोग	• उच्च प्रभाव • एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल अंतराल को पूरा करने के उद्देश्य से अत्यधिक लक्षित हस्तक्षेप।. • अत्यधिक प्रासंगिक, सुसंगत, प्रभावी और कुशल। मजबूत स्थिरता निहित है क्योंकि इसे परियोजना के डिजाइन और कार्यान्वयन में शामिल किया गया है।
5	जिला अस्पताल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में चिकित्सा उपकरणों की खरीद और स्थापना	सिविल सर्जन, बिलासपुर	लगभग 25,000 लाभार्थी	• उच्च प्रभाव • "एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल अंतराल को पूरा करने के उद्देश्य से अत्यधिक लक्षित हस्तक्षेप। • अत्यधिक प्रासंगिक, सुसंगत, प्रभावी, कुशल और टिकाऊ
			शिक्षा एवं कौशल विकास	
6	नागालैंड के किफिर जिले में सरकारी स्कूल भवनों में बुनियादी ढांचे का विकास और शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करके स्कूली शिक्षा का परिवर्तन।	उपायुक्त कार्यालय, किफिर	11 जर्जर सरकारी स्कूल भवनों और 15 आंगनवाड़ी केंद्रों केनिर्माण/नवीनीकरण के माध्यम से लगभग 1,000 छात्रों को लाभान्वित किया गया।	• उच्च प्रभाव • शिक्षा में एक महत्वपूर्ण अंतर को पूरा करने के उद्देश्य से अत्यधिक लक्षित हस्तक्षेप • अत्यधिक प्रासंगिक, सुसंगत, प्रभावी, कुशल और टिकाऊ
7	मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के विभिन्न स्थानों से ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) / एससी (अनुसूचित जाति) / एसटी (अनुसूचित जनजाति) / महिलाओं आदि से संबंधित 1,200 लाभार्थियों को रोजगारोमुखी कौशल विकास प्रशिक्षण (आवासीय)।	सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, भोपाल	लगभग 1,200 प्रत्यक्ष लाभार्थी	• उच्च प्रभाव • कौशल विकास में एक महत्वपूर्ण अंतर को पूरा करने के उद्देश्य से अत्यधिक लक्षित हस्तक्षेप • अत्यधिक प्रासंगिक, सुसंगत, प्रभावी और कुशल। काफी हद तक टिकाऊ, लेकिन कोविड-19 और सामाजिक लिंग मानदंडों जैसे कारकों से दीर्घकालिक स्थिरता प्रभावित हुई।
8	महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 500 महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना और स्वरोजगार के लिए उपकरण किट का वितरण।	राजुरेश्वर गणेश बहुद्देशिया बहुद्देशी सेवाभावी संस्था	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी से संबंधित लगभग 500 महिलाएं।	• उच्च प्रभाव • महिलाओं से संबंधित कौशल विकास में एक महत्वपूर्ण कमी को पूरा करने के उद्देश्य से अत्यधिक लक्षित हस्तक्षेप। • अत्यधिक प्रासंगिक, सुसंगत, प्रभावी, कुशल और टिकाऊ
9	मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में 150 आदिवासी बालिकाओं के लिए आवासीय भवन (जी+2) के निर्माण हेतु सहायता तथा खंडवा में लगभग 1,541 बच्चों वाले 11 सेवा कुटीरों को पढ़ाई, भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करना।	परिवार एजुकेशन सोसाइटी	आदिवासी परिवारों के लगभग 1,691 बच्चे।	• उच्च प्रभाव • शिक्षा में एक महत्वपूर्ण अंतर को पूरा करने के उद्देश्य से अत्यधिक लक्षित हस्तक्षेप • अत्यधिक प्रासंगिक, सुसंगत, प्रभावी, कुशल और टिकाऊ
			ग्रामीण विकास	
10	तेलंगाना के महबूबनगर जिले और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए कृषक-केंद्रित एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन	अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान	आंध्र प्रदेश/तेलंगाना के दो जिलों में रहने वाले हजारों किसान और महिलाएं	• उच्च प्रभाव • एक लक्षित हस्तक्षेप जिसका उद्देश्य ग्रामीण/कृषि बुनियादी ढाँचे में एक महत्वपूर्ण कमी को पूरा करना था। • अत्यधिक प्रासंगिक, सुसंगत, प्रभावी, कुशल और टिकाऊ

विस्तृत प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट https://recindia.com/impact-assessment-reports पर उपलब्ध है

5. **वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सीएसआर आबंटन:**

(₹ करोड़ में)

(क)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ	:	16,903.55
(ख)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	:	338.07
(ग)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष	:	शुन्य
(घ)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन करने के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो"	:	5.53
(ङ)	"वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (ख)+(ग)-(घ)	:	332.54

6. **वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सीएसआर व्यय**

(₹ करोड़ में)

(क)	परिशिष्ट-क में दिए गए विवरण के अनुसार सीएसआर परियोजनाओं (चालू परियोजना और चालू परियोजना के अलावा अन्य दोनों) पर खर्च की गई राशि।	:	159.54
(ख)	प्रशासनिक ऊपरी खर्चों पर खर्च की गई राशि	:	9.18
(ग)	प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो	:	0.11
(घ)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (ख)+(ग)-(घ)	:	168.83
(ङ)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च किया गया या बिना खर्च किया गया सीएसआर (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) का पैसा/राशि		

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च अव्ययित राशि (₹ करोड़ में)	अव्ययित राशि (₹ करोड़ में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत विनिदिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि)		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	फंड का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
174.36	163.71	मार्च 31, 2026	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(च) सेट-ऑफ़ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्र.सं	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	338.07
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (पिछले वर्ष से ₹5.15 करोड़ के कैरी फॉरवर्ड सरप्लस के समायोजन सहित)	338.07*
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	0.00
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो,	0.00
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	0.00

**खर्च की गई राशि में चालू परियोजनाओं के लिए 163.71 करोड़ रुपये की राशि शामिल है और इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (6) की आवश्यकताओं के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में जमा किया गया है*

7. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए खर्च न की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण:**

क्र.सं	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ करोड़ में)	समीक्षित वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में अंतरित राशि, यदि कोई हो,			आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (₹ करोड़ में)
				फंड का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	स्थानांतरण की तिथि	
1	वित्तीय वर्ष 2022-23	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	वित्त वर्ष 2023-24	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वित्तीय वर्ष 2024-25	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

8. **क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है:** शून्य

9. **कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135 (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है:** ₹163.71 करोड़ की अव्ययित सीएसआर राशि चल रही परियोजनाओं (बहु-वर्षीय) से संबंधित है, जहां परियोजनाओं के पूरा होने तक मील के पत्थर की उपलब्धि पर किस्तों में भुगतान किया जाता है। तदनुसार, उक्त राशि अधिनियम की धारा 135(6) की आवश्यकताओं के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में जमा की गई है

हस्ताक्षर/-	**हस्ताक्षर/-**
सीएसआर समिति के अध्यक्ष	**निदेशक(वित्त)**

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 2 जून 2026

अनुलग्नक-क: वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सीएसआर व्यय का विवरण:

क्र.सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान	
				जिला	राज्य
1	2	3	4	5(क)	5(ख)
1	जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के सर्जिकल विभाग में चिकित्सा उपकरणों की खरीद, स्थापना और कमीशनिंग	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	कानपुर	उत्तर प्रदेश
2	शंकर नेत्र अस्पताल के लिए चिकित्सा उपकरण और गैर-नैदानिक उपकरणों की खरीद, स्थापना और कमीशनिंग	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	सहरसा	बिहार
3	आईआईएससी मेडिकल स्कूल में रोबोटिक सर्जरी विंग के लिए मेडट्रॉनिक क्रैनियल रोबोट की खरीद	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	बैंगलोर	कर्नाटक
4	29 सार्वजनिक शौचालय परिसरों का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	विभिन्न जिले	उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना
5	भक्तिवेदांत विश्वविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद, स्थापना और कमीशनिंग	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	मथुरा	उत्तर प्रदेश
6	सभी के लिए नेत्र देखभाल - मोतियाबिंद सर्जरी के लिए 8,000 लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने की एक पहल	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	पम्मल, चेन्नई	तमिलनाडु
7	महर्षि विश्वामित्र स्वायत्त राज्य मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा उपकरणों की खरीद, स्थापना और कमीशनिंग	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश
8	7 मोबाइल मेडिकल यूनिट की खरीद और तैनाती तथा जेनेरिक दवाओं का मुफ्त वितरण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	कृष्णागिरी, तूतीकोरिन, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, नीलगिरी, तेनकासी, विरुधुनगर	तमिलनाडु
9	भक्तिवेदांत अस्पताल में 5,000 फैकोइमल्सीफिकेशन सर्जरी	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	बरसाना, मथुरा	उत्तर प्रदेश
10	अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान (एबीवीआईएमएस) और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल (आरएमएल) में सभागार का नवीनीकरण और संवर्द्धन)	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	नई दिल्ली	दिल्ली
11	लैप्रोस्कोपी, एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन और नेत्र माइक्रोस्कोप मशीनों और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ पूरी तरह से मॉड्यूलर आईई ओटी के साथ मॉड्यूलर जनरल ओ.टी. की खरीद और स्थापना सदर अस्पताल बांका में और मॉड्यूलर जनरल ओ.टी. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन और अन्य आवश्यक उपकरण मशीनों के साथ	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	बांका	बिहार
12	माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा उपकरणों की खरीद, स्थापना और कमीशनिंग	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	सिद्धार्थनगर	उत्तर प्रदेश
13	सेवार्थ संस्थान सेठ बिमल कुमार जैन ट्रॉमा एंड फिजियोथेरेपी धर्मार्थ समिति में ट्रॉमा सेंटर में लीनियर एक्सेलेरेटर (एलआईएनएसी) मशीन की खरीद, स्थापना और कमीशनिंग	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	फिरोजाबाद	उत्तर प्रदेश
14	6 मोबाइल मेडिकल यूनिट की खरीद और तैनाती	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	अहमदाबाद, राजकोट, डांग, अर्रावली, दाहोद, साबरकांठा	गुजरात
15	8,000 दिव्यांगजनों की सहायता प्रदान करके उनका पुनर्वास किया जा रहा है। पूरे भारत में कृत्रिम अंगों, कैलीपर्स और अन्य सहायक उपकरणों की संख्या	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	पैन इंडिया	पैन इंडिया

परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
		कार्यान्वयन/नोडल एजेंसी	सीएसआर पंजीकरण संख्या
6	7	8	9
9.98	नहीं	जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर	CSR00062997
9.12	नहीं	संकरा आई हॉस्पिटल, पम्मल, चेन्नई	CSR00004033
6.00	नहीं	भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर	CSR00007370
5.69	नहीं	सुलभ अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन	CSR00000185
4.91	नहीं	कृष्ण चेतना के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोसायटी	CSR00005241
4.49	नहीं	संकरा आई हॉस्पिटल, पम्मल, चेन्नई	CSR00004033
3.94	नहीं	महर्षि विश्वामित्र स्वायत्त राज्य मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर	CSR00080894
3.47	नहीं	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, तमिलनाडु	CSR00004593
3.21	नहीं	श्री चैतन्य हेल्थ एंड केयर ट्रस्ट	CSR00065035
2.80	नहीं	एबीवीआईएमएस और आरएमएल अस्पताल	CSR00061565
2.76	नहीं	जिला स्वास्थ्य सोसायटी (सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव), बांका	CSR00063966
2.72	नहीं	माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज	CSR00077807
2.67	नहीं	सेवार्थ संस्थान सेठ बिमल कुमार जैन ट्रॉमा & फिजियोथेरेपी धर्मार्थ समिति, उत्तर प्रदेश	CSR00006617
2.29	नहीं	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, गुजरात राज्य शाखा, अहमदाबाद	CSR00011940
1.95	नहीं	श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर	CSR00001480

क्र.सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान	
				जिला	राज्य
1	2	3	4	5(क)	5(ख)
16	एम्स में एडवांस्ड हार्ट लंग मशीन की खरीद, स्थापना और कमीशनिंग	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	रायपुर	छत्तीसगढ़
17	टीबी रोगियों की जांच और टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	गजपति	ओडिशा
18	7 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की खरीद और तैनाती	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	पी.वी.पी. मान्यम, ए.एस. आर. पाडेरू, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनासीमा, तिरुपति, पश्चिम गोदावरी (भीमावरम), नंदयाला, पलानाडु	आंध्र प्रदेश
19	3 मोबाइल मेडिकल यूनिट की खरीद और तैनाती	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	शिवगंगा, रामनाथपुरम, थेनी	तमिलनाडु
20	3 मोबाइल मेडिकल यूनिट की खरीद और तैनाती	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	दक्षिण जिला, धलाई	त्रिपुरा
21	2 मोबाइल मेडिकल यूनिट की खरीद और तैनाती	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	मैसूर और बेंगलुरु ग्रामीण	कर्नाटक
22	3 मोबाइल मेडिकल यूनिट की खरीद और तैनाती	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	गुमला, लोहरदगा, लातेहार	झारखंड
23	4 मोबाइल मेडिकल यूनिट की खरीद और तैनाती	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर	छत्तीसगढ़
24	4 मोबाइल मेडिकल यूनिट की खरीद और तैनाती	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	गुरदासपुर, जालंधर, बरनाला, पटियाला	पंजाब
25	प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट की खरीद और तैनाती	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	गढ़चिरौली	महाराष्ट्र
26	5 मोबाइल की खरीद और तैनाती 3 साल के लिए चिकित्सा इकाइयाँ	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	उधम सिंह नगर, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार	उत्तराखंड
27	5 मोबाइल की खरीद और तैनाती चिकित्सा इकाइयाँ	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	अलवर, खैरथल-तिजारा, बहरोड़-कोटपुतली	राजस्थान
28	प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए तीन साल की अवधि के लिए 10 मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिकों की खरीद और तैनाती	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	सारनगढ़, मोहला-मानपुर	छत्तीसगढ़
29	17 खुले जिमों का निर्माण और स्थापना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	इम्फाल पश्चिम	मणिपुर
30	कांची कामाकोटी चाइल्ड्स ट्रस्ट अस्पताल में चिकित्सा उपकरणों की खरीद, स्थापना और कमीशनिंग	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	चेन्नई	तमिलनाडु
31	बीएसएफ सैनिकों के कार्यस्थल पर 445 शौचालयों के निर्माण की परियोजना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर और अबोहर	पंजाब
32	श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में रोगी परिचारकों के लिए 200 बिस्तरों वाले विश्राम सदन का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	मुजफ्फरपुर	बिहार
33	मरीजों के परिचारकों के लिए 100 बिस्तरों वाले प्रतीक्षालय का निर्माण, सदर अस्पताल में बहुउद्देशीय हॉल और इनक्यूबेशन सेंटर और जिला अस्पताल और पीएचसी में 5 इनक्यूबेटरों की खरीद और स्थापना.	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	मुजफ्फरपुर	बिहार
34	प्रोजेक्ट शक्ति पहल: अलवर, राजस्थान के लिए स्वच्छ और आत्मविश्वास से भरी अवधि - मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता स्कूल जागरूकता कार्यक्रम	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं.	अलवर	राजस्थान

परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
		कार्यान्वयन/नोडल एजेंसी	सीएसआर पंजीकरण संख्या
6	7	8	9
1.74	नहीं	एम्स, रायपुर	CSR00083578
1.68	नहीं	माँ और बच्चे के लिए ममता स्वास्थ्य संस्थान	CSR00001978
1.21	नहीं	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, आंध्र प्रदेश	CSR00014677
1.18	नहीं	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, तमिलनाडु	CSR00004593
0.92	नहीं	सेवा इंटरनेशनल	CSR00000559
0.76	नहीं	जुबिलेंट भरतिया फाउंडेशन	CSR00001657
0.58	नहीं	विकास भारती बिशुनपुर	CSR00001499
0.32	नहीं	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, छत्तीसगढ़ राज्य शाखा, रायपुर	CSR00064721
0.26	नहीं	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, पंजाब स्टेट ब्रांच, चंडीगढ़	CSR00067502
0.07	नहीं	सीए और एफओ, गढ़चिरौली	CSR00041612
1.66	नहीं	सीएससी अकादमी	CSR00006887
1.58	नहीं	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, अलवर	CSR00068641
1.47	नहीं	आपके लिए डॉक्टर	CSR00000608
1.39	नहीं	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए), इंफाल पश्चिम	CSR00068295
1.31	नहीं	कांची कामकोटी चाइल्ड्स ट्रस्ट हॉस्पिटल	CSR00002494
1.27	नहीं	सीमा सुरक्षा बल, पंजाब	CSR00048288
1.19	नहीं	उपायुक्त, मुजफ्फरपुर	लागू नहीं
0.83	नहीं	उपायुक्त, मुजफ्फरपुर	लागू नहीं
0.53	नहीं	सच्ची सहेली	CSR00079295

क्र.सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान	
				जिला	राज्य
1	2	3	4	5(क)	5(ख)
35	हीलिंग लिटिल हार्ट्स 2.0 - जन्मजात हृदय रोग वाले बच्चों को मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए आरईसी की एक पहल	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	पलवल, रायपुर, मुंबई	हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र
36	भाग्योदय अस्पताल में विभिन्न विभागों के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद, स्थापना और कमीशनिंग	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	हिम्मतनगर	गुजरात
37	भारत में विभिन्न स्थानों पर श्रवण बाधित बच्चों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की आपूर्ति और फिटमेंट	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	पैन इंडिया	पैन इंडिया
38	आंगनवाड़ी केंद्रों का नवीकरण, खाद्यान्नों के भंडारण के लिए कंटेनर, एलपीजी गैस कनेक्शन और आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रसवपूर्व परिचर्या कॉर्नर की स्थापना	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	मुजफ्फरपुर	बिहार
39	140 बिस्तरों वाले घर का निर्माण (आनंदम का ब्लॉक-बी और पार्ट ब्लॉक-सी) - बेघर, बीमार, निराश्रित, अज्ञात और बुजुर्गों के लिए एक घर	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	दाडिकर, अलवर	राजस्थान
40	पोषण सुरक्षा और आजीविका सृजन के लिए बाजरा आधारित पाक परंपरा का पुनरुद्धार	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	भिलाई	छत्तीसगढ़
41	डॉ. इमकोंग्लिबा मेमोरियल जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन की खरीद, स्थापना और कमीशनिंग	स्वास्थ्य देखभाल	लागू नहीं	मोकोकचुंग	नागालैंड
42	परम विज्ञान, नवाचार, इतिहास और सांस्कृतिक केंद्र-सुविधा संवर्धन और अतिथि आवास विकास	कला और संस्कृति	लागू नहीं	बैंगलोर	कर्नाटक
43	भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम), शहीदों और उनकी विधवाओं के बच्चों के लिए शिक्षा अनुदान प्रदान करने के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) में योगदान	सशस्त्र बलों के लाभ	लागू नहीं	पैन इंडिया	पैन इंडिया
44	रामकृष्ण मिशन विद्यालय में तकनीकी परिसर में कार्यशाला और कक्षा भवन का निर्माण	शिक्षा	लागू नहीं	कोयंबटूर	तमिलनाडु
45	स्कूली शिक्षा में बदलाव	शिक्षा	लागू नहीं	पश्चिम सिक्किम	सिक्किम
46	300 सरकारी स्कूलों में आनंदमय शिक्षण संसाधन लैब के साथ 300 सौर ऊर्जा संचालित स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना।	शिक्षा	लागू नहीं	सिद्धार्थनगर	उत्तर प्रदेश
47	राष्ट्रोत्थान विद्या केंद्र सीबीएसई स्कूल की स्थापना	शिक्षा	लागू नहीं	मल्लीगर गांव, हंगल तालुक, हावेरी जिला	कर्नाटक
48	राष्ट्रतीर्थन विद्या केंद्र के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण	शिक्षा	लागू नहीं.	टूटना	कर्नाटक
49	सीखें और कमाएं - तीन साल की अवधि में परिधान निर्माण और उद्यमिता में 300 युवाओं को स्नातक की डिग्री प्रदान करने के लिए एक आरईसी पहल	शिक्षा	लागू नहीं	पैन इंडिया	पैन इंडिया
50	आरईसी-रूपांतर रोल मॉडल स्कूल 2 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 250 स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप होंगे	शिक्षा	लागू नहीं	विभिन्न जिले	जम्मू और कश्मीर, असम और छत्तीसगढ़
51	हिंगनघाट के भारत सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल और श्रीमती सिरेकंवरदेवी मोहता विद्यालय में 13 नए क्लासरूम (कक्षाओं) का निर्माण।	शिक्षा	लागू नहीं	वर्धा	महाराष्ट्र
52	स्कूल भवन का विस्तार और सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम कक्षाएं शुरू करना	शिक्षा	लागू नहीं	जयपुर	राजस्थान
53	कला, विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय, चिखलदरा में आईसीटी, स्मार्ट क्लास रूम और प्रयोगशाला उपकरण/उपकरणों, पुस्तकों, ई-पुस्तकों और ई-जर्नलों (शिक्षण संसाधन पुस्तकालय) की खरीद और स्थापना	शिक्षा	लागू नहीं	अमरावती	महाराष्ट्र

परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
		कार्यान्वयन/नोडल एजेंसी	सीएसआर पंजीकरण संख्या
6	7	8	9
0.50	नहीं	श्री सत्य साईं स्वास्थ्य और शिक्षा ट्रस्ट	CSR00001048
0.47	नहीं	भाग्योदय चैरिटेबल ट्रस्ट	CSR00076020
0.38	नहीं	अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसएबिलिटीज, मुंबई	CSR00012611
0.35	नहीं	उपायुक्त, मुजफ्फरपुर	लागू नहीं
0.34	नहीं	सपना	CSR00000235
0.14	नहीं	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय फाउंडेशन फॉर रुरल टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप	CSR00057408
0.69	नहीं	उपायुक्त, मोकोचुंग	CSR00095515
2.04	नहीं	जन सेवा ट्रस्ट	CSR00006302
20.00	नहीं	केंद्रीय सैनिक बोर्ड	CSR00011199
4.45	नहीं	रामकृष्ण मिशन	CSR00006101
3.99	नहीं	जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिम सिक्किम	लागू नहीं
3.33	नहीं	विज्ञान और शैक्षिक विकास की इकाई	CSR00011913
3.24	नहीं	राष्ट्रोथाना परिषत, कर्नाटक	CSR00004658
2.40	नहीं	राष्ट्रोत्थान परिषद, कर्नाटक	CSR00004658
2.18	नहीं	परिधान प्रशिक्षण और डिजाइन केंद्र	CSR00000938
1.85	नहीं	श्री अरबिंदो सोसायटी	CSR00000200
1.64	नहीं	प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी	CSR00000052
1.46	नहीं	प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर	CSR00034411
0.47	नहीं	कला, विज्ञान और वाणिज्य कॉलेज के लिए आरईसी फाउंडेशन और सिप्रा शिक्षण प्रसारक मंडल	CSR00009563

क्र.सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान	
				जिला	राज्य
1	2	3	4	5(क)	5(ख)
54	प्लास्टिक कचरे से बने 1,000 स्कूल बेंच, 1,250 बंक बेड, 5,000 आरपीईटी (पुनर्नवीनीकरण पॉलिएस्टर) टी-शर्ट प्रदान करना	शिक्षा	लागू नहीं	जोधपुर	राजस्थान
55	जिला परिषद हाई स्कूल मोरज़मपाडु (वी), मचावरम में तीन कक्षाओं, डाइनिंग हॉल और एक डिजिटल कक्षा का निर्माण	शिक्षा	लागू नहीं	मंडल, पलनाडु	आंध्र प्रदेश
56	किशोरी विकास केंद्र परियोजना (किशोर बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम)	शिक्षा	लागू नहीं	डिब्रूगढ़, गोलाघाट, माजुली, लखीमपुर, दक्षिण कामरूप और कोकराझार	असम
57	आरईसी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत आरईसी-इंटीग्रिटी क्लब	शिक्षा	लागू नहीं	पैन इंडिया	पैन इंडिया
58	अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों में 1,000 एलईडी सौर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना और कमीशनिंग	पर्यावरण स्थिरता	लागू नहीं	पश्चिम सियांग, ऊपरी सियांग, लोअर सुबनसिरी, लेपराडा और पोपुम्पोर	अरुणाचल प्रदेश
59	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान में ग्राउंड-माउंटेड, ग्रिड से जुड़े 1.25 मेगावाट (डीसी) सौर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट की स्थापना और स्थापना	पर्यावरण स्थिरता	लागू नहीं	डिंडीगुल	तमिलनाडु
60	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सौर संयंत्र और आरओ जल शोधन प्रणाली की स्थापना	पर्यावरण स्थिरता	लागू नहीं	असम	असम
61	गोवा में 11 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना	पर्यावरण स्थिरता	लागू नहीं	विभिन्न जिले	गोवा
62	व्यापक पशु कल्याण और रेबीज उन्मूलन पहल के तहत 2,750 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। कुत्तों की	पर्यावरण स्थिरता	लागू नहीं	गुरुग्राम	हरियाणा
63	पूर्णिया क्लस्टर में बायोमास गैसीफायर आधारित विकेन्द्रीकृत बिजली प्रणाली के माध्यम से अभिनव जूट प्रसंस्करण भागीदारी मॉडल की स्थापना	पर्यावरण स्थिरता	लागू नहीं	कूच बिहार	पश्चिम बंगाल
64	सतही बीजारोपण के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन - पर्यावरण संरक्षण के लिए किसानों को संवेदनशील बनाना	पर्यावरण स्थिरता	लागू नहीं	बठिंडा, फरीदकोट, मोगा और मुक्तसर	पंजाब
65	3 वर्ष की अवधि में गुजरात फाउंडेशन फॉर एंटरप्रेन्योरियल एक्सीलेंस के अचल निधि में योगदान	Incubators	लागू नहीं	गुजरात	गुजरात
66	25 ग्राम पंचायतों में 25 सामुदायिक भवनों का निर्माण	इनक्यूबेटर	लागू नहीं	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
67	नगर निगम में मुख्य सड़कों पर खंभों के साथ 2,747 एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी	ग्रामीण विकास	लागू नहीं.	पलवल	हरियाणा
68	1000 लोगों के बैठने की क्षमता वाले सभागार का निर्माण	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	सिद्धार्थनगर	उत्तर प्रदेश
69	मुख्य सड़कों पर पोल के साथ 650 नई एलईडी लाइटें लगाना	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	हथिन	हरियाणा
70	500 यूनिट 15-वाट के एलईडी स्ट्रीटलाइट्स की खरीद, स्थापना, कमीशनिंग और रखरखाव।	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
71	ग्रामीण विकास कार्य जैसे सामुदायिक भवन, पीसीसी रोड, नाली, यात्री शेड, एलईडी लाइटों की स्थापना, आरओ संयंत्र आदि का निर्माण।	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	भोजपुर	बिहार
72	प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1,800 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना	ग्रामीण विकास	लागू नहीं	चंदेल, मुजफ्फरपुर और उधम सिंह नगर	बिहार मणिपुर, बिहार और उत्तराखंड

परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
		कार्यान्वयन/नोडल एजेंसी	सीएसआर पंजीकरण संख्या
6	7	8	9
0.47	नहीं	जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन फाउंडेशन, आईआईटी जोधपुर	CSR00047105
0.28	नहीं	आंध्र से जुड़ें	CSR00008366
0.12	नहीं	सेवा भारती पूर्वांचल	CSR00004021
0.01	हाँ	आरईसी फाउंडेशन	CSR00005016
2.11	नहीं	अरुणाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी	CSR00047578
1.45	नहीं	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान	CSR00072857
0.54	नहीं	काजीरंगा टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन	CSR00067221
0.18	नहीं	गोवा सीएसआर प्राधिकरण	CSR00021574
0.14	नहीं	फ्रेंडिकोएस सेका	CSR00001140
0.05	नहीं	ऊर्जा संसाधन संस्थान	CSR00002051
0.26	नहीं	खेती में मिशन	CSR00006470
4.00	नहीं	गुजरात फाउंडेशन फॉर एंटरप्रेन्योरियल एक्सीलेंस	CSR00018338
5.94	नहीं	वाराणसी विकास प्राधिकरण	CSR00057116
2.05	नहीं	नगर परिषद, पलवल	CSR00063820
1.74	नहीं	जिला सिविल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएशन	CSR00009393
1.02	नहीं	नगर परिषद, हथीन	CSR00064232
0.46	नहीं	लखनऊ विकास प्राधिकरण	CSR00060724
0.06	नहीं	एनएचपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली	लागू नहीं
0.21	नहीं	टाटा कम्युनिटी इनिशिएटिव ट्रस्ट	CSR00002739

क्र.सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान	
				जिला	राज्य
1	2	3	4	5(क)	5(ख)
73	पीएम इंटर्नशिप योजना	कौशल विकास	लागू नहीं	पैन इंडिया	पैन इंडिया
74	टीएचडीसी वाटर स्पोर्ट्स हाई परफॉर्मेंस अकादमी ऑफ कैनोइंग एंड कयाकिंग के लिए ओलंपिक आकार के पूल का विकास।	खेल	लागू नहीं	कोटेश्वर, टिहरी	उत्तराखंड
75	बहुउद्देशीय हॉल सह इंडोर स्टेडियम का निर्माण	खेल	लागू नहीं	चुराचंदपुर	मणिपुर
76	स्पोर्ट्स किट, बोस्किया बॉल और रैंप की खरीद	खेल	लागू नहीं	पैन इंडिया	पैन इंडिया
77	नागार्जुन पीजी कॉलेज ऑफ साइंस में इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण	खेल	लागू नहीं	रायपुर	छत्तीसगढ़
सीएसआर परियोजनाओं में कुल संवितरण					
प्रभाव मूल्यांकन लागत					
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रशासनिक व्यय					
पिछले वर्षों के दौरान खर्च किए गए अतिरिक्त खर्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 में समायोजित किया गया					
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल सीएसआर व्यय					
धारा 135 (6) के तहत चल रही सीएसआर परियोजनाओं के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि					
खर्च न की गई सीएसआर राशि सहित कुल सीएसआर व्यय					

आंध्र प्रदेश के माननीय राज्यपाल द्वारा लोक भवन-विजयवाड़ा में सीएसआर के तहत योगदान के लिए आरईसी को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया

परियोजना शक्ति के तहत मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता के माध्यम से सूचित विकल्पों और स्वस्थ प्रथाओं को बढ़ावा देना

परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
		कार्यान्वयन/नोडल एजेंसी	सीएसआर पंजीकरण संख्या
6	7	8	9
0.02	हाँ	आरईसी फाउंडेशन	CSR00005016
1.62	नहीं	सेवा टीएचडीसी	CSR00016241
0.50	नहीं	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चुराचांदपुर	CSR00010395
0.33	नहीं	बोस्किया स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया	CSR00053293
0.10	नहीं	जीएनपीजी कॉलेज ऑफ साइंस, रायपुर, छत्तीसगढ़	CSR00048721
159.54			
0.11			
9.18			
5.53			
174.36			
163.71			
338.07			

"ब्रिंगिंग विजन टू बिहार" सीएसआर पहल के माध्यम से, आरईसी फाउंडेशन अत्याधुनिक नेत्र निदान सेवाओं तक पहुंच को सक्षम कर रहा है, दृष्टि विकारों का शीघ्र पता लगाने और वंचित समुदायों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर रहा है।

बदलाव लाने वालों को सशक्त बनाना: गुवाहाटी में किशोरी विकास योजना प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सामुदायिक सूत्रधार एक साथ आ रहे हैं, जो पूरे क्षेत्र में किशोरियों के लिए एक मजबूत, उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं

बोर्ड की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक-8

मार्च 31, 2026 तक विभिन्न बॉन्ड श्रृंखलाओं के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त डिबेंचर न्यासियों का विवरण

एस. ई. बी. आई. के विनियम 53 (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियम, 2015 के संदर्भ में

क्र. सं	डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	संपर्क विवरण	आईएसआईएन	श्रृंखला नं.
1	विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड द आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सेंटर G ब्लॉक, प्लॉट सी-22, बीकेसी रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र-400051	आई. टी. सी. एल. अनुपालन अधिकारी ✆ + 91-22-26593644 ईमेलः ✉ itclcomplianceofficer@vistra.com वेबसाइटः www.vistraitcl.com	INE020B08724	इंफ्रा बॉंड सिरीज - II (2011-12)
			INE020B08732	
			INE020B07GH7	2011-12 पब्लिक इस्सु ट्रांच-1
2	एस. बी. आई. सी. ए. पी. ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड मिस्त्री भवन, चौथी मंजिल, 122 दिनशॉ वाछा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400020	श्री अर्धेन्दु मुखोपाध्याय (सी. एफ. ओ.) संपर्क संख्याः ✆ +91-22-43025566 ✉ corporate@sbicaptrustee.com dt@sbicaptrustee.com वेबसाइटः https://www.sbicaptrustee.com	INE020B07GV8	2012-13 प्राइवेट प्लेसमेंट
			INE020B07GX4	2012-13 पब्लिक इस्सु ट्रांच-1
			INE020B07GZ9	2012-13 पब्लिक इस्सु ट्रांच-2
			INE020B07HN3	2013-14 प्राइवेट प्लेसमेंट-1
			INE020B07HP8	2013-14 पब्लिक इस्सु ट्रांच-1
			INE020B07HS2	2013-14 पब्लिक इस्सु ट्रांच-1
			INE020B07HQ6	2013-14 पब्लिक इस्सु ट्रांच-1
			INE020B07HT0	2013-14 पब्लिक इस्सु ट्रांच-1
			INE020B07HV6	2013-14 प्राइवेट प्लेसमेंट-2
			INE020B07ID2	2013-14 पब्लिक इस्सु ट्रांच-2
			INE020B07IG5	2013-14 पब्लिक इस्सु ट्रांच-2
			INE020B07IE0	2013-14 पब्लिक इस्सु ट्रांच-2
			INE020B07IH3	2013-14 पब्लिक इस्सु ट्रांच-2
			INE020B07JR0	2015-16 पब्लिक इस्सु ट्रांच-1
			INE020B07JS8	2015-16 पब्लिक इस्सु ट्रांच-1
			INE020B07JT6	2015-16 पब्लिक इस्सु ट्रांच-1
			INE020B07JU4	2015-16 पब्लिक इस्सु ट्रांच-1
			INE020B07ME2	54ईसी सिरीज XV (2021-22)
			INE020B07MF9	54ईसी सिरीज XV (2021-22)
			INE020B07MG7	54ईसी सिरीज XV (2021-22)
			INE020B07MH5	54ईसी सिरीज XV (2021-22)
			INE020B07MI3	54ईसी सिरीज XV (2021-22)
			INE020B07MJ1	54ईसी सिरीज XV (2021-22)
			INE020B07MK9	54ईसी सिरीज XV (2021-22)
			INE020B07ML7	54ईसी सिरीज XV (2021-22)
			INE020B07MM5	54ईसी सिरीज XV (2021-22)
			INE020B07MN3	54ईसी सिरीज XV (2021-22)
			INE020B07MO1	54ईसी सिरीज XV (2021-22)

सुरक्षित/असुरक्षित दिनांक	रिडेमशन दिनांक	कुपन दर	सूचीबद्ध किया गया		पंजीयक और स्थानांतरण अभिकर्ता
			एनएसई	बीएसई	
असुरक्षित	15-02-2027	9.15%	हाँ	नहीं	बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड बीटल हाउस, एल. एस. सी. के सामने तीसरी मंजिल 99 मदांगीर दादा हरसुखदास मंदिर, नई दिल्ली-110062 संपर्क व्यक्तिः श्री संजय रस्तोगी ✆ + 91-11-2996-1281-83 ✉ recbond4@Gmail.com वेबसाइटः www.beetalfinancial.com
सुरक्षित	29-03-2027	8.12% / 8.32%	नहीं	हाँ	केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 और 32, वित्तीय जिला नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद संपर्क व्यक्तिः श्री गोपाल कृष्ण ✆ + 1-800-309-4001 ✉ Gopalakrishna.kvs@kfintech.com वेबसाइटः www.kfintech.com
सुरक्षित	22-11-2027	7.38%	हाँ	हाँ	
सुरक्षित	19-12-2027	7.38% / 7.88%	हाँ	हाँ	
सुरक्षित	25-03-2028	7.04% / 7.54%	हाँ	हाँ	
सुरक्षित	29-08-2028	8.46%	हाँ	हाँ	
सुरक्षित	24-09-2028	8.46%	हाँ	हाँ	
सुरक्षित	24-09-2028	8.46% / 8.71%	हाँ	हाँ	
सुरक्षित	24-09-2033	8.37%	हाँ	हाँ	
सुरक्षित	24-09-2033	8.37% / 8.62%	हाँ	हाँ	
सुरक्षित	11-10-2028	8.54%	हाँ	हाँ	
सुरक्षित	24-03-2029	8.63%	हाँ	हाँ	
सुरक्षित	24-03-2029	8.63% / 8.88%	हाँ	हाँ	
सुरक्षित	24-03-2034	8.61%	हाँ	हाँ	
सुरक्षित	24-03-2034	8.61% / 8.86%	हाँ	हाँ	
सुरक्षित	05-11-2030	7.09%	नहीं	हाँ	
सुरक्षित	05-11-2030	7.09% / 7.34%	नहीं	हाँ	
सुरक्षित	05-11-2035	7.18%	नहीं	हाँ	
सुरक्षित	05-11-2035	7.18% / 7.43%	नहीं	हाँ	
सुरक्षित	30-04-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-05-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	30-06-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-07-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-08-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	30-09-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-10-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	30-11-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-12-2026	5.00%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-01-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	28-02-2027	5.00%	नहीं	नहीं	

क्र. सं	डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	संपर्क विवरण	आईएसआईएन	श्रृंखला नं.
			INE020B07MP8	54ईसी सिरीज XV (2021-22)
			INE020B07MQ6	54ईसी सिरीज XVI (2022-23)
			INE020B07MR4	54ईसी सिरीज XVI (2022-23)
			INE020B07MS2	54ईसी सिरीज XVI (2022-23)
			INE020B07MT0	54ईसी सिरीज XVI (2022-23)
			INE020B07MU8	54ईसी सिरीज XVI (2022-23)
			INE020B07MV6	54ईसी सिरीज XVI (2022-23)
			INE020B07MW4	54ईसी सिरीज XVI (2022-23)
			INE020B07MX2	54ईसी सिरीज XVI (2022-23)
			INE020B07MY0	54ईसी सिरीज XVI (2022-23)
			INE020B07MZ7	54ईसी सिरीज XVI (2022-23)
			INE020B07NA8	54ईसी सिरीज XVI (2022-23)
			INE020B07NB6	54ईसी सिरीज XVI (2022-23)
			INE020B07NC4	54ईसी सिरीज XVII (2023-24)
			INE020B07NK7	54ईसी सिरीज XVII (2023-24)
			INE020B07NL5	54ईसी सिरीज XVII (2023-24)
			INE020B07NJ9	54ईसी सिरीज XVII (2023-24)
			INE020B07NG5	54ईसी सिरीज XVII (2023-24)
			INE020B07NI1	54ईसी सिरीज XVII (2023-24)
			INE020B07NH3	54ईसी सिरीज XVII (2023-24)
			INE020B07NF7	54ईसी सिरीज XVII (2023-24)
			INE020B07ND2	54ईसी सिरीज XVII (2023-24)
			INE020B07NE0	54ईसी सिरीज XVII (2023-24)
			INE020B07NN1	54ईसी सिरीज XVII (2023-24)
			INE020B07NM3	54ईसी सिरीज XVII (2023-24)
			INE020B07NP6	54ईसी सिरीज XVIII (2024-25)
			INE020B07NO9	54ईसी सिरीज XVIII (2024-25)
			INE020B07NQ4	54ईसी सिरीज XVIII (2024-25)
			INE020B07NR2	54ईसी सिरीज XVIII (2024-25)
			INE020B07NS0	54ईसी सिरीज XVIII (2024-25)
			INE020B07NT8	54ईसी सिरीज XVIII (2024-25)
			INE020B07NU6	54ईसी सिरीज XVIII (2024-25)
			INE020B07NV4	54ईसी सिरीज XVIII (2024-25)
			INE020B07NW2	54ईसी सिरीज XVIII (2024-25)
			INE020B07NX0	54ईसी सिरीज XVIII (2024-25)
			INE020B07NY8	54ईसी सिरीज XVIII (2024-25)
			INE020B07NZ5	54ईसी सिरीज XVIII (2024-25)
			INE020B07OA6	54ईसी सिरीज XIX (2025-26)
			INE020B07OC2	54ईसी सिरीज XIX (2025-26)
			INE020B07OD0	54ईसी सिरीज XIX (2025-26)
			INE020B07OE8	54ईसी सिरीज XIX (2025-26)

सुरक्षित/असुरक्षित दिनांक	रिडेमशन दिनांक	कुपन दर	सूचीबद्ध किया गया		पंजीयक और स्थानांतरण अभिकर्ता
			एनएसई	बीएसई	
सुरक्षित	31-03-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	30-04-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-05-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	30-06-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-07-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-08-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	30-09-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-10-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	30-11-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-12-2027	5.00%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-01-2028	5.00%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	29-02-2028	5.00%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-03-2028	5.00%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	30-04-2028	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-05-2028	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	30-06-2028	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-07-2028	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-08-2028	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	30-09-2028	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-10-2028	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	30-11-2028	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-12-2028	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-01-2029	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	28-02-2029	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-03-2029	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	30-04-2029	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-05-2029	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	30-06-2029	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-07-2029	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-08-2029	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	30-09-2029	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-10-2029	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	30-11-2029	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-12-2029	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-01-2030	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	28-02-2030	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-03-2030	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	30-04-2030	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-05-2030	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	30-06-2030	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-07-2030	5.25%	नहीं	नहीं	

क्र. सं	डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	संपर्क विवरण	आईएसआईएन	श्रृंखला नं.
			INE020B07OF5	54ईसी सिरीज XIX (2025-26)
			INE020B07OG3	54ईसी सिरीज XIX (2025-26)
			INE020B07OH1	54ईसी सिरीज XIX (2025-26)
			INE020B07OI9	54ईसी सिरीज XIX (2025-26)
			INE020B07OJ7	54ईसी सिरीज XIX (2025-26)
			INE020B07OK5	54ईसी सिरीज XIX (2025-26)
			INE020B07OL3	54ईसी सिरीज XIX (2025-26)
			INE020B07OB4	54ईसी सिरीज XIX (2025-26)
			INE020B08AA3	140
			INE020B08AC9	142
			INE020B08AH8	147
			INE020B08AQ9	156
			INE020B08AX5	जीओआई-I
			INE020B08AY3	जीओआई-II
			INE020B08AZ0	जीओआई-III
3	बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड 5 डब्ल्यू, 5वीं मंजिल, द मेट्रोपॉलिटन, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051	श्री ऋतोब्रत मित्र ✆ +91-22-46060278 ✉ compliance@beacontrustee.co.in वेबसाइटः www.beacontrustee.co.in	INE020B08BA1	162
			INE020B08BB9	163
			INE020B08BG8	168
			INE020B08BH6	169
			INE020B08BP9	175
			INE020B08BQ7	176
			INE020B08BS3	178
			INE020B08BU9	180-बी
			INE020B08BW5	182
			INE020B08BX3	183
			INE020B08EN8	184-ए
			INE020B08CI2	188-बी
			INE020B08CJ0	189
			INE020B08CP7	192
			INE020B08CU7	197
			INE020B08CW3	198बी
			INE020B08CX1	199
			INE020B08DA7	201बी
			INE020B08DB5	202ए
			INE020B08DE9	203ए
			INE020B08DG4	204ए
			INE020B08DL4	206-पीडीआई
			INE020B08DM2	207
			INE020B08DO8	208
			INE020B08DT7	211

सुरक्षित/असुरक्षित दिनांक	रिडेमशन दिनांक	कुपन दर	सूचीबद्ध किया गया		पंजीयक और स्थानांतरण अभिकर्ता
			एनएसई	बीएसई	
सुरक्षित	31-08-2030	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	30-09-2030	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-10-2030	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	30-11-2030	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-12-2030	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-01-2031	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	28-02-2031	5.25%	नहीं	नहीं	
सुरक्षित	31-03-2031	5.25%	नहीं	नहीं	
असुरक्षित	07-11-2026	7.52%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	30-12-2026	7.54%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	12-03-2027	7.95%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	10-12-2027	7.70%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	21-03-2028	8.09%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	24-03-2028	8.01%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	27-03-2028	8.06%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	09-08-2028	8.55%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	25-08-2028	8.63%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	29-11-2028	8.56%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	07-12-2028	8.37%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	28-03-2029	8.97%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	16-04-2029	8.85%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	14-05-2029	8.80%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	25-06-2029	8.30%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	22-08-2034	8.18%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	16-09-2034	8.29%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	26-09-2029	8.25%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-03-2030	7.89%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-03-2030	7.92%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	28-02-2030	7.50%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	11-05-2030	7.55%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	21-05-2030	7.79%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	15-06-2030	7.96%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-03-2031	6.90%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	30-09-2030	7.25%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	20-12-2030	6.80%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-01-2031	6.90%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	जब तक कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल न किया जाए, तब तक यह हमेशा के लिए जारी रहेगा।	7.97%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-01-2036	7.02%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	15-03-2036	7.40%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-10-2031	6.23%	हाँ	हाँ	

क्र. सं	डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	संपर्क विवरण	आईएसआईएन	श्रृंखला नं.
			INE020B08DV3	213
			INE020B08DX9	214-बी
			INE020B08DX9	214-बी (रिइस्सु)
			INE020B08DZ4	215
			INE020B08EA5	216 ए
			INE020B08EB3	216 बी
			INE020B08EC1	217
			INE020B08ED9	218-ए
			INE020B08EE7	218-बी
			INE020B08EH0	220 ए
			INE020B08EG2	220 बी
			INE020B08EI8	221
			INE020B08EJ6	222-पीडीआई
			INE020B08CI2	188-बी (रिइस्सु)
			INE020B08DV3	213 (रिइस्सु)
			INE020B08EL2	223-A
			INE020B08EK4	223-B
			INE020B08EM0	225
			INE020B08EO6	226 - पीडीआई
			INE020B08EP3	227-ए
			INE020B08EQ1	227-बी
			INE020B08ES7	228-ए
			INE020B08ER9	228-बी
			INE020B08EU3	229-बी
			INE020B08EW9	230-ए
			INE020B08EV1	230-बी
			INE020B08EX7	231-ए
			INE020B08EY5	231-बी
			INE020B08FA2	232-ए
			INE020B08EZ2	232-बी
			INE020B08FB0	233
			INE020B08DA7	201 (बी) (रिइस्सु)
			INE020B08FC8	234-ए
			INE020B08FD6	234-बी
			INE020B08FE4	235
			INE020B08FG9	236-ए
			INE020B08FF1	236-बी
			INE020B08FH7	237
			INE020B08FA2	232-ए (रिइस्सु)
			INE020B08FI5	238

सुरक्षित/असुरक्षित दिनांक	रिडेमशन दिनांक	कुपन दर	सूचीबद्ध किया गया		पंजीयक और स्थानांतरण अभिकर्ता
			एनएसई	बीएसई	
असुरक्षित	20-03-2032	6.92%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	28-02-2033	7.50%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	28-02-2033	7.50%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	30-11-2037	7.65%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-03-2028	7.55%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	30-11-2037	7.67%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-03-2033	7.53%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	30-06-2026	7.56%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-01-2033	7.69%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-03-2028	7.77%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-03-2033	7.69%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-07-2026	7.51%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	शाश्वत जब तक कॉल विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है।	7.98%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-03-2030	7.89%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	20-03-2032	6.92%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	30-04-2026	7.44%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	30-06-2028	7.46%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	30-06-2026	7.64%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	शाश्वत जब तक कॉल विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है।	8.03%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	30-09-2026	7.77%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-10-2033	7.71%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	30-05-2026	7.80%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	30-11-2033	7.71%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	30-11-2038	7.67%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	26-02-2027	7.71%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-01-2034	7.64%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	30-04-2027	7.64%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	28-02-2034	7.47%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-05-2027	7.59%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	29-04-2034	7.45%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-05-2034	7.53%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-03-2031	6.90%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-08-2026	7.70%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-05-2029	7.58%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-07-2034	7.35%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-08-2035	7.45%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-08-2027	7.56%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-10-2026	7.55%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-05-2027	7.59%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	30-09-2039	7.31%	हाँ	हाँ	

क्र. सं	डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	संपर्क विवरण	आईएसआईएन	श्रृंखला नं.
			INE020B08FJ3	239
			INE020B08FK1	240-ए
			INE020B08FL9	240-बी
			INE020B08FM7	241
			INE020B08FK1	240-ए (रिइस्सु)
			INE020B08FN5	242
			INE020B08EW9	230-ए (रिइस्सु)
			INE020B08FO3	243
			INE020B08FP0	244
			INE020B08FR6	245-ए
			INE020B08FQ8	245-बी
			INE020B08FS4	246
			INE020B08FU0	247-ए
			INE020B08FT2	247-बी
			INE020B08FW6	248-ए
			INE020B08FV8	248-बी
			INE020B08FX4	249-ए
			INE020B08FY2	249-बी
			INE020B08FZ9	250-ए
			INE020B08GA0	250-बी
			INE020B08GB8	251
			INE020B08GC6	252
			INE020B08BC7	जीओआई-IV
			INE020B08BE3	जीओआई-V
			INE020B08BJ2	जीओआई-VI
			INE020B08BL8	जीओआई-VII
			INE020B08BO2	जीओआई-VIII
			INE020B08CO0	जीओआई-IX
			INE020B08CR3	जीओआई-X
			INE020B08CS1	जीओआई-XI
			INE020B08DI0	जीओआई-XII
			INE020B08DN0	जीओआई-XIII
			INE020B08DQ3	जीओआई-XIV

** चिरस्थायी ऋण साधन*

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक: 29 जुन 2026

सुरक्षित/असुरक्षित दिनांक	रिडेमशन दिनांक	कुपन दर	सूचीबद्ध किया गया		पंजीयक और स्थानांतरण अभिकर्ता
			एनएसई	बीएसई	
असुरक्षित	03-11-2034	0.00%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	30-11-2039	7.09%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	30-04-2030	7.34%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	30-04-2035	7.10%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	30-11-2039	7.09%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	15-01-2035	7.20%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	26-02-2027	7.71%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	20-02-2040	7.28%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	लागू नहीं*	7.99%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	29-02-2028	7.44%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	28-02-2035	7.32%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	30-04-2040	7.02%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-05-2030	6.87%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-05-2035	6.86%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-01-2028	6.52%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	30-04-2036	6.81%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-03-2027	6.37%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-12-2029	6.70%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	30-06-2027	6.60%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	30-06-2035	7.06%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	18-02-2028	6.95%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	15-03-2031	7.19%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	28-09-2028	8.70%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	15-11-2028	8.54%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	22-01-2029	8.80%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	08-03-2029	8.60%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	25-03-2029	8.30%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	02-03-2030	7.14%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	26-03-2030	8.25%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	31-03-2030	7.20%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	07-01-2031	6.45%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	28-01-2031	6.63%	हाँ	हाँ	
असुरक्षित	26-03-2031	6.50%	हाँ	हाँ	

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

जितेन्द्र श्रीवास्तव
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएन:06817799

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

आरईसी लिमिटेड के सदस्य

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में रिपोर्ट

विचार

हमने आरईसी लिमिटेड ("कंपनी) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलोन तुलन पत्र तथा लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित) क विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (इसके पश्चात "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों" के रूप में संदर्भित) सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी शामिल हैं।

हमारी विचार में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा आवश्यक जानकारी को उसमें निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तथा अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015, जैसा कि संशोधित किया गया है के साथ पठित भारतीय लेखा मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च 2026 को कंपनी के मामलों की स्थिति का तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन और इसके नकद प्रवाह का एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

विचार बिन्दु का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसएएस) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्वों में उल्लेख किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार इस समूह से स्वतंत्र हैं और हमने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य को हमने प्राप्त किया है तथा हमारे विचार के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

विषय पर विशेष ध्यान

हम लेखापरीक्षा समिति के गठन तथा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को अपनाने के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 68 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। इस मामले के संबंध में हमारे मत को संशोधित नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय

मुख्य लेखापरीक्षा मामले ("केएएम") वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय के अनुसार, चालू वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और उन पर हमारी राय बनाने के क्रम में, हम इन मामलों पर कोई अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के रूप में नीचे वर्णित मामलों को निर्धारित किया है।

क्र.सं.	लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	**ऋण परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के लिए आरक्षित राशि –** (लेखांकन नीति सं. 3.12 के साथ पठित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 49.1.4 के संदर्भ में) कंपनी निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली का पालन करती है, जिसमें राशि का मूल्यांकन, मूल्यह्रास के साक्ष्य के स्तर एवं क्रेडिट जोखिम के आधार पर विभिन्न चरणों में परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करने वाले कुछ मानदंड/ रूपरेखा पर आधारित हानि के लिए एक बाह्य एजेंसी द्वारा किया जाता है। हानि भत्ते को डिफॉल्ट संभावना के उत्पाद, डिफॉल्ट में प्रकटन तथा हानि भत्ते के मूल्यांकन हेतु मुख्य मापदंड के नाते में दी गई डिफॉल्ट हानि के रूप में मापा जाता है। हानि भत्ते के मूल्यांकन हेतु अंतर्निहित मुख्य संकेतकों को प्रबंधन द्वारा नियमित आधार पर मूल्य निरूपित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन ने एक ऐसी पद्धति अपनाई है, जिसके तहत ऊपर अपनाए गए मॉडल के अलावा प्रत्येक मामले का व्यक्तिगत आधार पर आगे विश्लेषण किया जाता है और जहाँ कहीं भी हानि के प्रभाव को बदलने की आवश्यकता होती है, उसे वित्तीय विवरणों में शामिल विचारित किया जाता है। वित्तीय विवरणों पर इसके महत्व और प्रभाव को देखते हुए, हमने ऋण परिसंपत्तियों के लिए हानि भत्ते को एक मुख्य लेखापरीक्षा मामला माना है।	**इस संबंध में, हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया है** क) ऋण परिसंपत्तियों की निगरानी के संबंध में प्रमुख आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन और परीक्षण, प्रासंगिक डेटा गुणवत्ता के परीक्षण सहित ऋण हानि का आकलन, और दर्ज किए गए वास्तविक डेटा की समीक्षा। ख) हमने बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट प्राप्त कर ली है और हानि भत्ते के संबंध में कंपनी के आंतरिक दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं के साथ-साथ विभिन्न नियामक अपडेट के साथ मानदंड/ढांचे का सत्यापन कर लिया है। ग) वसूली/निष्पादन पहलुओं की निगरानी के संबंध में कुल ऋण के बड़े हिस्से को शामिल करते हुए नमूना जांच के आधार पर ऋण परिसंपत्तियों का सत्यापन और उस पर प्रबंधन की धारणा पर विचार करते हुए ऋण हानि का आकलन। घ) वसूली के स्तर का पता लगाने के लिए मानक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए वसूली सत्यापित की जाती है। ऋण शेष की पुष्टि की जाती है और प्रमुख नियंत्रण मापदंडों के साथ उधारकर्ता की गुणवत्ता का मूल्यांकन और परीक्षण किया जाता है। ङ) ऋण परिसंपत्तियों के कार्यनिष्पादन के आधार पर हानि का आकलन हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेख पर संबंधित साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। च) हमने प्रबंधन के साथ, जहाँ भी अंतर्निहित कमजोरी देखी गई है, चर्चा की है और ऐसे मामलों में प्रबंधन मूल्यांकन को गहन रूप से किया जाता है।
2.	**व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स का उचित मूल्यांकन** (लेखांकन नीति संख्या 3.11 के साथ पठित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 8 को देखें) कंपनी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार अपनी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार डेरिवेटिव अनुबंध में प्रवेश करती है। व्युत्पन्न अनुबंधों को या तो लाभ और हानि (एफ़वीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर या नकदी प्रवाह बचाव(हेज अकाउंटिंग) के तहत वर्गीकृत किया जाता है। एफ़वीटीपीएल में वर्गीकृत व्युत्पन्न पर मार्क टू मार्केट लाभ/हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है और नकदी प्रवाह हेज को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई है। वित्तीय विवरणों को ध्यान में रखते हुए हमने व्युत्पन्न इन्स्ट्रूमेंट्स के उचित मूल्यांकन को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना है।	**हमने इस संबंध में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया लागू की है :** क) प्रबंधन की धारणा पर चर्चा करना और समझना और जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी की नीति का अध्ययन करना। ख) इंड एएस 109 की अवधि में व्युत्पन्न के उचित मूल्य का सत्यापन। ग) व्युत्पन्न उपकरणों के वर्गीकरण पर प्रमुख आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन घ) कंपनी प्रतिपक्ष बैंकों से व्युत्पन्न का उचित मूल्य प्राप्त करती है। हमारी प्रक्रिया में 31 मार्च, 2026 तक बकाया विभिन्न वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंधों के विवरण और उस पर उचित मूल्य का मूल्यांकन शामिल है। ङ) इसके अतिरिक्त हमने नकदी प्रवाह हेज के तहत व्युत्पन्न अनुबंधों के मामले में लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में व्युत्पन्न अनुबंधों के मार्क टू मार्केट आधार पर लाभ या हानि के लेखांकन का सत्यापन किया। च) इंडएएस 109 के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता की समीक्षा की गई।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक से भिन्न सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी के अंतर्गत कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी आती है, परंतु इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उन पर हमारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन शामिल नहीं है। यह अपेक्षा की जाती है कि ऐसी अन्य जानकारी हमें इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तिथि के बाद उपलब्ध कराई जाएगी।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को संबंध में हमारे विचार में अन्य सूचना शामिल नहीं होती है और हम उस पर आश्वासन संबंधी निष्कर्ष के किसी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर में पहचान की गई अन्य सूचना, जब यह उपलब्ध हो जाए, को पढ़ना है और ऐसा करते हुए इस तथ्य पर भी विचार करना है कि क्या अन्य सूचना वास्तविक रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुरूप है अथवा इस लेखापरीक्षा में प्राप्त की गई जानकारी अथवा अन्य प्रकार से उसका वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया प्रतीत होता हो।

यदि, हमने जो कार्य किया है उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया है तब यह अपेक्षित होता है कि हम इस मामले को शासन जिसे यह जिम्मेदारी दी गई है, को सूचित करें।

स्टैंडअलोन मानक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी व्यक्तियों के दायित्व

कंपनी एवं निदेशक मण्डल इन स्टैंडअलोन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो यथासंशोधित कंपनी ("भारतीय लेखांकन मानक") नियमावली 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसरण में कंपनी वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह की एक पारदर्शी और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस दायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने, जालसाजी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करने और उनका प्रयोग करने; उन निर्णयों और अनुमानों जो उचित और विवेकपूर्ण हो, को तय करने; और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करने और इसका अनुरक्षण करने, जो वित्तीय दस्तावेजों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप में कार्य कर रहे हों, और जो स्टैंडअलोन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में संगत हों, जो एक सही और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, तथा जो वास्तविक गलत कथन से मुक्त हों, चाहे वह जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो, की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समुचित वित्तीय रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, कंपनी की वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए, जहां भी लागू हो, उसका प्रकटीकरण करने के लिए, वर्तमान चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार का उपयोग करते हुए इस समूह की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रबंधन एवं निदेशक मण्डल जिम्मेदार हैं, यदि प्रबंधन का उद्देश्य इस समूह का परिसमापन नहीं करने का हो अथवा इसके प्रचालनों को बंद करने का हो अथवा ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

निदेशक मण्डल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य इसके संबंध में समुचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या सम्पूर्ण रूप में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों वस्तुपरक गलत सूचना से मुक्त हैं, चाहे वह जालसाजी अथवा किसी त्रुटि के कारण हुआ हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, जिसमें हमारा विचार शामिल है, को जारी करने के लिए स्वतंत्र है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा वस्तुपरक गलत सूचना का पता लगा लिया जाएगा जब यह होता हो। गलत कथन जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण होता है और इसे वास्तविक माना जाता है यदि इसे अलग-अलग रूप में अथवा कुल मिलाकर देखा जाए, उसके कारण उचित रूप से उन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

एसएएस के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यवसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यवसायिक संशयवाद बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तात्त्विक गलत बयानी के जोखिमों का पता लगाना और उनका आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण; उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करना एवं निष्पादित करना; और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली तात्त्विक गलत बयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, मिथ्या निरूपण , या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकते हैं।
- लेखापरीक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हों, का डिज़ाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के बारे में समझ विकसित करना। इस अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत, हम इसके संबंध में अपने विचार को व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली सक्रिय है और इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता कार्य कर रही है।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता और उसके संबंध में किया गया प्रकटीकरण तथा उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन की वर्तमान चिंताओं के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन की उपयुक्तता के बारे में निष्कर्ष निकालना, चाहे कोई वास्तविक अनिश्चितता उन घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में मौजूद हो, जो वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए इस समूह अथवा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की क्षमता पर बहुत अधिक संदेह उत्पन्न करता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है तब यह अपेक्षित है कि हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण के बारे में अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें और यदि इस प्रकार का प्रकटीकरण हमारे विचार में संशोधन करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तब भी हम उनका ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्यों के आधार पर हैं। हालांकि, भावी घटनाएं अथवा स्थितियां इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के लिए वर्तमान चिंता के रूप में जारी रहने से रोकने के लिए स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं।
- प्रकटीकरणों सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और यह जांचना कि क्या पृथक वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जिससे कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित हो सके

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का वह परिमाण, जिससे एकल या सामूहिक रूप से, यह संभावना उत्पन्न होती है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के किसी उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं, महत्त्वपूर्ण होता है। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी अभिचिह्नित गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम शासन का उत्तरदायित्व दिए गए सभी व्यक्तियों को, अन्य मामलों के साथ-साथ, योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा की अवधि और आंतरिक नियंत्रण संबंधी महत्त्वपूर्ण खामियों जिनकी हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं सहित, महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा संबंधी निष्कर्षों की सूचना देते हैं।

हम उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को ऐसा कथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उन्हें सभी संबंधों और अन्य मामलों जिनके बारे में उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ने के बारे में सोचा जा सकता हो और जहां भी लागू हो, उससे संबंधित सुरक्षात्मक उपायों की भी सूचना देते हैं।

प्रशासनिक मामलों के संबंध में जिन बातों पर चर्चा हुई, उनमें से हमने वर्तमान अवधि के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण मामलों का निर्धारण किया है, और इसलिए वे मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का विवरण अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में देते हैं, जब तक कि कानून या नियम के तहत सार्वजनिक रूप से इनका खुलासा करना अनिवार्य न हो, या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करें कि किसी मामले का उल्लेख हमारी रिपोर्ट में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से होने वाले प्रतिकूल परिणाम सार्वजनिक हित में होने वाले लाभों से कहीं अधिक गंभीर होंगे।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, हमने आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान अनुलग्नक-क में प्रस्तुत किया है।
2. कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमनें अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों पर अनुलग्नक-ख के रूप में अपनी रिपोर्ट संलग्न की है।

3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम सूचित करते हैं किः

(क) हमने उन समस्त जानकारियों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है, जो हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं।

(ख) हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियों का रखरखाव कंपनी द्वारा किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा की गई उन बहियों की जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

(ग) इस प्रतिवेदन द्वारा विचारित स्टैंडअलोन तुलन-पत्र, स्टैंडअलोन लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), स्टैंडअलोन इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के पूर्णतः अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

(ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2), कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

(च) कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय वित्तीय विवरणों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "**अनुलग्नक-ग**" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें;

(छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, चूंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

(ज) यथा संशोधित कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार:

(i) कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में, अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव को प्रकट किया है - स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 44 के संदर्भ में;

(ii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं थे, जिनमें व्युत्पन्न अनुबंध शामिल हैं।

(iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में, हस्तांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित अंतरण राशियों में कोई विलंब नहीं हुआ है।

(iv) (क) प्रबंधन ने उल्लेख (टिप्पणी संख्या 10.5 देखें) किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (मध्यवर्तियों) सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ, चाहे लिखित रूप में लेखबद्ध किया गया हो या अन्यथा, के साथ कि मध्यवर्ती, कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से अभिचिह्नित किसी व्यक्ति या संस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या में निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा, किसी भी निधि (जो एकल या सामूहिक रूप से महत्पूर्ण हो) का अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है;

(ख) प्रबंधन ने उल्लेख (टिप्पणी संख्या 22.4 देखें) किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("वित्तपोषक पक्षकार") सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से इस समझ, चाहे लिखित रूप में लेखबद्ध किया गया हो या अन्यथा, के साथ कि कंपनी, वित्तपोषक पक्षकार (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से अभिचिह्नित किसी व्यक्ति या संस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या में निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा, किसी भी निधि (जो एकल या सामूहिक रूप से महत्पूर्ण हो) प्राप्त नहीं की गई है;

(ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं, जिन्हें परिस्थितियों के अनुसार संगत और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिसने हमें यह विश्वास दिलाया हो कि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (च) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत यथासंशोधित और उपरोक्त (क) और (ख) के तहत उपलब्ध कराए गए अभ्यावेदनों में कोई भी महत्त्वपूर्ण गलत विवरण शामिल है।

(v) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में हैं ।

(vi) हमारी जांच के आधार पर जिसमें परीक्षण जांच भी शामिल है, कंपनी ने अपने खाता बही को बनाए रखने के लिए एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन-देन के लिए पूरे वर्ष संचालित होता है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल फीचर के साथ छेड़छाड़ का कोई उदाहरण नहीं मिला है।

कृते मैसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार,
आईसीएआई फर्म पंजीकरण: 112318W

सौरभ चौहान
भागीदार
सदस्यता संख्या: 167453
यूडीआईएन: 26167453WSUFHT2660

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 28 अप्रैल 2026

कृते मैसर्स एससीवी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार,
आईसीएआई फर्म पंजीकरण:000235N/N500089

अभिनव खोसला
भागीदार
सदस्यता संख्या: 087010
यूडीआईएन: 26087010TEQKGF3975

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

(आरईसी लिमिटेड को इसी तिथि की, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

हमारे द्वारा मांगी गई तथा कंपनी द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के संदर्भ में, तथा लेखापरीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जाँचे गए खाता-बहियों एवं अभिलेखों (रिकॉर्ड्स) के आधार पर और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार, हम यह कथन करते हैं कि–:

i. **कंपनी की परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर, संपत्ति के उपयोग का अधिकार और अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में:**

(क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख तथा उपयोग के अधिकार की आस्तियों के प्रासंगिक विवरण बनाए रखे हैं।

कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्ति का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेख बनाए रखे हैं।

(ख) कंपनी का संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के भौतिक सत्यापन का एक कार्यक्रम है ताकि सभी परिसंपत्तियों को चरणबद्ध तरीके से कवर किया जा सके, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई महत्त्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गईं।

(ग) कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि निम्नलिखित को छोड़कर, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के अंतर्गत शामिल वित्तीय विवरणों में यथा-प्रकट सभी अचल संपत्तियों (ऐसी संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा करारों को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है) के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर रखे गए हैं।

(₹ करोड़ में)

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	जिसके नाम पर धारित है	प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	जिस अवधि से धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
भवन	4.59	शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन भूमि एवं विकास अधिकारी	नहीं	1990	भूमि एवं विकास अधिकारी से लंबित औपचारिकताओं के कारण स्कोप (केंद्र सरकार का परिसर) में कंपनी को आबंटित कार्यालय भवन कंपनी के नाम से पंजीकृत नहीं है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (उपयोग के अधिकार सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2026 तक कंपनी के विरुद्ध बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (वर्ष 2016 में संशोधित) और इसके अधीन बनाए गए नियम के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii. (क) कंपनी की कोई इन्वेंट्री नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ii) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमें सूचित किया गया है कि कंपनी को वर्ष के दौरान बैंकों या वित्तीय संस्थान से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की अप्रतिभूत कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। चूंकि, सीमाओं को अप्रतिभूत के रूप में स्वीकृत किया गया है, आदेश के खंड 3(ii)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iii. वर्ष के दौरान कंपनी ने, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारी फर्मों या किसी अन्य पक्षकार में/को प्रतिभूत/प्रतिभूत, निवेश किया है, गारंटी प्रदान की है और ऋण की प्रकृति में ऋण/अग्रिम प्रदान किया है। इस संबंध में हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:

(क) कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक पंजीकृत एनबीएफसी है, जिसका मुख्य व्यवसाय ऋण देना है, इसलिए आदेश का खंड 3 (iii) (क) लागू नहीं है।

(ख) हमारी राय में, वर्ष के दौरान किए गए निवेश, प्रदान की गई गारंटी तथा ऋण और गारंटी की प्रकृति में प्रदान किए गए सभी ऋणों और अग्रिमों की निबंधन और शर्तें, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

(ग) एक पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते, कंपनी मूलधन और ब्याज की चुकौती के लिए निर्धारित निबंधनों और शर्तों पर अपने ऋण की अदायगी करती है। ऋणग्रस्त परिसंपत्तियों को छोड़कर, ऋण परिसंपत्तियों के संबंध में, मूलधन की चुकौती और ब्याज की प्राप्तियां आमतौर पर नियमानुसार नियमित हैं।

(घ) ऋणों की प्रकृति में ऋणों और अग्रिमों के संबंध में, 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय कुल राशि इस प्रकार है। कंपनी अपनी निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए जो कदम उठाती है, जो हमारी राय में उचित है।

(₹ करोड़ में)

मामलों की संख्या	अतिदेय मूल राशि	अतिदेय ब्याज	कुल अतिदेय	टिप्पणी (यदि कोई हो)
3	1,224.07	2,722.27	3,946.34	-

(ङ) आदेश के खंड 3 (iii) (ई) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है, क्योंकि कंपनी का मुख्य कारोबार के लिए ऋण प्रदान करना है।

(च) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान ऋण की प्रकृति में कोई भी ऋण या अग्रिम, मांग पर चुकाने योग्य या किसी भी शर्तों या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना प्रदान नहीं किया है। इसलिए, खंड 3(iii)(च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iv. हमारी राय में और अधिनियम की धारा 185 के उपबंधों के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने धारा 185 के तहत कोई ऋण या गारंटी प्रदान नहीं की है।

इसके अतिरिक्त, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी, एक एनबीएफसी होने के नाते, अधिनियम की धारा 186 के उपबंधों तथा ऋण और गारंटी के संबंध में संगत नियमों से छूट प्राप्त है। निवेश के संबंध में, कंपनी ने अधिनियम की धारा 186(1) के उपबंधों का अनुपालन किया है।

v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के उपबंध या के अन्य प्रासंगिक उपबंध और इसके तहत बनाए गए नियम लागू होते हैं।

vi. केन्द्रीय सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदत्त किसी भी सेवा के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत लागत अभिलेखों के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन) आदेश 2020 का खंड 3(vi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

vii. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और खाता बही की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, बिक्री कर, सेवा कर, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक देयताएं उपयुक्त प्राधिकारियों पर लागू सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में आम तौर पर नियमित रही है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, बिक्री कर, सेवा कर, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक बकाया 31 मार्च, 2026 तक उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया थे, के संबंध में कोई निर्विवाद राशि देय नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और खाता बही की हमारी जांच के आधार पर, 31 मार्च 2026 तक आयकर, वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर और उपकर का बकाया है जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, वे इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	विवादित राशि	समायोजित भुगतान की गई राशि / धनवापसी	अदत्त निवल राशि	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम, जिसमें विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	विवादित आयकर मांग	0.30	0.30	0.00	2007-08	दिल्ली उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम, 1961	विवादित आयकर मांग	0.83	0.66	0.17	2011-12	दिल्ली उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम, 1961	विवादित आयकर मांग	0.76	0.00	0.76	2016-17	आयकर आयुक्त (अपील), एनएफएसी दिल्ली दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	विवादित आयकर मांग	4.01	0.00	4.01	2017-18	आयकर आयुक्त (अपील), एनएफएसी दिल्ली दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	विवादित आयकर मांग	15.06	0.00	15.06	2021-22	आयकर आयुक्त (अपील), एनएफएसी दिल्ली दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	विवादित आयकर मांग	3.06	0.00	3.06	2022-23	आयकर आयुक्त (अपील), एनएफएसी दिल्ली दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	विवादित आयकर मांग	11.64	0.00	11.64	2023-24	आयकर आयुक्त (अपील), एनएफएसी दिल्ली दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस	0.01	0.00	0.01	अनेक वर्ष	सीपीसी, टीडीएस (ट्रेस के अनुसार)
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	आयकर और ब्याज	17.89	17.89	0.00	2017-18	विशेष आयुक्त (अपील), सीजीएसटी दिल्ली अपील्स
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	आयकर और ब्याज	0.01	0.00	0.01	2017-18	आयुक्त (अपील), एसजीएसटी दिल्ली अपील
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	आयकर और ब्याज	2.79	0.14	2.65	2019-20	आयुक्त (अपील), डीजीएसटी दिल्ली अपील्स
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	आयकर और ब्याज	0.02	0.00	0.02	2020-21	आयुक्त (अपील), डीजीएसटी दिल्ली अपील्स
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	आयकर और ब्याज	11.76	0.67	11.09	2021-22	आयुक्त (अपील), डीजीएसटी दिल्ली अपील्स
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	आयकर और ब्याज	0.18	0.01	0.17	2021-22	संयुक्त राज्य कर आयुक्त (अपील), एसजीएसटी गुरुग्राम
		68.32	19.67	48.65		

viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट की गई विगत अलेखबद्ध आय के संबंध में कोई लेन-देन नहीं था।

ix. (क) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारा यह अभिमत है कि कंपनी ने ऋण अथवा अन्य उधारियों की चुकौती अथवा किसी उधारदाता को उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है.

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।

(घ) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का उपयोग वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा समग्र आधार पर दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के वित्तीय विवरणों के समग्र परीक्षण पर, कंपनी ने अपनी सहायक या संबद्ध कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य से अथवा उनके मद में किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई निधि नहीं लिया है।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों के समग्र परीक्षण पर, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनी में धारित प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है।

x. (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से कोई निधि नहीं जुटाई है। हमें सूचित किया गया है और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारा यह मत है कि कंपनी द्वारा ऋण लिखतों के माध्यम से जुटाई गई राशि का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया गया है जिनके लिए इसे जुटाया गया है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

xi. हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और लेखापरीक्षा के सामान्य पाठ्यक्रम में हमारे द्वारा जांच की गई खाता बही और रिकॉर्ड के अनुसार, हम कहते हैं कि

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं पाई गई है।

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट लेखापरीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार के साथ कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में दायर नहीं की गई है।

(ग) जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान कंपनी को किसी व्हिसल ब्लोअर (सूचना प्रदाता) से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xii) (क) से (ग) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार, अधिनियम की धारा 177 और 188, जहां लागू हो, के अनुपालन में हैं और स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों आदि में लागू लेखांकन मानकों द्वारा यथा-अपेक्षित आवश्यक प्रकटीकरण किए गए हैं।

xiv. (क) हमारी राय में कंपनी में व्यापक तौर पर अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली मौजूद है।

(ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, वर्ष के दौरान और इस तारीख तक, कंपनी को लेखापरीक्षा के अधीन वर्ष के लिए जारी की गई आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

xv. हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी संव्यवहार नहीं किया है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के उपबंध, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi. (क) हमें सूचित किया गया है कि कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- आईए के तहत एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत है। कंपनी को जारी पंजीकरण संख्या 14.000011 है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवासन वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है, इसलिए आदेश के खंड 3 (xvi) (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(घ) हमारी राय में, समूह में कोई मुख्य निवेश कंपनी (जैसा कि कोर निवेश कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) शामिल नहीं है और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi) (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xvii. कंपनी को हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि नहीं हुई है।

xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के किसी सांविधिक लेखापरीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है।

xix. वित्तीय अनुपात, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की पुरानी तथा अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी तथा निदेशक मण्डल एवं प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर और पूर्वानुमानों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई ऐसी महत्त्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाती है कि कंपनी तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तुलनपत्र में मौजूद अपनी देनदारियों, जब वे देय हों, को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह कंपनी के भविष्य के व्यवहार्य होने की कोई गारंटी नहीं है। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम इस बात की कोई गारंटी या आश्वासन नहीं देते कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देनदारियों का भुगतान कंपनी द्वारा समय पर किया जाएगा।

xx. (क) चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की ऐसी कोई अव्ययित राशि शेष नहीं है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के द्वितीय परंतुक के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी निधि में स्थानांतरित करना आवश्यक हो। तदनुसार, वर्ष के लिए इस आदेश के खंड 3(xx)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ख) चालू परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 135(6) के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिनों की अवधि के भीतर, तुलन-पत्र की तिथि तक निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की अनखर्चीली राशि को एक विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया है। (टिप्पणी संख्या 40)।

xxi. आदेश का खंड 3 (xxi) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लागू नहीं है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

कृते मैसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार,
आईसीएआई फर्म पंजीकरण: 112318W

सौरभ चौहान
भागीदार
सदस्यता संख्या: 167453
यूडीआईएन: 26167453WSUFHT2660

कृते मैसर्स एससीवी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार,
आईसीएआई फर्म पंजीकरण:000235N/N500089

अभिनव खोसला
भागीदार
सदस्यता संख्या: 087010
यूडीआईएन: 26087010TEQKGF3975

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 28 अप्रैल 2026

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के लेखाओं पर हमारी उसी दिनांक की रिपोर्ट के खंड 'अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 2 के संदर्भ में।

अनुलग्नक-I

क्र. सं.	दिशा-निर्देश	कृत कार्रवाई	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1.	कार्मिकों के सेवानिवृत्ति-पश्चात लाभों के लिए कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा ट्रस्टों के माध्यम से किए गए सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध , दोनों ही प्रकार के समस्त निवेशों के उचित मूल्यांकन का आकलन करें। इसमें मूल्यांकन कार्यप्रणालियों का सत्यापन करना, भारतीय लेखा मानकों के साथ एकरूपता सुनिश्चित करना और समर्थक दस्तावेजों की समीक्षा करना शामिल है। लेखा परीक्षक मूल्यांकन दृष्टिकोण, उसकी तर्कसंगतता तथा लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करेगा, और किसी भी तात्विक विचलन या गलत बयानी को प्रतिवेदित करेगा।	कार्मिकों के सेवानिवृत्ति-पश्चात लाभों के लिए कंपनी द्वारा सभी निवेश (दोनों, उद्धृत और अनुद्धृत / संबंधित कार्मिकों ट्रस्टों के माध्यम से किए गए हैं। इन निवेशों का मूल्यांकन लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे और प्रासंगिक नियमों के अनुसार उचित रूप से किया गया है। इन निवेशों के लिए कंपनी द्वारा अपनाया गया मूल्यांकन दृष्टिकोण और मूल्यांकन पद्धतियाँ उपयुक्त हैं। **मूल्यांकन दृष्टिकोण पर संक्षिप्त टिप्पणी:** 31 मार्च 2026 तक इन निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यांकन के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन में, एक स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा किया गया है। ऐसे निवेशों की संक्षिप्त कार्यप्रणाली निम्नानुसार है: • वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त प्रशासन शासनादेश तहत 'फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित कीमतों और यील्ड (प्रतिफल) का उपयोग करके किया जाता है। • गैर-वैधानिक तरलता अनुपात प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, 'फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया' द्वारा प्रकाशित कीमतों, स्प्रेड मैट्रिस और यथा लागू बीएसई/एनएसई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ट्रेड किए गए डेटा (व्यापारिक आंकड़ों) का उपयोग करके किया जाता है। • इक्विटी या इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड यूनिटों (इकाइयों) का मूल्यांकन, यथा लागू बीएसई/एनएसई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ट्रेड किए गए डेटा (व्यापारिक आंकड़ों) का उपयोग करके किया जाता है। • कार्मिकों ट्रस्टों में किए गए निवेश का उचित मूल्य (फेयर वैल्यू) तर्कसंगत/उपयुक्त है तथा भारतीय लेखा मानक) के अनुरूप लागू नियमों के अनुपालन में है, और इसमें कोई भी महत्त्वपूर्ण विचलन या गलत बयान नहीं है।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
2.	क्या कंपनी के पास सूचना आईटी प्रणाली के माध्यम से लेखांकन लेन-देन संसाधित करने के लिए एक व्यवस्था स्थापित है? यदि हाँ, तो क्या इस प्रणाली तथा कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के साथ-साथ साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रणों की समीक्षा की गई है और यदि कोई तात्विक विसंगतियां पाई गई हैं, तो क्या उन्हें उपयुक्त रूप से प्रतिवेदित किया गया है? लेखांकन लेन-देन को आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित करने के कारण खातों की सत्यनिष्ठा पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ इसके वित्तीय प्रभावों को भी प्रतिवेदित किया जाए।	आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास ' लेखापरीक्षा ट्रेल' विशेषता (फीचर) सहित 'ओरेकल ईआरपी आर12' संस्करण उपलब्ध है। संगठन का पूरा लेखांकन इस केंद्रीकृत ईआरपी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, सिवाय निम्नलिखित के जहां महत्त्वपूर्ण लेखांकन लेनदेन/गणनाए एक्सेल स्प्रेडशीट के माध्यम से संसाधित की जाती हैं और इसके परिणामस्वरूप बनने वाली प्रविष्टियों को बाद में आईटी प्रणाली में दर्ज किया जाता है:: • अपेक्षित क्रेडिट हानि • हेज अकाउंटिंग • समेकन प्रविष्टियाँ • कर व्यय हमने यह सत्यापित किया है कि आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने का खातों की सत्यनिष्ठा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं, और आईटी नियंत्रणों व साइबर सुरक्षा के लिए प्रबंधन द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों (सर्ट-इन/पैनल में शामिल लेखापरीक्षकों) द्वारा आयोजित अर्ध-वार्षिक समीक्षाओं की रिपोर्टों के आधार पर, इन आईटी प्रणालियों और नियंत्रणों/साइबर सुरक्षा में ऐसी कोई महत्त्वपूर्ण कमजोरी (मटीरियल वीकनेस) नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप इकाई (एंटिटी) के वित्तीय विवरणों (फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स) में कोई महत्त्वपूर्ण गलत बयानी (मटीरियल मिस-स्टेटमेंट) हो सकती हो।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य फंड (अनुदान/सब्सिडी आदि) को लागू लेखांकन मानकों या मानदंडों के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध किया गया था, और क्या प्राप्त फंड का उपयोग उसकी शर्तों के अनुसार किया गया था? क्या प्राप्त अनुदान पर अर्जित ब्याज का लेखांकन अनुदान की शर्तों के अनुसार किया गया है? विचलन के मामलों की सूची दें।	कंपनी को केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई भी निधि (अनुदान/सब्सिडी) प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, कंपनी को विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र सरकार से निधि प्राप्त होता है, जिसका उद्देश्य संबंधित योजनाओं के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार विभिन्न एजेंसियों को आगे वितरण करना है। इसके अतिरिक्त, प्राप्त राशि पर अर्जित ब्याज का लेखा-जोखा संबंधित योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार किया गया है	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।

क्र. सं.	दिशा-निर्देश	कृत कार्रवाई	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
4.	क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है? यदि हाँ, तो (क) क्या वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा आस्तियों/परिसंपत्तियों की पहचान की है और क्या उनका उचित रूप से मूल्यांकन किया गया है?	कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है और इन जोखिमों को कम करने के लिए एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। उक्त नीति को निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) द्वारा विधिवत मंजूरी दे दी गई है, और यह नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, विशेष रूप से आईएसओ 31000:2018 पर आधारित है। कंपनी ने डेटा परिसंपत्ति के संबंध में सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, आईएमएसएम (आईएसओ 27001:2022 मानकों) के तहत जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को मंजूरी दी है और उसे परिभाषित किया है। इस प्रक्रिया के तहत, डेटा परिसंपत्तियों की पहचान की जाती है, हालांकि, कंपनी ने कंपनी की पुस्तकों में ऐसे डेटा परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी है और तदनुसार, इसके लिए किसी मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
5.	क्या कंपनी जहाँ भी लागू हो, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और सेबी, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, सर्ट-इन, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन कर रही है? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों को रेखांकित/हाइलाइट किया जा सकता है।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, तथा सेबी, निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), निगम कार्य मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), सर्ट-इन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के अन्य लागू नियमों और विनियमों का, जहाँ भी लागू हो, पालन कर रही है, सिवाय नीचे दिए गए अपवादों के 31 मार्च, 2026 को, बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना, जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची II के विनियम 17 के तहत आवश्यक है, अनुपालन में नहीं है. वर्तमान में, कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आवश्यक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी और नामांकन और पारिश्रमिक समिति सहित उप-समितियों की अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची के प्रावधानों और आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं है।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।

कृते मैसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार,
आईसीएआई फर्म पंजीकरण: 112318W

सौरभ चौहान
भागीदार
सदस्यता संख्या: 167453
यूडीआईएन: 26167453WSUFHT2660

कृते मैसर्स एससीवी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार,
आईसीएआई फर्म पंजीकरण:000235N/N500089

अभिनव खोसला
भागीदार
सदस्यता संख्या: 087010
यूडीआईएन: 26087010TEQKGF3975

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 28 अप्रैल 2026

अनुलग्नक-II

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप निर्देशों के अनुसार हमने **आरईसी लिमिटेड** के वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा की और प्रमाणित करते हैं कि हमने जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते मैसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार,
आईसीएआई फर्म पंजीकरण: 112318W

सौरभ चौहान
भागीदार
सदस्यता संख्या: 167453
यूडीआईएन: 26167453WSUFHT2660

कृते मैसर्स एससीवी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार,
आईसीएआई फर्म पंजीकरण:000235N/N500089

अभिनव खोसला
भागीदार
सदस्यता संख्या: 087010
यूडीआईएन: 26087010TEQKGF3975

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 28 अप्रैल 2026

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ग

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने वर्ष समाप्ति की तिथि के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर की गई हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में 31 मार्च, 2026 के अनुसार **आरईसी लिमिटेड** कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अंगभूतों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना करने एवं उनका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके कारोबार का सुव्यवस्थित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। इसमें, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ियों एवं त्रुटियों का पता लगाना एवं उनका निवारण करना, लेखांकन अभिलेखों परिशुद्धता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्ग-निर्देशन टिप्पणी ("मार्ग-निर्देशन टिप्पणी") तथा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित समझे गए लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लागू सीमा तक, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में दोनों के लिए लागू है तथा, दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है, क्रियान्वित की है। इन मानकों और मार्ग-दर्शन टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित एवं अनुरक्षित किया गया था तथा यदि ऐसे नियंत्रणों को सभी महत्त्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग में प्रचालित किया गया, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वचनबद्धता प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें कोई महत्त्वपूर्ण कमजोरी मौजूद हो, तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित क्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्त्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, सामान्यतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने हेतु डिज़ाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और क्रियाविधियां शामिल हैं जोकिः

(क) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देनों और स्वभावों का उपयुक्त ब्योरा, परिशुद्धता एवं निष्पक्षता प्रदर्शित करती है;

(ख) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं जो साधारणतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति हेतु अनिवार्य रूप से अभिलेखबद्ध हैं, तथा जिनकी प्राप्तियों और कंपनी के व्ययों को केवल कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ग) कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनसे वित्तीय विवरणों पर एक महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के उपयोग या प्रकृति, अनधिकृत अधिग्रहण का सामयिक पता लगाने अथवा निवारण करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन या मिलीभगत की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, कपटवश या भूलवश महत्त्वपूर्ण मिथ्याकथन हुए और उनका पता नहीं लगाया जा सका। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण ऐसे जोखिम के अधीन हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो जाता है, या नीतियों अथवा क्रियाविधियों के अनुपालन का स्तर बढ़ जाता है।

विचार

हमारी राय में, कंपनी के सभी वास्तविक पहलुओं को छोड़कर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग में ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से प्रचालित हो रहे थे।

कृते मैसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार,
आईसीएआई फर्म पंजीकरण: 112318W

सौरभ चौहान
भागीदार
सदस्यता संख्या: 167453
यूडीआईएन: 26167453WSUFHT2660

कृते मैसर्स एससीवी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार,
आईसीएआई फर्म पंजीकरण:000235N/N500089

अभिनव खोसला
भागीदार
सदस्यता संख्या: 087010
यूडीआईएन: 26087010TEQKGF3975

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 28 अप्रैल 2026

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मण्डल,
आरईसी लिमिटेड कोर-4,
स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

1) यह रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या डीएनबीएस पीपीडी.03/66.15.001/2016-17 दिनांक 29 सितंबर 2016 के तहत "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की लेखापरीक्षक रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016" के अनुसार, उक्त निर्देशों के अध्याय-II के पैरा 3(क) और 3(ग) में निर्दिष्ट मामलों पर, कंपनी पर लागू सीमा तक जारी की गई है।

2) हमने आरईसी लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2026 को समाप्त स्टैंडअलोन तुलन-पत्र , उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन लाभ और हानि विवरण, स्टैंडअलोन नकद प्रवाह विवरण स्टैंडअलोन इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके बाद इन्हें "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" कहा गया है)।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

3) कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है, ताकि भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह का एक सच्चा और निष्पक्ष (उचित) दृश्य प्रस्तुत किया जा सके। इसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के साथ पठित संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक नियम), 2015 शामिल हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त और सुव्यवस्थित रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हों; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव करना शामिल है, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, ताकि एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत किया जा सके और वे महत्वपूर्ण गलत बयानी (सामग्री के गलत विवरण) से मुक्त हों, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

4) प्रबंधन, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू होने वाले अन्य प्रासंगिक आरबीआई परिपत्रों, दिशानिर्देशों एवं निर्देशों, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया हो, के अनुपालन के लिए तथा आरबीआई को सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

5) आरबीआई के मास्टर परिपत्र में समेकित "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां लेखापरीक्षक प्रतिवेदन (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016" निर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसरण में, यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखापरीक्षित बुक एवं अभिलेखों की जांच करें और कंपनी पर लागू होने की सीमा तक इन निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।.

6) हमने अपनी जांच इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी विशेष प्रयोजन के लिए रिपोर्ट या प्रमाणपत्रों पर मार्गदर्शन नोट (संशोधित 2016) और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानक के अनुसार आयोजित की है, जो कि इस प्रमाणपत्र के प्रयोजन के लिए लागू है। इस मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें।

7) हमने 'गुणवत्ता नियंत्रण मानक' (एसक्यूसी) 1 — "ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा और समीक्षा तथा अन्य आश्वासन एवं संबंधित सेवा अनुबंधों को निष्पादित करने वाली फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण" — की प्रासंगिक लागू आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। इसके अतिरिक्त, हमारी इस जांच का विस्तार विधिक कानूनी या स्वामित्व प्रकृति के किसी अन्य भाग और पहलुओं पर नहीं था।

राय

8) 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की लेखापरीक्षित पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, जो हमें जांच के लिए प्रस्तुत किए गए थे, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि–

क. कंपनी को 10 फरवरी 1998 को पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या 14.000011 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकरण प्रदान किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 12 फरवरी 2010 के आरबीआई परिपत्र संख्या सीसी 168 में निहित निर्देशों के तहत आरईसी लिमिटेड को एक 'इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी' के रूप में वर्गीकृत करते हुए, पूर्ववर्ती प्रमाणपत्र के स्थान पर दिनांक 17 सितंबर 2010 को एक अन्य प्रमाणपत्र जारी किया। कंपनी का नाम 'रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड' से बदलकर 'आरईसी लिमिटेड' होने के परिणामस्वरूप, आरबीआई ने 'आरईसी लिमिटेड' के नाम से दिनांक 28 नवंबर 2018 को नया पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया है, जिसकी संख्या 14.000011 है।

ख. कंपनी 31 मार्च 2026 के अनुसार अपने परिसंपत्ति/आय संरचना के संदर्भ में इस तरह के पंजीकरण को बनाए रखने की पात्र है।

ग. कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी पर लागू निवल स्वामित्व वाली निधि की आवश्यकता को पूरा कर रही है, जैसा कि 28 नवंबर, 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां पंजीकरण, छूट और स्केल-आधारित विनियमन के लिए ढांचा) निर्देश, 2025 में निर्धारित किया गया है।

घ. कंपनी के निदेशक मंडल ने 26 मार्च, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए किसी भी सार्वजनिक जमा को स्वीकार न करने का प्रस्ताव पारित किया है।

ङ. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

च. वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित 'भारतीय लेखा मानकों' के मान्यता और मापन सिद्धांतों तथा उसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पठित, के अनुसार तैयार किए गए हैं। तदनुसार, कंपनी अपनी ऋण परिसंपत्तियों के लिए प्रतिप्रावधान हेतु हानि भत्ते की गणना और उनके वर्गीकरण के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित पद्धति का पालन कर रही है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने की प्रणाली अपनाने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के विनियामक अनुपालन को ध्यान में रखते हुए, कंपनी "भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रतिप्रावधान) निर्देश, 2025" के संदर्भ में अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रतिप्रावधान से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन नहीं करती है। हालांकि, कंपनी अपने

आईआरएसीपी मानदंडों और ईसीएल कार्यप्रणाली के बीच प्रतिप्रावधान के अंतर के अनुपालन के संबंध में "भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रतिप्रावधान) निर्देश, 2025" का अनुपालन कर रही है।

छ. क) हमारी राय में, फॉर्म एनबीएस-7 (डीएनबीएस03) में भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत रिटर्न में प्रकट किया गया पूंजी पर्याप्तता अनुपात अनंतिम वित्तीय विवरणों के आधार पर उचित प्रकार से प्राप्त हुआ है और ऐसा अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर का अनुपालन करता है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा अनंतिम वित्तीय परिणामों के आधार पर 31 मार्च 2026 तक का पूंजीगत निधियों, जोखिम परिसंपत्तियों/जोखिम जोखिमों और जोखिम परिसंपत्ति अनुपात का वार्षिक विवरण (डीएनबीएस03 रिटर्न) 21 अप्रैल 2026 को दाखिल कर दिया गया है।

कृते मैसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार,
आईसीएआई फर्म पंजीकरण: 112318W

सौरभ चौहान
भागीदार
सदस्यता संख्या: 167453
यूडीआईएन: 26167453IPZRWK2606

कृते मैसर्स एससीवी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार,
आईसीएआई फर्म पंजीकरण:000235N/N500089

अभिनव खोसला
भागीदार
सदस्यता संख्या: 087010
यूडीआईएन: 26087010CZEIAP3541

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 28 अप्रैल 2026

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 28 अप्रैल 2026 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का एक पूरक ऑडिट किया है। यह पूरक ऑडिट वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य पत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरे पूरक ऑडिट के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी या पूरक को जन्म देगा।

भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक के लिए

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03 जुलाई, 2026

तनुजा मित्तल
लेखा महानिदेशक (पावर)

31 मार्च, 2026 तक समेकित तुलन पत्र (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी	31/03/2026 तक	31/03/2025 तक
	परिसंपत्तियां			
(1)	**वित्तीय परिसंपत्तियां**			
(क)	नकदी एवं नकदी के समतुल्य	6	45.36	54.69
(ख)	उपरोक्त (क) के अलावा अन्य बैंक शेष	7	881.52	1,695.15
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स	8	19,960.94	17,432.18
(घ)	प्राप्य	9		
	- ट्रेड प्राप्य		-	-
	- अन्य प्राप्य		3.87	1.99
(ङ)	ऋण	10	5,79,243.08	5,59,088.08
(च)	निवेश	11	9,799.43	6,641.62
(छ)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	24,552.10	24,603.68
	कुल-वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		**6,34,486.30**	**6,09,517.39**
(2)	**गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां**			
(क)	चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	13	261.67	398.98
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	14	3,516.05	2,852.75
(ग)	निवेश संपत्ति"	15	47.41	48.24
(घ)	संपत्तियां, संयंत्र एवं उपस्कर	16	565.36	578.16
(ङ)	पूंजीगत चालू- कार्य	16	127.71	76.01
(च)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	16	1.50	1.84
(छ)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	17	70.30	82.10
	कुल - गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)		**4,590.00**	**4,038.08**
(3)	**बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां**	18	0.01	0.01
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)		**6,39,076.31**	**6,13,555.48**
	देयताएं और इक्विटी			
	देयताएं			
(1)	**वित्तीय देयताएं**			
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स	8	1,949.15	1,670.06
(ख)	प्राप्य	19		
	ट्रेड प्राप्य			
	- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया		0.03	0.12
	- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं का कुल बकाया		7.79	10.68
	अन्य प्राप्य			
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया		2.07	6.52
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं का कुल बकाया		14.21	17.28
(ग)	ऋण प्रतिभूतियां	20	3,10,029.49	2,92,474.93
(घ)	उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	21	1,95,315.61	1,94,300.16
(ङ)	अधीनस्थ देयताएं	22	9,426.75	9,514.16
(च)	अन्य वित्तीय देयताएं	23	37,104.44	37,524.66
	कुल-वित्तीय देयताएं (1)		**5,53,849.53**	**5,35,518.57**
(2)	**गैर-वित्तीय देयताएं**			
(क)	प्रावधान	24	598.65	136.79
(ख)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	25	337.72	262.15
	कुल - गैर-वित्तीय देयताएं (2)		**936.37**	**398.94**
(3)	**इक्विटी**			
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	26	2,633.22	2,633.22
(ख)	पूर्णतया इक्विटी प्रकृति के इन्स्ट्रूमेंट्स	27	558.40	558.40
(ग)	अन्य इक्विटी	28	81,098.79	74,446.35
	कुल - इक्विटी (3)		**84,290.41**	**77,637.97**
	कुल - देयताएं और इक्विटी (1+2+3)		**6,39,076.31**	**6,13,555.48**
	कंपनी परिचय और भौतिक लेखांकन नीतियां	1 से 5		

संलग्न नोट 1 से 71 समेकित वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

दिनेश गर्ग
कंपनी सचिव

राजेश कुमार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06941428"

जितेन्द्र श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-06817799

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार,
फ़र्म पंजी. सं.: 112318W

सौरभ चौहान
भागीदार
सदस्यता सं. : 167453

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार,
फ़र्म पंजी. सं.: 000235N/N500089

अभिनव खोसला
भागीदार
सदस्यता सं. : 087010

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 28 अप्रैल, 2026

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
	प्रचालनों से राजस्व			
(i)	ब्याज आय	29	57,811.82	55,070.11
(ii)	लाभांश आय	30	63.21	99.05
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	31	1,264.93	393.74
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ	36	-	348.22
I.	**प्रचालनों से कुल राजस्व (i से iv)**		**59,139.96**	**55,911.12**
II.	अन्य आय	32	47.26	68.50
III.	**कुल आय (I+II)**		**59,187.22**	**55,979.62**
	व्यय			
(i)	वित्तीय लागत	33	36,241.29	34,134.98
(ii)	निवल अंतरण/लेन-देन विनिमय हानि	34	272.60	208.15
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	35	15.62	13.66
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ	36	962.46	-
(v)	वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स संबंधी इम्पेयरमेंट	37	201.22	1,019.41
(vi)	कार्मिक हितलाभ व्यय	38	243.29	244.80
(vii)	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	39	26.62	24.39
(viii)	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय	40	338.07	288.48
(ix)	अन्य व्यय	41	172.86	185.97
IV.	**कुल व्यय (i से ix)**		**38,474.03**	**36,119.84**
V.	**कर पूर्व लाभ (III-IV)**		**20,713.19**	**19,859.78**
VI.	**कर व्यय**	42		
(i)	वर्तमान कर			
	- चालू वर्ष		3,718.27	4,011.49
	- पूर्व वर्ष		(0.08)	0.05
(ii)	आस्थगित कर		712.74	135.03
	कुल कर व्यय (i+ii)		**4,430.93**	**4,146.57**
VII.	**अवधि के लिए लाभ (V-VI)**		**16,282.26**	**15,713.21**
	अन्य व्यापक आय/(हानि)			
(i)	**ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा**			
(क)	परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुनःमापन लाभ/(हानि)		1.09	0.76
	- उपरोक्त पर कर प्रभाव		(0.27)	(0.19)
(ख)	अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन		(75.76)	(23.85)
	- उपरोक्त पर कर प्रभाव		-	-
	उप-जोड़ (i)		**(74.94)**	**(23.28)**
(ii)	**ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत किया जाएगा**			
(क)	नकदी प्रवाह हेजिंग में हेजिंग उपकरणों पर लाभ और हानि का प्रभावी हिस्सा		(6,424.40)	1,223.51
	- उपरोक्त पर कर प्रभाव		1,616.89	(307.93)
(ख)	हेजिंग आरक्षित निधि की लागत		956.95	(3,219.35)
	- उपरोक्त पर कर प्रभाव		(240.85)	810.25
	उप-जोड़ (ii)		**(4,091.41)**	**(1,493.52)**
VIII.	**वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि) (i+ii)**		**(4,166.35)**	**(1,516.80)**
IX.	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (VII+VIII)**		**12,115.91**	**14,196.41**
X.	**प्रत्येक ₹ 10 प्रति इक्विटी शेयर मूल और मौलिक आय (₹ में)**	43		
(i)	जारी प्रचालनों के लिए (₹ में)		61.71	59.55
(ii)	बंद प्रचालनों के लिए (₹ में)		-	-
(iii)	जारी और बंद प्रचालनों के लिए (₹ में)		61.71	59.55
XI.	**प्रत्येक ₹ 10 प्रति इक्विटी शेयर मूल और डाइल्यूटेड आय (₹ में)**	44		
(i)	जारी प्रचालनों के लिए (₹ में)		61.71	59.55
(ii)	बंद प्रचालनों के लिए (₹ में)		-	-
(iii)	जारी और बंद प्रचालनों के लिए (₹ में)		61.71	59.55
	कंपनी सिंहावलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1 to 5		

साथ के नोट 1 से 71 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

दिनेश गर्ग
कंपनी सचिव

राजेश कुमार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06941428

जितेन्द्र श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-06817799

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार,
फ़र्म पंजी. सं.: 112318W

सौरभ चौहान
भागीदार
सदस्यता सं. : 167453

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार,
फ़र्म पंजी. सं.: 000235N/N500089

अभिनव खोसला
भागीदार
सदस्यता सं. : 087010

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 28 अप्रैल, 2026

क. 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष		31-03-2025 को समाप्त वर्ष	
क.	**प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह:**				
	कर पूर्व निवल लाभ	20,713.19		19,859.78	
निम्नलिखित के लिए समायोजन:					
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (निवल) की मान्यता समाप्त करने पर हानि/(लाभ)	10.58		7.61	
2.	बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों (निवल) की मान्यता समाप्त करने पर हानि/(लाभ)	-		(6.03)	
3.	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	26.62		24.39	
4.	वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स पर इंपेयरमेंट हानियाँ	201.22		1,019.41	
5.	उचित मूल्य परिवर्तन (निवल) पर हानि/(लाभ)	(241.37)		(346.30)	
6.	ऋण परिसंपत्तियों और उधारियों के मामले में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर)	446.47		214.60	
7.	कमर्शियल पेपर पर ब्याज	126.42		-	
8.	जीरो कूपन बांड पर अर्जित ब्याज	174.74		83.14	
9.	अवास्तविक विदेशी मुद्रा अंतरण हानि/ (लाभ)	(1,386.30)		(2,131.32)	
10.	अव्ययित सीएसआर के लिए किया गया प्रावधान	(12.92)		(36.65)	
11.	प्रावधान/लिखित वापसी (अन्य)	(8.57)		2.84	
12.	निवेश और अन्य पर ब्याज	163.71		-	
प्रचालनात्मक परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ		**20,213.79**		**18,691.47**	
निम्नलिखित के कारण अंतर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह) :					
1.	ऋण परिसंपत्तियां	(20,570.50)		(59,996.87)	
2.	व्युत्पन्न	7,012.50		643.90	
3.	अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	1,415.83		(558.50)	
4.	अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय देयताओं और प्रावधान	1,411.96		6,190.36	
प्रचालनों से नकदी प्रवाह		**9,483.58**		**(35,029.65)**	
1.	भुगतान किया गया आयकर (टीडीएस सहित)	(3,569.95)		(4,152.50)	
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह			**5,913.63**		**(39,182.15)**
ख.	**निवेशात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री/(खरीद)	(23.00)		(3.96)	
2.	बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों की बिक्री	-		6.07	
3.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में निवेश (सीडब्ल्यूआईपी और पूंजीगत अग्रिम राशि सहित)	(45.31)		(77.16)	
4.	अमूर्त परिसंपत्तियों में निवेश (विकास और पूंजीगत अग्रिम के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)	(0.27)		(1.61)	
5.	पूंजीकृत वित्त लागत	(6.39)		(3.02)	
6.	उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) (निवल) में विमोचन /(निवेश)	(3,283.48)		(1,418.90)	
7.	एचक्यूएलए (निवल) के अलावा अन्य ऋण प्रतिभूतियों में विमोचन/(निवेश)	39.59		352.22	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह			**(3,318.86)**		**(1,146.36)**
ग.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
1.	रुपे ऋण प्रतिभूतियां(निवल) का निर्गम / (विमोचन)	10,769.67		30,748.97	
2.	कमर्शियल पेपर (निवल) का निर्गम/ (विमोचन)	2,839.54		-	
3.	बैंकों/वित्तीय संस्थानों (निवल) से रुपे आवधिक ऋण / डब्ल्यूसीडीएल प्राप्त करना / (पुनर्भुगतान)	23,454.23		(23,558.76)	
4.	विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं उधारियां (निवल) प्राप्त करना / (पुनर्भुगतान)	(33,284.88)		36,501.65	
5.	अधीनस्थ देयताएं प्राप्त करना/(विमोचन) (निवल)	-		1,995.01	
6.	स्थायी ऋण इन्स्ट्रूमेंट्स पर कूपन भुगतान पूर्णतया इक्विटी प्रकृति के है	(44.50)		(44.50)	
7.	इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान	(6,109.08)		(5,608.77)	
वित्तीय क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह			**(2,375.02)**		**40,033.60**
नकदी एवं नकदी के समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी			**219.74**		**(294.91)**
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी के समतुल्य			**(516.09)**		**(221.18)**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी के समतुल्य			**(296.35)**		**(516.09)**

नकदी प्रवाह का उपरोक्त विवरण भारतीय लेखा मानक 7 'नकदी प्रवाह विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।

वर्ष के दौरान, समूह को ₹63.21 करोड़ (पिछले वर्ष ₹99.05 करोड़) का लाभांश प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, समूह ने निगमित सामाजिक दायित्व के लिए ₹168.83 करोड़ (पिछले वर्ष ₹288.86 करोड़) की राशि का भुगतान किया है।

वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी के समतुल्य के घटक निम्नलिखित हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
- हस्तगत रोकड़ (अग्रदाय सहित)	0.03	0.02
- बैंको में शेष राशि	45.33	26.22
- अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा	-	28.45
- बैंक ओवरड्राफ्ट	(341.71)	(570.78)
कुल नकदी एवं नकदी के समतुल्य	**(296.35)**	**(516.09)**

वित्त संबंधी क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाली देयताओं का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	अवधि के दौरान नकदी प्रवाह (निवल)	उपचित ब्याज में संचलन*	अन्य समायोजन		अंतिम शेष
				विनिमय अंतर	इंडएएस समायोजन	
31-03-2026 को समाप्त वर्ष						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	**2,64,275.58**	10,769.67	946.12	-	(45.01)	2,75,946.36
कमर्शियल पेपर	**-**	2,839.54	-	-	126.42	2,965.96
रुपे आवधिक ऋण/ डब्ल्यूसीडीएल ओवरड्राफ्ट	**56,883.21**	23,225.16	68.66	-	-	80,177.03
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	**1,65,616.31**	(33,284.88)	38.91	13,527.69	357.72	1,46,255.75
अधीनस्थ देयताएं	**9,514.16**	-	(0.44)	-	(86.97)	9,426.75
कुल	**4,96,289.26**	**3,549.49**	**1,053.25**	**13,527.69**	**352.16**	**5,14,771.85**
31-03-2025 को समाप्त वर्ष						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	**2,33,262.46**	30,748.97	98.38	-	165.77	2,64,275.58
रुपे आवधिक ऋण/ डब्ल्यूसीडीएल ओवरड्राफ्ट	**80,168.38**	(23,255.42)	(29.75)	-	-	56,883.21
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	**1,24,771.13**	36,501.65	145.98	4,191.35	6.20	1,65,616.31
अधीनस्थ देयताएं	**7,412.21**	1,995.01	12.58	-	94.36	9,514.16
कुल	**4,45,614.18**	**45,990.21**	**227.19**	**4,191.35**	**266.33**	**4,96,289.26**

** उपचित ब्याज में संचलन को प्रचालन संबंधी क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह के रूप में "प्रचालन संबंधी देयताओं" में विचारा गया है।*

टिप्पणीः जहां आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से व्यवस्थित किया गया है और उसे फिर से समूह में रखा गया है।

संलग्न टिप्पणियाँ 1 से 71 समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

दिनेश गर्ग
कंपनी सचिव

राजेश कुमार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06941428

जितेन्द्र श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-06817799

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजी. सं: 112318W
सौरभ चौहान
भागीदारी
सदस्यता सं: 167453

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजी. सं: 000235N/N500089
अभिनव खोसला
भागीदारी
सदस्यता सं: 087010

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 28 अप्रैल 2026

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
अवधि के आरंभ में शेष	**2,633.22**	**2,633.22**
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
अवधि के अंत में शेष	**2,633.22**	**2,633.22**

विवरण के लिए टिप्पणी 26 देखें

ख. इन्स्ट्रूमेंट्स की प्रकृति पूर्णतया इक्विटी है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
अवधि के आरंभ में शेष	**558.40**	**558.40**
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
अवधि के अंत में शेष	**558.40**	**558.40**

विवरण के लिए टिप्पणी 27 देखें

ग. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष										
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viiक) (ग) के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्राथमिक खाता	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद का अंतरण खाता	पूंजी रिजर्व	प्रतिधारित आय	एफवीओसीआई-इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स	हेज नकदी प्रवाह का प्रभावी भाग	हेजिंग रिजर्व की लागत	कुल
31 मार्च 2024 के अनुसार शेष	**28,044.83**	**687.76**	**10,828.99**	**1,577.53**	**(675.14)**	**11,978.44**	**13,363.40**	**(57.99)**	**(1,846.93)**	**1,690.64**	**65,591.53**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	15,713.21	-	-	-	15,713.21
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन (करों का निवल)	-	-	-	-	-	-	0.57	-	-	-	0.57
अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	-	-	-	-	-	-	-	(23.85)	915.58	(2,409.10)	(1,517.37)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15,713.78**	**(23.85)**	**915.58**	**(2,409.10)**	**14,196.41**

ग. अन्य इक्विटी (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष										
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viiक) (ग) के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्राथमिक खाता	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद का अंतरण खाता	पूंजी रिजर्व	प्रतिधारित आय	एफवीओसीआई- इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स	हेज नकदी प्रवाह का प्रभावी भाग	हेजिंग रिजर्व की लागत	कुल
प्रतिधारित आय में/(से) अंतरण	3,550.57	841.80	3,142.64			750.00	(8,285.01)	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	-	(687.76)	-	-	-	687.76	-	-	-	-	-
एफवीओसीआई इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट (करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इस अवधि के दौरान दीर्घकालिक मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा अनुवाद हानि	-	-	-	-	(120.43)	-	-	-	-	-	(120.43)
अवधि के दौरान परिशोधन	-	-	-	-	183.92	-	-	-	-	-	183.92
इन्स्ट्रूमेंट कूपन भुगतान की प्रकृति पूर्णतया इक्विटी है (स्थायी ऋण इन्स्ट्रूमेंट्स) (करों का निवल)	-	-	-	-	-	-	(33.30)	-	-	-	(33.30)
उप – जोड़	**3,550.57**	**154.04**	**3,142.64**	**-**	**63.49**	**1,437.76**	**(8,318.31)**	**-**	**-**	**-**	**30.19**
लाभांश	-	-	-	-	-	-	(5,371.78)	-	-	-	(5,371.78)
उप- जोड़ – स्वामियों के साथ लेन-देन	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(5,371.78)**	**-**	**-**	**-**	**(5,371.78)**
31 मार्च 2025 के अनुसार शेष	**31,595.40**	**841.80**	**13,971.63**	**1,577.53**	**(611.65)**	**13,416.20**	**15,387.09**	**(81.84)**	**(931.35)**	**(718.46)**	**74,446.35**

ग. अन्य इक्विटी (जारी)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष							एफवीओसीआई-इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स	हेज नकदी प्रवाह का प्रभावी भाग	हेजिंग रिजर्व की लागत	कुल
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viiक) (ग) के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्राथमिक खाता	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद का अंतरण खाता	पूंजी रिजर्व	प्रतिधारित आय				
31 मार्च 2025 के अनुसार शेष	**31,595.40**	**841.80**	**13,971.63**	**1,577.53**	**(611.65)**	**13,416.20**	**15,387.09**	**(81.84)**	**(931.35)**	**(718.46)**	**74,446.35**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	16,282.26	-	-	-	16,282.26
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन (करों का निवल)	-	-	-	-	-	-	0.82	-	-	-	0.82
अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	-	-	-	-	-	-	-	(75.76)	(4,807.51)	716.10	(4,167.17)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16,283.08**	**(75.76)**	**(4,807.51)**	**716.10**	**12,115.91**
प्रतिधारित आय में/(से) अंतरण	3,383.02	778.61	3,256.45			2,080.00	(9,498.08)	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में/से स्थानांतरित	-	(841.80)	-	-	-	841.80	-	-	-	-	-
एफवीओसीआई इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट (करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अंतरण हानि	-	-	-	-	(657.61)	-	-	-	-	-	(657.61)
वर्ष के दौरान ऋण परिशोधन	-	-	-	-	388.56	-	-	-	-	-	388.56

ग. अन्य इक्विटी (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष										
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viiक) (ग) के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्राथमिक खाता	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद का अंतरण खाता	पूंजी रिजर्व	प्रतिधारित आय	एफवीओसीआई-इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स	हेज नकदी प्रवाह का प्रभावी भाग	हेजिंग रिजर्व की लागत	कुल
इन्स्ट्रूमेंट कूपन भुगतान की प्रकृति पूर्णतया इक्विटी है (स्थायी ऋण इन्स्ट्रूमेंट्स) (करों का निवल)	-	-	-	-	-	-	(33.30)	-	-	-	(33.30)
उप- जोड़	**3,383.02**	**(63.19)**	**3,256.45**	**-**	**(269.05)**	**2,921.80**	**(9,531.38)**	**-**	**-**	**-**	**(302.35)**
लाभांश	-	-	-	-	-	-	(5,161.12)	-	-	-	(5,161.12)
उप- जोड़ – स्वामियों के साथ लेन-देन	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(5,161.12)**	**-**	**-**	**-**	**(5,161.12)**
31 मार्च 2026 के अनुसार शेष	**34,978.42**	**778.61**	**17,228.08**	**1,577.53**	**(880.70)**	**16,338.00**	**16,977.67**	**(157.60)**	**(5,738.86)**	**(2.36)**	**81,098.79**

आरक्षित निधि से आहरण/अंतरण से संबंधित विवरण के लिए टिप्पणी संख्या 28.1 देखें

संलग्न नोट 1 से 71 समेकित वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

दिनेश गर्ग
कंपनी सचिव

राजेश कुमार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06941428

जितेन्द्र श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-06817799

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजी. सं: 112318W
सौरभ चौहान
भागीदारी
सदस्यता सं: 167453

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजी. सं: 000235N/N500089
अभिनव खोसला
भागीदारी
सदस्यता सं: 087010

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 28 अप्रैल 2026

लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. कंपनी सिंहावलोकन

आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" या "कंपनी" या "धारक कंपनी") की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। यह कंपनी भारत में अधिवासित है एवं शेयरों द्वारा सीमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय एवं कारोबार का मुख्य स्थान कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत में स्थित है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के अलावा, लेखा बहियों और वित्तीय विवरणों का रखरखाव प्लॉट संख्या आई-4, सेक्टर-29, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित निगम कार्यालय से किया जाता है। कंपनी के कार्यालय देश भर में, मुख्य रूप से राज्यों की राजधानियों में और हैदराबाद में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थित है।

यह कंपनी भारत सरकार का एक उद्यम है जो विद्युत क्षेत्र की मूल्य शृंखला में इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स वित्तीय सहायता प्रदान करने में लगी हुई है तथा यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ व्यवस्थित ढंग में एक महत्वपूर्ण (नॉन-डिपोसिट एक्सेप्टिंग या होल्डिंग) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है। एनबीएफसी होने के नाते कंपनी का विनियमन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है ।

कंपनी को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लोक उद्यम विभाग द्वारा 'महारत्न' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दिया गया है।

आरईसी, भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक अवसंरचना वित्त कंपनी है और आरईसी के प्रमुख उत्पादों में राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत विभागों एवं निजी क्षेत्र को विद्युत अवसंरचना के सभी अंगभूतों के लिए ब्याज-युक्त ऋण प्रदान करना शामिल है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आरईसी सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी इत्यादि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ई एंड एम) कार्यों सहित गैर-विद्युत बुनियादी ढांचा क्षेत्र में भी विविधता लाया है।

कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा कंपनी की विभिन्न ऋण प्रतिभूतियां भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है।

2. अनुपालन का विवरण और तैयार करने का आधार

ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और आरबीआई द्वारा जारी किए गए अन्य लागू / दिशानिर्देशों के तहत अधिसूचित इंड एएस का अनुपालन करते हैं।

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को जारी करने हेतु निदेशक मण्डल द्वारा 28 अप्रैल , 2026 को अधिकृत एवं स्वीकृत किया गया।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के तैयारी में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को नीचे दिया गया है:

3.1 तैयारी और मापन का आधार

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली के बाद गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देनदारियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें संबंधित लेखाकरण नीतियों में यथा स्पष्टीकृत उचित मूल्यों पर मापा जाता है। इन नीतियों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए सतत् रूप से लागू किया गया है।

कार्यात्मक एवं प्रस्तुत मुद्रा

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों ('आईएनआर'), जोकि समूह की कार्यात्मक मुद्रा भी है, में प्रस्तुत किया जाता है।

3.2 आय मान्यता

ब्याज आय

परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है, अर्थात वह दर जो वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल वहन राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्याशित अवधि के माध्यम से भविष्य की नकद प्राप्तियों का अनुमान लगाती है।

लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापी गई उत्तरवर्ती वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज को मान्यता संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपचित आधार पर दी जाती है और ब्याज आय शीर्षक के अंतर्गत अलग से प्रकट किया जाता है।

जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, ऋणकर्ताओं से वसूलियों को निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाता है : (i) आरईसी की लागत और खर्चे (ii) ब्याज कर, यदि कोई है, सहित विलंबित और दांडिक ब्याज (iii) ब्याज कर, यदि कोई है, सहित अतिदेय ब्याज और (iv) मूलधन का पुनर्भुगतान; क्रेडिट इम्पेयरमेंट ऋण और वापस मांगे गए ऋणों को छोड़कर, सबसे पुराने होने के नाते उन्हें पहले समायोजित किया जा रहा है, जहां मूलधन की राशि को ब्याज कर, यदि कोई है, सहित अन्य लागतों, खर्चों, विलंबित और दंडात्मक ब्याज और अतिदेय ब्याज की पूर्ण वसूली के बाद ही विनियोजित किया जाता है। वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही के तहत वसूली को पहले मूलधन की बकाया राशि और शेष वसूली के मद में विनियोजित किया जाता है, उसके बाद ब्याज और अन्य प्रभारों, यदि कोई हैं के मद में विनियोजित किया जाता है।

विवेक के मामले के रूप में क्रेडिट इम्पेयर्ड ऋण परिसंपत्तियों पर आय को प्राप्त होने पर या संचय के आधार पर मान्यता दी जाती है जब अपेक्षित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक होती है।

उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज के सामयिक भुगतान के कारण छूट को मान्यता, संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, संपूर्ण ब्याज राशि का समय पर प्राप्त होने पर दी जाती है और यह तदनुरूपी ब्याज आय के समक्ष निवल आय है।

सरकारी योजनाओं से आय

सरकारी योजनाओं पर एजेंसी शुल्क की आय प्रदान की गई सेवाओं और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत शुल्क की राशि के आधार पर मान्यता दी जाती है ।

लाभांश आय

जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है तो कॉर्पोरेट निकायों और म्यूचुअल फंड/ इनविट्स की यूनिट्स के शेयरों पर लाभांश से आय को प्रोद्भवन के आधार पर ध्यान में रखा जाता है।

बशर्ते कि अंतिम लाभांश के मामले में, भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को, केवल वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश की मंजूरी प्रदान करने पर विचारा जाएगा।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर बाद में मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभांश को मान्यता 'लाभांश आय' शीर्ष के अंतर्गत अलग से दी जाती है।

निवेश संपत्ति पर किराये से आय

निवेश संपत्ति से किराये की आय को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है।

अन्य सेवाएं

ऋण परिसंपत्तियों पर शुल्क/प्रभारों को, ईआईआर के लिए विचारित किसी समायोजन को छोड़कर, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है। पूर्व-भुगतान प्रीमियम का हिसाब प्राप्ति वर्ष में कंपनी द्वारा किया जाता है।

3.3 उधार लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज और ऐसी अन्य लागतें शामिल होती हैं, जिन्हें समूह निधियों की उधारी के संबंध में खर्च करता है। उधार लेने की लागतें, जो एक अर्हकारी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और/या निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से तब तक जिम्मेदार हैं जब तक कि ऐसी अर्हकारी परिसंपत्तियों अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती, पूंजीकृत होती हैं। एक अर्हकारी परिसंपत्तियों वह है जो आवश्यक रूप से अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयारी के संबंध में पर्याप्त समय लेती है।

अन्य सभी उधार लागतें, प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार उपचित आधार पर लाभ और हानि के विवरण हेतु प्रभारित हैं।

3.4 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूलभूत आय की गणना, अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों (आरोप्य करों की कटौती के उपरांत) के लिए देय अवधि के संबंध में निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर डाईल्यूटेड आय की गणना करने के लिए, अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी हेतु देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को सभी घटाने योग्य संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

3.5 विदेशी मुद्रा रूपांतरण

विदेशी मुद्रा लेन-देन और संतुलन

विदेशी मुद्रा लेन-देन को, लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों का उपयोग करके समूह की कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

इस तरह के लेन-देन के निपटान के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा लाभ और हानियों और अवधि-अंत विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में विभाजित मौद्रिक वस्तुओं के पुन: माप को मान्यता लाभ या हानि विवरण में दी जाती है। हालांकि, 1 अप्रैल 2018 से पूर्व स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मान्यतकृत दीर्घकालिक मौद्रिक मदों के लिए, इस तरह के लाभ और हानि को "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण खाते" में संचित किया जाता है और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में पहचान करने के द्वारा, इस प्रकार की दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

गैर-मौद्रिक वस्तुओं को अवधि के अंत में पुन:अंतरित नहीं किया जाता है और उनको ऐतिहासिक लागत (लेन-देन की तिथि को विनिमय दरों के उपयोग द्वारा रूपांतरित) पर मापा जाता है।

3.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

मान्यता और प्रारंभिक मापन

भूमि

उपयोग के लिए रखी गई भूमि को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है। भूमि के लिए, जैसा कि कोई परिमित उपयोगिता अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है, इसलिए संबंधित वहन की राशि को परिशोधित नहीं किया जाता है।

भूमि में वह भूमि भी शामिल है जिसे पट्टा समझौते के तहत उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति माना जाता है, जिसे पहले वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता था और पट्टा अवधि के दौरान उसका परिशोधन किया जाता था।

अन्य मूर्त परिसंपत्तियों

भूमि के अन्यत्र पीपीई को प्रारंभ में अधिग्रहण लागत या निर्माण लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें ऐसी लागतें जो परिसंपत्तियों को स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य हैं और ऐसी शर्तें जो इसे कंपनी के प्रबंधन द्वारा अभीष्ट ढंग में प्रचालन करने में सक्षम हेतु अनिवार्य बनाती हैं, शामिल हैं।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्तियों की वहन राशि शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्तियों के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक कंपनी में प्रवाहित होंगे। पीपीई के अनुरक्षण या सर्विसिंग लागत को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उत्तरवर्ती माप (मूल्यह्रास पद्धति, उपयोगिता अवधि, शेष मूल्य और इम्पेयरमेंट)

पीपीई को बाद में कम संचित मूल्यह्रास लागत और इम्पेयरमेंट हानियों पर मापा जाता है। पीपीई पर मूल्यह्रास को, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग 'ग' के तहत निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी अवधि पर सीधी-रेखा पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को परिसंपत्तियों के 15 दिन से अधिक उपयोग होने पर पूरे महीने के लिए प्रभारित किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 5,000/- रुपये तक 100% की दर से प्रदान किया जाता है।

शेष मूल्यों, उपयोगी अवधि और मूल्यह्रास की पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में की जाती है। भूमि के अन्यत्र पीपीई का इम्पेयरमेंट के लिए परीक्षण तब किया जाता है, जब घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह इंगित होता है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है।

अमान्यकरण

पीपीई की एक मद तथा प्रारंभ में मान्यता प्राप्त किसी महत्वपूर्ण अंश को निपटान पर या भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। पीपीई की किसी मद के अमान्यकरण पर उत्पन्न किसी लाभ या हानि का निर्धारण, निवल निपटान आय और परिसंपत्तियों की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है तथा उसे लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूंजीगत कार्य में प्रगति

रिपोर्टिंग तिथि को निर्माणाधीन पीपीई की लागत को 'पूंजीगत कार्य में प्रगति' के रूप में प्रकट किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, पूंजीकरण मानदंड पूर्ण होने पर उधार लागत और परिसंपत्तियों को अभीष्ट उपयोग हेतु इसके कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लागत शामिल होती है। व्यापार संबंधी किसी बट्टे एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए प्रदत्त अग्रिम, जो तुलन-पत्र की तारीख को बकाया हैं, को 'अग्रिम पूंजी' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

3.7 निवेश संपत्ति

मान्यता और माप

निवेश संपत्ति वे संपत्तियां हैं जो किराया कमाने और/या पूंजी वृद्धि के लिए रखी जाती हैं।

निवेश संपत्तियों को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेनदेन लागत भी शामिल है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, घटाकर मापा जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग 'सी' के तहत निर्धारित अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास लगाया जाता है।

अमान्यकरण

निवेश संपत्तियों की मान्यता समाप्ति तब होती है जब उनका निपटान कर दिया जाता है या जब उन्हें स्थायी रूप से उपयोग से हटा लिया जाता है और उनके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है। शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर को मान्यता समाप्ति की अवधि में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

निवेश संपत्ति में/से पुनर्वर्गीकरण

निवेश संपत्ति में (या उससे) हस्तांतरण केवल तभी किया जाता है जब उपयोग में कोई परिवर्तन होता है। निवेश संपत्ति और मालिक द्वारा अधिगृहीत संपत्ति के बीच हस्तांतरण से हस्तांतरित संपत्ति की वहन राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता है और वे माप या प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए उस संपत्ति की लागत में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण

निवेश संपत्ति का उचित मूल्य नोटों में प्रकट किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाता है, जिसके पास मान्यता प्राप्त और प्रासंगिक व्यावसायिक योग्यता होती है और जिसे मूल्यांकन की जा रही निवेश संपत्ति के प्रासंगिक स्थान और श्रेणी में हालिया अनुभव होता है।

3.8 अमूर्त परिसंपत्तियां

मान्यता और प्रारंभिक मापन

अमूर्त परिसंपत्तियों का आकलन प्रारंभ में लागत पर किया जाता है। जिसे शुरू में लागत पर मापा जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है, जिनमें यह संभावना है कि परिसंपत्तियों के कारण भावी आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे।

उत्तरवर्ती माप प्रक्रिया (परिशोधन विधि, उपयोगिता अवधि और शेष मूल्य)

परिमित उपयोगिता अवधि के साथ सभी अमूर्त परिसंपत्तियों को अनुमानित उपयोगिता अवधि से परे एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है और यदि अमूर्त परिसंपत्तियों को इम्पेयरमेंट होने का संकेत होता है तो संभावित हानि का आकलन किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए शेष मूल्य और उपयोगिता अवधि की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन, यदि कोई हो तो, का लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में हिसाब लगाया जाता है। प्रबंधन का अनुमान है कि अमूर्त परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि पांच वर्ष होगी।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

ऐसे व्यय, जो अमूर्त परिसंपत्तियों के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, को उनके अभीष्ट उपयोग हेतु तैयार होने तक 'विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों' के रूप में रखा जाता है। अमूर्त संपत्ति के अधिग्रहण/विकास के लिए किया गया अग्रिम भुगतान जो तुलन पत्र की तिथि पर बकाया हैं 'उन्हें अग्रिम पूंजी' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

किसी अमूर्त परिसंपत्तियों को निपटान के समय या उसके उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ न होने की प्रत्याशा पर अमान्यकृत कर दिया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्तियों के अमान्यकरण से व्युत्पन्न लाभ या हानि, निवल निपटान आय और परिसंपत्तियों की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापित को परिसंपत्तियों को अमान्यकृत किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण को मान्यता दी जाती है।

3.9 पट्टा लेखांकन:

सभी पूर्व परिचालन पट्टों के संबंध में उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति और संबंधित पट्टा देयता को मान्यता दी गई है, सिवाय उनके जो अल्पकालिक या कम-मूल्य पट्टे के रूप में पहचाने गए हैं।

संविदा की शुरुआत के समय ही इस बात का मूल्यांकन किया जाता है कि क्या कोई संविदापट्टा संविदा है या इसमें कोई पट्टा निहित है। किसी पट्टे को 'एक ऐसी संविदा, या एक संविदा के भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो परिसंपत्तियों (अंतर्निहित परिसंपत्तियों) को विचारण राशि के बदले में अवधि के लिए उपयोग करने का अधिकार प्रदान करता है।'

इस परिभाषा को लागू करने के लिए समूह इस बात आकलन करता है कि क्या संविदा मूल्यांकन की तीन प्रमुख शर्तों को पूरा करती है या नहीं, जो कि क्या :

- संविदा में पहचान की गई एक ऐसी परिसंपत्तियों शामिल होती है, जिसे या तो संविदा में स्पष्ट रूप से मान्यता दी जाती है या यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाता है कि समूह द्वारा परिसंपत्तियों उपलब्ध कराई गई है।
- समूह को संविदा की निर्धारित सीमा के भीतर अपने अधिकारों पर विचार करते हुए उपयोग की अवधि में पहचान की गई परिसंपत्तियों के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।
- समूह के पास यह अधिकार है कि वह इस्तेमाल की गई अवधि के दौरान पहचानी गई परिसंपत्तियों के उपयोग का निर्देश दे। समूह यह आकलन करता है कि क्या उसे यह निदेशित करने का अधिकार है कि उपयोग की संपूर्ण अवधि के दौरान परिसम्पत्ति का उपयोग "कैसे और किस उद्देश्य के लिए' किया जाता है।

पट्टा शुरू होने की तारीख को समूह अपने तुलन पत्र में राइट-ऑफ-यूज परिसम्पत्ति और पट्टा देयता को मान्यता देता है। राइट-ऑफ-यूज परिसम्पत्ति को उस लागत पर मापा जाता है, जो पट्टे की देयता के प्रारंभिक मापन, समूह द्वारा की गई किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों, पट्टा कीवधि की समाप्ति पर परिसंपत्तियों को डिसमेंटल करने और हटाने के लिए किसी भी लागत अनुमान और पट्टा प्रारंभ तिथि (प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन का निवल) के अग्रिम तौर पर किए गए किसी भी पट्टा भुगतान से मिलकर बनती है।

समूह पट्टा शुरू होने की तारीख से लेकर राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टा अवधि की समाप्ति तक एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर राइट-ऑफ-यूज़ परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास करता है। समूह ऐसे संकेतक मौजूद होने पर क्षतिपूर्ति के लिए राइट-ऑफ-यूज परिसम्पत्ति का भी आकलन करता है।

प्रारंभ तिथि को समूह उस तिथि पर पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता का मापन पट्टा में निहित ब्याज दर का उपयोग करके रियायत देते हुए करता है, बशर्ते कि वह दर आसानी से उपलब्ध दर हो या फिर समूह की वृद्धिशील उधार दर हो।

पट्टा देयता के मापन में शामिल पट्टा भुगतान स्थिर भुगतानों (यथार्थ रूप में स्थिर को शामिल करते हुए), किसी सूचकांक या दर के आधार पर परिवर्ती भुगतानों, अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय राशि और ऐसे अपेक्षित विकल्पों, जिनका प्रयोग किया जाना निश्चित है, से उत्पन्न भुगतानों को मिलाकर बनते हैं।

प्रारंभिक मापन के बाद, किए गए और ब्याज के लिए बढ़ाए गए भुगतानों के लिए देयता कम हो जाएगी। किसी भी पुनर्मूल्यांकन या संशोधन को प्रतिबिंबित करने के लिए या यदि इन-यथार्थ रूप से निश्चित भुगतानों में कोई परिवर्तन होते हैं, तो इसे फिर से मापा जाता है।

जब पट्टा देयता को फिर से मापा जाता है, तो संबंधित समायोजन को राइट-ऑफ़-यूज़ परिसंपत्तियों में और यदि राइट-ऑफ़-यूज़ परिसंपत्तियों पहले से ही शून्य हो जाती है, तो इसे लाभ और हानि में दर्शाया जाता है।

3.10 बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली उनके निरंतर उपयोग की बजाय बिक्री लेन-देन के माध्यम से मुख्य रूप से की जाएगी और अगर उनकी बिक्री की प्रबल संभावना है, तो परिसंपत्तियों का वर्गीकरण बिक्री के लिए रखी गयी परिसंपत्तियों के रूप में किया जाता है। एक बिक्री को प्रबल संभावना तब माना जाता है जब ऐसी परिसंपत्तियों को समूह द्वारा बेचे जाने का निर्णय लिया गया है; अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं; एक कीमत पर बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा है और बिक्री पर सहमति हो गई है या वर्गीकरण की तारीख के एक वर्ष के भीतर समाप्त होने की उम्मीद है। ऐसी परिसंपत्तियां को कम वहन राशि या कम बिक्री लागत के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

बिक्री के लिए रखी गयी परिसंपत्तियां तुलन पत्र में अन्य परिसम्पत्तियों से इतर दर्शायी जाती है। परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास तब नहीं किया जाता है, जब उन्हें बिक्री के लिए रखी परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.11 वित्तीय दस्तावेज

वित्तीय दस्तावेज एक ऐसा अनुबंध है जो एक एंटिटी की वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य एंटिटी की वित्तीय देयता या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को जन्म देता है।

प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को मान्यता तब दी जाती है जब समूह, वित्तीय साधन (इंस्ट्रूमेंट) के संविदात्मक उपबंधों के लिए एक पार्टी बन जाता है और इसे प्रारंभ में लेन-देन की लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है, इसमें वे शामिल नहीं है जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर शुरू में मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उत्तरवर्ती माप को नीचे वर्णित किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के प्रयोजनार्थ, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- ऋण-परिशोधित लागत
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीओसीआई)
- सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों में निवेश (भारतीय लेखा मानक 27 के अनुसार लागत पर)

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां, एफवीटीपीएल पर या एफवीओसीआई को छोड़कर, पहचान के लिए न्यूनतम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में इम्पेयरमेंट हेतु समीक्षा के अधीन हैं चाहे इसमें कोई वित्तीय साक्ष्य, जो किसी वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह का इम्पेयरमेंट हो। इम्पेयरमेंट का निर्धारण करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक क्षेणी हेतु विभिन्न मानदंड लागू किए गए हैं, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है।

परिशोधित लागत

एक वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ईआरआर) के उपयोग द्वारा ऋण-परिशोधन लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों निम्न शर्तें पूर्ण होती हैं:

क) वित्तीय परिसंपत्तियों को एक ऐसे बिजनेस मॉडल में रखा जाता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने हेतु संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना है; तथा

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाहों, जो बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान करते हैं, के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं।

मूल्यह्रास भत्ता (अपेक्षित ऋण हानि) परिशोधित लागत पर वहन की गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर निर्धारित किया जाता है।

नकदी प्रवाहों का संशोधन

जब किसी वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदात्मक नकदी प्रवाह परिवर्तित या अन्यथा संशोधित किए जाते हैं, और परिवर्तन या संशोधन से उक्त वित्तीय परिसंपत्तियों के अमान्यकरण में कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि की पुन:गणना करता है और लाभ या हानि में संशोधित लाभ या हानि की पहचान करता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि की, पुनर्निधारित या संशोधित संविदात्मक नकदी प्रवाहों की वर्तमान मूल्य के रूप में पुन:गणना की जाएगी, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट प्रदान करती है। खर्च हुई लागतें या शुल्क संशोधित वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि को समायोजित करते हैं और उनको संशोधित वित्तीय परिसंपत्तियों की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियों में, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जो या तो परिशोधित लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं या वे ट्रेडिंग हेतु रखे गए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हैं अथवा जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और उन्हें प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट किया गया है। सभी व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रूमेंट भी इस श्रेणी में आते हैं, नामोद्दिष्ट एवं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रभावी को छोड़कर, जिनके लिए हेज लेखांकन अपेक्षाएं लागू हो सकती हैं। इस श्रेणी में परिसंपत्तियों को लाभ या हानि में मान्यताकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाजार लेन-देन के संदर्भ में या कोई सक्रिय बाजार न होने की स्थिति में मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

अंतर्निहित व्युत्पन्न

एक अंतर्निहित व्युत्पन्न हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट का एक घटक है जिसमें एक गैर-व्युत्पन्न मेजबान अनुबंध भी इस प्रभाव से शामिल है कि संयुक्त इंस्ट्रूमेंट के कुछ नकदी प्रवाह एक स्टैंड-अलोन व्युत्पन्न के समान भिन्न होते हैं। एक अंतर्निहित व्युत्पन्न कुछ या सभी नकदी प्रवाह का कारण बनता है जो अन्यथा अनुबंध द्वारा निर्दिष्ट ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर, या अन्य परिवर्तकों के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता होगी, बशर्ते कि गैर-वित्तीय परिवर्तकों के मामले में, यह एक पार्टी के अनुबंध के लिए विशिष्ट नहीं है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

सभी मेजबान अनुबंधों में अंतर्निहित व्युत्पन्न को अलग-अलग व्युत्पन्न के रूप में गिना जाता है और उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है यदि उनकी आर्थिक विशेषताएँ और जोखिम मेजबान अनुबंधों से निकटता से संबंधित नहीं हैं या यदि अंतर्निहित व्युत्पन्न सुविधा से जोखिम में वृद्धि होती है और हालांकि लाभ या हानि पर मेजबान अनुबंध व्यापार के लिए आयोजित नहीं हैं या उचित मूल्य पर नामित नहीं हैं इन अंतर्निहित व्युत्पन्न को उचित मूल्य पर मापा जाता है जिसमें लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तन होते हैं, जब तक कि प्रभावी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियों में उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं। एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत एक इक्विटी निवेश को प्रारंभ में उचित मूल्य एवं लेन-देन लागतों पर मापा जाता है। लाभ एवं हानियों को, अन्य व्यापक आय और इक्विटी के तहत एफवीओसीआई आरक्षित के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि में मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें लाभांश आय, जिसकी पहचान लाभ या हानि में की गई है, शामिल नहीं है। ओसीआई से लाभ एवं हानि के विवरण, यहां तक कि निवेश के अमान्यकरण से भी ऐसे लाभों और हानियों का कोई पुनर्चक्रण नहीं है। हालांकि, समूह इक्विटी के अंतर्गत उक्त का हस्तांतरण कर सकता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

नियम एवं शर्तों के पर्याप्त संशोधन के कारण वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्तियों को अमान्य करता है, जैसे कि ग्राहक को ऋण देना, जब नियम एवं शर्तों को इस सीमा तक पुनर्निर्धारित किया जाता है कि, काफी हद तक, यह एक नया ऋण बन जाता है, और अंतर की एक अमान्यकरण लाभ या हानि के रूप में पहचान करना, जिसमें एक सीमा तक कि किसी इम्पेयरमेंट हानि को पूर्व में दर्ज नहीं किया गया है।

पर्याप्त संशोधन के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों (या जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्तियों का एक अंश या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का अंश) को, वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह की प्राप्ति का संविदात्मक अधिकार समाप्त होने पर, या वित्तीय परिसंपत्तियों एवं पर्याप्त रूप से सभी जोखिम और पुरस्कार अंतरित किए जाने पर, अमान्यकृत किया जाता है (अर्थात् समूह के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है)। समूह वित्तीय परिसंपत्तियों को भी अमान्यकृत कर देता है, यदि उसने दोनों वित्तीय परिसंपत्तियों को हस्तांतरित और अमान्यकरण के लिए अंतरण अर्हता प्राप्त कर ली हो।

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति के उपयोग द्वारा ऋण-परिशोधन लागत पर मापा जाता है, इसमें ट्रेडिंग या एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल नहीं हैं, जिन्हें लाभ या हानि में मान्यकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर बाद में ले जाया जाता है। सभी होस्ट अनुबंध जो वित्तीय दायित्व की प्रकृति के हैं और एम्बेडेड डेरिवेटिव से अलग हैं, उन्हें प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देयताओं का अमान्यकरण

एक वित्तीय देयता को तब अमान्यकृत कर दिया जाता है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से मूलत: भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता के अमान्यकरण और नई देयता की मान्यता के रूप में विचारा जाता है। संबंधित वहन राशि में हुए अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

हेज लेखांकन

हेज लेखांकन के लिए अर्हक होने हेतु हेजिंग के संबंध में निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है :

- हेज की गई मद और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के बीच कोई आर्थिक संबंध है।
- क्रेडिट जोखिम का प्रभाव ऐसे मूल्य परिवर्तनों पर वर्चस्व कायम नहीं करता है, जो उस आर्थिक संबंध के परिणामस्वरुप उत्पन होते हैं।
- हेजिंग संबंध का हेज अनुपात ठीक वैसा ही है, जैसे कि हेज किए गए मद की माला से उत्पन होता है, जितनी कंपनी वास्तविक रूप से हेज करती है और उस हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की माला से उत्पन होता है, जिसका प्रयोग कंपनी वास्तविक रूप से हेज किए गए मद की उस माला को हेज करने के लिए करती है।

हेज लेखांकन के अंतर्गत निर्धारित सभी वुयुत्पन्न वित्तीय लिखतों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर बाद में रिपोर्ट की जाती है। उस सीमा तक जहां तक हेज प्रभावी है, नगदी प्रभाव हेज में हेजिंग लिखतों के रूप में निर्धारित वुयुत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य वृहद आय शीर्ष के अंतर्गत दी जाती है और इक्विटी में नगदी प्रवाह हेज रिजर्व में इसे शामिल किया जाता है। हेज संबंध में किसी भी अप्रभावशीलता को तत्काल लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है।

जब हेज किया गया मद लाभ अथवा हानि को प्रभावित करता है तो उस समय अन्य वृहद आय में पहले मान्यता प्राप्त किसी लाभ अथवा हानि को इक्विटी से लाभ अथवा हानि में पुन: वर्गीकृत किया जाता है और अन्य वृहद आय में एक पुन: वर्गीकृत समायोजन के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है।

प्रत्येक हेजिंग संबंध की सुथापना के समय में कंपनी हेज संबंधों को कंपनी के जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और रणनीतियों के अनुसार औपचारिक रूप से निर्धारित और प्रलेखित करती है। इस प्रलेखन में हेज की गई मद की पहचान, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, हेज किए जा रहे जोखिम (जोखिमों) की प्रकृति, हेज अनुपात और हेजिंग संबंध किस प्रकार से हेजिंग प्रभावशीलता की अपेक्षाओं को पूरा करता है, शामिल हैं।

उचित मूल्य हेजेज

लाभ और हानि के विवरण में हेजिंग उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन की मान्यता के अनुरूप, हेज की गई वस्तु के उचित मूल्य में परिवर्तन को जोखिम बचाव के कारण लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। इस तरह के परिवर्तन हेज किए गए आइटम की अग्रणीत राशि में किए जाते हैं और जब हेजिंग इंस्ट्रूमेंट बाहर निकलना रुक जाता है तो प्रभावी ब्याज दर में उस अवधि में समायोजित किए जाते हैं । यदि हेज किए गए आइटम की मान्यता रद्द कर दी जाती है, तो लाभ और हानि के विवरण में बिना परिशोधित उचित मूल्य को तुरंत मान्यता दी जाती है।

3.12 वित्तीय परिसंपत्तियों का इम्पेयरमेंट

ऋण आस्तियां एवं 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' (एलओसी) तथा 'लेटर ऑफ अंडरटेकिंग' (एलओयू) के अंतर्गत प्रतिबद्धताएं एवं निवेश

यह कंपनी प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर अपेक्षित ऋण घाटा (ईसीएल) के रूप में हानि के लिए एक 'तीन- स्तरीय' मॉडल का अनुसरण करता है, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

चरण-1 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिनकी रिपोर्टिंग तिथि में कम क्रेडिट जोखिम है।

चरण-2 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें इम्पेयरमेंट के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।

चरण-3 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें रिपोर्टिंग तिथि में इम्पेयरमेंट के उद्देश्य का साक्ष्य मौजूद हैं।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को चरण-1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12-माह ईसीएल और चरण-2 के लिए लाईफटाइम ईसीएल और चरण-3 ऋण परिसंपत्तियों में मापा जाता है। ईसीएल डिफॉल्ट की संभावना, डिफॉल्ट पर एक्सपोजर और डिफॉल्ट के कारण हानि (लॉस गिवन डिफॉल्ट) का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

डिफॉल्ट की संभावना (पीडी) – डिफॉल्ट की संभावना एक उधारकर्ता के अपने वित्तीय दायित्व, चाहे अगले 12 महीनों से अधिक हो, या दायित्व के शेष उपयोग-काल (लाइफटाइम पीडी), पर डिफॉल्ट होने की संभावना को निरूपित करती है।

लॉस गिवेन डिफॉल्ट (एलजीडी) – एलजीडी डिफॉल्ट होने पर कंपनी के नुकसान की उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है। एलजीडी को प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और यह राशि के उस अनुपात को दर्शाता है जो किसी चूक के मामले में वसूलियों के बाद वास्तविक रूप से डिफॉल्ट हो जाएगा।

एक्सपोजर एट डिफॉल्ट (ईएडी) – ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, (इसके साथ ही क्रेडिट वार्ता कारक (सीसीएफ) लागू न लिए गए हिस्से के साथ) जिसमें बकाया मूलधन, वित्तीय परिसंपत्ति पर ब्याज अतिदेय, और संचित ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कंफर्ट /लेटर ऑफ अंडरटेकिंग शामिल होते हैं, जिसकी कंपनी को चूक के समय प्राप्त होने की उम्मीद होती है।

दूरंदेशी (फारवर्ड लुकिंग) आर्थिक जानकारी को 12 महीने एवं लाइफटाइम पीडी, और एलजीडी के निर्धारण में शामिल किया जाता है। प्रत्याशित क्रेडिट हानि के मुख्य पूर्वानुमानों की निगरानी और समीक्षा सतत् आधार पर की जाती है।

कंपनी एलओसी/एलओयू के तहत प्रतिबद्धताओं और बाद में माप के लिए अर्हता प्राप्त निवेशों पर मूल्यह्रास को परिशोधित लागत या ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर उसी आधार पर मापती है जैसा कि ऋण परिसंपत्तियों के मामले में होता है।

ऋण के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियां और निवेश

अपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, कंपनी यह आकलन करती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से उन वित्तीय परिसंपत्तियों पर ऋण जोखिम पर्याप्त रूप से बढ़ गया है। यदि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है, तो समूह 12-महीने की प्रत्याशित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर, अथवा लाइफटाइम क्रेडिट हानियों के समतुल्य राशि पर नुकसान भत्ते को मापता है।

उक्त मूल्यांकन करने के लिए, समूह वित्तीय परिसंपत्तियों पर होने वाले डिफॉल्ट के जोखिम की तुलना, प्रारंभिक मान्यता की तारीख को वित्तीय परिसंपत्तियों पर डिफॉल्ट रूप से घटित होने वाले जोखिम के साथ तुलन-पत्र की तिथि से करता है। कंपनी उचित और सहायक जानकारी पर भी विचार करती है, जो अदेय लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध है, और जो प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की सूचक है। समूह मानता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के उपरांत पर्याप्त रूप से बढ़ा नहीं है यदि वित्तीय परिसंपत्तियों तुलन-पत्र की तारीख को निम्न क्रेडिट जोखिम का निर्धारण करती है।

राइट-ऑफ़

वित्तीय परिसंपत्तियों को आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से बट्टे खाते में तब डाला जाता है जब समूह ने वसूली करना बंद कर दिया हो या न्यायिक प्राधिकरण ने आदेश दिया हो।

राइट-ऑफ एक मान्यता समाप्ति घटना है। कंपनी राइट-ऑफ की गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रवर्तन गतिविधियाँ लागू कर सकती है/समझौता किए गए प्रतिफल के लिए एआरसी/बैंक/वित्तीय संस्थान को ऋण जोखिम सौंप सकती है/बेच सकती है।

कंपनी की प्रवर्तन गतिविधियों से होने वाली वसूली लाभ और हानि के विवरण में दर्ज की जाती है।

3.13 नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य में नकद रुपया एवं मांग जमा, अन्य अल्पावधि सहित, अत्यधिक लिक्विड निवेश (तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता), जो नकदी की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के निरर्थक जोखिम के अधीन हैं, शामिल हैं।

3.14 लाभांश और इक्विटी के रूप में वर्गीकृत लिखतों के धारकों को अन्य भुगतान

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांशों और अंतरिम लाभांशों को उस अवधि, जिसमें उन्हें क्रमश: शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है, के दौरान इक्विटी में हुए परिवर्तनों के रूप में मान्यता दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट धारकों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत देयता को भुगतान के लिए उस अवधि में मान्यता दी जाती है जब समूह द्वारा ऐसे भुगतानों को भुगतान के लिए अधिकृत किया जाता है।

3.15 महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियां

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को प्रस्तुत पूर्व अवधियों, जिसमें त्रुटि हुई है, के लिए तुलनात्मक राशियों को पुन:प्रस्तुत करने के द्वारा पूर्वव्यापी ढंग में सही किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्व की अवधि से पहले हुई है तो, पूर्व अवधि के लिए प्रस्तुत परिसंपत्तियों के प्रारंभिक शेष, देनदारियों और इक्विटी को पुन:प्रस्तुत किया जाता है।

3.16 पूर्व प्रदत्त व्यय

1,00,000/- रुपये तक के पूर्व प्रदत्त व्यय को प्रारंभिक मान्यता पर व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

3.17 कराधान

लाभ या हानि में मान्यककृत कर व्यय में आस्थगित कर और चालू कर का योग शामिल है। इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है, सिवाय इसके कि जब यह एक ऐसी मद से संबंधित हो, जिसे ओसीआई में या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे मामले में, कर को ओसीआई में या इक्विटी में सीधे भी मान्यता प्रदान की जाती है।

चालू कर को, अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित और रिपोर्टिंग तिथि को यथा लागू कर की दरों का उपयोग करते हुए, तथा पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के समायोजनों को देखते हुए, वर्ष के लिए कर योग्य आय के संबंध में देय कर के रूप में निर्धारित किया जाता है।

आस्थगित कर को, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त तदनुरूपी कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है। सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश से जुड़े अस्थायी अंतरों पर आस्थगित कर प्रदान नहीं किया जाता है, यदि इन अस्थायी अंतरों के प्रतिवर्तन को कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है और यह संभव है कि निकट भविष्य में प्रतिवर्तन नहीं होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की गणना, छूट के बिना, उन कर दरों पर की जाती है, जिनके संबंधित अवधि की प्राप्ति के लिए लागू होने की प्रत्याशा होती है, बशर्ते कि उन दरों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित किया जाए। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों ऑफसेट होती है यदि चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

आस्थगित कर देयता, सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यकृत है। एक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यकृत किया जाता है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके समक्ष कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उनको इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं है कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति होगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों या देनदारियों में परिवर्तनों को मान्यता लाभ या हानि में कर आय या व्यय के एक घटक के रूप में दी जाती है, सिवाय इसके कि वे उन मदों से संबंधित हैं जिन्हें अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में ऐसे मामले में मान्यता दी जाती है, जिनमें संबंधित आस्थगित कर को भी मान्यता क्रमश: अन्य व्यापक आय या इक्विटी में दी जाती है।

3.18 कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभों में, वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्थात् प्रदत्त वार्षिक अवकाश) जहां ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के अंतर्गत अनुपस्थितियों का घटित होना प्रत्याशित है, और ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के तहत देय लाभ सहभागिता एवं बोनस तथा वर्तमान कर्मचारियों के लिए गैर-वित्तीय लाभ प्रत्याशित हैं और उन्हें बिना छूट देने के आधार पर मापा जाता है, शामिल हैं।

रोजगार पर्यन्त हितलाभ योजनाओं को निम्नानुसार परिभाषित हितलाभ योजनाओं और परिभाषित अंशदान योजनाओं में वर्गीकृत किया गया है:

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना वह योजना है जिसके तहत समूह एक अलग निधि में कर्मचारियों के संबंध में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। समूह पर ऐसी कोई विधिक या रचनात्मक दायित्व नहीं है कि वह अपने निर्धारित अंशदान के भुगतान के उपरांत कोई और अंशदान का भुगतान करे। परिभाषित अंशदान योजनाओं के समक्ष समूह द्वारा किए गए अंशदान को उस अवधि के लाभ या हानि से प्रभारित किया जाता है, जिससे अंशदान संबंधित हैं।

परिभाषित हितलाभ योजना

कंपनी के पास उपदान, सेवानिवृत्ति पर्यन्त चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) और अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व हैं, जिन्हें पात्र कर्मचारियों को शामिल करने वाली परिभाषित हितलाभ योजना के रूप में विचारा जा रहा है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के तहत, एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि को, कर्मचारी के सेवाकाल, अंतिम वेतन और अन्य निश्चित मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व समूह का ही रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना के वित्तपोषण के लिए योजना परिसंपत्तियों को अलग किया गया हो।

परिभाषित हितलाभ योजनाओं के प्रति कंपनी के दायित्व को परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यकृत दायित्व, रिपोर्टिंग तिथि पर निर्धारित हितलाभ लाभ (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य है, जो योजना परिसंपत्तियों का कम उचित मूल्य है। प्रबंधन स्वतंत्र बीमांककों की सहायता से प्रतिवर्ष डीबीओ का अनुमान लगाता है।

देयता/परिसंपत्तियों के पुन:मापन के फलस्वरूप बीमांकिक लाभ/हानियां अन्य व्यापक आय में शामिल हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ:

तुलन-पत्र की तारीख के उपरांत एक-वर्ष से अधिक समय के लिए प्राप्त किए जाने वाले देय या प्रत्याशित इम्पेयरमेंट अनुपस्थितियों के संबंध में देयता का अनुमान परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है।

पिछले अनुभव और बीमांकक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानियों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिसमें ऐसे लाभों और हानियों को निर्धारित किया गया है।

कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण

रियायती दर पर कर्मचारियों को दिए गए ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और तत्पश्चात उसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋणों के प्रारंभिक उचित मूल्य और लेन-देन मूल्य के बीच अंतर को आस्थगित कर्मचारी लाभ के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि से परे सीधी-रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि में परिवर्तन के मामले में, परिवर्तन की तिथि को अपरिशोधित आस्थगित कर्मचारी लाभ को संभावित आधार पर ऋण की अद्यतन प्रत्याशित शेष अवधि से अधिक पर परिशोधित किया जाता है।

3.19 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

कंपनी के पास किसी पिछले वृत्तांत के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती है; यह संभव है कि कंपनी से आर्थिक संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और धनराशि का अनुमान विश्वसनीय तौर पर लगाया जा सकता है। बहिर्वाह का समय या राशि अभी भी अनिश्चित हो सकती है। वर्तमान दायित्व के साथ जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं सहित, रिपोर्टिंग तिथि को उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर, प्रावधानों को वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित अनुमानित खर्च पर मापा जाता है। प्रावधानों में उनके वर्तमान मूल्यों, जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है।

निम्न हेतु आकस्मिक देयता को अनावृत किया गया है:

- संभावित दायित्व जिनकी पुष्टि केवल भावी घटनाओं द्वारा की जाएगी, कंपनी के पूर्णतया नियंत्रण में नहीं हैं या
- अतीत की घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जहां यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसे मामलों में, जहां वर्तमान दायित्वों के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह असंभव या दूरस्थ माना जाता है, वहां किसी दायित्व को मान्यकृत या प्रकट नहीं किया जाता है।

ऐसी किसी प्रतिपूर्ति को, जिसे दायित्व (जैसे कि बीमा से) से संबंधित अन्य पक्ष से एकत्र करने के लिए कंपनी को लगभग निर्धारित किया जा सकता है, एक पृथक परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि, यह परिसंपत्तियों संबंधित प्रावधान की राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आर्थिक हितलाभों के अंतर्वाह की संभावना पर, संबंधित परिसंपत्तियों को प्रकट किया जाता है।

3.20 उचित मूल्य मापन

कंपनी वित्तीय इंस्ट्रूमेंट, अर्थात् प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में उचित मूल्य पर व्युत्पन्नों को मापता है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्तियों को बेचने पर प्राप्त की जाएगी या जिसका भुगतान मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच एक व्यवस्थित लेन-देन में देयता को अंतरित करने के लिए किया जाएगा। उचित मूल्य मापन ऐसे पूर्वानुमान पर आधारित है जो परिसंपत्तियों को बेचने या निम्न हेतु देयता को अंतरित करने के संबंध में लेन-देन में होता है:

- परिसंपत्तियों या देयता के लिए मुख्य बाजार में, या
- मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्तियों या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में।

कंपनी द्वारा मुख्य या सबसे लाभप्रद बाजार में अभिगम्य होना चाहिए।

किसी परिसंपत्तियों या देनदारी के उचित मूल्य को उन पूर्वानुमानों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें बाजार भागीदार परिसंपत्तियों या देयता, जिसमें जोखिम के बारे में धारणाएं शामिल होती हैं, जिनका मूल्य निर्धारण करने के समय उपयोग करते हैं, और यह मानते हैं कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य मापन में एक बाजार प्रतिभागी की परिसंपत्तियों को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि परिसंपत्तियों को उसके उच्चतम और श्रेष्ठतम उपयोग में अथवा उसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी, जो इस परिसंपत्तियों का उपयोग इसके उच्चतम एवं श्रेष्ठ समय में करेगा, को बेचने के द्वारा आर्थिक लाभ सृजित किया जा सके।

कंपनी ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, जिसमें प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुटों के उपयोग को अधिकतम और अप्रचलित इनपुटों के उपयोग को कम किया जाता है।

सभी परिसंपत्तियां और देयताएं जिनके लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया हैं, जो निम्न स्तरीय इनपुट पर आधारित हैं, और जो संपूर्ण रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण हैं:

- स्तर 1 – समरूपी परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीकें जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचारणीय है
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, अविचारणीय है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में नियमित रूप से मान्यकृत परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए, समूह यह निर्धारित करता है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण पुनर्मूल्यांकन (न्यूनतम स्तर इनपुट के आधार पर, जो संपूर्ण मूल्य के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा अनुक्रम में स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

3.21 वित्तीय लिखतों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का वर्तमान में प्रवर्तन योग्य कानूनी अधिकार प्राप्त होता है और परिसंपत्तियों को मूर्त रूप देने तथा बाद में देयताओं का निराकरण करने के लिए निवल आधार पर उनका समाधान करने का कोई इरादा होता है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को ऑफसेट किया जाता है और निवल राशि तुलनपत्र में रिपोर्ट की जाती है ।

3.22 सामान्य नियंत्रण के तहत कारोबार कॉम्बिनेशन

एक कारोबार कॉम्बिनेशन, यदि कोई है, जिसमें सामान्य नियंत्रण में संस्थाएं या कारोबार शामिल हैं, एक कारोबार कॉम्बिनेशन है जिसमें सभी कॉम्बिनेशन संस्थाओं या कारोबार को अंततः एक ही पार्टी या पार्टियों द्वारा कारोबार कॉम्बिनेशन से पहले और बाद में नियंत्रित किया जाता है और यह नियंत्रण अस्थायी नहीं है।

सामान्य नियंत्रण के तहत संस्थाओं या कारोबारों को शामिल करने वाले कारोबार कॉम्बिनेशन को निम्नानुसार ब्याज पद्धति के पूलिंग का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है:

- संयुक्त संस्थाओं की परिसंपत्ति और देनदारियां उनकी अग्रणीत राशियों में परिलक्षित होती हैं।
- उचित मूल्यों को प्रतिबिंबित करने, या नई परिसंपत्तियों या देनदारियों को पहचानने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है। कॉम्बिनेशन केवल महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए किए जाते हैं।
- पूर्व अवधि के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में वित्तीय जानकारी को फिर से प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि व्यवसाय संयोजन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में पिछली अवधि की शुरुआत से हुआ हो, भले ही संयोजन की वास्तविक तारीख कुछ भी हो।

हस्तांतरणकर्ता के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाली प्रतिधारित आय की शेष राशि को अंतरिती के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाली संगत शेष राशि के साथ जोड़ दिया जाता है। रिज़र्व की पहचान संरक्षित है और अंतरणकर्ता के भंडार अंतरिती के रिज़र्व बन जाते हैं।

यदि कोई अंतर हो, जारी की गई शेयर पूंजी के रूप में दर्ज की गई राशि के साथ-साथ नकद या अन्य परिसंपत्तियों के रूप में कोई अतिरिक्त प्रतिफल और हस्तांतरणकर्ता की शेयर पूंजी की राशि को पूंजी आरक्षित में स्थानांतरित कर दिया जाता है और अन्य पूंजी रिज़र्व से अलग प्रस्तुत किया जाता है।

3.23 शेयरों के निर्गम पर व्यय

शेयरों के निर्गम पर व्यय, यदि कोई हो, प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

4. **नए / संशोधित मानकों का कार्यान्वयन**

वर्ष के दौरान, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कुछ इंड-एएस में संशोधन जारी किए हैं। कंपनी ने इन संशोधनों के प्रभाव का विश्लेषण किया है, समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। एमसीए ने इंड एएस-1 में संशोधनों को भी अधिसूचित किया है, जो 1 अप्रैल 2026 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रभावी है। कंपनी को इन संशोधनों को मानकों में अपनाने की आवश्यकता होगी, जब वे प्रभावी होगें। इसके अलावा, एमसीए ने कंपनी पर लागू होने वाला कोई नया इंड-एएस जारी नहीं किया है

5. **लेखांकन नीतियों और अनिश्चितता के आकलन को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय**

कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, आकलन करने और ऐसे पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्टकृत राशियों और संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। अनुमान और अंतर्निहित धारणाएं ऐतिहासिक अनुभव और अन्य प्रासंगिक कारकों पर आधारित हैं और इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है । वास्तविक परिणाम इन आकलनों से अलग हो सकते हैं।

लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन- इस प्रकार के परिवर्तनों, यदि कोई हो, को उस अवधि में निर्धारित किया जाता है जब संशोधन केवल उस अवधि को प्रभावित करता है या संशोधन की अवधि और यदि यह वर्तमान और भविष्य दोनों अवधियों को प्रभावित करता है तो उसे संशोधित किया जाता है।

महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयताओं को मान्यता – वह सीमा, जिस हद तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी जा सकती है, यह भविष्य की कर योग्य आय की सम्भावना के आकलन पर आधारित है, जिसके लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों का सदुपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, कंपनी के प्रबंधन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत बनाए गए और अनुरक्षित विशेष रिजर्व से निकासी करने का कोई इरादा नहीं है और इस प्रकार, बनाए गए और रखे गए विशेष रिजर्व प्रत्यावर्तित होने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए, समूह उक्त रिजर्व पर किसी भी तरह की कर देयता सृजित नहीं करता है।

परिसंपत्तियों की इम्पेयरमेंट के लिए संकेतकों का मूल्यांकन - परिसंपत्तियों की इम्पेयरमेंट के संकेतकों की प्रयोज्यता का मूल्यांकन करने के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का मूल्यांकन करने की आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूलनीय राशि में गिरावट हो सकती है।

क्रेडिट इम्पेयर्ड ऋणों पर ब्याज आय की गैर-मान्यता - विवेक के मामले के रूप में क्रेडिट इम्पेयर्ड ऋण परिसंपत्तियों पर आय को प्राप्त होने पर या संचय के आधार पर मान्यता दी जाती है जब अपेक्षित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक होती है।

महत्वपूर्ण आकलन

मूल्यह्रास/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि - प्रबंधन परिसंपत्तियों की प्रत्याशित उपयोगिता के आधार पर, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यह्रास/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि के संबंध में अपने आकलन की समीक्षा करता है। इन आकलनों में अनिश्चितता, तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित है जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को परिवर्तित कर सकती है।

परिभाषित हितलाभ दायित्व (डीबीओ) - डीबीओ के संबंध में प्रबंधन का आकलन कई अंतर्निहित पूर्वानुमानों जैसे मुद्रास्फीति, मृत्यु दर, छूट की दर और भावी वेतन-वृद्धियों की प्रत्याशा पर आधारित है। इन पूर्वानुमानों में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक सुनिश्चित हितलाभ व्ययों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

उचित मूल्य मापन - वित्तीय इंस्ट्रूमेंटों के उचित मूल्य (जहां सक्रिय बाजार की भाव-दरें उपलब्ध नहीं हैं) निर्धारित करने के लिए प्रबंधन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है। इसमें ऐसे विकासशील आकलन और पूर्वानुमान शामिल हैं, जो बाजार भागीदारों इंस्ट्रूमेंट की कीमत तय करने के अनुरूप होंगे। किसी परिसंपत्तियों या देयता के उचित मूल्य का आकलन करने में, कंपनी बाजार-अवलोकनीय डेटा का उपयोग उसके उपलब्ध होने की सीमा तक करती है। बाजार-अवलोकनीय डेटा की अनुपलब्धता के मामले में, उचित मूल्यांकन के लिए स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग किया जाता है।

आयकर - आयकरों के प्रावधान को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण आकलन शामिल हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि/वसूल की जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्तियों का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता भी शामिल है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि ('ईसीएल') - परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि भत्ते के मापन में जटिल मॉडल और भावी आर्थिक स्थितियों एवं क्रेडिट व्यवहार (अर्थात् डिफॉल्ट रूप से ग्राहकों की संभावना और परिणामी नुकसान) के बारे में महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है। ईसीएल का आकलन करने के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का मूल्यांकन करते हुए समूह निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है:

- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मापदंड का निर्धारण;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद/बाजार और संबद्ध ईसीएल के लिए दूरंदेशी परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष भार की स्थापना करना; तथा
- ईसीएल को मापने के लिए समरूपी वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों की स्थापना करना;
- डिफॉल्ट की संभाव्यता और डिफॉल्ट फलस्वरूप हानि का आकलन करना (डिफॉल्ट के मामले में वसूलनीय राशि का आकलन करना)।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

6. नकदी एवं नकदी के समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
हस्तगत रोकड़ (अग्रदाय सहित)	0.03	0.02
चालू खातों में बैंको में शेष राशि	45.33	26.22
3 माह से कम की मूल परिपक्वता के साथ जमा	-	28.45
कुल	**45.36**	**54.69**

7. बैंकों में शेष (नकदी एवं नकदी के समतुल्य के अलावा)*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
बैंको में चिन्हित शेष		
अव्ययित निगमित सामाजिक दायित्व खाता (टिप्पणी 40.2 देखें)	163.71	-
- अप्रदत्त लाभांश	91.62	1,079.07
- अनुदान के रूप में आगे संवितरण के लिए सरकारी निधि हेतु	-	8.69
- आगे संवितरण हेतु सरकारी योजनाओं के अंतर्गत निधि	100.00	-
चिन्हित सावधिक जमा राशि		
- न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जमा	0.77	0.72
54ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड के लंबित आवंटन के लिए बैंकों के पास शेष राशि उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है	**525.42**	**595.88**
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली बैंक जमा राशियाँ	-	10.79
कुल	**881.52**	**1,695.15**

'नकदी और नकदी के समतुल्य एवं बैंकों में शेष राशि के संबंध में 31 मार्च 2026 (पिछले वर्ष शून्य) तक (नकदी एवं नकदी के समतुल्य के अलावा) कोई रिपैट्रिएशन प्रतिबंध नहीं है।

8. व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स

कंपनी विदेशी मुद्रा और ब्याज दर से जुड़े जोखिमों से हेजिंग के लिए व्युत्पन्न का प्रयोग करती है। यूएसडी के अलावा दूसरी मुद्राओं में लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों के मामले में, कुछ स्थितियों में, उस मुद्रा के मुकाबले यूएसडी और यूएसडी के मुकाबले रुपए के लिए अलग-अलग मुद्रा व्युत्पन्न लिए गए हैं; ऐसे प्रत्येक व्युत्पन्न के लिए काल्पनिक और उससे जुड़ी उचित मूल्य वाली संपत्ति/देनदारियों को ध्यान में रखा जाता है। ऋण प्रबंधन के लिए रखे गए व्युत्पन्न में ऐसी हेजिंग शामिल हैं जिन्हें या तो हेजिंग लेखांकन की ज़रूरतों के तहत प्रभावी हेजिंग के तौर पर तय किया गया है या जो आर्थिक हेजिंग हैं। नीचे दी गई टेबल में व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उचित मूल्य दर्शाया गया है, जिन्हें संपत्ति या देनदारियों के तौर पर दर्ज किया गया है, साथ ही उनकी काल्पनिक राशि भी बताई गई है।

डेरिवेटिव के संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रकटीकरण के लिए नोट 49 देखें

(भाग I)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक			31-03-2025 तक		
		कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i)	मुद्रा व्युत्पन्न						
	- करेंसी स्वैप्स अन्य	29,207.78	833.3	700.58	57,533.07	269.52	1,084.25
	- अन्य						
	- सीगुल विकल्प	2,04,429.00	17,834.20	482.43	2,53,994.26	16,097.00	301.86
	उप –जोड़ (i)	**2,33,636.78**	**18,667.50**	**1,183.01**	**3,11,527.33**	**16,366.52**	**1,386.11**
(ii)	ब्याज दर व्युत्पन्न						
	- अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर स्वैप्स	1,09,843.89	1,293.44	766.14	1,11,154.86	1,065.66	283.95
	उप –जोड़ (ii)	**1,09,843.89**	**1,293.44**	**766.14**	**1,11,154.86**	**1,065.66**	**283.95**
	कुल-व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स (i + ii)	**3,43,480.67**	**19,960.94**	**1,949.15**	**4,22,682.19**	**17,432.18**	**1,670.06**

भाग II

भाग- I में शामिल डेरिवेटिव्स ऐसे हैं जो हेजिंग और जोखिम प्रबंधन के प्रयोजन से धारित हैं, जो इस प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक			31-03-2025 तक		
		कल्पित राशि	उचित मूल्य- परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य- परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i)	उचित मूल्य हेजिंग						
	- ब्याज दर व्युत्पन्न						
	- अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर स्वैप्स	11,995.70	18.86	136.06	13,995.70	22.92	76.48
	उप-जोड़ (i)	**11,995.70**	**18.86**	**136.06**	**13,995.70**	**22.92**	**76.48**
(ii)	नकदी प्रवाह हेजिंग						
	मुद्रा व्युत्पन्न						
	- करेंसी स्वैप्स	29,207.78	833.30	700.58	57,533.07	269.52	1,084.25
	- अन्य						
	- सीगुल विकल्प	2,04,429.00	17,834.20	482.43	2,53,994.26	16,097.00	301.86
	- ब्याज दर व्युत्पन्न						
	- अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर स्वैप्स	92,848.19	1,066.47	601.69	90,459.16	655.25	207.47
	उप-जोड़ (ii)	**3,26,484.97**	**19,733.97**	**1,784.70**	**4,01,986.49**	**17,021.77**	**1,593.58**
(iii)	गैर- नामोदिष्ट व्युत्पन्न	5,000.00	208.11	28.39	6,700.00	387.49	-
	कुल - व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स (i+ii+iii)	**3,43,480.67**	**19,960.94**	**1,949.15**	**4,22,682.19**	**17,432.18**	**1,670.06**

व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रभावी नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में नामित डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। अवांछित व्युत्पन्न के लिए, उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

9. प्राप्य

कंपनी ने इंड एएस 109 की आवश्यकताओं के अनुसार सभी प्राप्य राशियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(क)	ट्रेड प्राप्य		
(i)	अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए	26.84	26.84
	घटाएं: प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	(26.84)	(26.84)
	उप-जोड़ -क	-	-
(ख)	अन्य प्राप्य		
(i)	अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए	4.06	2.26
	घटाएं: प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	(0.19)	(0.27)
	उप-जोड़ -ख	**3.87**	**1.99**
	कुल प्राप्य (क+ख)	**3.87**	**1.99**

9.1 ट्रेड प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक बकाया					
		6 महीने से कम	6 माह- 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	जोड़
(i)	निर्विवादित ट्रेड प्राप्य						
	- शोध्य समझे गए	-	-	-	-	-	-
	- जिसके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
	- क्रेडिट इंपेयर्ड वृद्धि	-	-	-	-	26.84	26.84
	जोड़	-	-	-	-	**26.84**	**26.84**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2025 तक बकाया राशि					
		6 महीने से कम	6 माह- 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	जोड़
(i)	-निर्विवादित ट्रेड प्राप्य						
	- शोध्य समझे गए	-	-	-	-	-	-
	- जिसके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
	- क्रेडिट इंपेयर्ड	-	-	-	-	26.84	26.84
	जोड़	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.84**	**26.84**

9.2 एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक की व्यापारिक प्राप्तियों को ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि वाली प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तीन वर्ष से अधिक की व्यापारिक प्राप्तियों को ऋण क्षतिग्रस्त प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

9.3 **ट्रेड और अन्य प्राप्य पर इम्पेयरमेंट भत्ते का संचलन**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च-2026 तक		31-मार्च-2025 तक	
	ट्रेड प्राप्य	अन्य प्राप्य	ट्रेड प्राप्य	अन्य प्राप्य
प्रारंभिक राशि	26.84	0.27	26.94	0.92
जोड़ें: वर्ष के दौरान सृजित	-	-	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान रिवर्स/ समायोजित	-	0.08	0.10	0.65
जमा शेष	**26.84**	**0.19**	**26.84**	**0.27**

10. **ऋण**

कंपनी ने भारतीय-लेखांकन मानक 109 की अपेक्षाओं के अनुसार सभी ऋणों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
		मूल बकाया	परिशोधित लागत	मूल बकाया	परिशोधित लागत
(क)	**ऋण**				
(i)	सावधिक ऋण	5,46,441.96	5,48,754.98	5,03,711.30	5,06,320.65
(ii)	कार्यशील पूंजीगत ऋण	37,217.40	37,381.55	63,171.99	63,563.19
	कुल (क)- सकल ऋण	**5,83,659.36**	**5,86,136.53**	**5,66,883.29**	**5,69,883.84**
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता	(6,893.45)	(6,893.45)	(10,795.76)	(10,795.76)
	कुल (क)- निवल ऋण	**5,76,765.91**	**5,79,243.08**	**5,56,087.53**	**5,59,088.08**
(ख)	**प्रतिभूति का वर्गीकरण**				
(i)	मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	2,95,868.96	2,96,520.00	2,71,337.02	2,72,035.63
(ii)	सरकारी गारंटी के अंतर्गत	2,33,231.08	2,34,676.60	2,54,317.95	2,56,407.38
(iii)	अप्रतिभूत	54,559.32	54,939.93	41,228.32	41,440.83
	कुल(ख)- सकल ऋण	**5,83,659.36**	**5,86,136.53**	**5,66,883.29**	**5,69,883.84**
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता	(6,893.45)	(6,893.45)	(10,795.76)	(10,795.76)
	कुल(ख) - निवल ऋण	**5,76,765.91**	**5,79,243.08**	**5,56,087.53**	**5,59,088.08**
(ग)(I)	**भारत में ऋण**				
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र	4,94,595.93	4,97,122.74	4,94,578.16	4,97,757.68
(ii)	निजी क्षेत्र	89,063.43	89,013.79	72,305.13	72,126.16
	कुल (ग) (I) - सकल ऋण	**5,83,659.36**	**5,86,136.53**	**5,66,883.29**	**5,69,883.84**
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता	(6,893.45)	(6,893.45)	(10,795.76)	(10,795.76)
	कुल (ग) (I)- निवल ऋण	**5,76,765.91**	**5,79,243.08**	**5,56,087.53**	**5,59,088.08**
(ग) (II)	**भारत से बाहर ऋण**	-	-	-	-
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता	-	-		-
	कुल (ग) (II) - निवल ऋण	-	-	-	-
	कुल (ग) (I) एवं (ग) (II)	**5,76,765.91**	**5,79,243.08**	**5,56,087.53**	**5,59,088.08**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

10.1 भारतीय-लेखांकन मानक के तहत सूचित किए गए आंकड़ों और ऋणों के संबंध में बकाया संविदा राशि के बीच समाधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
निवल ऋण	**5,79,243.08**	**5,59,088.08**
घटाएं: भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बकाया राशि	(275.00)	(886.34)
घटाएं: भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बिन बकाया राशि	(2,764.95)	(2,657.54)
जोड़ें: भारतीय- लेखांकन मानक के तहत बंद की गई संभावित ऋण हानि (ईसीएल) के लिए भत्ता	6,893.45	10,795.76
जोड़ें: प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर शुल्क आधारित आय के संबंध में भारतीय- लेखांकन मानक समायोजन	562.78	543.33
सकल ऋण	**5,83,659.36**	**5,66,883.29**

10.2 ऋणों के संबंध में इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	**10,795.76**	**12,380.52**
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रदान किया गया इंपेयरमेंट हानि भत्ते (नोट 37 देखें)	(107.88)	899.78
घटाएं : तकनीकी राइट ऑफ सहित ऋणों के राइट ऑफ हेतु प्रयुक्त भत्ते	(3,794.43)	(2,484.54)
अंतिम शेष	**6,893.45**	**10,795.76**

10.3 इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही / वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/ पुनर्गठन/ तकनीकी राइट ऑफ के तहत निपटान के संदर्भ में कंपनी ने ₹3794.43 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2484.54 करोड़) की राशि के ऋणों को रिटन-ऑफ किया है। चालू वर्ष के लिए राइट-ऑफ का विवरण निम्नानुसार है:

(i) चालू वर्ष के दौरान

(क) आरबीआई परिपत्र "तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा" दिनांक 07 जून 2019 के तहत टीआरएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 24 मार्च 2025 को निष्पादित पुनर्गठन समझौते और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इसके कार्यान्वयन के अनुसार, कंपनी ने ₹1504.07 करोड़ के बकाया ऋण राशि को ₹1,112.07 करोड़ में पुनर्गठित किया है और ₹392.00 करोड़ की राशि को ₹272.00 करोड़ के ईसीएल के अनुरूप उलट कर बट्टे खाते में डाल दिया है।

(ख) भद्रेश्वर विद्युत प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 10 दिसंबर 2025 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, कंपनी ने 59.54 करोड़ रुपये के ईसीएल को वापस करने के साथ 283.18 करोड़ रुपये की नकद वसूली का विनियोग करने के बाद 709.78 करोड़ रुपये की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

(ग) भावनगर बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 10 मार्च 2026 को निष्पादित एकमुश्त निपटान के अनुसार, कंपनी ने 2.75 करोड़ रुपये के ईसीएल के इसी उलट के साथ 13.77 करोड़ रुपये की पूरी मूल राशि की वसूली की है।

(घ) सिन्नर थर्मल पावर लिमिटेड के संबंध में 25 फरवरी 2026 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, कंपनी ने 569.99 करोड़ रुपये के ईसीएल को उलटने के साथ 1,036.26 करोड़ रुपये की नकद वसूली के बाद 1295.07 करोड़ रुपये की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

(ङ.) कंपनी की तकनीकी बट्टे खाते संबंधी नीति के अनुसार, इंड-बराथ पावर (मद्रास) लिमिटेड, जस इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, कोनासीमा गैस पावर लिमिटेड, लैंको विदर्भ थर्मल पावर लिमिटेड और श्री महेश्वर हाइडल पीसीएल की कुल 1,39,758 करोड़ रुपए की पांच ऋण परिसंपत्तियों को तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

(ii) **पिछले वर्ष के दौरान**

(क) लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के संबंध में 06 सितंबर 2024 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, कंपनी ने ₹836.11 करोड़ (₹721.34 करोड़ की नकद और ₹114.77 करोड़ की वसूली योग्य के रूप में अन्य वित्तीय संपत्ति) की वसूली के बाद ₹1406.47 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

(ख) लिंक्स इंडिया लिमिटेड के संबंध में 21 अक्टूबर 2024 को निष्पादित एकमुश्त निपटान के अनुसार, कंपनी ने 1.96 करोड़ रुपये के ईसीएल को उलटने के साथ 1.02 करोड़ रुपये की नकद वसूली का विनियोग करने के बाद 0.94 करोड़ रुपये की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

(ग) नागई पावर प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 02 दिसंबर 2024 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, कंपनी ने ₹ 398.79 करोड़ के ईसीएल के इसी उलट के साथ ₹189.49 करोड़ (₹59.05 करोड़ की नकद और ₹130.43 करोड़ की वसूली योग्य के रूप में अन्य वित्तीय परिसंपत्ति) की वसूली के बाद ₹371.50 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

(घ) आरबीआई के 07 जून 2019 के परिपत्र 'तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क' के तहत, कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड के संबंध में 27 फरवरी 2025 को एक समाधान समझौता (एआरसी को सौंपे गए ऋण के माध्यम से) निष्पादित किया गया था। इसके अनुसार, कंपनी ने ₹63.00 करोड़ की नकद वसूली को विनियोजित करने के बाद, ₹734.00 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है, जिसके साथ ही ₹797.00 करोड़ के ईसीएल को उलट दिया गया है।

(ङ.) केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड के संबंध में 06 मार्च 2025 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, कंपनी ने 1361.09 करोड़ रुपये के ईसीएल के इसी रिवर्सल के साथ 3572.82 करोड़ रुपये की नकद वसूली के बाद बकाया ब्याज के कारण 2596.36 करोड़ रुपये का पूरा बकाया ऋण और 976.46 करोड़ रुपये की वसूली की वसूली की है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

10.4 कंपनी तुलन पत्र की तिथि के अनुसार शेष राशि के लिए उधारकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करती है। उधारकर्ताओं से प्राप्त शेष राशि की पुष्टि का सारांश इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	%	राशि	%	राशि
सकल ऋण पुस्तिका		5,83,659.36		5,66,883.29
ऋण परिसंपत्तियां जिनके लिए उधारकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त हुई है	99.54%	5,80,986.25	95.48%	5,41,262.29
ऋण परिसंपत्तियां जिनके लिए उधारकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है	0.46%	2,673.11	4.52%	25,621.00
मूर्त परिसंपत्ति द्वारा प्रतिभूत ऋण	52.26%	1,397.00	50.05%	12,824.31
सरकारी गारंटी के अंतर्गत आने वाले ऋण/सरकार को दिए जाने वाले ऋण	47.53%	1,270.40	28.38%	7,271.98
अप्रतिभूत ऋण	0.21%	5.11	21.56%	5,524.71

10.5 कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) या इकाई(यों) को कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार की निधि से), चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से पहचानी गई पार्टी को उधार देगा या निवेश करेगा और अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इनके जैसा कुछ प्रदान करें।

11. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			उप-जोड़	अन्य (लागत पर)	कुल
		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर विनिर्दिष्टित			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 1+2+3+4)	(6)	(7= 5+6)
31 मार्च, 2026 तक							
सरकारी प्रतिभूतियां	3,516.86	-	-	-	3,516.86	-	3,516.86
ऋण प्रतिभूतियां	4,948.92	-	955.58	-	5,904.50	-	5,904.50
इक्विटी दस्तावेज							
- सहायक कंपनियां	-	-	-	-	-	0.10	0.10
- अन्य	-	313.62	69.98	-	383.60	-	383.60
अधिमानित शेयर	28.72	-	-	-	28.72	-	28.72
कुल – सकल (क)	**8,494.50**	**313.62**	**1,025.56**	**-**	**9,833.68**	**0.10**	**9,833.78**
भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-
भारत में निवेश	8,494.50	313.62	1,025.56	-	9,833.68	0.10	9,833.78
कुल – सकल (ख)	**8,494.50**	**313.62**	**1,025.56**	**-**	**9,833.68**	**0.10**	**9,833.78**
कुल निवेश	8,494.50	313.62	1,025.56	-	9,833.68	0.10	9,833.78
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता (ग)	(34.35)	-	-	-	(34.35)	-	(34.35)
कुल – निवल (घ=क-ग)	**8,460.15**	**313.62**	**1,025.56**	**-**	**9,799.33**	**0.10**	**9,799.43**
31 मार्च, 2025 तक							
सरकारी प्रतिभूतियां	1,621.86	-	-	-	1,621.86	-	1,621.86
ऋण प्रतिभूतियां	3,577.32	-	968.18	-	4,545.50	-	4,545.50
इक्विटी दस्तावेज							
- सहायक कंपनियां	-	-	-	-	-	0.10	0.10
- अन्य	-	386.80	90.62	-	477.42	-	477.42
अधिमानित शेयर	28.72	-	-	-	28.72	-	28.72
कुल – सकल (क)	**5,227.90**	**386.80**	**1,058.80**	**-**	**6,673.50**	**0.10**	**6,673.60**
भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-
भारत में निवेश	5,227.90	386.80	1,058.80	-	6,673.50	0.10	6,673.60
कुल – सकल (ख)	**5,227.90**	**386.80**	**1,058.80**	**-**	**6,673.50**	**0.10**	**6,673.60**
कुल निवेश	5,227.90	386.80	1,058.80	-	6,673.50	0.10	6,673.60
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता (ग)	(31.98)	-	-	-	(31.98)	-	(31.98)
कुल – निवल (घ=क-ग)	**5,195.92**	**386.80**	**1,058.80**	**-**	**6,641.52**	**0.10**	**6,641.62**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

11.1 निवेशों के ब्योरे

(₹ करोड़ में)

विवरण		पर मापे गए निवेश	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि
(क) (i)	कुल-केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-उद्धृत (एचक्यूएलए)*	परिशोधित लागत	**23,93,83,500**	**2,436.74**	**15,86,33,000**	**1,621.86**
(क) (ii)	कुल-केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-उद्धृत (सीसीआईएल के पास गिरवी)**	परिशोधित लागत	**10,60,17,100**	**1,080.12**	-	-
(ख)	ऋण प्रतिभूतियां					
(i)	कॉर्पोरेट बॉण्ड - उद्धृत (एचक्यूएलए)*			**4,258.57**		**2,853.35**
	- 9.95% उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)	परिशोधित लागत	3,325	297.08	3,700	335.15
	- 9.62% आंध्र प्रदेश स्टेट बेवेरेज्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीएसबीसीएल)	परिशोधित लागत	1,235	126.68	1,235	127.30
	- 9.70% उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)	परिशोधित लागत	550	56.19	550	56.53
	- केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) के 8.49% ग्रीन बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	4,998	51.00	4,998	51.00
	- केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) के 9.10% घरेलू बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	69,846	699.31	69,846	699.31
	- 9.50% दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल)	परिशोधित लागत	1,25,650	1,254.27	1,25,650.00	1,256.75
	- 9.30% आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम (एपीएमडीसीएल)	परिशोधित लागत	1,48,149	1,500.35	-	-
	- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के 8% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	1,000	102.97	1,000	102.97
	- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के 7.05% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	850	88.00	850	88.04
	- भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के 6.65% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	200	20.59	200	20.60
	- टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसी) के 7.19% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	250	26.26	250	26.27
	- दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के 8.69% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	140	14.40	200	20.74
	- पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के 7.30% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	200	21.47	200	21.73
	- चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) के 5.78% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	-	-	150	15.61
	- भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के 6.11% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	-	-	100	10.45
	- एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएमडीसी) के 7.30% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	-	-	200	20.90
(ii)	ऋण प्रतिभूतियां (एचक्यूएलए के अलावा)			**1,645.93**		**1,692.15**
	- जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीजीआईएएल) के 10% गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर - उद्धृत	परिशोधित लागत	49,488	493.96	49,488	493.56
	- केनरा बैंक के 7.99% सतत बॉण्ड्स - उद्धृत	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	200	207.80	200	207.78
	- यूको बैंक के 9.50% सतत बॉण्ड्स - उद्धृत	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	228	234.85	228	239.55
	- पंजाब नेशनल बैंक के 8.55% सतत बॉण्ड्स - उद्धृत	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	500	512.93	500	520.85
	- मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड के 0% गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) - उद्धृत	परिशोधित लागत	2,00,76,285	159.92	2,50,95,356	189.65
	- झाबुआ पावर लिमिटेड के 8.50% गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) - गैर-उद्धृत	परिशोधित लागत	36,46,524	36.47	42,90,030	40.76
	- आर.के.एम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड के 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) शृंखला क - गैर-उद्धृत ***	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	21,38,03,170		21,38,03,170	-
	- आर.के.एम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड की 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) शृंखला ख - गैर-उद्धृत***	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	63,03,032		63,03,032	-
	- आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड की 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) शृंखला एआई- गैर-उद्धृत***	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	1,04,74,150	-	1,04,74,150	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण		पर मापे गए निवेश	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि
	- डैन्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) - गैर-उद्धृत ***	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	2,13,75,000	-	2,13,75,000	-
	- 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) श्रृंखला क टीआरएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड-अनकोटेड***	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	3,92,00,000	-	-	-
	- 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) श्रृंखला ख टीआरएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड-अनकोटेड***	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	3,74,46,000	-	-	-
(ख)	**कुल - ऋण प्रतिभूतियां (i+ii)**			**5,904.50**		**4,545.50**
(ग)	**इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स**					
(i)	सहायक कंपनी (नोट 11.2 देखें)					
	- आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड -गैर उद्धृत#	अन्य (लागत पर)	94,90,500	0.10	94,90,500	0.10
	कुल - अनुषंगी			**0.10**		**0.10**
(ii)	**अन्य**					
	- एनएचपीसी लिमिटेड- उद्धृत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	1,04,69,555	77.18	1,04,69,555	86.06
	- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड- गैर-उद्धृत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	21,81,00,000	30.28	21,81,00,000	120.39
	- यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड- गैर-उद्धृत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	1,60,00,000	-	1,60,00,000	-
	- झाबुआ पावर लिमिटेड - गैर-उद्धृत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	2,78,85,211	180.62	2,78,85,211	171.51
	जेएसडब्ल्यू एनर्जी (उत्कल) लिमिटेड- गैर-उद्धृत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	127	22.69	127	8.84
	- रतन इंडिया पावर लिमिटेड- उद्धृत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	9,25,68,105	69.98	9,25,68,105	90.62
	केएसके महानदी लिमिटेड - गैर-उद्धृत***	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	2,287	-	-	-
	- आर.के.एम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड- गैर-उद्धृत***	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	18,17,90,667	-	18,17,90,667	-
	- टीआरएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड- गैर-उद्धृत ***	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	10,00,68,661	-		-
	- राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट-2026 इनविट की इकाइयाँ - उद्धृत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	2,58,783	2.85		-
	कुल - अन्य			**383.60**		**477.42**
(घ)	**कुल - इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स (i+ii)**			**383.70**		**477.52**

#चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा शून्य इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं (पिछले वर्ष ₹10 प्रत्येक के पूर्ण चुकता 94,05,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 1 (एक) इक्विटी शेयर के बदले 110 (एक सौ दस) इक्विटी शेयरों के अनुपात में बोनस शेयरों के रूप में आवंटित किए गए थे)।

विवरण		पर मापे गए निवेश	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि
	अधिमानित शेयर - गैर-उद्धृत					
	- प्रतिदेय, रतन इंडिया पावर लिमिटेड द्वारा जारी	परिशोधित लागत	2,87,20,978	28.72	2,87,20,978	28.72
	- वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय, रतन इंडिया पावर लिमिटेड द्वारा जारी	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	4,33,03,616	-	4,33,03,616	-
(घ)	**कुल - अधिमानित शेयर**			**28.72**		**28.72**
(ङ)	**कुल निवेश (क से घ)**			**9,833.78**		**6,673.60**
(च)	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता			(34.35)		(31.98)
(झ)	**कुल - निवल (ङ-च)**			**9,799.43**		**6,641.62**

उचित मूल्य पर दिखाए गए निवेश की मूल्यांकन तकनीक के लिए टिप्पणी 54.1देखें

**उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) मास्टर निर्देश के अनुसार बनाए रखी जाती है – भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – परिसंपत्ति देयता प्रबंधन) निर्देश, 2025*

***₹ 1,060.17 करोड़ (पिछले वर्षों में शून्य) के अंकित मूल्य वाली प्रतिभूतियों को मास्टर डायरेक्शन - रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (मार्जिनिंग फॉर नॉन-सेंट्रली क्लीयर ओटीसी डेरिवेटिव्स) डायरेक्टिव्स, 2024 दिनांक 08 मई, 2024 के अनुपालन में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ प्रारंभिक मार्जिन के लिए संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखा गया है।*

**** दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) कार्यवाही/एकमुश्त निपटान (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत निपटान के संदर्भ में ऋण के अस्थिर हिस्से के लिए प्राप्त।*

लेखा संबंधी टिप्पणियां

11.2 सहायक कंपनी में निवेश का विवरण

कंपनी का नाम	व्यवसाय का मुख्य स्थान / निगमन का देश	की स्थिति के अनुसार स्वामित्व हित का अनुपात	
		31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%

सहायक कंपनी में निवेश का मापन भारतीय लेखा मानक 27 'पृथक वित्तीय विवरण' के प्रावधानों के अनुसार लागत पर किया जाता है।

11.3 निवेश के संबंध में इंपेयरमेंट हानि भत्ता में बदलाव:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक जमा	**31.98**	**28.72**
जोड़ें: इंपेयरमेंट हानि भत्ता	2.37	3.26
घटाएं : निवेशों के राइट-ऑफ के लिए उपयोग की गई भत्ता	-	-
अंतिम शेष	**34.35**	**31.98**

11.4 दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) कार्यवाही / एकमुश्त निपटान (ओटीएस) / पुनर्गठन के तहत निपटान के संदर्भ में, कंपनी को निम्नलिखित निवेश प्राप्त हुए हैं:

(i) **चालू वर्ष के दौरान:**

(क) टीआरएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में पुनर्गठन करार के अनुसरण में, कंपनी को 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों की संख्या 10,00,68,661 आवंटित की गई है। प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों की संख्या 3,92,00,000 है। 001% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर-श्रृंखला क जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 100/- रुपये है और 3,74,46,000 रुपये है। 001% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर-सीरीज ख जिसमें प्रत्येक 100/- रुपये अंकित मूल्य है।

(ख) भद्रेश्वर विद्युत प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में आईबीसी की कार्यवाहियों के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसरण में, कंपनी को 66,11,47,610 रुपये आवंटित किए गए थे। प्रत्येक ₹0.10/- के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों की संख्या है जिन्हें समाधान योजना के तहत नकद निपटान के अनुसार मान्यता रद्द कर दी गई है।

(ग) केएसके महानदी लिमिटेड के संबंध में आईबीसी कार्यवाही के तहत, कंपनी को 2287 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 10 रुपये है।

(ii) **पिछले वर्ष के दौरान:**

(क) केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड के संबंध में आईबीसी कार्यवाही के तहत स्वीकृत समाधान योजना के अनुसार, आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड को 22 अप्रैल 2025 को इक्विटी धारक वित्तीय लेनदारों के पक्ष में ₹10/- अंकित मूल्य वाले 17,567 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं। इन इक्विटी शेयरों में कंपनी का हिस्सा 13.019% है।

अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी 10.3 देखें।

11.5 कंपनी ने कुछ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को एफवीओसीआई (अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य) में नामित करने के लिए एक अपरिवर्तनीय विकल्प चुना है। कंपनी के संचालन में केवल एक व्यावसायिक क्षेत्र शामिल है जैसे विद्युत, लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस प्रकार, इन इंस्ट्रूमेंट्स के मूल्य में उतार-चढ़ाव से लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण को पृथक करने के लिए, प्रबंधन का मानना है कि यह उन्हें एफवीटीपीएल (लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य) में वर्गीकृत करने के बजाय अधिक सार्थक प्रस्तुतीकरण प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान अमान्य किए गए एफवीओसीआई निवेशों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	अमान्य शेयरों की संख्या	मान्यता रद्द होने के समय उचित मूल्य	मान्यता रद्द होने के समय संचयी लाभ/(हानि)	अमान्य शेयरों की संख्या	मान्यता रद्द होने के समय उचित मूल्य	मान्यता रद्द होने के समय संचयी लाभ/(हानि)
भद्रेश्वर विद्युत प्राइवेट लिमिटेड	66,11,47,610.00	6.61	-		शून्य	

एफवीओसीआई में निर्दिष्ट इक्विटी/इनविट निवेश पर अर्जित लाभांश आय चालू वित्त वर्ष (पिछले वर्ष ₹8.42 करोड़) के लिए ₹10.17 करोड़ है।

11.6 कंपनी के निदेशक मंडल ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी), गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी ("जीआईएफटी"), गांधीनगर, गुजरात में एक वित्त कंपनी के रूप में अनुमेय गतिविधियों में काम करने के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त कंपनी को मौजूदा एफईएमए विनियमों के तहत एक अनिवासी इकाई माना जाएगा और एकीकृत नियामक यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा शासित किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 03 मई 2024 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित इकाई की स्थापना के लिए "अनापत्ति प्रमाण पत्र" (एनओसी) प्रदान किया है। कंपनी को प्रस्तावित इकाई को शामिल करने के लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त होना बाकी है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां' के अंतर्गत सभी घटकों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(क)	कार्मिकों को ऋण	99.87	78.07
(ख)	कार्मिकों को अग्रिम	0.26	0.43
(ग)	होल्डिंग कंपनी से वसूली योग्य	-	2.82
(घ)	सहायक कंपनी से वसूली	7.13	7.18
(ङ)	प्रतिभूति जमा	3.07	2.14
(च)	भिन्नता मार्जिन के लिए अग्रिम भुगतान	63.32	0.63
(छ)	भारत सरकार से वसूली योग्य		
	- भारत सरकार के पूर्ण सेवा बॉण्ड के लिए (नोट 23.5 देखें)	24,318.29	24,318.29
(ज)	वसूली योग्य अन्य राशियाँ	184.18	343.34
	घटाएँ: क्षति हानि भत्ता (नोट 12.2 देखें)	(124.02)	(149.22)
	वसूली योग्य अन्य राशियाँ (निवल)	**60.16**	**194.12**
	कुल (क से ज)	**24,552.10**	**24,603.68**

12.1 कार्मिकों को दिए गए ऋणों का विवरण (शोध्य समझे गए)

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप परिशोधित लागत में वर्गीकृत निर्दिष्ट शर्तों और पुनर्भुगतान शेड्यूल के साथ कार्मिकों को ऋण दिया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(क)	प्रतिभूत ऋण		
	- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को	0.38	0.01
	- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के अलावा अन्य कार्मिकों को	34.91	36.33
	उप – जोड़ (क)	**35.29**	**36.34**
(ख)	अप्रतिभूत ऋण		
	- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को	0.25	0.12
	- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के अलावा अन्य कार्मिकों को	64.33	41.61
	उप – जोड़ (ख)	**64.58**	**41.73**
	उप – जोड़ (क + ख)	**99.87**	**78.07**

उपरोक्त आंकड़ों में ऐसे ऋणों पर उपचित ब्याज, जिसकी कुल राशि ₹ 15.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 12.92 करोड़) है, शामिल है।

12.2 वसूली योग्य अन्य राशियों पर हानि हानि भत्ते का स्थानांतरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	149.22	39.44
जोड़े : वर्ष के दौरान सृजित	8.96	129.91
घटाएं : वर्ष के दौरान वापस किया गया / समायोजित किया गया	(34.16)	(20.13)
अंतिम शेष	**124.02**	**149.22**

13. चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	3,968.28	4,394.52
आय कर हेतु प्रावधान	(3,707.34)	(4,000.49)
उप – जोड़ (क)	**260.94**	**394.03**
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर पर जमा कर	0.96	5.20
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर हेतु प्रावधान	(0.23)	(0.25)
उप – जोड़ (ख)	**0.73**	**4.95**
उप – जोड़ (क + ख)	**261.67**	**398.98**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

14. आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**3,516.05**	**2,852.75**

14.1 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों के महत्वपूर्ण घटक निम्नानुसार हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	अन्य	अंतिम राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,562.07	(897.07)	-	-	1,665.00
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	9.81	0.68	-	-	10.49
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	5.90	0.03	-	-	5.93
निवेशों का उचित मूल्यांकन	(10.34)	8.46	-	-	(1.88)
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	699.31	193.66	1,376.04	-	2,269.01
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (क)	**3,266.76**	**(694.24)**	**1,376.04**	**-**	**3,948.56**
आस्थगित कर देयताएं					
मूल्यह्रास और परिशोधन	35.54	0.68	-	-	36.22
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय में उतार-चढ़ाव	168.34	66.50	-	-	234.84
वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को परिशोधित लागत पर मापा जाता है	207.91	(79.65)	-	-	128.26
ऋण प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन	2.22	30.97	-	-	33.19
कुल आस्थगित कर देयताएं (ख)	**414.01**	**18.50**	**-**	**-**	**432.51**
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) (क - ख)	**2,852.75**	**(712.74)**	**1,376.04**	**-**	**3,516.05**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों के महत्वपूर्ण घटक निम्नानुसार हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	अन्य	अंतिम राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,831.47	(269.40)	-	-	2,562.07
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	8.42	1.39	-	-	9.81
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	5.42	0.48	-	-	5.90
निवेशों का उचित मूल्यांकन	(1.67)	(8.67)	-	-	(10.34)
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	161.25	35.75	502.31	-	699.31
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (क)	**3,004.89**	**(240.45)**	**502.31**	**-**	**3,266.76**
आस्थगित कर देयताएं					
मूल्यह्रास और परिशोधन	32.96	2.58	-	-	35.54
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय में उतार-चढ़ाव	187.43	(19.09)	-	-	168.34
वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को परिशोधित लागत पर मापा जाता है	243.36	(35.45)	-	-	207.91
ऋण प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन	55.68	(53.46)	-	-	2.22
कुल आस्थगित कर देयताएं (ख)	**519.43**	**(105.42)**	**-**	**-**	**414.01**
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) (क - ख)	**2,485.46**	**(135.03)**	**502.31**	**-**	**2,852.75**

15. संपत्ति में निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान हस्तांतरण/ जोड़	वर्ष के दौरान बिक्री/ हस्तांतरण	जमा शेष
31.03.2026 तक				
सकल वहन मूल्य	53.03	-	-	53.03
संचित मूल्यह्रास	(4.79)	(0.83)	-	(5.62)
शुद्ध वहन मूल्य	**48.24**	**(0.83)**	**-**	**47.41**
31.03.2025 तक				
सकल वहन मूल्य	-	53.03	-	53.03
संचित मूल्यह्रास	-	(4.79)	-	(4.79)
शुद्ध वहन मूल्य	**-**	**48.24**	**-**	**48.24**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

15.1 कंपनी की निवेश परिसंपत्तियों में दिल्ली और गुरुग्राम, भारत में स्थित भवन शामिल हैं। वर्ष के दौरान, निवेश संपत्ति (कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) से पिछले वर्ष के कुल धारित मूल्य पुनर्वर्गीकृत ₹53.03 करोड़) से/को किसी प्रकार से पुनर्वर्गीकृत नहीं किया गया है।

15.2 इन निवेश संपत्तियों से वर्ष के दौरान किराये की आय ₹19.07 करोड़ (पिछले वर्ष ₹17.19 करोड़) है। निवेश परिसंपत्तियों से उत्पन्न होने वाला कोई प्रत्यक्ष परिचालन व्यय नहीं था।

15.3 कंपनी के पास अपनी निवेश परिसंपत्तियों की प्राप्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है और निवेश परिसंपत्तियों को खरीदने, निर्माण करने या विकसित करने या मरम्मत, रखरखाव और वृद्धि के लिए कोई संविदात्मक दायित्व नहीं है।

15.4 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
वाहक मूल्य	47.41	48.24
उचित मूल्य	195.30	192.50

कंपनी कम से कम प्रतिवर्ष अपनी निवेश परिसंपत्तियों के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन प्राप्त करती है। निवेश संपत्ति का उचित मूल्य आय दृष्टिकोण के आधार पर 10 मार्च, 2026 को एक स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है। निवेश परिसंपत्ति के लिए सभी परिणामी उचित मूल्य अनुमान स्तर 2 में शामिल हैं। "

लेखा संबंधी टिप्पणियां

16 संपत्ति, संयंत्र, एवं उपकरण, प्रगति पर पूंजी एवं अन्य

(₹ करोड़)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र, उपकरण									पूंजीगत कार्य प्रगति पर	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	अन्य अमूर्त संपत्तियां
	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	उपयोग के अधिकार वाली भूमि	भवन	संयंत्र उपकरण	फर्नीचर और फिक्स्चर	ईडीपी उपकरण	कार्यालय उपकरण	वाहन	कुल	अचल संपत्ति	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
सकल वहन मूल्य												
31-03-2024 तक	**110.39**	**1.59**	**456.90**	**20.45**	**66.95**	**29.62**	**26.16**	**0.71**	**712.77**	**23.59**	-	**14.66**
परिवर्धन	-	-	-	-	4.59	11.92	11.17	0.25	27.93	49.40	-	1.61
उधार की लागत पूंजीकृत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.02	-	-
निपटान	-	-	(53.03)	-	(4.81)	(5.53)	(10.21)	(0.46)	(74.04)	-	-	-
31-03-2025 तक (क)	**110.39**	**1.59**	**403.87**	**20.45**	**66.73**	**36.01**	**27.12**	**0.50**	**666.66**	**76.01**	-	**16.27**
31-03-2025 तक	**110.39**	**1.59**	**403.87**	**20.45**	**66.73**	**36.01**	**27.12**	**0.50**	**666.66**	**76.01**	-	**16.27**
परिवर्धन	-	-	1.37	-	3.15	5.83	12.41	0.25	23.01	46.96	-	0.27
उधार की लागत पूंजीकृत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.39	-	
निपटान/स्थानान्तरण	-	(0.13)	-	(0.08)	(5.45)	(5.97)	(8.43)	(0.17)	(20.23)	(1.65)	-	(0.02)
31-03-2026 तक (ख)	**110.39**	**1.46**	**405.24**	**20.37**	**64.43**	**35.87**	**31.10**	**0.58**	**669.44**	**127.71**		**16.52**
संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन												
31-03-2024 तक	**-**	**0.41**	**27.82**	**3.52**	**19.99**	**18.71**	**11.69**	**0.42**	**82.56**	-	-	**14.14**
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.09	6.42	1.30	6.09	5.20	4.16	0.04	23.30	-	-	0.29
निपटान के लिए समायोजन	-	-	(3.99)	-	(3.06)	(3.57)	(6.35)	(0.39)	(17.36)	-	-	-
31-03-2025 तक ग	**-**	**0.50**	**30.25**	**4.82**	**23.02**	**20.34**	**9.50**	**0.07**	**88.50**	-	-	**14.43**
31-03-2025 तक	**-**	**0.50**	**30.25**	**4.82**	**23.02**	**20.34**	**9.50**	**0.07**	**88.50**	-	-	**14.43**
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.01	6.39	1.29	6.04	6.56	4.87	0.06	25.22	-	-	0.57
निपटान/स्थानान्तरण के लिए समायोजन	-	(0.13)	-	(0.02)	(1.72)	(3.75)	(3.92)	(0.06)	(9.64)	-	-	(0.02)
31-03-2026 तक (घ)	**-**	**0.38**	**36.64**	**6.09**	**27.34**	**23.11**	**10.45**	**0.07**	**104.08**	-	-	**15.02**
31.03.2025 तक नेट ब्लॉक (क - ग)	**110.39**	**1.09**	**373.62**	**15.63**	**43.71**	**15.67**	**17.62**	**0.43**	**578.16**	**76.01**	-	**1.84**
31-03-2026 तक नेट ब्लॉक (ख - घ)	**110.39**	**1.08**	**368.60**	**14.28**	**37.09**	**12.76**	**20.65**	**0.51**	**565.36**	**127.71**	-	**1.50**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

16.1 कंपनी द्वारा अर्जित अचल संपत्ति के संबंध में स्वामित्व विलेख के पंजीकरण से संबंधित औपचारिकताएं अभी निष्पादित की जानी हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं:

(क) 31.03. 2026 तक

(₹ करोड़)

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का विवरण	सकल वहन मूल्य	शुद्ध वहन मूल्य	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	कब से कब तक रखी गई संपत्ति	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
बिल्डिंग - कार्यालय कोर 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003	4.59	1.76	शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन भूमि एवं विकास अधिकारी	नहीं	1990	भूमि एवं विकास अधिकारी की औपचारिकताएं पूरी होने तक, स्कोप कॉम्प्लेक्स में कंपनी को आवंटित कार्यालय स्थान कंपनी के नाम पर पंजीकृत नहीं किया गया है।

(ख) 31.03.2025 तक

(₹ करोड़)

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का विवरण	सकल वहन मूल्य	शुद्ध वहन मूल्य	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	कब से कब तक रखी गई संपत्ति	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
बिल्डिंग - कार्यालय कोर 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003	4.59	1.83	शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन भूमि एवं विकास अधिकारी	नहीं	1990	भूमि एवं विकास अधिकारी की औपचारिकताएं पूरी होने तक, स्कोप कॉम्प्लेक्स में कंपनी को आवंटित कार्यालय स्थान कंपनी के नाम पर पंजीकृत नहीं किया गया है।

16.2 नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कंपनी के सुरक्षित उधार के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण गिरवी रखे गए हैं:

(₹ करोड़)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
सकल वहन मूल्य	3.48	3.48
शुद्ध वहन मूल्य	**2.21**	**2.26**

16.3 पूंजी कार्य प्रगति पर है

(क) सीडब्ल्यूआईपी सूची

(₹ करोड़)

विवरण	31-03-2026 तक					31-03-2025 तक				
	एक निश्चित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल	एक निश्चित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं										
- गुरुग्राम में आरईसी टाउनशिप	48.03	52.42	20.87	2.72	124.04	52.42	20.87	1.24	1.48	76.01
- कार्यालय भवन में नवीनीकरण कार्य	3.67	-	-	-	3.67	-	-	-	-	-
कुल	**51.70**	**52.42**	**20.87**	**2.72**	**127.71**	**52.42**	**20.87**	**1.24**	**1.48**	**76.01**

रिपोर्टिंग वर्ष में कोई भी पूंजीगत कार्य प्रगति पर नहीं है, जहां गतिविधि निलंबित कर दी गई हो।

(ख) सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता सूची

(₹ करोड़)

विवरण	31-03-2026 तक					31-03-2025 तक				
	में पूर्ण किया जाएगा				कुल	में पूर्ण किया जाएगा				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं										
- गुरुग्राम में आरईसी टाउनशिप	124.04	-	-	-	124.04	76.01	-	-	-	76.01
- कार्यालय भवन में नवीनीकरण कार्य	3.67	-	-	-	3.67	-	-	-	-	-
कुल	**127.71**	**-**	**-**	**-**	**127.71**	**76.01**	**-**	**-**	**-**	**76.01**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

16.4 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है (पिछले वर्ष शून्य)।

16.5 प्रबंधन की राय में, ऐसी कोई घटना या परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं है जो भारतीय लेखा मानक 36 'परिसंपत्तियों की हानि' के संदर्भ में पीपीई और अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि को इंगित करता हो। तदनुसार, हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

16.6 जबकि कंपनी ने अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण के लिए कोई विशिष्ट उधार नहीं लिया है, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 23 'उधार लागत' के संदर्भ में कंपनी के लिए ₹6.39 (पिछले वर्ष ₹3.02) की औसत उधार दर पर सामान्य उधार के कारण 7.11% करोड़ (पिछले वर्ष 7.13% करोड़) की उधार लागत की राशि को पूंजीकृत किया है।

16.7 इंड-एएस 38 "अमूर्त आस्तियों" के अंतर्गत अमूर्त आस्तियों के संबंध में प्रकटीकरण आवश्यक है

परिशोधन दर 20% (यदि परिसंपत्ति की कुल लागत ₹5,000 या उससे कम है तो 100%)

17. अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
	अप्रतिभूत, (शोध्य समझे गए)		
(क)	अन्य अग्रिम	8.63	7.72
(ख)	सरकारी संस्थानों के पास शेष	26.09	28.56
(ग)	पूर्व में व्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खर्च	-	5.53
(घ)	प्रीपेड खर्च	1.49	15.71
(ङ)	आस्थगित कार्मिक लागत	34.09	24.58
	कुल (क से ङ)	**70.30**	**82.10**

18. बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों का वर्गीकरण

(₹ करोड़)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
बिक्री के लिए धारित निवल परिसंपत्तियां	0.01	0.01
कुल	**0.01**	**0.01**

31.03.2026 के अनुसार बिक्री के लिए धारित ₹ 0.01 करोड़ की परिसंपत्तियां मुकदमे के अंतर्गत हैं और प्रतिलाभ लंबित होने के कारण परिसंपत्ति की दोबारा नीलामी नहीं की जा सकती है (पिछले वर्ष ₹ 0.01)

18.1 अपनी निष्क्रिय परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए, कंपनी ने ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से आवासीय भवन इकाइयों का निपटान किया है। वर्ष के दौरान, वहन मूल्य शून्य (पिछले वर्ष 0.04 करोड़ रुपये) को "बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि इंड-एएस 105 के तहत आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप शून्य (पिछले वर्ष रु 6.03 करोड़ रुपये) का लाभ हुआ है (नोट 32 देखें)।

19. देय

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(क)	**व्यापार देय**		
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया	0.03	0.12
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं	7.79	10.68
	उप - जोड़ (क)	**7.82**	**10.80**
(ख)	**अन्य देय**		
	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	2.07	6.52
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं	14.21	17.28
	उप - जोड़ (ख)	**16.28**	**23.80**
	जोड़ (क + ख)	**24.10**	**34.60**

19.1 व्यापार देयताओं की आयु निर्धारण अनुसूची

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2026 तक बकाया						
		बिल रहित	बकाया नहीं	एक वर्ष कम समय	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	तीन वर्ष से अधिक	कुल
(i)	**एमएसएमई**							
	- विवादित	-	-	-	-	-	-	-
	- अन्य	0.03	-	-	-	-	-	0.03
	उप जोड़ (i)	**0.03**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.03**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

	विवरण	31.03.2026 तक बकाया						
		बिल रहित	बकाया नहीं	एक वर्ष कम समय	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	तीन वर्ष से अधिक	कुल
(ii)	एमएसएमई के अतिरिक्त							
	- विवादित	-	-	-	-	-	-	-
	- अन्य	7.77	-	0.02	-	-	-	7.79
	उप जोड़ (ii)	**7.77**	**-**	**0.02**	**-**	**-**	**-**	**7.79**
	जोड़ (i+ii)	**7.80**	**-**	**0.02**	**-**	**-**	**-**	**7.82**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2025 तक बकाया						
		बिल रहित	बकाया नहीं	एक वर्ष कम समय	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	तीन वर्ष से अधिक	कुल
(i)	एमएसएमई के अतिरिक्त							
	- विवादित	-	-	-	-	-	-	-
	- अन्य	0.11	-	0.01	-	-	-	0.12
	उप जोड़ (i)	**0.11**	**-**	**0.01**	**-**	**-**	**-**	**0.12**
(ii)	एमएसएमई के अतिरिक्त							
	- विवादित	-	-	-	-	-	-	-
	- अन्य	6.19	-	4.49	-	-	-	10.68
	उप जोड़ (ii)	**6.19**	**-**	**4.49**	**-**	**-**	**-**	**10.68**
	उप जोड़ (i+ii)	**6.30**	**-**	**4.50**	**-**	**-**	**-**	**10.80**

19.2 एमएसएमई अधिनियम, 2006 के धारा 22 के अनुसार प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
क)	वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ताओं को देय मूल राशि	2.10	6.64
ख)	वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान न की गई शेष राशि पर उपार्जित और देय ब्याज की राशि	-	-
ग)	एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि तथा प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	-	-
घ)	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन से परे किया गया है) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
ड.)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त शेष ब्याज की राशि	-	-
च)	एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ, आगामी वर्षों में बकाया और भुगतान योग्य शेष ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता है।	-	-

20. ऋण प्रतिभूतियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	3/31/2026 तक		31-03-2025 तक	
		अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(क)	**प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियां**				
(i)	54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड #	43,170.96	44,704.60	43,235.69	44,768.80
(ii)	कर मुक्त बॉण्ड	8,592.77	8,916.76	8,998.71	9,328.33
(iii)	54 ईसी बॉण्ड आवेदन राशि आवंटन लंबित	525.42	522.70	595.88	594.63
	उप-जोड़ (क)	**52,289.15**	**54,144.06**	**52,830.28**	**54,691.76**
(ख)	**अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियां**				
(i)	संस्थागत बॉण्ड	2,12,114.09	2,18,826.62	2,00,803.29	2,06,783.97
(ii)	अवसंरचना बॉण्ड	3.96	10.88	3.96	10.06
(iii)	शून्य कूपन बॉण्ड	2,970.38	2,964.80	2,795.64	2,789.78
(iv)	विदेशी मुद्रा बॉण्ड	31,069.93	31,117.17	28,286.04	28,199.36
	उप - जोड़ (ख)	**2,46,158.36**	**2,52,919.47**	**2,31,888.93**	**2,37,783.17**

	विवरण	3/31/2026 तक		31-03-2025 तक	
		अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(ग)	**अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण प्रतिभूतियां**				
(i)	कमर्शियल पेपर	3,000.00	2,965.96	-	-
	उप - जोड़ (ग)	**3,000.00**	**2,965.96**	**-**	**-**
	कुल – ऋण प्रतिभूतियां (क+ख+ग)	**3,01,447.51**	**3,10,029.49**	**2,84,719.21**	**2,92,474.93**
	भारत में/ से बाहर जारी ऋण प्रतिभूतियां				
(i)	भारत में ऋण प्रतिभूतियां	2,70,377.58	2,78,912.32	2,56,433.17	2,64,275.57
(ii)	विदेशों में ऋण प्रतिभूतियां	31,069.93	31,117.17	28,286.04	28,199.36
	कुल-ऋण प्रतिभूतियां	**3,01,447.51**	**3,10,029.49**	**2,84,719.21**	**2,92,474.93**

अंकित मूल्य और परिशोधन लागत में दर्शाए गए आंकड़े के बीच पुनर्मिलान के लिए टिप्पणी संख्या 22.2 देखें

#आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 85 के अंतर्गत जारी पूंजीगत लाभ कर छूट (सीजीटीई) बॉण्ड के रूप में पुनर्नामित

20.1 प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियों का विवरण – प्रतिभूति के विवरण के लिए टिप्पणी 21.6 का संदर्भ ले

(i) 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला XIV (2020-21) - 5.75% सममूल्य पर 5% को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विमोचनीय	-	-	5,312.07	5,518.37
श्रृंखला XV (2021-22) - 5% सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2026–27 के दौरान विमोचनीय	7,312.80	7,586.18	7,312.80	7,582.92
शृंखला XVI (2022-23) - 5% सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2027–28 के दौरान विमोचनीय	12,152.39	12,598.11	12,152.39	12,595.84
शृंखला XVII (2023-24) - 5.25 % सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2028–29 के दौरान विमोचनीय	11,419.07	11,856.27	11,419.57	11,851.53
शृंखला XVIII (2024-25) - 5.25 % सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2029-30 के दौरान विमोचनीय	7,634.21	7,920.11	7,038.86	7,220.14
शृंखला XIX (2025-26) - 5.25 % सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2030-31 के दौरान विमोचनीय	4,652.49	4,743.93	-	-
कुल - 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	**43,170.96**	**44,704.60**	**43,235.69**	**44,768.80**

(ii) कर मुक्त बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
शृंखला 2015-16 शृंखला 5 ए	-	-	300.00	306.48
7.17% वार्षिक देय, 23.07.2025 को रिडीम्ड				
शृंखला 2011–12	2,160.33	2,291.25	2,160.33	2,290.33
वार्षिक रूप से 8.12% से 8.32% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹2,160.33 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2027 को विमोचनीय				
शृंखला 2012–13 शृंखला 2क और 2ख	245.00	251.35	245.00	251.27
वार्षिक रूप से 7.38% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹245.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 22.11.2027 को विमोचनीय हैं।				
शृंखला 2012–13 भाग 1	852.04	873.03	852.04	872.71
वार्षिक रूप से 7.38% से 7.88 % की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹852.04 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 20.12.2027 को विमोचनीय				
शृंखला 2012–13 भाग 2	49.71	50.90	49.71	50.88
वार्षिक रूप से 7.04% से 7.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹49.71 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2028 को विमोचनीय				
शृंखला 2013–14 शृंखला 3ए एवं 3बी	1,141.00	1,196.30	1,141.00	1,195.81
वार्षिक रूप से 8.46% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹1,141.00 करोड़ के बॉण्ड 29.08.2028 को विमोचनीय हैं।				

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
शृंखला 2013–14 भाग 1	2,865.54	2,942.81	2,865.55	2,941.57
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.71% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹2,810.26 करोड़ 25.09.2028 को विमोचनीय हैं और ₹55.28 करोड़ 26.09.2033 को विमोचनीय				
शृंखला 2013–14 शृंखला 4ए एवं 4बी	45.00	46.75	45.00	46.73
वार्षिक रूप से 8.54% की ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹45.00 करोड़ के बॉण्ड 11.10.2028 को विमोचनीय				
शृंखला 2013–14 भाग 2	640.08	657.79	640.08	657.35
वार्षिक रूप से 8.19% से 8.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹530.42 करोड़ के बॉण्ड 23.03.2029 को विमोचनीय और ₹109.66 करोड़ के बॉण्ड 24.3.2034 को विमोचनीय				
शृंखला 2015–16 भाग 1	594.07	606.56	700.00	715.19
वार्षिक रूप से 6.89% से 7.43% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.93 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2025 को विमोचनीय, ₹172.90 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2030 को विमोचनीय और ₹421.17 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2035 को विमोचनीय				
कुल – कर–मुक्त बॉण्ड	**8,592.77**	**8,916.76**	**8,998.71**	**9,328.33**

(iii) आवंटन के लिए लंबित बॉण्ड आवेदन राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड 5.25% आवंटन की डीम्ड तिथि से 5 वर्ष के बाद सममूल्य पर विमोचनीय	525.42	522.70	595.88	594.63
कुल: आवंटन के लिए लंबित बॉण्ड आवेदन राशि	**525.42**	**522.70**	**595.88**	**594.63**

20.2 अप्रतिभूत दीर्घावधिक ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(i) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
133वीं शृंखला - 8.30% 10.04.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	-	-	2,396.00	2,453.75
94वीं शृंखला - 8.75% 09.06.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	-	-	1,250.00	1,339.00
95-II शृंखला - 8.75% 11.07.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	-	-	1,800.00	1,913.49
136वीं शृंखला - 8.11% 07.10.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	-	-	2,585.00	2,672.14
229ए शृंखला - 7.79% 29.11.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	-	-	1,033.00	1,059.81
203बी शृंखला - 5.85% 20.12.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	-	-	2,777.00	2,822.16
204बी शृंखला - 5.81% 31.12.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	-	-	2,082.00	2,112.04
205बी शृंखला - 5.94% 31.01.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	-	-	2,000.00	2,022.91
214ए शृंखला - 7.32% 28.02.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	-	-	500.00	503.19
219वीं शृंखला - 7.60% 28.02.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	-	-	3,148.70	3,169.58
223ए शृंखला - 7.44% 30.04.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,168.13	3,000.00	3,167.71
228ए शृंखला - 7.80% 30.05.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,679.00	1,788.39	1,679.00	1,788.15
218ए शृंखला - 7.56% 30.06.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,170.81	3,000.00	3,170.55
225वीं शृंखला - 7.64% 30.06.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,210.00	2,337.14	2,210.00	2,336.85
221 शृंखला - 7.51% 31.07.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,848.00	2,990.88	2,848.00	2,990.60
234ए शृंखला - 7.70% 31.08.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,500.00	2,612.17	2,500.00	2,661.37
227ए शृंखला - 7.77% 30.09.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,670.00	2,773.83	2,670.00	2,773.48
211वीं शृंखला - 6.23% 31.10.2031 को सममूल्य पर विमोचन पुट/कॉल विकल्प के साथ 31.10.2026 को प्रयोग योग्य	1,200.00	1,230.73	1,200.00	1,230.67

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
237वीं शृंखला - 7.55% 31.10.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,000.00	2,062.67	2,000.00	2,062.33
140वीं शृंखला - 7.52% 07.11.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,100.00	2,158.58	2,100.00	2,170.00
142वीं शृंखला - 7.54% 30.12.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,055.37	3,000.00	3,061.81
230-ए शृंखला - 7.71% 26-02-2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,685.00	3,715.05	3,685.00	3,720.31
147वीं शृंखला - 7.95% 12.03.2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,745.00	2,743.91	2,745.00	2,757.74
249ए शृंखला - 6.37% 31.03.2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,000.16	-	-
231-ए शृंखला - 7.64% 30-04-2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,875.00	3,076.78	2,875.00	3,076.42
232-ए शृंखला - 7.59% 31.05.2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,183.00	3,385.57	3,183.00	3,342.34
250-ए शृंखला - 6.60% 30.06.2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	4,000.00	4,201.71	-	-
236 -बी शृंखला - 7.56% 31.08.2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,131.64	3,000.00	3,131.18
156वीं शृंखला - 7.70% 10.12.2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,533.00	3,614.75	3,533.00	3,614.62
248ए शृंखला - 6.52% 31.01.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,031.34	-	-
251 शृंखला - 6.95% 18.02.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,835.00	2,855.60	-	-
245-ए शृंखला - 7.44% 29-02-2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,018.82	3,000.00	3,006.85
216-ए शृंखला - 7.55% 31-03-2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,701.50	1,701.53	1,701.50	1,701.39
220ए शृंखला - 7.77% 31.03.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,000.00	2,000.13	2,000.00	2,000.00
223बी शृंखला - 7.46% 30.06.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,993.60	3,160.77	2,993.60	3,160.35
162वीं शृंखला - 8.55% 09.08.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,500.00	2,637.52	2,500.00	2,637.48
163वीं शृंखला - 8.63% 25.08.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,500.00	2,628.16	2,500.00	2,628.12
168 वीं श्रृंखला - 8.56 % अर्ध-वार्षिक देय, 29 .11 .2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,552.40	2,625.87	2,552.40	2,625.82
169वीं श्रृंखला - 8.37% अर्ध-वार्षिक देय, 07.12.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,554.00	2,621.17	2,554.00	2,621.12
176वीं शृंखला - 8.85% 16.04.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,600.70	1,736.13	1,600.70	1,736.01
178वीं शृंखला - 8.80% 14.05.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,097.00	1,175.85	1,097.00	1,174.17
234 बी शृंखला - 7.58 % 31.05.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,500.00	2,657.02	2,500.00	2,657.70
180बी शृंखला - 8.30% 25.06.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,070.90	2,185.36	2,070.90	2,180.89
184ए शृंखला - 8.25% 26.09.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,451.00	1,512.25	1,451.00	1,512.23
249बी शृंखला - 6.70% 31.12.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,922.50	1,953.57	-	-
192वीं शृंखला - 7.50% 28.02.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,382.00	2,396.92	2,382.00	2,396.76
188बी शृंखला - 7.89% 30.03.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,100.00	3,132.10	3,100.00	3,138.62
189वीं शृंखमला - 7.92% 30.03.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,054.90	3,055.18	3,054.90	3,055.11
240 बी शृंखला - 7.34 % 30.04.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,901.00	3,095.59	2,901.00	2,983.29
197वीं शृंखला - 7.55% 11.05.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,740.00	3,990.53	3,740.00	3,990.35
198बी शृंखला - 7.79% 21.05.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,569.00	1,674.06	1,569.00	1,673.97
247 ए शृंखला - 6.87% 31.05.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,188.00	-	-
202ए शृंखला - 7.25% 30.09.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,500.00	3,627.11	3,500.00	3,627.08
203ए शृंखला - 6.80% 20.12.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	5,000.00	5,094.47	5,000.00	5,094.38
204ए शृंखला - 6.90% 31.01.2031 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,500.00	2,528.03	2,500.00	2,527.97
252 शृंखला - 7.19% 15.03.2031 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,010.28	-	-
201बी शृंखला - 6.90% 31.03.2031 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,415.00	2,495.23	2,415.00	2,490.29
213वीं शृंखला - 6.92% 20.03.2032 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,380.00	3,341.43	3,380.00	3,335.48
218बी शृंखला - 7.69% 31.01.2033 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,004.40	2,029.00	2,004.40	2,028.92
214बी शृंखला - 7.50% 28.02.2033 को सममूल्य पर विमोचनीय	4,947.60	4,952.73	4,947.60	4,949.83
220बी शृंखला - 7.69% 31.03.2033 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,600.10	1,600.16	1,600.10	1,600.13
217वीं शृंखला - 7.53% 31.03.2033 को सममूल्य पर विमोचनीय	500.00	500.04	500.00	500.04
227बी शृंखला - 7.71% 31.10.2033 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,818.70	2,906.66	2,818.70	2,906.42
228बी शृंखला - 7.71% 30.11.2033 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,899.69	2,972.80	2,899.69	2,972.65

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
215वीं शृंखला - 7.65% 30.11.2033, 30.11.2034, 30.11.2035, 30.11.2036 और 30.11.2037 को 5 समान किश्तों में विमोचनीय	3,889.00	3,988.10	3,889.00	3,988.08
230-बी शृंखला - 7.64% 31-01-2034 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,036.20	3,000.00	3,036.07
231-बी शृंखला - 7.47% 28-02-2034 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,500.00	2,514.96	2,500.00	2,514.83
232बी श्रृंखला - 7.45% 29.04.2034 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,935.00	3,134.60	2,935.00	3,145.24
233 वीं श्रृंखला - 7.53% 31.05.2034 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,186.32	3,000.00	3,196.63
235वीं श्रृंखला - 7.35% अर्ध-वार्षिक देय, 31.07.2034 को सममूल्य पर विमोचनीय	4,000.00	4,045.92	4,000.00	4,045.71
182वीं शृंखला - 8.18% 22.08.2034 को सममूल्य पर विमोचनीय	5,063.00	5,314.72	5,063.00	5,314.70
183 वीं शृंखला - 8.29%16.09.2034 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,028.00	3,163.30	3,028.00	3,163.28
242 वीं शृंखला - 7.20% 15.01.2035 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,297.00	2,322.65	2,297.00	2,329.78
245 बी शृंखला - 7.32% 28.02.2035 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,780.00	2,795.93	2,780.00	2,785.19
241 वीं शृंखला - 7.10% 30.04.2035 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,620.00	1,724.97	1,620.00	1,651.47
247वीं शृंखला - 6.86% 31.05.2035 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,000.00	2,125.26	-	-
250वीं शृंखला - 7.06% 30.06.2035 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,865.00	3,018.13	-	-
236 ए शृंखला - 7.45% 31.08.2035 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,127.30	3,000.00	3,127.08
207वीं शृंखला - 7.02% 31.01.2036 को सममूल्य पर विमोचनीय	4,589.90	4,641.95	4,589.90	4,641.89
208 वीं शृंखला - 7.40 % 15.03.2036 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,613.80	3,625.62	3,613.80	3,625.57
248बी शृंखला - 6.81% 30.04.2036 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,635.00	2,786.06	-	-
216 बी शृंखला - 7.67% 30.11.2037 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,000.00	2,050.83	2,000.00	2,050.80
229बी शृंखला - 7.67% 30.11.2038 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,539.40	3,627.32	3,539.40	3,627.19
238वीं शृंखला - 7.31% 30.09.2039 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,145.00	2,222.72	2,145.00	2,222.69
240 ए शृंखला - 7.09% 30.11.2039 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,575.00	3,653.40	3,575.00	3,663.83
243 वीं शृंखला - 7.28% 20.02.2040 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,595.00	2,608.67	2,595.00	2,616.32
246 शृंखला - 7.02% 30.04.2040 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,625.00	2,802.01	-	-
कुल - संस्थागत बॉन्ड	**2,12,114.09**	**2,18,826.62**	**2,00,803.29**	**2,06,783.97**

(ii) **अवसरंचना बॉण्ड**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
शृंखला–II (2011–12) – सममूल्य पर विमोचनीय	3.96	10.88	3.96	10.06
कुल : अवसरंचना बॉण्ड	**3.96**	**10.88**	**3.96**	**10.06**

जारी किए गए अवसरंचना बॉण्ड का विवरण इस प्रकार है:

15.02.2012 को आबंटित शृंखला II (2011–12)

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक	विमोचन का विवरण
9.15% संचयी	2.83	2.83	आवंटन की तारीख से 15 साल की अवधि में 15.02.2027 को विमोचन
9.15% वार्षिक	1.13	1.13	
कुल	**3.96**	**3.96**	

राशियों को अंकित मूल्य पर दर्शाया गया है।

(iii) **शून्य कूपन बॉण्ड**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	अंकित मूल्य*	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य*	परिशोधित लाग*
जेडसीबी - बॉण्ड शृंखला 239	2,970.38	2,964.80	**2,795.64**	**2,789.78**
(अप्रभावित छूट के बाद, ₹ 1,00,000 अंकित मूल्य वाले 5,00,000 बॉण्ड, जो 03.11.2034 को सममूल्य पर विमोचन योग्य हैं)				
कुल - शून्य कूपन बॉण्ड	**2,970.38**	**2,964.80**	**2,795.64**	**2,789.78**

**शून्य कूपन बॉण्ड जारी करने पर अमोर्टाइज्ड छूट के अंकित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है*

(iv) विदेशी मुद्रा बॉण्ड (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
2.25% यूएस $500 मिलियन बॉण्ड - 01.09.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	4,732.72	4,739.99	4,279.07	4,282.25
2.75% यूएस $400 मिलियन बॉण्ड - 13.01.2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,786.17	3,807.39	3,423.26	3,440.91
3.875% यूएस $450 मिलियन ग्रीन बॉण्ड - 07.07.2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	4,259.44	4,192.69	3,851.16	3,715.94
4.625% यूएस $300 मिलियन बॉण्ड - 22.03.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,839.63	2,765.30	2,567.44	2,464.82
5.625% यूएस $750 मिलियन बॉण्ड - 11.04.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	7,099.07	7,280.51	6,418.61	6,579.48
1.76% जेपीवाई 31000 मिलियन बॉण्ड - 19.01.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,836.75	1,841.23	1,759.25	1,762.88
1.41% जेपीवाई 27400 मिलियन बॉण्ड - 19.04.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,623.45	1,608.17	1,554.95	1,534.10
4.75% यूएसडी 500 मिलियन बॉण्ड - 27.09.2029 को सममूल्य पर विमोचन योग्य	4,732.72	4,721.46	4,279.07	4,265.34
2.20% जेपीवाई 2700 मिलियन बॉण्ड - 19.01.2034 को सममूल्य पर विमोचनीय	159.98	160.43	153.23	153.64
कुल - विदेशी मुद्रा बॉण्ड	**31,069.93**	**31,117.17**	**28,286.04**	**28,199.36**

ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) प्रोग्राम

कंपनी के पास 10 बिलियन अमरीकी डॉलर का ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) प्रोग्राम है जो एसजीएक्स–एसटी (सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज – सिक्योरिटीज ट्रेडिंग) एलएसई–आईएसएम (लंदन स्टॉक एक्सचेंज – इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट), इंडिया आईएनएक्स (इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज) का ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट (जीएसएम) और एनएसई आईएफएससी (एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज) पर सूचीबद्ध है। जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई निधि का सारांश निम्नानुसार है:

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
जीएमटीएन प्रोग्राम के तहत वर्ष के दौरान जुटाई गई निधि	शून्य	यूएसडी 0.50 बिलियन
जीएमटीएन प्रोग्राम के तहत जुटाई गई संचयी राशि	यूएसडी 6.07 बिलियन	यूएसडी 6.07 बिलियन
जीएमटीएन प्रोग्राम के तहत जुटाई गई निधि में से बकाया राशि	यूएसडी 3.32 बिलियन	यूएसडी 3.32 बिलियन

जुटाई गई राशि का उपयोग प्रस्तावित परिपत्र में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किया गया है। तुलन पत्र की तिथि के अनुसार ऋण प्रतिभूतियों और उधारों के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है तथा कंपनी ने वर्ष के दौरान मूलधन या ब्याज, दोनों से संबंधित अपने सभी ऋण सेवा दायित्वों को पूरा किया है। इसके अलावा, तुलन पत्र की तिथि के अनुसार ऋण समझौतों के तहत किसी भी वित्तीय अनुबंध का उल्लंघन नहीं हुआ है।

20.3 असुरक्षित अल्पकालिक ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(i) वाणिज्यिक पत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
वाणिज्यिक पत्र	3,000.00	2,965.96	-	-

बकाया वाणिज्यिक पत्र का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
69वीं श्रृंखला - 6.25% 10.06.2026 को देय	3,000.00	2,965.96		
कुल	**3,000.00**	**2,965.96**	**-**	**-**

21. उधारियां (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी उधारियों (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा) को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
		बकाया मूलधन	परिशोधित लागत	बकाया मूलधन	परिशोधित लागत
(क)	**अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियां**				
(i)	बैंकों से सावधिक ऋण	64,406.69	64,474.24	41,879.47	41,886.99
(ii)	वित्तीय संस्थानों से सावधिक ऋण	-	-	2,500.00	2,500.00
(iii)	विदेशी मुद्रा में सावधिक ऋण	1,07,178.07	1,06,996.27	94,571.40	94,216.65
(iv)	एफसीएनआर (ख) ऋण	4,732.72	4,733.40	4,279.07	4,279.79
(v)	भारत सरकार (एनएसएसएफ) से सावधिक ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,325.12
	उप–जोड़ (क)	**1,86,317.48**	**1,86,529.03**	**1,53,229.94**	**1,53,208.55**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

	विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
		बकाया मूलधन	परिशोधित लागत	बकाया मूलधन	परिशोधित लागत
(ख)	**अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियां**				
(i)	एफसीएनआर (ख) ऋण	3,408.01	3,408.90	38,902.89	38,920.51
(ii)	बैंकों से मांग पर अल्पावधि ऋण/ऋण प्रतिदेय	3,527.00	3,535.67	1,600.00	1,600.32
(iii)	वित्तीय संस्थानों से अल्पकालिक ऋण / मांग पर प्रतिदेय ऋण	1,500.00	1,500.30	-	-
(iv)	बैंकों से मांग पर ओवरड्राफ्ट्स / नकदी ऋण प्रतिदेय	341.71	341.71	570.78	570.78
	उप–जोड़ (ख)	**8,776.72**	**8,786.58**	**41,073.67**	**41,091.61**
	कुल– उधारियां(ऋण प्रतिभूतियां के अलावा) (क से ख)	**1,95,094.20**	**1,95,315.61**	**1,94,303.61**	**1,94,300.16**
	भारत में / से बाहर उधारियां (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)				
(i)	भारत में उधारियां	87,916.13	88,319.34	99,732.21	1,00,083.51
(ii)	भारत से बाहर उधारियां	1,07,178.07	1,06,996.27	94,571.40	94,216.65
	कुल – उधारियां (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)	**1,95,094.20**	**1,95,315.61**	**1,94,303.61**	**1,94,300.16**

कृपया अंकित मूल्य में प्रतिबिम्बित आंकडों और परिशोधित लागत के आंकडों के बीच पुनर्मिलान के लिए टिप्पणी संख्या 22.2 देखें

21.1 अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियों के विवरण

(i) बैंकों से सावधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	बकाया मूलधन	परिशोधित लागत	बकाया मूलधन	परिशोधित लागत
बैंक ऑफ़ बड़ौदा	7,249.89	7,251.16	2,624.91	2,625.44
₹2249.91 करोड़ 3 वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय, अगली किस्त 30.09.2026 को प्रतिदेय, अंतिम किस्त 30.09.2028 को प्रतिदेय और शेष ₹4999.98 करोड़ 22.09.2028 को प्रतिदेय।				
- जम्मू एवं कश्मीर बैंक	299.94	299.94	299.94	299.94
₹299.94 करोड़ 28.10.2026 को प्रतिदेय				
- साउथ इंडियन बैंक	499.88	499.97	499.89	499.99
₹299.93 करोड़ 08.11.2026 को प्रतिदेय और ₹199.95 करोड़ 04.08.2027 को प्रतिदेय				
- पंजाब नेशनल बैंक	8,299.10	8,300.17	8,962.44	8,963.76
₹1,999.63 करोड़ 11.11.2026 को प्रतिदेय, ₹999.64 करोड़ 29.03.2028 से शुरू होने वाली ₹200 करोड़ की 4 समान वार्षिक किस्तों में और ₹199.64 करोड़ की अंतिम किस्त 29.12.2031 को प्रतिदेय, ₹1,199.99 करोड़ 03.11.2028 को प्रतिदेय, ₹1,999.98 करोड़ 27.12.2028 को प्रतिदेय और ₹2,099.86 करोड़ 19.06.2029 को प्रतिदेय।				
- एचडीएफसी बैंक	17,850.00	17,856.06	17,850.00	17,853.65
₹850 करोड़ 17.11.2026 को प्रतिदेय, ₹2,000 करोड़ 31.03.2027 को प्रतिदेय, ₹2,000 करोड़ 07.09.2027 को प्रतिदेय, ₹2,500 करोड़ 29.12.2027 को प्रतिदेय, ₹2,500 करोड़ 27.02.2028 को प्रतिदेय, ₹1,000 करोड़ 27.06.2028 को प्रतिदेय, ₹1,500 करोड़ 29.06.2028 को प्रतिदेय, ₹4,000 करोड़ 30.09.2028 को प्रतिदेय और ₹1,500 करोड़ 28.12.2028 को प्रतिदेय।				
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	928.49	928.49	899.99	899.99
₹428.49 करोड़ 6 वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय, अगली किस्त 30.03.2027 को प्रतिदेय, अंतिम किस्त 30.03.2032 को और ₹500 करोड़ 28.08.2028 को प्रतिदेय।				
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	9,999.40	10,001.13	3,999.41	4,000.20

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	बकाया मूलधन	परिशोधित लागत	बकाया मूलधन	परिशोधित लागत
₹1,999.65 करोड़ 31.03.2027 से शुरू होने वाली प्रत्येक ₹400 करोड़ की 5 वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय, अंतिम किस्त 31.03.2031 को, ₹499.87 करोड़ 29.09.2028 को प्रतिदेय, ₹499.88 करोड़ 05.11.2028 को प्रतिदेय, ₹2,000 करोड़ का ऋण 16.12.2028 को प्रतिदेय और ₹5,000 करोड़ का ऋण 30.12.2030 को प्रतिदेय।				
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	10,197.00	10,252.77	709.92	709.92
₹2,697 करोड़ 27.12.2027 से शुरू होने वाली ₹299.67 करोड़ की 8 समान अर्धवार्षिक किस्तों में और ₹299.64 करोड़ की शेष 9वीं किस्त 27.12.2031 को प्रतिदेय, ₹1,157 करोड़ 12.11.2030 को प्रतिदेय, ₹3,500 करोड़ 18.01.2031 को प्रतिदेय और ₹2,843 करोड़ 01.02.2031 को प्रतिदेय।				
- आईसीआईसीआई बैंक	8,583.00	8,584.56	5,533.00	5,534.13
₹1,533 करोड़ 15.05.2028 को प्रतिदेय, ₹2,050 करोड़ 29.08.2028 को प्रतिदेय, ₹2,000 करोड़ 09.03.2029 को प्रतिदेय और ₹3,000 करोड़ 23.01.2030 को प्रतिदेय।				
- कर्नाटक बैंक	499.99	499.99	499.97	499.97
₹499.99 करोड़ 27.05.2028 को प्रतिदेय				
कुल – बैंकों से अप्रतिभूत सावधिक ऋण	**64,406.69**	**64,474.24**	**41,879.47**	**41,886.99**

(ii) अन्य से सावधिक ऋण – वित्तीय संस्थान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	बकाया मूलधन	परिशोधित लागत	बकाया मूलधन	परिशोधित लागत
- इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	-	-	2,500.00	2,500.00
₹1500 करोड़ का भुगतान 13.06.2025 को किया गया और ₹1000 करोड़ का भुगतान 27.02.2026 को किया गया।				
कुल - अन्य से असुरक्षित आवधिक ऋण - वित्तीय संस्थान	**-**	**-**	**2,500.00**	**2,500.00**

(iii) विदेशी मुद्रा उधारियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
		बकाया मूलधन	परिशोधित लागत	बकाया मूलधन	परिशोधित लागत
(1)	**ओडीए ऋण - सरकारी गारंटी के बिना**				
	केएफडब्ल्यू -IV ऋण - 15.11.2030 तक यूएस $ 12.00 मिलियन की समान अर्धवार्षिक किस्तों में प्रतिदेय, अगली किस्त 15.05.2026 को देय होगी	1,135.85	1,154.20	1,232.37	1,255.83
	केएफडब्ल्यू -V ऋण - 15.05.2034 तक यूएस $ 8.92 मिलियन की समान अर्धवार्षिक किस्तों में प्रतिदेय, अगली किस्त 15.05.2026 को देय होगी	1,435.51	1,460.37	1,450.60	1,479.93
	केएफडब्ल्यू -VI ऋण - 15.05.2036 तक यूएस $ 14.37 मिलियन की समान अर्धवार्षिक किस्तों में प्रतिदेय, पहली किस्त 15.05.2029 को देय होगी	1,085.03	1,102.85	622.63	629.63
	केएफडब्ल्यू -VII ऋण - 15.05.2037 तक € 10.53 मिलियन की समान अर्धवार्षिक किस्तों में प्रतिदेय, पहली किस्त 15.05.2028 को देय होगी	980.46	982.99	-	-
	उप-जोड़ (1)	**4,636.85**	**4,700.41**	**3,305.60**	**3,365.39**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

	विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
		बकाया मूलधन	परिशोधित लागत	बकाया मूलधन	परिशोधित लागत
(2)	द्विपक्षीय / सिंडिकेटेड ऋण				
	यूएस $75 मिलियन - 02.04.2025 को प्रतिदेय	-	-	641.86	651.58
	जेपीवाई ¥ 10.519 बिलियन - 25.09.2025 को प्रतिदेय	-	-	596.95	595.88
	यूएस $170 मिलियन - $100 मिलियन 26.03.2025 को चुकाए गएऔर $ 70 मिलियन 06.10.2025 को प्रतिदेय	-	-	599.07	600.57
	यूएस $425 मिलियन - 16.03.2026 को प्रतिदेय	-	-	3,637.21	3,634.16
	यूएस $600 मिलियन - 25.08.2026 को प्रतिदेय	5,679.26	5,699.12	5,134.88	5,137.56
	यूएस $75 मिलियन - 07.10.2026 को प्रतिदेय	709.91	726.79	641.86	656.56
	यूएस $1175 मिलियन - 29.12.2026 को प्रतिदेय	11,121.88	11,080.67	10,055.81	9,978.86
	जेपीवाई ¥ 37.506 बिलियन - 03.03.2027 को प्रतिदेय	2,222.27	2,217.26	2,128.50	2,115.64
	यूएस $100 मिलियन - 13.06.2027 को प्रतिदेय	946.54	945.81	855.81	853.04
	यूएस $45 मिलियन - 02.07.2027 को प्रतिदेय	425.94	427.79	385.12	386.94
	यूएस $200 मिलियन - 28.07.2027 को प्रतिदेय	1,893.09	1,902.48	1,711.63	1,717.47
	यूएस $150 मिलियन - 13.09.2027 को प्रतिदेय	1,419.81	1,417.74	1,283.72	1,278.74
	एसजीडी 213.21 मिलियन - 27.10.2027 को प्रतिदेय	1,568.26	1,564.17	1,358.36	1,353.58
	€ 254.19 मिलियन - 31.10.2027 को प्रतिदेय	2,770.88	2,771.70	2,346.84	2,342.96
	€ 349.83 मिलियन - 27.03.2028 को प्रतिदेय	3,813.37	3,790.51	3,229.79	3,199.82
	यूएस $50 मिलियन - 09.04.2028 को प्रतिदेय	473.27	474.83	-	-
	यूएस $25 मिलियन - 09.04.2028 को प्रतिदेय	236.64	237.31	-	-
	जेपीवाई ¥ 38.624बिलियन - 20.04.2028 को प्रतिदेय	2,288.49	2,288.16	2,191.93	2,181.58
	जेपीवाई 10.495 बिलियन - 26.06.2028 को प्रतिदेय	621.84	619.93	595.60	591.29
	यूएस $505 मिलियन - 03.08.2028 को प्रतिदेय	4,780.04	4,768.67	4,321.86	4,297.39
	यूएस $645 मिलियन - 31.08.2028 को प्रतिदेय	6,105.20	6,068.41	5,520.00	5,465.21
	यूएस $100 मिलियन - 14.09.2028 को प्रतिदेय	946.54	948.62	855.81	857.81
	जेपीवाई ¥ 68.485 बिलियन - 21.09.2028 को प्रतिदेय	4,057.75	4,012.53	3,886.54	3,824.80
	यूएस $100 मिलियन - 25.09.2028 को प्रतिदेय	946.54	937.33	855.81	843.90
	जेपीवाई ¥ 14.358 बिलियन - 09.01.2029 को प्रतिदेय	850.74	854.35	814.84	817.66
	यूएस $100 मिलियन - 06.02.2029 को प्रतिदेय	946.54	944.02	855.81	851.32
	जेपीवाई ¥ 22.101 बिलियन - 15.02.2029 को प्रतिदेय	1,309.48	1,299.59	1,254.23	1,240.19
	यूएस $200 मिलियन - 07.03.2029 को प्रतिदेय	1,893.09	1,874.73	1,711.63	1,688.89
	जेपीवाई ¥ 22.041बिलियन - 19.03.2029 को प्रतिदेय	1,305.93	1,293.65	1,250.83	1,235.03
	जेपीवाई ¥ 14.847 बिलियन - 21.03.2029 को प्रतिदेय	879.68	874.18	842.57	835.43
	यूएस $225 मिलियन - 27.03.2029 को प्रतिदेय	2,129.72	2,102.36	1,925.58	1,893.38
	जेपीवाई ¥ 60.536 बिलियन - 25.04.2029 को प्रतिदेय	3,586.76	3,537.06	3,435.42	3,361.97
	जेपीवाई ¥ 9.376 बिलियन - 17.05.2029 को प्रतिदेय	555.50	555.56	532.07	532.09
	यूएस $300 मिलियन - 04.06.2029 को प्रतिदेय	2,839.63	2,857.65	2,567.44	2,581.13
	यूएस $90मिलियन - 13.06.2029 को प्रतिदेय	851.89	856.77	770.23	774.23
	जेपीवाई ¥ 32.222 बिलियन - 28.06.2029 को प्रतिदेय	1,909.15	1,900.40	1,828.60	1,813.54
	यूएस $300मिलियन - 10.07.2029 को प्रतिदेय	2,839.63	2,840.61	2,567.44	2,564.53
	जेपीवाई ¥ 31.964 बिलियन - 30.07.2029 को प्रतिदेय	1,893.87	1,903.00	1,813.96	1,820.99
	यूएस $125मिलियन - 30.10.2029 को प्रतिदेय	1,183.18	1,197.01	1,069.77	1,082.36
	जेपीवाई ¥ 12.80 बिलियन - 13.11.2029 को प्रतिदेय	758.40	758.72	726.40	722.57
	यूएस $75 मिलियन - 05.12.2029 को प्रतिदेय	709.91	721.60	641.86	653.83
	जेपीवाई ¥ 45.02 बिलियन - 06.12.2029 को प्रतिदेय	2,667.41	2,648.88	2,554.86	2,518.16
	यूएस $250 मिलियन - 26.12.2029 को प्रतिदेय	2,366.36	2,374.14	2,139.54	2,144.83
	यूएस $320 मिलियन - 22.01.2030 को प्रतिदेय	3,028.94	3,028.89	2,738.60	2,732.25
	यूएस $250 मिलियन - 07.02.2030 को प्रतिदेय	2,366.36	2,356.33	2,139.54	2,123.61

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	बकाया मूलधन	परिशोधित लागत	बकाया मूलधन	परिशोधित लागत
जेपीवाई ¥ 29.642 बिलियन - 19.03.2030 को प्रतिदेय	1,756.29	1,747.00	1,682.18	1,670.32
यूएस $300 मिलियन - 02.06.2030 को प्रतिदेय	2,839.63	2,900.35	2,567.44	2,627.61
यूएस $150 मिलियन - 03.07.2030 को प्रतिदेय	1,419.81	1,416.46	-	-
यूएस $300 मिलियन - 04.09.2030 को प्रतिदेय	2,839.63	2,808.52	-	-
यूएस $150 मिलियन - 12.12.2030 को प्रतिदेय	1,419.81	1,401.37	-	-
यूएस $250 मिलियन - 25.03.2031 को प्रतिदेय	2,366.36	2,342.83	-	-
उप– जोड़ – (2)	**1,02,541.22**	**1,02,295.86**	**91,265.80**	**90,851.26**
कुल- विदेशी मुद्रा उधारियां (1+2)	**1,07,178.07**	**1,06,996.27**	**94,571.40**	**94,216.65**

(iv) एफसीएनआर (ख) ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	बकाया मूलधन	परिशोधित लागत	बकाया मूलधन	परिशोधित लागत
यूएस $500 मिलियन - 10.12.2027 को प्रतिदेय	4,732.72	4,733.40	4,279.07	4,279.79
कुल- एफसीएनआर (ख) ऋण	**4,732.72**	**4,733.40**	**4,279.07**	**4,279.79**

(v) भारत सरकार से सावधिक ऋण-नेशनल स्माल सेविंग्स फ़ंड (एनएसएसएफ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	बकाया मूलधन	परिशोधित लागत	बकाया मूलधन	परिशोधित लागत
- एनएसएसएफ से ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,325.12
13.12.2028 को ₹5000 करोड़ प्रतिदेय एवं 04.10.2029 को ₹5000 करोड़ प्रतिदेय				
कुल – सरकार से सावधिक ऋण	**10,000.00**	**10,325.12**	**10,000.00**	**10,325.12**

21.2 अप्रतिभूत अल्पावधि उधारिया

(i) एफसीएनआर (बी) ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	बकाया मूलधन	परिशोधित लागत	बकाया मूलधन	परिशोधित लागत
यूएस $148.039 मिलियन - 03.04.2025 को चुकाए गए	-	-	1,266.94	1,267.86
यूएस $62.01 मिलियन - 03.04.2025 को चुकाए गए	-	-	530.69	531.08
यूएस $150 मिलियन - 08.04.2025 को चुकाए गए	-	-	1,283.72	1,283.96
यूएस $85.547 मिलियन - 17.04.2025 को चुकाए गए	-	-	732.13	732.67
यूएस $100 मिलियन - 23.04.2025 को चुकाए गए	-	-	855.81	855.98
यूएस $150 मिलियन - 25.04.2025 को चुकाए गए	-	-	1,283.72	1,283.97
यूएस $200 मिलियन - 02.05.2025 को चुकाए गए	-	-	1,711.63	1,711.96
यूएस $150 मिलियन - 06.05.2025 को चुकाए गए	-	-	1,283.72	1,283.97
यूएस $240.103 मिलियन - 23.05.2025को चुकाए गए	-	-	2,054.84	2,055.17
यूएस $124.099 मिलियन - 23.05.2025 को चुकाए गए	-	-	1,062.06	1,062.84
यूएस $75.15 मिलियन - 23.05.2025को चुकाए गए	-	-	643.14	643.62
यूएस $75 मिलियन - 06.06.2025 को चुकाए गए	-	-	641.86	642.33
यूएस $44 मिलियन - 11.06.2025 को चुकाए गए	-	-	376.56	376.84
यूएस $49 मिलियन - 12.06.2025 को चुकाए गए	-	-	419.35	419.63
यूएस $119.793 मिलियन - 27.06.2025 को चुकाए गए	-	-	1,025.20	1,025.20
यूएस $120 मिलियन - 27.06.2025 को चुकाए गए	-	-	1,026.98	1,027.14
यूएस $125 मिलियन - 03.07.2025को चुकाए गए	-	-	1,069.77	1,069.97
यूएस $200 मिलियन - 09.07.2025 को चुकाए गए	-	-	1,711.63	1,711.95
यूएस $150 मिलियन - 17.07.2025 को चुकाए गए	-	-	1,283.72	1,283.96
यूएस $250 मिलियन - 22.08.2025 को चुकाए गए	-	-	2,139.54	2,139.91

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	बकाया मूलधन	परिशोधित लागत	बकाया मूलधन	परिशोधित लागत
यूएस $200 मिलियन - 04.09.2025 को चुकाए गए	-	-	1,711.63	1,711.92
यूएस $60 मिलियन - 15.10.2025 को चुकाए गए	-	-	513.49	513.83
यूएस $150 मिलियन - 16.10.2025 को चुकाए गए	-	-	1,283.72	1,283.94
यूएस $100 मिलियन - 07.11.2025 को चुकाए गए	-	-	855.81	856.38
यूएस $100 मिलियन - 25.11.2025 को चुकाए गए	-	-	855.81	855.96
यूएस $100 मिलियन - 26.11.2025 को चुकाए गए	-	-	855.81	855.96
यूएस $200 मिलियन - 05.12.2025 को चुकाए गए	-	-	1,711.63	1,712.76
यूएस $141 मिलियन - 11.12.2025 को चुकाए गए	-	-	1,206.70	1,207.50
यूएस $75 मिलियन - 12.12.2025 को चुकाए गए	-	-	641.86	642.28
यूएस $225 मिलियन - 17.12.2025 को चुकाए गए	-	-	1,925.58	1,925.91
जेपीवाई ¥ 34.229 बिलियन - 18.12.2025 को चुकाए गए	-	-	1,942.50	1,942.50
यूएस $100 मिलियन - 14.01.2026 को चुकाए गए	-	-	855.81	859.96
यूएस $150 मिलियन - 13.02.2026 को चुकाए गए	-	-	1,283.72	1,283.94
यूएस $100 मिलियन - 18.03.2026 को चुकाए गए	-	-	855.81	857.66
यूएस $210.05 मिलियन - 02.04.2026 को प्रतिदेय	1,988.20	1,988.86	-	-
यूएस $150 मिलियन - 09.04.2026 को प्रतिदेय	1,419.81	1,420.04	-	-
कुल-एफसीएनआर (ख) ऋण	**3,408.01**	**3,408.90**	**38,902.89**	**38,920.51**

(ii) **अल्पावधि ऋण/बैंकों से मांग पर प्रतिदेय वाले ऋण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	बकाया मूलधन	परिशोधित लागत	बकाया मूलधन	परिशोधित लागत
- केईबी हाना बैंक	-	-	100.00	100.02
13.11.2025 को ₹ 100 करोड़ चुकाए गए				
- एचडीएफसी बैंक	-	-	1,500.00	1,500.30
24.11.2025 को ₹ 1,500 करोड़ चुकाए गए				
- साउथ इंडियन बैंक	150.00	150.02	-	-
03.04.2026 को ₹ 150 करोड़ चुकाए गए				
- पंजाब नेशनल बैंक	209.00	209.04	-	-
10.05.2026 को ₹ 209 करोड़ चुकाए गए				
- इंडियन बैंक	550.00	550.00	-	-
28.06.2026 को ₹ 550 करोड़ चुकाए गए				
- भारतीय स्टेट बैंक	1,618.00	1,626.45	-	-
01.08.2026 को ₹ 1,618 करोड़ चुकाए गए				
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा	1,000.00	1,000.16	-	-
₹700 करोड़ 24.09.2026 को देय, ₹125 करोड़ 29.09.2026 को देय तथा ₹175 करोड़ 30.09.2026 को देय हैं।				
कुल- अल्पावधि ऋण/बैंकों से मांग पर प्रतिदेय वाले ऋण	**3,527.00**	**3,535.67**	**1,600.00**	**1,600.32**

(iii) **वित्तीय संस्थानों से अल्पकालिक ऋण / मांग पर प्रतिदेय ऋण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	बकाया मूलधन	परिशोधित लागत	बकाया मूलधन	परिशोधित लागत
- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	1,500.00	1,500.30	-	-
₹1500 करोड़ (26.03.2027 को प्रतिदेय				
कुल - वित्तीय संस्थानों से अल्पकालिक ऋण/मांग पर देय ऋण	**1,500.00**	**1,500.30**	**-**	**-**

21.3 **नोट संख्या 21.1 (i), (ii), (v) में यथाउल्लिखित बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / सरकार से सावधिक ऋण 5.32% से 8.29% (पिछले वर्ष 7.05% से 8.29%) मासिक, तिमाही एवं अर्धवार्षिक ब्याज दरों पर देय है।**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

21.4 नोट संख्या 21.1(iii) और (iv) में उल्लिखित विदेशी मुद्रा उधार/ऋण, उन मामलों को छोड़कर जहां दर का उल्लेख किया गया है, विदेशी बेंचमार्कों के ऊपर 13 बीपीएस से 210 बीपीएस (पिछले वर्ष 13 बीपीएस से 210 बीपीएस) के स्प्रेड (अन्तर) की सीमा में परिवर्तनीय ब्याज दरों पर जुटाए गए हैं। इन बाहरी बेंचमार्कों में ओवरनाइट एसओएफआर (सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट), 3/6 महीने का टर्म एसओएफआर, एसओआरए (सिंगापुर ओवरनाइट रेट एवरेज), टीओएनएआर (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट), 3/6 महीने का ईयूआएआईबीओआरर (यूरो इंटर बैंक ऑफर्ड रेट) और नए बेंचमार्क दरों पर ऋणों के संक्रमण/परिवर्तन पर यथा लागू क्रेडिट एडजस्टमेंट स्प्रेड (सीएएस) शामिल हैं।

21.5 कंपनी द्वारा चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से कोई भी ऋण प्राप्त नहीं किया गया है।

21.6 ऋण प्रतिभूतियों एवं उधारियों की प्रतिभूति का सुरक्षा विवरण

कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षित बॉण्ड और तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बकाया के लिए, कुछ अचल संपत्तियों पर बंधक के रूप में 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है और/या कंपनी की प्राप्तियों पर शुल्क लगाया गया है।

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड दुकान नंबर 12, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक नंबर 35, चर्च रोड, मायलापुर, चेन्नई के परिसर में प्रथम पैरी पासु चार्ज और महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के ₹4,998.66 करोड़ की चुनिंदा ऋण संपत्तियों को विस्तारा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड) के पक्ष में बंधक बनाकर सुरक्षित किए गए हैं। "

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में कंपनी की बुक डेब्ट (विशेष रूप से उधारदाताओं / अन्य ट्रस्टियों को चार्ज / निर्धारित किए गए के अलावा) पर पहले पैरी पासु चार्ज द्वारा सुरक्षित हैं।

वित्त वर्ष 2012-13 और 2015-16 के दौरान जारी किए गए कर छूट बॉण्ड (ए) परिसर के बंधक पर उप प्लॉट नंबर 8, टीपीएस नंबर 2, एफपी नंबर 584पी, ग्राम सुभानपुरा, जिला वडोदरा में स्थित प्रथम पैरी पासु चार्ज द्वारा सुरक्षित किया गया है और (बी) एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में प्राप्य (उन संपत्तियों के अलावा जो ऋणदाताओं/अन्य ट्रस्टियों को विशेष रूप से चार्ज/निर्धारित की गई हैं) का बंधक।

54ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड की बॉण्ड शृंखला XV, XVI, XVII, XVIII और XIX को एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में ऋण परिसंपत्तियों (उन संपत्तियों के अलावा जो विशेष रूप से उधारदाताओं / अन्य ट्रस्टियों के लिए चार्ज / निर्धारित किए गए हैं) के बंधक पर पैरी पासु चार्ज द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं।

प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई ऋण परिसंपत्तियों तथा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के बही मूल्य के संदर्भ हेतु नोट संख्या 10 और 16.2 देखें।

21.7 संबंधित वैधानिक तिथि से परे कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि दर्ज नहीं की गई है।

22. अधीनस्थ देयताएं

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओ के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
		अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(i)	**175वीं शृंखला – अधीनस्थ टियर–II बॉण्ड्स –** 8.97% सममूल्य पर 28.03.2029 को विमोचनीय	2,151.20	2,100.50	2,151.20	2,136.98
(ii)	**199वीं शृंखला – अधीनस्थ टियर–II बॉण्ड्स –** 7.96% सममूल्य पर 15.06.2030 को विमोचनीय	1,999.50	2,042.18	1,999.50	2,093.18
(iii)	**222वीं शृंखला - स्थायी टियर-I बॉण्ड्स -** 30.04.2033 को कॉल विकल्प के साथ 7.98% और उसके बाद वार्षिक वर्षगांठ की तारीख पर	2,000.00	2,144.79	2,000.00	2,144.57
(iv)	**226वीं शृंखला - स्थायी टियर-I बॉण्ड्स -** 30.09.2033 को कॉल विकल्प के साथ 8.03% और उसके बाद वार्षिक वर्षगांठ की तारीख पर	1,090.00	1,132.75	1,090.00	1,132.65
(v)	**244 वीं शृंखला - स्थायी टियर-I बॉण्ड्स -** 28.02.2035 को कॉल विकल्प के साथ 7.99% और उसके बाद वार्षिक वर्षगांठ की तारीख पर	1,995.00	2,006.53	1,995.00	2,006.78
	कुल - अधीनस्थ देयताएं	**9,235.70**	**9,426.75**	**9,235.70**	**9,514.16**
	भारत में/ बाहर अधीनस्थ देयताएं				
(i)	भारत में उधारियां	9,235.70	9,426.75	9,235.70	9,514.16
(ii)	भारत से बाहर उधारियां	-	-	-	-
	कुल - अधीनस्थ देयताएं	**9,235.70**	**9,426.75**	**9,235.70**	**9,514.16**

अंकित मूल्य और परिशोधन लागत में दर्शाए गए आंकड़े के बीच समाधान के लिए टिप्पणी संख्या 22.2 देखें।

22.1 वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग तथा रेटिंग में बदलाव

विवरण	रेटिंग
घरेलू दीर्घ–अवधि उधारिया	क्रिसिल एएए, आईसीआरए एएए, केयर एएए, आईएनडी एएए
घरेलू दीर्घावधि प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक्ड डिबेंचर	क्रिसिल पीपी–एमएलडी एएए, इक्रा पीपी–एमएलडी एएए
घरेलू स्थायी बॉण्ड	क्रिसिल एएए, केयर एए+
घरेलू अल्पावधि उधारिया	क्रिसिल ए1+, आईसीआरए ए1+, केयरए1+, आईएनडी ए1+
अंतर्राष्ट्रीय दीर्घावधि जारीकर्ता रेटिंग	बीबीबी– (फिच), बीएए3 (मूडीज), बीबीबी+ (जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी)

वर्ष के दौरान रेटिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

22.2 उधारियों के संबंध में वहनीय मूल्य और बकाया संविदात्मक राशि के बीच समाधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण प्रतिभूतिया	अन्य उधारिया	अधीनस्थ देयताए	कुल
31 मार्च 2026 तक				
इंड-एएस के तहत कुल राशि	**3,10,029.49**	**1,95,315.61**	**9,426.75**	**5,14,771.85**
घटाएं: इंड-एएस के तहत उसी शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(9,090.28)	(1,034.50)	(333.35)	(10,458.13)
जोड़ें: ईआईआर सहित इंड-एएस समायोजन	508.31	813.09	142.30	1,463.70
कुल बकाया उधारियां	**3,01,447.52**	**1,95,094.20**	**9,235.70**	**5,05,777.42**
31 मार्च 2025 तक				
इंड-एएस के तहत कुल राशि	**2,92,474.93**	**1,94,300.16**	**9,514.16**	**4,96,289.25**
घटाएं: इंड-एएस के तहत उसी शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(8,293.10)	(952.79)	(333.79)	(9,579.68)
जोड़ें: ईआईआर सहित इंड-एएस समायोजन	537.37	956.24	55.33	1,548.94
कुल बकाया उधारियां	**2,84,719.20**	**1,94,303.61**	**9,235.70**	**4,88,258.51**

22.3 कंपनी बैंकों / वित्तीय संस्थानों / सरकारी एजेंसियों से सावधिक ऋणों के मिश्रण और ऋण प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से विभिन्न अवधियों बॉण्ड के माध्यम से विभिन्न मुद्राओं में धन जुटाती है। वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का उपयोग प्रस्ताव लिखत / सूचना ज्ञापन में बताई गई वस्तुओं (प्रयोजनों) के लिए किया गया है। इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों, उधारियों और अधीनस्थ देयताओं के पुनर्भुगतान में तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार कोई चूक नहीं हुई है और कंपनी ने अपने सभी ऋण चुकाने संबंधी सभी बाध्यताओं को पूरा किया है, चाहे वे वर्ष के दौरान मूलधन या ब्याज से संबंधित क्यों न रही हों। इसके अलावा, कंपनी द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों, उधारियों तथा ऋण प्रतिभूतियों संबंधी प्रसंविदा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

22.4 कंपनी को विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी पक्षकार (वित्तपोषक पक्षकार/ से इस समझ के साथ कोई भी निधि प्राप्त नहीं हुई है कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तपोषक पक्षकार की ओर से या उसके द्वारा चिन्हित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थियों) को ऋण देगी या निवेश करेगी अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई अन्य सुरक्षा प्रदान करेगी।

23. **अन्य वित्तीय देयताए**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(क)	**अप्रदत्त लाभांश (नोट 23.1 देखें)**	91.62	1,079.07
(ख)	**अप्रदत्त मूलधन एवं बॉण्ड पर ब्याज (नोट 23.1 देखें)**		
	अदावाकृत परिपक्व बॉन्ड	24.43	26.99
	बॉन्ड पर अनदावाकृत ब्याज	12.17	13.03
	उप-जोड़ (ख)	**36.60**	**40.02**
(ग)	**होल्डिंग कंपनी को देय**	0.42	-
(घ)	**वेरिएशन मार्जिन के लिए प्राप्त अग्रिम**	11,089.41	10,579.60
(ङ)	**सब्सिडी/अनुदान (संचयी) के रूप में संवितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां**	96,280.91	96,280.91
	जोड़ें: सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज (वापसी का निवल)	3.66	3.62
	घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित (संचयी)/भारत सरकार को वापस की गई राशि	(96,284.57)	(96,271.36)
	सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरित की जाने वाली असंवितरित निधि	-	13.17
(च)	**भारत सरकार द्वारा पूर्णतया सर्विसड प्रदत्त बॉण्ड हेतु देय**	24,318.29	24,318.29
(छ)	**पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना - भुगतान सुरक्षा तंत्र के तहत संवितरण हेतु भारत सरकार से प्राप्त निधि**	100.01	-
(ज)	**अन्य देयताएं***	1,468.09	**1,494.51**
	कुल (क से ज)	**37,104.44**	**37,524.66**

**इसमें उधारकर्ताओं से प्राप्त वे राशियाँ शामिल हैं, जो ऋण समझौते की संविदात्मक शर्तों के अनुसार विनियोजन के अधीन हैं।*

23.1 अवैतनिक लाभांश, अवैतनिक मूलधन और बांड पर ब्याज में वे राशियाँ शामिल हैं, जिनका या तो निवेशकों द्वारा दावा नहीं किया गया है या जो निवेशकों के दावों आदि के अनुरूप औपचारिकताओं के लंबित रहने के कारण रोक दी गई हैं। 31 मार्च 2026 तक निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ़) में हस्तांतरित की जाने वाली राशि ₹1.06 करोड़ (31 मार्च 2025 तक ₹0.83 करोड़) है, जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर हस्तांतरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अदत्त लाभांश में कंपनी द्वारा घोषित अंतरिम लाभांश से संबंधित शून्य (पिछले वर्ष ₹947.96 करोड़) की राशि भी शामिल है, जिसके लिए शेष राशि निर्धारित बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई है, लेकिन अभी तक शेयरधारकों को इसका भुगतान नहीं किया गया है।

23.2 सब्सिडी अंडर एक्सेलरेटेड जनरेशन एंड सप्लाई प्रोग्राम (एजीएंडएसपी) के तहत सब्सिडी:

कंपनी एक ब्याज सब्सिडी निधि खाता बनाए रखती है और उसे भारत सरकार द्वारा एजी एंड एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरण के लिए) दी गई थी, जिसकी गणना भारत सरकार के पत्र डी.ओ.सं. 32024/17/97-पीएफ़सी दिनांक 23.09.1997 और ओ.एम.सं. 32024/23/2001-पीएफ़सी दिनांक 07.03.2003 के अनुसार सांकेतिक दरों और वर्ष पर की गई शुद्ध वर्तमान मूल्य पर की गई थी, भले ही पात्र योजनाओं के वास्तविक पुनर्भुगतान कार्यक्रम, स्थगन वर्ष और पुनर्भुगतान की अवधि कुछ भी हो। निकासी के समय विचार किए गए सांकेतिक दर और वर्ष और वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के समाप्त होने के बाद ही पता लगाया जा सकता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च 2026 को शून्य (31 मार्च 2025 को ₹0.79 करोड़) की शुद्ध राशि, ब्याज सब्सिडी कोष की शेष राशि को दर्शाती है, जिसे विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को वापस कर दिया गया है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
ब्याज सब्सिडी निधि का आरंभिक शेष	0.79	0.77
जोड़ेः वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	-	0.02
घटाएं: उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी/भारत सरकार को वापस की गई राशि	0.79	-
ब्याज सब्सिडी निधि का अंतिम शेष	**-**	**0.79**

23.3 भारत सरकार ने कंपनी को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। इन योजनाओं के तहत विभिन्न एजेंसियों को संवितरण के लिए प्राप्त निधियां संबंधित अलग-अलग बैंक खातों में रखी जाती हैं। इन योजनाओं के तहत असंवितरित निधियां (भूतपूर्व आरजीजीवीवाई योजना के तहत प्राप्त निधियों सहित), जिसमें उस पर अर्जित ब्याज भी शामिल है, को "अन्य वित्तीय देयताएं" के तहत "सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरित की जाने वाली असंवितरित निधियां" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। वर्ष के दौरान, ऐसी योजनाएं बंद होने के कारण इनके तहत ₹10.72 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की असंवितरित राशि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिदेय कर दी गई है।

23.4 सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज का संचलन निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष	3.62	3.56
जोड़: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	0.04	0.16
घटाएं : वर्ष के दौरान सरकार को वापस/समायोजित की गई राशि	3.66	0.10
अंतिम शेष	**-**	**3.62**

23.5 डीडीयूजीजेवाई योजना के लिए भारत सरकार की वित्तपोषण आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वर्ष के दौरान, कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर ₹ 10 लाख के अंकित मूल्य के डिबेंचर की प्रकृति में असुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड के माध्यम से कुल ₹ शून्य (पिछले वर्ष शून्य) की धनराशि जुटाई है। वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के दिनांक 2 दिसंबर, 2020 और 3 मार्च, 2021 के पत्र के अनुसार, उपरोक्त बांड के मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान भारत सरकार द्वारा विद्युत मंत्रालय की मांग में उपयुक्त बजट प्रावधान करके किया जाएगा। तदनुसार, ऐसे बांड की राशि ब्याज सहित कंपनी द्वारा भारत सरकार से वसूली योग्य प्रतीत हो रही है (नोट 12)।

भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवाप्रदत्त जुटाये गए बॉण्ड्स का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	कूपन दर	ब्याज की आवृत्ति	विमोचन की तिथि	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
भारत सरकार-I शृंखला	8.09%	अर्द्ध- वार्षिक	21.03.2028	1,837.00	1,837.00
भारत सरकार-II शृंखला	8.01%	अर्द्ध- वार्षिक	24.03.2028	1,410.00	1,410.00
भारत सरकार-III शृंखला	8.06%	अर्द्ध- वार्षिक	27.03.2028	753.00	753.00
भारत सरकार-IV शृंखला	8.70%	अर्द्ध- वार्षिक	28.09.2028	3,000.00	3,000.00
भारत सरकार-V शृंखला	8.54%	अर्द्ध- वार्षिक	15.11.2028	3,600.00	3,600.00
भारत सरकार-VI शृंखला	8.80%	अर्द्ध- वार्षिक	22.01.2029	2,027.00	2,027.00
भारत सरकार-VII शृंखला	8.60%	अर्द्ध- वार्षिक	08.03.2029	1,200.00	1,200.00
भारत सरकार-VIII शृंखला	8.30%	अर्द्ध- वार्षिक	25.03.2029	4,000.00	4,000.00
भारत सरकार- IX शृंखला	7.14%	अर्द्ध- वार्षिक	02.03.2030	1,500.00	1,500.00
भारत सरकार- X शृंखला	8.25%	अर्द्ध- वार्षिक	26.03.2030	532.30	532.30
भारत सरकार- XI शृंखला	7.20%	अर्द्ध- वार्षिक	31.03.2030	1,750.00	1,750.00
भारत सरकार- XII शृंखला	6.45%	अर्द्ध- वार्षिक	07.01.2031	1,000.00	1,000.00
भारत सरकार- XIII शृंखला	6.63%	अर्द्ध- वार्षिक	28.01.2031	1,000.00	1,000.00
भारत सरकार- XIV शृंखला	6.50%	अर्द्ध- वार्षिक	26.03.2031	500.00	500.00
कुल				**24,109.30**	**24,109.30**

24. **प्रावधान**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
	निम्न के लिए प्रावधान		
(क)	**कार्मिक हितलाभ**		
	उपदान	-	3.26
	अर्जित अवकाश देयता	41.69	38.98
	चिकित्सा अवकाश देयता	23.55	23.44
	निपटान भत्ता	2.33	2.56
	आर्थिक पुनर्वास योजना	7.19	6.70

लेखा संबंधी टिप्पणियां

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
	दीर्घ सेवा अवार्ड	4.89	5.17
	प्रोत्साहन	38.33	37.40
	अन्य	0.71	0.80
	उप–जोड़ (क)	**118.69**	**118.31**
(ख)	**अन्य**		
	सुविधा पत्रों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि	33.54	18.48
	अनाहरित प्रतिबद्धताओं पर अपेक्षित क्रेडिट हानि	282.71	-
	अव्ययित निगम सामाजिक दायित्व(सीएसआर) खाता	163.71	-
	उप–जोड़ (ख)	**479.96**	**18.48**
	कुल (क + ख)	**598.65**	**136.79**

24.1 सुविधा पत्र पर अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
आरंभिक शेष	18.48	32.02
जोड़ें: वर्ष के दौरान सृजित	30.06	16.90
घटाएं : वर्ष के दौरान वापस किया गया / समायोजित किया गया	(15.00)	(30.44)
अंतिम शेष	**33.54**	**18.48**

24.2 कंपनी के पास ऋण जोखिम का अधिकतम जोखिम ₹ 6,234.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7,990.22 करोड़) (क्षति हानि भत्ते के बाद शुद्ध) है, जो उधारकर्ताओं की ओर से वित्तीय गारंटी के रूप में बैंकों को जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट से संबंधित है।

24.3 सुविधा पत्र पर अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान में गतिशीलता

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
आरंभिक शेष	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान सृजित	282.71	-
घटाएं : वर्ष के दौरान वापस किया गया / समायोजित किया गया	-	-
अंतिम शेष	**282.71**	**-**

25. अन्य गैर – वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(क)	सनड्राई देयताओं का लेखा (ब्याज पूंजीकरण)	44.73	46.67
(ख)	पूंजी खाते के प्रति देय देयता	48.38	48.38
(ग)	असंवितरित ऋणों पर अपरिशोधित शुल्क	134.87	75.14
(घ)	भारत सरकार की तरफ से सरकारी योजनाओं के संबंध में अग्रिम प्राप्य	-	0.08
(ङ)	सांविधिक देय	109.74	91.88
	कुल (क से च)	**337.72**	**262.15**

26. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत :				
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	5,00,00,00,000	5,000.00	5,00,00,00,000	5,000.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त:				
प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	2,63,32,24,000	2,633.22	2,63,32,24,000	2,633.22
कुल	**2,63,32,24,000**	**2,633.22**	**2,63,32,24,000**	**2,633.22**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

26.1 वर्ष की शुरुआत और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष के लिए		31-03-2025 को समाप्त वर्ष के लिए	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
वर्ष के प्रारंभ में पूंजीगत शेयरों की संख्या	2,63,32,24,000	2,633.22	2,63,32,24,000	2,633.22
जोड़ेः वर्ष के दौरान जारी एवं आबंटित शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में पूंजीगत शेयर	**2,63,32,24,000**	**2,633.22**	**2,63,32,24,000**	**2,633.22**

26.2 पिछले वर्ष और पिछले पांच वर्षों के दौरान बोनस शेयरों का आबंटन

चालू वर्ष और पिछले पांच वर्षों के दौरान, कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 को छोड़कर कोई बोनस शेयर जारी नहीं किए गए, जब कंपनी ने रिकॉर्ड तिथि यानी 18 अगस्त 2022 को बकाया प्रत्येक 3 (तीन) इक्विटी शेयर के लिए 1 (एक) इक्विटी शेयर के अनुपात में बोनस शेयरों के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान किए गए 65,83,06,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए थे। 'सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट' में जमा राशि में से 658.30 करोड़ रुपये का पूंजीकरण किया गया।

26.3 कंपनी ने नकद में प्राप्त किए जा रहे भुगतान के बिना संविदा के अनुसरण में न तो कोई इक्विटी शेयर जारी किया है और न ही वर्तमान वर्ष और तुलन-पत्र की तिथि के पूर्व के पांच वर्षों में शेयरों की कोई बॉयबैक की है।

26.4 इक्विटी शेयर के अधिकार, अधिमानित और प्रतिबंध

कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें आनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को, कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों (लागू सीमा में), कंपनी अधिनियम, 1956 (लागू सीमा में), सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और संस्था के ज्ञापन तथा एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार ऐसे सभी अधिकार प्राप्त हैं।

26.5 तुलन पत्र की तिथि के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकः

शेयरधारक का नाम	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	शेयरों की सं.	प्रतिशत	शेयरों की सं.	प्रतिशत
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,38,59,93,662	52.63%	1,38,59,93,662	52.63%

26.6 अनुषंगी और संबद्ध कंपनियों सहित कंपनी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण

कंपनी का नाम	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	शेयरों की सं.	प्रतिशत	शेयरों की सं.	प्रतिशत
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,38,59,93,662	52.63%	1,38,59,93,662	52.63%

26.7 अनुषंगी और संबद्ध कंपनियों सहित कंपनी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31-03-2026 तक			31-03-2025 तक		
	शेयरों की सं.	प्रतिशत	% वर्ष के दौरान परिवर्तन	शेयरों की सं.	प्रतिशत	% वर्ष के दौरान परिवर्तन
भारत के राष्ट्रपति	-	-	-	-	-	-
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,38,59,93,662	52.63%	-	1,38,59,93,662	52.63%	-

26.8 सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीएफसी के बीच व्यापक स्तर प्राप्त करने और दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड के पुनर्गठन के प्रस्ताव की घोषणा की गई थी। इसके अतिरिक्त, कंपनी के निदेशक मंडल ने 6 फरवरी 2026 को आयोजित अपनी बैठक में, लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने तथा आरईसी और पीएफसी के विलय के रूप में पुनर्गठन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विलय के बाद बनने वाली इकाई कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य लागू कानूनों के तहत "सरकारी कंपनी" के रूप में बनी रहे।

27. इन्स्ट्रूमेंट्स की प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
पूर्णतःचुकता स्थायी ऋण उपकरण, जो पूरी तरह से इक्विटी प्रकृति के हैं और जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 10 लाख रुपये है।	5,584	558.40	5,584	558.40
कुल	**5,584**	**558.40**	**5,584**	**558.40**

27.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया स्थायी प्रतिभूतियों की संख्या का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में शेष	5,584	558.40	5,584	558.40
वर्ष के दौरान जोड़े/(घटाएं)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**5,584**	**558.40**	**5,584**	**558.40**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

27.2 तुलन पत्र की तिथि को इन्स्ट्रूमेंट धारक पूरी तरह से इक्विटी प्रकृति के 5% से अधिक के स्थायी ऋण इन्स्ट्रूमेंट्स को धारित करते है :

(₹ करोड़ में)

शेयरधारक का नाम	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
एचवीपीएनएल कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट	665	11.91%	665	11.91%
एचपीजीसीएल कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट	500	8.95%	500	8.95%

27.3 कंपनी ने ₹ 10 लाख के अंकित मूल्य के स्थायी ऋण इन्स्ट्रूमेंट्स जारी किए हैं, जिनमें कोई परिपक्वता नहीं है और केवल 10 वर्षों के बाद कंपनी के विकल्प पर कॉल करने योग्य है। प्रतिभूतियों के धारकों के दावे होंगे (क) जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों के धारकों के बेहतर दावे; और (ख) जारीकर्ता के अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ। 10 वर्षों के बाद नहीं बुलाए जाने पर इन्स्ट्रूमेंट्स में एक कदम बढ़ाने का प्रावधान है। कूपन के भुगतान को रद्द या कंपनी के विवेक पर निलंबित किया जा सकता है। प्रतिभूतियों का कूपन संचयी नहीं है, सिवाय इसके कि जहां जारीकर्ता करेगा कूपन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और कूपन के भुगतान को स्थगित कर सकता है, अगर (i) जारीकर्ता की पूंजी जोखिम परिसंपत्ति अनुपात ("सीआरएआर") आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से कम है; या (ii) आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता जारीकर्ता के ऐसे भुगतान के प्रभाव में सीआरएआर नीचे गिरता या नीचे रहता है।

चूंकि ये प्रतिभूतियां प्रकृति में स्थायी हैं और कंपनी के पास कूपन का भुगतान पर कोई विमोचन दायित्व और विवेक नहीं है, इन्हें इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, सावधिक कूपन भुगतानों को तदनुसार प्रतिधारित आय के साथ समायोजित किया जाता है।

28. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(क)	**अन्य आरक्षित निधि**		
(i)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	34,978.42	31,595.40
(ii)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए)(ग) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	778.61	841.80
(iii)	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अधीन आरक्षित निधि	17,228.08	13,971.63
(iv)	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	1,577.53	1,577.53
(v)	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता	(880.70)	(611.65)
(vi)	सामान्य आरक्षित निधि	16,338.00	13,416.20
(ख)	**प्रतिधारित आय**	16,977.67	15,387.09
(ग)	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**		
	- अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स	(157.60)	(81.84)
	- नकदी प्रवाह हेजेज़ का प्रभावी भाग	(5,738.86)	(931.35)
	- हेजिंग आरक्षित निधि की लागत	(2.36)	(718.46)
	कुल - अन्य इक्विटी (क+ख+ग)	**81,098.79**	**74,446.35**

अन्य इक्विटी' के घटक में जोड़ या कटौती का प्रकटन 'इक्विटी में परिवर्तन के विवरण' में किया गया है।

28.1 **आरक्षित निधि से निकासी/स्थानांतरण: विनियामक दिशानिर्देशों और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाए गए आरक्षित निधि के उपयोग के अनुसार, कंपनी ने विभिन्न आरक्षित निधि से सामान्य आरक्षित निधि में निम्नलिखित राशियां स्थानांतरित की हैं:**

(i) **वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए)(ग) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि से ऋण परिसंपत्तियों और अन्य वसूली योग्य राशियों पर वास्तविक बट्टे खाते में डालने के कारण 841.80 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

(ii) **वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए)(ग) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि से ऋण परिसंपत्तियों और अन्य वसूली योग्य राशियों पर वास्तविक बट्टे खाते में डालने के कारण 687.76 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

28.2 **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत बनाई गई विशेष रिज़र्व कंपनी द्वारा बनाए रखी जाती है ताकि कंपनी को कर लाभ मिल सके। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार, कंपनी दीर्घकालिक वित्त गतिविधि से प्राप्त लाभ के 20% से अधिक कटौती के लिए पात्र नहीं है, बशर्ते कि ऐसी राशि को विशेष रिज़र्व खाते में स्थानांतरित और बनाए रखा जाए।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**31,595.40**	**28,044.83**
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	3,383.02	3,550.57
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**34,978.42**	**31,595.40**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

28.3 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए)(ग) के तहत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए)(ग) के तहत खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए कंपनी द्वारा आरक्षित निधि रखी जाती है ताकि कंपनी को कर लाभ मिल सके। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viia)(c) के अनुसार, कंपनी खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी भी प्रावधान/आरक्षित निधि के संबंध में कटौती का लाभ उठाने के लिए पात्र है, जो आयकर अधिनियम के अनुसार कुल आय का पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं है। इस प्रकार बनाए गए आरक्षित निधि का उपयोग मुख्य रूप से वास्तविक खराब ऋणों या उसके भाग के समायोजन के लिए किया जाएगा।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**841.80**	**687.76**
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	778.61	841.80
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	(841.80)	(687.76)
वर्ष के अंत में शेष	**778.61**	**841.80**

28.4 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षित निधि

कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आईसी के तहत आवश्यक आरक्षित निधि का सृजन कर रही है, जिसमें लाभांश की घोषणा से पहले निवल लाभ का कम से कम 20% स्थानान्तरण करना आवश्यक है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट उद्देश्य को छोड़कर, आरक्षित निधि से कोई भी विनियोग करने की अनुमति नहीं है, ऐसे किसी भी विनियोग की सूचना ऐसी वापसी की तारीख से 21 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक को देनी होगी।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**13,971.63**	**10,828.99**
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	3,256.45	3,142.64
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**17,228.08**	**13,971.63**

28.5 प्रतिभूति प्रीमियम

प्रतिभूत प्रीमियम कंपनी द्वारा शेयरों और ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाता है। इसका प्रयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**1,577.53**	**1,577.53**
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	-
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**1,577.53**	**1,577.53**

28.6 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता

कंपनी ने पूववर्ती लागू लेखांकन मानक 11 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के पैरा 46क के अनुसार ऐसी मदों की बकाया अवधि में लंबी अवधि की विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से नुकसान/लाभ के विमोचन के लिए एक स्थिर (अपरिवर्तनीय) विकल्प चुना था। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक के प्रावधानों के अनुरूप 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर के संबंध में पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार इस तरह के विमोचन की नीति को जारी रखने का विकल्प चुना। इस खाते में बकाया राशि मोचित लाभ/(हानि) को दर्शाती है, जिन्हें पात्र दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयताओं की बकाया अवधि में मोचित किया जाएगा।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**(611.65)**	**(675.14)**
जोड़ें: वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा परिवर्तन लाभ/हानि(-)	(657.61)	(120.43)
घटाएं: वर्ष के दौरान परिशोधन	388.56	183.92
वर्ष के अंत में शेष	**(880.70)**	**(611.65)**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

28.7 सामान्य आरक्षित निधि

सामान्य आरक्षित निधि में कंपनी के मुनाफे से विनियोजित राशि और साथ ही सांविधिक आरक्षित निधियों से हस्तांतरित राशि भी शामिल होती है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**13,416.20**	**11,978.44**
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	2,080.00	750.00
जोड़े: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) (ग) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि से हस्तांतरित	841.80	687.76
वर्ष के अंत में शेष	**16,338.00**	**13,416.20**

28.8 अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स

समूह ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में बदलाव को मान्यता देने का चुनाव किया है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर ओसीआई आरक्षित निधि में जमा होते हैं। जब संबंधित इक्विटी प्रतिभूतियों की मान्यता रद्द कर दी जाती है तो समूह इस आरक्षित निधि से राशि को बरकरार रखी गई आय में स्थानांतरित कर देता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**(81.84)**	**(57.99)**
जोड़ें: अन्य व्यापक आय के माध्यम से मान्यता (करों का निवल)	(75.76)	(23.85)
जोड़ें: एफवीओसीआई इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनर्वर्गीकरण (करों का निवल)	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**(157.60)**	**(81.84)**

28.9 नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार पर जुड़े ब्याज दर से जुड़े जोखिम के प्रबंधन के लिए व्युत्पन्न इन्स्ट्रूमेंट्स का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर के जोखिम को कम करने के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, क्रॉस करेंसी स्वैप, विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। हेज लेखांकन के तहत निर्धारित व्युत्पन्न संविदाएं जिस सीमा तक प्रभावी हेज होती हैं, हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'कैश फ्लो हेजिंग रिजर्व' में मान्यता दी जाती है। ऐसी आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ या हानि विवरण में तब पुनः वर्गीकृत किया जाता है जब हेज किए गए आइटम लाभ या हानि को प्रभावित करता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**(931.35)**	**(1,846.93)**
जोड़ें: अन्य व्यापक आय के माध्यम से मान्यता (करों का निवल)	(4,807.51)	915.58
वर्ष के अंत में शेष	**(5,738.86)**	**(931.35)**

28.10 हेजिंग आरक्षित निधि की लागत

कंपनी विदेशी मुद्रा विकल्प अनुबंधों के आंतरिक मूल्य को 'कैश फ्लो हेज' संबंधों में हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट्स के रूप में नामित करती है। किसी विकल्प के समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तन को ओसीआई में मान्यता दी जाती है और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में परिशोधित किया जाता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**(718.46)**	**1,690.64**
जोड़ें: अन्य व्यापक आय के माध्यम से मान्यता (करों का निवल)	716.10	(2,409.10)
वर्ष के अंत में शेष	**(2.36)**	**(718.46)**

28.11 वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय में संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	**15,387.09**	**13,363.40**
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ	16,282.26	15,713.21
जोड़ें: परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (करों का शुद्ध)	0.82	0.57
घटाएँ: सामान्य भंडार में अंतरण	(2,080.00)	(750.00)
घटाएँ: सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित	(3,383.02)	(3,550.57)
घटाएँ: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत बनाए गए विशेष रिजर्व में स्थानांतरित	(778.61)	(841.80)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
घटाएँ: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii)(ग) के तहत खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित में स्थानांतरित	(3,256.45)	(3,142.64)
जोड़े: एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेज(करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	(33.30)	(33.30)
घटाएं: वर्ष के दौरान लाभांश	(5,161.12)	(5,371.78)
वर्ष के अंत में शेष	**16,977.67**	**15,387.09**

28.12 कंपनी द्वारा प्रत्येक ₹10/- के इक्विटी शेयरों के लिए प्रस्तावित/घोषित लाभांश

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	
	प्रति इक्विटी शेयर पर लाभांश	लाभांश राशि	प्रति इक्विटी शेयर पर लाभांश	लाभांश राशि
	(₹)	(₹ करोड़ में)	(₹)	(₹ करोड़ में)
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर की संख्या	2,63,32,24,000		2,63,32,24,000	
अंतरिम लाभांश	17.00	4,476.48	15.40	4,055.16
अंतिम / प्रस्तावित लाभांश	1.55	408.15	2.60	684.64
कुल लाभांश	**18.55**	**4,884.63**	**18.00**	**4,739.80**

निदेशक मंडल ने 28 अप्रैल 2026 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹1.55 प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक अंकित मूल्य ₹10/- पर) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। ₹17.00 प्रति शेयर के कुल अंतरिम लाभांश को मिलाकर वित्तीय वर्ष के लिए कुल लाभांश ₹18.55/- प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक अंकित मूल्य ₹10/- पर) है।

इंड-एएस 10 'रिपोर्टिंग अवधि के बाद के घटनाक्रम' की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तावित लाभांश प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा विनियोग अंतिम लाभांश के मामले में वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में अनुमोदन के बाद किया जाता है।

29. ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष			31-03-2025 को समाप्त वर्ष		
		ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन
(क)	**ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज**						
(i)	दीर्घावधि वित्तपोषण	-	53,486.27	-	-	49,611.60	-
(ii)	अल्पावधि वित्तपोषण	-	3,223.77	-	-	4,414.82	-
	उप जोड़ (क)	**-**	**56,710.04**	**-**	**-**	**54,026.42**	**-**
(ख)	**निवेशों पर ब्याज आय**						
(i)	दीर्घावधि निवेशों पर ब्याज	-	563.93	81.02	-	408.91	81.43
	उप जोड़ (ख)	**-**	**563.93**	**81.02**	**-**	**408.91**	**81.43**
(ग)	**बैंकों के पास जमाओं पर ब्याज**						
(i)	जमाओं पर ब्याज	-	138.70	-	-	240.28	-
	उप जोड़ (ग)	**-**	**138.70**	**-**	**-**	**240.28**	**-**
(घ)	**अन्य ब्याज आय**						
(i)	उधारकर्ताओं द्वारा विलंबित भुगतान पर ब्याज	-	296.92	-	-	294.46	-
(ii)	कार्मिकों को दिए गए अग्रिमों पर ब्याज	-	8.53	-	-	6.11	-
(iii)	मोबलाइजेशन अग्रिमों पर ब्याज	-	0.05	-	-	0.14	-
(iv)	तनावग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों के कारण प्राप्य राशि की समाप्ति पर ब्याज	-	12.63	-	-	12.36	-
	उप जोड़ (घ)	**-**	**318.13**	**-**	**-**	**313.07**	**-**
	कुल - ब्याज आय (क से घ)	**-**	**57,730.80**	**81.02**	**-**	**54,988.68**	**81.43**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

30. लाभांश आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
दीर्घावधि निवेशों से लाभांश	53.04	90.63
अन्य निवेशों से लाभांश	10.17	8.42
कुल - लाभांश आय	**63.21**	**99.05**

30.1 अन्य निवेशों पर मान्यता प्राप्त लाभांश आय का विवरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
इक्विटी निवेश पर लाभांश एफवीओसीआई पर मापा गया		
- वर्ष के अंत में धारित निवेशों पर	10.17	8.42
- वर्ष के दौरान अमान्य किए गए निवेशों पर	-	-
कुल	**10.17**	**8.42**

31. शुल्क एवं कमीशन आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
शुल्क आधारित आय	215.61	201.20
पूर्व अदायगी प्रीमियम	982.34	138.75
सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए शुल्क	66.98	53.79
कुल - शुल्क एवं कमीशन आय	**1,264.93**	**393.74**

32. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों के निपटान पर निवल लाभ/(हानि)	-	6.03
बट्टे खाते में डाली गई वित्तीय परिसंपत्तियों से वसूली	-	12.15
किराये से आय	19.23	17.34
देयताएं/प्रावधान वापस लिखित	1.77	2.35
प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से प्राप्त शुल्क	0.52	1.34
आयकर रिफंड से ब्याज	1.37	-
विविध आय	24.37	29.29
कुल - अन्य आय	**47.26**	**68.50**

33. वित्तीय लागत

वित्तीय लागतें वित्तीय देयताओं पर खर्च की गई हैं और इनका मापन परिशोधित लागत पर किया गया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
(i)	**उधारियों पर ब्याज**		
	- भारत सरकार से ऋण (एनएसएसएफ)	822.50	822.50
	- बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण	3,600.74	4,590.64
	- बाह्य वाणिज्यिक उधारिया	6,018.03	6,602.12
	उप-जोड़ (i)	**10,441.27**	**12,015.26**
(ii)	**ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज**		
	- घरेलू ऋण प्रतिभूतियां	19,176.45	17,776.73
	- विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां	1,336.65	1,334.12
	- कमर्शियल पेपर	126.42	-
	उप-जोड़ (ii)	**20,639.52**	**19,110.85**
(iii)	**अधीनस्थ देयताओं पर ब्याज**		
	- अधीनस्थ बॉण्ड	758.75	687.76
	उप-जोड़ (iii)	**758.75**	**687.76**

	विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
(iv)	अन्य ब्याज व्यय		
	- स्वैप प्रीमियम	3,900.99	1,796.86
	- वेरिएशन मार्जिन पर ब्याज	504.58	524.81
	- अग्रिम आयकर पर ब्याज	0.01	-
	- कर्मचारी लाभ के प्रति देयता पर ब्याज	2.56	2.46
	उप-जोड़ (iv)	**4,408.14**	**2,324.13**
	कुल - वित्तीय लागत (i+ii+iii+iv)	**36,247.68**	**34,138.00**
	घटाएं: पूंजीकृत वित्तीय लागत	**(6.39)**	**(3.02)**
	कुल - वित्तीय लागत (निवल)	**36,241.29**	**34,134.98**

34. निवल अंतरण / लेन–देन विनिमय हानि / (लाभ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
निवल अंतरण / लेन–देन विनिमय हानि / (लाभ)	272.60	208.15
कुल	**272.60**	**208.15**

उपरोक्त आंकड़ों में 1 अप्रैल 2018 से पहले ₹388.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹183.92 करोड़) की राशि को वित्तीय विवरणों में मान्यता दिए गए दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर निवल परिवर्तन / लेनदेन विनिमय हानि/(लाभ) का विमोचन शामिल है।

34.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान एफबीआईएल (फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) की संदर्भित दरों पर अंतरित की जाती हैं अथवा जहां एफबीआईएल संदर्भ दरें किसी मुद्रा के लिए उपलब्ध न हों, वहां ब्लूमबर्ग पर उल्लिखित उसी दर के लिए अंतिम दर पर अंतरित की जाती है। रिपोर्ट करने की तारीख को संबंधित दरें निम्नलिखितानुसार हैं:

विनिमय दर*	यूएसडी /आईएनआर	जेपीवाई/आईएनआर	यूरो/ आईएनआर	एसजीडी/ आईएनआर
31 मार्च 2026 तक	94.6543	0.5925	109.0064	73.5548
31 मार्च 2025 तक	85.5814	0.5675	92.3246	63.7098

**30 मार्च 2026 तक तथा 28 मार्च 2025 को अंतिम कार्य दिवस है।*

35. शुल्क एवं कमीशन व्यय

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
(i)	गारंटी शुल्क	-	0.14
(ii)	सूचीकरण एवं ट्रस्टीशिप शुल्क	0.03	0.03
(iii)	एजेंसी शुल्क	2.56	2.49
(iv)	क्रेडिट रेटिंग व्यय	4.58	4.26
(v)	अन्य वित्तीय प्रभार	8.45	6.74
	कुल (i से v)	**15.62**	**13.66**

36. उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ / (हानि)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
(क)	**लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ / (हानि)**		
(i)	**ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर**	**-**	**-**
(ii)	**अन्य**		
	- व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तन	(928.82)	80.95
	- दीर्घावधि निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	(33.64)	265.35
	- अल्पावधि म्यूचुअल फंड निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	-	1.92
	उप-जोड़ (ii)	**(962.46)**	**348.22**
	कुल (क)	**(962.46)**	**348.22**
	उचित मूल्य के परिवर्तनों का विवरण		
	- वसूली की गयी	(721.09)	388.64
	- वसूली नहीं की गयी	(241.37)	(40.42)
	कुल-उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ / (हानि)	**(962.46)**	**348.22**

इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन संचित ब्याज आय/व्यय के कारण उत्पन्न परिवर्तनों के अतिरिक्त हैं तथा उन व्युत्पन्नों के उचित मूल्य परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें आर्थिक हेज के रूप में नामित किया गया है परंतु हेज लेखांकन के अंतर्गत नामित नहीं किया गया है तथा अप्रभावी हेज हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

37. वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स पर इम्पेयरमेंट

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष		31-03-2025 को समाप्त वर्ष	
		एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स पर	एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स पर
(i)	ऋण*	-	189.89	-	886.24
(ii)	निवेश	-	2.37	-	3.26
(iii)	अन्य**	-	8.96	-	129.91
	कुल (i+ii+iii)	**-**	**201.22**	**-**	**1019.41**

** सुविधा पत्र पर इम्पेयरमेंट भत्ते के मद में ₹ 15.06 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ -13.54 करोड़) की राशि शामिल है।*

** इसमें बिना निकाली गई प्रतिबद्धताओं पर मूल्यह्रास भत्ते के मद में ₹ 282.71 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) शामिल हैं।*

*** यह तनावग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों पर व्यय के लिए वसूली योग्य हानि भत्ते का प्रतिनिधित्व करता है (ऊपर नोट 12.2 देखें)।*

38. कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
- वेतन और भत्ते	148.61	150.85
- भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	32.01	32.97
- कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा संबंधी किराया	13.96	10.45
- कार्मिक कल्याण व्यय	48.71	50.53
कुल	**243.29**	**244.80**

39. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास	25.22	23.30
- निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास	0.83	0.80
- अमूर्त संपत्तियों पर परिशोधन	0.57	0.29
कुल	**26.62**	**24.39**

40. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
- प्रत्यक्ष व्यय	328.78	279.00
- ओवरहेड	9.29	9.48
कुल	**338.07**	**288.48**

40.1 कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 को 22.01.2021 से अधिसूचित किया है, जिनमें समय-समय पर संशोधन किया गया है। इन नियमों के अनुसार, किसी चालू परियोजना के अतिरिक्त किसी भी अव्ययित सीएसआर राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यदि ऐसी अव्ययित राशि किसी चल रही परियोजना से संबंधित है, तो इसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिनों के भीतर अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिसका उपयोग इस स्थानांतरण की तारीख से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर किया जा सके, इसके बाद भी यदि कोई सीएसआर राशि अव्ययित रह जाती है, तो उसे तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरा होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कंपनी को यह अधिकार भी है कि यदि उसने अधिनियम की आवश्यकता से अधिक राशि खर्च की है, तो वह उस अतिरिक्त राशि को अगले तीन वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली राशि के साथ समायोजित कर सकती है। इसके अलावा, प्रभाव मूल्यांकन करने वाली कंपनियां उस वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर के लिए व्यय बुक कर सकती हैं, जो कुल सीएसआर व्यय के दो प्रतिशत या पचास लाख रुपये, दोनों में से जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगा।

40.2 समूह द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि का विवरण:

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली सकल राशि ₹ 338.07 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹288.48 करोड़)

(ख) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि ₹ 338.07 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹288.48 करोड़)

(ग) सीएसआर से संबंधित पक्ष लेन-देन के लिए नोट सं. 56 को देखें।

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
(क)	**प्रारंभिक शेष– (खर्च की गई अतिरिक्त राशि)/अव्ययित**	**(5.53)**	(5.15)
(ख)	**वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि**	**338.07**	288.48
	में से बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि वर्ष के दौरान खर्च की जानी है	338.07	288.48

	विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
(ग)	**वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि***	**168.83**	288.86
	- कंपनी के बैंक खाते से	168.83	288.86
	- अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	-	-
	पिछले वर्षों के अतिरिक्त खर्च को सेट ऑफ करने के बाद खर्च की जाने वाली राशि (ख-क)	332.54	283.33
(घ)	**अंतिम शेष– (खर्च की गई अतिरिक्त राशि)**/ अव्ययित*** (क+ख-ग)**	**163.71**	(5.53)
	- कंपनी के *	-	-
	- पृथक सीएसआर अप्रयुक्त खाते में	163.71	-

** आरईसी फाउंडेशन (कार्यान्वयन एजेंसी) द्वारा अस्थायी रूप से पार्क की गई धनराशि पर अर्जित ब्याज से सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि को शामिल नहीं किया गया है, जो ₹ शून्य है (पिछले वर्ष ₹ शून्य)*

*** अगले तीन सफल वित्तीय वर्षों में समायोजित करने के लिए पात्र*

**** ₹163.71 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की अव्ययित सीएसआर राशि बहुवर्षीय (चालू) परियोजनाओं से संबंधित है जहां उपलब्धि प्राप्त होने पर किश्तों में भुगतान किया जाता है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) की आवश्यकताओं के अनुसार उक्त राशि अनुसूचित बैंक के पास खर्च न किए गए सीएसआर खाते में जमा की गई है। 31.03.2026 तक अव्ययित सीएसआर व्यय की संचयी राशि ₹163.71 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) है।*

40.3 वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में):

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष			31-03-2025 को समाप्त वर्ष		
		नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल
(i)	**किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण**	-	-	-	-	-	-
(ii)	**उपरोक्त (i) के अन्यत्र प्रयोजन पर**						
क	स्वास्थ्य/स्वच्छता/अपशिष्ट प्रबंधन/पेयजल	88.80	-	88.80	128.78	-	128.78
ख	शिक्षा/व्यावसायिक/कौशल विकास	26.14	-	26.14	15.88	-	15.88
ग	पर्यावरणीय संधारणीयता	4.74	-	4.74	7.00	-	7.00
घ	खेल–कूद	2.56	-	2.56	38.98	-	38.98
ङ	कला एवं संस्कृति	2.04	-	2.04			
च	पीएम केयर फंड में योगदान	-	-	-	50.00	-	50.00
	अन्य (ग्रामीण विकास, सशस्त्र बलों के लाभ/इनक्यूबेटर/आपदा प्रबंधन)	35.26	-	35.26	38.74	-	38.74
छ	प्रभावी आकलन	0.11	-	0.11	0.28	-	0.28
ज	प्रशिक्षण आदि सहित प्रशासनिक ओवरहेड्स	9.19	-	9.19	9.20	-	9.20
(iii)	कुल (i+ii)	**168.83**	-	**168.83**	**288.86**	-	**288.86**
(iv)	जोड़ें: अव्ययित सीएसआर खाते में ट्रांसफर किया गया	163.71	-	163.71	-	-	-
(v)	जोड़ें : अतिरिक्त राशि समायोजित की गई	5.53	-	5.53	5.15	-	5.15
(vi)	घटाएं : खर्च की गई अतिरिक्त राशि	-	-	-	(5.53)	-	(5.53)
(vii)	**कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय, जिसे पृथक लाभ और हानि विवरणी में प्रभारित किया गया है (iii+iv+v+vi)**	**338.07**	-	**338.07**	**288.48**	-	**288.48**

40.4 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (6) की आवश्यकताओं के अनुसार अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

प्रारंभिक राशि		वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	अव्ययित सीएसआर में शेष राशि पर अर्जित ब्याज	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		अंतिम शेष	
कंपनी के साथ	अलग सीएसआर में अव्ययित खाता			कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से
-	-	338.07	-	174.36	-	-	163.71

41. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
- यात्रा एवं वाहन सुविधा	28.93	29.36
- प्रचार एवं पदोन्नति व्यय	23.01	29.87
- मरम्मत और अनुरक्षण	27.13	34.93
- किराया, दरें एवं बिजली की लागत	6.31	7.64
- बीमा प्रभार	0.06	0.56
- संप्रेषण लागत	7.31	7.18
- प्रिंटिंग और स्टेशनरी	1.11	1.35

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
- निदेशकों के बैठक	0.42	0.50
- लेखापरीक्षकों का शुल्क एवं व्यय	1.82	1.72
- विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	14.75	16.89
- दान और परोपकार	-	0.01
- परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के निपटान पर निवल हानि	10.58	7.61
- प्रशिक्षण और सम्मेलन व्यय	6.51	5.98
- सरकारी योजना निगरानी व्यय	13.51	17.11
- अन्य व्यय	31.41	25.26
कुल	172.86	185.97

41.1 **लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय के संबंध में प्रकटन**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिया गया शुल्कः		
- लेखापरीक्षा शुल्क के लिए	0.75	0.68
- कराधान मामलों के लिए	0.16	0.16
- कंपनी के कानूनी मामलों/सीमित समीक्षा शुल्क के लिए	0.40	0.37
- अन्य सेवाओं के लिए	0.19	0.18
- व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.18	0.20
उप-जोड़	**1.68**	**1.59**
लेखापरीक्षकों को प्रदत्त शुल्क के संबंध में गैर-वसूली योग्य कर जमा	**0.14**	**0.13**
कुल - लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय	**1.82**	**1.72**

42. **कर व्यय**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
- चालू कर व्यय	3,718.27	4,011.49
पिछले वर्षों से संबंधित चालू कर व्यय/ (लाभ)	(0.08)	0.05
उप-जोड़ - चालू कर	**3,718.19**	**4,011.54**
- आस्थगित कर व्यय /(क्रेडिट)	712.74	135.03
कुल	**4,430.93**	**4,146.57**

42.1 **प्रभावी कर दर का समाधान**

लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय के साथ वैधानिक आयकर दर पर अनुमानित आयकर व्यय का मिलान निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	**20,713.19**	**19,859.78**
सांविधिक आयकर दर	**25.168%**	**25.168%**
प्रत्याशित आय कर व्यय	**5,213.10**	**4,998.31**
आयकर समायोजनों का कर प्रभाव:		
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती के लाभ	(851.43)	(893.61)
सीएसआर व्यय की अनुमति न होना एवं अन्य समायोजन	84.63	72.01
कर योग्य नहीं आय	(15.91)	(28.04)
अन्य गैर-कटौती योग्य व्यय	0.62	(2.15)
पिछले वर्षों के कर व्यय	(0.08)	0.05
कर व्यय	**4,430.93**	**4,146.57**

43. **आय प्रति शेयर**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
न्यूमरेटर		
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)*	16,248.96	15,679.91
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार बंद प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)*	-	-

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत तथा बंद प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)*	16,248.96	15,679.91
डिनोमिनेटर		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	2,63,32,24,000	2,63,32,24,000
प्रति शेयर मूल आय (₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर के लिए ₹ में) (निरंतर संचालन के लिए)	61.71	59.55
प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय (प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर के लिए ₹ में) (निरंतर संचालन के लिए)	61.71	59.55
प्रति शेयर मूल आय (प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर के लिए ₹ में) (बंद संचालन के लिए)	-	-
प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय (प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर के लिए ₹ में) (बंद संचालन के लिए)	-	-
प्रति शेयर मूल आय (प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर के लिए ₹ में) (निरंतर एवं बंद संचालन के लिए)	61.71	59.55
प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय (प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर के लिए ₹ में) (निरंतर एवं बंद संचालन के लिए)	61.71	59.55

**लाभ स्थायी ऋण इन्स्ट्रूमेंट्स पर ₹ 33.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹33.30 करोड़) के कूपन व्यय (करों का निवल) को घटाकर कर पश्चात लाभ को दर्शाता है, जो प्रकृति में पूरी तरह से इक्विटी है।*

44. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

44.1 निम्नलिखित के संबंध में आकस्मिक देयताएं प्रदान नहीं की गई हैं:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
(क)	**कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया**	6.19	10.79
(ख)	**कराधान मांगें**		
(i)	- आयकर विभाग द्वारा उठाई गई मांगें	34.54	46.59
(ii)	- कंपनी को दी गई राहत के विरुद्ध आयकर विभाग द्वारा दायर अपील के विरुद्ध मांग	0.90	162.12
(iii)	- **जीएसटी के संबंध में उठाई गई मांगें**	32.65	20.71
(ग)	**गारंटी**	-	-
(घ)	**अन्य**		
(i)	- परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के माध्यम से मध्यस्थता कार्यवाही (₹45.73 करोड़ का प्रतिदावा (पिछले वर्ष ₹ 41.66 करोड़)जिसमें 31.03.2026 तक का ब्याज भी शामिल है)	513.36	441.28
(ii)	- स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लगाया गया जुर्माना	0.60	0.18
(iii)	- सांत्वना पत्र	6,267.79	7,990.22

उपरोक्त 'क' में उल्लिखित राशि विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में है तथा न्यायालय के निर्णय पर निर्भर है।

उपरोक्त ख (i) में उल्लिखित राशि आयकर विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों के विरुद्ध है। कंपनी इन मांगों का विरोध कर रही है और प्रबंधन का मानना है कि अपीलीय प्रक्रिया में उसका पक्ष बरकरार रखा जाएगा।

उपरोक्त ख(ii) में उल्लिखित राशि आयकर विभाग द्वारा आईटीएटी स्तर पर कंपनी को दी गई राहत के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर अपील के विरुद्ध है।

उपरोक्त ख (iii) में उल्लिखित राशि में कंपनी द्वारा दायर जीएसटी रिफंड अपील के लिए ₹17.89 करोड़ शामिल हैं। इसके अलावा, ₹14.76 करोड़ जीएसटी विभाग द्वारा की गई मांग के कारण हैं, जिसका कंपनी विरोध कर रही है और प्रबंधन का मानना है कि अपीलीय प्रक्रिया में उसका पक्ष बरकरार रखा जाएगा।

उपरोक्त ख(i)/(ii)/(iii) में उल्लिखित ₹68.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹229.42 करोड़) की कुल टैक्स मांगों के मुकाबले, कंपनी ने विरोध स्वरूप ₹19.61 करोड़ (पिछले वर्ष ₹163.91 करोड़) का भुगतान कर दिया है और शेष ₹48.48 करोड़ (पिछले वर्ष ₹65.51 करोड़) की राशि 31 मार्च, 2026 तक भुगतान के लिए लंबित है।

ऊपर घ(i) में उल्लिखित राशि उन आर्बिट्रेशन मामलों से जुड़ी है जो (क) ठेकेदार और कंपनी द्वारा नियुक्त पीएमसी के बीच और (ख) कंपनी और चेल्सी वेस्ट आर्किटेक्ट्स, पीएलएलसी के बीच हैं। पीएमसी द्वारा दावे का विरोध किया जा रहा है और कंपनी का मानना है कि मध्यस्थता प्रक्रिया में उसका पक्ष बरकरार रखा जाएगा। इस राशि में 31 मार्च, 2026 तक ₹8.80 करोड़ पर 12% प्रति वर्ष और ₹317.38 करोड़ पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी शामिल है।

उपरोक्त घ (ii) में उल्लिखित राशि, स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण बोर्ड/समिति की स्थिति/कोरम आवश्यकता के संबंध में सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकता के गैर-अनुपालन के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) द्वारा लगाए गए ₹0.60 करोड़ (पिछले साल ₹0.18 करोड़) (जीएसटी सहित) के जुर्माने को दर्शाती है।

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है क्योंकि कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है और कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं कर सकता है। इस प्रकार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की ओर से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। कंपनी को उम्मीद है कि स्टॉक एक्सचेंजों से किए गए उसके अनुरोध का भी अनुकूल परिणाम आएगा, जैसा कि एनएसई और बीएसई ने पहले इसी तरह के कारणों से आवश्यकता का पालन करने के बाद जुर्माना माफ किया था।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

44.2 निम्नलिखित के संबंध में प्रतिबद्धताएं प्रदान नहीं की गई हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंध		
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए	15.64	25.64
अन्य प्रतिबद्धताएँ		
- कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व प्रतिबद्धताएँ	250.88	446.75

45. वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार का ब्योरा:

	विवरण	नियामक का नाम	पंजीकरण का ब्योरा
(i)	कारपोरेट पहचान संख्या	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	L40101DL1969GOI005095
(ii)	पंजीकरण संख्या	भारतीय रिज़र्व बैंक	14.000011
(iii)	लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर (एलईआई) कोड	ग्लोबल लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन (जीएलईआईएफ)	335800B4YRYWAMIJZ374
(iv)	पंजीकरण संख्या	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटीसेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ़ इंडिया (सीईआरएसएआई)	L0012

46. भारत सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन

46.1 रूफटॉप सोलर प्रोग्राम (आरटीएस)

"पीएम-सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना भारत सरकार द्वारा ₹75,021 करोड़ के वित्तीय परिव्यय (जिसमें ₹65,700 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता भी शामिल है) के साथ एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर (आरटीएस) की स्थापना के लिए 29.02.2024 को क्रियान्वित की गई थी और इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है। योजना का लक्ष्य स्थापित क्षमता से 300 यूनिट प्रति माह तक मुफ्त या कम लागत वाली बिजली प्रदान करते हुए 1 करोड़ आवासीय घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना है। यह स्थापित क्षमता से 1,000 बिलियन यूनिट नवीकरणीय बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखता है, जिससे इन रूफटॉप सोलर परियोजनाओं के 25 साल के जीवनकाल में कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष उत्सर्जन में 720 मिलियन टन की कमी होने की उम्मीद है। यह पहल वित्त वर्ष 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र में 30 गीगावाट रूफटॉप सौर क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ यूएनएफसीसीसी के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के लिए भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करती है।

46.2 संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)

भारत सरकार ने वितरण क्षेत्र की सुधारित योजना (आरडीएसएस) को मंज़ूरी दी है ताकि डिस्कॉम को पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क हासिल करने के लिए आपूर्ति बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए परिणाम-लिंक्ड वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार किया जा सके। इस योजना का परिव्यय 7 वर्षों में ₹3,03,758 करोड़ है, अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2027-28 तक, जिसमें 97,631 करोड़ का अनुमानित सरकारी बजटीय समर्थन (जीबीएस) शामिल है।

योजना के घटक निम्नलिखित हैं:

भाग क – प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग तथा वितरण अवसंरचना के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता।

भाग ख - प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा अन्य समर्थित एवं सहायक गतिविधियां।

46.3 राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, वित्त वर्ष 2012-13 से चालू हो गई है। वितरण क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई है। यह योजना वितरण क्षेत्र में विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी वितरण विद्युत उपयोगिताओं द्वारा लिए गए ऋणों पर सुधार उपायों के साथ जुड़ी ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। एनईएफ, वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के लिए ऋण वितरण के लिए 14 वर्षों में ₹8,466 करोड़ (उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा शुल्क, स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं को भुगतान और अन्य आकस्मिक व्यय सहित) तक ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगा। देश भर में एनईएफ योजना के परिचालन के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

47. पूंजी प्रबंधन

कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है कि यह हितधारकों को अधिकतम रिटर्न देते हुए सक्रिय रुप से जारी रहेगी। कंपनी की पूंजी संरचना में इक्विटी और कंपनी द्वारा किए गए दीर्घकालिक उधार शामिल हैं।

प्रबंधन एक कुशल समग्र वित्तपोषण संरचना बनाए रखने के लिए कंपनी की पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है, जबकि अत्यधिक उत्तोलन से बचता है। कंपनी ने गतिशील कारोबारी माहौल और क्षेत्र के भीतर तरलता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त उपकरणों के माध्यम से पूंजी संरचना का प्रबंधन किया और धन जुटाया। इसके अलावा, पूंजी पुनर्गठन के संबंध में, कंपनी को अन्य बातों के साथ-साथ, बोनस शेयरों के निर्गमन, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों की बाय-बैक आदि के संबंध में वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम), सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी "केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूंजी पुनर्गठन" पर संशोधित दिशानिर्देशों द्वारा भी निर्देशित किया जाता है। कंपनी ने सभी बाहरी रूप से लागू पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

कंपनी का ऋण-इक्विटी अनुपात निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
निवल ऋण	5,05,732.06	4,88,203.82
निवल मुल्य	84,290.41	77,637.97
ऋण - इक्विटी अनुपात	**6.00**	**6.29**

निवल ऋण बकाया मूल कम नकदी और उपलब्ध नकदी समतुल्य को दर्शाता है।

लाभांश वितरण नीति

निदेशक मंडल कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश भुगतान की निगरानी करता है। कंपनी की लाभांश वितरण नीति विभिन्न कारकों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिनमें वर्तमान और भविष्य की पूंजी आवश्यकताएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर), वैकल्पिक स्रोतों से धन जुटाने की लागत, नकदी प्रवाह की स्थिति, कंपनी की निवल संपत्ति, सहायक कंपनियों/सहयोगियों में अतिरिक्त निवेश और लागू कर, यदि कोई हो, समय-समय पर आरबीआई, डीआईपीएएम आदि द्वारा जारी लागू परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अधीन शामिल हैं।

भारत सरकार के डीआईपीएएम द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी को पीएटी का न्यूनतम 30% वार्षिक लाभांश देना आवश्यक है। हालांकि कंपनी इन दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है, कंपनी विभिन्न वित्तीय मापदंडों, नकदी प्रवाह की स्थिति और भविष्य की वृद्धि के लिए आवश्यक धन के विश्लेषण के बाद कम लाभांश का प्रस्ताव कर सकती है।

अन्य नीतियां

कंपनी ने कंपनी के प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियां भी अपनाई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति, व्हिसल ब्लोअर नीति, नामित व्यक्तियों और उनके निकट संबंधियों द्वारा व्यापार के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता और उचित प्रकटीकरण, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति, बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचरण और नैतिकता की संहिता, उचित व्यवहार संहिता, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर आंतरिक दिशानिर्देश, निदेशकों के 'फिट एंड उचित' मानदंड पर नीति, बोर्ड की विविधता और कौशल पर नीति, वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों की नियुक्ति के मानदंड और निदेशकों, केएमपी और अन्य कर्मचारियों को पारिश्रमिक आदि शामिल हैं।

48. पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात और तरलता कवरेज अनुपात

कंपनी आरबीआई द्वारा समय-समय पर निर्धारित मास्टर निर्देशों/परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है। एक एनबीएफसी और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) होने के नाते, आरईसी को 15% (न्यूनतम टियर-1 पूंजी 10% के साथ) के पूंजी पर्याप्तता अनुपात या पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) को बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसकी गणना कंपनी की टियर-1 और टियर-2 पूंजी को जोखिम भारित परिसंपत्ति से विभाजित करके की जाती है।

	विवरण	31-03-2026 तक			31-03-2025 तक			% अंतर
		न्यूमरेटर* (₹ करोड़ में)	डिनोमिनेटर* (₹ करोड़ में)	%	न्यूमरेटर* (₹ करोड़ में)	डिनोमिनेटर* (₹ करोड़ में)	%	
(i)	सीआरएआर	93,687.72	4,05,414.19	23.11%	86,963.54	3,34,562.05	25.99%	-11.11%
	सीआरएआर- टियर I पूंजी	86,159.96	4,05,414.19	21.25%	79,491.30	3,34,562.05	23.76%	-10.53%
	सीआरएआर- टियर II पूंजी	7,527.76	4,05,414.19	1.86%	7,472.24	3,34,562.05	2.23%	-17.10%
(ii)	तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) (नोट 49.2.4 (vi) देखें)	5,846.84	3,123.25	187.20%	4,214.07	2,809.00	150.02%	24.79%

टीयर-1 पूंजी के शाश्वत ऋण लिखत की राशि 6.55% (पिछले वर्ष 7.10%) है

**सीआरएआर के लिए-टीयर-1 और टीयर-2 पूंजी में मुख्य रूप से इक्विटी (नोट संख्या 26, 27 और 28 देखें) और देनदारता भारित परिसंपत्तियां (डेनोमिनेटर) शामिल हैं, जो कंपनी के ऋण जोखिम (नोट संख्या 10 देखें) और निवेश (नोट संख्या 11 देखें) के भारित योग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी गणना समय-समय पर आरबीआई द्वारा इस संबंध में जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार की जाती है।*

**एलसीआर-न्यूमेरेटर कंपनी द्वारा धारित एचक्यूएलए के लिए (नोट संख्या 11.1 देखें) और डिनोमिनेटर इस संबंध में आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार गणना किए गए अगले 30 दिनों में कुल निवल नकदी प्रवाह के लिए।*

*** एलसीआर में उतार-चढ़ाव मुख्य रूप से कंपनी के बढ़ते व्यवसाय के अनुरूप एचक्यूएलए प्रतिभूतियों में हुई तुलनात्मक वृद्धि के कारण है।*

वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर II पूंजी और स्थाई ऋण इन्स्ट्रूमेंट्स का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
टियर-II पूंजी के रूप में जुटाई गई अधीनस्थ ऋण की राशि	-	-
टियर-I पूंजी के रूप में जुटाई गई स्थाई ऋण इन्स्ट्रूमेंट्स की राशि	-	1,995.00

**अधीनस्थ देनदारियों पर नोट नं. 22 देखें।*

49. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

इस कंपनी के निदेशक मण्डल के पास कंपनी के जोखिम प्रबंधन कार्यढांचे की स्थापना और निगरानी की समग्र जिम्मेदारी है। कंपनी की एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋण जोखिम, तरलता जोखिम, बाज़ार जोखिम, प्रचालनात्मक जोखिम और संगठन के अन्य जोखिम शामिल है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियां विभिन्न जोखिम श्रेणियों, स्वतंत्र जोखिम निगरानी और आवधिक निगरानी के लिए उपयुक्त सुपरिभाषित प्रणालियों और प्रक्रियाओं द्वारा निर्देशित होती हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का भी गठन किया गया है जिसका मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान करना और उनकी निगरानी करना तथा उन्हें कम करने के लिए अपेक्षित सुझाव देना है।

इस टिप्पणी में जोखिम के स्रोतों को स्पष्ट किया गया है जिनमें कंपनी सामने आती है और कंपनी कैसे वित्तीय विवरण में जोखिम तथा संबंधित प्रभाव का प्रबंधन करती है।

जोखिम	से उत्पन्न जोखिम	माप	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी एवं नकदी के समतुल्य, बैंक शेष (नकद और नकद समतुल्य के अलावा), ऋण, वित्तीय परिसंपत्ति, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, राज्य विकास ऋण, ऋण प्रतिभूतियां और अधिमानित शेयर	चल रहे नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	बैंक जमा, परिसमाप्त निधियां, परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण, ऋण सीमाएं एवं पार्श्विक
तरलता जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां, सहायक देयताएं एवं अन्य वित्तीय देयताएं मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां तथा भारतीय रुपए (आईएनएआर) में न बताई गई देयताएं	नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता

लेखा संबंधी टिप्पणियां

जोखिम	से उत्पन्न जोखिम	माप	प्रबंधन
बाजार जोखिम - मुद्रा जोखिम	मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां तथा भारतीय रुपये (आईएनआर) में न बताई गईं देयताएं	नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	व्युत्पन्न अनुबंध
बाजार जोखिम – ब्याज दर जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां और परिवर्तनीय ब्याज दरों पर सहायक देयताएं	सवेंदनशीलता विश्लेषण	व्युत्पन्न अनुबंध
बाजार जोखिम – इक्विटी कीमत जोखिम	उल्लिखित इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश	सवेंदनशीलता विश्लेषण	नीतिगत निवेशों पर जोर देकर पोर्टफोलियो का विविधीकरण

जोखिम के अत्यधिक संकेंद्रण से बचने के लिए कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविधीकृत पोर्टफोलियो बनाए रखने पर जोर देने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश शामिल हैं। ऋण जोखिमों के अभिज्ञात संकेंद्रणों का नियंत्रण एवं प्रबंधन तद्नुसार किया जाता है।

इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए, कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन तंत्र स्थापित किया है कि इन जोखिमों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाए और कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया जाए। कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाने के लिए आरबीआई अधिसूचना डीएनबीआर (पीडी) सीसी.एनओ./.099/03.10.001/2018-19 दिनांक 16 मई, 2019 के अनुसार, बोर्ड ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी नियुक्त किया है जो जोखिमों की पहचान, माप और शमन की प्रक्रिया में शामिल है। जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण अर्थात कंपनी के उद्देश्य, नीतियां और उपरोक्त प्रत्येक जोखिम को मापने और प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं बाद के अनुच्छेदों में निर्धारित की गई हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी शासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन अभ्यास पर आरबीआई के मास्टर निर्देश-आरबीआई/2023-24/107 डीओएस.सीओ.सीएसआईटीईजी/एसईसी.7/31.01.015/2023-24 दिनांक 07 नवंबर, 2023 के अनुसार, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) की नियुक्ति अनिवार्य कर दी है। कंपनी ने तदनुसार आरबीआई निर्देशों के अनुपालन में सीआईएसओ की नियुक्ति की है।

49.1 ऋण जोखिम

ऋण जोखिम से आशय है कि प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों पर चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होगा। कंपनी का ऋण जोखिम मुख्य रूप से नकदी और नकदी समकक्षों, बैंक शेष (नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा), निवेश, ऋण परिसंपत्तियों, व्यापार प्राप्य और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से प्रभावित होता है जिसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है। कंपनी ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षों के चूक की लगातार निगरानी करती है और इस जानकारी को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में शामिल करती है।

49.1.1 वित्तीय परिसंपत्तियां जो एंटिटी को ऋण जोखिम में दर्शाती है

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(i)	**वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि पर कम ऋण जोखिम**		
	नकद और नकद समतुल्य	45.36	54.69
	बैंक शेष (नकद और नकद समतुल्य के अलावा)	881.52	1,695.15
	ऋण *	5,77,231.42	5,21,767.83
	निवेश (इक्विटी निवेशों को छोड़कर)	9,421.36	6,167.36
	ट्रेड और अन्य प्राप्य	3.87	1.99
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	24,552.10	24,603.68
(ii)	**मध्यम ऋण जोखिम**		
	ऋण *	11,310.98	45,471.51
(iii)	**उच्च ऋण जोखिम**		
	ऋण *	1,384.75	7,652.65
	अधिमानित शेयर में निवेश#	28.72	28.72
	ट्रेड और अन्य प्राप्य #	27.03	27.11
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां#	124.02	149.22

**अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए कटौती के बिना बकाया मूल (लेटर ऑफ कम्फर्ट की ओर अविस्तारित राशि के साथ) का प्रतिनिधित्व करता है*

#अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए कटौती के बिना बकाया मूल का प्रतिनिधित्व करता है।

नकदी एवं नकदी के समतुल्य तथा बैंक शेष

नकदी एवं नकदी के समतुल्य और बैंक शेष से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन निवेश ग्रेड रेटेड इन्स्ट्रूमेंट्स तथा अत्यधिक रेटेड बैंकों और पूरे देश में विभिन्न इन्स्ट्रूमेंट्स/बैंकों में निवेश कर जमा आधार का विविधीकरण करके भी पार्किंग निधियों से किया जाता है।

ऋण

उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण जोखिम भावी परियोजना ऋण परिसंपत्तियों, प्राप्य, मालसूची अथवा अन्य किसी परिसंपत्ति, सरकारी गारंटी, निगम गारंटी आदि और अतिरिक्त रूप से सहायकों, जहां भी अपेक्षित हो, के दृष्टि बंधक द्वारा ऋणों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाओं के माध्यम से कम किए जाते हैं। यह कंपनी उधारकर्ता की ऋण सीमाओं को परिभाषित करने और ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित संस्थागत तथा परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया विश्लेषण से बनाए गए सुपरिभाषित कंपनी मूल्यांकन दिशा-निर्देशों के माध्यम से संवर्धकों की ऋण योग्यता का बारीकी से मूल्यांकन करती है जिससे पूर्व परिकलित धनराशि का ऋण जोखिम सीमित होता है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन सिद्धांत, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना तथा ऋण जोखिम कम करने के उपाय, पूर्व संवितरण शर्तों के रूप में शामिल होते हैं।

सरकारी प्रतिभूतियों (जी-एसईसी), राज्य विकास ऋण और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

उच्च गुणवत्ता वाले तरल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) में निवेश से संबंधित क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन अच्छी वित्तीय स्थिति वाले सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य विकास ऋणों और पीएसयू बॉण्ड में निवेश करके किया जाता है और विभिन्न परिपक्वता/क्षेत्र में निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने और नियमित आधार पर वित्तीय स्वास्थ्य की निगरानी की जाती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

ऋणी संस्थाओं द्वारा ऋण निपटान / समाधान के समय जारी प्रतिभूतियों में निवेश

कंपनी को उधारकर्ता संस्थाओं द्वारा जारी विभिन्न प्रतिभूतियों को निपटान/समाधान योजना के एक भाग के रूप में प्राप्त किया गया है, जिसे कंपनी या ऋणदाताओं के कंसोर्टियम द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है और दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत समाधान के मामले में, सक्षम क्षेत्राधिकार के ऋणदाताओं की समिति और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा अनुमोदित किया गया है। इन प्रतिभूतियों से संबंधित क्रेडिट जोखिम की निगरानी करके ऐसी राशियों की वसूली का लगातार प्रबंधन किया जाता है।

ट्रेड और अन्य प्राप्य

परिशोधित लागत पर मापी गई व्यापार और अन्य प्राप्तियों में शुल्क आय और आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क शामिल है। ऐसी प्राप्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन राशियों की वसूली की निरंतर निगरानी करके किया जाता है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय संपत्तियों में कर्मचारियों और सहायक कंपनी को दिए गए ऋण और अग्रिम, प्रतिभूति जमा और भारत सरकार से वसूल की जा सकने वाली अन्य राशि शामिल है। इन अन्य वित्तीय संपत्तियों से संबंधित क्रेडिट जोखिम की निगरानी लगातार ऐसी राशि की वसूली के माध्यम से की जाती है।

49.1.2 ऋण और निवेश के अलावा वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानियां (ईसीएल)

कंपनी किसी भी क्रेडिट नुकसान की अपेक्षा के लिए व्यक्तिगत वित्तीय उपकरणों का आकलन करके ऋण/निवेश के अलावा वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट हानियां के लिए प्रदान करती है:

- **नकदी एवं नकदी के समतुल्यों और बैंक शेषों के लिए (नकदी एवं नकदी के समतुल्यों के अलावा)**- चूंकि कंपनी केवल उच्च रेटिंग वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ बैंकिंग कार्यों के लिए और अधिशेष निधियों के अल्पकालिक निवेश के लिए निरंतर ट्रैक रिकॉर्ड के साथ ऋण निधियों में तरल निधियों की श्रेणी के साथ व्यवहार करती है, नकद और नकद समकक्षों के संबंध में क्रेडिट जोखिम, अन्य बैंक शेष और बैंक जमा का मूल्यांकन बहुत कम के रूप में किया जाता है।
- **ट्रेड और अन्य प्राप्तियों के लिए** - परिशोधित लागत पर मापा गया व्यापार और अन्य प्राप्य में आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर में शुल्क आय और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क शामिल है
- **अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां** - क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन उन पार्टियों की क्रेडिट योग्यता के बारे में कंपनी के ज्ञान के आधार पर किया जाता है और प्रारंभिक मान्यता पर 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए हानि भत्ता मापा जाता है और क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि पर जीवन भर अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रदान की जाती है।

ऋण और निवेश के अलावा वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि का विवरण निम्नानुसार प्रकट किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक			31-03-2026 तक		
	सकल धारित राशि (क)	ईसीएल (ख)	निवल धारित राशि (क-ख)	सकल धारित राशि (घ)	ईसीएल (ङ)	निवल धारित राशि (घ-ङ)
नकदी एवं नकदी के समतुल्य	45.36	-	45.36	54.69	-	54.69
बैंक शेष(नकदी एवं नकदी के समतुल्य के अलावा)	881.52	-	881.52	1,695.15	-	1,695.15
ट्रेड और अन्य प्राप्य	30.90	27.03	3.87	29.10	27.11	1.99
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां *	24,676.12	124.02	24,552.10	24,752.90	149.22	24,603.68

** क्रेडिट-इम्पेयर्ड मानी जाने वाली 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों' पर हानि भत्ता पूर्ण रूप से प्रदान किया गया है।*

49.1.3 निवेश के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि

निवेश के मामले में, (बीबीबी-) के बराबर या उससे अधिक रेटिंग और 30 दिनों से कम के डीपीडी वाली प्रतिभूतियों को कम क्रेडिट जोखिम माना जाता है और इसलिए वे चरण 1 की परिसंपत्तियों का हिस्सा बनेंगी। इसी तरह, 30 दिनों से अधिक (और 90 दिनों तक) के डीपीडी के साथ प्रतिभूतियों या यदि उपकरण की रेटिंग सबसे कम निवेश ग्रेड यानी (बीबीबी-) से नीचे गिरती है, तो एक निवेश को क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव माना जाता है और इसे चरण 2 की परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसी निवेश को क्रेडिट-बाधित या चरण 3 की परिसंपत्तिय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब जारीकर्ता कंपनी ने 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अपने संविदात्मक भुगतान दायित्व का निर्वहन करने में चूक की है ""या"" उधारकर्ता कंपनी की रेटिंग जंक स्थिति में डाउनग्रेड हो गई है/चूक हो गई है या कंपनी ने दिवालियापन के लिए आवेदन किया है।

- **सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए राज्य विकास ऋण और ऋण प्रतिभूतियाँ** - यह देखते हुए कि निवेश सरकारी प्रतिभूतियों/न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटेड सरकारी/निजी कंपनियों सहित ऋण प्रतिभूतियों में है, क्रेडिट जोखिम कम माना जाता है।
- **ऋण समझौते/समाधान के समय उधारकर्ता संस्थाओं द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए** - ऐसी प्रतिभूतियों की वसूली के आधार पर क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। जहां भी ऐसे निवेशों पर मध्यम या उच्च जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है, वहां उपयुक्त ईसीएल भत्ता प्रदान किया जाता है।

निवेशों पर अपेक्षित ऋण हानि का विवरण निम्नानुसार प्रकटीकृत है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक			31-03-2025 तक		
	सकल धारित राशि (क)	ईसीएल (ख)	निवल धारित राशि (क-ख)	सकल धारित राशि (घ)	ईसीएल (ङ)	निवल धारित राशि (च = घ-ङ)
निवेश* (इक्विटी निवेश को वर्जित करते हुए)	9,540.08	34.35	9,415.73	6,196.08	31.98	6,164.10

**रतनइंडिया पावर लिमिटेड के क्रेडिट-बाधित माने जाने वाले 'रिडीम करने योग्य वरीयता शेयरों में निवेश' पर पूर्ण हानि भत्ता प्रदान किया गया है।*

लेखा संबंधी टिप्पणियां

49.1.4 ऋण के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि

जोखिम प्रबंधन रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए कंपनी क्रेडिट जोखिम के निम्नलिखित तत्वों पर विचार करती है और उन्हें समेकित करती है:

क्रेडिट डिफॉल्ट जोखिम - किसी भी भौतिक क्रेडिट दायित्व पर देय तिथि के 90 दिनों से अधिक समय तक पूर्ण रूप से अपने दायित्वों का भुगतान करने की संभावना नहीं होने वाले देनदार/जारीकर्ता से उत्पन्न होने वाले नुकसान का जोखिम; डिफ़ॉल्ट जोखिम सभी क्रेडिट-संवेदनशील लेनदेन, जिसमें ऋण और प्रतिभूतियाँ शामिल हैं, को प्रभावित कर सकता है।

संकेंद्रण जोखिम - किसी भी एकल जोखिम या जोखिमों के समूह से जुड़े जोखिम से कंपनी के मुख्य कार्यों को खतरे में डालने के लिए काफी बड़े नुकसान का उत्पादन करने की संभावना है।

(क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम विभिन्न स्तरों पर प्रबंधित किया जाता है, जिसमें मूल्यांकन, संवितरण और संवितरण के बाद निगरानी शामिल हैं। कंपनी के पास "एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश" और "व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति" मौजूद है। क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए कंपनी क्रेडिट जोखिम के आकलन हेतु व्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण करती है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना और ऋण जोखिम कम करने जैसे उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, आवधिक आधार पर, ऋण परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उन्हें ईसीएल पद्धति के आधार पर उच्च/मध्यम/निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्रेडिट जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

(i) कंपनी के पास क्रेडिट मूल्यांकन, जोखिम ग्रेडिंग, संपार्श्विक आवश्यकताओं, रिपोर्टिंग, निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी आदि को शामिल करते हुए "एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश" उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कानूनी जोखिम का प्रभावी प्रलेखन और शमन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र ऋणदाता कानूनी परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं।

(ii) सभी मौजूदा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, जहाँ कंपनी अग्रणी वित्तीय संस्थान है, कंपनी ऋणदाता के स्वतंत्र इंजीनियर्स (एलआईई), ऋणदाता के वित्तीय सलाहकार (एलएफए) और ऋणदाता के बीमा सलाहकार (एलआईए) नियोजित करती है, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं जो विभिन्न ऋणदाताओं और संघ सदस्यों की ओर से कार्य करती हैं। एलआईई ऋणकर्ता के साथ चर्चा और प्रासंगिक इंस्ट्रूमेंट्स की जांच / समीक्षा के बाद, परियोजना साइट का दौरा करती है और इसकी प्रगति की स्थिति पर आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। एलएफए परियोजना में समय–समय पर निधि प्रवाह और धन के उपयोग के विवरण प्रस्तुत करता है। ऐसे मामलों में जहां कंपनी जहाँ कंपनी अग्रणी वित्तीय संस्थान नहीं है, एलआईई और एलएफए सेवाओं से संबंधित कार्यों को अग्रणी ऋणदाता के साथ समन्वित किया जा रहा है।

कंपनी वित्तपोषित की जाने वाली नई परियोजनाओं के लिए एक अलग परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नियुक्त करने का भी प्रयास करती है, जो एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एलआईई / परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी), एलएफए और एलआईए के संपूर्ण कार्यों का निर्वाह करती है। परियोजना की प्रगति की निगरानी, ईपीसी / गैर–ईपीसी संविदाओं और बीजकों की समीक्षा, निधि के उपयोग और परियोजना के लिए बीमा सहित परियोजना की विभिन्न गतिविधियों को बारीकी से देख–रेख करने के लिए पीएमए परियोजना स्थल पर दिन–रात तैनात रहती है। पीएमए मूल उपस्कर विनिर्माता / आपूर्तिकर्ता के बिलों, ठेके दार के समग्र काम की पुष्टि करता है और संवितरण के लिए अपनी सिफारिश करता है। मूल परियोजना लागत और सीओडी सहित तकनीकी और वित्तीय मापदंडों की पवित्रता को बनाए रखते हुए पीएमए द्वारा प्रारंभिक अपेक्षित सतर्कता भी बरती जाती है।

दबावग्रस्त परियोजनाओं के लिए ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट (टीआरए) की प्रभावी निगरानी के लिए मामले दर मामला आधार पर आरईसी / उधारदाताओं द्वारा विशेष निगरानी / नकदी प्रवाह निगरानी एजेंसियों के लिए समवर्ती लेखापरीक्षकों / एजेंसियों की भी नियुक्ति की जा रही है।

(iii) कंपनी में क्रेडिट सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए एक प्राधिकार अवसंरचना है। प्राधिकार सीमाएं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक समिति /ऋण समिति / निदेशक मण्डल के चरण पर यथा उपयुक्त जांच समिति की सिफारिश के आधार पर व्यापारिक प्रस्ताव के आकार के अनुरूप स्थापित की गई है।

(iv) कंपनी में उपयुक्त ब्याज दरें और प्रतिभूति पैकेज लगाकर चूक के जोखिम की मात्रा के अनुसार उसके निपटानों की श्रेणी बनाने के लिए जोखिम ग्रेडिंग संरचना विकसित की है।

(v) ऋण पोर्टफोलियो की ऋण गुणवत्ता संबंधी रिपोर्टें जोखिम प्रबंधन समिति तथा बोर्ड को दी जाती हैं जोकि की जाने वाली उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाही की मांग कर सकता है।

(vi) ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए पूरी कंपनी में सर्वोत्तम परिपाटी संवर्धित करने के लिए विशेषज्ञ कौशल प्रदान करने के साथ–साथ व्यापारिक यूनिटों द्वारा अपनाए जा रहे दिशा–निर्देशों, नीति और विद्यमान परिपाटियों की समीक्षा करने के लिए समय–समय पर बाहरी एजेंसियां नियुक्त की जाती हैं।

(vii) अलग–अलग और समूह ऋण एक्सपोज़र का मूल्यांकन संबंधित व्यापारिक यूनिट द्वारा लेनदारों को सुविधाएं प्रतिबद्ध करने से पूर्व निर्धारित सीमाओं के विरुद्ध किया जाता है। अतिरिक्त सुविधाओं की स्वीकृति भी उसी समीक्षा प्रक्रिया के अध्यधीन होती है।

(viii) कंपनी लगातार ऋणकर्ताओं और अन्य समकक्ष पक्षकारों के विलंब और / या चूक और उनकी वसूली क्षमता की निगरानी करती है। ऋणकर्ता के खाते में चूक की घटना होने पर कंपनी चूक को ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है, जिसमें आगे वर्णित कार्यवाही (कार्यवाहियां) शामिल हो सकती है, लेकिन ये केवल इतने तक ही सीमित नहीं है, आरबीआई को रिपोर्टिंग के साथ विशेष उल्लेख खाता (एसएमए), क्रेडिट रिपॉजिटरी ऑफ़ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी) को जानकारी की रिपोर्टिंग, टीआरए खाते की निगरानी, ऋण समझौते के अनुसार इक्विटी में ऋण के रूपांतरण, ऋण खाते के पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ संकल्प योजना तैयार करने, स्वामित्व में परिवर्तन, कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी), बकाया राशि वसूल करने के लिए गारंटी / प्रतिभूतियों के आह्वान सहित अन्य संस्थाओं / निवेशकों और अन्य वसूली तंत्रों को एक्सपोज़र की बिक्री आदि।

(ख) क्रेडिट जोखिम मापन

ऋण परिसंपत्तियों पर इम्पेयरमेंट हानि भत्ते के लिए निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक इंड एएस 109 के अनुसार प्रावधान किया जाता है, जो क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार/ गिरावट का आकलन करने के लिए प्रमुख वित्तीय और प्रचालन मापदंडों के आधार पर क्रेडिट जोखिम को मापता है। प्रबंधन मॉडल आउटपुट पर ओवरले, यदि कोई है, करता है, जिसे लेखापरीक्षा समिति द्वारा विधिवत दस्तावेजीकृत (प्रलेखित) और अनुमोदित किए जाते हैं। अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी, आईसीआरए एनालिटिक्स लिमिटेड (पूर्व में आईसीआरए ऑनलाइन लिमिटेड) द्वारा किया जाता है।

कंपनी के पास राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य विद्युत संस्थानों की ग्रेडिंग के लिए एक आंतरिक प्रणाली मौजूद है। हालाँकि, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए कंपनी विद्युत मंत्रालय द्वारा रेटिंग की प्रक्रिया को तब अपनाता है, जब वे अद्यतन किए जाते हैं। इन रेटिंग्स को रेटिंग ट्रांज़िशन मैट्रिक्स के हिस्से के रूप में विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग ग्रेड के साथ मैप किया जाता है। निजी ऋणकर्ताओं के लिए कंपनी या तो विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग का उपयोग करती है या फिर ऐसी रेटिंग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रॉक्सी जोखिम स्कोर का प्रयोग करती है। प्रॉक्सी ज़ोखिम स्कोर मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया जाता है:

<u>मात्रात्मक कारक</u>

ऋण/ईबीआईटीडीए (30% भार)

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (15% भार)

ब्याज कवरेज (25% भार)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

गियरिंग (ऋण / इक्विटी) (30% भार)

गुणात्मक कारक

तिमाही–वार प्रचालनात्मक मानदंड, यथा पीपीए, पीएलएफ, एसीएस – एआरआर अंतर और एलएएफ,सीयूएफ आदि

वास्तविक चूक की तिथि

परियोजना की स्थिति

(ग) **अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मापन**

भारतीय लेखांकन मानक इंड एएस 109 में नीचे संक्षेप में बताए गए अनुसार प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर हानि के लिए एक “तीन चरण” वाले मॉडल की रूपरेखा दी गई है :

– एक वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट जो प्रारंभिक मान्यता पर क्रेडिट इंपेयर्ड नहीं है और जिसका क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक चरण “ चरण 1” के रूप में वर्गीकृत होने के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है।

– यदि इस बात की पहचान हो जाती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो वित्तीय लिखत को “ चरण 2” में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसे मानद रूप से क्रेडिट क्षतिपूरित हुआ नहीं माना जाता है।

– यदि कोई वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट क्रेडिट इंपेयर्ड हुआ है, तो इसे “चरण 3” में ले जाया जाता है।

– चरण 1 में वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट का अपेक्षित क्रेडिट नुकसान के बराबर की राशि पर ईसीएल मापा जा चुका है, जो अगले 12 महीनों के भीतर संभावित चूक की घटनाओं के परिणामस्वरूप हो सकता है। चरण 2 या चरण 3 मानदंड में इन्स्ट्रूमेंट का ईसीएल आजीवन आधार पर मापा जाता है।

(घ) **ऋण जोखिम (एसआईसीआर) में महत्वपूर्ण वृद्धि**

कंपनी का मानना है कि निम्नलिखित मामलों में किसी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट पर ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

सभी श्रेणी के उधारकर्ताओं के लिए: -

i. जब किसी वित्तीय साधन पर भुगतान उसके संविदात्मक भुगतानों की देय तिथि से 30 दिन से अधिक हो गया हो,

ii. चरण 1 ऋण संपत्ति पुनर्गठन योजना के अनुसार नियमित भुगतान के एक वर्ष तक पुनर्गठन के अधीन है

iii. उधारकर्ता के रेटिंग परिवार में दो या दो से अधिक पायदानों की रेटिंग/ग्रेडिंग कम कर दी गई (भले ही उधारकर्ता डीपीडी आधार पर चरण 1 में हो)

निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए अतिरिक्त कारक: -

i. उधारकर्ता की क्रेडिट रेटिंग में 'सी-' तक की गिरावट,

ii. परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन की शुरुआत की तारीख में 3 साल से अधिक की देरी।

(ङ) **डिफ़ॉल्ट तथा क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियों की परिभाषा**

कंपनी एक वित्तीय साधन को डिफ़ॉल्ट के रूप में परिभाषित करती है, जो क्रेडिट-बाधित की परिभाषा के साथ पूरी तरह से संरेखित है, जब ऋण खाता अपने संविदात्मक भुगतानों पर 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार कंपनी द्वारा अनुमत ऐसी कोई अवधि।

(च) **ईसीएल का मापन – इनपुट, अवधारणाओं और अनुमानित तकनीकों की व्याख्या**

अपेक्षित क्रेडिट हानि डिफ़ॉल्ट की संभावना (पीडी), डिफ़ॉल्ट पर एक्सपोज़र (ईएडी) और डिफ़ॉल्ट रूप से दी गई हानि (एलजीडी) का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

– पीडी अगले 12 महीनों में या इंस्ट्रूमेंट के शेष जीवनकाल में अपनी बाध्यता पर ऋणकर्ता की डिफ़ॉल्ट की संभावना को दर्शाता है।

– ईएडी में मूल बकाया राशि (इसके साथ ही क्रेडिट वार्ता कारक (सीसीएफ) लागू न लिए गए हिस्से के साथ), अर्जित ब्याज, वित्तीय परिसंपत्ति पर बकाया ब्याज और बकाया लेटर्स ऑफ कम्फर्ट/लेटर ऑफ अंडरटेकिंग शामिल हैं, जो कंपनी को डिफ़ॉल्ट के समय बकाया होने की उम्मीद है।

– एलजीडी डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में कंपनी द्वारा अपेक्षित हानि को दर्शाता है। एलजीडी को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और यह उस राशि के अनुपात को दर्शाता है जो डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में, वसूलियों के बाद वास्तव में हानि होगी।

चूक की संभावना (पीडी) का निर्धारण

कंपनी ने ऋण अवधि/परिपक्वता प्रोफाइल यानी जीवनकाल के अनुसार विभिन्न रेटिंग ग्रेड के डिफ़ॉल्ट की आजीवन संभावना पर पहुंचने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित उपलब्ध औसत वार्षिक रेटिंग ट्रांजिशन मैट्रिक्स का विश्लेषण किया है। इस वार्षिक ट्रांजिशन मैट्रिक्स पीडी को ऋण अवधि/परिपक्वता प्रोफाइल द्वारा विभिन्न रेटिंग ग्रेड के डिफ़ॉल्ट की आजीवन संभावना पर पहुंचने के लिए एक्सट्रपलेशन किया गया था।

राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए, कंपनी विद्युत मंत्रालय द्वारा रेटिंग को अपनाती है और जब भी उन्हें अपडेट किया जाता है। एमओपी और बाहरी रेटिंग एजेंसियां अलग-अलग रेटिंग नामकरण का उपयोग करती हैं। इसलिए, क्रेडिट जोखिम के संदर्भ में समान परिणाम व्यक्त करने के लिए दोनों नामकरण को मैप किया जाता है, जिससे पीडी असाइनमेंट में स्थिरता और सटीकता सुनिश्चित होती है।

लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट (एलजीडी) कम्प्यूटेशन मॉडल

ऐतिहासिक रुझान, अनुसंधान और उद्योग बेंचमार्किंग के आधार पर कंपनी ने एक एलजीडी मॉडल का निर्माण किया है। एलजीडी मॉडल में समीक्षा किए गए कारकों में प्रति यूनिट परियोजना लागत, पीपीए की स्थिति, एफएसए की स्थिति आदि शामिल हैं। आंतरिक अनुसंधान के आधार पर कंपनी ने निजी क्षेत्र में थर्मल, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए इन कारकों को बेंचमार्क किया है। निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के मामले में, एलजीडी का पता लगाने के लिए परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य का पता लगाने हेतु कंपनी द्वारा की गई मूल्यांकन रिपोर्टों, समाधान प्रक्रिया के परिणाम आदि सहित उचित अनुमानों का उपयोग किया गया। राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कंपनी ने राज्य सहायता में उद्घाटित किया है और यह माना कि राज्य / केंद्र सरकारें अतीत में देखी गई राज्य क्षेत्र की संस्थानों (बिजली कंपनियों) के ऋण दायित्वों को चुकाने के लिए कदम उठाएंगी।

(छ) **ईसीएल के माप में उपयोग की जाने वाली मुख्य धारणाएँ**

(i) कंपनी प्रारंभिक मान्यता की तिथि को आधार तिथि मानती है जिससे क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि निर्धारित की जाती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ii) ईएडी में मूल बकाया राशि (इसके साथ ही क्रेडिट वार्ता कारक (सीसीएफ) लागू न लिए गए हिस्से के साथ), अर्जित ब्याज, वित्तीय परिसंपत्ति पर बकाया ब्याज और बकाया लेटर्स ऑफ कम्फर्ट/लेटर ऑफ अंडरटेकिंग शामिल हैं, जो कंपनी को डिफ़ॉल्ट के समय बकाया होने की उम्मीद है।

(ज) क्रेडिट जोखिम एक्सपोज़र

विभिन्न क्रेडिट रेटिंग वाले उधारकर्ताओं के संबंध में क्रेडिट जोखिम एक्सपोज़र निम्नानुसार है

(₹ करोड़ में)

ऋण जोखिम श्रेणी (आंतरिक/ मैप की गई रेटिंग)	31-03-2026 तक				31-03-2025 तक			
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
निष्पादन								
बहुत अच्छा (एएए | एए | ए | सरकारी ऋण)	2,67,788.14	9,966.88	-	2,77,755.02	2,27,156.98	41,032.49	-	2,68,189.47
अच्छा (बीबीबी | बीबी | बी)	2,36,005.71	343.46	-	2,36,349.17	1,78,400.70	4,088.70	-	1,82,489.40
औसत (सी)	73,437.57	10.01	-	73,447.58	1,16,210.15	-	-	1,16,210.15
उचित (डी)	-	990.63	-	990.63	-	350.32	-	350.32
गैर-निष्पादित (डी)	-	-	1,384.75	1,384.75	-	-	7,652.65	7,652.65
सकल एक्सपोज़र	**5,77,231.42**	**11,310.98**	**1,384.75**	**5,89,927.15**	**5,21,767.83**	**45,471.51**	**7,652.65**	**5,74,891.99**
हानि भत्ता (एलओसी सहित)	6,040.53	178.48	707.98	6,926.99	4,822.81	501.95	5,489.48	10,814.24
निवल एक्सपोज़र	**5,71,190.89**	**11,132.50**	**676.77**	**5,83,000.16**	**5,16,945.02**	**44,969.56**	**2,163.17**	**5,64,077.75**

(झ) समपार्श्विक तथा अन्य ऋण वृद्धिया

कंपनी ऋण जोखिम को कम करने के लिए कई नीतियां और परिपाटियां लगाती है। इनमें से सबसे सामान्य संवितरित निधियों के लिए समपार्श्विक को स्वीकार करना है। कंपनी में समपार्श्विक अथवा ऋण जोखिम को कम करने की विशेष श्रेणियों की स्वीकार्यता के संबंध में आंतरिक नीतियां हैं। ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रमुख समपार्श्विक प्रकार निम्नलिखित हैं:

- अचल परिसंपत्तियों का बंधक
- चल परिसंपत्ति का दृष्टि बंधक
- परियोजना संविदा दस्तावेजों को सौंपना
- इन्स्ट्रूमेंट्स का संकल्प जिसके माध्यम से प्रमोटर का अंशदान परियोजना में लगाया जाता है
- प्रमोटर की शेयरधारिता का संकल्प
- प्रमोटर की व्यक्तिगत तथा कारपोरेट गारंटी

(ञ) हानि भत्ता

अवधि में मान्यता प्राप्त हानि भत्ता विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

- चरण 1 और चरण 2 या 3 के बीच वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स में क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (या कमी) का अनुभव होने या अवधि में क्रेडिट-इम्पेयर्ड होने के कारण स्थानांतरण, और परिणामस्वरूप 12 माह के बीच "स्टेप अप" (या "स्टेप डाउन") और जीवनपर्यंत ईसीएल
- अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त नए वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स के लिए अतिरिक्त भत्ते, साथ ही अवधि में गैर-मान्यता प्राप्त वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स के लिए रिलीज़
- मॉडलों में नियमित रूप से इनपुट को ताज़ा करने से उत्पन्न अवधि में पीडी, ईएडी और एलजीडी में परिवर्तन के कारण ईसीएल के माप पर प्रभाव
- अवधि के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियां डी-मान्यता प्राप्त हुईं और परिसंपत्तियों से संबंधित भत्तों की राइट-ऑफ जो अवधि के दौरान राइट ऑफ की गई थीं

निम्नलिखित तालिकाएँ रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत के बीच ऋण परिसंपत्तियों (संवितरित किए गए लेटर्स ऑफ कम्फर्ट सहित) और संबंधित ईसीएल भत्ते में परिवर्तन की व्याख्या करती हैं:

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	चरण 1		चरण 2		चरण 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
प्रारंभिक शेष	**5,21,767.83**	**4,822.81**	**45,471.51**	**501.95**	**7,652.65**	**5,489.48**	**5,74,891.99**	**10,814.24**
12 महीने के ईसीएल में स्थानांतरण	34,098.14	382.46	(34,098.14)	(382.46)	-	-	-	-
जीवनकाल ईसीएल में स्थानांतरण से क्रेडिट इम्पेयर्ड नहीं	(384.83)	(1.10)	1,496.90	361.14	(1,112.07)	(360.04)	-	-
जीवनकाल ईसीएल में स्थानांतरण से क्रेडिट इम्पेयर्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
पीडी/एलजीडी में परिवर्तनों के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	73.87	-	(240.35)	-	30.83	-	(135.65)
नई वित्तीय परिसंपत्तियां उत्पन्न या खरीदी गईं (मौजूदा परिसंपत्तियों में आगे के संवितरण सहित)	2,16,516.97	2,101.22	3.30	-	-	-	2,16,520.27	2,101.22

	चरण 1		चरण 2		चरण 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें पुनर्मान्यता दी गई है (मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	(1,94,766.69)	(1,338.73)	(1,562.59)	(61.80)	(1,361.39)	(657.85)	(1,97,690.67)	(2,058.38)
टेक्निकल राइट-ऑफ	-	-	-	-	(1,397.58)	(1,397.58)	(1,397.58)	(1,397.58)
उपर्युक्त के अलावा अन्य राइट ऑफ	-	-	-	-	(2,396.86)	(2,396.86)	(2,396.86)	(2,396.86)
अंतिम शेष	**5,77,231.42**	**6,040.53**	**11,310.98**	**178.48**	**1,384.75**	**707.98**	**5,89,927.15**	**6,926.99**

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	चरण 1		चरण 2		चरण 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	जीवनपर्यंत ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
प्रारंभिक शेष	**4,82,554.12**	**2,767.04**	**18,999.65**	**191.70**	**13,810.33**	**9,453.80**	**5,15,364.10**	**12,412.54**
12 महीने के ईसीएल में स्थानांतरण	392.16	41.21	(392.16)	(41.21)	-	-	-	-
जीवनकाल ईसीएल में स्थानांतरण से क्रेडिट इम्पेयर्ड नहीं	(28,280.78)	(113.48)	28,280.78	113.48	-	-	-	-
जीवनकाल ईसीएल में स्थानांतरण से क्रेडिट इम्पेयर्ड	(14.89)	(1.03)	-	-	14.89	1.03	-	-
पीडी/एलजीडी में परिवर्तनों के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	268.70	-	258.26	-	0.97	-	527.93
नई वित्तीय परिसंपत्तियां उत्पन्न या खरीदी गईं (मौजूदा परिसंपत्तियों में आगे के संवितरण सहित)	1,95,040.20	2,321.88	1,888.35	7.80	-	-	1,96,928.55	2,329.68
वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें पुनर्मान्यता दी गई है (मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	(1,27,922.98)	(461.51)	(3,305.11)	(28.08)	(3,688.03)	(1,481.78)	(1,34,916.12)	(1,971.37)
टेक्निकल राइट-ऑफ	-	-	-	-	-	-	-	-
उपर्युक्त के अलावा अन्य राइट ऑफ	-	-	-	-	(2,484.54)	(2,484.54)	(2,484.54)	(2,484.54)
अंतिम शेष	**5,21,767.83**	**4,822.81**	**45,471.51**	**501.95**	**7,652.65**	**5,489.48**	**5,74,891.99**	**10,814.24**

(ट) चरण वार एक्सपोज़र और इंपेयरमेंट हानि भत्ता का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक				31-03-2025 तक			
	चरण I	चरण II	चरण III	कुल	चरण I	चरण II	चरण III	कुल
कुल एक्सपोज़र	5,77,231.42	11,310.98	1,384.75	5,89,927.15	5,21,767.83	45,471.51	7,652.65	5,74,891.99
इंपेयरमेंट भत्ता	6,040.53	178.48	707.98	6,926.99	4,822.81	501.95	5,489.48	10,814.24
ईसीएल %	1.05%	1.58%	51.13%	1.17%	0.92%	1.10%	71.73%	1.88%

(ठ) क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण

कंपनी उधारकर्ता के प्रकार के आधार पर जिसमें उधारकर्ता काम करता है, उद्योग के प्रकार के आधार पर ऋण जोखिम (बिना वितरित लेटर्स ऑफ कम्फर्ट सहित ऋण परिसंपत्तियां) की एकाग्रता की निगरानी करती है, जो उधारकर्ता के प्रकार में आगे विभाजित होती है, चाहे वह राज्य क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	सकल राशि	ईसीएल*	सकल राशि	ईसीएल
उद्योग द्वारा संकेंद्रण				
उत्पादन	1,46,100.18	3,310.43	1,55,078.89	6,762.83
नवीकरणीय ऊर्जा	80,052.82	769.99	63,665.96	1,013.41
ट्रांस्कोस	45,822.78	71.93	47,874.68	41.35
डिस्कॉम्स	2,56,317.63	2,486.18	2,34,130.98	2,942.82
पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर	36,803.63	249.85	50,953.11	43.35
इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं लॉजिस्टिक्स	22,610.12	38.58	20,638.62	10.44

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	सकल राशि	ईसीएल*	सकल राशि	ईसीएल
सरकारी ऋण	2,219.99	0.03	2,549.75	0.04
कुल	**5,89,927.15**	**6,926.99**	**5,74,891.99**	**10,814.24**
स्वामित्व द्वारा संकेंद्रण				
राज्य क्षेत्र (यानी, राज्य और/या केंद्र सरकार के नियंत्रण वाली संस्थाएं)	4,94,595.93	5,335.33	4,94,580.49	4,612.58
निजी क्षेत्र	95,331.22	1,591.66	80,311.50	6,201.66
कुल	**5,89,927.15**	**6,926.99**	**5,74,891.99**	**10,814.24**

*₹33.54 करोड़ (31.03.2025 ₹18.48 करोड़ के रूप में) के लेटर ऑफ कम्फर्ट और ₹6267.79 करोड़ (31.03.2025 ₹8008.70 करोड़ के रूप में) की अंडरटेकिंग के लिए ईसीएल सहित

(ड) क्षेत्र-वार क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियां – उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के चरण–III परिसंपत्तियों का प्रतिशत

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र	**0.24%**	**1.35%**
- विद्युत	0.24%	1.35%

(ढ) क्रेडिट–इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
(i)	**सकल अग्रिमों हेतु सकल क्रेडिट–इंपेयर्ड परिसंपत्तियां (%)**	0.24%	1.35%
(ii)	**सकल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट–इंपेयर्ड परिसंपत्तियां (%)**	0.12%	0.38%
(iii)	**निवल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट–इंपेयर्ड परिसंपत्तियां (%)**	0.12%	0.39%
(iv)	**क्रेडिट–इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (सकल)**		
(क)	प्रारम्भिक शेष	7,652.65	13,810.33
(ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	14.89
(ग)	वर्ष के दौरान कटौती	(2,473.46)	(3,688.03)
(घ)	वर्ष के दौरान टेक्निकल राइट-ऑफ	(1,397.58)	
(ङ)	वर्ष के दौरान दिए गए अपवादों के अलावा अन्य राइट ऑफ	(2,396.86)	(2,484.54)
(च)	अंतिम शेष	**1,384.75**	**7,652.65**
(v)	**क्रेडिट–इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (निवल)**		
(क)	प्रारम्भिक शेष	2,163.17	4,356.53
(ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	(30.83)	12.89
(ग)	वर्ष के दौरान कटौती	(1,455.57)	(2,206.25)
(घ)	वर्ष के दौरान टेक्निकल राइट-ऑफ	-	-
(ङ)	वर्ष के दौरान दिए गए अपवादों के अलावा अन्य राइट ऑफ	-	-
(च)	अंतिम शेष	**676.77**	**2,163.17**
(vi)	**क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियों हेतु प्रावधानों का संचलन**		
(क)	प्रारम्भिक शेष	5,489.48	9,453.80
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	30.83	2.00
(ग)	वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का राइट-बैक	(1,017.89)	(1,481.78)
(घ)	वर्ष के दौरान टेक्निकल राइट-ऑफ	(1397.58)	
(ङ)	वर्ष के दौरान दिए गए अपवादों के अलावा अन्य राइट ऑफ	(2396.86)	(2,484.54)
(च)	अंतिम शेष	**707.98**	**5,489.48**

(ण) भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2025 के अनुसार, अन्यथा आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋणों पर विचार किया गया था, 31.03.2026 सकल एनपीए से सकल ऋण अनुपात 2.19% (पिछले वर्ष 3.62%) और निवल एनपीए से निवल ऋण 1.92% (पिछले वर्ष 2.56%) होगा।

(त) राइट ऑफ नीति

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को, पूर्ण या आंशिक रूप से, न्यायिक प्राधिकरण के आदेश द्वारा निर्देशित करती है या जब उसने सभी व्यावहारिक वसूली प्रयासों को समाप्त कर दिया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि वसूली की कोई उचित उम्मीद नहीं है। वसूली की कोई उचित उम्मीद नहीं होने के संकेत में प्रवर्तन गतिविधि का बंद होना या जहां कंपनी की वसूली विधि संपार्श्विक पर फोरक्लोजिंग है और संपार्श्विक का मूल्य ऐसा है कि पूर्ण वसूली की कोई उचित उम्मीद नहीं है।

(थ) टेक्निकल राइट-ऑफ

कंपनी ने "समझौता निपटान और टेक्निकल राइट-ऑफ के लिए रूपरेखा" पर आरबीआई के 08 जून, 2023 के परिपत्र के अनुपालन में टेक्निकल राइट ऑफ नीति को मंजूरी दी है। तकनीकी राइट ऑफ चरण-3 के ऋण परिसंपत्तियां हैं जो उधारकर्ताओं के ऋण खाता स्तर पर बकाया हैं, लेकिन कंपनी द्वारा केवल लेखांकन उद्देश्यों के लिए, उधारकर्ता के खिलाफ दावों की किसी भी छूट के बिना और

उसी की वसूली के लिए पूर्वाग्रह के बिना, पूरी तरह या आंशिक रूप से राइट ऑफ कर दी गई हैं। नीति में टेक्निकल राइट ऑफ के लिए पूर्व शर्त, विवेकपूर्ण उपचार और ऐसे राइट ऑफ के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 1397.58 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की ₹ 1397.58 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की राशि के 5 ऋण खातों को टेक्निकल रूप से राइट ऑफ कर दिया है, जिन्हें 100% हानि भत्ता के साथ चरण-3 परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
टेक्निकल/प्रूडेंशियल राइट-ऑफ का प्रारंभिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान टेक्निकल/प्रूडेंशियल राइट-ऑफ	1,397.58	-
वर्ष के दौरान पहले टेक्निकल/प्रूडेंशियल राइट-ऑफ में डाले गए खातों से की गई वसूली	-	-
वर्ष के दौरान पहले टेक्निकल/प्रूडेंशियल राइट-ऑफ से किए गए योगदान	-	-
टेक्निकल/प्रूडेंशियल राइट-ऑफ का अंतिम शेष	1,397.58	-

(द) **व्यवसाय मॉडल नीति**

कंपनी अपने कारोबार को उस चरण पर निर्धारित करती है जो यह दर्शाता है कि यह अपने व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों का प्रबंधन कैसे करती है। कंपनी के कारोबार मॉडल का मूल्यांकन इंस्ट्रूमेंट–बाई–इंस्ट्रूमेंट आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि कुल पोर्टफोलियो के उच्च चरण पर किया जाता है।

कंपनी पावर/इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वैल्यू चेन में ऋण देने के कारोबार में है और ऋण की अवधि के दौरान संविदात्मक भुगतान (मूलधन और ब्याज सहित) एकत्र करके नकदी प्रवाह को साकार करने के लिए ऐसे ऋणों का प्रबंधन किया जाता है। इसके अलावा, सहमत शर्तों के अनुसार संविदात्मक भुगतान एकत्र करने के लिए कंपनी द्वारा ऋण लिखतों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रकृति में निवेश भी रखा जा सकता है।

इसलिए कंपनी का कारोबार मॉडल ऋण, कुछ निवेश और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए "संग्रहित करने के लिए होल्ड" है। ऐसी वित्तीय संपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि संविदात्मक शर्तें बकाया राशि पर केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान को जन्म देती हैं।

(ध) **परिशोधित लागत कारोबार से बाहर बिक्री के लिए नीति**

कंपनी अपने सामान्य कारोबार में ऋण परिसंपत्तियों सहित वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री नहीं करती है।

हालांकि, कंपनी भारत में विनियामक ढांचे के अनुसार ऋण-इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों के संबंध में देय राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ सकती है। परिणामस्वरूप, अशोध्य ऋण को या तो पुनर्गठित/पुन: बातचीत या आईबीसी कार्यवाही के हिस्से के रूप में निपटाया जा सकता है या अन्यथा और इंड एएस 109 - 'वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकताओं के अनुसार मान्यता के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

(न) ऐसा कोई खाता नहीं है जिसमें 90 दिनों से अधिक की अतिदेयता हो, लेकिन उसे क्रेडिट इम्पेयर्ड नहीं माना जाएगा (पिछले वर्ष शून्य)

(प) भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2025 के तहत वित्त वर्ष 2025-26 (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान हस्तांतरित ऋणों का शून्य मामला है और अधिग्रहित के लिए शून्य है। एआरसी को ऐसे हस्तांतरित मामले का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
खातों की संख्या	शून्य	1
कुल ऋणों को हस्तांतरित किया गया है (करोड़ में)		797.00
हस्तांतरित ऋण के भारित औसत अवशिष्ट टेनर		2 वर्ष
हस्तांतरित ऋणों का निवल पुस्तक मूल्य (हस्तांतरण के समय)		-
कुल विचार (करोड़ में)		63.00
पहले के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त विचार		-

वर्ष के दौरान, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते पर अतिरिक्त प्रावधान शून्य हो गया (पिछले वर्ष ₹63 करोड़)।

(फ) **कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के संबंध में प्रकटीकरण**

भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2025 दिनांक 28 नवंबर, 2025 और भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां- तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान) निर्देश, 2025 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के अनुसार, कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं का तिमाही-वार संचलन इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

मद का विवरण	31.12.2025 को समाप्त तिमाही के लिए		31.12.2026 को समाप्त तिमाही के लिए	
	खातों की संख्या	कुल बकाया (₹ करोड़ में)*	खातों की संख्या	कुल बकाया (₹ करोड़ में)*
तिमाही की शुरुआत में कार्यान्वयन खातों के तहत परियोजनाएं*	10	4,164.13	6	3,530.94
तिमाही के दौरान कार्यान्वित खातों के तहत स्वीकृत परियोजनाएं	2	511.69	17	13,433.29
कार्यान्वित खातों के तहत परियोजनाएं जहां तिमाही के दौरान डीसीसीओ प्राप्त किया गया है	-	-	1	5,222.04
तिमाही के अंत में कार्यान्वयन खातों के तहत परियोजनाएं। (1 + 2-3)	12	4,675.82	22	11,742.19

लेखा संबंधी टिप्पणियां

मद का विवरण	31.12.2025 को समाप्त तिमाही के लिए		31.12.2026 को समाप्त तिमाही के लिए	
	खातों की संख्या	कुल बकाया (₹ करोड़ में)*	खातों की संख्या	कुल बकाया (₹ करोड़ में)*
4 में से - जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार सहित संकल्प प्रक्रिया लागू की गई है, जैसा भी मामला हो	11	4,225.82	22	11,742.19
5' में से - जिनके संबंध में संकल्प योजना को लागू किया गया है	5	847.18	7	4,269.29
5 में से - जिनके संबंध में संकल्प योजना कार्यान्वित की जा रही है	6	3,378.63	15	7,472.90
5' में से - जिनके संबंध में संकल्प योजना विफल हो गई है	-	-	-	-
5 में से, जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार सहित संकल्प प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, परियोजना के दायरे और आकार में परिवर्तन के कारण लागू किया गया है	-	-	-	-
5 में से, जिसके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार से जुड़ी लागत अतिप्रवाह, जैसा भी मामला हो, वित्त पोषित किया गया था	1**	450.00	1	387.37
7 में से, ऐसे खाते जहां वित्तीय समापन के दौरान एसबीसीएफ स्वीकृत किया गया था और लगातार नवीनीकृत किया गया था	-	-	-	-
7 में से, ऐसे खाते जहां एसबीसीएफ को पूर्व-स्वीकृत या लगातार नवीनीकृत नहीं किया गया था	-	-	-	-
4 में से - जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार शामिल नहीं है, जैसा भी मामला हो, समाधान प्रक्रिया लागू की गई है	-	-	-	-
8 में से - जिनके संबंध में संकल्प योजना को लागू किया गया है	-	-	-	-
8 में से - जिनके संबंध में संकल्प योजना कार्यान्वित की जा रही है	-	-	-	-
8 में से - जिनके संबंध में संकल्प योजना विफल रही है	-	-	-	-

** कुल बकाया तिमाही के अंत में राशि है।*

***इस मामले में सीओडी को 01 अक्टूबर 2025 से पहले बढ़ा दिया गया है और 31 दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान लागत में वृद्धि को मंजूरी दी गई है।*

(ब) भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आय की मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान) निर्देश, 2025 (13 फरवरी, 2026 को अद्यतन) के अनुसार आवश्यक प्रावधान और इंड-एएस के अनुसार हानि भत्ता के बीच तुलना

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई मानदंड के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	इंड-एएस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	बकाया राशि	इंड-एएस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड-एएस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित	इंड-एएस 109प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड के मध्य विभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
निष्पादन परिसंपत्तियां							
मानक	चरण 1	5,60,535.30	5,62,758.20	5,130.04	5,57,628.16	4,014.07	1,115.97
	चरण 2	10,320.35	10,559.90	54.85	10,505.05	41.28	13.57
उप जोड़ (1)		**5,70,855.65**	**5,73,318.10**	**5,184.89**	**5,68,133.21**	**4,055.35**	**1,129.54**
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां							
अवमानक परिसंपत्तियां	चरण 1	630.34	632.93	20.73	612.20	63.03	(42.30)
अवमानक परिसंपत्तियां के लिए उप-योग		**630.34**	**632.93**	**20.73**	**612.20**	**63.03**	**(42.30)**
संदिग्ध परिसंपत्तिया							
1 वर्ष तक	चरण 1	9,420.85	9,423.62	843.63	8,579.99	1,884.17	(1,040.54)
3 साल से अधिक	चरण 1	377.14	377.24	12.59	364.65	166.31	(153.72)
1 से 3 साल	चरण 2	990.63	999.88	123.63	876.25	303.95	(180.32)
3 साल से अधिक	चरण 3	1,384.75	1,384.75	707.98	676.77	694.73	13.25
संदिग्ध परिसंपत्तियां के लिए उप जोड़		**12,173.37**	**12,185.49**	**1,687.83**	**10,497.66**	**3,049.16**	**(1,361.33)**
हानि परिसंपत्तियां	चरण 3	-	-	-	-	-	-
हानि परिसंपत्तियां के लिए उप-जोड़		-	-	-	-	-	-
एनपीए के लिए उप-जोड़ (2)		**12,803.71**	**12,818.42**	**1,708.56**	**11,109.86**	**3,112.19**	**(1,403.63)**
कुल ऋण परिसंपत्तियां		**5,83,659.36**	**5,86,136.52**	**6,893.45**	**5,79,243.07**	**7,167.54**	**(274.09)**

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई मानदंड के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	इंड-एएस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	बकाया राशि	इंड-एएस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड-एएस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित	इंड-एएस 109प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड के मध्य विभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
अन्य वस्तुएं (जिनका एक्सपोजर आकस्मिक देयता का हिस्सा है) जैसे गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएं, आदि जो इंड एएस 109 के दायरे में हैं लेकिन वर्तमान आईआरएसीपी मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं	चरण 1	-	-	307.38	(307.38)	-	307.38
	चरण 2	-	-	8.87	(8.87)	-	8.87
	चरण 3	-	-	-	-	-	-
उप-जोड़ (3)	**-**	**-**	**-**	**316.25**	**(316.25)**	**-**	**316.25**
कुल	चरण 1	**5,70,963.63**	**5,73,191.99**	**6,323.24**	**5,66,877.62**	**6,127.58**	**186.79**
	चरण 2	**11,310.98**	**11,559.78**	**178.48**	**11,381.30**	**345.23**	**(157.88)**
	चरण 3	**1,384.75**	**1,384.75**	**707.98**	**676.77**	**694.73**	**13.25**
	कुल	**5,83,659.36**	**5,86,136.52**	**7,209.70**	**5,78,935.69**	**7,167.54**	**42.16**

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई मानदंड के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	इंड-एएस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	बकाया राशि	इंड-एएस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड-एएस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड-एएस 109 प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड के मध्य विभिन्नता
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)=(4)-(5)**	**(7)**	**(8)=(5)-(7)**
निष्पादन परिसंपत्तियां							
मानक	चरण 1	5,00,906.40	5,02,886.60	4,031.67	4,98,854.93	2,683.62	1348.05
	चरण 2	45,471.51	46,488.16	501.95	45,986.21	181.89	320.06
उप योग (1)		**5,46,377.91**	**5,49,374.76**	**4,533.62**	**5,44,841.14**	**2,865.51**	**1668.11**
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां							
अवमानक परिसंपत्तियां	चरण 1	12,467.39	12,470.98	764.17	11,706.81	1,246.74	(482.57)
	चरण 3	13.77	13.77	2.75	11.02	1.28	1.47
अवमानक परिसंपत्तियां के लिए उप-योग		**12,481.16**	**12,484.75**	**766.92**	**11,717.83**	**1,248.02**	**(481.10)**
संदिग्ध परिसंपत्तिया							
1 से 3 वर्ष	चरण 3	1,512.43	1,512.43	754.87	757.56	480.16	274.71
3 वर्ष से अधिक	चरण 1	385.34	385.44	8.48	376.96	169.92	(161.44)
	चरण 3	6,126.45	6,126.45	4,731.86	1,394.59	4,111.46	620.40
संदिग्ध परिसंपत्तियां के लिए उप योग		**8,024.22**	**8,024.32**	**5,495.21**	**2,529.11**	**4,761.54**	**733.67**
		-	-	-	-	-	-
एनपीए के लिए उप-योग (2)		**20,505.38**	**20,509.07**	**6,262.13**	**14,246.94**	**6,009.56**	**252.57**
कुल ऋण परिसंपत्तियां		**5,66,883.29**	**5,69,883.83**	**10,795.75**	**5,59,088.08**	**8,875.07**	**1920.68**
अन्य मदें (जिनका एक्सपोजर आकस्मिक देयता का हिस्सा है) जैसे गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएं, आदि जो इंड एएस 109 के दायरे में हैं लेकिन वर्तमान आईआरएसीपी मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं	चरण 1	8,008.70	8,008.70	18.48	7,990.22	-	18.48
	चरण 2	-	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	-	-	-	-	-
उप-जोड़ (3)		**8,008.70**	**8,008.70**	**18.48**	**7,990.22**	**-**	**18.48**
कुल	चरण 1	**5,21,767.83**	**5,23,751.72**	**4,822.80**	**5,18,928.92**	**4,100.28**	**722.52**
	चरण 2	**45,471.51**	**46,488.16**	**501.95**	**45,986.21**	**181.89**	**320.06**
	चरण 3	**7,652.65**	**7,652.65**	**5,489.48**	**2,163.17**	**4,592.90**	**896.58**
	कुल	**5,74,891.99**	**5,77,892.53**	**10,814.23**	**5,67,078.30**	**8,875.07**	**1939.16**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(भ) कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आरबीआई द्वारा किए गए पिछले वार्षिक निरीक्षण के दौरान मूल्यांकन किए गए परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में कोई विचलन नहीं हुआ है (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शून्य)।

49.2 तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है कि कंपनी को नकदी या किसी अन्य वित्तीय संपत्ति को वितरित करके तय की गई अपनी वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तरलता के प्रबंधन के लिए कंपनी का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि जब उनकी देनदारियां देय हों तो उनके पास अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता हो।

कंपनी अपनी तरलता जोखिम का प्रबंधन रणनीतियों के मिश्रण के माध्यम से करती है, जिसमें अनुमानित संवितरण और परिपक्वता दायित्वों के आधार पर दूरदर्शी संसाधन जुटाना शामिल है। कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ("एएलसीओ") का गठन भी किया है जो तरलता अंतर विश्लेषण की मदद से तरलता जोखिम की निगरानी करती है। इसके अलावा, कंपनी ने एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित आकस्मिकता वित्तपोषण योजना ("सीएफपी") को लागू किया है, जो लागू नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप, गंभीर तनाव परिदृश्यों के तहत तरलता के प्रबंधन के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतकों, वैकल्पिक वित्तपोषण स्रोतों और वृद्धि प्रक्रियाओं का एक संरचित ढांचा प्रदान करता है।

कंपनी पर्याप्त बैंक शेष, नकदी में आसानी से परिवर्तनीय अल्पकालिक निवेश और पर्याप्त उधार और ओवरड्राफ्ट सुविधाएं बनाए रखती है, जो लगातार पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी करती है और जहां भी आवश्यक हो, तनावग्रस्त परिस्थितियों में नियमित तरलता प्रबंधन के पूरक के लिए सीएफपी के तहत परिकल्पित उपायों का उपयोग कर सकती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

49.2.1 **भविष्य की अप्रदत्त नकद प्रवाहों का परिपक्वता प्रतिरूप"**

वित्तीय देयताओं की मदों के प्रति नकद प्रवाह (जो मूलधन एवं ब्याज के प्रति भविष्य की अप्रदत्त नकद प्रवाहों का प्रतिनिधित्व करते हैं) निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2026 तक	1-7 दिन	8-14 दिन	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं :											
रुपये उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	3,435.04	2,016.12	8,717.90	9,839.93	22,905.08	71,472.40	59,917.03	92,074.08	2,70,377.58
- मूलधन	-	-	1,639.51	1,787.54	3,797.83	3,182.33	7,984.05	28,876.39	19,924.39	30,507.92	97,699.96
- ब्याज											
अन्य उधारियां	359.01	245.30	646.40	1,618.00	2,500.00	625.00	5,920.48	41,849.87	25,140.96	870.39	79,775.41
- ब्याज	317.15	-	210.55	364.59	753.95	1,088.72	2,371.49	7,394.34	2,059.74	33.45	14,593.98
अधीनस्थ देयताएं											
- मूलधन	-	-	-	-	-	-	-	2,151.20	1,999.50	5,085.00	9,235.70
- ब्याज	-	-	159.60	-	156.83	87.53	406.99	1,625.53	1,216.58	1,380.10	5,033.16
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां											
- मूलधन	-	-	-	-	-	4,732.72	3,786.17	16,034.90	6,356.17	159.98	31,069.93
- ब्याज	-	199.11	-	-	-	381.53	528.05	1,323.99	106.07	10.53	2,549.28
अन्य उधारियां											
- मूलधन	1,988.20	1,419.81	-	198.03	-	5,679.26	14,252.08	51,203.33	39,154.02	1,424.07	1,15,318.80
- ब्याज	12.43	24.68	85.50	161.94	465.96	1,069.51	1,684.63	4,441.44	1,474.18	88.78	9,509.05
व्युत्पन्न देयताएं :											
ब्याज दर व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-	2.28	168.88	198.35	396.64	766.15
मुद्रा व्युत्पन	204.10	100.14	-	-	-	-	-	794.88	83.89	-	1,183.01

(₹ करोड़ में)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च 2025 तक	1-7 दिन	8-14 दिन	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं :											
रुपये में उधार											
ऋण प्रतिभूतियां											
- मूलधन	-	2,396.00	52.58	206.41	1,829.60	3,123.67	17,681.45	75,127.23	50,515.99	1,05,500.25	2,56,433.18
- ब्याज	-	63.20	634.87	1,375.99	3,341.64	3,392.50	9,105.32	30,103.65	20,547.66	33,233.13	1,01,797.96
अन्य उधारियां											
- मूलधन	570.78	-	-	499.97	-	1,747.94	3,071.70	16,042.34	32,475.86	2,141.64	56,550.23
- ब्याज	299.75	3.78	135.82	276.83	499.78	844.35	1,912.70	6,661.98	2,819.78	249.66	13,704.43
अधीनस्थ देयताएं											
- मूलधन	-	-	-	-	-	-	-	-	2,151.20	7,084.50	9,235.70
- ब्याज	-	-	159.60	-	181.64	87.53	377.23	1,608.58	1,393.45	1,968.02	5,776.05
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां											
- मूलधन	-	-	-	-	-	-	-	14,120.93	14,011.88	153.23	28,286.04
- ब्याज	-	180.03	-	-	-	350.31	530.50	1,809.13	519.13	13.47	3,402.57
अन्य उधारियां											
- मूलधन	2,439.49	1,283.72	2,871.66	6,934.43	3,489.95	8,513.23	19,203.59	34,127.57	55,053.09	3,836.63	1,37,753.36
- ब्याज	25.42	50.80	132.08	277.73	492.81	1,057.51	1,751.12	5,528.33	2,697.32	292.49	12,305.61
व्युत्पन्न देयताएं :											
ब्याज दर स्वैप्स	-	-	-	-	-	-	-	10.52	197.92	73.89	282.33
मुद्रा स्वैप्स	53.31	30.33	90.31	215.99	51.87	242.02	160.83	100.85	442.22	-	1,387.73

पुट एंड कॉल ऑप्शन वाले बॉण्ड्स को सबसे जल्दी क्रियान्वित की जाने वाली तारीख पर विचार करते हुए दर्शाया गया है। व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए तरलता विश्लेषण व्युत्पन्न संविदा के उचित मूल्यों पर आधारित है और परिपक्वता बकेट, संबंधित व्युत्पन्न संविदा के शेष कार्यकाल के आधार पर निकाली गई है।

वित्तीय देनदारियों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण नकदी प्रवाह को ऋणों से अप्रतिबंधित नकदी प्रवाह (मूलधन और ब्याज) के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा जो नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1-7 दिन	8-14 दिन	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2026 तक											
मूलधन	2,247.20	153.83	5,342.02	4,780.28	6,734.97	19,686.23	41,447.00	1,27,443.21	1,09,244.51	2,59,686.65	5,76,765.91
ब्याज	2,412.93	42.72	1,548.01	3,828.06	6,259.67	13,417.63	25,190.65	84,474.72	60,475.48	1,16,520.27	3,14,170.15
31 मार्च 2025 तक											
मूलधन	4,336.99	742.83	4,062.85	8,404.38	9,675.82	27,622.50	42,181.09	1,17,481.59	1,01,027.57	2,40,551.93	5,56,087.54
ब्याज	2,378.51	28.77	1,085.31	3,376.36	6,912.33	13,193.46	24,184.83	81,455.26	58,841.79	1,10,700.77	3,02,157.39

चरण III परिसंपत्तियों से संबंधित मुख्य नकदी प्रवाह, अपेक्षित क्रेडिट हानि के निवल को घटाकर, परिपक्वता तिथि के बिना 5 वर्षों से अधिक की अवधि में विचार किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

49.2.2 आरबीआई द्वारा यथानिर्धारित, महत्वपूर्ण वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2026 तक	1-7 दिन	8-14 दिन	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियां	3,169.40	1,075.33	6,414.96	4,861.22	6,758.51	19,667.00	41,406.51	1,27,318.72	1,09,137.80	2,59,433.62	5,79,243.08
निवेश	9.15	51.73	-	-	9.15	50.80	111.40	2,324.32	1,156.93	6,085.96	9,799.43
रुपये उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	4,609.33	3,432.59	11,415.53	11,565.39	24,675.12	71,432.52	59,835.01	91,946.79	2,78,912.28
अन्य उधारियां	359.01	245.30	804.21	1,618.00	2,581.28	625.00	6,083.50	41,849.44	25,140.96	870.39	80,177.09
अधीनस्थ देयताएं	-	-	146.92	-	126.46	43.88	16.09	2,098.38	1,915.72	5,079.29	9,426.74
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	4,731.12	4,060.87	15,842.90	6,322.56	159.74	31,117.19
अन्य उधारियां	2,006.15	1,420.50	60.14	326.70	175.57	5,920.74	14,199.19	50,825.61	38,779.88	1,424.08	1,15,138.55

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2025 तक	1-7 दिन	8-14 दिन	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तिया	6,666.41	770.92	4,153.88	8,886.91	10,262.02	27,595.51	42,139.88	1,17,366.80	1,00,928.86	2,40,316.87	5,59,088.06
निवेश	-	-	-	-	60.15	56.34	39.49	770.91	1,393.89	4,320.82	6,641.60
रुपये उधारियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ऋण प्रतिभूतियां	-	2,453.75	719.15	1,348.32	4,344.42	5,012.63	19,449.81	75,148.60	50,470.25	1,05,328.66	2,64,275.59
अन्य उधारियां	574.71	-	85.21	499.97	81.28	1,747.94	3,234.26	16,042.34	32,475.86	2,141.64	56,883.21
अधीनस्थ देयताएं	2.11	-	146.92	-	126.46	43.88	14.41	-	2,134.86	7,045.51	9,514.15
विदेशी मुद्रा उधारियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	250.21	13,837.70	13,958.48	152.97	28,199.36
अन्य उधारियां	2,453.53	1,291.16	2,953.17	7,059.27	3,658.32	8,716.31	19,210.69	33,912.39	54,330.33	3,831.76	1,37,416.93

लेखा संबंधी टिप्पणियां

49.2.3 वित्तपोषण उपाय

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के पास निम्नलिखित अनआहरित उधार सुविधाओं तक पहुंच थी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
एक वर्ष के भीतर समाप्त हो रही		
– स्थाई दर	-	-
– अस्थाई दर	12,936.63	14,291.72
एक वर्ष के बाद समाप्त हो रही		
– स्थाई दर	-	-
– अस्थाई दर	1,199.67	1,222.19

49.2.4 भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - परिसंपत्ति देयता प्रबंधन) निर्देश, 2025 और भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2025 के अनुसार तरलता जोखिम प्रबंधन पर अतिरिक्त प्रकटीकरण

कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ("एएलसीओ") का गठन भी किया है जो तरलता अंतर विश्लेषण की मदद से तरलता जोखिम की निगरानी करती है। कंपनी लगातार अनुमानित और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी करती है और तदनुसार पर्याप्त बैंक शेष, ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, अल्पकालिक निवेश जो नकदी में आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं और पर्याप्त उधार योजनाएं बनाए रखती है।

(i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष (उधार) के आधार पर वित्तपोषण एकाग्रता

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
महत्त्वपूर्ण प्रतिपक्षों की संख्या*	15	15
राशि (₹ करोड़ में)	2,45,808.46	2,40,439.89
कुल देयताओं का %	44.31%	44.87%

(ii) शीर्ष 10 उधारिया

	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %
	31-03-2026 तक		
1	एचडीएफसी बैंक से सावधिक ऋण	17,850.00	3.53%
2	54ईसी-शृंखला XVI (2022-23)	12,152.39	2.40%
3	54ईसी- शृंखला XVII (2023-24)	11,419.07	2.26%
4	'विदेशी मुद्रा उधार-यूएस $ 1175 मिलियन	11,121.88	2.20%
5	भारतीय स्टेट बैंक से सावधिक ऋण	10,197.00	2.02%
6	भारत सरकार से सावधिक ऋण-नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड (एनएसएसएफ)	10,000.00	1.98%
7	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से सावधिक ऋण	9,999.40	1.98%
8	आईसीआईसीआई बैंक से सावधिक ऋण	8,583.00	1.70%
9	पंजाब नेशनल बैंक से सावधिक ऋण	8,299.10	1.64%
10	54 ईसी - शृंखला XVIII (2024-25)	7,634.21	1.51%
	कुल	**1,07,256.05**	**21.21%**

	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %
	31-03-2025 तक		
1	एचडीएफसी बैंक से सावधिक ऋण	17,850.00	3.66%
2	'54 ईसी - शृंखला XVI (2022-23)	12,152.39	2.49%
3	'54 ईसी - शृंखला XVII (2023-24)	11,419.57	2.34%
4	'विदेशी मुद्रा उधार-यूएस $ 1175 मिलियन	10,055.81	2.06%
5	भारत सरकार से सावधिक ऋण-नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड (एनएसएसएफ)	10,000.00	2.05%
6	पंजाब नेशनल बैंक से से सावधिक ऋण	8,962.44	1.84%
7	54ईसी- शृंखला XV (2021-22)	7,312.80	1.50%
8	54ईसी- शृंखला XVIII (2024-25)	7,038.86	1.44%
9	विदेशी मुद्रा बॉण्ड -यूएस $ 750 मिलियन	6,418.61	1.31%
10	आईसीआईसीआई बैंक से सावधि ऋण	5,533.00	1.13%
	कुल	**96,743.48**	**19.81%**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iii) **महत्वपूर्ण इन्स्ट्रूमेंट / उत्पाद के आधार पर वित्तीय संकेंद्रण**

	महत्वपूर्ण इन्स्ट्रूमेंट / उत्पाद का नाम*	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
		राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %
1	**ऋण प्रतिभूतियां**				
	संस्थागत बॉण्ड	2,12,114.09	38.23%	2,00,803.29	37.47%
	54ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड	43,696.38	7.88%	43,831.57	8.18%
	विदेशी मुद्रा बॉण्ड	31,069.93	5.60%	28,286.04	5.28%
	टैक्स फ्री बॉण्ड	8,592.77	1.55%	8,998.71	1.68%
	उप-जोड़ (1)	**2,95,473.17**	**53.26%**	**2,81,919.61**	**52.61%**
2	**उधारियां (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)**				
	विदेशी मुद्रा उधारिया	1,07,178.07	19.32%	94,571.40	17.65%
	बैंकों से सावधिक ऋण	64,406.69	11.61%	41,879.47	7.81%
	भारत सरकार से सावधिक ऋण (एनएसएसएफ)	10,000.00	1.80%	10,000.00	1.87%
	एफसीएनआर (बी) ऋण	8,140.73	1.47%	43,181.96	8.06%
	बैंकों से मांग पर प्रतिदेय ऋण	-	-	1,600.00	0.30%
	वित्तीय संस्थानों से सावधिक ऋण	-	-	2,500.00	0.47%
	उप-जोड़ (2)	**1,89,725.49**	**34.20%**	**1,93,732.83**	**36.16%**
3	**अधीनस्थ देयताएं**	**9,235.70**	**1.66%**	**9,235.70**	**1.72%**
	कुल (1+2+3)	**4,94,434.36**	**89.12%**	**4,84,888.14**	**90.49%**

**महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष / महत्वपूर्ण इन्स्ट्रूमेंट / उत्पाद को कंपनी के कुल देयताओं के 1% से अधिक के लिए एकीकृत रूप में जुड़े हुए अथवा संबद्ध प्रतिपक्षों के एकल प्रतिपक्ष / एकल इन्स्ट्रूमेंट / उत्पाद या समूह जुड़े या संबद्ध प्रतिपक्षों के रूप में परिभाषित किया जाता है।*

(iv) **स्टॉक अनुपात**

विवरण	31-03-2026 तक				31-03-2025 तक			
	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक निधि का %	कुल देयताओं का %	कुल परिसंपत्तियों का %	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक निधि का %	कुल देयताओं का %	कुल परिसंपत्तियों का %
कमर्शियल पेपर	3,000.00	0.59%	0.54%	0.47%	-	-	-	-
अन्य अल्पावधि देयताएं	11,763.66	2.33%	2.12%	1.84%	54,769.14	11.22%	10.22%	8.93%

(v) **कंपनी में तरलता जोखिम के प्रबंधन हेतु संस्थागत व्यवस्था के लिए नोट 49.2 देखें।**

(vi) **तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)**

भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर संशोधित अपने भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - परिसंपत्ति देयता प्रबंधन) निर्देश, 2025 के अनुसार, ₹ 5,000 करोड़ या उससे अधिक की परिसंपत्ति आकार वाले गैर-जमा लेने वाले एनबीएफसी द्वारा तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) बनाए रखने का प्रावधान किया है। आरबीआई के इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाले तरल परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए) हों, जिन्हें महत्वपूर्ण रूप से गंभीर तरलता तनाव परिदृश्य के तहत 30 कैलेंडर दिन के समय क्षितिज के लिए अपनी तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसानी से और तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सके।

एलसीआर का प्रतिनिधित्व निम्न द्वारा किया जाता है:

$$\frac{\text{उच्च गुणवत्ता वाले तरल परिसंपत्तियों का स्टॉक}}{\text{कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह को अगले 30 कैलेंडर दिवसों में}}$$

जहां,

(i) कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह को अगले 30 कै लेंडर दिवसों के लिए कुल अपेक्षित नकदी बहिर्प्रवाह से कुल अपेक्षित नकदी अंतर्प्रवाह घटाने के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां नकदी प्रवाह को आरबीआई द्वारा निर्धारित एक पूर्वनिर्धारित दबाव प्रतिशत दिया गया है।

(ii) उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) का अर्थ है ऐसी तरल परिसंपत्ति जिसे आसानी से बेचा जा सकता है या बिना किसी मूल्य हानि के तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है या विभिन्न दबाव परिदृश्यों में धन प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

एनबीएफसी के लिए एलसीआर की आवश्यकता 1 दिसंबर, 2020 से अनिवार्य कर दी गई है।

वर्तमान में, एचक्यूएलए निवेश सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक)/ राज्य विकास ऋण (एसडीएल) प्रतिभूतियों और मुख्य रूप से एएए/एए कॉर्पोरेट बॉण्ड के रूप में आईएनआर में रखे गए हैं। प्रबंधन का मानना है कि कंपनी के पास अपनी संभावित भविष्य की अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता कवर है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

एचक्यूएलए का संघटन:

एचक्यूएलए के स्टॉक में से, एएए/एए कॉर्पोरेट बॉण्ड एचक्यूएलए का उच्चतम अनुपात है, इसके बाद सरकारी प्रतिभूतियाँ और ऑटो स्वैप शेष हैं। एचक्यूएलए होल्डिंग की स्थिति इस प्रकार है:

एचक्यूएलए मदें	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
	कुल का %	कुल का %
हेयरकट के बिना परिसंपत्तियां	**40.06%**	**39.79%**
- जी-सेक एवं (एसडीएल)	40.06%	39.79%
15% हेयरकट वाली परिसंपत्तिया	**59.94%**	**59.96%**
- कारपोरेट बॉण्ड	59.94%	59.96%
50% हेयरकट वाली परिसंपत्तिया	**0.00%**	**0.25%**
- कारपोरेट बॉण्ड	0.00%	0.25%
कुल	**100%**	**100%**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

तरलता कवरेज अनुपात प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त तिमाही		31-12-2025 को समाप्त तिमाही'		30-09-2025 को समाप्त तिमाही		30-06-2025 को समाप्त तिमाही		31-03-2025 को समाप्त तिमाही	
	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*
उच्च गुणवत्ता वाली तरलता परिसंपत्तिया										
कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरलता परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए)	**6,481.91**	**5,846.84**	**5,686.72**	**5,049.02**	**5,764.13**	**5,115.38**	**4,665.40**	**4,222.93**	**4,648.08**	**4,214.07**
- एए/एएए कारपोरेट बॉण्ड	4,233.79	3,598.72	4,251.34	3,613.64	4,281.85	3,633.10	2,902.95	2,460.48	2,846.51	2,412.51
- जी-सेक बॉण्ड /राज्य विकास ऋण (एसडीएल)	2,248.12	2,248.12	1,203.02	1,203.02	1,482.28	1,482.28	1,603.71	1,603.71	1,593.99	1,593.98
- नकदी एवं नकदी के समतुल्य	-	-	232.36	232.36	-	-	158.74	158.74	207.58	207.58
नकदी बहिर्प्रवाह										
अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित	10,461.36	12,031.00	10,660.93	12,260.00	6,583.90	7,571.00	9,965.76	11,461.00	9,573.09	11,009.00
अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित	401.60	462.00	486.24	559.00	389.87	448.00	374.74	431.00	197.53	227.00
कुल नकदी बहिर्प्रवाह	**10,862.96**	**12,493.00**	**11,147.17**	**12,819.00**	**6,973.77**	**8,019.00**	**10,340.50**	**11,892.00**	**9,770.62**	**11,236.00**
नकदी अंतर्प्रवाह										
पूर्ण रुप से निष्पादित एक्सपोज़र से अंतर्प्रवाह	11,567.09	8,675.00	11,570.81	8,678.00	13,867.72	10,401.00	13,493.19	10,120.00	14,246.58	10,685.00
अन्य नकदी अंतर्प्रवाह	15,679.15	11,759.00	19,287.57	14,466.00	12,785.03	9,589.00	10,155.62	7,617.00	16,202.92	12,152.00
कुल नकद अं तर्प्रवाह (प्रत्येक अवलोकन दिवस पर बहिर्प्रवाह के 75% तक सीमित)	**27,246.24**	**9,369.75**	**30,858.38**	**9,614.25**	**26,652.75**	**6,014.25**	**23,648.81**	**8,919.00**	**30,449.50**	**8,427.00**
कुल समायोजित मूल										
कुल एचक्यूएलए (ए)		**5,846.84**		**5,049.02**		**5,115.38**		**4,222.93**		**4,214.07**
कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह (बी)		**3,123.25**		**3,204.75**		**2,004.75**		**2,973.00**		**2,809.00**
तरलता कवरेज अनुपात (ए/ बी)		**187.20%**		**157.55%**		**255.16%**		**142.04%**		**150.02%**
% अंतर (पिछली अवधि से)		**19%**		**-38%**		**80%**		**-5%**		

** संबंधित तिमाही के दौरान औसत दैनिक अवलोकन पर विचार किया गया है।*

***वर्ष के दौरान एचक्यूएलए की औसत होल्डिंग 100% की नियामक आवश्यकता से अधिक रही है। यह एचक्यूएलए निवेश प्रतिभूतियों में वृद्धि और निवल नकदी बहिर्वाह में कमी के कारण हुआ है।*

लेखा संबंधी टिप्पणियां

49.3 बाजार जोखिम – मुद्रा जोखिम

कंपनी मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन और एसडीजी में अंकित विभिन्न विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियों और उधार से विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है जिसका उद्देश्य कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में अंकित अपने उधार से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करना है। कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति अपने जोखिम को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं, वायदा अनुबंधों और क्रॉस करेंसी स्वैप के संयोजन का उपयोग करती है।

वर्तमान में परिसंपत्ति दायित्व प्रबंधन समिति (एएलसीओ) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की अध्यक्षता में कार्यात्मक निदेशक, मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) और वित्त और परिचालन प्रभागों के कार्यकारी निदेशक इसके सदस्यों के रूप में कार्य कर रहे हैं। एएलसीओ विनिमय दर के माध्यम से प्रबंधित विभिन्न व्युत्पन्न उपकरणों के माध्यम से विदेशी मुद्रा जोखिम की निगरानी करता है। कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंधों, मुद्रा विकल्पों, प्रिंसिपल ओनली स्वैप और फॉरवर्ड रेट समझौतों जैसे विभिन्न उपकरणों के माध्यम से विनिमय दर को कवर करने के लिए विभिन्न व्युत्पन्न लेनदेन करती है। कंपनी ने विदेशी मुद्रा उधार से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन के लिए ईयूआर, जेपीवाई और सीएचएफ में क्रॉस करेंसी स्वैप में भी प्रवेश किया है। कंपनी द्वारा किए गए व्युत्पन्न लेनदेन हेजिंग उद्देश्य के लिए हैं और व्यापार या सट्टा उद्देश्य के लिए नहीं।

31 मार्च 2026 को विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की बकाया स्थिति निम्नानुसार है:

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में, आईएनआर (भारतीय रुपये) समतुल्य ₹ करोड़ में)

मुद्रा	31-03-2026 तक			31-03-2025 तक		
	कुल एक्सपोज़र	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज किया गया	हेज न किया गया एक्सपोज़र	कुल एक्सपोज़र	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज किया गया	हेज न किया गया एक्सपोज़र
यूएसडी $	11,301.34	11,186.71	114.63	14,904.99	14,832.24	72.75
आईएनआर के समतुल्य	1,06,972.02	1,05,886.99	1,085.03	1,27,559.03	1,26,936.40	622.63
जेपीवाई ¥	5,11,117.97	5,11,117.97	-	5,55,865.90	5,55,865.90	-
आईएनआर के समतुल्य	30,283.74	30,283.74	-	31,545.39	31,545.39	-
यूरो €	693.97	604.02	89.95	604.02	604.02	-
आईएनआर के समतुल्य	7,564.71	6,584.25	980.46	5,576.63	5,576.63	-
एसजीडी $	213.21	213.21	-	213.21	213.21	-
आईएनआर के समतुल्य	1,568.26	1,568.26	-	1,358.36	1,358.36	-
कुल आईएनआर के समतुल्य	**1,46,388.73**	**1,44,323.24**	**2,065.49**	**1,66,039.41**	**1,65,416.78**	**622.63**

संवेदनशील विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका हेज न किए गए एक्सपोज़र पर आईएनआर के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय में 5 प्रतिशत परिवर्तन के लिए एफसीएमआईटीडीए (+लाभ/(हानि)) सहित लाभ एवं हानि पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	अनुकूल	प्रतिकूल	अनुकूल	प्रतिकूल
यूएसडी/आईएनआर	40.60	(40.60)	23.30	(23.30)
जेपीवाई/आईएनआर	-	-	-	-
यूरो/आईएनआर	36.68	(36.68)	-	-

**अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए*

49.4 बाजार जोखिम – ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है कि ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय साधन के भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा। ब्याज दरें गतिशील हैं और विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर करती हैं, जिनमें आरबीआई नीतिगत परिवर्तन और बाजार में तरलता शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। कंपनी के कुछ उधार बाहरी बेंचमार्क जैसे कि , ओवरनाइट एसओएफआर, टर्म एसओएफआर, एसओआरए, टोना, टी-बिल्स, रेपो रेट आदि से जुड़े फ्लोटिंग ब्याज दरों के साथ ब्याज दर जोखिम के संपर्क में हैं। ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए कंपनी विभिन्न व्युत्पन्न अनुबंधों जैसे ब्याज दर स्वैप अनुबंधों, वायदा ब्याज दर अनुबंधों के माध्यम से अपने ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करती है। ब्याज दरों में अंतर से लाभ उठाने के लिए कंपनी लागत-कमी रणनीति के रूप में क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप का भी उपयोग करती है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2026 को अस्थिर ब्याज दरों से जुड़ी देयताओं के लिए कंपनी के समग्र एक्सपोज़र को दर्शाती है:

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में, आईएनआर (भारतीय रुपये) समतुल्य ₹ करोड़ में)

मुद्रा	31-03-2026 तक			31-03-2025 तक		
	अस्थिर ब्याज दर एक्सपोज़र	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज किया गया	हेज न किया गया एक्सपोज़र	अस्थिर ब्याज दर एक्सपोज़र	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज किया गया	हेज न किया गया एक्सपोज़र
आईएनआर उधारियां	64,406.69	-	64,406.69	44,379.47	-	44,379.47
यूएसडी $	8,041.29	6,986.66	1,054.63	8,166.15	7,533.40	632.75
आईएनआर के समतुल्य	76,114.26	66,131.72	9,982.54	69,887.05	64,471.86	5,415.19
जेपीवाई ¥	4,40,642.36	4,40,642.36	-	4,85,390.31	4,51,161.24	34,229.07
आईएनआर के समतुल्य	26,108.06	26,108.06	-	27,545.90	25,603.40	1,942.50
यूरो €	693.97	-	693.97	604.02	-	604.02
आईएनआर के समतुल्य	7,564.71	-	7,564.71	5,576.63	-	5,576.63
एसजीडी $	213.21	-	213.21	213.21	-	213.21
आईएनआर के समतुल्य	1,568.26	-	1,568.26	1,358.36	-	1,358.36
कुल आईएनआर के समतुल्य	**1,75,761.98**	**92,239.78**	**83,522.20**	**1,48,747.41**	**90,075.26**	**58,672.15**

कंपनी ब्याज दर संवेदनशीलता असंतुलन को कम करने के लिए ब्याज दर उधार पर उचित मूल्य जोखिम का प्रबंधन करने के लिए ब्याज दर स्वैप का भी उपयोग करती है। इस तरह के स्वैप के माध्यम से, 31 मार्च 2026 को ₹11,995.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹13,955.70 करोड़) की निश्चित दर उधार को एमआईबीओआर-लिंक्ड ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप के उपयोग के माध्यम से फ्लोटिंग रेट उधार में परिवर्तित किया गया है।

कंपनी के ऋण पोर्टफोलियो में उधारकर्ता के साथ 1/3/6/12/36/60/120 महीने के रीसेट विकल्प के साथ अर्ध-स्थिर दर यानी निश्चित ब्याज दर पर ब्याज होता है। कंपनी प्रचलित बाजार स्थितियों, उधार लागत, उपज, प्रसार, प्रतिस्पर्धियों की दरों, प्रतिबंधों और संवितरण आदि के आधार पर समय-समय पर अपने ऋण दरों की समीक्षा करती है। पूर्व-भुगतान जोखिमों के प्रबंधन के लिए, कंपनी ऋण के पूर्व-भुगतान के मामले में उधारकर्ताओं से पूर्व-भुगतान प्रीमियम लेती है। ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर विवरणों के विश्लेषण और निश्चित और अस्थायी ब्याज दरों के मिश्रण के साथ परिसंपत्तियों और देनदारियों के निर्माण का मूल्यांकन करके किया जाता है।

कंपनी निम्नलिखित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज दर जोखिम की स्थिति में है जो कि अर्ध–निर्धारित दरों पर हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
रुपे ऋण	5,64,697.12	5,48,015.73

संवेदनशील विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका 50 आधार अंकों की वृद्धि अथवा कमी के लिए अथवा हेज न किए गए एक्सपोज़र की स्थितियों पर कंपनी की अस्थिर दर परिसंपत्तियों और देयताओं पर ब्याज दर में लाभ एवं हानि लाभ/ (हानि) पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अस्थिर दर ऋण देयताएं	(312.51)	312.51	(219.53)	219.53
ब्याज दर स्वैप्स	(44.88)	44.88	(52.37)	52.37
अस्थिर/अर्ध–निर्धारित दर ऋण परिसंपत्तियां	2,112.87	(2,112.87)	2,050.46	(2,050.46)

**अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए*

उपर्युक्त 'संवेदनशील विश्लेषण यह मानते हुए तैयार किया गया है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया धनराशि पूरे वर्ष के लिए बकाया रहती है। 50 आधार अंक की वृद्धि अथवा गिरावट ब्याज दर में उपयुक्त रूप से संभावित परिवर्तन के प्रबंधन का मूल्यांकन दर्शाती है।

49.4.1 ब्याज दर निर्धारण सुधार (आईबीओआर) के संबंध में प्रकटन

कंपनी के पास विभिन्न बेंचमार्क से जुड़े ब्याज दरों के साथ परिवर्तनीय ब्याज दर उधार है। विदेशी मुद्रा उधार के लिए ऐसे ब्याज दर बेंचमार्क में 3/6 महीने की ईयूआरआईबीओआर (यूरो इंटर बैंक ऑफर्ड रेट), ओवरनाइट एसओएफआर (सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट), 3/6 महीने की अवधि एसओएफआर, ओवरनाइट एसओआरए (सिंगापुर ओवरनाइट रेट औसत), ओवरनाइट टोना (टोक्यो ओवरनाइट औसत दर) आदि शामिल हैं। 31 मार्च, 2026 को अनुबंधित ब्याज दर बेंचमार्क के अनुसार ऐसे उधार का सारांश नीचे दिया गया है:

बेंचमार्क	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	राशि (₹ करोड़ में)	राशि (यूएसडी मिलियन के समतुल्य)	राशि (₹ करोड़ में)	राशि (यूएसडी मिलियन के समतुल्य)
3 मिलियन सावधिक एसओएफआर	1,893.09	200.00	4,365.53	510.10
6 मिलियन सावधिक एसओएफआर	8,389.10	886.29	8,611.65	1,006.25
ओवरनाइट एसओएफआर	65,832.07	6,955.00	56,909.87	6,649.79
3 मिलियन ईयूआरआईबीओआर	2,770.88	292.74	2,346.84	274.22
6 मिलियन ईयूआरआईबीओआर	4,793.83	506.46	3,229.79	377.39
ओवरनाइट टीओएनए	26,108.06	2,758.25	27,545.90	3,218.68
ओवरनाइट एसओआरए	1,568.26	165.68	1,358.36	158.72
कुल	**1,11,355.29**	**11,764.42**	**1,04,367.94**	**12,195.15**

49.5 हेज लेखांकन

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम और नकदी प्रवाह हेज में ब्याज दर जोखिम के संबंध में कुछ डेरिवेटिव को हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में नामित करती है। विकल्प अनुबंधों के लिए, कंपनी विकल्प के समय मूल्य को छोड़कर विकल्प अनुबंधों के केवल आंतरिक मूल्य को हेज्ड आइटम के रूप में नामित करती है। विकल्प के संरेखित समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तन अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त होते हैं और हेजिंग रिजर्व की लागत में संचित होते हैं। हेजिंग संबंध की शुरुआत में विकल्पों के समय मूल्य को सीधे-रेखा आधार पर लाभ या हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

हेज संबंध की शुरुआत में हेज अप्रभावीता निर्धारित की जाती है, और हेज आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के बीच एक आर्थिक संबंध सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर संभावित प्रभावशीलता आकलन के माध्यम से। कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण रणनीतियों को लागू करती है:

(i) क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप के लिए, जो कि हेज की गई मदों की शर्तों से पूरी तरह मेल खाता है, आर्थिक संबंध और हेज प्रभावशीलता महत्वपूर्ण टर्म मिलान विधि का उपयोग करते हुए गुणात्मक कारकों पर आधारित है।

(ii) अन्य ब्याज दर स्वैप के लिए (देर से नामित के मामलों में), कंपनी काल्पनिक व्युत्पन्न का उपयोग करके डॉलर ऑफसेट विधि का उपयोग करती है, डॉलर ऑफसेट विधि एक मात्रात्मक विधि है जिसमें हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन की तुलना हेज जोखिम के कारण हेज की गई मदों के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन से की जाती है।

(iii) विकल्प संरचनाओं के लिए कंपनी डॉलर ऑफसेट पद्धति के आधार पर कठोर प्रतिगमन विश्लेषण आधारित विधि का उपयोग करके हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट और हेज की गई मदों के व्यवहार का विश्लेषण करती है।

कंपनी ने हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया है क्योंकि हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट्स का अंतर्निहित जोखिम और अनुमानित राशि हेजिंग मदों के समान है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

हेज़ लेखांकन का प्रभाव

(क) तुलन पत्र पर हेज लेखांकन का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2026 तक		कल्पित राशि (मिलियन में)	हेज़िंग इन्स्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत धारित राशि		परिपक्वता की तिथि	हेज़ अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य / दर	हेज़िंग इन्स्ट्रूमेंट्स के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन
हेज़ एवं जोखिम के प्रकार			परिसंपत्तियां	देयताएं					
	नकदी प्रवाह हेज़								
	विदेशी विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम								
(i)	विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाए								
	- सिगुल स्ट्रक्चर	यूएसडी 13,556.76	12,535.48	20.30	अप्रैल 2026 - मई 2034	1:1	83.20	4,463.59	(4,463.59)
		ईयूआर 1,208.05	1,303.02	-	नवंबर 2027- मार्च 2028	1:1	85.86	569.83	(569.83)
		जेपीवाई 9,84,729.20	3,594.27	462.13	मार्च 2027 - जनवरी 2034	1:1	0.56	(1,136.08)	1,136.08
		एसजीडी 426.42	401.43	-	अक्टूबर - 27	1:1	58.26	150.05	(150.05)
(ii)	केवल मूल स्वैप्स	यूएसडी 300.00	372.95	-	जून - 30	1:1	75.55	264.29	(264.29)
(iii)	क्रॉस करेंसी स्वैप	यूएसडी 2,620.05	460.35	572.52	अप्रैल 2026 - दिसंबर 2030	1:1	4.48%	(1,781.82)	1,781.82
		एसजीडी 213.21	-	128.06	अक्टूबर - 27	1:1	1.68%	(68.95)	68.95
(iv)	ब्याज दर स्वैप्स	यूएसडी 6,866.66	508.12	89.31	अगस्त 2026 - मई 2034	1:1	3.22%	602.57	(602.57)
		जेपीवाई 4,40,637.76	558.35	-	मार्च 2027 - मार्च 2030	1:1	1.53%	248.24	(248.24)
		आईएनआर 55,280.00	-	512.38	अगस्त 2028 - सितंबर 2034	1:1	8.44%	(456.27)	456.27

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2025 तक		कल्पित राशि (मिलियन में)	हेज़िंग इन्स्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत धारित राशि		परिपक्वता की तिथि	हेज़ अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य / दर	हेज़िंग इन्स्ट्रूमेंट्स के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन
हेज़ एवं जोखिम के प्रकार			परिसंपत्तियां	देयताएं					
	नकदी प्रवाह हेज़								
	विदेशी विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम								
(i)	विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाए								
	- सिगुल स्ट्रक्चर	यूएसडी 20,931.08	10,539.15	98.61	अप्रैल 2025 - मई 2034	1:1	85.02	810.21	(810.21)
		ईयूआर 1,208.05	733.20	-	अक्टूबर 2027- मार्च 2028	1:1	82.39	53.73	(53.73)
		जेपीवाई 10,63,706.18	4,573.26	203.25	सितम्बर 2025 - जनवरी 2034	1:1	0.56	(1,211.19)	1,211.19
		एसजीडी 426.419	251.39	-	अक्टूबर - 27	1:1	58.26	18.78	(18.78)
(ii)	केवल मूल स्वैप्स	यूएसडी 375.00	87.12	-	अप्रैल 2025 - जून 2030	1:1	75.41	(18.43)	18.43
(iii)	क्रॉस करेंसी स्वैप	यूएसडी 6,188.89	182.40	1,006.78	अप्रैल 2025 - जून 2029	1:1	2.78%	294.33	(294.33)
		एसजीडी 213.21	-	77.47	अप्रैल 2025 - अक्टूबर 2027	1:1	3.01%	17.55	(17.55)
(iv)	ब्याज दर स्वैप्स	यूएसडी 7,008.50	391.39	173.66	अप्रैल 2025 - मई 2034	1:1	3.25%	149.95	(277.79)
		जेपीवाई 4,51,156.76	263.86	8.42	सितम्बर 2025 - मार्च 2030	1:1	1.51%	194.73	(58.81)
		एसजीडी -	-	-	मार्च 2025 में मैच्योर	1:1	0.00%	(15.09)	(58.81)
		आईएनआर 55,280.00	-	25.39	जून 2025 - सितम्बर 2034	1:1	8.44%	(10.41)	10.40

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ख) लाभ और हानि के विवरण पर नकदी प्रवाह हेज लेखांकन के प्रभाव

(₹ करोड़ में)

हेज़ के प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता दिए गए हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट के मूल्य में परिवर्तन	मान्यता प्राप्त हेज अप्रभावशीलता	अन्य व्यापक आय से पुनर्वर्गीकृत राशि	पुनर्वर्गीकरण पर प्रभावित लाइन मद
31-03-2026 को समाप्त वर्ष				
- मुद्रा जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम	2,855.45	-	(12,955.28)	निवल / लेनदेन विनिमय हानि/(लाभ)
			3,900.99	वित्तीय लागत
			731.39	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल (लाभ)/ हानि
31-03-2025 को समाप्त वर्ष				
- मुद्रा जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम	284.16	-	(4,076.86)	निवल / लेनदेन विनिमय हानि/(लाभ)
			1,796.86	वित्तीय लागत

(ग) नकदी प्रवाह हेजिंग आरक्षित निधि और हेजिंग आरक्षित निधि की लागत में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
नकदी प्रवाह हेजेज़ के प्रभावी भाग		
प्रारम्भिक शेष	**(931.35)**	**(1,846.93)**
मुद्रा व्युत्पन्न के आंतरिक मूल्य में परिवर्तन	7,093.15	7,304.05
ब्याज दर स्वैप्स के उचित मूल्य में परिवर्तन	443.33	305.62
लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत राशियां	(13,960.87)	(6,386.16)
उपरोक्त से संबंधित आस्थगित कर (निवल)	1,616.88	(307.94)
अंतिम शेष	**(5,738.86)**	**(931.35)**
हेजिंग आरक्षित निधि की लागत		
प्रारम्भिक शेष	**(718.46)**	**1690.64**
विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं में आस्थगित समय मूल्य में परिवर्तन	(4,681.03)	(7,325.51)
समय मूल्य का परिशोधन	5,637.98	4,106.16
उपरोक्त (निवल) से संबन्धित आस्थगित कर	(240.86)	810.26
अंतिम शेष	**(2.36)**	**(718.46)**

(घ) उचित मूल्य हेजेज़

31 मार्च 2026 को, कंपनी के पास ₹11,995.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹13,995.70 करोड़) के बकाया ब्याज दर स्वैप समझौते हैं, जिसमें कंपनी को एक निश्चित दर पर ब्याज प्राप्त होता है और काल्पनिक राशि पर एक परिवर्तनशील दर पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। इस तरह के समझौतों का उपयोग निश्चित दर उधार की उचित मूल्य में परिवर्तन के जोखिम को कम करने के लिए किया जा रहा है।

हेज की गई मद और हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट के बीच एक आर्थिक संबंध है क्योंकि ब्याज दर स्वैप की शर्तें, नियत दर ऋण (अर्थात, कल्पित राशि, परिपक्वता, भुगतान और रीसेट तिथियां) की शर्तों से मेल खाती हैं। इस प्रकार, हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया गया है क्योंकि ब्याज दर स्वैप का अंतर्निहित जोखिम, हेज जोखिम घटक के समान है।

तुलन पत्र पर हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट का प्रभाव इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उचित मूल्य हेज	कल्पित राशि	धारित राशि*	तुलन पत्र में लाइन मद जहां हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट्स का प्रकटन किया है	हेज अप्रभावशीलता की गणना के लिए उचित मूल्य में परिवर्तन
31-03-2026 तक	- ब्याज दर स्वैप	11,995.70	(131.95)	व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स	(123.03)
31-03-2025 तक	- ब्याज दर स्वैप	13,995.70	(8.92)	व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स	212.41

** यहां धारित राशि रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार ऐसे व्युत्पन्न संविदा के तहत प्राप्य ब्याज को छोड़कर है।*

तुलन पत्र पर हेजिंग मद का प्रभाव इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उचित मूल्य हेज	धारित राशि	संचयी उचित मूल्य समायोजन	तुलन पत्र में लाइन मद जिसमें हेज की गई मद शामिल है	हेज अप्रभावशीलता की गणना के लिए प्रयुक्त मूल्य में परिवर्तन
31-03-2026 तक	- अधीनस्थ देयताएं	4,142.68	(135.18)	अधीनस्थ देयताएं	(87.81)
	- संस्थागत बॉण्ड	7,957.86	3.23	ऋण प्रतिभूतियां - संस्थागत बॉण्ड	(35.22)
31-03-2025 तक	- अधीनस्थ देयताएं	4,230.16	(47.37)	अधीनस्थ देयताएं	96.40
	- संस्थागत बॉण्ड	10,012.46	38.45	ऋण प्रतिभूतियां - संस्थागत बॉण्ड	116.01

₹123.03 करोड़ (पिछले वर्ष (-) ₹212.41 करोड़) के ब्याज दर स्वैप के उचित मूल्य में कमी को संबंधित अधीनस्थ देनदारियों और ऋण प्रतिभूतियों पर समान लाभ/हानि के साथ ऑफसेट किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

49.6 बाजार जोखिम – कीमत जोखिम

कंपनी उद्धृत इक्विटी उपकरणों में निवेश से उत्पन्न मूल्य जोखिमों के संपर्क में है। कंपनी के निवेश रणनीतिक उद्देश्यों के बजाय व्यापारिक उद्देश्यों के लिए आयोजित किए जाते हैं।

संवेदनशील विश्लेषण

नीचे दी गई तालिका सकल घरेलू उत्पाद के बाहर, कंपनी के इक्विटी निवेश पर संबंधित कीमतों में 5% की वृद्धि या कमी के लिए ओसीआई लाभ/(हानि) पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)पर प्रभाव	4.00	(4.00)	4.30	(4.30)
लाभ एवं हानि लेखा (पीएल) पर प्रभाव	3.50	(3.50)	4.53	(4.53)

50 युत्पन्नों से संबंधित अतिरिक्त प्रकटन

50.1 अग्रवर्ती दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप्स

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(i)	स्वैप अनुबंधों का कल्पित मूल	1,09,843.89	1,11,154.86
(ii)	हानियां, जोकि अनुबंधों के तहत उनकी बाध्यताओं को पूरा करने में प्रतिपक्षों के असफल होने पर घटित होंगी	1,293.44	1,065.66
(iii)	स्वैप्स में प्रविष्ट करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	नीचे नोट 1 देखें	नीचे नोट 1 देखें
(iv)	स्वैप्स के कारण उत्पन्न हुए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	नीचे नोट 2 देखें	नीचे नोट 2 देखें
(v)	स्वैप बही का उचित मूल	527.30	781.71

1. कंपनी आरबीआई मास्टर निर्देशों (गैर-केंद्रीय रूप से क्लियर किए गए ओटीसी डेरिवेटिव के लिए मार्जिनिंग), 2024 के अंतर्गत कवर की गई है और उक्त निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक संपार्श्विक रखती है

2. आरईसी, एनबीएफसी होने के नाते, आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार श्रेणी-1, अधिकृत डीलरों के साथ स्वैप समझौतों में प्रवेश किया है। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप समझौते बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित क्रेडिट जोखिम सीमा के भीतर हैं।

50.2 कंपनी ने किसी भी एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नों में हिस्सा नहीं लिया है।

50.3 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न*		ब्याज दर व्युत्पन्न**	
		31-03-2026 तक	31-03-2025 तक	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(i)	व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि)				
	हेजिंग के लिए	2,33,636.78	3,11,527.33	1,09,843.89	1,11,154.86
(ii)	मार्केट टू मार्केट स्थितियां				
क)	परिसंपत्ति (+)	18,667.50	16,366.52	1,293.44	1,065.66
ख)	देयता (–)	1,183.01	1,386.11	766.14	283.95
(iii)	क्रेडिट एक्सपोज़र	19,668.87	12,527.27	1,053.89	1,237.73
(iv)	अनहेज़्ड एक्सपोज़र	2,065.49	622.63	लागू नहीं	लागू नहीं

** इसमें बहु-चरण क्रॉस-करेंसी डेरिवेटिव के माध्यम से ऋण देनदारियों की हेजिंग शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप व्युत्पन्न जोखिम की कई मान्यताएं हुई हैं, जो ₹89,313.54 करोड़ (31.03.2025 ₹1,46,110.55 करोड़ के रूप में) है।*

*** ₹16,995.70 करोड़ की रुपये देनदारियों पर ब्याज दर व्युत्पन्न 31.03.2026 (31.03.2025 ₹20,695.70 करोड़ के रूप में) शामिल हैं।*

50.4 डेरिवेटिव्स पर गुणात्मक प्रकटीकरण के लिए नोट संख्या 49.3 और 49.4 देखें तथा हेज अकाउंटिंग से संबंधित प्रकटीकरण के लिए नोट संख्या 49.5 देखें।

51. एनबीएफसी के लिए आरबीआई (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए रूपरेखा) निर्देश, 2025

आरबीआई ने 01 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी एनबीएफसी के लिए स्केल बेस्ड फ्रेमवर्क (एसबीआर) पेश किया है, जिसमें एनबीएफसी को उनके आकार, गतिविधि और कथित जोखिम के आधार पर चार परतों में वर्गीकृत किया गया है। आरबीआई ने बाद में 28 नवंबर, 2025 को "आरबीआई (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पंजीकरण, छूट और स्केल बेस्ड रेगुलेशन के लिए फ्रेमवर्क) निर्देश" जारी किए हैं। कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, एनबीएफसी - मध्य स्तर के रूप में वर्गीकृत है और एनबीएफसी-मध्य स्तर के लिए लागू दिशानिर्देशों/विनियमन के अधीन है।

52. वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी का प्रकटीकरण

आरबीआई ने 15 जुलाई, 2024 से प्रभावी आरबीआई (एनबीएफसी में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निर्देश, 2024 पेश किया है। वर्ष के दौरान धोखाधड़ी के शून्य मामले (पिछले वर्ष शून्य) दर्ज किए गए।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

53. एक्सपोज़र संबंधी प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 17 सितंबर, 2010 के पत्र के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीएनएस.पीडी सी. सी. नं. 168 / 03.02.089/2009-10 दिनांक 12 फरवरी, 2010 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार आरईसी को इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया है। एक आईएफसी के रूप में, किसी एक उधारकर्ता के मामले में उधार देने और निवेश करने के लिए कुल अनुमत एक्सपोज़र टियर-1 पूंजी का क्रमशः 30% और उधारकर्ताओं के एक समूह के मामले में 50% है। आज की तिथि तक, उधारकर्ताओं को दिए गए बकाया ऋणों के संबंध में जोखिम निर्धारित मानदंडों के भीतर है।

53.1 रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश

31 मार्च 2026 तक (31 मार्च 2025 शून्य के रूप में) कंपनी का रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेश नहीं है।

53.2 पूंजीगत बाजार के लिए एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष केवल कॉर्पोरेट ऋण में ही निवेश नहीं किया जाता है (इसमें वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों में निवेश शामिल है)	383.70	477.52
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए शेयरों/बॉण्ड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के खिलाफ या व्यक्तियों को पारदर्शिता के आधार पर अग्रिम	-	-
(iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बॉण्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया जाता है	-	-
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपार्श्विक सुरक्षा द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम, यानी जहां शेयर / परिवर्तनीय बॉण्ड / परिवर्तनीय डिबेंचर / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक सुरक्षा होती है अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं किया गया	-	-
(v)	स्टॉकब्रोकरों को सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम और स्टॉकब्रोकरों और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी की गई गारंटी	-	-
(vi)	संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बॉण्ड / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा के खिलाफ या पारदर्शिता के आधार पर कॉर्पोरेट्स को ऋण स्वीकृत किया गया	-	-
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गम के विरुद्ध कंपनियों को ऋण प्रदान करना	-	-
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक मुद्दे के संबंध में एनबीएफसी द्वारा ली गई अंडरराइटिंग प्रतिबद्धताएं	-	-
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	-	-
(x)	वैकल्पिक निवेश निधियों के लिए सभी एक्सपोज़र	-	-
	पूंजीगत बाजार के लिए कुल एक्सपोज़र	**383.70**	**477.52**

53.3 क्षेत्रीय एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	31-03-2026 तक					31-03-2025 तक				
	बकाया मूल (एलओसी सहित)	उपचित ब्याज	डिफ़ॉल्ट पर कुल एक्सपोज़र (ईएडी)	सकल एनपीए	ईएडी में सकल एनपीए का प्रतिशत	मूल बकाया (एलओसी सहित)	उपचित ब्याज	डिफ़ॉल्ट पर कुल एक्सपोज़र (ईएडी)	सकल एनपीए	ईएडी में सकल एनपीए का प्रतिशत
उद्योग										
इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को उधार										
- विद्युत	5,67,317.03	2,904.99	5,70,222.02	1,384.75	0.24%	5,54,253.37	3,403.34	5,57,656.70	7,652.65	1.37%
- इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं लॉजिस्टिक्स	22,610.12	134.96	22,745.08	-	-	20,638.62	140.55	20,779.18	-	-
कुल एक्सपोज़र	**5,89,927.15**	**3,039.95**	**5,92,967.10**	**1,384.75**	**0.23%**	**5,74,891.99**	**3,543.89**	**5,78,435.88**	**7,652.65**	**1.32%**

उपर्युक्त प्रकटीकरण के प्रयोजन से किया गया एक्सपोज़र बकाया मूल, उपचित ब्याज और बकाया आश्वासन पत्र (एलओसी) को दर्शाता है।

53.4 अंतर-समूह जोखिम

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(i)	अंतर-समूह जोखिम की कुल राशि		
	- सहायक कंपनी के इक्विटी शेयरों में निवेश	0.10	0.10
(ii)	शीर्ष 20 अंतर-समूह जोखिम की कुल राशि	0.10	0.10
(iii)	कुल जोखिम में अंतर-समूह जोखिम का प्रतिशत	-	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

53.5 कंपनी के पास वर्तमान और पिछले वर्ष के दौरान मूल कंपनी के उत्पादों का कोई वित्तपोषण नहीं है।

53.6 अग्रिमों, प्रकटनों और क्रेडिट–इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का संकेंद्रण

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(i)	**अग्रिमों का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	3,41,066.00	3,26,580.55
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	58.44%	57.61%
(ii)	**एक्सपोज़र का संकेंद्रण***		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए कुल एक्सपोज़र (₹ करोड़ में)	3,42,754.48	3,29,045.94
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोज़र का प्रतिशत	57.80%	56.89%
(iii)	**क्रेडिट-इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का संकेंद्रण**		
	शीर्ष चार ऋण-बाधित परिपत्तियों की कुल बकाया राशि (₹ करोड़ में)	1,384.75	6,175.48
	शीर्ष चार ऋण – इंपेयर्ड परिसंपत्तियों के लिए कुल एक्सपोज़र (₹ करोड़ में)	1,384.75	6,175.48

** उपर्युक्त प्रकटीकरण के प्रयोजन से एक्सपोज़र बकाया मूल, उपचित ब्याज और बकाया आश्वासन पत्र (एलओसी) को दर्शाता है।*

54. उचित मूल्य प्रकटीकरण

परिशोधन लागत और श्रेणी के अनुसार उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स की धारित राशि इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
	वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य पर मापन			
	पर मापित व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स			
(i)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई)	8	19,733.97	17,021.77
(ii)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)	8	226.97	410.41
	पर मापित निवेश*			
(i)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई)	11	313.62	386.80
(ii)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)	11	1,025.56	1,058.80
	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां			
	नकदी एवं नकदी के समतुल्य	6	45.36	54.69
	बैंक शेष (नकदी एवं नकदी के समतुल्य के अलावा)	7	881.52	1,695.15
	ट्रेड और अन्य प्राप्य	9	3.87	1.99
	ऋण परिसंपत्तियां	10	5,79,243.08	5,59,088.08
	निवेश*#	11	8,460.15	5,195.92
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तिया	12	24,552.10	24,603.68
	कुल		**6,34,486.20**	**6,09,517.29**
	वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य पर मापन			
	पर मापित व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स			
(i)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई)	8	1,784.70	1,593.58
(ii)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)	8	164.45	76.48
	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय देयताएं			
	ट्रेड देय	19	24.10	34.60
	ऋण प्रतिभूतियां	20	3,10,029.49	2,92,474.93
	उधारियां (ऋणप्रतिभूति के अलावा)	21	1,95,315.61	1,94,300.16
	अधीनस्थ देयताएं	22	9,426.75	9,514.16
	अन्य वित्तीय देयताएं	23	37,104.44	37,524.66
	कुल		**5,53,849.53**	**5,35,518.57**

** सहायक कंपनी में निवेश को भारतीय लेखा मानक 27, 'पृथक वित्तीय विवरण' के अनुसार लागत पर मापा जाता है, इसलिए इसे यहां प्रस्तुत नहीं किया गया है।*

 # इस राशि में रतनइंडिया पावर लिमिटेड के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों में निवेश शामिल है, जिसमें हानि की निवल राशि शामिल है।

54.1 उचित मूल्य पदानुक्रम

ऊपर उल्लिखित वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीक में प्रयुक्त इनपुट के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यह पदानुक्रम समान परिसंपत्तियों अथवा देयताओं [चरण–1 मापने] के लिए सक्रिय बाजारों में उल्लिखित कीमतों को उच्चतम प्राथमिकता और न लेने योग्य इनपुट [चरण–3 मापने] को निम्न प्राथमिकता देता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

प्रयुक्त श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

चरण 1: सक्रिय बाजार में समान इन्स्ट्रूमेंट्स के लिए उल्लिखित कीमतें (असमायोजित);

चरण 2: चरण–1 इनपुट को छोड़कर प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों से व्युत्पन्न) लेने योग्य बाजार इनपुट; और

चरण 3: वे इनपुट जो लेने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (न लेने योग्य इनपुट)।

कंपनी की नीति, घटना की तारीख या स्थानांतरण का कारण बनने वाली परिस्थितियों में बदलाव के समय उचित मूल्य पदानुक्रम में अंतरण को मान्यता देना और उससे बाहर अंतरण को मान्यता देना है।

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं – आवर्ती उचित मूल्य मापन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक				31-03-2025 तक			
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
एफवीओसीआई पर निवेश								
इक्विटी निवेश*	80.03	-	233.59	313.62	86.06	-	300.74	386.80
एफवीटीपीएल पर निवेश								
इक्विटी निवेश	69.98	-	-	69.98	90.62	-	-	90.62
स्थाई बॉण्ड	-	955.58	-	955.58	-	968.18	-	968.18
डिबेंचर	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रक्रिया के कर्ता - धर्ता**	-	-	-	-	-	-	-	-
एफवीओसीआई पर परिसंपत्तियां								
व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स	-	19,733.97	-	19,733.97	-	17,021.77	-	17,021.77
एफवीटीपीएल पर परिसंपत्तियां								
व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स	-	226.97	-	226.97	-	410.41	-	410.41
एफवीओसीआई पर देयता								
व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स	-	1,784.70	-	1,784.70	-	1,593.58	-	1,593.58
एफवीटीपीएल पर देयता								
व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स	-	164.45	-	164.45	-	76.48	-	76.48

** इसमें यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड में ₹ 16.00 करोड़ के निवेश, उचित मूल्य शून्य पर किए गए निवेश शामिल हैं।*

*** रतन इंडिया पावर लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी विमोचनीय अधिमानित शेयरों (ओसीसीआरपीएस) में ₹43.30 करोड़ के निवेश को दर्शाता है, जिसका उचित मूल्य शून्य है।*

उचित मूल्य प्रकटीकरण के लिए मूल्यांकन तकनीक (चरण 1, चरण 2, चरण 3)

(क) **उद्धृत इक्विटी निवेश में इनविट निवेश - चरण 1** - एनएचपीसी लिमिटेड, रतनइंडिया पावर लिमिटेड और यूनिट्स ऑफ राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट-2026 इनविट के सूचीबद्ध इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश को बाजार में आसानी से उपलब्ध उद्धृत मूल्य पर मापा जाता है।

(ख) **व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स - स्तर 2** - बाजार मूल्य का निर्धारण बैंकों द्वारा प्रदान किए गए बाजार मूल्य के आधार पर किया गया है, जिन्होंने अंतर्निहित जोखिम को कम करने के लिए अनुबंध किया है। इस तरह के मूल्यांकन की गणना बाजार में देखे जा सकने वाले इनपुट का उपयोग करके की जाती है, जिसमें वायदा विनिमय दरें, अनुबंध की परिपक्वता के अनुरूप ब्याज दरें और निहित अस्थिरता शामिल हैं।

(ग) **स्थाई बॉण्ड में निवेश - चरण 2** - कंपनी ने केनरा बैंक, यूको बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के स्थाई बॉण्ड में निवेश किया था जो एनएसई/बीएसई पर उद्धृत हैं। कंपनी एनएसई/बीएसई पर उपलब्ध इन बॉण्ड के सक्रिय बाजार लेनदेन (ट्रेडिंग डेटा) प्राप्त करती है और ट्रेडिंग मूल्य के साथ-साथ एफआईएमएमडीए के पास उपलब्ध परिपक्वता पर प्रतिफल दर(दरों) और निवेशित बैंकों की रेटिंग के आधार पर इन सतत बॉण्ड का मूल्यांकन करती है।

(घ) **यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (यूसीएक्स) का गैर उद्धृत इक्विटी में निवेश - चरण 3** - यूसीएक्स के गैर उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी द्वारा विशिष्ट कारणों से इसे शून्य मूल्य पर रखा गया है। यूसीएक्स को 2014 में बंद कर दिया गया था, जिससे एक चालू संस्था के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

(ङ) **एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) का गैर उद्धृत इक्विटी में निवेश - चरण 3** - ईईएसएल के गैर उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ईईएसएल 01 सितंबर, 2021 से एक संयुक्त उद्यम (जेवी) नहीं रहेगा। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, ईईएसएल के प्रचालनात्मक निष्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों के कारण, कंपनी द्वारा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) में किए गए निवेश का मूल्यांकन तुलनीय कंपनियों के गुणक पद्धति के स्थान पर निवल परिसंपत्ति मूल्य पद्धति के आधार पर किया गया है।

(च) **झाबुआ पावर लिमिटेड (जेपीएल) और जेएसडब्ल्यू एनर्जी (उत्कल) लिमिटेड (जेएसडब्ल्यूईयूएल) की गैर उद्धृत इक्विटी में निवेश चरण 3** - जेपीएल और आईबीईयूएल के अनकोटेड इक्विटी शेयरों में निवेश को स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी को उनकी संबंधित समाधान योजनाओं के अनुसार उधारकर्ता कंपनियों के इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं। प्रबंधन ने स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकन के आधार पर इन इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है, जिन्होंने मूल्यांकन की बाजार गुणक विधि पर विचार किया है, अर्थात इंड एएस 113 में शामिल मूल्यांकन तकनीक।

(छ) **गैर -उद्धृत वरीयता शेयरों में निवेश - स्तर 3** - रतनइंडिया पावर लिमिटेड (आरआईपीएल) के अनकोटेड ओसीसीआरपी में निवेश को स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी को 23 दिसंबर 2019 को निष्पादित एकमुश्त निपटान व्यवस्था के अनुसार उधारकर्ता कंपनी के ओसीसीआरपी आवंटित किए गए हैं। ऐसे उपकरणों में भविष्य के नकदी प्रवाह अनिश्चित होने के कारण उचित मूल्य शून्य लिया गया है। भविष्य के नकदी प्रवाह की अपेक्षा में किसी भी बदलाव को निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

(ज) **आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश - स्तर 3** -- आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के अनकोटेड ऑप्शनाली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (ओसीडी) में निवेश को स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो उधारकर्ता के साथ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर कंपनी को आवंटित किए गए हैं। उचित मूल्य शून्य के रूप में लिया गया है क्योंकि ऐसे डिबेंचर प्रकृति में अस्थिर हैं और भविष्य के नकदी प्रवाह अनिश्चित हैं। भविष्य के नकदी प्रवाह की अपेक्षा में किसी भी बदलाव को निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(झ) **डैन्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश - स्तर 3** - डैन्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के अनकोटेड ऑप्शन्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (ओसीडी) में निवेश को स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो उधारकर्ता के साथ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर कंपनी को आवंटित किए गए हैं। उचित मूल्य शून्य के रूप में लिया गया है क्योंकि ऐसे डिबेंचर प्रकृति में अस्थिर हैं और भविष्य के नकदी प्रवाह अनिश्चित हैं। भविष्य के नकदी प्रवाह की अपेक्षा में किसी भी बदलाव को निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

(ञ) **टीआरएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) श्रृंखला ए/बी में निवेश- स्तर 3** - टीआरएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के अनकोटेड ऑप्शनाली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (ओसीडी) सीरीज ए/बी में निवेश को स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो उधारकर्ता के साथ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर कंपनी को आवंटित किए गए हैं। उचित मूल्य शून्य के रूप में लिया गया है क्योंकि ऐसे डिबेंचर प्रकृति में अस्थिर हैं और भविष्य के नकदी प्रवाह अनिश्चित हैं। भविष्य के नकदी प्रवाह की अपेक्षा में किसी भी बदलाव को निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

54.2 चरण 3 इनपुट के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स का समाधान

निम्न तालिका उचित मूल्य पर मापी गई चरण 3 की वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की शुरुआती और समापन मात्रा का समाधान दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए				
	एफवीटीपीएल (ii)			एफवीओसीआई (iii)	कुल
	स्थाई बॉण्ड में निवेश	अधिमानित शेयर में निवेश	ओसीडी में निवेश	गैर उद्धृत इक्विटी शेयर में निवेश	
प्रारम्भिक शेष	**968.18**	**-**	**-**	**300.74**	**1,268.92**
ऋण समायोजन में प्राप्य *(टिप्पणी 11.4 का संदर्भ लें)*	-	-	-	-	-
निवेश / समायोजन	-	-	-	-	0.00
चरण 3 में अंतरण	-	-	-		-
चरण 3 से अंतरण	968.18	-	-	-	968.18
ब्याज आय (i)	-	-	-		-
उचित मूल्य परिवर्तन	-	-	-	(67.15)	(67.15)
अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**233.59**	**233.59**
वर्ष के अंत में अप्राप्त लाभ(हानि)	**-**	**-**	**-**	**(83.14)**	**(83.14)**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए				
	एफवीटीपीएल (ii)			एफवीओसीआई (iii)	कुल
	स्थाई बॉण्ड में निवेश	अधिमानित शेयर में निवेश	ओसीडी में निवेश	गैर उद्धृत इक्विटी शेयर में निवेश	
प्रारम्भिक शेष	**947.94**	**-**	**117.09**	**316.73**	**1,381.76**
ऋण समायोजन में प्राप्य *(टिप्पणी 11.4 का संदर्भ लें)*	-	-	-	-	-
निवेश / समायोजन	-	-	(347.93)	-	(347.93)
चरण 3 में अंतरण	-	-	-		-
चरण 3 से अंतरण	-	-	-	-	-
ब्याज आय (i)	20.24	-	230.84	-	251.08
उचित मूल्य परिवर्तन	-	-	-	(15.99)	(15.99)
अंतिम शेष	**968.18**	**-**	**-**	**300.74**	**1,268.92**
वर्ष के अंत में अप्राप्त लाभ(हानि)	**20.25**	**-**	**-**	**(15.99)**	**4.26**

वर्ष के दौरान गैर–मान्यता प्राप्त अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी शेयरों में निवेश के लिए टिप्पणी संख्या 11.5 देखें

** रतन इंडिया पावर लिमिटेड के 'विमोचनीय अधिमानित शेयर' में ₹43.30 करोड़ के निवेश को दर्शाता है, जिसका उचित मूल्य शून्य है*

(i) लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में लाइन मद 'ब्याज आय' का हिस्सा है।

(ii) एफवीटीपीएल में निवेश पर उचित मूल्य लाभ/(हानि) लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में लाइन मद 'उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(लाभ)' का हिस्सा है।

(iii) एफवीओसीआई में निवेश पर उचित मूल्य लाभ/(हानि) लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में लाइन मद 'एफवीओसीआई इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स' के उचित मूल्य में परिवर्तन' का हिस्सा है।

54.3 वर्ष के दौरान स्तर 1 और स्तर 2 के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ

54.4 परिशोधित लागत पर मापे गए इन्स्ट्रूमेंट्स का उचित मूल्य

परिशोधन लागत पर मापे गए इन्स्ट्रूमेंट्स का उचित मूल्य, जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है, इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
नकदी एवं नकदी के समतुल्य	45.36	45.36	54.69	54.69

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
बैंक शेष (नकदी एवं नकदी के समतुल्य के अलावा)	881.52	881.52	1,695.15	1,695.15
ट्रेड और अन्य प्राप्य	3.87	3.87	1.99	1.99
ऋण	5,79,243.08	5,83,693.47	5,59,088.08	5,59,417.16
निवेश	8,460.15	8,623.11	5,195.92	5,438.99
अन्य वित्तीय परिसंपत्तिया	24,552.10	24,551.41	24,603.68	24,603.17
कुल	**6,13,186.08**	**6,17,798.74**	**5,90,639.51**	**5,91,211.15**
वित्तीय देयताएं				
ट्रेड प्रतिदेय	3,10,029.49	2,99,858.46	2,92,474.93	2,91,142.61
ऋण प्रतिभूतियां	1,95,315.61	1,95,189.20	1,94,300.16	1,94,412.84
उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	9,426.75	9,427.91	9,514.16	9,710.47
अधीनस्थ देयताएं	24.10	24.10	34.60	34.60
अन्य वित्तीय देयताएं	37,104.44	37,104.44	37,524.66	37,524.66
कुल	**5,51,900.38**	**5,41,604.11**	**5,33,848.51**	**5,32,825.18**

वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स की मूल्यांकन पद्धतियों को उचित मूल्य पर नहीं मापा गया है

उपरोक्त वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धतियां और धारणाएं नीचे दी गई हैं, जिन्हें कंपनी के वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर दर्ज और मापा नहीं जाता है। इन उचित मूल्यों की गणना केवल प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए की गई थी। नीचे दी गई पद्धतियां और धारणाएं केवल उपरोक्त तालिकाओं के इन्स्ट्रूमेंट्स से संबंधित हैं:

वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के लिए जिनकी अल्पकालिक परिपक्वता (बारह माह से कम) है, वहन राशि, जो इंपेयरमेंट के निवल हैं, उनके उचित मूल्य का एक उचित अनुमान है। ऐसे इन्स्ट्रूमेंट्स में शामिल हैं: नकदी एवं नकदी के समतुल्य, नकदी एवं नकदी के समतुल्य के अलावा बैंक शेष, विशिष्ट परिपक्वता के बिना अनुबंध परिसंपत्ति और अनुबंध देयता।

ग्राहकों को ऋण और अग्रिम

ऋण परिसंपत्तियों के उचित मूल्यों की गणना पोर्टफोलियो-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके की जाती है, जहाँ तक संभव हो ऋणों को समान विशेषताओं के आधार पर समरूप समूहों में समूहित किया जाता है। इसके बाद कंपनी रियायती नकदी प्रवाह मॉडल का उपयोग करके पूरे पोर्टफोलियो के लिए उचित मूल्य की गणना और एक्सट्रपलेशन करती है, जिसमें ऋण की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर विचार करते हुए ब्याज दर अनुमान शामिल होते हैं। जहां ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है, कंपनी अपने सामूहिक इंपेयरमेंट मॉडल में उपयोग किए गए ऐतिहासिक अनुभव और अन्य जानकारी का उपयोग करती है।

परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधन लागत पर मापी गई ऋण प्रतिभूतियों के उचित मूल्यों का अनुमान वास्तविक या अनुमानित यील्ड का उपयोग करके संविदात्मक नकदी प्रवाह के आधार पर रियायती नकदी प्रवाह मॉडल का उपयोग करके किया जाता है और समतुल्य के क्रेडिट जोखिम को शामिल करते हुए यील्ड में छूट दी जाती है।

जारी ऋण

कंपनी की निश्चित ब्याज वाली ऋण प्रतिभूतियों, उधारों और अधीनस्थ देयताओं का उचित मूल्य डिस्काउंटेड कैश फ्लो ('डीसीएफ') पद्धति को लागू करके, छूट दर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जारीकर्ता की उधार दर को दर्शाता है। 31 मार्च 2026 को स्वयं का गैर-निष्पादन जोखिम नगण्य आंका गया था।

सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में निवेश

कंपनी ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले तरल परिसंपत्तियों को बनाए रखने और प्रारंभिक मार्जिन के रूप में प्रतिज्ञा करने के लिए जी-एसईसी और एसडीएल में निवेश किया है। कंपनी ने डिस्काउंटेड कैश फ्लो (डीसीएफ) विधि का उपयोग करके उचित मूल्य की गणना की है, अर्थात पिछले कूपन तिथि से अर्जित ब्याज को रिपोर्टिंग तिथि में जोड़ा गया है।

पीएसयू बॉण्ड्स में निवेश

कंपनी ने पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले तरल परिसंपत्तियों को बनाए रखने और आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रारंभिक मार्जिन के रूप में प्रतिज्ञा करने के लिए पीएसयू बॉण्ड में निवेश किया है। कंपनी ने उद्योग के अभ्यास के अनुसार शेष परिपक्वता के लिए पीएसयू के लिए समान शेष परिपक्वता या क्रेडिट रेटिंग के अनुसार समान रूप से जी-सेक बॉण्ड के प्रतिफल का उपयोग करके उचित मूल्य की गणना की है।

ऋण समायोजन/समाधान के समय उधारकर्ता संस्थानों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश

उचित मूल्य उधारकर्ताओं पर लागू ब्याज दर पर भविष्य के नकदी प्रवाह में छूट देकर वर्तमान मूल्य तकनीक द्वारा प्राप्त किया गया है। भविष्य के नकदी प्रवाह की प्रत्याशा में किसी भी बदलाव को निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

कंपनी द्वारा ली गई अन्य सभी ऋण प्रतिभूतियां, उधार और अधीनस्थ देयताएं परिवर्तनीय दर सुविधाएं हैं जो अंतर्निहित ब्याज दर सूचकांकों में परिवर्तन के अधीन हैं। इसके अलावा, इन सुविधाओं पर क्रेडिट का प्रसार कंपनी की साख में बदलाव के साथ परिवर्तन के अधीन है। प्रबंधन का मानना है कि इन ऋणों पर ब्याज की वर्तमान दर कंपनी पर लागू बाजार दरों के करीब है। इसलिए, प्रबंधन का अनुमान है कि इन उधारों का उचित मूल्य उनके संबंधित मूल्यों के करीब है।

निवेश संपत्ति

कंपनी को अपनी निवेश परिसंपत्तियों के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन वार्षिक रूप से प्राप्त होता है। निवेश परिसंपत्ति के उचित मूल्य का निर्धारण एक स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाता है और अपनाई गई मूल्यांकन तकनीक आय दृष्टिकोण है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

55. कोई भी सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं हैं, जिनके प्रति कंपनी पर 31 मार्च 2026 (पिछले वर्ष शून्य) को 45 दिनों से अधिक समय से बकाया राशि है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जाने वाली इस जानकारी को कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर पहचाने गए ऐसे पक्षों की स्थिति की सीमा तक निर्धारित किया गया है।

56. संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण:

56.1 संबंधित पक्षकारों की सूची

(1)	**मुख्य प्रबंधन कार्मिक**	
	श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (22 अप्रैल, 2025 से नियुक्त)
	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (21 मार्च, 2025 से नियुक्त और 22 अप्रैल, 2025 से कार्यकाल समाप्त)
	श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष	निदेशक-परियोजना (3 अक्टूबर, 2025 से नियुक्त)
	श्री राजेश कुमार	निदेशक-वित्त (2 अप्रैल, 2026 से नियुक्त) और कार्यपालक निदेशक-वित्त (केएमपी के रूप में नामित 2 अप्रैल, 2026 से कार्यकाल समाप्त)
	श्री वी.के. सिंह	निदेशक-परियोजना (1 जुलाई, 2025 से सेवानिवृत्त)
	श्री हर्ष बावेजा	निदेशक-वित्त (1 फरवरी, 2026 से सेवानिवृत्त)
	श्री शशांक मिश्रा	सरकारी नामित निदेशक
	श्री मनोज शर्मा	पीएफसी नामित निदेशक (1 अप्रैल, 2026 से कार्यकाल समाप्त)
	श्री राजीव रंजन झा	पीएफसी नामित निदेशक (06 अप्रैल, 2026 से नियुक्त)
	श्री नारायणन तिरुपति	अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (03 मार्च, 2026 से कार्यकाल समाप्त)
	डॉ. गंभीर सिंह	अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (17 अप्रैल, 2025 से नियुक्त और 16 अप्रैल, 2026 से कार्यकाल समाप्त)
	डॉ. दुर्गेश नंदिनी	अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (17 अप्रैल, 2025 से नियुक्त और 16 अप्रैल, 2026 से कार्यकाल समाप्त)
	श्री जे.एस. अमिताभ	कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव (01 दिसंबर, 2025 से कार्यकाल समाप्त)
	श्री एम. एल. कुमावत	कार्यपालक निदेशक-वित्त (09 अप्रैल, 2026 से केएमपी के रूप में नामित)
	श्री दिनेश गर्ग	महाप्रबंधक और कंपनी सचिव (01 दिसंबर, 2025 से नियुक्त)
(2)	**मुख्य धारक कंपनी**	
	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	
(3)	**सहायक कंपनी**	
	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	
(4)	**आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के सहयोगी**	
	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	14 मार्च 2018 को निगमित
	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	19 मार्च 2018 को निगमित
	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	23 मार्च 2018 को निगमित
	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	26 मार्च 2018 को निगमित
	लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	28 अक्टूबर 2022 को निगमित
	शोंगटोंग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	14 जून 2023 को निगमित
	कंकाणी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	18 दिसंबर 2023 को निगमित
	तूतीकोरिन पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	05 नवंबर 2024 को निगमित
	डब्ल्यूआरएनईएस तालेगांव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	16 नवंबर 2024 को निगमित और 30 मई 2025 को स्थानांतरित
	राजगढ़ III पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	24 दिसंबर 2024 को निगमित और 20 जनवरी 2026 को बंद
	जेजुरी हिंजेवाड़ी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	28 मार्च 2025 को निगमित और 9 जनवरी 2026 को स्थानांतरित
	वेलगांव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	29 मार्च 2025 को निगमित और 9 जनवरी 2026 को स्थानांतरित
	मेखली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	20 मई 2025 को निगमित
	शारावती पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	20 मई 2025 को निगमित
	हम्पापुरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	20 मई 2025 को निगमित
	रयाप्टे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	21 मई 2025 को निगमित
	रॉबर्ट्सगंज पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	28 मई 2025 को निगमित
	राजगढ़ नीमच पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	17 जून 2025 को निगमित और 29 सितंबर 2025 को स्थानांतरित
	अनंतपुरम II पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	26 जून 2025 को निगमित और 17 अक्टूबर 2025 को स्थानांतरित
	दावणगेरे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	26 जून 2025 को निगमित और 24 सितंबर 2025 को स्थानांतरित
	जालना पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	29 जून 2025 को निगमित
	एसआर डब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	01 जुलाई 2025 को निगमित और 17 अक्टूबर 2025 को स्थानांतरित
	साकोली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	07 जुलाई 2025 को निगमित

	उमरेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	07 जुलाई 2025 को निगमित और 26 फरवरी 2026 को स्थानांतरित
	बेल्लारी दावणगेरे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	25 सितंबर 2025 को निगमित और 12 फरवरी 2026 को स्थानांतरित
	केम्पेगौड़ा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	30 सितंबर 2025 को निगमित
	बाड़मेर एच.डी.सी. पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	30 सितंबर 2025 को निगमित
	डब्ल्यूआर ईआर पार्ट ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	06 नवंबर 2025 को निगमित
	डब्ल्यूआर ईआर पार्ट सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	06 नवंबर 2025 को निगमित
	बलसाने पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	18 दिसंबर 2025 को निगमित
	अंबरनाथ पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	19 दिसंबर 2025 को निगमित
	मुसलगांव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	20 दिसंबर 2025 को निगमित
	धौलपुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	23 दिसंबर 2025 को निगमित
	जैसलमेर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	23 दिसंबर 2025 को निगमित
	आष्टा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	24 दिसंबर 2025 को निगमित
	रानीपुर चुनार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	26 दिसंबर 2025 को निगमित
	मुनक पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	05 जनवरी 2026 को निगमित
	वाइज़ैग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	16 फरवरी 2026 को निगमित
(5)	**नियोजन हितलाभ न्यास / निधि**	
	आरईसी लिमिटेड अंशदान भविष्य निधि न्यास	
	आरईसी उपदान निधि	
	आरईसी कर्मचारी अधिवर्षिता न्यास	
	आरईसी कर्मचारी हितैषी निधि	
	आरईसी सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा न्यास	
(6)	**सीएसआर पहल करने के लिए पंजीकृत सोसायटी**	
	आरईसी फाउंडेशन	
(7)	**अन्य कंपनियाँ जिनमें प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी निदेशक हैं**	
	समर्पण अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड	अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक- डॉ. गम्भीर सिंह-(17 अप्रैल, 2025 से नियुक्त)
(8)	**प्रमुख धारक कंपनी से जुड़े निम्नलिखित पक्षकार आरईसी के संबंधित पक्षकार के रूप में भी माने जाते है:**	
(क)	**होल्डिंग कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक**	
	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
	श्री राजीव रंजन झा	निदेशक (परियोजना)
	श्री मनोज शर्मा	निदेशक (वाणिज्यिक) (1 अप्रैल, 2026 से कार्यकाल समाप्त)
	श्री संदीप कुमार	निदेशक (वित्त) (1 अप्रैल, 2026 से कार्यकाल समाप्त)
	श्री शशांक मिश्रा	सरकारी नामित निदेशक
	श्री सुधीर मेहता	अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (14 मई 2025 से नियुक्त)
	एडवोकेट भास्कर भट्टाचार्य	अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (13 मई 2025 से नियुक्त और 2 अप्रैल 2026 से कार्यकाल समाप्त)
	श्रीमती उषा संजीव नायर	अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (17 अप्रैल 2025 से नियुक्त और 18 अप्रैल, 2026 से कार्यकाल समाप्त)
	श्री प्रसन्न तंती	अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (17 अप्रैल 2025 से नियुक्त और 18 अप्रैल, 2026 से कार्यकाल समाप्त)
	श्री नरेश धनराजभाई केल्ला	अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (17 अप्रैल 2025 से नियुक्त और 18 अप्रैल, 2026 से कार्यकाल समाप्त)
	श्री मनीष कुमार अग्रवाल	कंपनी सचिव
(ख)	**प्रमुख धारक कंपनी की अनुषंगी कंपनी**	
	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	
	पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	
	पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड	
(ग)	**प्रमुख धारक कंपनी की सहयोगी कंपनी**	
	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	26 अप्रैल 2002 को निगमित
	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	24 अगस्त 2006 को निगमित किया गया
	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	21 मई 2008 को निगमित और 09 मार्च 2026 को बंद
	घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	22 मई 2008 को निगमित किया गया और 16 मार्च 2026 को बंद

लेखा संबंधी टिप्पणियां

	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	09 जनवरी 2007 को निगमित किया गया
	चेयूर इंफ्रा लिमिटेड	21 जनवरी 2014 को निगमित किया गया
	ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड	23 जनवरी 2014 को निगमित और 23 मार्च 2026 को बंद
	बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	30 जून 2015 को निगमित
	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	30 जून 2015 को निगमित
	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	09 जुलाई 2015 को निगमित
	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	10 दिसंबर 2015 को निगमित
	छतरपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	25 जनवरी 2022 को निगमित
	एसआईओटी ट्रांसमिशन लिमिटेड	27 अप्रैल 2022 को निगमित
	जोडा बार्बिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	20 जून 2023 को निगमित
	रामकनाली बी-पानागढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	21 नवंबर 2023 को निगमित
	गोला बी-रामगढ़ बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	05 दिसंबर 2023 को निगमित
	केपीएस III एचवीडीसी ट्रांसमिशन लिमिटेड	18 जनवरी 2024 को निगमित और 12 दिसंबर 2025 को स्थानांतरित
	भुज II ट्रांसमिशन लिमिटेड	01 मार्च 2024 को निगमित
	अंगुल सुंदरगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	01 मार्च 2024 को निगमित और 28 जुलाई 25 को स्थानांतरित
	भड़ला और बीकानेर कॉम्प्लेक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	14 अक्टूबर 2024 को निगमित
	वाहीपोरा और सल्लर ट्रांसमिशन लिमिटेड	11 नवंबर 2024 को निगमित
	भुज आईसीटी ट्रांसमिशन लिमिटेड	19 नवंबर 2024 को निगमित
	कांडला जीएचए ट्रांसमिशन लिमिटेड	27 नवंबर 2024 को निगमित
	एमईएल पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	19 नवंबर 2024 को निगमित और 4 जून 25 को स्थानांतरित
	राघनेस्डा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड	3 दिसंबर 2024 को निगमित और 23 जुलाई 25 को स्थानांतरित
	एनईआर एक्सपेंशन ट्रांसमिशन लिमिटेड	06 दिसंबर 2024 को निगमित और 23 जुलाई 25 को स्थानांतरित
	काकीनाडा I ट्रांसमिशन लिमिटेड	20 फरवरी 2025 को निगमित
	एनईएस धाराशिव ट्रांसमिशन लिमिटेड	20 मार्च 2025 को निगमित और 12 मार्च 2026 को स्थानांतरित
	एनईएस नवी मुंबई ट्रांसमिशन लिमिटेड	20 मार्च 2025 को निगमित
	एनईएस पुणे ईस्ट न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड	29 मार्च 2025 को निगमित और 12 मार्च 2026 को स्थानांतरित
	मंदसौर I आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड	16 अप्रैल 2025 को निगमित और 08 अक्टूबर 25 को स्थानांतरित
	विंध्याचल वाराणसी ट्रांसमिशन लिमिटेड	16 अप्रैल 2025 को निगमित और 16 अक्टूबर 25 को स्थानांतरित
	मुरैना-I एसईज़ेड ट्रांसमिशन लिमिटेड	16 अप्रैल 2025 को निगमित और 03 फरवरी 26 को स्थानांतरित
	वाग्दारी ट्रांसमिशन लिमिटेड	13 जून 2025 को निगमित और 27 मार्च 2026 को स्थानांतरित
	कुरनूल IV आरईजेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	13 जून 2025 को निगमित
	सासवड ट्रांसमिशन लिमिटेड	16 जून 2025 को निगमित और 26 फरवरी 26 को हस्तांतरित
	एसआर और ईआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	22 अगस्त 2025 को निगमित और 03 फरवरी 26 को स्थानांतरित
	तुमकुर II आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड	24 सितंबर 2025 को निगमित
	साउथ कलंब पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	30 सितंबर 2025 को निगमित और 30 मार्च 2026 को स्थानांतरित
	अलीबाग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	08 नवंबर 2025 को निगमित
	रायगढ़ पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	17 नवंबर 2025 को निगमित
	नर्ग्स III सियांग बेसिन ट्रांसमिशन लिमिटेड	21 नवंबर 2025 को निगमित
	लातूर आरईजेड ट्रांसमिशन लिमिटेड	10 दिसंबर 2025 को निगमित

56.2 **संबंधित पक्षों से प्राप्त होने वाली/उन्हें देय राशि।**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां /(देयताएं)	(0.42)	2.82
अन्य वित्तीय देयताएँ - अप्रदत्त लाभांश	-	498.96
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)		
ऋण प्रतिभूतियाँ	45.44	45.44
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7.13	7.18
रोजगार लाभ ट्रस्ट/निधि		
ऋण प्रतिभूतियाँ	2.00	3.00
अधीनस्थ देयताएँ	3.70	3.70

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
अन्य वित्तीय देयताएँ - भारत सरकार द्वारा सेवा प्रदान किए गए बॉण्ड	29.30	29.30
प्रावधान (देय) / वसूली योग्य	0.80	(3.26)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	46.42	34.78
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)		
ऋण प्रतिभूतियाँ	0.05	0.05
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	0.63	0.13
अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी (केएमपी-पीएफसी) के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
ऋण प्रतिभूतियों	0.15	0.15
आरईसी फाउंडेशन		
अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ (सीएसआर आरईसी फाउंडेशन को अग्रिम)	0.15	1.67

कंपनी द्वारा निदेशकों या वरिष्ठ अधिकारी या उनके रिश्तेदार या निदेशकों और उनके रिश्तेदारों से जुड़े संस्थाओं को स्वीकृत ऋण और अग्रिम की कुल राशि शून्य है (पिछले वर्ष शून्य), कंपनी के कर्मचारियों के लिए सामान्य रूप से लागू योजनाओं के तहत प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (केएमपी) को स्वीकृत ऋण और अग्रिम (पिछले वर्ष ₹ 0.74 करोड़) को छोड़कर।

56.3 **वर्ष के दौरान बकाया ऋण/अग्रिम/निवेश की अधिकतम राशि:**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां /(देयताएं)	2.82	3.83
अन्य वित्तीय देयताएँ- अवैतनिक लाभांश	498.96	623.70
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)		
ऋण प्रतिभूतियाँ	45.44	45.44
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ - सहायक कंपनियों को ऋण और अग्रिम	10.14	7.18
निवेश	0.10	0.10
रोजगार लाभ ट्रस्ट/निधि		
ऋण प्रतिभूतियाँ	3.00	3.00
अधीनस्थ देयताएँ	3.70	3.70
अन्य वित्तीय देयताएँ- भारत सरकार द्वारा सेवा प्राप्त बॉण्ड	29.30	29.30
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)		
ऋण प्रतिभूतियाँ	0.05	0.05
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	0.97	0.41
अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी (केएमपी-पीएफसी) के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
ऋण प्रतिभूतियों	0.15	0.15
आरईसी फाउंडेशन		
अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (सीएसआर आरईसी फाउंडेशन को अग्रिम)	22.86	11.31

56.4 **संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन:**

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष समाप्त 31-03-2026	वर्ष समाप्त 31-03-2025
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)		
लाभांश भुगतान	3,215.51	2,952.17
निदेशकों का बैठक शुल्क	0.08	0.11
अन्य व्यय/प्रशासनिक व्यय का आबंटन	2.40	4.12
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)		
कर्मचारी लाभ और अन्य व्यय का आबंटन	21.88	17.35
लाभांश आय	53.04	90.63
किराया आय	3.05	2.22
अन्य आय	1.62	3.75
वित्तीय लागत - ब्याज भुगतान	3.70	3.70
अन्य व्यय	0.04	0.62
रोजगार लाभ ट्रस्ट/निधि		
कंपनी द्वारा किया गया योगदान	12.64	11.40

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	वर्ष समाप्त 31-03-2026	वर्ष समाप्त 31-03-2025
कंपनी द्वारा तय प्रावधान	3.26	-
कंपनी के बॉण्ड का प्रतिदान	1.00	-
वित्तीय लागत - भुगतान किया गया ब्याज	3.11	3.04
कंपनी के बॉण्ड में अभिदान	-	1.00
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)		
कर्मचारी ऋण और अग्रिमों की वसूली	0.35	0.22
कर्मचारी ऋणों पर ब्याज आय	0.02	0.05
वित्तीय लागत - ब्याज भुगतान	0.00	0.00
कर्मचारी लाभ व्यय - प्रबंधकीय पारिश्रमिक	5.35	3.78
निदेशकों का बैठक शुल्क	0.31	0.35
लाभांश का भुगतान	0.02	0.02
अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी (केएमपी-पीएफसी) के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
वित्तीय लागत	0.01	0.01
आरईसी फाउंडेशन		
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के लिए भुगतान	154.60	268.00

56.5 संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की शर्तें और नियम

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन निष्पक्ष आधार पर किए जा रहे हैं। प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक और स्टाफ ऋण एवं अग्रिम राशि कंपनी के सेवा नियमों के अनुरूप हैं। संबंधित पक्षों को भुगतान की जाने वाली वित्तीय लागत कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों में उनके निवेश के कारण है। ऐसी ऋण प्रतिभूतियों पर देय ब्याज दर सभी बॉण्डधारकों पर समान रूप से लागू होती है। कंपनी अपनी सहायक कंपनी को स्थापना और प्रशासनिक व्यय के आवंटन के लिए अग्रिम राशि भी देती है, जिसकी वसूली तिमाही आधार पर की जाती है। यद्यपि वर्ष के अंत में सहायक कंपनी की बकाया राशि असुरक्षित है, फिर भी कंपनी ने संबंधित पक्षों द्वारा देय राशि से संबंधित प्राप्य राशि में कोई हानि दर्ज नहीं की है। यह आकलन दिए गए अग्रिमों की अल्पकालिक वसूली के आधार पर किया गया है।

56.6 प्रबंधकीय पारिश्रमिक

वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) के पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वर्ष समाप्त 31-03-2026	वर्ष समाप्त 31-03-2025
(i)	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	3.73	3.48
(ii)	रोज़गार के बाद के लाभ	1.62	0.30
	कुल	**5.35**	**3.78**

चूँकि उपदान और क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति की देनदारियाँ प्रत्येक कर्मचारी के बजाय समग्र कंपनी के लिए बीमांकिक आधार पर प्रदान की जाती हैं, इसलिए केएमपी से संबंधित राशियाँ विशेष रूप से ज्ञात नहीं हैं और इसलिए, उन्हें उपरोक्त तालिका में शामिल नहीं किया गया है। उपदान और क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति को उपरोक्त तालिका में संबंधित वर्ष में वास्तविक भुगतान के आधार पर शामिल किया गया है।

56.7 एक ही सरकार के नियंत्रण में आने वाली संस्थाओं के संबंध में प्रकटीकरण (सरकार से संबंधित संस्थाएं)

सरकार से संबंधित संस्थाओं की सूची

समूह की संस्थाएँ/कंपनियाँ केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जिन पर केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण प्रभाव है। समूह ने जिन सरकारी संस्थाओं के साथ लेन-देन किया है, उनकी सूची में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड

दामोदर घाटी निगम

नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड

एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड

पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड

टस्को लिमिटेड

एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड

एसजेवीएन लिमिटेड

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया

लेखा संबंधी टिप्पणियां

ऐसी सरकारी संस्थाओं के साथ कुल लेनदेन निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष समाप्त 31-03-2026	वर्ष समाप्त 31-03-2025
लाभांश आय	2.00	1.98
ऋणों का वितरण	6,021.60	7,113.40
ब्याज आय की मान्यता	2,563.39	2,526.56
अन्य व्यय - पावर फाउंडेशन को आरईसी का योगदान	5.00	5.00

ऐसी सरकारी संबंधित संस्थाओं से बकाया कुल शेष राशि निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
ऋण परिसंपत्तियाँ	26,677.29	31,796.82
एलओयू और एलओसी (गैर निधि आधारि	-	2.33
अर्जित ब्याज	49.12	60.66

केंद्र सरकार के साथ भौतिक लेनदेन के संबंध में नोट संख्या 12, 21, 23, 33 और 46 देखें।

सरकारी संस्थाओं के साथ उपरोक्त लेन-देन व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। समूह ने अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के साथ प्रशासनिक व्यय, सरकारी कार्यक्रमों पर व्यय आदि जैसे अन्य लेन-देन भी किए हैं। ये व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं, इसलिए इनका खुलासा नहीं किया गया है। सभी लेन-देन बाज़ार की शर्तों पर किए जाते हैं।

56.8 संबंधित पक्ष लेनदेन जहाँ अंतिम लाभार्थी सहायक कंपनी है, अर्थात आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड

क. एएनवीआईएल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
वचन पत्र की स्वीकृति	-	5.61
ऋण की स्वीकृति	-	119.71
ऋण का वितरण	-	33.51
ऋण की चुकौती	-	98.99

57. भारतीय लेखा मानक 116 'पट्टों' के संबंध में प्रकटीकरण

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय ₹16.41 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹12.44 करोड़)। राइट-ऑफ-यूज़ परिसंपत्तियों सहित सभी पट्टों के प्रति कुल नकद बहिर्वाह ₹16.41 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹12.44 करोड़)।

58. भारतीय लेखा मानक 19 'कर्मचारी लाभ' के अंतर्गत आवश्यक कर्मचारी लाभ के लिए प्रकटीकरण:

58.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ

क. परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना

कंपनी पूर्व-निर्धारित दरों पर एनपीएस ट्रस्ट को सुपरएनुएशन योजना के लिए निश्चित अंशदान देती है, जो स्वीकृत प्रतिभूतियों में धनराशि का निवेश करता है। एनपीएस ट्रस्ट/अलग ट्रस्ट के पास शेष राशि में सदस्य के खाते में मासिक अंशदान और संचित प्रतिफल शामिल होते हैं। जब सदस्य को पेंशन देय हो जाती है, तो सदस्य के खाते में जमा राशि सदस्य द्वारा चुने गए संचय और वार्षिकी के लिए विनियोजित कर दी जाती है।

कंपनी ने परिभाषित अंशदान योजनाओं के लिए ₹9.61 करोड़ (पिछले वर्ष ₹11.08 करोड़) का व्यय निर्धारित किया है।

58.2 परिभाषित लाभ योजनाएं - रोजगार के बाद के लाभ

क. भविष्य निधि

कंपनी भविष्य निधि का निश्चित अंशदान पूर्व निर्धारित दरों पर एक अलग पंजीकृत ट्रस्ट को अदा करती है जो निधि को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। ट्रस्ट कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम ब्याज दर के अधीन, वर्ष के दौरान अपने निवेश पर अर्जित रिटर्न के आधार पर सदस्यों को अंशदान पर ब्याज की दर घोषित करता है। सदस्यों को ब्याज के भुगतान के लिए ट्रस्ट के निवेश पर अर्जित निर्दिष्ट ब्याज दर और रिटर्न में किसी भी कमी की भरपाई कंपनी द्वारा की जानी है। कर्मचारी लाभ पर आईएनडी एएस 19 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर भविष्य निधि के प्रति कंपनी का दायित्व निर्धारित और प्रावधान किया जाता है। योजना की परिसंपत्तियों और दायित्वों का उचित मूल्य निम्नानुसार है:

निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	319.18	313.05
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	323.51	317.40
निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	(4.33)	(4.35)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	
	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025को समाप्त वर्ष	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक राशि	**313.05**	**297.79**	**317.40**	**298.03**	**(4.35)**	**(0.24)**
लाभ या हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	11.93	11.10	-	-	11.93	11.10
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत/आय	25.23	24.01	25.37	24.17	(0.14)	(0.16)
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**37.16**	**35.11**	**25.37**	**24.17**	**11.79**	**10.94**
ओसीआई में शामिल						
पुनर्मूल्यांकन हानि (लाभ)						
- वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (लाभ)	0.70	1.36	(0.87)	5.31	1.57	(3.95)
ओसीआई में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**0.70**	**1.36**	**(0.87)**	**5.31**	**1.57**	**(3.95)**
प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	16.41	16.98	16.41	16.98	-	-
नियोक्ताओं द्वारा अंशदान	-	-	11.92	11.10	(11.92)	(11.10)
अंतरित/अंतरित निवल देयता	5.57	9.97	5.57	9.97	-	-
भुगतान किए गए लाभ	(53.71)	(48.16)	(52.29)	(48.16)	(1.42)	-
शेष राशि	**319.18**	**313.05**	**323.51**	**317.40**	**(4.33)**	**(4.35)**

ख. उपदान

कंपनी की एक परिभाषित उपदान योजना है जिसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पाँच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, वह सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन पर उपदान पाने का हकदार है, जो कि संशोधित उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, विकलांगता या मृत्यु पर अधिकतम ₹0.25 करोड़ तक हो सकती है। उपदान की देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	25.45	28.54
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	26.25	25.28
निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	(0.80)	3.26

निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	
	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025को समाप्त वर्ष	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक राशि	**28.54**	**27.31**	**25.28**	**27.18**	**3.26**	**0.13**
लाभ या हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	1.92	1.34	-	-	1.92	1.34
पिछली सेवा लागत	0.01	2.73	-	-	0.01	2.73
ब्याज लागत/आय	1.83	1.78	1.71	1.93	0.12	(0.15)
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**3.76**	**5.85**	**1.71**	**1.93**	**2.05**	**3.92**
ओसीआई में शामिल						
पुनर्मूल्यांकन हानि (लाभ)						
- वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (लाभ)	(1.95)	0.76	-	-	(1.95)	0.76
- अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (लाभ)	(0.64)	(0.64)	-	-	(0.64)	(0.64)
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-	0.26	0.78	(0.26)	(0.78)

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	
	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025को समाप्त वर्ष	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
ओसीआई में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(2.59)**	**0.12**	**0.26**	**0.78**	**(2.85)**	**(0.66)**
नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-	3.26	0.13	(3.26)	(0.13)
भुगतान किए गए लाभ	(4.26)	(4.74)	(4.26)	(4.74)	-	-
शेष राशि	**25.45**	**28.54**	**26.25**	**25.28**	**(0.80)**	**3.26**

ग. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी के पास सेवानिवृत्तोत्तर चिकित्सा सुविधा है जिसके अंतर्गत पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कंपनी के नियमों के अनुसार कवर किया जाता है। इस योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। इसके लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	187.82	176.86
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	234.24	211.64
निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	(46.42)	(34.78)

निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	
	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025को समाप्त वर्ष	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक राशि	**176.86**	**171.28**	**211.63**	**194.83**	**(34.77)**	**(23.55)**
लाभ या हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	8.51	6.60	-	-	8.51	6.60
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत/आय	11.70	11.86	14.29	13.81	(2.59)	(1.95)
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**20.21**	**18.46**	**14.29**	**13.81**	**5.92**	**4.65**
ओसीआई में शामिल						
पुनर्मूल्यांकन हानि (लाभ)						
- वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (लाभ)	(6.18)	(13.32)	-	-	(6.18)	(13.32)
- अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (लाभ)	16.39	14.65	-	-	16.39	14.65
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-	8.24	2.89	(8.24)	(2.89)
ओसीआई में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**10.21**	**1.33**	**8.24**	**2.89**	**1.97**	**(1.56)**
प्रतिभागियों द्वारा योगदान	0.08	0.10	0.08	0.10	-	-
नियोक्ता द्वारा योगदान	-	-	-	-	-	-
भुगतान किए गए लाभ	(19.54)	(14.31)	-	-	(19.54)	(14.31)
शेष राशि	**187.82**	**176.86**	**234.24**	**211.63**	**(46.42)**	**(34.77)**

घ. आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस)

कंपनी के पास एक आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस) है जो किसी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान स्थायी विकलांगता/मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना वित्तपोषित नहीं है और देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य		
- ईआरएस	7.19	6.70

लेखा संबंधी टिप्पणियां

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता में बदलाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष समाप्त 31-03-2026	वर्ष समाप्त 31-03-2025
प्रारंभिक राशि	**6.70**	**4.92**
लाभ या हानि में शामिल		
वर्तमान सेवा लागत	0.55	0.39
ब्याज लागत/आय	0.43	0.33
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**0.98**	**0.72**
ओसीआई में शामिल		
- वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (लाभ)	(0.70)	0.25
- अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (लाभ)	0.50	1.21
ओसीआई में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(0.20)**	**1.46**
भुगतान किए गए लाभ	(0.29)	(0.40)
शेष राशि	**7.19**	**6.70**

58.2.1 **जोखिम प्रकटन**

अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से, कंपनी को कई जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) **परिसंपत्ति अस्थिरता**

योजना के अंतर्गत अधिकांश परिसंपत्ति निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च रेटिंग वाली अन्य निश्चित आय प्रतिभूतियों और म्यूचुअल फंडों में हैं। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य ब्याज दरों और अन्य बाजार एवं वृहद आर्थिक कारकों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव के अधीन है।

(ii) **छूट दर में परिवर्तन**

परिभाषित लाभ योजना देनदारियों के वर्तमान मूल्य की गणना छूट दर का उपयोग करके की जाती है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल के संदर्भ में निर्धारित होती है। छूट दर में कमी से परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में वृद्धि होगी, हालाँकि यह योजना के निवेशों के मूल्य में वृद्धि से आंशिक रूप से संतुलित हो जाएगी।

(iii) **दीर्घायु जोखिम**

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य, योजना प्रतिभागियों की रोज़गार के दौरान और उसके बाद मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर गणना की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना की देयता भी बढ़ेगी।

(iv) **वेतन जोखिम**

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य योजना प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के संदर्भ में गणना किया जाता है। इस प्रकार, योजना प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता भी बढ़ जाएगी।

(v) **कर्मचारी टर्नओवर/निकासी जोखिम**

परिभाषित लाभ योजना की देयता का वर्तमान मूल्य भविष्य में अपेक्षित निकासी दर के संदर्भ में परिकलित किया जाता है। इस प्रकार, यदि भविष्य में वास्तविक निकासी दर अपेक्षा से अधिक या कम होती है, तो इससे योजना की देयता में वृद्धि हो सकती है।

58.2.2 **योजना परिसंपत्तियाँ**

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		पीआरएमएफ	
	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
नकद और नकद समकक्ष	**0.85**	**7.10**	**0.03**	**0.36**	**1.97**	**4.34**
उद्धृत योजना परिसंपत्तियाँ						
इक्विटी उपकरण	22.51	23.81	0.96	1.02	-	-
राज्य सरकार ऋण प्रतिभूतियाँ	135.23	127.60	10.19	10.22	50.54	41.76
केंद्र सरकार की ऋण प्रतिभूतियाँ	32.58	42.56	-	-	-	-
कॉर्पोरेट बांड/डिबेंचर	132.34	116.33	9.41	9.34	181.73	165.54
उप-योग - अउद्धृत योजना परिसंपत्तियाँ	**322.66**	**310.30**	**20.56**	**20.58**	**232.27**	**207.30**
असूचित योजना परिसंपत्तियां।						
अन्य - बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ और टी-बिल	-	-	5.66	4.34	-	-
उप-योग : असूचित योजना परिसंपत्तियां	**-**	**-**	**5.66**	**4.34**	**-**	**-**
कुल	**323.51**	**317.40**	**26.25**	**25.28**	**234.24**	**211.64**

योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न ₹ 49.87 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹ 43.58 करोड़)।

58.2.3 **महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएँ**

योजना परिसंपत्तियों का बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य 31 मार्च, 2026 को मैसर्स ट्रांसवैल्यू कंसल्टेंट्स द्वारा किया गया था। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य, और संबंधित वर्तमान सेवा लागत और पिछली सेवा लागत, अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि (पीयूसीएम) का उपयोग करके मापा गया था। बीमांकिक मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएं हैं:

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
प्रयुक्त विधि	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम
छूट दर	7.57%	6.75%	7.57%	6.75%	7.57%	6.75%	7.57%	6.75%
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल, यदि वित्त पोषित हो	8.30%	8.26%	7.57%	6.75%	7.57%	6.75%	लागू नहीं	लागू नहीं
भविष्य में वेतन वृद्धि / चिकित्सा मुद्रास्फीति			6.00%	6.00%	5.00%	4.50%	6.00%	6.00%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कार्यकाल (वर्ष)			21.08	21.17	21.10	21.17	21.17	21.17
मृत्यु दर			आईएएलएम (2012-14) अल्टीमेट	आईएएलएम (2012-14) अल्टीमेट	आईएएलएम (2012-14) अल्टीमेट	आईएएलएम (2012-14) अल्टीमेट	आईएएलएम (2012-14) अल्टीमेट	आईएएलएम (2012-14) अल्टीमेट
कर्मचारी टर्नओवर / निकासी दर			0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%

मुख्य धारणाएं छूट दर, वेतन वृद्धि दर और कर्मचारियों के अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन हैं। छूट दर आम तौर पर रिपोर्टिंग तिथि पर सरकारी बांड पर उपलब्ध बाजार उपज पर आधारित होती है, जिसकी अवधि देनदारियों से मेल खाती है और वेतन वृद्धि दर मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को दीर्घकालिक आधार के रूप में ध्यान में रखती है। उपरोक्त जानकारी को बीमांकक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

58.2.4 **संवेदनशीलता का विश्लेषण**

अन्य मान्यताओं को स्थिर रखते हुए, प्रासंगिक बीमांकिक मान्यताओं में से किसी एक में रिपोर्टिंग तिथि पर यथोचित रूप से संभावित परिवर्तन, नीचे दर्शाई गई राशियों द्वारा परिभाषित लाभ दायित्व को प्रभावित करेगा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% परिवर्तन)				
- उपदान	(1.07)	1.16	(1.11)	1.21
- पीआरएमएफ	(9.18)	10.09	(8.87)	9.77
- ईआरएस	(0.38)	0.42	(0.36)	0.39
वेतन वृद्धि दर (0.50% वृद्धि)				
- उपदान	0.20	(0.17)	0.23	(0.15)
- पीआरएमएफ	-	-	-	-
- ईआरएस	0.26	(0.24)	0.24	(0.23)
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर (0.50% उतार-चढ़ाव)				
- पीआरएमएफ	10.26	(9.39)	9.89	(9.04)
चिकित्सा लागत (10% वृद्धि)				
- पीआरएमएफ	18.76	(18.75)	17.64	(17.54)

उपरोक्त प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है, क्योंकि यह असंभव है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे से अलग होकर घटित होगा, क्योंकि कुछ मान्यताएं सहसंबद्ध हो सकती हैं।

कंपनी इस बात की सक्रिय रूप से निगरानी करती है कि निवेश की अवधि और अपेक्षित प्रतिफल, कर्मचारी लाभ दायित्वों से उत्पन्न होने वाले अपेक्षित नकदी बहिर्वाह के अनुरूप हों। निवेश अच्छी तरह से विविधीकृत हैं, ताकि किसी भी एकल निवेश की विफलता का परिसंपत्तियों के समग्र स्तर पर कोई तात्विक प्रभाव न पड़े। पूर्व अवधियों की तुलना में कंपनी द्वारा अपने जोखिमों के प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

58.2.5 **भविष्य के वर्षों में परिभाषित लाभ योजनाओं की अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
1 वर्ष से कम	4.92	5.99	18.15	16.23	1.16	1.10
1 से 5 वर्ष तक	10.77	11.47	100.76	90.62	3.46	3.09
5 वर्ष से अधिक	49.99	44.85	469.96	422.40	6.90	6.30
कुल	**65.68**	**62.31**	**588.87**	**529.25**	**11.52**	**10.49**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

58.2.6 भविष्य के वर्षों में परिभाषित लाभ योजनाओं की अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		पीआरएमएफ	
	31-03-2026 को वर्ष समाप्त	31-03-2025 को वर्ष समाप्त	31-03-2026 को वर्ष समाप्त	31-03-2025 को वर्ष समाप्त	31-03-2026 को वर्ष समाप्त	31-03-2025 को वर्ष समाप्त
प्रत्याशित अंशदान	-	-	0.98	5.14	-	-

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 13.61 वर्ष है (31.03.2025 तक12.51 वर्ष है)।

58.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

58.3.1 अर्जित अवकाश और अर्ध-वेतन अवकाश

कंपनी कर्मचारियों के क्रेडिट के लिए अर्जित अवकाश लाभ और आधे वेतन अवकाश लाभ प्रदान करती है, जो अर्ध-वार्षिक आधार पर क्रमशः 15 दिन और 10 दिन की दर से संचित होता है। सेवा के दौरान किसी भी समय अधिकतम 300 दिनों का अर्जित अवकाश संचित किया जा सकता है, जबकि आधे वेतन अवकाश के संचय की कोई सीमा नहीं है। इन कर्मचारी लाभों के लिए ₹5.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹10.85 करोड़) की कुल राशि व्यय की गई है और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में डेबिट किया गया है।

58.3.2 अन्य कर्मचारी लाभ

दीर्घावधि सेवा पुरस्कार और निपटान भत्ते के लिए ₹0.21 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1.27 करोड़) के व्यय को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ-हानि विवरण में डेबिट किया गया है।

58.4 कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में प्रतिनियुक्ति/सेकंडमेंट आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में उपदान, पीआरएमएफ, सेवांत लाभ, अवकाश नकदीकरण और अन्य कर्मचारी लाभों सहित कर्मचारी लाभ, कर्मचारी लागत के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर आवंटित किए जा रहे हैं।

58.5 कंपनी सभी सेवानिवृत्ति योजनाओं, अर्थात् अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ), उपदान, पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीएसएमबी/पीआरएमबी) का प्रबंधन समय-समय पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित समग्र सीमा में कर रही है।

58.6 केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 की आधिकारिक राजपत्र में चार अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिनमें चार श्रम संहिताओं, अर्थात, वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य करने की स्थिति संहिता, 2020 के कार्यान्वयन की घोषणा की गई है। इन श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन के बाद, केंद्र सरकार ने संबंधित श्रम संहिताओं के तहत 31 दिसंबर 2025 को मसौदा नियमों को सार्वजनिक टिप्पणी के लिए पूर्व-प्रकाशित किया है और अंतिम नियमों को नियत समय में अधिसूचित किए जाने की उम्मीद है।

वर्तमान वर्ष (पिछले वर्ष लागू नहीं) में कंपनी के वित्तीय विवरण पर नए श्रम संहिता, 2025 के अधिनियमन का कोई भौतिक प्रभाव नहीं है। साथ ही, कंपनी श्रम संहिताओं के अन्य पहलुओं पर सरकार से केंद्रीय/राज्य नियमों और स्पष्टीकरण के अंतिम रूप देने की निगरानी करना जारी रखती है और भविष्य के विकास के आधार पर आवश्यकतानुसार उचित लेखांकन प्रभाव प्रदान करेगी।

59. राज्य विद्युत बोर्ड/यूटिलिटीज के विखंडन के बाद दस्तावेज़ीकरण की स्थिति

कुछ पूर्ववर्ती राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी), जिनके विरुद्ध ऋण बकाया थे या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, का संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पुनर्गठन किया गया था और पूर्व में नई संस्थाओं का गठन किया गया था। परिणामस्वरूप, पूर्ववर्ती राज्य विद्युत बोर्ड की देनदारियाँ नई संस्थाओं को हस्तांतरित हो गई हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद दस्तावेज़ीकरण की स्थिति

जम्मू और कश्मीर राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) - जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में विभाजन के बाद, पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित मौजूदा संस्थाओं का 23 अक्टूबर 2019 के विखंडन आदेश के तहत पुनर्गठन किया गया है। नए पुनर्गठित विभागों के साथ समझौतों के परिशिष्टों को अभी निष्पादित किया जाना है। ऐसे दस्तावेज़ों के निष्पादन तक, उत्पादन, टीएंडडी और सरकारी योजनाओं के लिए मौजूदा ऋणों का भुगतान/चुकाव मौजूदा ऋण समझौतों के अनुसार किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद दस्तावेज़ीकरण की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। हालाँकि, परिसंपत्तियों और देनदारियों को औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से संबंधित विद्युत उपयोगिताओं को हस्तांतरित किया जाना बाकी है।

दस्तावेज़ीकरण की स्थिति निम्नानुसार है:

(i) जहाँ भी पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजेनको को विभाजन से पहले ऋण स्वीकृत किए गए थे और दस्तावेज़ीकरण नहीं किया गया था, इन योजनाओं को नवगठित उपयोगिताओं के नाम पर पुनः स्वीकृत किया गया है और दस्तावेज़ीकरण औपचारिकताएँ पूरी कर ली गई हैं और तदनुसार प्रभार को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) में पंजीकृत कर दिया गया है।

(ii) जहाँ भी पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल के नाम पर विभाजन से पहले ऋण स्वीकृत किए गए थे और दस्तावेज़ीकरण औपचारिकताएँ पूरी कर ली गई थीं और निकासी कर ली गई थी, इन योजनाओं में नाम परिवर्तित/नवगठित उपयोगिता से एक वचनबद्धता प्राप्त कर ली गई है और नई/नाम परिवर्तित उपयोगिता के नाम पर उधारकर्ता का नाम बदलकर नवगठित उपयोगिता को संवितरण कर दिया गया है।

(iii) जहाँ भी पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल के नाम पर विभाजन से पहले ऋण स्वीकृत किया गया था और सरकारी गारंटी के साथ दस्तावेज़ीकरण औपचारिकताएँ पूरी कर ली गई थीं और निकासी कर ली गई थी, इन योजनाओं के लिए आगे का दस्तावेज़ीकरण राजपत्र अधिसूचना द्वारा किया जाएगा।

(iv) एक बार जब सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अंतिम हस्तांतरण योजना अधिसूचित कर दी जाती है, जिसमें विद्युत उपयोगिताओं के बीच परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण का विधिवत उल्लेख होता है, तो नई/परिवर्तित नाम वाली उपयोगिताओं के सभी बकाया ऋणों के संबंध में दस्तावेज़ीकरण औपचारिकताओं के निष्पादन की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तब तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान की मांग को उपयोगिताओं द्वारा अलग किया जा रहा है और संबंधित भागों का भुगतान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की उपयोगिताओं द्वारा किया जा रहा है।

टीएएनजीईडीसीओ के तीन भागों में विभाजन के बाद दस्तावेज़ीकरण की स्थिति

तमिलनाडु सरकार ने दिनांक 24 जनवरी, 2024 के जी.ओ. नंबर 6 और जी.ओ. नंबर 7 के माध्यम से तंगेडको को 3 संस्थाओं में विभाजित करने का आदेश दिया, अर्थात (i) मौजूदा कंपनी तंगेडको का नाम बदलकर तमिलनाडु विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (टीएनपीडीसीएल) कर दिया जाएगा और वितरण व्यवसाय जारी रखेगी (ii) थर्मल और गैस विद्युत उत्पादन व्यवसाय करने के लिए तमिलनाडु विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (टीएनपीजीसीएल) का गठन किया जाएगा और (iii) हरित विद्युत उत्पादन व्यवसाय करने के लिए तमिलनाडु हरित ऊर्जा निगम लिमिटेड (टीएनजीईसीएल) का गठन किया जाएगा। तदनुसार, दो नई संस्थाएं अर्थात टीएनपीजीसीएल और टीएनजीईसीएल क्रमशः 09 फरवरी, 2024 और 10 फरवरी, 2024 को बनाई गईं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

तमिलनाडु सरकार के असाधारण राजपत्र संख्या 90, दिनांक 6 मार्च 2024 में प्रकाशित, जिसके द्वारा तमिलनाडु सरकार ने 6 मार्च 2024 से टीएएनजीईडीसीओ की संपत्ति, संपत्ति में हित, अधिकारों और देनदारियों को टीएनपीजीसीएल और टीएनजीईसीएल को आवंटित किए जाने के रूप में परिभाषित किया है। चूंकि तमिलनाडु सरकार द्वारा 6 मार्च 2024 को जारी अधिसूचना एक वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम थी, इसलिए कंपनी ने शुरुआत में संबंधित संस्थाओं के साथ अनंतिम ऋण हस्तांतरण समझौते निष्पादित किए हैं।

उपरोक्त उल्लिखित तीन कंपनियों के बीच संपत्ति और देनदारियों के हस्तांतरण की पुष्टि करने के लिए तमिलनाडु सरकार की अंतिम अधिसूचना संख्या 40 दिनांक 21 अप्रैल, 2025 के जारी होने के बाद, कंपनी द्वारा 24 मार्च, 2026 और 30 मार्च, 2026 की प्रासंगिक दस्तावेज निष्पादित करके आवश्यक दस्तावेज पूरा कर लिया गया है

60. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में संशोधन

कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान अपनाई गई समान लेखांकन नीतियों का पालन करना जारी रखा है। इसके अलावा, अधिक स्पष्टता लाने और कंपनी की प्रथा के साथ संरेखित करने के लिए कुछ लेखांकन नीतियों को फिर से लिखा गया है। लेखांकन नीतियों में किए गए ऐसे संशोधन का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

61. प्रावधान, आकस्मिकताएं और हानि हानि भत्ते लाभ और हानि के समेकित विवरण में डेबिट किए गए

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
(i)	ऋणों के लिए क्षति हानि भत्ता*	189.89	886.24
(ii)	निवेशों के लिए क्षति हानि भत्ता	2.37	3.26
(iii)	अन्य प्राप्तियों के लिए क्षति हानि भत्ता	8.96	129.91
(iv)	आयकर के लिए प्रावधान	4,430.93	4,146.57

** इसमें अधूरी प्रतिबद्धताओं पर हानि भत्ते के लिए ₹ 282.71 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) शामिल हैं।*

62 कंपनी का संचालन केवल एक ही व्यावसायिक खंड - बिजली, रसद और बुनियादी ढाँचा क्षेत्र को ऋण प्रदान करने तक सीमित है। इसलिए, भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) 108 "परिचालन खंड" के अनुसार कोई अन्य रिपोर्ट योग्य खंड नहीं है। (इंड-एएस) 108 में परिभाषित "प्रबंधन दृष्टिकोण" के आधार पर, मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता एक व्यावसायिक खंड के विभिन्न कारकों के विश्लेषण के आधार पर कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।

62.1 प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से प्राप्त राजस्व के बारे में जानकारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
क)	ऋण परिसंपत्तियों से आय	58,217.54	54,673.19
ख)	सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु शुल्क	66.98	53.79
ग)	राजकोषीय परिचालनों से आय	783.65	730.62
	कुल	**59,068.17**	**55,457.60**

62.2 समूह का कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक क्षेत्र नहीं है क्योंकि समूह का प्राथमिक संचालन देश के भीतर ही किया जाता है।

62.3 वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2024-25 के दौरान किसी भी एक उधारकर्ता ने कंपनी के राजस्व में 10% या उससे अधिक का योगदान नहीं दिया है।

62.4 भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आय की मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान) निर्देश, 2025 और कंपनी की लेखा नीति के अनुरूप और विवेकपूर्ण आधार पर, ₹ 147.86 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,163.17 करोड़) के प्रावधान से पहले क्रेडिट इम्पैयर्ड लोन एसेट्स (चरण III) पर ब्याज आय को मान्यता नहीं दी गई है।

63. परिसंपत्ति और देनदारियों के अंतर्गत प्रत्येक पंक्ति मद के लिए 12 महीने और उसके बाद वसूल/निपटान की जाने वाली अपेक्षित राशि

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
		12 महीने के भीतर	12 महीने से ज़्यादा	12 महीने के भीतर	12 महीने से ज़्यादा
	संपत्तियाँ				
(1)	**वित्तीय संपत्तियाँ**				
क	नकद और नकद समतुल्य	45.36	-	54.69	-
ख	उपरोक्त (क) के अलावा अन्य बैंक शेष	881.52	-	1,695.15	-
ग	व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण	5,288.21	14,672.73	2,637.20	14,794.98
घ	व्यापार और अन्य प्राप्य राशियाँ	3.87	-	1.99	-
ड़	ऋण	83,352.94	4,95,890.14	1,00,475.55	4,58,612.53
च	निवेश	232.22	9,567.21	156.00	6,485.62
छ	अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	363.25	24,188.85	432.51	24,171.17
	कुल - वित्तीय संपत्तियाँ (1)	**90,167.36**	**5,44,318.94**	**1,05,453.09**	**5,04,064.30**
(2)	**गैर-वित्तीय संपत्तियाँ**				
क	चालू कर संपत्तियाँ (निवल)	-	261.67	-	398.98
ख	आस्थगित कर संपत्तियाँ (निवल)	-	3,516.05	-	2,852.75
ग	निवेश संपत्ति	-	47.41	-	48.24
घ	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	565.36	-	578.16
ड़	पूँजीगत कार्य प्रगति पर	-	127.71	-	76.01
च	अन्य अमूर्त संपत्तियाँ	-	1.50	-	1.84
छ	अन्य गैर-वित्तीय संपत्तियाँ	39.41	30.89	59.54	22.56
	कुल - गैर-वित्तीय संपत्तियाँ (2)	**39.41**	**4,550.59**	**59.54**	**3,978.54**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

	विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
		12 महीने के भीतर	12 महीने से ज़्यादा	12 महीने के भीतर	12 महीने से ज़्यादा
(3)	**बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियाँ**	**0.01**	**-**	**0.01**	**-**
	कुल संपत्तियाँ (1+2+3)	**90,206.78**	**5,48,869.53**	**1,05,512.64**	**5,08,042.84**
	देयताएँ				
(1)	**वित्तीय देयताएँ**				
क	व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण	306.51	1,642.64	844.66	825.40
ख	व्यापार और अन्य देयताएँ	24.10	-	34.60	-
ग	ऋण प्रतिभूतियाँ	64,489.96	2,45,539.52	33,578.27	2,58,896.66
घ	उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	36,425.29	1,58,890.32	51,565.83	1,42,734.33
ङ	अधीनस्थ देयताएँ	333.36	9,093.39	333.79	9,180.37
च	अन्य वित्तीय देयताएँ	2,187.82	34,916.62	13,415.36	24,109.30
	कुल - वित्तीय देयताएँ (1)	**1,03,767.04**	**4,50,082.49**	**99,772.52**	**4,35,746.05**
(2)	**गैर-वित्तीय देयताएँ**				
क	वर्तमान कर देयताएँ (निवल)	-	-	-	-
ख	प्रावधान	528.01	70.64	70.22	66.57
ग	अन्य गैर-वित्तीय देयताएँ	247.01	90.71	175.29	86.86
	कुल - गैर-वित्तीय देयताएँ (2)	**775.02**	**161.35**	**245.51**	**153.43**
	कुल देयताएँ (1+2)	**1,04,542.06**	**4,50,243.85**	**1,00,018.03**	**4,35,899.48**

64. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्वर्गीकृत/पुनर्समूहीकृत किया गया है।

65. कंपनी द्वारा प्रायोजित कोई ऑफ-बैलेंस शीट एसपीवी नहीं हैं, जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित करने की आवश्यकता है।

66. कंपनी के पास विदेशों में संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों के रूप में कोई विदेशी संपत्ति नहीं है।

67. भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2025 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण नोट संख्या 3, 8, 10, 11, 22.1, 27, 28.1, 45, 48, 49, 49.1.4 (एम), 49.1.4 (एन), 49.1.4 (ओ), 49.1.4 (पी), 49.1.4 (क्यू), 49.1.4 (आर), 49.1.4 (एस), 49.1.4 (टी), 49.1.4 (यू), 49.1.4 (वी), 49.1.4 (डब्ल्यू), 49.1.4 (एक्स), 49.2.2, 49.2.4, 49.3, 50, 51, 52, 53, 56, 60, 61, 62, 65, 66, 68, 70 में किए गए हैं।

68. स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों के बिना गठित लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है

69.1 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान (पिछले वर्ष शून्य) किसी भी नियामक द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है। हालांकि, वर्ष के दौरान, कंपनी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) से नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिसमें सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं के अनुपालन में अपर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के कारण बोर्ड/समितियों की स्थिति/कोरम आवश्यकताओं के संबंध में कुल ₹0.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.18 करोड़) (जीएसटी सहित) का जुर्माना लगाया गया है

कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की छूट के लिए अनुकूल अनुरोध किया है। कंपनी को आवश्यकता का अनुपालन करने के बाद बीएसई और एनएसई द्वारा पहले दी गई छूट के अनुरूप स्टॉक एक्सचेंजों से अपने अनुरोध के अनुकूल परिणाम की उम्मीद है.

69.2 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान कंपनी द्वारा ग्राहकों या लोकपाल के कार्यालयों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

70. कंपनी का वर्ष 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं है। (पिछले वर्ष शून्य)

71. जब तक स्पष्ट रूप से उल्लेख न किया गया हो, रुपये में आंकड़े निकटतम करोड़ के दो दशमलव तक पूर्णांकित किए गए हैं।

लेखा 1 से 71 तक के नोट्स बैलेंस शीट और लाभ-हानि विवरण का अभिन्न अंग हैं।

बोर्ड की ओर से

दिनेश गर्ग
कंपनी सचिव

राजेश कुमार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06941428

जितेन्द्र श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 06817799

हमारी सम तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में

कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 112318W

सौरभ चौहान
पार्टनर
मो.नं.: 167453

एससीवी एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000235N/N500089

अभिनव खोसला
पार्टनर
मो.नं.: 087010

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 28 अप्रैल, 2026

आरईसी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय - कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003, सीआईएन: L40101DL1969GOI005095

31 मार्च 2026 तक समेकित तुलन पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला अनुलग्नक/

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित)

(आरबीआई के (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) 2025 दिनांक 28.11.2025 के निर्देशों के अनुलग्नक- I में दिए गए विवरण, समय-समय पर अद्यतन किए गए, जहां तक वे कंपनी पर लागू होते हैं)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
		बकाया राशि	राशि अतिदेय	बकाया राशि	राशि अतिदेय
	देयता पक्ष:				
(1)	**एनबीएफसी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम**				
	उस पर उपार्जित किन्तु अदा न किया गया ब्याज भी शामिल है:				
	(क) डिबेंचर/बांड:				
	- सुरक्षित	54,230.69	-	54,765.34	-
	- असुरक्षित	2,62,876.15	-	2,47,816.42	-
	(ख) सावधि ऋण				
	- एनएसएसएफ से असुरक्षित ऋण	10,325.12		10,325.12	
	- बैंकों से असुरक्षित ऋण	64,474.24		41,887.00	
	- वित्तीय संस्थाओं से असुरक्षित ऋण	-		2,500.00	
	(ग) वाणिज्यिक पत्र	2,965.96	-	-	-
	(घ) अन्य ऋण				
	- विदेशी मुद्रा उधार	1,07,809.36	-	95,172.85	-
	- एफसीएनआर(ख) ऋण	8,142.31	-	43,200.30	-
	- बैंक से ओवरड्राफ्ट	341.71	-	570.78	-
	- अल्पावधि ऋण/मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण	5,035.97		1,600.32	
	- पट्टा दायित्व	-		-	
	परिसंपत्ति पक्ष:				
(2)	**प्राप्य बिलों सहित ऋण और अग्रिम राशि का विवरण**				
	(क) सुरक्षित		5,29,100.04		5,25,654.96
	(ख) असुरक्षित		54,559.32		41,228.32
	घटाएँ: क्षति क्षति भत्ता		(6,893.45)		(10,795.76)
	ऋण एवं अग्रिम (प्रावधान के बाद शुद्ध)		5,76,765.91		5,56,087.52
(3)	**निवेश :**				
	लागत/परिशोधित लागत पर किया गया निवेश:				
	उद्धृत:				
	(i) शेयर : इक्विटी		-		-
	(ii) डिबेंचर और बांड		4,752.53		3,346.91
	घटाएँ: क्षति भत्ता		4.82		2.31
	उद्धृत डिबेंचर और बांड (प्रावधान के बाद शुद्ध)		4,747.71		3,344.60
	(iii) सरकारी प्रतिभूतियाँ		3,516.86		1,621.86
	उद्धृत :				
	(i) शेयर : इक्विटी		0.10		0.10
	(ii) डिबेंचर और बांड		196.39		230.41
	घटाएँ: क्षति भत्ता		0.81		0.95
	अनकोटेड डिबेंचर और बांड (प्रावधान के बाद शुद्ध)		195.58		229.46
	(iii) सरकारी प्रतिभूतियाँ		-		-

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	बकाया राशि	राशि अतिदेय	बकाया राशि	राशि अतिदेय
(iv) वरीयता शेयर		28.72		28.72
घटाएँ: क्षति हानि भत्ता		(28.72)		(28.72)
अनकोटेड वरीयता शेयर (प्रावधान के बाद शुद्ध)		-		-
उचित मूल्य पर किया गया निवेश:				
उद्धृत:				
(i) शेयर : इक्विटी		147.16		176.68
(ii) आमंत्रण इकाइयां		2.85		-
(iii) डिबेंचर और बांड		955.58		968.18
गैर-उद्धृत				
(i) शेयर : इक्विटी		233.59		300.74
(ii) डिबेंचर और बांड		-		-

4. **उपरोक्त (2) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों का उधारकर्ता समूह-वार वर्गीकरण:**

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रावधानों के बाद शुद्ध राशि			
	सुरक्षित	असुरक्षित	प्रावधान	कुल
31-03-2026 तक				
1. संबंधित पक्ष	-	-	-	-
(क) सहायक कंपनियां	-	-	-	-
(ख) एक ही समूह की कंपनियां	-	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अलावा	5,29,100.04	54,559.32	(6,893.45)	5,76,765.91
कुल	**5,29,100.04**	**54,559.32**	**(6,893.45)**	**5,76,765.91**
31-03-2025 तक				
1. संबंधित पक्ष	-	-		-
(क) सहायक कंपनियां	-	-		-
(ख) एक ही समूह की कंपनियां	-	-		-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-		-
2. संबंधित पक्षों के अलावा	5,25,654.96	41,228.32	(10,795.76)	5,56,087.52
कुल	**5,25,654.96**	**41,228.32**	**(10,795.76)**	**5,56,087.52**

(5) **शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और गैर-उद्धृत दोनों) में निवेश (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह-वार वर्गीकरण:**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	बाजार मूल्य / ब्यौरा या उचित मूल्य या एनएवी	बही मूल्य (प्रावधानों के बाद शुद्ध)	बाजार मूल्य / ब्यौरा या उचित मूल्य या एनएवी	बही मूल्य (प्रावधानों के बाद शुद्ध)
1. संबंधित पक्ष				
(क) सहायक कंपनियां	0.10	0.10	0.10	0.10
2. संबंधित पक्षों के अलावा	**9,962.29**	**9,799.33**	**6,884.59**	**6,641.52**
कुल	**9,962.39**	**9,799.43**	**6,884.69**	**6,641.62**

(6) **अन्य सूचना**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(i) सकल ऋण-क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्ष	-	-
(ख) संबंधित पक्षों के अलावा	1,384.75	7,652.65
(ii) शुद्ध ऋण-क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियाँ		
(क) संबंधित पक्ष	-	-
(ख) संबंधित पक्षों के अलावा	676.77	2,163.17
(iii) ऋणों की संतुष्टि में अर्जित संपत्ति	-	130.43

बोर्ड की ओर से

दिनेश गर्ग
कंपनी सचिव

राजेश कुमार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन -06941428

जितेन्द्र श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन -06817799

हमारी सम तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कैलाश चंद जैन एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकृत संख्या: 112318W

सौरभ चौहान
भागीदार
एम नं. : 167453

एससीवी एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकृत संख्या: 000235N/N500089

अभिनव खोसला
भागीदार
एम नं. : 087010

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 28 अप्रैल, 2026

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
आरईसी लिमिटेड के सदस्य
समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में रिपोर्ट

विचार

हमने आरईसी लिमिटेड (इसके बाद "होल्डिंग कंपनी" के रूप में संदर्भित) और उसकी सहायक कंपनी (होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी को मिलकर इसके बाद "समूह" के रूप में संदर्भित) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2026 तक का समेकित तुलन-पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और समेकित नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश सहित समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (इसके बाद "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

हमारी विचार में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर और ऐसी सहायक कंपनी के पृथक वित्तीय विवरणों एवं अन्य वित्तीय सूचनाओं पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात्, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी को तदनुसार आवश्यक रूप में प्रस्तुत करते हैं तथा अधिनियम की धारा 133 के तहत पठित यथा-संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2026 तक समूह के मामलों की समेकित स्थिति का तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित इक्विटी में परिवर्तन और समेकित नकदी प्रवाह का एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

विचार का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी ज़िम्मेदारियों का आगे का विवरण हमारी रिपोर्ट के 'समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की ज़िम्मेदारियाँ' खंड में दिया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं, और हमने अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी विचार देने के लिए एक पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

विषय पर विशेष ध्यान

हम लेखापरीक्षा समिति के गठन तथा समेकित वित्तीय विवरणों को अपनाने के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 73 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं।

इस मामले में हमारी विचार में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

प्रमुख लेखापरीक्षा विषय

प्रमुख लेखापरीक्षा विषय ("केएएम") वे विषय हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, चालू वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों पर समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में, और उन पर हमारी विचार बनाने के संदर्भ में विचार किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से कोई विचार नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित निम्नलिखित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा विषय निर्धारित किए हैं:

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखा परीक्षकों की प्रतिक्रिया
1.	**ऋण परिसंपत्तियों का क्षति भत्ता –** (लेखांकन नीति संख्या 3.14 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 52.1.4 का संदर्भ में देखें) कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली का पालन करती है, जिसमें ऋण जोखिम और हानि के साक्ष्य के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों को विभिन्न चरणों में वर्गीकृत करते हुए कुछ मानदंडों/ढांचे के आधार पर हानि के लिए अनुमति का मूल्यांकन एक बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाता है। हानि भत्ते का मापन डिफ़ॉल्ट की संभावना (प्रोबेबिलिटी ऑफ़ डिफ़ॉल्ट), डिफ़ॉल्ट पर जोखिम और डिफ़ॉल्ट जनित हानि (लॉस गिवेन डिफ़ॉल्ट) के गुणनफल के रूप में किया जाता है, जो हानि भत्ते के आकलन के लिए मुख्य पैरामीटर (प्रमुख मापदंड) हैं। हानि भत्ते के मूल्यांकन हेतु अंतर्निहित मुख्य संकेतकों को प्रबंधन द्वारा नियमित आधार पर मूल्य निरूपित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन ने अंगीकृत उपरोक्त मॉडल के अलावा एक कार्यप्रणाली को अपनाया है, जिससे प्रत्येक विषय के अनुसार और छानबीन की जाती है तथा हानि प्रभाव में परिवर्तन करने की आवश्यकता होने पर, उसे वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है वित्तीय विवरणों पर उनके महत्व और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, हमने ऋण संपत्तियों के लिए हानि प्रावधान (इंपेयरमेंट अलाउंस) को एक मुख्य लेखापरीक्षा मामला माना है।	**हमने इस संबंध में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं लागू की हैं** क) ऋण परिसंपत्तियों की निगरानी के संबंध में प्रमुख आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन और परीक्षण, प्रासंगिक डेटा गुणवत्ता के परीक्षण सहित ऋण हानि का आकलन, और दर्ज किए गए वास्तविक डेटा की समीक्षा। (ख) हमने बाह्य एजेंसी की रिपोर्ट प्राप्त कर ली है और हानि भत्ते के संबंध में कंपनी के आंतरिक दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं के साथ-साथ विभिन्न विनियामक अद्यतनों के साथ मानदंड/ढांचे का सत्यापन कर लिया है। (ग) नमूना जांच के आधार पर ऋण परिसंपत्तियों का सत्यापन, जिसमें कुल ऋणों का पर्याप्त भाग शामिल हो, वसूली/निष्पादन पहलुओं के लिए निगरानी तथा प्रबंधन की धारणा को ध्यान में रखते हुए ऋण हानि का आकलन। (घ) तनाव के स्तर का पता लगाने के लिए मानक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का उपयोग करके वसूलियों का सत्यापन किया जाता है। ऋण शेष की पुष्टि की जाती है और उधारकर्ता की गुणवत्ता का मूल्यांकन और परीक्षण प्रमुख नियंत्रण मापदंडों के साथ किया जाता है। (ई) ऋण परिसंपत्तियों के निष्पादन के आधार पर हानि का आकलन हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेख पर प्रासंगिक साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। (च) जहां भी अंतर्निहित कमजोरी देखी गई है, हमने प्रबंधन के साथ चर्चा की है और ऐसे मामलों में प्रबंधन मूल्यांकन विस्तार से किया गया है।
2.	**व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन** (लेखांकन नीति संख्या 3.13 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 8 का संदर्भ में देखें) कंपनी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, अपनी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार डेरिवेटिव अनुबंध करती है। डेरिवेटिव अनुबंधों को या तो लाभ-हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर या नकदी प्रवाह हेज (हेज अकाउंटिंग) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीपीएल पर वर्गीकृत डेरिवेटिव पर मार्क-टू-मार्केट लाभ/हानि को लाभ-हानि विवरण में और नकदी प्रवाह हेज को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है । वित्तीय विवरणों पर महत्व और प्रभाव को देखते हुए, हमने डेरिवेटिव वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्यांकन को एक प्रमुख लेखापरीक्षा विषय माना है।	**हमने इस संबंध में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया लागू की है:** क) प्रबंधन की धारणा पर चर्चा करना और समझना तथा जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी की नीति का अध्ययन करना। ख) भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार व्युत्पन्न के उचित मूल्य का सत्यापन। ग) व्युत्पन्न उपकरणों के वर्गीकरण पर प्रमुख आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन। घ) कंपनी प्रतिपक्ष बैंकों से डेरिवेटिव का उचित मूल्य प्राप्त करती है। हमारी प्रक्रिया में 31 मार्च, 2026 तक बकाया विभिन्न वित्तीय डेरिवेटिव अनुबंधों के विवरण और उनके उचित मूल्य का मूल्यांकन शामिल है। ङ) इसके अतिरिक्त, हमने नकदी प्रवाह बचाव के अंतर्गत डेरिवेटिव अनुबंधों के विषय में लाभ और हानि तथा अन्य व्यापक आय के विवरण में डेरिवेटिव अनुबंधों के मार्क टू मार्केट आधार पर लाभ या हानि के लेखांकन का सत्यापन किया। च) भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार प्रबंधन द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता की समीक्षा की गई।

आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के रूप में ज्ञात), एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षा विचार के संबंध में निम्नलिखित प्रमुख लेखापरीक्षा विषय घटक लेखा परीक्षक द्वारा 21अप्रैल2026 की उनकी रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट किए गए हैं और हमारे द्वारा निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	क. **ऋण हानि के जोखिम को ध्यान में रखते हुए प्राप्य खाते का मूल्यांकन** (नोट संख्या-12 देखें "व्यापार प्राप्य" देखें) 31 मार्च, 2026 तक कंपनी के वित्तीय विवरणों में प्राप्य खाता एक महत्वपूर्ण मद है और प्राप्य पर ऋण हानि का अनुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाएं एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रबंधन के निर्णय से प्रभावित होता है। कंपनी ऋण जोखिम, परियोजना की स्थिति , पिछले इतिहास और ग्राहक के साथ नवीनतम चर्चा/पत्राचार के आधार पर अनुमानित ऋण हानि का मूल्यांकन करती है। वित्तीय विवरणों के लिए इन प्राप्य राशियों के सापेक्ष महत्व और उनकी वसूली का आकलन करने हेतु शामिल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति और सीमा को ध्यान में रखते हुए, हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना है। ख. **व्यापार देय शेष की सटीकता और पूर्णता** शेष राशि के महत्व और संबद्ध जोखिम के कारण 31 मार्च 2026 तक देय व्यापार की सटीकता और पूर्णता को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना गया।	**प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं** हमारी लेखापरीक्षा में प्राप्य राशि के प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया शामिल की गई: • कंपनी की लेखांकन नीति को समझा और उसका मूल्यांकन किया। • हमने डिजाइन का मूल्यांकन किया तथा अनुमानित ऋण हानि के निर्धारण के संबंध में प्रमुख नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। • प्राप्य राशि की संग्रहणीयता की स्थिति के संबंध में वरिष्ठ प्रबंधन से पूछताछ की गई। • सामग्री शेष के लिए, प्रबंधन के साथ प्रावधान के आधार पर चर्चा की गई। • समय के साथ क्रेडिट हानि प्रभार के स्तर पर विचार करके अपेक्षित क्रेडिट हानि का निर्धारण करने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की गई जानकारी का मूल्यांकन और चुनौती दी गई। • भौतिक अंतरों के लिए प्रबंधन द्वारा किए गए समाधान की समीक्षा करना।
2.	**भारतीय लेखा मानक 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" को अपनाने के मद्देनजर राजस्व और अन्य संबंधित शेष राशि की पहचान, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण की सटीकता** नए राजस्व लेखांकन मानक के अनुप्रयोग में विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान, पहचाने गए निष्पादन दायित्वों के लेन-देन मूल्य का निर्धारण, किसी अवधि में मान्यता प्राप्त राजस्व को मापने के लिए प्रयुक्त आधार की उपयुक्तता से संबंधित कुछ प्रमुख निर्णय शामिल हैं। वित्तीय विवरण के संदर्भ में नोट्स 27 देखें।	**प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं** हमने नये राजस्व लेखांकन मानक को अपनाने के प्रभाव की पहचान करने के लिए कंपनी की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया। हमने निम्नलिखित प्रक्रियाएँ अपनाईं • नये राजस्व लेखांकन मानक के कार्यान्वयन से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन को समझना। • जारी और नए अनुबंधों के नमूने चुने गए और विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान और लेनदेन मूल्य के निर्धारण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया। हमने इन नियंत्रणों के संचालन के संबंध में पूछताछ और अवलोकन, पुनः निष्पादन और साक्ष्यों के निरीक्षण से जुड़ी प्रक्रियाओं का एक संयोजन किया। • चल रही परियोजनाओं के पूरा होने के चरण और राजस्व के संबंध में, हमने कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञों की रिपोर्टों पर भरोसा किया है क्योंकि हमारे पास वह तकनीकी विशेषज्ञता नहीं थी। • जारी और नए अनुबंधों का एक नमूना चुना गया और निम्नलिखित प्रक्रियाएं निष्पादित की गई: • इन अनुबंधों में विशिष्ट निष्पादन दायित्वों को पढ़ें, उनका विश्लेषण करें और उनकी पहचान करें। • इस निष्पादन दायित्व की तुलना कंपनी द्वारा पहचाने गए और दर्ज किए गए दायित्व से की गई। • विचार के आकलन के आधार का परीक्षण करने के लिए किसी भी परिवर्तनीय विचार सहित लेनदेन मूल्य निर्धारित करने के लिए अनुबंध की शर्तों पर विचार किया गया। • निश्चित मूल्य अनुबंधों से संबंधित नमूनों के संबंध में, रिकॉर्ड किए गए राजस्व की गणना करने के लिए उपयोग किए गए निष्पादन दायित्व की संतुष्टि की दिशा में प्रगति को कंपनी के परियोजना विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किए गए अनुबंधों की शर्तों और कार्य की स्थिति के साथ सत्यापित किया गया था। • प्रकार और सेवा पेशकश के आधार पर अलग-अलग राजस्व के नमूने का परीक्षण अंतर्निहित अनुबंधों में निर्दिष्ट निष्पादन दायित्वों के साथ किया गया। • प्रकार और सेवा पेशकश के आधार पर प्रकट किए गए राजस्व की तर्कसंगतता के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं निष्पादित की गईं।

समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचनाएं तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य सूचनाओं के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी आती है, परंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारा लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन शामिल नहीं है। ऐसी अन्य सूचनाएं हमें इस लेखापरीक्षक प्रतिवेदन की तिथि के बाद उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी विचार में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब ऊपर बताई गई अन्य जानकारी उपलब्ध हो तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

होल्डिंग कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और समूह के समेकित नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है, जिसमें कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, ("भारतीय लेखा मानक ") के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक शामिल हैं। समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं, जिनका उपयोग होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए किया गया है, जैसा कि पूर्वोक्त है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय, समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जब तक कि प्रबंधन समूह को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, और एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी विचार शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन समेकित विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की जाने वाली लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय का उपयोग करते हैं और व्यावसायिक संशयवाद बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और उनका मूल्यांकन करना, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण; उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करना एवं उन्हें निष्पादित करना; तथा ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी विचार के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता न लगा पाने का जोखिम, त्रुटि के कारण होने वाली गलत बयानी के जोखिम की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत ,जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, मिथ्या निरूपण, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना/उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी विचार व्यक्त करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

- लेखांकन के लिए प्रबंधन द्वारा चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो समूह की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में समेकित (आई ए एस) वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी विचार संशोधित करनी होगी। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकता है।

- समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।
  मेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी विचार व्यक्त करने के लिए समूह के अंतर्गत इकाई की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी इकाई के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, जिसके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य इकाई, जिसका लेखापरीक्षा किसी अन्य लेखा परीक्षक द्वारा की गई है, के लिए ऐसे अन्य लेखा परीक्षक अपने द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी रहेंगे।

महत्वपूर्णता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानी की वह मात्रा है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इस बात की संभावना बनाती है कि समेकित वित्तीय विवरणों के एक यथोचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्यके दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; तथा (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचानी गई गलत बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक महत्वपूर्णता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम होल्डिंग कंपनी के अधिशासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे एवं समय-सारणी तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में पाई गई कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण कमियाँ भी शामिल हैं जिनकी पहचान हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान करते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह बयान भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

शासन के प्रभारी अधिकारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो चालू वर्ष के समेकित (आई ए एस) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा विषय हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन विषय के सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न लगा दे या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी विषय को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संप्रेषण के जनहित लाभों से कहीं अधिक होने की संभावना है।

अन्य विषय

1. हमने उस सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिसके वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरणों में किए गए विचार के अनुसार, 31 मार्च 2026 को ₹1,135.62 करोड़ (31 मार्च 2025 को ₹1,000.76 करोड़) की कुल परिसंपत्तियों, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹448.61 करोड़ (पिछले वर्ष ₹511.60 करोड़) के कुल राजस्व और ₹69.16 करोड़ [पिछले वर्ष ऋण/माइनस (37.63) करोड़] के शुद्ध नकद प्रवाह को दर्शाते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में, जैसा कि विचार किया गया है, सहायक कंपनी का कर-पश्चात शुद्ध लाभ का हिस्सा ₹78.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹261.65 करोड़) और कुल व्यापक आय ₹78.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹261.65 करोड़) भी शामिल है। इस वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षक द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है; और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी विचार, जहाँ तक यह इस सहायक कंपनी के संबंध में शामिल की गई राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, तथा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहाँ तक यह पूर्वोक्त सहायक कंपनी से संबंधित है, पूरी तरह से उस अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।

   समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी विचार, और अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, अन्य लेखा परीक्षक के काम और रिपोर्ट पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकताओं के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा और 'अन्य विषय' पैरा में उल्लिखित सहायक कंपनी के पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों पर विचार करने के आधार पर, हम लागू होने की सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि.

   (क) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

   (ख) हमारी विचार में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच और अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से पता चलता है।

   (ग) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलनपत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और समेकित नकदी प्रवाह का विवरण समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य से बनाए गए प्रासंगिक खाता पुस्तकों के अनुरूप हैं।

   (घ) हमारी विचार में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

   (ङ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. (जी.एस.आर.) 463(ई) के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी पर लागू नहीं होती है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

   (च) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के संचालन परिमाण के संबंध में, हमारे 'अनुलग्नक-क' में दिए गए अलग प्रतिवेदन) को देखें।

   (छ) निगम कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

   (ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी विचार में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और सहायक कंपनी की अन्य वित्तीय जानकारी के विचार के आधार पर:

   i. समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण समूह की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा करते हैं - समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के लिए नोट 47 देखें।

   ii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिसके लिए कोई भी पूर्वानुमानित हानि हो।

   iii. होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित की जाने वाली आवश्यक राशि को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।

   iv. (क) होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के संबंधित प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है (नोट संख्या 10.5 देखें) कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) समूह द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को या उसमें (उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से) अग्रिम या ऋण नहीं दी गई है, इस समझ के साथ कि, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, मध्यस्थ, समूह द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

   (ख) होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के संबंधित प्रबंधन (नोट संख्या 22.4 देखें) , कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, समूह द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से भौतिक है) प्राप्त नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्था ("वित्त पोषण पक्ष") शामिल है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि समूह, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

   (ग) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के संशोधित और उपर्युक्त (क) और (ख) के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों में कोई भी भौतिक गलत विवरण शामिल है।

v. समूह द्वारा वर्ष के दौरान घोषित, भुगतान किए गए और प्रस्तावित लाभांश, अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में हैं।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जाँचें शामिल थीं, तथा सहायक कंपनी के पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने के आधार पर, समूह ने अपने खाता-बहियों के रख-रखाव के लिए एक ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल सुविधा को रिकॉर्ड करने की विशेषता मौजूद है और सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड किए गए सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए यह सुविधा पूरे वर्ष संचालित रही है। इसके अतिरिक्त, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे सामने ऑडिट ट्रेल फीचर के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ किए जाने का कोई मामला नहीं आया है, और समूह द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षा ट्रेल को सुरक्षित रखा गया है।

2. कंपनियों (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश"/) के पैराग्राफ 3 के खंड (xxi) में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में, जो अधिनियम की धारा 143(11) के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया है, और जिन्हें लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है, हम रिपोर्ट करते हैं कि हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और होल्डिंग कंपनी के लिए हमारे द्वारा जारी की गई रिपोर्ट तथा समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल इसकी सहायक कंपनी के लेखा परीक्षक द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर, ऐसी रिपोर्टों में कोई योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं हैं।

मैसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई फर्म पंजीकरण: 112318W

सौरभ चौहान
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 167453
यूडीआईएन: 26167453TWTUOO5660

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 28 अप्रैल, 2026

मैसर्स एससीवी एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई फर्म पंजीकरण: 000235N/N500089

अभिनव खोसला
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 087010
यूडीआईएन: 26087010RHUMIK9883

आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की आज की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ , हमने आरईसी लिमिटेड (जिसे आगे "होल्डिंग कंपनी" कहा जाएगा) और इसकी सहायक कंपनी, जो उस तिथि तक भारत में निगमित कंपनियां हैं, की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, के संबंधित निदेशक मंडल, समूह द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार हैं और "भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट" में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हैं। इन ज़िम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे, जिसमें संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक विचार व्यक्त करें। हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार की, जो अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानी जाती है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू है, दोनों भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और यह सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमज़ोरी के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और भारत में निगमित सहायक कंपनी के लेखापरीक्षक द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, नीचे अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा विचार के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

क. अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में,कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं;

ख. उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन-देन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल समूह के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और

ग. कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत या नियंत्रणों पर अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं चल पाता। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री कम हो सकती है।

विचार

हमारी विचार में, होल्डिंग कंपनी, इसकी सहायक कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, के पास सभी भौतिक पहलुओं में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2026 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे , जो कि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए समूह द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर था।

अन्य विषय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह सहायक कंपनी से संबंधित है, जो भारत में निगमित है, ऐसी कंपनी के लेखा परीक्षक की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित है।

मैसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई फर्म पंजीकरण: 112318W

सौरभ चौहान
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 167453
यूडीआईएन: 26167453TWTUOO5660

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 28 अप्रैल, 2026

मैसर्स एससीवी एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई फर्म पंजीकरण: 000235N/N500089

अभिनव खोसला
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 087010
यूडीआईएन: 26087010RHUMIK9883

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ख) के तहत 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधि सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 28 अप्रैल 2026 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट में व्यक्त है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड और आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपर्स तक पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछ-ताछ तथा कुछ लेखाकरण दस्तावेजों की चयनित जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में कुछ ऐसा महत्त्वपूर्ण बिन्दु नहीं आया है जिसके कारण अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत संशोधित सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक टिप्पणी की जानी आवश्यक हो।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 03 जुलाई 2026

तनुजा मित्तल
महानिदेशक लेखापरीक्षा (पावर)

31 मार्च 2026 को समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	टिप्पणी सं	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
	परिसंपत्तियां			
(1)	**वित्तीय परिसंपत्तियां**			
(क)	नकदी एवं नकदी के समतुल्य	6	293.39	233.57
(ख)	उपरोक्त (क) के अलावा अन्य बैंक शेष	7	1,317.70	2,109.80
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स	8	19,960.94	17,432.18
(घ)	प्राप्य	9		
	- ट्रेड प्राप्य		293.21	235.13
	- अन्य प्राप्य		3.87	1.99
(ङ)	ऋण	10	5,79,243.08	5,59,088.08
(च)	निवेश	11	9,831.45	6,673.64
(छ)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	24,556.23	24,604.19
	कुल-वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		**6,35,499.87**	**6,10,378.58**
(2)	**गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां**			
(क)	चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	13	280.15	407.07
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	14	3,539.59	2,868.70
(ग)	निवेश परिसंपत्ति	15	0.98	1.01
(घ)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	16	612.51	625.99
(ङ)	पूंजीगत कार्य-प्रगति पर	16	127.71	76.01
(च)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	16	2.01	1.84
(छ)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	17	79.64	138.75
	कुल- गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)		**4,642.59**	**4,119.37**
(3)	बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तिय	18	15.54	3.88
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)		**6,40,158.00**	**6,14,501.83**
	देयताएं और इक्विटी			
	देयताएं			
(1)	वित्तीय देयताएं			
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रमेंट्स	8	1,949.15	1,670.06
(ख)	प्राप्य	19		
	ट्रेड प्राप्य			
	- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया		0.03	0.12
	- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं का कुल बकाया		179.67	133.75
	अन्य प्राप्य			
	- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया		2.07	6.52
	- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं का कुल बकाया		14.21	17.28
(ग)	ऋण प्रतिभूतियां	20	3,09,982.83	2,92,428.27
(घ)	उधारियों (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	21	1,95,315.61	1,94,300.16
(ङ)	अधीनस्थ देयताएं	22	9,426.75	9,514.16
(च)	अन्य वित्तीय देयताएं	23	37,290.26	37,646.72
	कुल-वित्तीय देयताएं (1)		**5,54,160.57**	**5,35,717.04**
(2)	**गैर-वित्तीय देयताएं**			
(क)	प्रावधान	24	599.88	137.51
(ख)	अन्य गैर वित्तीय देयताएं	25	343.14	271.22
	कुल- गैर-वित्तीय देयताएं (2)		**943.02**	**408.73**
(3)	**इक्विटी**			
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	26	2,633.22	2,633.22
(ख)	इन्स्ट्रमेंट्स पूर्णतया इक्विटी प्रकृति के है	27	558.40	558.40
(ग)	अन्य इक्विटी	28	81,862.79	75,184.44
	कुल - इक्विटी (3)		**85,054.41**	**78,376.06**
	कुल- देयताएं और इक्विटी (1+2+3)		**6,40,158.00**	**6,14,501.83**
	कंपनी सिंहावलोकन और आवश्यक लेखांकन नीतियां	1 to 5		

संलग्न टिप्पणी 1 से 76 समेकित वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

बोर्ड की ओर से

दिनेश गर्ग
कंपनी सचिव

राजेश कुमार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06941428

जितेन्द्र श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 06817799

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 112318W

सौरभ चौहान
पार्टनर
मो.नं.: 167453

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000235N/N500089

अभिनव खोसला
पार्टनर
मो.नं.: 087010

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 28 अप्रैल, 2026

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	टिप्पणी सं	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
	प्रचालनों से राजस्व			
(i)	ब्याज आय	29	57,860.49	55,105.20
(ii)	लाभांश आय	30	10.17	8.42
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	31	1,264.93	393.74
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ/ (हानि)	37	-	348.22
(v)	सेवाओं की बिक्री	32	448.57	510.97
I.	**प्रचालनों से कुल राजस्व (i से v)**		**59,584.16**	**56,366.55**
II.	अन्य आय	33	44.19	67.48
III.	**कुल आय (I+II)**		**59,628.35**	**56,434.03**
	व्यय			
(i)	वित्तीय लागत	34	36,238.12	34,131.29
(ii)	निवल अंतरण/लेन-देन विनिमय हानि	35	272.60	208.15
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	36	15.62	13.66
(iv)	उचित मूल्य में परिवर्तन पर शुद्ध हानि	37	962.46	-
(v)	वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स संबंधी इम्पेयरमेंट	38	231.40	1021.58
(vi)	प्रदान की गई सेवाओं की लागत	39	301.16	162.62
(vii)	कार्मिक हितलाभ व्यय	40	271.51	268.13
(viii)	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	41	27.05	24.70
(ix)	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय	42	342.99	291.53
(x)	अन्य व्यय	43	180.83	194.90
IV.	**कुल व्यय (i से ix)**		**38,843.74**	**36,316.56**
V.	**कर पूर्व लाभ (III-IV)**		**20,784.61**	**20,117.47**
VI.	**असाधारण आइटम**	44	18.28	-
VII.	**अवधि के लिए लाभ (V-VI)**		**20,766.33**	**20,117.47**
VIII.	**कर व्यय**	45		
(i)	**वर्तमान कर**			
	- चालू वर्ष		3,752.67	4,098.91
	- पूर्व वर्ष		0.33	(0.25)
(ii)	**आस्थगित कर**		705.16	134.58
	कुल कर व्यय (i+ii)		**4,458.16**	**4,233.24**
IX.	**अवधि के लिए लाभ (IX-VIII)**		**16,308.17**	**15,884.23**
X.	**अन्य व्यापक आय/ (हानि)**			
(i)	**ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा**			
(क)	परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुनःमापन लाभ (हानि)		1.09	0.76
	- उपरोक्त पर कर प्रभाव		(0.27)	(0.19)
(ख)	अन्य व्यापक आप (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन उपरोक्त पर कर प्रभाव		(75.76)	(23.85)
	- उपरोक्त पर कर प्रभाव		-	-
	उप-जोड़ (1)		**(74.94)**	**(23.28)**
(ii)	**ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया जाएगा**			
(क)	नकदी प्रवाह हेजिंग में हेजिंग उपकरणों पर लाभ और हानि का प्रभावी हिस्सा		(6424.40)	1223.51
	- उपरोक्त पर कर प्रभाव		1616.89	(307.93)
(ख)	हेजिंग आरक्षित निधि की लागत		956.95	(3219.35)
	- उपरोक्त पर कर प्रभाव		(240.85)	810.25
	उप-जोड़ (ii)		**(4,091.41)**	**(1493.52)**
	वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/ (हानि) (i+ii)		**(4,166.35)**	**(1,516.80)**
XI.	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX+X)**		**12,141.82**	**14,367.43**
XII.	**प्रत्येक ₹ 10 प्रति इक्विटी शेयर मूल और डाइल्यूटेड आय (₹ में)**	46		
(1)	जारी प्रचालनों के लिए		61.81	60.20
(2)	बंद प्रचालनों के लिए		-	-
(3)	जारी और बंद प्रचालनों के लिए		61.81	60.20
XIII.	प्रत्येक ₹ 10 प्रति इक्विटी शेयर मूल और आय (₹ में)	46		
(1)	जारी प्रचालनों के लिए (₹ में)		61.81	60.20
(2)	बंद प्रचालनों के लिए (₹ में)		-	-
(3)	जारी और बंद प्रचालनों के लिए (₹ में)		61.81	60.20
	कंपनी सिंहावलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1 to 5		

संलग्न टिप्पणी 1 से 76 समेकित वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

बोर्ड की ओर से

दिनेश गर्ग
कंपनी सचिव

राजेश कुमार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06941428

जितेन्द्र श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 06817799

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण संख्या: 112318W

सौरभ चौहान
पार्टनर
मो.नं.: 167453

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000235N/N500089

अभिनव खोसला
पार्टनर
मो.नं.: 087010

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 28 अप्रैल, 2026

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
अवधि के आरंभ में शेष	**2,633.22**	**2,633.22**
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
अवधि के अंत में शेष	**2,633.22**	**2,633.22**

विवरण के लिए टिप्पणी 26 देखें

ख. इन्स्ट्रूमेंट्स की प्रकृति पूर्णतया इक्विटी है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
अवधि के आरंभ में शेष	**558.40**	**558.40**
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
अवधि के अंत में शेष	**558.40**	**558.40**

विवरण के लिए टिप्पणी 27 देखें

ग. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष								एफवीओसीआई-इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स	हेज नकदी प्रवाह का प्रभावी भाग	हेजिंग रिजर्व की लागत	कुल
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viiक)(ग) के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्राथमिक खाता	पूंजी रिजर्व	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद का अंतरण खाता	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय				
31 मार्च 2024 के अनुसार शेष	**28,044.83**	**687.76**	**10,828.99**	**1,577.53**	**-**	**(675.14)**	**12,036.27**	**13,872.66**	**(57.99)**	**(1,846.93)**	**1,690.64**	**66,158.63**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	15,884.23	-	-	-	15,884.23
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन (करों का निवल)	-	-	-	-	-	-	-	0.57	-	-	-	0.57
अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	-	-	-	-	-	-	-	-	(23.85)	915.58	(2,409.10)	(1,517.37)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15,884.79**	**(23.85)**	**915.58**	**(2,409.10)**	**14,367.42**

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष								एफवीओसीआई-इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स	हेज नकदी प्रवाह का प्रभावी भाग	हेजिंग रिजर्व की लागत	कुल
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viiक)(ग) के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्राथमिक खाता	पूंजी रिजर्व	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद का अंतरण खाता	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय				
प्रतिधारित आय में/(से) अंतरण	3,550.57	841.80	3,142.64	-	-	-	750.00	(8,285.01)	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	-	(687.76)	-	-	-	-	687.76	-	-	-	-	-
एफवीओसीआई इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट (करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इस अवधि के दौरान दीर्घकालिक मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा अनुवाद हानि	-	-	-	-	-	(120.43)	-	-	-	-	-	(120.43)
अवधि के दौरान परिशोधन	-	-	-	-	-	183.92	-	-	-	-	-	183.92
इन्स्ट्रूमेंट कूपन भुगतान की प्रकृति पूर्णतया इक्विटी है (स्थायी ऋण इन्स्ट्रूमेंट्स) (करों का निवल)	-	-	-	-	-	-	-	(33.30)	-	-	-	(33.30)
उप – जोड़	**3,550.57**	**154.04**	**3,142.64**	**-**	**-**	**63.49**	**1,437.76**	**(8,318.32)**	**-**	**-**	**-**	**30.18**
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(5,371.78)	-	-	-	(5,371.78)
उप- जोड़ – स्वामियों के साथ लेन-देन	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(5,371.78)**	**-**	**-**	**-**	**(5,371.78)**
31 मार्च 2025 के अनुसार शेष	**31,595.40**	**841.80**	**13,971.63**	**1,577.53**	**-**	**(611.65)**	**13,474.03**	**16,067.34**	**(81.84)**	**(931.35)**	**(718.46)**	**75,184.44**

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष								एफवीओसीआई-इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स	हेज नकदी प्रवाह का प्रभावी भाग	हेजिंग रिजर्व की लागत	कुल
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viiक) (ग)के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्राथमिक खाता	पूंजी रिजर्व	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद का अंतरण खाता	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय				
31 मार्च 2025 के अनुसार शेष	**31,595.40**	**841.80**	**13,971.63**	**1,577.53**	**-**	**(611.65)**	**13,474.03**	**16,067.37**	**(81.84)**	**(931.35)**	**(718.46)**	**75,184.44**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	16,308.17	-	-	-	16,308.17
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन (करों का निवल)	-	-	-	-	-	-	-	0.82	-	-	-	0.82
अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	-	-	-	-	-	-	-	-	(75.76)	(4,807.51)	716.10	(4,167.17)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16,308.99**	**(75.76)**	**(4,807.51)**	**716.10**	**12,141.82**
प्रतिधारित आय में/(से) अंतरण	3,383.02	778.61	3,256.45	-	-	-	2,080.00	(9,498.08)	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में/से स्थानांतरित	-	(841.80)	-	-	-	-	841.80	-	-	-	-	-
एफवीओसीआई इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट (करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अंतरण हानि	-	-	-	-	-	(657.61)	-	-	-	-	-	(657.61)
वर्ष के दौरान ऋण परिशोधन	-	-	-	-	-	388.56	-	-	-	-	-	388.56

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष								एफवीओसीआई-इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स	हेज नकदी प्रवाह का प्रभावी भाग	हेजिंग रिजर्व की लागत	कुल
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viiक) (ग)के तहत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्राथमिक खाता	पूंजी रिजर्व	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद का अंतरण खाता	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय				
इन्स्ट्रूमेंट कूपन भुगतान की प्रकृति पूर्णतया इक्विटी है (स्थायी ऋण इन्स्ट्रूमेंट्स) (करों का निवल)	-	-	-	-	-	-	-	(33.30)	-	-	-	(33.30)
उप- जोड़	**3,383.02**	**(63.19)**	**3,256.45**	**-**	**-**	**(269.05)**	**2,921.80**	**(9,531.38)**	**-**	**-**	**-**	**(302.35)**
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	(5,161.12)	-	-	-	(5,161.12)
उप- जोड़ – स्वामियों के साथ लेन-देन	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(5,161.12)**	**-**	**-**	**-**	**(5,161.12)**
31 मार्च 2026 के अनुसार शेष	**34,978.42**	**778.61**	**17,228.08**	**1,577.53**	**-**	**(880.70)**	**16,395.83**	**17,683.86**	**(157.60)**	**(5,738.86)**	**(2.36)**	**81,862.79**

आरक्षित निधि से आहरण/अंतरण से संबंधित विवरण के लिए टिप्पणी संख्या 28.1 देखें

संलग्न नोट 1 से 76 समेकित वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

बोर्ड की ओर से

दिनेश गर्ग
कंपनी सचिव

राजेश कुमार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06941428

जितेन्द्र श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 06817799

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण संख्या: 112318W

सौरभ चौहान
पार्टनर
मो.नं.: 167453

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000235N/N500089

अभिनव खोसला
पार्टनर
मो.नं.: 087010

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 28 अप्रैल, 2026

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष		31-03-2025 को समाप्त वर्ष	
क.	**प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह:**				
	कर पूर्व निवल लाभ	**20,766.33**		**20,117.47**	
निम्नलिखित के लिए समायोजन:					
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (निवल) की मान्यता समाप्त करने पर हानि/(लाभ)	10.58		7.62	
2.	बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों (निवल) की मान्यता समाप्त करने पर हानि/(लाभ)	-		(6.03)	
3.	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	27.05		24.70	
4.	वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स पर इंपेयरमेंट हानियाँ	231.40		1,021.59	
5.	उचित मूल्य परिवर्तन (निवल) पर हानि/(लाभ)	(241.37)		(346.30)	
6.	ऋण परिसंपत्तियों और उधारियों के मामले में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर)	446.47		214.60	
7.	कमर्शियल पेपर पर ब्याज	126.42		-	
8.	जीरो कूपन बांड पर अर्जित ब्याज	174.74		83.14	
9.	अवास्तविक विदेशी मुद्रा अंतरण हानि/ (लाभ)	(1,386.30)		(2,131.32)	
10.	अव्ययित सीएसआर के लिए किया गया प्रावधान	163.71		-	
11.	प्रावधान/लिखित वापसी (अन्य)	(8.57)		2.84	
12.	निवेश और अन्य पर ब्याज	(60.11)		(36.65)	
प्रचालनात्मक परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ		**20,250.35**		**18,951.65**	
निम्नलिखित के कारण अंतर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह) :					
1.	ऋण परिसंपत्तियां	(20,570.50)		(59,996.87)	
2.	व्युत्पन्न	7,012.50		643.90	
3.	अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	1,373.53		(645.22)	
4.	अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय देयताओं और प्रावधान	1,521.37		6,214.99	
प्रचालनों से नकदी प्रवाह		**9,587.25**		**(34,831.56)**	
1.	भुगतान किया गया आयकर (टीडीएस सहित)	(3,615.68)		(4,232.52)	
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह			**5,971.57**		**(39,064.08)**
ख.	**निवेशात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री/(खरीद)	(23.00)		(3.96)	
2.	बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों की बिक्री	-		6.07	
3.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में निवेश (सीडब्ल्यूआईपी और पूंजीगत अग्रिम राशि सहित)	(45.81)		(77.31)	
4.	अमूर्त परिसंपत्तियों में निवेश (विकास और पूंजीगत अग्रिम के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)	(0.83)		(1.61)	
5.	पूंजीकृत वित्त लागत	(6.39)		(3.02)	
6.	उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) (निवल) में विमोचन /(निवेश)	(3,283.48)		(1,418.90)	
7.	एचक्यूएलए (निवल) के अलावा अन्य ऋण प्रतिभूतियों में विमोचन/(निवेश)	39.59		352.22	
8.	सहयोगी/सहायक कंपनियों के शेयरों की बिक्री/(निवेश) (शुद्ध)	(11.66)		16.28	
9.	निवेशों से ब्याज आय	47.72		-	
10.	निगम और सावधिक जमा की परिपक्वता/(निवेश)	(23.80)		(171.81)	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह			**(3,307.66)**		**(1,302.04)**
ग.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
1.	रुपे ऋण प्रतिभूतियां(निवल) का निर्गम / (विमोचन)	10,769.67		30,748.97	
2.	कमर्शियल पेपर (निवल) का निर्गम/ (विमोचन)	2,839.54		-	
3.	बैंकों/वित्तीय संस्थानों (निवल) से रुपे आवधिक ऋण / डब्ल्यूसीडीएल प्राप्त करना / (पुनर्भुगतान)	23,454.23		(23,558.76)	
4.	विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं उधारियां (निवल) प्राप्त करना / (पुनर्भुगतान)	(33,284.88)		36,501.65	
5.	अधीनस्थ देयताएं प्राप्त करना/(विमोचन) (निवल)	-		1,995.01	
6.	स्थायी ऋण इन्स्ट्रूमेंट्स पर कूपन भुगतान पूर्णतया इक्विटी प्रकृति के है	(44.50)		(44.50)	
7.	इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान	(6,109.08)		(5,608.77)	
वित्तीय क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह			**(2,375.02)**		**40,033.60**
नकदी एवं नकदी के समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी			**288.89**		**(332.52)**
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी के समतुल्य			**(337.21)**		**(4.69)**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी के समतुल्य			**(48.32)**		**(337.21)**

नकदी प्रवाह का उपरोक्त विवरण भारतीय लेखा मानक 7 'नकदी प्रवाह विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।

वर्ष के दौरान, समूह को ₹ 10.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8.42 करोड़) का लाभांश प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, समूह ने निगमित सामाजिक दायित्व के लिए ₹ 171.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 291.72 करोड़) की राशि का भुगतान किया है।

वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी के समतुल्य के घटक निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
- हस्तगत रोकड़ (अग्रदाय सहित)	0.03	0.02
- बैंको में शेष राशि	233.16	51.47
- अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा	60.20	182.08
- बैंक ओवरड्राफ्ट	(341.71)	(570.78)
कुल नकदी और नकदी समतुल्य	**(48.32)**	**(337.21)**

वित्त संबंधी क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाली देयताओं का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	अवधि के दौरान नकदी प्रवाह (निवल)	उपचित ब्याज में संचलन*	अन्य समायोजन		अंतिम शेष
				विनिमय अंतर	इंडएएस समायोजन	
31-03-2026 को समाप्त वर्ष						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	**2,64,228.91**	10,769.67	946.12	-	(45.01)	**2,75,899.70**
कमर्शियल पेपर	**-**	2,839.54	-	-	126.42	**2,965.96**
रुपे आवधिक ऋण/ डब्ल्यूसीडीएल	**56,883.21**	23,225.16	68.66	-	-	**80,177.03**
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	**1,65,616.31**	(33,284.88)	38.91	13,527.69	357.72	**1,46,255.75**
अधीनस्थ देयताएं	**9,514.16**	-	(0.44)	-	(86.97)	**9,426.75**
कुल	**4,96,242.59**	**3,549.49**	**1,053.25**	**13,527.69**	**352.16**	**5,14,725.19**
31-03-2025 को समाप्त वर्ष						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	**2,33,215.78**	30,748.97	98.38	-	165.77	**2,64,228.89**
कमर्शियल पेपर	**-**	-	-	-	-	**-**
रुपे आवधिक ऋण/ डब्ल्यूसीडीएल	**80,168.38**	(23,255.42)	(29.75)	-	-	**56,883.21**
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	**1,24,771.13**	36,501.65	145.98	4,191.35	6.20	**1,65,616.31**
अधीनस्थ देयताएं	**7,412.21**	1,995.01	12.58	-	94.36	**9,514.16**
कुल	**4,45,567.50**	**45,990.21**	**227.19**	**4,191.35**	**266.33**	**4,96,242.57**

** उपचित ब्याज में संचलन को प्रचालन संबंधी क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह के रूप में "प्रचालन संबंधी देयताओं" में विचारा गया है।*

टिप्पणीः जहां आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से व्यवस्थित किया गया है और उसे फिर से समूह में रखा गया है।

संलग्न टिप्पणियाँ 1 से 76 समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

बोर्ड की ओर से

दिनेश गर्ग
कंपनी सचिव

राजेश कुमार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06941428

जितेन्द्र श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 06817799

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 112318W

सौरभ चौहान
पार्टनर
मो.नं.: 167453

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000235N/N500089

अभिनव खोसला
पार्टनर
मो.नं.: 087010

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 28 अप्रैल, 2026

1. कंपनी सिंहावलोकन

आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" या "कंपनी" या "धारक कंपनी") की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। यह कंपनी भारत में अधिवासित है एवं शेयरों द्वारा सीमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय एवं कारोबार का मुख्य स्थान कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत में स्थित है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के अलावा, लेखा बहियों और वित्तीय विवरणों का रखरखाव प्लॉट संख्या आई-4, सेक्टर-29, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित निगम कार्यालय से किया जाता है। कंपनी के कार्यालय देश भर में, मुख्य रूप से राज्यों की राजधानियों में और हैदराबाद में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थित है।

यह कंपनी भारत सरकार का एक उद्यम है जो विद्युत क्षेत्र की मूल्य शृंखला और इंफ्रा और लॉजिस्टिक में वित्तीय सहायता प्रदान करने में लगी हुई है तथा यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ व्यवस्थित ढंग में एक महत्वपूर्ण (नॉन-डिपोसिट एक्सेप्टिंग या होल्डिंग) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है। एनबीएफसी होने के नाते कंपनी का विनियमन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है ।

कंपनी को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लोक उद्यम विभाग द्वारा 'महारत्न' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दिया गया है।

आरईसी, भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक अवसंरचना वित्त कंपनी है और आरईसी के प्रमुख उत्पादों में राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत विभागों एवं निजी क्षेत्र को विद्युत अवसंरचना के सभी अंगभूतों के लिए ब्याज-युक्त ऋण प्रदान करना शामिल है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आरईसी सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी इत्यादि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ई एंड एम) कार्यों सहित गैर-विद्युत बुनियादी ढांचा क्षेत्र में भी विविधता लाया है।

समूह अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से इंजीनियरिंग परामर्श सेवाओं में भी लगा हुआ है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार/राज्य सरकार, समय-समय पर कंपनी को बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में काम करने के लिए स्वतंत्र ट्रांसमिशन परियोजनाएं आवंटित करती है, ताकि टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया (टीबीसीबी) के माध्यम से ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता (टीएसपी) के रूप में डेवलपर्स का चयन किया जा सके। प्रत्येक ऐसी ट्रांसमिशन परियोजनाओं के विकास को आरंभ करने के लिए, आरईसीपीडीसीएल एक परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल करता है और ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए अधिसूचित टीबीसीबी प्रक्रिया के माध्यम से सफल बोलीदाता के चयन के बाद, संबंधित परियोजना विशिष्ट एसपीवी को उसकी सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ सफल बोलीदाता को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

आरईसीपीडीसीएल ग्रामीण विद्युतीकरण, एटीएंडसी हानि न्यूनीकरण रणनीतियों, जीआईएस एकीकरण के साथ डाटा सेंटर, ग्राहक सेवा केंद्र आदि की स्थापना सहित आईटी कार्यान्वयन कार्य, एएमआई के साथ स्मार्ट मीटरिंग को कवर करने वाली स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं के कार्यान्वयन, सौर पीवी संयंत्रों का निर्माण, एससीएडीए कार्यान्वयन, एमआरआई/एएमआर आधारित मीटर रीडिंग और बिलिंग कार्य, विद्युत वितरण परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयारी और परियोजना प्रबंधन परामर्श, विद्युत वितरण के सुदृढ़ीकरण कार्य, ऊर्जा दक्षता परियोजनाएं और निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता और मात्रात्मक निगरानी/निरीक्षण के क्षेत्रों में परामर्श और शुल्क आधारित सेवा प्रदान कर रहा है।

कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा कंपनी की विभिन्न ऋण प्रतिभूतियां भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है।

अपनी अनुषंगी कंपनियों के साथ कंपनी को यहां इसके उपरांत 'समूह' के रूप में संदर्भित किया गया है।

2. अनुपालन का विवरण और तैयार करने का आधार

ये समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और आरबीआई द्वारा जारी किए गए अन्य लागू / दिशानिर्देशों के तहत अधिसूचित इंड एएस का अनुपालन करते हैं।

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को जारी करने हेतु निदेशक मण्डल द्वारा 28 अप्रैल, 2026 को अधिकृत एवं स्वीकृत किया गया।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

समेकित वित्तीय विवरणों के तैयारी में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को नीचे दिया गया है:

3.1 समेकन का आधार

अनुषंगी कंपनी

अनुषंगी कंपनी ऐसा निकाय है, जो समूह द्वारा होता है। समूह किसी निकाय अथवा इकाई को तब नियंत्रित करता है जब उसके पास निवेशकर्ता पर अधिकार (शक्ति) होती है, वह उस निकाय के साथ अपनी भागीदारी के माध्यम से परिवर्तनशील (चर) लाभ रिटर्न के बारे में परिचित होता है या उसका अधिकार उसके पास होता है और इकाई पर अपनी अधिकार के माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अनुषंगी कंपनी के वित्तीय विवरणों को उस तारीख से समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है जिससे उस पर उसका नियंत्रण शुरू होता है और जिससे उस पर उसका नियंत्रण समाप्त हो जाता है। समूह धारक कंपनी और अपनी अनुषंगी कंपनी के वित्तीय विवरणों को परिसंपत्तियों, देयताओं, इक्विटी, आय और व्यय की समान मदों को लाइन बाई लाइन जोड़ कर समेकित करता है।

इक्विटी खाते में निवेशकर्ता

इक्विटी में समूह के हितों की गणना ऐसे निवेशकर्ताओं के लिए की जाती है, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम में जिनके हित शामिल होते हैं।

एक सहयोगी कंपनी, जिसमें एक गैर-निगमित इकाई भी शामिल है, एक ऐसी इकाई अथवा निकाय है, जिसके ऊपर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है और यह न तो एक अनुषंगी कंपनी है और न ही किसी संयुक्त उद्यम में उसका कोई हित निहित होता है। सहयोगी कंपनियों में हितों की गणना इक्विटी पद्धति का उपयोग करके की जाती है। इन हितों को शुरू में ऐसी लागत में मान्यता दी जाती है, जिसमें लेन-देन लागतें शामिल होती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी-अकाउंटेड निवेशकर्ताओं के समूह के लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) का उस तारीख तक की हिस्सेदारी शामिल होती है, जिस तारीख तक महत्वपूर्ण प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता है। हालांकि, अगर यह आकलन किया जाता है कि सहयोगी कंपनियों में निवेश / हित बिक्री के लिए रखा गया है, तो ऐसे मामलों में सहयोगी कंपनियों में हित की गणना भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 105 के तहत की जाएगी।

एक संयुक्त उद्यम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समूह का संयुक्त नियंत्रण होता है और उसे अपनी देनदारियों के लिए अपनी परिसंपत्तियों और अपनी देयताओं की दायित्वों के अधिकारों के बजाय व्यवस्था की निवल परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है।

संयुक्त उद्यम में हितों की गणना इक्विटी पद्धति का उपयोग करके की जाती है। उन्हें शुरू में ऐसी लागत के रूप में मान्यता दी जाती हैं जिसमें लेन-देन लागतें शामिल होती हैं। प्रारंभिक मान्यता के बाद, समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी-अकाउंटेड निवेशकर्ताओं के समूह के लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) का उस तारीख तक की हिस्सेदारी शामिल होती है, जिस तारीख तक महत्वपूर्ण प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता है।

3.2 समेकन पर समाप्त किए गए संव्यवहार

समूह के भीतर (इंट्रा-ग्रुप) बकाया राशियों और लेन-देन और समूह के भीतर लेन-देन से होने वाली किसी भी अघोषित आय और खर्च को समाप्त कर दिया जाता है। इक्विटी अकाउंटेड निवेशकर्ताओं के साथ लेन-देन से उत्पन्न होने वाले अघोषित लाभ को निवेशकर्ता में समूह के हित की सीमा तक निवेश के लिए समाप्त कर दिया जाता है। अघोषित लाभ की तरह ही अघोषित हानि को भी उसी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन केवल इस हद तक कि यहां इम्पेयरमेंट का कोई सबूत नहीं है।

3.3 तैयारी और मापन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली के बाद गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देनदारियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें संबंधित लेखाकरण नीतियों में यथा स्पष्टीकृत उचित मूल्यों पर मापा जाता है। इन नीतियों को समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए सतत् रूप से लागू किया गया है।

कार्यात्मक एवं प्रस्तुत मुद्रा

समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों ('आईएनआर'), जोकि समूह की कार्यात्मक मुद्रा भी है, में प्रस्तुत किया जाता है।

3.4 आय मान्यता

ब्याज आय

परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है, अर्थात वह दर जो वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल वहन राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्याशित अवधि के माध्यम से भविष्य की नकद प्राप्तियों का अनुमान लगाती है।

लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापी गई उत्तरवर्ती वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज को मान्यता संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपचित आधार पर दी जाती है और ब्याज आय शीर्षक के अंतर्गत अलग से प्रकट किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, ऋणकर्ताओं से वसूलियों को निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाता है : (i) आरईसी की लागत और खर्चे (ii) ब्याज कर, यदि कोई है, सहित विलंबित और दांडिक ब्याज (iii) ब्याज कर, यदि कोई है, सहित अतिदेय ब्याज और (iv) मूलधन का पुनर्भुगतान; क्रेडिट इम्पेयरमेंट ऋण और वापस मांगे गए ऋणों को छोड़कर, सबसे पुराने होने के नाते उन्हें पहले समायोजित किया जा रहा है, जहां मूलधन की राशि को ब्याज कर, यदि कोई है, सहित अन्य लागतों, खर्चों, विलंबित और दंडात्मक ब्याज और अतिदेय ब्याज की पूर्ण वसूली के बाद ही विनियोजित किया जाता है। वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही के तहत वसूली को पहले मूलधन की बकाया राशि और शेष वसूली के मद में विनियोजित किया जाता है, उसके बाद ब्याज और अन्य प्रभारों, यदि कोई हैं के मद में विनियोजित किया जाता है।

विवेक के मामले के रूप में क्रेडिट इम्पेयर्ड ऋण परिसंपत्तियों पर आय को प्राप्त होने पर या संचय के आधार पर मान्यता दी जाती है जब अपेक्षित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक होती है।

उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज के सामयिक भुगतान के कारण छूट को मान्यता, संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, संपूर्ण ब्याज राशि का समय पर प्राप्त होने पर दी जाती है और यह तदनुरूपी ब्याज आय के समक्ष निवल आय है।

सरकारी योजनाओं से आय

सरकारी योजनाओं पर एजेंसी शुल्क की आय प्रदान की गई सेवाओं और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत शुल्क की राशि के आधार पर मान्यता दी जाती है ।

लाभांश आय

जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है तो कॉर्पोरेट निकायों और म्यूचुअल फंड/ इनविट्स की यूनिट्स के शेयरों पर लाभांश से आय को प्रोद्भवन के आधार पर ध्यान में रखा जाता है।

बशर्ते कि अंतिम लाभांश के मामले में, भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को, केवल वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश की मंजूरी प्रदान करने पर विचारा जाएगा।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर बाद में मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभांश को मान्यता 'लाभांश आय' शीर्ष के अंतर्गत अलग से दी जाती है।

निवेश संपत्ति पर किराये से होने वाली आय

निवेश संपत्ति से प्राप्त किराये की आय को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मान्यता दी जाती है।

अन्य सेवाएं

ऋण परिसंपत्तियों पर शुल्क/प्रभारों को, ईआईआर के लिए विचारित किसी समायोजन को छोड़कर, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है। पूर्व-भुगतान प्रीमियम का हिसाब प्राप्ति वर्ष में कंपनी द्वारा किया जाता है।

सेवाएं प्रदान करने (बिक्री) से राजस्व

राजस्व को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि इस बात की संभावना बनी रहे है कि समूह को आर्थिक लाभ प्रवाहित होते रहेंगे और राजस्व को विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है।

समूह भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 115 द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का उपयोग करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि राजस्व को कितनी और कब मान्यता दी जानी है, राजस्व की प्रकृति, राशि, समय अनुसूची और अनिश्चितता आदि क्या है। उसी के अनुसार, राजस्व को पाँच चरण वाले दृष्टिकोण के माध्यम से मान्यता दी जाती है:

i) ग्राहक के साथ संविदा (संविदाओं) की पहचान करना;

ii) संविदा में अलग-अलग कार्यनिष्पादन दायित्वों की पहचान करना;

iii) लेन-देन का मूल्य निर्धारित करना;

iv) कार्यनिष्पादन दायित्वों के लिए लेन-देन की कीमत आवंटित करना; तथा

v) कार्यनिष्पादन दायित्वों से संतुष्ट होने पर राजस्व को मान्यता देना।

राजस्वों का मापन प्राप्त या प्राप्य विचारण, छूटों और अन्य अप्रत्यक्ष करों के निवल के उचित मूल्य पर किया जाता है।

कॉस्ट प्लस संविदाओं में - राजस्व को मान्यता संविदा के अनुसार व्ययों की पात्र संविदात्मक मदों और आनुपातिक मार्जिन को शामिल कर दी जाती है;

निर्धारित मूल्य संविदाओं में - राजस्व को मान्यता संविदा के पूरा होने के चरण के आधार पर दी जाती है। समूह ने आकलन किया है कि संविदा के पूरा होने के चरण का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उस कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने के लिए अपेक्षित कुल समय के अनुपात के रूप में किया जाता है, जो भारतीय लेखांकन मानक (एएस) 115 के अंतर्गत इन कार्यनिष्पादन दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति का एक उपयुक्त मापक है।

यदि परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो राजस्व, लागत या पूर्ण होने की दिशा में प्रगति के अनुमानों को संशोधित किया जाता है। अनुमानित राजस्व या लागत में कोई भी परिणामी वृद्धि या कमी को उस अवधि में लाभ या हानि में दर्शाया जाता है, जिसमें संशोधन को जन्म देने वाली परिस्थितियां प्रबंधन द्वारा ज्ञात हो जाती हैं।

टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के तहत पारेषण परियोजनाओं के लिए चयनित बोलीदाताओं / डेवलपर्स से लिए जाने वाले व्यावसायिक प्रभारों की गणना उस वर्ष में की जाती है, जिसमें यह यथोचित रूप से निश्चित होता है कि व्यावसायिक प्रभारों का अंतिम संग्रहण किया जाएगा।

प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेजों की बिक्री से होने वाली आय को संबंधित एसपीवी को क्रेडिट किया जाता है और अर्हता के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) दस्तावेजों की बिक्री से होने वाली आय समूह द्वारा अपने पास रखी जाती है और इसकी गणना समूह की आय के रूप में की जाती है।

3.5 उधार लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज और ऐसी अन्य लागतें शामिल होती हैं, जिन्हें समूह निधियों की उधारी के संबंध में खर्च करता है। उधार लेने की लागतें, जो एक अर्हकारी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और/या निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से तब तक जिम्मेदार हैं जब तक कि ऐसी अर्हकारी परिसंपत्तियां अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती, पूंजीकृत होती हैं। एक अर्हकारी परिसंपत्तियों वह है जो आवश्यक रूप से अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयारी के संबंध में पर्याप्त समय लेती है।

अन्य सभी उधार लागतें, प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार उपचित आधार पर लाभ और हानि के विवरण हेतु प्रभारित हैं।

3.6 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूलभूत आय की गणना, अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों (आरोप्य करों की कटौती के उपरांत) के लिए देय अवधि के संबंध में निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर डाईल्यूटेड आय की गणना करने के लिए, अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी हेतु देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को सभी घटाने योग्य संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

3.7 विदेशी मुद्रा रूपांतरण

विदेशी मुद्रा लेन-देन और संतुलन

विदेशी मुद्रा लेन-देन को, लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों का उपयोग करके समूह की कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है।

इस तरह के लेन-देन के निपटान के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा लाभ और हानियों और अवधि-अंत विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में विभाजित मौद्रिक वस्तुओं के पुन: माप को मान्यता लाभ या हानि विवरण में दी जाती है। हालांकि, 1 अप्रैल 2018 से पूर्व समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यतकृत दीर्घकालिक मौद्रिक मदों के लिए, इस तरह के लाभ और हानि को "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण खाते" में संचित किया जाता है और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में पहचान करने के द्वारा, इस प्रकार की दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

गैर-मौद्रिक वस्तुओं को अवधि के अंत में पुन:अंतरित नहीं किया जाता है और उनको ऐतिहासिक लागत (लेन-देन की तिथि को विनिमय दरों के उपयोग द्वारा रूपांतरित) पर मापा जाता है।

3.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

मान्यता और प्रारंभिक मापन

भूमि

उपयोग के लिए रखी गई भूमि को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है। भूमि के लिए, जैसा कि कोई परिमित उपयोगिता अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है, इसलिए संबंधित वहन की राशि को परिशोधित नहीं किया जाता है।

भूमि में वह भूमि भी शामिल है जिसे पट्टा समझौते के तहत उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति माना जाता है, जिसे पहले वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता था और पट्टा अवधि के दौरान उसका परिशोधन किया जाता था।

अन्य मूर्त परिसंपत्तियों

भूमि के अन्यत्र पीपीई को प्रारंभ में अधिग्रहण लागत या निर्माण लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें ऐसी लागतें जो परिसंपत्तियों को स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य हैं और ऐसी शर्तें जो इसे कंपनी के प्रबंधन द्वारा अभीष्ट ढंग में प्रचालन करने में सक्षम हेतु अनिवार्य बनाती हैं, शामिल हैं।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्तियों की वहन राशि शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्तियों के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक कंपनी में प्रवाहित होंगे। पीपीई के अनुरक्षण या सर्विसिंग लागत को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उत्तरवर्ती माप (मूल्यह्रास पद्धति, उपयोगिता अवधि, शेष मूल्य और इम्पेयरमेंट)

पीपीई को बाद में कम संचित मूल्यह्रास लागत और इम्पेयरमेंट हानियों पर मापा जाता है। पीपीई पर मूल्यह्रास को, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग 'ग' के तहत निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी अवधि पर सीधी-रेखा पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को परिसंपत्तियों के 15 दिन से अधिक उपयोग होने पर पूरे महीने के लिए प्रभारित किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 5,000 / - रुपये तक 100% की दर से प्रदान किया जाता है।

शेष मूल्यों, उपयोगी अवधि और मूल्यह्रास की पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में की जाती है। भूमि के अन्यत्र पीपीई का इम्पेयरमेंट के लिए परीक्षण तब किया जाता है, जब घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह इंगित होता है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है।

अमान्यकरण

पीपीई की एक मद तथा प्रारंभ में मान्यता प्राप्त किसी महत्वपूर्ण अंश को निपटान पर या भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। पीपीई की किसी मद के अमान्यकरण पर उत्पन्न किसी लाभ या हानि का निर्धारण, निवल निपटान आय और परिसंपत्तियों की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है तथा उसे लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूंजीगत कार्य में प्रगति

रिपोर्टिंग तिथि को निर्माणाधीन पीपीई की लागत को 'पूंजीगत कार्य में प्रगति' के रूप में प्रकट किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, पूंजीकरण मानदंड पूर्ण होने पर उधार लागत और परिसंपत्तियों को अभीष्ट उपयोग हेतु इसके कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लागत शामिल होती है। व्यापार संबंधी किसी बट्टे एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए प्रदत्त अग्रिम, जो तुलन-पत्र की तारीख को बकाया हैं, को 'अग्रिम पूंजी' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

3.9 निवेश संपत्ति

मान्यता और माप

निवेश संपत्ति वे संपत्तियां हैं जो किराया कमाने और/या पूंजी वृद्धि के लिए रखी जाती हैं।

निवेश संपत्तियों को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेनदेन लागत भी शामिल है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, घटाकर मापा जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग 'सी' के तहत निर्धारित अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास लगाया जाता है।

अमान्यकरण

निवेश संपत्तियों की मान्यता समाप्ति तब होती है जब उनका निपटान कर दिया जाता है या जब उन्हें स्थायी रूप से उपयोग से हटा लिया जाता है और उनके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है। शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर को मान्यता समाप्ति की अवधि में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

निवेश संपत्ति में/से पुनर्वर्गीकरण

निवेश संपत्ति में (या उससे) हस्तांतरण केवल तभी किया जाता है जब उपयोग में कोई परिवर्तन होता है। निवेश संपत्ति और मालिक द्वारा अधिगृहीत संपत्ति के बीच हस्तांतरण से हस्तांतरित संपत्ति की वहन राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता है और वे माप या प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए उस संपत्ति की लागत में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण

निवेश संपत्ति का उचित मूल्य नोटों में प्रकट किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाता है, जिसके पास मान्यता प्राप्त और प्रासंगिक व्यावसायिक योग्यता होती है और जिसे मूल्यांकन की जा रही निवेश संपत्ति के प्रासंगिक स्थान और श्रेणी में हालिया अनुभव होता है।

3.10 अमूर्त परिसंपत्तियां

मान्यता और प्रारंभिक मापन

अमूर्त परिसंपत्तियों का आकलन प्रारंभ में लागत पर किया जाता है। जिसे शुरू में लागत पर मापा जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है, जिनमें यह संभावना है कि परिसंपत्तियों के कारण भावी आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे।

उत्तरवर्ती माप प्रक्रिया (परिशोधन विधि, उपयोगिता अवधि और शेष मूल्य)

परिमित उपयोगिता अवधि के साथ सभी अमूर्त परिसंपत्तियों को अनुमानित उपयोगिता अवधि से परे एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है और यदि अमूर्त परिसंपत्तियों को इम्पेयरमेंट होने का संकेत होता है तो संभावित हानि का आकलन किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए शेष मूल्य और उपयोगिता अवधि की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन, यदि कोई हो तो, का लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में हिसाब लगाया जाता है। प्रबंधन का अनुमान है कि अमूर्त परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि पांच वर्ष होगी।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

ऐसे व्यय, जो अमूर्त परिसंपत्तियों के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, को उनके अभीष्ट उपयोग हेतु तैयार होने तक 'विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों' के रूप में रखा जाता है। अमूर्त संपत्ति के अधिग्रहण/विकास के लिए किया गया अग्रिम भुगतान जो तुलन पत्र की तिथि पर बकाया हैं 'उन्हें अग्रिम पूंजी' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

किसी अमूर्त परिसंपत्तियों को निपटान के समय या उसके उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ न होने की प्रत्याशा पर अमान्यकृत कर दिया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्तियों के अमान्यकरण से व्युत्पन्न लाभ या हानि, निवल निपटान आय और परिसंपत्तियों की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापित को परिसंपत्तियों को अमान्यकृत किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण को मान्यता दी जाती है।

3.11 पट्टा लेखांकन:

समूह अल्पकालिक या कम मूल्य के पट्टे के रूप में पहचाने गए पट्टों को छोड़कर सभी पहले से प्रचालनरत पट्टों के संबंध में उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति और संबंधित पट्टा देयता को मान्यता देता है।

समूह संविदा की शुरुआत के समय ही इस बात का मूल्यांकन करता है कि क्या कोई संविदापट्टा संविदा है या इसमें कोई पट्टा निहित है। किसी पट्टे को 'एक ऐसी संविदा, या एक संविदा के भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो परिसंपत्तियों (अंतर्निहित परिसंपत्तियों) को विचारण राशि के बदले में अवधि के लिए उपयोग करने का अधिकार प्रदान करता है।'

इस परिभाषा को लागू करने के लिए समूह इस बात आकलन करता है कि क्या संविदा मूल्यांकन की तीन प्रमुख शर्तों को पूरा करती है या नहीं, जो कि क्या :

- संविदा में पहचान की गई एक ऐसी परिसंपत्तियों शामिल होती है, जिसे या तो संविदा में स्पष्ट रूप से मान्यता दी जाती है या यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाता है कि समूह द्वारा परिसंपत्तियों उपलब्ध कराई गई है।
- समूह को संविदा की निर्धारित सीमा के भीतर अपने अधिकारों पर विचार करते हुए उपयोग की अवधि में पहचान की गई परिसंपत्तियों के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।
- समूह के पास यह अधिकार है कि वह इस्तेमाल की गई अवधि के दौरान पहचानी गई परिसंपत्तियों के उपयोग का निर्देश दे। समूह यह आकलन करता है कि क्या उसे यह निदेशित करने का अधिकार है कि उपयोग की संपूर्ण अवधि के दौरान परिसम्पत्ति का उपयोग "कैसे और किस उद्देश्य के लिए' किया जाता है।

पट्टा शुरू होने की तारीख को समूह अपने तुलन पत्र में राइट-ऑफ-यूज परिसम्पत्ति और पट्टा देयता को मान्यता देता है। राइट-ऑफ-यूज परिसम्पत्ति को उस लागत पर मापा जाता है, जो पट्टे की देयता के प्रारंभिक मापन, समूह द्वारा की गई किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों, पट्टा कीवधि की समाप्ति पर परिसंपत्तियों को डिसमेंटल करने और हटाने के लिए किसी भी

लेखा संबंधी टिप्पणियां

लागत अनुमान और पट्टा प्रारंभ तिथि (प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन का निवल) के अग्रिम तौर पर किए गए किसी भी पट्टा भुगतान से मिलकर बनती है।

समूह पट्टा शुरू होने की तारीख से लेकर राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टा अवधि की समाप्ति तक एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर राइट-ऑफ-यूज़ परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास करता है। समूह ऐसे संकेतक मौजूद होने पर क्षतिपूर्ति के लिए राइट-ऑफ-यूज परिसम्पत्ति का भी आकलन करता है।

प्रारंभ तिथि को समूह उस तिथि पर पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता का मापन पट्टा में निहित ब्याज दर का उपयोग करके रियायत देते हुए करता है, बशर्ते कि वह दर आसानी से उपलब्ध दर हो या फिर समूह की वृद्धिशील उधार दर हो।

पट्टा देयता के मापन में शामिल पट्टा भुगतान स्थिर भुगतानों (यथार्थ रूप में स्थिर को शामिल करते हुए), किसी सूचकांक या दर के आधार पर परिवर्ती भुगतानों, अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय राशि और ऐसे अपेक्षित विकल्पों, जिनका प्रयोग किया जाना निश्चित है, से उत्पन्न भुगतानों को मिलाकर बनते हैं।

प्रारंभिक मापन के बाद, किए गए और ब्याज के लिए बढ़ाए गए भुगतानों के लिए देयता कम हो जाएगी। किसी भी पुनर्मूल्यांकन या संशोधन को प्रतिबिंबित करने के लिए या यदि इन-यथार्थ रूप से निश्चित भुगतानों में कोई परिवर्तन होते हैं, तो इसे फिर से मापा जाता है।

जब पट्टा देयता को फिर से मापा जाता है, तो संबंधित समायोजन को राइट-ऑफ़-यूज़ परिसंपत्तियों में और यदि राइट-ऑफ़-यूज़ परिसंपत्तियों पहले से ही शून्य हो जाती है, तो इसे लाभ और हानि में दर्शाया जाता है।

3.12 बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली उनके निरंतर उपयोग की बजाय बिक्री लेन-देन के माध्यम से मुख्य रूप से की जाएगी और अगर उनकी बिक्री की प्रबल संभावना है, तो परिसंपत्तियों का वर्गीकरण बिक्री के लिए रखी गयी परिसंपत्तियों के रूप में किया जाता है। एक बिक्री को प्रबल संभावना तब माना जाता है जब ऐसी परिसंपत्तियों को समूह द्वारा बेचे जाने का निर्णय लिया गया है; अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं; एक कीमत पर बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा है और बिक्री पर सहमति हो गई है या वर्गीकरण की तारीख के एक वर्ष के भीतर समाप्त होने की उम्मीद है। ऐसी परिसंपत्तियां को कम वहन राशि या कम बिक्री लागत के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

बिक्री के लिए रखी गयी परिसंपत्तियां तुलन पत्र में अन्य परिसम्पत्तियों से इतर दर्शायी जाती है। परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास तब नहीं किया जाता है, जब उन्हें बिक्री के लिए रखी परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

जहां समूह किसी इकाई के नियंत्रण के नुकसान से युक्त बिक्री योजना के लिए प्रतिबद्ध है, तो वह निकाय में निवेश (अर्थात उस निकाय की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों) को बिक्री के रखी गई परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत करता है।

3.13 वित्तीय दस्तावेज

वित्तीय दस्तावेज एक ऐसा अनुबंध है जो एक एंटिटी की वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य एंटिटी की वित्तीय देयता या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को जन्म देता है।

प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को मान्यता तब दी जाती है जब समूह, वित्तीय साधन (इंस्ट्रूमेंट) के संविदात्मक उपबंधों के लिए एक पार्टी बन जाता है और इसे प्रारंभ में लेन-देन की लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है, इसमें वे शामिल नहीं है जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर शुरू में मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उत्तरवर्ती माप को नीचे वर्णित किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के प्रयोजनार्थ, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- ऋण-परिशोधित लागत
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीओसीआई)

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां, एफवीटीपीएल पर या एफवीओसीआई को छोड़कर, पहचान के लिए न्यूनतम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में इम्पेयरमेंट हेतु समीक्षा के अधीन हैं चाहे इसमें कोई वित्तीय साक्ष्य, जो किसी वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह का इम्पेयरमेंट हो। इम्पेयरमेंट का निर्धारण करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक क्षेणी हेतु विभिन्न मानदंड लागू किए गए हैं, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है।

परिशोधित लागत

एक वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ईआरआर) के उपयोग द्वारा ऋण-परिशोधन लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों निम्न शर्तें पूर्ण होती हैं:

क) वित्तीय परिसंपत्तियों को एक ऐसे बिजनेस मॉडल में रखा जाता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने हेतु संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना है; तथा

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाहों, जो बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान करते हैं, के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं।

मूल्यह्रास भत्ता (अपेक्षित ऋण हानि) परिशोधित लागत पर वहन की गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर निर्धारित किया जाता है।

नकदी प्रवाहों का संशोधन

जब किसी वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदात्मक नकदी प्रवाह परिवर्तित या अन्यथा संशोधित किए जाते हैं, और परिवर्तन या संशोधन से उक्त वित्तीय परिसंपत्तियों के अमान्यकरण में कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि की पुन:गणना करता है और लाभ या हानि में संशोधित लाभ या हानि की पहचान करता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि की, पुनर्निधारित या संशोधित संविदात्मक नकदी प्रवाहों की वर्तमान मूल्य के रूप में पुन:गणना की जाएगी, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट प्रदान करती है। खर्च हुई लागतें या शुल्क संशोधित वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि को समायोजित करते हैं और उनको संशोधित वित्तीय परिसंपत्तियों की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियों में, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जो या तो परिशोधित लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं या वे ट्रेडिंग हेतु रखे गए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हैं अथवा जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और उन्हें प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट किया गया है। सभी व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रूमेंट भी इस श्रेणी में आते हैं, नामोद्दिष्ट एवं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रभावी को छोड़कर, जिनके लिए हेज लेखांकन अपेक्षाएं लागू हो सकती हैं। इस श्रेणी में परिसंपत्तियों को लाभ या हानि में मान्यताकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाजार लेन-देन के संदर्भ में या कोई सक्रिय बाजार न होने की स्थिति में मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

अंतर्निहित व्युत्पन्न

एक अंतर्निहित व्युत्पन्न हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट का एक घटक है जिसमें एक गैर-व्युत्पन्न मेजबान अनुबंध भी इस प्रभाव से शामिल है कि संयुक्त इंस्ट्रूमेंट के कुछ नकदी प्रवाह एक स्टैंड-अलोन व्युत्पन्न के समान भिन्न होते हैं। एक अंतर्निहित व्युत्पन्न कुछ या सभी नकदी प्रवाह का कारण बनता है जो अन्यथा अनुबंध द्वारा निर्दिष्ट ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर, या अन्य परिवर्तकों के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता होगी, बशर्ते कि गैर-वित्तीय परिवर्तकों के मामले में, यह एक पार्टी के अनुबंध के लिए विशिष्ट नहीं है।

सभी मेजबान अनुबंधों में अंतर्निहित व्युत्पन्न को अलग-अलग व्युत्पन्न के रूप में गिना जाता है और उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है यदि उनकी आर्थिक विशेषताएँ और जोखिम मेजबान अनुबंधों से निकटता से संबंधित नहीं हैं या यदि अंतर्निहित व्युत्पन्न सुविधा से जोखिम में वृद्धि होती है और हालांकि लाभ या हानि पर मेजबान अनुबंध व्यापार के लिए आयोजित नहीं हैं या उचित मूल्य पर नामित नहीं हैं इन अंतर्निहित व्युत्पन्न को उचित मूल्य पर मापा जाता है जिसमें लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तन होते हैं, जब तक कि प्रभावी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियों में उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं। एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत एक इक्विटी निवेश को प्रारंभ में उचित मूल्य एवं लेन-देन लागतों पर मापा जाता है। लाभ एवं हानियों को, अन्य व्यापक आय और इक्विटी के तहत एफवीओसीआई आरक्षित के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि में मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें लाभांश आय, जिसकी पहचान लाभ या हानि में की गई है, शामिल नहीं है। ओसीआई से लाभ एवं हानि के विवरण, यहां तक कि निवेश के अमान्यकरण से भी ऐसे लाभों और हानियों का कोई पुनर्चक्रण नहीं है। हालांकि, समूह इक्विटी के अंतर्गत उक्त का हस्तांतरण कर सकता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

नियम एवं शर्तों के पर्याप्त संशोधन के कारण वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

समूह एक वित्तीय परिसंपत्तियों को अमान्य करता है, जैसे कि ग्राहक को ऋण देना, जब नियम एवं शर्तों को इस सीमा तक पुनर्निर्धारित किया जाता है कि, काफी हद तक, यह एक नया ऋण

बन जाता है, और अंतर की एक अमान्यकरण लाभ या हानि के रूप में पहचान करना, जिसमें एक सीमा तक कि किसी इम्पेयरमेंट हानि को पूर्व में दर्ज नहीं किया गया है।

पर्याप्त संशोधन के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों (या जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्तियों का एक अंश या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का अंश) को, वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह की प्राप्ति का संविदात्मक अधिकार समाप्त होने पर, या वित्तीय परिसंपत्तियों एवं पर्याप्त रूप से सभी जोखिम और पुरस्कार अंतरित किए जाने पर, अमान्यकृत किया जाता है (अर्थात् समूह के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है)। समूह वित्तीय परिसंपत्तियों को भी अमान्यकृत कर देता है, यदि उसने दोनों वित्तीय परिसंपत्तियों को हस्तांतरित और अमान्यकरण के लिए अंतरण अर्हता प्राप्त कर ली हो।

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति के उपयोग द्वारा ऋण-परिशोधन लागत पर मापा जाता है, इसमें ट्रेडिंग या एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल नहीं हैं, जिन्हें लाभ या हानि में मान्यकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर बाद में ले जाया जाता है।

वित्तीय देयताओं का अमान्यकरण

एक वित्तीय देयता को तब अमान्यकृत कर दिया जाता है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से मूलत: भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता के अमान्यकरण और नई देयता की मान्यता के रूप में विचारा जाता है। संबंधित वहन राशि में हुए अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

हेज लेखांकन

हेज लेखांकन के लिए अर्हक होने हेतु हेजिंग के संबंध में निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है :

- हेज की गई मद और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के बीच कोई आर्थिक संबंध है।
- क्रेडिट जोखिम का प्रभाव ऐसे मूल्य परिवर्तनों पर वर्चस्व कायम नहीं करता है, जो उस आर्थिक संबंध के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।
- हेजिंग संबंध का हेज अनुपात ठीक वैसा ही है, जैसे कि हेज किए गए मद की मात्रा से उत्पन्न होता है, जितनी कंपनी वास्तविक रूप से हेज करती है और उस हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की मात्रा से उत्पन्न होता है, जिसका प्रयोग कंपनी वास्तविक रूप से हेज किए गए मद की उस मात्रा को हेज करने के लिए करती है।

हेज लेखांकन के अंतर्गत निर्धारित सभी व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर बाद में रिपोर्ट की जाती है। उस सीमा तक जहां तक हेज प्रभावी है, नगदी प्रभाव हेज में हेजिंग लिखतों के रूप में निर्धारित व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य वृहद आय शीर्ष के अंतर्गत दी जाती है और इक्विटी में नगदी प्रवाह हेज रिजर्व में इसे शामिल किया जाता है। हेज संबंध में किसी भी अप्रभावशीलता को तत्काल लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है।

जब हेज किया गया मद लाभ अथवा हानि को प्रभावित करता है तो उस समय अन्य वृहद आय में पहले मान्यता प्राप्त किसी लाभ अथवा हानि को इक्विटी से लाभ अथवा हानि में पुन: वर्गीकृत किया जाता है और अन्य वृहद आय में एक पुन: वर्गीकृत समायोजन के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है।

प्रत्येक हेजिंग संबंध की स्थापना के समय में समूह हेज संबंधों को समूह के जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और रणनीतियों के अनुसार औपचारिक रूप से निर्धारित और प्रलेखित करती है। इस प्रलेखन में हेज की गई मद की पहचान, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, हेज किए जा रहे जोखिम (जोखिमों) की प्रकृति, हेज अनुपात और हेजिंग संबंध किस प्रकार से हेजिंग प्रभावशीलता की अपेक्षाओं को पूरा करता है, शामिल हैं।

उचित मूल्य हेजेज

लाभ और हानि के विवरण में हेजिंग उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन की मान्यता के अनुरूप, हेज की गई वस्तु के उचित मूल्य में परिवर्तन को जोखिम बचाव के कारण लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। इस तरह के परिवर्तन हेज किए गए आइटम की अग्रणीत राशि में किए जाते हैं और जब हेजिंग इंस्ट्रूमेंट बाहर निकलना रुक जाता है तो प्रभावी ब्याज दर में उस अवधि में समायोजित किए जाते हैं । यदि हेज किए गए आइटम की मान्यता रद्द कर दी जाती है, तो लाभ और हानि के विवरण में बिना परिशोधित उचित मूल्य को तुरंत मान्यता दी जाती है।

3.14 वित्तीय परिसंपत्तियों का इम्पेयरमेंट

ऋण परिसंपत्तियां और निवेश

यह कंपनी प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर अपेक्षित ऋण घाटा (ईसीएल) के रूप में हानि के लिए एक 'तीन- स्तरीय' मॉडल का अनुसरण करता है, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

- स्तर-1 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिनकी रिपोर्टिंग तिथि में कम क्रेडिट जोखिम है।
- स्तर-2 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें इम्पेयरमेंट के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।
- स्तर-3 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें रिपोर्टिंग तिथि में इम्पेयरमेंट के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को चरण-1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12-माह ईसीएल और चरण-2 के लिए लाईफटाइम ईसीएल और चरण-3 ऋण परिसंपत्तियों में मापा जाता है। ईसीएल डिफॉल्ट की संभावना, डिफॉल्ट पर एक्सपोजर और डिफॉल्ट के कारण हानि (लॉस गिवन डिफॉल्ट) का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

डिफॉल्ट की संभावना (पीडी) – डिफॉल्ट की संभावना एक उधारकर्ता के अपने वित्तीय दायित्व, चाहे अगले 12 महीनों (12 महीने पीडी) से अधिक हो, या दायित्व के शेष उपयोग-काल (लाइफटाइम पीडी), पर डिफॉल्ट होने की संभावना को निरूपित करती है।

लॉस गिवेन डिफॉल्ट (एलजीडी) – एलजीडी डिफॉल्ट होने पर कंपनी के नुकसान की उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है। एलजीडी को प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और यह राशि के उस अनुपात को दर्शाता है जो किसी चूक के मामले में वसूलियों के बाद वास्तविक रूप से डिफॉल्ट हो जाएगा।

एक्सपोजर एट डिफॉल्ट (ईएडी) – ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, (जिसमें क्रेडिट कन्वर्ज़न फ़ैक्टर के तहत बिना निकाले गए हिस्से पर लागू राशि भी शामिल है) जिसमें बकाया मूलधन, वित्तीय संपत्ति पर बकाया ब्याज संचित ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कंफर्ट/ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग शामिल होते हैं, जिसकी कंपनी केा चूक के समय प्राप्त होने की उम्मीद होती है।

दूरंदेशी (फारवर्ड लुकिंग) आर्थिक जानकारी को 12 महीने एवं लाइफटाइम पीडी, और एलजीडी के निर्धारण में शामिल किया जाता है। प्रत्याशित क्रेडिट हानि के मुख्य पूर्वानुमानों की निगरानी और समीक्षा सतत् आधार पर की जाती है।

कंपनी एलओसी/एलओयू के तहत प्रतिबद्धताओं और बाद में माप के लिए अर्हता प्राप्त निवेशों पर मूल्यह्रास को परिशोधित लागत या ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर उसी आधार पर मापती है जैसा कि ऋण परिसंपत्तियों के मामले में होता है।

ऋण के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियां और निवेश

अपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, समूह यह आकलन करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से उन वित्तीय परिसंपत्तियों पर ऋण जोखिम पर्याप्त रूप से बढ़ गया है। यदि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है, तो समूह 12-महीने की प्रत्याशित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर, अथवा लाइफटाइम क्रेडिट हानियों के समतुल्य राशि पर नुकसान भत्ते को मापता है।

उक्त मूल्यांकन करने के लिए, समूह वित्तीय परिसंपत्तियों पर होने वाले डिफॉल्ट के जोखिम की तुलना, प्रारंभिक मान्यता की तारीख को वित्तीय परिसंपत्तियों पर डिफॉल्ट रूप से घटित होने वाले जोखिम के साथ तुलन-पत्र की तिथि से करता है। समूह उचित और सहायक जानकारी पर भी विचार करता है, जो अदेय लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध है, और जो प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की सूचक है। समूह मानता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के उपरांत पर्याप्त रूप से बढ़ा नहीं है यदि वित्तीय परिसंपत्तियों तुलन-पत्र की तारीख को निम्न क्रेडिट जोखिम का निर्धारण करती है।

बट्टे खाते

वित्तीय परिसंपत्तियों को आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से बट्टे खाते में तब डाला जाता है जब समूह ने वसूली करना बंद कर दिया हो या न्यायिक प्राधिकरण ने आदेश दिया हो।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.15 नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य में नकद रुपया एवं मांग जमा, अन्य अल्पावधि सहित, अत्यधिक लिक्विड निवेश (तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता), जो नकदी की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के निरर्थक जोखिम के अधीन हैं, शामिल हैं।

3.16 लाभांश और इक्विटी के रूप में वर्गीकृत लिखतों के धारकों को अन्य भुगतान

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांशों और अंतरिम लाभांशों को उस अवधि, जिसमें उन्हें क्रमश: शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है, के दौरान इक्विटी में हुए परिवर्तनों के रूप में मान्यता दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट धारकों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत देयता को भुगतान के लिए उस अवधि में मान्यता दी जाती है जब समूह द्वारा ऐसे भुगतानों को भुगतान के लिए अधिकृत किया जाता है।

3.17 महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियां

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को प्रस्तुत पूर्व अवधियों, जिसमें त्रुटि हुई है, के लिए तुलनात्मक राशियों को पुन: प्रस्तुत करने के द्वारा पूर्वव्यापी ढंग में सही किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्व की अवधि से पहले हुई है तो, पूर्व अवधि के लिए प्रस्तुत परिसंपत्तियों के प्रारंभिक शेष, देनदारियों और इक्विटी को पुन:प्रस्तुत किया जाता है।

3.18 पूर्व प्रदत्त व्यय

1,00,000/- रुपये तक के पूर्व प्रदत्त व्यय को प्रारंभिक मान्यता पर व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

3.19 कराधान

लाभ या हानि में मान्यककृत कर व्यय में आस्थगित कर और चालू कर का योग शामिल है। इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है, सिवाय इसके कि जब यह एक ऐसी मद से संबंधित हो, जिसे ओसीआई में या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे मामले में, कर को ओसीआई में या इक्विटी में सीधे भी मान्यता प्रदान की जाती है।

चालू कर को, अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित और रिपोर्टिंग तिथि को यथा लागू कर की दरों का उपयोग करते हुए, तथा पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के समायोजनों को देखते हुए, वर्ष के लिए कर योग्य आय के संबंध में देय कर के रूप में निर्धारित किया जाता है।

आस्थगित कर को, समेकित वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त तदनुरूपी कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की गणना, छूट के बिना, उन कर दरों पर की जाती है, जिनके संबंधित अवधि की प्राप्ति के लिए लागू होने की प्रत्याशा होती है, बशर्ते कि उन दरों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित किया जाए। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों ऑफसेट होती है यदि चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

आस्थगित कर देयता, सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यकृत है। एक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यकृत किया जाता है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके समक्ष कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उनको इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं है कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति होगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों या देनदारियों में परिवर्तनों को मान्यता लाभ या हानि में कर आय या व्यय के एक घटक के रूप में दी जाती है, सिवाय इसके कि वे उन मदों से संबंधित हैं जिन्हें अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में ऐसे मामले में मान्यता दी जाती है, जिनमें संबंधित आस्थगित कर को भी मान्यता क्रमश: अन्य व्यापक आय या इक्विटी में दी जाती है।

3.20 कार्मिकों हितलाभ

अल्पकालिक कार्मिकों हितलाभ

अल्पकालिक कार्मिकों हितलाभों में, वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्थात् प्रदत्त वार्षिक अवकाश) जहां ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के अंतर्गत अनुपस्थितियों का घटित होना प्रत्याशित है, और ऐसी अवधि, जिसमें कार्मिकों ने सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के तहत देय लाभ सहभागिता एवं बोनस तथा वर्तमान कर्मचारियों के लिए गैर-वित्तीय लाभ प्रत्याशित हैं और उन्हें बिना छूट देने के आधार पर मापा जाता है, शामिल हैं।

रोजगार पर्यन्त हितलाभ योजनाओं को निम्नानुसार परिभाषित हितलाभ योजनाओं और परिभाषित अंशदान योजनाओं में वर्गीकृत किया गया है:

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना वह योजना है जिसके तहत समूह एक अलग निधि में कार्मिकों के संबंध में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। समूह पर ऐसी कोई विधिक या रचनात्मक दायित्व नहीं है कि वह अपने निर्धारित अंशदान के भुगतान के उपरांत कोई और अंशदान का भुगतान करे। परिभाषित अंशदान योजनाओं के समक्ष समूह द्वारा किए गए अंशदान को उस अवधि के लाभ या हानि से प्रभारित किया जाता है, जिससे अंशदान संबंधित हैं।

परिभाषित हितलाभ योजना

समूह के पास उपदान, सेवानिवृत्ति पर्यन्त चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) और अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व हैं, जिन्हें पात्र कर्मचारियों को शामिल करने वाली परिभाषित हितलाभ योजना के रूप में विचारा जा रहा है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के तहत, एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि को, कर्मचारी के सेवाकाल, अंतिम वेतन और अन्य निश्चित मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व समूह का ही रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना के वित्तपोषण के लिए योजना परिसंपत्तियों को अलग किया गया हों।

परिभाषित हितलाभ योजनाओं के प्रति समूह के दायित्व को परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यकृत दायित्व, रिपोर्टिंग तिथि पर निर्धारित हितलाभ लाभ (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य है, जो योजना परिसंपत्तियों का कम उचित मूल्य है। प्रबंधन स्वतंत्र बीमांककों की सहायता से प्रतिवर्ष डीबीओ का अनुमान लगाता है।

देयता/परिसंपत्तियों के पुन:मापन के फलस्वरूप बीमांकिक लाभ/हानियां अन्य व्यापक आय में शामिल हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ:

तुलन-पत्र की तारीख के उपरांत एक-वर्ष से अधिक समय के लिए प्राप्त किए जाने वाले देय या प्रत्याशित इम्पेयरमेंट अनुपस्थितियों के संबंध में देयता का अनुमान परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है।

पिछले अनुभव और बीमांकक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानियों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिसमें ऐसे लाभों और हानियों को निर्धारित किया गया है।

कार्मिकों को रियायती दर पर ऋण

रियायती दर पर कर्मचारियों को दिए गए ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और तत्पश्चात उसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋणों के प्रारंभिक उचित मूल्य और लेन-देन मूल्य के बीच अंतर को आस्थगित कार्मिकों लाभ के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि से परे सीधी-रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि में परिवर्तन के मामले में, परिवर्तन की तिथि को अपरिशोधित आस्थगित कर्मचारी लाभ को संभावित आधार पर ऋण की अद्यतन प्रत्याशित शेष अवधि से अधिक पर परिशोधित किया जाता है।

3.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

समूह के पास किसी पिछले वृत्तांत के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती है; यह संभव है कि समूह से आर्थिक संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और धनराशि का अनुमान विश्वसनीय तौर पर लगाया जा सकता है। बहिर्वाह का समय या राशि अभी भी अनिश्चित हो सकती है। वर्तमान दायित्व के साथ जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं सहित, रिपोर्टिंग तिथि को उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर, प्रावधानों को वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित अनुमानित खर्च पर मापा जाता है। प्रावधानों में उनके वर्तमान मूल्यों, जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है।

निम्न हेतु आकस्मिक देयता को अनावृत किया गया है:

- ऐसे मामलों में, जहां वर्तमान दायित्वों के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह असंभव या दुरस्थ माना जाता है, वहां किसी दायित्व को मान्यकृत या प्रकट नहीं किया जाता है।

- ऐसी किसी प्रतिपूर्ति को, जिसे दायित्व (जैसे कि बीमा से) से संबंधित अन्य पक्ष से एकत्र करने के लिए समूह को लगभग निर्धारित किया जा सकता है, एक पृथक परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि, यह परिसंपत्तियों संबंधित प्रावधान की राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आर्थिक हितलाभों के अंतर्वाह की संभावना पर, संबंधित परिसंपत्तियों को प्रकट किया जाता है।

कोई भी प्रतिपूर्ति जो समूह वस्तुतः किसी तीसरे पक्ष से दायित्व के संबंध में एकत्र करने के लिए निश्चित हो सकता है (जैसे बीमा से) एक अलग संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। हालाँकि, यह संपत्ति संबंधित प्रावधान की राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

3.22 उचित मूल्य मापन

समूह वित्तीय इंस्ट्रूमेंट, अर्थात् प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में उचित मूल्य पर व्युत्पन्नों को मापता है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्तियों को बेचने पर प्राप्त की जाएगी या जिसका भुगतान मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच एक व्यवस्थित लेन-देन में देयता को अंतरित करने के लिए किया जाएगा। उचित मूल्य मापन ऐसे पूर्वानुमान पर आधारित है जो परिसंपत्तियों को बेचने या निम्न हेतु देयता को अंतरित करने के संबंध में लेन-देन में होता है:

- परिसंपत्तियों या देयता के लिए मुख्य बाजार में, या
- मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्तियों या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में।

समूह द्वारा मुख्य या सबसे लाभप्रद बाजार में अभिगम्य होना चाहिए।

किसी परिसंपत्तियों या देनदारी के उचित मूल्य को उन पूर्वानुमानों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें बाजार भागीदार परिसंपत्तियों या देयता, जिसमें जोखिम के बारे में धारणाएं शामिल होती हैं, जिनका मूल्य निर्धारण करने के समय उपयोग करते हैं, और यह मानते हैं कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य मापन में एक बाजार प्रतिभागी की परिसंपत्तियों को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि परिसंपत्तियों को उसके उच्चतम और श्रेष्ठतम उपयोग में अथवा उसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी, जो इस परिसंपत्तियों का उपयोग इसके उच्चतम एवं श्रेष्ठ समय में करेगा, को बेचने के द्वारा आर्थिक लाभ सृजित किया जा सके।

समूह ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, जिसमें प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुटों के उपयोग को अधिकतम और अप्रचलित इनपुटों के उपयोग को कम किया जाता है।

सभी परिसंपत्तियों और देयताएं जिनके लिए समेकित वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया हैं, जो निम्न स्तरीय इनपुट पर आधारित हैं, और जो संपूर्ण रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण हैं:

- स्तर 1 – समरूपी परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीकें जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचारणीय है
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, अविचारणीय है।

समेकित वित्तीय विवरणों में नियमित रूप से मान्यकृत परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए, समूह यह निर्धारित करता है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण पुनर्मूल्यांकन (न्यूनतम स्तर इनपुट के आधार पर, जो संपूर्ण मूल्य के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा अनुक्रम में स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

3.23 वित्तीय लिखतों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का वर्तमान में प्रवर्तन योग्य कानूनी अधिकार प्राप्त होता है और परिसंपत्तियों को मूर्त रूप देने तथा बाद में देयताओं का निराकरण करने के लिए निवल आधार पर उनका समाधान करने का कोई इरादा होता है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को ऑफसेट किया जाता है और निवल राशि तुलनपत्र में रिपोर्ट की जाती है ।

3.24 सामान्य नियंत्रण के तहत कारोबार कॉम्बिनेशन

एक कारोबार कॉम्बिनेशन, यदि कोई है, जिसमें सामान्य नियंत्रण में संस्थाएं या कारोबार शामिल हैं, एक कारोबार कॉम्बिनेशन है जिसमें सभी कॉम्बिनेशन संस्थाओं या कारोबार को अंततः एक ही पार्टी या पार्टियों द्वारा कारोबार कॉम्बिनेशन से पहले और बाद में नियंत्रित किया जाता है और यह नियंत्रण अस्थायी नहीं है।

सामान्य नियंत्रण के तहत संस्थाओं या कारोबारों को शामिल करने वाले कारोबार कॉम्बिनेशन को निम्नानुसार ब्याज पद्धति के पूलिंग का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है:

- संयुक्त संस्थाओं की परिसंपत्ति और देनदारियां उनकी अग्रणीत राशियों में परिलक्षित होती हैं।
- उचित मूल्यों को प्रतिबिंबित करने, या नई परिसंपत्तियों या देनदारियों को पहचानने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है। कॉम्बिनेशन केवल महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए किए जाते हैं।
- पूर्व अवधियों के संबंध में वित्तीय विवरणों में वित्तीय जानकारी को इस प्रकार पुनर्कथित किया जाता है जैसे कि वित्तीय विवरणों में कारोबार कॉम्बिनेशन पूर्ववर्ती अवधि की शुरुआत से हुआ हो, भले ही कॉम्बिनेशन की वास्तविक तिथि कुछ भी हो।

हस्तांतरणकर्ता के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाली प्रतिधारित आय की शेष राशि को अंतरिती के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाली संगत शेष राशि के साथ जोड़ दिया जाता है। रिज़र्व की पहचान संरक्षित है और अंतरणकर्ता के भंडार अंतरिती के रिज़र्व बन जाते हैं।

यदि कोई अंतर हो, जारी की गई शेयर पूंजी के रूप में दर्ज की गई राशि के साथ-साथ नकद या अन्य परिसंपत्तियों के रूप में कोई अतिरिक्त प्रतिफल और हस्तांतरणकर्ता की शेयर पूंजी की राशि को पूंजी आरक्षित में स्थानांतरित कर दिया जाता है और अन्य पूंजी रिज़र्व से अलग प्रस्तुत किया जाता है।

3.25 शेयरों के निर्गम पर व्यय

शेयरों के निर्गम पर व्यय, यदि कोई हो, प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

4. नए / संशोधित मानकों का कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कुछ इंड-एएस में संशोधन जारी किए हैं। कंपनी ने इन संशोधनों के प्रभाव का विश्लेषण किया है, समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। एमसीए ने इंड-एएस -1 में भी बदलावों की जानकारी दी है, जो 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू होंगे। जब ये बदलाव लागू होंगे, तो कंपनी को इन्हें अपनाना होगा। इसके अलावा, एमसीए ने कंपनी पर लागू होने वाला कोई नया इंड-एएस जारी नहीं किया है।

5. लेखांकन नीतियों और अनिश्चितता के आकलन को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, आकलन करने और ऐसे पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्टकृत राशियों और संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। अनुमान और अंतर्निहित धारणाएं ऐतिहासिक अनुभव और अन्य प्रासंगिक कारकों पर आधारित हैं और इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है । वास्तविक परिणाम इन आकलनों से अलग हो सकते हैं।

लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन- इस प्रकार के परिवर्तनों, यदि कोई हो, को उस अवधि में निर्धारित किया जाता है जब संशोधन केवल उस अवधि को प्रभावित करता है या संशोधन की अवधि और यदि यह वर्तमान और भविष्य दोनों अवधियों को प्रभावित करता है तो उसे संशोधित किया जाता है।

महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयताओं को मान्यता – वह सीमा, जिस हद तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी जा सकती है, यह भविष्य की कर योग्य आय की सम्भावना के आकलन पर आधारित है, जिसके लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों का सदुपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रबंधन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत बनाए गए और अनुरक्षित विशेष रिजर्व से निकासी करने का कोई इरादा नहीं है और इस प्रकार, बनाए गए और रखे गए विशेष रिजर्व प्रत्यावर्तित होने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए, समूह उक्त रिजर्व पर किसी भी तरह की कर देयता सृजित नहीं करता है।

समूह की कंपनियों के अवितरित रिजर्व पर आस्थगित कर देयता की मान्यता - वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों के लिए घोषित लाभांश की सीमा तक इक्विटी निवेशों से लाभांश आय के संबंध में लागू कर कानूनों में प्रावधान उपलब्ध कराए जाते हैं। कंपनी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और लाभांश वितरण नीति को ध्यान में रखते हुए कंपनी समूह की कंपनियों के अवितरित रिजर्व पर कोई कर देयता की उम्मीद तब नहीं करती है जब इस तरह के रिजर्व वितरित कर दिए जाते हैं। इसलिए, कंपनी समूह कंपनियों के अवितरित रिजर्व पर

कोई आस्थगित कर देयता नहीं बनाती है।

परिसंपत्तियों की इम्पेयरमेंट के लिए संकेतकों का मूल्यांकन - परिसंपत्तियों की इम्पेयरमेंट के संकेतकों की प्रयोज्यता का मूल्यांकन करने के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का मूल्यांकन करने की आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूलनीय राशि में गिरावट हो सकती है।

एसपीवी में निवेश - पारेषण परियोजनाओं को भारत सरकार से आदेश के अनुसार प्रबंधित किया जाता है और समूह के पास इन परियोजनाओं की प्रासंगिक गतिविधियों को एकतरफा रूप से निर्देशित करने की व्यावहारिक क्षमता उपलब्ध नहीं है। इसलिए समूह संबंधित एसपीवी में अपने निवेश को महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले सहयोगी कंपनियों के रूप में मानता है, जबकि उनकी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में कंपनी की शेयरधारिता 100% होती है।

क्रेडिट इम्पेयर्ड ऋणों पर ब्याज आय की गैर-मान्यता - विवेक के मामले के रूप में क्रेडिट इम्पेयर्ड ऋण परिसंपत्तियों पर आय को प्राप्त होने पर या संचय के आधार पर मान्यता दी जाती है जब अपेक्षित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक होती है।

महत्वपूर्ण आकलन

मूल्यह्रास/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि - प्रबंधन परिसंपत्तियों की प्रत्याशित उपयोगिता के आधार पर, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यह्रास/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि के संबंध में अपने आकलन की समीक्षा करता है। इन आकलनों में अनिश्चितता, तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित है जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को परिवर्तित कर सकती है।

परिभाषित हितलाभ दायित्व (डीबीओ) - डीबीओ के संबंध में प्रबंधन का आकलन कई अंतर्निहित पूर्वानुमानों जैसे मुद्रास्फीति, मृत्यु दर, छूट की दर और भावी वेतन-वृद्धियों की प्रत्याशा पर आधारित है। इन पूर्वानुमानों में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक सुनिश्चित हितलाभ व्ययों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

उचित मूल्य मापन - वित्तीय इंस्ट्रूमेंटों के उचित मूल्य (जहां सक्रिय बाजार की भाव-दरें उपलब्ध नहीं हैं) निर्धारित करने के लिए प्रबंधन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है। इसमें ऐसे विकासशील आकलन और पूर्वानुमान शामिल हैं, जो बाजार भागीदारों इंस्ट्रूमेंट की कीमत तय करने के अनुरूप होंगे। किसी परिसंपत्तियों या देयता के उचित मूल्य का आकलन करने में, समूह बाजार-अवलोकनीय डेटा का उपयोग उसके उपलब्ध होने की सीमा तक करता है। बाजार-अवलोकनीय डेटा की अनुपलब्धता के मामले में, उचित मूल्यांकन के लिए स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग किया जाता है।

आयकर - आयकरों के प्रावधान को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण आकलन शामिल हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि/वसूल की जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्तियों का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता भी शामिल है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि ('ईसीएल') - परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि भत्ते के मापन में जटिल मॉडल और भावी आर्थिक स्थितियों एवं क्रेडिट व्यवहार (अर्थात् डिफॉल्ट रूप से ग्राहकों की संभावना और परिणामी नुकसान) के बारे में महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है। ईसीएल का आकलन करने के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का मूल्यांकन करते हुए समूह निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है:

- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मापदंड का निर्धारण;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद/बाजार और संबद्ध ईसीएल के लिए दूरंदेशी परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष भार की स्थापना करना; तथा
- ईसीएल को मापने के लिए समरूपी वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों की स्थापना करना;
- डिफॉल्ट की संभाव्यता और डिफॉल्ट फलस्वरूप हानि का आकलन करना (डिफॉल्ट के मामले में वसूलनीय राशि का आकलन करना)।

6. नकदी एवं नकदी के समतुल्य*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
हस्तगत रोकड़ (अग्रदाय सहित)	0.03	0.02
चालू खातों में बैंको में शेष राशि	233.16	51.47
3 माह से कम की मूल परिपक्वता के साथ जमा	60.20	182.08
कुल	**293.39**	**233.57**

7. बैंकों में शेष (नकदी एवं नकदी के समतुल्य के अलावा)*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
बैंको में चिन्हित शेष		
- अव्ययित निगमित सामाजिक दायित्व खाता (टिप्पणी 42.2 देखें)	163.71	-
- अप्रदत्त लाभांश	91.62	1,079.07
- अनुदान के रूप में आगे संवितरण के लिए सरकारी निधि हेतु	49.17	60.13
- आगे संवितरण हेतु सरकारी योजनाओं के अंतर्गत निधि	100.00	-
चिन्हित सावधिक जमा राशि		
- न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जमा	0.77	**0.72**
54ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड के लंबित आवंटन के लिए बैंकों के पास शेष राशि उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है	**525.42**	**595.88**
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली बैंक जमा राशियाँ	**387.01**	**374.00**
कुल	**1,317.70**	**2,109.80**

'नकदी और नकदी के समतुल्य एवं बैंकों में शेष राशि के संबंध में 31 मार्च 2026 (पिछले वर्ष शून्य) तक (नकदी एवं नकदी के समतुल्य के अलावा) कोई रिपैट्रिएशन प्रतिबंध नहीं है।

8. व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स

कंपनी विदेशी मुद्रा और ब्याज दर से जुड़े जोखिमों से हेजिंग के लिए व्युत्पन्न का प्रयोग करती है। यूएसडी के अलावा दूसरी मुद्राओं में लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों के मामले में, कुछ स्थितियों में, उस मुद्रा के मुकाबले यूएसडी और यूएसडी के मुकाबले रुपए के लिए अलग-अलग मुद्रा व्युत्पन्न लिए गए हैं; ऐसे प्रत्येक व्युत्पन्न के लिए काल्पनिक और उससे जुड़ी उचित मूल्य वाली संपत्ति/देनदारियों को ध्यान में रखा जाता है। ऋण प्रबंधन के लिए रखे गए व्युत्पन्न में ऐसी हेजिंग शामिल हैं जिन्हें या तो हेजिंग लेखांकन की ज़रूरतों के तहत प्रभावी हेजिंग के तौर पर तय किया गया है या जो आर्थिक हेजिंग हैं। नीचे दी गई टेबल में व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उचित मूल्य दर्शाया गया है, जिन्हें संपत्ति या देनदारियों के तौर पर दर्ज किया गया है, साथ ही उनकी काल्पनिक राशि भी बताई गई है।

(भाग I)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक			31-03-2025 तक		
		कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i)	मुद्रा व्युत्पन्न						
	- करेंसी स्वैप्स	29,207.78	833.30	700.58	57,533.07	269.52	1,084.25
	- अन्य						
	- सीगुल विकल्प	2,04,429.00	17,834.20	482.43	2,53,994.26	16,097.00	301.86
	उप –जोड़ (i)	**2,33,636.78**	**18,667.50**	**1,183.01**	**3,11,527.33**	**16,366.52**	**1,386.11**
(ii)	ब्याज दर व्युत्पन्न						
	- अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर स्वैप्स	1,09,843.89	1,293.44	766.14	1,11,154.86	1,065.66	283.95
	उप –जोड़ (ii)	**1,09,843.89**	**1,293.44**	**766.14**	**1,11,154.86**	**1,065.66**	**283.95**
	कुल-व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स (i + ii)	**3,43,480.67**	**19,960.94**	**1,949.15**	**4,22,682.19**	**17,432.18**	**1,670.06**

भाग II

भाग- I में शामिल डेरिवेटिव्स ऐसे हैं जो हेजिंग और जोखिम प्रबंधन के प्रयोजन से धारित हैं, जो इस प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक			31-03-2025 तक		
		कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i)	उचित मूल्य हेजिंग						
	-ब्याज दर व्युत्पन्न						
	- अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर स्वैप्स	11,995.70	18.86	136.06	13,995.70	22.92	76.48
	उप-जोड़ (i)	**11,995.70**	**18.86**	**136.06**	**13,995.70**	**22.92**	**76.48**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण		31-03-2026 तक			31-03-2025 तक		
		कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य-परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(ii)	**नकदी प्रवाह हेजिंग**						
	- **मुद्रा व्युत्पन्न**						
	- करेंसी स्वैप्स	29,207.78	833.30	700.58	57,533.07	269.52	1,084.25
	- अन्य						
	- सीगुल विकल्प	2,04,429.00	17,834.20	482.43	2,53,994.26	16,097.00	301.86
	- **ब्याज दर व्युत्पन्न**						
	- अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर स्वैप्स	92,848.19	1,066.47	601.69	90,459.16	655.25	207.47
	उप-जोड़ (ii)	**3,26,484.97**	**19,733.97**	**1,784.70**	**4,01,986.49**	**17,021.77**	**1,593.58**
(iii)	**गैर- नामोदिष्ट व्युत्पन्न**	5,000.00	208.11	28.39	6,700.00	387.49	-
	कुल - व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स (i+ii+iii)	**3,43,480.67**	**19,960.94**	**1,949.15**	**4,22,682.19**	**17,432.18**	**1,670.06**

व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रभावी नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में नामित डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। अवांछित व्युत्पन्न के लिए, उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

9. प्राप्य

कंपनी ने इंड एएस 109 की आवश्यकताओं के अनुसार सभी प्राप्य राशियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(क)	**ट्रेड प्राप्य**		
(i)	अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए	223.02	179.93
	घटाएं : प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	(22.19)	(1.89)
		200.83	**178.04**
(ii)	ट्रेड प्राप्य जिसमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है	106.44	70.07
	घटाएं: प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	(23.62)	(20.65)
		82.82	**49.42**
(iii)	क्रेडिट इंपेयर्ड प्राप्य	81.64	73.48
	घटाएं : प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	(72.08)	(65.81)
		9.56	**7.67**
	उप-जोड़ -क	**293.21**	**235.13**
(ख)	**अन्य प्राप्य**		
(i)	अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए	4.06	2.26
	घटाएं : प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	(0.19)	(0.27)
		3.87	**1.99**
	उप-जोड़ -ख	**3.87**	**1.99**
	कुल प्राप्य (क+ख)	**297.08**	**237.12**

9.1 ट्रेड प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2026 तक बकाया राशि						
		देय नहीं	6 महीने से कम	6 माह- 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	जोड़
(i)	- निर्विवादित ट्रेड प्राप्य							
	- शोध्य समझे गए	134.71	23.94	84.75	-	-	-	243.40
	- जिसके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	48.09	13.16	-	61.25
	- क्रेडिट इंपेयर्ड	-	-	-	-	-	106.45	106.45
	जोड़	**134.71**	**23.94**	**84.75**	**48.09**	**13.16**	**106.45**	**411.10**

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2026 तक बकाया राशि						
		देय नहीं	6 महीने से कम	6 माह- 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	जोड़
(i)	- निर्विवादित ट्रेड प्राप्य							
	- शोध्य समझे गए	57.25	67.32	55.35	-	-	-	179.93
	- जिसके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	27.52	42.55	-	70.07
	- क्रेडिट इंपेयर्ड	-	-	-	-	-	73.48	73.48
	जोड़	**57.25**	**67.32**	**55.35**	**27.52**	**42.55**	**73.48**	**323.48**

9.2 एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक की व्यापारिक प्राप्तियों को ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि वाली प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तीन वर्ष से अधिक की व्यापारिक प्राप्तियों को ऋण क्षतिग्रस्त प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

9.3 कंपनी या किसी फर्म या निजी कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से कोई ट्रेड या अन्य प्राप्य देय नहीं है, जिसमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य हो।

9.4 ट्रेड और अन्य प्राप्य पर इम्पेयरमेंट भत्ते का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च-2026 तक		31-मार्च-2025 तक	
	ट्रेड प्राप्य	अन्य प्राप्य	ट्रेड प्राप्य	अन्य प्राप्य
प्रारंभिक राशि	88.35	0.27	86.61	0.92
जोड़ें : वर्ष के दौरान सृजित	30.18	-	2.12	-
घटाएं : वर्ष के दौरान रिवर्स/ समायोजित	0.64	0.08	0.39	0.65
जमा शेष	**117.89**	**0.19**	**88.35**	**0.27**

10. ऋण

कंपनी ने भारतीय-लेखांकन मानक 109 की अपेक्षाओं के अनुसार सभी ऋणों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
		मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क)	ऋण				
(i)	सावधिक ऋण	5,46,441.96	5,48,754.98	5,03,711.30	5,06,320.65
(ii)	कार्यशील पूंजीगत ऋण	37,217.40	37,381.55	63,171.99	63,563.19
	कुल (क)- सकल ऋण	**5,83,659.36**	**5,86,136.53**	**5,66,883.29**	**5,69,883.84**
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता	(6,893.45)	(6,893.45)	(10,795.76)	(10,795.76)
	कुल (क)- निवल ऋण	**5,76,765.91**	**5,79,243.08**	**5,56,087.53**	**5,59,088.08**
(ख)	**प्रतिभूति का ब्यौरा**				
(i)	मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	2,95,868.96	2,96,520.00	2,71,337.02	2,72,035.63
(ii)	सरकारी गारंटी के अंतर्गत	2,33,231.08	2,34,676.60	2,54,317.95	2,56,407.38
(iii)	अप्रतिभूत	54,559.32	54,939.93	41,228.32	41,440.83
	कुल(ख)- सकल ऋण	**5,83,659.36**	**5,86,136.53**	**5,66,883.29**	**5,69,883.84**
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता	(6,893.45)	(6,893.45)	(10,795.76)	(10,795.76)
	कुल(ख) - निवल ऋण	**5,76,765.91**	**5,79,243.08**	**5,56,087.53**	**5,59,088.08**
(ग)(I)	**भारत में ऋण**				
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र	4,94,595.93	4,97,122.74	4,94,578.16	4,97,757.68
(ii)	निजी क्षेत्र	89,063.43	89,013.79	72,305.13	72,126.16
	कुल (ग) (I) - सकल ऋण	**5,83,659.36**	**5,86,136.53**	**5,66,883.29**	**5,69,883.84**
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता	(6,893.45)	(6,893.45)	(10,795.76)	(10,795.76)
	कुल (ग) (I)- निवल ऋण	**5,76,765.91**	**5,79,243.08**	**5,56,087.53**	**5,59,088.08**
(ग)(II)	**भारत से बाहर ऋण**	-	-	-	-
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता	-	-	-	-
	कुल (ग) (II) - निवल ऋण	-	-	-	-
	कुल (ग) (I) एवं (ग) (II)	**5,76,765.91**	**5,79,243.08**	**5,56,087.53**	**5,59,088.08**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

10.1 भारतीय-लेखांकन मानक के तहत सूचित किए गए आंकड़ों और ऋणों के संबंध में बकाया संविदा राशि के बीच समाधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
निवल ऋण	**5,79,243.08**	**5,59,088.08**
घटाएं: भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बकाया राशि	(275.00)	(886.34)
घटाएं: भारतीय- लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बिन बकाया राशि	(2,764.95)	(2,657.54)
जोड़ें: भारतीय- लेखांकन मानक के तहत बंद की गई संभावित ऋण हानि (ईसीएल) के लिए भत्ता	6,893.45	10,795.76
जोड़ें: प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर शुल्क आधारित आय के संबंध में भारतीय- लेखांकन मानक समायोजन	562.78	543.33
सकल ऋण	**5,83,659.36**	**5,66,883.29**

10.2 ऋणों के संबंध में इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	**10,795.76**	**12,380.52**
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रदान किया गया इंपेयरमेंट हानि भत्ते (टिप्पणी 38 देखें)	(107.88)	899.78
घटाएं : तकनीकी राइट ऑफ सहित ऋणों के राइट ऑफ हेतु प्रयुक्त भत्ते	(3,794.43)	(2,484.54)
अंतिम शेष	**6,893.45**	**10,795.76**

10.3 इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही / वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/पुनर्गठन/तकनीकी राइट ऑफ के तहत निपटान के संदर्भ में कंपनी ने ₹3794.43 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2484.54 करोड़) की राशि के ऋणों को रिटन-ऑफ किया है। चालू वर्ष के लिए राइट-ऑफ का विवरण निम्नानुसार है:

(i) चालू वर्ष के दौरान

(क) 24 मार्च 2025 को निष्पादित पुनर्गठन समझौते के अनुसरण में और चालू वित्त वर्ष के दौरान उसी के कार्यान्वयन के लिए, टीआरएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में आरबीआई के परिपत्र "तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क" के तहत, कंपनी ने 1112.07 करोड़ रुपये के लिए 1504.07 करोड़ रुपये की बकाया ऋण राशि का पुनर्गठन किया है और 272.00 करोड़ रुपये के ईसीएल को वापस करने के साथ 392.00 करोड़ रुपये की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

(ख) भद्रेश्वर विद्युत प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 10 दिसंबर 2025 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, कंपनी ने 59.54 करोड़ रुपये के ईसीएल को वापस करने के साथ 283.18 करोड़ रुपये की नकद वसूली का विनियोग करने के बाद 709.78 करोड़ रुपये की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

(ग) भावनगर बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 10 मार्च 2026 को निष्पादित एकमुश्त निपटान के अनुसार, कंपनी ने 2.75 करोड़ रुपये के ईसीएल के इसी उलट के साथ 13.77 करोड़ रुपये की पूरी मूल राशि की वसूली की है।

(घ) सिन्नर थर्मल पावर लिमिटेड के संबंध में 25 फरवरी 2026 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, कंपनी ने 569.99 करोड़ रुपये के ईसीएल को उलटने के साथ 1,036.26 करोड़ रुपये की नकद वसूली के बाद 1295.07 करोड़ रुपये की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

(ङ.) कंपनी की तकनीकी बट्टे खाते संबंधी नीति के अनुसार, इंड-बराथ पावर (मद्रास) लिमिटेड, जस इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, कोनासीमा गैस पावर लिमिटेड, लैंको विदर्भ थर्मल पावर लिमिटेड और श्री महेश्वर हाइडल पीसीएल की कुल 1,397.58 करोड़ रुपए की पांच ऋण परिसंपत्तियों को तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

(ii) पिछले वर्ष के दौरान

(क) लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के संबंध में 06 सितंबर 2024 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, कंपनी ने ₹ 836.11 करोड़ (₹ 721.34 करोड़ की नकद और ₹ 114.77 करोड़ की वसूली योग्य के रूप में अन्य वित्तीय संपत्ति) की वसूली के बाद ₹ 1406.47 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

(ख) लिंक्स इंडिया लिमिटेड के संबंध में 21 अक्टूबर 2024 को निष्पादित एकमुश्त निपटान के अनुसार, कंपनी ने 1.96 करोड़ रुपये के ईसीएल को उलटने के साथ 1.02 करोड़ रुपये की नकद वसूली का विनियोग करने के बाद 0.94 करोड़ रुपये की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

(ग) नागई पावर प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 02 दिसंबर 2024 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, कंपनी ने ₹ 398.79 करोड़ के ईसीएल के इसी उलट के साथ ₹ 189.49 करोड़ (₹ 59.05 करोड़ की नकद और ₹ 130.43 करोड़ की वसूली योग्य के रूप में अन्य वित्तीय परिसंपत्ति) की वसूली के बाद ₹ 371.50 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

(घ) आरबीआई के 07 जून 2019 के परिपत्र 'तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क' के तहत, कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड के संबंध में 27 फरवरी 2025 को एक समाधान समझौता (एआरसी को सौंपे गए ऋण के माध्यम से) निष्पादित किया गया था। इसके अनुसार, कंपनी ने ₹63.00 करोड़ की नकद वसूली को विनियोजित करने के बाद, ₹734.00 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है, जिसके साथ ही ₹797.00 करोड़ के ईसीएल को उलट दिया गया है।

(ङ.) केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड के संबंध में 06 मार्च 2025 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, कंपनी ने 1361.09 करोड़ रुपये के ईसीएल के इसी रिवर्सल के साथ 3572.82 करोड़ रुपये की नकद वसूली के बाद बकाया ब्याज के कारण 2596.36 करोड़ रुपये का पूरा बकाया ऋण और 976.46 करोड़ रुपये की वसूली की वसूली की है।

10.4 कंपनी तुलन पत्र की तिथि के अनुसार शेष राशि के लिए उधारकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करती है। उधारकर्ताओं से प्राप्त शेष राशि की पुष्टि का सारांश इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	%	राशि	%	राशि
सकल ऋण बही		5,83,659.36		5,66,883.29
ऋण परिसंपत्तियां जिनके लिए उधारकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त हुई है	99.54%	5,80,986.25	95.48%	5,41,262.29

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	%	राशि	%	राशि
ऋण परिसंपत्तियां जिनके लिए उधारकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है	0.46%	2,673.11	5.00%	25,621.00
मूर्त परिसंपत्ति द्वारा प्रतिभूत ऋण	52.26%	1,397.00	50.00%	12,824.31
सरकारी गारंटी के अंतर्गत आने वाले ऋण/सरकार को दिए जाने वाले ऋण	47.53%	1,270.40	28.00%	7,271.98
अप्रतिभूत ऋण	0.21%	5.11	22.00%	5,524.71

10.5 कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) या इकाई(यों) को कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार की निधि से) इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से पहचानी गई पार्टी को उधार देगा या निवेश करेगा और अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इनके जैसा कुछ प्रदान करें।

11. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			उप-जोड़	अन्य (लागत पर)	कुल
		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर विनिर्दिष्टित			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 1+2+3+4)	(6)	(7= 5+6)
31 मार्च, 2026 तक							
सरकारी प्रतिभूतियां	3,516.86	-	-	-	3,516.86	-	3,516.86
ऋण प्रतिभूतियां	4,981.04	-	955.58	-	5,936.62	-	5,936.62
इक्विटी दस्तावेज							
- सहायक कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	313.62	69.98	-	383.60	-	383.60
अधिमानित शेयर	28.72	-	-	-	28.72	-	28.72
कुल – सकल (क)	**8,526.62**	**313.62**	**1,025.56**	**-**	**9,865.80**	**-**	**9,865.80**
भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-
भारत में निवेश	8,526.62	313.62	1,025.56	-	9,865.80	-	9,865.80
कुल – सकल (ख)	**8,526.62**	**313.62**	**1,025.56**	**-**	**9,865.80**	**-**	**9,865.80**
कुल निवेश	8,526.62	313.62	1,025.56	-	9,865.80	-	9,865.80
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता (ग)	(34.35)	-	-	-	(34.35)	-	(34.35)
कुल – निवल (घ=क-ग)	**8,492.27**	**313.62**	**1,025.56**	**-**	**9,831.45**	**-**	**9,831.45**
31 मार्च, 2025 तक							
सरकारी प्रतिभूतियां	1,621.86	-	-	-	1,621.86	-	1,621.86
ऋण प्रतिभूतियां	3,609.44	-	968.18	-	4,577.62	-	4,577.62
इक्विटी दस्तावेज							
- सहायक कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	386.80	90.62	-	477.42	-	477.42
अधिमानित शेयर	28.72	-	-	-	28.72	-	28.72
कुल – सकल (क)	**5,260.02**	**386.80**	**1,058.80**	**-**	**6,705.62**	**-**	**6,705.62**
भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-
भारत में निवेश	5,260.02	386.80	1,058.80	-	6,705.62	-	6,705.62
कुल – सकल (ख)	**5,260.02**	**386.80**	**1,058.80**	**-**	**6,705.62**	**-**	**6,705.62**
कुल निवेश	5,260.02	386.80	1,058.80	-	6,705.62	-	6,705.62
घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता (ग)	(31.98)	-	-	-	(31.98)	-	(31.98)
कुल – निवल (घ=क-ग)	**5,228.04**	**386.80**	**1,058.80**	**-**	**6,673.64**	**-**	**6,673.64**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

11.1 निवेशों के ब्योरे

(₹ करोड़ में)

विवरण		पर मापे गए निवेश	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि
(क) (i)	**कुल-केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-उद्धृत (एचक्यूएलए)***	परिशोधित लागत	**23,93,83,500**	**2,436.74**	**15,86,33,000**	**1,621.86**
(क) (ii)	**कुल-केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-उद्धृत (सीसीआईएल के पास गिरवी)***	परिशोधित लागत	**10,60,17,100**	**1,080.12**	-	-
(ख)	**ऋण प्रतिभूतियां**	-	-	-	-	-
(i)	**कॉर्पोरेट बॉण्ड - उद्धृत (एचक्यूएलए)***	-	-	**4,258.57**		**2,853.35**
	- 9.95% उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)	परिशोधित लागत	3,325	297.08	3,700	335.15
	- 9.62% आंध्र प्रदेश स्टेट बेवेरेज्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीएसबीसीएल)	परिशोधित लागत	1,235	126.68	1,235	127.30
	- 9.70% उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)	परिशोधित लागत	550	56.19	550	56.53
	- केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) के 8.49% ग्रीन बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	4,998	51.00	4,998	51.00
	- केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) के 9.10% घरेलू बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	69,846	699.31	69,846	699.31
	- 9.50% दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल)	परिशोधित लागत	1,25,650	1,254.27	1,25,650	1,256.75
	- 9.30% आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम (एपीएमडीसीएल)	परिशोधित लागत	1,48,149	1,500.35	-	-
	- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के 8% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	1,000	102.97	1,000	102.97
	- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के 7.05% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	850	88.00	850	88.04
	- भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के 6.65% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	200	20.59	200	20.60
	- टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसी) के 7.19% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	250	26.26	250	26.27
	- दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के 8.69% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	140	14.40	200	20.74
	- पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के 7.30% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	200	21.47	200	21.73
	- चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) के 5.78% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	-	-	150	15.61
	- भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के 6.11% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	-	-	100	10.45
	- एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएमडीसी) के 7.30% बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	-	-	200	20.90
(ii)	**ऋण प्रतिभूतियां (एचक्यूएलए के अलावा)**			**1,678.05**		**1,724.27**
	- जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीजीआईएएल) के 10% गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर - उद्धृत	परिशोधित लागत	49,488	493.96	49,488	493.56
	- केनरा बैंक के 7.99% सतत बॉण्ड्स - उद्धृत	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	200	207.80	200	207.78
	- यूको बैंक के 9.50% सतत बॉण्ड्स - उद्धृत	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	228	234.85	228	239.55
	- पंजाब नेशनल बैंक के 8.55% सतत बॉण्ड्स - उद्धृत	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	500	512.93	500	520.85
	- मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड के 0% गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) अउद्धृत	परिशोधित लागत	2,00,76,285	159.92	2,50,95,356	189.65
	- झाबुआ पावर लिमिटेड के 8.50% गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) - गैर-उद्धृत	परिशोधित लागत	36,46,524	36.47	42,90,030	40.76
	- आर.के.एम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड के 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) शृंखला क - गैर-उद्धृत ***	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	21,38,03,170	-	21,38,03,170	-
	- आर.के.एम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड की 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) शृंखला ख - गैर-उद्धृत***	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	63,03,032	-	63,03,032	-
	- आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड की 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) शृंखला एआई- गैर-उद्धृत***	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	1,04,74,150	-	1,04,74,150	-

विवरण		पर मापे गए निवेश	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि
	- डैन्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) - गैर-उद्धृत ***	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	2,13,75,000	-	2,13,75,000	-
	- 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) श्रृंखला क टीआरएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड-अनकोटेड***	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	3,92,00,000	-	-	-
	- 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) श्रृंखला ख टीआरएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड-अनकोटेड***	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	3,74,46,000	-	-	-
	- आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) के 15 वर्ष के प्रतिभूत प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय पर 7.39% कर मुक्त बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	86,798	8.81	86,798	8.81
	- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचएआई) के 7.35% कर मुक्त बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	42,855	4.60	42,855	4.60
	- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचएआई) का 7.39% कर मुक्त	परिशोधित लागत	35,463	3.68	35,463	3.68
	- भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) के 7.49% कर मुक्त बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	61,308	6.22	61,308	6.22
	- भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) के 7.35% कर मुक्त बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	22,338	2.31	22,338	2.31
	- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के 7.35% कर मुक्त बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	14,028	1.41	14,028	1.41
	- आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) के 8.76% कर मुक्त बॉण्ड्स	परिशोधित लागत	50,000	5.09	50,000	5.09
	कुल (ख) - ऋण प्रतिभूतियां (i+ii)			**5,936.62**		**4,577.62**
(ग)	**इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स**					
(i)	**कुल - अनुषंगी**					
(ii)	**अन्य**					
	- एनएचपीसी लिमिटेड- उद्धृत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	1,04,69,555	77.18	1,04,69,555	86.06
	- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड- गैर-उद्धृत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	21,81,00,000	30.28	21,81,00,000	120.39
	- यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड- गैर-उद्धृत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	1,60,00,000	-	1,60,00,000	-
	- झाबुआ पावर लिमिटेड - गैर-उद्धृत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	2,78,85,211	180.62	2,78,85,211	171.51
	जेएसडब्ल्यू एनर्जी (उत्कल) लिमिटेड- गैर-उद्धृत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	127	22.69	127	8.84
	-रतन इंडिया पावर लिमिटेड- उद्धृत	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	9,25,68,105	69.98	9,25,68,105	90.62
	केएसके महानदी लिमिटेड - अउद्धृत***	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	2,287	-	-	-
	- आर.के.एम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड- गैर-उद्धृत***	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	18,17,90,667	-	18,17,90,667	-
	- टीआरएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड- गैर-उद्धृत ***	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	10,00,68,661	-	-	-
	- राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट-2026 इनविट की इकाइयाँ - उद्धृत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	2,58,783	2.85	-	-
	कुल - अन्य			**383.60**		**477.42**
	कुल (ग) - इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स (i+ii)			**383.60**		**477.42**
(घ)	**अधिमानित शेयर - गैर-उद्धृत**					
	- प्रतिदेय, रतन इंडिया पावर लिमिटेड द्वारा जारी	परिशोधित लागत	2,87,20,978	28.72	2,87,20,978	28.72
	- वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय, रतन इंडिया पावर लिमिटेड द्वारा जारी	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	4,33,03,616	-	4,33,03,616	-
	कुल - अधिमानित शेयर			**28.72**		**28.72**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण		पर मापे गए निवेश	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि
(ङ)	**कुल निवेश (क से घ)**			**9,865.80**		**6,705.62**
(च)	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ता			(34.35)		(31.98)
(छ)	**कुल - निवल (ङ-च)**			**9,831.45**		**6,673.64**

उचित मूल्य पर दिखाए गए निवेश की मूल्यांकन तकनीक के लिए टिप्पणी 57.1देखें

**उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) मास्टर निर्देश के अनुसार बनाए रखी जाती है – भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – परिसंपत्ति देयता प्रबंधन) निर्देश, 2025*

*** ₹1,060.17 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) के अंकित मूल्य वाली प्रतिभूतियों को मास्टर डायरेक्शन – भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-केंद्रीय रूप से स्वीकृत ओटीसी डेरिवेटिव के लिए मार्जिनिंग) निर्देश, 2024 दिनांक 08 मई, 2024 के अनुपालन में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ प्रारंभिक मार्जिन के लिए संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखा गया है।*

*** दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) कार्यवाही/एकमुश्त निपटान (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत निपटान के संदर्भ में ऋण के अस्थिर हिस्से के लिए प्राप्त।*

11.2 निवेश के संबंध में इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक जमा	**31.98**	**28.72**
जोड़ें: इंपेयरमेंट हानि भत्ता	2.37	3.26
घटाएँ: निवेश को राइट ऑफ करने के लिए उपयोग किया जाने वाला भत्ता	-	-
अंतिम शेष	**34.35**	**31.98**

11.3 दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) कार्यवाही / एकमुश्त निपटान (ओटीएस) / पुनर्गठन के तहत निपटान के संदर्भ में, कंपनी को निम्नलिखित निवेश प्राप्त हुए हैं:

(i) **चालू वर्ष के दौरान:**

(क) टीआरएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में पुनर्गठन करार के अनुसरण में, कंपनी को 10,00,68,661 रुपये आबंटित किए गए हैं। प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों की संख्या 3,92,00,000 है। 001% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर-श्रृंखला क जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 100/- रुपये है और 3,74,46,000 रुपये है। 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर-सीरीज ख जिसमें प्रत्येक 100/- रुपये अंकित मूल्य है।

(ख) भद्रेश्वर विद्युत प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में आईबीसी की कार्यवाहियों के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसरण में, कंपनी को 66,11,47,610 रुपये आवंटित किए गए थे। प्रत्येक ₹ 0.10/- के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों की संख्या है जिन्हें समाधान योजना के तहत नकद निपटान के अनुसार मान्यता रद्द कर दी गई है।

(ग) केएसके महानदी लिमिटेड के संबंध में आईबीसी कार्यवाही के तहत, कंपनी को 2287 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 10 रुपये है।

(ii) **पिछले वर्ष के दौरान:**

(क) केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड के संबंध में आईबीसी कार्यवाही के तहत स्वीकृत समाधान योजना के अनुसार, आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड को 22 अप्रैल 2025 को इक्विटी धारक वित्तीय लेनदारों के पक्ष में ₹ 10/- अंकित मूल्य वाले 17,567 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं। इन इक्विटी शेयरों में कंपनी का हिस्सा 13.019% है।

अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी 10.3 देखें।

11.4 कंपनी ने कुछ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को एफवीओसीआई (अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य) में नामित करने के लिए एक अपरिवर्तनीय विकल्प चुना है। कंपनी के संचालन में केवल एक व्यावसायिक क्षेत्र शामिल है जैसे विद्युत, लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस प्रकार, इन इंस्ट्रूमेंट्स के मूल्य में उतार-चढ़ाव से लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण को अलग करने के लिए, प्रबंधन का मानना है कि यह उन्हें एफवीटीपीएल (लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य) में वर्गीकृत करने के बजाय अधिक सार्थक प्रेजेंटेशन प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान अमान्य किए गए एफवीओसीआई निवेशों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	अमान्य शेयरों की संख्या	मान्यता रद्द होने के समय उचित मूल्य	मान्यता रद्द होने के समय संचयी लाभ/(हानि)	अमान्य शेयरों की संख्या	मान्यता रद्द होने के समय उचित मूल्य	मान्यता रद्द होने के समय संचयी लाभ/(हानि)
भद्रेश्वर विद्युत प्राइवेट लिमिटेड	661147610.00	6.61	0.00		शून्य	

एफवीओसीआई में निर्दिष्ट इक्विटी/इनविट निवेश पर अर्जित लाभांश आय चालू वित्त वर्ष (पिछले वर्ष ₹ 8.42 करोड़) के लिए ₹ 10.17 करोड़ है।

11.5 कंपनी के निदेशक मंडल ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी), गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी ("जीआईएफटी"), गांधीनगर, गुजरात में एक वित्त कंपनी के रूप में अनुमेय गतिविधियों में काम करने के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त कंपनी को मौजूदा एफईएमए विनियमों के तहत एक अनिवासी इकाई माना जाएगा और एकीकृत नियामक यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा शासित किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 03 मई 2024 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित इकाई की स्थापना के लिए "अनापत्ति प्रमाण पत्र" (एनओसी) प्रदान किया है। कंपनी को प्रस्तावित इकाई को शामिल करने के लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त होना बाकी है।

12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां' के अंतर्गत सभी घटकों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(क)	कार्मिकों को ऋण	99.87	78.07
(ख)	कार्मिकों को अग्रिम	0.26	0.43
(ग)	होल्डिंग कंपनी से वसूली योग्य	-	2.82
(घ)	प्रतिभूति जमा राशि	3.07	2.46
(ङ)	भिन्नता मार्जिन के लिए अग्रिम भुगतान	63.32	0.63
(च)	भारत सरकार के पूर्णतया सेवा प्रदत्त बॉण्ड के संबंध में		
	भारत सरकार के पूरी तरह से सर्विस्ड बॉन्ड के लिए (नोट 23.5 देखें)	24,318.29	24,318.29
(छ)	अन्य वसूली योग्य राशि	195.93	351.20
	घटाएं : इंपेयरमेंट हानि भत्ता (नोट 12.2 देखें)	(124.51)	(149.71)
	अन्य वसूली योग्य राशि (निवल)	**71.42**	**201.49**
	कुल (क से च)	**24,556.23**	**24,604.19**

12.1 कार्मिकों को दिए गए ऋणों का विवरण (शोध्य समझे गए)

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप परिशोधित लागत में वर्गीकृत निर्दिष्ट शर्तों और पुनर्भुगतान शेड्यूल के साथ कार्मिकों को ऋण दिया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(क)	प्रतिभूत ऋण		
	- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को	0.38	0.01
	- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के अलावा अन्य कार्मिकों को	34.91	36.33
	उप – जोड़ (क)	**35.29**	**36.34**
(ख)	अप्रतिभूत ऋण		
	- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को	0.25	0.12
	- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के अलावा अन्य कार्मिकों को	64.33	41.61
	उप – जोड़ (ख)	**64.58**	**41.73**
	जोड़ (क + ख)	**99.87**	**78.07**

उपरोक्त आंकड़ों में ऐसे ऋणों पर उपचित ब्याज, जिसकी कुल राशि ₹ 15.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 12.92 करोड़) है, शामिल है।

12.2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
प्रारम्भिक शेष	**149.71**	**39.93**
जोड़े : वर्ष के दौरान सृजित	8.96	129.91
घटाएं : वर्ष के दौरान वापस किया गया / समायोजित किया गया	(34.16)	(20.13)
अंतिम शेष	**124.51**	**149.71**

13. चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	4,021.96	4,403.41
घटाएं: आय कर हेतु प्रावधान	(3,742.54)	(4,001.29)
उप- जोड़ (क)	**279.42**	**402.12**
दावे की मांग के अंतर्गत आयकर पर जमा कर	0.96	5.20
दावे की मांग के अंतर्गत आयकर हेतु प्रावधान	(0.23)	(0.25)
उप- जोड़ (ख)	**0.73**	**4.95**
चालू कर परिसंपत्तियां - निवल (क + ख)	**280.15**	**407.07**

14. आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	3,539.59	2,868.69

लेखा संबंधी टिप्पणियां

14.1 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	अन्य	अंतिम राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,577.68	(889.64)	-	-	1,688.04
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	9.89	0.73	-	-	10.62
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	5.90	0.03	-	-	5.93
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	-	0.08	-	-	0.08
अन्य व्यय के लिए प्रावधान	(0.04)	0.05	-	-	0.01
निवेशों का उचित मूल्यांकन	(10.34)	8.46	-	-	(1.88)
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	699.31	193.66	1,376.04	-	2,269.01
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (क)	**3,282.40**	**(686.63)**	**1,376.04**	**-**	**3,971.81**
आस्थगित कर देयताएं					
मूल्यह्रास और परिशोधन	35.23	0.70	-	-	35.93
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय में उतार-चढ़ाव	168.34	66.50	-	-	234.84
वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को परिशोधित लागत पर मापा जाता है	207.91	(79.65)	-	-	128.26
ऋण प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन	2.22	30.97	-	-	33.19
कुल आस्थगित कर देयताएं (ख)	**413.70**	**18.52**	**-**	**-**	**432.22**
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) (क - ख)	**2,868.69**	**(705.15)**	**1,376.04**	**-**	**3,539.59**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	अन्य	अंतिम राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,846.62	(268.94)	-	-	2,577.68
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	8.51	1.38	-	-	9.89
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	5.42	0.48	-	-	5.90
निवेशों का उचित मूल्यांकन	(0.07)	0.03	-	-	(0.04)
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	(1.67)	(8.67)	-	-	(10.34)
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार (पट्टा देयताओं का निवल)	161.25	35.75	502.31	-	699.31
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (क)	**3,020.06**	**(239.97)**	**502.31**	**-**	**3,282.40**
आस्थगित कर देयताएं					
मूल्यह्रास और परिशोधन	32.63	2.60	-	-	35.23
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय में उतार-चढ़ाव	187.43	(19.09)	-	-	168.34
वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को परिशोधित लागत पर मापा जाता है	243.36	(35.45)	-	-	207.91
ऋण प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन	55.68	(53.46)	-	-	2.22
अन्य	-	-	-	-	-
कुल आस्थगित कर देयताएं (ख)	**519.10**	**(105.40)**	**-**	**-**	**413.70**
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां - निवल (क-ख)	**2,500.96**	**(134.58)**	**502.31**	**-**	**2,868.69**

15. निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान हस्तांतरण/जोड़	वर्ष के दौरान निपटान/हस्तांतरण	जमा शेष
31.03.2026 तक				
सकल वहन मूल्य	2.46	-	-	2.46
संचित मूल्यह्रास	(1.45)	(0.03)	-	(1.48)
शुद्ध वहन मूल्य	**1.01**	**(0.03)**	**-**	**0.98**
31.03.2025 तक				
सकल वहन मूल्य	-	2.46	-	2.46
संचित मूल्यह्रास	-	(1.45)	-	(1.45)
शुद्ध वहन मूल्य	**-**	**1.01**	**-**	**1.01**

15.1 कंपनी की निवेश परिसंपत्तियों में दिल्ली और गुरुग्राम, भारत में स्थित भवन शामिल हैं। वर्ष के दौरान, निवेश संपत्ति (कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) से पिछले वर्ष के कुल धारित मूल्य पुनर्वर्गीकृत ₹2.46 करोड़) से/को किसी प्रकार से पुनर्वर्गीकृत नहीं किया गया है।

15.2 इन निवेश संपत्तियों से वर्ष के दौरान किराये की आय ₹16.01 करोड़ (पिछले वर्ष ₹14.97 करोड़) है। निवेश परिसंपत्तियों से उत्पन्न होने वाला कोई प्रत्यक्ष परिचालन व्यय नहीं था।

15.3 कंपनी के पास अपनी निवेश परिसंपत्तियों की प्राप्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है और निवेश परिसंपत्तियों को खरीदने, निर्माण करने या विकसित करने या मरम्मत, रखरखाव और वृद्धि के लिए कोई संविदात्मक दायित्व नहीं है।

15.4 **निवेश संपत्ति का उचित मूल्य:**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
वाहक मूल्य	0.98	1.01
उचित मूल्य	165.28	163.00

कंपनी कम से कम प्रतिवर्ष अपनी निवेश परिसंपत्तियों के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन प्राप्त करती है। निवेश संपत्ति का उचित मूल्य आय दृष्टिकोण के आधार पर 10 मार्च, 2026 को एक स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है। निवेश परिसंपत्ति के लिए सभी परिणामी उचित मूल्य अनुमान स्तर 2 में शामिल हैं। "

लेखा संबंधी टिप्पणियां

16. संपत्ति, संयंत्र, एवं उपकरण, प्रगति पर पूंजी एवं अन्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र, उपकरण									पूंजीगत कार्य प्रगति पर	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	अन्य अमूर्त संपत्तियां
	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	उपयोग के अधिकार वाली भूमि	भवन	संयंत्र उपकरण	फर्नीचर और फिक्स्चर	ईडीपी उपकरण	कार्यालय उपकरण	वाहन	कुल	अचल संपत्ति	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
सकल वहन मूल्य												
31-03-2024 तक	**110.39**	**1.59**	**456.90**	**20.45**	**67.27**	**32.17**	**26.74**	**0.71**	**716.22**	**23.59**	**-**	**14.71**
परिवर्धन	-	-	-	-	4.59	12.03	11.21	0.25	28.08	49.40	-	1.61
उधार की लागत पूंजीकृत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.02	-	-
निपटान	-	-	(2.46)	-	(4.82)	(5.76)	(10.22)	(0.46)	(23.71)	-	-	-
31-03-2025 तक (क)	**110.39**	**1.59**	**454.44**	**20.45**	**67.04**	**38.44**	**27.74**	**0.50**	**720.58**	**76.01**	**-**	**16.32**
31-03-2025 तक	**110.39**	**1.59**	**454.44**	**20.45**	**67.04**	**38.44**	**27.74**	**0.50**	**720.58**	**76.01**	**-**	**16.32**
परिवर्धन	-	-	1.36	-	3.29	6.19	12.41	0.25	23.50	46.96	-	0.83
उधार की लागत पूंजीकृत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.39	-	-
निपटान/स्थानान्तरण	-	(0.13)	-	(0.08)	(5.45)	(5.97)	(8.43)	(0.17)	(20.23)	(1.65)	-	(0.02)
31-03-2026 तक (ख)	**110.39**	**1.46**	**455.80**	**20.37**	**64.87**	**38.66**	**31.72**	**0.58**	**723.85**	**127.71**	**-**	**17.13**
संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन												
31-03-2024 तक	-	0.41	27.82	3.52	20.25	20.64	12.18	0.42	85.24	-	-	14.19
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.09	6.42	1.30	6.10	5.47	4.18	0.04	23.61	-	-	0.29
निपटान के लिए समायोजन	-	-	(0.65)	-	(3.07)	(3.79)	(6.36)	(0.39)	(14.26)	-	-	-
31-03-2025 तक (ग)	**-**	**0.50**	**33.59**	**4.82**	**23.27**	**22.31**	**10.00**	**0.07**	**94.58**	**-**	**-**	**14.48**
31-03-2025 तक	**-**	**0.50**	**33.59**	**4.82**	**23.27**	**22.31**	**10.00**	**0.07**	**94.58**	**-**	**-**	**14.48**
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.01	7.19	1.29	6.06	6.87	4.89	0.06	26.37	-	-	0.65
निपटान/स्थानान्तरण के लिए समायोजन	-	(0.13)	-	(0.02)	(1.72)	(3.75)	(3.92)	(0.06)	(9.60)	-	-	(0.02)
31-03-2026 तक (घ)	**-**	**0.38**	**40.78**	**6.09**	**27.61**	**25.43**	**10.97**	**0.07**	**111.34**	**-**	**-**	**15.12**
31.03.2025 तक नेट ब्लॉक (क - ग)	**110.39**	**1.09**	**420.85**	**15.63**	**43.76**	**16.12**	**17.73**	**0.43**	**625.99**	**76.01**	**-**	**1.84**
31-03-2026 तक नेट ब्लॉक (ख - घ)	**110.39**	**1.08**	**415.02**	**14.28**	**37.27**	**13.24**	**20.75**	**0.51**	**612.51**	**127.71**	**-**	**2.01**

16.1 कंपनी द्वारा अर्जित अचल संपत्ति के संबंध में स्वामित्व विलेख के पंजीकरण से संबंधित औपचारिकताएं अभी निष्पादित की जानी हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं:

(क) 31.03. 2026 तक

(₹ करोड़)

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का विवरण	सकल वहन मूल्य	शुद्ध वहन मूल्य	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	कब से कब तक रखी गई संपत्ति	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
बिल्डिंग - कार्यालय कोर 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003	4.59	1.76	शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन भूमि एवं विकास अधिकारी	नहीं	1990	भूमि एवं विकास अधिकारी की औपचारिकताएं पूरी होने तक, स्कोप कॉम्प्लेक्स में कंपनी को आवंटित कार्यालय स्थान कंपनी के नाम पर पंजीकृत नहीं किया गया है।

(ख) 31.03.2025 तक

(₹ करोड़)

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का विवरण	सकल वहन मूल्य	शुद्ध वहन मूल्य	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	कब से कब तक रखी गई संपत्ति	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
बिल्डिंग - कार्यालय कोर 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003	4.59	1.83	शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन भूमि एवं विकास अधिकारी	नहीं	1990	भूमि एवं विकास अधिकारी की औपचारिकताएं पूरी होने तक, स्कोप कॉम्प्लेक्स में कंपनी को आवंटित कार्यालय स्थान कंपनी के नाम पर पंजीकृत नहीं किया गया है।

16.2 नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कंपनी के सुरक्षित उधार के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण गिरवी रखे गए हैं:

(₹ करोड़)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
सकल वहन मूल्य	3.48	3.48
शुद्ध वहन मूल्य	2.21	2.26

16.3 पूंजी कार्य प्रगति पर है

(क) सीडबल्यूआईपी सूची

(₹ करोड़)

विवरण	31-03-2026 तक					31-03-2025 तक				
	में पूर्ण किया जाएगा				कुल	में पूर्ण किया जाएगा				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं										
- गुरुग्राम में आरईसी टाउनशिप	48.03	52.42	20.87	2.72	124.04	52.42	20.87	1.24	1.48	76.01
कार्यालय भवन में नवीनीकरण कार्य	3.67	-	-	-	3.67	-	-	-	-	-
कुल	**51.70**	**52.42**	**20.87**	**2.72**	**127.71**	**52.42**	**20.87**	**1.24**	**1.48**	**76.01**

रिपोर्टिंग वर्ष में कोई भी पूंजीगत कार्य प्रगति पर नहीं है, जहां गतिविधि निलंबित कर दी गई हो।

(ख) सीडबल्यूआईपी पूर्णता सूची

(₹ करोड़)

विवरण	31-03-2026 तक					31-03-2025 तक				
	में पूर्ण किया जाएगा				कुल	में पूर्ण किया जाएगा				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं										
गुरुग्राम में आरईसी टाउनशिप	124.04	-	-	-	124.04	76.01	-	-	-	76.01
कार्यालय भवन में नवीनीकरण कार्य	3.67	-	-	-	3.67	-	-	-	-	-
कुल	**127.71**	**-**	**-**	**-**	**127.71**	**76.01**	**-**	**-**	**-**	**76.01**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

16.4 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है (पिछले वर्ष शून्य)।

16.5 प्रबंधन की राय में, ऐसी कोई घटना या परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं है जो भारतीय लेखा मानक 36 'परिसंपत्तियों की हानि' के संदर्भ में पीपीई और अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि को इंगित करता हो। तदनुसार, हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

16.6 जबकि कंपनी ने अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण के लिए कोई विशिष्ट उधार नहीं लिया है, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 23 'उधार लागत' के संदर्भ में कंपनी के लिए ₹ 6.39 (पिछले वर्ष ₹ 3.02) की औसत उधार दर पर सामान्य उधार के कारण 7.11% करोड़ (पिछले वर्ष 7.13% करोड़) की उधार लागत की राशि को पूंजीकृत किया है।

16.7 इंड-एएस 38 "अमूर्त आस्तियों" के अंतर्गत अमूर्त आस्तियों के संबंध में प्रकटीकरण आवश्यक है

परिशोधन दर - 20% (यदि परिसंपत्ति की कुल लागत ₹ 5,000 या उससे कम है तो 100%)

17. अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
	अप्रतिभूत, (शोध्य समझे गए)		
(क)	अन्य अग्रिम	8.63	71.20
(ख)	सरकारी संस्थानों के पास शेष	35.36	21.70
(ग)	पूर्व में व्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खर्च	-	5.53
(घ)	प्रीपेड खर्च	1.56	15.74
(ङ)	आस्थगित कार्मिक लागत	34.09	24.58
	कुल (क से ङ)	**79.64**	**138.75**

18. बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों का वर्गीकरण

(₹ करोड़)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(क)	**निपटान समूह**		
	(i) सहयोगियों के पास निवेश	1.20	0.30
	(ii) सहयोगियों को ऋण	14.33	3.57
	उप-जोड़ (क)	**15.53**	**3.87**
(ख)	**बिक्री-भवन के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां**	0.01	0.01
	उप - कुल (ख)	**0.01**	**0.01**
	कुल योग (क+ख)	**15.54**	**3.88**
	बिक्री के लिए धारित निवल परिसंपत्तियां (क +ख-ग)	**15.54**	**3.88**

31.03.2026 के अनुसार बिक्री के लिए धारित ₹ 0.01 करोड़ की परिसंपत्तियां मुकदमे के अंतर्गत हैं और प्रतिलाभ लंबित होने के कारण परिसंपत्ति की दोबारा नीलामी नहीं की जा सकती है (पिछले वर्ष ₹ 0.01)।

18.1 सहयोगी कंपनियों में निवेश

(₹ करोड़)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
सहयोगियों के इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स में निवेश (पूर्णतया प्रदत्त)		
प्रत्येक ₹10 के प्रति इक्विटी शेयर		
लुहरि पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
शोंगटोंग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
कंकानी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
तूतीकोरिन पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
राजगढ़ III पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05
डब्ल्यूआरएनईएस तले गाँव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05
आपटा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
धौलपुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
अंबरनाथ पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
हंपापुरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
जालना पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
मेखली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
रॉबर्ट्सगंज पीटीएल	0.05	-
रयाप्टे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
सकोली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
शरावती पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
बलसाने पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
बाड़मेर एचवीडीसी पीटीएल	0.05	-
केम्पेगौड़ा पीटीएल	0.05	-
डब्ल्यूआर-ईआर पार्ट क पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
जैसलमेर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
मुनक पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
मुसलगांव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
रानीपुर चुनार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
वाइज़ैग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
डब्ल्यूआर-ईआर पार्ट ग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
कुल	**1.20**	**0.30**

18.2 **सहयोगी कंपनियों को ऋण**

(₹ करोड़)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
एसपीवी से प्राप्य-निगमन के अधीन	(0.11)	(0.22)
शोंगटोंग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.19	1.30
लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.39	1.39
कंकनी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.42	0.01
तूतुकुड़ी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.07	0.41
डब्ल्यूआरएनईएस तले गाँव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	0.29
राजगढ़ III पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.17
वेलेगांव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.11
जेजुरी हिंजेवाड़ी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.11
रॉबर्ट्सगंज पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.78	-
हम्पापुरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.85	-
मेखली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.68	-
रयाप्टे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.79	-
शरावती पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.71	-
जालना पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.75	-
सकोली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.62	-
बाड़मेर एचवीडीसी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.64	-
केम्पेगौड़ा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.32	-
डब्ल्यूआरईआर पार्ट क पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.48	-
डब्ल्यूआरईआर पार्ट ग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.34	-
मुसलगांव पावर मिशन लिमिटेड	0.40	-
रानीपुर चुनार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.38	-
बालसाने पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.31	-
अंबरनाथ पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.25	-
आष्टा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.27	-
धौलपुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.22	-
वाइज़ैग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.21	-
मुनक पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.16	-
जैसलमेर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.19	-
कुल	**14.33**	**3.57**

18.3 प्रबंधन ने इन संस्थाओं को विद्युत मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से विक्रय के उद्देश्य से शामिल किया था। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि प्रबंधन को इन संस्थाओं को बेचने के अलावा उनसे कोई लाभ होगा, इसलिए इन सभी निवेशों (संबंधित परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ) को 'बिक्री के लिए धारित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

18.4 अपनी निष्क्रिय परिसंपत्तियों को मौद्रीकृत करने के उद्देश्य से, कंपनी ने ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से एक आवासीय भवन इकाई का निपटान किया है। वर्ष के दौरान, शून्य मूल्य (पिछले वर्ष ₹0.04 करोड़) का निपटान किया गया है, जिसे आईएनडी-एएस 105 के तहत "बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस तरह की बिक्री से चालू वर्ष के दौरान ₹6.03 करोड़ का लाभ हुआ है (नोट 33 देखें)।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

19. देय

(₹ करोड़)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(क)	व्यापार देय		
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया	0.03	0.12
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं	179.67	133.75
	उप-जोड़ (क)	**179.70**	**133.87**
(ख)	अन्य देय		
	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	2.07	6.52
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं	14.21	17.28
	उप - जोड़ (ख)	**16.28**	**23.80**
	जोड़ (क +ख)	**195.98**	**157.67**

19.1 व्यापार देयताओं की आयु निर्धारण अनुसूची

(₹ करोड़)

	विवरण	31.03.2026 तक बकाया						
		बिल रहित	बकाया नहीं	एक वर्ष कम समय	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	तीन वर्ष से अधिक	कुल
(i)	एमएसएमई							
	- विवादित	-	-	-	-	-	-	-
	- अन्य	0.03	-	-	-	-	-	0.03
	उप जोड़ (i)	**0.03**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.03**
(ii)	एमएसएमई के अतिरिक्त							
	- विवादित	-	-	-	-	-	-	-
	- अन्य	7.77	-	106.92	38.18	15.99	10.80	179.67
	उप जोड़ (ii)	**7.77**	**-**	**106.92**	**38.18**	**15.99**	**10.80**	**179.67**
	जोड़ (i+ii)	**7.80**			**38.18**	**15.99**	**10.80**	**179.70**

(₹ करोड़)

	विवरण	31.03.2025 तक बकाया						
		बिल रहित	बकाया नहीं	एक वर्ष कम समय	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	तीन वर्ष से अधिक	कुल
(i)	एमएसएमई							
	- विवादित	-	-	-	-	-	-	-
	- अन्य	0.11	-	0.01	-	-	-	0.12
	उप जोड़ (i)	**0.11**	**-**	**0.01**	**-**	**-**	**-**	**0.12**
(ii)	एमएसएमई के अतिरिक्त							
	- विवादित	-	-	-	-	-	-	-
	- अन्य	6.19	-	115.40	9.69	2.46	0.01	133.75
	उप जोड़ (ii)	**6.19**	**-**	**115.40**	**9.69**	**2.46**	**0.01**	**133.75**
	जोड़ (i+ii)	**6.30**	**-**	**115.41**	**9.69**	**2.46**	**0.01**	**133.87**

19.2 एमएसएमई अधिनियम, 2006 के धारा 22 के अनुसार प्रकटीकरण

(₹ करोड़)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
क)	वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ताओं को देय मूल राशि	2.10	6.64
ख)	वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान न की गई शेष राशि पर उपार्जित और देय ब्याज की राशि	-	-
ग)	एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि तथा प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	-	-
घ)	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन से परे किया गया है) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
ड.)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त शेष ब्याज की राशि	-	-
च)	एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ, आगामी वर्षों में बकाया और भुगतान योग्य शेष ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता है।	-	-

20. ऋण प्रतिभूतियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़)

	विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
		अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(क)	**प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियां**				
(i)	54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	43,170.96	44,704.60	43,235.69	44,768.80
(ii)	कर मुक्त बॉण्ड	8,547.33	8,870.10	8,953.27	9,281.67
(iii)	54 ईसी बॉण्ड आवेदन राशि आवंटन लंबित	525.42	522.70	595.88	594.63
	उप-जोड़ (क)	**52,243.71**	**54,097.40**	**52,784.84**	**54,645.10**
(ख)	**अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियां**				
(i)	संस्थागत बॉण्ड	2,12,114.09	2,18,826.62	2,00,803.29	2,06,783.97
(ii)	अवसंरचना बॉण्ड	3.96	10.88	3.96	10.06
(iii)	शून्य कूपन बॉण्ड	2,970.38	2,964.80	2,795.64	2,789.78
(iv)	विदेशी मुद्रा बॉण्ड	31,069.93	31,117.17	28,286.04	28,199.36
	उप-जोड़ (ख)	**2,46,158.36**	**2,52,919.47**	**2,31,888.93**	**2,37,783.17**
(ग)	**अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण प्रतिभूतियां**				
(i)	कमर्शियल पेपर	3,000.00	2,965.96	-	-
	उप - जोड़ (ग)	**3,000.00**	**2,965.96**	**-**	**-**
	कुल – ऋण प्रतिभूतियां (क+ख+ग)	**3,01,402.07**	**3,09,982.83**	**2,84,673.77**	**2,92,428.27**
	भारत में/ से बाहर जारी ऋण प्रतिभूतियां				
(i)	भारत में ऋण प्रतिभूतियां	2,70,332.14	2,78,865.64	2,56,387.73	2,64,228.89
(ii)	विदेशों में ऋण प्रतिभूतियां	31,069.93	31,117.17	28,286.04	28,199.36
	कुल-ऋण प्रतिभूतियां	**3,01,402.07**	**3,09,982.83**	**2,84,673.77**	**2,92,428.27**

अंकित मूल्य और परिशोधन लागत में दर्शाए गए आंकड़े के बीच पुनर्मिलान के लिए टिप्पणी संख्या 22.2 देखें
#आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 85 के अंतर्गत जारी पूंजीगत लाभ कर छूट (सीजीटीई) बॉण्ड के रूप में पुनर्नामित

20.1 प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियों का विवरण – प्रतिभूति के विवरण के लिए टिप्पणी 21.6 का संदर्भ ले

(i) 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड

(₹ करोड़)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला XIV (2020-21) - 5.75% सममूल्य पर 5% को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विमोचनीय	-	-	5,312.07	5,518.37
श्रृंखला XV (2021-22) - 5% सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2026–27 के दौरान विमोचनीय	7,312.80	7,586.18	7,312.80	7,582.92
शृंखला XVI (2022-23) - 5% सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2027–28 के दौरान विमोचनीय	12,152.39	12,598.11	12,152.39	12,595.84
शृंखला XVII (2023-24) - 5.25 % सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2028–29 के दौरान विमोचनीय	11,419.07	11,856.27	11,419.57	11,851.53
शृंखला XVIII (2024-25) - 5.25 % सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2029-30 के दौरान विमोचनीय	7,634.21	7,920.11	7,038.86	7,220.14
शृंखला XIX (2025-26) - 5.25 % सममूल्य पर वित्तीय वर्ष 2030-31 के दौरान विमोचनीय	4,652.49	4,743.93	-	-
कुल - 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	**43,170.96**	**44,704.60**	**43,235.69**	**44,768.80**

(ii) कर मुक्त बॉण्ड

(₹ करोड़)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
शृंखला 2015-16 शृंखला 5 ए	-	-	300.00	306.48
7.17% वार्षिक देय, 23.07.2025 को रिडीम्ड				
शृंखला 2011–12	2,160.33	2,291.25	2,160.33	2,290.33
वार्षिक रूप से 8.12% से 8.32% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹2,160.33 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2027 को विमोचनीय				

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
शृंखला 2012–13 शृंखला 2क और 2ख	245.00	251.35	245.00	251.27
वार्षिक रूप से 7.38% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 245.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 22.11.2027 को विमोचनीय हैं।				
शृंखला 2012–13 भाग 1	842.04	862.79	842.04	862.47
वार्षिक रूप से 7.38% से 7.88 % की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 852.04 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 20.12.2027 को विमोचनीय				
शृंखला 2012–13 भाग 2	49.71	50.90	49.71	50.88
वार्षिक रूप से 7.04% से 7.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 49.71 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2028 को विमोचनीय				
शृंखला 2013–14 शृंखला 3ए एवं 3बी	1,141.00	1,196.30	1,141.00	1,195.81
वार्षिक रूप से 8.46% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 1,141.00 करोड़ के बॉण्ड 29.08.2028 को विमोचनीय हैं।				
शृंखला 2013–14 भाग 1	2,835.54	2,911.97	2,835.55	2,910.73
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.71% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹2,810.26 करोड़ 25.09.2028 को विमोचनीय हैं और ₹ 55.28 करोड़ 26.09.2033 को विमोचनीय				
शृंखला 2013–14 शृंखला 4ए एवं 4बी	45.00	46.75	45.00	46.73
वार्षिक रूप से 8.54% की ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 45.00 करोड़ के बॉण्ड 11.10.2028 को विमोचनीय				
शृंखला 2013–14 भाग 2	638.08	655.73	638.08	655.29
वार्षिक रूप से 8.19% से 8.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹530.42 करोड़ के बॉण्ड 23.03.2029 को विमोचनीय और ₹109.66 करोड़ के बॉण्ड 24.3.2034 को विमोचनीय				
शृंखला 2015–16 भाग 1	590.63	603.04	696.56	711.67
वार्षिक रूप से 6.89% से 7.43% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹105.93 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2025 को विमोचनीय, ₹172.90 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2030 को विमोचनीय और ₹ 421.17 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2035 को विमोचनीय				
कुल – कर–मुक्त बॉण्ड	**8,547.33**	**8,870.10**	**8,953.27**	**9,281.67**

(iv) आवंटन के लिए लंबित बॉण्ड आवेदन राशि

(₹ करोड़)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड 5.25% आवंटन की डीम्ड तिथि से 5 वर्ष के बाद सममूल्य पर विमोचनीय	525.42	522.70	595.88	594.63
कुल: आवंटन के लिए लंबित बॉण्ड आवेदन राशि	**525.42**	**522.70**	**595.88**	**594.63**

20.2 अप्रतिभूत दीर्घावधिक ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(i) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
133वीं शृंखला - 8.30% 10.04.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	-	-	2,396.00	2,453.75
94वीं शृंखला - 8.75% 09.06.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	-	-	1,250.00	1,339.00
95-II शृंखला - 8.75% 11.07.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	-	-	1,800.00	1,913.49
136वीं शृंखला - 8.11% 07.10.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	-	-	2,585.00	2,672.14
229ए शृंखला - 7.79% 29.11.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	-	-	1,033.00	1,059.81
203बी शृंखला - 5.85% 20.12.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	-	-	2,777.00	2,822.16
204बी शृंखला - 5.81% 31.12.2025 को सममूल्य पर विमोचनीय	-	-	2,082.00	2,112.04

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
205बी शृंखला - 5.94% 31.01.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	-	-	2,000.00	2,022.91
214ए शृंखला - 7.32% 28.02.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	-	-	500.00	503.19
219वीं शृंखला - 7.60% 28.02.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	-	-	3,148.70	3,169.58
223ए शृंखला - 7.44% 30.04.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,168.13	3,000.00	3,167.71
228ए शृंखला - 7.80% 30.05.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,679.00	1,788.39	1,679.00	1,788.15
218ए शृंखला - 7.56% 30.06.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,170.81	3,000.00	3,170.55
225वीं शृंखला - 7.64% 30.06.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,210.00	2,337.14	2,210.00	2,336.85
221 शृंखला - 7.51% 31.07.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,848.00	2,990.88	2,848.00	2,990.60
234ए शृंखला - 7.70% 31.08.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,500.00	2,612.17	2,500.00	2,661.37
227ए शृंखला - 7.77% 30.09.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,670.00	2,773.83	2,670.00	2,773.48
211वीं शृंखला - 6.23% 31.10.2031 को सममूल्य पर विमोचन पुट/कॉल विकल्प के साथ 31.10.2026 को प्रयोग योग्य	1,200.00	1,230.73	1,200.00	1,230.67
237वीं शृंखला - 7.55% 31.10.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,000.00	2,062.67	2,000.00	2,062.33
140वीं शृंखला - 7.52% 07.11.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,100.00	2,158.58	2,100.00	2,170.00
142वीं शृंखला - 7.54% 30.12.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,055.37	3,000.00	3,061.81
230-ए शृंखला - 7.71% 26-02-2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,685.00	3,715.05	3,685.00	3,720.31
147वीं शृंखला - 7.95% 12.03.2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,745.00	2,743.91	2,745.00	2,757.74
249ए शृंखला - 6.37% 31.03.2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,000.16	-	-
231-ए शृंखला - 7.64% 30-04-2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,875.00	3,076.78	2,875.00	3,076.42
232-ए शृंखला - 7.59% 31.05.2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,183.00	3,385.57	3,183.00	3,342.34
250-ए शृंखला- 6.60% 30.06.2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	4,000.00	4,201.71	-	-
236 -बी शृंखला - 7.56% 31.08.2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,131.64	3,000.00	3,131.18
156वीं शृंखला - 7.70% 10.12.2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,533.00	3,614.75	3,533.00	3,614.62
248ए शृंखला - 6.52% 31.01.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,031.34	-	-
251 शृंखला - 6.95% 18.02.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,835.00	2,855.60	-	-
245-ए शृंखला - 7.44% 29-02-2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,018.82	3,000.00	3,006.85
216-ए शृंखला - 7.55% 31-03-2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,701.50	1,701.53	1,701.50	1,701.39
220ए शृंखला - 7.77% 31.03.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,000.00	2,000.13	2,000.00	2,000.00
223बी शृंखला - 7.46% 30.06.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,993.60	3,160.77	2,993.60	3,160.35
162वीं शृंखला - 8.55% 09.08.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,500.00	2,637.52	2,500.00	2,637.48
163वीं शृंखला - 8.63% 25.08.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,500.00	2,628.16	2,500.00	2,628.12
168 वीं श्रृंखला - 8.56 % अर्ध-वार्षिक देय, 29 .11 .2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,552.40	2,625.87	2,552.40	2,625.82
169वीं श्रृंखला - 8.37% अर्ध-वार्षिक देय, 07.12.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,554.00	2,621.17	2,554.00	2,621.12
176वीं शृंखला - 8.85% 16.04.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,600.70	1,736.13	1,600.70	1,736.01
178वीं शृंखला - 8.80% 14.05.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,097.00	1,175.85	1,097.00	1,174.17
234 बी शृंखला - 7.58 % 31.05.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,500.00	2,657.02	2,500.00	2,657.70
180बी शृंखला - 8.30% 25.06.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,070.90	2,185.36	2,070.90	2,180.89
184ए शृंखला - 8.25% 25.09.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,451.00	1,512.25	1,451.00	1,512.23
249बी शृंखला - 6.70% 31.12.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,922.50	1,953.57	-	-
192वीं शृंखला - 7.50% 28.02.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,382.00	2,396.92	2,382.00	2,396.76
188बी शृंखला - 7.89% 30.03.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,100.00	3,132.10	3,100.00	3,138.62
189वीं शृंखला - 7.92% 30.03.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,054.90	3,055.18	3,054.90	3,055.11
240 बी शृंखला - 7.34 % 30.04.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,901.00	3,095.59	2,901.00	2,983.29
197वीं शृंखला - 7.55% 11.05.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,740.00	3,990.53	3,740.00	3,990.35
198बी शृंखला - 7.79% 21.05.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,569.00	1,674.06	1,569.00	1,673.97
247 ए शृंखला - 6.87% 31.05.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,188.00	-	-
202ए शृंखला - 7.25% 30.09.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,500.00	3,627.11	3,500.00	3,627.08

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
203ए शृंखला - 6.80% 20.12.2030 को सममूल्य पर विमोचनीय	5,000.00	5,094.47	5,000.00	5,094.38
204ए शृंखला - 6.90% 31.01.2031 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,500.00	2,528.03	2,500.00	2,527.97
252 शृंखला - 7.19% 15.03.2031 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,010.28	-	-
201बी शृंखला - 6.90% 31.03.2031 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,415.00	2,495.23	2,415.00	2,490.29
213वीं शृंखला - 6.92% 20.03.2032 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,380.00	3,341.43	3,380.00	3,335.48
218बी शृंखला - 7.69% 31.01.2033 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,004.40	2,029.00	2,004.40	2,028.92
214बी शृंखला - 7.50% 28.02.2033 को सममूल्य पर विमोचनीय	4,947.60	4,952.73	4,947.60	4,949.83
220बी शृंखला - 7.69% 31.08.2033 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,600.10	1,600.16	1,600.10	1,600.13
217वीं शृंखला - 7.53% 31.03.2033 को सममूल्य पर विमोचनीय	500.00	500.04	500.00	500.04
227बी शृंखला - 7.71% 31.10.2033 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,818.70	2,906.66	2,818.70	2,906.42
228बी शृंखला - 7.71% 30.11.2033 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,899.69	2,972.80	2,899.69	2,972.65
215वीं शृंखला - 7.65% 30.11.2033, 30.11.2034, 30.11.2035, 30.11.2036 और 30.11.2037 को 5 समान किश्तों में विमोचनीय	3,889.00	3,988.10	3,889.00	3,988.08
230-बी शृंखला - 7.64% 31-01-2034 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,036.20	3,000.00	3,036.07
231-बी शृंखला - 7.47% 28-02-2034 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,500.00	2,514.96	2,500.00	2,514.83
232बी श्रृंखला - 7.45% 29.04.2034 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,935.00	3,134.60	2,935.00	3,145.24
233 वीं श्रृंखला - 7.53% 31.05.2034 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,186.32	3,000.00	3,196.63
235वीं श्रृंखला - 7.35% अर्ध-वार्षिक देय, 31.07.2034 को सममूल्य पर विमोचनीय	4,000.00	4,045.92	4,000.00	4,045.71
182वीं शृंखला - 8.18% 22.08.2034 को सममूल्य पर विमोचनीय	5,063.00	5,314.72	5,063.00	5,314.70
183 वीं शृंखला - 8.29%16.09.2034 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,028.00	3,163.30	3,028.00	3,163.28
242 वीं शृंखला - 7.20% 15.01.2035 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,297.00	2,322.65	2,297.00	2,329.78
245 बी शृंखला - 7.32% 28.02.2035 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,780.00	2,795.93	2,780.00	2,785.19
241 वीं शृंखला - 7.10% 30.04.2035 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,620.00	1,724.97	1,620.00	1,651.47
247बीं शृंखला - 6.86% 31.05.2035 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,000.00	2,125.26	-	-
250बीं शृंखला - 7.06% 30.06.2035 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,865.00	3,018.13	-	-
236 ए शृंखला - 7.45% 31.08.2035 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,000.00	3,127.30	3,000.00	3,127.08
207वीं शृंखला - 7.02% 31.01.2036 को सममूल्य पर विमोचनीय	4,589.90	4,641.95	4,589.90	4,641.89
208 वीं शृंखला - 7.40 % 15.03.2036 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,613.80	3,625.62	3,613.80	3,625.57
248बी शृंखला - 6.81% 30.04.2036 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,635.00	2,786.06	-	-
216 बी शृंखला - 7.67% 30.11.2037 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,000.00	2,050.83	2,000.00	2,050.80
229बी शृंखला - 7.67% 30.11.2038 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,539.40	3,627.32	3,539.40	3,627.19
238वीं शृंखला - 7.31% 30.09.2039 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,145.00	2,222.72	2,145.00	2,222.69
240 ए शृंखला - 7.09% 30.11.2039 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,575.00	3,653.40	3,575.00	3,663.83
243 वीं शृंखला - 7.28% 20.02.2040 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,595.00	2,608.67	2,595.00	2,616.32
246 शृंखला - 7.02% 30.04.2040 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,625.00	2,802.01	-	-
कुल - संस्थागत बॉन्ड	**2,12,114.09**	**2,18,826.62**	**2,00,803.29**	**2,06,783.97**

(ii) **अवसरंचना बॉण्ड**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
शृंखला–II (2011–12) – सममूल्य पर विमोचनीय	3.96	10.88	3.96	10.06
कुल : अवसरंचना बॉण्ड	**3.96**	**10.88**	**3.96**	**10.06**

जारी किए गए अवसरंचना बॉण्ड का विवरण इस प्रकार है:

15.02.2012 को आबंटित शृंखला II (2011–12)

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक	विमोचन का विवरण
9.15% संचयी	2.83	2.83	आवंटन की तारीख से 15 साल की अवधि में 15.02.2027 को विमोचन
9.15% वार्षिक	1.13	1.13	
कुल	**3.96**	**3.96**	

राशियों को अंकित मूल्य पर दर्शाया गया है।

(iii) **शून्य कूपन बॉण्ड**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
जेडसीबी - बॉण्ड शृंखला 239 (अप्रभावित छूट के बाद, ₹ 1,00,000 अंकित मूल्य वाले 5,00,000 बॉण्ड, जो 03.11.2034 को सममूल्य पर विमोचन योग्य हैं)	2,970.38	2,964.80	2,795.64	2,789.78
कुल - शून्य कूपन बॉण्ड	**2,970.38**	**2,964.80**	**2,795.64**	**2,789.78**

** शून्य कूपन बॉण्ड जारी करने पर अमोर्टाइज्ड छूट के अंकित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है*

(iv) **विदेशी मुद्रा बॉण्ड**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
2.25% यूएस $500 मिलियन बॉण्ड - 01.09.2026 को सममूल्य पर विमोचनीय	4,732.72	4,739.99	4,279.07	4,282.25
2.75% यूएस $400 मिलियन बॉण्ड - 13.01.2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	3,786.17	3,807.39	3,423.26	3,440.91
3.875% यूएस $450 मिलियन ग्रीन बॉण्ड - 07.07.2027 को सममूल्य पर विमोचनीय	4,259.44	4,192.69	3,851.16	3,715.94
4.652% यूएस $300 मिलियन बॉण्ड - 22.03.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	2,839.63	2,765.30	2,567.44	2,464.82
5.625% यूएस $750 मिलियन बॉण्ड - 11.04.2028 को सममूल्य पर विमोचनीय	7,099.07	7,280.51	6,418.61	6,579.48
1.76% जेपीवाई 31000 मिलियन बॉण्ड - 19.01.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,836.75	1,841.23	1,759.25	1,762.88
1.41% जेपीवाई 27400 मिलियन बॉण्ड - 19.04.2029 को सममूल्य पर विमोचनीय	1,623.45	1,608.17	1,554.95	1,534.10
4.75% यूएसडी 500 मिलियन बॉण्ड - 27.09.2029 को सममूल्य पर विमोचन योग्य	4,732.72	4,721.46	4,279.07	4,265.34
2.20% जेपीवाई 2700 मिलियन बॉण्ड - 19.01.2034 को सममूल्य पर विमोचनीय	159.98	160.43	153.23	153.64
कुल - विदेशी मुद्रा बॉण्ड	**31,069.93**	**31,117.17**	**28,286.04**	**28,199.36**

ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) प्रोग्राम

कंपनी के पास 10 बिलियन अमरीकी डॉलर का ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) प्रोग्राम है जो एसजीएक्स–एसटी (सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज – सिक्योरिटीज ट्रेडिंग) एलएसई–आईएसएम (लंदन स्टॉक एक्सचेंज – इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट), इंडिया आईएनएक्स (इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज) का ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट (जीएसएम) और एनएसई आईएफएससी (एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज) पर सूचीबद्ध है। जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई निधि का सारांश निम्नानुसार है:

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
जीएमटीएन प्रोग्राम के तहत वर्ष के दौरान जुटाई गई निधि	शून्य	यूएसडी 0.50 बिलियन
जीएमटीएन प्रोग्राम के तहत जुटाई गई संचयी राशि	यूएसडी 6.07 बिलियन	यूएसडी 6.07 बिलियन
जीएमटीएन प्रोग्राम के तहत जुटाई गई निधि में से बकाया राशि	यूएसडी 3.32 बिलियन	यूएसडी 3.32 बिलियन

जुटाई गई राशि का उपयोग प्रस्तावित परिपत्र में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किया गया है। तुलन पत्र की तिथि के अनुसार ऋण प्रतिभूतियों और उधारों के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है तथा कंपनी ने वर्ष के दौरान मूलधन या ब्याज, दोनों से संबंधित अपने सभी ऋण सेवा दायित्वों को पूरा किया है। इसके अलावा, तुलन पत्र की तिथि के अनुसार ऋण समझौतों के तहत किसी भी वित्तीय अनुबंध का उल्लंघन नहीं हुआ है।

20.3 असुरक्षित अल्पकालिक ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(i) **वाणिज्यिक पत्र**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
वाणिज्यिक पत्र	3,000.00	2,965.96	-	-

बकाया वाणिज्यिक पत्र का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
69वीं श्रृंखला - 6.25% 10.06.2026 को देय	3,000.00	2,965.96	-	-
कुल	**3,000.00**	**2,965.96**	**-**	**-**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

21. उधारियां (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी उधारियों (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा) को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
		मूल बकाया	परिशोधित लागत	मूल बकाया	परिशोधित लागत
(क)	**अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियां**				
(i)	बैंकों से सावधिक ऋण	64,406.69	64,474.24	41,879.47	41,886.99
(ii)	वित्तीय संस्थानों से सावधिक ऋण	-	-	2,500.00	2,500.00
(iii)	विदेशी मुद्रा में सावधिक ऋण	1,07,178.07	1,06,996.27	94,571.40	94,216.65
(iv)	एफसीएनआर (ख) ऋण	4,732.72	4,733.40	4,279.07	4,279.79
(v)	भारत सरकार (एनएसएसएफ) से सावधिक ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,325.12
	उप–जोड़ (क)	**1,86,317.48**	**1,86,529.03**	**1,53,229.94**	**1,53,208.55**
(ख)	**अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियां**				
(i)	एफसीएनआर (ख) ऋण	3,408.01	3,408.90	38,902.89	38,920.51
(ii)	बैंकों से मांग पर अल्पावधि ऋण/ऋण प्रतिदेय	3,527.00	3,535.67	1,600.00	1,600.32
(iii)	वित्तीय संस्थानों से अल्पकालिक ऋण / मांग पर प्रतिदेय ऋण	1,500.00	1,500.30	-	-
(iv)	बैंकों से मांग पर ओवरड्राफ्ट्स / नकदी ऋण प्रतिदेय	341.71	341.71	570.78	570.78
	उप–जोड़ (ख)	**8,776.72**	**8,786.58**	**41,073.67**	**41,091.61**
	कुल– उधारियां(ऋण प्रतिभूतियां के अलावा) (क से ख)	**1,95,094.20**	**1,95,315.61**	**1,94,303.61**	**1,94,300.16**
	भारत में / से बाहर उधारियां (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)				
(i)	भारत में उधारियां	87,916.13	88,319.34	99,732.21	1,00,083.51
(ii)	भारत से बाहर उधारियां	1,07,178.07	1,06,996.27	94,571.40	94,216.65
	कुल – उधारियां (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)	**1,95,094.20**	**1,95,315.61**	**1,94,303.61**	**1,94,300.16**

कृपया अंकित मूल्य में प्रतिबिम्बित आंकडों और परिशोधित लागत के आंकडों के बीच पुनर्मिलान के लिए टिप्पणी संख्या 22.2 देखें

21.1 अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियों के विवरण

(i) बैंकों से सावधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	मूल बकाया	परिशोधित लागत	मूल बकाया	परिशोधित लागत
-बैंक ऑफ़ बड़ौदा	7,249.89	7,251.16	2,624.91	2,625.44
₹2249.91 करोड़ 3 वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय, अगली किस्त 30.09.2026 को प्रतिदेय, अंतिम किस्त 30.09.2028 को प्रतिदेय और शेष ₹4999.98 करोड़ 22.09.2028 को प्रतिदेय।				
- जम्मू एवं कश्मीर बैंक	299.94	299.94	299.94	299.94
₹299.94 करोड़ 28.10.2026 को प्रतिदेय				
- साउथ इंडियन बैंक	499.88	499.97	499.89	499.99
₹299.93 करोड़ 08.11.2026 को प्रतिदेय और ₹199.95 करोड़ 04.08.2027 को प्रतिदेय				
- पंजाब नेशनल बैंक	8,299.10	8,300.17	8,962.44	8,963.76
₹1,999.63 करोड़ 11.11.2026 को प्रतिदेय, ₹ 999.64 करोड़ 29.03.2028 से शुरू होने वाली ₹ 200 करोड़ की 4 समान वार्षिक किस्तों में और ₹199.64 करोड़ की अंतिम किस्त 29.12.2031 को प्रतिदेय, ₹1,199.99 करोड़ 03.11.2028 को प्रतिदेय, ₹1,999.98 करोड़ 27.12.2028 को प्रतिदेय और ₹2,099.86 करोड़ 19.06.2029 को प्रतिदेय।				
- एचडीएफसी बैंक	17,850.00	17,856.06	17,850.00	17,853.65
₹850 करोड़ 17.11.2026 को प्रतिदेय, ₹2,000 करोड़ 31.03.2027 को प्रतिदेय, ₹2,000 करोड़ 07.09.2027 को प्रतिदेय, ₹2,500 करोड़ 29.12.2 027 को प्रतिदेय, ₹2,500 करोड़ 27.02.2028 को प्रतिदेय, ₹1,000 करोड़ 27.06.2028 को प्रतिदेय, ₹1,500 करोड़ 29.06.2028 को प्रतिदेय, ₹4,000 करोड़ 30.09.2028 को प्रतिदेय और ₹1,500 करोड़ 28.12.2028 को प्रतिदेय।				
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	928.49	928.49	899.99	899.99
₹428.49 करोड़ 6 वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय, अगली किस्त 30.03.2027 को प्रतिदेय, अंतिम किस्त 30.03.2032 को और ₹500 करोड़ 28.08.2028 को प्रतिदेय।				

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	मूल बकाया	परिशोधित लागत	मूल बकाया	परिशोधित लागत
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	9,999.40	10,001.13	3,999.41	4,000.20
₹1,999.65 करोड़ 31.03.2027 से शुरू होने वाली प्रत्येक ₹400 करोड़ की 5 वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय, अंतिम किस्त 31.03.2031 को, ₹499.87 करोड़ 29.09.2028 को प्रतिदेय, ₹499.88 करोड़ 05.11.2028 को प्रतिदेय, ₹2,000 करोड़ का ऋण 16.12.2028 को प्रतिदेय और ₹5,000 करोड़ का ऋण 30.12.2030 को प्रतिदेय।				
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	10,197.00	10,252.77	709.92	709.92
₹2,697 करोड़ 27.12.2027 से शुरू होने वाली ₹299.67 करोड़ की 8 समान अर्धवार्षिक किस्तों में और ₹299.64 करोड़ की शेष 9वीं किस्त 27.12.2031 को प्रतिदेय, ₹1,157 करोड़ 12.11.2030 को प्रतिदेय, ₹3,500 करोड़ 18.01.2031 को प्रतिदेय और ₹2,843 करोड़ 01.02.2031 को प्रतिदेय।				
- आईसीआईसीआई बैंक	8,583.00	8,584.56	5,533.00	5,534.13
₹1,533 करोड़ 15.05.2028 को प्रतिदेय, ₹2,050 करोड़ 29.08.2028 को प्रतिदेय, ₹2,000 करोड़ 09.03.2029 को प्रतिदेय और ₹3,000 करोड़ 23.01.2030 को प्रतिदेय।				
- कर्नाटक बैंक	499.99	499.99	499.97	499.97
₹499.98 करोड़ 27.05.2028 को प्रतिदेय				
कुल – बैंकों से अप्रतिभूत सावधिक ऋण	**64,406.69**	**64,474.24**	**41,879.47**	**41,886.99**

(ii) **अन्य से सावधिक ऋण – वित्तीय संस्थान**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	मूल बकाया	परिशोधित लागत	मूल बकाया	परिशोधित लागत
-इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	-	-	2,500.00	2,500.00
₹1500 करोड़ का भुगतान 13.06.2025 को किया गया और ₹1000 करोड़ का भुगतान 27.02.2026 को किया गया।				
कुल - अन्य से असुरक्षित आवधिक ऋण - वित्तीय संस्थान	**-**	**-**	**2,500.00**	**2,500.00**

(iii) **विदेशी मुद्रा उधारियां**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
		मूल बकाया	परिशोधित लागत	मूल बकाया	परिशोधित लागत
(1)	**ओडीए ऋण - सरकारी गारंटी के बिना**				
	केएफडब्ल्यू -IV ऋण - 15.11.2030 तक यूएस $ 12.00 मिलियन की समान अर्धवार्षिक किस्तों में प्रतिदेय, अगली किस्त 15.05.2026 को देय होगी	1,135.85	1,154.20	1,232.37	1,255.83
	केएफडब्ल्यू -V ऋण - 15.05.2034 तक यूएस $ 8.92 मिलियन की समान अर्धवार्षिक किस्तों में प्रतिदेय, अगली किस्त 15.05.2026 को देय होगी	1,435.51	1,460.37	1,450.60	1,479.93
	केएफडब्ल्यू -VI ऋण - 15.05.2036 तक यूएस $ 14.37 मिलियन की समान अर्धवार्षिक किस्तों में प्रतिदेय, पहली किस्त 15.05.2029 को देय होगी	1,085.03	1,102.85	622.63	629.63
	केएफडब्ल्यू -VII ऋण - 15.05.2037 तक € 10.53 मिलियन की समान अर्धवार्षिक किस्तों में प्रतिदेय, पहली किस्त 15.05.2028 को देय होगी	980.46	982.99	-	-
	उप-जोड़ (1)	**4,636.85**	**4,700.41**	**3,305.60**	**3,365.39**
(2)	**द्विपक्षीय / सिंडिकेटेड ऋण**				
	यूएस $75 मिलियन - 02.04.2025 को प्रतिदेय	-	-	641.86	651.58
	जेपीवाई ¥ 10.519 बिलियन - 25.09.2025 को प्रतिदेय	-	-	596.95	595.88
	यूएस $170 मिलियन - $100 मिलियन 26.03.2025 को चुकाए गएऔर $ 70 मिलियन 06.10.2025 को प्रतिदेय	-	-	599.07	600.57
	यूएस $425 मिलियन - 16.03.2026 को प्रतिदेय	-	-	3,637.21	3,634.16
	यूएस $600 मिलियन - 25.08.2026 को प्रतिदेय	5,679.26	5,699.12	5,134.88	5,137.56
	यूएस $75 मिलियन - 07.10.2026 को प्रतिदेय	709.91	726.79	641.86	656.56
	यूएस $1175 मिलियन - 29.12.2026 को प्रतिदेय	11,121.88	11,080.67	10,055.81	9,978.86
	जेपीवाई ¥ 37.506 बिलियन - 03.03.2027 को प्रतिदेय	2,222.27	2,217.26	2,128.50	2,115.64
	यूएस $100 मिलियन - 13.06.2027 को प्रतिदेय	946.54	945.81	855.81	853.04
	यूएस $45 मिलियन - 02.07.2027 को प्रतिदेय	425.94	427.79	385.12	386.94

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	मूल बकाया	परिशोधित लागत	मूल बकाया	परिशोधित लागत
यूएस $200 मिलियन - 28.07.2027 को प्रतिदेय	1,893.09	1,902.48	1,711.63	1,717.47
यूएस $150 मिलियन - 13.09.2027 को प्रतिदेय	1,419.81	1,417.74	1,283.72	1,278.74
एसजीडी 213.21 मिलियन - 27.10.2027 को प्रतिदेय	1,568.26	1,564.17	1,358.36	1,353.58
€ 254.19 मिलियन - 31.10.2027 को प्रतिदेय	2,770.88	2,771.70	2,346.84	2,342.96
€ 349.83 मिलियन - 27.03.2028 को प्रतिदेय	3,813.37	3,790.51	3,229.79	3,199.82
यूएस $50 मिलियन - 09.04.2028 को प्रतिदेय	473.27	474.83	-	-
यूएस $25 मिलियन - 09.04.2028 को प्रतिदेय	236.64	237.31	-	-
जेपीवाई¥ 38.624बिलियन - 20.04.2028 को प्रतिदेय	2,288.49	2,288.16	2,191.93	2,181.58
जेपीवाई 10.495 बिलियन - 26.06.2028 को प्रतिदेय	621.84	619.93	595.60	591.29
यूएस $505 मिलियन - 03.08.2028 को प्रतिदेय	4,780.04	4,768.67	4,321.86	4,297.39
यूएस $645 मिलियन - 31.08.2028 को प्रतिदेय	6,105.20	6,068.41	5,520.00	5,465.21
यूएस $100 मिलियन - 14.09.2028 को प्रतिदेय	946.54	948.62	855.81	857.81
जेपीवाई¥ 68.485 बिलियन - 21.09.2028 को प्रतिदेय	4,057.75	4,012.53	3,886.54	3,824.80
यूएस $100 मिलियन - 25.09.2028 को प्रतिदेय	946.54	937.33	855.81	843.90
जेपीवाई¥ 14.358बिलियन - 09.01.2029 को प्रतिदेय	850.74	854.35	814.84	817.66
यूएस $100 मिलियन - 06.02.2029 को प्रतिदेय	946.54	944.02	855.81	851.32
जेपीवाई¥ 22.101 बिलियन - 15.02.2029 को प्रतिदेय	1,309.48	1,299.59	1,254.23	1,240.19
यूएस $200 मिलियन - 07.03.2029 को प्रतिदेय	1,893.09	1,874.73	1,711.63	1,688.89
जेपीवाई¥ 22.041बिलियन - 19.03.2029 को प्रतिदेय	1,305.93	1,293.65	1,250.83	1,235.03
जेपीवाई¥ 14.847 बिलियन - 21.03.2029 को प्रतिदेय	879.68	874.18	842.57	835.43
यूएस $225 मिलियन - 27.03.2029 को प्रतिदेय	2,129.72	2,102.36	1,925.58	1,893.38
जेपीवाई¥ 60.536 बिलियन - 25.04.2029 को प्रतिदेय	3,586.76	3,537.06	3,435.42	3,361.97
जेपीवाई¥ 9.376 बिलियन - 17.05.2029 को प्रतिदेय	555.50	555.56	532.07	532.09
यूएस $300 मिलियन - 04.06.2029 को प्रतिदेय	2,839.63	2,857.65	2,567.44	2,581.13
यूएस $90मिलियन - 13.06.2029 को प्रतिदेय	851.89	856.77	770.23	774.23
जेपीवाई¥ 32.222 बिलियन - 28.06.2029 को प्रतिदेय	1,909.15	1,900.40	1,828.60	1,813.54
यूएस $300मिलियन - 10.07.2029 को प्रतिदेय	2,839.63	2,840.61	2,567.44	2,564.53
जेपीवाई¥ 31.964 बिलियन - 30.07.2029 को प्रतिदेय	1,893.87	1,903.00	1,813.96	1,820.99
यूएस $125मिलियन - 30.10.2029 को प्रतिदेय	1,183.18	1,197.01	1,069.77	1,082.36
जेपीवाई¥ 12.80 बिलियन - 13.11.2029 को प्रतिदेय	758.40	758.72	726.40	722.57
यूएस $75 मिलियन - 05.12.2029 को प्रतिदेय	709.91	721.60	641.86	653.83
जेपीवाई¥ 45.02 बिलियन - 06.12.2029 को प्रतिदेय	2,667.41	2,648.88	2,554.86	2,518.16
यूएस $250 मिलियन - 26.12.2029 को प्रतिदेय	2,366.36	2,374.14	2,139.54	2,144.83
यूएस $320 मिलियन - 22.01.2030 को प्रतिदेय	3,028.94	3,028.89	2,738.60	2,732.25
यूएस $250 मिलियन - 07.02.2030 को प्रतिदेय	2,366.36	2,356.33	2,139.54	2,123.61
जेपीवाई¥ 29.642 बिलियन - 19.03.2030 को प्रतिदेय	1,756.29	1,747.00	1,682.18	1,670.32
यूएस $300 मिलियन - 02.06.2030 को प्रतिदेय	2,839.63	2,900.35	2,567.44	2,627.61
यूएस $150 मिलियन - 03.07.2030 को प्रतिदेय	1,419.81	1,416.46	-	-
यूएस $300 मिलियन - 04.09.2030 को प्रतिदेय	2,839.63	2,808.52	-	-
यूएस $150 मिलियन - 12.12.2030 को प्रतिदेय	1,419.81	1,401.37	-	-
यूएस $250 मिलियन - 25.03.2031 को प्रतिदेय	2,366.36	2,342.83	-	-
उप– जोड़ – (2)	**1,02,541.22**	**1,02,295.86**	**91,265.80**	**90,851.26**
कुल- विदेशी मुद्रा उधारियां (1+2)	**1,07,178.07**	**1,06,996.27**	**94,571.40**	**94,216.65**

(iv) एफसीएनआर (ख) ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	मूल बकाया	परिशोधित लागत	मूल बकाया	परिशोधित लागत
यूएस $500 मिलियन - 10.12.2027 को प्रतिदेय	4,732.72	4,733.40	4,279.07	4,279.79
कुल- एफसीएनआर (ख) ऋण	**4,732.72**	**4,733.40**	**4,279.07**	**4,279.79**

(v) भारत सरकार से सावधिक ऋण-नेशनल स्माल सेविंग्स फ़ंड (एनएसएसएफ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	मूल बकाया	परिशोधित लागत	मूल बकाया	परिशोधित लागत
- एनएसएसएफ से ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,325.12
13.12.2028 को ₹ 5000 करोड़ प्रतिदेय एवं 04.10.2029 को ₹ 5000 करोड़ प्रतिदेय				
कुल – सरकार से सावधिक ऋण	**10,000.00**	**10,325.12**	**10,000.00**	**10,325.12**

21.2 अप्रतिभूत अल्पावधि उधारिया

(i) एफसीएनआर (बी) ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	मूल बकाया	परिशोधित लागत	मूल बकाया	परिशोधित लागत
यूएस $148.039 मिलियन - 03.04.2025 को चुकाए गए	-	-	1,266.94	1,267.86
यूएस $62.01 मिलियन - 03.04.2025 को चुकाए गए	-	-	530.69	531.08
यूएस $150 मिलियन - 08.04.2025 को चुकाए गए	-	-	1,283.72	1,283.96
यूएस $85.547 मिलियन - 17.04.2025 को चुकाए गए	-	-	732.13	732.67
यूएस $100 मिलियन - 23.04.2025 को चुकाए गए	-	-	855.81	855.98
यूएस $150 मिलियन - 25.04.2025 को चुकाए गए	-	-	1,283.72	1,283.97
यूएस $200 मिलियन - 02.05.2025 को चुकाए गए	-	-	1,711.63	1,711.96
यूएस $150 मिलियन - 06.05.2025 को चुकाए गए	-	-	1,283.72	1,283.97
यूएस $240.103 मिलियन - 23.05.2025को चुकाए गए	-	-	2,054.84	2,055.17
यूएस $124.099 मिलियन - 23.05.2025 को चुकाए गए	-	-	1,062.06	1,062.84
यूएस $75.15 मिलियन - 23.05.2025को चुकाए गए	-	-	643.14	643.62
यूएस $75 मिलियन - 06.06.2025 को चुकाए गए	-	-	641.86	642.33
यूएस $44 मिलियन - 11.06.2025 को चुकाए गए	-	-	376.56	376.84
यूएस $49 मिलियन - 12.06.2025 को चुकाए गए	-	-	419.35	419.63
यूएस $119.793 मिलियन - 27.06.2025 को चुकाए गए	-	-	1,025.20	1,025.20
यूएस $120 मिलियन - 27.06.2025 को चुकाए गए	-	-	1,026.98	1,027.14
यूएस $125 मिलियन - 03.07.2025 को चुकाए गए	-	-	1,069.77	1,069.97
यूएस $200 मिलियन - 09.07.2025 को चुकाए गए	-	-	1,711.63	1,711.95
यूएस $150 मिलियन - 17.07.2025 को चुकाए गए	-	-	1,283.72	1,283.96
यूएस $250 मिलियन - 22.08.2025 को चुकाए गए	-	-	2,139.54	2,139.91
यूएस $200 मिलियन - 04.09.2025 को चुकाए गए	-	-	1,711.63	1,711.92
यूएस $60 मिलियन - 15.10.2025 को चुकाए गए	-	-	513.49	513.83
यूएस $150 मिलियन - 16.10.2025 को चुकाए गए	-	-	1,283.72	1,283.94
यूएस $100 मिलियन - 07.11.2025 को चुकाए गए	-	-	855.81	856.38
यूएस $100 मिलियन - 25.11.2025 को चुकाए गए	-	-	855.81	855.96
यूएस $100 मिलियन - 26.11.2025 को चुकाए गए	-	-	855.81	855.96
यूएस $200 मिलियन - 05.12.2025 को चुकाए गए	-	-	1,711.63	1,712.76
यूएस $141 मिलियन - 11.12.2025 को चुकाए गए	-	-	1,206.70	1,207.50
यूएस $75 मिलियन - 12.12.2025 को चुकाए गए	-	-	641.86	642.28
यूएस $225 मिलियन - 17.12.2025 को चुकाए गए	-	-	1,925.58	1,925.91

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	मूल बकाया	परिशोधित लागत	मूल बकाया	परिशोधित लागत
जेपीवाई ¥ 34.229 बिलियन - 18.12.2025 को चुकाए गए	-	-	1,942.50	1,942.50
यूएस $100 मिलियन - 14.01.2026 को चुकाए गए	-	-	855.81	859.96
यूएस $150 मिलियन - 13.02.2026 को चुकाए गए	-	-	1,283.72	1,283.94
यूएस $100 मिलियन - 18.03.2026 को चुकाए गए	-	-	855.81	857.66
यूएस $210.05 मिलियन - 02.04.2026 को प्रतिदेय	1,988.20	1,988.86	-	-
यूएस $150 मिलियन - 09.04.2026 को प्रतिदेय	1,419.81	1,420.04	-	-
कुल-एफसीएनआर (ख) ऋण	**3,408.01**	**3,408.90**	**38,902.89**	**38,920.51**

(ii) **अल्पावधि ऋण/बैंकों से मांग पर प्रतिदेय वाले ऋण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	मूल बकाया	परिशोधित लागत	मूल बकाया	परिशोधित लागत
- केईबी हाना बैंक	-	-	100.00	100.02
13.11.2025 को ₹100 करोड़ चुकाए गए				
-एचडीएफसी बैंक	-	-	1,500.00	1,500.30
24.11.2025 को ₹1,500 करोड़ चुकाए गए				
- साउथ इंडियन बैंक	150.00	150.02	-	-
03.04.2026 को ₹150 करोड़ चुकाए गए				
- पंजाब नेशनल बैंक	209.00	209.04	-	-
10.05.2026 को ₹209 करोड़ चुकाए गए				
- इंडियन बैंक	550.00	550.00	-	-
28.06.2026 को ₹550 करोड़ चुकाए गए				
- भारतीय स्टेट बैंक	1,618.00	1,626.45	-	-
01.08.2026 को ₹1,618 करोड़ चुकाए गए				
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा	1,000.00	1,000.16	-	-
₹700 करोड़ 24.09.2026 को देय, ₹125 करोड़ 29.09.2026 को देय तथा ₹175 करोड़ 30.09.2026 को देय हैं।				
कुल- अल्पावधि ऋण/बैंकों से मांग पर प्रतिदेय वाले ऋण	**3,527.00**	**3,535.67**	**1,600.00**	**1,600.32**

(iii) **वित्तीय संस्थानों से अल्पकालिक ऋण / मांग पर प्रतिदेय ऋण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	मूल बकाया	परिशोधित लागत	मूल बकाया	परिशोधित लागत
- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	1,500.00	1,500.30	-	-
₹1500 करोड़ (26.03.2027 को प्रतिदेय				
कुल - वित्तीय संस्थानों से अल्पकालिक ऋण/मांग पर देय ऋण	**1,500.00**	**1,500.30**	**-**	**-**

21.3 नोट संख्या 21.1 (i), (ii), (v) में यथाउल्लिखित बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / सरकार से सावधिक ऋण 5.32% से 8.29% (पिछले वर्ष 7.05% से 8.29%) मासिक, तिमाही एवं अर्धवार्षिक ब्याज दरों पर देय है।

21.4 नोट संख्या 21.1(iii) और (iv) में उल्लिखित विदेशी मुद्रा उधार/ऋण, उन मामलों को छोड़कर जहां दर का उल्लेख किया गया है, विदेशी बेंचमार्कों के ऊपर 13 बीपीएस से 210 बीपीएस (पिछले वर्ष 13 बीपीएस से 210 बीपीएस) के स्प्रेड (अन्तर) की सीमा में परिवर्तनीय ब्याज दरों पर जुटाए गए हैं। इन बाहरी बेंचमार्कों में ओवरनाइट एसओएफआर (सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट), 3/6 महीने का टर्म एसओएफआर, एसओआरए (सिंगापुर ओवरनाइट रेट एवरेज), टीओएनएआर (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट), 3/6 महीने का ईयूआएआईबीओआरर (यूरो इंटर बैंक ऑफर्ड रेट) और नए बेंचमार्क दरों पर ऋणों के संक्रमण/परिवर्तन पर यथा लागू क्रेडिट एडजस्टमेंट स्प्रेड (सीएएस) शामिल हैं।

21.5 कंपनी द्वारा चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से कोई भी ऋण प्राप्त नहीं किया गया है।

21.6 **ऋण प्रतिभूतियों एवं उधारियों की प्रतिभूति का सुरक्षा विवरण**

कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षित बॉण्ड और तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बकाया के लिए, कुछ अचल संपत्तियों पर बंधक के रूप में 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है और/या कंपनी की प्राप्तियों पर शुल्क लगाया गया है।

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड दुकान नंबर 12, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक नंबर 35, चर्च रोड, मायलापुर, चेन्नई के परिसर में प्रथम पैरी पासु चार्ज और महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के ₹ 4,998.66 करोड़ की चुनिंदा ऋण संपत्तियों को विस्तारा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड) के पक्ष में बंधक बनाकर सुरक्षित किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में कंपनी की बुक डेब्ट (विशेष रूप से उधारदाताओं / अन्य ट्रस्टियों को चार्ज / निर्धारित किए गए के अलावा) पर पहले पैरी पासु चार्ज द्वारा सुरक्षित हैं।

वित्त वर्ष 2012-13 और 2015-16 के दौरान जारी किए गए कर छूट बॉण्ड (ए) परिसर के बंधक पर उप प्लॉट नंबर 8, टीपीएस नंबर 2, एफपी नंबर 584पी, ग्राम सुभानपुरा, जिला वडोदरा में स्थित प्रथम पैरी पासु चार्ज द्वारा सुरक्षित किया गया है और (बी) एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में प्राप्य (उन संपत्तियों के अलावा जो ऋणदाताओं/अन्य ट्रस्टियों को विशेष रूप से चार्ज/निर्धारित की गई हैं) का बंधक।

54ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड की बॉण्ड शृंखला XV, XVI, XVII, XVIII और XIXको एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में ऋण परिसंपत्तियों (उन संपत्तियों के अलावा जो विशेष रूप से उधारदाताओं / अन्य ट्रस्टियों के लिए चार्ज / निर्धारित किए गए हैं) के बंधक पर पैरी पासु चार्ज द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं।

ऋण परिसंपत्तियों और गिरवी रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के वहन मूल्य के लिए नोट संख्या 10 और 16.2 देखें।

21.7 संबंधित वैधानिक तिथि से परे कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि दर्ज नहीं की गई है।

22. अधीनस्थ देयताएं

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओ के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
		अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(i)	**175वीं शृंखला – अधीनस्थ टियर–II बॉण्ड्स – 8.97% सममूल्य पर 28.03.2029 को विमोचनीय**	2,151.20	2,100.50	2,151.20	2,136.98
(ii)	**199वीं शृंखला – अधीनस्थ टियर–II बॉण्ड्स –** 7.96% सममूल्य पर 15.06.2030 को विमोचनीय	1,999.50	2,042.18	1,999.50	2,093.18
(iii)	**222वीं शृंखला - स्थायी टियर-I बॉण्ड्स-** 30.04.2033 को कॉल विकल्प के साथ 7.98% और उसके बाद वार्षिक वर्षगांठ की तारीख पर	2,000.00	2,144.79	2,000.00	2,144.57
(iv)	**226वीं शृंखला - स्थायी टियर-I बॉण्ड्स-** 30.09.2033 को कॉल विकल्प के साथ 8.03% और उसके बाद वार्षिक वर्षगांठ की तारीख पर	1,090.00	1,132.75	1,090.00	1,132.65
(v)	**244 वीं शृंखला - स्थायी टियर-I बॉण्ड्स-** 28.02.2035 को कॉल विकल्प के साथ 7.99% और उसके बाद वार्षिक वर्षगांठ की तारीख पर	1,995.00	2,006.53	1,995.00	2,006.78
	कुल - अधीनस्थ देयताएं	**9,235.70**	**9,426.75**	**9,235.70**	**9,514.16**
	भारत में/ बाहर अधीनस्थ देयताएं				
(i)	भारत में उधारियां	9,235.70	9,426.75	9,235.70	9,514.16
(ii)	भारत से बाहर उधारियां	-	-	-	-
	कुल - अधीनस्थ देयताएं	**9,235.70**	**9,426.75**	**9,235.70**	**9,514.16**

अंकित मूल्य और परिशोधन लागत में दर्शाए गए आंकड़े के बीच समाधान के लिए टिप्पणी संख्या 22.2 देखें।

22.1 वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग तथा रेटिंग में बदलाव

विवरण	रेटिंग
घरेलू दीर्घ–अवधि उधारिया	क्रिसिल एएए, आईसीआरए एएए, केयर एएए, आईएनडी एएए
घरेलू दीर्घावधि प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक्ड डिबेंचर	क्रिसिल पीपी–एमएलडी एएए, इक्रा पीपी–एमएलडी एएए
घरेलू स्थायी बॉण्ड	क्रिसिल एएए, केयर एए+
घरेलू अल्पावधि उधारिया	क्रिसिल ए1+, आईसीआरए ए1+, केयरए1+, आईएनडी ए1+
अंतर्राष्ट्रीय दीर्घावधि जारीकर्ता रेटिंग	बीबीबी– (फिच), बीएए3 (मूडीज),बीबीबी+ (जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी)

वर्ष के दौरान रेटिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

22.2 उधारियों के संबंध में वहनीय मूल्य और बकाया संविदात्मक राशि के बीच समाधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण प्रतिभूतिया	अन्य उधारिया	अधीनस्थ देयताए	कुल
31 मार्च 2026 तक				
इंड-एएस के तहत कुल राशि	**3,09,982.83**	**1,95,315.61**	**9,426.75**	**5,14,725.19**
घटाएं : इंड-एएस के तहत उसी शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(9,089.07)	(1,034.50)	(333.35)	(10,456.92)
जोड़ें : ईआईआर सहित इंड-एएस समायोजन	508.31	813.09	142.30	1,463.70
कुल बकाया उधारियां	**3,01,402.07**	**1,95,094.20**	**9,235.70**	**5,05,731.97**
31 मार्च 2025 तक				
इंड-एएस के तहत कुल राशि	**2,92,428.27**	**1,94,300.16**	**9,514.16**	**4,96,242.59**
घटाएं : इंड-एएस के तहत उसी शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(8,291.88)	(952.79)	(333.79)	(9,578.46)
जोड़ें : ईआईआर सहित इंड-एएस समायोजन	537.37	956.24	55.33	1,548.94
कुल बकाया उधारियां	**2,84,673.76**	**1,94,303.61**	**9,235.70**	**4,88,213.07**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

22.3 कंपनी बैंकों / वित्तीय संस्थानों / सरकारी एजेंसियों से सावधिक ऋणों के मिश्रण और ऋण प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से विभिन्न अवधियों बॉण्ड के माध्यम से विभिन्न मुद्राओं में धन जुटाती है। वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का उपयोग प्रस्ताव लिखत / सूचना ज्ञापन में बताई गई वस्तुओं (प्रयोजनों) के लिए किया गया है। इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों, उधारियों और अधीनस्थ देयताओं के पुनर्भुगतान में तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार कोई चूक नहीं हुई है और कंपनी ने अपने सभी ऋण चुकाने संबंधी सभी बाध्यताओं को पूरा किया है, चाहे वे वर्ष के दौरान मूलधन या ब्याज से संबंधित क्यों न रही हों। इसके अलावा, कंपनी द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों, उधारियों तथा ऋण प्रतिभूतियों संबंधी प्रसंविदा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

22.4 कंपनी को विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी पक्षकार (वित्तपोषक पक्षकार/ से इस समझ के साथ कोई भी निधि प्राप्त नहीं हुई है कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तपोषक पक्षकार की ओर से या उसके द्वारा चिन्हित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थियों) को ऋण देगी या निवेश करेगी अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई अन्य सुरक्षा प्रदान करेगी।

23. अन्य वित्तीय देयताए

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(क)	**अप्रदत्त लाभांश**	**91.62**	**1,079.07**
(ख)	**अप्रदत्त मूलधन एवं बॉण्ड पर ब्याज**		
	अदावाकृत परिपक्व बॉन्ड	24.43	26.99
	बॉन्ड पर अनदावाकृत ब्याज	12.17	13.03
	उप-जोड़ (ख)	**36.60**	**40.02**
(ग)	**होल्डिंग कंपनी को देय**	0.42	
(घ)	**वेरिएशन मार्जिन के लिए प्राप्त अग्रिम**	11,089.41	10,579.60
(ङ)	**सब्सिडी/अनुदान (संचयी) के रूप में संवितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां**	96, 643.01	97,304.79
	जोड़ें: सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज (वापसी का निवल)	11.10	8.29
	घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित (संचयी)/भारत सरकार को वापस की गई राशि	(96,597.99)	(97,246.84)
	सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरित की जाने वाली असंवितरित निधि	56.42	66.24
(च)	**भारत सरकार द्वारा पूर्णतया सर्विसड प्रदत्त बॉण्ड हेतु देय**	24,318.29	24,318.29
(छ)	**पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना - भुगतान सुरक्षा तंत्र के तहत संवितरण हेतु भारत सरकार से प्राप्त निधि**	100.01	-
(ज)	**अन्य देयताएं**	1,597.49	1,563.50
	कुल (क से ज)	**37,290.26**	**37,646.72**

इसमें उधारकर्ताओं से प्राप्त वे राशियाँ शामिल हैं, जो ऋण समझौते की संविदात्मक शर्तों के अनुसार विनियोजन के अधीन हैं।

23.1 अवैतनिक लाभांश, अवैतनिक मूलधन और बांड पर ब्याज में वे राशियाँ शामिल हैं, जिनका या तो निवेशकों द्वारा दावा नहीं किया गया है या जो निवेशकों के दावों आदि के अनुरूप औपचारिकताओं के लंबित रहने के कारण रोक दी गई हैं। 31 मार्च 2026 तक निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ़) में हस्तांतरित की जाने वाली राशि ₹ 1.06 करोड़ (31 मार्च 2025 तक ₹ 0.83 करोड़) है, जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर हस्तांतरित कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, अदत्त लाभांश में कंपनी द्वारा घोषित अंतरिम लाभांश से संबंधित शून्य (पिछले वर्ष ₹947.96 करोड़) की राशि भी शामिल है, जिसके लिए शेष राशि निर्धारित बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई है, लेकिन अभी तक शेयरधारकों को इसका भुगतान नहीं किया गया है।

23.2 सब्सिडी अंडर एक्सेलरेटेड जनरेशन एंड सप्लाई प्रोग्राम (एजीएंडएसपी) के तहत सब्सिडी:

कंपनी एक ब्याज सब्सिडी निधि खाता बनाए रखती है और उसे भारत सरकार द्वारा एजी एंड एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरण के लिए) दी गई थी, जिसकी गणना भारत सरकार के पत्र डी.ओ.सं. 32024/17/97-पीएफ़सी दिनांक 23.09.1997 और ओ.एम.सं. 32024/23/2001-पीएफ़सी दिनांक 07.03.2003 के अनुसार सांकेतिक दरों और वर्ष पर की गई शुद्ध वर्तमान मूल्य पर की गई थी, भले ही पात्र योजनाओं के वास्तविक पुनर्भुगतान कार्यक्रम, स्थगन वर्ष और पुनर्भुगतान की अवधि कुछ भी हो। निकासी के समय विचार किए गए सांकेतिक दर और वर्ष और वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के समाप्त होने के बाद ही पता लगाया जा सकता है।

31 मार्च 2026 को शून्य (31 मार्च 2025 को ₹0.79 करोड़) की शुद्ध राशि, ब्याज सब्सिडी कोष की शेष राशि को दर्शाती है, जिसे विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को वापस कर दिया गया है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
ब्याज सब्सिडी निधि का आरंभिक शेष	0.79	0.77
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	-	0.02
घटाएं: उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी/भारत सरकार को वापस की गई राशि	0.79	-
ब्याज सब्सिडी निधि का अंतिम शेष	**-**	**0.79**

23.3 डीडीयूजीजेवाई योजना के लिए भारत सरकार की वित्तपोषण आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वर्ष के दौरान, कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर ₹ 10 लाख के अंकित मूल्य के डिबेंचर की प्रकृति में असुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड के माध्यम से कुल ₹ शून्य (पिछले वर्ष शून्य) की धनराशि जुटाई है। वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के दिनांक 2 दिसंबर, 2020 और 3 मार्च, 2021 के पत्र के अनुसार, उपरोक्त बांड के मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान भारत सरकार द्वारा विद्युत मंत्रालय की मांग में उपयुक्त बजट प्रावधान करके किया जाएगा। तदनुसार, ऐसे बांड की राशि ब्याज सहित कंपनी द्वारा भारत सरकार से वसूली योग्य प्रतीत हो रही है (नोट 12)।

23.4 भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवाप्रदत्त जुटाये गए बॉण्ड्स का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष	8.29	31.68
जोड़: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	3.11	4.58
घटाएं : वर्ष के दौरान सरकार को वापस/समायोजित की गई राशि	(3.66)	(27.97)
अंतिम शेष	**7.74**	**8.29**

23.5 डीडीयूजीजेवाई योजना के लिए भारत सरकार की वित्तपोषण आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वर्ष के दौरान, कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर ₹ 10 लाख के अंकित मूल्य के डिबेंचर की प्रकृति में असुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य बांड के माध्यम से कुल ₹ शून्य (पिछले वर्ष शून्य) की धनराशि जुटाई है। वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के दिनांक 2 दिसंबर, 2020 और 3 मार्च, 2021 के पत्र के अनुसार, उपरोक्त बांड के मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान भारत सरकार द्वारा विद्युत मंत्रालय की मांग में उपयुक्त बजट प्रावधान करके किया जाएगा। तदनुसार, ऐसे बांड की राशि ब्याज सहित कंपनी द्वारा भारत सरकार से वसूली योग्य प्रतीत हो रही है (नोट 12)।

भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवाप्रदत्त जुटाये गए बॉण्ड्स का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	कूपन दर	ब्याज की आवृत्ति	विमोचन की तिथि	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
भारत सरकार - I शृंखला	8.09%	अर्ध-वार्षिक	21.03.2028	1,837.00	1,837.00
भारत सरकार - II शृंखला	8.01%	अर्ध-वार्षिक	24.03.2028	1,410.00	1,410.00
भारत सरकार - III शृंखला	8.06%	अर्ध-वार्षिक	27.03.2028	753.00	753.00
भारत सरकार - IV शृंखला	8.70%	अर्ध-वार्षिक	28.09.2028	3,000.00	3,000.00
भारत सरकार - V शृंखला	8.54%	अर्ध-वार्षिक	15.11.2028	3,600.00	3,600.00
भारत सरकार - VI शृंखला	8.80%	अर्ध-वार्षिक	22.01.2029	2,027.00	2,027.00
भारत सरकार - VII शृंखला	8.60%	अर्ध-वार्षिक	08.03.2029	1,200.00	1,200.00
भारत सरकार - VIII शृंखला	8.30%	अर्ध-वार्षिक	25.03.2029	4,000.00	4,000.00
भारत सरकार - IX शृंखला	7.14%	अर्ध-वार्षिक	02.03.2030	1,500.00	1,500.00
भारत सरकार - X शृंखला	8.25%	अर्ध-वार्षिक	26.03.2030	532.30	532.30
भारत सरकार - XI शृंखला	7.20%	अर्ध-वार्षिक	31.03.2030	1,750.00	1,750.00
भारत सरकार - XII शृंखला	6.45%	अर्ध-वार्षिक	07.01.2031	1,000.00	1,000.00
भारत सरकार - XIII शृंखला	6.63%	अर्ध-वार्षिक	28.01.2031	1,000.00	1,000.00
भारत सरकार - XIV शृंखला	6.50%	अर्ध-वार्षिक	26.03.2031	500.00	500.00
कुल				**24,109.30**	**24,109.30**

24. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
	निम्न के लिए प्रावधान		
(क)	**कार्मिक हितलाभ**		
	उपदान	0.31	3.26
	अर्जित अवकाश देयता	42.19	39.29
	चिकित्सा अवकाश देयता	23.55	23.44
	निपटान भत्ता	2.33	2.56
	आर्थिक पुनर्वास योजना	7.19	6.70
	दीर्घ सेवा अवार्ड	4.89	5.17
	प्रोत्साहन	38.75	37.81
	अन्य	0.71	0.80
	उप–जोड़ (क)	**119.92**	**119.03**
(ख)	**अन्य**		
	सुविधा पत्रों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि	33.54	18.48
	अनाहरित प्रतिबद्धताओं पर अपेक्षित क्रेडिट हानि	282.71	-
	अव्ययित निगम सामाजिक दायित्व(सीएसआर) खाता	163.71	-
	उप–जोड़ (ख)	**479.96**	**18.48**
	कुल (क + ख)	**599.88**	**137.51**

24.1 सुविधा पत्र पर अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
आरंभिक शेष	18.48	32.02
जोड़ें : वर्ष के दौरान सृजित	30.06	16.90
घटाएं : वर्ष के दौरान वापस किया गया / समायोजित किया गया	(15.00)	(30.44)
अंतिम शेष	**33.54**	**18.48**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

24.2 कंपनी के पास ऋण जोखिम का अधिकतम जोखिम ₹ 6,234.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7,990.22 करोड़) (क्षति हानि भत्ते के बाद शुद्ध) है, जो उधारकर्ताओं की ओर से वित्तीय गारंटी के रूप में बैंकों को जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट से संबंधित है।

24.3 सुविधा पत्र पर अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान में गतिशीलता

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान सृजित	282.71	-
घटाएं : वर्ष के दौरान वापस किया गया / समायोजित किया गया	-	-
अंतिम शेष	**282.71**	**-**

25. अन्य गैर – वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
(क)	सनड्राई देयताओं का लेखा (ब्याज पूंजीकरण)	44.73	46.67
(ख)	पूंजी खाते के प्रति देय देयता	48.38	48.38
(ग)	असंवितरित ऋणों पर अपरिशोधित शुल्क	134.87	75.14
(घ)	भारत सरकार की तरफ से सरकारी योजनाओं के संबंध में अग्रिम प्राप्य	-	0.08
(ङ)	सांविधिक देय	115.15	100.95
(च)	अन्य देयताएं	0.01	-
	कुल (क से च)	**343.14**	**271.22**

26. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत :				
प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर	5,00,00,00,000	5,000.00	5,00,00,00,000	5,000.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त :				
प्रत्येक ₹10 के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	2,63,32,24,000	2,633.22	2,63,32,24,000	2,633.22
कुल	**2,63,32,24,000**	**2,633.22**	**2,63,32,24,000**	**2,633.22**

26.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
वर्ष के प्रारंभ में पूंजीगत शेयरों की संख्या	2,63,32,24,000	2,633.22	2,63,32,24,000	2,633.22
जोड़ेः वर्ष के दौरान जारी एवं आबंटित शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में पूंजीगत शेयर	**2,63,32,24,000**	**2,633.22**	**2,63,32,24,000**	**2,633.22**

26.2 पिछले वर्ष और पिछले पांच वर्षों के दौरान बोनस शेयरों का आबंटन

चालू वर्ष और पिछले पांच वर्षों के दौरान, कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 को छोड़कर कोई बोनस शेयर जारी नहीं किए गए, जब कंपनी ने रिकॉर्ड तिथि यानी 18 अगस्त 2022 को बकाया प्रत्येक 3 (तीन) इक्विटी शेयर के लिए 1 (एक) इक्विटी शेयर के अनुपात में बोनस शेयरों के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान किए गए 65,83,06,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए थे। 'सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट' में जमा राशि में से 658.30 करोड़ रुपये का पूंजीकरण किया गया।

26.3 कंपनी ने नकद में प्राप्त किए जा रहे भुगतान के बिना संविदा के अनुसरण में न तो कोई इक्विटी शेयर जारी किया है और न ही वर्तमान वर्ष और तुलन-पत्र की तिथि के पूर्व के पांच वर्षों में शेयरों की कोई बॉयबैक की है।

26.4 इक्विटी शेयर के अधिकार, अधिमानित और प्रतिबंध

कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें आनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को, कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों (लागू सीमा में), कंपनी अधिनियम, 1956 (लागू सीमा में), सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और संस्था के ज्ञापन तथा एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार ऐसे सभी अधिकार प्राप्त हैं।

26.5 तुलन पत्र की तिथि के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकः

शेयरधारक का नाम	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	शेयरों की सं.	प्रतिशत	शेयरों की सं.	प्रतिशत
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,38,59,93,662	52.63%	1,38,59,93,662	52.63%

26.6 **होल्डिंग कंपनी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण, जिसमें सहायक और सहयोगी शामिल हैं**

शेयरधारक का नाम	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	शेयरों की सं.	प्रतिशत	शेयरों की सं.	प्रतिशत
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,38,59,93,662	52.63%	1,38,59,93,662	52.63%

26.7 **प्रवर्तक द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण**

शेयरधारक का नाम	31-03-2026 तक			31-03-2025 तक		
	शेयरों की सं.	प्रतिशत	% वर्ष के दौरान परिवर्तन	शेयरों की सं.	प्रतिशत	% वर्ष के दौरान परिवर्तन
भारत के राष्ट्रपति	-	-	-	-	-	-
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,38,59,93,662	52.63%	-	1,38,59,93,662	52.63%	-

26.8 सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीएफसी के बीच व्यापक स्तर प्राप्त करने और दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड के पुनर्गठन के प्रस्ताव की घोषणा की गई थी। इसके अतिरिक्त, कंपनी के निदेशक मंडल ने 6 फरवरी 2026 को आयोजित अपनी बैठक में, लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने तथा आरईसी और पीएफसी के विलय के रूप में पुनर्गठन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विलय के बाद बनने वाली इकाई कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य लागू कानूनों के तहत "सरकारी कंपनी" के रूप में बनी रहे।

27. **इन्स्ट्रूमेंट्स की प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी है**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
पूर्णतः चुकता स्थायी ऋण उपकरण, जो पूरी तरह से इक्विटी प्रकृति के हैं और जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 10 लाख रुपये है।	5,584	558.40	5,584	558.40
कुल	**5,584**	**558.40**	**5,584**	**558.40**

27.1 **वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया स्थायी प्रतिभूतियों की संख्या का समाधान**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में शेष	5,584	558.40	5,584	558.40
वर्ष के दौरान जोड़े/(घटाएं)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**5,584**	**558.40**	**5,584**	**558.40**

27.2 **तुलन पत्र की तिथि को इन्स्ट्रूमेंट धारक पूरी तरह से इक्विटी प्रकृति के 5% से अधिक के स्थायी ऋण इन्स्ट्रूमेंट्स को धारित करते है :**

(₹ करोड़ में)

शेयरधारक का नाम	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
एचवीपीएनएल कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट	665	11.91%	665	11.91%
एचपीजीसीएल कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट	500	8.95%	500	8.95%

27.3 कंपनी ने ₹10 लाख के अंकित मूल्य के स्थायी ऋण इन्स्ट्रूमेंट्स जारी किए हैं, जिनमें कोई परिपक्वता नहीं है और केवल 10 वर्षों के बाद कंपनी के विकल्प पर कॉल करने योग्य है। प्रतिभूतियों के धारकों के दावे होंगे (क) जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों के धारकों के बेहतर दावे; और (ख) जारीकर्ता के अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ। 10 वर्षों के बाद नहीं बुलाए जाने पर इन्स्ट्रूमेंट्स में एक कदम बढ़ाने का प्रावधान है। कूपन के भुगतान को रद्द या कंपनी के विवेक पर निलंबित किया जा सकता है। प्रतिभूतियों का कूपन संचयी नहीं है, सिवाय इसके कि जहां जारीकर्ता करेगा कूपन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और कूपन के भुगतान को स्थगित कर सकता है, अगर (i) जारीकर्ता की पूंजी जोखिम परिसंपत्ति अनुपात ("सीआरएआर") आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से कम है; या (ii) आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता जारीकर्ता के ऐसे भुगतान के प्रभाव में सीआरएआर नीचे गिरता या नीचे रहता है।

चूंकि ये प्रतिभूतियां प्रकृति में स्थायी हैं और कंपनी के पास कूपन का भुगतान पर कोई विमोचन दायित्व और विवेक नहीं है, इन्हें इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, सावधिक कूपन भुगतानों को तदनुसार प्रतिधारित आय के साथ समायोजित किया जाता है।

28. **अन्य इक्विटी**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(क)	**अन्य आरक्षित निधि**		
(i)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	34,978.42	31,595.40
(ii)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	778.61	841.80
(iii)	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अधीन आरक्षित निधि	17,228.08	13,971.63
(iv)	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	1,577.53	1,577.53
(v)	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता	(880.70)	(611.65)
(vi)	सामान्य आरक्षित निधि	16,395.84	13,474.04

लेखा संबंधी टिप्पणियां

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(ख)	प्रतिधारित आय	17,683.83	16,067.34
(ग)	अन्य व्यापक आय (ओसीआई)		
	- अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स	(157.60)	(81.84)
	- नकदी प्रवाह हेजेज़ का प्रभावी भाग	(5,738.86)	(931.35)
	- हेजिंग आरक्षित निधि की लागत	(2.36)	(718.46)
	कुल - अन्य इक्विटी (क+ख+ग)	**81,862.79**	**75,184.44**

अन्य इक्विटी' के घटक में जोड़ या कटौती का प्रकटन 'इक्विटी में परिवर्तन के विवरण' में किया गया है।

28.1 आरक्षित निधि से निकासी/स्थानांतरण: विनियामक दिशानिर्देशों और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाए गए आरक्षित निधि के उपयोग के अनुसार, कंपनी ने विभिन्न आरक्षित निधि से सामान्य आरक्षित निधि में निम्नलिखित राशियां स्थानांतरित की हैं:

(i) <u>वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान</u>

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए)(ग) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि से ऋण परिसंपत्तियों और अन्य वसूली योग्य राशियों पर वास्तविक बट्टे खाते में डालने के कारण 841.80 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

(ii) <u>वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान</u>

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए)(ग) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि से ऋण परिसंपत्तियों और अन्य वसूली योग्य राशियों पर वास्तविक बट्टे खाते में डालने के कारण 687.76 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

28.2 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत बनाई गई विशेष रिज़र्व कंपनी द्वारा बनाए रखी जाती है ताकि कंपनी को कर लाभ मिल सके। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार, कंपनी दीर्घकालिक वित्त गतिविधि से प्राप्त लाभ के 20% से अधिक कटौती के लिए पात्र नहीं है, बशर्ते कि ऐसी राशि को विशेष रिज़र्व खाते में स्थानांतरित और बनाए रखा जाए।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**31,595.40**	**28,044.83**
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	3,383.02	3,550.57
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**34,978.42**	**31,595.40**

28.3 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए)(ग) के तहत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए)(ग) के तहत खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए कंपनी द्वारा आरक्षित निधि रखी जाती है ताकि कंपनी को कर लाभ मिल सके। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viia)(c) के अनुसार, कंपनी खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी भी प्रावधान/आरक्षित निधि के संबंध में कटौती का लाभ उठाने के लिए पात्र है, जो आयकर अधिनियम के अनुसार कुल आय का पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं है। इस प्रकार बनाए गए आरक्षित निधि का उपयोग मुख्य रूप से वास्तविक खराब ऋणों या उसके भाग के समायोजन के लिए किया जाएगा।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**841.80**	**687.76**
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	778.61	841.80
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	(841.80)	(687.76)
वर्ष के अंत में शेष	**778.61**	**841.80**

28.4 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षित निधि

कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आईसी के तहत आवश्यक आरक्षित निधि का सृजन कर रही है, जिसमें लाभांश की घोषणा से पहले निवल लाभ का कम से कम 20% स्थानान्तरण करना आवश्यक है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट उद्देश्य को छोड़कर, आरक्षित निधि से कोई भी विनियोग करने की अनुमति नहीं है, ऐसे किसी भी विनियोग की सूचना ऐसी वापसी की तारीख से 21 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक को देनी होगी।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**13,971.63**	**10,828.99**
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	3,256.45	3,142.64
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**17,228.08**	**13,971.63**

28.5 **प्रतिभूति प्रीमियम**

प्रतिभूत प्रीमियम कंपनी द्वारा शेयरों और ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाता है। इसका प्रयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**1,577.53**	**1,577.53**
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	-
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**1,577.53**	**1,577.53**

28.6 **विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता**

कंपनी ने पूववर्ती लागू लेखांकन मानक 11 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के पैरा 46क के अनुसार ऐसी मदों की बकाया अवधि में लंबी अवधि की विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से नुकसान/लाभ के विमोचन के लिए एक स्थिर (अपरिवर्तनीय) विकल्प चुना था। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक के प्रावधानों के अनुरूप 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर के संबंध में पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार इस तरह के विमोचन की नीति को जारी रखने का विकल्प चुना। इस खाते में बकाया राशि मोचित लाभ/(हानि) को दर्शाती है, जिन्हें पात्र दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयताओं की बकाया अवधि में मोचित किया जाएगा।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**(611.65)**	**(675.14)**
जोड़ें: वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा परिवर्तन लाभ/हानि(-)	(657.61)	(120.43)
घटाएं: वर्ष के दौरान परिशोधन	388.56	183.92
वर्ष के अंत में शेष	**(880.70)**	**(611.65)**

28.7 **सामान्य आरक्षित निधि**

सामान्य आरक्षित निधि में कंपनी के मुनाफे से विनियोजित राशि और साथ ही सांविधिक आरक्षित निधियों से हस्तांतरित राशि भी शामिल होती है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**13,474.03**	**12,036.27**
जोड़े: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	2,080.00	750.00
जोड़े: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए)(ग) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि से हस्तांतरित	841.80	687.76
वर्ष के अंत में शेष	**16,395.83**	**13,474.03**

28.8 **अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स**

समूह ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में बदलाव को मान्यता देने का चुनाव किया है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर ओसीआई आरक्षित निधि में जमा होते हैं। जब संबंधित इक्विटी प्रतिभूतियों की मान्यता रद्द कर दी जाती है तो समूह इस आरक्षित निधि से राशि को बरकरार रखी गई आय में स्थानांतरित कर देता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**(81.84)**	**(57.99)**
जोड़ें: अन्य व्यापक आय के माध्यम से मान्यता (करों का निवल)	(75.76)	(23.85)
जोड़ें: एफवीओसीआई इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनर्वर्गीकरण (करों का निवल)	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**(157.60)**	**(81.84)**

28.9 **नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग**

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार पर जुड़े ब्याज दर से जुड़े जोखिम के प्रबंधन के लिए व्युत्पन्न इन्स्ट्रूमेंट्स का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर के जोखिम को कम करने के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, क्रॉस करेंसी स्वैप, विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। हेज लेखांकन के तहत निर्धारित व्युत्पन्न संविदाएं जिस सीमा तक प्रभावी हेज होती हैं, हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'कैश फ्लो हेजिंग रिजर्व' में मान्यता दी जाती है। ऐसी आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ या हानि विवरण में तब पुनः वर्गीकृत किया जाता है जब हेज किए गए आइटम लाभ या हानि को प्रभावित करता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**(931.35)**	**(1,846.93)**
जोड़ें: अन्य व्यापक आय के माध्यम से मान्यता (करों का निवल)	(4,807.51)	915.58
वर्ष के अंत में शेष	**(5,738.86)**	**(931.35)**

28.10 हेजिंग आरक्षित निधि की लागत

कंपनी विदेशी मुद्रा विकल्प अनुबंधों के आंतरिक मूल्य को 'कैश फ्लो हेज' संबंधों में हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट्स के रूप में नामित करती है। किसी विकल्प के समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तन को ओसीआई में मान्यता दी जाती है और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में परिशोधित किया जाता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**(718.46)**	**1,690.64**
जोड़ें: अन्य व्यापक आय के माध्यम से मान्यता (करों का निवल)	716.10	(2,409.10)
वर्ष के अंत में शेष	**(2.36)**	**(718.46)**

28.11 वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय में संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**16,067.34**	**13,872.66**
जोड़े: वर्ष के लिए लाभ	16,308.17	15,884.23
जोड़े: परिभाषित हितलाभ योजनाओं (करों का निवल) का पुनःमापन	0.82	0.57
घटाएं : सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित	(2,080.00)	(750.00)
घटाएं: आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि में हस्तांतरित	(3,383.02)	(3,550.57)
घटाएं: आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋण में हस्तांतरित	(778.61)	(841.80)
घटाएं: भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत आरक्षित निधि निधि में हस्तांतरित	(3,256.45)	(3,142.64)
जोड़े: एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेज(करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	-	-
घटाएं: इन्स्ट्रूमेंट पर कूपन भुगतान, पूर्णतया इक्विटी प्रकृति के है (स्थायी ऋण इन्स्ट्रूमेंट) (करों का निवल)	(33.30)	(33.30)
घटाएं: वर्ष के दौरान लाभांश	(5,161.12)	(5,371.78)
वर्ष के अंत में शेष	**17,683.86**	**16,067.34**

28.12 कंपनी द्वारा प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयरों के लिए प्रस्तावित/घोषित लाभांश

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	
	प्रति इक्विटी शेयर पर लाभांश	लाभांश राशि	प्रति इक्विटी शेयर पर लाभांश	लाभांश राशि
	(₹)	(₹ करोड़ में)	(₹)	(₹ करोड़ में)
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर की संख्या	2,63,32,24,000		2,63,32,24,000	
अंतरिम लाभांश	17.00	4,476.48	15.40	4,055.16
अंतिम/प्रस्तावित लाभांश	1.55	408.15	2.60	684.64
कुल लाभांश	**18.55**	**4,884.63**	**18.00**	**4,739.80**

निदेशक मंडल ने 28 अप्रैल 2026 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹1.55 प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक अंकित मूल्य ₹10/- पर) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। ₹17.00 प्रति शेयर के कुल अंतरिम लाभांश को मिलाकर वित्तीय वर्ष के लिए कुल लाभांश ₹18.55/- प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक अंकित मूल्य ₹10/- पर) है।

इंड-एएस 10 'रिपोर्टिंग अवधि के बाद के घटनाक्रम' की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तावित लाभांश प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा विनियोग अंतिम लाभांश के मामले में वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में अनुमोदन के बाद किया जाता है।

29. ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष			31-03-2025 को समाप्त वर्ष		
		ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन
(क)	**ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज**						
(i)	दीर्घावधि वित्तपोषण	-	53,486.27	-	-	49,611.60	-
(ii)	अल्पावधि वित्तपोषण	-	3,223.77	-	-	4,414.82	-
	उप जोड़ (क)	**-**	**56,710.04**	**-**	**-**	**54,026.42**	**-**
(ख)	**निवेशों पर ब्याज आय**						
(i)	दीर्घावधि निवेशों पर ब्याज	-	566.31	81.02	-	411.28	81.43
	उप जोड़ (ख)	**-**	**566.31**	**81.02**	**-**	**411.28**	**81.43**
(ग)	**बैंकों के पास जमाओं पर ब्याज**						
(i)	जमाओं पर ब्याज	-	179.61	-	-	270.22	-
	उप जोड़ (ग)	**-**	**179.61**	**-**	**-**	**270.22**	**-**
(घ)	**अन्य ब्याज आय**						
(i)	उधारकर्ताओं द्वारा विलंबित भुगतान पर ब्याज	-	296.92	-	-	294.46	-
(ii)	कार्मिकों को दिए गए अग्रिमों पर ब्याज	-	8.53	-	-	6.11	-
(iii)	मोबलाइजेशन अग्रिमों पर ब्याज	-	0.05	-	-	0.14	-
(iv)	तनावग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों के कारण प्राप्य राशि की समाप्ति पर ब्याज	-	12.63	-	-	12.36	-
(v)	एसपीवी / सहयोगियों से ब्याज	-	0.73	-	-	0.70	-
(vi)	पक्षों को दिए गए अग्रिम पर ब्याज	-	4.65	-	-	2.08	-
	उप जोड़ (घ)	**-**	**323.51**	**-**	**-**	**315.85**	**-**
	कुल - ब्याज आय (क से घ)	**-**	**57,779.47**	**81.02**	**-**	**55,023.77**	**81.43**

30. लाभांश आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
दीर्घावधि निवेशों से लाभांश	10.17	8.42
कुल - लाभांश आय	**10.17**	**8.42**

30.1 अन्य निवेशों पर मान्यता प्राप्त लाभांश आय का विवरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
इक्विटी निवेश पर लाभांश एफवीओसीआई पर मापा गया		
- वर्ष के अंत में धारित निवेशों पर	10.17	8.42
- वर्ष के दौरान अमान्य किए गए निवेशों पर	-	-
कुल	**10.17**	**8.42**

31. शुल्क एवं कमीशन आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
शुल्क आधारित आय	215.61	201.20
पूर्व अदायगी प्रीमियम	982.34	138.75
सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए शुल्क	66.98	53.79
कुल - शुल्क एवं कमीशन आय	**1,264.93**	**393.74**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

32. **सेवाओं की बिक्री**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
परामर्श इंजीनियरिंग सेवाएँ	448.57	510.97
कुल	**448.57**	**510.97**

33. **अन्य आय**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता रद्द करने पर शुद्ध लाभ/(हानि)	-	0.01
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों के निपटान पर निवल लाभ/(हानि)	-	6.03
बट्टे खाते में डाली गई वित्तीय परिसंपत्तियों से वसूली	-	12.15
किराये से आय	16.18	15.12
देयताएं/प्रावधान वापस लिखित	1.77	2.89
प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से शुल्क	0.48	1.34
आयकर रिफंड से ब्याज	1.38	0.64
विविध आय	24.38	29.30
कुल - अन्य आय	**44.19**	**67.48**

34. **वित्तीय लागत**

वित्तीय लागतें वित्तीय देयताओं पर खर्च की गई हैं और इनका मापन परिशोधित लागत पर किया गया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
(i)	**उधारियों पर ब्याज**		
	- भारत सरकार से ऋण (एनएसएसएफ)	822.50	822.50
	- बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण	3,600.74	4,590.64
	- बाह्य वाणिज्यिक उधारिया	6,018.03	6,602.12
	उप-जोड़ (i)	**10,441.27**	**12,015.26**
(ii)	**ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज**		
	- घरेलू ऋण प्रतिभूतियां	19,172.75	17,773.04
	- विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां	1,336.65	1,334.12
	- कमर्शियल पेपर	126.42	-
	उप-जोड़ (ii)	**20,635.82**	**19,107.16**
(iii)	**अधीनस्थ देयताओं पर ब्याज**		
	- अधीनस्थ बॉण्ड	758.75	687.76
	उप-जोड़ (iii)	**758.75**	**687.76**
(iv)	**अन्य ब्याज व्यय**		
	- स्वैप प्रीमियम	**3,900.99**	**1,796.86**
	- वेरिएशन मार्जिन पर ब्याज	504.58	524.81
	- अग्रिम आयकर पर ब्याज	0.54	-
	- कर्मचारी लाभ के प्रति देयता पर ब्याज	2.56	2.46
	उप-जोड़ (iv)	**4,408.67**	**2,324.13**
	कुल - वित्तीय लागत (i+ii+iii+iv)	**36,244.51**	**34,134.31**
	घटाएं: पूंजीकृत वित्तीय लागत	**(6.39)**	**(3.02)**
	कुल - वित्तीय लागत (निवल)	**36,238.12**	**34,131.29**

35. **निवल अंतरण / लेन–देन विनिमय हानि / (लाभ)**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
निवल अंतरण / लेन–देन विनिमय हानि / (लाभ)	272.60	208.15
कुल	**272.60**	**208.15**

उपरोक्त आंकड़ों में 1 अप्रैल 2018 से पहले ₹ 388.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 183.92 करोड़) की राशि को वित्तीय विवरणों में मान्यता दिए गए दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर निवल परिवर्तन / लेनदेन विनिमय हानि/(लाभ) का विमोचन शामिल है।

35.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान एफबीआईएल (फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) की संदर्भित दरों पर अंतरित की जाती हैं अथवा जहां एफबीआईएल संदर्भ दरें किसी मुद्रा के लिए उपलब्ध न हों, वहां ब्लूमबर्ग पर उल्लिखित उसी दर के लिए अंतिम दर पर अंतरित की जाती है। रिपोर्ट करने की तारीख को संबंधित दरें निम्नलिखितानुसार हैं:

विनिमय दर	यूएसडी /आईएनआर	जेपीवाई/आईएनआर	यूरो/ आईएनआर	एसजीडी/ आईएनआर
31 मार्च 2026 तक*	94.6543	0.5925	109.0064	73.5548
31 मार्च 2025 तक	85.5814	0.5675	92.3246	63.7098

30 मार्च 2026 तक तथा 28 मार्च 2025 को अंतिम कार्य दिवस है।

36. **शुल्क एवं कमीशन व्यय**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
(i)	गारंटी शुल्क	-	0.14
(ii)	सूचीकरण एवं ट्रस्टीशिप शुल्क	0.03	0.03
(iii)	एजेंसी शुल्क	2.56	2.49
(iv)	क्रेडिट रेटिंग व्यय	4.58	4.26
(v)	अन्य वित्तीय प्रभार	8.45	6.74
	कुल (i से v)	**15.62**	**13.66**

37. **उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ / (हानि)**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
(क)	**लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ / (हानि)**		
(i)	**ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर**	-	-
(ii)	**अन्य**		
	- व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तन	(928.82)	80.95
	- दीर्घावधि निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	(33.64)	265.35
	- अल्पावधि म्यूचुअल फंड निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	-	1.92
	उप-जोड़ (ii)	**(962.46)**	**348.22**
	कुल (क)	**(962.46)**	**348.22**
	उचित मूल्य के परिवर्तनों का विवरण		
	- वसूली की गयी	(721.09)	388.64
	- वसूली नहीं की गयी	(241.37)	(40.42)
	कुल-उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ / (हानि)	**(962.46)**	**348.22**

इस शेड्यूल में उचित मूल्य परिवर्तन उनसे इतर हैं, जो उपार्जित ब्याज आय/व्यय के कारण उत्पन्न होते हैं और ये ऐसी मितव्ययी हेजेज़ के रूप में नामित व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तनों को दर्शाते हैं जो हेज लेखांकन और अप्रभावी हेज के तहत नामित नहीं होते है।

38. **वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स पर इम्पेयरमेंट**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष		31-03-2025 को समाप्त वर्ष	
		एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स पर	एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स पर
(i)	ऋण*	-	189.89	-	886.24
(ii)	निवेश	-	2.37	-	3.26
(iii)	अन्य**	-	39.14	-	132.08
	कुल (i+ii+iii)	**-**	**231.40**	**-**	**1,021.58**

सुविधा पत्र पर इम्पेयरमेंट भत्ते के मद में ₹ 15.06 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ -13.54 करोड़) की राशि शामिल है।

इसमें बिना निकाली गई प्रतिबद्धताओं पर मूल्यह्रास भत्ते के मद में ₹ 282.71 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) शामिल हैं।"

*** यह तनावग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों पर व्यय के लिए वसूली योग्य हानि भत्ते का प्रतिनिधित्व करता है (ऊपर नोट 12.2 देखें)।*

39. **प्रदान की गई सेवाओं की लागत**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
परियोजना व्यय	301.16	162.62
कुल	**301.16**	**162.62**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

40. कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
- वेतन और भत्ते	174.24	174.54
- भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	32.43	33.43
- कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा संबंधी किराया	13.96	10.45
- कार्मिक कल्याण व्यय	50.55	49.71
उपदान व्यय	0.33	-
कुल	**271.51**	**268.13**

41. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास	26.37	24.01
- निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास	0.03	0.40
- अमूर्त संपत्तियों पर परिशोधन	0.65	0.29
कुल	**27.05**	**24.70**

42. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
- प्रत्यक्ष व्यय	333.70	282.05
- ओवरहेड	9.29	9.48
कुल	**342.99**	**291.53**

42.1 कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 को 22.01.2021 से अधिसूचित किया है, जिनमें समय-समय पर संशोधन किया गया है। इन नियमों के अनुसार, किसी चालू परियोजना के अतिरिक्त किसी भी अव्ययित सीएसआर राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यदि ऐसी अव्ययित राशि किसी चल रही परियोजना से संबंधित है, तो इसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिनों के भीतर अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिसका उपयोग इस स्थानांतरण की तारीख से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर किया जा सके, इसके बाद भी यदि कोई सीएसआर राशि अव्ययित रह जाती है, तो उसे तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरा होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कंपनी को यह अधिकार भी है कि यदि उसने अधिनियम की आवश्यकता से अधिक राशि खर्च की है, तो वह उस अतिरिक्त राशि को अगले तीन वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली राशि के साथ समायोजित कर सकती है। इसके अलावा, प्रभाव मूल्यांकन करने वाली कंपनियां उस वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर के लिए व्यय बुक कर सकती हैं, जो कुल सीएसआर व्यय के दो प्रतिशत या पचास लाख रुपये, दोनों में से जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगा।

42.2 **समूह द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि का विवरण:**

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि ₹342.99 करोड़ (पिछले वर्ष ₹291.53 करोड़) है।

(ख) वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा खर्च की जाने वाली अनुमोदित राशि ₹342.99 करोड़ (पिछले वर्ष ₹291.53 करोड़)

(ग) सीएसआर से संबंधित पक्ष लेन-देन के लिए टिप्पणी सं. 59 को देखें।

(घ) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
(क)	**प्रारंभिक शेष– (खर्च की गई अतिरिक्त राशि)/अव्ययित**	**(5.53)**	**(5.34)**
(ख)	वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	342.99	291.53
	(ख) में से बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि वर्ष के दौरान खर्च की जानी है	342.99	291.53
(ग)	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि*	173.75	291.72
	- कंपनी के बैंक खाते से	173.75	291.72
	- अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	-	-
	पिछले वर्षों के अतिरिक्त खर्च को सेट ऑफ करने के बाद खर्च की जाने वाली राशि (ख-क)	337.46	286.19
(घ)	**अंतिम शेष– (खर्च की गई अतिरिक्त राशि)**/ अव्ययित*** (क+ख-ग)**	**163.71**	**(5.53)**
	- कंपनी के साथ*	-	-
	- अलग से सीएसआर अप्रयुक्त खाते में	**163.71**	-

** आरईसी फाउंडेशन (कार्यान्वयन एजेंसी) द्वारा अस्थायी रूप से पार्क की गई धनराशि पर अर्जित ब्याज से सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि को शामिल नहीं किया गया है, जो ₹ शून्य है (पिछले वर्ष ₹ शून्य)*

*** अगले तीन सफल वित्तीय वर्षों में समायोजित करने के लिए पात्र*

**** ₹163.71 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की अव्ययित सीएसआर राशि बहुवर्षीय (चालू) परियोजनाओं से संबंधित है जहां उपलब्धि प्राप्त होने पर किश्तों में भुगतान किया जाता है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) की आवश्यकताओं के अनुसार उक्त राशि अनुसूचित बैंक के पास खर्च न किए गए सीएसआर खाते में जमा की गई है। 31.03.2026 तक अव्ययित सीएसआर व्यय की संचयी राशि ₹163.71 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) है।*

42.3 वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि '(₹ करोड़ में):

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष			31-03-2025 को समाप्त वर्ष		
		नकद मे	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल	नकद मे	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii)	उपरोक्त (i) के अन्यत्र प्रयोजन पर						
(क)	स्वास्थ्य/स्वच्छता/अपशिष्ट प्रबंधन/पेयजल	90.40	-	90.40	129.50	-	129.50
(ख)	शिक्षा/व्यावसायिक/कौशल विकास	26.23	-	26.23	16.31	-	16.31
(ग)	पर्यावरणीय संधारणीयता	4.74	-	4.74	7.01	-	7.01
(घ)	खेल–कूद	2.56	-	2.56	38.98	-	38.98
(ङ)	कला एवं संस्कृति	2.77	-	2.77	-	-	-
(च)	पीएम केयर फंड में योगदान	-	-	-	51.70	-	51.70
g	अन्य (ग्रामीण विकास, सशस्त्र बलों के लाभ / इनक्यूबेटर / आपदा प्रबंधन)	35.26	-	35.26	38.74	-	38.74
h	प्रभावी आकलन	0.11	-	0.11	0.28	-	0.28
i	प्रशिक्षण आदि सहित प्रशासनिक ओवरहेड्स	9.19	-	9.19	9.20	-	9.20
(iii)	कुल (i+ii)	**171.25**	**-**	**171.25**	**291.72**	**-**	**291.72**
(iv)	जोड़ें: अव्ययित सीएसआर खाते में ट्रांसफर किया गया	166.21	-	166.21	-	-	-
(v)	जोड़ें : अतिरिक्त राशि समायोजित की गई	5.53	-	5.53	5.34	-	5.34
(vi)	घटाएं : खर्च की गई अतिरिक्त राशि	-	-	-	(5.53)	-	(5.53)
(vii)	लाभ-हानि विवरण में प्रभारित सीएसआर व्यय (iii+iv+v+vi)	**342.99**	**-**	**342.99**	**291.53**	**-**	**291.53**

42.4 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (6) की आवश्यकताओं के अनुसार अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

प्रारंभिक राशि		वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	अव्ययित सीएसआर में शेष राशि पर अर्जित ब्याज	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		शेष राशि	
कंपनी के साथ	अलग सीएसआर में अव्ययित खाता			कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से
-	-	342.99	-	176.78	-	-	166.21

43. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
- यात्रा एवं वाहन सुविधा	30.60	31.24
- प्रचार एवं पदोन्नति व्यय	23.29	30.84
- मरम्मत और अनुरक्षण	31.36	36.36
- किराया, दरें एवं बिजली की लागत	7.01	8.63
- बीमा प्रभार	0.06	0.56
- संप्रेषण लागत	7.35	7.23
- प्रिंटिंग और स्टेशनरी	1.23	1.50
- निदेशकों के बैठक	0.42	0.50
- लेखापरीक्षकों का शुल्क एवं व्यय	1.96	1.84
- विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	16.76	21.30
- दान और परोपकार	-	0.01
- परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के निपटान पर निवल हानि	10.58	7.61
- प्रशिक्षण और सम्मेलन व्यय	6.51	5.98
- सरकारी योजना निगरानी व्यय	13.47	16.49
- अन्य व्यय	30.23	24.82
कुल	**180.83**	**194.90**

43.1 लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय के संबंध में प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिया गया शुल्कः		
- लेखापरीक्षा शुल्क के लिए	0.87	0.79
- कराधान मामलों के लिए	0.18	0.18
- कंपनी के कानूनी मामलों/सीमित समीक्षा शुल्क के लिए	0.40	0.37
- अन्य सेवाओं के लिए	0.19	0.18
- व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.18	0.20
उप-जोड़	**1.82**	**1.72**
लेखापरीक्षकों को प्रदत्त शुल्क के संबंध में गैर-वसूली योग्य कर जमा	**0.14**	**0.13**
कुल - लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय	**1.96**	**1.85**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

44. असाधारण वस्तुएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
असाधारण वस्तुएँ	18.28	-
कुल	**18.28**	**-**

45. कर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
- चालू कर व्यय	3,752.67	4,098.91
पिछले वर्षों से संबंधित चालू कर व्यय/ (लाभ)	0.33	(0.25)
उप-जोड़ - चालू कर	**3,753.00**	**4,098.66**
- आस्थगित कर व्यय /(क्रेडिट)	705.16	134.58
कुल	**4,458.16**	**4,233.24**

45.1 प्रभावी कर दर का समाधान

लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय के साथ वैधानिक आयकर दर पर अनुमानित आयकर व्यय का मिलान निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	**20,766.33**	**20,117.47**
सांविधिक आयकर दर	25.168%	25.168%
प्रत्याशित आय कर व्यय	5,226.47	5,063.16
आयकर समायोजनों का कर प्रभाव:		
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती के लाभ	(851.43)	(893.61)
सीएसआर व्यय की अनुमति न होना एवं अन्य समायोजन	84.63	72.01
कर योग्य नहीं आय	(15.91)	(28.04)
अन्य गैर-कटौती योग्य व्यय	1.43	(5.02)
गैर कर योग्य आय	13.35	22.81
पिछले वर्षों के कर व्यय	(0.38)	1.93
कर व्यय	**4,458.16**	**4,233.24**

46. आय प्रति शेयर

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
न्यूमरेटर		
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)*	16,274.87	15,850.93
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार बंद प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)*	-	-
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत तथा बंद प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)*	16,274.87	15,850.93
डिनोमिनेटर		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	2,63,32,24,000	2,63,32,24,000
प्रति शेयर मूल आय (₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर के लिए ₹ में) (निरंतर संचालन के लिए)	61.81	60.20
प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय (प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर के लिए ₹ में) (निरंतर संचालन के लिए)	61.81	60.20
प्रति शेयर मूल आय (प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर के लिए ₹ में) (बंद संचालन के लिए)	-	-
प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय (प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर के लिए ₹ में) (बंद संचालन के लिए)	-	-
प्रति शेयर मूल आय (प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर के लिए ₹ में) (निरंतर एवं बंद संचालन के लिए)	61.81	60.20
प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय (प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर के लिए ₹ में) (निरंतर एवं बंद संचालन के लिए)	61.81	60.20

** लाभ स्थायी ऋण इन्स्ट्रूमेंट्स पर ₹ 33.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 33.30 करोड़) के कूपन व्यय (करों का निवल) को घटाकर कर पश्चात लाभ को दर्शाता है, जो प्रकृति में पूरी तरह से इक्विटी है।*

47. **आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:**

47.1 **निम्नलिखित के संबंध में आकस्मिक देयताएं प्रदान नहीं की गई हैं:**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(क)	**कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया**	55.57	38.11
(ख)	**कराधान मांगें**		
(i)	आयकर विभाग द्वारा उठाई गई मांगें	36.26	62.79
(ii)	कंपनी को दी गई राहत के विरुद्ध आयकर विभाग द्वारा दायर अपील के विरुद्ध मांग	0.90	162.12
(iii)	जीएसटी के संबंध में उठाई गई मांगें	63.57	48.84
(ग)	**गारंटी**	3.33	4.45
(घ)	**अन्य**		
(i)	परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के माध्यम से मध्यस्थता कार्यवाही (₹ 45.73 करोड़ का प्रतिदावा (पिछले वर्ष ₹ 41.66 करोड़)	513.36	441.28
(ii)	स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लगाया गया जुर्माना	0.60	0.18
(iii)	सांत्वना पत्र	6,267.79	7,990.22

उपरोक्त 'क' में उल्लिखित राशि विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में है तथा न्यायालय के निर्णय पर निर्भर है।

उपरोक्त ख (i) में उल्लिखित राशि आयकर विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों के विरुद्ध है। कंपनी इन मांगों का विरोध कर रही है और प्रबंधन का मानना है कि अपीलीय प्रक्रिया में उसका पक्ष बरकरार रखा जाएगा।

उपरोक्त ख(ii) में उल्लिखित राशि आयकर विभाग द्वारा आईटीएटी स्तर पर कंपनी को दी गई राहत के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर अपील के विरुद्ध है।

उपरोक्त ख (iii) में उल्लिखित राशि में कंपनी द्वारा दायर जीएसटी रिफंड अपील के लिए ₹17.89 करोड़ शामिल हैं। इसके अलावा, ₹14.76 करोड़ जीएसटी विभाग द्वारा की गई मांग के कारण हैं, जिसका कंपनी विरोध कर रही है और प्रबंधन का मानना है कि अपीलीय प्रक्रिया में उसका पक्ष बरकरार रखा जाएगा।

उपरोक्त ख(i)/(ii)/(iii) में उल्लिखित ₹68.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹229.42 करोड़) की कुल टैक्स मांगों के मुकाबले, कंपनी ने विरोध स्वरूप ₹19.61 करोड़ (पिछले वर्ष ₹163.91 करोड़) का भुगतान कर दिया है और शेष ₹48.48 करोड़ (पिछले वर्ष ₹65.51 करोड़) की राशि 31 मार्च, 2026 तक भुगतान के लिए लंबित है।

ऊपर घ(i) में उल्लिखित राशि उन आर्बिट्रेशन मामलों से जुड़ी है जो (क) ठेकेदार और कंपनी द्वारा नियुक्त पीएमसी के बीच और (ख) कंपनी और चेल्सी वेस्ट आर्किटेक्ट्स, पीएलएलसी के बीच हैं। पीएमसी द्वारा दावे का विरोध किया जा रहा है और कंपनी का मानना है कि मध्यस्थता प्रक्रिया में उसका पक्ष बरकरार रखा जाएगा। इस राशि में 31 मार्च, 2026 तक ₹8.80 करोड़ पर 12% प्रति वर्ष और ₹317.38 करोड़ पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी शामिल है।

उपरोक्त घ (ii) में उल्लिखित राशि, स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण बोर्ड/समिति की स्थिति/कोरम आवश्यकता के संबंध में सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकता के गैर-अनुपालन के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) द्वारा लगाए गए ₹0.60 करोड़ (पिछले साल ₹0.18 करोड़) (जीएसटी सहित) के जुर्माने को दर्शाती है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है क्योंकि कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है और कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं कर सकता है। इस प्रकार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की ओर से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। कंपनी को उम्मीद है कि स्टॉक एक्सचेंजों से किए गए उसके अनुरोध का भी अनुकूल परिणाम आएगा, जैसा कि एनएसई और बीएसई ने पहले इसी तरह के कारणों से आवश्यकता का पालन करने के बाद जुर्माना माफ किया था।

47.2 **निम्नलिखित के संबंध में प्रतिबद्धताएं प्रदान नहीं की गई हैं:**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंध		
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए	15.64	25.64
- अमूर्त संपत्तियों की ओर	-	1.78
अन्य प्रतिबद्धताएँ		
- कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व प्रतिबद्धताएँ	250.88	448.71

48. **वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार का ब्योराः**

	विवरण	नियामक का नाम	पंजीकरण का ब्योरा
(i)	कारपोरेट पहचान संख्या	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	L40101DL1969GOI005095
(ii)	पंजीकरण संख्या	भारतीय रिज़र्व बैंक	14.000011
(iii)	लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर (एलईआई) कोड	ग्लोबल लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन (जीएलईआईएफ)	335800B4YRYWAMIJZ374
(iv)	पंजीकरण संख्या	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटीसेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ़ इंडिया (सीईआरएसएआई)	L0012

49. **भारत सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन**

49.1 **रूफटॉप सोलर प्रोग्राम (आरटीएस)**

पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार द्वारा 29.02.2024 को एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर (आरटीएस) की स्थापना के लिए 75,021 करोड़ रुपये (65,700 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता सहित) के वित्तीय परिव्यय के साथ शुरू की गई थी और इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है। इस योजना का उद्देश्य 1 करोड़ आवासीय घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना है, जो प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त या कम लागत वाली बिजली प्रदान करता है। यह स्थापित क्षमता से 1,000 बिलियन यूनिट नवीकरणीय बिजली के उत्पादन को लक्षित करता है, जिससे इन रूफटॉप सौर परियोजनाओं के 25 साल के जीवनकाल में कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष उत्सर्जन में 720 मिलियन टन की कमी आने की उम्मीद है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

49.2 पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)

भारत सरकार ने वितरण कंपनियों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने में मदद करने के लिए पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) को मंज़ूरी दे दी है। इसके तहत उन्हें परिणाम-आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम मानकों को प्राप्त करने पर आपूर्ति अवसंरचना को मज़बूत किया जा सके। इस योजना का परिव्यय 7 वर्षों यानी कि वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2027-28 तक ₹ 3,03,758 करोड़ है, जिसमें ₹ 97,631 करोड़ का अनुमानित सरकारी बजटीय समर्थन (जीबीएस) भी शामिल है।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

भाग क - प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग तथा वितरण अवसंरचना के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता।

भाग ख - प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण तथा अन्य सक्षम एवं सहायक गतिविधियाँ।

49.3 राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

वित्तीय वर्ष 2012–13 से राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, क्रियाशील हुई। योजना को वितरण क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह योजना, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी विद्युत वितरण यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर, सुधारात्मक उपायों के संबंध में ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के समक्ष ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों से अधिक में विस्तारित ₹ 8,466 करोड़ की समग्र रूप पर ब्याज सब्सिडी (उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांककों को भुगतान तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित) प्रदान करेगी। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

49.4 प्रधानमंत्री विकास योजना (पीएमडीपी)

संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख सरकार ने अपनी-अपनी कंपनी/विभाग के माध्यम से आरईसीपीडीसीएल को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में नियुक्त किया है, जो कि प्रतिस्पर्धी बोलियों के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली वास्तविक लागत के अनुसार नामांकन के आधार पर जम्मू और कश्मीर राज्य और लद्दाख में पीएमडीपी के तहत ट्रांसमिशन परियोजनाओं के निष्पादन के लिए सभी सामग्री और सेवा कार्यों के डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए है।

49.5 11 केवी फीडर निगरानी योजना

विद्युत मंत्रालय ने 11 केवी फीडर निगरानी योजना को लागू करने के लिए आरईसीपीडीसीएल को नियुक्त किया है। इस योजना का उद्देश्य बिजली आपूर्ति निगरानी, अलर्ट, मीटर डेटा विश्लेषण, सूचना प्रसार और ऊर्जा लेखापरीक्षा के लिए वास्तविक समय के आधार पर सार्वजनिक पोर्टल सहित विभिन्न हितधारकों के लिए 66, 33/11 केवी सब स्टेशनों से सभी आउटगोइंग 11 केवी ग्रामीण फीडरों के विभिन्न आवश्यक मापदंडों के डेटा लॉगिंग के माध्यम से स्वचालित 11 केवी ग्रामीण फीडर निगरानी प्रणाली के लिए एक आत्मनिर्भर स्वतंत्र वेब आधारित प्रणाली विकसित करना और जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराना है।

50. पूंजी प्रबंधन

यह कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूंजी का प्रबंधन करता है कि वह दावेदारों को अधिकतम आय करते हुए एक चलती हुई संस्था के रूप में जारी रहेगा। कंपनी की पूंजीगत संरचना में कंपनी द्वारा किए गए दीर्घावधि उधार तथा इक्विटी शामिल हैं।

प्रबंधन अत्यधिक उत्तोलन से बचते हुए एक कुशल समग्र वित्तपोषण संरचना को बनाए रखने के लिए कंपनी की पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है। कंपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और क्षेत्र के भीतर गतिशील कारोबारी माहौल और तरलता की स्थिति के प्रकाश में उपयुक्त उपकरणों के माध्यम से धन जुटाती है। इसके अलावा, पूंजीगत पुनर्गठन के संबंध में, कंपनी को भी निर्देशित किया जाता है, इंटर अलिया, "निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए" केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पूंजी पुनर्गठन "पर संशोधित दिशानिर्देशों द्वारा, बोनस शेयरों के मुद्दे के संबंध में सार्वजनिक उद्यमों के विभाग, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों के साथ-साथ, कंपनी ने सभी बाहरी आवश्यकताओं को पूरा किया है।

समूह का ऋण-इक्विटी अनुपात निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
निवल ऋण	5,05,438.58	4,87,979.50
निवल मुल्य	85,054.41	78,376.06
ऋण - इक्विटी अनुपात	**5.94**	**6.23**

निवल ऋण बकाया मूल कम नकदी और उपलब्ध नकदी समतुल्य को दर्शाता है।

लाभांश वितरण नीति

निदेशक मंडल कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश भुगतान की निगरानी करता है। कंपनी की लाभांश वितरण नीति विभिन्न कारकों पर केंद्रित है , जिसमें वर्तमान एवं भविष्य की पूंजीगत आवश्यकताएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, जोखिम-भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर), वैकल्पिक स्रोतों से धन जुटाने की लागत, नकदी प्रवाह की स्थिति, कंपनी की कुल परिसंपत्ति, कंपनी की सहायक/संबद्ध कंपनियों में अतिरिक्त निवेश और यदि कोई लागू कर हो, शामिल हैं (यदि कोई हो) ।कंपनी का निवल मूल्य शामिल हैं, जो समय-समय पर आरबीआई, दीपम आदि द्वारा जारी परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अधीन हैं।

भारत सरकार के दीपम द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी को कर पश्चात लाभ का न्यूनतम 30% वार्षिक लाभांश देना आवश्यक है। यद्यपि कंपनी इन दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है, फिर भी कंपनी विभिन्न वित्तीय मापदंडों, नकदी प्रवाह की स्थिति और भविष्य के विकास के लिए आवश्यक धनराशि के विश्लेषण के बाद कम लाभांश का प्रस्ताव कर सकती है।

अन्य नीतियां

कंपनी ने कंपनी के प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियां भी अपनाई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति , व्हिसल ब्लोअर नीति , नामित व्यक्तियों और उनके निकटतम रिश्तेदारों द्वारा व्यापार के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग तथा निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता , निष्पक्ष व्यवहार संहिता , निदेशकों के 'उपयुक्त और उचित' मानदंडों पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस नीति के आंतरिक दिशानिर्देश, बोर्ड की विविधता और कौशल पर नीति, वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों की नियुक्ति के लिए मानदंड और निदेशकों, केएमपी और अन्य कर्मचारियों को पारिश्रमिक आदि शामिल हैं।

51. **पूंजी-जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात और तरलता कवरेज अनुपात**

कंपनी समय-समय पर संशोधित आरबीआई द्वारा निर्धारित मास्टर निर्देशों/परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है। एक एनबीएफसी और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) होने के नाते, आरईसी को पूंजी पर्याप्तता अनुपात या पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) 15% (न्यूनतम टियर I पूंजी 10% के साथ) बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसकी गणना जोखिम भारित परिसंपत्तियों द्वारा कंपनी की टियर- I और टियर- II पूंजी को विभाजित करके की जाती है।

विवरण		31-03-2026 तक			31-03-2025 तक			% अंतर
		न्यूमरेटर* (₹ करोड़ में)	डिनोमिनेटर* (₹ करोड़ में)	%	न्यूमरेटर* (₹ करोड़ में)	डिनोमिनेटर* (₹ करोड़ में)	%	
(i)	सीआरएआर	93,687.72	4,05,414.19	23.11%	86,963.54	3,34,562.05	25.99%	-11.11%
	सीआरएआर- टियर I पूंजी	86,159.96	4,05,414.19	21.25%	79,491.30	3,34,562.05	23.76%	-10.53%
	सीआरएआर- टियर II पूंजी	7,527.76	4,05,414.19	1.86%	7,472.24	3,34,562.05	2.23%	-17.10%
(ii)	तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) (नोट 53.2.4(vi) देखें)	5,846.84	3,123.25	187.20%	4,214.07	2,809.00	150.02%	24.79%

टियर-I पूंजी के सतत ऋण साधन की राशि 6.5% है (पिछले वर्ष 7.10%)

** अंश टियर-I और टियर-II पूंजी है जिसमें मुख्य रूप से इक्विटी (नोट संख्या 26, 27 और 28 देखें) शामिल है और हर जोखिम भारित परिसंपत्ति है जो मुख्य रूप से कंपनी के ऋण जोखिम (ऋणों) जैसे ऋण (नोट संख्या 10 देखें) और निवेश (नोट संख्या 11 देखें) के भारित योग को दर्शाता है, जिसकी गणना समय-समय पर इस संबंध में आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार की जाती है।*

**एलसीआर के लिए—अंश कंपनी द्वारा रखी गई एचक्यूएलए परिसंपत्तियां हैं (नोट संख्या 11.1 देखें) और हर अगले 30 दिनों में होने वाला कुल निवल नकदी बहिर्वाह है, जिसकी गणना इस संबंध में आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/परिपत्रों के अनुरूप की गई है।*

***तरलता कवरेज अनुपात में अंतर, कंपनी के बढ़ते व्यवसाय के साथ तालमेल बिठाने के लिए एचक्यूएलए प्रतिभूतियों में की गई तुलनात्मक वृद्धि के कारण है।*

वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर II पूंजी और स्थाई ऋण इन्स्ट्रूमेंट्स का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
टियर-II पूंजी के रूप में जुटाई गई अधीनस्थ ऋण की राशि	-	-
टियर-I पूंजी के रूप में जुटाई गई स्थाई ऋण इन्स्ट्रूमेंट्स की राशि	-	1,995.00

अधीनस्थ देयताओं पर नोट संख्या 22 देखें।

52. **वित्तीय जोखिम प्रबंधन**

कंपनी के निदेशक मंडल की कंपनी जोखिम प्रबंधन ढाँचे की स्थापना और निगरानी की समग्र ज़िम्मेदारी है। कंपनी की एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, ऋण जोखिम, तरलता जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालन जोखिम और संगठन के अन्य जोखिमों को कवर करती है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियाँ विभिन्न जोखिम श्रेणियों, स्वतंत्र जोखिम निगरानी और आवधिक निगरानी के लिए उपयुक्त सुपरिभाषित प्रणालियों और प्रक्रियाओं द्वारा निर्देशित होती हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का भी गठन किया गया है, जिसका मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान और निगरानी करना तथा उनके निवारण हेतु सुझाव देना है।

इस टिप्पणी में जोखिम के स्रोतों को स्पष्ट किया गया है जिनमें कंपनी सामने आती है और कंपनी कैसे वित्तीय विवरण में जोखिम तथा संबंधित प्रभाव का प्रबंधन करती है।

जोखिम	से उत्पन्न होने वाली स्थिति	माप	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी एवं नकदी के समतुल्य, बैंक शेष (नकद और नकद समतुल्य के अलावा), ऋण, वित्तीय परिसंपत्ति, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, राज्य विकास ऋण, ऋण प्रतिभूतियां और अधिमानित शेयर	पुराना विश्लेषण	बैंक जमा, परिसमाप्त निधियां, परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण, ऋण सीमाएं एवं पार्श्विक
तरलता जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां, सहायक देयताएं एवं अन्य वित्तीय देयताएं मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां तथा भारतीय रुपए (आईएनआर) में न बताई गई देयताएं	चल रहे नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम - मुद्रा जोखिम	मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां तथा भारतीय रुपये (आईएनआर) में न बताई गई देयताएं	नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	व्युत्पन्न अनुबंध
बाजार जोखिम – ब्याज दर जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां और परिवर्तनीय ब्याज दरों पर सहायक देयाताएं	सवेंदनशीलता विश्लेषण	व्युत्पन्न अनुबंध
बाजार जोखिम – इक्विटी कीमत जोखिम	उल्लिखित इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश	सवेंदनशीलता विश्लेषण	नीतिगत निवेशों पर जोर देकर पोर्टफोलियो का विविधीकरण

जोखिम के अत्यधिक संकेंद्रण से बचने के लिए कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविधीकृत पोर्टफोलियो बनाए रखने पर जोर देने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश शामिल हैं। ऋण जोखिमों के अभिज्ञात संकेंद्रणों का नियंत्रण एवं प्रबंधन तद्नुसार किया जाता है।

इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन तंत्र स्थापित किया है कि इन जोखिमों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाए और कुशलता से उनका प्रबंधन किया जाए। कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ाने के लिए आरबीआई की अधिसूचना सं. डीएनबीआर (पीडी) सीसी. सं./.099/03.10.001/2018-19 के उद्देश्य से निदेशक मण्डल ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी नियुक्त किया है जो जोखिमों की पहचान, माप और शमन की इस प्रक्रिया में शामिल है। जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण यानी कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों और उपरोक्त जोखिमों में से प्रत्येक को मापने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया बाद के पैराग्राफ में निर्धारित की गई है।

आरबीआई ने सूचना प्रौद्योगिकी प्रशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रणाली पर अपने मास्टर निर्देश के तहत अपने निर्देश आरबीआई/2023-24/107 डीओएस.सीओ.सीएसआईटीईजी/एसईसी.7/31.01.015/2023-24 दिनांक 07 नवंबर, 2023 के तहत मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) की नियुक्ति को अनिवार्य कर दिया है। तदनुसार कंपनी ने आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में सीआईएसओ नियुक्त किया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

52.1 ऋण जोखिम

ऋण जोखिम उस जोखिम से संबंधित है जिसे प्रतिपक्ष अपने संविदागत दायित्वों के संबंध में चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानियां होती हैं। कंपनी का ऋण जोखिम मुख्यतः नकदी और नकदी के समतुल्य, बैंक शेष (नकदी और नकदी के समतुल्य को छोड़कर), निवेश, ऋण परिसंपत्तियों, कारोबार प्राप्य राशियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर आकलित करने से प्रभावित होता है। यह कंपनी ग्राहकों तथा अन्य प्रतिपक्षकारों की चूकों की निरंतर निगरानी करता है और इस सूचना को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में शामिल करता है।

52.1.1 वित्तीय परिसंपत्तियां जो एंटिटी को ऋण जोखिम में दर्शाती है

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(i)	**वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि पर कम ऋण जोखिम**		
	नकद और नकद समतुल्य	293.39	233.57
	बैंक शेष (नकद और नकद समतुल्य के अलावा)	1,317.70	2,109.80
	ऋण *	5,77,231.42	5,21,767.83
	निवेश (इक्विटी निवेशों को छोड़कर)	9,453.48	6,199.48
	ट्रेड एवं अन्य प्राप्य	227.08	182.19
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	24,556.23	24,604.19
(ii)	**मध्यम ऋण जोखिम**		
	ऋण *	11,310.98	45,471.51
	ट्रेड एवं अन्य प्राप्य	106.44	70.07
(iii)	**उच्च ऋण जोखिम**		
	ऋण *	1,384.75	7,652.65
	अधिमानित शेयर में निवेश #	28.72	28.72
	ट्रेड एवं अन्य प्राप्य #	81.64	73.48
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां #	124.51	149.71

*अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए कटौती के बिना बकाया मूल (सुविधा पत्र के लिए असंवितरित राशि के साथ) को दर्शाता है

#अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए कटौती के बिना बकाया मूल को दर्शाता है

नकदी एवं नकदी के समतुल्य तथा बैंक शेष

नकदी एवं नकदी के समतुल्य और बैंक शेष से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन निवेश ग्रेड रेटेड इन्स्ट्रूमेंट्स तथा अत्यधिक रेटेड बैंकों और पूरे देश में विभिन्न इन्स्ट्रूमेंट्स/बैंकों में निवेश कर जमा आधार का विविधीकरण करके भी पार्किंग निधियों से किया जाता है।

ऋण

उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण जोखिम भावी परियोजना ऋण परिसंपत्तियों, प्राप्य, मालसूची अथवा अन्य किसी परिसंपत्ति, सरकारी गारंटी, निगम गारंटी आदि और अतिरिक्त रूप से सहायकों, जहां भी अपेक्षित हो, के दृष्टि बंधक द्वारा ऋणों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाओं के माध्यम से कम किए जाते हैं। यह कंपनी उधारकर्ता की ऋण सीमाओं को परिभाषित करने और ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित संस्थागत तथा परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया विश्लेषण से बनाए गए 'क्रेडिट जोखिम' उस जोखिम को संदर्भित करता है जिसमें प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में चूक करेगा, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानि होगी। कंपनी का क्रेडिट जोखिम मुख्य रूप से नकदी और नकदी समकक्षों, बैंक शेषों (नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा), निवेशों, ऋण परिसंपत्तियों, व्यापार प्राप्तियों और परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से प्रभावित होता है। कंपनी ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षों की चूकों की निरंतर निगरानी करती है और इस जानकारी को अपने क्रेडिट जोखिम नियंत्रणों में शामिल करती है। कंपनी मूल्यांकन दिशा-निर्देशों के माध्यम से संवर्धकों की ऋण योग्यता का बारीकी से मूल्यांकन करती है जिससे पूर्व परिकलित धनराशि का ऋण जोखिम सीमित होता है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन सिद्धांत, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना तथा ऋण जोखिम कम करने के उपाय, पूर्व संवितरण शर्तों के रूप में शामिल होते हैं।

ट्रेड प्राप्य

ट्रेड प्राप्य से संबंधित ऋण जोखिम देयताओं की ऋण योग्यता का मूल्यांकन करके कम किया जाता है और ऐसी धनराशि को वसूल करने योग्य स्थिति का निरंतर निगरानी कर प्रबंधन किया जाता है।

सरकारी प्रतिभूतियों (जी-एसईसी), राज्य विकास ऋण और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) में निवेश से संबंधित क्रेडिट जोखिम को सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य विकास ऋणों और पीएसयू बॉण्ड में अच्छे वित्तीय स्वास्थ्य के साथ निवेश द्वारा प्रबंधित किया जाता है और विभिन्न परिपक्वता/क्षेत्र में निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने और नियमित आधार पर वित्तीय स्वास्थ्य की निगरानी की जाती है।

ऋणी संस्थाओं द्वारा ऋण निपटान / समाधान के समय जारी प्रतिभूतियों में निवेश

आरईसी को कंपनी या ऋणदाताओं के संघ द्वारा यथालागू अनुमोदित निपटान/समाधान योजना के हिस्से के रूप में उधारकर्ता संस्थाओं द्वारा जारी की गई विभिन्न प्रतिभूतियां और ऋणदाताओं की समिति और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा अनुमोदित दिवाला और अशोधन क्षमता संहिता 2016 के तहत संकल्प के मामले में प्राप्त हुई। इन प्रतिभूतियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी राशियों की निरंतर वसूली की निगरानी करके किया जाता है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तिया

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कार्मिकों तथा अनुषंगी कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम, प्रतिभूति जमा तथा अन्य वसूली योग्य धनराशि, भारत सरकार से ली गई राशि सहित शामिल होते हैं। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी धनराशि को वसूली करने की क्षमता का निरंतर निगरानी कर प्रबंधन किया जाता है।

52.1.2 ऋणों एवं ट्रेड प्राप्यों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानियां (ईसीएल)

कंपनी किसी भी ऋण हानि की प्रत्याशा के लिए व्यक्तिगत वित्तीय साधनों का मूल्यांकन करके ऋण/निवेश के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है:

नकद और नकद समकक्षों और बैंक शेष राशि (नकद और नकद समकक्षों के अलावा) के लिए - चूंकि कंपनी केवल उच्च रेटिंग वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ बैंकिंग कार्यों के लिए काम करती है और नकद और नकद समकक्षों के संबंध में नकदी जोखिम, अन्य बैंक शेष राशि और बैंक जमा के संबंध में अधिशेष निधियों के अल्पकालिक निवेश के लिए लगातार ट्रैक रिकॉर्ड के साथ ऋण निधियों में तरल निधियों की श्रेणी का मूल्यांकन बहुत कम मूल्यांकित किया गया है

- **ट्रेड और अन्य प्राप्यों के लिए** - ऋण जोखिम का मूल्यांकन कंपनी के क्रेडिट योग्यता के जानकारी और उन पार्टियों से प्राप्य की वसूली के आधार पर किया जाता है।

- **अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए** - ऋण जोखिम का मूल्यांकन उन पार्टियों की क्रेडिट योग्यता के बारे में कंपनी के जानकारी के आधार पर किया जाता है और हानि भत्ते को प्रारंभिक मान्यता पर 12 महीने के अपेक्षित ऋण नुकसान के लिए मापा जाता है और ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि पर जीवनकाल के अपेक्षित ऋण नुकसान के लिए प्रदान किया जाता है।

ऋण और निवेश के अलावा वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि का विवरण निम्नानुसार प्रकट किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक			31-03-2025 तक		
	सकल धारित राशि (क)	ईसीएल (ख)	निवल धारित राशि ग = (क -ख)	सकल धारित राशि (घ)	ईसीएल (ड.)	निवल धारित राशि (च =घ = ड.)
नकदी एवं नकदी के समतुल्य	293.39	-	293.39	233.57	-	233.57
बैंक शेष(नकदी एवं नकदी के समतुल्य के अलावा)	1,317.70	-	1,317.70	2,109.80	-	2,109.80
ट्रेड और अन्य प्राप्य #	415.16	118.08	297.08	325.74	88.62	237.12
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां *	24,680.74	124.51	24,556.23	24,753.90	149.71	24,604.19

 # इकाई ईसीएल पद्धति के तहत सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए आरईसी की सहायक कंपनियों में से एक आरईसीपीडीसीएल के व्यापार प्राप्तियों के संबंध में आजीवन ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है।

** क्रेडिट-इम्पेयर्ड मानी जाने वाली 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों' पर हानि भत्ता पूर्ण रूप से प्रदान किया गया है।*

52.1.3 ऋण और निवेश के लिए अपेक्षित ऋण हानि

निवेश के मामले में, (बीबीबी-) के बराबर या उससे अधिक रेटिंग और 30 दिनों से कम के डीपीडी वाली प्रतिभूतियों को कम क्रेडिट जोखिम माना जाता है और इसलिए वे चरण 1 की परिसंपत्तियों का हिस्सा बनेंगी। इसी तरह, 30 दिनों से अधिक (और 90 दिनों तक) के डीपीडी वाली प्रतिभूतियां या यदि उपकरण की रेटिंग निम्नतम निवेश ग्रेड यानी (बीबीबी-) से नीचे गिरती है, तो एक निवेश को क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव माना जाता है और इसे चरण 2 की परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक निवेश को क्रेडिट-बाधित या चरण 3 की परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब जारीकर्ता कंपनी ने 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अपने संविदात्मक भुगतान दायित्व का निर्वहन करने में चूक की है "या" उधारकर्ता कंपनी की रेटिंग जंक स्थिति में डाउनग्रेड हो गई है/चूक हो गई है या कंपनी ने दिवालियापन के लिए आवेदन किया है।

- सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक), राज्य विकास ऋणों और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए - यह देखते हुए कि यह निवेश सरकारी प्रतिभूतियों/न्यूनतम निवेश श्रेणी की रेटिंग वाली सरकारी/निजी कंपनियों सहित ऋण प्रतिभूतियों में है, ऋण जोखिम को कम माना गया है।

- ऋण समझौते /समाधान के समय उधारकर्ता संस्थाओं द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए - ऋण जोखिम का मूल्यांकन ऐसी प्रतिभूतियों की वसूली योग्यता के आधार पर किया जाता है। ऐसे निवेशों पर जहां कहीं भी मध्यम या उच्च जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है, वहां उपयुक्त ईसीएल भत्ते का प्रावधान किया जाता है।

निवेश पर अपेक्षित क्रेडिट हानि का विवरण निम्नानुसार प्रकट किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक			31-03-2025 तक		
	सकल धारित राशि (क)	ईसीएल (ख)	निवल धारित राशि ग = (क -ख)	सकल धारित राशि (घ)	ईसीएल (ड.)	निवल धारित राशि (च =घ = ड.)
निवेश* (इक्विटी निवेश को छोड़कर)	9,516.55	34.35	9,482.20	6,228.20	28.72	6,199.48

**क्रेडिट-इम्पेयर्ड माने गए रतनइंडिया पावर लिमिटेड के 'रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में निवेश' पर इम्पेयरमेंट अलाउंस का पूर्ण प्रावधान किया गया है।*

52.1.4 ऋणों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि

जोखिम प्रबंधन रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए, कंपनी ऋण जोखिम के निम्नलिखित तत्वों पर विचार करती है और उन्हें समेकित करती है:

क्रेडिट डिफॉल्ट जोखिम: किसी देनदार द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण ऋण दायित्व पर देय तिथि के बाद 90 दिनों से अधिक की अवधि तक अपने दायित्वों का पूर्ण भुगतान करने की संभावना न होने के कारण उत्पन्न होने वाला हानि का जोखिम; डिफ़ॉल्ट जोखिम ऋण और प्रतिभूतियों सहित सभी क्रेडिट-संवेदनशील लेन-देन को प्रभावित कर सकता है।

एकाग्रता जोखिम: किसी भी एकल जोखिम या जोखिमों के समूह से जुड़ा जोखिम, जिससे कंपनी के मुख्य कार्यों को खतरे में डालने के लिए काफी बड़े नुकसान होने की संभावना है।

(क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम विभिन्न स्तरों पर प्रबंधित किया जाता है, जिसमें मूल्यांकन, संवितरण और संवितरण के बाद निगरानी शामिल हैं। कंपनी के पास “एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश” और “व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति” मौजूद है। क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए कंपनी क्रेडिट जोखिम के आकलन हेतु व्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण करती है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना और ऋण जोखिम कम करने जैसे उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, आवधिक आधार पर, ऋण परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उन्हें ईसीएल पद्धति के आधार पर उच्च/मध्यम/निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्रेडिट जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

(i) कंपनी के पास क्रेडिट मूल्यांकन, जोखिम ग्रेडिंग, संपार्श्विक आवश्यकताओं, रिपोर्टिंग, निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी आदि को शामिल करते हुए “एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश” उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कानूनी जोखिम का प्रभावी प्रलेखन और शमन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र ऋणदाता कानूनी परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं।

(ii) सभी मौजूदा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, जहाँ कंपनी अग्रणी वित्तीय संस्थान है, कंपनी ऋणदाता के स्वतंत्र इंजीनियर्स (एलआईई), ऋणदाता के वित्तीय सलाहकार (एलएफए) और ऋणदाता के बीमा सलाहकार (एलआईए) नियोजित करती है, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं जो विभिन्न ऋणदाताओं और संघ सदस्यों की ओर से कार्य करती हैं। एलआईई ऋणकर्ता के साथ चर्चा और प्रासंगिक इंस्ट्रूमेंट्स की जांच / समीक्षा के बाद, परियोजना साइट का दौरा करती है और इसकी प्रगति की स्थिति पर आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। एलएफए परियोजना में समय–समय पर निधि प्रवाह और धन के उपयोग के विवरण प्रस्तुत करता है। ऐसे मामलों में जहां कंपनी जहाँ कंपनी अग्रणी वित्तीय संस्थान नहीं है, एलआईई और एलएफए सेवाओं से संबंधित कार्यों को अग्रणी ऋणदाता के साथ समन्वित किया जा रहा है।

कंपनी वित्तपोषित की जाने वाली नई परियोजनाओं के लिए एक अलग परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नियुक्त करने का भी प्रयास करती है, जो एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एलआईई / परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी), एलएफए और एलआईए के संपूर्ण कार्यों का निर्वाह करती है। परियोजना की प्रगति की निगरानी, ईपीसी / गैर–ईपीसी संविदाओं और बीजकों की समीक्षा, निधि के उपयोग और परियोजना के लिए बीमा सहित परियोजना की विभिन्न गतिविधियों को बारीकी से देख–रेख करने के लिए पीएमए परियोजना स्थल पर दिन–रात तैनात रहती है। पीएमए मूल उपस्कर विनिर्माता / आपूर्तिकर्ता के बिलों, ठेके दार के समग्र काम की पुष्टि करता है और संवितरण के लिए अपनी सिफारिश करता है। मूल परियोजना लागत और सीओडी सहित तकनीकी और वित्तीय मापदंडों की पवित्रता को बनाए रखते हुए पीएमए द्वारा प्रारंभिक अपेक्षित सतर्कता भी बरती जाती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iii) कंपनी में उपयुक्त ब्याज दरें और प्रतिभूति पैकेज लगाकर चूक के जोखिम की मात्रा के अनुसार उसके निपटानों की श्रेणी बनाने के लिए जोखिम ग्रेडिंग संरचना विकसित की है।

(iv) ऋण पोर्टफोलियो की ऋण गुणवत्ता संबंधी रिपोर्टें जोखिम प्रबंधन समिति तथा बोर्ड को दी जाती हैं जो कि की जाने वाली उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाही की मांग कर सकता है।

(v)

(vi) ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए पूरी कंपनी में सर्वोत्तम परिपाटी संवर्धित करने के लिए विशेषज्ञ कौशल प्रदान करने के साथ–साथ व्यापारिक यूनिटों द्वारा अपनाए जा रहे दिशा–निर्देशों, नीति और विद्यमान परिपाटियों की समीक्षा करने के लिए समय–समय पर बाहरी एजेंसियां नियुक्त की जाती हैं।

(vii) अलग–अलग और समूह ऋण एक्सपोज़र का मूल्यांकन संबंधित व्यापारिक यूनिट द्वारा लेनदारों को सुविधाएं प्रतिबद्ध करने से पूर्व निर्धारित सीमाओं के विरुद्ध किया जाता है। अतिरिक्त सुविधाओं की स्वीकृति भी उसी समीक्षा प्रक्रिया के अध्यधीन होती है।

(viii) कंपनी लगातार ऋणकर्ताओं और अन्य समकक्ष पक्षकारों के विलंब और / या चूक और उनकी वसूली क्षमता की निगरानी करती है। ऋणकर्ता के खाते में चूक की घटना होने पर कंपनी चूक को ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है, जिसमें आगे वर्णित कार्यवाही (कार्यवाहियां) शामिल हो सकती है, लेकिन ये केवल इतने तक ही सीमित नहीं है, आरबीआई को रिपोर्टिंग के साथ विशेष उल्लेख खाता (एसएमए), क्रेडिट रिपॉजिटरी ऑफ़ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी) को जानकारी की रिपोर्टिंग, टीआरए खाते की निगरानी, ऋण समझौते के अनुसार इक्विटी में ऋण के रूपांतरण, ऋण खाते के पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ संकल्प योजना तैयार करने, स्वामित्व में परिवर्तन, कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी), बकाया राशि वसूल करने के लिए गारंटी / प्रतिभूतियों के आह्वान सहित अन्य संस्थाओं / निवेशकों और अन्य वसूली तंत्रों को एक्सपोज़र की बिक्री आदि।

(ख) क्रेडिट जोखिम मापन

ऋण परिसंपत्तियों पर इम्पेयरमेंट हानि भत्ते के लिए निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक इंड एएस 109 के अनुसार प्रावधान किया जाता है, जो क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार/ गिरावट का आकलन करने के लिए प्रमुख वित्तीय और प्रचालन मापदंडों के आधार पर क्रेडिट जोखिम को मापता है। प्रबंधन मॉडल आउटपुट पर ओवरले, यदि कोई है, करता है, जिसे लेखापरीक्षा समिति द्वारा विधिवत दस्तावेजीकृत (प्रलेखित) और अनुमोदित किए जाते हैं। अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी, आईसीआरए एनालिटिक्स लिमिटेड (पूर्व में आईसीआरए ऑनलाइन लिमिटेड) द्वारा किया जाता है।

कंपनी के पास राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य विद्युत संस्थानों की ग्रेडिंग के लिए एक आंतरिक प्रणाली मौजूद है। हालाँकि, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए कंपनी विद्युत मंत्रालय द्वारा रेटिंग की प्रक्रिया को तब अपनाता है, जब वे अद्यतन किए जाते हैं। इन रेटिंग्स को रेटिंग ट्रांजिशन मैट्रिक्स के हिस्से के रूप में विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग ग्रेड के साथ मैप किया जाता है। निजी ऋणकर्ताओं के लिए कंपनी या तो विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग का उपयोग करती है या फिर ऐसी रेटिंग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रॉक्सी जोखिम स्कोर का प्रयोग करती है। प्रॉक्सी ज़ोखिम स्कोर मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया जाता है:

मात्रात्मक कारक

ऋण/ईबीआईटीडीए (30% भार)

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (15% भार)

ब्याज कवरेज (25% भार)

गियरिंग (ऋण / इक्विटी) (30% भार)

गुणात्मक कारक

तिमाही–वार प्रचालनात्मक मानदंड, यथा पीपीए, पीएलएफ, एसीएस – एआरआर अंतर, एलएएफ सीयूएफ़ आदि

वास्तविक चूक की तिथि

परियोजना की स्थिति"

(ग) अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मापन

भारतीय लेखांकन मानक इंड एएस 109 में नीचे संक्षेप में बताए गए अनुसार प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर हानि के लिए एक "तीन चरण" वाले मॉडल की रूपरेखा दी गई है :"

– एक वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट जो प्रारंभिक मान्यता पर क्रेडिट इंपेयर्ड नहीं है और जिसका क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक चरण " चरण 1" के रूप में वर्गीकृत होने के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है।

– यदि इस बात की पहचान हो जाती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो वित्तीय लिखत को " चरण 2" में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसे मानद रूप से क्रेडिट क्षतिपूरित हुआ नहीं माना जाता है।

– यदि कोई वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट क्रेडिट इंपेयर्ड हुआ है, तो इसे "चरण 3" में ले जाया जाता है।

– चरण 1 में वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट का अपेक्षित क्रेडिट नुकसान के बराबर की राशि पर ईसीएल मापा जा चुका है, जो अगले 12 महीनों के भीतर संभावित चूक की घटनाओं के परिणामस्वरूप हो सकता है। चरण 2 या चरण 3 मानदंड में इन्स्ट्रूमेंट का ईसीएल आजीवन आधार पर मापा जाता है।

(घ) ऋण जोखिम (एसआईसीआर) में महत्वपूर्ण वृद्धि

कंपनी निम्नलिखित मामलों में वित्तीय साधन को क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव करने के लिए मानती है:

सभी श्रेणी के उधारकर्ताओं के लिए: -

i. जब किसी वित्तीय साधन पर यदि भुगतान उसके संविदात्मक भुगतान पर 30 दिनों से अधिक समय से बकाया है, तो

ii. चरण 1 ऋण संपत्ति पुनर्गठन योजना के अनुसार नियमित भुगतान के एक वर्ष तक पुनर्गठन के अधीन है

iii. उधारकर्ता के रेटिंग परिवार में दो या दो से अधिक पायदानों की रेटिंग/ग्रेडिंग कम कर दी गई (भले ही उधारकर्ता डीपीडी आधार पर चरण 1 में हो)

निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए अतिरिक्त कारक: -

i. उधारकर्ता की क्रेडिट रेटिंग में 'सी-' तक की गिरावट,

ii. परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन की शुरुआत की तारीख में 3 साल से अधिक की देरी।

(ङ) डिफ़ॉल्ट तथा क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियों की परिभाषा

कंपनी डिफ़ॉल्ट के रूप में वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट को परिभाषित करती है जो पूर्णतः हानियों वाले ऋण की परिभाषा के अनुरूप है जब ऋणखाता अपने संविदागत भुगतानों पर देय पिछले 90 दिनों से अधिक हो या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार कंपनी द्वारा दी गई कोई भी अवधि।

(च) ईसीएल का मापन – इनपुट, अवधारणाओं और अनुमानित तकनीकों की व्याख्या

अपेक्षित क्रेडिट हानि डिफ़ॉल्ट की संभावना (पीडी), डिफ़ॉल्ट पर एक्सपोज़र (ईएडी) और डिफ़ॉल्ट रूप से दी गई हानि (एलजीडी) का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

- पीडी अगले 12 महीनों में या इंस्ट्रूमेंट के शेष जीवनकाल में अपनी बाध्यता पर ऋणकर्ता की डिफ़ॉल्ट की संभावना को दर्शाता है।

- ईएडी - उन राशियों को दर्शाता है, जिसमें बकाया मूलधन (इसके बिना-निकाले गए हिस्से पर लागू क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर सहित), अर्जित ब्याज, वित्तीय परिसंपत्ति पर देय तिथि से अधिक का ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट शामिल हैं, जिन्हें प्राप्त करने की अपेक्षा कंपनी चूक के समय करती है।
- एलजीडी कंपनी के नुकसान की ऐसी उम्मीद को दर्शाता है कि कोई डिफ़ॉल्ट हो सकती है। एलजीडी प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और यह उस राशि के अनुपात को दर्शाता है जो वास्तव में डिफ़ॉल्ट के किसी मामले में वसूली के बाद समाप्त हो जाएगी।

चूक की संभावना (पीडी) का निर्धारण

कंपनी ने वार्षिक ट्रांजिशन मैट्रिक्स पर आधारित पीडी की गणना के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित रेटिंग ट्रांजिशन मैट्रिक्स का विश्लेषण किया है। ऋण की अवधि / मैच्योरिटी प्रोफाइल यानी जीवनपर्यंत पीडी द्वारा विभिन्न रेटिंग ग्रेड की चूक की आजीवन संभावना का पता लगाने के लिए इस वार्षिक ट्रांजिशन मैट्रिक्स को एक्स्ट्रापोलेटेड किया गया। हालांकि, राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए, कंपनी जब भी अद्यतन होती है, विद्युत मंत्रालय द्वारा रेटिंग अपनाती है।

राज्य वितरण कंपनियों के लिए, कंपनी विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली रेटिंग्स को उनके अपडेट होते ही अपना लेती है। चूंकि विद्युत मंत्रालय और बाहरी रेटिंग एजेंसियां अलग-अलग रेटिंग शब्दावली का उपयोग करती हैं, इसलिए क्रेडिट जोखिम के संदर्भ में समान परिणाम प्राप्त करने के लिए दोनों शब्दावलियों का मिलान किया जाता है, जिससे पीडी निर्धारण में निरंतरता और सटीकता सुनिश्चित होती है।

लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट (एलजीडी) कम्प्यूटेशन मॉडल

कंपनी ने ऐतिहासिक ट्रेंड, रिसर्च और इंडस्ट्री बेंचमार्किंग के आधार पर एक एलजीडी मॉडल तैयार किया है॥ एलजीडी मॉडल में समीक्षा किए गए कारकों में प्रति यूनिट परियोजना लागत, पीपीए की स्थिति, एफएसए की स्थिति आदि शामिल हैं। आंतरिक अनुसंधान के आधार पर कंपनी ने निजी क्षेत्र में थर्मल, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए इन कारकों को बेंचमार्क किया है। निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के मामले में, एलजीडी का पता लगाने के लिए परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य का पता लगाने हेतु कंपनी द्वारा की गई मूल्यांकन रिपोर्टों, समाधान प्रक्रिया के परिणाम आदि सहित उचित अनुमानों का उपयोग किया गया। राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कंपनी ने राज्य सहायता में उद्घाटित किया है और यह माना कि राज्य / केंद्र सरकारें अतीत में देखी गई राज्य क्षेत्र की संस्थानों (बिजली कंपनियों) के ऋण दायित्वों को चुकाने के लिए कदम उठाएंगी।

(छ) ईसीएल के मापन में उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएँ

(i) कंपनी प्रारंभिक मान्यता की तिथि को आधार तिथि मानती है जिससे क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि निर्धारित की जाती है।

(ii) ईएडी में मूल बकाया राशि (इसके साथ ही क्रेडिट वार्ता कारक (सीसीएफ) लागू न लिए गए हिस्से के साथ), अर्जित ब्याज, वित्तीय परिसंपत्ति पर बकाया ब्याज और बकाया लेटर्स ऑफ कम्फर्ट शामिल हैं, जो कंपनी को डिफ़ॉल्ट के समय बकाया होने की उम्मीद है।

(ज) क्रेडिट जोखिम एक्सपोज़र

विभिन्न क्रेडिट रेटिंग वाले उधारकर्ताओं के संबंध में क्रेडिट जोखिम एक्सपोज़र निम्नानुसार है

(₹ करोड़ में)

ऋण जोखिम श्रेणी (आंतरिक/मैप की गई रेटिंग)	31-03-2026 तक				31-03-2025 तक			
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
निष्पादित								
बहुत अच्छा (एएए | एए | ए | सरकारी ऋण)	2,67,788.14	9,966.88	-	2,77,755.02	2,27,156.98	41,032.49	-	2,68,189.47
अच्छा (बीबीबी | बीबी | बी)	2,36,005.71	343.46	-	2,36,349.17	1,78,400.70	4,088.70	-	1,82,489.40
औसत (सी)	73,437.57	10.01	-	73,447.58	1,16,210.15	-	-	1,16,210.15
उचित (डी)	-	990.63	-	990.63	-	350.32	-	350.32
गैर-निष्पादित (डी)	-	-	1,384.75	1,384.75	-	-	7,652.65	7,652.65
सकल एक्सपोज़र	**5,77,231.42**	**11,310.98**	**1,384.75**	**5,89,927.15**	**5,21,767.83**	**45,471.51**	**7,652.65**	**5,74,891.99**
हानि भत्ता (एलओसी सहित)	6,040.53	178.48	707.98	6,926.99	4,822.81	501.95	5,489.48	10,814.24
निवल एक्सपोज़र	**5,71,190.89**	**11,132.50**	**676.77**	**5,83,000.16**	**5,16,945.02**	**44,969.56**	**2,163.17**	**5,64,077.75**

(झ) समपार्श्विक तथा अन्य ऋण वृद्धिया

कंपनी ऋण जोखिम को कम करने के लिए कई नीतियां और परिपाटियां लगाती है। इनमें से सबसे सामान्य संवितरित निधियों के लिए समपार्श्विक को स्वीकार करना है। कंपनी में समपार्श्विक अथवा ऋण जोखिम को कम करने की विशेष श्रेणियों की स्वीकार्यता के संबंध में आंतरिक नीतियां हैं। ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रमुख समपार्श्विक प्रकार निम्नलिखित हैं:

- अचल परिसंपत्तियों का बंधक
- चल संपत्ति का दृष्टि बंधक
- परियोजना संविदा दस्तावेजों को सौंपना
- इन्स्ट्रूमेंट्स का संकल्प जिसके माध्यम से प्रमोटर का अंशदान परियोजना में लगाया जाता है
- प्रमोटर की शेयरधारिता का संकल्प
- प्रमोटर की व्यक्तिगत तथा कारपोरेट गारंटी

(ञ) हानि भत्ता

उस अवधि में माना गया हानि भत्ता कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

- चरण 1 और चरण 2 या 3 के बीच वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स में क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (या कमी) का अनुभव होने या अवधि में क्रेडिट-इम्पेयर्ड होने के कारण स्थानांतरण, और परिणामस्वरूप 12 माह के बीच "स्टेप अप" (या "स्टेप डाउन") और जीवनपर्यंत ईसीएल
- अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त नए वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स के लिए अतिरिक्त भत्ते, साथ ही अवधि में गैर-मान्यता प्राप्त वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स के लिए रिलीज़
- मॉडल में इनपुट के नियमित रिफ्रेशिंग से उत्पन्न होने वाली अवधि में पीडी, ईएडी और एलजीडी में परिवर्तन के कारण ईसीएल की माप पर प्रभाव
- अवधि के दौरान अमान्य की गई वित्तीय परिसंपत्तियां और उस अवधि के दौरान रीटन ऑफ में डाली गई संपत्तियों से संबंधित भत्तों को राइट ऑफ में डालना

निम्नलिखित तालिकाएं ऋण परिसंपत्तियों में परिवर्तन (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित) और रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ तथा अंत के बीच तद्रूपी ईसीएल भत्ते को स्पष्ट करती है :

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	चरण 1		चरण 2		चरण 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	आजीवन ईसीएल	सकल राशि	आजीवन ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
12 महीने के ईसीएल में अं तरण	**5,21,767.83**	**4,822.81**	**45,471.51**	**501.95**	**7,652.65**	**5,489.48**	**5,74,891.99**	**10,814.24**
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	34,098.14	382.46	(34,098.14)	(382.46)	-	-	-	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण से क्रेडिट इम्पेयर्ड नहीं	(384.83)	(1.10)	1,496.90	361.14	(1,112.07)	(360.04)	-	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण से क्रेडिट इम्पेयर्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
पीडी / एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	73.87	-	(240.35)	-	30.83	-	(135.65)
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां (मौजूदा परिसंपत्तियों में अग्रिम संवितरण सहित)	2,16,516.97	2,101.22	3.30	-	-	-	2,16,520.27	2,101.22
वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें अमान्य कर दिया है (मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	(1,94,766.69)	(1,338.73)	(1,562.59)	(61.80)	(1,361.39)	(657.85)	(1,97,690.67)	(2,058.38)
टेक्निकल राइट ऑफ	-	-	-	-	(1,397.58)	(1,397.58)	(1,397.58)	(1,397.58)
ऊपर बताए गए मामलों के अलावा अन्य राइट-ऑफ़	-	-	-	-	(2,396.86)	(2,396.86)	(2,396.86)	(2,396.86)
अंतिम शेष	**5,77,231.42**	**6,040.53**	**11,310.98**	**178.48**	**1,384.75**	**707.98**	**5,89,927.15**	**6,926.99**

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	चरण 1		चरण 2		चरण 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	आजीवन ईसीएल	सकल राशि	आजीवन ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
प्रारंभिक शेष	**4,82,554.12**	**2,767.04**	**18,999.65**	**191.70**	**13,810.33**	**9,453.80**	**5,15,364.10**	**12,412.54**
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	392.16	41.21	(392.16)	(41.21)	-	-	-	-
आजीवन ईसीएल में अंतरण से क्रेडिट इम्पेयर्ड नहीं	(28,280.78)	(113.48)	28,280.78	113.48	-	-	-	-
आजीवन ईसीएल में अंतरण से क्रेडिट इम्पेयर्ड	(14.89)	(1.03)	-	-	14.89	1.03	-	-
पीडी / एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	268.70	-	258.26	-	0.97	-	527.93
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां (मौजूदा परिसंपत्तियों में अग्रिम संवितरण सहित)	1,95,040.20	2,321.88	1,888.35	7.80	-	-	1,96,928.55	2,329.68
वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें अमान्य कर दिया है (मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	(1,27,922.98)	(461.51)	(3,305.11)	(28.08)	(3,688.03)	(1,481.78)	(1,34,916.12)	(1,971.37)
टेक्निकल राइट ऑफ	-	-	-	-	-	-	-	-
ऊपर बताए गए मामलों के अलावा अन्य राइट-ऑफ़	-	-	-	-	(2,484.54)	(2,484.54)	(2,484.54)	(2,484.54)
अंतिम शेष	**5,21,767.83**	**4,822.81**	**45,471.51**	**501.95**	**7,652.65**	**5,489.48**	**5,74,891.99**	**10,814.24**

(ठ) **चरण वार एक्सपोज़र और इंपेयरमेंट हानि भत्ता का विवरण:**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक				31-03-2025 तक			
	चरण I	चरण II	चरण III	कुल	चरण I	चरण II	चरण III	कुल
कुल एक्सपोज़र	5,77,231.42	11,310.98	1,384.75	5,89,927.15	5,21,767.83	45,471.51	7,652.65	5,74,892.00
इंपेयरमेंट भत्ता	6,040.53	178.48	707.98	6,926.99	4,822.81	501.95	5,489.48	10,814.24
ईसीएल %	1.05%	1.58%	51.13%	1.17%	0.92%	1.10%	71.73%	1.88%

(ड) **क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण**

कंपनी उधारकर्ता के प्रकार के आधार पर जिसमें उधारकर्ता काम करता है, उद्योग के प्रकार के आधार पर ऋण जोखिम (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित ऋण परिसंपत्तियां) की एकाग्रता की निगरानी करती है, जो उधारकर्ता के प्रकार में आगे विभाजित होती है, चाहे वह राज्य क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	सकल राशि	ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
उद्योग द्वारा संकेंद्रण				
उत्पादन	1,46,100.18	3,310.43	1,55,078.89	6,762.83
नवीकरणीय ऊर्जा	80,052.82	769.99	63,665.96	1,013.41
ट्रांस्कोस	45,822.78	71.93	47,874.68	41.35
डिस्कॉम्स	2,56,317.63	2,486.18	2,34,130.98	2,942.82
पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर	36,803.63	249.85	50,953.11	43.35
इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं लॉजिस्टिक्स	22,610.12	38.58	20,638.62	10.44
सरकारी ऋण	2,219.99	0.03	2,549.75	0.04
कुल	**5,89,927.15**	**6,926.99**	**5,74,891.99**	**10,814.24**
स्वामित्व द्वारा संकेंद्रण				
राज्य क्षेत्र (यानी, राज्य और/या केंद्र सरकार के नियंत्रण वाली संस्थाएं)	4,94,595.93	5,335.33	4,94,580.49	4,612.58
निजी क्षेत्र	95,331.22	1,591.66	80,311.50	6,201.66
कुल	**5,89,927.15**	**6,926.99**	**5,74,891.99**	**10,814.24**

इसमें ₹6267.79 करोड़ (31.03.2025 की स्थिति के अनुसार ₹8008.70 करोड़) की राशि के लेटर ऑफ कम्फर्ट और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पर ₹33.54 करोड़ (31.03.2025 की स्थिति के अनुसार ₹18.48 करोड़) का ईसीएल शामिल है।

(ढ) **क्षेत्रवार क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियां – उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के चरण–III परिसंपत्तियों का प्रतिशत**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र	**0.24%**	**1.35%**
- विद्युत	0.24%	1.35%

(ण) **क्रेडिट–इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
(i)	**सकल अग्रिमों हेतु सकल क्रेडिट–इंपेयर्ड परिसंपत्तियां (%)**	0.24%	1.35%
(ii)	**सकल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट–इंपेयर्ड परिसंपत्तियां (%)**	0.12%	0.38%
(iii)	**निवल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट–इंपेयर्ड परिसंपत्तियां (%)**	0.12%	0.39%
(iv)	**क्रेडिट–इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (सकल)**		
क	प्रारम्भिक शेष	7,652.65	13,810.33
ख	वर्ष के दौरान जुड़ाव	-	14.89
ग	वर्ष के दौरान कटौतियां	(2,473.46)	(3,688.03)
घ	वर्ष के दौरान टेक्निकल राइट-ऑफ	(1,397.58)	-
ड	वर्ष के दौरान दिए गए लोगों के अलावा अन्य राइट ऑफ	(2,396.86)	(2,484.54)
च	अंतिम शेष	**1,384.75**	**7,652.65**
(v)	**क्रेडिट–इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (निवल)**		
क	प्रारम्भिक शेष	2,163.17	4,356.53
ख	वर्ष के दौरान जुड़ाव	(30.83)	12.89
ग	वर्ष के दौरान कटौतिया	(1,455.57)	(2,206.25)
घ	वर्ष के दौरान राइट-ऑफ टेक्निकल	-	-
ड	वर्ष के दौरान दिए गए लोगों के अलावा अन्य राइट ऑफ	-	-
च	अंतिम शेष	**676.77**	**2,163.17**
(vi)	**क्रेडिट-इंपेयर्ड परिसंपत्तियों हेतु प्रावधानों का संचलन**		
क	प्रारम्भिक शेष	5,489.48	9,453.80
ख	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	30.83	2.00
ग	वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को राइट–बैक	(1,017.89)	(1,481.78)
घ	वर्ष के दौरान टेक्निकल राइट-ऑफ	(1,397.58)	-
ड	वर्ष के दौरान दिए गए लोगों के अलावा अन्य राइट ऑफ	(2,396.86)	(2,484.54)
च	अंतिम शेष	**707.98**	**5,489.48**

(त) भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2025 के अनुसार, अन्यथा आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋणों पर विचार किया गया था, सकल एनपीए से सकल ऋण अनुपात 2.19% (पिछले वर्ष 3.62%) और 31 मार्च 2026 तक निवल एनपीए से निवल ऋण 1.92% (पिछले वर्ष 2.56%) होगा।

(थ) **राइट ऑफ नीति**

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को, पूर्ण या आंशिक रूप से, न्यायिक प्राधिकरण के आदेश द्वारा निर्देशित करती है या जब उसने सभी व्यावहारिक वसूली प्रयासों को समाप्त कर दिया है और यह निष्कर्ष

लेखा संबंधी टिप्पणियां

निकाला है कि वसूली की कोई उचित उम्मीद नहीं है। वसूली की कोई उचित उम्मीद नहीं होने के संकेत में प्रवर्तन गतिविधि का बंद होना या जहां कंपनी की वसूली विधि संपार्श्विक पर फोरक्लोजिंग है और संपार्श्विक का मूल्य ऐसा है कि पूर्ण वसूली की कोई उचित उम्मीद नहीं है।

(द) टेक्निकल राइट ऑफ

कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक के "तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए दिशा-निर्देश 2025" दिनांक 28 नवंबर 2025 के अनुपालन में तकनीकी राइट ऑफ नीति को मंजूरी दी है। तकनीकी राइट ऑफ वे स्टेज-3 ऋण परिसंपत्तियां हैं जो उधारकर्ताओं के ऋण खाता स्तर पर बकाया हैं, लेकिन कंपनी द्वारा केवल लेखांकन उद्देश्यों के लिए, उधारकर्ता के खिलाफ दावों की किसी भी छूट के बिना और उसी की वसूली के लिए पूर्वाग्रह के बिना, पूरी तरह या आंशिक रूप से राइट ऑफ कर दी गई हैं। नीति में तकनीकी राइट ऑफ के लिए पूर्व शर्त, विवेकपूर्ण उपचार और ऐसे राइट ऑफ के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 1,397.58 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की ₹ 1,397.58 करोड़ की राशि के 5 ऋण खातों को तकनीकी रूप से राइट ऑफ किया है, जिन्हें 100% हानि भत्ता के साथ स्टेज-3 परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
प्रारंभिक शेष / टेक्निकल राइट-ऑफ का प्रारंभिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान टेक्निकल /प्रूडेंशियल राइट-ऑफ	1,397.58	-
वर्ष के दौरान पहले टेक्निकल /प्रूडेंशियल तरीके से राइट-ऑफ में डाले गए खातों से की गई वसूली	-	-
वर्ष के दौरान पहले टेक्निकल /प्रूडेंशियल राइट-ऑफ निपटान	-	-
टेक्निकल /प्रूडेंशियल राइट-ऑफ का अंतिम शेष	1,397.58	-

(ध) व्यवसाय मॉडल पॉलिसी

कंपनी अपने व्यवसाय मॉडल को उस स्तर पर निर्धारित करती है जो सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है कि वह अपने व्यवसाय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों का प्रबंधन कैसे करती है। कंपनी के व्यवसाय मॉडल का मूल्यांकन उपकरण-दर-उपकरण के आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि समेकित पोर्टफोलियो के उच्च स्तर पर किया जाता है।

कंपनी विद्युत क्षेत्र /बुनियादी ढांचा की संपूर्ण मूल्य शृंखला में ऋण देने के कारोबार में लगी है और इस तरह के ऋणों को ऋण के कार्यकाल में संविदात्मक भुगतान (मूलधन और ब्याज सहित) एकत्रित करके नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए प्रबंधित किया जाता है। इसके अलावा, ऋण निवेश की प्रकृति में निवेश और सहमत शर्तों के अनुसार संविदागत भुगतान एकत्रित करने के लिए कंपनी द्वारा निवेश और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां भी रखी जा सकती हैं।

अत: कंपनी का व्यवसाय मॉडल ऋणों, कुछ वित्तीय निवेशों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए ''होल्ड टू कलेक्ट" के सिद्धांत पर आधारित है। यदि संविदागत शर्तें ऐसे नकदी प्रवाह को बढ़ावा देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान हैं, तो ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

(न) परिशोधित लागत व्यवसाय से बाहर बिक्री के लिए नीति

कंपनी अपने सामान्य व्यवसाय में ऋण परिसंपत्तियों सहित वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री नहीं करती है।

हालांकि, कंपनी भारत में विनियामक ढांचे के अनुसार ऋण-इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों के संबंध में देय राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ सकती है। परिणामस्वरूप, ऋण अशोध्य ऋण को या तो आईबीसी कार्यवाही के हिस्से के रूप में पुनर्गठित/फिर से बातचीत की जा सकती है या अन्यथा निपटाया जा सकता है और इंड एएस 109-वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकताओं के अनुसार गैर-मान्यता के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

(प) ऐसा कोई खाता नहीं है जिसमें 90 दिनों से अधिक की अतिदेयता हो, लेकिन उसे क्रेडिट इम्पेयर्ड नहीं माना जाएगा (पिछले वर्ष शून्य)

(फ) भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2025 के तहत वित्त वर्ष 2025-26 (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान स्थानांतरण ऋणों का शून्य मामला है और अधिग्रहित के लिए शून्य है। एआरसी को ऐसे स्थानांतरण मामले का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
खातों की संख्या	शून्य	1
हस्तांतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)		797.00
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि		2 वर्ष
हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)		-
समग्र प्रतिफल (₹ करोड़ में)		63.00
पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल प्राप्त हुआ		-

वर्ष के दौरान, दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की बिक्री के कारण लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित अतिरिक्त प्रावधान शून्य रहा (पिछले वर्ष ₹63 करोड़)।

(ब) कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के संबंध में प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2025 दिनांक 28 नवंबर, 2025 और भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां- तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान) निर्देश, 2025 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के अनुसार, कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं का तिमाही-वार संचलन इस प्रकार है:

	मद विवरण	31.03.2025 को समाप्त तिमाही के लिए		31.03.2026 को समाप्त तिमाही के लिए	
		खातों की संख्या	कुल बकाया (₹ करोड़ में)*	खातों की संख्या	कुल बकाया (₹ करोड़ में)*
1	**तिमाही की शुरुआत में कार्यान्वयन खातों के तहत परियोजनाएं ***	**10**	**4,164.13**	**6**	**3,530.94**
2	तिमाही के दौरान कार्यान्वित खातों के तहत स्वीकृत परियोजनाएं	2	511.69	17	13,433.29
3	कार्यान्वित खातों के तहत परियोजनाएं जहां तिमाही के दौरान डीसीसीओ प्राप्त किया गया है	-	-	1	5,222.04
4	तिमाही के अंत में कार्यान्वित खातों के तहत परियोजनाएं। (1+2+3)	12	4,675.82	22	11,742.19
5	4' में से - जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार सहित संकल्प प्रक्रिया लागू की गई है,जैसा भी मामला हो	11	4,225.82	22	11,742.19
5.1	5' में से - जिनके संबंध में संकल्प योजना लागू की गई है	5	847.18	7	4,269.29

	मद विवरण	31.03.2025 को समाप्त तिमाही के लिए		31.03.2026 को समाप्त तिमाही के लिए	
		खातों की संख्या	कुल बकाया (₹ करोड़ में)*	खातों की संख्या	कुल बकाया (₹ करोड़ में)*
5.2	5' में से - जिनके संबंध में संकल्प योजना कार्यान्वित की जा रही है	6	3,378.63	15	7,472.90
5.3	5' में से - जिनके संबंध में संकल्प योजना विफल हो गई है			-	-
6	**5' में से, जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार सहित संकल्प प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, परियोजना के दायरे और आकार में परिवर्तन के कारण लागू किया गया है**			-	-
7	**5' में से, जिसके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार से जुड़ी लागत अतिप्रवाह, जैसा भी मामला हो, वित्त पोषित किया गया था**	1**	450.00	1	387.37
7.1	7' में से, ऐसे खाते जहां वित्तीय समापन के दौरान एसबीसीएफ स्वीकृत किया गया था और लगातार नवीनीकृत किया गया था	-	-	-	-
7.2	7' में से, ऐसे खाते जहां एसबीसीएफ को पूर्व-स्वीकृत या लगातार नवीनीकृत नहीं किया गया था	-	-	-	-
8	4' में से - जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार शामिल नहीं है, जैसा भी मामला हो, समाधान प्रक्रिया लागू की गई है	-	-	-	-
8.1	8' में से - जिनके संबंध में संकल्प योजना को लागू किया गया है	-	-	-	-
8.2	8' में से - जिनके संबंध में संकल्प योजना कार्यान्वित की जा रही है	-	-	-	-
8.3	8' में से - जिनके संबंध में संकल्प योजना विफल रही है	-	-	-	-

नोट :

** कुल बकाया तिमाही के अंत में राशि है।*

***इस मामले में सीओडी को 01 अक्टूबर 2025 से पहले बढ़ा दिया गया है और 31 दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान लागत में वृद्धि को मंजूरी दी गई है।*

(भ) भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आय की मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान) निर्देश, 2025 (13 फरवरी, 2026 को अद्यतन) के अनुसार आवश्यक प्रावधान और इंड-एएस के अनुसार हानि भत्ता के बीच तुलना

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई मानदंड के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	इंड-एएस 109 के अनुसार वर्गीकृत रिसंपत्तियां	बकाया राशि	इंड-एएस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड-एएस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड-एएस 109 प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड के मध्य विभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
निष्पादित परिसंपत्तियां							
मानक	चरण 1	5,60,535.30	5,62,758.20	5,130.04	5,57,628.16	4,014.07	1115.97
	चरण 2	10,320.35	10,559.90	54.85	10,505.05	41.28	13.57
उप जोड़ (1)		**5,70,855.65**	**5,73,318.10**	**5,184.89**	**5,68,133.21**	**4,055.35**	**1129.54**
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां							
अवमानक परिसंपत्तियां							
	चरण 1	630.34	632.93	20.73	612.20	63.03	(42.30)
	चरण 3	-	-	-	-	-	-
अवमानक परिसंपत्तियों का उपजोड़		**630.34**	**632.93**	**20.73**	**612.20**	**63.03**	**(42.30)**
संदिग्ध परिसंपत्तियां							
1 वर्ष तक	चरण 1	9,420.85	9,423.62	843.63	8,579.99	1,884.17	(1,040.54)
3 वर्ष से अधिक	चरण 1	377.14	377.24	12.59	364.65	166.31	(153.72)
1 से 3 वर्ष	चरण 2	990.63	999.88	123.63	876.25	303.95	(180.32)
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	1,384.75	1,384.75	707.98	676.77	694.73	13.25
संदिग्ध परिसंपत्तियां के लिए उप -जोड़		**12,173.37**	**12,185.49**	**1,687.83**	**10,497.66**	**3,049.16**	**(1361.33)**
हानि परिसंपत्तियां							
	चरण 2	-	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	-	-	-	-	-
हानि परिसंपत्तियों का उपजोड़		-	-	-	-	-	-
एनपीए के लिए उप-जोड़ (2)		**12,803.71**	**12,818.42**	**1,708.56**	**11,109.86**	**3,112.19**	**(1403.63)**
कुल ऋण परिसंपत्तियां		**5,83,659.36**	**5,86,136.52**	**6,893.45**	**5,79,243.07**	**7,167.54**	**(274.09)**
अन्य मदें (जिनका जोखिम आकस्मिक देयता का हिस्सा है) जैसे कि गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएं, आदि जो इंड एएस 109 के दायरे में हैं लेकिन वर्तमान आईआरएसीपी मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।							
	चरण 1	-	-	307.38	(307.38)	-	307.38

लेखा संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई मानदंड के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	इंड-एएस 109 के अनुसार वर्गीकृत रिसंपत्तियां	बकाया राशि	इंड-एएस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड-एएस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड-एएस 109 प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड के मध्य विभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
	चरण 2	-	-	8.87	(8.87)	-	8.87
	चरण 3	-	-	-	-	-	-
उप-जोड़ (3)		**-**	**-**	**316.25**	**(316.25)**	**-**	**316.25**
कुल	चरण 1	**5,70,963.63**	**5,73,191.99**	**6,323.24**	**5,66,877.62**	**6,127.58**	**186.79**
	चरण 2	**11,310.98**	**11,559.78**	**178.48**	**11,381.30**	**345.23**	**(157.88)**
	चरण 3	**1,384.75**	**1,384.75**	**707.98**	**676.77**	**694.73**	**13.25**
	कुल	**5,83,659.36**	**5,86,136.52**	**7,209.70**	**5,78,935.69**	**7,167.54**	**42.16**

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई मानदंड के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	इंड-एएस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियां	बकाया राशि	इंड-एएस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड-एएस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड-एएस 109 प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड के मध्य विभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
निष्पादित परिसंपत्तियां							
मानक	चरण 1	5,00,906.40	5,02,886.60	4,031.67	4,98,854.93	2,683.62	1348.05
	चरण 2	45,471.51	46,488.16	501.95	45,986.21	181.89	320.06
उप जोड़ (1)		**5,46,377.91**	**5,49,374.76**	**4,533.62**	**5,44,841.14**	**2,865.51**	**1668.11**
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां							
अवमानक परिसंपत्तियां	चरण 1	12,467.39	12,470.98	764.17	11,706.81	1,246.74	(482.57)
	चरण 3	13.77	13.77	2.75	11.02	1.28	1.47
अवमानक परिसंपत्तियों का उपजोड़		**12,481.16**	**12,484.75**	**766.92**	**11,717.83**	**1,248.02**	**(481.10)**
संदिग्ध परिसंपत्तियां							
1 वर्ष तक	चरण 3	1,512.43	1,512.43	754.87	757.56	480.16	274.71
1 से 3 वर्ष	चरण 1	385.34	385.44	8.48	376.96	169.92	(161.44)
	चरण 3	6,126.45	6,126.45	4,731.86	1,394.59	4,111.46	620.40
संदिग्ध परिसंपत्तियां के लिए उप जोड़		8,024.22	8,024.32	5,495.21	2,529.11	4,761.54	733.67
एनपीए के लिए उप-जोड़ (2)		**20,505.38**	**20,509.07**	**6,262.13**	**14,246.94**	**6,009.56**	**252.57**
कुल ऋण परिसंपत्तियां		**5,66,883.29**	**5,69,883.83**	**10,795.75**	**5,59,088.08**	**8,875.07**	**1920.68**
अन्य मदें (जिनका जोखिम आकस्मिक देयता का हिस्सा है) जैसे कि गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएं, आदि जो इंड एएस 109 के दायरे में हैं लेकिन वर्तमान आईआरएसीपी मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।							
	चरण 1	8,008.70	8,008.70	18.48	7,990.22	-	18.48
	चरण 2	-	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	-	-	-	-	-
उप-जोड़ (3)		**8,008.70**	**8,008.70**	**18.48**	**7,990.22**	**-**	**18.48**
कुल	**चरण 1**	**5,21,767.83**	**5,23,751.72**	**4,822.80**	**5,18,928.92**	**4,100.28**	**722.52**
	चरण 2	**45,471.51**	**46,488.16**	**501.95**	**45,986.21**	**181.89**	**320.06**
	चरण 3	**7,652.65**	**7,652.65**	**5,489.48**	**2,163.17**	**4,592.90**	**896.58**
	कुल	**5,74,891.99**	**5,77,892.53**	**10,814.23**	**5,67,078.30**	**8,875.07**	**1939.16**

(म) जैसा कि कंपनी द्वारा रिपोर्ट किया गया है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आरबीआई द्वारा किए गए पिछले वार्षिक निरीक्षण के दौरान मूल्यांकन किए गए परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में कोई भिन्नता नहीं है (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शून्य)

52.2 तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जिनका निपटान नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्रदान करके किया जाता है। तरलता प्रबंधन के प्रति कंपनी का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि जहाँ तक संभव हो, उसके पास अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता उपलब्ध रहे।

कंपनी अपनी तरलता जोखिम का प्रबंधन रणनीतियों के मिश्रण के माध्यम से करती है, जिसमें अनुमानित संवितरण और परिपक्वता दायित्वों के आधार पर दूरदर्शी संसाधन जुटाना शामिल है। कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ("एएलसीओ") का गठन भी किया है जो तरलता अंतर विश्लेषण की मदद से तरलता जोखिम की निगरानी करती है। इसके अलावा, कंपनी ने एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित आकस्मिकता वित्तपोषण योजना ("सीएफपी") को लागू किया है, जो लागू नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप गंभीर तनाव परिदृश्यों के तहत तरलता के प्रबंधन के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतकों, वैकल्पिक वित्तपोषण स्रोतों और वृद्धि प्रक्रियाओं का एक संरचित ढांचा प्रदान करता है।

कंपनी पर्याप्त बैंक राशि , नकदी में आसानी से परिवर्तनीय अल्पकालिक निवेश और पर्याप्त उधार और ओवरड्राफ्ट सुविधाएं बनाए रखती है, जो लगातार पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी करती है और जहां भी आवश्यक हो, तनावग्रस्त परिस्थितियों में नियमित तरलता प्रबंधन के पूरक के लिए सीएफपी के तहत परिकल्पित उपायों का उपयोग कर सकती है।

52.2.1 भविष्य के गैर-छूट प्राप्त नकदी प्रवाह का परिपक्वता पैटर्न

वित्तीय देयताओं की मदों के लिए नकदी प्रवाह (भविष्य में गैर-छूट प्राप्त नकदी प्रवाह मूलधन और ब्याज की ओर दर्शाना) निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2026 तक	1-7 दिन	8-14 दिन	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं :											
रुपये उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां											
- मूलधन	-	-	3,435.04	2,016.12	8,717.90	9,839.93	22,905.08	71,430.40	59,913.59	92,074.08	2,70,332.14
- ब्याज	-	-	1,639.51	1,787.54	3,797.83	3,182.33	7,984.05	28,876.39	19,924.39	30,507.92	97,699.96
अन्य उधारियां											
- मूलधन	359.01	245.30	646.40	1,618.00	2,500.00	625.00	5,920.48	41,849.87	25,140.96	870.39	79,775.41
- ब्याज	317.15	-	210.55	364.59	753.95	1,088.72	2,371.49	7,394.34	2,059.74	33.45	14,593.98
अधीनस्थ देयताएं											
- मूलधन	-	-	-	-	-	-	-	2,151.20	1,999.50	5,085.00	9,235.70
- ब्याज	-	-	159.60	-	156.83	87.53	406.99	1,625.53	1,216.58	1,380.10	5,033.16
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां											
- मूलधन	-	-	-	-	-	4,732.72	3,786.17	16,034.90	6,356.17	159.98	31,069.93
- ब्याज	-	199.11	-	-	-	381.53	528.05	1,323.99	106.07	10.53	2,549.28
अन्य उधारियां											
- मूलधन	1,988.20	1,419.81	-	198.03	-	5,679.26	14,252.08	51,203.33	39,154.02	1,424.07	1,15,318.80
- ब्याज	12.43	24.68	85.50	161.94	465.96	1,069.51	1,684.63	4,441.44	1,474.18	88.78	9,509.05
व्युत्पन्न देयताएं :											
ब्याज दर व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-	2.28	168.88	198.35	396.64	766.15
मुद्रा व्युत्पन	204.10	100.14	-	-	-	-	-	794.88	83.89	-	1,183.01

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2025 तक	1-7 दिन	8-14 दिन	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं :											
रुपये उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां											
- मूलधन	-	2,396.00	52.58	206.41	1,829.60	3,123.67	17,681.45	75,117.23	50,483.99	1,05,496.81	**2,56,387.74**
- ब्याज	-	63.20	634.87	1,375.99	3,341.64	3,392.50	9,105.32	30,103.65	20,547.66	33,233.13	**1,01,797.96**
अन्य उधारियां											
- मूलधन	570.78	-	-	499.97	-	1,747.94	3,071.70	16,042.34	32,475.86	2,141.64	**56,550.23**
- ब्याज	299.75	3.78	135.82	276.83	499.78	844.35	1,912.70	6,661.98	2,819.78	249.66	**13,704.43**
अधीनस्थ देयताएं											
- मूलधन	-	-	-	-	-	-	-	-	2,151.20	7,084.50	**9,235.70**
- ब्याज	-	-	159.60	-	181.64	87.53	377.23	1,608.58	1,393.45	1,968.02	**5,776.05**
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां											
- मूलधन	-	-	-	-	-	-	-	14,120.93	14,011.88	153.23	**28,286.04**
- ब्याज	-	180.03	-	-	-	350.31	530.50	1,809.13	519.13	13.47	**3,402.57**
अन्य उधारियां											
- मूलधन	2,439.49	1,283.72	2,871.66	6,934.43	3,489.95	8,513.23	19,203.59	34,127.57	55,053.09	3,836.63	**1,37,753.36**
- ब्याज	25.42	50.80	132.08	277.73	492.81	1,057.51	1,751.12	5,528.33	2,697.32	292.49	**12,305.61**
व्युत्पन्न देयताएं :											
ब्याज दर व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-	-	10.52	197.92	73.89	**282.33**
मुद्रा व्युत्पन्न	53.31	30.33	90.31	215.99	51.87	242.02	160.83	100.85	442.22	-	**1,387.73**

पुट एंड कॉल ऑप्शन वाले बॉण्ड्स को सबसे जल्दी क्रियान्वित की जाने वाली तारीख पर विचार करते हुए दर्शाया गया है। व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए तरलता विश्लेषण व्युत्पन्न संविदा के उचित मूल्यों पर आधारित है और परिपक्वता बकेट, संबंधित व्युत्पन्न संविदा के शेष कार्यकाल के आधार पर निकाली गई है।

वित्तीय देयताओं के लिए अपेक्षित पर्याप्त नकद प्रवाह का वित्तपोषण निम्नलिखित रूप में ऋणों से गैर-छूट प्राप्त नकद प्रवाहों (मूलधन तथा ब्याज) के माध्यम से किया जाएगा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1-7 दिन	8-14 दिन	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2026 तक											
मूल धन	2,247.20	153.83	5,342.02	4,780.28	6,734.97	19,686.23	41,447.00	1,27,443.21	1,09,244.51	2,59,686.65	**5,76,765.91**
ब्याज	2,412.93	42.72	1,548.01	3,828.06	6,259.67	13,417.63	25,190.65	84,474.72	60,475.48	1,16,520.27	**3,14,170.15**
31 मार्च 2025 तक											
मूल धन	4,336.99	742.83	4,062.85	8,404.38	9,675.82	27,622.50	42,181.09	1,17,481.59	1,01,027.57	2,40,551.93	**5,56,087.54**
ब्याज	,378.51	28.77	1,085.31	3,376.36	6,912.33	13,193.46	24,184.83	81,455.26	58,841.79	1,10,700.77	**3,02,157.39**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

52.2.2 आरबीआई द्वारा यथानिर्धारित, महत्वपूर्ण वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2026 तक	1-7 दिन	8-14 दिन	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियां	3,169.40	1,075.33	6,414.96	4,861.22	6,758.51	19,667.00	41,406.51	1,27,318.72	1,09,137.80	2,59,433.62	**5,79,243.08**
निवेश	9.15	51.73	-	-	9.15	50.80	111.40	2,324.32	1,183.96	6,090.95	**9,831.45**
रूपे उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	4,609.33	3,432.59	11,415.53	11,565.39	24,675.12	71,389.38	59,835.01	91,943.27	**2,78,865.62**
अन्य उधारियां	359.01	245.30	804.21	1,618.00	2,581.28	625.00	6,083.50	41,849.44	25,140.96	870.39	**80,177.09**
अधीनस्थ देयताएं	-	-	146.92	-	126.46	43.88	16.09	2,098.38	1,915.72	5,079.29	**9,426.74**
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	4,731.12	4,060.87	15,842.90	6,322.56	159.74	**31,117.19**
अन्य उधारियां	2,006.15	1,420.50	60.14	326.70	175.57	5,920.74	14,199.19	50,825.61	38,779.88	1,424.08	**1,15,138.55**

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2025 तक	1-7 दिन	8-14 दिन	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियां	6,666.41	770.92	4,153.88	8,886.91	10,262.02	27,595.51	42,139.88	1,17,366.80	1,00,928.86	2,40,316.87	**5,59,088.06**
निवेश	-	-	-	-	60.15	56.34	39.49	770.91	1,392.43	4,354.30	**6,673.62**
रूपे उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां	-	2,453.75	719.15	1,348.32	4,344.42	5,012.63	19,449.81	75,138.36	50,435.89	1,05,326.60	**2,64,228.93**
अन्य उधारियां	574.71	-	85.21	499.97	81.28	1,747.94	3,234.26	16,042.34	32,475.86	2,141.64	**56,883.21**
अधीनस्थ देयताएं	2.11	-	146.92	-	126.46	43.88	14.41	-	2,134.86	7,045.51	**9,514.15**
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	250.21	13,837.70	13,958.48	152.97	**28,199.36**
अन्य उधारियां	2,453.53	1,291.16	2,953.17	7,059.27	3,658.32	8,716.31	19,210.69	33,912.39	54,330.33	3,831.76	**1,37,416.93**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

52.2.3 **वित्तपोषण उपाय**

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के पास निम्नलिखित अनआहरित उधार सुविधाओं तक पहुंच थी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
एक वर्ष के भीतर समाप्त हो रही		
- स्थाई दर	-	-
– अस्थाई दर	12,936.63	14,291.72
एक वर्ष के बाद समाप्त हो रही		
- स्थाई दर	-	-
– अस्थाई दर	1,199.67	1,222.19

52.2.4 **भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - परिसंपत्ति देयता प्रबंधन) निर्देश, 2025 और भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2025 के अनुसार तरलता जोखिम प्रबंधन पर अतिरिक्त प्रकटीकरण**

कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और साथ ही एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ("एएलसीओ") का भी गठन किया है जो तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की निगरानी करता है। कंपनी लगातार अनुमानित और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी करती है और तदनुसार पर्याप्त बैंक शेष, ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, अल्पावधि निवेश को बनाए रखती है।

(i) **महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष के आधार पर वित्तीय संकेंद्रण (उधारियां)**

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
महत्त्वपूर्ण प्रतिपक्षों की संख्या*	15	15
राशि (₹ करोड़ में)	2,45,808.46	2,40,439.89
कुल देयताओं का %	44.28%	44.85%

(ii) **शीर्ष 10 उधार**

	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %
	31-03-2026 तक		
1	एचडीएफसी बैंक से सावधिक ऋण	17,850.00	3.53%
2	54ईसी-शृंखला XVI (2022-23)	12,152.39	2.40%
3	54ईसी- शृंखला XVII (2023-24)	11,419.07	2.26%
4	विदेशी मुद्रा उधार-यूएस $ 1175 मिलियन	11,121.88	2.20%
5	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सावधिक ऋण	10,197.00	2.02%
6	भारत सरकार से सावधिक ऋण-नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड (एनएसएसएफ)	10,000.00	1.98%
7	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से सावधिक ऋण	9,999.40	1.98%
8	आईसीआईसीआई बैंक से सावधिक ऋण	8,583.00	1.70%
9	पंजाब नेशनल बैंक से सावधिक ऋण	8,299.10	1.64%
10	54 ईसी - शृंखला XVIII(2024-25)	7,634.21	1.51%
	कुल	**1,07,256.05**	**21.21%**

	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %
	31-03-2025 तक		
1	एचडीएफसी बैंक से सावधिक ऋण	17,850.00	3.66%
2	54ईसी-शृंखला XVI (2022-23)	12,152.39	2.49%
3	54ईसी-शृंखला XVII (2023-24)	11,419.57	2.34%
4	विदेशी मुद्रा उधार-यूएस $ 1175 मिलियन	10,055.81	2.06%
5	भारत सरकार से सावधिक ऋण-नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड (एनएसएसएफ)	10,000.00	2.05%
6	पंजाब नेशनल बैंक से सावधिक ऋण	8,962.44	1.84%
7	54ईसी-शृंखला XV (2021-22)	7,312.80	1.50%
8	54ईसी-शृंखला XVIII (2024-25)	7,038.86	1.44%
9	विदेशी मुद्रा बॉण्ड- यूएस $ 750 मिलियन	6,418.61	1.31%
10	आईसीआईसीआई बैंक से सावधिक ऋण	5,533.00	1.13%
	कुल	**96,743.48**	**19.82%**

(iii) **महत्वपूर्ण इन्स्ट्रूमेंट / उत्पाद के आधार पर वित्तीय संकेंद्रण**

	महत्वपूर्ण इन्स्ट्रूमेंट / उत्पाद का नाम*	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
		राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %
1	**ऋण प्रतिभूतियां**				
	संस्थागत बॉण्ड	2,12,114.09	38.21%	2,00,803.29	37.45%
	54ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड	43,696.38	7.87%	43,831.57	8.18%
	विदेशी मुद्रा बॉण्ड	31,069.93	5.60%	28,286.04	5.28%
	टैक्स फ्री बॉण्ड	8,547.33	1.54%	8,953.27	1.67%
	उप-जोड़ (1)	**2,95,427.73**	**53.22%**	**2,81,874.17**	**52.58%**
2	**उधारियां (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)**				
	विदेशी मुद्रा उधारियां	1,07,178.07	19.31%	94,571.40	17.64%
	बैंकों से सावधिक ऋण	64,406.69	11.60%	41,879.47	7.81%
	भारत सरकार से सावधिक ऋण (एनएसएसएफ)	10,000.00	1.80%	10,000.00	1.87%
	एफसीएनआर (बी) ऋण	8,140.73	1.47%	43,181.96	8.05%
	बैंकों से मांग पर प्रतिदेय ऋण	3,527.00	0.64%	1,600.00	0.30%
	वित्तीय संस्थानों से सावधिक ऋण	-	0.00%	2,500.00	0.47%
	उप-जोड़ (2)	**1,93,252.49**	**34.81%**	**1,93,732.83**	**36.14%**
3	**अधीनस्थ देयताएं**	**9,235.70**	**1.66%**	**9,235.70**	**1.72%**
	कुल (1+2+3)	**4,97,915.92**	**89.70%**	**4,84,842.70**	**90.43%**

**महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष / महत्वपूर्ण इन्स्ट्रूमेंट / उत्पाद को कंपनी के कुल देयताओं के 1% से अधिक के लिए एकीकृत रूप में जुड़े हुए अथवा संबद्ध प्रतिपक्षों के एकल प्रतिपक्ष / एकल इन्स्ट्रूमेंट / उत्पाद या समूह जुड़े या संबद्ध प्रतिपक्षों के रूप में परिभाषित किया जाता है।*

(iv) **स्टॉक अनुपात**

विवरण	31-03-2026 तक				31-03-2025 तक			
	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक निधि का %	कुल देयताओं का %	कुल परिसंपत्तियों का %	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक निधि का %	कुल देयताओं का %	कुल परिसंपत्तियों का %
कमर्शियल पेपर	3,000.00	0.59%	0.54%	0.47%	-	-	-	-
अन्य अल्पावधि देयताएं	12,041.89	2.38%	2.17%	1.88%	55,031.52	11.27%	10.26%	8.96%

(v) **कंपनी में तरलता जोखिम के प्रबंधन हेतु संस्थागत व्यवस्था के लिए नोट 53.2 देखें।**

(vi) **तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)**

भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर संशोधित अपने भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - परिसंपत्ति देयता प्रबंधन) निर्देश, 2025 के अनुसार, ₹ 5,000 करोड़ या उससे अधिक की परिसंपत्ति आकार वाले गैर-जमा लेने वाले एनबीएफसी द्वारा तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) बनाए रखने का प्रावधान किया है। आरबीआई के इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाले तरल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का स्टॉक हो, जिसे महत्वपूर्ण रूप से गंभीर तरलता तनाव परिदृश्य के तहत 30 कैलेंडर दिन के समय क्षितिज के लिए अपनी तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसानी से और तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सके।

एलसीआर का प्रतिनिधित्व किया जाता है:

$$\frac{\text{उच्च गुणवत्ता वाले तरल परिसंपत्तियों का स्टॉक}}{\text{अगले 30 कैलेंडर दिनों में कुल निवल नकदी बहिर्वाह}}$$

जहां,

(i) कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह को अगले 30 कै लेंडर दिवसों के लिए कुल अपेक्षित नकदी बहिर्प्रवाह से कुल अपेक्षित नकदी अंतर्प्रवाह घटाने के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां नकदी प्रवाह को आरबीआई द्वारा निर्धारित एक पूर्वनिर्धारित दबाव प्रतिशत दिया गया है।

(ii) उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) का अर्थ है ऐसी तरल परिसंपत्ति जिसे आसानी से बेचा जा सकता है या बिना किसी मूल्य हानि के तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है या विभिन्न दबाव परिदृश्यों में धन प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

वर्तमान में, एचक्यूएलए निवेश सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक)/राज्य विकास ऋण (एसडीएल) प्रतिभूतियों और मुख्य रूप से एएए/एए कॉर्पोरेट बॉण्ड के रूप में भारतीय रुपये में रखा जाता है। प्रबंधन का मानना है कि कंपनी के पास भविष्य की संभावित अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता कवर है।

एचक्यूएलए का गठन:

एचक्यूएलए के स्टॉक में से, एएए/एए कॉर्पोरेट बॉण्ड एचक्यूएलए का उच्चतम अनुपात है, इसके बाद सरकारी प्रतिभूतियाँ और ऑटो स्वैप राशि हैं। एचक्यूएलए होल्डिंग की स्थिति इस प्रकार है:

एचक्यूएलए मदें	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
	कुल का %	कुल का %
हेयरकट के बिना परिसंपत्तियां	**40.06%**	**39.79%**
- जी-सेक एवं (एसडीएल)	40.06%	39.79%
15% हेयरकट वाली परिसंपत्तिया	**59.94%**	**59.96%**
- कारपोरेट बॉण्ड	59.94%	59.96%
50% हेयरकट वाली परिसंपत्तिया	**0.00%**	**0.25%**
- कारपोरेट बॉण्ड	0.00%	0.25%
कुल	**100.00%**	**100.00%**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

तरलता कवरेज अनुपात प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त तिमाही		31-12-2025 को समाप्त तिमाही		30-09-2025 को समाप्त तिमाही		30-06-2025 को समाप्त तिमाही		31-03-2025 को समाप्त तिमाही	
	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*
उच्च गुणवत्ता वाली तरलता परिसंपत्तिया										
कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरलता परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए)	**6,481.91**	**5,846.84**	**5,686.72**	**5,049.02**	**5,764.13**	**5,115.38**	**4,665.40**	**4,222.93**	**4,648.08**	**4,214.07**
- एए/एएए कारपोरेट बॉण्ड	4,233.79	3,598.72	4,251.34	3,613.64	4,281.85	3,633.10	2,902.95	2,460.48	2,846.51	2,412.51
- जी-सेक बॉण्ड /राज्य विकास ऋण (एसडीएल)	2,248.12	2,248.12	1,203.02	1,203.02	1,482.28	1,482.28	1,603.71	1,603.71	1,593.99	1,593.98
- नकदी एवं नकदी के समतुल्य		-	232.36	232.36	-	-	158.74	158.74	207.58	207.58
नकदी बहिर्प्रवाह										
अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित	10,461.36	12,031.00	10,660.93	12,260.00	6,583.90	7,571.00	9,965.76	11,461.00	9,573.09	11,009.00
अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित	401.60	462.00	486.24	559.00	389.87	448.00	374.74	431.00	197.53	227.00
कुल नकदी बहिर्प्रवाह	**10,862.96**	**12,493.00**	**11,147.17**	**12,819.00**	**6,973.77**	**8,019.00**	**10,340.50**	**11,892.00**	**9,770.62**	**11,236.00**
नकदी अंतर्प्रवाह										
पूर्ण रूप से निष्पादित एक्सपोज़र से अंतर्प्रवाह	11,567.09	8,675.00	11,570.81	8,678.00	13,867.72	10,401.00	13,493.19	10,120.00	14,246.58	10,685.00
अन्य नकदी अंतर्प्रवाह	15,679.15	11,759.00	19,287.57	14,466.00	12,785.03	9,589.00	10,155.62	7,617.00	16,202.92	12,152.00
कुल नकद अंतर्प्रवाह (प्रत्येक अवलोकन दिवस पर बहिर्प्रवाह के 75% तक सीमित)	**27,246.24**	**9,369.75**	**30,858.38**	**9,614.25**	**26,652.75**	**6,014.25**	**23,648.81**	**8,919.00**	**30,449.50**	**8,427.00**
कुल समायोजित मूल										
कुल एचक्यूएलए (ए)		**5,846.84**		**5,049.02**		**5,115.38**		**4,222.93**		**4,214.07**
कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह (बी)		**3,123.25**		**3,204.75**		**2,004.75**		**2,973.00**		**2,809.00**
तरलता कवरेज अनुपात (ए/बी)		**187.20%**		**157.55%**		**255.16%**		**142.04%**		**150.02%**
% में विभिन्नता (पिछली अवधि से)		**19%**		**-38%**		**80%**		**-5%**		

** संबंधित तिमाही के दौरान औसत दैनिक अवलोकन के लिए माना गया है।*

*** वर्ष के दौरान एचक्यूएलए की औसत होल्डिंग 100% की नियामक आवश्यकता से अधिक रही है। यह एचक्यूएलए निवेश प्रतिभूतियों में वृद्धि और निवल नकदी बहिर्वाह में कमी के कारण हुआ है।*

52.3 **बाजार जोखिम – मुद्रा जोखिम**

कंपनी को मुख्य रूप से यूएसडी, यूरो, जेपीवाई और एसजीडी में मूल्यवर्गित विभिन्न विदेशी मुद्रा उधारों से विदेशी मुद्रा जोखिम का सामना करना पड़ता है। कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है जिसका उद्देश्य कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में उधार लिए गए विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करना है। कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति अपने जोखिम को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं, वायदा अनुबंधों और क्रॉस करेंसी स्वैप के संयोजन का उपयोग करती है।

एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) वर्तमान में सीएमडी की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, जिसमें वित्त और परिचालन प्रभागों के कार्यात्मक निदेशक, मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) और कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य हैं। एएलसीओविभिन्न डेरिवेटिव उपकरणों के माध्यम से प्रबंधित विनिमय दर और ब्याज दर के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम की निगरानी करता है। 'कंपनी विदेशी मुद्रा अग्रिम अनुबंध, मुद्रा विकल्प, मूलधन केवल स्वैप और अग्रिम दर समझौतों जैसे विभिन्न इन्स्ट्रूमेंट्स के माध्यम से विनिमय दर को कवर करने के लिए विभिन्न व्युत्पन्न लेनदेन में प्रवेश करती है। ये व्युत्पन्न लेनदेन हेजिंग उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, न कि व्यापार या काल्पनिक उद्देश्य के लिए।

31 मार्च 2026 तक विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र की बकाया स्थिति इस प्रकार है:

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में, आईएनआर (भारतीय रुपये) समतुल्य ₹ करोड़ में)

मुद्रा	31-03-2026 तक			31-03-2025 तक		
	कुल एक्सपोज़र	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज किया गया	हेज न किया गया एक्सपोज़र	कुल एक्सपोज़र	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज किया गया	हेज न किया गया एक्सपोज़र
यूएसडी $	11,301.34	11,186.71	114.63	14,904.99	14,832.24	72.75
आईएनआर के समतुल्य	1,06,972.02	1,05,886.99	1,085.03	1,27,559.03	1,26,936.40	622.63
जेपीवाई ¥	5,11,117.97	5,11,117.97	-	5,55,865.90	5,55,865.90	-
आईएनआर के समतुल्य	30,283.74	30,283.74	-	31,545.39	31,545.39	-
यूरो €	693.97	604.02	89.95	604.02	604.02	-
आईएनआर के समतुल्य	7,564.71	6,584.25	980.46	5,576.63	5,576.63	-
एसजीडी $	213.21	213.21	-	213.21	213.21	-
आईएनआर के समतुल्य	1,568.26	1,568.26	-	1,358.36	1,358.36	-
कुल	**1,46,388.73**	**1,44,323.24**	**2,065.49**	**1,66,039.41**	**1,65,416.78**	**622.63**

संवेदनशील विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका हेज न किए गए एक्सपोज़र पर आईएनआर के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय में 5 प्रतिशत परिवर्तन के लिए एफसीएमआईटीडीए (+लाभ/(हानि)) सहित लाभ एवं हानि पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	अनुकूल	प्रतिकूल	अनुकूल	प्रतिकूल
यूएसडी/आईएनआर	40.60	(40.60)	23.30	(23.30)
जेपीवाई/आईएनआर	-	-	-	-
यूरो/आईएनआर	36.68	(36.68)	-	-

** अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए*

52.4 **बाजार जोखिम – ब्याज दर जोखिम**

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो ब्याज दरों में बदलाव के कारण वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट के भावी नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होगा। ब्याज दरें गतिशील और विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर होती हैं, जिनमें आरबीआई की नीति में बदलाव, बाजार में तरलता, एएए बॉण्ड/जी-सेक यील्ड/एलआईबीओआर जैसे बाहरी बेंचमार्क की आवाजाही आदि शामिल हैं। कंपनी के कुछ उधार ब्याज दर जोखिम के संपर्क में हैं, जिसमें फ्लोटिंग ब्याज दरें एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट), ईयूआरआईबीओआर (यूरो इंटर बैंक ऑफर्ड रेट), ओवरनाइट एसओएफआर (सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट), मीयादी एसओएफआर, एसओआरए (सिंगापुर ओवरनाइट रेट एवरेज), टीओएनएआर (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट), टी-बिल, रेपो रेट आदि से जुड़ी हैं। कंपनी ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए ब्याज दर स्वैप संविदाओं, वायदा ब्याज दर संविदाओं जैसे जैसी विभिन्न व्युत्पन्न संविदाओं के माध्यमों से अपनी ब्याज दर के जोखिम का प्रबंधन करती है। लागत में कमी की रणनीति के रूप में कंपनी विभिन्न मुद्राओं में ब्याज अंतर से लाभ उठाने के लिए क्रॉस-करेंसी ब्याज दर स्वैप का भी उपयोग करती है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2026 को अस्थिर ब्याज दरों से जुड़ी देयताओं के लिए कंपनी के समग्र एक्सपोज़र को दर्शाती है:

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में, आईएनआर (भारतीय रुपये) समतुल्य ₹ करोड़ में)

मुद्रा	31-03-2026 तक			31-03-2025 तक		
	अस्थिर ब्याज दर एक्सपोज़र	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज किया गया	हेज न किया गया एक्सपोज़र	अस्थिर ब्याज दर एक्सपोज़र	व्युत्पन्न के माध्यम से हेज किया गया	हेज न किया गया एक्सपोज़र
आईएनआर उधारियां	64,406.69	-	64,406.69	44,379.47	-	44,379.47
यूएसडी $	8,041.29	6,986.66	1,054.63	8,166.15	7,533.40	632.75
आईएनआर के समतुल्य	76,114.26	66,131.72	9,982.54	69,887.05	64,471.86	5,415.19
जेपीवाई ¥	4,40,642.36	4,40,642.36	-	4,85,390.31	4,51,161.24	34,229.07
आईएनआर के समतुल्य	26,108.06	26,108.06	-	27,545.90	25,603.40	1,942.50
यूरो €	693.97	-	693.97	604.02	-	604.02
आईएनआर के समतुल्य	7,564.71	-	7,564.71	5,576.63	-	5,576.63
एसजीडी $	213.21	-	213.21	213.21	-	213.21
आईएनआर के समतुल्य	1,568.26	-	1,568.26	1,358.36	-	1,358.36
कुल आईएनआर के समतुल्य	**1,75,761.98**	**92,239.78**	**83,522.20**	**1,48,747.41**	**90,075.26**	**58,672.15**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

कंपनी ब्याज दर संवेदनशीलता असंतुलन को कम करने के लिए ब्याज दर उधार पर उचित मूल्य जोखिम का प्रबंधन करने के लिए ब्याज दर स्वैप का भी उपयोग करती है। इस तरह के स्वैप के माध्यम से, 31 मार्च 2026 को ₹ 11,995.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 13,955.70 करोड़) की निश्चित दर उधार को एमआईबीओआर-लिंक्ड ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप के उपयोग के माध्यम से फ्लोटिंग रेट उधार में परिवर्तित किया गया है।

कंपनी के ऋण पोर्टफोलियो में अर्ध–निर्धारित दर पर ब्याज मिलता है यानी उधारकर्ता के साथ 1/3/6/12/36/30/120 महीने के रीसेट विकल्प के साथ निश्चित ब्याज दर। कंपनी मौजूदा बाजार स्थितियों, उधार लेने की लागत, यील्ड, प्रसार, प्रतिस्पर्धियों की दरों, मंजूरी और संवितरण आदि के आधार पर समय-समय पर अपनी उधार दरों की समीक्षा करती है। पूर्व-भुगतान जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए, कंपनी उधारकर्ताओं से पूर्व-भुगतान प्रीमियम लेती है। ऋण का पूर्व भुगतान. ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर विवरण के विश्लेषण और निश्चित और अस्थिर ब्याज दरों के मिश्रण के साथ परिसंपत्तियों और देयताओं के निर्माण का मूल्यांकन करके किया जाता है।

कंपनी निम्नलिखित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज दर जोखिम की स्थिति में है जो कि अर्ध–निर्धारित दरों पर हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
रुपे ऋण	5,64,697.12	5,48,015.73

संवेदनशील विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका 50 आधार अंकों की वृद्धि अथवा कमी के लिए अथवा हेज न किए गए एक्सपोज़र की स्थितियों पर कंपनी की अस्थिर दर परिसंपत्तियों और देयताओं पर ब्याज दर में लाभ एवं हानि लाभ/ (हानि) पर प्रभाव को दर्शाती हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अस्थिर दर ऋण देयताएं	(312.51)	312.51	(219.53)	219.53
ब्याज दर स्वैप्स	(44.88)	44.88	(52.37)	52.37
अस्थिर/अर्ध–निर्धारित दर ऋण परिसंपत्तियां	2,112.87	(2112.87)	2,050.46	(2050.46)

** अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए*

उपर्युक्त 'संवेदनशील विश्लेषण यह मानते हुए तैयार किया गया है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया धनराशि पूरे वर्ष के लिए बकाया रहती है। 50 आधार अंक की वृद्धि अथवा गिरावट ब्याज दर में उपयुक्त रूप से संभावित परिवर्तन के प्रबंधन का मूल्यांकन दर्शाती है।

52.4.1 ब्याज दर निर्धारण सुधार (आईबीओआर) के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी के पास विभिन्न बेंचमार्क से संबद्ध ब्याज दरों के साथ परिवर्तनीय ब्याज दर उधार है। विदेशी मुद्रा उधार के लिए ऐसे ब्याज दर बेंचमार्क में 3/6 माह का अमेरिकी डॉलर एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट), 3/6 माह का ईयूआरआईबीओआर (यूरो इंटर बैंक ऑफर्ड रेट), 3/6 माह का आवधिक एसओएफआर (सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट), 3/6 माह का आवधिक एसओएफआर, एसओआरए (सिंगापुर ओवरनाइट एवरेज़ रेट), टीओएनएआर (टोकियो ओवरनाइट एवरेज़ रेट), एसओएफआर (सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट) आदि शामिल हैं। अनुबंधित ब्याज दर बेंचमार्क के अनुसार 31 मार्च 2026 को ऐसी उधारियों का सारांश निम्नानुसार हैः

बेंचमार्क	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	राशि (₹ करोड़ में)	राशि (यूएसडी मिलियन के समतुल्य)	राशि (₹ करोड़ में)	राशि (यूएसडी मिलियन के समतुल्य)
3 मिलियन सावधिक एसओएफआर	1,893.09	200.00	4,365.53	510.10
6 मिलियन सावधिक एसओएफआर	8,389.10	886.29	8,611.65	1,006.25
ओवरनाइट एसओएफआर	65,832.07	6,955.00	56,909.87	6,649.79
3 मिलियन ईयूआरआईबीओआर	2,770.88	292.74	2,346.84	274.22
6 मिलियन ईयूआरआईबीओआर	4,793.83	506.46	3,229.79	377.39
ओवरनाइट टीओएनए	26,108.06	2,758.25	27,545.90	3,218.68
ओवरनाइट एसओआरए	1,568.26	165.68	1,358.36	158.72
कुल	**1,11,355.29**	**11,764.42**	**1,04,367.94**	**12,195.15**

52.5 हेज लेखांकन

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम और नकदी प्रवाह हेजेज में ब्याज दर जोखिम के संबंध में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में कुछ व्युत्पन्न उत्पाद नामित करती है। वैकल्पिक संविदाओं के लिए कंपनी विकल्प के समय मूल्य को छोड़कर हेज मद के रूप में वैकल्पिक संविदाओं के के वल आंतरिक मूल्य को ही नामित करती है। विकल्प के संरेखित समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और हेजिंग आरक्षित निधि की लागत में संचित किया जाता है। हेजिंग संबंध की शुरुआत में विकल्पों का समय मूल्य एक सीधी रेखा के आधार पर लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

हेज अप्रभावशीलता हेज संबंध की शुरुआत में और समय–समय पर संभावित प्रभावशीलता के आकलन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कि हेज किए गए मद और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बीच एक आर्थिक संबंध मौजूद है, के माध्यम से निर्धारित की जाती है। कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण रणनीतियां लागू करती है:

(i) क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप के लिए, जो कि हेज की गई मदों की शर्तों से पूरी तरह मेल खाता है, आर्थिक संबंध और हेज प्रभावशीलता महत्वपूर्ण टर्म मिलान विधि का उपयोग करते हुए गुणात्मक कारकों पर आधारित है।

(ii) अन्य ब्याज दर स्वैप के लिए (देर से नामित के मामलों में), कंपनी काल्पनिक व्युत्पन्न का उपयोग करके डॉलर ऑफसेट विधि का उपयोग करती है, डॉलर ऑफसेट विधि एक मात्रात्मक विधि है जिसमें हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन की तुलना हेज जोखिम के कारण हेज की गई मदों के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन से की जाती है।

(iii) विकल्प संरचनाओं के लिए कंपनी डॉलर ऑफसेट पद्धति के आधार पर कठोर प्रतिगमन विश्लेषण आधारित विधि का उपयोग करके हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट और हेज की गई मदों के व्यवहार का विश्लेषण करती है।

कंपनी ने हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया है क्योंकि हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट्स का अंतर्निहित जोखिम और अनुमानित राशि हेजिंग मदों के समान है।

हेज़ लेखांकन का प्रभाव

(क) तुलन पत्र पर हेज लेखांकन का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2026 तक हेज़ एवं जोखिम के प्रकार	कल्पित राशि (मिलियन में)	हेज़िंग इन्स्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत धारित राशि		परिपक्वता की तिथि	हेज़ अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य / दर	हेज़िंग इन्स्ट्रूमेंट्स के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन
			परिसंपत्तियां	देयताएं					
	नकदी प्रवाह हेज़								
	विदेशी विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम								
(i)	विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाए								
	- सिगुल स्ट्रक्चर	यूएसडी 13,556.76	2,535.48	20.30	अप्रैल 2026 - मई 2034	1:1	83.20	4,463.59	(4,463.59)
		ईयूआर 1,208.05	1,303.02	-	नवंबर 2027 - मार्च 2028	1:1	85.86	569.83	(569.83)
		जेपीवाई 9,84,729.20	3,594.27	462.13	मार्च 2027 - जनवरी 2034	1:1	0.56	(1,136.08)	1,136.08
		एसजीडी 426.420	401.43	-	अक्टूबर-27	1:1	58.26	150.05	(150.05)
(ii)	केवल मूल स्वैप्स	यूएसडी 300.00	372.95	-	जून-30	1:1	75.55	264.29	(264.29)
(iii)	क्रॉस-करेंसी स्वैप्स	यूएसडी 2,620.05	460.35	572.52	अप्रैल 2026 - दिसंबर 2030	1:1	4.48%	(1,781.82)	1,781.82
		एसजीडी 213.210	-	128.06	अक्टूबर-27	1:1	1.68%	(68.95)	68.95
(iv)	ब्याज दर स्वैप्स	यूएसडी 6,866.66	508.12	89.31	अगस्त 2026 - मई 2034	1:1	3.22%	602.57	(602.57)
		जेपीवाई 4,40,637.76	558.35	-	मार्च 2027- मार्च 2030	1:1	1.53%	248.24	(248.24)
		आईएनआर 55,280.00	-	512.38	अगस्त 2028 - सितंबर 2034	1:1	8.44%	(456.27)	456.27

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2026 तक हेज़ एवं जोखिम के प्रकार	कल्पित राशि (मिलियन में)	हेज़िंग इन्स्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत धारित राशि		परिपक्वता की तिथि	हेज़ अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य / दर	हेज़िंग इन्स्ट्रूमेंट्स के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन
			परिसंपत्तियां	देयताएं					
	नकदी प्रवाह हेज़								
	विदेशी विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम								
(i)	विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाए								
	- सिगुल स्ट्रक्वर	यूएसडी 20,931.08	10,539.15	98.61	अप्रैल 2025 - मई 2034	1:1	85.02	810.21	(810.21)
		ईयूआर 1,208.05	733.20	-	अक्टूबर 2027 - मार्च 2028	1:1	82.39	53.73	(53.73)
		जेपीवाई 10,63,706.18	4,573.26	203.25	, सितंबर 2025 - जनवरी 2034	1:1	0.56	(1,211.19)	1,211.19
		एसजीडी 426.419	251.39	-	अक्टूबर-27	1:1	58.26	18.78	(18.78)
(ii)	केवल मूल स्वैप्स	यूएसडी 375.00	87.12	-	अप्रैल 2025 - जून 2030	1:1	75.41	(18.43)	18.43
(iii)	क्रॉस-करेंसी स्वैप्स	यूएसडी 6,188.89	182.40	1,006.78	अप्रैल 2025 - जून 2029	1:1	2.78%	294.33	(294.33)
		एसजीडी 213.211	-	77.47	अप्रैल 2025 - अक्टूबर 2027	1:1	3.01%	17.55	(17.55)
(iv)	ब्याज दर स्वैप्स	यूएसडी 7,008.50	391.39	173.66	अप्रैल 2025 - मई 2034	1:1	3.25%	149.95	(277.79)
		जेपीवाई 4,51,156.76	263.86	8.42	सितंबर 2025 - मार्च 2030	1:1	1.51%	194.73	(58.81)
		एसजीडी -	-	-	मार्च 2025 में मैच्योर	1:1	0.00%	(15.09)	(58.81)
		आईएनआर 55,280.00	-	25.39	जून 2025 - सितंबर 2034	1:1	8.44%	(10.41)	10.40

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(b) लाभ और हानि के विवरण पर नकदी प्रवाह हेज लेखांकन के प्रभाव

(₹ करोड़ में)

हेज़ के प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता दिए गए हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट के मूल्य में परिवर्तन	मान्यता प्राप्त हेज अप्रभावशीलता	नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि से पुनर्वर्गीकृत राशि	पुनर्वर्गीकरण पर प्रभावित लाइन मद
31-03-2026 को समाप्त वर्ष				
- मुद्रा जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम	2855.45	-	(12,955.28)	निवल रूपांतरण /लेनदेन विनिमय हानि/(लाभ)
			3,900.99	वित्तीय लागत
			731.39	उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल (लाभ)/ हानि
31-03-2025 को समाप्त वर्ष				
- मुद्रा जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम	284.16	-	(4,076.86)	निवल रूपांतरण /लेनदेन विनिमय हानि/(लाभ)
			1,796.86	वित्तीय लागत

(ग) नकदी प्रवाह हेजिंग आरक्षित निधि और हेजिंग आरक्षित निधि की लागत में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
नकदी प्रवाह हेजेज़ के प्रभावी भाग		
प्रारम्भिक शेष	**(931.35)**	**(1846.93)**
मुद्रा व्युत्पन्न के आंतरिक मूल्य में परिवर्तन	7093.15	7304.05
ब्याज दर स्वैप्स के उचित मूल्य में परिवर्तन	443.33	305.62
लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत राशियां	(13960.87)	(6386.16)
उपरोक्त से संबंधित आस्थगित कर (निवल)	1616.88	(307.94)
अंतिम शेष	**(5738.86)**	**(931.35)**
हेजिंग आरक्षित निधि की लागत		
प्रारम्भिक शेष	**(718.46)**	**1690.64**
विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं में आस्थगित समय मूल्य में परिवर्तन	(4681.03)	(7325.51)
समय मूल्य का परिशोधन	5637.98	4106.16
उपरोक्त (निवल) से संबन्धित आस्थगित कर	(240.86)	810.26
अंतिम शेष	**(2.36)**	**(718.46)**

(घ) उचित मूल्य हेजेज़

31 मार्च 2026 को, कंपनी के पास ₹ 11,995.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 13,995.70 करोड़) के बकाया ब्याज दर स्वैप करार हैं, जिसमें कंपनी ब्याज की एक नियत दर प्राप्त करती है और कल्पित राशि पर एक परिवर्तनीय दर पर ब्याज का भुगतान करती है। ऐसे करारों का उपयोग नियत दर वाली उधारियों के उचित मूल्य में परिवर्तन के जोखिम को कम करने के लिए किया जा रहा है।

हेज की गई मद और हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट के बीच एक आर्थिक संबंध है क्योंकि ब्याज दर स्वैप की शर्तें, नियत दर ऋण (अर्थात, कल्पित राशि, परिपक्वता, भुगतान और रीसेट तिथियां) की शर्तों से मेल खाती हैं। इस प्रकार, हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया गया है क्योंकि ब्याज दर स्वैप का अंतर्निहित जोखिम, हेज जोखिम घटक के समान है।

तुलन पत्र पर हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट का प्रभाव इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उचित मूल्य हेज	कल्पित राशि	धारित राशि*	तुलन पत्र में लाइन मद जहां हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट्स का प्रकटन किया है	हेज अप्रभावशीलता की गणना के लिए उचित मूल्य में परिवर्तन
31-03-2026 तक	- ब्याज दर स्वैप	11,995.70	(131.95)	व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स	(123.03)
31-03-2025 तक	- ब्याज दर स्वैप	13,995.70	(8.92)	व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स	212.41

** यहां धारित राशि रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार ऐसे व्युत्पन्न संविदा के तहत प्राप्य ब्याज को छोड़कर है।*

तुलन पत्र पर हेजिंग मद का प्रभाव इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उचित मूल्य हेज	कल्पित राशि	संचयी उचित मूल्य समायोजन	तुलन पत्र में लाइन मद जिसमें हेज की गई मद शामिल है	हेज अप्रभावशीलता की गणना के लिए प्रयुक्त मूल्य में परिवर्तन
31-03-2026 तक	- अधीनस्थ देयताएं	4,142.68	(135.18)	अधीनस्थ देयताएं	(87.81)
	- संस्थागत बॉण्ड	7,957.86	3.23	ऋण प्रतिभूतियां - संस्थागत बॉण्ड	(35.22)
31-03-2025 तक	- अधीनस्थ देयताएं	4,230.16	(47.37)	अधीनस्थ देयताएं	96.40
	- संस्थागत बॉण्ड	10,012.46	38.45	ऋण प्रतिभूतियां - संस्थागत बॉण्ड	116.01

₹ 123.03 करोड़ (पिछले वर्ष (-) ₹ 212.41 करोड़) के ब्याज दर स्वैप के उचित मूल्य में कमी को संबंधित अधीनस्थ देनदारियों और ऋण प्रतिभूतियों पर समान लाभ/हानि के साथ ऑफसेट किया गया है।

52.6 **बाजार जोखिम – कीमत जोखिम**

कंपनी को उद्धृत इक्विटी उपकरणों में निवेश से उत्पन्न होने वाले मूल्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है। कंपनी के निवेश व्यापारिक उद्देश्यों के बजाय रणनीतिक उद्देश्यों के लिए रखे गए हैं।

संवेदनशील विश्लेषण

नीचे दी गई तालिका सकल घरेलू उत्पाद के बाहर, कंपनी के इक्विटी निवेश पर संबंधित कीमतों में 5% की वृद्धि या कमी के लिए ओसीआई लाभ/(हानि) पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)पर प्रभाव	4.00	(4.00)	4.30	(4.30)
लाभ एवं हानि लेखा (पीएल) पर प्रभाव	3.50	(3.50)	4.53	(4.53)

53. **युत्पन्नों से संबंधित अतिरिक्त प्रकटन**

53.1 **अग्रवर्ती दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप्स**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(i)	स्वैप अनुबंधों का कल्पित मूल	1,09,843.89	1,11,154.86
(ii)	हानियां, जोकि अनुबंधों के तहत उनकी बाध्यताओं को पूरा करने में प्रतिपक्षों के असफल होने पर घटित होंगी	1,293.44	1,065.66
(iii)	स्वैप्स में प्रविष्ट करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	कृपया नोट 1 देखें	कृपया नोट 1 देखें
(iv)	स्वैप्स के कारण उत्पन्न हुए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	कृपया नोट 2 देखें	कृपया नोट 2 देखें
(v)	स्वैप बही का उचित मूल	527.30	781.71

1. *कंपनी आरबीआई के मास्टर निर्देशों (गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित ओटीसी डेरिवेटिव के लिए मार्जिनिंग), 2024 के अंतर्गत आती है और उक्त निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक संपार्श्विक रखती है।*

2. *आरईसी, एनबीएफसी होने के नाते, आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार श्रेणी-1, अधिकृत डीलरों के साथ स्वैप समझौतों में प्रवेश किया है। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप समझौते बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित क्रेडिट जोखिम सीमा के भीतर हैं।*

53.2 **कंपनी ने किसी भी एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नों में हिस्सा नहीं लिया है।**

53.3 **परिमाणात्मक प्रकटीकरण**

(₹ करोड़ में)

परिमाणात्मक प्रकटीकरण		मुद्रा व्युत्पन्न *		ब्याज दर व्युत्पन्न **	
		31-03-2026 तक	31-03-2025 तक	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(i)	कल्पित मूल राशि				
	हेजिंग के लिए व्युत्पन्न	2,33,636.78	3,11,527.33	1,09,843.89	1,11,154.86
(ii)	मार्केट टू मार्केट स्थितियां				
क	परिसंपत्ति (+)	18,667.50	16,366.52	1,293.44	1,065.66
ख	देयता (–)	1,183.01	1,386.11	766.14	283.95
(iii)	क्रेडिट एक्सपोज़र	19,668.87	12,527.27	1,053.89	1,237.73
(iv)	अनहेज़्ड एक्सपोज़र	2,065.49	622.63	लागू नहीं	लागू नहीं

** इसमें बहु-चरण क्रॉस-करेंसी डेरिवेटिव के माध्यम से ऋण देनदारियों की हेजिंग शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप व्युत्पन्न जोखिम की कई मान्यताएं हुई हैं, जो ₹89,313.54 करोड़ (31.03.2025 ₹1,46,110.55 करोड़ के रूप में) है।*

***16,995.70 करोड़ रुपये की रुपये देनदारियों पर ₹31.03.2026 (31.03.2025 ₹20,695.70 करोड़ रुपये) पर ब्याज दर व्युत्पन्न शामिल हैं।*

53.4 व्युत्पन्न पर गुणात्मक प्रकटीकरण के लिए कृपया नोट संख्या 53.3 और 53.4 देखें तथा हेज अकाउंटिंग से संबंधित प्रकटीकरण के लिए नोट संख्या 53.5 देखें।

54. **एनबीएफसी के लिए आरबीआई (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए रूपरेखा) निर्देश, 2025**

आरबीआई ने 01 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी एनबीएफसी के लिए स्केल बेस्ड फ्रेमवर्क (एसबीआर) पेश किया है, जिसमें एनबीएफसी को उनके आकार, गतिविधि और कथित जोखिम के आधार पर चार परतों में वर्गीकृत किया गया है। आरबीआई ने बाद में 28 नवंबर, 2025 को "आरबीआई (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पंजीकरण, छूट और स्केल बेस्ड रेगुलेशन के लिए फ्रेमवर्क) निर्देश" जारी किए हैं। कंपनी एक सरकारी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसे एनबीएफसी - मिडिल लेयर और मिडिल लेयर के लिए मास्टर निर्देश में उल्लिखित दिशानिर्देशों/विनियमों के अधीन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

55. **वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी का प्रकटीकरण**

आरबीआई ने 15 जुलाई, 2024 से प्रभावी आरबीआई (एनबीएफसी में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निर्देश, 2024 पेश किया है। वर्ष के दौरान धोखाधड़ी के शून्य मामले (पिछले वर्ष शून्य) दर्ज किए गए।

56. **एक्सपोज़र संबंधी प्रकटीकरण**

आरबीआई ने दिनांक 17 सितंबर 2010 के अपने पत्र के माध्यम से आरईसी लिमिटेड को आरबीआई परिपत्र डीएनबीएस.पीडी.सीसी.एनओ.168/03.02.089/2009-10 दिनांक 12 फरवरी 2010 में निहित निर्देशों के संदर्भ में एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया था। एक आईएफसी के रूप में, एकल उधारकर्ता के मामले में टियर-1 पूंजी का कुल अनुमेय जोखिम 30% और उधारकर्ताओं के एकल समूह के मामले में क्रमशः 50% है। दिनांक के अनुसार अपने उधारकर्ताओं को बकाया ऋणों के संबंध में जोखिम निर्धारित मानदंडों के भीतर है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

56.1 रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक्सपोज़र

31 मार्च, 2026 को कंपनी का रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र नहीं है (31 मार्च, 2025 को शून्य)।

56.2 पूंजीगत बाजार के लिए एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष केवल कॉर्पोरेट ऋण में ही निवेश नहीं किया जाता है (इसमें वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों में निवेश शामिल है)	383.70	477.52
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए शेयरों/बॉण्ड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के खिलाफ या व्यक्तियों को पारदर्शिता के आधार पर अग्रिम	-	-
(iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बॉण्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया जाता है	-	-
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपार्श्विक सुरक्षा द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम, यानी जहां शेयर / परिवर्तनीय बॉण्ड / परिवर्तनीय डिबेंचर / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक सुरक्षा होती है अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं किया गया	-	-
(v)	स्टॉकब्रोकरों को सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम और स्टॉकब्रोकरों और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी की गई गारंटी	-	-
(vi)	संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बॉण्ड / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा के खिलाफ या पारदर्शिता के आधार पर कॉर्पोरेट्स को ऋण स्वीकृत किया गया	-	-
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गम के विरुद्ध कंपनियों को ऋण प्रदान करना	-	-
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक मुद्दे के संबंध में एनबीएफसी द्वारा ली गई अंडरराइटिंग प्रतिबद्धताएं	-	-
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	-	-
(x)	वैकल्पिक निवेश निधियों के लिए सभी एक्सपोज़र	-	-
	पूंजीगत बाजार के लिए कुल एक्सपोज़र	**383.70**	**477.52**

56.3 क्षेत्रीय एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	31-03-2026 तक					31-03-2025 तक				
	बकाया मूल (एलओसी सहित)	उपचित ब्याज	डिफ़ॉल्ट पर कुल एक्सपोज़र (ईएडी)	सकल एनपीए	ईएडी में सकल एनपीए का प्रतिशत	मूल बकाया (एलओसी सहित)	उपचित ब्याज	डिफ़ॉल्ट पर कुल एक्सपोज़र (ईएडी)	सकल एनपीए	ईएडी में सकल एनपीए का प्रतिशत
उद्योग										
इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को उधार										
- विद्युत	5,67,317.03	2,904.99	5,70,222.02	1,384.75	0.24%	5,54,253.37	3,403.34	5,57,656.70	7,652.65	1.37%
- इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं लॉजिस्टिक्स	22,610.12	134.96	22,745.08	-	-	20,638.62	140.55	20,779.18	-	-
कुल एक्सपोज़र	**5,89,927.15**	**3,039.95**	**5,92,967.10**	**1,384.75**	**0.23%**	**5,74,891.99**	**3,543.89**	**5,78,435.88**	**7,652.65**	**1.32%**

उपर्युक्त प्रकटीकरण के प्रयोजन से किया गया एक्सपोज़र बकाया मूल, उपचित ब्याज और बकाया आश्वासन पत्र (एलओसी) को दर्शाता है।

56.4 कंपनी के पास वर्तमान और पिछले वर्ष के दौरान मूल कंपनी के उत्पादों का कोई वित्तपोषण नहीं है।

56.5 अग्रिमों, प्रकटनों और क्रेडिट–इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(i)	**अग्रिमों का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	3,41,066.00	3,26,580.55
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	58.44%	57.61%
(ii)	**एक्सपोज़र का संकेंद्रण***		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए कुल एक्सपोज़र (₹ करोड़ में)	3,42,754.48	3,29,045.94
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोज़र का प्रतिशत	57.80%	56.89%
(iii)	**क्रेडिट-इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का संकेंद्रण**		
	शीर्ष चार क्रेडिट-बाधित परिसंपत्तियों के लिए कुल बकाया (करोड़ में)	1,384.75	6,175.48
	शीर्ष चार क्रेडिट – इंपेयर्ड परिसंपत्तियों के लिए कुल एक्सपोज़र (₹ करोड़ में)	1,384.75	6,175.48

** उपर्युक्त प्रकटीकरण के प्रयोजन से एक्सपोज़र बकाया मूल, उपचित ब्याज और बकाया आश्वासन पत्र (एलओसी) को दर्शाता है।*

57. **उचित मूल्य प्रकटीकरण**

परिशोधन लागत और श्रेणी के अनुसार उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स की धारित राशि इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	नोट संख्या	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
	वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य पर मापन			
	पर मापित व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स			
(i)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई)	8	19,733.97	17,021.77
(ii)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)	8	226.97	410.41
	पर मापित निवेश*			
(i)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई)	11	313.62	386.80
(ii)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल))	11	1,025.56	1,058.80
	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां			
	नगद एवं नगद समानताएँ	6	293.39	233.57
	बैंक शेष (नकद और नकद समानताओं के अलावा)	7	1,317.70	2,109.80
	व्यापार और अन्य प्राप्य	9	297.08	237.12
	ऋण प्रतिभूतियाँ	10	5,79,243.08	5,59,088.08
	निवेश #	11	8,492.27	5,228.04
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तिया	12	24,556.23	24,604.19
	कुल		**6,35,499.87**	**6,10,378.58**
	वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य पर मापन			
	पर मापित व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स			
(i)	न्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई)	8	1,784.70	1,593.58
(ii)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)	8	164.45	76.48
	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय देयताएं			
	ट्रेड प्राप्य	19	195.98	157.67
	ऋण प्रतिभूतियां	20	3,09,982.83	2,92,428.27
	उधारियां (ऋणप्रतिभूति के अलावा)	21	1,95,315.61	1,94,300.16
	अधीनस्थ देयताएं	22	9,426.75	9,514.16
	अन्य वित्तीय देयताएं	23	37,290.26	37,646.72
	कुल		**5,54,160.57**	**5,35,717.04**

 # राशि में रतनइंडिया पावर लिमिटेड के प्रतिभूति शेयरों में निवेश शामिल है जो हानि से पहले है।

57.1 **उचित मूल्य पदानुक्रम**

ऊपर उल्लिखित वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीक में प्रयुक्त इनपुट के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यह पदानुक्रम समान परिसंपत्तियों अथवा देयताओं [चरण–1 मापने] के लिए सक्रिय बाजारों में उल्लिखित कीमतों को उच्चतम प्राथमिकता और न लेने योग्य इनपुट [चरण–3 मापने] को निम्न प्राथमिकता देता है।

प्रयुक्त श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

चरण 1: सक्रिय बाजार में समान इन्स्ट्रूमेंट्स के लिए उल्लिखित कीमतें (असमायोजित);

चरण 2 : चरण–1 इनपुट को छोड़कर प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों से व्युत्पन्न) लेने योग्य बाजार इनपुट; और

चरण 3: वे इनपुट जो लेने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (न लेने योग्य इनपुट)।

कंपनी की नीति, घटना की तारीख या स्थानांतरण का कारण बनने वाली परिस्थितियों में बदलाव के समय उचित मूल्य पदानुक्रम में अंतरण को मान्यता देना और उससे बाहर अंतरण को मान्यता देना है।

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं – आवर्ती उचित मूल्य मापन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक				31-03-2025 तक			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
एफवीओसीआई पर निवेश								
इक्विटी निवेश*	80.03	-	233.59	313.62	86.06	-	300.74	386.80
एफवीटीपीएल पर निवेश								
इक्विटी निवेश	69.98	-	-	69.98	90.62	-	-	90.62
स्थाई बॉण्ड	-	955.58	-	955.58	-	968.18	-	968.18
डिबेंचर	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राथमिकता शेयर**	-	-	-	-	-	-	-	-
एफवीओसीआई पर परिसंपत्तियां								
व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स	-	19,733.97	-	19,733.97	-	17,021.77	-	17,021.77
एफवीटीपीएल पर परिसंपत्तियां								
एफवीओसीआई पर देयता	-	226.97	-	226.97	-	410.41	-	410.41
एफवीओसीआई पर परिसंपत्तियां								
व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स	-	1,784.70	-	1,784.70	-	1,593.58	-	1,593.58
एफवीटीपीएल पर देयता								
व्युत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स	-	164.45	-	164.45	-	76.48	-	76.48

*इसमें यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड में ₹ 16.00 करोड़ के निवेश, उचित मूल्य शून्य पर किए गए निवेश शामिल हैं।

** रतन इंडिया पावर लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी विमोचनीय अधिमानित शेयरों (ओसीसीआरपीएस) में ₹ 43.30 करोड़ के निवेश को दर्शाता है, जिसका उचित मूल्य शून्य है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

उचित मूल्य प्रकटीकरण के लिए मूल्यांकन तकनीक (चरण 1, चरण 2, चरण 3)

(क) **उद्धृत इक्विटी में निवेश/निवेश - चरण 1** - एनएचपीसी लिमिटेड, रतनइंडिया पावर लिमिटेड और यूनिट्स ऑफ राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट-2026 इनविट के सूचीबद्ध इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश को बाजार में उनके आसानी से उपलब्ध उद्धृत मूल्य पर मापा जाता है।

(ख) **व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स - चरण 2** - उचित मूल्य उन बैंकों द्वारा प्रदान किए गए बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है जिन्होंने अंतर्निहित जोखिम से बचाव के लिए अनुबंध किया है। इस तरह के मूल्यांकन की गणना आगे की विनिमय दरों, अनुबंध की परिपक्वता के अनुरूप ब्याज दरों और निहित अस्थिरता सहित बाजार अवलोकन योग्य इनपुट का उपयोग करके की जाती है।

(ग) **स्थाई बॉण्ड में निवेश - चरण 2** - कंपनी ने केनरा बैंक, यूको बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के स्थाई बॉण्ड में निवेश किया था जो एनएसई/बीएसई पर उद्धृत हैं। कंपनी ने इन बॉण्ड के लिए सक्रिय बाजार लेन-देन की जांच की थी। हालाँकि, कंपनी द्वारा रखे गए इन बॉण्ड में किसी भी बाजार गतिविधि का कोई इतिहास नहीं था, और इसलिए, ऐसे बॉण्ड के लिए उद्धृत मूल्य उपलब्ध नहीं था। कंपनी ने निवेशित बैंकों की क्रेडिट रेटिंग में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव की जांच की थी, और यदि कोई बदलाव नहीं देखा गया है, तो रियायती नकदी प्रवाह पद्धति का उपयोग करके उचित मूल्य की गणना के लिए कूपन दर पर विचार किया जाता है।

(घ) **यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (यूसीएक्स) का गैर उद्धृत इक्विटी में निवेश - चरण 3** - यूसीएक्स के गैर उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी द्वारा विशिष्ट कारणों से इसे शून्य मूल्य पर रखा गया है। यूसीएक्स को 2014 में बंद कर दिया गया था, जिससे एक चालू संस्था के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

(ङ.) **एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) का गैर उद्धृत इक्विटी में निवेश - चरण 3** - ईईएसएल के गैर उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ईईएसएल 01 सितंबर, 2021 से एक संयुक्त उद्यम (जेवी) नहीं रहेगा। उचित मूल्य निवेशित कंपनी के नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरण में बताए गए निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर गणना की गई है।

(च) **झाबुआ पावर लिमिटेड (जेपीएल), जेएसडब्ल्यू एनर्जी (उत्कल) लिमिटेड (जेएसडब्ल्यूयूएल), केएसके महानदी लिमिटेड और टीआरएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की अनकोटेड इक्विटी में निवेश - स्तर 3** - जेपीएल और आईबीईयूएल के अनकोटेड इक्विटी शेयरों में निवेश को स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी को उनकी संबंधित समाधान योजनाओं के अनुसार उधारकर्ता कंपनियों के इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं। प्रबंधन ने स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकन के आधार पर इन इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है, जिन्होंने मूल्यांकन की बाजार गुणक पद्धति पर विचार किया है, अर्थात इंड एएस 113 में शामिल मूल्यांकन तकनीक।

(छ) **गैर उद्धृत अधिमानित शेयरों में निवेश - चरण 3** - रतन इंडिया पावर लिमिटेड (आरआईपीएल) के गैर उद्धृत ओसीसीआरपीएस में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी को 23 दिसंबर 2019 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट व्यवस्था के अनुसार उधारकर्ता कंपनी का ओसीसीआरपीएस आवंटित किया गया है। उचित मूल्य शून्य माना गया है क्योंकि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में भविष्य में नकदी प्रवाह अनिश्चित है। भविष्य के नकदी प्रवाह की प्रत्याशा में किसी भी बदलाव को निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

(ज) **आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश - स्तर 3** - आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के अनकोटेड वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों (ओसीडी) में निवेश को स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो उधारकर्ता के साथ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर कंपनी को आवंटित किए गए हैं। चूंकि ऐसे डिबेंचर प्रकृति में अस्थिर हैं और भविष्य के नकदी प्रवाह अनिश्चित हैं, इसलिए उचित मूल्य शून्य माना गया है। भविष्य के नकदी प्रवाह की अपेक्षा में किसी भी बदलाव को निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

(झ) **डैन्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश - चरण 3** - डैन्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के अनकोटेड वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों (ओसीडी) में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो उधारकर्ता के साथ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर कंपनी को आवंटित किए गए हैं। चूंकि ऐसे डिबेंचर प्रकृति में अस्थिर हैं और भविष्य के नकदी प्रवाह अनिश्चित हैं, इसलिए उचित मूल्य शून्य माना गया है। भविष्य के नकदी प्रवाह की अपेक्षा में किसी भी बदलाव को निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

(ञ) **टीआरएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) सीरीज ए/बी में निवेश- चरण 3** - टीआरएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की अनकोटेड वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) सीरीज ए/बी में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो उधारकर्ता के साथ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर कंपनी को आवंटित किया गया है। उचित मूल्य शून्य के रूप में लिया गया है क्योंकि ऐसे डिबेंचर प्रकृति में अस्थिर हैं और भविष्य के नकदी प्रवाह अनिश्चित हैं। भविष्य के नकदी प्रवाह की अपेक्षा में किसी भी बदलाव को निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

57.2 चरण 3 इनपुट के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स का समाधान

निम्न तालिका उचित मूल्य पर मापी गई चरण 3 की वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की शुरुआती और समापन माला का समाधान दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए				कुल
	एफवीटीपीएल (ii)			एफवीओसीआई(iii)	
	स्थाई बॉण्ड में निवेश	अधिमानित शेयर में निवेश"	ओसीडी में निवेश	गैर उद्धृत इक्विटी शेयर में निवेश	
प्रारम्भिक शेष	**968.18**	**-**	**-**	**300.74**	**1,268.92**
ऋण समायोजन में प्राप्य *(नोट 11.4 का संदर्भ लें)*	-	-	-	-	-
निवेश / समायोजन	-	-	-	-	-
चरण 3 में अंतरण	-	-	-	-	-
चरण 3 से अंतरण	968.18	-	-	-	968.18
ब्याज आय (i)	-	-	-	-	-
उचित मूल्य परिवर्तन	-	-	-	(67.15)	(67.15)
अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**	**233.59**	**233.59**
वर्ष के अंत में अप्राप्त लाभ(हानि)	**-**	**-**	**-**	**(83.14)**	**(83.14)**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए				
	एफवीटीपीएल[(ii)]			एफवीओसीआई[(iii)]	कुल
	स्थाई बॉण्ड में निवेश	अधिमानित शेयर में निवेश	ओसीडी में निवेश	गैर उद्धृत इक्विटी शेयर में निवेश	
प्रारम्भिक शेष	**947.94**	**-**	**117.09**	**316.73**	**1,381.76**
ऋण समायोजन में प्राप्य (नोट 11.4 का संदर्भ लें)	-	-	-	-	-
निवेश / समायोजन	-	-	(347.93)	-	(347.93)
चरण 3 में अंतरण	-	-	-	-	-
चरण 3 से अंतरण	-	-	-	-	-
ब्याज आय (i)	20.24	-	230.84	-	251.08
उचित मूल्य परिवर्तन	-	-	-	(15.99)	(15.99)
अंतिम शेष	**968.18**	**-**	**-**	**300.74**	**1268.92**
वर्ष के अंत में अप्राप्त लाभ(हानि)	**20.25**	**-**	**-**	**(15.99)**	**4.26**

वर्ष के दौरान गैर–मान्यता प्राप्त अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी शेयरों में निवेश के लिए नोट संख्या 11.4 देखें

** रतन इंडिया पावर लिमिटेड के 'विमोचनीय अधिमानित शेयर' में ₹ 43.30 करोड़ के निवेश को दर्शाता है, जिसका उचित मूल्य शून्य है*

(i) लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में लाइन मद 'ब्याज आय' का हिस्सा है।

(ii) एफवीटीपीएल में निवेश पर उचित मूल्य लाभ/(हानि) लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में लाइन मद 'उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(लाभ) का हिस्सा है।

(iii) एफवीओसीआई में निवेश पर उचित मूल्य लाभ/(हानि) लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में लाइन मद 'एफवीओसीआई इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स' के उचित मूल्य में परिवर्तन' का हिस्सा है।

57.3 **वर्ष के दौरान स्तर 1 और स्तर 2 के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ**

57.4 **परिशोधित लागत पर मापे गए इन्स्ट्रूमेंट्स का उचित मूल्य**

परिशोधन लागत पर मापे गए इन्स्ट्रूमेंट्स का उचित मूल्य, जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है, इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
नकदी एवं नकदी के समतुल्य	293.39	293.39	233.57	233.57
बैंक शेष (नकदी एवं नकदी के समतुल्य के अलावा)	1,317.70	1,317.70	2,109.80	2,109.80
ट्रेड प्राप्य	297.08	297.08	237.12	237.12
ऋण	5,79,243.08	5,83,693.47	5,59,088.08	5,59,417.16
निवेश	8,492.27	8,661.46	5,228.04	5,477.61
अन्य वित्तीय परिसंपत्तिया	24,556.23	24,555.54	24,604.19	24,603.68
कुल	**6,14,199.75**	**6,18,818.64**	**5,91,500.80**	**5,92,078.94**
वित्तीय देयताएं				
ट्रेड प्रतिदेय	3,09,982.83	2,99,811.80	2,92,428.27	2,91,095.95
ऋण प्रतिभूतियां	1,95,315.61	1,95,189.20	1,94,300.16	1,94,412.84
उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	9,426.75	9,427.91	9,514.16	9,710.47
अधीनस्थ देयताएं	195.98	195.98	157.67	157.67
अन्य वित्तीय देयताएं	37,290.26	37,290.26	37,646.71	37,646.71
कुल	**5,52,211.42**	**5,41,915.15**	**5,34,046.97**	**5,33,023.64**

वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स की मूल्यांकन पद्धतियों को उचित मूल्य पर नहीं मापा गया है

उपरोक्त वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धतियां और धारणाएं नीचे दी गई हैं, जिन्हें कंपनी के वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर दर्ज और मापा नहीं जाता है। इन उचित मूल्यों की गणना केवल प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए की गई थी। नीचे दी गई पद्धतियां और धारणाएं केवल उपरोक्त तालिकाओं के इन्स्ट्रूमेंट्स से संबंधित हैं:

वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के लिए जिनकी अल्पकालिक परिपक्वता (बारह माह से कम) है, वहन राशि, जो इंपेयरमेंट के निवल हैं, उनके उचित मूल्य का एक उचित अनुमान है। ऐसे इन्स्ट्रूमेंट्स में शामिल हैं: नकदी एवं नकदी के समतुल्य, नकदी एवं नकदी के समतुल्य के अलावा बैंक शेष, विशिष्ट परिपक्वता के बिना अनुबंध परिसंपत्ति और अनुबंध देयता।

ग्राहकों को ऋण और अग्रिम

ऋण परिसंपत्तियों के उचित मूल्यों की गणना पोर्टफोलियो-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके की जाती है, जहाँ तक संभव हो ऋणों को समान विशेषताओं के आधार पर समरूप समूहों में समूहित किया जाता है। इसके बाद कंपनी रियायती नकदी प्रवाह मॉडल का उपयोग करके पूरे पोर्टफोलियो के लिए उचित मूल्य की गणना और एक्सट्रपलेशन करती है, जिसमें ऋण की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर विचार करते हुए ब्याज दर अनुमान शामिल होते हैं। जहां ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है, कंपनी अपने सामूहिक इंपेयरमेंट मॉडल में उपयोग किए गए ऐतिहासिक अनुभव और अन्य जानकारी का उपयोग करती है।

परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधन लागत पर मापी गई ऋण प्रतिभूतियों के उचित मूल्यों का अनुमान वास्तविक या अनुमानित यील्ड का उपयोग करके संविदात्मक नकदी प्रवाह के आधार पर रियायती नकदी प्रवाह मॉडल का उपयोग करके किया जाता है और समतुल्य के क्रेडिट जोखिम को शामिल करते हुए यील्ड में छूट दी जाती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

जारी ऋण

कंपनी की निश्चित ब्याज वाली ऋण प्रतिभूतियों, उधारों और अधीनस्थ देयताओं का उचित मूल्य डिस्काउंटेड कैश फ्लो ('डीसीएफ') पद्धति को लागू करके, छूट दर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जारीकर्ता की उधार दर को दर्शाता है। 31 मार्च 2026 को स्वयं का गैर-निष्पादन जोखिम नगण्य आंका गया था।

सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में निवेश

कंपनी ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले तरल परिसंपत्तियों को बनाए रखने और प्रारंभिक मार्जिन के रूप में प्रतिज्ञा करने के लिए जी-एसईसी और एसडीएल में निवेश किया है। कंपनी ने डिस्काउंटेड कैश फ्लो (डीसीएफ) विधि का उपयोग करके उचित मूल्य की गणना की है, अर्थात पिछले कूपन तिथि से अर्जित ब्याज को रिपोर्टिंग तिथि में जोड़ा गया है।

पीएसयू बॉण्ड्स में निवेश

कंपनी ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले तरल परिसंपत्तियों को बनाए रखने और प्रारंभिक मार्जिन के रूप में प्रतिज्ञा करने के लिए जी-एसईसी और एसडीएल में निवेश किया है। कंपनी ने डिस्काउंटेड कैश फ्लो (डीसीएफ) विधि का उपयोग करके उचित मूल्य की गणना की है, अर्थात पिछले कूपन तिथि से अर्जित ब्याज को रिपोर्टिंग तिथि में जोड़ा गया है।

ऋण समायोजन/समाधान के समय उधारकर्ता संस्थानों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश

उचित मूल्य उधारकर्ताओं पर लागू ब्याज दर पर भविष्य के नकदी प्रवाह में छूट देकर वर्तमान मूल्य तकनीक द्वारा प्राप्त किया गया है। भविष्य के नकदी प्रवाह की प्रत्याशा में किसी भी बदलाव को निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

कंपनी द्वारा प्राप्त अन्य सभी ऋण प्रतिभूतियाँ, उधार और अधीनस्थ देनदारियाँ परिवर्तनीय दर सुविधाएँ हैं जो अंतर्निहित ब्याज सूचकांकों में परिवर्तन के अधीन हैं। इसके अलावा, इन सुविधाओं पर क्रेडिट स्प्रेड कंपनी की साख में परिवर्तन के साथ परिवर्तन के अधीन हैं। प्रबंधन का मानना है कि इन ऋणों पर ब्याज की वर्तमान दर कंपनी पर लागू बाजार दरों से निकटतम अनुमान में है। इसलिए, प्रबंधन का अनुमान है कि इन उधारों का उचित मूल्य उनके संबंधित वहन मूल्यों के अनुमान के करीब है।

निवेश संपत्ति

कंपनी अपनी निवेश परिपत्तियों का वार्षिक स्वतंत्र मूल्यांकन करवाती है। निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य एक स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है और मूल्यांकन तकनीक आय दृष्टिकोण अपनाई जाती है।

58. कोई भी सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं हैं, जिनके प्रति कंपनी पर 31 मार्च 2026 (पिछले वर्ष शून्य) को 45 दिनों से अधिक समय से बकाया राशि है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जाने वाली इस जानकारी को कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर पहचाने गए ऐसे पक्षों की स्थिति की सीमा तक निर्धारित किया गया है।

59. संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण:

59.1 सबंधित पक्षकारों की सूची

(1)	**मुख्य प्रबंधन कार्मिक**	
	श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (22 अप्रैल, 2025 से नियुक्त)
	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (21 मार्च, 2025 से नियुक्त और 22 अप्रैल, 2025 को कार्यभार समाप्त
	श्री थंगराजन सुभाष चंद्र बोष	निदेशक-परियोजना(3 अक्टूबर, 2025 से नियुक्त)
	श्री राजेश कुमार	निदेशक (वित्त) (दिनांक 2 अप्रैल, 2026 से नियुक्त) एवं कार्यपालक निदेशक (वित्त) (केएमपी के रूप में नामित, दिनांक 2 अप्रैल, 2026 को कार्यभार समाप्त)
	श्री वी.के. सिंह	निदेशक-परियोजना (1 जुलाई, 2025 से सेवानिवृत्त)
	श्री हर्ष बवेजा	निदेशक-वित्त (1 फरवरी, 2026 से सेवानिवृत्त)
	श्री शशांक मिश्रा	सरकारी नामित निदेशक
	श्री मनोज शर्मा	पीएफसी नामित निदेशक (1 अप्रैल, 2026 से कार्यभार समाप्त)
	श्री राजीव रंजन झा	पीएफसी नामित निदेशक (06 अप्रैल, 2026 से नियुक्त)
	श्री नारायणन तिरुपति	अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (03 मार्च, 2026 से कार्यभार समाप्त)
	डॉ. गंभीर सिंह	अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (17 अप्रैल, 2025 से नियुक्त और 16 अप्रैल, 2026 से कार्यभार समाप्त)
	डॉ दुर्गेश नंदिनी श्री	अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (17 अप्रैल, 2025 से नियुक्त और 16 अप्रैल, 2026 से कार्यभार समाप्त)
	श्री जे.एस. अमिताभ	कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव (01 दिसंबर, 2025 से कार्यभार समाप्त)
	श्री एम. एल. कुमावत	कार्यपालक निदेशक-वित्त (केएमपी के रूप में नामित 09 अप्रैल, 2026 से)
	श्री दिनेश गर्ग	महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव (दिनांक 01 दिसंबर, 2025 से नियुक्त)
(2)	**मुख्य धारक कंपनी**	
	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	
(3)	**आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) की अनुषंगी कंपनियां**	
	चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	14 मार्च 2018 को निगमित किया गया
	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	19 मार्च 2018 को निगमित
	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	23 मार्च 2018 को निगमित किया गया
	मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	26 मार्च 2018 को निगमित
	लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	28 अक्टूबर 2022 को निगमित
	शोंगटोंग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	14 जून 2023 को निगमित
	कांकाणी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	18 दिसंबर 2023 को निगमित
	तूतीकोरिन पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	05 नवंबर 2024 को निगमित
	डब्ल्यूआरएनईएस तालेगांव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	16 नवंबर 2024 को निगमित और 30 मई 2025 को स्थानांतरित किया गया
	राजगढ़ III पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	24 दिसंबर 2024 को निगमित और 20 जनवरी 2026 को बंद

	जेजुरी हिंजेवाड़ी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	28 मार्च 2025 को निगमित और 9 जनवरी 2026 को स्थानांतरित किया गया
	वेलगांव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	29 मार्च 2025 को निगमित और 9 जनवरी 2026 को स्थानांतरित किया गया
	मेखली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	20 मई 2025 को निगमित
	शरावती पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	20 मई 2025 को निगमित
	हम्पापुरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	20 मई 2025 को निगमित
	रायप्टे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	21 मई 2025 को निगमित
	रॉबर्ट्सगंज पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	28 मई 2025 को निगमित
	राजगढ़ नीमच पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	17 जून 2025 को निगमित और 29 सितंबर 2025 को स्थानांतरित किया गया
	अनंतपुरम II पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	26 जून 2025 को निगमित और 17 अक्टूबर 2025 को स्थानांतरित किया गया
	दावणगेरे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	26 जून 2025 को निगमित और 24 सितंबर 2025 को स्थानांतरित किया गया
	जालना पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	29 जून 2025 को निगमित
	एसआर डब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	01 जुलाई 2025 को निगमित और 17 अक्टूबर 2025 को हस्तांतरित
	सकोली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	07 जुलाई 2025 को निगमित
	उमरेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	07 जुलाई 2025 को निगमित और 26 फरवरी 2026 को स्थानांतरित किया गया
	बेल्लारी दावणगेरे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	25 सितंबर 2025 को निगमित और 12 फरवरी 2026 को स्थानांतरित किया गया
	केम्पेगौड़ा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	30 सितंबर 2025 को निगमित
	बाड़मेर एच.डी.सी. पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	30 सितंबर 2025 को निगमित
	डब्ल्यूआर ईआर पार्ट ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	06 नवंबर 2025 को निगमित
	डब्ल्यूआर ईआर पार्ट सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	06 नवंबर 2025 को निगमित
	बालसाने पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	18 दिसंबर 2025 को निगमित
	अंबरनाथ पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	19 दिसंबर 2025 को निगमित
	मुसलगांव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	20 दिसंबर 2025 को निगमित
	धौलपुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	23 दिसंबर 2025 को निगमित
	जैसलमेर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	23 दिसंबर 2025 को निगमित
	आष्टा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	24 दिसंबर 2025 को निगमित
	रानीपुर चुनार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	26 दिसंबर 2025 को निगमित
	मुनक पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	05 जनवरी 2026 को निगमित
	विजाग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	16 फरवरी 2026 को निगमित
(4)	**रोजगार लाभ ट्रस्ट/फंड**	
	आरईसी लिमिटेड अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	
	आरईसी ग्रेच्युटी फंड	
	आरईसी कर्मचारी सेवानिवृत्ति ट्रस्ट	
	आरईसी कर्मचारी कल्याण निधि	
	आरईसी सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा ट्रस्ट	
(5)	**सीएसआर पहल के लिए पंजीकृत सोसायटी**	
	आरईसी फाउंडेशन	
(6)	**अन्य कंपनियाँ जिनमें प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी निदेशक हैं**	
	समर्पण हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड	अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक- डॉ. गम्भीर सिंह-(17 अप्रैल, 2025 से नियुक्त)
(7)	**अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी के नीचे उल्लिखित संबंधित पक्षों को भी आरईसी के संबंधित पक्ष माना जाता है:**	
(क)	**होल्डिंग कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक**	
	श्रीमती परमिंदार चोपड़ा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	श्री राजीव रंजन झा	निदेशक (परियोजना)
	श्री मनोज शर्मा	निदेशक (वाणिज्यिक) (दिनांक 1 अप्रैल, 2026 से कार्यकाल समाप्त)
	श्री संदीप कुमार	निदेशक (वित्त) (1 अप्रैल, 2026 से कार्यकाल समाप्त)
	श्री शशांक मिश्रा	सरकारी नामित निदेशक
	श्री सुधीर मेहता	अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (14 मई 2025 से नियुक्त)
	एडवोकेट भास्कर भट्टाचार्य	अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (13 मई 2025 से नियुक्त और 2 अप्रैल 2026 से कार्यकाल समाप्त)
	श्रीमती उषा संजीव नायर	अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (17 अप्रैल 2025 से नियुक्त और 18 अप्रैल, 2026 से कार्यकाल समाप्त)
	श्री प्रसन्ना तंती	अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (17 अप्रैल 2025 से नियुक्त और 18 अप्रैल, 2026 से कार्यकाल समाप्त)
	श्री नरेश धनराजभाई केल्ला	अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (17 अप्रैल 2025 से नियुक्त और 18 अप्रैल, 2026 से कार्यकाल समाप्त)
	श्री मनीष कुमार अग्रवाल	कंपनी सचिव
(ख)	**होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनियां**	
	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	
	पीएफ़सी प्रोजेक्ट लिमिटेड	
	पीएफ़सी इन्फ्रा फाइनेंस आईएफ़सी लिमिटेड	
(ग)	**होल्डिंग कंपनी के सहयोगी**	
	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	26 अप्रैल 2002 को निगमित
	ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	24 अगस्त 2006 को निगमित

लेखा संबंधी टिप्पणियां

	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	21 मई 2008 को निगमित और 09 मार्च 2026 को बंद
	घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	22 मई 2008 को निगमित और 16 मार्च 2026 को बंद
	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	09 जनवरी 2007 को निगमित
	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	21 जनवरी 2014 को निगमित
	ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड	23 जनवरी 2014 को निगमित और 23 मार्च 2026 को बंद
	बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	30 जून 2015 को निगमित
	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	30 जून 2015 को निगमित
	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	09 जुलाई 2015 को निगमित
	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	10 दिसंबर 2015 को निगमित
	छतरपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	25 जनवरी 2022 को निगमित
	एसआईओटी ट्रांसमिशन लिमिटेड	27 अप्रैल 2022 को निगमित
	जोडा बारबिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	20 जून 2023 को निगमित
	रामाकनाली बी - पानागढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	21 नवंबर 2023 को निगमित
	गोला बी -रामगढ़ बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	05 दिसंबर 2023 को निगमित
	केपीएस III एचवीडीसी ट्रांसमिशन लिमिटेड	18 जनवरी 2024 को निगमित और 12 दिसंबर 2025 को स्थानांतरित
	भुज II ट्रांसमिशन लिमिटेड	01 मार्च 2024 को निगमित
	अंगुल सुंदरगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	01 मार्च 2024 को निगमित और 28 जुलाई 25 को स्थानांतरित
	भादला और बीकानेर कॉम्प्लेक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	14 अक्टूबर 2024 को निगमित
	वाहिपोरा और सल्लर ट्रांसमिशन लिमिटेड	11 नवंबर 2024 को निगमित
	भुज आईसीटी ट्रांसमिशन लिमिटेड	19 नवंबर 2024 को निगमित
	कांडला जीएचए ट्रांसमिशन लिमिटेड	27 नवंबर 2024 को निगमित
	एमईएल पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	19 नवंबर 2024 को निगमित और 4 जून 25 को स्थानांतरित
	राघनेस्डा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड	3 दिसंबर 2024 को निगमित और 23 जुलाई 25 को स्थानांतरित
	एनईआर एक्सपेंशन ट्रांसमिशन लिमिटेड	06 दिसंबर 2024 को निगमित और 23 जुलाई 25 को स्थानांतरित
	काकीनाडा I ट्रांसमिशन लिमिटेड	20 फरवरी 2025 को निगमित
	एनईएस धाराशिव ट्रांसमिशन लिमिटेड	20 मार्च 2025 को निगमित और 12 मार्च 2026 को स्थानांतरित
	एनईएस नवी मुंबई ट्रांसमिशन लिमिटेड	20 मार्च 2025 को निगमित
	एनईएस पुणे ईस्ट न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड	29 मार्च 2025 को निगमित और 12 मार्च 2026 को स्थानांतरित किया गया
	मंदसौर I आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड	16 अप्रैल 2025 को निगमित और 08 अक्टूबर 25 को स्थानांतरित किया गया
	विंध्याचल वाराणसी ट्रांसमिशन लिमिटेड	16 अप्रैल 2025 को निगमित और 16 अक्टूबर 25 को स्थानांतरित किया गया
	मुरैना I सेज ट्रांसमिशन लिमिटेड	16 अप्रैल 2025 को निगमित और 03 फरवरी 26 को स्थानांतरित किया गया
	वागदरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	13 जून 2025 को निगमित और 27 मार्च 2026 को स्थानांतरित किया गया
	कर्नूल IV आरईजेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	13 जून 2025 को निगमित
	सासवड ट्रांसमिशन लिमिटेड	16 जून 2025 को निगमित और 26 फरवरी 26 को हस्तांतरित
	एसआर और ईआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	22 अगस्त 2025 को निगमित और 03 फरवरी 26 को स्थानांतरित किया गया
	तुमकुर II आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड	24 सितंबर 2025 को निगमित
	साउथ कलंब पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	30 सितंबर 2025 को निगमित और 30 मार्च 2026 को स्थानांतरित किया गया
	अलीबाग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	08 नवंबर 2025 को निगमित
	रायगढ़ पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	17 नवंबर 2025 को निगमित
	एनईआरजीएस III सियांग बेसिन ट्रांसमिशन लिमिटेड	21 नवंबर 2025 को निगमित
	लातूर आरईजेड ट्रांसमिशन लिमिटेड	10 दिसंबर 2025 को निगमित

59.2 संबंधित पक्षकारों से / को बकाया राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं	(0.42)	2.82
अन्य वित्तीय देयताएं- अप्रदत्त लाभांश	-	498.96
सहयोगी		
ऋण	14.33	3.57
नियोजन हितलाभ न्यास /निधि		
ऋण प्रतिभूतियाँ	2.00	3.00
अधीनस्थ देनदारियां	3.70	3.70
अन्य वित्तीय देनदारियां- सरकार द्वारा सेवा किए गए बांड	29.30	29.30
प्रावधान (देय)/वसूल करने योग्य	0.80	(3.26)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	46.42	34.78
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)		
ऋण प्रतिभूतियां	0.05	0.05
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	0.63	0.13
मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी – पीएफसी)		
ऋण प्रतिभूतियां	0.15	0.15

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
आरईसी फाउंडेशन		
अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां (सीएसआर फाउंडेशन को अग्रिम)	0.15	1.67

कंपनी द्वारा निदेशकों या वरिष्ठ अधिकारी या उनके रिश्तेदार या निदेशकों और उनके रिश्तेदारों से जुड़े संस्थाओं को स्वीकृत ऋण और अग्रिम की कुल राशि शून्य है (पिछले वर्ष शून्य), कंपनी के कर्मचारियों के लिए सामान्य रूप से लागू योजनाओं के तहत प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (केएमपी) को स्वीकृत ऋण और अग्रिम (पिछले वर्ष ₹ 0.74 करोड़) को छोड़कर।

59.3 वर्ष के दौरान बकाया ऋण/अग्रिम/निवेश की अधिकतम राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां/(देयताएं)	2.82	3.83
अन्य वित्तीय देयताएँ - अवैतनिक लाभांश	498.96	623.70
नियोजन हितलाभ न्यास /निधि		
ऋण प्रतिभूतियाँ	3.00	3.00
अधीनस्थ देयताएँ	3.70	3.70
अन्य वित्तीय देयताएँ - जीओआई सर्विस बॉण्ड	29.30	29.30
सहयोगी		
ऋण	14.33	19.25
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)		
ऋण प्रतिभूतियां	0.05	0.05
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	0.97	0.41
मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी – पीएफसी)		
ऋण प्रतिभूतियां	0.15	0.15
आरईसी फाउंडेशन		
अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (सीएसआर फाउंडेशन को अग्रिम)	22.86	11.31

59.4 संबन्धित पक्षों के साथ लेनदेन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)		
लाभांश भुगतान	3,215.51	2,952.17
निदेशकों की बैठक शुल्क	0.08	0.11
अन्य व्यय/प्रशासनिक व्यय का आवंटन	2.40	4.12
सहायक		
सलहाकरी संस्था का शुल्क	85.63	335.59
ब्याज आय	1.43	0.90
प्रतिपूर्ति/ व्यय प्रतिपूर्ति	16.02	17.36
किया गया निवेश	1.40	0.80
निवेश की बिक्री	0.45	1.45
नियोजन हितलाभ न्यास /निधि		
कंपनी द्वारा किए गए योगदान	12.64	11.40
कंपनी द्वारा तय किया गया प्रावधान	3.26	-
कंपनी के बॉण्ड का प्रतिदान	1.00	-
वित्तीय लागत - भुगतान किया गया ब्याज	3.11	3.04
कंपनी के बॉण्ड की सदस्यता	-	1.00
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी – पीएफसी)		
कर्मचारी ऋण और अग्रिम की वसूली	0.35	0.22
ऋण प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान / वसूली	-	-
कर्मचारी ऋण पर ब्याज आय	0.02	0.05
वित्त लागत - भुगतान किया गया ब्याज	0.00	0.00
कर्मचारी लाभ व्यय - प्रबंधकीय पारिश्रमिक	5.35	3.78
निदेशकों की बैठक शुल्क	0.31	0.35
लाभांश का भुगतान किया	0.02	0.02
मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी – पीएफसी)		
वित्तीय लागत	0.01	0.01
आरईसी फाउंडेशन		
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के लिए भुगतान	154.60	268.00

लेखा संबंधी टिप्पणियां

59.5 संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की शर्तें और नियम

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन निष्पक्ष आधार पर किए जा रहे हैं। प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक और स्टाफ ऋण एवं अग्रिम राशि कंपनी के सेवा नियमों के अनुरूप हैं। संबंधित पक्षों को भुगतान की जाने वाली वित्तीय लागत कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों में उनके निवेश के कारण है। ऐसी ऋण प्रतिभूतियों पर देय ब्याज दर सभी बॉन्डधारकों पर समान रूप से लागू होती है। कंपनी अपनी सहायक कंपनी को स्थापना और प्रशासनिक व्यय के आवंटन के लिए अग्रिम राशि भी देती है, जिसकी वसूली तिमाही आधार पर की जाती है। यद्यपि वर्ष के अंत में सहायक कंपनी की बकाया राशि असुरक्षित है, फिर भी कंपनी ने संबंधित पक्षों द्वारा देय राशि से संबंधित प्राप्य राशि में कोई हानि दर्ज नहीं की है। यह आकलन दिए गए अग्रिमों की अल्पकालिक वसूली के आधार पर किया गया है।

59.6 प्रबंधकीय पारिश्रमिक

वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
(i)	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	3.73	3.48
(ii)	रोजगार के बाद के लाभ	1.62	0.30
	कुल	**5.35**	**3.78**

चूँकि ग्रेच्युटी और क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति की देनदारियाँ प्रत्येक कर्मचारी के बजाय समग्र कंपनी के लिए बीमांकिक आधार पर प्रदान की जाती हैं, इसलिए केएमपी से संबंधित राशियाँ विशेष रूप से ज्ञात नहीं हैं और इसलिए, उन्हें उपरोक्त तालिका में शामिल नहीं किया गया है। ग्रेच्युटी और क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति को उपरोक्त तालिका में संबंधित वर्ष में वास्तविक भुगतान के आधार पर शामिल किया गया है।

59.7 एक ही सरकार के नियंत्रण में आने वाली संस्थाओं के संबंध में प्रकटीकरण (सरकार से संबंधित संस्थाएं)

सरकार से संबंधित संस्थाओं की सूची

समूह की संस्थाएं/कंपनियां केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जिन पर केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण प्रभाव है। समूह ने जिन सरकारी संस्थाओं के साथ लेन-देन किया है, उनकी सूची में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड

दामोदर घाटी निगम

नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड

एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड

पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड

टस्को लिमिटेड

एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड

एसजेवीएन लिमिटेड

ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल)

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया

ऐसी सरकारी संस्थाओं के साथ कुल लेनदेन निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
लाभांश आय	2.00	1.98
ऋण का संवितरण	6,021.60	7,113.40
ब्याज आय मान्यता प्राप्त	2,563.39	2,526.56
अन्य व्यय- पावर फाउंडेशन को आरईसी का योगदान	5.00	5.00

ऐसी सरकारी संस्थाओं के साथ कुल लेनदेन निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
ऋण परिसंपत्तियां	26,677.29	31,796.82
एलओयू और एलओसी (गैर निधि आधारित)	-	2.33
ब्याज अर्जित	49.12	60.66

केंद्र सरकार के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन के संबंध में नोट संख्या 12, 21, 23, 35 और 49 देखें।

सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ उपरोक्त लेनदेन व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन को कवर करते हैं। समूह ने अन्य लेनदेन जैसे प्रशासनिक व्यय, सरकारी कार्यक्रमों पर व्यय आदि भी अन्य सीपीएसयू के साथ किए हैं। वे व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए खुलासा नहीं किए गए हैं। सभी लेनदेन बाजार शर्तों पर किए जाते हैं।

60. भारतीय लेखा मानक 116 'पट्टों' के संबंध में प्रकटीकरण

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय ₹16.41 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹12.44 करोड़)। राइट-ऑफ-यूज़ एसेट्स प सहित सभी पट्टों के प्रति कुल नकद बहिर्वाह ₹16.41 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹12.44 करोड़) है।

61. भारतीय लेखा मानक 19 'कर्मचारी लाभ' के अंतर्गत आवश्यक कर्मचारी लाभ के लिए प्रकटीकरण:

61.1 परिभाषित योगदान योजनाएं

क परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना

कंपनी पूर्व-निर्धारित दरों पर एनपीएस ट्रस्ट को सेवानिवृत्ति योजना के लिए निश्चित अंशदान देती है, जो स्वीकृत प्रतिभूतियों में धनराशि का निवेश करता है। एनपीएस ट्रस्ट/अलग ट्रस्ट के पास शेष राशि में सदस्य के खाते में मासिक अंशदान और संचित प्रतिफल शामिल होते हैं। जब सदस्य को पेंशन देय हो जाती है, तो सदस्य के खाते में जमा राशि सदस्य द्वारा चुने गए संचय और वार्षिकी के लिए विनियोजित कर दी जाती है।

कंपनी ने परिभाषित योगदान योजनाओं के लिए ₹ 10.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 11.54 करोड़) का व्यय मान्यता दी है।

61.2 परिभाषित लाभ योजनाएं - रोज़गार-पश्चात लाभ

क. भविष्य निधि

कंपनी भविष्य निधि का निश्चित अंशदान पूर्व निर्धारित दरों पर एक अलग पंजीकृत ट्रस्ट को अदा करती है जो निधि को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। ट्रस्ट कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम ब्याज दर के अधीन, वर्ष के दौरान अपने निवेश पर अर्जित रिटर्न के आधार पर सदस्यों को अंशदान पर ब्याज की दर घोषित करता है। सदस्यों को ब्याज के भुगतान के लिए ट्रस्ट के निवेश पर अर्जित निर्दिष्ट ब्याज दर और रिटर्न में किसी भी कमी की भरपाई कंपनी द्वारा की जानी है। कर्मचारी लाभ पर आईएनडी एएस 19 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर भविष्य निधि के प्रति कंपनी का दायित्व निर्धारित और प्रावधान किया जाता है। योजना की परिसंपत्तियों और दायित्वों का उचित मूल्य निम्नानुसार है:

आरईसीपीडीसीएल के मामले में कोई अलग ट्रस्ट नहीं है और कंपनियां निर्धारित/परिभाषित अंशदान योजनाओं के तहत भविष्य निधि अंशदान करती हैं।

निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	319.18	313.05
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	323.51	317.40
निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	(4.33)	(4.35)

निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	
	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक जमा	**313.05**	**297.79**	**317.40**	**298.03**	**(4.35)**	**(0.24)**
लाभ या हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	11.93	11.10	-	-	11.93	11.10
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत / आय	25.23	24.01	25.37	24.17	(0.14)	(0.16)
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**37.16**	**35.11**	**25.37**	**24.17**	**11.79**	**10.94**
ओसीआई में शामिल						
पुनः मापन हानि (लाभ)						
- वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (लाभ)	0.70	1.36	(0.87)	5.31	1.57	(3.95)
ओसीआई में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**0.70**	**1.36**	**(0.87)**	**5.31**	**1.57**	**(3.95)**
प्रतिभागियों द्वारा योगदान	16.41	16.98	16.41	16.98	-	-
नियोक्ताओं द्वारा योगदान	-	-	11.92	11.10	(11.92)	(11.10)
निवल देयता अंतरित की गई/(बाह्य)	5.57	9.97	5.57	9.97	-	-
भुगतान किए गए लाभ	(53.71)	(48.16)	(52.29)	(48.16)	(1.42)	-
जमा शेष	**319.18**	**313.05**	**323.51**	**317.40**	**(4.33)**	**(4.35)**

ख. उपदान

कंपनी के पास एक परिभाषित उपदान योजना है जो एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, वह ग्रेच्युटी के हकदार है, प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 15 दिनों के वेतन पर, जो कि 0.25 करोड़ रुपये की अधिकतम राशि है। ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों पर विचार करते हुए, जैसा कि संशोधित किया गया है, सेवानिवृत्ति, इस्तीफा, समाप्ति, अक्षमता या मृत्यु पर। ग्रेच्युटी की देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	25.45	28.54
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	26.25	25.28
निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	(0.80)	3.26

निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता में परिवर्तन

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	
	वर्ष समाप्त 31-03-2026	वर्ष समाप्त 31-03-2025	वर्ष समाप्त 31-03-2026	वर्ष समाप्त 31-03-2025	वर्ष समाप्त 31-03-2026	वर्ष समाप्त 31-03-2025
प्रारंभिक जमा	**28.54**	**27.31**	**25.28**	**27.18**	**3.26**	**0.13**
लाभ या हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	1.92	1.34	-	-	1.92	1.34
पिछली सेवा लागत	0.01	2.73	-	-	0.01	2.73
ब्याज लागत / आय	1.83	1.78	1.71	1.93	0.12	(0.15)
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**3.76**	**5.85**	**1.71**	**1.93**	**2.05**	**3.92**
ओसीआई में शामिल						
पुनः मापन हानि (लाभ)						
- वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (लाभ)	(1.95)	0.76	-	-	(1.95)	0.76
- अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (लाभ)	(0.64)	(0.64)	-	-	(0.64)	(0.64)
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-	0.26	0.78	(0.26)	(0.78)
ओसीआई में मान्य कुल राशि	**(2.59)**	**0.12**	**0.26**	**0.78**	**(2.85)**	**(0.66)**
नियोक्ताओं द्वारा योगदान	-	-	3.26	0.13	(3.26)	(0.13)
भुगतान किए गए लाभ	(4.26)	(4.74)	(4.26)	(4.74)	-	-
जमा शेष	**25.45**	**28.54**	**26.25**	**25.28**	**(0.80)**	**3.26**

आरईसीपीडीसीएल के मामले में, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अनुसार, जो 21 नवम्बर 2025 से प्रभावी है, कर्मचारियों को एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् सेवा निवृत्ति उपादान प्राप्त करने का अधिकार है, जो पृथक्करण के समय पूर्ण रूप से देय है। इसके लिए देयता का लेखांकन बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मान्य किया गया कुल व्यय 0.31 करोड़ रुपये है (पिछला वर्ष – शून्य), जो नए वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत दायित्व की प्रारंभिक मान्यता को दर्शाता है।

ग. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी के पास सेवानिवृत्तोत्तर चिकित्सा सुविधा है जिसके अंतर्गत पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कंपनी के नियमों के अनुसार कवर किया जाता है। इस योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। इसके लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	187.82	176.86
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	234.24	211.64
निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	(46.42)	(34.78)

निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	
	वर्ष समाप्त 31-03-2026	वर्ष समाप्त 31-03-2025	वर्ष समाप्त 31-03-2026	वर्ष समाप्त 31-03-2025	वर्ष समाप्त 31-03-2026	वर्ष समाप्त 31-03-2025
प्रारंभिक जमा	**176.86**	**171.28**	**211.63**	**194.83**	**(34.77)**	**(23.55)**
लाभ या हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	8.51	6.60	-	-	8.51	6.60
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत / आय	11.70	11.86	14.29	13.81	(2.59)	(1.95)
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**20.21**	**18.46**	**14.29**	**13.81**	**5.92**	**4.65**
ओसीआई में शामिल						
पुनः मापन हानि (लाभ)						
- वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (लाभ)	(6.18)	(13.32)	-	-	(6.18)	(13.32)
- अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (लाभ)	16.39	14.65	-	-	16.39	14.65
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-	8.24	2.89	(8.24)	(2.89)
ओसीआई में मान्य कुल राशि	**10.21**	**1.33**	**8.24**	**2.89**	**1.97**	**(1.56)**
प्रतिभागियों द्वारा योगदान	0.08	0.10	0.08	0.10	-	-
नियोक्ताओं द्वारा योगदान	-	-	-	-	-	-
भुगतान किए गए लाभ	(19.54)	(14.31)	-	-	(19.54)	(14.31)
जमा शेष	**187.82**	**176.86**	**234.24**	**211.63**	**(46.42)**	**(34.77)**

घ. आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस)

कंपनी के पास एक आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस) है जो किसी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान स्थायी विकलांगता/मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना वित्तपोषित नहीं है और देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ईआरएस के लिए शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य		
- ईआरएस	7.19	6.70

ईआरएस के लिए शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता में बदलाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
प्रारंभिक जमा	**6.70**	**4.92**
लाभ या हानि में शामिल		
वर्तमान सेवा लागत	0.55	0.39
ब्याज लागत / आय	0.43	0.33
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**0.98**	**0.72**
ओसीआई में शामिल		
पुन: मापन हानि (लाभ)		
- वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (लाभ)	(0.70)	0.25
- अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (लाभ)	0.50	1.21
ओसीआई में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(0.20)**	**1.46**
भुगतान किए गए लाभ	(0.29)	(0.40)
जमा शेष	**7.19**	**6.70**

61.2.1 जोखिम प्रकटीकरण

अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से, कंपनी को कई जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) **परिसंपत्ति अस्थिरता**

योजना के अंतर्गत अधिकांश परिसंपत्ति निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च रेटिंग वाली अन्य निश्चित आय प्रतिभूतियों और म्यूचुअल फंडों में हैं। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य ब्याज दरों और अन्य बाजार एवं वृहद आर्थिक कारकों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव के अधीन है।

(ii) **छूट दर में परिवर्तन**

परिभाषित लाभ योजना देनदारियों के वर्तमान मूल्य की गणना छूट दर का उपयोग करके की जाती है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल के संदर्भ में निर्धारित होती है। छूट दर में कमी से परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में वृद्धि होगी, हालाँकि यह योजना के निवेशों के मूल्य में वृद्धि से आंशिक रूप से संतुलित हो जाएगी।

(iii) **दीर्घायु जोखिम**

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य, योजना प्रतिभागियों की रोज़गार के दौरान और उसके बाद मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर गणना की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना की देयता भी बढ़ेगी।

(iv) **वेतन जोखिम**

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य योजना प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के संदर्भ में गणना किया जाता है। इस प्रकार, योजना प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता भी बढ़ जाएगी।

(v) **कर्मचारी टर्नओवर/निकासी जोखिम**

परिभाषित लाभ योजना की देयता का वर्तमान मूल्य भविष्य में अपेक्षित निकासी दर के संदर्भ में परिकलित किया जाता है। इस प्रकार, यदि भविष्य में वास्तविक निकासी दर अपेक्षा से अधिक या कम होती है, तो इससे योजना की देयता में वृद्धि हो सकती है।

61.2.2 योजना परिसंपत्ति

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		पीआरएमएफ	
	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
नकद और नकद समकक्ष	**0.85**	**7.10**	**0.03**	**0.36**	**1.97**	**4.34**
उद्धृत योजना परिसंपत्तियाँ						
इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स	22.51	23.81	0.96	1.02	-	-
राज्य सरकार ऋण प्रतिभूतियाँ	135.23	127.60	10.19	10.22	50.54	41.76
केंद्र सरकार ऋण प्रतिभूतियाँ	32.58	42.56	-	-	-	-
कॉर्पोरेट बॉन्ड/डिबेंचर	132.34	116.33	9.41	9.34	181.73	165.54
उप-योग - उद्धृत योजना परिसंपत्तियाँ	**322.66**	**310.30**	**20.56**	**20.58**	**232.27**	**207.30**
अनकोटेड योजना परिसंपत्तियाँ						
अन्य - बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ और टी-बिल	-	-	5.66	4.34	-	-
उप-योग - अउद्धृत योजना परिसंपत्तियाँ	**-**	**-**	**5.66**	**4.34**	**-**	**-**
कुल	**323.51**	**317.40**	**26.25**	**25.28**	**234.24**	**211.64**

योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न ₹ 49.87 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹ 43.58 करोड़)।

61.2.3 **महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएँ**

योजना परिसंपत्तियों का बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य 31 मार्च, 2026 को मैसर्स ट्रांसवैल्यू कंसल्टेंट्स द्वारा किया गया था। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य, और संबंधित वर्तमान सेवा लागत और पिछली सेवा लागत, अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि (पीयूसीएम) का उपयोग करके मापा गया था। बीमांकिक मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएं हैं:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		ग्रेच्युटी		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	वर्ष समाप्त 31-03-2026	वर्ष समाप्त 31-03-2025	वर्ष समाप्त 31-03-2026	वर्ष समाप्त 31-03-2025	वर्ष समाप्त 31-03-2026	वर्ष समाप्त 31-03-2025	वर्ष समाप्त 31-03-2026	वर्ष समाप्त 31-03-2025
प्रयुक्त विधि	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम	पीयूसीएम
छूट की दर	7.57%	6.75%	7.57%	6.75%	7.57%	6.75%	7.57%	6.75%
योजनागत परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल, यदि वित्तपोषित हो	8.30%	8.26%	7.57%	6.75%	7.57%	6.75%	लागू नहीं	लागू नहीं
भविष्य में वेतन वृद्धि / चिकित्सा मुद्रास्फीति			6.00%	6.00%	5.00%	4.50%	6.00%	6.00%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कार्य जीवन (वर्षों में)			21.08	21.17	21.10	21.17	21.17	21.17
मृत्यु दर			आईएएलएम (2012-14) अंतिम 0.01%	आईएएलएम (2012-14) अंतिम 0.01%	आईएएलएम (2012-14) अंतिम 0.01%	आईएएलएम (2012-14) अंतिम 0.01%	आईएएलएम (2012-14) अंतिम 0.01%	आईएएलएम (2012-14) अंतिम 0.01%
कर्मचारी टर्नओवर / निकासी दर			0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%

मुख्य धारणाएँ छूट दर, वेतन वृद्धि दर और कर्मचारियों के अपेक्षित औसत शेष कार्यकाल हैं। छूट दर आमतौर पर रिपोर्टिंग तिथि पर सरकारी बॉन्ड पर उपलब्ध बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, जिसकी अवधि देनदारियों से मेल खाती है और वेतन वृद्धि दर में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को दीर्घकालिक आधार पर ध्यान में रखा जाता है। उपरोक्त जानकारी एक्चुअरी द्वारा प्रमाणित है।

61.2.4 **संवेदनशीलता का विश्लेषण**

अन्य मान्यताओं को स्थिर रखते हुए, प्रासंगिक बीमांकिक मान्यताओं में से किसी एक में रिपोर्टिंग तिथि पर यथोचित रूप से संभावित परिवर्तन, नीचे दर्शाई गई राशियों द्वारा परिभाषित लाभ दायित्व को प्रभावित करेगा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	बढ़ोतरी	घटाना	बढ़ोतरी	घटाना
छूट दर (0.50% वृद्धि)				
उपदान	(1.07)	1.16	(1.11)	1.21
- पीआरएमएस	(9.18)	10.09	(8.87)	9.77
- ईआरएस	(0.38)	0.42	(0.36)	0.39
वेतन वृद्धि दर (0.50% वृद्धि)				
- उपदान	0.20	(0.17)	0.23	(0.15)
- पीआरएमएस	-	-	-	-
- ईआरएस	0.26	(0.24)	0.24	(0.23)
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर (0.50% की वृद्धि)				
- पीआरएमएस	10.26	(9.39)	9.89	(9.04)
चिकित्सा लागत (10% वृद्धि)				
- पीआरएमएस	18.76	(18.75)	17.64	(17.54)

उपरोक्त प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है, क्योंकि यह असंभव है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे से अलग होकर घटित होगा, क्योंकि कुछ मान्यताएं सहसंबद्ध हो सकती हैं।

कंपनी सक्रिय रूप से निगरानी करती है कि निवेश की अवधि और अपेक्षित प्रतिफल, कर्मचारी लाभ दायित्वों से उत्पन्न होने वाले अपेक्षित नकदी प्रवाह से कैसे मेल खा रहे हैं। निवेश अच्छी तरह से विविधीकृत हैं, जिससे किसी एक निवेश के विफल होने का समग्र परिसंपत्ति स्तर पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी द्वारा अपने जोखिमों के प्रबंधन हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया में पूर्व अवधियों की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

61.2.5 **भविष्य के वर्षों में परिभाषित लाभ योजनाओं की अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी		पीआरएमएफ		ईआर	
	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
1 वर्ष से कम	4.92	5.99	18.15	16.23	1.16	1.10
1 से 5 वर्ष तक	10.77	11.47	100.76	90.62	3.46	3.09
5 वर्ष से अधिक	49.99	44.85	469.96	422.40	6.90	6.30
कुल	**65.68**	**62.31**	**588.87**	**529.25**	**11.52**	**10.49**

61.2.6 अगले वर्ष के लिए अपेक्षित योगदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		ग्रेच्युटी		पीआरएमएफ	
	वर्ष समाप्त 31-03-2026	वर्ष समाप्त 31-03-2025	वर्ष समाप्त 31-03-2026	वर्ष समाप्त 31-03-2025	वर्ष समाप्त 31-03-2026	वर्ष समाप्त 31-03-2025
अपेक्षित योगदान	-	-	0.98	5.14	-	-

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 13.61 वर्ष है (31.03.2025 वर्ष के रूप में 12.51 वर्ष है)।

61.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

61.3.1 अर्जित अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश

आरईसी कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश लाभ और अर्ध-वेतन अवकाश लाभ प्रदान करता है, जो अर्ध-वार्षिक आधार पर क्रमशः 15 दिन और 10 दिन अर्जित होता है। सेवा के दौरान किसी भी समय अधिकतम 300 दिनों का अर्जित अवकाश संचित किया जा सकता है, जबकि अर्ध-वेतन अवकाश के संचय की कोई सीमा नहीं है। आरईसीपीडीसीएल के मामले में, कर्मचारी केवल एक वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद अवकाश नकदीकरण के लिए पात्र होते हैं और अलग होने के समय पूरी राशि का भुगतान किया जाता है। इसके लिए देयता की पहचान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। इन कर्मचारी लाभों के लिए कुल ₹ 5.26करोड़ (पिछले वर्ष ₹10.85 करोड़) खर्च किए गए हैं और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि विवरण में डेबिट किए गए हैं।

61.3.2 अन्य कर्मचारी लाभ

दीर्घ सेवा पुरस्कार और निपटान भत्ते के लिए ₹0.21 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.27 करोड़) के व्यय को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि विवरण में डेबिट किया गया है।

61.4 कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में प्रतिनियुक्ति/सेकंडमेंट आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में ग्रेच्युटी, पीआरएमएफ, टर्मिनल लाभ, अवकाश नकदीकरण और अन्य कर्मचारी लाभ सहित कर्मचारी लाभ, कर्मचारी लागत के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर आवंटित किए जा रहे हैं।

61.5 कंपनी सभी सेवानिवृत्ति योजनाओं अर्थात अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ), ग्रेच्युटी, पेंशन और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ (पीएसएमबी/पीआरएमबी) का प्रबंधन समय-समय पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित समग्र सीमा के भीतर कर रही है।

61.6 केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 की आधिकारिक राजपत्र में चार अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिनमें चार श्रम संहिताओं, अर्थात, वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य करने की स्थिति संहिता, 2020 के कार्यान्वयन की घोषणा की गई है। इन श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन के बाद, केंद्र सरकार ने संबंधित श्रम संहिताओं के तहत 31 दिसंबर 2025 को मसौदा नियमों को सार्वजनिक टिप्पणी के लिए पूर्व-प्रकाशित किया है और अंतिम नियमों को नियत समय में अधिसूचित किए जाने की उम्मीद है।

वर्तमान वर्ष (पिछले वर्ष लागू नहीं) में कंपनी के वित्तीय विवरण पर नए श्रम संहिता, 2025 के अधिनियमन का कोई भौतिक प्रभाव नहीं है। साथ ही, कंपनी श्रम संहिताओं के अन्य पहलुओं पर सरकार से केंद्रीय/राज्य नियमों और स्पष्टीकरण के अंतिम रूप देने की निगरानी करना जारी रखती है और भविष्य के विकास के आधार पर आवश्यकतानुसार उचित लेखांकन प्रभाव प्रदान करेगी।

62. एसईबी/यूटिलिटीज के अनबंडलिंग के बाद दस्तावेज़ीकरण की स्थिति

कुछ पूर्ववर्ती राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी), जिनके विरुद्ध ऋण बकाया थे या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, का पुनर्गठन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया गया और पूर्व में नई संस्थाओं का गठन किया गया। परिणामस्वरूप, पूर्ववर्ती एसईबी की देनदारियाँ नई संस्थाओं को हस्तांतरित हो गईं।

जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद दस्तावेज़ीकरण की स्थिति

जम्मू और कश्मीर राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) - जम्मू और कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी में विभाजन के बाद, पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित मौजूदा संस्थाओं का 23 अक्टूबर 2019 के अनबंडलिंग आदेश के तहत पुनर्गठन किया गया है। नए पुनर्गठित विभागों के साथ समझौतों के परिशिष्टों का निष्पादन अभी बाकी है। ऐसे दस्तावेज़ों के निष्पादन तक, उत्पादन, टीएंडडी और सरकारी योजनाओं के लिए मौजूदा ऋणों का भुगतान/चुकाव मौजूदा ऋण समझौतों के अनुसार किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद दस्तावेज़ीकरण की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। हालाँकि, परिसंपत्तियों और देनदारियों को औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से संबंधित विद्युत उपयोगिताओं को हस्तांतरित किया जाना बाकी है।

दस्तावेज़ीकरण की स्थिति निम्नानुसार है:

(i) जहां भी विभाजन से पहले पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजीईएनसीओ को ऋण स्वीकृत किए गए थे और दस्तावेजीकरण नहीं किया गया था, इन योजनाओं को नवगठित उपयोगिताओं के नाम पर पुनः स्वीकृत किया गया है और दस्तावेजीकरण औपचारिकताएं पूरी की गई हैं और तदनुसार प्रभार को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के साथ पंजीकृत किया गया है।

(ii) जहां भी विभाजन से पहले पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल के नाम पर ऋण स्वीकृत किए गए हैं और दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और निकासी कर ली गई है, इन योजनाओं में नाम परिवर्तित/नवगठित उपयोगिता से एक वचनबद्धता प्राप्त की गई है और नई/नाम परिवर्तित उपयोगिता के नाम पर उधारकर्ता का नाम बदलकर नवगठित उपयोगिता को संवितरण किया गया है।

(iii) जहां भी ऋण विभाजन से पहले पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल के नाम पर स्वीकृत किया गया है और सरकारी गारंटी और निकासी के साथ दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, इन योजनाओं के लिए आगे का दस्तावेजीकरण राजपत्र अधिसूचना पर किया जाएगा।

(iv) एक बार जब सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अंतिम हस्तांतरण योजना अधिसूचित कर दी जाती है, जिसमें विद्युत उपयोगिताओं के बीच परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण का विधिवत उल्लेख होता है, तो नई/परिवर्तित नाम वाली उपयोगिताओं के सभी बकाया ऋणों के संबंध में दस्तावेज़ीकरण औपचारिकताओं के निष्पादन की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तब तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान की मांग को उपयोगिताओं द्वारा अलग किया जा रहा है और संबंधित भागों का भुगतान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की उपयोगिताओं द्वारा किया जा रहा है।

टैनजैडको के त्रिविभाजन के बाद दस्तावेज़ीकरण की स्थिति

तमिलनाडु सरकार ने 24 जनवरी, 2024 के सरकारी आदेश संख्या 6 और सरकारी आदेश संख्या 7 के तहत टैनजैडको को तीन इकाइयों में विभाजित करने का आदेश दिया: (i) मौजूदा कंपनी टैनजैडको का नाम बदलकर तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएनपीडीसीएल) कर दिया जाएगा और यह वितरण व्यवसाय जारी रखेगी। (ii) तापीय और गैस विद्युत उत्पादन व्यवसाय के लिए तमिलनाडु पावर

लेखा संबंधी टिप्पणियां

जनरेशन कंपनी लिमिटेड (टीएनपीडीसीएल) का गठन किया जाएगा और (iii) हरित विद्युत उत्पादन व्यवसाय के लिए तमिलनाडु ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएनजीईसीएल) का गठन किया जाएगा। इसके अनुसरण में, दो नई इकाइयाँ, टीएनपीजीसीएल और टीएनजीईसीएल, क्रमशः 09.02.2024 और 10.02.2024 को गठित की गईं।

इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 (केंद्रीय अधिनियम 36, 2003) की धारा 131 और 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु विद्युत पुनर्गठन और हस्तांतरण योजना, 2024 को तमिलनाडु सरकार के राजपत्र असाधारण संख्या 90 दिनांक 6 मार्च 2024 में प्रकाशित शासनादेश (एमएस) संख्या 32 ऊर्जा (बी2) विभाग दिनांक 06 मार्च, 2024 के द्वारा अधिसूचित किया, जिसके द्वारा तमिलनाडु सरकार ने 06 मार्च 2024 से टीएनजीईडीसीओ और टीएनजीईसीएल को आवंटित की जाने वाली टीएनजीईडीसीओ की संपत्ति, संपत्ति में हित, अधिकार और देनदारियों को परिभाषित किया। चूंकि तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी 06 मार्च 2024 की अधिसूचना एक वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम थी, इसलिए कंपनी ने शुरू में संबंधित संस्थाओं के साथ अनंतिम ऋण हस्तांतरण समझौतों को निष्पादित किया है।

उपरोक्त उल्लिखित तीन कंपनियों के बीच संपत्ति और देनदारियों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए तमिलनाडु सरकार की अंतिम अधिसूचना संख्या 40 दिनांक 21 अप्रैल, 2025 जारी करने के अनुसार, कंपनी द्वारा 24 मार्च, 2026 और 30 मार्च, 2026 की प्रासंगिक दस्तावेज निष्पादित करके आवश्यक दस्तावेज पूरा कर लिया गया है।

63. सामग्री लेखांकन नीतियों में संशोधन

कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान अपनाई गई समान लेखांकन नीतियों का पालन करना जारी रखा है। इसके अलावा, अधिक स्पष्टता लाने और कंपनी की प्रथा के साथ संरेखित करने के लिए कुछ लेखांकन नीतियों को फिर से लिखा गया है। लेखांकन नीतियों में किए गए ऐसे संशोधन का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

64. प्रावधान, आकस्मिकताएं और हानि हानि भत्ते लाभ और हानि के समेकित विवरण में डेबिट किए गए

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
(i)	ऋणों के लिए क्षति हानि भत्ता*	189.89	886.24
(ii)	निवेश के लिए हानि हानि भत्ता	2.37	3.26
(iii)	अन्य प्राप्तियों के लिए हानि हानि भत्ता	39.14	132.08
(iv)	आयकर के लिए प्रावधान किया गया	4,458.16	4,233.24

** इसमें आहरित प्रतिबद्धताओं पर हानि भत्ते के लिए ₹ 282.71 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) शामिल हैं।*

65. कंपनी का संचालन केवल एक ही व्यावसायिक खंड - बिजली, रसद और बुनियादी ढाँचा क्षेत्र को ऋण प्रदान करने तक सीमित है। इसलिए, भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) 108 "परिचालन खंड" के अनुसार कोई अन्य रिपोर्ट योग्य खंड नहीं है। इंड-एएस 108 में परिभाषित "प्रबंधन दृष्टिकोण" के आधार पर, मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता एक व्यावसायिक खंड के विभिन्न कारकों के विश्लेषण के आधार पर कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।

65.1 प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से प्राप्त राजस्व के बारे में जानकारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 को समाप्त वर्ष	31-03-2025 को समाप्त वर्ष
(क)	ऋण परिसंपत्तियों से आय	58,217.54	54,673.19
(ख)	सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए शुल्क	66.98	53.79
(ग)	राजकोषीय परिचालन से आय	826.94	762.93
(घ)	सेवाओं की बिक्री से राजस्व	448.57	510.97
	कुल	**59,560.03**	**56,000.88**

65.2 समूह के पास कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, क्योंकि समूह का प्राथमिक परिचालन देश के भीतर ही किया जाता है।

65.3 वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2024-25 के दौरान किसी भी एकल उधारकर्ता ने कंपनी के राजस्व में 10% या उससे अधिक का योगदान नहीं दिया है।

65.4 भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आय की मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान) निर्देश, 2025 और कंपनी की लेखा नीति के अनुरूप और विवेकपूर्ण आधार पर, ₹ 147.86 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,163.17 करोड़) के प्रावधान से पहले क्रेडिट इम्पैयर्ड लोन एसेट्स (चरण III) पर ब्याज आय को मान्यता नहीं दी गई है।

66. समेकन के लिए विचार की जाने वाली सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियां

क. कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां:

(₹ करोड़ में)

इकाई का नाम	व्यवसाय का स्थान/ निगमीकरण का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व हित	
		31-03-26 तक	31-03-25 तक
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)	भारत	100%	100%

ख. संयुक्त उद्यम- शून्य

ग. सहायक

(₹ करोड़ में)

इकाई का नाम	व्यवसाय का स्थान/ निगमीकरण का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व हित	
		31-03-2026 तक	31-03-25 तक
चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड **	भारत	100.00%	100.00%
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड **	भारत	100.00%	100.00%
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड **	भारत	100.00%	100.00%

इकाई का नाम	व्यवसाय का स्थान/ निगमीकरण का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व हित	
		31-03-2026 तक	31-03-25 तक
लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
शोंगटोंग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
कंकाणी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
तूतीकोरिन पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
डब्ल्यूआरएनईएस तालेगांव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड *	भारत	-	100.00%
जेजुरी हिंजवाड़ी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड *	भारत	-	100.00%
वेलगांव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड *	भारत	-	100.00%
राजगढ़ III पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड ***	भारत	-	100.00%
मेखली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
हम्पापुरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
शारावती पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
रयाप्टे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
रॉबर्ट्सगंज पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
जालना पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
साकोली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
बाड़मेर एच.डी.सी. पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
केम्पगौडे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
डब्ल्यूआर ईआर पार्ट सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
डब्ल्यूआर ईआर पार्ट ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
बालसाने पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
अंबरनाथ पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
मुसलगांव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
धौलपुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
जैसलमेर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
आष्टा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
रानीपुर चुनार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
मुनक पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
विजाग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	-
राजगढ़ नीमच पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	भारत	-	-
अनंतपुरम II पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	भारत	-	-
दावणगेरे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	भारत	-	-
एसआर डब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	भारत	-	-
उमरेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	भारत	-	-
बेल्लारी दावणगेरे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	भारत	-	-

** उपरोक्त एसपीवी वर्ष के दौरान बेची गई है।*
***उपर्युक्त एसपीवी को समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।*
****उपर्युक्त एसपीवी को वर्ष के दौरान निगमित और बेचा गया है।*
#उपरोक्त एसपीवी को शामिल किया गया है और वर्ष के दौरान बेचा गया है।

नोट: उपरोक्त निवेश भारत सरकार (जीओआई) के अधिदेश के अनुसार प्रबंधित किए जाते हैं और कंपनी के पास इन कंपनियों की संबंधित गतिविधियों को एकतरफा रूप से निर्देशित करने की व्यावहारिक क्षमता नहीं है। इसलिए, कंपनी संबंधित कंपनियों में अपने निवेश को सहयोगी कंपनियों के रूप में मानती है, जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव है, भले ही कंपनी के पास उनकी 100% चुकता इक्विटी शेयर पूंजी हो।

67. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत आवश्यक समेकित संस्थाओं के संबंध में प्रकटीकरण

67.1 निवल परिसंपत्तियों में हिस्सा अर्थात कुल परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं

(₹ करोड़ में)

इकाई का नाम	31 मार्च, 2026 तक		31 मार्च, 2025 तक	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि
अभिभावक				
आरईसी लिमिटेड	99.10%	84,290.41	99.06%	77,637.97
सहायक कंपनियां - भारतीय				
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)	0.90%	764.10	0.94%	738.19
सहायक - भारतीय				
चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड **	-	-	-	-
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड **	-	-	-	-
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड **	-	-	-	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

इकाई का नाम	31 मार्च, 2026 तक		31 मार्च, 2025 तक	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि
मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड **	-	-	-	-
लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05
शोंगटोंग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05
कंकाणी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05
तूतीकोरिन पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05
डब्ल्यूआरएनईएस तालेगांव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड *	-	-	0.00%	0.05
जेजुरी हिंजवाड़ी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड *	-	-	-	-
वेलगांव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड *	-	-	-	-
राजगढ़ III पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड ***	-	-	0.00%	0.05
मेखली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	-	-
हम्पापुरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	-	-
शारावती पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	-	-
रयाप्टे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	-	-
रॉबर्ट्सगंज पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	-	-
जालना पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	-	-
साकोली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	-	-
बाड़मेर एच.डी.सी. पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	-	-
केम्पगौडे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	-	-
डब्ल्यूआर ईआर पार्ट सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	-	-
डब्ल्यूआर ईआर पार्ट ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	-	-
बालसाने पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	-	-
अंबरनाथ पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	-	-
मुसलगांव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	-	-
धौलपुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	-	-
जैसलमेर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	-	-
आष्टा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	-	-
रानीपुर चुनार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	-	-
मुनक पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	-	-
विजाग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	-	-
राजगढ़ नीमच पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	0.00%	-	-	-
अनंतपुरम II पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	0.00%	-	-	-
दावणगेरे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	0.00%	-	-	-
एसआर डब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	0.00%	-	-	-
उमरेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	0.00%	-	-	-
बेल्लारी दावणगेरे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	0.00%	-	-	-
समायोजन और उन्मूलन प्रभाव	0.00%	(1.30)	0.00%	(0.40)
कुल	**100.00%**	**85,054.41**	**100.00%**	**78,376.06**

लाभ और हानि में हिस्सादारी

(₹ करोड़ में)

इकाई का नाम	31-03-2026 को समाप्त वर्ष		31-03-2025 को समाप्त वर्ष	
	समेकित निवल लाभ के % के रूप में	राशि	समेकित निवल लाभ के % के रूप में	राशि
अभिभावक				
आरईसी लिमिटेड	99.84%	16,282.26	98.92%	15,713.21
सहायक कंपनियां - भारतीय				
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)	0.48%	78.95	1.65%	261.65
समायोजन और उन्मूलन प्रभाव	-0.33%	(53.04)	-0.57%	(90.63)
कुल	**100.00%**	**16,308.17**	**100.00%**	**15,884.23**

अन्य व्यापक आय में हिस्सा

(₹ करोड़ में)

इकाई का नाम	31-03-2026 को समाप्त वर्ष		31-03-2025 को समाप्त वर्ष	
	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि
अभिभावक				
आरईसी लिमिटेड	100.00%	(4,166.35)	100.00%	(1516.80)
सहायक कंपनियां - भारतीय				
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)	-	-	-	-
समायोजन और उन्मूलन प्रभाव	-	-	-	-
कुल	**100.00%**	**(4,166.35)**	**100.00%**	**(1,516.80)**

कुल व्यापक आय में हिस्सा

(₹ करोड़ में)

इकाई का नाम	31-03-2026 को समाप्त वर्ष		31-03-2025 को समाप्त वर्ष	
	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
अभिभावक				
आरईसी लिमिटेड	99.79%	12,115.91	98.81%	14,196.41
सहायक कंपनियां - भारतीय				
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (पूर्व में आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड)	0.65%	78.95	1.82%	261.65
समायोजन और उन्मूलन प्रभाव	-0.44%	(53.04)	-0.63%	(90.63)
कुल	**100.00%**	**12,141.82**	**100.00%**	**14,367.43**

68. परिसंपत्ति और देनदारियों के अंतर्गत प्रत्येक पंक्ति मद के लिए 12 महीने और उसके बाद वसूल/निपटान की जाने वाली अपेक्षित राशि

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
		12 महीनों के भीतर	12 महीने से अधिक	12 महीनों के भीतर	12 महीने से अधिक
	परिसंपत्ति				
(1)	**वित्तीय परिसंपत्ति**				
(क)	नकद और नकद के समान	293.39	-	233.57	-
(ख)	उपरोक्त (क) के अलावा अन्य बैंक शेष	1,317.70	-	2,109.80	-
(ग)	व्यापार प्राप्तियां	5,288.21	14,672.73	2,637.20	14,794.98
(घ)	व्युत्पन्न वित्तीय साधनों	297.08	-	237.12	-
(ङ.)	ऋण	83,352.94	4,95,890.14	1,00,475.55	4,58,612.53
(च)	निवेश	234.29	9,597.16	156.00	6,517.64
(च)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	367.38	24,188.85	433.02	24,171.17
	कुल - वित्तीय परिसंपत्तियाँ (1)	**91,150.99**	**5,44,348.88**	**1,06,282.26**	**5,04,096.32**
(2)	**गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ**				
(क)	वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	10.70	269.45	8.09	398.98
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	-	3,539.59	15.95	2,852.75
(ग)	संपत्ति मे निवेश	-	0.98	-	1.01
(घ)	संपत्ति संयंत्र उपकरण	-	612.51	-	625.99
(ङ.)	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	-	127.71	-	76.01
(च)	अन्य अमूर्त संपत्तियां	0.03	1.98	-	1.84
(च)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ	48.75	30.89	116.19	22.56
	कुल - गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	**59.48**	**4,583.11**	**140.23**	**3,979.14**
(3)	**बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों को वर्गीकृत किया गया है**	**15.54**	**-**	**3.88**	**-**
	कुल संपत्ति (1+2+3)	**91,226.01**	**5,48,931.98**	**1,06,426.37**	**5,08,075.46**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

	विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
		12 महीनों के भीतर	12 महीने से अधिक	12 महीनों के भीतर	12 महीने से अधिक
	देयताएं				
(1)	**वित्तीय देनदारियाँ**				
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय साधन	306.51	1,642.64	844.66	825.40
(ख)	व्यापार एवं अन्य प्राप्य	195.98	-	157.67	-
(ग)	ऋण प्रतिभूतियाँ	64,489.96	2,45,492.86	33,578.27	2,58,850.00
(घ)	उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	36,425.29	1,58,890.32	51,565.83	1,42,734.33
(ड.)	अधीनस्थ देयताएं	333.36	9,093.39	333.79	9,180.37
(च)	अन्य अन्य गैर-वित्तीय देनदारियाँ	2,288.13	35,002.13	13,545.08	24,101.64
	कुल - वित्तीय देयताएँ (1)	**1,04,039.23**	**4,50,121.34**	**1,00,025.31**	**4,35,691.73**
(2)	**गैर-वित्तीय देनदारियाँ**				
(क)	वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)	-	-	-	-
(ख)	प्रावधान	528.63	71.25	70.74	66.77
(ग)	अन्य गैर-वित्तीय देनदारियाँ	252.43	90.71	184.36	86.86
	कुल - गैर-वित्तीय देयताएं (2)	**781.06**	**161.96**	**255.10**	**153.63**
	कुल देयताएँ (1+2)	**1,04,820.29**	**4,50,283.31**	**1,00,280.41**	**4,35,845.36**

69. कंपनी द्वारा प्रायोजित कोई ऑफ-बैलेंस शीट एसपीवी नहीं है, जिसे लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित करने की आवश्यकता है।

70. कंपनी के पास विदेश में संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों के रूप में कोई विदेशी परिसंपत्ति नहीं है।

71. कंपनी के पास विदेशों में संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों के रूप में कोई विदेशी संपत्ति नहीं है।

72. भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2025 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण नोट संख्या 3, 8, 10, 11, 22.1, 27, 28.1, 48, 51, 52, 52.1.4 (एम), 52.1.4 (एन), 52.1.4 (ओ), 52.1.4 (पी), 52.1.4 (क्यू), 52.1.4 (आर), 52.1.4 (एस), 52.1.4 (टी), 52.1.4 (यू), 52.1.4 (वी), 52.1.4 (डब्ल्यू), 52.1.4 (एक्स), 52.2.2, 52.2.4, 52.3, 53, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65, 70, 71, 73, 75.

73. स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों के बिना गठित लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

74.1 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान (पिछले वर्ष शून्य) किसी भी नियामक द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है

हालांकि, वर्ष के दौरान, कंपनी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) से कुल ₹ 0.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.18 करोड़) (जीएसटी सहित) का जुर्माना लगाया गया है, जो कि बोर्ड/समितियों की स्थिति/कोरम आवश्यकताओं के संबंध में सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं के अनुपालन में कमी के कारण है, जिसमें अपर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से जुर्माने को माफ करने का अनुरोध किया है क्योंकि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की ओर से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। कंपनी को बीएसई और एनएसई द्वारा आवश्यकता का अनुपालन करने के बाद जुर्माने की पूर्व छूट के अनुरूप स्टॉक एक्सचेंजों से अपने अनुरोध के अनुकूल परिणाम की उम्मीद है।

74.2 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान कंपनी द्वारा ग्राहकों या लोकपाल के कार्यालयों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

75. कंपनी का वर्ष 31 मार्च 2026 (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं है।

76. जब तक स्पष्ट रूप से कहा न जाए, रुपये में आंकड़े निकटतम दो दशमलव वाले करोड़ में पूर्णांकित किए गए हैं।

लेखा 1 से 76 तक के नोट्स बैलेंस शीट और लाभ-हानि विवरण का अभिन्न अंग हैं।

बोर्ड की ओर से

दिनेश गर्ग
कंपनी सचिव

राजेश कुमार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06941428

जितेन्द्र श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 06817799

हमारी सम तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में

कैलाश चंद जैन एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 112318W

सौरभ चौहान
साझेदार
एम.नं. : 167453

एससीवी एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 000235N/N500089

अभिनव खोसला
भागीदार
एम.नं. : 087010

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 28 अप्रैल 2026

आरईसी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय - कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003, सीआईएन: L40101DL1969GOI005095

31 मार्च 2026 तक समेकित तुलन पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला अनुलग्नक/

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित)

(आरबीआई के (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) 2025 दिनांक 28.11.2025 के निर्देशों के अनुलग्नक- I में दिए गए विवरण, समय-समय पर अद्यतन किए गए, जहां तक वे कंपनी पर लागू होते हैं)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
		बकाया राशि	राशि अतिदेय	बकाया राशि	राशि अतिदेय
	देयता पक्ष:				
(1)	**एनबीएफसी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम**				
	उस पर उपार्जित किन्तु अदा न किया गया ब्याज भी शामिल है:				
	(क) डिबेंचर/बांड:				
	- सुरक्षित	54,184.03	-	54,718.68	-
	- असुरक्षित	2,62,876.15	-	2,47,816.42	-
	(ख) सावधि ऋण				
	- एनएसएसएफ से असुरक्षित ऋण	10,325.12	-	10,325.12	-
	- बैंकों से असुरक्षित ऋण	64,474.24	-	41,887.00	-
	- वित्तीय संस्थाओं से असुरक्षित ऋण	-	-	2,500.00	-
	(ग) वाणिज्यिक पत्र	2,965.96	-	-	-
	(घ) अन्य ऋण				
	- विदेशी मुद्रा उधार	1,07,809.36	-	95,172.85	-
	- एफसीएनआर(ख) ऋण	8,142.31	-	43,200.30	-
	- बैंक से ओवरड्राफ्ट	341.71	-	570.78	-
	- अल्पावधि ऋण/मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण	5,035.97	-	1,600.32	-

	विवरण	31-03-2026 तक बकाया राशि	31-03-2025 तक बकाया राशि
	परिसंपत्ति पक्ष:		
(2)	**प्राप्य बिलों सहित ऋण और अग्रिम राशि का विवरण**		
	(क) सुरक्षित	5,29,100.04	5,25,654.96
	(ख) असुरक्षित	54,559.32	41,228.32
	घटाएँ: क्षति क्षति भत्ता	(6,893.45)	(10,795.76)
	ऋण एवं अग्रिम (प्रावधान के बाद शुद्ध)	5,76,765.91	5,56,087.52
(3)	**निवेश :**		
	लागत/परिशोधित लागत पर किया गया निवेश:		
	उद्धृत :		
	(i) शेयर : इक्विटी	-	-
	(ii) डिबेंचर और बांड	4,784.65	3,379.03
	घटाएँ: क्षति भत्ता	4.82	2.31
	उद्धृत डिबेंचर और बांड (प्रावधान के बाद शुद्ध)	4,779.83	3,376.72
	(iii) सरकारी प्रतिभूतियाँ	3,516.86	1,621.86
	उद्धृत :		
	(i) शेयर : इक्विटी	-	-
	(ii) डिबेंचर और बांड	196.39	230.41
	घटाएँ: क्षति भत्ता	0.81	0.95
	अनकोटेड डिबेंचर और बांड (प्रावधान के बाद शुद्ध)	195.58	229.46
	(iii) वरीयता शेयर	28.72	28.72
	घटाएँ: क्षति हानि भत्ता	(28.72)	(28.72)
	अनकोटेड वरीयता शेयर (प्रावधान के बाद शुद्ध)	-	-
	उचित मूल्य पर किया गया निवेश:		
	उद्धृत :		
	(i) शेयर : इक्विटी	147.16	176.68
	(ii) आमंत्रण इकाइयां	2.85	-
	(iii) डिबेंचर और बांड	955.58	968.18
	उद्धृत :		
	(i) शेयर : इक्विटी	233.59	300.74
	(ii) डिबेंचर और बांड	-	-

(4) उपरोक्त (2) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों का उधारकर्ता समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रावधानों के बाद शुद्ध राशि			
	सुरक्षित	असुरक्षित	प्रावधान	कुल
31-03-2026 तक				
1. संबंधित पक्ष	**-**	**-**	**-**	**-**
(क) सहायक कंपनियां	-	-	-	-
(ख) एक ही समूह की कंपनियां	-	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अलावा	**5,29,100.04**	**54,559.32**	**(6,893.45)**	**5,76,765.91**
कुल	**5,29,100.04**	**54,559.32**	**(6,893.45)**	**5,76,765.91**
31-03-2025 तक				
1. संबंधित पक्ष	**-**	**-**	**-**	**-**
(क) सहायक कंपनियां	-	-	-	-
(ख) एक ही समूह की कंपनियां	-	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अलावा	**5,25,654.96**	**41,228.32**	**(10,795.76)**	**5,56,087.52**
कुल	**5,25,654.96**	**41,228.32**	**(10,795.76)**	**5,56,087.52**

(5) शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और गैर-उद्धृत दोनों) में निवेश (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक		31-03-2025 तक	
	बाजार मूल्य / ब्यौरा या उचित मूल्य या एनएवी	बही मूल्य (प्रावधानों के बाद शुद्ध)	बाजार मूल्य / ब्यौरा या उचित मूल्य या एनएवी	बही मूल्य (प्रावधानों के बाद शुद्ध)
1. संबंधित पक्ष				
2. संबंधित पक्षों के अलावा	10,000.74	9,831.45	6,923.31	6,673.64
कुल	**10,000.74**	**9,831.45**	**6,923.31**	**6,673.64**

(6) अन्य सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2026 तक	31-03-2025 तक
(i) सकल ऋण-क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियां		
(क) संबंधित पक्ष	-	-
(ख) संबंधित पक्षों के अलावा	1,384.75	7,652.65
(ii) शुद्ध ऋण-क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियाँ		
(क) संबंधित पक्ष	-	-
(बी) संबंधित पक्षों के अलावा	676.77	2,163.17
(iii) ऋणों की संतुष्टि में अर्जित संपत्ति	**-**	**130.43**

बोर्ड की ओर से

दिनेश गर्ग
कंपनी सचिव

राजेश कुमार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06941428

जितेन्द्र श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 06817799

हमारी सम तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में

कैलाश चंद जैन एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 112318W

सौरभ चौहान
साझेदार
एम.नं. : 167453

एससीवी एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 000235N/N500089

अभिनव खोसला
भागीदार
एम.नं. : 087010

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 28 अप्रैल 2026

फॉर्म एओसी-1

वर्ष 2025-26 के लिए सहायक कंपनियों/सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं का विवरण

भाग क: सहायक कंपनियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण		(I)
1	सहायक कंपनी का नाम	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड
2	वह तिथि जब से सहायक कंपनी का अधिग्रहण किया गया	12-जुलाई-07
3	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	लागू नहीं
4	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर मुद्रा और विनिमय दर की रिपोर्टिंग करना।	लागू नहीं
5	शेयर पूंजी	9.49
6	भंडार और अधिशेष	754.61
7	कुल संपत्ति	1,135.62
8	कुल देनदारियाँ	371.52
9	निवेश	78.78
10	कारोबार	501.00
11	कर-पूर्व लाभ/(हानि)	106.18
12	कराधान के लिए प्रावधान	27.23
13	कराधान के बाद लाभ/(हानि)	78.95
14	प्रस्तावित लाभांश	10.83
15	शेयरधारिता की सीमा (प्रतिशत में)	100.00%

(1) उन सहायक कंपनियों के नाम जिन्होंने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है - शून्य

(2) वर्ष के दौरान परिसमाप्त या बेची गई सहायक कंपनियों के नाम - शून्य

भाग ख : सहयोगी और संयुक्त उद्यम

सहयोगियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	सहयोगियों का नाम	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड*	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड*	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड*	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड*	लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड*	शोंगटोंग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड*	कांकाणी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड*	थ्यूटीकोरिन पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड*	मेखली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड#	हम्पापुरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड#	शारावती पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	रयाप्टे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	रॉबर्ट्सगंज पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	जालना पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र तिथि	31-मार्च-25	31-मार्च-25	31-मार्च-25	31-मार्च-25	31-मार्च-25	31-मार्च-25	31-मार्च-25	31-मार्च-25	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	वह तिथि जिस दिन सहयोगी या संयुक्त उद्यम संबद्ध हुआ या अधिग्रहित हुआ	14-मार्च-18	19-मार्च-18	25-मार्च-18	26-मार्च-18	28-अक्टूबर-22	14-जून-23	18-दिसंबर-23	5-नवंबर-24	20-मई-25	20-मई-25	20-मई-25	21-मई-25	28-मई-25	29-जून-25
3	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी या संयुक्त उद्यम के शेयर														
i.	संख्या	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
ii.	सहयोगियों या संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
iii.	होल्डिंग की सीमा (%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
4	इसका वर्णन कि किस प्रकार महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है	नोट सं. 01 देखें													
5	सहयोगी या संयुक्त उद्यम को समेकित न किए जाने का कारण **	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण नेटवर्थ	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(1.36)	(1.25)	0.04	(0.37)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.90)	(0.41)	(0.66)	(0.68)	(0.85)	(0.72)	(0.80)	(0.79)	(0.75)
i.	समेकन में विचार किया गया **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii.	समेकन में विचार नहीं किया गया	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.90)	(0.41)	(0.66)	(0.68)	(0.85)	(0.72)	(0.80)	(0.79)	(0.75)

	सहयोगियों का नाम	साकोली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	बाड़मेर एच.वी.डी.सी. पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	केम्पगौडे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	डब्ल्यूआर ईआर पार्ट सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	डब्ल्यूआर ईआर पार्ट ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	बालसाने पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	अंबरनाथ पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	मुसलगांव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	धौलपुर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	जैसलमेर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	आपटा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	रानीपुर चुनार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	मुनक पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #	वाइजेग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड #
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र तिथि	7-जुलाई-2025	30-सितबंर-2025	30-सितबंर-2025	6-नवंबर-2025	6-नवंबर-2025	18-दिसंबर-2025	19-दिसंबर-2025	20-दिसंबर-2025	23-दिसंबर-2025	23-दिसंबर-2025	24-दिसंबर-2025	26-दिसंबर-2025	5-जनवरी-2026	16-फरवरी-2026
2	वह तिथि जिस दिन सहयोगी या संयुक्त उद्यम संबद्ध हुआ या अधिग्रहित हुआ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी या संयुक्त उद्यम के शेयर														
i.	संख्या	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
ii.	सहयोगियों या संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
iii.	होल्डिंग की सीमा (%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
4	इसका वर्णन कि किस प्रकार महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है						नोट सं. 01 देखें								
5	सहयोगी या संयुक्त उद्यम को समेकित न किए जाने का कारण **	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार शेयरधारिता के कारण नेटवर्थ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	(0.63)	(0.64)	(0.32)	(0.35)	(0.49)	(0.31)	(0.25)	(0.40)	(0.22)	(0.20)	(0.27)	(0.39)	(0.17)	-
i.	समेकन में विचार किया गया **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii.	समेकन में विचार नहीं किया गया	(0.63)	(0.64)	(0.32)	(0.35)	(0.49)	(0.31)	(0.25)	(0.40)	(0.22)	(0.20)	(0.27)	(0.39)	(0.17)	-

" सहयोगियों के लिए उपलब्ध नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र आईएनडी-एएस के आधार पर तैयार की गई है।*
*** सहयोगियों को बिक्री के लिए धारित के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और उनका मूल्यांकन लागत या उचित बाजार मूल्य (बिक्री की लागत घटाकर) जो भी कम हो, पर किया गया है, इसलिए लाभ पर विचार नहीं किया गया है।*
 # सहयोगियों के लिए उपलब्ध नवीनतम प्रबंधन प्रमाणित तुलन-पत्र आईएनडी-एएस के आधार पर तैयार की गई है।
चूँकि 16.02.2026 को निगमित हुई थी, इसलिए ऑडिटर की नियुक्ति अगले वित्तीय वर्ष में की जाएगी।

नोट: 1. *कंपनी के पास 100% शेयर हैं, लेकिन इन निवेशों का प्रबंधन भारत सरकार के अधिदेश के अनुसार किया जाता है और कंपनी के पास इन कंपनियों की संबंधित गतिविधियों को एकतरफा निर्देशित करने की व्यावहारिक क्षमता नहीं है, इसलिए इसे सहयोगी माना जाता है।*
नोट: 2. वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उनतीस सहयोगियों को स्थानांतरित कर दिया गया है।

संयुक्त उद्यम का विवरण: लागू नहीं

(1) सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जिन्होंने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है - शून्य
(2) वर्ष के दौरान समाप्त या बेचे गए सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के नाम।

व्यवसाय प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, वर्ष के दौरान निम्नलिखित सहयोगी बेचे गए हैं:

एसपीवी का नाम	निगमन की तिथि	बिक्री की तिथि
व्रनेस तलेगांव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	16-नवंबर-24	30-मई-25
जेजुरी हिंजेवाड़ी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	28-मार्च-25	09-जनवरी-26
वेलगांव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	29-मार्च-25	09-जनवरी-26
राजगढ़ नीमच पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	17-जून-25	29-सितंबर-25
अनंतपुरम द्वितीय पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	26-जून-25	17-अक्टूबर-25
दावणगेरे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	26-जून-25	24-सितंबर-25
एसआर डब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	01-जुलाई-25	17-अक्टूबर-25
उमरेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	07-जुलाई-25	26-फ़रवरी-26
बेल्लारी दावणगेरे पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	25-सितम्बर-25	12-फ़रवरी-26

बोर्ड की ओर से

दिनेश गर्ग
कंपनी सचिव

राजेश कुमार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06941428

जितेन्द्र श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 06817799

हमारी सम तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में

कैलाश चंद जैन एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 112318W

सौरभ चौहान
साझेदार
एम.नं. : 167453

एससीवी एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 000235N/N500089

अभिनव खोसला
भागीदार
एम.नं. : 087010

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 28 अप्रैल 2026

हमारे कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय	कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003 ☎ +91-11-4309 1500 ✉ contactus@recindia.com		
कॉर्पोरेट कार्यालय	प्लॉट संख्या I-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा – 122001 ☎ +91-124-444 1300 ✉ contactus@recindia.com		
प्रशिक्षण केंद्र	आरईसी विद्युत प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान आरईसीआईपीएमटी परिसर, एनपीए पोस्ट, शिवरामपल्ली, आरामघर क्रॉसरोड के पास, हैदराबाद – 500052 ☎ +91-40-2988 5851 / 5852; +91-40-2955 5901 ✉ recipmt@recindia.com		
क्षेत्रीय कार्यालय **पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश**	बे नं. 7-8, सेक्टर-2, पंचकुला – 134112 ☎ +91-172-2563 863 / 864 ✉ popanchkula@recindia.com	क्षेत्रीय कार्यालय **मध्य प्रदेश**	हॉल नं. 3, वेस्ट ब्लॉक, द्वितीय तल, मेट्रो वॉक, बिट्टन मार्केट, भोपाल – 462016 ☎ +91-755-2460 006 ✉ recbhopal@recindia.com
क्षेत्रीय कार्यालय **पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह**	आई बी-186, सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता – 700106 ☎ +91-33-2335 6989 / 6994 / 6998 ✉ zmkolkata@recindia.com	क्षेत्रीय कार्यालय **असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा**	श्रद्धा, एम.जी. पथ, जी.एस. रोड क्रॉसिंग, सोहुम/एसबीआई प्वाइंट, क्रिश्चियन बस्ती, गुवाहाटी – 781005 ☎ +91-361-2343 713 ✉ poguwahati@recindia.com
क्षेत्रीय कार्यालय **महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली, दमण एवं दीव**	51-बी, मित्तल टॉवर, पंचम तल, नरिमन प्वाइंट, मुंबई – 400021 ☎ +91-22-2283 3068 / 3055 ✉ zmmumbai@recindia.com	क्षेत्रीय कार्यालय **छत्तीसगढ़**	एफ-6 एवं एफ-7, ब्लॉक बी-1, प्रथम तल, पुजारी चैंबर्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पचपेड़ी नाका, रायपुर – 492001 ☎ +91-771-2241 055 ✉ recraipur@recindia.com
राज्य कार्यालय **हिमाचल प्रदेश**	पं. पदमदेव कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, फेज-II, प्रथम तल, द रिज, शिमला – 171001 ☎ +91-177-2653 411 ✉ poshimla@recindia.com	क्षेत्रीय कार्यालय **झारखंड**	101 एवं 102, ओम श्री एन्क्लेव, लोयोला स्कूल के पास, एयरपोर्ट रोड, हिनू, रांची – 834002 ☎ +91-651-4667 947 ✉ soranchi@recindia.com
क्षेत्रीय कार्यालय **जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख**	157-ए, गांधी नगर, अप्सरा सिनेमा के पीछे, जम्मू – 180004 ☎ +91-191-2450 800 ✉ pojammu@recindia.com	क्षेत्रीय कार्यालय **ओडिशा**	दीन दयाल भवन, पंचम तल, अशोक नगर जनपथ, भुवनेश्वर – 751009 ☎ +91-674-2393 206 ☎ +91-674-2536 649 ✉ pobhubaneswar@recindia.com
क्षेत्रीय कार्यालय **उत्तर प्रदेश**	19/8, इंदिरा नगर, रिंग रोड एक्सटेंशन, लखनऊ – 226016 ☎ +91-522-271 6324 / 7376 ☎ +91-522-434-9849 ✉ zmlucknow@recindia.com	क्षेत्रीय कार्यालय **कर्नाटक**	प्लॉट सं. 1/5, हलसूर रोड, बेंगलुरु – 560042 ☎ +91-80-2555 0240 ✉ pobangalore@recindia.com
क्षेत्रीय कार्यालय **उत्तराखंड**	44ए, भूतल, आईटी पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून – 248001 ☎ +91-135-2650 799 ✉ sodehradun@recindia.com	क्षेत्रीय कार्यालय **तेलंगाना**	आरईसीआईपीएमटी परिसर, एनपीए पोस्ट, शिवरामपल्ली, आरामघर क्रॉसरोड के पास, हैदराबाद – 500052 ☎ +91-40-2988 6745 ✉ zmhyderabad@recindia.com
क्षेत्रीय कार्यालय **बिहार**	मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक – सी, चतुर्थ तल, न्यू डाक बंगला रोड, पटना – 800001 ☎ +91-612-4016 248 ✉ popatna@recindia.com	क्षेत्रीय कार्यालय **आंध्र प्रदेश**	54-15-13, बीएसआर हिल व्यू, द्वितीय तल, श्रीनिवास नगर बैंक कॉलोनी, विजयवाड़ा – 520008 ☎+91-866-2973 405 ✉ recro-vijay@recindia.com
क्षेत्रीय कार्यालय **राजस्थान**	जे-4-ए, झालाना डूंगरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर – 302004 ☎ +91-41-270 7840 ✉ pojaipur@recindia.com	क्षेत्रीय कार्यालय **केरल, लक्षद्वीप**	ओ-5, चतुर्थ तल, सफ़ल्याम, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ट्रिडा बिल्डिंग, पलायम, तिरुवनंतपुरम – 695034 ☎ +91-471-2328 662 ✉ potrivandrum@recindia.com
राज्य कार्यालय **गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली, दमण एवं दीव**	प्लॉट सं. 585, टी.पी. स्कीम सं. 2, पुस्ती कॉम्प्लेक्स के पीछे, आत्म ज्योति आश्रम रोड, सुभानपुरा, वडोदरा – 390023 ☎ +91-265-2397 487 ✉ povadodara@recindia.com	क्षेत्रीय कार्यालय **तमिलनाडु, पुडुचेरी**	12 एवं 13, टी.एन.एच.बी. कॉम्प्लेक्स, 180 लूज़ चर्च रोड, मायलापुर, चेन्नई – 600004 ☎ +91-44-2467 2376 ☎ +91-44-2498 7960 ✉ pochennai@recindia.com

टिप्पणी

टिप्पणी

टिप्पणी

टिप्पणी

आरईसी के 57वें स्थापना दिवस की झलकियाँ

आर ई सी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

महारत्न कंपनी

पंजीकृत कार्यालयः कोर–4, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 **दूरभाषः** +91–11–43091500
कॉरपोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. आई–4, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा–122001 **दूरभाषः** +91–124–4441300
ई–मेलः contactus@recl.in **वेबसाइटः** www.recindia.nic.in **सीआईएनः** L40101DL1969GOI005095

हमें फॉलो करें: @reclindia

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26
डाउनलोड करने के लिए
कृपया क्यू. आर. कोड स्कैन करें